भारतीय अब्दकोश

(इंडियन इयर-बुक)

शकाब्द १८८२

श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद

पटना

भारतीय अब्दकोश

(इंडियन इयर-बुक)

शकाब्द १८८२

सम्पादक

श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ

मुख्य वितरक

पारिजात प्रकाशन

डाकबंगलारोड, पटना

और

काँके रोड, राँची

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
सम्मेलन भवन, पटना-३

प्रथम संस्करण
शकाब्द १८८२; विक्रम सं० २०१७; सन् १९६० ई०
मूल्य ६·००

मुद्रक
प्रभात प्रेस, मीठापुर
पटना—१

वक्तव्य

विश्व के विभिन्न विषयों की वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करनेवाले वार्षिक ग्रन्थ अँगरेजी आदि विदेशी भाषाओं में बहुत हैं। एक-एक देश या एक-एक विषय के भी अलग-अलग अब्दकोश (वार्षिक ग्रन्थ) हैं और एक ही जिल्द में एक देश या समस्त देशों के एक या अनेक विषयों की जानकारी देनेवाले ग्रन्थ भी हैं, किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का नितान्त अभाव है। यद्यपि आज से तीस-बत्तीस वर्ष पूर्व से ही कुछ व्यक्ति और संस्थाएँ राष्ट्रभाषा हिन्दी में, अब्दकोश-प्रकाशन की दिशा में, प्रयत्नशील रहे हैं, तथापि परिस्थितिवश ऐसे ग्रन्थों के दो-चार संस्करणों से अधिक नहीं प्रकाशित हो सके। अँगरेजी में, इंगलैण्ड और अमेरिका से प्रकाशित अनेक ऐसे अब्दकोश हैं, जिनका प्रकाशन लगभग सौ वर्षों से या इससे भी पहले से लगातार होता आ रहा है। भारत में भी अँगरेजी में एक डाइरेक्टरी का ६५वाँ संस्करण चालू है। यहाँ अँगरेजी के कई दूसरे छोटे-बड़े इयर-बुक भी चालीस-पचास वर्षों से निकल रहे हैं। इनमें कुछ की प्रतियाँ एक लाख से भी अधिक संख्या में छपती हैं। किन्तु, राष्ट्रभाषा हिन्दी में हजार-दो-हजार छपनेवाले अब्दकोश भी दो-चार वर्षों से अधिक नहीं टिक सके।

देश-विदेश और प्रान्त की वर्ष-प्रतिवर्ष की आवश्यक और उपयोगी जानकारी देने-वाली पुस्तकें अँगरेजी आदि विदेशी भाषाओं में ही रहने के कारण हिन्दी के पाठक इन विषयों के ज्ञान से सर्वथा वंचित रहते हैं। तीव्र गति से परिवर्त्तित होनेवाले इस युग में *अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संसार की गति-विधि से पूर्ण परिचित रहना* अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक युग में इसके बिना कोई व्यक्ति, समाज और देश समुन्नत नहीं हो सकता।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में तो विविधविषयक कोई अब्दकोश है ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसे ग्रन्थों का अत्यन्त अभाव है। अतएव, इस अभाव की पूर्त्ति के लिए परिषद् की ओर से इस भारतीय अब्दकोश का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। अब्दकोश के सम्पादन के लिए श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ नियुक्त किये गये हैं। श्रीअम्बष्ठजी ने पहले भी स्वतन्त्र रूप से 'भारतीय अब्दकोश और व्यवसाय-दर्शक' एवं 'बिहार अब्दकोश और व्यवसाय-दर्शक' नामक वार्षिक ग्रन्थों का दो-तीन वर्षों तक सफलता के साथ सम्पादन और प्रकाशन किया था, अतः इनकी उपयोगिता इस कार्य के लिए विशिष्ट मानी गई।

हमें अब्दकोश तैयार करने की आरम्भिक कार्रवाइयाँ पूरी करने तथा इसकी रूप-रेखा और आकार-प्रकार निश्चित करने में विलम्ब हुआ। ग्रन्थ यथासमय तैयार नहीं होते देखकर अन्त में परिषद् के अन्य विभागों के कार्यकर्त्ता भी इस कार्य में सहायता देने के लिए लगाये गये। इनमें सबसे अधिक सहायता श्रीरामकिशोर ठाकुर से मिली। इस

सम्बन्ध में श्रीश्रुतिदेव शास्त्री, श्रीविधाता मिश्र, श्रीविक्रमादित्य मिश्र, श्रीबजरंग वर्मा, श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन', श्रीशैलेन्द्रप्रसाद सिंह, श्रीहेमचन्द्र झा और श्रीद्वारकानाथ पाण्डेय के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

हमारी इच्छा थी कि यह शब्दकोश सभी दृष्टियों से उपयोगी और विविधविषय-सम्पन्न हो, किन्तु हम इसे वैसा नहीं बना सके, जिसका हमें खेद है। हिन्दी में शब्दकोश तैयार करने में हमारी एक बड़ी कठिनाई शब्दावली को लेकर रही। हमें प्रायः सभी विषयों के विवरण अँगरेजी में ही उपलब्ध होते हैं; किन्तु अँगरेजी में पारिभाषिक अथवा अपारिभाषिक नये-नये शब्द नित्य-प्रति गढ़े जाते रहते हैं, जिनका उपयुक्त हिन्दी-पर्याय ढूँढ़ निकालना या गढ़ना बहुत कठिन होता है। प्रायः एक अँगरेजी पारिभाषिक शब्द के लिए भिन्न-भिन्न लेखक भिन्न-भिन्न हिन्दी-शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनमें अनेक अनगढ़, अज्ञात और दुर्बोध भी होते हैं, जिससे पाठकों को तथ्य समझने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी सतर्कता के बाद भी इस सम्बन्ध की त्रुटियाँ रह गई हैं।

आशा है, पाठक हमारी उपर्युक्त कठिनाइयों को महसूस करते हुए इन त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करेंगे। यदि वे उदारतापूर्वक इस ग्रन्थ को अपनायेंगे, तो हम प्रतिवर्ष इसे अधिकाधिक सुन्दर, उपयोगी और अनेकानेक विषयों से विभूषित बनाते जायेंगे तथा चित्रों, नक्शों आदि से भी इसे सुसज्जित करने की चेष्टा करेंगे।

रथ-यात्रा, १८८२ शकाब्द

२६-६-१९६०

बालमुकुन्द शर्मा

परिषद्-संचालक

विषय-सूची

प्रथम भाग—अखिल ब्रह्माण्ड

द्वितीय भाग—विश्व

तृतीय भाग—भारत

चतुर्थ भाग—बिहार

परिषद् के पाँच नवीनतम प्रकाशन

१. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—लेखक : महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। पृष्ठ-संख्या—३२६। मूल्य-सजिल्द ५'००। माननीय चतुर्वेदीजी वैदिक विज्ञान के रहस्य के जाननेवाले विद्वानों में अद्वितीय हैं। वैदिक रहस्य की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनका यह ग्रंथ विलक्षण है। विज्ञान के आधुनिक तत्त्वों के ज्ञान की कुंजी वेदों में निहित है, जिसका आभास इस ग्रंथ के अध्ययन से मिल सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय त्योहारों, उपासना, अवतारों आदि के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ आधुनिक विज्ञानवादियों की आँखें खोल देनेवाली है। यह ग्रन्थ समस्त हिंदी-संसार के लिए अनुपम और मौलिक देन है।

२. पञ्चदश लोकभाषा-निबन्धावली—(वार्षिकोत्सवों के अवसर पर अधिकारी विद्वानों द्वारा पठित निबन्धों का पुस्तकाकार प्रकाशन) पृष्ठ-संख्या—३१२। मूल्य—सजिल्द ४'५०। यह पुस्तक भारत की १५ लोकभाषाओं (मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, संताली, उराँव, हो, अवधी, बैसवारी, व्रजभाषा, राजस्थानी, निमाड़ी, छत्तीसगढ़ी और नेपाली) के साहित्य पर लिखे अधिकारी विद्वानों के लेखों का पुस्तकाकार प्रकाशन है। लोक-भाषाओं के साहित्य के अध्ययन-मनन करनेवाले विद्वानों के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है।

३-४. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण—(तीसरा और चौथा खण्ड)—परिषद् के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत। सम्पादक—आचार्य नलिनविलोचन शर्मा। तीसरे खण्ड की पृष्ठ-संख्या—१००। मूल्य—अजिल्द १'२५ न० पै०। इसमें ३० ग्रन्थकारों की ५० हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों के विवरण दिये गये हैं। इनमें से पाँच ग्रन्थकार तो ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में पहले कहीं किसी ने कुछ चर्चा नहीं की है। आरंभ में सभी ग्रन्थकारों के परिचय भी दिये गये हैं। चौथे खण्ड की पृष्ठ-संख्या—८२। मूल्य—सजिल्द १'००। इसमें ४२६ ग्रन्थों के संक्षिप्त विवरण हैं।

५. हिन्दी-साहित्य और बिहार (प्रथम खण्ड)

पृ० सं०—३२२ मूल्य—सजिल्द ५'५० : अजिल्द ४'००

ईसा की सातवीं शती से अठारहवीं शती तक का बिहार की हिन्दी-साहित्य-सेवा का इतिहास। आधुनिक समय में उपलब्ध प्रकाशित ग्रंथों और प्राचीन हस्तलेखों के आधार पर बहुत खोज और जाँच करके प्रामाणिक ढंग से यह ग्रंथ तैयार किया गया है। इस ग्रंथ में सैकड़ों साहित्यसेवियों का परिचय उनकी उपलब्ध रचनाओं के साथ प्रकाशित है। प्रकाशित सामग्री के आधार पर विस्तृत प्रस्तावना में विवेचनात्मक विचार किया गया है।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना-३

प्रथम भाग

ब्रह्मांड

भारतीय विद्वानों का मत है कि समस्त सृष्टि की केन्द्रीय शक्ति ब्रह्म है। उसी ब्रह्म के असंख्य अंश किसी विकारवश उससे अलग होकर भी आकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। हम जो आकाश में अनगिनत तारक पिंड देखते हैं, वे सभी इसी ब्रह्म के अंश हैं और सभी चलायमान हैं। आज के वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आकाशस्थ सभी पिंड किसी शक्ति को केन्द्र बनाकर ही उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये सभी पिंड अंडाकार वृत्त में घूमते हैं। अतः इस वृत्त पर घूमनेवाले समस्त पिंड-समूह का नाम ब्रह्मांड पड़ा। वैज्ञानिकों का मत है कि बहुत तेजी से घूमनेवाले सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त में ही घूमते हैं।

यद्यपि इस ब्रह्मांड के विस्तार की बातें कल्पनातीत हैं, तथापि इस दिशा में विज्ञजनों का चिन्तन, मनन और अध्ययन आदिकाल से ही चला आ रहा है। हम अपनी खुली आँखों से जितने तारक-पिंड देखते हैं, दूरवीक्षण-यन्त्रों से उनसे कहीं अधिक पिंड दिखाई पड़ते हैं, और जितने बड़े यंत्रों से उन्हें देखते जाइए, वे उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही दिखाई पड़ते जाते हैं। इससे अनुमान होता है कि अभी और भी ऐसे असंख्य तारे हैं, जिन्हें हम अबतक के बने विशाल यंत्रों से देखने में असमर्थ हैं। कहते हैं कि अबतक किसी प्रकार दिखाई पड़नेवाले तारकों की संख्या लगभग आधा नील है। इन तारकों के आकार-प्रकार भी भिन्न-भिन्न हैं। ये सब पिंड या पिंडवत् हैं और विभिन्न उपादानों से बने हैं। इन सबों में कुछ तो हमारे सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी के समान बड़े और कुछ इनसे भी कई गुने, बल्कि सैकेण्ड, हजारों, लाखों करोड़ों गुने बड़े और छोटे हैं। दूरी में भी ये सब एक-दूसरे से न्यूनाधिक हैं। कुछ तो एक-दूसरे से इतने दूर हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ ही को दूरी की गणना हम साधारण संख्या के द्वारा कर पाते हैं। हमारे सबसे निकटवर्त्ती स्थिर-से दिखाई पड़नेवाले तारों का प्रकाश प्रति सेकेण्ड १,८६,००० मील चलकर चार वर्षों में हमारे पास पहुँचता है। गणना करने पर ये हमसे नीलों मील दूर ठहरते हैं। दूरवर्त्ती तारों की दूरी हम मीलों में नहीं बता सकते। उनकी दूरी निकालने के लिए हमें प्रकाश-वर्ष को इकाई मानना पड़ता है। प्रकाश एक वर्ष में उपर्युक्त गति से जितनी दूर चलता है, उस दूरी को एक इकाई मानकर हम उसे प्रकाश-वर्ष कहते हैं। जब प्रकाश-वर्ष की इकाई से भी काम नहीं चलने लगा तब गणक-गण और भी लम्बी दूरी की दूसरी इकाई मानकर गणना करने लगे। इन पिंडों की स्थूलता के सम्बन्ध में भी यही बात है। सभी तारों की गति भी भिन्न-भिन्न हैं। पर वे हमसे इतने दूर हैं कि हम हजारों-लाखों वर्षों में उन्हें कुछ खिसकते हुए देख सकते हैं।

आकाशस्थ पिंडों के प्रायः अलग-अलग समूह हैं। जैसे हमारा सौर परिवार है, वैसे ही अनगिनत दूसरे सौर परिवार हैं। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। घूमते-घूमते सूर्य से ही समय-समय पर कई खंड निकलकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे सब उसके ग्रह कहलाये। उन ग्रहों के भी अलग-अलग खंड हुए और वे अपने-अपने ग्रहों के चतुर्दिक् घूमने लगे, जो उपग्रह कहलाये। इस सौर परिवार के अन्दर बहुत-से धूमकेतु भी हैं, जो अपनी निराली चाल से घूमते रहते हैं। उल्कापात भी इसी परिवार के अंग हैं। हमारा सूर्य इस समस्त परिवार को लेकर अन्य सूर्यों की भाँति एक अज्ञात शक्ति ब्रह्म के चारों ओर घूम रहा है।

आकाशस्थ पिंडों में हम केवल अपने सौर परिवार के पिंडों की गति देख सकते हैं। शेष तारे अत्यन्त दूरी के कारण स्थिर-से दीख पड़ते हैं। अतएव हम अपनी गणना की सुविधा के लिए और अपने सौर परिवार के पिंडों की गति-विधि समझने के लिए शेष तारों को स्थिर मानकर ही चलते हैं। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती रहती है, इसलिए आकाश के सभी तारे सामूहिक रूप से प्रतिकूल दिशा में अर्थात् पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए मालूम पड़ते हैं। कुछ भारतीय ज्योतिषी इसी को प्रवहमान वायु से तारों का चलना कहते हैं।

हमारे सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह बुध है। उसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। अन्तिम तीन ग्रह खुली आँखों से नहीं दिखाई पड़ते। इनके देखने के लिए दूरवीक्षण-यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सम्भव है, अभी और भी अनेक ग्रहों का पता चले। इन ग्रहों में कई के उपग्रह भी हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चाँद है। चाँद के अतिरिक्त अन्य उपग्रहों का पता दूरवीक्षण-यंत्र के आविष्कार के बाद ही लगा है। इन ग्रहों और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चतुर्दिक् भ्रमण करते हैं। आकाश में खुली आँखों से दिखाई पड़नेवाले सभी ग्रहों के तारे बहुत चमकीले हैं और उनकी गणना प्रथम श्रेणी के तारों में होती है। सभी ग्रहों की सूर्य के चारों ओर घूमने की कक्षा वृत्ताकार नहीं, बल्कि अंडाकार है। अतः सूर्य से किसी ग्रह की दूरी सदा एक-सी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसलिए यह दूरी प्रायः औसत रूप में ही बताई जाती है। सूर्य से जो ग्रह जितना दूर है, उसका तापमान उतना ही कम है।

सूर्य—हमारा सूर्य एक प्रकाशमान और अग्निमय गोलाकार पिंड है, जो गैस से भरा हुआ है। पृथ्वी से इसकी दूरी ९ करोड़, ३० लाख मील और इसका व्यास ८ लाख, ६५ हजार मील है। पृथ्वी से इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुना और आकार १० लाख गुना से अधिक है। इसकी सतह का तापमान ६ हजार डिग्री सेण्टिग्रेड या ११ हजार डिग्री फारेनहाइट है, किन्तु इसके भीतर का तापमान १ करोड़ सेण्टिग्रेड है। पृथ्वी की भाँति सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, किन्तु यह अपनी विषुवत् रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर काटता है। घूमने के समय में इस अन्तर का कारण सूर्य का गैसमय होना बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्य के आन्तरिक महाताप के कारण

उसमें आँधी-सी उठती रहती है और उसी के सिलसिले में कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं।

सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिमाण, ग्रहों के परिक्रमण की अवधि और उनके उपग्रह इस प्रकार हैं--

ग्रह	सूर्य से औसत दूरी (लाख मीलों में)	औसत व्यास (मीलों में)	सूर्य के परिक्रमण की अवधि (दिनों में)	उपग्रह-संख्या
बुध	३६०	३,०००	८७·६७	०
शुक्र	६७०	७,६००	२२४·७०	०
पृथ्वी	९३०	७,९२०	३६५·२६	१
मंगल	१,४१०	४,२००	६८६·९८	२
बृहस्पति	४,८४०	८८,७००	४,३३२·५९	१२
शनि	८,८६०	७५,१००	१०,७५९·२९	६
यूरेनस	१७,८२०	३०,८००	३०,६८५·९३	५
नेपच्यून	२७,९३०	३३,०००	६०,१८७·६४	२
प्लूटो	३७,०००	३,७५०	९०,४७०·२३	०

बुध—बुध आकार में सभी ग्रहों से छोटा और दूरी में सभी की अपेक्षा सूर्य से निकट है। सूर्य से इसकी दूरी ३ करोड़ ६० लाख मील और इसका औसत व्यास तीन हजार मील है। गगन मण्डल में यह सूर्य से २१ अंश से अधिक दूर नहीं जाता और प्रति सेकेण्ड ३० मील चलकर ८८ दिनों के अन्दर ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से निकट होने के कारण उसे हम बहुत कम देख पाते हैं। जब यह आकाश में सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पश्चिम की ओर रहता है, तब हम इसे सूर्योदय के पूर्व बहुत थोड़ी देर के लिए क्षितिज के पास साफ आकाश में देख सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पूरब रहने की हालत में सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए यह साफ आकाश में दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि इसका केवल एक ही भाग सूर्य की ओर रहता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

शुक्र—शुक्र आकार में पृथ्वी से कुछ ही छोटा है। इसका औसत व्यास ७,६०० मील है। सूर्य से इसकी दूरी छः करोड़ ७० लाख मील है। सूर्य से निकट होने के कारण यह केवल प्रातः और संध्या काल में क्षितिज से ४५ अंश के अन्दर ही दिखाई पड़ता है। सूर्य से पश्चिम रहने पर यह प्रातःकाल पूरब में दिखाई पड़ता है। परन्तु जब यह सूर्य से पूरब रहता है, तब सन्ध्याकाल में पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर ३० दिनों में एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर ८ अंश पर झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे २२५ दिन लगते हैं। यह आकाश का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है, इसीसे बहुत-से लोग इसे पहचानते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

पृथ्वी—पृथ्वी आकार में नारंगी के समान गोल है, जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चिपटे-से हैं। यदि कोई किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखे, तो यह भी आकाश में एक चमकते हुए तारे के समान दिखाई पड़ेगी। यह ग्रहों में पाँचवाँ

बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड़ ३० लाख मील है। इसका क्षेत्रफल १६,६६,५०,२८४ वर्गमील है। विषुवत् रेखा पर इसकी परिधि २४,६०,२३६ मील और व्यास ७,६२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४,८६०·४६ मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर जाने पर प्रत्येक ५० फीट पर प्रायः १० डिग्री फेरेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्यभाग में तो इतनी गर्मी है कि वह भाग पिघली हुई धातु के समान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर २४ घंटे में एक बार घूमती है। यह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार वृत्तवाले रास्ते से परिक्रमा करती है। उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४६.१½ सेकेण्ड लगते हैं। इतने समय को वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के अंडाकार वृत्त में घूमने और सूर्य-कक्षा पर इसकी धुरी के ६६½ अंश झुके रहने के कारण ऋतुएँ बनती हैं। इसका एक उपग्रह चन्द्रमा है जिसके विषय में अलग लिखा गया है।

चन्द्रमा—यह पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी २,३८,८६० मील है। यह पृथ्वी के चारों ओर औसतन २७ दिन, ७ घंटे, ४३ मिनट और १२ सेकेण्ड में घूम जाता है। अपनी धुरी पर इसके घूमने की भी यही अवधि है। किन्तु पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण करने की अपनी गति के फलस्वरूप चान्द्रमास की औसत अवधि २६ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट, ५ सेकेण्ड है। इसका सदा आधा भाग ही हमारे सामने रहता है। इसका व्यास २,१६० मील है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान रहता है। सूर्य और मुख्यतः चन्द्रमा के कारण समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। कहते हैं कि चन्द्रमा पर वायु नहीं है अतएव यहाँ कोई प्राणी नहीं रह सकता। इसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उसका तापमान २००° सेंटिग्रेड है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमा पर जाने की चेष्टा बहुत दिनों से कर रहे हैं। इधर रूस और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की ओर से समय-समय पर चन्द्रमा पर रॉकेट भेजने के प्रयत्न हुए हैं। सर्वप्रथम रूस का एक रॉकेट चन्द्रमा पर सन् १६५६ के १४ सितम्बर को बारह बजे (मास्को समय) रात के बाद पहुँचा है।

मंगल—मंगल आकाश में चमकता हुआ लाल रंग का एक तारा है। पृथ्वी से नजदीक आने पर यह और भी प्रकाशमान दीखता है। अभी हाल में यह सन् १६५६ ई० में पृथ्वी के सबसे निकट आया था। उस समय यह पृथ्वी से केवल साढ़े तीन करोड़ मील दूर था। यह स्थिति इसके पहले १६२४ ई० में आई थी और फिर १६७१ ई० में भी आवेगी। भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार यह पृथ्वी से ही अलग होकर एक दूसरा ग्रह बन गया है, इसी लिए इसको भौम, कुज और महीसुत भी कहा जाता है। इसका व्यास ४,२०० मील है, जो पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही अधिक है। यह सूर्य से औसतन १४ करोड़ १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर रहने के कारण यहाँ की आबोहवा पृथ्वी की आबोहवा से ठंडी है। यह प्रति सेकेण्ड १५ मील चलकर ६८७ दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह अपनी धुरी पर २४ घंटे, ३७ मिनट में घूम जाता है। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह झुकी हुई है। इस कारण यहाँ भी ऋतु-परिवर्त्तन होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के समान यहाँ भी जीवधारी हैं।

मंगल के दो उपग्रह हैं, जिनके नाम फोवस और डिमोस हैं। इनका पता सन् १८७७ ई० में लगा था। फोवस निकटवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है और यह ७ घंटे में मंगल के चारों ओर घूम आता है। डिमोस दूरवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घंटे में मंगल की परिक्रमा करता है।

बृहस्पति—बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ४८ करोड़, ४० लाख मील है। विषुवत् रेखा पर इसका औसत व्यास ८८ हजार ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के भी दूना से अधिक है। आकाश में शुक्र के बाद यही चमकीला ग्रह है। यह केवल १० घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। इतने बड़े ग्रह का १० घंटे में घूम जाना इसकी आश्चर्यजनक गति प्रकट करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग १२ वर्ष लगते हैं। आकाश में एक राशि को पार करने में इसे एक वर्ष लगता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रह हैं, जिनमें ४ बड़े और ८ छोटे हैं। बड़े उपग्रह चन्द्रमा और बुध की तरह बड़े हैं। सबसे पीछे के चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की प्रतिकूल दिशा में घूमते हैं, जो आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद ये चार उपग्रह मंगल और बृहस्पति के बीचवाले स्थान में घूमनेवाले लघुग्रह समूह में से हों, जो बृहस्पति के आकर्षण से इसके दायरे में आ गये हों।

शनि—यह भी एक बड़ा तारा है, पर देखने में कुछ धुँधला-सा है। आकाश में मन्द गति से चलने के कारण इसका नाम शनि या शनैश्चर पड़ा। यह लगभग तीस वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है किन्तु अपनी धुरी पर एक बार घूम जाने में इसे १० घंटे ही लगते हैं। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड़ ६० लाख मील है, अर्थात् बृहस्पति की दूरी से भी लगभग दूनी। विषुवत् रेखा पर इसका औसत व्यास ७५ हजार मील है। दूरवीक्षण-यंत्र से देखने पर इसके चारों ओर मंडलाकार तीन परिवेष्टन मालूम पड़ते हैं। परिवेष्टन का आरम्भ शनि की सतह से ७,००० मील बाद होता है, जो विषुवत् रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे में है। वेष्टनों को मिलाकर शनि का व्यास १ लाख ७० हजार मील है। शनि के ९ उपग्रह हैं, जिनमें तीन बहुत बड़े हैं। एक उपग्रह टीटन का व्यास ३,५०० मील है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी उपग्रह के नष्ट-भ्रष्ट होने से ही ये परिवेष्टन बने हैं।

यूरेनस—यूरेनस दूरवीक्षण-यंत्र से ही स्पष्टतः दिखाई पड़नेवाला ग्रह है। पर कभी-कभी यह मुश्किल से खुली आँखों से भी देखा जाता है। इसका पता सन् १७८१ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी १ अरब, ७८ करोड़, २० लाख मील है। इसका व्यास ३,०८,००० मील है। यह ८४ वर्षों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके पाँच उपग्रह हैं। यूरेनस का भारतीय नाम इन्द्र दिया गया है।

नेपच्यून—यह दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखा जा सकता है। इसका पता सन् १८४५ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी २ अरब, ७९ करोड़ और ३० लाख मील है। इसका औसत व्यास ३३ हजार मील है। यह लगभग १६५ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके दो उपग्रह हैं। दूसरे उपग्रह का पता सन् १९४८ ई० में लगा था। नेपच्यून का भारतीय नाम वरुण दिया गया है।

प्लूटो—यह सूर्य का सबसे दूरवर्त्ती ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ३ अरब, ७० करोड़ मील है। आकार में यह सबसे छोटे ग्रह बुध से कुछ ही बड़ा है। इसका व्यास ३,७५० मील है। यह २४८ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह का पता नहीं लगा है।

छोटे-छोटे ग्रह—बड़े-बड़े ग्रहों के अतिरिक्त छोटे-छोटे ग्रह भी बहुत हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही दूरवीक्षण-यंत्र से १,५०० से अधिक छोटे-छोटे ग्रह देखे गये हैं। इन ग्रहों में सबसे बड़े सिरस का व्यास ४८५ मील, पल्लस का २८० मील, जूनो का १५० मील और वेस्टा का २४१ मील है।

नवग्रह—भारतीय फलित ज्यौतिष में नव ग्रह बताये गये हैं। ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव बताने में स्वयं पृथ्वी की ग्रहों में गणना करने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर प्रभाव डालनेवाले सूर्य और उपग्रह चन्द्रमा को भी ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि तो ग्रह हैं ही। इस प्रकार सात ग्रह हुए। शेष दो ग्रह राहु और केतु कहलाये। ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात-बिन्दु हैं। आकाश में उत्तर की ओर बढ़ते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को काटती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को राहु और दक्षिण की ओर नीचे उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को पार करती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को केतु कहते हैं। ये दोनों बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। ये ही नौ नवग्रह कहलाये।

धूमकेतु—कभी-कभी आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटे-बड़े कई प्रकार के हैं। कुछ पुच्छल तारे दूरवीक्षण यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। अबतक लोगों ने लगभग १००० धूमकेतुओं का पता लगाया है। इनमें कुछ की गति आदि का भी पता चल गया है। यह प्रायः दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है। सन् १९१० ई० में हेली नामक धूमकेतु पूरब की ओर प्रातः काल में दिखाई पड़ा था और क्रम से बढ़ते हुए सारे आकाश में छा गया था तथा कई महीनों तक दिखाई पड़ता रहा था। यह पुनः सन् १९८५ ई० में दिखाई देगा। इधर सन् १९५७ ई० के अप्रैल में अरैण्ड रोलैंड और अगस्त में मारकोज नामक धूमकेतु उत्तर-पश्चिम दिशा में संध्या समय कई दिनों तक दिखाई पड़े थे। अक्तूबर, १९५८ ई० में डोनाटी नामक धूमकेतु दिखाई पड़ा।

उल्कापात—अंतरिक्ष में चक्कर काटनेवाले सौर परिवार के छोटे-छोटे पिंड कभी-कभी पृथ्वी के आकर्षण में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शायद धूमकेतुओं से आते हैं। इन पिंडों में अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने पर वायु की रगड़ से प्रकाश-रेखा में परिणत होकर नष्ट हो जाते हैं। हम प्रायः प्रत्येक रात्रि में इन प्रकाश-रेखाओं को देखा करते हैं। कुछ बड़े पिंड वायु की रगड़ से क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। पृथ्वी पर गिरी हुई सबसे बड़ी उल्का दक्षिण पश्चिम अफ्रिका के ग्रूटफाउण्टेन नामक स्थान में बताई जाती है। दूसरी बड़ी उल्का ग्रीनफाउण्टेन में मिली है और वह न्यूयार्क के एक संग्रहालय में रखी गई है। यह तौल में ३४ टन से भी अधिक है। वहाँ छोटी-बड़ी कई और भी उल्काओं का संग्रह है।

तारकपुंज—आकाश के तारों को पहचानने के लिए उनमें से मुख्य-मुख्य तारों के नाम रख दिये गये हैं। फिर समस्त तारक-समूह को अलग-अलग पुंजों में बाँटा गया है। हम चीन, भारत, अरब, मिस्र तथा आधुनिक पाश्चात्य देशों के अनुसार तारों के नाम और पुंज भिन्न-भिन्न पाते हैं। आधुनिक ज्योतिषियों ने पहचान के लिए छोटे-छोटे तारों के नम्बर भी दे दिये हैं और समस्त तारक समूह को ८८ पुंजों में बाँटा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार आकाश के कुछ मुख्य तारकपुंज निम्नलिखित हैं—सप्तर्षि, शिशुमारचक्र, शेषनाग, पुलोमा, कालका, कपि (गणेश) हिरण्याक्ष, वराह, उपदानवी, शुनी, हृत्सर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पमाल, वीणा खगेश, हयशिरा त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वैतरणी, अगस्त, त्रिशंकु, क्रौञ्च और काकभुशुंडि। गणना के लिए जिन तारक-पुंजों की विशेष आवश्यकता होती है, वे मुख्यतः नक्षत्र और राशि के नाम से जाने जाते हैं। नक्षत्रों की संख्या २७ और राशियों की संख्या १२ है, जिनका विशेष विवरण आगे दिया जाता है।

आकाश-गंगा—यह छोटे-छोटे धुँधले प्रकाशवाले सघन तारकपुंजों की पंक्ति है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। बीच में इसकी दो शाखाएँ भी हो गई हैं, जो आगे चलकर फिर मिल जाती हैं। यह अँधेरी रात में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

नक्षत्र—सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहगण तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सूर्य जिस मार्ग से तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलकर वर्ष-भर में चक्कर पूरा करता है, उसे क्रान्ति-वृत्त कहा जाता है। चन्द्रमा भी इसके आसपास ही पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और मध्य गति से २७ दिन, १६ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में उसे पूरा करता है। ६० विपल का एक पल, ६० पल की एक घड़ी या दंड और ६० घड़ी या दंड का एक दिन-रात होती है। चन्द्रमा के २७ दिन में चक्कर पूरा करने के कारण गगनमंडल को २७ भाग में बाँटकर प्रत्येक भाग के नक्षत्र-पुंज का प्रायः उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दे दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र १३$\frac{1}{3}$ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक-सी नहीं होती। इसलिए एक नक्षत्र को पार करने में चन्द्रमा को ५४ से लेकर ६५ दंड तक लग जाता है। अतः प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं होता। सूर्योदय-काल से जितने घड़ी-पल या घंटा-मिनट तक चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है, पंचांग में उस नक्षत्र के नाम के सामने वही अंक लिख दिया जाता है। जो नक्षत्र एक सूर्योदय के पीछे आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाता है, उसका समय कोष्ठक में नीचे छोटे अंक में दे दिया जाता है, पर स्थानाभाव से नाम नहीं दिया जाता। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर २७ नक्षत्रों के नाम ये हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बाँटते हैं। फलित ज्यौतिष में उत्तराषाढ़ के चौथे चरण और श्रवण के पहले १५वें भाग को अभिजित् नक्षत्र कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र को साधारण जन कच-

बचिया भी कहते हैं और इसे बहुत लोग पहचानते हैं। एक नक्षत्र की पहचान के बाद मोटामोटी १३⅓ अंशों की दूरी पर सूर्य और चन्द्रमा के मार्गों के बीच आकाश में दूसरे नक्षत्रों को पहचानने की चेष्टा की जा सकती है। चन्द्रमा किस दिन किस नक्षत्र पर कितने समय तक रहता है, यह पंचांगों में दिया रहता है। उससे भी नक्षत्रों के पहचानने में सहायता मिलती है।

पहचान के लिए नक्षत्रों की आकृति और प्रमुख तारक-संख्या नीचे दी जाती है —

सं०	नक्षत्र	आकृति	प्रमुख तारे	सं०	नक्षत्र	आकृति	प्रमुख तारे
१.	अश्विनी	अश्व	३	१५.	स्वाति	प्रवाल	१
२.	भरणी	योनि	३	१६.	विशाखा	तोरण	४
३.	कृत्तिका	क्षुर	६	१७.	अनुराधा	बलि	४
४.	रोहिणी	शकट	५	१८.	ज्येष्ठा	कुंडल	३
५.	मृगशिरा	मृगमुख	३	१९.	मूल	सिंहपुच्छ	११
६.	आर्द्रा	मणि	१	२०.	पूर्वाषाढ़	गजदन्त	२
७.	पुनर्वसु	गृह	४	२१	उत्तराषाढ़	मंच	२
८.	पुष्य	शर	३	२१क.	अभिजित	त्रिकोण	३
९.	आश्लेषा	चक्र	५	२२.	श्रवण	वामन	३
१०.	मघा	शाला	५	२३.	धनिष्ठा	मर्दल (मृदंग)	४
११.	पूर्वाफाल्गुनी	मंच	२	२४.	शतभिषा	वृत्त	१००
१२	उत्तराफाल्गुनी	पर्यंङ्क	२	२५.	पूर्वाभाद्रपदा	मंच	२
१३.	हस्त	हस्त	५	२६.	उत्तराभाद्रपदा	यमल	२
१४.	चित्रा	मौक्तिक	१	२७.	रेवती	मृदंग	३२

राशि—जिस प्रकार चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्र की कल्पना की गई है, उसी प्रकार सूर्य की मासिक गति के अनुसार राशि की कल्पना हुई है। आकाश में सूर्य के मार्ग क्रान्ति-वृत्त के १२वें भाग को राशि कहते हैं। इसी प्रकार एक राशि ३० अंश की हुई। १२ राशियों के नाम आकाश के १२ भागों के तारों की राशि, अर्थात् समूह के कल्पित रूप के अनुसार पड़े हैं। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर १२ राशियाँ ये हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन। मेष तारक-राशि का रूप भेंड़ के समान और वृष का बैल के समान है। मिथुन का रूप आकाश-गंगा की नौका में बैठे एक स्त्री और पुरुष का है। कर्क का रूप केंकड़ा और सिंह का रूप बैठे सिंह के समान है। कन्या का रूप हाथ में धान का पौधा लिए एक बालिका के समान है। तुला का रूप तराजू, वृश्चिक का बिच्छू और धनु का अश्वारोही धनुर्धारी व्यक्ति के तुल्य है। मकर का रूप मगर के समान और कुम्भ का रूप घड़ा से पानी पटाते हुए एक वृद्ध-सा है। मीन की शक्ल दो मछलियों की तरह है। सिंह, वृश्चिक और धनु राशि का रूप इतना स्पष्ट है कि आसानी से आकाश में पहचाना जा सकता है। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का आदि बिन्दु एक ही है। प्रत्येक राशि २¼ नक्षत्र की है। सम्पूर्ण अश्विनी और भरणी नक्षत्र तथा कृत्तिका का एक चरण मिलकर मेष

राशि, इसी प्रकार कृत्तिका का शेष तीन चरण, रोहिणी सम्पूर्ण तथा मृगशिरा के प्रथम दो चरण मिलकर वृष राशि हुई। इसी तरह अन्य नक्षत्रों और राशियों का सम्बन्ध समझना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब मेष-संक्रान्ति कहलाती है और जब वृष में प्रवेश करना है, तब वृष-संक्रान्ति कही जाती है। इसी प्रकार अन्य राशियों में सूर्य के प्रवेश की बात समझनी चाहिए।

किसी समय मेष-संक्रान्ति के दिन ही रात-दिन बराबर होते थे, पर क्रमशः हटते-हटते अब २३ दिन पहले ही ऐसा होता है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि के आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वे निरयन राशियाँ होती हैं। पर क्रान्तिवृत्त और विषुवत्-वृत्त के पीछे खसकते हुए सम्पात-बिन्दु से राशियों की गणना करने पर वे सायन राशियाँ होती हैं। यह सम्पात-बिन्दु प्रतिवर्ष ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशि में सं० २०१७ विक्रमाब्द के आरम्भ में २३ अंश १७ कला और ११ विकला का अन्तर है।

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अहोरात्र में राशि-चक्र एक परिक्रमा कर लेता है। इससे भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न राशियाँ पूर्वी क्षितिज पर उदय होती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार राशियों का उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर लगी रहती है, उस समय वह राशि लग्न कहलाती है।

ग्रहों की गति—सूर्य, चन्द्र और भिन्न-भिन्न ग्रह कब किस नक्षत्र और राशि में रहते हैं, यह पंचांग में दिया रहता है। उसके सहारे आकाश में हम उन्हें देख सकते हैं। ये सब प्रतिदिन आकाश के स्थिर तारों के बीच पूरब की ओर कुछ-कुछ खिसकते रहते हैं। इसलिए लगातार कई दिनों तक देखते रहने से उन्हें पहचानना कठिन नहीं होता। ग्रहों की दो गतियाँ होती हैं—मार्गी और वक्री। ग्रहों के साधारणतः अपने मार्ग पर पूरब की ओर चलने को मार्गी गति कहते हैं। कभी-कभी ग्रह थोड़े समय के लिए पश्चिम की ओर पीछे हटते हैं। इसे ही वक्री गति कहते हैं। सूर्य एवं ग्रहों की दैनिक मध्य गति नीचे दी जाती है—

	अंश	कला	विकला	प्रविकला	पराविकला
सूर्य	०	५६	८	१०	२१
चन्द्र	१३	१०	३४	३५	०
बुध	४	५	३२	१८	६
शुक्र	१	३६	७	४४	३५
मंगल	०	३१	२६	२८	७
बृहस्पति	०	४	५६	६	६
शनि	०	२	०	२२	५१
यूरेनस	०	०	४२	१३	४८
नेपच्यून	०	०	२१	३१	४८
प्लूटो	०	०	१४	१६	१२
राहु और केतु	०	३	१०	४६	१२

कालमान

भारत में काल का सबसे बड़ा मान ब्रह्मायु है। १०० ब्राह्म वर्ष की एक ब्रह्मायु और ३६० ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म वर्ष माना जाता है। एक ब्राह्म दिन और एक ब्राह्म रात की एक ब्राह्म अहोरात्र होती है। एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात्र को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में १४ मन्वन्तर, अर्थात् १००० महायुग, दैवयुग या चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग माने जाते हैं। कलियुग का मान ४,३२,००० मानव-वर्ष है। कलियुग से दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग है। इस प्रकार एक महायुग ४३,२०,००० मानव-वर्ष का होता है, और एक ब्रह्मायु में ३१,१०,४०,००,००,००,००० मानव-वर्ष होते हैं। कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अन्त में महाप्रलय होता है और उसके बाद फिर सृष्टि होती है। इन सबका कारण पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और सूर्य का सपरिवार ब्रह्म की परिक्रमा करना बताया जाता है यह पहले कहा जा चुका है।

प्राचीन भारतीय विद्वानों की गणना के अनुसार इस समय आधी ब्रह्मायु बीत चुकी है। शेष आधी के प्रथम ब्राह्म वर्ष का प्रथम दिवस, अर्थात् प्रथम कल्प है। इस कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। इस कल्प के ६ मन्वन्तर—स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष बीत चुके हैं। यह सातवाँ मन्वन्तर वैवस्वत वर्त्तमान है। इस मन्वन्तर के २७ महायुग बीत गये हैं। २८वें महायुग के भी तीन युग बीत चुके, चौथा कलियुग वर्त्तमान है। कलियुग के भी २०१७ वि० की मेष-संक्रान्ति तक ५,०६१ वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार कल्प से, अर्थात् सृष्टि से लेकर संवत् २००७ विक्रमीय तक १,६७ २६,४६,०६१ वर्ष हुए हैं। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार २ अरब वर्ष बताते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य के संकल्प में सृष्टि के आरम्भ से ही काल की गणना करते हैं।

वर्ष—पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है, उतने समय का वर्ष होता है। इस परिक्रमा में ३६५ दिन, ५ घंटा, ४८ मिनट और ४६.७ सेकेण्ड लगते हैं। अतएव सौर वर्ष ३६५ दिन के होते हैं। जितना समय बचता है, उसे ४ वर्षों तक लगातार जोड़ने पर २३ घंटा, १५ मिनट और १८.८ सेकेंड होते हैं। इसलिए चौथे वर्ष एक निश्चित महीने में एक दिन जोड़कर ३६६ दिन का वर्ष बना लेते हैं। फिर इसमें जो थोड़ा समय बढ़ा रहता है, उसे पूरा करने के लिए १००वें वर्ष में ४थे वर्ष का एक दिन नहीं बढ़ाते हैं। फिर भी जो कमी-बेशी रह जाती है, उसे ४०० वर्षों में ठीक कर लेते हैं, अर्थात् १००वें वर्ष में एक नहीं बढ़ाते, पर ४००वें वर्ष में बढ़ा देते हैं।

चन्द्रमा की गति के हिसाब से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। चन्द्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे मास मानकर १२ मास का एक वर्ष मान लेते हैं। चान्द्र वर्ष में लगभग ३५४ दिन, ९ घंटे होते हैं।

संवत्सर—जितने समय में बृहस्पति मध्यम गति से एक राशि पर चलता है, उसे संवत्सर कहते हैं। एक संवत्सर ३६१ दिन, १ घड़ी और ३६ पल के लगभग होता है। यह

भी एक प्रकार का वर्ष ही है। सौर वर्ष से यह ४ दिन, १२ घड़ी, ५५ पल कम पड़ता है। भारतीय ज्योतिषियों ने ६० संवत्सरों का एक चक्र माना है। वे क्रमश: एक के बाद दूसरे आते हैं।

संवत्सरों के नाम इस प्रकार हैं—प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन, क्षय।

सन्-संवत्—वर्ष की गणना का आरम्भ लोग भिन्न-भिन्न प्रमुख समयों या घटनाओं से करते हैं। कुछ लोग सृष्टि के आरम्भ से ही वर्ष का हिसाब करते हैं और *सृष्टि-संवत्*, लिखते हैं। युधिष्ठिर के समय से *युधिष्ठिराब्द*, कलि के आरम्भ से *कलि-संवत्*, बुद्ध के दिनों से *बुद्धाब्द* और महावीर जैन के समय से *जैनाब्द* (वीराब्द) चले। इसी तरह से और भी कई संवत् चले। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से *विक्रम-संवत्* और शक शालिवाहन के समय से *शक-संवत्* चले। यद्यपि इन दोनों संवतों का प्रचार भारतवर्ष में सार्वदेशिक रूप से है, तथापि भारत-सरकार ने शक संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है। उत्तर भारत में विक्रम-संवत् और दक्षिण भारत में शक संवत् का विशेष प्रचार है। मिथिला में १२वीं शताब्दी के राजा लक्ष्मणसेन का चलाया हुआ *लक्ष्मण-संवत्* प्रचलित है। ईसा-मसीह के मृत्युकाल से *ईसवी सन्* यूरोप में चला हुआ है। अँगरेजी शासन-काल से भारत में भी इसका खूब प्रचार है। मुसलमानों का *हिजरी सन्* मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना भागने के समय से चला हुआ है। अकबर के मंत्री टोडरमल ने हिजरी संवत् को भारतीय चान्द्र मासों से सम्बन्ध रखकर *फसली सन्* नाम से चलाया। बंगाल में लोगों ने उसी का सौर मास से सम्बन्ध रखकर *बंगाली सन्* नाम दिया। कुछ लोग *तुलसी-संवत्*, *चैतन्य-संवत्*, *दयानन्दाब्द* आदि भी चलाते हैं। पुराने समय में और भी बहुत-से संवत् चले और फिर उनका व्यवहार उठ गया। परन्तु उपर्युक्त सन्-संवत् अब भी चल रहे हैं। *यहूदी-संवत्* यहूदी लोगों में प्रचलित है। यह सृष्टि के आरम्भ से माना जाता है। पर उनके हिसाब से सृष्टि विक्रम संवत् से सिर्फ ३,८१७ वर्ष पहले हुई थी।

सभी भारतीय संवतों का संबंध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। अँगरेजी सन् केवल सौर गणना पर और हिजरी सन् केवल चान्द्र गणना पर चलते हैं। चान्द्र गणना पर चलने के कारण हिजरी महीनों को ऋतुओं से कोई संबंध नहीं रहता। कभी कोई महीना जाड़ा में, कभी गर्मी में और कभी बरसात में पड़ जाता है। यहूदी संवत् दोनों पर निर्भर करता है।

संवतों का आरम्भ भिन्न-भिन्न महीनों से होता है। भारतीय संवतों का आरम्भ सौर गणनानुसार मेष संक्रांति, अर्थात् सौर वैशाख से होता है। मेष-संक्रांति प्राय: १३ अप्रैल को होती है। चांद्र गणना के हिसाब से संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होते हैं।

भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि सृष्टि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। वर्षारम्भ की ये दो तिथियाँ बहुत प्रचीन काल से चली आ रही हैं। सम्भव है कि गणना के आरम्भ में ये दो तिथियाँ एक ही दिन पड़ी हों। गुजरात, काठियावाड़ आदि में विक्रम संवत् या वर्ष कार्त्तिक शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ किया जाता है। बुद्धाब्द वैशाख-पूर्णिमा से और जैनाब्द कार्त्तिक-अमावस्या से आरम्भ होता है। फसली सन् आश्विन से आरम्भ किया जाता है, पर मिथिलावाले श्रावण से ही वर्ष का आरम्भ मानकर तभी से नये वर्ष का पंचांग तैयार करते हैं। हिजरी सन् मुसलमानी महीना मुहर्रम से शुरू होता है।

मास—मास सौर और चांद्र दो प्रकार के होते हैं। सूर्य जितने समय तक एक राशि में रहता है, उतने समय को सौर मास कहते हैं। सूर्य जिस समय जिस राशि में प्रवेश करता है, उस समय उस राशि की संक्रांति कहलाती है। कहीं संक्रांति के दिन से और कहीं अगले प्रातःकाल से मास का आरम्भ मानते हैं। सौर मास का नाम प्रायः राशि के नाम पर ही रहता है। चांद्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर भिन्न ही हैं, पर सौर मास को भी चांद्र मास के नाम से ही पुकारते हैं, जैसे मेष सौर मास को वैशाख, वृष को ज्येष्ठ, मिथुन को आषाढ़, कर्क को श्रावण, सिंह को भादो, कन्या को आश्विन, तुला को कार्त्तिक, वृश्चिक को अग्रहायण, धनु को पौष, मकर को माघ कुम्भ को फाल्गुन और मीन को चैत। सूर्य की गति एक सी नहीं होती। उसे भिन्न-भिन्न राशियों को पार करने में भिन्न-भिन्न समय लगते हैं, इसलिए सौर मास के दिन में एक दो दिन का अंतर हो जाया करता है। स्थूल गणनानुसार कुछ लोगों ने सौर मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। मेष, वृष, कर्क, सिंह तथा कन्या के ३१ दिन, मिथुन के ३२ दिन, वृश्चिक और धनु के २९ दिन तथा तुला, मकर, कुम्भ और मीन के ३० दिन माने गये हैं। चौथे वर्ष कुम्भ के ३१ दिन माने जाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक रोला छन्द है—'बत्तिस मिथुन दिनेस दिवस इकतीस शेष गनु। तीस तुला घट मकर मीन उनतीस वृश्चिक धनु॥ विक्रम चौथे बरस कुम्भ इकतीस गिनैये। दिये चार सों भाग शेष जो कुछ न पैये॥'

चंद्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चांद्र मास होते हैं। चान्द्र मास दो तरह के होते हैं—एक अमांत और दूसरा पूर्णिमांत। एक अमावस के बाद से दूसरे अमावस तक के समय को अमांत चांद्र मास और एक पूर्णिमा के बाद से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमांत चांद्र मास कहते हैं। जब सूर्य और चन्द्र आकाश में एक जगह दिखाई पड़ते हैं, तब उसे अमावस और जब वे दोनों ठीक विपरीत दिशा में आमने-सामने १८० अंश पर होते हैं, तब उसे पूर्णिमा कहते हैं। अमावस को चाँद नहीं दिखाई पड़ता। फिर वह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण गोल दिखाई पड़ता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं, यह कहा जा चुका है। चैत्र मास का पूर्ण चंद्र चित्रा नक्षत्र पर या उसके आसपास रहता है। उसी तरह वैशाख का विशाखा के पास और ज्येष्ठ का ज्येष्ठा के पास रहता है। इसी भाँति और महीनों को समझना चाहिए।

चान्द्र मास कभी २९, कभी ३० और कभी ३१ दिन का होता है। औसत हिसाब से चान्द्र मास २९ दिन, १२ घंटे, ३५ मिनट का होता है और चान्द्र वर्ष ३५४ दिन,

६ घंटे का। सौर वर्ष ३६५ दिन, ६ घंटों का होने से दोनों में १० दिन, २१ घंटे का अन्तर पड़ जाता है। अतएव ऋतु और सौर वर्ष का मेल रखने के लिए प्रत्येक ३३वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हैं, जिसे अधिमास या मलमास कहते हैं। जिस अमांत चान्द्र मास में संक्रांति नहीं पड़ती, उसी मास को अधिक मास कहते हैं। हिसाब पूरा होने में कुछ बाकी रह जाता है, अतएव उसे पूरा करने के लिए कभी-कभी चान्द्र मास का क्षय भी मान लेते हैं। जिस मास में दो संक्रांति पड़ जाती है, वही लुप्त माना जाता है। किन्तु जिस वर्ष में एक क्षयमास होता है, उस वर्ष दो अधिमास होते हैं। क्षयमास कभी १४१ वर्ष में और कभी १६ वर्ष में होता है। आगे २०२० विक्रमाब्द के कार्त्तिक में, २०३६ के पौष में, २१८० के अगहन में और २१६६ के पौष में क्षयमास होंगे।

हिजरी महीना अमावस के बाद चन्द्रमा दिखाई पड़ने पर आरम्भ होता है। यहूदी महीना २६ या ३० दिन का होता है। १६ वर्षों के चक्र में १ला, २रा, ४था, ५वाँ, ७वाँ, ६वाँ १०वाँ, १२वाँ, १३वाँ १५वाँ, १६वाँ और १८वाँ १२ महीने का और शेष १३ महीने का होता है। अँगरेजी महीनों के प्रथम ६ नाम देवताओं के नाम पर, ७वें, ८वें बादशाहों के नाम पर और शेष संख्या के नाम पर हैं।

भारत सरकार ने शक संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है, यह लिखा जा चुका है। राष्ट्रीय संवत् के साथ ही राष्ट्रीय मास और राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर दी गई है। यह प्रायः सायण सौर गणनानुसार है? वर्ष का आरम्भ चैत्र से किया जाता है। इस राष्ट्रीय चैत्र मास का आरम्भ २२ मार्च को हुआ करेगा, यह निश्चित कर दिया गया है। यह गणना २२ मार्च सन् १६५७ ई० अर्थात् १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ किया गया है। प्रत्येक मास के दिनों की संख्या भी निश्चित कर ली गई है। साधारणतः चैत्र के दिन ३० होंगे और आगे के ५ मास वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादो के दिन ३१। फिर शेष ६ मास आश्विन, कार्त्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन के दिन ३१ रहेंगे। हाँ, चौथे वर्ष ईसवी सन् के (लिप ईयर) में वर्ष या चैत्र का आरम्भ २१ मार्च को ही होगा और उस वर्ष चैत्र के दिन ३१ रहेंगे। इस गणना में सुलभता रहेगी, अन्तरराष्ट्रीय अँगरेजी तिथि के साथ राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित सम्बन्ध बना रहेगा, भारतीय सौर या चान्द्र तिथि के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध कायम रहेगा और सौर वर्ष के ३६५ दिन भी पूरे हो जायेंगे। अँगरेजी के किस मास की किस तिथि से राष्ट्रीय मास की पहली तिथि आरम्भ होगी और उस राष्ट्रीय मास की दिन-संख्या क्या होगी, यह आगे लिखा जा रहा है—

अँग० मास तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन संख्या	अँग० मास तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन-संख्या
मार्च २२ से (लिप-इयर में २१ मार्च से)	चैत्र	३०-३१	सितम्बर २३ से	आश्विन	३०
अप्रैल २१ से	वैशाख	३१	अक्टूबर २३ से	कार्त्तिक	३०
मई २२ से	जेठ	३१	नवम्बर २२ से	अगहन	३०
जून २२ से	आषाढ़	३१	दिसम्बर २२ से	पूस	३०
जुलाई २३ से	श्रावण	३१	जनवरी २१ से	माघ	३०
अगस्त २३ से	भादो	३१	फरवरी २० से	फाल्गुन	३०

ऋतुएँ—दो-दो मास की ऋतुएँ होती हैं। ज्यौतिष के हिसाब से चैत्र-वैशाख को वसन्त, ज्येष्ठ-आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद को वर्षा, आश्विन-कार्त्तिक को शरद्, अगहन-पौष को हेमन्त और माघ-फाल्गुन को शिशिर कहते हैं। वैद्यक रीति से फाल्गुन चैत्र को वसन्त और वैशाख-ज्येष्ठ को ग्रीष्म कहते हैं। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए।

तिथि – मास तिथियों में बँटे होते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य जिस राशि को जितने दिन में पार करता है, उस सौर मास में उतनी तिथियाँ होती हैं। अँगरेजी महीने की तारीखें भी किसी हिसाब से निश्चित कर दी गई हैं। हिजरी चान्द्र महीने की तारीखें अमावस के बाद चाँद उगने के दिन से दूसरे दूज के चाँद के पूर्व तक गिन ली जाती हैं। परन्तु हिन्दू लोग चान्द्र तिथियों की गणना यज्ञ एवं पर्व आदि के निमित्त चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार करते हैं। पहले मास के दो भाग कर लिये जाते हैं, जिन्हें पक्ष कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियाँ होती हैं। ये १५ तिथियाँ १३ दिनों से १६ दिनों तक में समाप्त होती हैं। पक्ष का अन्त अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चन्द्र का मध्य-बिन्दु एक स्थान में एक सीध में हो जाता है, तब अमावस पूरी होती है। उसके बाद चन्द्रमा सूर्य से जितने समय में १२ अंश दूर हट जाता है, उतने समय में एक तिथि होती है। इस प्रकार प्रत्येक बारह-बारह अंशों पर तिथियाँ बदलती हैं। १५वीं तिथि के अंत होने पर चंद्रमा सूर्य से १८० अंश दूर जाकर ठीक आमने-सामने हो जाता है, तब पूर्णिमा की तिथि पूरी होती है। यह शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसमें चन्द्रमा क्रमशः बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आरम्भ होता है और चन्द्रमा घटने लगता है। इसमें भी वही १२-१२ अंशों के अंतर पर १५ तिथियाँ होती हैं। १५वीं तिथि के अंत में फिर सूर्य और चंद्र एक स्थान पर आ जाते हैं और अमावस होती है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या और पूर्णिमा हैं।

चंद्रमा की गति एक-सी नहीं होती, इसलिए उसे १२ अंशों के पार करने में ५४ से ६५ दंड तक लगते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय लगभग ६० दंड का होता है। इसलिए कभी-कभी दो तिथियाँ एक ही दिन या वार में पूरी होती हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी की प्रधानता मानी जाती है और पंचांगों में वार के सामने वही तिथि लिखी जाती है। उसके नीचे छोटे अक्षरों में दूसरी तिथि का समाप्ति-काल लिख दिया जाता है। आगे दूसरे वार में तीसरी तिथि का नाम दिया जाता है, जो सूर्योदय-काल में रहती है। इस तरह यह दूसरी तिथि-व्यवहार में क्षय-तिथि या अवम तिथि कहलाती है। कभी-कभी कोई तिथि एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल में भी कुछ देर तक जाती है। ऐसी अवस्था में दोनों दिन उस तिथि का नाम लिखा जाता है। इसे ही तिथि-वृद्धि कहते हैं।

करण—तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। शुभाशुभ मुहूर्त्त का विचार करने में ज्योतिषी इसका उपयोग करते हैं, अतएव पंचांगों में इसका उल्लेख रहता है।

करण ११ हैं—बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न। प्रथम सात को चर करण और अंतिम चार को स्थिर करण कहते हैं। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध से बव करण का आरम्भ होता है और प्रथम सात पर करण क्रम-क्रम से चलते रहते हैं। अंत में चार स्थिर करण महीने में सिर्फ एक बार आते हैं—कृष्ण-पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्द्ध में शकुनि, अमावस के पूर्वार्द्ध में चतुष्पद, उत्तरार्द्ध में नाग और शुक्ल-पक्ष प्रतिपदा के पूर्वार्द्ध में किंस्तुघ्न। विष्टि का दूसरा नाम भद्रा है।

योग- नक्षत्र की तरह योग की संख्या भी २७ मानी गई है। अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से सूर्य और चंद्र जिस समय जितने अंश दूर होते हैं उनके योगफल में नक्षत्र के मान १३⅓ अंश से भाग देने पर जितने भागफल होते हैं, उतने योग उस समय बीते हुए माने जाते हैं और अगला योग वर्त्तमान समझा जाता है। किसी कार्य के करने में फल-सिद्धि के लिए नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार किया जाता है। अतएव पंचांगों में प्रतिदिन के योग के नाम दिये रहते हैं। २७ योग ये हैं—विष्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, सोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति।

वार—संसार में प्रायः सर्वत्र वार, अर्थात् दिन सात माने गये हैं। उनके नाम भी सब जगह सूर्य एवं ग्रहों के नाम पर रखे गये हैं। क्रम भी एक सिद्धांत पर स्थिर किया गया है। वारों के नाम ये हैं—रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। साधारणतः एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल तक वार की गणना की जाती है। एक वार में एक दिन और एक रात्रि होती है। दिनमान में प्रायः बराबर अंतर होने पर भी दोनों का योग सदा ६० दंड या घड़ी के लगभग होता है। भारत में भी प्राचीन-काल में किसी समय आज की पाश्चात्य पद्धति की तरह दोपहर रात के बाद से वार की प्रवृत्ति मानी जाती थी।

गोल और अयन, रात्रिमान और दिनमान यदि आकाश-मंडल के दो समान भाग इस प्रकार किये जायँ कि एक भाग के मध्य में उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिणी ध्रुव पड़े, तो पहले भाग को उत्तरीय गोलार्द्ध और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्द्ध कहेंगे। भूमध्य या विषुवत् रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभाजित माना जाता है। उत्तरीय गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या ये ६ राशियाँ रहती हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध में शेष ६ राशियाँ।

जब सूर्य भूमध्यरेखा के सामने सायन मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसका उल्टा दक्षिण गोलार्द्ध में होता है। जब सूर्य सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात् दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर उत्तर में क्रम-क्रम से दिन छोटा और

रात बड़ी होने लगती है। भूमध्यरेखा के सामने सायन तुला पर सूर्य के आने पर फिर सर्वत्र दिन-रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य दक्षिण गोलार्द्ध में प्रवेश कर जब सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसका उल्टा पृथ्वी के उत्तर गोलार्द्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। वहाँ से सूर्य उत्तरायण होता है जिससे दक्षिण में दिन क्रम-क्रम से छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। अन्त में पुनः सूर्य भूमध्यरेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्यरेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश की होती है। भूमध्यरेखा पर दिनमान और रात्रिमान सदा १२ घंटे का होता है। भूमध्यरेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। ६६½ अंश पर सबसे बड़ा दिनमान या रात्रिमान २४ घंटे का, ७० अंश पर २ मास का, ७८½ अंश पर ४ मास का और ९० अंश पर छह मास का होता है।

स्टैंडर्ड टाइम—प्रत्येक स्थान का समय कुछ-कुछ भिन्न होने पर भी समूचे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम ठीक कर लिया जाता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम सन् १९०६ में ८२½ रेखांश पूर्व के मध्यम काल के आधार पर निश्चित कर लिया गया है। यह ग्रीनविच के समय से ५½ घंटा पहले पड़ता है। सारे भारत के रेलवे, डाक एवं तारघर आदि इसी समय को व्यवहार में लाते हैं। १८८४ में एक अन्तर-राष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रेन्स हुई थी। उसने यह तय कर लिया कि ग्रीनविच, इंगलैंड से होकर जानेवाले मेरिडियन लाइन को ही प्रधान मेरिडियन माना जाय और संसार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाय। ग्रीनविच के मेरिडियन को शून्य अंश पर मान कर वहाँ से १८०° तक पूर्वीय और पश्चिमीय रेखांश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूरब किसी स्थान का समय जानने के लिए दूरी के हिसाब से ग्रीनविच के समय में प्रति १५° पर एक घंटा का समय घटाना पड़ता है और पश्चिम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

प्रति १५° अंश पर समय में एक घंटा का अन्तर पड़ता है, अतएव पृथ्वी की परिक्रमा में एक दिन का अन्तर होगा। यदि कोई यात्री किसी स्थान से किसी तारीख को पूरब चलकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, तो उसे अपने स्थान पर लौटने पर एक तारीख, अर्थात् एक दिन घटा हुआ ही जान पड़ेगा। उसी प्रकार यदि कोई पश्चिम की ओर चलकर भ्रमण करता हुआ अपने स्थान पर लौटे, तो एक दिन बढ़ा हुआ जान पड़ेगा। इसलिए यह मान लिया गया है कि पूरब की ओर से यात्रा करनेवाले प्रशान्त महासागर को १८० रेखांश पर पार करने पर अपने हिसाब में एक दिन बढ़ा लें और पश्चिम की ओर यात्रा करनेवाले उक्त स्थान को पार करने पर एक दिन अपने हिसाब में घटा लें।

समय का सूक्ष्म मान—भारतीय गणकों ने समय का बड़ा-से-बड़ा मान ब्रह्मायु बताया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसी प्रकार समय का छोटा-से-छोटा मान भी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सुदीर्घ काल में सूक्ष्म गणना की कई पद्धतियाँ चलीं। घड़ी, दंड, पल और विपल की बात पहले बताई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मान की दो और पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति के अनुसार सूक्ष्मतम मान त्रुटि और दूसरी

के अनुसार तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४६,६०,००,००० त्रुटियाँ या ४६,६५,६० ०० ००० तत्परस होते हैं। आज के उन्नत पाश्चात्य देशों में समय का सूक्ष्मतम मान सेकेण्ड है, पर हमारे यहाँ लोग सेकेंड को भी २,०२,५०० त्रुटियों या ५,४०,००० तत्परसों में बाँट चुके थे। दोनों पद्धतियों के मान इस प्रकार हैं—

१०० त्रुटि	=	१ लव	
३० लव	=	१ निमेष	
२७ निमेष	=	१ गुर्वाक्षर	
१० गुर्वाक्षर	=	१ प्राण	
६ प्राण	=	१ विघटिका	
६० विघटिका	=	१ घटिका	
६० घटिका	=	१ दिन रात	

६० तत्परस	=	१ परस
६० परस	=	१ विलिप्ता
६० विलिप्ता	=	१ लिप्ता (विपल)
६० लिप्ता	=	१ विघटिका (पल)
६० विघटिका	=	१ घटिका (दंड)
६० घटिका	=	१ दिन-रात

पंचांग-परिचय—जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण—इन पाँच प्रमुख अंगों का ब्यौरा दिया रहता है, उसे पंचांग कहते हैं। भारत में पंचांग प्रायः निरयन-पद्धति पर ही बनते हैं। आगे जो पंचांग दिया गया है, उसमें पहले वार फिर क्रमशः तिथि, नक्षत्र, योग और करण दिये गये हैं। वार की प्रवृत्ति एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रहती है। किस वार में कौन तिथि, नक्षत्र, योग और करण किस समय तक रहेंगे, यह घंटा-मिनट में दिया गया है। इसमें से जो किसी वार में पूरे समय तक पड़ा है, उसके खाने में काट का चिह्न दिया गया है। आगे दूसरे प्रकार के योग के नाम दिये गये हैं। इसके पश्चात् सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आया है। इससे दिन-मान निकाला जा सकता है। फिर रवि की क्रान्ति आकाश-मंडल की मध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर अंश और कला में दी गई है। तदुपरान्त चन्द्रोदय या चन्द्रास्त का समय दिया गया है। फिर राष्ट्रीय, बँगला और अँगरेजी की तिथियाँ लिखी गई हैं। शीर्षक में कोष्ठ के अन्दर मासों के नाम दे दिये गये हैं। स्थानाभाव से फसली और फारसी तिथियाँ नहीं दी जा सकीं। फसली तिथि पूर्णिमान्त मास के प्रथम दिन से आरंभ होकर प्रतिदिन १, २ के क्रम से आगे बढ़ती हुई पूर्णिमा तक जाती है। फारसी महीना द्वितीया के चाँद दिखाई पड़ने पर आरंभ होता है। पंचांग में फारसी महीने के नाम दे दिये गये हैं। एक मास के आरंभ से दूसरे मास के पूर्व तक फारसी तिथियाँ सीधे १,२ के क्रम से चलती हैं। अतएव पंचांग देखकर इन दो तिथियों की गणना कर ली जा सकती है। आगे पर्व-त्योहार तथा सूर्य का नक्षत्र और राशि प्रवेश, ग्रहों का राशि-प्रवेश एवं चन्द्र का राशि-प्रवेश आदि अनेक बातें समय-समय पर दी गई हैं। सूर्यास्त को छोड़ घंटा-मिनट का समय २४ घंटे के हिसाब में दिया गया है। २४वें घंटे को शून्य लिखने की भी परिपाटी है। मास अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों माने जाने से १५वीं तिथि के स्थान में ३० भी लिखा जाता है। इस पंचांग का समय भारत के मध्य भाग में स्थित काशी के समय के अनुसार है।

❀

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बंगला सन् १३६६, फसली १३६७, हिजरी १३७९, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति	घं	मि.	न	घं.	मि.	यो	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां उ.	चं. घं.	अ मि.	राष्ट्रीय चै.	व. चै.	अं. मा. अ.	चैत्र शुक्लपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
चं.	१	१२	१७	रे	१९	१२	ऐं	२२	४६	ब	१२	१७	वा	०	३२	मातङ्ग	५ ५४	६ ६	३ ६	१६	१६	८	१५	२८	चान्द्रवर्ष आरंभ। प्रमाथी संवत्सर। चंद्रदर्शन।‡
मं.	२	१२	४५	अ	२०	२५	वै.	२२	१०	कौ.	१२	४५	तै	१	१५	अमृत	५ ५३	६ ७	३ २९	२०	१०	९	१६	२९	सव्वाल १०। [†चन्द्र मे. १९।१२।
बु.	३	१३	४४	भ.	२२	६	वि	२१	५८	ग.	१३	४४	व	२	२७	कॉण	५ ५३	६ ७	३ ५२	२१	३	१०	१७	३०	चन्द्र वृ ४।३८। सूर्य रे. २०।२३। मत्स्य*
बृ	४	१५	१०	कृ.	०	१२	प्री	२२	७	व.	१५	१०	व.	४	५	लुम्ब	५ ५२	६ ८	४ १६	२१	५४	११	१८	३१	वैनायकी ४ [१से कल्पादि। शुक्र मीन १५।३५
शु.	५	१६	५८	रो	२	३७	आ	२२	३१	बा.	१६	५८	कौ	×	×	मित्र	५ ५१	६ ९	४ ३९	२२	४६	१२	१९	१	श्रीपंचमी। श्रीरामराज्य महोत्सव। मतान्तर१
श.	६	१९	१	मृ.	५	१२	सौ.	२३	४	कौ.	५	५६	तै	१९	१	वज्र	५ ५०	६ १०	५ २	२३	३५	१३	२०	२	चंद्र मि.१५।५४। स्कंद दमनकोत्सव।
र.	७	२१	८	आ	×	×	शो.	२३	४१	ग.	८	४	व.	२१	८	ध्वाँक्ष	५ ५०	६ १०	५ २५	०	२२	१४	२१	३	महानिशा पूजा।
चं.	८	२३	९	आ	७	४७	अ.	०	१३	वि	१०	८	व.	२३	९	का. द.	५ ४९	६ ११	५ ४८	१	८	१५	२२	४	चन्द्र क. ३।३८। अशोकाष्टमी। दुर्गाष्टमी।†
मं.	९	०	५४	पु	१०	१४	सु	०	३३	वा	१२	१	कौ	०	५४	सुस्थिर	५ ४८	६ १२	६ ११	१	५१	१६	२३	५	रामनवमी। दुर्गानवमी। मंगल शत. ९।११
बु	१०	२	१७	पु.	१२	३६	धृ.	०	३७	तै.	१३	३५	ग.	२	१७	मातङ्ग	५ ४८	६ १२	६ ३३	२	३३	१७	२४	६	[*जयन्ती। गौरीजन्म; बुध पू. भा १७।५५।
बृ.	११	३	१३	श्ले	१४	२१	शू	०	२०	व.	१४	४५	वि	३	१३	अमृत	५ ४७	६ १३	६ ५६	३	१५	१८	२५	७	चन्द्र सि. १४।२१। कामदा एकादशी।
शु.	१२	३	३९	म.	१५	३९	गं.	२३	४०	व.	१५	२५	वा	३	३९	कॉण	५ ४६	६ १४	७ १८	३	५३	१९	२६	८	
श	१३	३	३४	पू.	१६	२७	वृ.	२२	३७	कौ	१५	३६	तै.	३	३४	लुम्ब	५ ४५	६ १५	७ ४१	४	३५	२०	२७	९	चन्द्र क. २२।३२। अनंग त्रयोदशी।*
र.	१४	२	५९	उ.	१६	४५	ध्रु	२१	१०	ग	१५	१६	व.	२	५९	मित्र	५ ४५	६ १५	८ ३	५	१३	२१	२८	१०	बुध मीन १५।३३। [*शनि प्रदोष।
चं.	१५	१	५८	ह.	१५	३६	व्या	१९	२१	वि	१४	२८	ब.	१	५८	वज्र	५ ४४	६ १६	८ २५	×	×	२२	२९	११	पूर्णिमा।[‡भवानी उत्पत्ति। शुक्र उ.भा. ८।३

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६६-६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग.	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां उ.	चं. उ. घं	मि.	रा चै.-वै.	व. चै.-वै.	अं. अप्रै.	वैशाख कृष्णपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
मं.	१	०	३२	चि.	१६	१	ह.	१७	११	वा	१३	१४	कौ.	०	३२	ध्वाँक्ष	५ ४३	६ १७	८ ४७	१८	५९	२३	३०	१२	अश्वत्थ-सेचन। कच्छपावतार। बुध*
बु.	२	२२	४५	स्वा	१५	४	व.	१४	४४	तै.	११	३८	ग.	२२	४५	धूम्र	५ ४३	६ १७	९ ९	२०	२	२४	३१	१३	सूर्य अ. और मेष ९/५६। [*उ.भा.१७/५३
बृ.	३	२०	४२	वि.	१३	४९	सि	११	५५	व	९	४३	वि.	२०	४२	प्र मा.	५ ४२	६ १८	९ ३०	२१	४	२५	१	१४	चन्द्र वृ. ८/८। गणेश चतुर्थी। शुक्र रे. †
शु.	४	१८	२६	ऽनु	१२	१६	व्य	९	२	व	७	३३	वा.	१८/५	२६/१४	रक्ष	५ ४१	६ १९	९ ५२	२२	७	२६	२	१५	[†२/४०। बँगला सन् १३६७।
श.	५	१६	१	ज्ये	१०	४१	व	[illegible]	[illegible]	तै	१६	१	ग.	२	४८	मुसल	५ ४०	६ २०	१० १३	२३	८	२७	३	१६	चन्द्र घ. १०/४१। [×और मेष २१/६
र.	६	१३	३३	मू	९	१	शि	२३	५२	व.	१३	३३	वि	०	२३	सिद्धि	५ ४०	६ २०	१० ३४	०	६	२८	४	१७	
चं.	७	११	१२	पू	७	२३	सि	२०	५०	व.	११	१२	वा	२२	४	उत्पात	५ ३९	६ २१	१० ५५	०	५८	२९	५	१८	चन्द्र म. १३/०। [‡ १९/१९।
मं.	८	८	५६	उ	[illegible]	[illegible]	सा.	१७	५५	कौ.	८	५६	तै.	१९	५५	पद्म	५ ३८	६ २२	११ १६	१	३७	३०	६	१९	कालाष्टमी। शीतलाष्टमी। शनिवक्री १३/५०।
बु.	९	[illegible]	[illegible]	ध.	३	२६	शु.	१५	१०	ग.	६	५२	ब.	१७/५	५८/४	मित्र	५ ३८	६ २२	११ ३७	२	३१	३१	७	२०	सायन सूर्य वृ. ८/२६। चन्द्रकुम्भ १५/५८।
बृ.	१	३	३६	श.	२	४०	शु.	१२	३९	व	१९	२०	वा	३	३६	वज्र	५ ३७	६ २३	११ ५७	३	१२	१	८	२१	वरूथिनी एकादशी। बुध रेवती ८/२९।
शु.	१२	२	३२	पू	२	१९	ब्र	१०	४०	कौ.	१५	४	तै.	२	३२	ध्वाँक्ष	५ ३६	६ २४	१२ १७	३	५१	२	९	२२	चन्द्र मी. २०/२४। मंगल पू. भा. १७/३२।
श.	१३	१	५५	उ.	२	२४	ऐं.	८	५०	ग.	१४	१३	ब.	१	५५	धूम्र	५ ३६	६ २४	१२ ३७	४	२९	३	१०	२३	शनि प्रदोष।
र.	१४	१	४८	रे.	२	५९	वै	७	२२	बि	१३	५१	श	१	४८	प्र. मा.	५ ३५	६ २५	१२ ५७	५	१४	४	११	२४	मास शिवरात्रि। चंद्र मेष २/५९। गुरुवक्री‡
चं.	३०	२	१२	अ	४	४	वि.	६	१८	च	१४	०	ना	२	१२	रक्ष	५ ३४	६ २६	१३ १७	×	×	५	१२	२५	सोमवती अमा। पुष्करपर्व। शुक्र आश्विनी ×

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योगः	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. क्रां. उ.		चं. अ. घं.	मि.	रा. वैशा.	व. वैशा.	अं. अ.-म.	वैशाख शुक्लपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
मं.	१	३	६	भ.	×	×	प्री.	[illegible]	[illegible]	कि.	१४	३९	व.	३	६	मुसल.	५	३४	६	२६	१३	३६	१८	५४	६	१३	२६	सूर्य भ. २/२० ।
बु.	२	४	२७	भ.	५	३७	सौ.	५	२७	वा.	१५	५६	कौ.	४	२७	सिद्धि	५	३३	६	२७	१३	५५	१६	४६	७	१४	२७	चन्द्र दर्शन । चन्द्र वृ. १२/७ ।
बृ.	३	×	×	कृ.	७	३६	शो.	×	×	तै.	१७	१८	ग.	×	×	लुम्ब	५	३३	६	२७	१४	१४	२०	३८	८	१५	२८	अक्षय तृतीया। परशुराम जयन्ती; जिकाद ११ ।*
शु.	३	६	९	रो.	९	५६	शो.	५	४८	ग	६	९	व.	१६	९	मित्र	५	३२	६	२८	१४	३३	२१	२७	९	१६	२९	गणेश चतुर्थी । चन्द्र मि. २३/१३ ।
श.	४	८	७	मृ.	१२	३०	अ.	६	२१	वि.	८	७	व.	२१	११	वज्र	५	३१	६	२९	१४	५१	२२	१७	१०	१७	३०	[* बुध अश्वि० और मेष २३/४३ ।
र.	५	१०	१०	आ.	१५	९	सु.	६	५९	वा.	१०	१०	कौ.	२३	१३	ध्वांक्ष	५	३१	६	२९	१५	१०	२३	१	११	१८	१	शंकराचार्य जयन्ती ।
चं.	६	१२	१५	पु.	१७	४०	धृ.	७	३४	तै.	१२	१५	ग.	१	८	धूम्र	५	३०	६	३०	१५	३८	२३	४६	१२	१९	२	चन्द्र कर्क ११/२ । अगस्तास्त १२/४३ ।
मं.	७	१४	१	पु.	१९	५५	शू.	७	५८	ब.	१४	१	वि.	२	४२	प्र. मा.	५	२९	६	३१	१५	४५	०	२९	१३	२०	३	गंगा सप्तमी । [† २१/४६ ।
बु.	८	१५	२२	श्ले	२१	४६	गं.	८	८	व.	१५	२२	वा.	३	५०	रक्ष	५	२९	६	३१	१६	३	१	३	१४	२१	४	बुधाष्टमी । बुधास्त पूरब ३/५ । चन्द्र सिंह†
बृ.	९	१६	१६	म.	२३	१०	वृ.	७	५७	कौ.	१६	१६	तै.	४	२९	मुसल	५	२८	६	३२	१६	२०	१	४३	१५	२२	५	बुध भ. ४/३६ । मंगल मी. १८/१२ ।
शु.	१०	१६	४०	पू.	०	५	ध्रु.	७	२४	ग.	१६	४०	व.	४	३८	सिद्धि	५	२८	६	३२	१६	३७	२	२७	१६	२३	६	शुक्र भ. १६/११ । [‡उ. भा. ३/८ ।
श.	११	१६	३४	उ.	०	३०	व्या	[illegible]	[illegible]	वि.	१६	३४	व.	४	१७	उत्पात	५	२७	६	३३	१६	५३	३	७	१७	२४	७	मोहिनी एकादशी । चन्द्र कर्क ६/११ ।
र.	१२	१५	५८	ह.	०	२७	व.	३	२५	बा.	१५	५८	कौ.	३	२७	मानस	५	२६	६	३४	१७	१०	३	४९	१८	२५	८	प्रदोप । [°बुद्ध-जयन्ती । चन्द्र वृ. १६/१३ ।
चं.	१३	१४	५५	चि.	२३	५८	सि.	२	२१	तै.	१४	५५	ग.	२	११	मुद्गर	५	२६	६	३४	१७	२६	४	३४	१९	२६	९	नृसिंह चतुर्दशी । चन्द्र तु १२/११ । मंगल‡
मं.	१४	१३	२६	स्वा	२३	६	व्य.	२२	५९	व.	१३	२६	वि.	०	२८	केतु	५	२५	६	३५	१७	४२	५	३३	२०	२७	१०	पूर्णिमा व्रत के लिए । सूर्य कृ. २१/१८ ।
बु.	१५	११	२८	वि.	२१	५६	व.	२०	२२	व.	११	२८	बा.	२२	२६	धाता	५	२५	६	३५	१७	५७	×	×	२१	२८	११	वैशाखी पूर्णिमा स्नान-दानादि के लिए ।°

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९, लक्ष्मणाब्द ८५१. ई० १९६०

वा.	ति	घं.	म.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. क्रां. उ.		चं. उ. घं.	मि.	रा वै. जे.	बं. वै. जे.	अ. मई	ज्येष्ठ कृष्णपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
बृ.	१	९	२३	ऽनु	२०	२१	प	१७	३२	कौ.	९	२३	तै.	२०	१६	आनंद	५	२४	६	३६	१८	१२	१९	५३	२२	२९	१२	बुध कृ. ५/१७ ।
शु	२	[illegible]	[illegible]	ज्ये	१८	५६	शि	१४	३३	ग.	७	७	व.	[illegible]	[illegible]	चर	५	२४	६	३६	१८	२७	२०	५६	२३	३०	१३	चन्द्र धं. १८/५६ ।
श.	४	२	१६	मू.	१७	१५	सि.	११	२७	व.	१५	३०	वा.	२	१६	गद	५	२३	६	३७	१८	४३	२१	५८	२४	३१	१४	गणेश चतुर्थी । सूर्य वृ. १०/२७ ।*
र.	५	२३	५०	पू	१५	३३	सा.	८	२४	कौ	१३	३	तै.	२३	५०	शुभ	५	२३	६	३७	१८	५६	२२	५३	२५	१	१५	चन्द्र म. २१/९ । [* बुध वृष २३/१० ।
चं.	६	२१	३१	उ.	१३	५६	शु	[illegible]	[illegible]	ग	१०	४०	व.	२१	३१	मृत्यु	५	२२	६	३८	१९	१०	२३	४४	२६	२	१६	
मं.	७	१९	२३	श्र.	१२	३०	ब्र.	२३	४४	वि	८	२६	व	१९	२३	लुम्ब	५	२२	६	३८	१९	२३	०	३०	२७	३	१७	चन्द्र कु. ०/० । शुक्र. कृ. ११/४० ।
बु.	८	१७	३०	ध.	११	३०	ऐं	२१	१२	वा.	६	२६	कौ	[illegible]	[illegible]	मित्र	५	२१	६	३९	१९	३७	१	१२	२८	४	१८	कालाष्टमी. । बुधाष्टमी ।
बृ.	९	१५	५७	श.	१०	४०	वै.	१८	५७	ग	१५	५७	व.	३	२३	वज्र	५	२१	६	३९	१९	५०	१	५१	२९	५	१९	चन्द्र मी. ४/२० । शुक्र वृष । ४/३७ ।
शु.	१०	१४	४९	पू	१०	१२	वि.	१७	२	वि.	१४	४९	व.	२	२८	ध्वांक्ष	५	२०	६	४०	२०	२	२	३०	३०	६	२०	बुध रो. ५/४४ । [‡शुक्रवार्द्धक्यारंभ ५/५ ।
श.	११	१४	८	उ.	१०	१२	प्री.	१५	२९	वा.	१४	८	कौ.	२	३	धूम्र	५	२०	६	४०	२०	१४	३	८	३१	७	२१	अचला एकादशी । सायनसूर्य मिथुन ७/५६‡
र.	१२	१३	५९	रे.	१०	३९	आ	१४	२१	तै	१३	५९	ग.	२	९	प्र.मा	५	१९	६	४१	२०	२६	३	५५	१	८	२२	प्रदोष । चन्द्र मे. १०/३९ ।
चं.	१३	१४	२०	अ	११	३६	सो	१३	३७	व.	१४	२०	वि	२	४६	रक्ष	५	१९	६	४१	२०	३८	४	२७	२	९	२३	मास शिवरात्रि ।
मं.	१४	१५	१२	भ.	१३	३	शो	१३	१८	श.	१५	१२	च.	३	५२	मुसल	५	१९	६	४१	२०	४९	×	×	३	१०	२४	शुक्रास्त पूर्व । २१/४ । सूर्य रो. १८/४५ । φ
बु.	३०	१६	३३	कृ	१४	४९	अ	१३	२२	ना.	१६	३३	कि	×	×	सिद्धि	५	१८	६	४२	२१	०	×	×	४	११	२५	बटसावित्री व्रत । [φ चन्द्र वृ. १९/२९ ।

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योगः	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. अ. घं. मि.	रा. जेठ.	व. जेठ.	अं. म. जू.	ज्येष्ठ शुक्लपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९ लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०																								
बृ.	१	१८	१५	रो.	१७	८	सु.	१३	४३	कि	५	२४	भ.	१८	१५	उत्पात	५ १८	६ ४२	२१ १०	१९ २३	५	१२	२६	चन्द्र-दर्शन । करवीर व्रत ।
शु.	२	२०	१२	मृ.	१९	४१	धृ.	१४	१८	वा	७	१३	कौ.	२०	१२	मानस	५ १८	६ ४२	२१ २०	२० १२	६	१३	२७	जिलहिज्ज १२ । चन्द्र मि. ६।२४ । मंगल*
श.	३	२२	१४	आ	२२	१८	शू.	१५	०	तै.	९	१३	ग.	२२	१४	मुद्गर	५ १७	६ ४३	२१ ३०	२० ५९	७	१४	२८	रम्भा तृतीया। लवण तृतीया। शुक्र रो. ७।२४।
र.	४	०	१०	पु.	०	५१	गं.	१५	३९	व.	११	१२	वि.	०	१०	केतु	५ १७	६ ४३	२१ ४०	२१ ४४	८	१५	२९	वैनायकी चतुर्थी । चन्द्र क. १८।२२ ।
चं	५	१	५२	पु.	३	९	वृ	१६	९	व.	१३	१	वा.	१	५२	धाता	५ १६	६ ४४	२१ ४९	२२ २७	९	१६	३०	बुध मि. ३।५४ ।
मं.	६	३	३	श्ले	५	५	ध्रु.	१६	२५	कौ.	१४	३२	तै.	३	१३	आनन्द	५ १६	६ ४४	२१ ५७	२३ ८	१०	१७	३१	चन्द्र सिह ५।५ ।
बु.	७	४	६	म.	×	×	व्या	१६	२१	ग.	१५	३९	व	४	६	चर	५ १६	६ ४४	२२ ५	२३ ४७	११	१८	१	[*रे. १७।४१ बुध मृ. १०।१९ ।
बृ.	८	४	३०	म	६	३६	ह.	५	५५	वि	१६	१८	व.	४	३०	मुसल	५ १६	६ ४४	२२ १३	० २५	१२	१९	२	[+ बृ. ०।१३ । शुक्र मृग ४।० ।
शु	९	४	२४	पू.	७	३७	व.	१५	५	वा.	१६	२७	कौ.	४	२४	सिद्धि	५ १५	६ ४५	२२ २१	१ ३	१३	२०	३	चन्द्र क. १३।४५ । बुध आर्द्रा. १।९ ।
श.	१०	३	४८	उ.	८	९	सि.	१३	५२	तै.	१६	६	ग.	३	४८	उत्पात	५ १५	६ ४५	२२ २८	१ ४२	१४	२१	४	गंगा दशहरा । गंगा जन्म-दिन ।
र.	११	२	४५	ह.	८	१२	व्य.	१२	२	व.	१५	१६	वि.	२	४५	मानस	५ १५	६ ४५	२२ ३५	२ २३	१५	२२	५	निर्जला (भीमसेनी) एकादशी । चन्द्र ÷
चं	१२	१	१८	चि	७	४९	व.	१०	३	व.	१४	२	बा.	१	१८	मुद्गर	५ १५	६ ४५	२२ ४१	३ ८	१६	२३	६	कूर्म जयन्ती । [÷ तु. २०।० ।
मं.	१३	२३	३०	स्वा	७	२	प.	[illegible]	[illegible]	कौ.	१२	२४	तै	२३	३०	केतु	५ १४	६ ४६	२२ ४५	३ ५८	१७	२४	७	प्रदोष । सूर्य मृ. १८।१० । चन्द्र +
बु.	१४	२१	२४	वि.	[illegible]	[illegible]	सि	२	२५	ग.	१०	२७	व.	२१	२४	धाता	५ १४	६ ४६	२२ ५२	४ ५१	१८	२५	८	शनि वक्री १८।७ ।
बृ.	१५	१९	७	ज्ये.	३	२	सा	२३	२९	वि.	८	१५	व	१९	७	आ.द.	५ १४	६ ४६	२२ ५७	× ×	१९	२६	९	चन्द्र धनु. ३।२ ।

वा.	ति	घं.	मि.	न.	घं.	मि	यो	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां उ.	चं. उ. घं. मि	रा. जे.आ.	व. जे.आ.	अं. जून	आषाढ़ कृष्णपक्ष (समय घंटा-मिनट में)
विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०																								
शु.	१	१९	४०	मू	१	२३	शु	२०	२७	वा	५	५३	कौ	[illegible]	[illegible]	सुस्थिर	५ १४	६ ४६	२३ २	१९ ४०	२०	२७	१०	
श.	२	१४	९	पू	२३	४२	शु	१७	२२	ग	१४	९	व	०	५७	मातंग	५ १४	६ ४६	२३ ६	२० ४१	२१	२८	११	
र.	३	११	४५	उ.	२२	५	ब्र	१४	१८	वि	११	४५	व	२२	३५	अमृत	५ १३	६ ४७	२३ १०	२१ ३५	२२	२९	१२	गणेश चतुर्थी । चन्द्र म. ५/१७ । बुध पुन.‡
चं.	४	९	२६	श्र	२०	३८	ऐ.	११	२८	वा	९	२६	कौ	२०	२१	सिद्धि	५ १३	६ ४७	२३ १४	२२ २७	२३	३०	१३	शुक्र मिथुन १४/२२ । [‡ १६/५९ ।
मं.	५	७	१७	ध	१९	२३	वै	८	४२	तै.	७	१७	ग	१८	२०	उत्पात	५ १३	६ ४७	२३ १७	२३ १२	२४	३१	१४	सूर्य मि. १८/२८ । चन्द्र कु. ८/० ।*
बु.	६	[illegible]	[illegible]	श.	१८	२६	वि	[illegible]	[illegible]	ब	५	२४	वि	[illegible]	[illegible]	मानस	५ १३	६ ४७	२३ १९	२३ ५६	२५	१	१५	[* मंगल अश्विनी और मेष १६/२७ ।
बृ	८	२	४०	पू	१७	५२	आ	१	५५	वा	१५	१५	कौ.	२	४०	मुद्गर	५ १३	६ ४७	२३ २२	० ३४	२६	२	१६	शीतलाष्टमी । कालाष्टमी । चन्द्र मी. १२/१ ।
शु.	९	१	५७	उ	१७	४४	सौ	०	१९	तै.	१४	१९	ग	१	५७	केतु	५ १३	६ ४७	२३ २३	१ १२	२७	३	१७	
श	१०	१	४४	रे	१८	५	शो	२३	१२	व.	१३	५०	वि	१	४४	धाता	५ १३	६ ४७	२३ २५	१ ४८	२८	४	१८	चन्द्र मे. १८/५ । शुक्र आर्द्रा. ०/५३ ।
र.	११	२	१	अ.	१८	५६	अ	२२	१९	व	१३	५२	वा	२	१	आनंद	५ १३	६ ४७	२३ २६	२ २७	२९	५	१९	योगिनी एकादशी । [† बुध कर्क ११/११ ।
चं.	१२	२	४८	भ	२०	१८	सु	२१	५५	कौ.	१४	२५	तै	२	४८	चर	५ १३	६ ४७	२३ २६	३ ७	३०	६	२०	चन्द्र वृ. २ ४५ । [× केतु कुम्भ में २३/२०
मं.	१३	४	३	कृ	२२	७	धृ	२१	५४	ग.	१५	२६	व	४	३	गद	५ १३	६ ४७	२३ २७	३ ४९	३१	७	२१	भौम प्रदोष । सूर्य आर्द्रा १९/३ ।†
बु.	१४	×	×	रो.	०	१९	शू	२२	११	वि	१६	५२	श	×	×	शुभ	५ १३	६ ४७	२३ २६	४ ३२	१	८	२२	मास शिवरात्रि । वक्रगति से राहु सिंह में तथा ×
बृ.	१४	५	४१	मृ.	२	४७	गं	२२	४३	श.	५	४१	च	१८	३७	मृत्यु	५ १३	६ ४७	२३ २६	× ×	२	९	२३	सायन सूर्य कर्क १५/१२ । चन्द्र मि० १३/३३
शु.	३०	७	३४	आ	×	×	वृ.	२३	२३	ना	७	३४	कि	२०	३३	पद्म	५ १३	६ ४७	२३ २५	× ×	३	१०	२४	

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३७९-८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रा. उ.	च. अ. घं. मि.	रा. आषा.	ब. आषा.	अ. जू.-जु.	आषाढ़ शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
श.	१	६	३३	आ	५	२४	ध्रु.	०	२	व.	६	३३	बा.	२२	३१	मुद्गर	५ १३	६ ४७	२३ २३	१९ ४४	४	११	२५	चन्द्र-दर्शन। चन्द्र क. १/१९।
र.	२	११	२८	पु.	७	५७	व्या	०	३४	कौ.	११	२८	तै.	०	२४	केतु	५ १३	६ ४७	२३ २१	२० २८	५	१२	२६	रथयात्रा द्वितीया। मुहर्रम १ (१३८०*
चं	३	१३	२१	पु.	१०	१९	ह.	०	५३	ग.	१३	२१	व.	२	१	धाता	५ १३	६ ४७	२३ १९	२१ ८	६	१३	२७	[*हिजरी)। बुध-पुष्य १ १२।
मं.	४	१४	४२	श्ले	१२	२१	व	०	५३	वि.	१४	४२	व.	३	१०	आनंद	५ १३	६ ४७	२३ १६	२१ ४७	७	१४	२८	गणेश चतुर्थी। चन्द्र सिं. १२/२१।
बु.	५	१५	३७	म.	१४	१०	सि.	०	३१	बा.	१५	३७	कौ.	३	५०	चर	५ १३	६ ४७	२३ १३	२२ २५	८	१५	२९	बुध-वक्री १४/५७। शुक्र पुन० २२/१५।
बृ.	६	१६	४	पू	१५	१८	व्य.	२३	४६	तै.	१६	४	ग.	४	१	गद	५ १३	६ ४७	२३ ९	२३ ३	९	१६	३०	चन्द्र क. २१/२८।
शु.	७	१५	५८	उ.	१५	५६	व.	२२	३७	ब.	१५	५८	वि.	३	४१	शुभ	५ १४	६ ४६	२३ ५	२३ ४१	१०	१७	१	गुरु वक्री मूल के तृतीय चरण में १०/२।
श.	८	१५	२४	ह	१६	५	प.	२१	५	व.	१५	२४	बा.	२	५३	मृत्यु	५ १४	६ ४६	२३ १	० १९	११	१८	२	मंगल म. ३/१२।
र.	९	१४	२२	चि	१५	४७	शि	१९	११	कौ.	१४	२२	तै.	१	३८	पद्म	५ १४	६ ४६	२२ ५६	१ ०	१२	१९	३	चन्द्र तु. ३/५६।
चं	१०	१२	५५	स्वा	१५	४	सि	१६	५७	ग.	१२	५५	व.	२३	५६	छत्र	५ १४	६ ४६	२२ ५१	१ ४५	१३	२०	४	[†चन्द्र वृ. ८/१६। बुध-पुनर्वसु।
मं.	११	१०	५८	वि.	१४	०	सा.	१४	२६	वि.	१०	५८	व.	२१	५५	श्रीवत्स	५ १४	६ ४६	२२ ४६	२ ३७	१४	२१	५	हरिशयनी एकादशी। सूर्य पुन. २० ४१।†
बु.	१२	८	५३	अनु	१२	४१	शु	११	३६	बा.	८	५३	कौ.	१९	४५	सौम्य	५ १५	६ ४५	२२ ४०	३ २९	१५	२२	६	प्रदोष। चातुर्मास्य व्रतारम्भ।
बृ.	१३	२ ६/१	३७/३७	ज्ये	११	५	शु	८	४२	तै.	६	३७	ग.	१७/४	२४/१२	का. द.	५ १५	६ ४५	२२ ३३	४ ३३	१६	२३	७	चन्द्र ध. ११ ५। शुक्र कर्क २ ३१।
शु.	१५	१	४३	मू.	९	२८	ब्र.	[illegible]	[illegible]	वि	१४	५८	व.	१	४३	धूम्र	५ १५	६ ४५	२२ २७	× ×	१७	२४	८	गुरु व्यास-पूजा। वक्री बुध मिथुन १८ ५१।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घ.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रा. उ.	च. उ. घं. मि.	रा. आ-श्रा	ब. आ-श्रा	अ. जु.	श्रावण कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
श.	१	२३	१५	पू.	७	४८	वै.	२३	३५	वा.	१२	२९	कौ.	२३	१५	मातंग	५ १५	६ ४५	२२ २०	१९ २१	१८	२५	९	चन्द्र म. १३/२३।
र.	२	२०	५३	उ.	२३ ६/२	११/३७	वि	२०	३८	तै.	१०	३	ग.	२०	५३	मुसल	५ १६	६ ४४	२२ १२	२० १५	१९	२६	१०	शुक्र पुष्य १९/५७।
चं	३	१८	४१	ध.	३	२४	प्री.	१७	४८	व.	७	४७	वि.	१८	४१	शुभ	५ १६	६ ४४	२२ ४	२१ ५	२०	२७	११	सोम प्रदोष। गणेश चतुर्थी। चन्द्र*
मं.	४	१६	४४	श.	२	२४	आ	१५	१०	व.	५	४३	बा.	१६/३	४४/५६	मृत्यु	५ १६	६ ४४	२१ ५६	२१ ५०	२१	२८	१२	[*कु. १६/३।
बु.	५	१५	७	पू	१	४५	सौ	१२	४८	तै.	१५	७	ग.	२	३१	पद्म	५ १७	६ ४३	२१ ४७	२२ ३२	२२	२९	१३	चन्द्र मी. १९/५४।
बृ.	६	१३	५३	उ	१	३१	शो	११	०	ब.	१३	५३	वि.	१	३१	छत्र	५ १७	६ ४३	२१ ३८	२३ १०	२३	३०	१४	
शु.	७	१३	८	रे.	१	४५	अ.	९	२०	व.	१३	८	बा.	१	०	श्रीवत्स	५ १७	६ ४३	२१ २९	२३ ५०	२४	३१	१५	चन्द्र मे. १/४५।
श.	८	१२	५२	अ.	२	२९	सु.	८	४	कौ.	१२	५२	तै.	१	०	सौम्य	५ १८	६ ४२	२१ १९	० २९	२५	३२	१६	सूर्य कर्क ९ ५२।
र.	९	१३	८	भ.	३	४३	धृ	७	११	ग.	१३	८	व.	१	३२	का. द.	५ १८	६ ४२	२१ ९	१ ८	२६	१	१७	[†मंगल कृ ६/४८। [‡कर्क ८/३०।
चं	१०	१३	५५	कृ.	×	×	शू	६	४३	वि.	१३	५५	व.	२	३३	सुस्थिर	५ १८	६ ४२	२० ५९	१ ४९	२७	२	१८	सोम प्रदोष। चन्द्र वृ. १०/९।
मं.	११	१५	११	कृ.	५	२५	ग.	६	३७	बा.	१५	११	कौ.	४	०	गद	५ १९	६ ४१	२० ४८	२ ३०	२८	३	१९	कामदा एकादशी। सूर्य पुष्य २२/९।
बु.	१२	१६	४९	रो.	७	३२	वृ.	६	५१	तै.	१६	४९	ग.	×	×	शुभ	५ १९	६ ४१	२० ३७	३ १६	२९	४	२०	प्रदोष। चन्द्र मि. २०/४४।
बृ.	१३	१८	४४	मृ.	९	५७	ध्रु	७	२०	ग	५	४७	व.	१८	४४	मृत्यु	५ २०	६ ४०	२० २५	४ ४	३०	५	२१	शुक्र आश्लेषा १७/४२। बुध-मार्गी ३/४४।
शु.	१४	२०	४६	आ	१२	३३	व्या	७	५७	वि	७	४५	श.	२०	४६	पद्म	५ २०	६ ४०	२० १३	× ×	३१	६	२२	मास शिवरात्रि। सायन सूर्य सिंह ०/९।†
श.	३०	२२	४३	पु.	१५	१०	ह.	८	३६	च	९	४५	ना.	२२	४३	छत्र	५ २०	६ ४०	२० १	× ×	१	७	२३	पिठोरा व्रत (पश्चिम में प्रसिद्ध)। चन्द्र‡

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. अ. घं. मि.	रा. श्रा.	बँ. श्रा.	अं. जु.-अ.	श्रावण शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
र.	१	०	२८	पु.	१७	३७	व.	९	१०	किं	११	३६	व.	०	२८	श्रीवत्स	५ २१	६ ३९	१९ ४९	१९ ८	२	८	२४	[‡१६/४५ । चन्द्र सि. १९/४४ ।
चं.	२	१	५१	श्ले	१९	४४	सि.	९	३०	वा.	१३	१०	कौ.	१	५१	सौम्य	५ २१	६ ३९	१९ ३६	१९ ४८	३	९	२५	चन्द्र-दर्शन । सोम-प्रदोष । बुधोदय पूरब‡
मं.	३	२	४९	म.	२१	२७	व्य.	९	३४	तै.	१४	२१	ग	२	४९	का.द.	५ २२	६ ३८	१९ २३	२० २६	४	१०	२६	सफर २ । मधुश्रावणी (मिथिला में प्रसिद्ध) ।*
बु.	४	३	१८	पू.	२२	४३	व.	९	१७	व.	१५	४	वि	३	१८	सुस्थिर	५ २२	६ ३८	१९ ९	२१ ४	५	११	२७	वैनायकी चतुर्थी । चन्द्र क. ४।५४ ।
बृ.	५	३	१६	उ.	२३	२८	प.	८	३५	व.	१५	१७	वा	३	१६	मातंग	५ २३	६ ३७	१८ ५५	२१ ४२	६	१२	२८	नाग-पंचमी । शुक्रोदय पश्चिम २/४२ ।
शु.	६	२	४५	ह.	२३	४४	शि	७	२९	कौ	१५	१	तै.	२	४५	अमृत	५ २३	६ ३७	१८ ४१	२२ २१	७	१३	२९	[*सुकृत व्रत । मंगल वृष ५।९ ।
श.	७	१	४६	चि.	२३	३३	सि	२२ ६/२	१/१	ग.	१४	१६	व.	१	४६	कौण	५ २४	६ ३६	१८ २७	२३ ०	८	१४	३०	चन्द्र तु. ११/३९ ।
र	८	०	२२	स्वा	२२	५६	शु	१	५९	वि	१३	५	व.	०	२२	लुम्ब	५ २४	६ ३६	१८ १२	२३ ४२	९	१५	३१	दुर्गा-यात्रा ।
चं.	९	२२	३७	वि	२१	५८	शु	२३	३२	वा.	११	३०	कौ.	२२	३७	मित्र	५ २५	६ ३५	१७ ५७	० २९	१०	१६	१	सोम प्रदोप । चन्द्र वृ. १६/१३ । शुक्र मघा*
मं.	१०	२०	३५	ऽनु	२०	४३	ब्र.	२०	५०	तै	९	३६	ग	२०	३५	वज्र	५ २६	६ ३४	१७ ४२	१ १९	११	१७	२	सूर्य श्ले २२ ३४ । बुध कर्क १९ ५२ ।
बु.	११	१८	१९	ज्ये	१९	१४	ऐं.	१७	५७	व.	७	२७	वि.	१६/६	१३/३	ध्वांक्ष	५ २६	६ ३४	१७ २६	२ १५	१२	१८	३	पुत्रदा एकादशी । चन्द्र धनु १९/१४ ।
बृ.	१२	१५	५४	मू.	१७	३७	वै.	१४	५५	वा.	१५	५४	कौ.	२	३८	धूम्र	५ २६	६ ३४	१७ १०	३ १६	१३	१९	४	प्रदोप ।
शु.	१३	१३	२३	पू	१५	५५	वि.	११	५२	तै.	१३	२३	ग.	०	११	ग. ना.	५ २७	६ ३३	१६ ५४	४ २१	१४	२०	५	चन्द्र म. २१।२९ । बुध पुष्य १७।५ ।
श.	१४	११	०	उ	१४	१४	नी.	८	४९	व.	११	०	वि.	२१	४९	रक्ष	५ २८	६ ३२	१६ ३८	×	×	१५	२१	६	[चन्द्र कु. ०/४ । [*और सिंह १५/२३ ।
र.	१५	८	४०	श्र.	१२	४०	आ	२२ ५/२	५/३	व.	८	४०	वा	१९	३४	गद	५ २८	६ ३२	१६ २२	×	×	१६	२२	७	श्रावणी पूर्णिमा । रक्षा-बन्धन ।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. ड. घं. मि.	राष्ट्रीय श्रा.	बँ. श्रा-भा	अ. अ.	भाद्रपद कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
चं.	१	२३ ६/३	३०/७	ध	११	२९	शो.	०	२२	कौ.	६	३०	तै.	१७/४	३२/३७	शुभ	५ २९	६ ३१	१६ ४	१९ ४१	१७	२३	८	
मं.	३	२	५९	श.	१०	२९	अ.	२१	५७	व.	१५	४७	वि	२	५९	मृत्यु	५ २९	६ ३१	१५ ४७	२० २३	१८	२४	९	कज्जली तृतीया । भीमचंडी जन्म । चन्द्र‡
बु.	४	१	४६	मू	९	४२	सु.	१९	५१	व.	१४	२३	वा	१	४६	पद्म	५ ३०	६ ३०	१५ २९	२१ ५	१९	२५	१०	गणेश चतुर्थी । बहुला चतुर्थी व्रत ।
बृ.	५	१	०	उ	९	२३	धृ	१८	५	कौ.	१३	२३	तै	१	०	छत्र	५ ३१	६ २९	१५ ११	२१ ४६	२०	२६	११	मंगल रो. १०।५७ । [‡मी. ३।५२ ।
शु.	६	०	४३	रे	९	३१	शू	१६	४२	ग	१२	५२	व.	०	४३	श्रीवत्स	५ ३१	६ २९	१४ ५४	२२ २७	२१	२७	१२	हल षष्ठी व्रत । चन्द्र मे. ९।३१ । शुक्र पू.*
श.	७	०	५८	अ	१०	७	गं.	१५	४४	वि.	१२	५१	व.	०	५८	सौम्य	५ ३२	६ २८	१४ ३५	२३ ६	२२	२८	१३	[*फा. १२।५९ ।
र.	८	[illegible]	[illegible]	भ.	११	१४	व	१५	११	वा	१३	२०	कौ	१	४२	का. द.	५ ३२	६ २८	१४ १७	२३ ४७	२३	२९	१४	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (स्मार्त्त और गृहस्थों के†
चं.	९	२	५५	कृ.	१२	४९	ध्रु	१५	२	तै.	१४	१९	ग.	२	५५	सुस्थिर	५ ३३	६ २७	१३ ५८	० ३०	२४	३०	१५	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (वैष्णवों के लिए) ।
मं.	१०	४	३२	रो	१४	४४	व्या	१५	१४	व.	१५	४४	वि	४	३२	मातङ्ग	५ ३४	६ २६	१३ ३९	१ १३	२५	३१	१६	सूर्य मघा और सिंह २१।१७ । चन्द्र मि. ३।५६ ।
बु.	११	×	×	मृ.	१७	८	ह.	१५	४०	व.	१७	२९	बा	५	३४	अमृत	५ ३४	६ २६	१३ २०	२ ०	२६	१	१७	[†लिए) चन्द्र वृ. १७।३७ । बुध*
बृ.	११	६	२६	आ	१९	४४	व.	१६	१८	वा	६	२६	कौ	१९	२६	कौण	५ ३५	६ २५	१३ १	२ ५०	२७	२	१८	जया एकादशी । [*आश्लेषा १।४७ ।
शु.	१२	८	२७	पु	२२	२२	सि	१६	५९	तै	८	२७	ग	२१	२६	लुम्ब	५ ३६	६ २४	१२ ४१	३ ३९	२८	३	१९	प्रदोष । बुधास्त पूरब ६।३५ । चन्द्र क. ३।३९
श	१३	१०	२६	पु	०	५१	व्य	१७	३५	व	१०	२६	वि.	२३	१९	मित्र	५ ३६	६ २४	१२ २२	४ २९	२९	४	२०	मास शिवरात्रि ।
र.	१४	१२	१३	श्ले	३	३	व	१७	५९	श.	१२	१३	च	१	१	वज्र	५ ३७	६ २३	१२ १	५ २२	३०	५	२१	चन्द्र सि. ३।३ ।
चं.	३०	१३	५०	म	४	५३	प	१८	७	ना	१३	५०	कि	२	२१	ध्वांक्ष	५ ३८	६ २२	११ ४२	×	×	३१	६	२२	कुशोत्पाटिनी । बुध माघा और सिंह २।५८ ।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. अं. घं. मि.	रा. भा.	बं. भा.	अं. अ. सि.	भाद्रपद शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
मं.	१	१४	५२	पू.	×	×	शि	१७	५३	व.	१४	५२	वा.	३	८	धूम्र	५ ३८	६ २२	११ २१	१६ ६	१	७	२३	चन्द्र-दर्शन । सायन सूर्य कन्या १४/४३ । शुक्र उ.‡
बु.	२	१५	२४	पू	६	१५	सि.	१७	१७	कौ	१५	२४	तै.	३	२५	सुस्थिर	५ ३६	६ २१	११ १	१६ ४३	२	८	२४	रवि उच्च अव्वल ३ । चन्द्र क. १२/२८ । वक्रगति से/
बृ.	३	१५	२६	उ.	७	८	सा	१६	१७	ग	१५	२६	व.	३	११	मातंग	५ ४०	६ २०	१० ४०	२० २२	३	६	२५	हरितालिका व्रत (तीज) । वाराह-जयन्ती । शुक्र कन्या +
शु	४	१४	५८	ह.	७	३२	शु	१४	५३	वि	१४	५८	व	२	२६	अमृत	५ ४०	६ २०	१० १६	२१ १	४	१०	२६	गणेश चतुर्थी व्रत । वरद चतुर्थी । चन्द्र तु. १६/२८x
श.	५	१४	१	चि	७	२७	शु.	१३	६	वा.	१४	१	कौ	१	२०	कॉण	५ ४१	६ १६	६ ५८	२१ ४२	५	११	२७	ऋषिपंचमी व्रत । [ϕराहु पू.फा. ४ चरण में और केतु*
र.	६	१२	००	स्वा	६	५६	ब्र.	१०	४७	तै.	१२	४०	ग	२३	४३	लुम्ब	५ ४२	६ १८	६ ३७	२२ २५	६	१२	२८	सूर्य षष्ठी । लोलार्क षष्ठी व्रत । चंद्र वृ. ०/१६ । [+ ३/५८
चं.	७	१०	४६	वि.	[illegible]	[illegible]	ऐं.	[illegible]	[illegible]	व.	१०	४६	वि.	२१	४६	मित्र	५ ४२	६ १८	६ १६	२३ १४	७	१३	२६	मुक्ताभरण सप्तमी व्रत [*पू.भा. दूसरे चरण में २१।११
मं.	८	८	४६	ज्ये	३	२७	वि.	२	५०	व.	८	४६	वा.	१६	४०	मुद्गर	५ ४३	६ १७	८ ५४	० ७	८	१४	३०	दुर्वाष्टमी । महालक्ष्मी व्रतारम्भ । सूर्य पू.फा. १७/५०α
बु.	६	[illegible]	[illegible]	मू.	१	५२	प्री.	२३	५१	कौ.	६	३४	तै.	[illegible]	[illegible]	केतु	५ ४४	६ १६	८ ३३	१ ५	६	१५	३१	नंदा नौमी । दशावतार व्रत । [xगुरुमार्गी २०। २८
बृ.	११	१	४५	पू.	०	१२	आ	२०	४६	व.	१४	५८	वि.	१	४५	धाता	५ ४४	६ १६	८ ११	२ ७	१०	१६	१	पद्मा एकादशी । मंगल मृ. ५/१६ । [‡फा. १०/३४
शु.	१२	२३	१६	उ.	२२	३३	सौ.	१७	४०	ब.	१२	३२	वा.	२३	१६	आनद	५ ४५	६ १५	७ ४६	३ ६	११	१७	२	वामन १२ । चंद्र म. ५/४८ ।
श.	१३	२०	५८	अ.	२०	५८	शो	१४	३८	कौ.	१०	६	तै.	२०	५८	सुस्थिर	५ ४६	६ १४	७ २७	४ ११	१२	१८	३	शनि-प्रदोप । शुक्र ह. ८/८ [αचंद्र ध. ३/२७ ।
र.	१४	१८	४७	ध.	१६	३४	अ.	११	५०	ग.	७	५३	व.	१८	४७	मातङ्ग	५ ४७	६ १३	७ ५	५ [illegible]	१३	१६	४	अनन्त चतुर्दशी । चंद्र कु. ८।१७ । [‥ से १८।३८
चं.	१५	१६	५१	श.	१८	२५	सु.	६	८	वि.	५	४६	व.	[illegible]	[illegible]	अमृत	५ ४७	६ १३	६ ४३	× ×	१४	२०	५	उमा-माहेश्वर व्रत महालयारंभ । चंद्रग्रहण १५।६ ‥

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति	घं.	मि.	न	घं.	मि.	यो.	घं.	मि	क.	घं.	मि	क.	घं.	मि	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. उ. घं. मि.	रा. भा.	बँ. भा. आ.	अं. सि.	आश्विन कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
मं.	१	१५	१४	पू.	१७	३६	धृ	[illegible]	[illegible]	कौ.	१५	१४	तै.	२	३७	कॉण	५ ४८	६ १२	६ २१	१८ ५८	१५	२१	६	चन्द्र मी ११/४८ । बुध उ. फा. २/१८ ।*
बु.	२	१४	१	उ.	१७	१०	गं	२	३६	ग.	१४	१	व	१	३७	लुम्ब	५ ४६	६ ११	५ ५८	१६ ३८	१६	२२	७	[*फसली १३६८ ।
बृ.	३	१३	१४	रे.	१७	११	वृ	१	१०	वि	१३	१४	व.	१	६	मित्र	५ ४६	६ ११	५ ३६	२० १६	१७	२३	८	गणेश चतुर्थी । चन्द्र मे. १७/११ । बुध‡
शु.	४	१२	५८	अ.	१७	४२	ध्रु	०	६	वा	१२	५८	कौ	१	६	वज्र	५ ५०	६ १०	५ १३	२१ ०	१८	२४	६	शनिमार्गी ६/१८ । [‡कन्या २२/४१ ।
श.	५	१३	१४	भ.	१८	४४	व्या	२३	२५	तै	१३	१४	ग	१	३७	ध्वांक्ष	५ ५१	६ ६	४ ५०	२१ ४१	१६	२५	१०	चन्द्र वृ. १/६ । [α मंगल मिथुन १।३३।
र.	६	१४	२	कृ	२०	१४	ह.	२३	८	व.	१४	२	व	२	३६	धूम्र	५ ५२	६ ८	४ २७	२२ २४	२०	२६	११	[ϕचन्द्र मि. ११/२१ । शुक्र चित्रा ५/४० ।α
चं.	७	१५	[illegible]	रो.	२२	१२	व	२३	१३	व.	१५	१७	वा	४	७	प्र. मा.	५ ५२	६ ८	४ ५	२३ ८	२१	२७	१२	महालक्ष्मी व्रत । [ϕ मिथुन
मं.	८	१६	५८	मृ.	०	३१	सि.	२३	३४	कौ.	१६	५८	तै.	५	५३	रक्ष	५ ५३	६ ७	३ ४२	२३ ५३	२२	२८	१३	जीवित पुत्रिकाव्रत । सूर्य उ.फा. ११/५० ।ϕ
बु.	६	१८	५६	आ	३	४	व्य.	०	७	तै.	५	५७	ग.	१८	५६	मुसल	५ ५४	६ ६	३ १६	० ४१	२३	२६	१४	मातृ-नवमी । महालक्ष्मी व्रत समाप्ति । बुधψ
बृ.	१०	२१	१	पु.	५	४०	व.	०	४५	व	७	५६	वि	२१	१	सिद्धि	५ ५४	६ ६	२ ५५	१ ३१	२४	३०	१५	चन्द्र कर्क २३/१ । [ψहस्त १३/६ ।
शु.	११	२३	३	पु.	×	×	प	१	२०	व	१०	२	वा	२३	३	उत्पात	५ ५५	६ ५	२ ३२	२ २१	२५	३१	१६	इन्दिरा एकादशी । सूर्य क. २१/५४ ।
श.	१२	०	५३	पु	८	१२	शि	१	४४	कौ.	११	५६	तै.	०	५३	मित्र	५ ५६	६ ४	२ ६	३ १३	२६	१	१७	बुधास्त पूरब १०/२६ ।
र.	१३	२	२३	श्ले	१०	२६	सि.	१	५४	ग.	१३	२८	व	२	२३	वज्र	५ ५७	६ ३	१ ४६	४ ७	२७	२	१८	प्रदोष । चन्द्र सि. १०/२६ । [‡कन्या २०/२० ।
चं.	१४	३	२७	म.	१२	२४	सा.	१	४४	वि.	१४	५५	श	३	२७	ध्वांक्ष	५ ५७	६ ३	१ २३	४ ५६	२८	३	१६	मास शिवरात्रि । शुक्र तुला १६/३६ ।
मं.	३०	४	२	पू.	१४	६	शु.	१	११	च.	१५	४५	ना	४	२	धूम्र	५ ५८	६ २	० ५६	× ×	२६	४	२०	पितृविसर्जन । महालय समाप्ति । चन्द्र‡

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०																												
वा	ति	घं.	मि.	न	घं.	मि.	यो	घं.	मि.	क	घं.	मि	क	घं.	मि	योग	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. कां. उ		चं. अ. घं.	मि	रा. भा. आ.	व. भा. आ.	अं. सि. अ.	आश्विन शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
बु.	१	४	६	उ.	१५	६	शु	०	१४	कि	१६	४	ब.	४	६	प्रवर्ध	५	५६	६	१	०	३६	×	×	३०	५	२१	शारदीय नवरात्रारम्भ । कलश-स्थापन ।
बृ.	२	३	४१	ह.	१५	३५	ब्र.	२२	५४	वा	१५	५४	कौ	३	४१	रक्ष	६	०	६	०	०उ	+	१८	५८	३१	६	२२	चन्द्रदर्शन।चन्द्र तु० ३/३५ । बुध चित्रा७/२ ।
शु.	३	२	४८	चि.	१५	३६	ऐ.	२१	११	तै.	१५	१५	ग	२	४८	मुसल	६	०	६	०	०द	[illegible]	१९	४२	१	७	२३	रवि उस्सानी ४ । सायन सूर्य तुला ६/२९ ।
श.	४	१	२९	स्वा	१५	१०	वै	१९	७	व	१४	९	वि	१	२९	सिद्धि	६	१	५	५९	०	३४	२०	२६	२	८	२४	गणेश चतुर्थी । [* ८/३३ ।
र.	५	२३	४९	वि.	१४	२१	वि	१६	४४	व	१२	३९	बा	२३	४९	उत्पात	६	२	५	५८	०	५७	२१	१२	३	९	२५	उपांग ललिता व्रत (महाराष्ट्र में) । चन्द्र वृ.*
चं.	६	२१	३[illegible]	अनु	१३	१२	प्री	१४	६	कौ.	१०	५०	तै	२१	५१	मानस	६	३	५	५७	१	२१	२२	३	४	१०	२६	सूर्य ह. ३ ४ । मंगल आर्द्रा २३/१५ । ‡
मं.	७	१९	३९	ज्ये	११	४४	आ	११	१०	ग.	८	४५	व	१९	३९	मुद्गर	६	३	५	५७	१	४४	२२	५६	५	११	२७	चन्द्र ध. ११/४४ । शुक्र स्वा. २०,५७ ।
बु.	८	१७	१८	मू.	१०	११	सौ	[illegible]	[illegible]	वि	६	२९	व	१७/४	१८/४	केतु	६	४	५	५६	२	८	२३	५७	६	१२	२८	महाष्टमी । [‡ बुध तुला ६/१० ।
बृ	९	१४	५१	पू	८	३३	अ	२	१	कौ.	१४	५१	तै.	१	४०	धाता	६	५	५	५५	२	३१	०	५८	७	१३	२९	अपराजिता पूजा । चन्द्र म. १४/८ ।
शु.	१०	१२	२९	उ	[illegible]	[illegible]	सु	२२	५६	ग.	१२	२९	व	२३	२०	का. द.	६	५	५	५५	२	५४	२	०	८	१४	३०	विजयादशमी । बुध स्वा. १७/१४ ।
श.	११	१०	१२	ध	३	५२	धृ	१९	५८	वि.	१०	१२	व.	२१	८	प्रवर्ध	६	६	५	५४	३	१९	३	२	९	१५	१	पापांकुशा एकादशी । चन्द्र कु. १६/३६ ।
र.	१२	८	५	श	२	४१	शू	१७	१०	बा	८	५	कौ	१९	८	रक्ष	६	७	५	५३	३	४१	४	३	१०	१६	२	प्रदोप । पद्मनाभ द्वादशी । गांधी-जयन्ती ।
चं.	१३	[illegible]	[illegible]	पू.	१	४७	गं	१४	३४	तै.	६	१२	ग.	[illegible]	[illegible]	मुसल	६	८	५	५२	४	४	५	३	११	१७	३	वाराह चतुर्थी । चन्द्र मी. २०/१ ।
मं.	१५	३	२८	उ.	१	१६	वृ.	१२	२८	वि	१६	३	व	३	२८	सिद्धि	६	८	५	५२	४	२७	×	×	१२	१८	४	शारदीय पूर्णिमा स्नान, दान व्रतादि के लिए।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०																												
वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय		सूर्यास्त		र. क्रां. उ.		चं. उ. घं.	मि.	रा. आ.	वं. आ.का.	अं. अ.	कार्तिक कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
बु.	१	२	४४	रे	१	११	ध्रु.	१०	३०	वा.	१५	६	कौ.	२	४४	उत्पात	६	९	५	५१	४	५०	१८	१२	१३	१९	५	चन्द्र मे. १/११ ।
बृ.	२	२	३०	अ.	१	३४	व्या	८	५५	तै.	१४	३७	ग.	२	३०	मानस	६	१०	५	५०	५	१३	१८	५२	१४	२०	६	[⌀धन्वन्तरि जन्म-दिन । हनुमत जन्म*
शु.	३	२	४६	भ.	२	२८	ह.	७	४३	व.	१४	३८	वि.	२	४६	मुद्गर	६	११	५	४९	५	३६	१९	३४	१५	२१	७	[*दिन । कामेश्वरी जयन्ती ।
श.	४	३	३४	कृ.	३	५१	व.	६	५५	व.	१५	११	बा.	३	३४	केतु	६	११	५	४९	५	५९	२०	१७	१६	२२	८	गणेश चतुर्थी । चन्द्र वृ. ८/४९ । शुक्र°
र.	५	४	५०	रो.	५	४२	सि.	६	३०	कौ.	१६	१२	तै.	४	५०	धाता	६	१२	५	४८	६	२२	२१	०	१७	२३	९	[°विशाखा १९।१० ।
चं.	६	×	×	मृ.	×	×	व्य.	६	२६	ग.	१७	४१	व.	×	×	आनंद	६	१३	५	४७	६	४५	२१	४६	१८	२४	१०	सूर्य चि. १५/३० । चन्द्र मि. १८/४६ ।‡
मं.	६	६	३१	मृ.	७	५६	व.	६	४१	व.	६	३१	वि.	१९	२९	रक्ष	६	१४	५	४६	७	७	२२	३४	१९	२५	११	[‡बुध विशाखा ५/४५ ।
बु.	७	८	२८	आ.	१०	२५	प.	७	९	व.	८	२८	बा.	२१	३०	मुसल	६	१४	५	४६	७	३०	२३	२२	२०	२६	१२	अहोई अष्टमी व्रत ।
बृ.	८	१०	३४	पु.	१३	३	शि	७	४३	कौ.	१०	३४	तै.	२३	३५	सिद्धि	६	१५	५	४५	७	५२	०	१३	२१	२७	१३	अशोकाष्टमी । राधाष्टमी । चन्द्र क. ६/२४ ।
शु.	९	१२	३७	पु.	१५	३९	सि.	८	१७	ग.	१२	३७	व.	१	३७	उत्पात	६	१६	५	४४	८	१५	१	४	२२	२८	१४	[†८/४० । चन्द्र क. ३/५३ ।
श.	१०	१४	३८	श्ले	१८	१	सा.	८	४३	वि.	१४	३८	व.	३	२४	मानस	६	१६	५	४४	८	३७	१	५५	२३	२९	१५	चन्द्र सिं. १८/१ ।
र.	११	१६	१०	म.	२०	१	शु.	८	५४	वा.	१६	१०	कौ.	४	४३	मुद्गर	६	१७	५	४३	८	५९	२	४८	२४	३०	१६	रम्भा एकादशी । शुक्र वृश्चिक ०/१३ ।
चं.	१२	१७	१६	पू.	२१	३६	शु.	८	४७	तै.	१७	१६	ग.	५	३४	केतु	६	१८	५	४२	९	२१	३	४३	२५	३१	१७	सोम प्रदोष । गोवत्स द्वादशी । सूर्य तु.†
मं.	१३	१७	५२	उ.	२२	४३	ब्र.	८	१८	व.	१७	५२	वि.	५	५५	धाता	६	१९	५	४१	९	४३	४	३६	२६	१	१८	धन त्रयोदशी (धनतेरस) । नरक चतुर्थी ।⌀
बु.	१४	१७	५९	ह.	२३	१९	ऐं.	[illegible]	[illegible]	श.	१७	५९	च.	५	४६	आनंद	६	१९	५	४१	१०	५	५	३५	२७	२	१९	मास शिवरात्रि । दीपावली । शुक्र अनु.∫
बृ.	३०	१७	३४	चि.	२१	२७	वि.	४	३०	ना.	१७	३४	किं.	५	८	चर	६	२०	५	४०	१०	२६	×	×	२८	३	२०	चन्द्र तु. ११/२३ । [∫१७/५९ ।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति	घं.	मि	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं	मि.	क	घं.	मि.	योगः	सूर्योदय	सूर्यास्त	र क्रां. उ	चं. अ. घं. मि.	रा श्रा.का	बँ का.	अ. अ. न.	कार्त्तिक शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
श.	१	१६	४२	स्वा	२३	७	प्री.	२	३०	व.	१६	४२	बा.	४	३	गद	६ २१	५ ३९	१० ४८	१८ १९	२९	४	२१	सूक्ष्म चंद्रदर्शन। वलि-पूजन।अन्नकूट।गोक्रीड़न।
शु.	२	१५	२४	वि.	२२	२४	आ	०	११	को.	१५	२४	तै.	२	३४	शुभ	६ २१	५ ३९	११ ९	१९ ६	३०	५	२२	यम द्वितीया । भ्रातृ द्वितीया। चित्रगुप्त-पूजा ।*
र.	३	१३	४५	अनु	२१	२०	सौ.	२१	३५	ग.	१३	४५	व.	०	४२	मृत्यु	६ २२	५ ३८	११ ३०	१९ ५७	१	६	२३	वैनायकी चतुर्थी । सायनसूर्य वृश्चिक१५।२७ ।‡
चं	४	११	४०	ज्ये	२०	०	शो	१८	४६	वि	११	४०	व.	२२	३४	पद्म	६ २३	५ ३७	११ ५१	२० ५२	२	७	२४	[*चंद्र वृ. १६।३५ । बुधवक्री१०।९ ।
मं.	५	९	३०	म.	१८	२८	अ.	१५	४७	बा.	९	३०	कौ.	२०	२०	छत्र	६ २३	५ ३७	१२ १२	२१ ५१	३	८	२५	सूर्यषष्ठी व्रतारंभ(संयत)।चंद्र धनु २०।०।
बु.	६	[illegible]	[illegible]	पू.	१६	४८	सु	१२	३९	तै.	७	११	ग.	१७/४	५१/४८	श्रीवत्स	६ २४	५ ३६	१२ ३२	२२ ५२	४	९	२६	सूर्यषष्ठी व्रत। चंद्र म.२२।२३। राहु पू.फा. x
बृ.	८	२	२५	उ.	१५	७	धृ	९	३६	वि.	१५	३७	व.	२	२५	सौम्य	६ २५	५ ३५	१२ ५३	२३ ५४	५	१०	२७	गोपाष्टमी। [‡वि.१८।३३।शुक्र ज्ये० १७।४७।
शु.	९	०	८	श्र.	२३	१७	श.	[illegible]	[illegible]	बा.	१३	१७	कौ.	०	८	धूम्र	६ २५	५ ३५	१३ १३	० ५४	६	११	२८	अक्षया ९ । चंद्र कु०।४६। शनिपूर्वाषाढ़८।३५।
श.	१०	२२	१	ध.	१२	९	वृ.	१०	३४	तै.	११	५	ग.	२२	१	म. मा.	६ २६	५ ३४	१३ ३३	१ ५४	७	१२	२९	[‡जमादि उल्लऔअल ५। सूर्य स्वा १।१०।
र.	११	२०	९	श.	१०	५१	ध्रु.	२१	५४	व.	९	६	वि.	२०	९	रक्त	६ २७	५ ३३	१३ ५२	२ ५४	८	१३	३०	प्रबोधिनी ११। चंद्र मी.४।७। मंगल पुन०३।७।०
चं	१२	१८	३७	पू.	९	५३	व्या	१९	२८	व.	७	२३	बा	१६/६	३७/१	मुसल	६ २७	५ ३३	१४ १२	३ ५२	९	१४	३१	सोम प्रदोष। [x चरण ३ में केतु पू. भा.०
मं.	१३	१७	२७	उ.	९	१६	ह.	१७	२२	तै.	१७	२७	ग.	५	६	सिद्धि	६ २८	५ ३२	१४ ३१	४ ४८	१०	१५	१	बुधास्त पश्चिम २१।४६ ।[०चरण में १।१।९
बु.	१४	१६	४५	रे.	९	५	व.	१५	३७	व.	१६	४५	वि	४	३९	उत्पात	६ २९	५ ३१	१४ ५०	५ ४३	११	१६	२	वैकुंठ १४। पूर्णिमा व्रत के लिए। चंद्र मे१९/२१
बृ.	१५	१६	३४	अ.	९	२२	सि	१४	१५	व	१६	३४	बा.	४	४४	मानस	६ २९	५ ३१	१५ ९	× ×	१२	१७	३	[पूर्णिमा स्नानादि के लिए। [१६।५।०वक्री बुध

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. द.	चं. ह. घं. मि.	राष्ट्रीय का.	बँ० का-अ.	अ. न.	अगहन (मार्गशीष) कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
शु.	१	१६	५४	भ.	१०	८	व्य.	१३	१८	कौ.	१६	५४	तै.	५	२०	मुद्गर	६ ३०	५ ३०	१५ २८	१८ १०	१३	१८	४	चन्द्र वृ. १६।२६ ।
श.	२	१७	४६	कृ.	११	२३	व.	१२	४५	ग.	१७	४६	व.	६	२६	केतु	६ ३१	५ २९	१५ ४६	१८ ५४	१४	१९	५	
र.	३	१९	६	रो.	१३	७	प.	१२	३६	वि.	१९	६	व.	६	३१	धाता	६ ३१	५ २९	१६ ४	१९ ३८	१५	२०	६	गणेश चतुर्थी । सूर्य वि. ८।१७ । चंद्र ‡
चं.	४	२०	५१	मृ.	१५	८	शि.	१२	४६	व	७	५९	वा.	२०	५१	आनंद	६ ३२	५ २८	१६ २२	२० २६	१६	२१	७	
मं.	५	२२	५२	आ	१७	३७	सि.	१३	११	कौ.	९	५२	तै.	२२	५२	चर	६ ३२	५ २८	१६ ३९	२१ १५	१७	२२	८	बृहस्पति पूर्वाषाढ़ ४।५१ । [‡मि. २।७ ।
बु.	६	१	०	पु	२०	१४	सा.	१३	४६	ग.	११	५६	व.	१	०	गद	६ ३३	५ २७	१६ ५६	२२ ४	१८	२३	९	चंद्र क. १३।३५ ।
बृ.	७	३	७	पु.	२२	५०	शु.	१४	२१	वि	१४	४	व.	३	७	शुभ	६ ३४	५ २६	१७ १३	२२ ५४	१९	२४	१०	शुक्र मूल और अनु ११।५६ ।
शु.	८	४	[illegible]	श्ले	१	१५	शु.	१४	५०	वा	१६	३	कौ.	४	५९	मृत्यु	६ ३४	५ २६	१७ ३०	२३ ४५	२०	२५	११	कालभैरवाष्टमी । चंद्र सि. १।१५ ।
श.	९	६	३२	म.	३	२०	ब्र.	१५	६	तै	१७	४६	ग.	६	३२	पद्म	६ ३५	५ २५	१७ ४६	० ३७	२१	२६	१२	
र.	१०	×	×	पू.	५	१	ऐं.	१५	५	व.	१९	५	वि	६	३५	छत्र	६ ३५	५ २५	१८ २	१ २९	२२	२७	१३	बुध मार्गी ५।३७ ।
चं.	१०	७	३८	उ.	६	१४	वै.	१४	४२	वि.	७	३८	व.	१९	५७	श्रीवत्स	६ ३६	५ २४	१८ १८	२ २४	२३	२८	१४	चन्द्र क. ११।२० ।
मं.	११	८	१५	ह.	×	×	वि.	१३	५६	बा.	८	१५	कौ.	२०	१८	सौम्य	६ ३६	५ २४	१८ ३३	३ १९	२४	२९	१५	उत्पन्ना एकादशी । सूर्य वृश्चि. ६।७ ।
बु.	१२	८	२१	ह.	६	५८	प्री.	१२	३३	तै.	८	२१	ग	२०	९	आनंद	६ ३७	५ २३	१८ ४८	४ १८	२५	१	१६	प्रदोष । चंद्र १९।५ ।
बृ.	१३	७	५७	चि	७	१२	आ.	११	०	व	७	५७	वि.	१९	३१	चर	६ ३८	५ २२	१९ ३	५ १९	२६	२	१७	मास शिवरात्रि ।
शु.	१४	२२/७	४२/५	स्वा	२३/६	२१/८	सी	९	४	श.	७	५	च	१८	२६	गद	६ ३८	५ २२	१९ १८	× ×	२७	३	१८	

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. अ. घं. मि.	रा. का-अ.	बँ. अ.-पू.	अं. न.दि.	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
श.	१	४	८	अनु	५	२०	शो	६/२१	४८/४७	कि.	१६	५८	व.	४	८	अमृत	६ ३६	५ २१	१६ ३२	× ×	२८	४	१९	रुद्रोपवास (पिंडिया)। सूर्य अनु. १३।१०। *
र.	२	२	११	ज्ये.	४	४	सु.	१	२८	वा.	१५	१०	कौ.	२	११	कौण	६ ३६	५ २१	१६ ४५	१८ ४२	२९	५	२०	चन्द्र-दर्शन। चन्द्र. ध. ४।४।
चं.	३	०	२	मू.	२	३५	धृ.	२२	३१	तै.	१३	७	ग.	०	२	लुम्ब	६ ४०	५ २०	१६ ५६	१९ ४२	३०	६	२१	जमादि उस्सानी ६। [* शुक्र पूर्वाषाढ़।
मं.	४	२१	४३	पू.	०	५७	शू.	१९	२५	व.	१०	५३	वि.	२१	४३	मित्र	६ ४०	५ २०	२० १२	२० ४४	१	७	२२	गणेश चतुर्थी, सायन सूर्य ध. १२।४८। †
बु.	५	१९	१९	उ.	२३	१६	गं.	१६	१५	व.	८	३१	वा.	१/६	१/८	वज्र	६ ४०	५ २०	२० २४	२१ ४७	२	८	२३	द्वितीया नागपंचमी। रामविवाह दिन। ‡
बृ.	६	१६	[illegible]	श्र.	२१	३७	वृ.	१३	४	तै.	१६	५७	ग.	३	४८	केतु	६ ४१	५ १९	२० ३६	२२ ४८	३	९	२४	मंगल वक्री ६।०७। [† चंद्र म. ६।३२।°
शु	७	१४	३९	ध.	२०	५	ध्रु.	१०	५	व.	१४	३९	वि.	१	३५	धाता	६ ४१	५ १९	२० ४८	२३ ४८	४	१०	२५	भानु सप्तमी। चंद्र कु. ८।५१।
श.	८	१२	३२	श.	१८	४४	व्या	७/२१	१/१५	व.	१२	३२	वा.	२३	४३	आनंद	६ ४२	५ १८	२१ ०	० ४७	५	११	२६	[‡ हलधर जयन्ती। [° बुध विशाखा ११।५२।
र.	९	१०	५५	पू.	१७	४०	व.	१	५३	कौ.	१०	५५	तै.	२२	११	चर	६ ४२	५ १८	२१ ११	१ ४५	६	१२	२७	चंद्र मी. ११।५६। [ϕ शुक्र मकर ४।१५।∫
चं.	१०	९	२७	उ.	१६	५७	सि	२३	३९	ग.	९	२७	व.	२०	५४	गद	६ ४३	५ १७	२१ २१	२ ४१	७	१३	२८	[∫ सूर्य ज्येष्ठ १६।३२।
मं.	११	८	२२	रे.	१६	३८	व्य.	२१	४६	वि.	८	२२	व.	२०	२	शुभ	६ ४३	५ १७	२१ ३२	३ ३६	८	१४	२९	मोक्षदा एकादशी। चंद्र मे. १६।३८।
बु.	१२	७	४३	अ.	१६	४७	व.	२०	१५	वा.	७	४३	कौ.	१९	३९	मृत्यु	६ ४३	५ १७	२१ ४१	४ ३१	९	१५	३०	प्रदोष। मंगल पुन. प्रथम चरण ७।२२।α
बृ.	१३	७	३५	भ.	१७	२७	प.	१९	९	तै.	७	३५	ग.	१९	४७	पद्म	६ ४४	५ १६	२१ ५१	५ २३	१०	१६	१	चंद्र वृ. २३।४५। [α शुक्र उत्तराषाढ़ ८।२३।
शु.	१४	७	५८	कृ.	१८	३७	शि.	१८	२६	व.	७	५८	वि.	२०	२५	छत्र	६ ४४	५ १६	२२ ०	× ×	११	१७	२	पूर्णिमा व्रत के लिए पिशाचमोचन यात्रा। ϕ
श.	१५	८	५१	रो.	२०	१६	सि.	१८	३	व.	८	५१	वा.	२१	३२	श्रीवत्स	६ ४४	५ १६	२२ ८	× ×	१२	१८	३	दत्त जयन्ती। बुध वृश्चिक ११९।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं.	मि.	न.	घं.	मि.	यो.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	क.	घं.	मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रा. द.	च. उ. घं. मि.	रा. अ.	बँ. पू.-मा.	अ. दि.	पौष कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
र.	१	१०	१३	मृ.	२२	२०	सा.	१८	९	कौ.	१०	१३	तै.	२३	५	सौम्य	६ ४५	५ १५	२२ १७	१८ २०	१३	१९	४	चन्द्र मि. ९/१९।
चं.	२	११	५८	आ	०	४४	शु.	१८	२७	ग.	११	५८	व.	०	५७	का.द.	६ ४५	५ १५	२२ २४	१९ ९	१४	२०	५	
मं.	३	१३	५७	पु.	३	१८	शु.	१८	५५	वि.	१३	५७	व.	३	४	सुस्थिर	६ ४५	५ १५	२२ ३२	१९ ५८	१५	२१	६	गणेश चतुर्थी। चन्द्र कर्क २०/४०।*
बु.	४	१६	१०	पु.	५	५४	ब्र.	१९	२८	वा.	१६	१०	कौ.	५	१४	मातंग	६ ४५	५ १५	२२ ३८	२० ४८	१६	२२	७	[* बुध अनु० १०/२०।
बृ.	५	१८	१७	श्ले	×	×	ऐं.	१९	५७	तै.	१८	१७	ग.	×	×	अमृत	६ ४६	५ १४	२२ ४५	२१ ३८	१७	२३	८	
शु.	६	२०	११	श्ले	८	२१	वै.	२०	१६	ग.	७	१४	व.	२०	११	मृत्यु	६ ४६	५ १४	२२ ५१	२२ २८	१८	२४	९	चन्द्र सिं० ८/२१।
श.	७	२१	४३	म.	१०	३१	वि.	२०	१९	वि.	८	५७	व.	२१	४३	पद्म	६ ४६	५ १४	२२ ५६	२३ २१	१९	२५	१०	
र.	८	२२	४८	पू.	१२	१८	प्री.	२०	२	वा.	१०	१५	कौ.	२२	४८	छत्र	६ ४६	५ १४	२३ १	० १२	२०	२६	११	मालवीय जयन्ती। चन्द्र क. १८/३८।†
चं.	९	२३	२३	उ.	१३	३७	आ	१९	२२	तै.	११	६	ग.	२३	२३	श्रीवत्स	६ ४६	५ १४	२३ ६	१ ५	२१	२७	१२	[† शुक्र श्र. १७/३४।
मं.	१०	२३	२८	ह.	१४	३९	सौ.	१८	१८	व.	११	२६	वि.	२३	२८	सौम्य	६ ४७	५ १३	२३ १०	२ ०	२२	२८	१३	चन्द्र तु. २/४८।
बु.	११	२३	२	चि.	१४	५८	शो	१६	५१	व.	११	१३	वा.	२३	२	का.द.	६ ४७	५ १३	२३ १४	२ ५९	२३	२९	१४	सफला एकादशी। बुध ज्ये. १/१३।
बृ.	१२	२२	८	स्वा	१४	५०	अ.	१५	२	कौ.	१०	३५	तै.	२२	८	सुस्थिर	६ ४७	५ १३	२३ १७	४ २	२४	३०	१५	सूर्य मूल और धन १८/४४।
शु.	१३	२०	५०	वि.	१४	१५	सु.	१२	४२	ग.	९	२९	व.	२०	५०	मातंग	६ ४७	५ १३	२३ २०	५ ५	२५	१	१६	प्रदोष। चन्द्र वृ. ८/२४।
श.	१४	१९	१०	अनु	१३	१९	धृ.	१०	१३	वि.	८	०	श.	१/६	१/२	अमृत	६ ४७	५ १३	२३ २२	६ ६	२६	२	१७	मास शिवरात्रि।
र.	३०	१७	१२	ज्ये.	११	५८	शू.	७/२१	३०/२	ना.	१७	१२	किं	४	६	कौण	६ ४७	५ १३	२३ २४	× ×	२७	३	१८	चन्द्र ध. ११/५८।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६१

वा.	ति.	घं. मि.	न.	घं. मि.	यो.	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि.	योग.	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. द.	चं. उ. घं. मि.	रा. अ. पू.	बँ. मा.	अं. दि.-ज.	पौष शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
चं.	१	१५ १	मू.	१० ३२	वृ.	१ ३०	व	१५ १	बा.	१ ५०	लुम्ब	६ ४७	५ १३	२३ २५	१८ २६	२८	४	१९	चन्द्र-दर्शन ।
मं.	२	१२ ४०	पू.	८ ५६	ध्रु.	२२ २२	कौ.	१२ ४०	तै.	२३ २९	मित्र.	६ ४७	५ १३	२३ २६	१९ ३१	२९	५	२०	रज्जब ७। चन्द्र म. १४।३१। गुरु का †
बु.	३	१० १९	उ.	[illegible]	व्या	१९ ११	ग.	१० १९	व.	२१ ९	मुद्गर	६ ४७	५ १३	२३ २६	२० ३६	३०	६	२१	गणेश चतुर्थी । सायन सूर्य मकर १।५६ ।
बृ.	४	[illegible]	ध.	४ ३	ह.	१९ २	वि.	७ ५९	व.	[illegible]	श्रीवत्स	६ ४७	५ १३	२३ २६	२१ ३९	१	७	२२	बुध मू. और धनु २२।५६ । चन्द्र कु. ♆
शु.	६	३ ४३	श.	२ ४१	व.	१२ ५९	कौ.	१६ ४४	तै.	३ ४३	सौम्य	६ ४७	५ १३	२३ २६	२२ ४१	२	८	२३	गुरु अस्त पश्चिम २।३२ । शुक्र धनि. ८।५० ।
श.	७	१ ५६	पू.	१ ३३	सि.	१० १८	ग.	१४ ५०	व.	१ ५६	का. द	६ ४७	५ १३	२३ २५	२३ ४१	३	९	२४	चन्द्र मी. १९।५० ।
र.	८	० २९	उ.	० ४५	व्य.	[illegible]	वि.	१३ १३	व.	० २९	सुस्थिर	६ ४७	५ १३	२३ २३	० ३७	४	१०	२५	[* वार्द्धक्यारंभ २।३२ ।
चं.	९	२३ २७	रे.	० २१	प.	३ २२	बा.	११ ५८	कौ.	२३ २७	मातंग	६ ४७	५ १३	२३ २१	१ ३२	५	११	२६	चन्द्र मे० ०।२१ ।
मं.	१०	२२ ५१	अ.	० २४	शि.	११ ४२	तै.	११ ९	ग	२२ ५१	अमृत	६ ४७	५ १३	२३ १९	२ २६	६	१२	२७	[७·१९।५० ।
बु.	११	२२ ४६	भ.	० ५६	सि.	० ३७	व.	१० ४९	वि.	२२ ४६	कॉण	६ ४७	५ १३	२३ १७	३ १९	७	१३	२८	पुत्रदा एकादशी । पूर्वाषाढ़ १८।२७ ।
बृ.	१२	२३ १३	कृ.	१ ५८	सा.	२३ ३५	व.	१० ५९	बा	२३ १३	लुम्ब	६ ४७	५ १३	२३ १३	४ १२	८	१४	२९	चन्द्र वृ. ७।११ । शुक्र कुम्भ ७।४९ ।
शु.	१३	० १०	रो.	३ ३१	शु.	२३ ७	कौ.	११ ४१	तै.	० १०	मित्र	६ ४७	५ १३	२३ ९	५ ४	९	१५	३०	प्रदोष । बुध पूर्वाषाढ़ २।० ।
श.	१४	१ ३६	मृ.	५ २६	शु.	२३ १२	ग.	१२ ५३	व.	१ ३६	वज्र	६ ४६	५ १४	२३ ५	५ ५८	१०	१६	३१	चन्द्र मि. १९।२९ ।
र.	१५	३ २४	आ.	× ×	ब्र.	२२ २२	व.	१४ ३०	व.	३ २४	ध्वांक्ष	६ ४६	५ १४	२३ [illegible]	× ×	११	१७	१	शाकम्भरी जन्म ।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६७, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५१, ई० १९६०

वा.	ति.	घं. मि.	न.	घं. मि.	यो.	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. द.	चं. उ. घं. मि.	रा. पु.	बँ. मा.फा.	अं ज.	माघ कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
चं.	१	५ २८	आ	७ ४४	ऐं.	२३ ३७	वा.	१६ २६	कौ.	५ २८	का.द.	६ ४६	५ १४	२२ ५५	× ×	१२	१८	२	चन्द्र क. ३।३६। लक्ष्मण संवत् ८५२ आरंभ ।
मं.	२	× ×	पु.	१० १७	वै.	० ८	तै.	१८ ३३	ग.	× ×	सुस्थिर	६ ४६	५ १४	२२ ४९	१८ ४५	१३	१९	३	
बु.	२	७ ३७	पु.	१२ ५६	वि.	० ३८	ग.	७ ३७	व.	२० ४०	मातंग	६ ४६	५ १४	२२ ४३	१९ ३५	१४	२०	४	शुक्र श. ६।४५ ।
बृ.	३	९ ४३	श्ले	१५ २८	प्री.	१ ०	वि.	९ ४३	व.	२२ ३९	अमृत	६ ४५	५ १५	२२ ३७	२० २५	१५	२१	५	गणेश चतुर्थी (संकट चतुर्थी) । चन्द्र सि ‡
शु	४	११ ३५	म.	१७ ४३	आ	१ ७	वा.	११ ३५	कौ.	० २६	कॉण	६ ४५	५ १५	२२ ३०	२१ १५	१६	२२	६	बुध उत्तराषाढ़ ४।४२ । [‡ १५।२८ ।
श.	५	१३ १७	पू.	१९ ३५	सौ.	० ५७	तै.	१३ १७	ग	१ ४९	लुम्ब	६ ४५	५ १५	२२ २३	२२ ५	१७	२३	७	चन्द्र क. १।५७ ।
र.	६	१४ [illegible]	उ.	२१ १	शो.	० २४	व.	१४ २०	वि.	२ ३७	मित्र	६ ४५	५ १५	२२ १९	२२ ५६	१८	२४	८	बुध मकर ३।१ । गुरु उत्तराषाढ़ ३।५२ ।
चं.	७	१४ ५३	ह.	२१ ५७	अ.	२३ २९	व.	१४ ५३	बा	२ ५४	वज्र	६ ४४	५ १६	२२ ८	२३ ४८	१९	२५	९	[* पूर्वभाद्रपद २।३० । चन्द्र म. २२।२९ ।
मं.	८	१४ ५५	चि	२२ २४	सु.	२२ ९	कौ.	१४ ५५	तै.	२ ४१	ध्वांक्ष	६ ४४	५ १६	२१ ५९	० ४१	२०	२६	१०	रामानन्द जयन्ती । सूर्य उत्तराषाढ़ ♅
बु	९	१४ २७	स्वा	२२ २२	धृ.	२० २७	ग.	१४ २७	व.	१ ५८	धूम्र	६ ४४	५ १६	२१ ५०	१ ३४	२१	२७	११	[♅ १८।५७ । चंद्र तु. १०।११ ।
बृ.	१०	१३ ३०	वि.	२१ ५५	शू.	१८ २४	वि.	१३ ३०	व.	० ४४	प्र. मा.	६ ४३	५ १७	२१ ४०	२ ३९	२२	२८	१२	चन्द्र वृ. १६।१ । [* श्र. १।१०
शु.	११	११ ५७	ऽनु	२१ ४	गं.	१६ २	बा.	११ ५७	कौ.	२३ ७	रक्ष	६ ४३	५ १७	२१ ३०	३ ४४	२३	२९	१३	षट् तिला एकादशी । सूर्य मकर १।८ ।
श.	१२	१० १९	ज्ये.	१९ ५४	वृ.	१३ २३	तै.	१० १९	ग.	२१ १७	मुसल	६ ४२	५ १८	२१ २०	४ ४८	२४	१	१४	शनि प्रदोष । चन्द्र धनु १९।५४ । बुध *
र.	१३	[illegible]	मू.	१८ २९	ध्रु.	१० २४	व.	८ १७	वि.	[illegible]	सिद्धि.	६ ४२	५ १८	२१ १०	× ×	२५	२	१५	मास शिवरात्रि । वक्री भौम आर्द्रा १२।५४ ।
चं.	३०	३ ४९	पू.	१९ ५४	व्या	[illegible]	च.	१९ ५८	ना	३ ४९	उत्पात	६ ४२	५ १८	२० ५९	× ×	२६	३	१६	सोमवती अमा. । मौनी अमा. । शुक्र *

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१

वा.	ति.	घं. मि.	न.	घं. मि.	यो.	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां द.	चं. अ. घं. मि.	रा. पु. मा.	वैं. फा.	अं. ज.	माघ शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
मं.	१	१ २७	उ.	१५ १३	व.	१ ७	कि.	१४ ३७	व.	१ २७	मानस	६ ४१	५ १६	२० ४७	× ×	२७	४	१७	वल्लभ-जयन्ती। सूक्ष्म चन्द्र-दर्शन।
बु.	२	२३ ६	श्र.	१३ ३०	सि.	२१ ५८	बा.	१२ १३	कौ.	२३ ६	छत्र	६ ४१	५ १६	२० ३५	१६ २३	२८	५	१८	चन्द्र कुं. ०।४५।
बृ.	३	२० ५२	ध.	११ ५६	व्य	१८ ५८	तै.	६ ५६	ग.	२० ५२	श्रीवत्स	६ ४०	५ २०	२० २२	२० २६	२६	६	१६	गौरी तृतीया। गुरूदय पूरब २३।२१।
शु.	४	१८ ५०	श.	१० ३५	ह.	१५ ५६	व.	७ ५१	वि.	[illegible]	सौम्य	६ ४०	५ २०	२० १०	२१ २७	३०	७	२०	वैनायकी चतुर्थी। तिल चतुर्थी। चन्द्र मी.
श.	५	१७ ३	पू.	६ २४	व.	१३ १५	बा.	१७ ३	कौ.	४ २०	का.द.	६ ३६	५ २१	१६ ५७	२२ २७	१	८	२१	श्रीपंचमी, वसन्त-पंचमी। सरस्वती जन्मदिन।
र.	६	१५ ३	उ.	८ ३२	सि.	१० ५३	तै.	१५ ३७	ग.	३ ६	सुस्थिर	६ ३६	५ २२	१६ ४३	२३ २२	२	६	२२	[शावान ८। [।३।४२। सायन सूर्य कुम्भ।
चं.	७	१४ ३३	रे.	८ २	सि.	८ ५३	व.	१४ ३३	वि.	२ २०	मातंग	६ ३८	५ २२	१६ २८	० १८	३	१०	२३	सूर्य सप्तमी। रथ सप्तमी। सूर्य अ. १६।५८×
मं.	८	१४ [illegible]	अ.	७ ५२	सा.	[illegible]	व.	१४ [illegible]	बा.	२ २	अमृत	६ ३८	५ २२	१६ १४	१ १३	४	११	२४	भीष्माष्टमी।
बु.	६	[illegible]	भ.	८ २४	शु.	[illegible]	कौ.	[illegible]	तै.	२ २६	काण	६ ३७	५ २३	१८ ५६	२ ७	५	१२	२५	चन्द्र वृ. २।३८।
बृ.	१०	[illegible]	कृ.	६ १६	ऐं.	[illegible]	ग.	[illegible]	व.	३ २	धुम्र	६ ३७	५ २३	१८ ४४	३ २	६	१३	२६	[बुध वनि १३।४०। चन्द्र मे. ८।२।
शु.	११	[illegible]	रो.	[illegible]	वि.	[illegible]	वि.	[illegible]	व.	४ १३	मित्र	६ ३६	५ २४	१८ २२	३ ५६	७	१४	२७	जया एकादशी। शुक्र मीन ६।२८। चन्द्र
श.	१२	[illegible]	मृ.	[illegible]	वै.	[illegible]	बा.	[illegible]	कौ.	५ ४०	वज्र	६ ३६	५ २४	१८ १४	४ ४४	८	१५	२८	शनि प्रदोष। बुध कुम्भ ६।५०।
र.	१३	[illegible]	आ.	[illegible]	वि.	[illegible]	तै.	[illegible]	ग.	[illegible]	सिद्धि	६ ३५	५ २५	१७ ५६	५ ३२	६	१६	२६	[गुरु मकर २२।४४। [मि. २३।३६।
चं.	१४	२० ५६	पु.	[illegible]	प.	[illegible]	व.	७ ५५	व.	२० ५६	शुभ	६ ३५	५ २५	१७ ४४	[illegible]	१०	१७	३०	चन्द्र क. १०।३६। शुक्र उ. भा. २।२५।
मं.	१५	२३ २०	पु.	१६ ५५	शि.	५ २६	बा.	[illegible]	व.	२३ २०	म.मा.	६ ३४	५ २६	१७ ३५	× ×	११	१८	३१	माघी पूर्णिमा।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१

वा.	ति.	घं. मि.	न.	घं. मि.	योग	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. उ. घं. मि.	रा. मा.	ब. फा. चै.	अं. फर.	फाल्गुन कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
बु.	१	१ १४	श्ले	२२ २६	सौ.	५ ५२	वा.	१२ १२	कौ.	१ १४	रक्ष	६ ३३	५ २७	१७ ८	१८ २०	१२	१६	१	चन्द्र सिं. २२/२६।
बृ.	२	३ ४	मं.	० ४८	शो.	६ ६	तै.	१४ ६	ग.	३ ४	मुसल	६ ३३	५ २७	१६ ५१	१६ ८	१३	२०	२	
शु.	३	४ ३१	पू.	२ ४७	अ.	६ २	व.	१५ ४७	वि.	४ ३१	सिद्धि	६ ३२	५ २८	१६ ३३	१६ ५६	१४	२१	३	बुध शतभिषा ७/४२।
श.	४	५ ३०	उ.	४ १६	सु.	५ ३८	व.	१७ ०	बा.	५ ३०	उत्पात	६ ३२	५ २८	१६ १५	२० ५१	१५	२२	४	गणेश चतुर्थी। चन्द्र कन्या ६/१०।
र.	५	६ ०	ह.	५ २३	धृ.	४ ५१	कौ.	१७ ४५	तै.	६ ०	मानस	६ ३१	५ २६	१५ ५७	२१ ४३	१६	२३	५	सूर्य धनिष्ठा २२/७।
चं.	६	५ ५६	चि.	५ ५७	शू.	३ ४१	ग.	१७ ५६	व.	५ ५६	मुद्गर	६ ३०	५ ३०	१५ ३६	२२ ३८	१७	२४	६	चन्द्र तु. १७/४०
मं.	७	५ २७	स्वा.	६ २	गं.	२ ७	वि.	१७ ४३	व.	५ २७	केतु	६ ३०	५ ३०	१५ २०	२३ ३५	१८	२५	७	
बु.	८	४ [illegible]	वि.	५ ४१	वृ.	० १२	बा.	१६ ५८	कौ.	४ २६	धाता	६ २६	५ ३१	१५ २	० ३५	१६	२६	८	जानकी-जयन्ती। बुधाष्टमी।
बृ.	६	३ ६	अनु	४ ५६	ध्रु.	२१ ५७	तै.	१५ ४७	ग.	३ ६	आनंद	६ २८	५ ३२	१४ ४२	१ ४१	२०	२७	६	[मंगलमार्गी ८/४३। चन्द्र वृ. २३/४६।
शु.	१०	१ २२	ज्ये.	३ ५१	व्या.	१६ २४	व.	१४ १३	वि.	१ २२	चर	६ २८	५ ३२	१४ २३	२ ५०	२१	२८	१०	चन्द्र ध. ३/५१।
श.	११	२३ २२	मू.	२ ३०	ह.	१६ ३८	व.	१२ २२	बा.	२३ २२	गद	६ २७	५ ३३	१४ ३	३ ५४	२२	२६	११	विजया एकादशी। [ϕ चन्द्र म. ६/३३।
र.	१२	२१ १०	पू.	० ५८	व.	१३ ४०	कौ.	१० १६	तै.	२१ १०	शुभ	६ २६	५ ३४	१३ ४४	४ ५६	२३	३०	१२	सूर्य कुम्भ ११/४५।
चं.	१३	१८ ४६	उ.	२३ १६	सि.	१० ३१	ग.	७ ५६	व.	१८/१५ ४३/३७	मृत्यु	६ २६	५ ३४	१३ २३	५ ५०	२४	१	१३	सोम प्रदोष। महाशिवरात्रि व्रत।ϕ
मं.	१४	१६ २५	श्र.	२१ ३६	व्या.	[illegible]	श.	१६ २५	च.	३ १४	लुम्ब	६ २५	५ ३५	१३ ३	× ×	२५	२	१४	बुध-वक्री ६/५१। [∫चन्द्र कु. ८/५०।
बु.	३०	१४ ३	ध.	२० १	प.	१ १२	ना.	१४ ३	कि.	० ५६	मित्र	६ २४	५ ३६	१२ ४३	× ×	२६	३	१५	सूर्यग्रहण १४/१६ से १५/२६। ∫

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१

वा.	ति	घं. मि.	न.	घं. मि.	यो.	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि.	योग	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. द.	चं. अ. घं. मि.	रा. माफा	बं. चै.	अं. फ. मा	फाल्गुन शुक्ल (समय घंटा-मिनट में)
बृ.	१	११ ५४	श.	१८ ३३	शि.	२२ १६	व.	११ ५४	वा.	२२ ५५	वज्र	६ २४	५ ३६	१२ २२	१९ २१	२७	४	१६	चन्द्र-दर्शन । मंगलमार्गी आर्द्रा. ३/१९ ।
शु.	२	९ ५५	पू	१७ १७	सि.	१९ ३०	कौ.	९ ५५	तै.	२१ ४	ध्वांक्ष	६ २३	५ ३७	१२ १	२० २३	२८	५	१७	रमजान ९ । शुक्र रे. १०।२६ । चन्द्र मी. ११।३५ ।
श.	३	८ ११	उ.	१६ १९	सा.	१६ ५९	ग.	८ ११	व.	१९ ३०	धूम्र	६ २२	५ ३८	११ ४०	२१ २०	२९	६	१८	वैनायकी चतुर्थी । सूर्य शत. १।५२ ।
र.	४	२ ३/६ ४६/२	रे.	१५ ४३	शु.	१४ ४४	वि.	६ ४८	व	१६/५ ११/५०	प. मा.	६ २२	५ ३८	११ १९	२२ १५	३०	७	१९	चन्द्र मे. १५।४३। सायन सूर्य मीन ।
चं.	६	५ १९	अ	१५ ३३	शु.	१२ ५१	कौ.	१७ ३४	तै.	५ १९	रक्ष	६ २१	५ ३९	१० ५७	२३ ८	१	८	२०	वक्री बुध शत. १८।५१ ।
मं.	७	५ २८	भ.	१५ ५२	ब्र.	११ ३४	ग	१७ १८	व.	५ १८	मुसल	६ २०	५ ४०	१० ३६	० १	२	९	२१	चन्द्र वृ. २२।५ ।
बु.	८	५ ४८	कृ.	१६ ४२	ऐं.	१० २८	वि	१७ ३३	व.	५ ४८	सिद्धि	६ २०	५ ४०	१० १४	० ५४	३	१०	२२	
बृ.	९	× ×	रो	१८ २	वै	९ ४७	वा.	१८ १८	कौ.	× ×	उत्पात	६ १९	५ ४१	९ ५२	१ ४६	४	११	२३	होलाष्टकारम्भ ।
शु.	९	६ ४८	मृ.	१९ ५०	वि.	९ २८	कौ.	६ ४८	तै.	१९ ३२	मानस	६ १८	५ ४२	९ ३०	२ ३८	५	१२	२४	चन्द्र मि. ६।५६ ।
श.	१०	८ १५	आ	२२ १	श्री.	९ ३०	ग.	८ १५	व.	२१ १०	मुद्गर	६ १७	५ ४३	९ ८	३ २७	६	१३	२५	चन्द्र कर्क. ।
र.	११	१० ४	पु.	० ३०	आ	९ ४८	वि.	१० ४	व.	२३ ६	केतु	६ १७	५ ४३	८ ४६	४ १३	७	१४	२६	आमल की एकादशी । चन्द्र क. १७।५२ ।
चं.	१२	१२ ८	पु.	३ ६	सौ	१० १७	वा	१२ ७	कौ.	१ १३	धाता	६ १६	५ ४४	८ २३	४ ५५	८	१५	२७	सोम प्रदोष । [+पू. फा. और केतु शत. १४।३७ ।
मं.	१३	१४ २०	श्ले	५ ४१	शो	१० ५०	तै.	१४ २०	ग.	३ २१	आनन्द	६ १५	५ ४५	८ ०	५ ३५	९	१६	२८	शनि उत्तराषाढ़ २१।५९ । चन्द्र सि ५।४१ ।
बु.	१४	१६ २३	म.	× ×	अ.	११ २०	व	१६ २३	वि	५ १७	चर	६ १५	५ ४५	७ ३८	× ×	१०	१७	१	होलिकादाह सूर्योदय के पूर्व । राहु वक्री श. +
बृ.	१५	१८ १२	म.	८ ४	सू.	११ ४०	व.	१८ ११	वा.	६ १४	मुसल	६ १४	५ ४६	७ १५	× ×	११	१८	२	खंडग्रास चन्द्रग्रहण १७।२६ से २०।३३ ।

विक्रमाब्द २०१७, शकाब्द १८८२, बँगला सन् १३६७, फसली १३६८, हिजरी १३८०, लक्ष्मणाब्द ८५२, ई० १९६१

वा.	ति.	घं. मि.	न.	घं. मि.	यो.	घं. मि.	क.	घं. मि.	क.	घं. मि.	योग.	सूर्योदय	सूर्यास्त	र. क्रां. उ.	चं. उ. घं. मि.	रा. फा.	व. चै. वै.	अं. मार्च	चैत्र कृष्ण (समय घंटा-मिनट में)
शु.	१	१९ ३५	पू.	१० ७	धृ.	११ ४४	वा.	६ ५२	कौ.	१९ ३५	सिद्धि	६ १३	५ ४७	७ ५२	१८ ४८	१२	१९	३	होली । वसंतोत्सव । रजोत्सव । चन्द्र *
श.	२	२० ३२	उ.	१२ १	शू.	११ २८	तै.	८ ३	ग.	२० ३२	उत्पात	६ १२	५ ४८	६ २९	१९ ३८	१३	२०	४	सूर्य पू. भा. ७/३८ । [* कर्क १६/३६ ।
र.	३	२० ५८	ह.	१३ १३	ग.	१० ५०	व.	८ ४४	वि.	२० ५८	मानस	६ १२	५ ४८	६ ६	२० ३१	१४	२१	५	चन्द्र तु. १/३३ ।
चं.	४	२० ५३	चि	१३ ५३	वृ.	९ ४९	व.	८ ५५	वा.	२० ५३	मुद्गर	६ ११	५ ४९	५ ४३	२१ २६	१५	२२	६	गणेश चतुर्थी । अंगारकी चतुर्थी ।
मं.	५	२० १९	स्वा	१४ ४	ध्रु.	८ २४	कौ.	८ ३५	तै.	२० १९	केतु	६ १०	५ ५०	५ १९	२२ २४	१६	२३	७	बुध मार्गी १७/५ ।
बु.	६	१९ १७	वि.	१३ ४८	व्या	२ ६/१ ३६/५३	ग.	७ ४८	व.	१९ १७	धाता	६ ९	५ ५१	४ ५६	२३ २८	१७	२४	८	शुक्र वक्री १५/१ । चन्द्र वृ. ७/५२ ।
बृ.	७	१७ ५१	ऽनु	१३ ७	व.	२ ३	वि	६ ३४	व.	१७/४ ५१/५१	आनंद	६ ९	५ ५१	४ ३२	० ३४	१८	२५	९	गुरु अ १५/१९ ।
शु.	८	१६ ५	ज्ये	११ ५६	सि.	२३ २३	कौ.	१६ ५	तै.	३ ४	चर	६ ८	५ ५२	४ ९	१ ३५	१९	२६	१०	चन्द्र ध. ११,५६ ।
श.	९	१४ २	मू.	१० ३९	व्य.	२० ३०	ग.	१४ ०	व	० ५२	गद	६ ७	५ ५३	३ ४५	२ ३५	२०	२७	११	[पूर्व चन्द्र कु.१७/५ । सूर्य मी. ७/२५ ।
र.	१०	११ ४२	पू.	९ ८	व.	१७ २८	वि	११ ४२	व.	२२ ३२	शुभ	६ ६	५ ५४	३ २२	३ ३५	२१	२८	१२	चन्द्र म. १४/४५ ।
चं	११	९ २१	उ.	२७/२ ३३/२१	प.	१३ ५६	वा.	९ २१	कौ.	२० १०	काँण	६ ६	५ ५४	२ ५८	४ ३०	२२	२९	१३	पापमोचिनी एकादशी ।
मं.	१२	२६/१ ५९/४०	ध.	४ १७	शि	११ १३	तै.	६ ५८	ग.	१७/४ ४८/३८	उत्पात	६ ५	५ ५५	२ ३५	५ १८	२३	३०	१४	भौम प्रदोष । वारूणी पर्व (४/१७ बजे के ‡
बु.	१४	२ २५	श.	२ ४७	सि	२६/१ १६/४	वि	१५ ३१	श,	२ २५	मानस	६ ४	५ ५६	२ ११	× ×	२४	१	१५	मास शिवरात्रि । [‡बाद और सूर्योदय से †
बृ.	३०	० २३	पू	१ २९	शु.	२ २७	च	१३ ३३	ना.	० २३	मुद्गर	६ ३	५ ५७	१ ४७	× ×	२५	२	१६	चन्द्र मी. १९/४९ ।

निरयन सूर्य का नक्षत्र-प्रवेश-काल

सं० २०१७ वि०

नक्षत्र	तिथि		घंटा	मिनट
रेवती	चैत्र शुक्ल ३	(३० मार्च १९६०)	२०	२३
अश्विनी	वैशाख कृष्ण २	(१३ अप्रैल १९६०)	६	५६
भरणी	वैशाख शुक्ल १	(२६ अप्रैल १९६०)	२	२०
कृत्तिका	वैशाख शुक्ल १४	(१० मई १९६०)	२१	१८
रोहिणी	ज्येष्ठ कृष्ण १४	(२४ मई १९६०)	१८	४५
मृगशिरा	ज्येष्ठ शुक्ल १३	(७ जून १९६०)	१८	१०
आर्द्रा	आषाढ कृष्ण १३	(२१ जून १९६०)	१९	३
पुनर्वसु	आषाढ शुक्ल ११	(५ जुलाई १९६०)	२०	४१
पुष्य	श्रावण कृष्ण ११	(१९ जुलाई १९६०)	२२	६
आश्लेषा	श्रावण शुक्ल १०	(२ अगस्त १९६०)	२२	३४
मघा	भाद्रपद कृष्ण १०	(१६ अगस्त १९६०)	२१	१७
पू० फा०	भाद्रपद शुक्ल ८	(३० अगस्त १९६०)	१७	५०
उ० फा०	आश्विन कृष्ण ८	(१३ सितम्बर १९६०)	११	५०
हस्त	आश्विन शुक्ल ६	(२६ सितम्बर १९६०)	३	४
चित्रा	कार्त्तिक कृष्ण ६	(१० अक्तूबर १९६०)	१५	३०
स्वाति	कार्त्तिक शुक्ल ३	(२३ अक्तूबर १९६०)	१	१०
विशाखा	अगहन (मार्गशीर्ष) कृष्ण ३	(६ नवम्बर १९६०)	८	१७
अनुराधा	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल १	(१९ नवम्बर १९६०)	१३	१०
ज्येष्ठा	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल १४	(२ दिसम्बर १९६०)	१६	३२
मूल	पौष कृष्ण १२	(१५ दिसम्बर १९६०)	१८	४४
पूर्वाषाढ	पौष शुक्ल ११	(२८ दिसम्बर १९६०)	१८	२७
उत्तराषाढ	माघ कृष्ण ८	(१० जनवरी १९६१)	१८	५७
श्रवण	माघ शुक्ल ७	(२३ जनवरी १९६१)	१९	५८
धनिष्ठा	फाल्गुन कृष्ण ५	(५ फरवरी १९६१)	२२	७
शतभिषा	फाल्गुन शुक्ल ३	(१८ फरवरी १९६१)	१	५२
पूर्वभाद्रपद	चैत्र कृष्ण २	(४ मार्च १९६१)	७	३८

ग्रहों का नक्षत्र-प्रवेश-काल

मंगल

शतभिषा	चैत्र शुक्ल ६	(५ अप्रैल १९६०)	६	११
पूर्व भाद्रपद	वैशाख कृष्ण १२	(२२ अप्रैल १९६०)	१७	३२
उत्तर भाद्रपद	वैशाख शुक्ल १३	(९ मई १९६०)	३	८
रेवती	ज्येष्ठ शुक्ल २	(२७ मई १९६०)	१७	४१

नक्षत्र	तिथि		घंटा	मिनट
अश्विनी	आषाढ़ कृष्ण ५	(१४ जून १६६०)	१६	२७
भरणी	आषाढ़ शुक्ल ८	(२ जुलाई १६६०)	३	१२
कृत्तिका	श्रावण कृष्ण १४	(२२ जुलाई १६६०)	६	४८
रोहिणी	भाद्रपद कृष्ण ५	(११ अगस्त १६६०)	१०	५७
मृगशिरा	भाद्रपद शुक्ल ११	(१ सितम्बर १६६०)	५	१६
आर्द्रा	आश्विन शुक्ल ६	(२६ सितम्बर १६६०)	२३	१५
पुनर्वसु	कार्त्तिक शुक्ल ११	(३० अक्तूबर १६६०)	३	७
आर्द्रा (वक्री होकर)	माघ कृष्ण १३	(१५ जनवरी १६६१)	१२	५४
आर्द्रा (पुनः मार्गी)	फाल्गुन शुक्ल १	(१६ फरवरी १६६१)	३	१६

बुध

पूर्व भाद्रपद	चैत्र शुक्ल ३	(३० मार्च १६६०)	१७	५५
उत्तर भाद्रपद	वैशाख कृष्ण १	(१२ अप्रैल १६६०)	१७	५३
रेवती	वैशाख कृष्ण ११	(२१ अप्रैल १६६०)	८	२६
अश्विनी	वैशाख शुक्ल ३	(२८ अप्रैल १६६०)	२३	४३
भरणी	वैशाख शुक्ल ६	(५ मई १६६०)	४	३६
कृत्तिका	ज्येष्ठ कृष्ण १	(१२ मई १६६०)	५	१७
रोहिणी	ज्येष्ठ कृष्ण १०	(२० मई १६६०)	५	४४
मृगशिरा	ज्येष्ठ शुक्ल २	(२७ मई १६६०)	१०	१६
आर्द्रा	ज्येष्ठ शुक्ल ६	(३ जून १६६०)	१	६
पुनर्वसु	आषाढ कृष्ण ३	(१२ जून १६६०)	१६	५६
पुष्य	आषाढ शुक्ल २	(२६ जून १६६०)	१	१२
पुनर्वसु (वक्री होकर)	आषाढ शुक्ल ११	(५ जुलाई १६६०)		
आश्लेषा	भाद्रपद कृष्ण ८	(१४ अगस्त १६६०)	१	४७
मघा	भाद्रपद कृष्ण १५	(२२ अगस्त १६६०)	२	५८
पूर्व फाल्गुनी	भाद्रपद शुक्ल ८	(३० अगस्त १६६०)	१६	४०
उत्तर फाल्गुनी	आश्विन कृष्ण १	(६ सितम्बर १६६०)	२	१८
हस्त	आश्विन कृष्ण ६	(१४ सितम्बर १६६०)	१३	६
चित्रा	आश्विन कृष्ण २	(२२ सितम्बर १६६०)	७	२
स्वाति	आश्विन शुक्ल १०	(३० सितम्बर १६६०)	१७	१४
विशाखा	कार्त्तिक कृष्ण ६	(१० अक्तूबर १६६०)	५	४५
विशाखा (वक्री होकर)	कार्त्तिक शुक्ल ११	(३० अक्तूबर १६६०)	१८	३३
विशाखा पुनः मार्गी	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल ४	(२२ नवम्बर १६६०)	११	५२
अनुराधा	पौष कृष्ण ३	(६ दिसम्बर १६६०)	१०	२०

नक्षत्र	तिथि		घंटा	मिनट
ज्येष्ठा	पौष कृष्ण ११	(१४ दिसम्बर १९६०)	१	१३
मूल	पौष शुक्ल ४	(२२ दिसम्बर १९६०)	२२	५६
पूर्वाषाढ	पौष शुक्ल १३	(३० दिसम्बर १९६०)	१	०
उत्तराषाढ	माघ कृष्ण ४	(६ जनवरी १९६१)	४	४२
श्रवण	माघ कृष्ण १२	(१४ जनवरी १९६१)	१	१०
धनिष्ठा	माघ शुक्ल ७	(२३ जनवरी १९६१)	२३	४०
शतभिषा	फाल्गुन कृष्ण ३	(३ फरवरी १९६१)	७	४२
शतभिषा (वक्री होकर)	फाल्गुन शुक्ल ६	(२० फरवरी १९६१)	१८	५१

बृहस्पति

पूर्वाषाढ	अगहन (मार्गशीर्ष) कृष्ण ५	(८ नवम्बर १९६०)	४	५१
उत्तराषाढ	माघ कृष्ण ४	(६ जनवरी १९६१)	३	५२
श्रवण	चैत्र कृष्ण ७	(६ चैत्र कृष्ण १९६१)	१५	१९

शुक्र

उत्तर भाद्रपद	चैत्र शुक्ल ८	(४ अप्रैल १९६०)	८	३
रेवती	वैशाख कृष्ण ३	(१४ अप्रैल १९६०)	२	४०
अश्विनी	वैशाख कृष्ण १५	(२५ अप्रैल १९६०)	२१	६
भरणी	वैशाख शुक्ल १०	(६ मई १९६०)	१९	११
कृत्तिका	ज्येष्ठ कृष्ण ७	(१७ मई १९६०)	११	४०
रोहिणी	ज्येष्ठ शुक्ल ३	(२८ मई १९६०)	७	२४
मृगशिरा	ज्येष्ठ शुक्ल १३	(७ जून १९६०)	४	०
आर्द्रा	आषाढ कृष्ण १०	(१८ जून १९६०)	०	५३
पुनर्वसु	आषाढ शुक्ल ५	(२९ जून १९६०)	२२	१५
पुष्य	श्रावण कृष्ण २	(१० जुलाई १९६०)	१९	५७
आश्लेषा	श्रावण कृष्ण १३	(२१ जुलाई १९६०)	१७	४२
मघा	श्रावण शुक्ल ६	(१ अगस्त १९६०)	१५	२३
पूर्व फाल्गुनी	भाद्रपद कृष्ण ६	(१२ अगस्त १९६०)	१२	५९
उत्तर फाल्गुनी	भाद्रपद शुक्ल १	(२३ अगस्त १९६०)	१०	३४
हस्त	भाद्रपद शुक्ल १३	(३ सितम्बर १९६०)	८	८
चित्रा	आश्विन कृष्ण ८	(१३ सितम्बर १९६०)	५	४०
स्वाति	आश्विन शुक्ल ७	(२७ सितम्बर १९६०)	२०	५७
विशाखा	कार्तिक कृष्ण ४	(८ अक्तूबर १९६०)	१९	१०
अनुराधा	कार्तिक कृष्ण १४	(१९ अक्तूबर १९६०)	१७	५९
ज्येष्ठा	कार्तिक शुक्ल १[illegible]	(३० अक्तूबर १९६०)	१७	४७

नक्षत्र	तिथि		घंटा	मिनट
मूल	अगहन (मार्गशीर्ष) कृष्ण ७	(१० नवम्बर १९६०)	११	५६
पूर्वाषाढ	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल १	(१९ नवम्बर १९६०)		
उत्तराषाढ	अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल १२	(३० नवम्बर १९६०)	८	२३
श्रवण	पौष कृष्ण ८	(११ दिसम्बर १९६०)	१७	३४
धनिष्ठा	पौष शुक्ल ६	(२३ दिसम्बर १९६०)	८	५०
शतभिषा	माघ कृष्ण २	(४ जनवरी १९६१)	६	४५
पूर्व भाद्रपद	माघ कृष्ण १५	(१६ जनवरी १९६१)	२	३०
उत्तर भाद्रपद	माघ शुक्ल १४	(३० जनवरी १९६१)	१	१५
रेवती	फाल्गुन शुक्ल २	(१७ फरवरी १९६१)	१०	२६

शनि

पूर्वाषाढ	कार्तिक शुक्ल ६	(२८ अक्तूबर १९६०)	८	३५
उत्तराषाढ	फागुन शुल्क्ल १३	(२८ फरवरी १९६१)	२१	५६

सूर्य एवं ग्रहों की संक्रांति, अर्थात् राशि-प्रवेश-काल

२०१७ विक्रमीय

(निरयन राशियाँ)

सूर्य

राशि	तिथि		घंटा	मिनट
मेष	वैशाख कृष्ण २	(१३ अप्रैल १९६०)	६	५६
वृष	ज्येष्ठ कृष्ण ४	(१४ मई १९६०)	१०	२७
मिथुन	आषाढ कृष्ण ५	(१४ जून १९६०)	१८	२८
कर्क	श्रावण कृष्ण ८	(१६ जुलाई १९६०)	६	५२
सिंह	भाद्र कृष्ण १०	(१६ अगस्त १९६०)	२१	१७
कन्या	आश्विन कृष्ण ११	(१६ सितम्बर १९६०)	२१	५४
तुला	कार्तिक कृष्ण १२	(१७ अक्तूबर १९६०)	८	४०
वृश्चिक	अगहन कृष्ण ११	(१५ नवम्बर १९६०)	६	७
धनु	पौष कृष्ण १२	(१५ दिसम्बर १९६०)	१८	४४
मकर	माघ कृष्ण ११	(१३ जनवरी १९६१)	१	८
कुम्भ	फाल्गुन कृष्ण १२	(१२ फरवरी १९६१)	११	४५
मीन	चैत्र कृष्ण १२	(१४ मार्च १९६१)	७	२५

राशि	*तिथि*		*घंटा*	*मिनट*
		बुध		
मीन	चैत्र शुक्ल १४	(१० अप्रैल १९६०)	१५	३३
मेष	वैशाख शुक्ल ३	(२८ अप्रैल १९६०)	२३	४३
वृष	ज्येष्ठ कृष्ण ४	(१४ मई १९६०)	२३	१०
मिथुन	ज्येष्ठ शुक्ल ५	(३० मई १९६०)	३	५४
कर्क	आषाढ कृष्ण १३	(२१ जून १९६०)	११	११
मिथुन	आषाढ शुक्ल १५	(८ जुलाई १९६०)	१९	५१
कर्क	श्रावण शुक्ल १०	(२ अगस्त १९६०)	१९	५२
सिंह	भाद्र कृष्ण १५	(२२ अगस्त १९६०)	२	५८
कन्या	आश्विन कृष्ण ३	(८ सितम्बर १९६०)	२२	४१
तुला	आश्विन शुक्ल ६	(२६ सितम्बर १९६०)	९	१०
वृश्चिक	अगहन शुक्ल १५	(३ दिसम्बर१९६०)	१	९
धनु	पौष शुक्ल ४	(२२ दिसम्बर १९६०)	२२	५६
मकर	माघ कृष्ण ६	(८ जनवरी १९६१)	३	१
कुम्भ	माघ शुक्ल १२	(२८ जनवरी १९६१)	९	५०
		शुक्र		
मीन	चैत्र शुक्ल ५	(१ अप्रैल १९६०)	१५	३५
मेष	वैशाख कृष्ण १५	(२५ अप्रैल १९६०)	२१	६
वृष	ज्येष्ठ कृष्ण ९	(१९ मई १९६०)	४	३७
मिथुन	आषाढ कृष्ण ४	(१३ जून १९६०)	१४	२२
कर्क	आषाढ शुक्ल १३	(७ जुलाई १९६०)	२	३१
सिंह	श्रावण शुक्ल ९	(१ अगस्त १९६०)	१५	२३
कन्या	भाद्रपद शुक्ल ३	(२५ अगस्त १९६०)	३	५८
तुला	आश्विन कृष्ण १४	(१९ सितम्बर १९६०)	१६	३६
वृश्चिक	कार्तिक कृष्ण ११	(१६ अक्तूबर १९६०)	०	१३
धनु	अगहन कृष्ण ७	(१० नवम्बर १९६०)	११	५६
मकर	अगहन शुक्ल १४	(२ दिसम्बर १९६०)	४	१५
कुम्भ	पौष शुक्ल १२	(२९ दिसम्बर १९६०)	७	४९
मीन	माघ शुक्ल ११	(२७ जनवरी १९६१)	९	१८
		मंगल		
मीन	वैशाख शुक्ल ९	(५ अप्रैल १९६०)	१८	२२
मेष	आषाढ कृष्ण ५	(१४ जून १९६०)	१६	२७
वृष	श्रावण शुक्ल ३	(२६ जुलाई १९६०)	५	९
मिथुन	आश्विन कृष्ण ८	(१३ सितम्बर १९६०)	१	३३

राशि	तिथि		घंटा	मिनट

बृहस्पति

मकर	माघ शुक्ल ७	(२३ जनवरी १९६१)	१२	४४

शनि

गत वर्ष से ही शनि धनु राशि में चल रहा है।

राहु

सिंह (वक्री गति से)	आषाढ कृष्ण १४			
इसके पूर्व कन्या में	बुधवार	(२२ जून १९६०)	२३	२०

केतु

कुम्भ (वक्री गति से)	आषाढ कृष्ण १४			
इसके पूर्व मीन में	बुधवार	(२२ जून १९६०)	२३	२०

सायन राशियों में सूर्य का प्रवेश

संवत् २०१७ वि०

वृष	वैशाख कृष्ण ६	(२० अप्रैल १९६०)	८	२६
मिथुन	ज्येष्ठ कृष्ण ११	(२१ मई १९६०)	७	५६
कर्क	आषाढ कृष्ण १४	(२३ जून १९६०)	१५	१२
सिंह	श्रावण कृष्ण १४	(२२ जुलाई १९६०)	०	६
कन्या	भाद्रपद शुक्ल १	(२३ अगस्त १९६०)	१४	४३
तुला	आश्विन शुक्ल ३	(२३ सितम्बर १९६०)	६	२६
वृश्चिक	कार्त्तिक शुक्ल ३	(२३ अक्तूबर १९६०)	१५	२७
धनु	अगहन शुक्ल ४	(२२ नवम्बर १९६०)	१२	४८
मकर	पौष शुक्ल ३	(२१ दिसम्बर १९६०)	१	५६
कुम्भ	माघ शुक्ल	(२० जनबरी १९६१)		
मीन	फाल्गुन शुक्ल	(१९ फरवरी १९६१)		

❀

द्वितीय भाग

विश्व

विश्व के विभिन्न देश

यह पृथ्वी जल और स्थल दो भागों में बँटी है। इसका-दो तिहाई से अधिक भाग जल और एक-तिहाई से कम भाग स्थल है। किसी विद्वान् ने हिसाब लगाकर जल और स्थल का अनुपात ७०·८ और २९·२ माना है। समुद्र का क्षेत्रफल १४ करोड़ वर्गमील और स्थल का क्षेत्रफल ५ करोड़, ७० लाख वर्गमील है। सारे संसार की जनसंख्या सन् १९५५ के अनुमान के अनुसार २ अरब, ५८ करोड़, ९० लाख है। समुद्र का आधा से अधिक भाग १२ हजार फीट से ३५ हजार फीट तक गहरा है। स्थल का सबसे ऊँचा भाग हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट समुद्र-तल से २९,१५० फीट ऊँचा है। भारत की प्राचीन पुस्तकों में सप्त समुद्र की बात लिखी है, परन्तु इस समय पाँच महासागर की ही गणना की जाती है—प्रशान्त महासागर, अतलान्तिक महासागर, भारतीय महासागर, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के जलभाग के आधे में प्रशान्त महासागर और एक-चौथाई में अतलान्तिक महासागर है। शेष एक-चौथाई के अधिकांश भाग में भारतीय महासागर और थोड़े-से भाग में उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर का उत्तरीय महासागर और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का दक्षिणी महासागर है।

यह पृथ्वी साधारणतः दो गोलार्द्धों में बाँटी जाती है। एक को पूर्वी गोलार्द्ध और दूसरे को पश्चिमी गोलार्द्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्द्ध में एशिया, यूरोप, अफ्रिका और ऑस्ट्रेलिया या ओसिनिया महादेश हैं तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी गोलार्द्ध की अपेक्षा पूर्वी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है। फिर यह भूमंडल भूमध्यरेखा द्वारा प्राकृतिक रूप से अन्य दो भागों में बाँटा गया है—उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध। दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है।

एशिया

प्रायः सभी महादेश सब ओर समुद्र से घिरे हैं, पर यूरोप और एशिया एक प्रकार से मिले हुए हैं और इस सम्मिलित महादेश को यूरेशिया कहा जाता है। यूराल पर्वत-माला और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। यह पूरब से पश्चिम ६७०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण ५६०० मील चौड़ा है। १$\frac{1}{2}$° से ७२$\frac{1}{2}$° उत्तरीय अक्षांश और २६° से १७०° पूर्वी रेखांश तक फैला हुआ है। यह महादेश यूरोप से चौगुना से भी कुछ अधिक बड़ा है। यूरोप और अफ्रिका मिलकर या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिलकर क्षेत्रफल में इसकी बराबरी कर सकते हैं।

एशिया महादेश का समुद्री किनारा ४४ हजार मील है। यह पाँच प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तर-पश्चिम का समतल मैदान, बीच का पहाड़ी भाग, दक्षिण का समतल मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग और दक्षिण-पूरब के द्वीपों के समूह। रूस को छोड़कर इस महादेश का क्षेत्रफल १,६७,६७,४२६ वर्गमील और जनसंख्या १,४८,१०,००,००० है। रूस और टर्की एशिया एवं यूरोप दोनों महादेशों के अन्दर हैं, किन्तु दोनों के अधिकांश भाग एशिया में पड़ते हैं।

एशिया प्राचीन-काल में सारी दुनिया के लिए सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र-स्थल था। हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कनफूसिएस, यहूदी, जोराष्ट्र, आदि धर्मों की उत्पत्ति यहीं हुई। प्राचीन मानव-वंश के अनुसार यहाँ मुख्यतः मंगोलियन, काकेशियन और मलय जाति के लोग हैं। चीन, जापान, कोरिया, स्याम और तिब्बत के रहनेवाले मंगोल जाति के समझे जाते हैं। बर्मा, नैपाल और पूर्व हिन्द के द्वीपों के वासी भी मंगोल के ही वंशज हैं। रूसी भी मंगोल ही माने जाते हैं। फारस और अफगानिस्तान के निवासी मुख्यतः काकेशियन हैं। काकेशियन को इंडो-यूरोपियन भी कहते हैं। भारत और अरब के निवासी भी काकेशियन हैं। गर्म देश में रहने के कारण ये कुछ काले पड़ गये हैं। एशिया की जनसंख्या दुनिया की आधी जनसंख्या से भी अधिक है।

राजनीतिक रूप से एशिया ६ भागों में बाँटा जाता है—(१) पश्चिमी एशिया, जिसे यूरोपवाले निकट पूर्व (नियर ईस्ट) कहते हैं; (२) उत्तरी एशिया, जिसे रूसी एशिया भी कहा जाता है; (३) पूर्वी एशिया, जिसे यूरोपवाले सुदूर पूर्व (फार ईस्ट) कहते हैं; (४) हिन्द-चीन; (५) भारत और (६) हिंद महासागर के टापू।

पश्चिमी एशिया में तुर्की (एशिया माइनर), इराक, लेबनन, इजरैल, सीरिया, अरब, इरान (फारस या परसिया) और अफगानिस्तान देश हैं। पूर्वी एशिया के अन्दर चीन, (दक्षिण मंगोलिया, मंचूरिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत-सहित) उत्तर मंगोलिया, कोरिया और जापान हैं।

हिन्द-चीन के अन्दर हिन्दुस्तान और चीन के बीच का प्रायद्वीप आता है, जिसमें फ्रांसीसी हिन्द-चीन, स्याम, मलाया, स्ट्रेट सेट्लमेण्ट और बर्मा (ब्रह्मदेश) हैं। भारत के अन्दर भारत, पाकिस्तान, नैपाल और भूटान की गिनती हो जाती है। भारतीय द्वीपों में लंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, न्यूगीनी और फिलिपाइन द्वीपपुंज हैं।

तुर्की (टर्की)

स्थिति—यूरोप और एशिया का मिलन-स्थान; **क्षेत्रफल**—२,६६,५०० वर्गमील; **जन-संख्या**—२,४७,६७,००० (१९५६); **राजधानी**—अंकारा; **भाषा**—तुर्की; **लिपि**—रोमन; **धर्म**—इस्लाम; **सिक्का**—टर्की पौंड; **राष्ट्रपति**—सेलाल बयार (१९५७ से); **प्रधान मंत्री**—एडनन मेण्डेरेस; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

तुर्की (टर्की), अनातोलिया, एशिया कोचक या एशिया माइनर ये सब नाम एक ही प्रायद्वीप के हैं।

इस देश का अधिकांश भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में हैं। यूरोप में यह ६,२५४ वर्गमील तथा एशिया में २,८५,२४६ वर्गमील में फैला हुआ है। इन दोनों भागों के बीच मारमारा सागर है। यहाँ के निवासी तुर्क, आरमीनियन और कुर्द जाति के लोग हैं। देश की करीब ७५ प्रतिशत जनता अपनी आय कृषि-उत्पादनों से प्राप्त करती है। १९२३ ई० में यह मित्रराष्ट्रों से स्वतंत्र हुआ। इसका प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। यहाँ की पार्लियामेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। यहाँ राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनकर स्वीकृति के लिए पार्लियामेण्ट के पास भेजता है। सन् १९५० के निर्वाचन में कमाल और इनोनू की पिपुल्स पार्टी की हार और डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। यह पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका से सैनिक और आर्थिक सहायता लेने के पक्ष में है।

अरमेनिया

यह एशिया माइनर का वह भू भाग है जहाँ अरमेनिया जाति के लोग रहते हैं। इनकी अपनी एक भिन्न संस्कृति तो है, पर अपनी कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं है, जिसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। इस समय इस भू भाग के कुछ अंश ईरान में, कुछ तुर्की में और कुछ रूस में हैं।

इराक

स्थिति—एशिया महादेश में इरान, तुर्किस्तान और अरब से घिरा; **क्षेत्रफल**—१,७५,००० वर्गमील; **जन-सख्या**—६५,३८,१०६ (१९५७); **राजधानी**—बगदाद; **भाषा**—अरबिक और खुरदीस; **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का** दीनार; **सत्ता-परिषद् का अध्यक्ष**—जेनरल नजीब-इल-रुबाई (१९५८ से); **प्रधान मंत्री**—जेनरल अब्दुल करीम-इल-कासिम (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

दजला और फुरात नदियों की घाटियों में बसा यह देश प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस देश का प्राचीन नाम बेबिलोन था। पीछे इसका नाम मैसोपोटैमिया और फिर इराक पड़ा। बेबिलोन नगर का खँड़हर बगदाद के पास ही है। यह संसार के तेल उत्पादन करनेवाले बड़े देशों में एक है। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह तुर्की के अधीन था। इस युद्ध के बाद तुर्की से मुक्त होकर ब्रिटेन के संरक्षकत्व में रहा। १९२७ ई० की संधि के अनुसार इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जुलाई १९५८ में यहाँ एक बड़ी जनक्रांति हुई जिसके पीछे सैनिक शक्ति भी थी। इस क्रान्ति में यहाँ के शाह फैजल और प्रधानमंत्री मारे गये और जेनरल अब्दुल करीम कासिम के प्रधानमंत्रित्व में नवीन गणतांत्रिक शासन आरम्भ हुआ। इराक पहले बगदाद सैनिक संगठन का सदस्य था, किन्तु अब वह संयुक्त अरब संघ से संबद्ध हो गया है।

सीरिया

स्थिति—एशिया महादेश का पश्चिमी किनारा; **क्षेत्रफल**—७२,२३४ वर्गमील; **जन-संख्या** ३६,७०,००० (१९५६); **राजधानी**—दमिश्क; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम;

सिक्का—सिरियन लिवियन पौंड; राष्ट्रपति—गैमेल अब्दुल नसीर (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इस समय सीरिया नये संयुक्त अरब गणतंत्र का एक सदस्य है। यह संसार का एक पुराना राष्ट्र है। पहले यह तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत था। पीछे १९२० से १९४० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य रहा। उसके बाद यह गणतंत्र घोषित किया गया, किन्तु फ्रांसीसी सेना यहाँ से अप्रैल १९४६ में हटी। पूर्ण स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ शान्तिपूर्वक शासन नहीं चल सका। १९४९ से १९५१ तक यहाँ चार बार सैनिक राजक्रान्ति हुई। १९५४ में यहाँ सम्मिलित दल का शासन आरम्भ हुआ। जुलाई १९५७ में पारस्परिक सहायता के लिए रूस के साथ इसकी संधि हुई। पीछे सीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे देश के राजदूत को अपने यहाँ से हटा दिया। सीरिया मिस्र के राष्ट्रपति गैमेल अब्दुल नसीर के अरब राष्ट्रों के संगठित करने के सिद्धान्त से सहमत है। अतः जनमत के आधार पर, १९५८ के आरम्भ में दोनों राष्ट्रों ने मिलकर 'संयुक्त अरब गणतंत्र' कायम किया और कर्नल अब्दुल नसीर इस संयुक्त गणतंत्र का राष्ट्रपति हुआ।

लेबनान

स्थिति—पश्चिम एशिया के भूमध्यसागर के किनारे सीरिया और इजराइल के बीच; क्षेत्रफल-४,००० वर्गमील; जन-संख्या-१५,२५,००० (१९५७); राजधानी—बेरुत; भाषा—अरबी; धर्म—ईसाई; सिक्का—सिरियन लिवियन पौंड; राष्ट्रपति—जेनरल फौआद चेहाब (१९५८ से); प्रधान मंत्री—रशीद करामी; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह पहले के तुर्की साम्राज्य के पाँच जिले उत्तरी लेबनान, माउण्ट लेबनान, दक्षिणी लेबनान बेरुत और बेका से बना है। यह सीरिया के साथ सितम्बर १९२० ई० में स्वतंत्र हुआ, परन्तु १९४१ ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य ही बना रहा। सन् १९४६ में यह पूरा स्वतंत्र हो गया। १९५८ ई० में यहाँ पश्चिमी राष्ट्र-समर्थक सरकार को उलटने के लिए व्यापक विद्रोह हुआ, परन्तु अमेरिका की सहायता से वह दबा दिया गया। यहाँ की पार्लियामेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ ईसाई और मुसलमान जातियों की संख्या बराबर होने के कारण राष्ट्रपति को ईसाई और प्रधानमंत्री को मुस्लिम होना जरूरी है।

इजराइल

स्थिति—एशिया महादेश के भूमध्यसागर, लेबनान, जार्डन और मिस्र देश से घिरा; क्षेत्रफल-८,०४८ वर्गमील; जनसंख्या-१९,७६,९३३ (१९५८); राजधानी-जेरुसलम; भाषा-हेब्रू; धर्म-जेविश; सिक्का-इजराइली पौंड; राष्ट्रपति—इत्जहाकवेन-जाव (१९५७ से); प्रधान मंत्री—डेविड बेन गुरियन (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यहूदी जातियाँ एशिया के प्राचीन देश फिलिस्तीन (पैलेस्टाइन) में अरबों के साथ ईसा के हजार वर्ष पूर्व से रहती थीं। ईसा के ७० वर्ष बाद रोमन लोगों ने इन्हें जीत-कर तितर-बितर कर दिया। इधर यहूदी लोग बहुत दिनों से अपने एक देश के निर्माण के लिए आन्दोलन करते आ रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन ने १९१७ में ही इसके सिद्धान्त को

स्वीकार कर लिया था। १९४८ ई० में यहूदियों ने राष्ट्रीय कौंसिल में पैलेस्टाइन के अधिकांश भाग इजराइल को यहूदियों का देश घोषित कर दिया। इस पर अरब राष्ट्रों ने चढ़ाई कर दी, किन्तु राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर उन्हें हटना पड़ा। पैलेस्टाइन के दो भाग कर दिये गये—इजराइल और अरब राज्य। जेरुसलम का शासन राष्ट्रसंघ के गवर्नर के अधीन रहा। पैलेस्टाइन अब ब्रिटेन का शासनादिष्ट राज्य नहीं रहा। वह राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। यहाँ की पार्लियामेण्ट की एक ही सभा होती है। वही यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। १९५९ के ५ जुलाई को डेविड-बेन गुरियन ने प्रधान मंत्री-पद से त्याग-पत्र दे दिया।

जॉर्डन

स्थिति—पश्चिमी एशिया; क्षेत्रफल—३७,५०० वर्गमील; जन-संख्या—१४,७१,००० (१९५६); राजधानी—अमन; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—जॉर्डानी दीनार; बादशाह—हुसैन प्रथम (१९५३ से); प्रधान मंत्री—मजाली (मई १९५९ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

१९४० ई० तक यह ट्रांस-जार्डन के (शर्क अरदन) नाम से प्रसिद्ध रहा। यहाँ कृषि-योग्य भूमि बहुत कम है। यहाँ का अधिकांश भाग चारागाह है। पहले यह फिलिस्तीन (पैलेस्टाइन) के अन्दर ब्रिटेन का एक आदिष्ट राज्य था। १९४६ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। मई १९५६ ई० में मिस्र के साथ इसकी एक सैनिक संधि हुई। यहाँ की पार्लियामेण्ट की दो सभाएँ हैं। १९५७-५८ में यहाँ के राष्ट्रवादियों ने मिस्र आदि की सहायता से ब्रिटेन के प्रभाव को दूर करने की बहुत कोशिश की, किन्तु वे सफल नहीं हुए। यहाँ मताधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही प्राप्त है।

अरब

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम एशिया; क्षेत्रफल—१३,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,२०,००,०००। पहले यह एक ही राज्य था, पर अब यह ९ राज्यों में विभक्त है—(१) सऊदी अरब, (२) कुवैत, (३) बहरीन द्वीपपुंज (४) कातर (५) ट्रूसियल कोस्ट, (६) ओमान और मुसकैत, (७) अदन उपनिवेश (ब्रिटिश), (८) अदन संरक्षित (ब्रिटिश) और (९) यमन।

(१) **सऊदी अरब**—यह अरब के ⅘ भाग में फैला हुआ है। यहाँ वंश-परम्परागत बादशाह होता है। यहाँ शाह सऊद बिन-अबदुल अजीज (१९५३) तथा प्रधान मंत्री राजकुमार फैजल हैं। इसका क्षेत्रफल ८,७०,००० वर्गमील; जन-संख्या १,००,००,००० और राजधानी रियाध एवं मक्का है। मक्का मुहम्मद साहब का जन्म-स्थान और मदीना मृत्यु-स्थान है।

(२) **कुवैत**—यह इराक और सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी के किनारे एक स्वतन्त्र अरब-राज्य है। इसका क्षेत्रफल ५,८०० वर्गमील और राजधानी कुवैत है। यहाँ संसार-प्रसिद्ध तेल की खाने हैं।

(३) बहरीन द्वीपपुंज—यह द्वीपपुंज फारस की खाड़ी के पास ग्रेटब्रिटेन के संरक्षण में स्वतन्त्र है। इसका क्षेत्रफल २०० वर्गमील, जनसंख्या १,२०,००० तथा राजधानी मानामाह है। इसके वर्त्तमान शासक शेख सुलेमान बिन-अहमद-अल खलीफा हैं।

(४) कातर—यह फारस की खाड़ी के किनारे एक छोटा-सा प्रायद्वीप है, जो ब्रिटिश संरक्षण में एक शेख द्वारा शासित होता है। इसकी राजधानी डोहा है।

(५) ट्रूसियल कोस्ट—यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। यह सात अर्ध-स्वतन्त्र शेखों द्वारा शासित होता है।

(६) ओमान और मुस्कैत—यह अरब सागर के किनारे अरब के दक्षिण-पूरब भाग में है। यहाँ का क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील और जन-संख्या ५,५०,००० (१६५१) है। यहाँ के सुलतान सैयद-बिन-तिमुर हैं। सन् १६५७ में ओमान के इमाम ने सुलतान के विरुद्ध विद्रोह किया, जो अँगरेजों की सहायता से दबा दिया गया।

(७-८) अदन—यह अरब के दक्षिण में दो भागों में विभक्त है—अदन उपनिवेश और अदन संरक्षित। अदन संरक्षित के २० विभिन्न प्रान्तों के गवर्नर अदन के ब्रिटिश गवर्नर के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

(६) यमन—यह अरब के दक्षिण-पश्चिम कोने में एक स्वतन्त्र राज्य है। इसका क्षेत्रफल ७५,००० वर्गमील और जनसंख्या ५०,००,००० (१६५४) है। इसकी राजधानी साना है। यहाँ के वर्त्तमान बादशाह इमाम अहमद बिन-अहिया-नसीर ली दीन अल्लाह एवं प्रधान मंत्री शेख-उल-इस्लाम अलवदर हैं।

इरान (फारस या पर्सिया)

स्थिति—एशिया महादेश में अफगानिस्तान, इराक और फारस की खाड़ी से घिरा; क्षेत्रफल—६,२८,०६० वर्गमील; जनसंख्या—१,८६,४४,८२१ (१६५६); राजधानी—तेहरान; भाषा—इरानी; धर्म—इस्लाम, सिक्का—रीअल; बादशाह—मुहम्मद रेजा पहलवी; प्रधान मंत्री—डॉ० मनोचेहू इकबाल (१६५७ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

फारस या पर्सिया एशिया का एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी का १६३५ ई० में नया नाम इरान पड़ा है। इसकी प्राचीन राजधानी अस्फहान थी फिर सिराज हुई। सिराज में ही यहाँ के दो प्रसिद्ध कवि—हाफिज और शेखसादी का जन्म हुआ था। इसका बहुत बड़ा भाग मरुभूमि और पर्वतों से ढँका है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ तेल की सबसे बड़ी खान है। यहाँ के निर्यात की वस्तुओं में मुख्य यही है। यहाँ की पार्लियामेण्ट की दो सभाएँ हैं। शाह ही यहाँ के प्रधान मंत्री की नियुक्ति करता है, किन्तु प्रधान मंत्री यहाँ की पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

यहाँ की तेल की खानें मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, डच आदि विदेशी कम्पनियों के हाथ में हैं। १६५१ ई० में यहाँ के प्रधान मंत्री डॉ० मुहम्मद मुसादेग ने इन खानों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से विदेशी कम्पनियों का कारोबार बंद कर दिया। इस पर ग्रेट-

ब्रिटेन, अमेरिका आदि ने घोर विरोध किया। इधर खानों के बंद होने से देश में बेकारी बढ़ी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर ग्रेट ब्रिटेन आदि विदेशी शक्तियों ने यहाँ की सरकार को तोड़कर और प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसादेग को तीन वर्ष के लिए कैद कर वे अपने अनुकूल नया शासन कायम करने में समर्थ हुईं।

अफगानिस्तान

स्थिति—पश्चिम पाकिस्तान से पश्चिम; क्षेत्रफल—२,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,२०,००,००० (१९५३); राजधानी—काबुल; मुख्य भाषाएँ—पुश्तु और फारसी; धर्म—इसलाम; सिक्का—अफगानी रुपया; बादशाह—मुहम्मद जहीर शाह (१९३३); प्रधानमंत्री—जेनरल मुहम्मद दाऊद खाँ; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र।

अफगानिस्तान सात बड़े प्रान्तों और चार छोटे प्रान्तों में बँटा है। यहाँ की पार्लिया-मेण्ट के अन्तर्गत बादशाह, सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली है। इनके अतिरिक्त ग्राण्ड एसेम्बली और कौंसिल ऑफ् स्टेट भी है। यहाँ का मुख्य शहर कंधार है, जिसका प्राचीन नाम गांधार था और जिसका उल्लेख महाभारत आदि ग्रंथों में हुआ है। यहाँ का मुख्य सामुद्रिक द्वार पाकिस्तान के अन्तर्गत कराची है। अतः, इस देश के व्यापार और यातायात की कुंजी पाकिस्तान के हाथ में हैं। यह एक मुस्लिम राज्य है। राज्य में अधिकतर सुन्नी मुसलमानों की संख्या है। १९३२ ई० में यहाँ काबुल-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। १९५६ ई० के राजीनामे के अनुसार रूस अफगानिस्तान के नव-निर्माण में सहायता पहुँचा रहा है। १९५८ ई० में रूस के राष्ट्रपति वोरिशोलोव और १९५९ में भारत के प्रधानमंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू सद्भावना-यात्रा पर अफगानिस्तान आये थे।

साइबेरिया, रूसी तुर्किस्तान और कोहकाफ

रूस का अधिकांश भाग एशिया में है। पर इसकी राजधानी यूरोपीय भाग के अन्दर होने से यह साधारणतः योरोपीय राष्ट्र ही समझा जाता है। रूस के उपर्युक्त तीनों खंड एशिया के उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। साइबेरिया का क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। लम्बाई-चौड़ाई में यह यूरोप से बड़ा है। यहाँ के मुख्य निवासी स्लाव जाति के लोग हैं। रूसी तुर्किस्तान एशिया के उत्तर-पश्चिम भाग में है। यहाँ के वासी किरगीज, उजबेग और तुर्क जाति के हैं, जो सब-के सब मुसलमान हैं। आरमिनिया की ऊँची जमीन और काकेशस पहाड़ों के बीच की जमीन को कोहकाफ कहते हैं।

चीन-साम्राज्य

चीन (खास)—स्थिति—एशिया का पूर्वी भाग; क्षेत्रफल २२,७९,१३४ वर्गमील; जनसंख्या—६२,१२,२५,००० (१९५६); राजधानी—पीपिंग (पेकिंग); भाषा—चीनी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—चीनी डालर; राष्ट्रपति—लियो साओची (१९५९ से); उपराष्ट्रपति—श्रीमती सनयात सेन; प्रधान मंत्री—चाऊ इन-लाइ; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (सोवियत ढंग का)।

चीन-साम्राज्य के अन्दर चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, सिंक्यांग (चीनी तुर्किस्तान) और तिब्बत हैं। खास चीन के २४ प्रांत हैं। यह कृषिप्रधान देश है, पर अब यहाँ उद्योग-धन्धे भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। २२०० वर्ष पूर्व चीनियों ने मध्य एशिया के तातार लोगों के आक्रमण से बचने के लिए १६०० मील लम्बी एक मजबूत और चौड़ी दीवार बनाई थी। इसकी ऊँचाई लगभग २५ फीट है। यह दीवार अब भी ज्यों-की-त्यों खड़ी है।

यहाँ १९१२ ई० में सनयात सेन के नेतृत्व में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। सन् १९२७ से चांग-काई-शेक यहाँ का वास्तविक शासक रहा। १९४८ में यह राष्ट्रपति भी बना। यहाँ की राष्ट्रीय सरकार के साथ कम्युनिस्टों का कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। अन्त में कम्युनिस्ट विजयी हुए और अक्टूबर १९४९ में यहाँ पीपिंग (पेकिंग) में माओ-त्से-तुंग के अधीन नई कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई। चांग-काई-शेक भाग कर फारमोसा चला गया, जो चीन की मुख्य भूमि से ११० मील पूरब प्रशान्त महासागर के अन्दर चीन का ही एक टापू है। संयुक्त राज्य अमेरिका की छत्र-छाया में वहीं उसकी राष्ट्रीय सरकार कायम हुई। राष्ट्रसंघ में यही चीन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी सुरक्षा-परिषद् में भी स्थायी सदस्य है। फारमोसा के आसपास के छोटे-छोटे द्वीपों को सम्मिलित कर इस द्वीप-समूह का नाम तैवाम रखा गया है। कम्युनिस्ट चीन के राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ की काँगरेस द्वारा ४ वर्षों के लिए होता है। यही वहाँ का मंत्रिमंडल बनाता है और प्रधान मंत्री को भी नियुक्त करता है। माओ-त्से-तुंग के बाद लियो-साओ-चीं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। काँगरेस के सदस्यों की संख्या १२२६ है। ग्रेट-ब्रिटेन, भारत आदि बहुत से राष्ट्रों ने कम्युनिस्ट चीन सरकार को मान्यता दी, पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अब भी मान्यता नहीं दे रहा है और न इसे राष्ट्रसंघ का सदस्य होने देता है।

प्राचीन काल से चीन का भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। पर इधर कुछ वर्षों से सीमा-सम्बन्धी प्रश्न को लेकर दोनों के संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई। १९५५ ई० से ही चीन भारत के उत्तरी सीमा पर के ५७,००० वर्गमील भूमि को अपने नक्शे में दिखा रहा है। १९५९ में यह भारत की उत्तरी सीमा के लोंगजू और लद्दाख क्षेत्र पर चढ़ाई करके कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया है। दिन-दिन तनातनी बढ़ती जा रही है।

मंगोलिया (भीतरी)—यह चीन-साम्राज्य के उत्तरी भाग में है। सम्पूर्ण मंगोलिया दो भागों में बँटा है—उत्तरी मंगोलिया और दक्षिणी मंगोलिया। उत्तरी मंगोलिया, जो बाहरी मंगोलिया भी कहलाता है, अब एक स्वतन्त्र राष्ट्र है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की गई है। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया कम्युनिस्ट चीन के अधीन है। यह तीन प्रान्तों में विभक्त है। यहाँ का क्षेत्रफल १५ लाख वर्गमील और जनसंख्या ६१ लाख है। मई १९४७ में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे स्वशासित गणतन्त्र बनाया। इसकी राजधानी हुहेहोत (क्वीसुई) है।

मंचूरिया—यह चीन-साम्राज्य के उत्तर-पूर्वी कोने पर है। इसका क्षेत्रफल ४,०४,४२८ वर्गमील; जनसंख्या (जेहोल प्रांत-सहित) ४,३२,३३,९५४ (१९४०) है। १९३१ ई०

से १६४५ ई० तक यह जपानियों के हाथ में रहा। १६४५ ई० में ही चीन-जपान-युद्ध के बाद यह पुनः चीन को लौटा दिया गया।

सिक्यांग (चीनी तुर्किस्तान —यह चीन-साम्राज्य के उत्तर-पश्चिम कोने पर है। इसके अन्तर्गत चीनी तुर्किस्तान, कुलजा और कासगरिया हैं। इसका क्षेत्रफल ६,३३,८०२ वर्गमील तथा जनसंख्या ४०,४७,४५० (१६४८) है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। १६३३ में इसे स्व-शासन प्रदान किया गया।

तिब्बत—यह चीन-साम्राज्य का दक्षिणी भाग है। इसकी दक्षिणी सीमा पर पाकिस्तान, भारत, नैपाल, भूटान और बर्मा हैं। इसका क्षेत्रफल ४,७५,००० वर्गमील और जनसंख्या १०,००,००० हैं। यहाँ के निवासी बौद्धधर्मावलम्बी हैं। इसने नाममात्र के विरोध के बाद मई १६५१ की सन्धि के अनुसार साम्यवादी चीन का आधिपत्य स्वीकार किया। दिसम्बर १६५३ में दलाईलामा और पंचनलामा के अर्द्ध धार्मिक शासन में सुधार कर एक साम्यवादी तिब्बतीय स्वशासित सरकार की घोषणा की गई। अप्रैल १६५८ में दोनों लामाओं ने चीनी साम्यवादी सरकार से विधिवत् अपील की कि वह स्व-शासन का अधिकार तीव्र गति से बढ़ावे। किन्तु ऐसा होना तो दूर रहा, उल्टे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के प्रति दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध जब चीनी सैनिकों ने काररवाई की तो दलाईलामा विद्रोह कर बैठा, जिसमें हजारों तिब्बती मारे गये। अन्त में अपने को असमर्थ पाकर १६५६ ई० में उसने भारत की शरण ली। इस पर चीन-सरकार ने पंचनलामा को तिब्बत का शासक बनाया। पीछे तिब्बत की इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में मलाया और आयरलैण्ड ने राष्ट्रसंघ के सामने प्रश्न उठाये।

मंगोलिया (बाहरी)

स्थिति–उत्तर पूर्वी एशिया; **क्षेत्रफल**–६,१४,३५० वर्गमील; **जनसंख्या**–१०,००,००० (१६५६); **राजधानी** – उलान बाटोर, उर्गा; **भाषा**—चीनी; **धर्म**—बौद्ध लामा; **राष्ट्रपति**–जे० साम्बु; **प्रधान मंत्री** – वाई० सेडनबल; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का)।

मंगोलिया बहुत दिनों से चीन के अन्दर था। पीछे इसके दो भाग हुए—दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया और उत्तरी या बाहरी मंगोलिया। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया अब भी चीन के साथ है। १६१५ ई० में उत्तरी या बाहरी मंगोलिया चीन से अलग होकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। १६४५ ई० के रूस-चीन-संधि के अनुसार चीन ने भी उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली है। इसका उत्तरी भाग पहाड़ी भूमि है और दक्षिणी भाग मरुभूमि है, जो गोबी मरुभूमि नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ खेती नाममात्र के लिए होती है। यहाँ की अधिकांश भूमि गोचर है। यहाँ भेड़ और बकरियाँ अधिक पाली जाती हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी भ्रमणशील या अर्द्ध भ्रमणशील जाति के लोग हैं।

कोरिया

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया में मंचूरिया और जापान के बीच; **क्षेत्रफल** - ८५,२६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,१४,००,००० (१६५६); **राजधानी**—सेओल; **भाषा**—कोरियन, चीनी, जापानी; **धर्म**—बौद्ध, ताओइष्ट और कनफ्यूसियस। **सिक्का**—येन।

यह ५०० वर्षों तक चीन के अधीन रहा, परन्तु जापान ने सन् १९१० ई० में इसे अपने अधीन कर लिया। सन् १९४५ ई० में पोट्सडम-सम्मेलन में ३८° अक्षांश रेखा कोरिया पर सोवियत और अमेरिकी आधिपत्य की सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया—उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पीछे दोनों भागों को मिलाने के बराबर प्रयत्न होते रहे, पर इस कार्य में अभी तक सफलता नहीं मिली है।

उत्तर कोरिया (पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक)—स्थिति—एशिया के पूरब जापान सागर और पीत सागर से घिरा; क्षेत्रफल—४६,८१४ वर्गमील; जनसंख्या ८३,७०,०००; राजधानी प्यांगयांग; भाषा—कोरियन, चीनी, जापानी; धर्म—ईसाई, कनफूसियन और बौद्ध; प्रेसिडियम का अध्यक्ष—कीमडुबोंग (१९४८); प्रधान मंत्री-कीम-इल सुंग (१९४८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

मई, १९४५ में ई० कम्यूनिस्टों ने यहाँ पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक नाम से स्थायी सरकार कायम की। जून, १९५० ई० में जब इसने दक्षिणी कोरिया पर चढ़ाई की, तब अमेरिकी सेना ने आकर इसका सामना किया। राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर मामला शान्त हुआ। जुलाई, १९५३ ई० में युद्ध-विराम-संधि हुई, जिसमें कोरिया के संबंध में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन करने का विचार हुआ। परन्तु यह सम्मेलन नहीं हो सका।

दक्षिण कोरिया (रिपब्लिक ऑफ् कोरिया)—स्थिति—पूर्वी एशिया में पीत सागर और जापान सागर से घिरा; क्षेत्रफल—३८,४५२ वर्गमील; जनसंख्या—२,२२,५०,०००; भाषा—कोरियन, चीनी; धर्म-ईसाई; राष्ट्रपति—डॉ० सिंगमैनरी (१९५६ से); उप-राष्ट्रपति—डॉ० चांगम्योन; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

इसका निर्माण सन् १९४८ ई० में हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ का राष्ट्रपति सार्वजनिक मत से चुना जाता है और वही मंत्रिमंडल कायम करता है।

जापान

स्थिति—एशिया महादेश के पूरब; क्षेत्रफल—१,४२,६४४ वर्गमील; जन-संख्या—९,०९,००,००० (१९५७); राजधानी—टोकियो; भाषा—जापानी; धर्म—बौद्ध और सिन्तो; सिक्का—येन; सम्राट्—हिरोहितो (१९२८); प्रधान मंत्री—नोबुसुके किशि (१९५८); शासन-स्वरूप—वंशपरम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

इसमें चार मुख्य द्वीपों—होन्सु (मुख्य भू-खंड), होकाइडो, क्यूसू, और सिकोकू के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे द्वीप सम्मलित हैं। इन सबकी लम्बाई १२०० मील और चौड़ाई २०० मील है। यहाँ का अधिकांश भाग पर्वतों से ढका है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यह अपने ढंग के उद्योग-धन्धों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। द्वितीय महासमर में यह निरन्तर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की सीमा तक चला आया था, किन्तु एकाएक संयुक्त-राज्य अमेरिका के हिरोशिमा पर एटम बम गिराने से इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब से यह अमेरिका के वश में ही रहा। सितम्बर, १९५१ ई० में संयुक्त-राज्य अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन आदि ४८ राष्ट्रों ने जापान के साथ सानफ्रांसिस्को में एक शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार जापान को स्वतन्त्र माना गया। भारत ने

इसके साथ अलग संधि की। रूस के साथ इसकी सन् १९५६ ई० में संधि हुई, जिसके अनुसार रूस ने हावोमाई और सिकोतन टापू लौटा देने, राष्ट्रसंघ में उसकी सदस्यता का समर्थन करने तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। राजा यहाँ का केवल नाममात्र का प्रधान है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं।

तैवान (फारमोसा)

स्थिति—चीन का दक्षिण-पूर्व किनारा; क्षेत्रफल—१४,५८९ वर्गमील; जनसंख्या—९८,७०,००० (१९५६); राजधानी—ताइपी; राष्ट्रपति—जेनरलिसिमो च्यांग-काइ-शेक; **प्रधान मंत्री**—ओ० के० यूई।

विशेष विवरण के लिए देखें चीन।

फ्रांसीसी हिन्दचीन (इंडोचाइना)

यह एशिया के दक्षिण-पूरब भाग में है। ईसा के २१३ वर्ष पूर्व दक्षिण चीन के अनामी लोग यहाँ आ बसे थे। तब से यहाँ चीन का राज्य रहा। १७वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के एशिया में आने पर फ्रांस के व्यापारी इस देश के सम्पर्क में आये। उन लोगों ने एक-एक कर देश के समस्त भू-भाग पर अधिकार कर लिया। सेगाँव इस देश की राजधानी रहा। द्वितीय महासागर के बाद फ्रांसीसियों ने इसे तीन भागों में बाँट दिया—लाओस, कम्बोडिया और वीतनाम। प्रथम दो भागों में वैधानिक राजतंत्र और अन्तिम भाग में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। वीतनाम के तीन भाग किये गये—उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। फ्रांसीसी हिन्द चीन के इन सभी भू-भागों का संबंध फ्रांस से बना रहा। सन् १९४९ ई० की गणना के अनुसार इन समस्त भू-भागों का क्षेत्रफल २,८६,००० वर्गमील और जन-संख्या २,७०,३०,००० थी। उत्तरी वीतनाम के साम्यवादियों ने साम्यवादी चीन-सरकार की सहायता प्राप्त कर मध्य और दक्षिणी वीतनाम पर चढ़ाई कर दी, जिसका फ्रांसीसियों ने सामना किया। अन्त में राष्ट्रसंघ के बीच में पड़ने से सन् १९५४ ई० में युद्ध-विराम-संधि हुई। इस संधि-कमीशन का भारत ही सभापति था। इस संधि के अनुसार वीतनाम के दो खंड कर दिये गये—उत्तरी वीतनाम और दक्षिणी वीतनाम। १७° उत्तर अक्षांश रेखा दोनों के बीच सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार फ्रांसीसी हिन्द-चीन के अब चार भाग हो गये हैं—(१) उत्तर वीतनाम, (२) दक्षिण वीतनाम, (३) लाओस और (४) कम्बोडिया। इन सबके विवरण अलग-अलग दिये जा रहे हैं।

उत्तर वीतनाम

स्थिति—हिन्दचीन के उत्तर-पूरब; क्षेत्रफल—६३,३६० वर्गमील; जन-संख्या—१,२५,००,००० (१९५५); राजधानी-हनोई; भाषा—अनामी, फ्रेंच, कम्बोडियन; **धर्म**—बौद्ध; राष्ट्रपति—होचीमिन्ह; प्रधान मंत्री—फाम-वान-डॉंग; शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

जुलाई, १९५४ की जेनेवा-संधि के अनुसार यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। इसका शासन साम्यवादी ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है।

दक्षिण वीतनाम

स्थिति — हिन्दचीन के दक्षिण-पूरब; क्षेत्रफल—६५,७२६ वर्गमील; जन-संख्या—१,२३,६६,००० (१६५६); राजधानी—साइगोन; भाषा—अनामी, फ्रेंच; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—नगोडीह डीम; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इसके अन्तर्गत अनाम और कोचीन चीन हैं। यहाँ का शासन संयुक्त-राज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। यहाँ प्रेसिडेण्ट मंत्रिमंडल का निर्माण करता है।

लाओस

स्थिति—हिन्दचीन का मध्य एवं उत्तर-पश्चिम का भाग; क्षेत्रफल—८६,००० वर्गमील; जनसंख्या—३०,००,००० (१६५६); राजधानी—वियनटियाने; भाषा—थाई, इंडोनेशियन और चीन; धर्म—बौद्ध; राजा—सवंग वथाना; प्रधान मंत्री—कोउ अभया (१६६० से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

राजा ही यहाँ का धर्मगुरु होता है। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है।

कम्बोडिया

स्थिति - हिन्दचीन के दक्षिण-पश्चिम; क्षेत्रफल—८८,७८० वर्गमील; जन-संख्या—५०,००,००० (१६५७); राजधानी—नोमपेन्ह; भाषा—कम्बोडियन या खमेर; धर्म—बौद्ध; शासक—सिंहानोदक (अप्रैल, १६६० से); प्रधानमंत्री—राजकुमार नॉरोडोम सिहानुक (जुलाई, १६५८ ई० से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

खमेर जातियों का यह राज्य प्राचीन भारत में कम्बुज के नाम से प्रसिद्ध था। १६वीं सदी में यह फ्रांसीसियों के संरक्षण में आया और १६४६ में फ्रेंच यूनियन के अन्दर एक एसोसिएट स्टेट हुआ। अन्त में सितम्बर, १६५५ में यह स्वतंत्र घोषित किया गया। तटस्थता की परराष्ट्र-नीति के अनुसार इसने चीन और सोवियत संघ से आर्थिक संधि की है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ का प्रधान मंत्री दिसम्बर, १६५६ ई० में सद्भावना-यात्रा में भारत आया था।

थाइलैण्ड (स्याम)

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—२,००,१४८ वर्गमील; जन-संख्या—२,१०,७६,००० (१६५७); राजधानी—बैंकाक; भाषा—थाई; धर्म—बौद्ध; सिक्का—बहत; राजा—भूमिबोल अदुल यादेज; प्रधानमंत्री—सारित थानारात; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् १६४८ ई० में यहाँ की सरकार ने इस देश का नाम स्याम से बदलकर थाइलैण्ड रखा है। यहाँ की ७० प्रतिशत भूमि जंगलों से ढकी है। देश के ६० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं। चावल के उत्पादन में संसार के अन्दर इसका छठा स्थान है। यहाँ से चावल, टीक की लकड़ी, रबर आदि विदेश भेजे जाते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। सन् १६५८ ई० के आरम्भ में यहाँ थोनोम कित्तिकाचोर्न के प्रधानमंत्रित्व में नई सरकार बनी थी, परन्तु अक्तूबर में ही सैनिक-क्रान्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप इस समय फील्ड मार्शल सारित थानारात शासन-कार्य चला रहा है।

बर्मा

स्थिति—भारत की पूर्वी सीमा पर; क्षेत्रफल—२,६१,७८६ वर्गमील; जन-संख्या २,००,५४,००० (१६५७ ई०); राजधानी—रंगून; भाषा—बर्मी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—बर्मी रुपया; राष्ट्रपति—यू० वीन मौंग (१६५७ से); प्रधान मंत्री—ऊनू; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

यह अनेक छोटे-छोटे राज्यों से बना है। इस समय इसके संवैधानिक प्रान्त सोन, करेन, काचीन, कयाह और चीन के स्पेशल डिवीजन हैं। यह १६१२ ई० से ही ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन ब्रिटेन के प्रभाव में रहा। १८८५ ई० से अप्रैल, १६३७ तक यह ब्रिटिश भारत का अङ्ग था। ४ जनवरी, १६४८ को यह ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक गणतन्त्र राज्य हो गया। अब यह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य नहीं है। गृह-विद्रोह के बाद १६५६ ई० में यहाँ जो नया चुनाव हुआ, उसमें उसी दल की विजय हुई, जो १६४८ से ही शासन चला रहा था। उसी साल चीनी प्रधान मंत्री चाउ-एन लाई यहाँ आये। सितम्बर, १६५८ ई० में यहाँ के प्रधानमंत्री ऊनू ने त्याग-पत्र देकर कमाण्डर-इन-चीफ जेनरल नेवीन को प्रधान मंत्री होने के लिए आमंत्रित किया।

मलाया

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—५०,६६० वर्गमील; जन-संख्या—६२,७६ ६१५ (१६५७); राजधानी—कुआलालुंपुर; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य।

यह ११ राज्यों का एक संघ है, जिसमें पेनांग और मलक्का भी हैं। यह अगस्त, १६५७ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक सीमित संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य बनाया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर ग्रेटब्रिटेन को छोड़ यही एक राजतन्त्रात्मक राज्य है। संसार का एक तिहाई टीन यहाँ के पेराक स्थान में मिलता है। यहाँ की पार्लमेंट की दो सभाएँ हैं। यहाँ का प्रधान शासक उक्त ११ विभिन्न राज्यों के शासकों द्वारा ५ वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ का प्रथम निर्वाचित संवैधानिक राजा टेंकू अब्दुल रहमान, जो पीछे प्रधान मन्त्री भी बन गया था, १६६० के १ अप्रैल को दिवंगत हुआ।

सिंगापुर

स्थिति—दक्षिण एशिया में मलाया के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२६१ वर्गमील; जन-संख्या—१४,६७,०००; राजधानी—सिंगापुर; भाषा—चीनी, मलायन; धर्म—बौद्ध; गवर्नर—सर विलियम गूडे; प्रधानमंत्री—ली-कुआन-यू (जून, १६५६ से); शासन-स्वरूप—ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त शासन।

१६४६ ई० में स्ट्रेट सेटलमेण्ट का उपनिवेश तोड़कर पेनांग और मलक्का को मलाया में तथा लेबुआन को ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो में मिला दिया गया। शेषांश सिंगापुर-उपनिवेश के नाम से कायम हुआ।

यह मलाया से जाहोर जलडमरूमध्य द्वारा पृथक् होता है। यह २७ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा है। रबर यहाँ की मुख्य उपज है। इसका महत्त्व व्यापारिक दृष्टि

से अधिक है। प्रशान्त और हिन्द महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण यह पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्गों का केन्द्र है। १४० वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद ३ जून, १९५९ को इसे ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त शासन प्राप्त हुआ।

इण्डोनेशिया

स्थिति—एशिया महादेश का पूर्वी द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—७,३५,८६५ वर्गमील; जन-संख्या—८,५५,००,००० (१९५७); राजधानी—जकार्ता; भाषा—बहासा इण्डोनेशिया; धर्म—मुस्लिम; राष्ट्रपति—डा० सुकारनो (१९४९ से); जुलाई, १९५९ से प्रधानमंत्री भी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

संयुक्तराज्य इंडोनेशिया का बाजाप्ता उद्घाटन १ जनवरी, १९५० को किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप-समूह है। इसमें करीब ३००० छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें पूर्वी द्वीप-समूह (ईस्ट इंडीज) के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबिज और बाली आदि मुख्य हैं। यहाँ मुस्लिम जाति के लोग अधिक हैं। देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि में संलग्न है। यह अपने प्राकृतिक साधनों के लिए दुनिया के धनी देशों में एक है। १९४२ ई० तक यह नेदरलैण्ड का एक उपनिवेश था, परन्तु १९४५ ई० में इसने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। ४ वर्षों के संघर्ष के बाद नेदरलैंड ने १९ दिसम्बर, १९४९ ई० को इसे पूर्ण स्वतंत्र कर दिया। १९५६ ई० के चुनाव में नेशनलिस्ट पार्टी के नेता डॉ० शास्त्रोमिजोजो प्रधान मंत्री बनाये गये। ये पहले १९५३—५५ में भी प्रधानमंत्री थे। सरकारी वित्तीय नीति एवं प्रतिनिधित्व से असन्तुष्ट होकर सुमात्रा और आस-पास के द्वीपों के विक्षुब्ध दल के लोगों ने विद्रोह मचा दिया, जिसके परिणामस्वरूप डॉ० शास्त्रमिजोजो को अप्रैल, १९५७ में त्याग-पत्र देना पड़ा और उनके स्थान पर डॉ० एच्० जुएन्दा प्रधान मन्त्री बनाये गये तथा एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति भी संगठित की गई। किन्तु जुलाई, १९५९ में राष्ट्रपति डॉ० सुकारनो ने संविधान-परिषद् को तोड़कर १९४५ के क्रान्तिकारी संविधान को लागू किया है, जिसके अनुसार उसे वास्तव में अधिनायक का अधिकार मिल गया है। डॉ० जुएन्दा को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर स्वयं राष्ट्रपति होने के साथ ही प्रधान मंत्री भी बन गया है और डा० जुएन्दा को सेना-मन्त्री और सेनाध्यक्ष बना दिया है।

फिलिपाइन्स

स्थिति—एशिया के दक्षिण-पूरब प्रशान्त महासागर का एक द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—१,१५,६०० वर्गमील; जन-संख्या—२,३०,००,००० (१९५८); राजधानी—मनिला (क्वेजोनसिटी); भाषा—टागालॉग (एक मलायन बोली); अँगरेजी और स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—कारलोस पी गारसिया (१९५७ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

इसका समुद्र-तट १४, ४०७ मील है। इसमें करीब ७,१०० द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें लुजोन, मिनडानाओ, सामार, नेग्रो, पालवान, मिनडोरा, मनिला, पानाय, बॉहोल, लेटे और मासवाटे मुख्य हैं। इस द्वीप-समूह की करीब ६३ प्रतिशत भूमि खेती योग्य है। कृषि यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या करीब १० है।

इस देश में खानें अधिक हैं, पर अर्थाभाव के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। **१५६५ ई०** में इस देश को स्पेनवालों ने जीता। स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद १८९८ ई० में यह संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथ में आया। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४२ से ४५ तक यह जापान के अधिकार में रहा। ४ जुलाई, १९४६ ई० को यह संयुक्त-राज्य अमेरिका के पंजे से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है।

पाकिस्तान

स्थिति— भारत के पूरब और पश्चिम भाग में; क्षेत्रफल ३,६४,७३७ वर्गमील, (पूर्वी पाकिस्तान ५४,५०१ वर्गमील और पश्चिम पाकिस्तान ३,१०,२३६ वर्गमील); **जन-संख्या**—८,४७,७७,००० (१९५१) (पूर्वी पाकिस्तान ४,१९,३२,००० और पश्चिमी पाकिस्तान ३,३७,०३,०००); राजधानी—कराची और रावलपिंडी; भाषा—उर्दू, अँगरेजी, बँगला; धर्म—इस्लाम, सिक्का—पाकिस्तानी रुपया; राष्ट्रपति—जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ; **शासन-स्वरूप**— अधिनायक-तन्त्र।

इस नये मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण १४ अगस्त, १९४७ ई० को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। यह संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। यह दो भागों में विभक्त है—पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर भारत के पुराने प्रान्त बेलुचिस्तान, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पश्चिम पंजाब, भावलपुर की रियासत तथा अन्य कई छोटी-छोटी मुस्लिम रियासतें हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और आसाम का सिलहट जिला है। पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्रफल समस्त पाकिस्तान का १६ प्रतिशत भाग है, किन्तु यहाँ की जनसंख्या समस्त पाकिस्तान की जनसंख्या के आधे से भी अधिक है। पाकिस्तान के दोनों भागों में भारत के अन्य प्रान्तों के बहुत-से मुस्लिम निवासी जा बसे हैं तथा वहाँ से बहुत-से हिन्दू भारत आ गये हैं। यह मुख्यतः कृषि-प्रधान देश है। पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूँ की तथा पूर्वी पाकिस्तान में चावल, जूट और चाय की उपज होती है। यहाँ उद्योग-धन्धों तथा प्राकृतिक साधनों की बहुत कमी है। ७ अक्तूबर, १९५८ ई० से यहाँ सैनिक-शासन चल रहा है। तत्काल यहाँ का राष्ट्रपति ही एक परामर्शदात्री मंडल की सहायता से सब प्रकार का वैधानिक और शासन-सम्बन्धी काम करता है।

भारत

स्थिति—एशिया महादेश के दक्षिण; क्षेत्रफल—१२,५९,९५१ वर्गमील; **जन-संख्या**—अनुमानतः ३९,७५,००,००० (१९५८); राजधानी—दिल्ली; भाषा हिन्दी; **धर्म**—हिन्दू, इस्लाम; सिक्का—रुपया; राष्ट्रपति—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद; उपराष्ट्रपति—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्; प्रधान मन्त्री—श्रीजवाहरलाल नेहरू।

भारत के सम्बन्ध में विशेष विवरण आगे के खंडों में दिये गये हैं।

नेपाल

स्थिति—हिमालय और भारत के बीच; क्षेत्रफल—५४,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—८४,३१,५४७ (१९५४); राजधानी—काठमाण्डू; भाषा—नेपाली; धर्म—हिन्दू; सिक्का—

नैपाली रुपया; राजा—महेन्द्र वीर विक्रम शाह देव (१६५५ से); प्रधानमंत्री—विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला (१६५६ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

इसकी लम्बाई ५०० मील और चौड़ाई करीब १५० मील है। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट एवरेस्ट यहीं है। यहाँ के निवासी गुरखा, मागर, गुरूंग, भुटिया और नेवार जाति के लोग हैं। पहले यह देश विभिन्न पहाड़ी जातियों की छोटी-छोटी रियासतों में बँटा था। १७६६ ई० में यहाँ गुरखों का बल बढ़ा। समस्त देश के लिए यहाँ एक राज-परिवार और राणाओं का एक मंत्री-परिवार हुआ। राजा और मन्त्री दोनों वंश-परम्परागत होते रहे। राजा नाम-मात्र का शासक था। शासन का सारा काम मंत्री-परिवार के लोग करते रहे। राजा पाँच-सरकार और मंत्री तीन-सरकार कहलाते थे। १६५० के विद्रोह के बाद वंश-परम्परागत मंत्री-परिवार का शासन समाप्त किया गया। उस समय महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह गद्दी पर थे। नवम्बर, १६५१ में यहाँ नैपाली काँगरेस पार्टी के नेता मातृका प्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्रित्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल कायम किया गया। पीछे मनोनीत सदस्यों की एक-एक पार्लमेण्ट भी बनाई गई। उसके बाद क्रमशः विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद और के० आई० सिंह प्रधानमंत्री हुए। मार्च १६५५ में महाराज त्रिभुवन वीर विक्रम की मृत्यु हुई। तत्पश्चात् उनका लड़का राजगद्दी पर बैठा। सन् १६५६ में देश का संविधान बना। सर्वप्रथम निर्वाचित पार्लमेंट की दो सभाएँ—प्रतिनिधि-सभा और महासभा बनीं, जिनके क्रमशः १०६ और ३६ सदस्य हैं। बहुमत दल नैपाली काँगरेस पार्टी के नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्रित्व में एक मंत्रिमंडल कायम किया गया। भारत के हिन्दू पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए काठमांडू जाते हैं।

भूटान

स्थिति—हिमालय के पूर्वी ढाल पर सिक्कम, बंगाल और आसाम से घिरा; क्षेत्रफल—१,८०,०० वर्गमील; जन-संख्या—७,००,०००; राजधानी—पुनखा; भाषा—भूटानी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—भारतीय रुपया; शासक—महाराजा जिग्मेडोरजी वांगचुक; शासन-स्वरूप—राजतन्त्र।

यह एक अर्द्ध-स्वतन्त्र राष्ट्र है और संधि के अनुसार भारत से सम्बद्ध है। भारत इसे प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान देता है और इसकी सुरक्षा एवं परराष्ट्र-नीति का भार ग्रहण करता है। नई संधि ८ अगस्त, १६४६ को हुई थी। भूटान में भारत-सरकार का एक राजनीतिक अफसर रहता है।

लंका (सिलोन)

स्थिति—भारत के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२५,३३२ वर्गमील; जन-संख्या—६१,६५,००० (१६५७); राजधानी—कोलम्बो; भाषा—सिंहली; धर्म—बौद्ध; सिक्का—सिलोनी रुपया; गवर्नर जेनरल—सर अलिवर गुणतिलक; प्रधानमंत्री—डडले सेनानायक (मार्च, १६६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

यहाँ के लगभग ८४ लाख व्यक्तियों में ४७½ लाख, अर्थात् आधे से कुछ अधिक सिंहली और शेष दक्षिण-भारतीय, मिश्रित जातियाँ और यूरोपवासी हैं। यहाँ चाय,

रबर और नारियल की खेती बहुत अधिक होती है। खाद्यान्न अधिकतर बाहर से मँगाया जाता है। प्राचीन काल में भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था। कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी सिंहली उन्हीं के वंशज हैं। इस द्वीप को पहले सिंहल द्वीप भी कहते थे। १६वीं सदी में यहाँ पुर्त्तगीज और १७वीं सदी में डच लोगों ने इसके समुद्र-तट के कुछ भागों पर अधिकार किया था। १७८६ में यह अँगरेजों के हाथ में आया। उस समय यह बम्बई प्रेसिडेन्सी में मिलाया गया था। १८०२ ई० में यह एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाया गया। १६४८ ई० की ४ फरवरी को राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत रक्षा और परराष्ट्र-नीति को छोड़कर शेष सभी विषयों में इसने उत्तरदायित्वपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त किया। अप्रैल, १६५६ ई० के चुनाव में सर जॉन कोटलेवाला की युनाइटेड नेशनल पार्टी की हार हुई और सॉलेमेन भंडारनायक की पार्टी, विपुल्स युनाइटेड फ्रौंट, की जीत हुई। प्रधान मंत्री के पदभार ग्रहण करने पर भण्डारनायक ने घोषित किया कि वह परराष्ट्र-नीति में तटस्थता के पक्ष में है तथा बैंक, बीमा यातायात और चाय आदि बागान के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। गणतंत्र का संविधान स्वीकृत होने पर भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की इच्छा इसने प्रकट की। जुलाई, १६५६ में यहाँ गणतंत्र घोषित किया गया।

यहाँ के दस प्रतिशत निवासी तामिल हैं। भारतीय मूल के इन निवासियों की नागरिकता के प्रश्न पर १६५३-५४ से ही तनातनी चली आ रही थी। १६५६ ई० में तमिल भाषा को एक सरकारी भाषा के पद से हटा देने पर बात और भी बढ़ गई। १६५७ के दिसम्बर में यहाँ के प्रधानमंत्री भण्डारनायक और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू के बीच इस प्रश्न पर विचार हुआ। सितम्बर, १६५६ ई० में एक विद्रोही युवक ने ने प्रधानमंत्री भण्डारनायक की हत्या कर दी। इसके बाद विजयानन्द दहनायक प्रधानमंत्री बनाये गये। यहाँ की पार्लमेण्ट में सिनेट के ३० सदस्य और प्रतिनिधि सभा के १०१ सदस्य हैं। दिसम्बर, १६५६ में यहाँ की पार्लमेण्ट भंग कर दी गई।

मालडिव

स्थिति—भारतीय महासागर का द्वीपपुंज; क्षेत्रफल—११५ वर्गमील; जन-संख्या ८१,६५० (१६५६); राजधानी—माले; धर्म—इस्लाम; सुलतान—अल अमीर मुहम्मद फरीद डीडी; प्रधान मंत्री—इब्राहिम नसीर; शासन-स्वरूप—राजतंत्र।

भारतीय महासागर में लंका से ४०० मील दक्षिण-पश्चिम यह १२ छोटे-छोटे द्वीपों का पुंज है। यहाँ के निवासी मुसलमान हैं। यहाँ नारियल, सुपारी आदि फल बहुत होते हैं। मछली पकड़ना और उसे तैयार कर बाहर भेजना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। शासन-कार्य के लिए पहले यह लंका के अधीन था। यह १८८७ ई० से ही एक ब्रिटिश-रक्षित राज्य है। ब्रिटिश-संरक्षण में ही १६५३ में यहाँ गणतंत्र की घोषणा की गई, किन्तु एक वर्ष बाद ही यहाँ फिर राजतंत्र हो गया और यहाँ की एसेम्बली ने अल अमीर मुहम्मद फरीद डीडी को यहाँ का सुलतान बनाया। लंका का हवाई अड्डा छोड़ देने पर १६५७ में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के गान-द्वीप में अपना हवाई अड्डा बनाया है।

यूरोप

प्राचीनकाल में एशिया महादेश सभ्यता और संस्कृति में सभी महादेशों से आगे बढ़ा हुआ था, परन्तु इधर तीन-चार सौ वर्षों में उसका पतन हुआ है और उसके प्रतिकूल यूरोप ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय सबमें बहुत उन्नति कर गया है। सौ-दो सौ वर्षों के अन्दर उसने पृथ्वी के सभी महादेशों के लगभग सभी देशों पर अपना अधिकार या धाक जमा ली। हाँ, एशिया अब उसके प्रभुत्व से छुटकारा पा रहा है और अफ्रिका का कुछ अंश भी छुटकारा पाने की कोशिश में है। पर अन्य महादेशों को तो वह सदा के लिए ले बैठा। यूरोप एक छोटा महादेश है। यदि उसका रूस का भाग अलग कर दिया जाय, तो वह लगभग भारत के बराबर हो जायगा। रूस को छोड़कर उसकी जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या से कुछ ही अधिक ४१,१०,००,००० है। यह महादेश तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—(१) उत्तर-पश्चिम का पहाड़ी भाग, (२) बीच की समतल भूमि, और (३) दक्षिण की पहाड़ी भूमि। इसका समुद्र-तट २३ हजार मील है। यहाँ के निवासी इण्डो-यूरोपियन वंश के कहे जाते हैं। धर्म के हिसाब से यहाँ के प्रायः सभी लोग ईसाई हैं। हाँ, एक करोड़ यहूदी भी होंगे। कुछ मुसलमान भी यहाँ हैं। यूरोप के इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेलजियम, पुर्त्तगाल, स्पेन, हालैंड आदि देशों ने संसार के विभिन्न भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यूनान और रोम इसके प्राचीन सभ्य देश हैं।

ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम भाग में; **ग्रेटब्रिटेन का क्षेत्रफल**—८९,०४१ वर्गमील और उत्तरी आयरलैण्ड का ५,२३८ वर्गमील; **ग्रेटब्रिटेन की जन-संख्या**—५,१२,२१,००० और **उत्तरी आयरलैण्ड की जन-संख्या**—१३,७०,९३३ (१९५१); **राजधानी**—लंडन; **राजभाषा**—अँगरेजी; **जनभाषा**—अँगरेजी, स्कॉचवेल्स और आयरिश; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—पौंड स्टर्लिन; **रानी**—एलिजाबेथ द्वितीय (१९५२ से); **प्रधान मंत्री**—हेराल्ड मैकमिलन (१९५५); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

ग्रेटब्रिटेन के अन्तर्गत इंगलैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड तथा ऑइल्स ऑफ् मैन और चैनेल द्वीप-पुंज हैं। उत्तरी आयरलैण्ड को मिलाकर सभी ब्रिटिश-द्वीपपुंज कहलाते हैं। पहले समस्त आयरलैण्ड ब्रिटिश-द्वीपपुंज के अन्दर माना जाता था और वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, किन्तु १९४९ ई० से दक्षिणी आयरलैण्ड पूर्ण स्वतंत्र हो गया है और केवल उत्तरी आयरलैण्ड ब्रिटिश शासन के अधीन रह गया है। ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड की वैधानिक सत्ता ब्रिटिश पार्लमेण्ट के अधीन है, जिसकी दो सभाएँ हैं—हाउस ऑफ् लार्ड्स (लार्ड् सभा) और हाउस ऑफ् कॉमन्स (साधारण सभा)। पहली सभा के ८४० सदस्य हैं, जो प्रायः आजीवन सदस्य बने रहते हैं। दूसरी सभा के ६३० निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ५ वर्षों के लिए होता है। उत्तरी आयरलैण्ड की भी अपनी पार्लमेण्ट है, किन्तु ब्रिटिश हाउस ऑफ् कॉमन्स में भी इसके १२ प्रतिनिधि रहते हैं। यहाँ के मुख्यत: राजनीतिक दल कंजरवेटिव, लेबर

और लिबरल हैं। अक्टूबर, १९५९ के साधारण निर्वाचन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अन्दर कंजरवेटिव पार्टी और उसके सहायक ३६६, लेबरपार्टीवाले २५८ और लिबरल पार्टीवाले ६ निर्वाचित हुए हैं।

एक दिन ब्रिटेन का साम्राज्य संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और वह सभी महादेशों में फैला हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कभी ब्रिटिश साम्राज्य के ही अन्तर्गत था। कहा जाता था कि सूर्य ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं डूबता। किन्तु घटते-घटते भी इस साम्राज्य का क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रिका, घाना, मलाया और सिंगापुर, जिनके विवरण अलग दिये गये हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के ही अन्तर्गत हैं, यद्यपि भीतरी मामलों में ये सभी स्वतन्त्र हैं। मिस्र, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और लंका भी पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर थे। ये सब द्वितीय महासमर के बाद स्वतन्त्र हुए हैं। अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अतलांतिक द्वीपपुंज, वेस्ट इंडीज, प्रशान्त द्वीपपुंज, और भूमध्यसागर में इसका साम्राज्य कहाँ-कहाँ है, यह नीचे दिया जाता है—

अफ्रिका में—(१) **केनिया**—क्षेत्रफल—२,२४,९६० वर्गमील और जन-संख्या—५९,४७,००० (१९५४); राजधानी—नैरोबी; निवासी—अधिकतर अफ्रिकी (२) **उगान्डा**— रक्षित राज्य; क्षेत्रफल—९३,९८१ वर्गमील और जन-संख्या ४९,५८,५२० (१९४८)। (३) **टैंगनिका**— आदिष्ट राज्य; क्षेत्रफल—३,६०,००० वर्गमील और जन-संख्या—५४,१७,५९४ (१९४३); राजधानी— दारेसलम। (४) **जंजीबार**— क्षेत्रफल—१,०२० वर्गमील और जन-संख्या - २,६५,८७२ (१९४८); निवासी— अधिकतर अफ्रिकी। (५) **फेडरेशन ऑफ् रोडेशिया ऐण्ड न्यासालैंड**— क्षेत्रफल— ४,८६,६७३ वर्गमील और जन-संख्या—६८ लाख (१९५५, जिसमें २½ लाख यूरोपियन। गवर्नर जेनरल का **निर्वाचन**—ब्रिटेन के राजा या रानी द्वारा; राजधानी—सेलेसबरी। (६) **नाइजीरिया**—रक्षित राज्य; क्षेत्रफल—३,७२,६७४ वर्गमील और जन-संख्या—२ करोड़, १८ लाख (१९४८)। (७) **कैमेरून**—ट्रस्टी के अधीन; क्षेत्रफल – ३४,०८१ वर्गमील और जन-संख्या ९,९१,००० (१९४७)। (८) **ब्रिटिश गैम्बिया**—क्षेत्रफल—४,१०१ वर्गमील और जन-संख्या—२७ २९७ (१९५१); राजधानी बैथर्स्ट। (९) **ब्रिटिश सिरालेओन**— क्षेत्रफल— २७,९२५ वर्गमील और जन-संख्या—२०,०५,००० (१९५१; राजधानी— फ्रीटाउन। (१०) **बैसुटौलैण्ड** – क्षेत्रफल—११,७१६ वर्गमील और जनसंख्या-६,०१,००० (१९४६)। (११) **बेचुआनालैण्ड**—क्षेत्रफल—२,७५,००० वर्गमील और जनसंख्या—२,८४,१२९ (१९४६)। (१२) **स्वाजीलैण्ड**—क्षेत्रफल–६,७०५ वर्गमील और जनसंख्या—१,७५,२१० (१९४८); राजधानी—मलावेन।

दक्षिण अमेरिका—(१) **ब्रिटिश गायना**— क्षेत्रफल—८३,००० वर्गमील और जन-संख्या—४,५०,०००; निवासी—अधिकतर रेड इंडियन; राजधानी—जॉर्ज टाउन।

अतलान्तिक द्वीपपुंज—(१) **बरमुडा**— न्यूयार्क से ६७७ मील दक्षिण-पूरब; ३६० छोटे-छोटे द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल—२१ वर्गमील और जनसंख्या ३४,९६५ (१९४६); अमेरिका और ब्रिटेन का सामूहिक अड्डा। (२) **फॉकलैण्ड द्वीपपुंज और उनके आश्रित**

स्थान—दक्षिण अतलान्तिक का उपनिवेश; क्षेत्रफल—५,६१८ वर्गमील और जन-संख्या—२,६३३ (१६४७)। (३) न्यूफाउण्डलैंड और लैब्रेडर—क्षेत्रफल-४२,७३४ वर्गमील और जन-संख्या—३,२१,१७१ (१६४५); राजधानी—सेंट जोन्स। (४) ब्रिटिश हाण्डुरस—कैरिबियन समुद्र का उपनिवेश, क्षेत्रफल—८,८६७ वर्गमील और जन-संख्या—६१,४०३ (१६४७), राजधानी-बेलिजा।

पश्चिमी द्वीपपुंज (वेस्ट इंडीज)—ऐण्टिगुआ, बरबाडो, डोमिनिका, ग्रेनाडा, जमैका, मौण्टसरेट, सेण्टक्रिस्टोफर, नेविस और ऐंग्विला, सेण्टलुसिया, सेण्टविन्सेण्ट तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो। १६५६ में इन सबको एक संघ-राज्य कायम। मई १६५७ में इसका प्रथम गवर्नर-जेनरल लॉर्ड मेल्स।

(१) बहमा द्वीप-समूह—क्षेत्रफल—४४०४ वर्गमील और जनसंख्या ६६,६६१; निवासी—८५ प्रतिशत अश्वेतांग। (२) बड़बाडो द्वीप-पुंज—क्षेत्रफल-१६६ वर्गमील और जनसंख्या—१,६६,०१२। (३) जमैका—क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जन-संख्या—१२,३७,०६३; जिसमें श्वेतांग १४,७०३, अश्वेतांग २,१६,२५०; राजधानी—किंग्सटन। (४) लीवार्ड द्वीप-पुंज—क्षेत्रफल-४२३ वर्गमील और जन-संख्या १,०८,७४७ (१६४६)। (५) ट्रिनिडाड—क्षेत्रफल—१,८६४ वर्गमील और जन-संख्या—५,५७,६७० (१६४६)। (६) विण्डवार्ड द्वीपपुंज—इसके अन्तर्गत ग्रेनाडा, सेण्ट विण्सेंट, ग्रेनाडाइन्स, सेण्ट लूसिया और डोमिनिकन द्वीप हैं। सबका शासन एक गवर्नर के अधीन है।

प्रशान्त द्वीपपुंज—(१) फीजी—लगभग ३२२ द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल ७,०८३ वर्गमील; जन-संख्या-२,६६,२७४ (१६४७), जिसमें ४,५६४ यूरोपीय, १,१८,०८३ मूल निवासी और १,२०,४१४ भारतीय; राजधानी—सूवा; शासन के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल। लेजिस्लेटिव कौंसिल में ५ भारतीय सदस्य।

अन्य छोटे-छोटे द्वीप-समूह—गिलबर्ट और ऐलिस द्वीपपुंज-उपनिवेश, सोलोमन द्वीपपुंज—रक्षित राज्य; न्यू हेब्रिड्स, कोण्डोमीनियन, टोंगो द्वीपपुंज, पिटकैर्न द्वीप, स्टारबक द्वीप, माल्डन द्वीप, कैरोलिन और बोस्टॉ-द्वीपपुंज आदि, आदि।

(१) पश्चिम समोआ-क्षेत्रफल ७०० वर्गमील और जन-संख्या ७१,६०५ (१६४७), संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (२) नैरो द्वीप—क्षेत्रफल ५,२६३ वर्गमील और जन-संख्या ३,१६० (१६४८) राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (३) ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो—क्षेत्रफल २६, ३८२ वर्गमील और जन-संख्या २,७०,२३३ (१६३१); निवासी—मुख्यतः मुसलमान और आदिवासी। (४) बरनिये—क्षेत्रफल—२,२२६ वर्गमील और जन-संख्या ४०,६७० (१६४७)। (५) सैरेवक—क्षेत्रफल ४७,००० वर्गमील और जन-संख्या ५,४६,३८१ (१६४७); राजधानी—कुचिंग। (६) हाँकाँग—३२ वर्गमील, दूसरे द्वीपों को मिलाकर क्षेत्र-फल ३६१ वर्गमील; कुल जन-संख्या १७,५०,००० (१६४८); शासन-कार्य के लिए गवर्नर एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल; साम्यवादी चीन-सरकार के बाद यहाँ जहाजी बेड़ा और टैंक का प्रबन्ध।

भूमध्यसागर में—(१) साइप्रस—टर्की के दक्षिण; क्षेत्रफल ३,५७२ वर्गमील और जन-संख्या ४,५०,११४ (१६४६); निवासी—मुख्यतः ग्रीक और मुस्लिम; गवर्नर—सर

जॉन हार्डिंग (१६५५); (२) जिब्राल्टर—स्पेन के दक्षिण-पश्चिम भूमध्यसागर और अतलान्तिक सागर के मिलन स्थान पर; १६१३ से ब्रिटिश के अधिकार में। (३) माल्टा—सिसली से दक्षिण; क्षेत्रफल—१२२ वर्गमील और जनसंख्या ३ लाख से अधिक।

आयरलैंड (आइरिश रिपब्लिक)

स्थिति—यूरोप महादेश के ब्रिटेन से पश्चिम अटलांटिक सागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल-२६ ५६६ वर्गमील; जन-संख्या-२८,८५,००० (१६५७); राजधानो-डबलिन; भाषा-आइरिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—आइरिश पौंड; राष्ट्रपति—ईमोन-डी-वेलेरा (जून १६५६ से); प्रधानमंत्री-सीन लेमास (जून १६५६ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की किलार्नी झील बहुत प्रसिद्ध है। इसने अप्रैल १६१६ ई० में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर गणतंत्र की घोषणा की, किन्तु यह असफल रहा। १६१६ ई० में पुनः यहाँ की पार्लमेण्ट ने स्वतंत्रता की माँग की। दिसम्बर सन् १६२१ में ब्रिटेन ने अलस्टर (उत्तरी आयरलैंड) और दक्षिणी आयरलैंड को अधिराज्य-पद प्रदान किया। उत्तरी आयरलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया। दक्षिणी आयरलैंड (आयरिश फ्री स्टेट) अपना अधिकार सम्पूर्ण आयरलैंड पर मानता रहा, किन्तु १६२५ ई० में उत्तरी आयरलैंड ने ब्रिटेन के साथ ही रहना निश्चय किया। दिसम्बर १६३७ ई० के संविधान में दक्षिण आयरलैंड ने पुराना नाम आयरलैंड ही कायम रखा और इसे पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया। अप्रैल, १६४६ से यह इंगलैंड से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहना भी स्वीकार नहीं किया। यह अब भी चाहता है कि अलस्टर हमारे साथ रहे। आयरलैंड की पार्लमेंएट की दो सभाएँ हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ७ वर्षों के लिए होता है।

पुर्त्तगाल

स्थिति-यूरोप के दक्षिण-पश्चिम भाग में; क्षेत्रफल—३५,४६६ वर्गमील; जन-संख्या—८६,०६,००० (१६५७); राजधानी—लिसबन; भाषा-पुर्त्तगाली; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—रेयर-एडमिरल अमेरिको डेउस रोड्रिगुएस टोमाज (१६५८ से); प्रधानमन्त्री—अण्टोनियो डे ओलिभिरा सालाजार; शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

यह देश नदियों द्वारा मुख्यतः तीन प्राकृत भागों में विभक्त है। यह १२वीं शताब्दी से स्वतंत्र रहा है। १६१० ई० में यहाँ राजा मानोएल द्वितीय के विरुद्ध क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप यह गणतंत्र घोषित किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ७ वर्षों के लिए होता है और यही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है।

पुर्त्तगाल के अधिकार में अब भी समुद्र-पार के निम्नलिखित भू-भाग हैं—

१. केप वरेड द्वीप-समूह अफ्रिका के पश्चिमी भाग में इस द्वीप-समूह के अन्दर १५ छोटे-छोटे द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल—१,५५७ वर्गमील और जनसंख्या—१,६६,००० (१६५४) है।

२. पुर्त्तगीज गीनी—यह भू-भाग पश्चिम अफ्रिका में है। इसका क्षेत्रफल—१३,६४८ वर्गमील और जनसंख्या—५,५४,००० (१६५७) है।

३. **सान टामे और प्रिंसिपे द्वीप समूह**— यह अफ्रिका के पश्चिमी किनारे से १२५ मील दूर गीनी की खाड़ी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३७२ वर्गमील और जन-संख्या ५३,००० (१९५४) है।

४. **पुर्त्तगीज पश्चिमी अफ्रिका (अंगोला)**—यह अफ्रिका के पश्चिम में स्थित है और १५७५ ई० से ही पुर्त्तगाल के कब्जे में है। इसका क्षेत्रफल—४,८१,३५१ वर्गमील और जन-संख्या - ४३,५४,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लुएण्डा है।

५. **पुर्त्तगीज पूर्वी अफ्रिका (मोजाम्बिक)**—यह उत्तर में केप-डेलगाडो से लेकर दक्षिण में दक्षिण अफ्रिका-संघ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल—२,९७,७३१ वर्गमील और जन-संख्या ६१,७०,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लोरेन्को मारक्विस है।

६. **पुर्त्तगीज भारत**— यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें गोआ, डामन, ड्यू द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल—१,५३७ वर्गमील और जनसंख्या—६,४७,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी पंजिम है। यहाँ की जनता पुर्त्तगाल के शासन से मुक्त होने के लिए सतत प्रयत्नशील है। यहाँ के आन्दोलनकारियों के प्रति की गई बर्बरता के विरोध में भारत-सरकार ने पुर्त्तगाल के साथ अपना सब सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है।

७. **मकाओ**—चीन के कैनटोन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल—६ वर्गमील है।

८. **पुर्त्तगीज टिमोर**—यह मलाया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल—७,३३० वर्गमील तथा जनसंख्या ४,८४,००० (१९५७) है।

स्पेन

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पश्चिम; **क्षेत्रफल**—१,९५,५०४ वर्गमील; **जन-संख्या**—२,९४,३१,००० (१९५७); **राजधानी**—मैड्रिड; **भाषा**—प्रधानतः स्पेनिश, साथ ही वास्क और कैटेलिन भी; **धर्म**—कैथोलिक; **सिक्का**—पसेटा; **राज्य का प्रधान**—जेनरलिसिमो फ्रैंसिसको फ्रैंको बहामोण्डे (प्रधान-मंत्री और कमाण्डर इन-चीफ); **शासन-स्वरूप**—नाम का राजतंत्र, पर वास्तव में अधिनायकतंत्र।

स्पेन के अन्तर्गत इसकी मुख्य भूमि के अतिरिक्त इसके आस-पास के कुछ द्वीप-समूह भी हैं; जैसे भूमध्यसागर का वेलारिक द्वीप-समूह, उत्तर अतलान्तिक सागर का कनारी द्वीप-समूह तथा जिब्राल्टर के पास के क्यूटा और मेलिला द्वीप। इस देश के मूल निवासी आइवेरियन, वास्क और केल्ट थे। चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में इसकी नाविक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसके निवासियों ने पूर्वी और पश्चिमी संसार के अनेक देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। सुप्रसिद्ध अन्वेषक वास्कोडिगामा यहीं का रहनेवाला था। यहाँ बराबर राजतंत्र रहा है। अब भी नाम मात्र का राजतंत्र है, पर शासन फेलेंज पार्टी के नेता जेनरल फ्रैंसिस फ्रैंको के अधिनायकत्व में चल रहा है। अक्तूबर, १९५३ ई० की संधि के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ के हवाई और नाविक अड्डे व्यवहार में लाने का अधिकार है। फ्रैंको की सहायता के लिए यहाँ पार्लमेण्ट, नेशनल कौंसिल और मंत्रिमंडल हैं। जेनरल फ्रैंको के मरने या असमर्थ होने पर यहाँ की नेशनल कौंसिल और सरकार को अधिकार होगा कि वह पार्लमेण्ट की स्वीकृति से राज-परिवार के किसी योग्यतम

व्यक्ति को राजा बनावे। इस समय इसके उपनिवेश केवल अफ्रिका के अन्तर्गत स्पेनिश गीनी, स्पेनिश सहारा और इफ्नी हैं। इसके अमेरिका आदि के बहुत-से उपनिवेश पहले ही स्वतंत्र हो चुके हैं।

अण्डोरा

स्थिति—फ्रांस और स्पेन के बीच में; **क्षेत्रफल**—१९१ वर्गमील; **जन-संख्या**—६,४३६ (१९५७); **राजधानी**—अण्डोरा; **भाषा**—कटलन; **मुख्य धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—फ्रैंक्स कैरट; **उपराष्ट्रपति**—रौक रसेल; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह ६ गाँवों का राज्य है, जो १२७८ ई० से ही कुछ हद तक स्वतंत्र है। इसका शासन एक कौंसिल जेनरल के द्वारा होता है, जिसमें २४ सदस्य होते हैं। यह फ्रांस और स्पेन के विशॉप को कर देता है। यहाँ १९४१ में सार्वजनिक मताधिकार को समाप्त कर परिवार के मुखिया द्वारा निर्वाचन रखा गया।

मोनाको

स्थिति—यूरोप में फ्रांस के दक्षिण; **क्षेत्रफल**—आधा वर्गमील; **जन-संख्या**—२०,४२२ (१९५६); **राजधानी**—मोण्टे कारलो; **धर्म**—ईसाई; **राजा**—रैनियर तृतीय (१९४९ से); **सिक्का**—फ्रांसीसी फ्रैंक; **राज्यमंत्री**—हेनरी सोउम; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

यह ३०० वर्षों से स्वतंत्र है। यहाँ बहुत से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं।

फ्रांस

स्थिति—यूरोप महादेश का पश्चिमी भाग; **क्षेत्रफल**—२,१२,६५९ वर्गमील; **जन-संख्या**—४,४०,००,००० (१९५७ई०); **राजधानी**—पेरिस; **भाषा**—फ्रेंच; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—फ्रैंक; **राष्ट्रपति**—चार्ल्स दगॉल (१९५९ से); **प्रधानमंत्री**—माइकेल डेब्रे; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह यूरोप का रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। शराब के उत्पादन में यह संसार में अग्रणी रहा है। लोहा और बॉक्साइट की खान के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यहाँ की पार्लमेण्ट में दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ७ वर्षों के लिए होता है। वही प्रधान मंत्री को भी नियुक्त करता है।

फ्रांसीसी साम्राज्य अब भी बहुत बड़ा है। फ्रांसीसी संघ के अन्दर—(१) फ्रांस; (२) सम्बद्ध राज्य—मोरक्को, ट्यूनिसिया और इंडोचाइना (जो हाल में स्वतंत्र हो गये हैं); (३) धरोहर भूभाग—टोंगो और कैमेरून्स; (४) सह अधिराज (ब्रिटिश के साथ) न्यू हेब्रिड्स और (५) कुछ समुद्र-पार के देश हैं। समुद्र पार के देश के अन्दर निम्न-लिखित भू-भाग हैं—

(१) **फ्रांसीसी भूमध्य अफ्रिका**—कैमेरून से बेलजियन [illegible]क। क्षेत्रफल—९,५९,२५६; जन-संख्या-४१,८७,८०८ (यूरोपीय जन-संख्या ७,८०[illegible] [illegible]नी—ब्रेजेविल।

(२) **मडागास्कर** (अफ्रिका के पूरब [illegible])—[illegible]२,३१,२५०; जन-संख्या—४३,६६,५००; राजधानी—तानानारि[illegible]

(३) मायोटे और कॉमोरो द्वीपपुंज (अफ्रीका के पूरब छोटे-छोटे द्वीप)—क्षेत्र-फल—६५० वर्गमील; जन-संख्या १,६८,८६०; राजधानी—जाओजी।

(४) सोमालीलैण्ड (पूर्वी अफ्रीका)—क्षेत्रफल-६०७१; जन-संख्या-६१,६२५।

(५) न्यू कैलेडोनिया (ईस्टइंडीज)।

(६) ओसीनिया (पूर्वी प्रशांत महासागर का एक द्वीप)।

(७) सेण्टपीरे और मिक्वेलोन (न्यूफाउण्डलैण्ड के दक्षिण)।

(८) फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रिका (सेनेगल, फ्रेंच गायना, आइवोरी कोस्ट, डैहोमी, फ्रेंच सूडान, मोरिटेनिया, नाइजर, अपर कोल्टन)—क्षेत्रफल—१८,१५,७६८; जन-संख्या–१,७३,६१,८००।

(९) अलजीरिया—(अफ्रिका के उत्तर-पश्चिम कोने पर)—क्षेत्रफल–८,४७,५००; जन-संख्या—९५,३० ०००; राजधानी—अलजियर्स। यहाँ पर स्वतंत्रता का आन्दोलन जोरों से चल रहा है।

(१०) अन्य ५ छोटे-छोटे स्थान—मार्टिनिक (वेस्टइंडीज;) ग्वाडे लुप (वेस्ट-इंडीज;) गायना (पश्चिमी अफ्रीका); रीयूनियन (मडागास्कर के पूरब); सेण्ट पीरे और मैक्वेलोन (न्यूफाउण्डलैण्ड के दक्षिण लघु द्वीप-पुंज)।

जर्मनी

यह यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। यहाँ की राजधानी बर्लिन थी। विश्व के प्रथम और द्वितीय महासमर (क्रमश: १९१४-१८, और १९३९-४५) में यह अपने नवीन वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्र से संसार को चकित करता रहा। दोनों महायुद्धों में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर भी इसे हार खानी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के बाद दो विजयी राष्ट्रसमूहों ने पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी नाम से इसके दो टुकड़े कर दिये और उन्हें अपने-अपने अधिकार में रखा। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकार में रहा तथा पूर्वी जर्मनी रूस और पोलैण्ड के अधिकार में। १९४९ में दोनों खंडों को रिपब्लिक घोषित कर उन्हें अपना शासनाधिकार प्रदान किया गया। पश्चिमी जर्मनी को जर्मन फेडरल रिपब्लिक और पूर्वी जर्मनी को जर्मन डेमोक्रैटिक रिपब्लिक कहा जाने लगा। १९५५ में दोनों खंडों को अलग-अलग पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया। किन्तु पश्चिमी जर्मनी में सुरक्षा के नाम पर मित्रराष्ट्रों के सैनिक बने ही रहे और पूर्वी जर्मनी भी सोवियत रूस के प्रभाव से बाहर नहीं रहा। दोनों भागों के पुनः एकीकरण की चर्चा भी चलती ही रहती है।

पश्चिमी जर्मनी (जर्मन फेडेरल रिपब्लिक)—क्षेत्रफल—९५,९१८ वर्गमील; जन-संख्या—५,३३,३९,०००; राजधानी—बोन; भाषा—जर्मन; धर्म—ईसाई; सिक्का—ड्यूश मार्क; राष्ट्रपति—हैनरिच लुबके (जु० १९५९ ई०); चांसलर (प्रधानमंत्री)—डॉ० कानराड अडेनार (१९५७ से)।

यहाँ पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ का मंत्रिमंडल साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति चांसलर (प्रधानमंत्री) का चुनाव करता है।

पूर्वी जर्मनी (जर्मन डिमोक्रैटिक रिपब्लिक)—क्षेत्रफल—४१,६४५ वर्गमील; **जनसंख्या**—१,७८,३२,२०० (१६५७ ई०); **राजधानी**—बर्लिन; **भाषा**—जर्मन; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—ड्यूश मार्क; **राष्ट्रपति**-विलहम पीक(१६५७ से); **प्रधान मंत्री**--ग्रोटेवोल ।

यहाँ का शासन सोवियत रूस के ढंग का है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री का चुनाव पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में होता है।

लक्जेम्बर्ग

स्थिति यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से घिरा; **क्षेत्रफल**—६६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,१४,००० (१६५७); **राजधानी**—लक्जेम्बर्ग; **धर्म**--रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—फ्रैंक; **राजा**—ग्रांड डचेज कांरलोट (१६१६ से); **प्रधान मंत्री**—पीरेफीडेन (१६५८ से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

यह केवल ५५ मील लम्बा और ३४ मील चौड़ा भूखंड है। यह १८१५ ई० से १८६७ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन का एक अंग था। दोनों महायुद्धों में जर्मनी द्वारा कुचल दिये जाने के पश्चात् इसने सन् १६४८ में अपनी निःशस्त्रीय तटस्थता रद्द की। यह राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

बेलजियम

स्थिति—उत्तर-पश्चिम यूरोप; **क्षेत्रफल**—११,७७५ वर्गमील; **जन-संख्या**—८६,८६,००० (१६५७); **राजधानी**—ब्रूसेल्स; **माषा**—फ्रेंच और फ्लेमिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—बेलजियन फ्रैंक; **राजा**—बौदोई; **प्रधानमंत्री**—एम० गास्टन इस्केन्स; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतंत्र।

यह यूरोप का एक बहुत घना देश है, जिसमें एक वर्गमील के अन्दर औसतन ७१७·८ व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। १६५२ ई० में यह यूरोपीय रक्षा समुदाय में सम्मिलित हुआ है।

इसका एक उपनिवेश मध्य अफ्रिका में बेलजियन कांगो है। इसके साथ जर्मन पूर्व अफ्रिका के दो जिले रूआण्डा और उरुण्डो भी सम्मिलित कर दिये गये हैं।

नेदरलैंड (हालैंड)

स्थिति--यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिम भाग; **क्षेत्रफल**—१२,८५० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,१०,६५,७२१ (१६५८); **राजधानी**—एम्सटर्डम; **भाषा**—डच; **धर्म**—ईसाई; **सम्राज्ञी**—जुलियाना लुइस मेरी विलहिमना (१६४८); **प्रधानमंत्री**—जान डीक्वे (मई, १६५६ से); **सिक्का**—गिल्डर; **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र।

नेदरलैंड या हालैंड एक ही देश का नाम है, जहाँ के रहनेवाले डच कहलाते हैं। यहाँ के लोग बड़े नाविक हुए, इससे यहाँवालों ने एशिया और अफ्रिका में भी अपना व्यापार और राज्य फैलाया। यहाँ की भूमि का ४० प्रतिशत चरागाह, ३० प्रतिशत कृषि, ७ प्रतिशत जंगल और ३ प्रतिशत बागवानी के योग्य है। यहाँ के उद्योग-धन्धे भी बहुत उन्नतिशील हैं। दूध की बनी चीजें यहाँ से बहुत बाहर जाती हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट

की दो सभाएँ हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर हेग है, जहाँ समय-समय पर अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं।

नेदरलैंड का एशिया के अन्दर का उपनिवेश ईस्ट इंडीज १९४९ ई० में स्वतंत्र किया जाकर इंडोनेशिया में सम्मिलित कर दिया गया। केवल न्यू गीनी डचों के हाथ में रहा है। यह ग्रीनलैंड के बाद संसार का दूसरा बड़ा द्वीप गिना जाता है। इसका क्षेत्रफल ३,१६,८६१ वर्गमील है। यहाँ का शासन गवर्नर के हाथ में है, जिसकी सहायता के लिए एक कौंसिल भी रहती है।

डेनमार्क

स्थिति—यूरोप महादेश में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—१६,५७६ वर्गमील; **जन-संख्या**—४५,००,००० (१९५७); **राजधानी**—कोपेनहेगेन; **भाषा**—डेनिश; **धर्म**—इभाने गलिकल लुदेरन; **सिक्का**—क्रोन; **शासक**—नवम फ्रेडरिक (१९४७ से); **प्रधानमंत्री**—एच्० सी० हैनसेन; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

यह यूरोप का प्राचीनतम राजतंत्रात्मक देश है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी का एक अंग है। यहाँ के सबसे मुख्य निर्यात की वस्तुएँ मक्खन, मांस, फार्म की तैयार की हुई वस्तुएँ आदि हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट में १७९ सदस्य हैं। यहाँ राजा ही मंत्रिमंडल का सभापति होता है। वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। यहाँ १९१५ ई० से ही महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ का विदेशी व्यापार संसार में सबसे बड़ा है।

लिचटेन्सटिन

स्थिति—यूरोप में जर्मनी, स्विटजरलैंड और आस्ट्रिया के बीच; **क्षेत्रफल**—६२ वर्गमील; **जन-संख्या**—१४,७५७ (१९५५); **राजधानी**—वैदुज; **भाषा**—जर्मन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—स्विस फ्रैंक; **राजा**—फ्रांसिस जोसेफ द्वितीय; **सरकार का प्रधान**—अलेक्जैन्डर फ्रिक; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

यह छोटा-सा भू-भाग है। यह १८६६ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन (संप्रधान) का सदस्य था, पर वास्तव में १९१८ ई० तक आस्ट्रिया के अधीन था। उसी साल यह स्वतंत्र घोषित किया गया। १९२० ई० की संधि के अनुसार स्विटजरलैंड इसके परराष्ट्र एवं डाक और तार-सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता है। सिक्का भी यहाँ स्विटजरलैंड का ही चलता है। यहाँ कोई सेना नहीं है, केवल ५० पुलिस हैं।

स्विटजरलैंड

स्थिति—मध्य यूरोप; **क्षेत्रफल**—१५,९४४ वर्गमील; **जनसंख्या**—५१,१७,००० (१९५७); **राजधानी**—बर्न; **भाषा**—स्विस, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन; **धर्म**—प्रोटेस्टेन्ट और रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—स्विस फ्रैंक; **राष्ट्रपति**—मैक्स पेटिट पीरे (१५९०); **उपराष्ट्रपति**—ज्युसेप्पे लियोरी; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह देश २२ प्रान्तों में बँटा है। यूरोप के देशों में यह सबसे अधिक पहाड़ी देश है और अपनी मनोहारी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके २२ प्रांत हैं, जो अपने भीतरी

मामलों में पूरे स्वतंत्र हैं। नमक यहाँ का प्रधान खनिज पदार्थ है। यह घड़ियों के निर्माण में संसार-प्रसिद्ध है। १६४८ ई० में यह रोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ। अन्तराष्ट्रीय संधियों के आधार पर यह सदा के लिए एक तटस्थ राष्ट्र बना दिया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रचलित प्रथानुसार उपराष्ट्रपति ही एक साल के बाद राष्ट्रपति बनाया जाता है। फेडरल कौंसिल के सात सदस्य प्रशासकीय विभागों के प्रधान या मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। प्रसिद्ध अन्तराष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं अन्तराष्ट्रीय पोस्टल संघ का प्रधान कार्यालय इसी देश में क्रमश: जेनेवा और बर्न में स्थित है। जेनेवा में अक्सर बड़े-बड़े राष्ट्रों के शान्ति-सम्मेलन हुआ करते हैं।

आस्ट्रिया

स्थिति—मध्य यूरोप; **क्षेत्रफल**—३२,३६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—७०,००,००० (१६५८ ई०); **राजधानी**—वियना; **भाषा**—जर्मन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—शिलिंग; **राष्ट्रपति**—अडोल्फ स्केर्फ (१६५७ ई०); **चांसलर** (प्रधानमन्त्री)—डॉ० जुलियस रैब; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

१६३८ ई० में आस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो गया था, पीछे इसपर इंगलैंड आदि मित्र-राष्ट्रों का कब्जा हो गया। १७ वर्षों की परतन्त्रता के बाद १५ मई, १६५५ को यह स्वतन्त्र कर दिया गया। इसमें ६ प्रान्त हैं, जिनमें वायना भी सम्मिलित है।

इटली

स्थिति यूरोप महादेश का दक्षिण-पश्चिम भाग; **क्षेत्रफल**—१,१७,४७१ वर्गमील; **जनसंख्या**—४,८३,५३,००० (१६५७); **राजधानी**—रोम; **भाषा**—इटालियन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—लीरा; **राष्ट्रपति**—जिओमानी ग्रोञ्ची (१६५५ से); **प्रधानमन्त्री**—सिगनोर ताम ब्रोनी (मार्च १६६० से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

यह उत्तर में आल्प्स पर्वत से लेकर भूमध्यसागर के अन्दर दक्षिण-पूरब दिशा में बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसमें मुख्य भूखण्ड के अतिरिक्त सिसली, सरडिनिया, एल्बा और ७० अन्य छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। यह दुनिया में मरकरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। गंधक के उत्पादन में भी इसका प्रमुख स्थान है। यहाँ के वर्त्तमान गणतन्त्र की स्थापना १६४६ ई० में हुई थी। यहाँ की पार्लमेंट की दो सभाएँ हैं। दोनों की सम्मिलित बैठक में राष्ट्रपति सात वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, पर वह पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

राष्ट्रसंघ ने १६४६ ई० में पूर्वी अफ्रिका स्थित सोमालीलैंड को इसी की संरक्षकता में में रखा। सोमालीलैंड का क्षेत्रफल १,६४,००० वर्गमील और जनसंख्या १२,५५,००० (१६५२) है।

१६५२ ई० में स्वतन्त्र नगर ट्रिस्टे को इटली के साथ सम्बद्ध कर राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-समिति की देख-रेख में रखा गया है। विशेष विवरण के लिए देखें ट्रिस्टे।

सान मारिनो

स्थिति—यूरोप में इटली के मध्य; क्षेत्रफल—३८ वर्गमील; जन-संख्या—१५,००० (१९५७); राजधानी—सान मारिनो; भाषा—इटालियन; धर्म—ईसाई; कैप्टेन्स रेजेन्ट—(१) फेरुशियो पीवी, (२) ग्यूसेपे फोर्सिलिनी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

इस राज्य की स्थापना चौथी शताब्दी में हुई थी। कृषि और पशुपालन यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ६० सदस्यों की एक ग्रैंड कौंसिल है, जिसके दो सदस्य शासन-प्रबन्ध चलाने के लिए चुने जाते हैं। ये कैप्टेन्स रेजेन्ट कहलाते हैं और इनका कार्यकाल ६ मास रहता है। यहाँ १२ वर्षों तक साम्यवादी सरकार कायम रही, पर १९५७ ई० में इसका अन्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्रिश्चियन डेमोक्रैट अधिकार में आये। १९५८ ई० में यहाँ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इसका अपना सिक्का और पोस्टल स्टाम्प है, किन्तु साधारण व्यवहार में इटली और वैटिकन सिटी के ही सिक्के चलते हैं।

वैटिकन सिटी

स्थिति—इटली की राजधानी रोम के उत्तर-पश्चिम भाग में वैटिकन पहाड़ी पर; क्षेत्रफल—१०८ एकड़; जनसंख्या—१,००० (१९५७); राजधानी—वैटिकन सिटी; भाषा—रोमन; धर्म—ईसाई; प्रधान—पोप तेईसवाँ जोन (१९५८ से); शासन-स्वरूप—एकतन्त्र।

१९२९ ई० में इटली के साथ हुई संधि के अनुसार यह एक स्वतन्त्र राज्य बनाया गया। इसके अपने सिक्के, पोस्ट आफिस, रेडियो और रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ का शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर के हाथ में है। पोप को परामर्श देने के लिए ७० व्यक्तियों की समिति भी है। पोप की मृत्यु होने पर यही दूसरे पोप का निर्वाचन करती है। समिति के सदस्य पोप द्वारा जीवन-भर के लिए चुने जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में यह तटस्थ रहता है।

ट्रिस्टे

फरवरी, १९४७ में यह एक स्वतन्त्र नगर बनाया गया था। १९५३ ई० में इसको लेकर इटली और युगोस्लाविया में तनातनी हो गई। किन्तु राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् ने १९५४ ई० में इसे इटली के साथ सम्बद्ध कर अपनी ही देख-रेख में रखा।

ग्रीस (यूनान)

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; क्षेत्रफल—५१,२४६ वर्गमील; जन-संख्या ८०,५०,००० (१९५७); राजधानी—एथेन्स; भाषा—ग्रीक और तुर्की; धर्म—ग्रीक आर्थोडॉक्स; सिक्का—ड्राकमा; शासक प्रथम किंग पौल (१९४७ से); प्रधानमन्त्री कान्सटेनटिन कैरेमैनलिस (१९५८ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

यह एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी और दलदल भूमि है। यहाँ बहुत-से टापू हैं।

मई १६५८ के चुनाव में नेशनल रेडिकल यूनियन पार्टी की जीत हुई। १६५२ से महिलाओं को भी मत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ २१ से ५० वर्ष की उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। १६५४ ई० में इसने तुर्की और युगोस्लाविया के साथ बीस वर्षीय सैनिक साहाय्य संधि की।

आइसलैण्ड

स्थिति—उत्तरी अटलांटिक में आर्कटिक वृत्त के निकट एक द्वीप; क्षेत्रफल—३६,७५८ वर्गमील; जन-संख्या—१,६६,००० (१६५८); राजधानी रेकजाविक; भाषा—आइसलैंडिक; धर्म—इभान जेलिकल लुदरन; सिक्का—क्रोन; राष्ट्रपति—असगीर असगीरसन (१६५६ से); प्रधानमंत्री—ओलाफर थार्स (१६५६ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

दुनिया के ज्वालामुखीवाले प्रदेशों में इसका स्थान अग्रगण्य है। यहाँ की जमीन ऊँची-नीची तथा बंजर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और उसका निर्यात करना है। यह १६४४ ई० में डेनमार्क से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। आइसलैंड के पास उसकी कोई अपनी सेना नहीं है। परन्तु यह उत्तर अटलांटिक-संधि-संगठन का सदस्य है। १६५१ की संधि के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका इस देश पर अपनी स्थल, वायु और जल सेना रखता है। जून, १६५६ में यहाँ की पार्लमेण्ट का नवीन निर्वाचन हुआ है।

नारवे

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम; क्षेत्रफल—१,२५,०६४ वर्गमील; जन-संख्या—३५,००,००० (१६५७); राजधानी—ओसलो; भाषा—लैंड्समाल; धर्म—इभान जेलिकल लुदरन; सिक्का—क्रोन; राजा—पंचम ओलाव (१६५७); प्रधानमंत्री—इनर गेरहार्डसन (१६५५ से); शासन-स्वरूप—वंश परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र।

नारवे के बिल्कुल उत्तरी भाग नार्थ केप के क्षेत्र में अर्द्धरात्रि में भी सूर्य का दृश्य दिखाई पड़ता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। लगभग १८ नवम्बर से २३ जनवरी तक सूर्य क्षितिज पर ही रहता है। जाड़े के दिनों में यहाँ उत्तर की ओर विविध रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसकी लम्बाई १,१०० मील और चौड़ाई ४ मील से २७० मील तक है। यह मुख्यतः नाविकों का देश है। यहाँ की ७२ प्रतिशत भूमि अनुर्वर है। सदियों तक स्वतन्त्र रहता हुआ यह १३८१ से १८१४ ई० तक डेनमार्क के साथ मिला रहा। १८१४ ई० के संविधानानुसार यहाँ संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतन्त्र कायम हुआ। १८१४ ई० से १६०५ ई० तक यह स्विडन के साथ था। इसके बाद दोनों देश अलग हो गये। यहाँ पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं।

स्विडन

स्थिति—यूरोप की उत्तर-पश्चिम सीमा नारवे और फिनलैण्ड से घिरा; क्षेत्रफल—१,७३,३७८ वर्गमील; जन-संख्या—७३,६५,००० (१६५८); राजधानी—स्टाकहोम;

भाषा—स्विस; **धर्म**—लुदरन प्रोटेस्टेण्ट; **सिक्का**—क्रोन; **राजा**—गुस्टाल्फ षष्ठम एडोल्फ; **प्रधानमंत्री**—टागे फ्रीटिग्रॉफ एरलाण्डर; **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

स्विडन तीन प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अधिकतर जंगलों से भरा है, मध्यभाग में बहुत-सी झीलें एवं खनिज क्षेत्र हैं। दक्षिण का समुद्र-तट उपजाऊ भूमि है। सारे देश का करीब ५५ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। इस देश के उद्योग-धन्धों में मुख्य प्राकृतिक साधन जंगल, लोहा आदि खनिज पदार्थ तथा जल शक्ति हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का पंचमांश विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। यहाँ के ६० प्रतिशत कारबार गैर-सरकारी हैं। पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। पिछले तीन निर्वाचनों में यहाँ सोशल डेमोक्रैट्स का बहुमत रहा है।

फिनलैण्ड

स्थिति—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिमी भाग; **क्षेत्रफल**—१,३०,१६५ वर्गमील; **जन-संख्या**—४३,३३,००० (१६५७); **राजधानी**—हेलसिन्की; **भाषा**—फीनिस, स्वेडिस; **धर्म**—इभान जेलिकल; **सिक्का**—मार्का; **राष्ट्रपति**—डॉ० यूरहो केकोनन (१६५६ से); **प्रधानमंत्री**—प्रो० वी० जे० सुकुसेलैनन; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

इस देश का ७० प्रतिशत भूभाग जंगलों से भरा है। आरम्भ में यहाँ एशिया और यूरोप की विभिन्न जातियों के लोग आकर बसे थे। यहाँ के स्विडन-निवासियों के प्रयत्न से यह देश ११५४ ई० से १८०६ ई० तक स्विडन के अधीन रहा। इसके बाद यह रूस साम्राज्य में मिल गया। दिसम्बर, १६१७ ई० में इसने स्वतन्त्रता की घोषणा की और १६१६ में यह एक गणतन्त्र राज्य हो गया। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। यहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

रूस

स्थिति—यूरोप और एशिया; **क्षेत्रफल**—७८,७७,५६८ वर्गमील; **जनसंख्या**—२०,०२,००,००० (१६५६); **राजधानी**—मास्को; **भाषा**—रूसी; **धर्म**—ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी; **सिक्का**—रूबल; **चेयरमैन ऑफ दि प्रेसिडियम ऑफ दि सुप्रीम सोवियत**—मार्शल क्लेमेंती ये फ्रेमोविच वोरोशिलोव; **प्रधानमंत्री**—निकेता सरजेयेविच ख्रुश्चेव (१६५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

क्षेत्र के हिसाब से यह संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो पृथ्वी के स्थल-भाग का छठा अंश है। रूसी राज्य का इतिहास ६वीं सदी से मिलता है। उस समय उसकी राजधानी कीव थी। १३ वीं सदी में यह मंगोल लोगों के अधिकार में आया और १४८० ई० में यह उनसे स्वतन्त्र हुआ। १५४७ में सर्वप्रथम चुतुर्थ इवान ने अपने को रूस का जार घोषित किया। महान् पिटर ने अपने राज्य का विस्तार कर १७२१ ई० में रूसी साम्राज्य की स्थापना की। १६०५ ई० की जनक्रांति ने साम्राज्य को एक भारी धक्का पहुँचाया, पर १६१७ की क्रान्ति ने तो साम्राज्य का अन्त ही कर दिया। देश का

नया संविधान सन् १६१८ में ही बना, पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संगठन १६२२ ई० में ही सका। १६४४ के संशोधित संविधानानुसार सम्बद्ध गणतन्त्रों की रक्षा और परराष्ट्र-विभाग के संबंध में भी स्वतन्त्रता दी गई।

यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक १५ राज्यों में बँटा है, जिनके नाम राजधानी-सहित इस प्रकार हैं—१. रसियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक (मास्को), २. यूक्रेन (कीव), ३. ब्येलोरसिया (मिन्स्क), ४. आरमेनिया (इरिवान), ५. उजबेकिस्तान (ताशकेन्ट), ६. कजाकिस्तान (अलमाआता), ७. जोरगिया (तिफ्लिस), ८. अजरबैजान (बाकू), ६. लिथुआनिया (विलनिउस), १०. मोलडाविया (किशिनी), ११. लटविया (रीगा), १२. किरगीजिया (फ्रुंजे), १३. टाडजिकिस्तान (स्टैलिनाबाद), १४. तुर्कमेनिस्तान (अश्कबाद), और १५. एस्टोनिया (तालिन)। उपर्युक्त राज्यों में प्रथम तीन संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी हैं।

देश की विधायक सत्ता सुप्रीम सोवियत के हाथ में है, जिसकी दो सभाएँ हैं। इनकी बैठकें साल में दो बार हुआ करती हैं और इनका कार्यकाल चार वर्ष के लिए होता है। मंत्रिपरिषद् सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। पिछला निर्वाचन मार्च, १६५८ में हुआ था। पार्टी काँगरेस के १५०० सदस्य हैं। काँगरेस की एक सेन्ट्रल कमिटी रहती है। प्रेसिडियम कायम करने का भी इसी को अधिकार है। पार्टी की नीति प्रेसिडियम ही निर्धारित करती है। रूसी प्रभाव के अन्तर्गत यूरोप के पोलैंड, जेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अलवानिया आदि राष्ट्र हैं, जो पारस्परिक रक्षा और समन्वित सैनिक-प्रबन्ध के लिए वारसा-पैक्ट के सदस्य हैं। इन सबको तथा पूर्वी जर्मनी, साम्यवादी चीन, मंगोलियन रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और वीतनाम राष्ट्रों को मिलाकर बने हुए गुट को लोग रूसी गुट कहते हैं। इसके विरुद्ध संसार का दूसरा बड़ा गुट एंग्लो-अमेरिका के प्रभाव में रहनेवाले राष्ट्रों का गुट है।

पोलैंड

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—१,२०,३५५ वर्गमील; जन-संख्या—२,८५,३५,००० (१६५७); राजधानी—वारसा; भाषा—पौलिश और जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ज्लोटी; राज्यसभा का अध्यक्ष—एलेक्जेण्डर जावाडस्की; मंत्रि-परिषद् का अध्यक्ष—जोसफ काइरान कीविज (१६५४ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

यहाँ के मूलनिवासियों में स्लावोनिक जाति के लोग हैं। देश की ४५ प्रतिशत भूमि खेती के काम में लाई जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक साधन अधिक हैं। द्वितीय महासमर के समय यह जर्मनी और रूस के बीच विभाजित रहा। १६४१ ई० में इसपर जर्मन का पूरा अधिकार हो गया। किन्तु १६४४-४५ ई० में रूस ने जर्मनी को परास्त कर इसे अपने अधिकार में कर लिया। तभी से रूस के प्रभाव में यहाँ साम्यवादी सरकार कायम है।

जेकोस्लोवाकिया

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—४६,३२१ वर्गमील; जन-संख्या—१,३३,५३,००० (१६५७ ई०); राजधानी—प्राग (प्राहा); भाषा—जेक और स्लाव; धर्म—रोमन

कैथोलिक; सिक्का—करुणा; राष्ट्रपति—अण्टोनिन नोवोट्नी १९५७ से; प्रधानमंत्री—विलियम सिरोकी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र ।

यह गणतंत्र राज्य भूतपूर्व आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य का एक खंड है, जिसका निर्माण १९१८ ई० में हुआ था । उस समय बोहेमिया, मोराविया (आस्ट्रियन साइलेशिया-सहित), स्लोवाकिया और रूथेनिया इसके प्रान्त थे । १९४५ में रूथेनिया रूस में मिल गया । १९४८ ई० में इसके १९ प्रान्त बना दिये गये । तबसे यहाँ सोवियत ढंग का संविधान है । यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है, जिसके ३००० सदस्य हैं । यहाँ के राष्ट्रपति पार्लमेण्ट द्वारा सात वर्षों के लिए चुने जाते हैं । यहाँ के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, किन्तु वे पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । यह प्राकृतिक साधन और औद्योगिक विकास के मामले में यूरोप का सबसे बड़ा धनी क्षेत्र है ।

हंगरी

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३५,९०२ वर्गमील; जन-संख्या—९८,१२,००० (१९५७); राजधानी—बुडापेस्ट; भाषा—हंगरियन; धर्म—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट; सिक्का—फोरिण्ट; गणतंत्र की अध्यक्षीय परिषद् का प्रधान—इस्टवान डोबी (१९५२ से); मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—फ्रैंक म्युनिच (१९५८); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (सोवियत ढंग का) ।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासियों में प्रधानतः स्लाव और जर्मेनिक जातियाँ थीं, जिनको बाद में पूरब से आनेवाली हुंस और मग्यार जातियों ने कुचल डाला । मग्यार जाति यहाँ की जनसंख्या का ९५ प्रतिशत है । १८५४ ई० में मग्यार देश की राजभाषा भी रही ।

यह कृषि-प्रधान देश है । बॉक्साइट के उत्पादन में यह संसार में अग्रगण्य है । अगस्त, १९४९ से यहाँ सोवियत ढंग का संविधान स्वीकार किया गया है । यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है । इस देश पर सोवियत रूस का गहरा प्रभाव है, जिससे छुटकारा पाने के लिए १९५६ में व्यापक विद्रोह हुआ । इमरेनागी ने १ नवम्बर को एक सम्मिलित दल की सरकार कायम की, किन्तु रूस ने तुरत चढ़ाई कर सैनिकों की देख-रेख में ४ नवम्बर को पीजेन्ट पार्टी के नेता जनोस कादर के नेतृत्व में नई सरकार कायम कर दी । जनवरी, १९५८ में कादिर ने त्यागपत्र दे दिया । इसके बाद नेशनल एसेम्बली ने फ्रैंक म्युनिच को प्रधानमंत्री बनाया ।

रूमानिया

स्थिति—मध्य-पूर्व यूरोप; क्षेत्रफल—९१,५८४ वर्गमील; जन-संख्या—१,७८,२९,००० (१९५७); राजधानी—बुखारेस्ट; भाषा—फ्रेंच, ग्रीक, स्लाव, तुर्क से प्रभावित लैटिन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ल्यू; प्रेसिडियम का राष्ट्रपति—इओन घेओरघे मौरर (१९५८ से); मंत्रिपरिषद् का प्रेसिडेण्ट—चीवू स्टोइका; शासन-स्वरूप—गणतंत्र ।

यहाँ की करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है । इस देश में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । पेट्रोलियम देश की आर्थिक आय एवं उद्योग-धंधों की रीढ़ माना जाता है । वैलेसिया और मोलडाविया-इन दो भू-भागों को

मिलाकर १८६१ ई० में रुमानिया का निर्माण किया गया। यह १८७७ ई० में टर्की के शासन से मुक्त हुआ। यहाँ की ग्रैंड नेशनल एसेम्बली प्रेसिडियम तथा मंत्रिपरिषद् का निर्माण करती है।

बलगेरिया

स्थिति—यूरोप के दक्षिणी हिस्से में ग्रीस, रुमानिया और युगोस्लाविया से घिरा; **क्षेत्रफल**—४२,७६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—७६,६७,००० (१९५७ ई०); **राजधानी**—सोफिया; **भाषा**—स्लावोनिक; **धर्म**—ग्रीक अर्थोडॉक्स; **सिक्का**—लेव; **नेशनल एसेम्बली के प्रेसिडियम के—अध्यक्ष**—डिमिटार गानेफ; **मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष**—अन्टोनयूगोव (१९५६ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यहाँ स्लेव जाति के लोगों की प्रधानता है। १९४७ ई० में यहाँ का संविधान सोवियत-संघ के आदर्श पर बनाया गया। यहाँ का शासन फादरलैण्ड फ्रोण्ट नामक पार्टी चलाती है। १९५६ ई० में सोवियत-संघ से इसकी आर्थिक संविदा (एग्रीमेन्ट) हुई, जिसके अनुसार देशोन्नति के लिए सोवियत-संघ की ओर से इसे साहाय्य मिलने लगा। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक ही सभा है। यही १५ सदस्यों की प्रेसिडियम का चुनाव करती है। प्रेसिडेण्ट नाम मात्र का प्रधान शासक रहता है। शासन वास्तव में प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल चलाता है।

अलबानिया

स्थिति—यूगोस्लाविया, ग्रीस और एड्रियाटिक समुद्र से घिरा; **क्षेत्रफल**—१०,६२९ बर्गमील; **जन संख्या**—१४,२१,००० (१९५६); **सिक्का**—अलबेनियन फ्रैंक; **राजधानी**—तिराना; **भाषा**—अलबानियन; **धर्म**—इस्लाम और रोमन कैथोलिक; **चेयरमैन ऑफ दी प्रेसिडियम ऑफ पिपुल्स एसेम्बली**—मेजर जेनरल हदजी लेशी; **मंत्रिमंडल के अध्यक्ष**—कर्नल जेनरल मेहमत शेहू; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का)।

यह कृषकों और पशुपालकों का देश है। यहाँ मुख्यत: घेघ जाति के लोग हैं। इसमें २६ जिले और २२ नगर हैं। यह टर्की से १९१२ ई० में अलग हुआ। १९४६ ई० में यहाँ गणतंत्र घोषित किया गया। यह सोवियत गुट के अन्दर है।

युगोस्लाविया

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; **क्षेत्रफल**—९८,७६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,८२,००,००० (१९५६); **राजधानी**—बेलग्रेड; **भाषा**—युगोस्लाव; **धर्म**—सेरविया ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, मुस्लिम; **सिक्का**—दीनार; **राष्ट्रपति**—मार्शल जासिप ब्रॉज टीटो (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह ६ स्वतंत्र राज्यों—सरविया, क्रोटिया, स्लोवेनिया, मॉण्टेनिग्रो; बोसनिया-हरजे, गोभिना और मेसेडोनिया—का एक संघ है। यहाँ का ७५ प्रतिशत भाग पहाड़ों, पठारों एवं जंगलों से ढका है। यहाँ की करीब ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। द्वितीय महासमर में १९४१ से ४५ तक इस देश पर जर्मनों का आधिपत्य बना रहा।

१९४५ ई० में मार्शल टीटो के नेतृत्व में यह जर्मनी के पंजे से मुक्त हुआ। सन् १९४६ में यहाँ संघीय गणतंत्र कायम हुआ। साम्यवादी मार्शल टीटो उसका प्रधान हुआ। साम्यवादी होते हुए भी टीटो और उसके राजनीतिक दल ने सोवियत रूस के समस्त साम्यवादी देशों पर मनमाना निर्देशन के अधिकार को पसन्द नहीं किया। इससे रुष्ट होकर रूस के साम्यवादी दल के केन्द्रीय संगठन ने मार्शल टीटो को युगोस्लाविया का प्रधान मानना अस्वीकार कर दिया और लिखा कि युगोस्लाविया अपना दूसरा नेता चुने। टीटो ने रूस की बातों की बिल्कुल उपेक्षा की और आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए अमेरिका की ओर हाथ बढ़ाया। ब्रिटेन और फ्रांस से भी इसने विदेशी व्यापार के लिए सहायता प्राप्त की। १९५५ में रूस के प्रधान मंत्री बुलगानिन और पार्टी के सेक्रेटरी ख्रुश्चेव ने युगोस्लाविया के प्रति की गई अपनी गलती स्वीकार की और युगोस्लाविया के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए नई सन्धि कर युगोस्लाविया के अपनी नीति में स्वतंत्र रहने के अधिकार को स्वीकार किया। हंगरी और पोलैण्ड के विद्रोह के बाद रूस ने अपने निर्देशन के सम्बन्ध में कड़ा रुख अख्तियार करना चाहा, किन्तु टीटो अपनी स्वतंत्र नीति पर दृढ़ बना रहा और अब भी दृढ़ बना हुआ है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक फेडरल एक्सक्यूटिव कौंसिल है।

अफ्रिका

एशिया के बाद बड़ा महादेश अफ्रिका ही है। इसका क्षेत्रफल १,१५,२६,४८० वर्गमील और समुद्री किनारा १६,००० मील है। विषुवत् रेखा इस महादेश को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है। इसका उत्तरी भाग ३७° उ० अक्षांश तक और दक्षिणी भाग ३५° द० अक्षांश तक जाता है। पश्चिम में यह २०° पश्चिम देशान्तर और पूर्व में ५०° पूर्व देशान्तर तक फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण क्षेत्रफल के विचार से इसका दो तिहाई भाग उत्तरी गोलार्द्ध में और एक तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में हैं। सारा अफ्रिका एक बड़ी अधित्यका-सा है। उत्तर की ओर सहारा नामक एक बड़ी मरुभूमि है। इसके उत्तर में काकेशिया और दक्षिण में मूल-निवासियों के अन्तर्गत निग्रो जाति के लोग रहते हैं। इस महादेश में मिस्र अपनी पुरानी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। १९वीं शताब्दी में क्रम-क्रम से इंगलैंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम, पुर्त्तगाल और स्पेन के लोगों ने आकर इस देश की एक-एक इंच भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। पर अब मिस्र (इजिप्ट), इथोपिया (अबिसीनिया), लीबिया, लाइबेरिया, ट्युनिसिया, मोरोक्को, सूडान और नागा, यूरोपवासियों के पंजे से अपने को मुक्त कर सके हैं।

इस महादेश की जन-संख्या १९ करोड़ ८० लाख है, जिसमें करीब ५० लाख यूरोप की गोरी जातियाँ और ६ लाख भारतीय और पाकिस्तानी हैं।

मिस्र (इजिप्ट)

स्थिति—भूमध्यसागर के किनारे अफ्रिका के उत्तर-पूर्वी भाग में; क्षेत्रफल—३,८६,१९८ वर्गमील, जन-संख्या—२,३४,१०,००० (१९५६), राजधानी—कैरो; भाषा—

अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का**—मिस्री पौंड, **राष्ट्रपति**—गेमेल अब्दुल नसीर; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानतंत्र)।

मिस्र की सभ्यता सात हजार वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्राचीनकाल में यह देश बहुत उन्नत था। यहाँ के पुराने राजाओं का कब्रिस्तान पिरामिड एक आश्चर्यजनक वस्तु है। पीछे इस देश पर असीरिया, फारस, ग्रीस, रोम, सेरेडिन, तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन ने अधिकार जमाया। ब्रिटेन की देख-रेख में यह देश १८८२ ई० के बाद आया। १९१४ में यह उसका संरक्षित राज्य हो गया और १९२२ की फरवरी तक इसी स्थिति में रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने इसे स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार किया, किन्तु इसकी रक्षा, स्वेज नहर में ब्रिटिश यातायात का संरक्षण तथा सूडान का शासन-भार अपने हाथ में रखा। मिस्र का सुलतान १५ मार्च, १९२२ से बादशाह फैग्राद प्रथम कहलाने लगा और १९२३ में इसका नया संविधान बना। मिस्र १९२२ में ब्रिटेन के साथ की गई सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था और अपनी पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वेज नहर और सूडान पर अधिकार का दावा कर रहा था। अतः १९३६ में ब्रिटेन को मिस्र से दूसरी सन्धि करनी पड़ी, जिसके अनुसार स्वेज और सूडान पर दोनों देशों का सम्मिलित शासन कायम हुआ। १९३६ में शाह फैग्राद के मरने पर उसका पुत्र शाह फारुक बादशाह हुआ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य होकर मिस्र ने १९४५ में अरब लीग कायम की। १९४७ में उसने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में मिस्र और सूडान को मिला देने तथा स्वेज नहर से ब्रिटिश सेना हटा देने की माँग पेश की। अक्तूबर, १९५१ में मिस्र ने १९३६ में ब्रिटेन के साथ की गई सन्धि को मानने से इन्कार कर दिया। जुलाई, १९५२ में शाह फारुक के गद्दी छोड़ने पर रिजेन्सी कौंसिल की देख-रेख में उसका नाबालिग लड़का नाम-मात्र का बादशाह बनाया गया। किन्तु जून, १९५३ में गणतंत्र घोषित होने पर बादशाह का पद ही उठा दिया गया और जेनरल नगीब राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बनाया गया। दूसरे ही वर्ष गैमेल अब्दुल नसीर राष्ट्रपति हुआ, जो अबतक अपने पद पर बना हुआ है।

अरब-राष्ट्रों और इजराइल के बीच सीमा-सम्बन्धी झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे। इजराइल ने २९ अक्टूबर, १९५६ को मिस्र के सिनाई प्रायःद्वीप पर चढ़ाई कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उसका साथ दिया। उधर रूस मिस्र की सहायता करने को तैयार हुआ। अन्त में राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर लड़ाई बन्द हुई।

१९५८ की १ फरवरी को मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब गणतंत्र (यूनाइटेड अरब रिपब्लिक) कायम किया, जिसका विवरण अलग दिया गया है। ८ मार्च को स्वतंत्र यमन अपना अस्तित्व कायम रखते हुए भी संयुक्त अरब-गणतंत्र-संघ का सदस्य हुआ।

लीबिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; **क्षेत्रफल**—६,७९,३५८; **जन-संख्या**—१०,९१,८३० (१९५४); **राजधानी**—ट्रिपोली और बेनगाजी, **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **राजा**—इद्रिस प्रथम (१९५१ से); **प्रधानमंत्री**—अब्दुल मजीद कुबर (१९५७ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र।

यह तीन प्रान्तों—ट्रिपोलिटानिया, साइरेनाइका और फेजन—का एक संघ-राज्य है। सन् १९१२ में इटली और तुर्की के युद्ध के परिणाम-स्वरूप यह इटली के हाथ में चला गया। १९४३ ई० में जब इटली की पराजय हुई, तो इसके ट्रिपोलिटानिया और साइरेनाइका प्रांत ब्रिटेन के तथा फेजन फ्रांस अधीन हो गये। सन् १९५१ ई० में यह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। मंत्रिमंडल पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

ट्युनिसिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा, **क्षेत्रफल**—४८,३१३ वर्गमील; **जन-संख्या**—३८.००,००० (१९५७); **राजधानी**—ट्यूनिस; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **राष्ट्र-पति**—हबीब बौर गुइबा (१९५७ और पुनः १९५९ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ के मूल-निवासियों में अरब और बर्बर जाति के लोग हैं। इसके उत्तरी भाग में पहाड़ और दक्षिणी भाग में मरुभूमि है। इसके पूरब के समतल भाग में खेती होती है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ फास्फेट की खानें अधिक हैं। पहले यह तुर्की के अधीन एक बारबरी राज्य था। १८८१ ई० में यह फ्रांस के संरक्षण में चला आया और १९५७ ई० में उससे स्वतंत्र हुआ। यहाँ का राष्ट्रपति राजमंत्रियों की सहायता से शासन-कार्य चलाता है।

मोरोक्को

स्थिति—अफ्रिका महादेश की उत्तरी सीमा; **क्षेत्रफल**—१,७२,१०४ वर्गमील; **जन-संख्या**—९८,२३,००० (१९५६); **राजधानी**—राबाट; **भाषा**—मूरिश, अरबी और बेर-बेर; **राज-भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **बादशाह**—मुहम्मद पंचम (१९५७ से); **शासन-स्वरूप**—राजतंत्र।

यहाँ के मूल-निवासी मुसलमान हुए बर्बर जाति और अरब-जाति के लोग हैं। बहुत दिनों से यहाँ का शासक एक सुलतान था, किन्तु १९१२ ई० में फ्रांस और स्पेन के लोग यहाँ आ बसे और इसपर अधिकार कर इसे दो भागों में बाँट लिया। एक फ्रेंच मोरोक्को और दूसरा स्पेनिश मोरोक्को कहलाने लगा। १९२३ ई० में स्पेनिश मोरोक्को का टेनजियर क्षेत्र तटस्थ और निःशस्त्र बनाकर एक अन्तरराष्ट्रीय समिति के अधिकार में रखा गया। स्वतंत्रता-आन्दोलन के फलस्वरूप १९५६ ई० में फ्रांस और स्पेन की सरकार तथा अन्तरराष्ट्रीय समिति ने यहाँ से अपना अधिकार हटा लिया और उक्त तीनों भाग फिर एक हो गये और वह सम्पूर्ण भाग पूर्ण स्वतंत्र भी हुआ। तब से यहाँ का सुलतान एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन चला रहा है।

लाइबेरिया

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका का गायना कोस्ट, **क्षेत्रफल**—४३,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—२७,५०,००० (१९५३); **राजधानी**—मानरोविया; **भाषा**—अँगरेजी, **धर्म**—

ईसाई; **सिक्का**—अमेरिकी डालर; **राष्ट्रपति**—विलियम बी० एस० टबमैन (१९५५ से); **उपराष्ट्रपति**—विलियम आर० टालबर्ट; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह निग्रो जाति का एक गणतन्त्र राज्य है। इसका अधिकांश भाग जंगलों से ढका है। इसकी स्थापना १८२० ई० में अमेरिका से मुक्त किये गये दासों के लिए हुई। यह जुलाई, १८४७ में पूर्ण स्वतंत्र हुआ। इसका संविधान अमेरिकी ढंग का है। यहाँ मतदाताओं के लिए भू-स्वामी और निग्रो मूल का होना आवश्यक है। यहाँ की पार्लमेंट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ८ वर्षों के लिए होता है।

घाना (गोल्डकोस्ट)

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—९१,८४३ वर्गमील; **जन-संख्या**—४६,९१,००० (१९५६); **राजधानी**—अकरा; **सम्राज्ञी**—ग्रेटब्रिटेन की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर-जेनरल**—विलियम फ्रांसिस हेर (अर्ल ऑफ लिस्टोवेल); **प्रधानमन्त्री**—डॉ० क्वामे नक्रुमा; **शासन-स्वरूप**—ब्रिटिश अधिराज्य।

यह देश बहुत वर्षों तक गोल्डकोस्ट के नाम से अँगरेजों के अधीन रहा। यहाँ सोना, हीरा, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं। मार्च, १९५७ ई० में यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया है। यहाँ की पार्लमेंट की एक सभा है। यहाँ का गवर्नर जेनरल ब्रिटिश सम्राट् द्वारा नियुक्त होता है। गवर्नर जेनरल के परामर्श के लिए एक मंत्रिमंडल रहता है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। जुलाई, १९६० से इसके पूर्ण स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य होने की खबर है।

इथोपिया (अबिसीनिया)

स्थिति—अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—३,५०,००० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,९५,००,००० (१९५६); **राजधानी**—अदीस अबाबा; **भाषा**—अमहारिक अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—इथोपियन डालर; **शासक**—हेल सेलासी (१९५५ से); **प्रधानमंत्री**—बिटवोडेड मैकोनेन इन्डाकचन, **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासियों में हेमाइट और सेमाइट जाति के लोग हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा कृषि और पशुपालन है। आधुनिक औद्योगिक कार्य अमेरिकी आदि विदेशी फर्मों द्वारा होता है। १९३५ ई० में यह इटली के अधिकार में आया और सन् १९४१ में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया। यहाँ पार्लमेंट की दो सभाएँ और एक मंत्रिमंडल हैं। सबके सदस्य सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं।

इथोपिया के उत्तर में इरीट्रिया पहले इटली का उपनिवेश था। १९५२ ई० में उसे इथोपिया के साथ मिलाकर स्वायत्त शासन प्रदान किया गया। उसकी अपनी निर्वाचित एसेम्बली है, जो वहाँ की कार्यकारिणी परिषद् का चुनाव करती है।

सूडान

स्थिति—अफ्रिका का पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—९,६७,५०० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,००,००,००० (१९५६); **राजधानी**—खारतूम; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—एब्रूट इस्लाम;

प्रधानमन्त्री—एम० मोडिबो कीय (१९५९ से); **शासन-स्वरूप**—सैनिक तानाशाह (१८५८ से)।

इसके उत्तर-पश्चिम भाग में मरुभूमि है। नील नदी इस देश के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसके आसपास कृषि योग्य भूमि है। संसार को गोंद मुख्यतः इसी देश से प्राप्त होता है। १८९८ ई० में इस देश पर अँगरेजों और मिस्रवासियों का सम्मिलित शासन कायम हुआ था। ५७ वर्षों के बाद इसका अंत हो गया और जनवरी, १९५६ में सूडान स्वतन्त्र घोषित किया गया। इस्माइल अल-अजहरी की सरकार के पतन के बाद ५ जुलाई, १९५६ से उम्मा पार्टी के नेता अब्दुल्ला खलील के प्रधानमन्त्रित्व में शासन आरम्भ हुआ था। सन् १९५८ के फरवरी-मार्च में यहाँ सर्वप्रथम चुनाव हुआ, उसमें भी अब्दुल्ला खलील का ही मन्त्रिमंडल बना, किन्तु उसी वर्ष वहाँ नवम्बर से सैनिक शासन आरम्भ हुआ।

कैमेरून

स्थिति—अफ्रिका का मध्य भाग; **क्षेत्रफल**—१,४३,४१५ वर्गमील; **जन-संख्या**—३१,८७,०००; **राजधानी**—याओउण्डे; **प्रधानमंत्री**—अहमदोउ आहिद जो; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

१८८४ ई० में कैमेरून एक जर्मन उपनिवेश हुआ। प्रथम महासमर में जर्मनी के परास्त होने पर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के आदेशानुसार यह भू-भाग ब्रिटेन और फ्रांस में बाँट दिया गया। इसका ⅘ भाग फ्रांस के अधीन रहा। १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेशन्स) के आदेश से यह फ्रांस के ट्रस्टीशिप में रखा गया। अतः यहाँ के शासन के लिए एक फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ। सन् १९६० के आरम्भ में यह पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया गया। तत्पश्चात् यहाँ का अपना नया शासन-संविधान बनाया गया और नये निर्वाचन की तैयारी हुई।

दक्षिण अफ्रिका-संघ

स्थिति—दक्षिण अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—४,७२,७३३ वर्गमील (दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका छोड़कर); **जन-संख्या**—१,४१,६७,००० (१९५७); **राजधानी**—प्रिटोरिया और केपटाउन; **भाषा**—अँगरेजी और डच; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—पौंड; **गवर्नर जेनरल**—चार्ल्स राबर्ट स्वार्ट; **प्रधानमन्त्री**—डॉ० एच्० एफ्० वरओर्ड; **शासन-स्वरूप**—अधिराज्य (ब्रिटिश)।

सन् १९०९ में ब्रिटिश अधिकृत प्रान्त ट्रांसवाल, उत्तमाशान्तरीप (केप ऑफ गुडहोप), औरेंज फ्री स्टेट, केप-कॉलोनी और नेटाल के मिलने से इस संघ का निर्माण हुआ। पीछे जर्मन-अधिकृत दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका भी इस संघ में मिला लिया गया। इस संघ को ब्रिटिश सरकार ने भीतरी मामलों में पूरा अधिकार दे रखा है। यहाँ की गोरी जातियों का मूल-निवासियों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रहा है। सोना, हीरा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए संसार में इसका उच्च स्थान है। इस देश की आर्थिक आय मुख्यतः प्राकृतिक साधनों द्वारा होती है। यहाँ का प्रमुख शासक गवर्नर जेनरल होता है, जिसे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं।

बेलजियन कांगो

स्थिति–मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल–९,०४,७५७ वर्गमील; जन-संख्या-१,२६,६०,००० (१६५६); **राजधानी**— लियोपोल्डविल; **प्रधान शासक**—बेलजियम का किंग बौदाईन; **गवर्नर जेनरल**—एम० हेनरी कारनेलिस; **शासन-स्वरूप**—बेलजियम का उपनिवेश।

यहाँ का शासन गवर्नर-जेनरल के हाथ में है, जो बेलजियम के राजा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के मूल-निवासी बान्तू और सूडानी जाति के हैं, जिनकी जन-संख्या १६५१ की जन-गणना के अनुसार १,१५,६३,४६४ है।

जर्मन पूर्व अफ्रिका के दो जिले रुअन्डा और उरुन्डो अब राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में रखे जाकर शासन-सुविधा के लिए बेलजियन कांगो में मिला दिये गये हैं और यहाँ एक **वाइस-गवर्नर** रखा गया है। इन दो जिलों का क्षेत्रफल १६,५३६ वर्गमील और जन-संख्या ४४,२४,५७३ (१६५६) है।

ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश

अफ्रिका के अन्दर अन्यत्र वर्णित दक्षिण अफ्रिका-संघ के अतिरिक्त ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश इस प्रकार हैं—**ब्रिटिश सोमालीलैंड, केनिया, उगांडा, टैंगनिका, रोडोशिया, न्यासालैंड, जंजीबार, मोरिसस, सेंटहेलिना, एसन्सन, नाइजीरिया, सिरोलियोन, ब्रिटिश गायना, गैम्बिया, बेचुआनालैंड, स्वाजीलैंड, बैसुटोलैंड** तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में **दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका, टोगोलैंड** और **ब्रिटिश कैमेरून**।

फ्रांसीसी अधिकृत प्रदेश

अफ्रिका में फ्रांसीसी अधिकृत प्रदेश इस प्रकार हैं—**अलजीरिया, फ्रेंच सोमालीलैंड, सहारा, फ्रेंच गायना, आइवोरी कोस्ट, टोगोलैंड, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रिका, फ्रेंच इक्विटोरियल अफ्रिका, रीयूनियन** (टापू) और **मडागास्कर** (टापू)। अप्रैल, १६६० में टोगोलैंड के स्वतन्त्र हो जाने की खबर है।

पुर्त्तगीज अधिकृत प्रदेश

अफ्रिका के अन्दर **अंगोला** और **मुजाम्बिक** प्रान्त तथा **पुर्त्तगीज गीनी, केप वर्डे** (टापू), **मैडोरा** (टापू) और **एजोर** (टापू) पुर्त्तगाल देश के अधिकार में हैं।

स्पेनिश अधिकृत प्रदेश

अफ्रिका के पश्चिमी टुकड़े **रिओडिओरा, स्पेनिश गीनी, कैनरी** (टापू) और **स्पेनिश सहारा** स्पेन के क़ब्जे में हैं।

इटालियन अधिकृत प्रदेश

इटली के अधीन अफ्रिका में सोमालीलैंड का कुछ भाग है।

अस्ट्रेलेशिया (ओसीनिया)

अस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यूगीनी, फीजी तथा पास के कुछ छोटे-छोटे टापुओं को मिलाकर **अस्ट्रेलेशिया** या **ओसीनिया** महादेश कहते हैं। यहाँ की जन-संख्या

लगभग डेढ़ करोड़ है। न्यूगीनी के कुछ अंश छोड़कर ये सभी द्वीप ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत हैं। इन द्वीपों में मूल-निवासी धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वत्र गोरी जातियों का प्रभुत्व है। इसमें अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का विवरण अलग दिया गया है।

अस्ट्रेलिया

स्थिति—एशिया के दक्षिण; क्षेत्रफल—२९,७४,५८१ वर्गमील; **जन-संख्या**—९६,४३,०७९ (१९५७); **राजधानी**—कैनबेरा; भाषा—अँगरेजी; धर्म—ईसाई; सिक्का—अस्ट्रेलियन पौंड; **सम्राज्ञी**—ग्रेटब्रिटेन की द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर-जेनरल**—डब्ल्यू० एस० मारिसेन (नवम्बर, १९५९ से); **प्रधानमंत्री**—आर० जी० मेञ्जिज (१९४९ से); **शासन-स्वरूप**—अधिराज्य।

डेढ़ सौ वर्ष पहले इस देश के मूल-निवासियों की संख्या ३,००,००० थी, पर अब लगभग ८७,००० मात्र रह गई है। अँगरेजों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वे गोरी जाति के अतिरिक्त दूसरे किसी को यहाँ बसने नहीं देते। यह देश ८ प्रान्तों में बँटा है—१. टस्मानिया, २. पश्चिमी अस्ट्रेलिया, ३. क्वींसलैंड, ४. नार्दर्न टेरिटरी, ५. दक्षिणी अस्ट्रेलिया, ६. न्यू साउथवेल्स, ७. विक्टोरिया, ८. अस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। पहले प्रत्येक प्रान्त का ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध था, पर १९२१ ई० से यहाँ संघ-शासन कायम हुआ है, जिसे 'कॉमनवेल्थ ऑफ अस्ट्रेलिया' कहते हैं। यह राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। १९४९ ई० से यहाँ लिबरल और कंट्री पार्टी का सम्मिलित मंत्रिमंडल कायम है। नवम्बर, १९५८ ई० के संसद्-निर्वाचन में मेञ्जिज की लिबरल पार्टी के अधिक सदस्य चुने गये। यहाँ की जन-संख्या हमारे यहाँ की एक कमिश्नरी की जन-संख्या के बराबर है। यह १९५४ में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि-संगठन का प्रमुख सदस्य है।

न्यूजीलैंड

स्थिति—दक्षिण प्रशान्त महासागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल—१,०३,९३९ वर्गमील; **जन-संख्या**—२२,२९,२८० (१९५७); राजधानी—वेलिंगटन; **धर्म**—ईसाई; **सम्राज्ञी**—इंगलैंड की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर-जेनरल**—वायकौंट कोभम; **प्रधानमंत्री**—वाल्टर नाश; **शासन-स्वरूप**—अधिराज्य (ब्रिटिश)।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासी पोलीनेशियन जाति के हैं, जिन्हें माओरी कहते हैं। यह कुक मुहाना द्वारा मुख्यतः दो द्वीप-समूहों में विभक्त है—उत्तरी द्वीप-समूह और दक्षिणी द्वीप-समूह। यह ज्वालामुखी पर्वतों और गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकतर गोचर भूमि है, जिससे भेंड़ पालने का व्यवसाय अधिक होता है। भेंड़ का मांस, मक्खन, पनीर, ऊन और जमा हुआ दूध के निर्यात में इसका स्थान संसार में अग्रगण्य है। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत १९०७ ई० में अधिराज्यत्व प्रदान किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। गवर्नर-जेनरल ही ब्रिटिश सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल है। यहाँ के मूल-निवासियों में और गोरी जातियों में रंगभेद की नीति नहीं है।

उत्तरी अमेरिका

यह महादेश भूमध्यरेखा से उत्तर लगभग १०° उ० अक्षांश से लेकर लगभग ८०° उ० अक्षांश तक फैला हुआ है। इसकी लम्बाई लगभग ४२०० मील है। इसका क्षेत्रफल ९३,५८,९७६ वर्गमील और जन-संख्या २३,८०,००,००० है। अतलान्तिक और प्रशांत महासागर के बीच होने से एशिया और यूरोप दोनों के साथ इसे व्यापार करने की सुविधा है। यह चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—पश्चिम का पहाड़ी भाग, बीच की समतल भूमि, पूरब की अधित्यका और अतलान्तिक महासागर का तट। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि प्राचीन काल में भारत का अमेरिका से सम्बन्ध था। परन्तु आधुनिक युग में यूरोपवालों ने ही अमेरिका का पता लगाया। वे लोग यहाँ आ बसे। उनके यहाँ बसने पर यहाँ के मूल-निवासियों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो गई है। यहाँ के मूल निवासियों में एस्किमो, रेड इण्डियन आदि हैं। इनका समाज या राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। अफ्रिका के जो हब्शी खेतों में काम करने के लिए यहाँ जानवरों की तरह खरीद कर लाये गये थे, वे भी यहाँ लाखों की संख्या में हैं। उत्तरी अमेरिका कई देशों में बँटा हुआ है पर इनमें मुख्य संयुक्त राष्ट्र और कनाडा हैं। कनाडा से उत्तर-पूरब एक बहुत बड़ा भू-भाग ग्रीनलैंड कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंढक पड़ती है। संयुक्तराज्य से दक्षिण के भाग को मध्य अमेरिका भी कहते हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग; **क्षेत्रफल**—३७,३५,२२३ वर्गमील और **जन-संख्या** १६,८६,३८,००० (१९५५); **राजधानी**—वाशिंगटन; **भाषा**-अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—अमेरिकन डालर; **राष्ट्रपति**—ड्विट डेविड आइसन हावर (द्वितीय बार १९५६); **उप-राष्ट्रपति**—रिचार्ड मिलॉन निक्सन; **राज्यमन्त्री**—क्रिश्चियन हरटर (अप्रैल, १९५९); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इस देश पर सर्वप्रथम यूरोप महादेश के स्पेन-निवासियों ने १५६५ ई० में अपना उपनिवेश कायम किया। इसके बाद फ्रांसीसी लोग आये। अन्त में अँगरेज लोग यहाँ इतनी संख्या में पहुँचे कि देश में वे सब जगह छा गये। फिर तो यहाँ भाषा, धर्म, विधि-विधान और शासन पद्धति भी अँगरेजों की ही चालू हुई। यहाँ के मूल-निवासी दिनों-दिन घटते गये। यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण उपनिवेश बसानेवाले कुछ ही दिनों में बहुत सम्पन्न हो गये। फल यह हुआ कि स्वार्थ लेकर उनका अपने मातृ-देश के साथ संघर्ष चल पड़ा। संघर्ष चाय-कानून लेकर आरम्भ हुआ था। १७७५ से तो इंगलैण्ड के साथ उनका युद्ध ही आरम्भ हो गया। अन्त में अमेरिकी ही विजयी हुए। १७८८ की पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिका की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। यहाँ पूर्ण स्वतन्त्र संघ-राज्य कायम हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन १८८९ में इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। स्वतन्त्र होकर अमेरिका शीघ्र ही एक उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। १८२३ में वहाँ के राष्ट्रपति मुनरो ने अपना यह सिद्धान्त बनाया कि कोई यूरोपीय शक्ति उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका के अन्दर अपना राज्य नहीं स्थापित करे। निग्रो की दासता-प्रथा आदि को लेकर

१८६१ से १८६५ तक यहाँ गृह-युद्ध चलता रहा। १६वीं सदी का अन्त होने के पूर्व ही संयुक्तराज्य अमेरिका एक विश्व-शक्ति माना जाने लगा। प्रथम महासमर में जर्मनी को परास्त करने में इसका काफी हाथ था। द्वितीय महासमर के अन्त में तो यह संसार के अन्दर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इस समय भी संसार में रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका का ही सबसे बड़ा स्थान है।

संयुक्तराज्य अमेरिका ५० राज्यों का एक संघ है। इनमें अलास्का और हवाई द्वीप-पुंज अभी हाल में ही सम्मिलित हुए हैं। यहाँ एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, जो ४ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यों का शासन-भार विभिन्न विभागों के हाथों में रहता है, जिनके प्रधान राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं—सिनेट और काँगरेस। सिनेट में विभिन्न राज्यों से दो-दो सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में से एक तिहाई दो वर्ष के बाद बदल जाते हैं। काँगरेस के सदस्यों की संख्या ४३५ है। उनका चुनाव दो वर्षों पर होता है। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका के अधीनस्थ राज्य इस प्रकार हैं—प्रशान्त महासागर में (१) **वेक और मिड-वे,** (२) **अमेरिकन समोआ** और (३) **गुआम;** केन्द्रीय अमेरिका में—(१) **पनामा केनाल** और (२) **केनाल-क्षेत्र;** अतलांतिक सागर में—(१) **पुएर्टोरीको, वेस्ट इण्डीज में—वर्जिनिया द्वीप-पुंज।**

कनाडा

स्थिति—उत्तर-अमेरिका; **क्षेत्रफल**—३८,५१,११३ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,७०,४८,००० (१६५८); **राजधानी**—ओटावा; **भाषा**—अँगरेजी और फ्रेंच; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—कैनेडियन डालर; **गवर्नर जेनरल**—जॉर्ज पी० वैनियर (१६५८ से); **प्रधानमंत्री**—जॉन जार्ज डिफेनवेकर; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत यह एक संघ-राज्य है, जिसके अन्दर १२ प्रांत हैं। यहाँ के अधिकांश लोग यूरोपीय जाति के हैं, जिनमें मुख्य अँगरेज और फ्रांसीसी हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अपने खनिज पदार्थों के लिए भी यह धनी है। १६५७ ई० के चुनाव में प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी की जीत हुई है, और उसीके नेता इस समय प्रधान मन्त्री हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं—सिनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लमेंट की तरह यहाँ की सिनेट के सदस्य जीवन-भर के लिए मनोनीत होते हैं।

मेक्सिको

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग; **क्षेत्रफल**—७,६०,३७३; **जन-संख्या**—३,१४,२६,००० (१६५७); **राजधानी**—मेक्सिको; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—अडोल्फो लोपेज माटेओस (१६५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह उत्तरी अमेरिका में २६ राज्यों का एक संघ-राज्य है, जो १८२१ ई० में स्पेन के शासन से मुक्त हुआ था।

यहाँ के निवासी रेड इंडियन तथा उपनिवेश बसानेवाले स्पेनवासियों के वंशज हैं। खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए इसकी गणना संसार के सम्पन्न देशों में है। यहाँ चाँदी की उत्पत्ति सभी देशों से अधिक है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

गुवाटेमाला

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—४२,०४२ वर्गमील; **जन-संख्या**—३४,३०,००० (१९५७); **राजधानी**—गुवाटेमाला सिटी; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—मिगुएल एडिगोरास फूएण्टस (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

ईसा की १०वीं शताब्दी में यहाँ रेड इंडियनों का माया-साम्राज्य कायम था। अब भी इस देश में अधिकांश रेड इंडियन तथा शेष मिश्रित रेड इंडियन और स्पेनिश हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ १८ से ५० वर्ष की उम्र वालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यहाँ की काँगरेस की एक ही सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

हाँडुरास

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**-४३,२२७ वर्गमील; **जन-संख्या**—१७,६६,००० (१९५७), **राजधानी**—टेगुसिगाल्पा; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—डॉ० जोसेरैमोन मिलेडा मोराल्स (१९५७ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र।

यहाँ के निवासियों में करीब ३५,००० आदिवासी हैं, जो अपनी विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। इसने स्पेन और मध्य अमेरिका-संघ से क्रमशः १८२१ और १८३८ ई० में अपने को स्वतन्त्र किया। इसके अन्दर ३१ जिले हैं। यहाँ की काँगरेस की एक सभा है। १९५५ ई० से महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इलसालवेडर

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—८,२६६ वर्गमील; **जन-संख्या** २३,५०,००० (१९५७); **राजधानी**—सान सालवेडर; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**–लेफ्टिनेन्ट कर्नल जोसे मारिया लेमस (१९५६ से); **शासन-स्वरूप**–गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह अमेरिका महादेश का सबसे छोटा देश है। यहाँ के निवासी यूरोप की गोरी जातियाँ, मेसटिजो और रेड इंडियन हैं। १८२१ ई० में यह स्पेन से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से होता है और वही मंत्रिमण्डल को संगठित करता है। यहाँ १८ वर्ष से अधिक उम्रवालों के लिए मत प्रदान करना अनिवार्य है।

निकारगुआ

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**-५७,१४५ वर्गमील; **जन-संख्या**—१३,३१,००० (१९५७); **राजधानी**—मानागुआ; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—डॉ० लुइस सोमोजा डेवायले (१९५७); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

इसका समुद्री तट कैरिबियन सागर की ओर ३०० मील में एवं प्रशान्त महासागर की ओर २०० मील में फैला हुआ है। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य जातियाँ स्पेनवासी और रेड इंडियन के सम्मिश्रण से बनी हैं। यह १८२१ ई० में स्पेन से मुक्त हुआ। यहाँ की पार्लमेंट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

कोस्टारीका

स्थिति—मध्य अमेरिका का दक्षिणी भाग; **क्षेत्रफल**—२३,४२१ वर्गमील; **जन-संख्या**—१०,७२,००० ; **राजधानी**—सानजोसे; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—कोलोन; **राष्ट्रपति**—मैरियो एकेन्डी जिमनेज (१६५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ का पोआज ज्वालामुखी संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ अधिकतर यूरोपीय मूल-निवासी हैं, जिनमें सबसे अधिक स्पेनवासी हैं। आदिमजातियों की संख्या दिनों-दिन घट रही है।

यहाँ की पार्लमेंट की केवल एक सभा है। २० वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को यहाँ मताधिकार प्राप्त है। शिक्षकों और विवाहित लोगों के लिए मताधिकार की निम्नतम आयु १८ वर्ष ही रखी गई है।

पनामा

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—२८,५७१ वर्गमील; **जन-संख्या** ६,६०,००० (१६५७); **राजधानी**—पनामा सिटी; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **राष्ट्रपति**—एरनेस्टो डी ला गुआरडिना (१६५६ से); **सिक्का**—बल्बोआ; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

इसका समुद्री किनारा कैरिबियन सागर की ओर ४७७ मील और प्रशान्त महासागर की ओर ७६७ मील है। पनामा नहर इसे दो भागों में बाँटती है। यहाँ के निवासियों में ५०% मेसटिजो जाति के लोग हैं। यहाँ की केवल ५०% भूमि खेती के योग्य है, शेष भाग विस्तृत जंगलों से ढका है। संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रयत्नों से इसे कोलम्बिया ने १६०३ में स्वतन्त्र कर दिया। उसी साल इसने एक संधि द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका को पनामा नहर दे दी। पनामा सरकार को उसकी राष्ट्रीय आय की एक तिहाई नहर से मिलती है। यहाँ की पार्लमेंट की एक सभा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मत से चार वर्षों के लिए होता है। उसे पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता।

क्यूबा

स्थिति—वेस्ट इंडीज; **क्षेत्रफल**—४४,२०६ वर्गमील; **जन-संख्या**—६४,१०,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—हवाना; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—ओसवाल्डो डॉरटिकोज (१६५६ से), **प्रधानमंत्री**—डॉ० फिडेल कास्ट्रो **शासन-स्वरूप**—मंत्रिमंडलात्मक ।

यह संसार का सबसे बड़ा ऊख-उत्पादक देश है। यहाँ की दूसरी मुख्य उपज तम्बाकू है। यहाँ लोहा अधिक पाया जाता है।

हैटी

स्थिति—वेस्ट इण्डीज; **क्षेत्रफल**—१०,७१४ वर्गमील; **जन-संख्या**—३३,८४,००० (१९५७); **राजधानी**—पोर्ट-ऑ-प्रिंस; **भाषा**—फ्रेंच; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—गुर्ड; **राष्ट्रपति**—डॉ० फ्रैंकोइस डुवेलियर (१९५७ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्द्ध में यह निग्रो लोगों का एकमात्र प्रजातन्त्र राज्य है। निग्रो जाति के अलावा यहाँ मोलैटोज जाति के भी लोग हैं। १४९२ ई० में कोलम्बस ने इस देश का पता लगाया था। इसका एक नया संविधान बननेवाला है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होगा और पार्लमेंट की केवल एक ही सभा होगी।

डोमिनिक

स्थिति—वेस्ट इंडीज; **क्षेत्रफल**—१९,३३३ वर्गमील; **जन-संख्या**—२६,९८,००० (१९५७); **राजधानी**—सिउडाड ट्रुजिलो; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का** पेसो; **राष्ट्रपति**—जेनरल हेक्टर बी० एन० वेनिडो ट्रुजिलो (मोलिना) [१९५७ से] **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

डोमिनिकन गणतन्त्र का संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के संविधान से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है। वही मंत्रिमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ की काँगरेस की दो सभाएँ हैं।

दक्षिणी अमेरिका

उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आकार-प्रकार तथा अन्य प्राकृतिक बनावट में बहुत-कुछ मिलते-जुलते-से हैं। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है, पर जन-संख्या तो उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या की आधी से भी कुछ कम है। यदि भारत से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारत की जन-संख्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल जन-संख्या के योग से भी अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल ६८,२५,८७६ वर्गमील और जन-संख्या १२,४०,००,००० है। इस देश के मूल-वासी अमेरिकन इंडियन कहलाते हैं। यह नाम १४वीं सदी में इस देश में पहले-पहल आनेवाले यूरोपियनों द्वारा दिया गया था। यहाँ के पुराने निवासियों में अधिकांश जंगल में ही रहते हैं। अब तो यहाँ के निवासी प्रधानतः पहले आये हुए स्पेन और पुर्त्तगालवासियों के वंशज हैं। वैसे तो कुछ अन्य यूरोपियन भी हैं ही। उत्तर में कुछ निग्रो भी रहते हैं, जिनके पूर्वज खेतों में काम करने के लिए यहाँ लाये गये थे। हाल में कुछ इटालियन दक्षिणी भाग में आये हैं। ब्राजिल में कुछ जापानी भी बस गये हैं। गायना एक ऐसा भूखंड है, जो तीन भागों में बँटा हुआ है। **ब्रिटिश गायना, फ्रांसीसी**

गायना और डच गायना। तीनों की राजधानियाँ क्रम से जार्ज टाउन, पारामारिबो और कायने हैं। उत्तर में **ट्रिनीडाड** टापू एवं दक्षिण में फॉकलैंड टापू अँगरेजों के अधिकार में हैं।

कोलम्बिया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा; **क्षेत्रफल**—४,३६,५२० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,३२,२७,०००; **राजधानी**—बागोटा; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**–अलबर्टोइलिरास कॉमरगो (१९५८ से); **शासन-स्वरूप** - गणतंत्र (प्रधानतंत्र)।

यहाँ का टेक्वेनडामा जलप्रपात तथा हिममंडित पर्वत-शिखर सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। कहवा के निर्यात में संसार में इसका दूसरा स्थान है।

यह तीन सौ वर्षों तक स्पेन के शासन में रहा और १८१९ ई० में यह स्वतंत्र हो गया। १९५८ के निर्वाचन में सिनेट के ८० और प्रतिनिधि सभा के १४८ सदस्य चुने गये। यहाँ महिलाओं को मत-प्रदान का अधिकार नहीं है और न वे कोई निर्वाचित पद ही ग्रहण कर सकती हैं।

वेनेजुएला

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग; **क्षेत्रफल**—३,५२,१५० वर्गमील; **जन-संख्या**—६१,३४,००० (१९५७); **राजधानी**—काराकास; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—बोलिबर; **राष्ट्रपति**—रोमुलो बेटान कोर्ट; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इसमें २० प्रांत और दो क्षेत्र-राज्य सम्मिलित हैं। इसके साथ पास के ७२ छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। यहाँ का अञ्जेल नाम का झरना दुनिया का सबसे ऊँचा झरना कहा जाता है। कृषि, पशुपालन एवं खान यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्तराज्य अमेरिका के बाद संसार में इसी का स्थान है। १८३० ई० में यह कोलम्बिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

इक्वेडर

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा; **क्षेत्रफल**—१,१६,२७० वर्गमील; **जन-संख्या**—३८,९०,००० (१९५७ ई०); **राजधानी**—क्वीटो; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—शुक्र; **राष्ट्रपति**—डॉ० कामिलो पोन्से इनरीक्वेज (१९५६ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ के निवासियों में रेड इण्डियन, मूलैटो और गोरी जातियाँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से चार वर्षों के लिए होता है। यहाँ १९३९ ई० से महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त है।

पेरू

स्थिति—दक्षिण अमेरिका; **क्षेत्रफल**—५,१४,०५६ वर्गमील; **जन-संख्या**—६६,२३,००० (१६५७); **राजधानी**—लीमा; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—सौल; **राष्ट्रपति**—मैनुएल प्रोडोए उगारटेचे (१६५६); **प्रधानमंत्री**—पेड्रो बेलट्रन; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

यह देश तीन प्राकृतिक विभागों में बँटा हुआ है। इसका समुद्री किनारा प्रशांत महासागर की ओर १४१० मील में फैला हुआ है। यहाँ के ८५ प्रतिशत लोग कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी भागों में खानें अधिक पाई जाती हैं। संसार के अन्दर चाँदी के उत्पादन में इसका स्थान पाँचवाँ और वोनाडियम के उत्पादन में चौथा है। यह स्पेन से १८२४ ई० में स्वतंत्र हुआ। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। वही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। सन् १६५६ ई० की ४ जुलाई को यहाँ का मंत्रिमंडल भंग हो गया।

ब्राजिल

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; **क्षेत्रफल**—३२,८८,०५० वर्गमील; **जन-संख्या**—६,३१,०१,६२७ (१६५८ ई०); **राजधानी**—रायोडिजेनेरो; **भाषा**—पुर्तगाली; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—क्रुजिरो; **राष्ट्रपति**—डॉ० जुसेलिनो कुबिट्स चेक डे ओलिवरा (१६५६ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और २६ राज्यों एवं क्षेत्रों का एक संघ-राज्य है। यहाँ के निवासियों में रेड इंडियन, मिश्रित जातियाँ तथा अन्य आदिम जातियों के अतिरिक्त इटालियन, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी भी हैं। संसार का यह सबसे बड़ा कहवा-उत्पादक देश है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है।

बोलिविया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का मध्यभाग; **क्षेत्रफल**—४,१६,०४० वर्गमील; **जन-संख्या**—३२,७३,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—लापाज; **मान्यता-प्राप्त भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—बोलिवियानो; **राष्ट्रपति**—डॉ० हरनन सिल्स जुआजो (१६५६ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ के अधिकांश निवासी रेड इण्डियन हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गोरी और मिश्रित जातियाँ हैं। इंकन साम्राज्य का यह भूभाग सदियों तक स्पेन के शासन में रहा। १८२५ ई० में साइमन बोलिवर के नेतृत्व में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। पीछे बोलिवर के नाम पर ही देश का नाम बोलिविया पड़ा। १६५६ ई० के चुनाव में नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेन्ट पार्टी की जीत हुई। इस दल ने १६५२ में ही सैनिक विद्रोह कर शासन-शक्ति को अपने अधिकार में कर लिया था और तभी से यह देश पर शासन कर रहा है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के लिए होता है।

पाराग्गुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—१,५७,००० वर्गमील; **जन-संख्या—**१६,३८,००० (१९५७); **राजधानी—**असुन सिग्रोन; भाषा- स्पेनिश; **धर्म—**रोमन कैथोलिक; **सिक्का—**ग्वारानी; **राष्ट्रपति—**जेनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोएसनर (१९५८ से); **शासन-स्वरूप—**गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ के मूल-निवासियों में स्पेनवासी, रेड इंडियन और मेसटिजो-जाति के लोग हैं। यह सन् १८११ में स्पेन से स्वतंत्र हुआ और १८१५ से १८४० ई० तक यहाँ अधिनायकतंत्र रहा। १८७० ई० में इसका लोकतंत्रात्मक संविधान बना। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए होता है।

अरजेण्टिना

स्थिति—दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—१०,७८,७६६; **जन-संख्या—**१,९८,५८,००० (१९५७); राजधानी—बूएनीज-एरिज; **भाषा—**स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—डॉ० आरटूरो फ्रोंडीजी और **उप-राष्ट्रपति—**अलेजेण्ड्रा गोमेज (१९५८ से), **शासन-स्वरूप—**गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। इसके अन्दर ६ प्रान्त और एक फेडरल जिला हैं। यहाँ पहले-पहल स्पेनिश लोग सन् १५१५ में आये थे। इस समय यहाँ के मुख्य निवासी स्पेनिश और इयालियन हैं। यूरोप के कुछ दूसरे देशों के लोग भी यहाँ रहते हैं।

यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, जई, तीसी, री और अलफाल्फा है। यहाँ खनिज पदार्थ भी काफी पाये जाते हैं।

यहाँ का संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की काँगरेस की दो सभाएँ हैं, जिनमें क्रम से ३० और १५८ सदस्य हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति होने के लिए यहाँ का निवासी और रोमन कैथोलिक होना आवश्यक है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन में अपना मत प्रदान करना यहाँ अनिवार्य माना जाता है। महिलाएँ भी मत प्रदान कर सकती हैं।

उरुगुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण-पूरब भाग में; **क्षेत्रफल—**७२,१७२ वर्गमील; **जन-संख्या—**२६,५०,००० (१९५६); राजधानी—मॉण्टे विडिओ; **भाषा—**स्पेनिश; **धर्म—**रोमन कैथोलिक; सिक्का-पेसो; प्रेसिडेण्ट ऑफ् दि नेशनल कौंसिल ऑफ स्टेट—मार्टिन आर० इचे गोयन (१९५९-६० के लिए); **शासन-स्वरूप—**गणतन्त्र।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा, किन्तु बहुत उन्नत देश है। यह पहले स्पेन के अधीन था, फिर ब्राजिल का एक प्रान्त हुआ। १८२५ ई० में यह उससे भी स्वतन्त्र हो गया। सन् १५५१ के पहले इसके राष्ट्रपति चार वर्षों के लिए चुने जाते थे, किन्तु उसके बाद किसी व्यक्ति-विशेष का राष्ट्रपति होना बंद कर शासन-प्रबन्ध का सारा अधिकार

एक नेशनल कौंसिल को दिया गया, जिसका अध्यक्ष बहुमत-दल के सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। कौंसिल एक मंत्रिमंडल भी बनाती है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ के उद्योग-धन्धों में सबसे मुख्य पशु-पक्षियों का पालन है।

चिली

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा; **क्षेत्रफल**—२,८६,३६७ वर्गमील; **जन-संख्या**—७१,२१,००० (१६५७ ई०); **राजधानी**—सानटियागो; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—जार्ज अले साण्ड्री; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यहाँ के मूल-निवासियों में मुख्यतः फुएगियन्स, अरौकानियन्स और चानोरू हैं। सन् १६१८ ई० में यह स्पेन के शासन से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। यह संसार में आयोडिन के उत्पादन में प्रथम और ताँबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की नेशनल काँगरेस में सिनेट के ४५ सदस्य और डिप्टियों के चेम्बर के १४७ सदस्य हैं। यहाँ १६३६ से ही राष्ट्र-निर्माण के लिए उत्पादन-विकास-निगम की स्थापना की गई है, जो राष्ट्र के बहुमुखी विकास में काफी योग दे रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

प्रथम विश्व-महायुद्ध (१९१४—१८) की विभीषिका तथा उसकी विनाश-लीला से संत्रस्त होकर संसार के प्रमुख राष्ट्रों ने भावी महायुद्ध की संभावना को कम करने के लिए, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए, एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए १९२० ई० में राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ् नेशन्स) की स्थापना की। राष्ट्रसंघ का प्रारंभ ४२ प्रारंभिक सदस्यों को लेकर हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरोफ विलसन ने इसकी स्थापना में पर्याप्त योगदान किया था। राष्ट्रसंघ ने अपने जीवन-काल में कई ऐसे महत्त्व-पूर्ण कार्य किये, जिनसे भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर होनेवाले राष्ट्र-संगठनों का मार्ग-निर्देश संभव हुआ। किन्तु कई कारणों से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में विफल रहा और इसके रहते ही सन् १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया।

इस द्वितीय महायुद्ध से होनेवाली क्षति प्रथम विश्व-महायुद्ध की अपेक्षा कहीं बढ़-कर थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना ने विश्व-शांति एवं सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय संगठन का महत्त्व स्पष्ट ही कर दिया था, फिर भी कतिपय कारणों से तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करना उचित नहीं समझा और विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा की दिशा में अलग से प्रयत्न किये जाने लगे। इस द्वितीय महायुद्ध के दौरान में ही अमेरिका के राष्ट्र-पति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने सन् १९४१ में एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, जो अतलान्तक-घोषणा-पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र में शान्ति की स्थापना, भय और अभाव से मुक्ति, शक्ति-प्रयोग का निषेध, निःशस्त्रीकरण, अनाक्रमण, कच्चे माल की सब देशों के लिए समान सुविधा, आर्थिक क्षेत्रों में सब देशों का पूर्ण सहयोग आदि प्रमुख बातें थीं।

द्वितीय महायुद्ध की जैसे-जैसे प्रगति होती गई, धुरी-राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) के विरुद्ध लड़नेवाले मित्र-राष्ट्रों को 'संयुक्त राष्ट्र' या 'युनाइटेड नेशन्स' कहा जाने लगा। यह नाम सर्वप्रथम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। अतः, उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू० एन्०) रख दिया गया। युद्ध के दौरान में ही मित्रराष्ट्र इस संगठन को मूर्त्त रूप देने के लिए कटिबद्ध हो गये तथा राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ् नेशन्स) के ढाँचे पर ही इस नये संगठन का निर्माण करने लगे। पहली जनवरी, सन् १९४२ को एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर ब्रिटेन की ओर से चर्चिल ने, अमेरिका की ओर से रूजवेल्ट ने, रूस की ओर से लिटविनॉफ ने और चीन की ओर से टी० यू० सुंग ने हस्ताक्षर किये। ३० अक्टूबर, १९४३ ई० को मास्को में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस के विदेश-मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें एक घोषणा-पत्र द्वारा अन्तरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को

कायम रखने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके बाद काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन-उड्स और हॉटस्प्रिंग में इस सम्बन्ध में सम्मेलन हुए।

अक्टूबर, सन् १९४४ में वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ की रूप-रेखा निश्चित की गई। इस सम्मेलन में आम सभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्तरराष्ट्रीय पुलिस-दल के संगठन के प्रश्न पर विचार किया गया। अन्ततोगत्वा २५ अप्रैल, सन् १९४५ ई० को सानफ्रांसिस्को में धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जो २६ जून, १९४५ तक चलता रहा। सम्मेलन में पचास विभिन्न राष्ट्र सम्मिलित हुए तथा राष्ट्र-संघ की कब्र पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई। १० जनवरी, सन् १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना विधिवत् हो गई और इसकी आम सभा की पहली बैठक लन्दन में हुई।

उद्देश्य और सिद्धान्त

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य—संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं—(१) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, (२) राष्ट्रों के बीच, उनके सम्मान, अधिकार और आत्म-निर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, (३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता-मूलक अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने और मानवीय अधिकारों तथा सबके लिए मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान-भावना का विकास करने में सहयोग करना और (४) इन सार्वजनिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए राज्यों द्वारा किये जानेवाले कार्यों के समन्वय का केन्द्र बनाना।

सिद्धान्त—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर अपना कार्य-सम्पादन करता है—

(१) संघ का संगठन अपने सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता की समता के आधार पर बना है; (२) घोषणा-पत्र के अनुसार जो-जो दायित्व या कर्त्तव्य सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार किये हैं, उन्हें सत्य निष्ठा के साथ पूरा करना है; (३) सदस्यों को अपने अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना है; (४) अपने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में सदस्यों को ऐसे किसी भी प्रकार के शक्ति-प्रयोग की धमकी नहीं देनी है और न शक्ति का प्रयोग करना है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के अनुकूल न हो; (५) घोषणा-पत्र के अनुकूल जो भी काम संयुक्त राष्ट्रसंघ करे, उसमें सदस्यों को हर प्रकार की मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देनी है, जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ निरोधात्मक या आदेश मूलक कारवाई कर रहा हो; (६) संयुक्त राष्ट्रसंघ को देखना है कि जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी, जहाँ तक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है, इन सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ को उन मामलों में दखल नहीं देना है, जो तत्त्वतः किसी राष्ट्र के आन्तरिक या घरेलू क्षेत्र के भीतर आते हों। पर जहाँ शान्ति-भंग का खतरा हो, शान्ति-भंग या आक्रमण किया गया हो और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ आदेश-मूलक कार्यवाही कर रहा हो, वहाँ यह धारा लागू नहीं होगी।

सदस्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता का द्वार उन सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों के लिए खुला है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करते हैं। वर्त्तमान घोषणा-पत्र के दायित्वों को निभाने की सामर्थ्य और अभिलाषा सदस्य-राष्ट्रों में होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक या प्रारम्भिक सदस्यों में वे देश हैं, जिन्होंने १ जनवरी, १९४२ ई० को इसके घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तथा २६ जून, १९४५ ई० को सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन में इसके संशोधित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। प्रारम्भ में ऐसे सदस्य-राष्ट्रों की संख्या पचास थी। सन् १९५५ ई० तक दस सदस्य और शामिल किये गये। इन दिनों सदस्य-राष्ट्रों की संख्या ८३ है। सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर आम-सभा के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन द्वारा नये सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल किये जाते हैं। किसी भी सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों का 'बार-बार' उल्लंघन करने पर भी किसी सदस्य को संघ से निकाला जा सकता है। आम सभा (जेनरल असेम्बली) को अधिकार है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद् ने निरोधात्मक या आदेश-मूलक कार्यवाही की हो, उनकी सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की अभ्यर्थना पर दो तिहाई सदस्यों के वोट से स्थगित कर दे। जिस सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता इस प्रकार स्थगित की गई हो, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी शाखा की बैठकों में शामिल नहीं हो सकता। 'अभी तक कोई भी सदस्य संघ से बाहर नहीं किया गया है। यद्यपि रूस, फ्रांस और दक्षिण अफ्रिका किसी प्रश्न के विरोध में कुछ काल के लिए बैठकों से बाहर निकल चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में विभिन्न महादेशों के निम्नलिखित सदस्य-राष्ट्र हैं—

एशिया (२२)—भारत, चीन (राष्ट्रवादी), इराक, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, ईरान, फिलिपाइन, बर्मा, लंका, नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, लाओस, मलाया, थाइलैंड।

यूरोप (२६)—ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, लक्जेम्बर्ग, डेनमार्क, नारवे, नेदरलैंड, यूनियन ऑफ् सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेनियन रिपब्लिक, ब्योलेरसिया, पोलैंड, जेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, ग्रीस, अलबानिया, आस्ट्रिया, बलगेरिया, हंगरी, फिनलैंड, स्पेन, आइसलैंड, पुर्त्तगाल, आयरलैंड, स्विडन, इटली, रूमानिया।

अफ्रिका—(९) संयुक्त अरब-राज्य (मिस्र और सीरिया), इथोपिया, मोरक्को, दक्षिणी अफ्रिका-संघ, घाना, लीबिया, सूडान, लाइबेरिया, ट्यूनिशिया, कैमेरून।

आस्ट्रेलिया (२)—आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

उत्तरी अमेरिका (१२)—संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, गुआटेमाला, होंडुरास, सालवेडर, निकारगुआ, कोस्टारीका, क्यूबा, हेटी, डोमिनिका, पानामा।

दक्षिणी अमेरिका (११)—कोलम्बिया, बेनेजुएला, इक्वेडर, पेरू, ब्राजिल, बोलिविया, पारागुए, अरजेण्टाइना, उरुगुवे, चिली, गायना।

प्रमुख शाखाएँ

संयुक्त राष्ट्रसंघ की ६ प्रमुख शाखाएँ हैं—(१) आम सभा (जेनरल एसेम्बली); (२) सुरक्षा-परिषद् (सिक्यूरिटी कौंसिल); (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोनोमिक ऐण्ड सोशल काउन्सिल); (४) प्रन्यास-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौन्सिल); (५) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और (६) सचिवालय (सेक्रेटेरियट)।

उपर्युक्त शाखाओं में आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन कार्य करती हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अविभाज्य अंग बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधायिका-सम्बन्धी समस्त कार्य सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के बीच बँटे हुए हैं। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभी शाखाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यह इसकी आम सभा से पृथक् स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य-संपादन करती है।

१. **आम सभा**—संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने पाँच प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जिनका चुनाव वह अपने ढंग से करता है। किन्तु पाँच प्रतिनिधियों का एक ही मत (वोट) गिना जाता है। आम सभा संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रधान सभा है। इसके कार्य अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हैं। इसकी बैठक साल में एक बार नियमित रूप से हुआ करती है। बैठक का आरम्भ सितम्बर महीने में होता है। सुरक्षा-परिषद् तथा सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। आम सभा वस्तुतः एक विचार-विमर्श करनेवाली संस्था है, जो मुख्यतः सुझाव देने या अभ्यर्थना करने का कार्य करती है। शांति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ सुरक्षा-परिषद् को ही सौंप दी गई हैं। आम सभा को कुछ प्रशासन, व्यवस्था, आय-व्ययक (बजट) तथा निर्वाचन-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं।

आम सभा में किसी भी महत्त्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय मतदान करनेवाले उप-स्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से होता है। ऐसी समस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा-परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये सदस्यों की नियुक्ति, किसी सदस्य की सदस्यता का स्थगन, बजट-सम्बन्धी प्रश्न आदि मुख्य हैं। निःशस्त्रीकरण के निर्देशक सिद्धान्तों और शस्त्रास्त्रों के नियमन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी आम सभा को है। सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए आमसभा ही करती है। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के सदस्यों का चुनाव (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) आम सभा ही करती है। यह सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश और सुझाव पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा-परिषद् के साथ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के प्रतिवेदन आम सभा ही स्वीकार करती है। महामंत्री का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सुरक्षा-परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में ही पेश होते हैं, जिनपर आवश्यक विचार-विमर्श के बाद वह उन्हें पारित

करती है। वार्षिक आय-व्ययक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों के बीच व्यय की जानेवाली राशि का बँटवारा आम सभा ही करती है। इसे विशेष परिस्थिति में कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के लिए अस्थायी उप-समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है।

२. **सुरक्षा-परिषद्**—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसके कुल ११ सदस्य होते हैं। जिनमें पाँच स्थायी सदस्य हैं तथा छह दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये अस्थायी सदस्य तुरन्त दुबारे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत अस्थायी सदस्य की एक अवधि पूरी कर चुका है। सुरक्षा-परिषद् के वर्त्तमान अस्थायी सदस्य निम्नांकित हैं — अरजेण्टाइना (१९६० तक), इटली (१९६० तक) जापान (१९५९ तक); पानामा (१९५९ तक), कनाडा (१९५९ तक), ट्यूनीशिया (१९६० तक)। सुरक्षा-परिषद् के पाँच अस्थायी सदस्यों में 'पाँच बड़े राष्ट्र'—अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन (राष्ट्रवादी)—हैं। अल्पकालीन या परिस्थिति-विशेष के लिए सदस्यों की व्यवस्था है। ऐसे सदस्य उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं अथवा सुरक्षा-परिषद् में विचारार्थ उपस्थित समस्याओं से संबंधित होते हैं। इन विशेष सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है; ये किसी भी निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिना जाता है। किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए सात सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। किन्तु महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विषयों के निर्णय के लिए के लिए पाँच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में परिवर्त्तन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र का संशोधन आवश्यक है। सुरक्षा-परिषद् बराबर अधिवेशन में रहती है। इसके सदस्यों की बैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों में प्रत्येक को निषेधाधिकार प्राप्त है और किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग होने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करने पर उसे निषेधात्मक मत नहीं समझा जाता।

सुरक्षा-परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखना है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्य करती है—

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना; (२) उन झगड़ों की तहकीकात करना, जिनसे अन्तरराष्ट्रीय शांति के भंग होने की आशंका हो; (३) उपस्थित विवाद या झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करना; (४) शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजनाएँ बनाना; (५) किसी भी झगड़े या आक्रमण के कारणों का पता लगाना, जिनसे विश्वशान्ति पर खतरा हो और इन्हें तय करने के लिए ठोस कदम उठाना; (६) किसी भी राष्ट्र के अनुचित बर्त्ताव या आक्रमण को रोकने

के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना तथा आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कारर्वाई करना; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ के नये सदस्य बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र की ओर से सिफारिश करना तथा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा (जेनरल असेम्बली) के साथ स्वतंत्र मतदान द्वारा करना और आम सभा में अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन उपस्थित करना।

सुरक्षा-परिषद् के पाँच अंग हैं---(१) सैनिक कर्मचारी-समिति; (२) अणु-शक्ति-आयोग; (३) स्वीकृत सेना-समिति; (४) स्थायी समितियाँ तथा (५) नैमित्तिक समितियाँ और आयोग।

सैनिक कर्मचारी-समिति---(मिलिटरी स्टाफ कमिटी)---इसमें सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों के कर्मचारी रहते हैं। यह समिति शान्ति बनाये रखने के लिए सुरक्षा परिषद् को सैनिक आवश्यकता के प्रश्न पर सलाह और सहायता देती है।

अणु-शक्ति-आयोग---(एटॉमिक एनर्जी कमीशन)---इस आयोग की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा होती है, पर यह सुरक्षा-परिषद् के अधीन ही काम करता है। सुरक्षा-परिषद् के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कनाडा के प्रतिनिधि भी इसमें अवश्य रहते हैं।

स्वीकृत सेना-समिति (कमिटी फॉर कन्वेन्शनल आर्मामेंट)---यह समिति राष्ट्रों की सेना और अस्त्र-शस्त्र को नियमित रखने के सम्बन्ध में काम करती है।

स्थायी समितियाँ (स्टैंडिंग कमिटीज)---इस समिति में विशेषज्ञों की समिति, नियम और कार्यक्रम-सम्बन्धी समिति, सदस्य-नियुक्ति-समिति आदि हैं।

निःशस्त्रीकरण-आयोग (डिसआर्मामेंट कमीशन)---आम सभा द्वारा ११ जनवरी, १९५८ ई० को सुरक्षा-परिषद् के अधीन निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने पूर्व-स्थापित अणुशक्ति आयोग तथा स्वीकृत सेना-आयोग (कमीशन फॉर कन्वेंशनल आर्मामेंट) का स्थान ले लिया। इसका उद्देश्य सशस्त्र सैन्य-शक्ति तथा मानव-समाज के लिए अत्यन्त ही घातक तथा विध्वंसकारी अस्त्रों एवं अणु शस्त्रास्त्रों का नियमन एवं नियंत्रण करना है। यह आयोग अपने शान्ति-सम्बन्धी उद्देश्य की सिद्धि के लिए, मानवता के लिए भीषण विध्वंसकारी तथा घातक शस्त्रास्त्रों एवं अणु-शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाता है। यह सुरक्षा-परिषद् के ही अधीन कार्य करता है तथा अन्तरराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए योजनाएँ बनाता है।

नैमित्तिक समितियाँ और आयोग (एडहॉक कमिटीज ऐण्ड कमीशन)---आवश्यकता पड़ने पर सामयिक तथा अस्थायी प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र-संघ के घोषणा-पत्र में संशोधन के लिए आम सभा के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

३. **आर्थिक और सामाजिक परिषद्**---इसका गठन आम सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों को मिलाकर होता है। प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

तथा प्रतिवर्ष ६ सदस्यों का चुनाव होता है। अवधि पूरी होने पर किसी भी सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस परिषद् में सुरक्षा-परिषद् की भाँति स्थायी सदस्यों की कोई व्यवस्था नहीं है और न भौगोलिक विविधता का या औद्योगिक तथा पिछड़े हुए राष्ट्रों या साम्राज्य-सम्पन्न और उपनिवेशहीन राष्ट्रों के बीच संतुलन का कोई विचार रखा गया है। फिर भी, पाँच बड़े राष्ट्र हमेशा निर्वाचित होते रहे हैं और वे सचमुच परिषद् के स्थायी सदस्य बन गये हैं।

आम सभा की भाँति परिषद् में सभी सदस्यों की समान स्थिति है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को एक वोट का अधिकार है। साधारणतः वर्ष में एक बार परिषद् की वार्षिक बैठक होती है और साधारण बहुमत द्वारा कोई भी प्रस्ताव पास होता है। परिषद् अपनी कार्य-पद्धति के नियम स्वयं बनाती है और अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करती है। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा किये जानेवाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए आम सभा के समक्ष उत्तरदायी होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं -

(१) जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, भरपूर रोजी की व्यवस्था करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की परिस्थिति उत्पन्न करना करना;

(२) अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य-संबंधी एवं शैक्षिक सहयोग के आधार पर इनसे संबंधित समस्याओं का निदान करना;

(३) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद-भाव किये बिना मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनताओं की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा-स्थापन एवं सर्वत्र उनका पालन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए परिषद् अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं बैठकों का आयोजन करती है। यह आमसभा द्वारा स्वीकृत सेवाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के तथा विशेष समितियों के सदस्यों के लिए अर्पित करती है। परिषद् जिन समस्याओं पर विचार करती है, उनसे संबंधित गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करती है। यह परिषद् अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न आयोगों (कमीशनों) को कायम करती है, जिनमें प्रमुख ये हैं— आर्थिक और नियुक्ति-आयोग, गमनागमन और यातायात-आयोग, लगान-आयोग, आँकड़ा (स्टैटिस्टिक्स) आयोग, जन-संख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानवीय अधिकार-आयोग, मादक द्रव्य-आयोग आदि। इनके अतिरिक्त स्थायी समितियों, अस्थायी समितियों और विशेषज्ञ-समितियों के माध्यम से परिषद् अपना काम करती है।

४. **न्यास-परिषद्**—(ट्रस्टीशिप कौंसिल)- -इसका गठन तीन प्रकार के सदस्यों द्वारा होता है—(१) वे सदस्य जो न्यस्त प्रदेशों (ट्रस्ट टेरिटरीज) का प्रशासन करते हैं; (२) सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य, (३) वे सदस्य, जो आम सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। न्यास-परिषद् के निर्वाचित सदस्य अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद तुरत पुनर्निर्वाचन के योग्य समझे जाते हैं।

प्रशासक देश हैं—अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, संयुक्तराज्य, बेलजियम, फ्रांस तथा ग्रेटब्रिटेन। अन्य देश हैं—चीन (पदेन, सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य), रूस

(पदेन, सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य), बर्मा (१९६१ तक), पाराग्युए (१९६१ तक), संयुक्त अरब-गणतंत्र (१९६१ तक), हैटी (१९६० तक) तथा भारत (१९६२ तक)। संयुक्त राष्ट्र-संघ के घोषणा-पत्र में निम्नांकित श्रेणी के प्रदेश प्रन्यस्त प्रणाली के अन्तर्गत रखे गये हैं— (अ) वे प्रदेश, जो राष्ट्रसंघ के शासनान्तर्गत थे, (आ) वे प्रदेश जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शत्रु-राष्ट्रों से छीन लिये गये और (इ) राज्यों द्वारा स्वेच्छा से सौंपे गये प्रदेश।

न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना, तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वायत्त शासन तथा स्वाधीनता की दिशा में प्रगति कर सकें, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मौलिक मानव-अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना और संसार की जातियों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध की स्वीकृति को प्रोत्साहित करना प्रन्यास परिषद् का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रन्यास परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही कोई निर्णय हो पाता है। प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन ऐसे न्यस्त प्रदेशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को पूरा करता है, जिन्हें 'महत्त्वपूर्ण' नहीं घोषित किया गया है। जो न्यस्त प्रदेश 'महत्त्वपूर्ण' घोषित किये जा चुके हैं, उनके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी समस्याओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को सुरक्षा-परिषद् प्रन्यास परिषद् की सहायता से पूरा करती है। प्रन्यास परिषद् शासन करनेवाली शक्तियों के प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समय-समय न्यस्त प्रदेशों में अपने पर्यवेक्षक-मंडलों को भेजती है तथा प्रन्यास-समझौतों के अनुकूल कदम उठाती है। यह न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक उन्नति के संबंध में प्रश्नावली तैयार करती है, जिसके आधार पर शासिका शक्तियों को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं।

५. **अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय**—अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक है। प्रधान संस्था है। यह राजनीतिक झगड़ों पर नहीं, बल्कि कानूनी झगड़ों पर विचार करता यह संयुक्त राष्ट्रों की विधान-संहिता के अनुसार काम करता है, और यह संहिता स्थायी अदालत की संहिता के आधार पर बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का कोई भी सदस्य-राष्ट्र इसमें अपना मामला पेश कर सकता है। सुरक्षा-परिषद् द्वारा अभ्यर्थित और आम सभा द्वारा स्वीकृत शर्त्तों के अनुसार वे राष्ट्र भी अपने मामले अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की अधिकार-सीमा में वे मामले भी आते हैं, जिन्हें उनसे संबंधित दोनों पक्ष न्यायालय के सम्मुख लाना चाहते हैं। सुरक्षा-परिषद् तथा आम सभा किसी भी वैधानिक प्रश्न पर अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय से आवश्यक परामर्श ले सकती है।

मुकदमों के फैसले करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है— (१) अन्तरराष्ट्रीय समझौते, चाहे वे सामान्य रूप के हों, चाहे विशेष; (२) अन्तरराष्ट्रीय परंपराएँ; (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधान के सामान्य सिद्धान्त; (४) न्यायालयों के अधिनिर्णय और विविध देशों के सर्वाधिक उच्च योग्यता-प्राप्त प्रचारकों या लेखकों के उपदेश।

जहाँ झगड़े के उभय पक्ष स्वीकार करें, वहाँ न्यायालय न्याय के सिद्धान्तों और संबंधित राष्ट्रों के सामान्य कल्याण के सिद्धान्तों का उपयोग कर सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन १५ न्यायाधीशों द्वारा होता है, जो ९ वर्षों की अवधि के लिए आमसभा तथा सुरक्षा परिषद् के स्वतंत्र मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन न्यायाधीशों को सदस्य कहा जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं। ९ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई भी न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य समझे जाते हैं। जबतक न्यायाधीश कार्य-भार ग्रहण करते हैं, तबतक उन्हें किसी अन्य पेशे को अपनाने का अधिकार नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी समस्या पर कोई निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है तथा ९ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। इसका कर्यालय हेग नगर (नेदरलैंड) में है।

६. **सचिवालय**—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्थायी कार्यालय है, जिसके प्रधान प्रशासनाधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री (सेक्रेटरी जेनरल) होते हैं। महामंत्री की नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् के अभिस्ताव पर आमसभा द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है। वह आमसभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा न्यास-परिषद् की बैठकों में इसी हैसियत से काम करता है। महामंत्री के कुछ प्रमुख कर्त्तव्य निम्नांकित हैं—

(१) यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वप्रधान प्रशासनाधिकारी होता है।

(२) यह परिषद् का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकृष्ट करता है, जिनसे विश्व-शान्ति के भंग होने की आशंका रहती है तथा सुरक्षा पर खतरे की संभावना रहती है।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन आम-सभा में पेश करता है।

इन दिनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री स्विडन के डाग हैमरशोल्ड हैं, जो १० अप्रैल १९५६ को पुनः पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त हुए हैं।

आमसभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महामंत्री सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते समय न्यायोचित भौगोलिक विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है। महामंत्री और कर्मचारी-वर्ग में से किसी को भी किसी भी सरकार या ऐसी अधिकार-सत्ता से कोई भी निर्देश प्राप्त करने या माँगने की अनुमति नहीं है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन से बाहर हो। दूसरी ओर राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्र भी अपनी ओर से इस बात का वादा करते हैं कि वे महामंत्री और उसके कर्मचारी-वर्ग के अनन्य अन्तर-राष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करेंगे और अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों की पूर्त्ति में उन्हें किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेंगे।

सेक्रेटेरियट के कई विभाग हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं—(१) सुरक्षा-परिषद् कार्य-विभाग, (२) आर्थिक कार्य-विभाग, (३) सामाजिक काय-विभाग, (४) ट्रस्टी-परिषद् और पराधीन देश संबंधी सूचना-विभाग, (५) सार्वजनिक सूचना विभाग, (६) कानून-

विभाग, (७) कान्फ्रेंस और साधारण कार्य-विभाग तथा (८) शासन और अर्थ संबंधी कार्य-विभाग।

प्रवर-समितियाँ (स्पेशियलाइज्ड एजेन्सीज)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। ये विविध संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की खास एजेन्सी के रूप में काम करती हैं—

(१) अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन (इण्टरनेशनल लेबर आरगेनाइजेशन)—इसकी स्थापना ११ अप्रैल, सन् १९१९ को वर्सलीज की संधि के अनुसार हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन राष्ट्रसंघ की एक शाखा के रूप में काम करता था, जो अब संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रवर-समिति के रूप में कार्य कर रहा है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में है। यह संगठन सरकारों को इस संबंध में परामर्श देता है कि वे मजदूरों की रक्षा करनेवाले आधुनिकतम विधान किस प्रकार प्रतिष्ठित करें। रोजगार-संबंधी पर्यवेक्षणों और आँकड़ों तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी विकास यह संगठन करता है। इसका प्रति-वर्ष एक सम्मेलन हुआ करता है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से दो सरकार के, एक मजदूरों के तथा एक पूँजीपतियों के प्रतिनिधि रहते हैं।

इसकी ४० सदस्यों की एक प्रबंध-समिति है। यह अन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय, समितियों तथा आयोगों के कार्यों का निरीक्षण करती है।

(२) खाद्य और कृषि-संगठन (फुड ऐण्ड एग्रिकल्चरल आरगेनिजेशन)—इसकी स्थापना १९४५ ई० के अक्टूबर में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करना, पोषण-शक्ति बढ़ाना तथा खेती, जंगल और मछली-संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सबसे उत्तम संगठनों में से है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की अवस्था में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है—भूमि की उत्पादन-शक्ति तथा जलस्रोतों का विकास, कृषि-उत्पादन के लिए स्थायी अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थापना, नये प्रकार के पौधों का संसारव्यापी विनिमय, सुधरे हुए कृषि-यंत्रों तथा कृषि-प्रणाली का प्रचार और प्रसार, पशु-रोगों की रोक-थाम, पौष्टिक खाद्यान्नों की व्यवस्था, भूमिक्षय पर नियंत्रण, सिंचाई-अभियंत्रण, संचित खाद्य-सामग्री की रक्षा, कृत्रिम खाद का उत्पादन आदि।

२४ सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् होती है, जो सभी सदस्य राष्ट्रों के बदले कार्य-सम्पादन करती है तथा इस संगठन के प्रति उत्तरदायी होती है। परिषद् का कार्य अन्तरराजकीय खाद्य-पदाधिकारियों को कृषि उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में सहायता पहुँचाना है। इसके वर्त्तमान डायरेक्टर जेनरल भारत के श्रीविनयरंजन सेन हैं। इसका प्रधान कार्यालय इटली के रोम नगर में है।

(३) शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संबंधी संगठन (युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एण्ड कल्चरल आरगेनिजेशन)—इसकी स्थापना ४ नवम्बर, १९४५ को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की संस्था है, जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति के विकास से है।

इसका उद्देश्य जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेद-भाव बिना शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का प्रचार कर संसार में सुख और शान्ति स्थापित करना है। शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण के लिए सदस्य-राष्ट्रों में उनके विशेषज्ञों को भेजने की व्यवस्था तथा उनके लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि करना इसका आवश्यक कर्त्तव्य है।

इसके कार्य-संचालन के लिए सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक सामान्य परिषद् है, जिसकी बैठक हर दूसरे वर्ष हुआ करती है। इसमें यूनेस्को (UNESCO) के कार्य-क्रम तथा नीति निर्धारित की जाती है। सामान्य परिषद् के सदस्यों द्वारा एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है, जिसमें २४ सदस्य रहते हैं। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा यह अपने कार्यों के लिए परिषद् के समक्ष उत्तरदायी होती है। सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्रीय आयोगों द्वारा इसके कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं।

(४) विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ आरगेनिजेशन)—इस संगठन की स्थापना सन् १६४८ के ७ अप्रैल को हुई थी, जब ८८ सदस्यों ने इसके विधान को स्वीकार कर लिया। संसार के सभी राष्ट्रों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर की प्राप्ति ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी सेवाएँ दो प्रकार की हैं—परामर्शमूलक तथा प्रौद्योगिक। पहली प्रकार की सेवा में मलेरिया, यक्ष्मा, यौन-रोग, प्रसूतिका तथा शिशु-स्वास्थ्य, पौष्टिकता, वातावरण की सफाई आदि के सम्बन्ध में जानकारी कराने के लिए प्रचार-कार्य तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कृषि उत्पादन तथा आर्थिक विकास से सम्बन्धित विशेष प्रकार के रोगों की रोक-थाम के लिए आधुनिक यंत्रों एवं तरीकों को अपनाकर सामान्यत: स्वास्थ्य की अवस्था में सुधार लाना इसकी 'प्रौद्योगिक' सेवा है।

इसके कार्य-सम्पादन के लिए एक विश्व-स्वास्थ्य-समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष हुआ करती है। यह सभा इस संगठन के नीति-निर्धारण का कार्य करती है। विश्व-स्वास्थ्य-समिति द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों की एक कार्य-समिति होती है, जिसकी बैठक वर्ष में दो बार हुआ करती है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है।

(५) **पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक** (इण्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्सट्रक्शन ऐण्ड डेवलपमेंट)— सदस्य-राष्ट्रों तथा उनके अधिदेशों के पुनर्निर्माण और विकास-कार्य में सहायता देना तथा उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी की व्यवस्था करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। जब किसी देश में उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं होती है तब अपने संचित कोष से यह संस्था उसे कर्ज देती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक को सदस्य-राष्ट्रों के उत्पादन के साधनों के विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की संतुलित वृद्धि के लिए भी आवश्यक पूँजी का प्रबन्ध करना पड़ता है। यह कर्ज सदस्य-राष्ट्रों, उनके राजनीतिक उपविभागों तथा उनके सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत निजी व्यवसायों के लिए भी दिया जाता है। यह बैंक केवल कर्ज का ही प्रबंध नहीं करता, बल्कि सदस्य-राष्ट्रों की

अभ्यर्थना पर आवश्यक कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डलों को भी भेजता है। इस बैंक की अधिकृत पूँजी एक करोड़ अमेरिकी डालर है। यह पूँजी एक लाख डालर के हिस्सों में बँटी हुई है। इन हिस्सों को केवल सदस्य ही खरीद सकते हैं और केवल बैंक को ही ये हस्तांतरित किये जा सकते हैं। ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ३ अरब ४८ करोड़ एक लाख डालर (अमेरिका की स्वर्ण-मुद्रा) विभिन्न राष्ट्र को कर्ज के रूप में दिये जा चुके हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

(६) **अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम**—(इण्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन)—इसकी स्थापना जुलाई, १९५६ ई० में की गई। २० फरवरी, १९५७ ई० से यह संयुक्त राष्ट्र-संघ की एक प्रवर-समिति के रूप में कार्य कर रहा है। यह यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बैंक से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है तथापि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका कोष अन्तरराष्ट्रीय बैंक के कोष से बिलकुल पृथक् है।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र-संघ के सदस्य-राष्ट्रों में पूँजी की व्यवस्था कर निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। यह निजी उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। उन कर्जों की अदायगी के लिए संबद्ध राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह की गारण्टी नहीं ली जाती। अधिकांशतः ऐसे सदस्य-राष्ट्रों को कर्ज दिये जाते हैं, जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनकी पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। गृह एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-लागत की वृद्धि करने में यह निगम सहायक होता है। इसकी अधिकृत पूँजी (अथोराइज्ड कैपिटल) दस करोड़ रुपये है। इसके कार्य-संचालन के निमित्त एक संचालक-मंडल है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बैंक के सभी कार्यपालक निदेशक, जो कम-से-कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तरराष्ट्रीय बैंक के अध्यक्षपदेन अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम के संचालक-मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

(७) **अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष** (इण्टरनेशनल मनीटरी फंड)—इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ ई० को हुई थी जबकि ब्रिटेनवुड्स संविदा-पत्र के अनुसार इसके कोष का ८० प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत करना, अन्तरराष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना; न्यून अवधि के विनिमय की सुविधा देना, अन्तरराष्ट्रीय विनिमय को सुदृढ़ करना, सदस्य-राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व प्रणालियों की स्थापना करना आदि इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय द्रव्य-कोष वैदेशिक मुद्रा या सोना की बिक्री सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के संबंध में परामर्श भी देता है। यह लागत के मामले में मुद्रा-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेवाले नियंत्रण में कमी लाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह वैदेशिक विनिमय के साधन सभी सदस्यों के लिए सुलभ करता है। अभ्यर्थना पर यह किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एवं मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है। ये विशेषज्ञ सदस्य-राष्ट्रों को इन समस्याओं के अतिरिक्त विनिमय-संबंधी बातों में भी अपने सुझाव

देते हैं। इसके १७ कार्यकारी संचालक संचालकों में से होते हैं, जो सबसे अधिक राशि प्रदान करते हैं। शेष १२ सदस्य-राष्ट्रों के गवर्नरों द्वारा चुने जाते हैं। इसका प्रबंध-संचालक कार्यकारी संचालकों द्वारा चुना जाता है। प्रबंध-संचालक की सहायता के लिए एक उप-प्रबंध-संचालक रहता है, जो प्रबंध-संचालक की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

(८) **अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-संगठन** (इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन आरगेनिजेशन)—१९४४ ई० में शिकागो के अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-सम्मेलन में २८ राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत समझौते के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रैल १९४७ को हुई। अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-संबंधी नियमादि निश्चित करना तथा उड्डयन-संबंधी अन्य समस्याओं को हल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तैयार करता है। इसका संबंध अन्तरराष्ट्रीय वायु-यातायात से संबंधित अनेक आर्थिक समस्याओं से है। इस संगठन के कार्य सम्पादन के लिए सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामान्य समिति होती है। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करती है, जिसमें इसका अनुमित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये २१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद् का गठन होता है। इसके गठन में वायु यातायात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देशों एवं भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फैले देशों का ध्यान रखा जाता है। यह परिषद् इस संगठन की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को उड्डयन-संबंधी सुविधाएँ प्रदान करती है। परिषद् अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। कार्यालय का कार्य-सम्पादन महामंत्री (सेक्रेटरी जेनरल) द्वारा होता है। इसका प्रधान कार्यालय मौण्ट्रियल (कनाडा) में है। इसके अतिरिक्त पाँच क्षेत्रीय कार्यालय मौण्ट्रियल (मुख्य कार्यालय), लीमा, पेरिस, कैरो और बैंकाक में हैं।

(९) **विश्व-डाक-संघ** (युनिवर्सल पोस्टल यूनियन)—इसकी स्थापना ९ अक्टूबर १८७४ ई० को बर्न में हुए डाक-सम्मेलन के स्वीकृत समझौते के आधार पर १ जुलाई, १८७५ ई० को की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—इस संघ में सम्मिलित हुए सभी देशों में डाक-संबंधी सुविधाओं का विकास करना, डाक-संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करना, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना वगैरह। इसका कार्य-संचालन विश्व-डाक-महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति करती है। इसका एक महामन्त्री होता है, जिसके अधीन कार्यालय का कार्य सम्पादन होता है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न नामक स्थान में है।

(१०) **अन्तरराष्ट्रीय दूर-संवाहन-संघ** (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन्स यूनियन)—इसकी स्थापना सन् १८६५ ई० में 'इण्टरनेशनल टेलिग्राफ यूनियन' के नाम से हुई। सन् १९३२ ई० में मैड्रिड में हुए रेडियो-टेलिग्राफ-सम्मेलन में स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्र के अनुसार इसका नाम अन्तरराष्ट्रीय दूर-संवाहन संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन) पड़ा। सन्

१९४७ ई० में इसका पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर, १९५२ ई० को ब्यूनिस-आयर्स में हुए राजप्रतिनिधि-सम्मेलन में स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्र के अनुसार १ जनवरी, १९५४ ई० से इसका शासन-कार्य चल रहा है। तार, टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा सर्वसाधारण को कम-से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तरराष्ट्रीय नियमादि बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह हर प्रकार के दूर-संवाहन (टेलि-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सभी राष्ट्रों के दूर-संवाहन-विषयक समान उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करता है।

इसके कार्य-संचालन के लिए अधिकार-प्राप्त राज-प्रतिनिधियों का एक संघ है जिसकी बैठक हर पाँचवें वर्ष हुआ करती है। १८ सदस्यों की इसकी एक प्रशासकीय परिषद् है, जो कार्य-समिति का कार्य करती है। इसकी बैठक वर्ष में साधारणतया एक बार होती है, किन्तु किन्हीं ६ सदस्यों की अभ्यर्थना पर अधिक बैठकें भी हो सकती हैं। इसका एक सचिवालय है, जिसका प्रधान महामन्त्री (सेक्रेटरी जेनरल) होता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

(११) विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ (दी वर्ल्ड मेटियरोलोजिकल आरगेनिजेशन)—इसकी स्थापना २३ मार्च, १९५० ई० को हुई। इसका उद्देश्य ऋतु-विज्ञान-संबंधी कार्यों एवं पर्यवेक्षणों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी पर जगह-जगह केन्द्रों एवं स्टेशनों की स्थापना करना तथा उन्हें चलाना है। साथ ही विश्व में होनेवाले ऋतु-विज्ञान-संबंधी कार्यों एवं अनुसंधानों में सहयोग प्रदान करना और उनके स्तर को ऊँचा उठाना इसका उद्देश्य है। विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ संसार के विभिन्न देशों को ऋतु-विज्ञान-संबंधी वे सभी सूचनाएँ देता है, जिनका संबंध मानव के क्रिया-कलापों से है। यह ऋतु-पर्यवेक्षण संबंधी प्रकाशनों एवं सूचनाओं में एकरूपता लाना चाहता है तथा उड्डयन, जहाजरानी, कृषि एवं अन्य कार्यों में अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी सूचनाओं के उपयोग में वृद्धि करता है।

इसके कार्य-संचालन के लिए एक कार्य-समिति है, जो अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी प्राविधिक कार्यों, अध्ययनों एवं अनुसंधानों का निरीक्षण करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आवश्यक होती है। इसके सचिवालय का प्रधान महामन्त्री होता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

(१२) अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन (इंटर-गवर्नमेण्टल मेरिटाइम कंसलटेटिव आरगेनिजेशन)—६ मार्च, १९४८ ई० को जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक सम्मेलन में, जिसमें ३५ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन की स्थापना के लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसपर सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिये। सन् १९५८ ई० के आरंभ में २१ राष्ट्रों ने, जिनमें से ७ राष्ट्रों के पास कुल १० लाख टन वजन से कम पोत-समूह नहीं थे, उक्त प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतों के ले जाने तथा लाने के संबंध में निर्मित नियमों

पर विचार, विभेदक नीति का उन्मूलन, जलपोत-संबंधी प्राविधिक समस्याओं का समाधान तथा सरकारों द्वारा अनुचित रोक को हटाकर सभी सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करना है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी शाखा या प्रवर-समिति द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत जलपोत-संबंधी समस्याओं पर विचार कर अपना निर्णय देता है। यह संगठन मुख्यत: परामर्श देने का ही कार्य करता है।

(१३) **अन्तरराष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण**—(इण्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी) – इसकी स्थापना २९ जुलाई, १९५७ ई० को की गई। इसका विधान न्यूयार्क में हुए एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अक्तूबर, १९५६ को ही स्वीकृत हो चुका था। समग्र संसार में अणु-शक्ति का प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संस्था अणु-शक्ति के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन नहीं देती, जिनसे युद्ध की संभावना तथा विध्वंस की आशंका हो।

इसके विधान में एक साधारण सभा, प्रशासक-परिषद् और एक महानिर्देशक की व्यवस्था है। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है तथा अभिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसका गठन होता है। इसके विधान के अनुसार एक प्रशासक-परिषद् अभिकरण के कार्यों को संपादित करती है। इसी प्रशासक-परिषद् द्वारा महानिर्देशक की नियुक्ति चार वर्षों के लिए होती है। महानिर्देशक ही इस संस्था का प्रमुख प्रशासनाधिकारी होता है। इसका प्रधान कार्यालय वियना (आस्ट्रिया) में है।

(१४) **अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संघटन**—(इण्टरनेशनल ट्रेड ऑरगेनिजेशन)— अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संगठन की स्थापना अबतक नहीं हो सकी है। हवाना-घोषणा-पत्र, जिसके अनुसार इसके लक्ष्यों को क्रियात्मक रूप दिया जानेवाला था, अबतक कार्यान्वित नहीं हो सका है। फिर भी उपर्युक्त घोषणा-पत्र के प्रमुख लक्ष्य को 'अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य-संधि' के रूप में मूर्त्त रूप दिया गया है। इसका अँगरेजी नाम 'जेनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड' है। इसका उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवसाय करनेवाले देशों को प्रोत्साहन देना है।

उपर्युक्त प्रवर-समितियों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की और भी कई शाखा-संस्थाएँ हैं, जो अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। उदाहरणार्थ अन्तरराष्ट्रीय बाल-संकट-कोष, अन्तरराष्ट्रीय शरणार्थी संघटन आदि।

कुछ प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय संगठन एवं संधियाँ

राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स)

राष्ट्रमंडल के सदस्य वे ही राष्ट्र हैं, जो अभी ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अधिराज्य या रक्षित राज्य हैं या अभी हाल तक उसके उपनिवेश, अधिराज्य या रक्षित राज्य रह चुके हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से अभी हाल में स्वतन्त्र हुए कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं, जो इसके सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमंडल के सदस्यों में ब्रिटेन के अतिरिक्त पूर्ण स्वतंत्र हुए राष्ट्र भारत, पाकिस्तान और लंका हैं, तथा अधिराज्यों में कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रिका, घाना, पश्चिमी द्वीप-समूह राज्य-संघ (फेडरेशन ऑफ वेस्ट इण्डीज) और मलाया राज्य-संघ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से हाल में स्वतंत्र हुए राष्ट्र आयरलैंड, बर्मा और सूडान राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमंडल की कोई एक केन्द्रीय सरकार, सेना या न्यायपालिका नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच विशेष संधि या किसी किस्म की शर्तें नहीं हैं। इसका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। इसके सदस्य राष्ट्र केवल शांति-स्थापना, स्वाधीनता तथा विश्व-सुरक्षा के उद्देश्य से परस्पर सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रमंडल का प्रधान कार्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र सदस्य-राष्ट्र भारत, पाकिस्तान और लंका ब्रिटेन के राजा या रानी को राष्ट्रमंडल का प्रतीकात्मक प्रधान-मात्र मानते हैं, प्रधान शासक नहीं; किन्तु शेष सभी सदस्य-राष्ट्र प्रधान शासक मानते हैं। राष्ट्रमंडल के निर्माण के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ देशों की एक कान्फ्रेन्स हुआ करती थी, जिसे इम्पीरियल कान्फ्रेन्स कहा जाता था। सबसे अन्तिम इम्पीरियल कान्फ्रेन्स, १६३७ में हुई थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद अप्रैल १९४६, अक्तूबर १९४८, अप्रैल १९४९, जनवरी १९५१, जून १९५३, फरवरी १९५५, जून १९५६, जून १९५७ तथा सितम्बर १९५८ में राष्ट्रमंडल के राष्ट्रों के प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन हुए। नवम्बर, १९५२ में राष्ट्रमंडल का आर्थिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अधिकतर सदस्य-राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल के अर्थमंत्रियों के सम्मेलन जुलाई १९४९, जनवरी १९५२ तथा जनवरी १९५४ में हुए। राष्ट्रमंडल के अर्थमंत्रियों की अनौपचारिक बैठकें सितम्बर, १९५४ ई० में वाशिंगटन में, सितम्बर १९५५ ई० में इस्ताम्बुल में तथा सितम्बर १९५६ ई० में वाशिंगटन में हुईं। कनाडा की सरकार के आमंत्रण पर राष्ट्रमंडल की अन्य समस्याओं के अतिरिक्त व्यावसायिक तथा आर्थिक समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए एक सम्मेलन सितम्बर, १९५७ ई० में मौण्ट-ट्रेम्बलैण्ट, क्यूबेक में तथा दूसरा सितम्बर, १९५८ ई० में मौण्ट्रियल में हुआ। दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया की तत्कालीन आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने के लिए जनवरी, १९५० ई० में परराष्ट्रमन्त्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो में हुआ। इसी सम्मेलन में कोलम्बो-योजना का प्रादुर्भाव हुआ। सन् १९४७ ई० में जापान के साथ शान्ति-समझौता के निमित्त केनबेरा (अस्ट्रेलिया) में एक बैठक हुई। जून, १९५१ में राष्ट्रमंडल के सुरक्षा-मंत्रियों की तथा उसी वर्ष के सितम्बर महीने में आपूर्ति मंत्रियों की बैठकें हुईं।

मंत्रिमंडलों की बैठकों की तरह अब राष्ट्रमंडल के मंत्रियों के भी गुप्त सम्मेलन हुआ करते हैं। राष्ट्रमंडल की आर्थिक समिति, कार्यकारिणी समिति, कृषि-परिषद्, जलपोत-वाणिज्य समिति (शिपिंग कमेटी) आदि की बैठकें भी हुआ करती हैं।

कोलम्बो-योजना

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जनवरी, १९५० में राष्ट्रमंडल के परराष्ट्र-मन्त्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो (लंका) में हुआ। उसके निर्णय के अनुसार २८ नवम्बर, १९५० को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सामूहिक आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक उन्नति के लिए एक योजना प्रकाशित की गई, जिसका नाम कोलम्बो-योजना पड़ा। १ जुलाई, १९५१ से कोलम्बो-योजना का कार्य आरम्भ किया गया और यह निश्चय किया गया कि ३० जून, १९५७ तक के लिए एशिया के सदस्य-राष्ट्रों के विकास-कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जाय। प्रत्येक राष्ट्र को अपने कार्यक्रम में इच्छानुसार संशोधन-परिवर्द्धन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। सन् १९५५ ई० में परामर्शदात्री समिति की बैठक सिंगापुर में हुई, जिसमें योजना की अवधि ३० जून, १९६१ तक के लिए बढ़ा दी गई। इसकी परामर्शदात्री समिति में ग्रेटब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ब्रिटिश बोर्नियो तथा सिंगापुर प्रारम्भिक सदस्य-राष्ट्र हैं। वीतनाम, कम्बोडिया, लाओस और संयुक्तराज्य अमेरिका १९५१ में, बर्मा और नेपाल १९५२ में, इण्डोनेशिया १९५३ में तथा जापान, फिलिपाइन और थाईलैंड १९५४ ई० में, इसके सदस्य हुए। इन सदस्य-राष्ट्रों में अस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेटब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका कार्य-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्र हैं।

इसके उद्देश्यों द्वारा सम्बद्ध राष्ट्रों में निर्धनता को दूर कर साम्यवाद के प्रसार को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इसका कार्यालय कोलम्बो में है। इस योजना में सम्मिलित देशों को परस्पर के देशों में प्राविधिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सन् १९५८ के जून के अंत तक विदेशों से १००२ विशेषज्ञ योजना-क्षेत्र में लिये गये जो दवा, स्वास्थ्य, अभियंत्रणा, खाद्य, कृषि, यातायात, परिवहन, शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लंका, मलाया और सिंगापुर ने आपस में विकास-योजनाओं एवं संस्थाओं की सहायता के लिए प्रशिक्षण की सुविधा एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक भी कोलम्बो-योजना में सम्मिलित देशों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त ऋण देता रहा है।

अरब-लीग

२२ मार्च, सन् १९४५ ई० को कैरो में, अरब-राष्ट्रों ने अरब की एकता को कायम रखने के लिए एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर एक संघ का निर्माण किया। इस राज्य-संघ में मिस्र, इराक, जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, यमन और लीबिया सम्मिलित हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच हुए समझौतों को क्रियात्मक रूप देना; सदस्य-राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना; समय-समय पर इसकी बैठकें बुलाना;

राजनीतिक क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण सहयोग; सदस्य-राष्ट्रों की स्वाधीनता एवं प्रभु-सत्ता की रक्षा; अरब-राष्ट्रों से सम्बन्धित कार्यों पर विचार-विमर्श तथा आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एवं परिवहन-सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग।

अरब-लीग की एक सामान्य परिषद्, एक विशेष समिति तथा एक सचिवालय है। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक समिति है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्री सदस्य के रूप में रहते हैं। इसकी कौंसिल की बैठकें वर्ष में दो बार हुआ करती हैं। इसका सचिवालय कैरो में है। सदस्य-राष्ट्रों का आपसी झगड़ा, वैमनस्य एवं कटुता के कारण लीग का अभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया है।

अरब-सुरक्षा-संधि

अरब-सुरक्षा-संधि (अरब-सेक्युरिटी पैक्ट) का पूरा नाम अरब-राज्यसंघ सामूहिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग-संधि (अरब-लीग कलेक्टिव सेक्युरिटी ऐण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन पैक्ट) है। इसकी स्थापना १७ जुलाई, सन् १९५० ई० को की गई। इस संधि को पाँच देशों—मिस्र, इराक, सीरिया, जोर्डन और लेबनान ने स्वीकार किया। यह संधि प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले उपर्युक्त देशों के बीच, सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करते हुए किसी भी सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की व्यवस्था करती है तथा अरब-लीग के अन्तर्गत संबद्ध देशों के दायित्व को निर्धारित करती है।

बगदाद-संधि

२४ फरवरी, १९५५ को बगदाद में टर्की और इराक द्वारा पारस्परिक सुरक्षा के निमित्त एक समझौता किया गया, जो बगदाद-संधि के नाम से प्रसिद्ध है। उसी वर्ष ४ अप्रैल को ग्रेटब्रिटेन, २३ सितम्बर को पाकिस्तान तथा ३ नवम्बर को ईरान इसमें सम्मिलित हुए। अप्रैल १९५६ में संयुक्तराज्य अमेरिका इसकी आर्थिक एवं विध्वंस-विरोधी समितियों में तथा मार्च १९५७ ई० में इसकी सैन्य-समिति में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ और तबसे उसके प्रतिनिधि इसकी बैठकों में भाग लेते रहे। २८ जुलाई १९५८ को संयुक्तराज्य अमेरिका ने इसके प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार कर लिया। ५ मार्च, १९५९ को अंकारा में संयुक्तराज्य अमेरिका और टर्की के बीच तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विभुजी सुरक्षा-समझौते हुए। जुलाई, १९५८ की क्रान्ति के बाद से इराक ने बगदाद-समझौता में सम्मिलित देशों की कार्यवाहियों में भाग लेना बन्द कर दिया तथा २४ मार्च, १९५९ से उसने बाजाप्ता अपने को पृथक् कर लिया। अक्टूबर, १९५८ ई० में इसका मुख्य कार्यालय बगदाद से अंकारा में स्थानान्तरित कर दिया गया और इराकी महामंत्री अवनी खलीदी की जगह एम० ओ० ए० बेग (पाकिस्तान) इसके महामंत्री बनाये गये। इस सन्धि-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं —

(१) इस सन्धि में सम्मिलित देश पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे।

(२) सन्धि में सम्मिलित कोई भी देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा आपसी झगड़ों का निपटारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से स्वयं कर लेगा।

(३) संधि में सम्मिलित राष्ट्र किसी भी ऐसी अन्तरराष्ट्रीय संस्था में सम्मिलित नहीं होंगे, जिनके उद्देश्यों का सामंजस्य इस संधि के उद्देश्यों के साथ नहीं है।

(४) इस सन्धि का द्वार अरब-लीग के किसी भी सदस्य-राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्रों के लिए खुला हुआ है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और शान्ति से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं तथा जिन्हें टर्की और इराक स्वीकार करें।

(५) इस समझौता की अवधि पाँच वर्ष की है और आगामी पाँच वर्ष के लिए फिर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोई भी सदस्य-राष्ट्र उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के ६ मास पूर्व अन्य सदस्य-राष्ट्रों को सूचना देकर सदस्यता से पृथ-क् हो सकता है।

बगदाद संधि समिति की एक बैठक जनवरी, १९५९ के अन्तिम सप्ताह में कराँची में हुई, जिसमें अपना सामरिक संगठन दृढ़ करने का निश्चय किया गया।

त्रिदलीय सुरक्षा-संधि

अगस्त, १९५१ में संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर एक संधि की, जिसके अनुसार किसी भी अन्तरराष्ट्रीय झगड़े को शान्तिपूर्ण रीति से तय करने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय हुआ कि प्रशान्त महासागर में संधि के अन्तर्गत किसी भी पार्टी की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतन्त्रता या सुरक्षा पर खतरा हो तो उस सम्बन्ध में सम्मिलित रूप से विचार किया जाय।

दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक रक्षा-संधि

८ सितम्बर, १९५४ को अस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर मनिला (फिलिपाइन) में दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा एवं आर्थिक साधनों के विकास के लिए उक्त संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस संधि को अँगरेजी में 'साउथ-ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेन्स ट्रिटी' कहते हैं। इस संधि के अनुसार खड़े किये गये सामरिक और असामरिक सभी संगठनों के कार्यालय बैंकॉक (थाईलैंड) में हैं। वहीं इसकी कौंसिल की बैठकें भी हुआ करती हैं।

बान्डुंग-सम्मेलन

सन् १९५५ ई० के १८ अप्रैल से लेकर २४ अप्रैल तक एशिया तथा अफ्रीका के ३० स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बान्डुंग (इण्डोनेशिया) में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस सम्मेलन की सफलता का श्रेय भारत, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान की सरकारों को है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व-शांति एवं पारस्परिक मैत्री की भावना से आर्थिक तथा सांस्कृतिक

सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना था । उक्त सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

(१) उपनिवेशवाद की मनोवृत्ति का अन्त हो तथा जो लोग दूसरों द्वारा शासित शोषित और दास बनाये गये हैं, उन्हें स्वतन्त्रता दी जाय।

(२) पंचशील के सिद्धान्तों का पालन हो।

(३) विश्व के सभी देशों का निःशस्त्रीकरण किया जाय।

(४) अणु-अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

(५) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में एशिया तथा अफ्रिका के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय और उन एशियाई एवं अफ्रिकी देशों को, जो अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, सदस्य बनाया जाय।

(६) सभी देश पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन (अफ्रो-एशिया सॉलिडैरिटी कॉन्फ्रेन्स) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर कैरो मिस्र) में सन् १९५७ के २६ दिसम्बर से सन् १९५८ की १ जनवरी तक हुआ। इस सम्मेलन में दोनों महादेशों से अनेक देशों एवं औपनिवेशिक क्षेत्रों के ५०० प्रतिनिधि आये थे। कुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्यवादी समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर दिया। ये राष्ट्र थे—लाइबेरिया, पाकिस्तान, स्याम, फिलिपाइन, दक्षिण वीतनाम, मोरोक्को, मलाया, कम्बोडिया और लाओस। सोवियत-संघ से यहाँ २७ व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मंडल आया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये— साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जाति-भेदवाद , ट्रस्टीशिप आदि की निन्दा की गई। केनिया, कैमेरून, उगाण्डा, मडागास्कर, सोमालीलैंड आदि देशों की स्वतन्त्रता एवं साइप्रस के आत्मनिर्णय की माँग की गई, उत्तर और दक्षिण कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वीतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद सन्धि और आइसन हॉवर-सिद्धान्त को अरब राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का बाधक तथा इजराईल को साम्राज्यवाद का एक अड्डा कहा गया एवं राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन और मंगोलिया को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। कैरो में इस संगठन की एक स्थायी संस्था कायम करने का भी निश्चय हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रैल, १९६० में कोनाकरी में हुआ।

अफ्रिका-एशिया आर्थिक सम्मेलन

यह सम्मेलन १९५८ ई० के ८ से ११ दिसम्बर तक कैरो (मिस्र) में हुआ, जिसमें अफ्रिका और एशिया के ३० देशों के व्यवसाय-मंडल के प्रतिनिधि आये थे। भारत भी इसमें सम्मिलित था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के महम्मद रसीद ने की। सम्मेलन ने दोनों महादेशों के आर्थिक सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था—अफ्रिका-एशिया आर्थिक सहयोग-संघ (अफ्रो-एशियन कोनॉमिक को-ऑपरेशन ऑरगेनिजेशन)

की स्थापना की, जिसका कार्यालय तबतक के लिए कैरो में रखा गया। संघ की एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई, जिसमें चीन, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, भारत, इराक, गायना, लीबिया, पाकिस्तान, सूडान और संयुक्त अरब-गणतन्त्र के प्रतिनिधि रखे गये। संघ की रूपरेखा तैयार करने का भार इसी समिति पर छोड़ा गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के उद्योग धंधे और व्यवसाय-वाणिज्य की उन्नति के संबंध में कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३० अप्रैल, १९६० को कैरो में हुआ।

अखिल अफ्रीकी जन-सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९५८ ई० के ८ से १३ दिसम्बर तक अकारा (घाना) में हुआ, जिसमें ५० राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, छात्र-आन्दोलनों एवं अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अफ्रिका के निम्नलिखित राष्ट्रों, उपनिवेशों तथा अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हुआ था—अलजीरिया, अंगोला, बासुटोलैंड, कैमेरून, दहोमी, इथोपिया, घाना, गायना, केनिया, लाइबेरिया, लीबिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सियेरालियोन, दक्षिणी अफ्रिका, दक्षिणी रोडेशिया, टंगानिका, टोगोलैंड, ट्यूनिशिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब-गणतन्त्र और जंजीबार, केनिया के एक श्रमिक नेता टॉम मबोआ ने इसकी अध्यक्षता की। यद्यपि यह सम्मेलन अराजकीय संस्थाओं का था, तथापि दक्षिण अफ्रिका और सूडान के अतिरिक्त सभी अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासक दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए गांधीजी की पद्धति पर योजना तैयार करना और उसे काम में लाना। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अनुरोध करे कि वे अफ्रिका से बिल्कुल हट जायँ और शासन-सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जनता के मताधिकार से कायम हुई गणतन्त्रीय सरकार के हाथ सौंप दें। अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध खड़े किये गये संघर्ष में हर तरह से सहायता पहुँचावें और जाति-भेद माननेवाले दक्षिण अफ्रिका आदि की सरकार से अपना राजदूतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लें, निष्कासित अलजीरिया की सरकार को मान्यता प्रदान करें और अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक-दल तैयार करें।

एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक संघ (कॉमनवेल्थ) भी तैयार करने का निश्चय किया गया। समस्त अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में विभक्त कर देने का विचार हुआ, जो एक अखिल अफ्रिकी संघ (कॉमनवेल्थ) में सम्मिलित रहेंगे। ये पाँच समूह होंगे—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमीय और केन्द्रीय समूह।

अकारा-सम्मेलन

अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन १९५८ के १५ से २२ अप्रैल तक अकारा (घाना) में हुआ। इसमें भाग लेनेवाले राष्ट्र थे—इथोपिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया,

मोरोक्को, सूडान, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब-गणतन्त्र। सम्मेलन का उद्घाटन घाना के प्रधान मंत्री डॉ० नक्रुमाह ने किया था, जिसके निमंत्रण पर सब देश के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार-विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना और उसे सुदृढ़ बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने का रास्ता ढूँढ़ना, शान्ति-रक्षा के प्रश्नों पर विचार विमर्श करना तथा विश्व के महान् राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अपील करना, जिससे सभी राष्ट्र ध्वस्त होने से बच सकें। सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रैल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अफ्रिकी उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का निश्चित समय बताने के लिए आग्रह हुआ; अलजीरिया के स्वतन्त्रता-आन्दोलन का समर्थन किया गया; फ्रांसीसी कैमेरून पर शस्त्र प्रयोग करने की निन्दा की गई; एवं जाति-भेद दूर करने, आणविक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द करने तथा पैलेस्टाइन की समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की गई।

अटलांटिक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के दौरान में १४ अगस्त, १९४१ ई० को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्सटन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक प्रदेश के किसी स्थान पर हुई बैठक के परिणाम स्वरूप एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो 'अटलांटिक घोषणा-पत्र' (अटलांटिक चार्टर) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र की प्रमुख शर्तें निम्नांकित थीं—

(१) क्षेत्रीय या किसी अन्य प्रकार के प्रसार या विस्तार का अंत हो।

(२) किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित जनता की प्रकट इच्छा के बिना उस क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाय।

(३) सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपनी सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार रहे।

(४) जिन राष्ट्रों को प्रभु-सत्ता-संबंधी अधिकारों एवं स्वशासन से बलपूर्वक वंचित कर दिया गया है, उन्हें वे लौटाये जायँ।

(५) संसार के व्यापार एवं कच्चे माल तक सभी राष्ट्रों की पहुँच समानता के आधार पर हो।

(६) आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्णतम सहयोग रहे।

(७) नाजी जुल्म का अन्त कर निखिल विश्व में शान्ति की स्थापना की जाय।

(८) ऐसे आक्रामक राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण हो, जो सामान्य सुरक्षा एवं विस्तृत तथा स्थायी व्यवस्था में बाधक हों, और ऐसे राष्ट्रों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाय, जो शस्त्रीकरण के बोझ को हलका करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा चुके हों।

कौमिनफार्म

कौमिनफार्म (कम्युनिस्ट इनफॉरमेशन ब्यूरो—साम्यवादी सूचना-विभाग) की स्थापना का निश्चय ५ अक्तूबर, १९४७ ई० को पोलैण्ड की राजधानी वारसा में होनेवाली एक गुप्त बैठक में किया गया, जिसमें यूरोप के नौ देशों - सोवियत-संघ, पोलैण्ड, बलगेरिया, रूमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली और फ्रांस के साम्यवादी दल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 'कौमिनफार्म' कौमिनटर्न (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) का दूसरा नाम है, जिसे २२ मई, सन् १९४३ ई० को कानूनी दृष्टि से विघटित कर दिया गया था। यह संस्था रूस के साम्यवादी दल का संबंध बाहर के साम्यवादी दलों के साथ स्थापित करता है। इसका प्रधान कार्यालय युगोस्लाविया में था, किन्तु कौमिनफार्म के साथ वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का मतभेद होने के कारण युगोस्लाविया को कौमिनफार्म से अलग कर दिया गया और इस संस्था का कार्यालय रूस ले जाया गया।

प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता

सन् १९४६ में राष्ट्रसंघ की आर्थिक और सामाजिक समिति ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की कर आदि सम्बन्धी दिक्कतें दूर करने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सनद का मसविदा तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की। यह सनद १९४८ में पूरी की गई। परन्तु इसे संयुक्तराज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं होने से यह ज्यों-की त्यों पड़ी रह गई। ऐसी अवस्था में उस सनद को तैयार करनेवाले सदस्य-राष्ट्रों ने १९४७ में प्रशुल्क और व्यापार के सम्बन्ध में एक सामान्य समझौता (जनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिफ ऐण्ड ट्रेड) तैयार किया, जो १९४८ की पहली जनवरी से व्यवहार में लाया जाने लगा। उस समय २३ राष्ट्रों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। १९५९ में आकर इसे स्वीकार करनेवाले ३७ राष्ट्र हो गये हैं। दो अन्य राष्ट्रों ने भी इसे अस्थायी रूप से स्वीकार किया है। ये राष्ट्र विश्व के ८० प्रतिशत व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं। इस समझौते में सम्मिलित राष्ट्रों का अधिवेशन भविष्य में साल में दो बार हुआ करेगा। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

पश्चिमी यूरोपीय संघ

१७ मार्च, १९४८ को ग्रेटब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड, बेलजियम और लक्जेम्बर्ग के परराष्ट्रमन्त्रियों ने ब्रुसेल्स (बेलजियम) में एकत्र होकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में एक साथ काम करने तथा सामूहिक आत्मरक्षा के लिए एक पचास वर्षीय सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे ब्रुसेल्स-संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय संघ (वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन) कायम किया गया। पीछे पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इस संघ में सम्मिलित हुए। इस संघ का बाजाप्ता उद्घाटन १९५५ में किया गया। संघ की कौंसिल में उक्त सभी सात राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसका कार्यालय ९ ग्रॉस वेनोर प्लेस, लन्दन में है। इसके वर्त्तमान महामंत्री लुई गॉफिन हैं।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन

द्वितीय महायुद्ध में जब यूरोप की बहुत आर्थिक क्षति हुई, तब उस क्षति की पूर्ति कर वहाँ की आर्थिक दशा सुधारने के लिए पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता मालूम पड़ी। संयुक्तराज्य अमेरिका ने पारस्परिक सहयोग दिखाने पर आर्थिक सहायता करने का आश्वासन भी दिया। अतएव १६ अप्रैल, १९४८ को इंगलैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया, बेलजियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, आइरिश रिपब्लिक, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, नारवे, पुर्त्तगाल, स्विडन, स्विट्जरलैंड, टर्की और पश्चिमी जर्मनी के प्रतिनिधियों ने पेरिस में बैठकर इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन (आरगेनिजेशन फॉर इकोनोमिक को-ऑपरेशन) को कायम किया। १९५० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा ने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के समान आर्थिक समस्या सम्बन्धी कार्यों में सहयोग देना स्वीकार किया। १९५५ से स्पेन और युगोस्लाविया का इस संस्था के कृषि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग देना आरम्भ हुआ। १९५७ से युगोस्लाविया इसकी यूरोपीय उत्पादन एजेन्सी में भी सम्मिलित होने लगा। इस संस्था का कार्यालय पेरिस में है। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए इसकी एक कौंसिल और एक कार्य-समिति है। कौंसिल में सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। कौंसिल का अध्यक्ष-पद ग्रेटब्रिटेन को दिया गया है। इसके प्रधानमंत्री रेने सरजेण्ट (फ्रांस) हैं।

यूरोपीय कौंसिल

यूरोपीय कौंसिल (कौंसिल ऑफ यूरोप) की स्थापना ५ मई, १९४९ ई० को हुई। पहले इंगलैंड फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, नारवे और स्विडन इसके सदस्य थे। पीछे टर्की, ग्रीस और आइसलैंड भी इसके सदस्य हुए। पश्चिमी जर्मनी इसका एसोसिएट मेम्बर बना। इसका उद्देश्य अपने सामान्य आदर्शों और सिद्धान्तों की सुरक्षा के निमित्त सदस्यों के बीच अधिकतर एकता कायम करना तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सुगम बनाना है। इसकी एक मन्त्रिपरिषद् (कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स) और एक परामर्शदात्री सभा (कनसल्टेटिव असेम्बली) हैं। इसका कार्यालय स्ट्रॉसबर्ग (फ्रांस) में है। इसके प्रधानमन्त्री लोडोवीको वेनवेनुटो हैं।

उत्तर अटलाण्टिक संधि-संगठन

उत्तर अटलाण्टिक संधि-संगठन (नॉर्थ अटलाण्टिक ट्रिटी आरगेनिजेशन—'नाटो')—यह यूरोप के कुछ राष्ट्रों का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है रूस या अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के आक्रमण करने पर सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना। संगठन की शर्तों पर ४ अप्रैल १९४९ को वाशिंगटन में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेटब्रिटेन, कनाडा फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड और नारवे के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किया। १९५१ में ग्रीस और टर्की तथा १९५४ में पश्चिमी जर्मनी भी इस संगठन के अन्दर आ गये। इस संगठन की एक कौंसिल है जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। इसके वर्त्तमान महामन्त्री पाल हेनरी स्पाक हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसकी अपनी एक सेना भी है।

वारसा-सन्धि

वारसा-सन्धि (वारसा-पैक्ट) रूस तथा अन्य सात साम्यवादी राष्ट्रों—अलबानिया, बलगेरिया, हंगरी, पश्चिमी जर्मनी, पोलैंड, रूमानिया, जेकोस्लोवाकिया—द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों के उत्तर अटलांटिक-संधि-संगठन के मुकाबले एक संस्था खड़ी करना था। रूस ने पहले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन निर्माण को ही रोकने की चेष्टा की थी। किन्तु इस कार्य में सफल न होने पर उसके मुकाबले दूसरी संस्था खड़ी करने के संबंध में मार्च, १९५१ से ही साम्यवादी राष्ट्रों में विचार-विमर्श होने लगा। दिसम्बर, १९५४ में मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें साम्यवादी राष्ट्रों ने निश्चय किया कि यदि पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का प्रयत्न किया जायगा तो यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र भी आपस में एक संधि करेंगे। फलस्वरूप इन राष्ट्रों ने मई १९५५ में वारसा (पोलैंड) में शान्ति और सुरक्षा के लिए तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के निमित्त एक सन्धि की। इसके अनुसार उपर्युक्त कार्य-संचालन के लिए आठ राष्ट्रों की एक राजनीतिक परामर्शदात्री समिति और एक संयुक्त सैनिक कमांड संगठित हुए। इसका प्रधान कार्यालय मास्को (रूस) में रखा गया है।

यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय

यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय (यूरोपियन कोल ऐण्ड स्टील कम्युनिटी) १८ अप्रैल, १९५१ को बेलजियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, लक्जेम्बर्ग और नेदरलैंड के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय (यूरोपियन कोल ऐण्ड स्टील कम्युनिटी) नामक संस्था को जन्म दिया। इसका काम है सदस्य-राष्ट्रों के बीच कोयला और स्टील के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाना। इसके अन्तर्गत उच्च अधिकारी (हाइ ऑथोरिटी), सामान्य सभा (कॉमन एसेम्बली), न्यायालय (कोर्ट ऑफ जस्टिस) और मंत्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर) हैं। इसका कार्यालय लक्जेम्बर्ग में है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

यूरोप के जिन ६ राष्ट्रों ने यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय को १९५१ में संगठित किया था, उन्हीं राष्ट्रों ने २५ मार्च, १९५७ को रोम की एक बैठक में अन्य वस्तुओं का भी एक सामान्य बाजार कायम करने आदि के काम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी) नामक संस्था की नींव डाली। इसके अन्दर यूरोपियन कमीशन, न्यायालय, एसेम्बली एवं आर्थिक और सामाजिक समिति हैं।

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय (यूरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी) नामक संस्था का संगठन बेलजियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लक्जेम्बर्ग और नेदरलैंड ने २५ मार्च, १९५७ को रोम में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ ही किया। यह संस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य करती है।

अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन

अमेरिकी राष्ट्रों का प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन १४ अप्रैल, १८६० को वाशिंगटन में हुआ। इसमें अमेरिकी गणतंत्रों का एक अन्तरराष्ट्रीय संघ कायम किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्द्ध के राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहयोग स्थापित करना है। पीछे के सम्मेलनों ने इसके कार्य-क्षेत्र को और भी विस्तृत किया। इस समय २१ अमेरिकन गणतंत्र इसके सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—अर्जेण्टिना, बोलिविया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, इलसालवेडर, गुआटेमाला, हैटी, होण्डुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, परागुए, पेरू, संयुक्त-राज्य अमेरिका, उरुगुए, वेनेजुएला। इस संस्था के कार्य इसके विभिन्न अंगों द्वारा सम्पादित होते हैं। ये अंग हैं—१. अन्तः अमेरिकी सम्मेलन, २. परराष्ट्रमंत्रियों का परामर्श-सम्मेलन, ३. कौंसिल, ४. अखिल अमेरिकी संघ, ५. विशेष सम्मेलन और ६. विभिन्न विषयक संगठन। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके प्रधानमंत्री उरुगुए के जोसे ए० मोरा हैं।

रीओ-संधि

अगस्त, १६४७ में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुल २१ स्वतंत्र राष्ट्रों ने रीओ नामक स्थान में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे रीओ-संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार इन राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र पर भी आक्रमण होने पर शेष सभी राष्ट्रों को अधिकार हो जाता है कि आह्वान किये जाने पर उसकी रक्षा करें।

संयुक्त-राज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-शासन

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-शासन (यूनाइटेड स्टेट्स इण्टरनेशनल को-ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन—'आई० सी० ए०') नामक संयुक्तराज्य अमेरिका की यह संस्था परराष्ट्र-सम्बन्धी आर्थिक और टेकनिकल साहाय्य-कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। पहले इस काम को अमेरिका की तीन संस्थाएँ करती थीं। उन सबको बन्द कर यह संस्था स्वराष्ट्र-विभाग के अन्दर एक अर्द्ध-स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित की गई। द्वितीय महासमर के समय से लेकर १६५७ के आर्थिक वर्ष तक अमेरिका ने ६० विभिन्न देशों को इसके द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचाई है। इस संस्था के डायरेक्टर जेम्स डब्ल्यू० रिड्लवर्गर हैं।

विश्व-चर्च-परिषद्

विश्व-चर्च-परिषद् (वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेज) का बाजाप्ता संगठन २३ अगस्त, १६४८ ई० को एम्सटरडम (नेदरलैंड)-सम्मेलन में किया गया, जिसमें ४४ देशों के १४७ चर्चों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। दूसरा सम्मेलन १६५४ के अगस्त में इवान्सटोन(अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन में १६३ सदस्य-चर्चों के प्रतिनिधि आये थे। अप्रैल, १६५६ तक सदस्य-चर्चों की संख्या १६७ हुई। परिषद् का प्रधान कार्यालय १७ रोटे-डी-मेलेगनोड,

जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। इसके प्रधानमन्त्री हैं डॉ० डब्ल्यू० ए० विसर्ट हफ्ट। परिषद् का कार्य कई भागों में विभक्त है।

सर्वप्रथम ईसाई मिशनों का एक विश्व-सम्मेलन विदेशों में होनेवाले मिशनरियों के कार्यों में सहयोग स्थापित करने के लिए सन् १९१० में एडिनबर्ग (ग्रेटब्रिटेन) में हुआ था। १९२१ में एक इएटरनेशनल मिशिनरी कौंसिल बनी। इस कौंसिल ने १९२८ में जेरूजेलम में, १९३८-३९ में ताम्बरम (मद्रास) में, १९५२ में विलिंगेन (जर्मनी) में तथा १९५७-५८ में घाना (अफ्रिका) में सम्मेलन बुलाये। ईसाई धर्म-सम्बन्धी विश्वासों और व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए १९२७, १९३७ और १९५८ में विश्व सम्मेलन किये गये। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए १९२५ और १९३७ में सम्मेलन बुलाये गये। विश्व-चर्च-परिषद् की रूपरेखा तैयार करने के लिए १९३८ में ही एक समिति बनाई गई थी। इसी की रूपरेखा के आधार पर १९४८ में विश्व-चर्च-परिषद् नामक स्थायी संस्था की स्थापना हुई।

विश्व की मुख्य जातियाँ, धर्म और भाषाएँ

विभिन्न जातियाँ

अक्का—मध्य अफ्रिका के बौने। ४-५ फीट लम्बे और बड़े सिरवाले होते हैं।

अफरीदी—भारत की सीमा पर एशियाई तुर्क।

इस्कीमो—उत्तरी अमेरिका और उत्तरी साइबेरिया के रेड-इण्डियन।

एंथ्रोफैगी—कैस्पियन समुद्र के चारों तरफ पाई जानेवाली एक जाति, जो अपनी ही जाति के मांस का भक्षण करती है। केवल पुराने लेखकों द्वारा उल्लिखित।

काफीर—अफ्रिका के एक प्रकार के नीग्रो, जो बड़े लड़ाकू होते हैं।

काले यहूदी—कोचीन (भारत) में पाई जानेवाली एक जाति।

कुर्द—टर्की, फारस और इराक के बीच बँटा देश कुर्दिस्तान के निवासी।

क्रेओल्स—वेस्टइंडीज के निवासी।

क्रोट्स—क्रोटिया (युगोस्लाविया) के निवासी।

खिरगीज—मध्य एशिया के निवासी।

गुरखा—नेपाल की एक युद्ध-वीर जाति।

जुलू—दक्षिण अफ्रिका की एक असभ्य जाति।

टुंग—यूरल पर्वत के निवासी।

टोडा—नीलगिरि के अधिवासी।

उयाक—बोर्नियो की एक असभ्य जाति।

द्रविड़—दक्षिण भारत और लंका में पाई जानेवाली एक अनार्य-जाति।

नेग्रीलो—कांगो-बेसिन के मूल-निवासी।

फिलिपिनो—फिलिपाइन्स द्वीप के निवासी, जो ईसाई हो गये हैं।

फ्लेमिंग—बेलजियम के निवासी।

बर्बर—उत्तरी अफ्रिका की एक गोरी जाति, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं।

बागिरमी—अफ्रिका की चाड झील के दक्षिण रहनेवाले लोग।

बान्तू—दक्षिण अफ्रिका के नीग्रो।

बास्क—उत्तरी स्पेन की एक परम स्वतन्त्र जाति। स्पेन के अन्तिम गृह-युद्ध के समय जेनरल फ्राँको द्वारा इनकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई।

बेदोऊँ—अरब की एक घुमक्कड़ जाति, जो इराक और अफ्रिका के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।

बोअर—दक्षिण अफ्रिका के डच।

ब्राहुई—बलुचिस्तान के निवासी।

महसूद—पाकिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा पर की एक जन-जाति।

माओरी—न्यूजीलैंड के निवासी।

मूर —उत्तरी अफ्रिका के उत्तरी हिस्से के निवासी, जो अरब-जाति के हैं और किसी समय स्पेन के भी शासक रहे।

मैग्यार--हंगरी के निवासी।

मोपला—मालाबार (बम्बई) जिले के निवासी, जो अरब-जाति के हैं।

मोहॉक– उत्तरी अमेरिका के निवासी।

यांकी--न्यू इंगलैंड स्टेट के निवासी।

रेड-इण्डियन —उत्तरी अमेरिका की एक आदिम-जाति।

लैप—स्विडन, नारवे और फिनलैंड के उत्तर लैपलैंड के मूल-निवासी।

वालून—बेलजियम के निवासी।

संथाल—छोटानागपुर और उड़ीसा की एक आदिम-जाति।

सोमोयेद—एशिया के टुण्ड्रा-क्षेत्र के मूल-निवासी।

स्लोवेन—युगोस्लाविया में पाई जानेवाली स्लाव-जाति के लोग।

हॉटेण्टॉट—दक्षिण अफ्रिका की एक आदिम-जाति।

होवा—मडागास्कर के निवासी।

धर्म

धर्म			अनुयायियों की संख्या
क्रिश्चियन	...	...	८३,५५,६४,५४२
रोमन कैथोलिक	...	...	४६,६५,१२,०००
पूर्वी ऑर्थोडॉक्स	...	...	१२,६१,६२,७५५
प्रोटेस्टेन्ट	...	....	२०,६८,५६,७८७
यहूदी	...	....	१,१६,३६,८७१
मुस्लिम	...	...	४२,०६,०६,६६८
जोरोस्ट्रियन	....	....	१,४०,०००
शिन्तो	...	...	३,००,००,०००
टाओइस्ट	...	....	५,००,५३,२००
कनफ्यूसियन	...	...	३,००,२६,०५,०००
बौद्ध	...	...	१५,०३,१०,०००
हिन्दू	...	...	३२,२३,३७,२८६
आदिम-जाति	...	...	१२,११,५०,०००
अन्य	....	....	४०,२४,५०,६०३
			२,६४,४८,४०,०००

मुख्य भाषाएँ

सर्वप्रमुख सात भाषाएँ

भाषाएँ			बोलनेवालों की संख्या
मंडारिन (चीन)	...	...	४४,४०,००,०००
अँगरेजी	...	...	२७,८०,००,०००
रूसी (रूस)	....	...	१५,६०,००,०००
हिन्दी (भारत)	...	...	१४,६०,००,०००
स्पेनिश (स्पेन)	...	...	१४,२०,००,०००
जर्मन (जर्मनी)	...	...	१२,००,००,०००
जापानी (जापान)	...	...	६,५०,००,०००

अन्य प्रमुख भाषाएँ

अजरबैजानी (रूस और ईरान)	...	....	५०,००,०००
अनामी (दे०—वीतनामी)			
अफ्रिकन (दक्षिण अफ्रिका)	...	...	४०,००,०००
अमहारिक (इथोपिया)	..	...	८०,००,०००
अरबी (अरब)	...	...	७,६०,००,०००
अलबानियन (अलबानिया)	...	...	२०,००,०००
अरमेनियन (अरमेनिया)	...	...	४०,००,०००
आसामी (भारत)	...	...	७०,००,०००
इगबो (या इगवो) (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	४०,००,०००
इटालियन (इटली)	....	....	५,७०,००,०००
इबीबिओ-एफिक (पश्चिमी अफ्रिका)	...	....	१०,००,०००
इलोकानो (फिलिपाइन्स)	....	...	२०,००,०००
इवे (पश्चिमी अफ्रिका)	...	....	१०,००,०००
उजबेक (रूस)	...	...	७०,००,०००
उड़िया (भारत)	...	...	१,४०,००,०००
उमबुन्दू (अंगोला, अफ्रिका)	...	...	२०,००,०००
उयगुर (सिक्यिांग, चीन)	....	...	३०,००,०००
उर्दू (पाकिस्तान, भारत)	...	...	५,१०,००,०००
एक्जोसा (दक्षिणी अफ्रिका)	....	...	३०,००,०००
एस्टोनियन (एस्टोनिका, रूस)	...	...	१०,००,०००
एस्पेराण्टो (सहायक अन्तरराष्ट्रीय भाषा १८८७)		...	१०,००,०००
कज़ाक (रूस)	...	....	४०,००,०००

भाषाएँ	...	... बोलनेवालों की संख्या
कनारी (दे०-कन्नड)		
कन्नड (भारत)	... ...	१,६०,००,०००
कम्बोडियन (कम्बोडिया, एशिया)	... ...	३०,००,०००
कश्मीरी (भारत)	... ...	२०,००,०००
किंबुन्दू (अंगोला; अफ्रिका)	... ...	१०,००,०००
किकुयू (केनिया, अफ्रिका)	... .	१०,००,०००,
किरगिज़ (रूस)	....	१०,००,०००,
कुरदिश (कैस्पियन सागर के दक्षिण-पश्चिम)	...	५०,००,०००
कैटेलन (स्पेन, फ्रांस और अंडोरा)	... ...	५०,००,०००
कैण्टोनी (या कैण्टोनीज) (चीन)	... ...	४,३०,००,०००
कोरियन (कोरिया)	... ...	३,३०,००,०००
क्वेचुआ (दक्षिणी अमेरिका)	... ...	६०,००,०००
खरवारी (भारत)	... .	३०,००,०००
खस्कुरा (नेपाल, भारत)	... ...	३०,००,०००
गांडा (या लुगाँडा) (अफ्रिका)	....	२०,००,०००
गाला (इथोपिया)	... ...	३०,००,०००
गुआरानी (मुख्यतः पारागुए)	... ...	२०,००,०००
गुजराती (भारत)	....	२,००,००,०००
गौलिसियन (स्पेन)	....	२०,००,०००
गोंडी (भारत)	... ...	१०,००,०००
गोरगियन (रूस)	....	१०,००,०००
ग्रीक (ग्रीस)	....	८०,००,०००
चीनी (दे०—मंडारिन, कैण्टोनी, वू, मिन और हक्का)		
चुभाश (रूस)	....	१०,००,०००
जावानीज (जावा)	... ...	४,२०,००,०००
जुलू (दक्षिणी अफ्रिका)	... ...	३०,००,०००
जेकोस्लोवाक (जेकोस्लोवाकिया)	... ...	६०,००,०००
टागालोग (फिलिपाइन्स)	....	८०,००,०००
ट्वीफेण्टी (पश्चिमी अफ्रिका)	... .	२०,००,०००
डच (दे०—नेदरलैण्डी)	....	
ड्याक (बोर्नियो)	... .	१०,००,०००
डेनिश (डेनमार्क)	....	५०,००,०००
ताजकी (रूस)	....	१०,००,०००
तामिल (भारत, लंका)	....	३,५०,००,०००
तिब्बती (तिब्बत)	... .	७०,००,०००

भाषाएँ		बोलनेवालों की संख्या
तुर्कमान (रूस)	... ...	१०,००,०००
तुर्की (टर्की)	... ...	२,३०,००,०००
तुलू (भारत)	... ...	१०,००,०००
तेलुगु (भारत)	... ...	३,६०,००,०००
नगाला (या लिंगाला) (अफ्रिका)	... ...	१०,००,०००
नारवेजियन (नारवे)	... ...	४०,००,०००
नेदरलैंडिस (डच और फ्लेमिश)	... ...	१,७०,०,०००
न्यांजा (दक्षिणी-पूर्व अफ्रिका)	... ...	१०,००,०००
पंजाबी (भारत-पाकिस्तान)	... ...	२,४०,००,०००
पश्तो (मुख्यतः अफगानिस्तान)	... ...	१,१०,००,०००
पुर्त्तगीज (पुर्त्तगाल)	... ...	७,४०,००,०००
पोलिश (पोलैंड)	... ...	३,३०,००,०००
प्रोवेंकल (दक्षिण फ्रांस)	... ...	६०,००,०००
फारसी (पर्शियन) (फारस)	... ...	२,००,००,०००
फिनिश (फिनलैंड)	... ...	४०,००,०००
फुला (पश्चिमी अफ्रिका)	... ...	६०,००,०००
फ्रेंच (मुख्यतः फ्रांस)	... ...	७,००,००,०००
फ्लेमिश (दे०—नेदरलैंडी)		
बँगला (भारत और पाकिस्तान)	... ...	७,६०,००,०००
बर्मीज (बर्मा)	... ...	१,४०,००,०००
बर्बर (बोलियों का समूह) (उत्तरी अमेरिका)		
बलगेरियन (बलगेरिया)	... ...	७०,००,०००
बलूची (ईरान और पाकिस्तान)	... ...	२०,००,०००
बहासा इण्डोनेशिया (दे०—मलय)		
बाटक (इण्डोनेशिया)	... ...	१०,००,०००
बालिनिज (बाली)	... ...	४०,००,०००
बाश्किर (रूस)	... ...	१०,००,०००
बिसाया (फिलिपाइन्स)	... ...	८० ००,०००
बूंगी (इण्डोनेशिया)	... ...	१०,००,०००
मराठी (भारत)	... ...	३,२०,००,०००
मलय (या बहासा इण्डोनेशिया)	... ...	६,६०,००,०००
मलयालम (भारत)	... ...	१,५०,००,०००
मलागेसी (मडागास्कर)	... ...	४०,००,०००
माकुआ (दक्षिण-पूर्व अफ्रिका)	... ...	१०,००,०००
मालिंके-बम्बारा-डियुला (अफ्रिका)	... ...	३०,००,०००

भाषाएँ	बोलनेवालों की संख्या
मिन (चीन)	३,६०,००,०००
मेसिडोनियन (युगोस्लाविया)	१०,००,०००
मैडरीज इण्डोनेशिया	६०,००,०००
मोसी (पश्चिमी अफ्रिका)	२०,००,०००
मॉर्डविन (रूस)	१०,००,०००
यूक्रेनियन (मुख्यतः रूस)	४,००,००,०००
योरूबा (पश्चिमी अफ्रिका)	४०,००,०००
राजस्थानी (भारत)	१,७०,००,०००
रूआण्डा (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका)	६०,००,०००
रूण्डी (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका)	२०,००,०००
रूमानियन (रूमानिया)	१,७०,००,०००
लाओ (लाओस, एशिया)	१०,००,०००
लिगला (दे०—नगला)	
लिथुआनियन (लिथुआनियन, रूस)	३०,००,०००
लुगांडा (दे०—गांडा)	
लैटवियन (या लैटिश) (लैटेविया)	२०,००,०००
वीतनामी (वीतनाम)	२,३०,००,०००
वू (चीन)	३,६०,००,०००
वोलगा तार्तार (रूस)	३०,००,०००
श्वेत रूसी (ह्वाइट रशियन) (मुख्यतः रूस)	१,००,००,०००
सरबो-क्रोट (युगोस्लाविया)	१,६०,००,०००
सिंहली (लंका)	७०,००,०००
सिन्धी (भारत, पाकिस्तान)	५०,००,०००
सुडानी (इण्डोनेशिया)	१,३०,००,०००
सोथो, उत्तरी (दक्षिणी अफ्रिका)	१०,००,०००
सोथो, दक्षिणी (दक्षिणी अफ्रिका)	१०,००,०००
सोमाली (पूर्वी अफ्रिका)	३०,००,०००
स्यामी (स्याम)	१,६०,००,०००
स्लोवाक (जेकोस्लोवाकिया से पूरब)	३०,००,०००
स्लोविनी (युगोस्लाविया)	२०,००,०००
स्वाहिली (पूर्वी अफ्रिका)	१,००,००,०००
स्वेडिश (स्विडन)	६०,००,०००
हंगेरियन (या मैगियर) (हंगरी)	१,२०,००,०००
हक्का (चीन)	१,६०,००,०००
हिब्रू	२०,००,०००
हौसा (पश्चिमी और मध्य अफ्रिका)	१,३०,००,०००

विभिन्न देशों और नगरों की विविध बातें

देशों के राष्ट्रीय नाम

देश	राष्ट्रीय नाम	देश	राष्ट्रीय नाम
अबिसीनिया	इथोपिया	नारवे	नॉरगे
आस्ट्रिया	ऑस्टेरिच	परशिया	(फारस अब ईरान)
आयरिश फ्री स्टेट	आयर	पोलैंड	पोलास्का
इजिप्ट	मिस्र	फिनलैंड	सौमी
इण्डिया	भारत	बेलजियम	लाबेलजिक
ग्रीस	हेलास	स्याम	थाईलैंड
चीन	चुंगकुओ	स्विट्जरलैंड	हेलविटा
जर्मनी	ड्युट्सलैंड	हंगरी	मेग्योरीजाग
जापान	निपोन	हालैंड	नेदरलैंड

देशों के राष्ट्रीय दिवस

देश का नाम	दिवस का नाम	तिथि
अफगानिस्तान	स्वतन्त्रता-दिवस	२७ मई
अर्जेण्टाइना	स्वतन्त्रता की घोषणा	९ जुलाई
अस्ट्रेलिया	अस्ट्रेलिया-दिवस	२६ जनवरी
आयरलैंड	राष्ट्रीय दिवस	१७ मार्च
इजराइल	स्वतन्त्रता-दिवस	२७ अप्रैल
इटली	गणतन्त्र की स्थापना	जून
इण्डोनेशिया	स्वतन्त्रता-दिवस	१७ अगस्त
कनाडा	परिसंघ (कान्फेडरेशन)	१ जुलाई
ग्रेटब्रिटेन	राजा या रानी का जन्म-दिवस	(अभी २१ अप्रैल)
चीन	गणतन्त्र-घोषणा	१ अक्टूबर
जापान	सम्राट् का जन्म-दिवस	(अभी ११ मार्च)
टर्की	गणतन्त्र की घोषणा	२९ अक्टूबर
डेनमार्क	राजा का जन्म दिवस	(अभी २९ अप्रैल)
थाईलैंड	राष्ट्रीय दिवस	२४ जून
नारवे	संविधान-दिवस	१७ मई
नेदरलैंड	राजा या रानी का जन्म-दिवस	(अभी ३० अप्रैल)
नेपाल	दशहरा-दिवस	सितम्बर-अक्तूबर
पाकिस्तान-दिवस	पाकिस्तान	१४ अगस्त
पेरू	राष्ट्रीय दिवस	२८ जुलाई
पोलैंड	राष्ट्रीय दिवस	२२ जुलाई

देश का नाम	दिवस का नाम	तिथि
फिनलैंड	स्वतंत्रता की घोषणा	६ दिसम्बर
फिलिपाइन्स	राष्ट्रीय दिवस	४ जुलाई
फ्रांस	बास्टिल किले पर आधिपत्य-प्राप्ति-दिवस	१४ जुलाई
बर्मा	स्वतंत्रता-दिवस	४ जनवरी
बेलजियम	राष्ट्रीय दिवस	२१ जुलाई
ब्राजिल	स्वतन्त्रता की घोषणा	७ सितम्बर
भारत	स्वतन्त्रता-दिवस	१५ अगस्त
	गणतन्त्र-दिवस	२६ जनवरी
मिस्र	स्वातन्त्र्य-युद्ध की वर्षगाँठ	१४ नवम्बर
मेक्सिको	स्वतन्त्रता-दिवस	१६ नवम्बर
रूस	७ नवम्बर	राष्ट्रीय दिवस
लंका	स्वतन्त्रता-दिवस	४ फरवरी
संयुक्तराज्य अमेरिका	स्वतन्त्रता-दिवस	४ जुलाई
स्विट्जरलैंड	परिसंघ का स्थापना-दिवस	१ अगस्त

भौगोलिक नामों में परिवर्त्तन

प्राचीन	*नवीन*
अंगोर	अंकारा
आइरिश फ्री स्टेट	आयर
कौन्सटैन्टिनोपुल	इस्ताम्बुल
क्रिश्चियाना (नारवे)	ओस्लो
कोरिया	चूजन
क्वीन्स टाउन (आयरलैंड)	कॉब
निजनीनोव गोरॅड	गोर्की
परशिया या फारस	ईरान
पीपिंग	पेकिंग
पेट्रोगार्ड	लेनिनग्राड
फारमोसा	तैवान
बेबिलोन या मैसोपोटामिया	इराक
मंचुको	मंचूरिया
रूस	यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
सैंडविच	हवाईयन
स्याम	थाईलैंड

बड़े भूकम्प

समय	*स्थान और देश*	*मृत्यु*
८५६ (दिसम्बर)	कोरिन्थ, ग्रीस	४५,०००
१०३८	शन्सी, चीन	२३,०००
१०५७	चिहली, चीन	२५,०००
१२६८	सिलिसिया, एशियामाइनर	६०,०००
१२९० (२७ सितम्बर)	चिहली, चीन	१,००,०००

समय	स्थान और देश	मृत्यु
१२९३ (२० मई)	कमारकुरा, जापान	३०,०००
१५३१ (२६ जनवरी)	लिसबन, पुर्त्तगाल	३०,०००
१५५६ (२४ जनवरी)	शेन्सी, चीन	८,३०,०००
१६६७ (नवम्बर)	शेयाका, कौकेशिया, रूस	८०,०००
१६९३ (११ जनवरी)	कटानिया, इटली	६०,०००
१७३७ (११ अक्टूबर)	कलकत्ता, भारत	३,०० ०००
१७५५ (७ जून)	उत्तरी फारस	४०,०००
१७५५ (१ नवम्बर)	लिसबन, पुर्त्तगाल	६० ०००
१७८३ (४ फरवरी)	कैलेब्रिया, इटली	५०.०००
१७९७ (४ फरवरी)	क्वीटो, इक्वेडर	४१,०००
१८१९ (१६ जून)	कच्छ, भारत	१,५४३
१८२२ (५ सितम्बर)	अलेपो, एशिया माइनर	२२,०००
१८२८ (२८ दिसम्बर)	इच्गिो, जापान	३०,०००
१८६८ (१३-१५ अगस्त)	पेरू और इक्वेडर	२५,०००
१८७५ (१६ मई)	कोलम्बिया, बेनेजुएला	१६,०००
१८९६ (१६ अगस्त)	इक्वेडर और पेरू	७०,०००
१८९७ १२ जून)	आसाम, भारत	१,५४२
१८९८ (१५ जून)	सागर की लहर, जापान	२२ ०००
१९०६ (१६ अप्रैल)	वलपरेसो, चिली	१,५००
१९०६ (१८ अप्रैल)	सानफ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया सं० रा० अ०	४५२
१९०७ (१४ जनवरी)	किंगस्टन, जमैका	१,४०२
१९०८ (२८ (दिसम्बर)	मेसीना, इटली	७५,०००
१९१५ १३ जनवरी)	अवेजानो, इटली	२९,९७०
१९२० (१६ दिसम्बर)	कांसू, चीन	१,८०,००८
१९२३ (१ सितम्बर)	टोकियो, जापान	१,४३,०००
१९३२ (२६ दिसम्बर)	कांसू, चीन	७०,०००
१९३४ (१५ जनवरी)	बिहार, भारत	५०,०००
१९३५ (३१ मई)	क्वेटा, भारत	६०,०००
१९३९ (२७ दिसम्बर)	एर्जिगन, टर्की	२३,०२०
१९५० (१५ अगस्त)	आसाम, भारत	१,५००
१९५१ (६ मई)	जुकुआपा, एलसाल्वेडर	४००
१९५३ (१२ फरवरी)	तुरुद ईरान	५३०
१९५३ (१८ मार्च)	पश्चिमोत्तर टर्की	१,२०१
१९५३ (११—१६ अगस्त)	आयोनियन द्वीपपुंज, ग्रीस	४२०
१९५५ (१ अप्रैल)	फिलिपाइन्स द्वीपपुंज	४३५

समय	स्थान और देश	मृत्यु
१९५६ (१०—१७ जून)	उत्तरी अफगानिस्तान	२,०००
१९५७ (२ जुलाई)	उत्तरी ईरान	२,५००
१९५७ (१३ दिसम्बर)	पश्चिमी ईरान	१,०६२
१९५७ (१३ दिसम्बर)	बाहरी मंगोलिया	१,२००
१९६० (२६ फरवरी)	अगादीर, मोरोक्को	१,२०००
१९६० (फरवरी और अप्रैल)	लार और गारास, ईरान	३,०००

बड़े नगरों की जन-संख्या

शहर का नाम	देश	समय	जन-संख्या
टोकियो	जापान	१ जून १९५८	८७,७४,६८३
लंदन	इंगलैंड	अनुमानित १९५८	८२,५१,०००
न्यूयार्क	सं० रा० अमेरिका	१ अप्रैल १९५७	७७,९५,४७१
संघाई	चीन	अनुमानित १९५७	६२,०४,४१७
मास्को	रूस	अनुमानित १९५६	४८,३९,०००
मेक्सिको	मध्य अमेरिका	१९५७	४५,०० ०००
पिपिंग	चीन	अनुमानित १९५७	४१,४०,०००
ब्युनिस-आयर्स	अर्जेण्टाइना	१९५८	३७,०३,०००
शिकागो	संयुक्तराज्य अमेरिका	१९५०	३६,२०,९६२
बर्लिन	जर्मनी (पूर्व और पश्चिम)	१९५६	३३,७४,५८२
लेनिनग्राड	रूस	अनुमानित १९५६	३१ ७६,०००
साओपालो	ब्राजिल	अनुमानित १९५७	३१,४९,५०४
तियेन्सिन	चीन	अनुमानित १९५७	३१,००,०००
कलकत्ता	भारत	अनुमानित १९५४	२६,८,२३०७
राओडिजिनेरो	ब्राजिल	अनुमानित १९५७	२६,४०,०४५
पेरिस	फ्रान्स	१९५४	२८,५०,१८९
बम्बई	भारत	१९५१	२८,४०,०११
जाकार्टा	इण्डोनेशिया	अनुमानित १९५४	२८,००,०००
ओसाका	जापान	अनुमानित १९५६	२६,३२,०००
कैरो	मिस्र	अनुमानित १९५५	२६,००,०००
हांगकांग	चीन	अनुमानित १९५७	२६,००,०००
सेनयांग	चीन	अनुमानित १९५७	२२,९०,०००
लॉसएंजिल्स	कैलिफोर्निया	१९५६	२२,४३,९०१
फिलाडेल्फिया	संयुक्तराज्य अमेरिका	१९५०	२०,७१,६०५
मनीला	फिलिपाइन्स	अनुमानित १९५५	२०,२२,४२०
नई दिल्ली	भारत	अनुमानित १९५५	२०,००,०००

विश्व की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति

कुछ प्रमुख देशों की साक्षरता

देश	जन-संख्या का प्रतिशत	देश	जन-संख्या का प्रतिशत
कनाडा (१९३१)	९६.२	ग्रीस (१९३५)	६८.०
रूस (१९४२)	९०.२	टर्की (१९३४)	४४.६
इटली (१९३५)	८१.०	मेक्सिको (१९३०)	४०.७
पोलैंड (१९३५)	७९.०	ब्राजिल (१९२०)	३३.०
स्पेन (१९३५)	६८.६	भारत	१७.०
पुर्त्तगाल (१९३१)	६८.१	मिस्र	१४.३

अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

नोबेल-पुरस्कार

यह विश्व-पुरस्कार स्विडन के एक वैज्ञानिक आविष्कारक अलफ्रेड बरनार्ड नोबेल के द्वारा दिये गये ९० लाख पौंड के स्थायी कोष के ब्याज से प्रतिवर्ष उन विद्वानों को दिया जाता है, जो साहित्य, रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र, शरीर और औषध-विज्ञान तथा विश्व-शान्ति के कार्य-क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस कोष का प्रबन्ध एक संचालक-मंडल द्वारा होता है, जिसके प्रधान को स्विडन की सरकार चुनती है। यह पुरस्कार १९०१ ई० से दिया जाना आरम्भ हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार की रकम लगभग सवा लाख रुपये की है। साहित्य-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्विडन की साहित्य-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर) द्वारा तथा रसायन एवं भौतिकशास्त्र-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्विडन की विज्ञान-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइन्स) द्वारा होता है। शरीर और औषध-विज्ञान विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्टाकहोम की कैरोलिस्का इंस्टिट्यूट नामक संस्था करती है। शान्ति-पुरस्कार-विजेता का चुनाव नारवे की पार्लमेण्ट द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्ति करते हैं। कभी-कभी एक पुरस्कार दो-दो तीन-तीन विद्वानों में भी विभक्त हो जाता है और कभी उपयुक्त विद्वानों के न मिलने पर पुरस्कार नहीं भी दिया जाता है। भारतीय विद्वानों में साहित्य-विषयक पुरस्कार सन् १९१३ में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को और भौतिक शास्त्र-सम्बन्धी पुरस्कार सन् १९३० में चन्द्रशेखर वेंकट रमण को मिला था। गत पाँच वर्षों के अन्दर कौन पुरस्कार कब किनको मिले, यह नीचे दिया जाता है—

१९५५

पुरस्कारों के नाम	विजेता	देश
साहित्य—	हैलडॉर किलजन लेक्सनेस	आइसलैंड
रसायन-शास्त्र—	डॉ० विनसेन्ट डुविगन्यूड	सं० रा० अमेरिका

पुरस्कारों के नाम	विजेता	देश
भौतिक शास्त्र—	(१) डॉ० विलिस ई० लैंब	सं० रा० अमेरिका
	(२) डॉ० पोली कापंकुश्च	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान—	डा० ह्यूगो थ्योरेल	स्विडन
शान्ति—	कोई नहीं	

१९५६

साहित्य—	जुआन रैमोन जिमेनेज	पोर्टोरीको (जन्म स्पेन)
रसायन-शास्त्र—	(१) सर सिरिल एन० हिनशेलऊड	इंगलैंड
	(२) प्रो० निकोलाइ एन० सेमेनोव	रूस
भौतिक शास्त्र—	(१) प्रो० जान बारडीन	सं० रा० अमेरिका
	(२) डॉ० वाल्टर एच्० ब्रैटेन	,, ,,
	(३) डॉ० विलियम बी० शौकले	,, ,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान	(१) डा० डिकिनसन डब्ल्यू० रिचार्ड्स	सं० रा० अमेरिका
	(२) डॉ० एराड्रे एफ़० कोर्नेएड	सं०रा० अमेरिका (जन्म फ्रांस)
	(३) डॉ० बरनर फोर्समैन	पश्चिमी जर्मनी
शान्ति —	कोई नहीं	

१९५७

साहित्य—	अलबर्ट कैमस	फ्रांस
रसायन-शास्त्र—	सर अलेक्जेण्डर टाड	इंगलैंड
भौतिक शास्त्र—	(१) डॉ० चेन निंग यांग	चीन
	(२) डॉ० सुंग डाओ ली	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान—	डॉ० डेनियल बोवेट	इटली (जन्म स्विट्जरलैंड)
शान्ति—	लेस्टर बी० पियर्सन	कनाडा

१९५८

साहित्य—	(१) बोरिस पैस्टरनाक	रूस
रसायन-शास्त्र—	(१) डॉ० फ्रेडरिक सैंगर	इंगलैंड
भौतिक शास्त्र—	(१) पेवेल ए० चेरेन कोव	रूस
	(२) इगोर ई० टाम	,,
	(३) इलिया एम्० फ्रैंक	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान—	(१) डॉ० जिओ डब्ल्यू० बीडल	सं० रा० अमेरिका
	(२) डॉ० ई० एल० टाटुम	,,
	(३) डॉ० जोशुआ सेडरबर्ग	,,
शान्ति—	रेवरेण्ड डोमिनिक जार्ज पायर	बेलजियम

पुरस्कारों के नाम	विजेता	देश
	१६५८	
साहित्य—	सैलवेटोर क्वासीमोडो	इटली
रसायन-शास्त्र—	प्रो० जैरोस्लाव हेरोवस्की	जेकोस्लोवाकिया
भौतिक शास्त्र—	(१) प्रो० ओवेन चैम्बरलेन	सं० रा० अमेरिका
	(२) प्रो० एमिलियो सेगरे	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान—	(१) प्रो० सेवेरो ओकोवा	सं० रा० अमेरिका
	(२) प्रो० आर्थर कौर्नबर्ग	सं० रा० अमेरिका
शान्ति—	फिलिप जे० नोएल-बेकर	इंगलैंड

कलिंग-पुरस्कार

१००० स्टर्लिंग पौंड का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लेखकों को युनेस्को की मार्फत कलिंग के एक धनी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है।

पानेवालों के नाम	निवासी	ईसवी
लुई डी ब्रोगली	फ्रांस	१६५२
डॉ० जूलियन हक्सले	ब्रिटेन	१६५३
डब्ल्यू काएमफर्ट	सं० रा० अमेरिका	१६५४
डॉ० अगस्त पी सुनर	वेनेजुएला	१६५५
प्रो० जी० गैमौव	सं० रा० अमेरिका	१६५६
बर्ट्राण्ड रसेल	इंगलैंड	१६५७
कर्लवोन फ्रिश	आस्ट्रिया	१६५८

लेलिन-शान्ति-पुरस्कार

क्रूस इटोन	संयुक्तराज्य अमेरिका	} १६६०
डा० सुकार्णो	राष्ट्रपति इण्डोनेशिया	

बड़े पुस्तकालय

पुस्तकालय का नाम	स्थिति	किताबों की संख्या
लेनिन लाइब्रेरी	मास्को (रूस)	१,१०,००,०००
साल्टिकोव-श्चेड्रिन पब्लिक लाइब्रेरी	लेनिनग्राड (रूस)	६०,००,०००
ब्रिटिश म्यूजियम	लंदन (इंगलैंड)	५०,००,०००
बिबलियोथेक नेशनल	पेरिस (फ्रांस)	५०,००,०००
न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५०,००,०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	फ्लोरेंस (सं० रा० अ०)	३४,०० ०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	नेपुल्स (इटली)	१३,३०,०००
ड्यूशे बूचेरी	लिपजिग (जर्मनी)	२०,००,०००

पुस्तकालय का नाम	स्थिति	किताबों की संख्या
नेशनल बिबलियोथेक	वियेना (आस्ट्रिया)	१६,००,०००
बिबलियोटेका नेशनल	मैड्रिड (स्पेन)	१५,००,०००
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी	एम्सटरडम (नेदरलैंड)	१५,००,०००
इम्पीरियल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी	टोकियो (जापान)	१०,००,०००

प्रसिद्ध चित्रकला-भवन और संग्रहालय

१. **नेशनल आर्ट गैलरी, लंदन**—यहाँ १८०० ई० तक के सभी प्रसिद्ध कलाकारों की मुख्य चित्र-रचनाएँ संगृहीत हैं। यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है।

२. **टाटे गैलरी, लंदन**—यहाँ १८वीं सदी के आरम्भ से अबतक के चित्र और नक्शे संगृहीत हैं।

३. **ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन**—यहाँ चित्रों, मूर्त्तियों और चित्रित पाण्डुलिपियों के उत्कृष्ट नमूने हैं। भारतीय चित्र भी यहाँ बहुत हैं।

४. **विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लंदन**—यहाँ मुख्यत: लघुचित्र, छोटी-छोटी कलात्मक वस्तुएँ और ऐतिहासिक अवशेष हैं। यहाँ भी भारतीय चित्र उपलब्ध हैं।

५. **रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, लंदन**—यहाँ संसार के विभिन्न देशों के चित्र संगृहीत हैं।

६ **मूसी-डु-लोडवरे, पेरिस (फ्रांस)**—संसार के सुप्रसिद्ध चित्र और मूर्त्तिकलाओं का संग्रहालय। यहाँ ग्रीस, रोम, मिस्र तथा पूर्वी देशों की उत्कृष्ट कला-कृतियाँ भी हैं।

७. **मूसी डेस मोनुमेंट फ्रैंकेस, पैलेस-डी-चैलेट, पेरिस**—यहाँ फ्रांस की वास्तुकला और मूर्त्तिकला के उत्तम नमूने हैं।

८. **मूसी डेस आर्ट्स मॉर्डर्न, पेरिस**—यहाँ फ्रांस की वर्त्तमान कलाकृतियों का संग्रह है।

९. **वैटिकन म्यूजियम, वैटिकन सिटी (इटली)**—यहाँ रैफेल, माइकेल ऐंजेलो तथा अन्य जगत्-प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र, मूर्त्तियाँ तथा पाण्डुलिपियाँ हैं।

१०. **उफिजे गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)**—यहाँ राफेल, बोटिसेली, लियोनारडो-डी-विन्सी आदि के चित्र संगृहीत हैं।

११. पिट्टी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)।
१२. नेशनल म्यूजियम, फ्लोरेन्स (इटली)।
१३. बोरगीज गैलरी, रोम (इटली)।
१४. डूकल पैलेस, वेनिस (इटली)।
१५. ओल्ड प्लेस, फ्लोरेन्स (इटली)।
१६. कैसर फ्रिडरिच म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)—देश का बड़ा म्यूजियम।
१७. नेशनल गैलरी, बर्लिन (जर्मनी)।

१८. स्क्लोस म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)।

१९. ड्रस्डेन म्यूजियम, ड्रस्डेन (जर्मनी)।

२०. रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स—ब्रूसेल्स (बेलजियम)।

२१. स्टेट म्यूजियम, अम्सटरडम (हॉलैंड)।

२२. मूजेओ डेल पैरेडो—मैड्रिड (स्पेन)।

२३. ट्रेट्याकोव स्टेट आर्ट गैलरी, मास्को (रूस)—इसमें ११वीं सदी से २० वीं सदी तक की रूसी कलाकृतियाँ संगृहीत हैं।

२४. हरमिटेज, लेनिनग्राड (रूस)।

२५. पुश्किन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मास्को (रूस)।

२६. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, मास्को (रूस)—यहाँ १९वीं सदी और २०वीं सदी के पूर्वार्द्ध के फ्रांसीसी चित्र संगृहीत हैं।

२७. इम्पीरियल हाउस-होल्ड म्यूजियम, टोकियो (जापान)।

२८. नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन (सं० रा० अमेरिका)—१९४१ में स्थापित।

२९. मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)।

३०. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—समकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध।

३१. ह्वीटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट्स, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—यहाँ केवल आधुनिक कलाकृतियाँ संगृहीत हैं।

३२. एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, पेनसिलवेनिया (सं० रा० अमेरिका)

३३. कारनेगी इन्सटिट्यूट, पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)।

३४. म्यूजियम ऑफ आर्ट, फिलाडेलफिया (सं० रा० अमेरिका)।

३५. नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, ओटावा (कनाडा)।

३६. आर्ट गैलरी ऑफ टोरोण्टो (कनाडा)।

३७. पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)।

३८. पैलेस म्यूजियम ऑफ दि फॉरबिड्न सिटी, पेकिंग (चीन)—चित्रकारी एवं बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध।

३९. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सियान (चीन)—पुरानी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४०. म्यूजियम, संघाई (चीन)—ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

❀

विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति

राष्ट्रीय आय (राष्ट्रीय सिक्कों में)

देश	इकाई	१९५०	१९५५	१९५६	१९५७
अस्ट्रेलिया	१० लाख पौंड	३,०५८	४,२३८	४ ५९९	
इटली	१ अरब लीरा	६ ८६६	१०६,०००	११,४९९	१२,२३१
कनाडा	१० लाख डालर	१४ ०७५	२०,७३८	२३,०५४	२३ ८३४
ग्रेटब्रिटेन	१० लाख पौंड	११,६७०	१६ ६३४	१६,४६७	१७,४१८
चीन	१ अरब यान	—	—	—	—
जापान	१ अरब येन	३ ३६१	६,७९४	७,४२७	—
टर्की	१० लाख लीरा	८ ९६४	१८,०४१	२१,७०१	—
द० अफ्रिका-संघ	१० लाख पौंड	१,१३३	१,५८९	१,७०२	—
पाकिस्तान	१० लाख रुपया	१७,०८०	१९ ५१६	२० ७८५	—
फ्रांस	१ अरब फ्रैंक	७ २८०	१२,४४०	१४,२३०	१५,६८०
भारत	१० लाख रुपया	९५	१००	११४	—
मिस्र	१० पौंड	८७३	९००	९१३	—
युगोस्लाविया	१ अरब दीनार	२०८	१,३९८	१,४४४	˙१,७७०
रूस	(१९५३ ई० = १०० के इन्डेक्स के अधार पर)	७३	१२३	—	—
लंका	१० लाख रुपया	३,८४०	५,१७२	४,८४७	—
संयुक्तराज्य अमेरिका	१ अरब डालर	२४०	३२४	३४४	३५८

रहन-सहन के खर्च के सूचक अंक

१९५३ = १००

देश	१९४८	१९५५	१९५६	१९५७
अस्ट्रेलिया	५६	१०४	११०	११३
इटली	८६	१०६	१११	११०
ईरान	९४	१२२	१३०	१३९
कनाडा	८४	१०१	१०२	१०६
ग्रेटब्रिटेन	७७	१०६	११२	११६
जापान	६२	१०५	१०६	१०९
टर्की	८९ •	११९	१३६	१५०
द० अफ्रिका-संघ	७७	१०५	१०७	११०
पाकिस्तान	८९	९४	९७	१०६
फ्रान्स	६०	१०१	१०३	१०६
बर्मा	९६	९८	१११	११९

देश	१९४८	१९५५	१९५६	१९५७
भारत	९१	९०	९९	१०४
मिस्र	९१	९९	९९	१०१
मेक्सिको	७१	१२२	१२८	१३५
युगोस्लाविया	—	१११	११७	११८
लंका	९१	९९	९९	१०१
संयुक्तराज्य अमेरिका	९०	१००	१०२	१०५

थोक मूल्यों के सूचक अंक

१९५३ = १००

देश	१९४८	१९५५	१९५६	१९५७
अस्ट्रेलिया	५९	१०२	१०६	१०८
ईटली	१०४	१०१	१०२	१०३
इरान	८९	११५	१२३	१२४
कनाडा	८८	९९	१०२	१०३
ग्रेटब्रिटेन	६७	१०४	१०८	१०९
जापान	३६	९८	१०२	१०८
टर्की	९४	११९	१३९	१६०
डेनमार्क	७४	१०३	१०७	१०७
द० अफ्रिका-संघ	६७	१०४	१०५	१०७
फिनलैंड	६३	९९	१०३	११३
फ्रान्स	६५	९८	१०२	१०८
भारत	९३	९०	९७	१०४
मिस्र	९३	९६	११०	११९
मेक्सिको	६६	१२४	१३०	१३५
युगोस्लाविया	—	१०७	१०९	१०९
संयुक्तराज्य अमेरिका	९५	१०१	१०४	१०७
स्पेन	—	१०४	११४	११३
स्विट्जरलैंड	१०२	१०१	१०३	१०५
स्विडन	७२	१०४	१०९	११०

खनिज और तैयार माल के उत्पादन के सूचक अंक

(१९५३ = १००)

समय	सूचक अंक	समय	सूचक अंक
१९३८	५१	१९४९	७३
१९४८	७३	१९५०	८३

समय	सूचक अंक	समय	सूचक अंक
१९५१	९२	१९५५	१०१
१९५२	९४	१९५६	११६
१९५३	१००	१९५७	११९
१९५४	१००	१९५८ (जनवरी-मार्च)	११४

सममूल्य, १९५८

देश	सिक्का	मुद्रा इकाई (अमेरिकन प्रतिशत)
अस्ट्रिया	शिलिङ्ग	२२४
अस्ट्रेलिया	पौंड	३.८४६
आयरलैंड	पौंड	२८०
इटली	लीरा	.१६
ईराक	दीनार	२८०
कनाडा	डालर	१०३.९७
ग्रेटब्रिटेन	पौंड	२८०
जर्मनी (पश्चिम)	फ्रैंक	२.३८१
जेकोस्लोवाकिया	कोरूना	२
टर्की	लीरा	३५.७१
डेनमार्क	क्रोन	१४.४८
दक्षिण अफ्रिका-संघ	पौंड	२८०
नारवे	क्रोन	१४
नेदरलैंड	मार्क	२३.८१
न्यूजीलैंड	पौंड	२८०
पाकिस्तान	रुपया	२१
पुर्त्तगाल	एसक्यूडो	३.४७८
फिनलैंड	मार्का	३.१२५
फिलिपाइन	पेसो	५०
वर्मा	क्यात	२१
बेलजियम	शिलिङ्ग	२
भारत	रुपया	२१
मिस्र	पौंड	२८७.२
मेक्सिको	पेसो	८
युगोस्लाविया	दीनार	०.३३३३
लंका	रुपया	२१
संयुक्तराज्य अमेरिका	डालर	१००
सीरिया	पौंड	२७.९३

देश	सिक्का	मुद्रा-इकाई (अमेरिकन प्रतिशत)
स्विट्जरलैंड	फ्रैंक	२३.२७
स्विडन	क्रोन	१६.३३
हंगरी	गील्डर	२६.३२
हंगरी	फ्लोरिएट	८.५१६

विदेशी व्यापार : आयात और निर्यात का मूल्य

(१० लाख अमेरिकन डालर में)

	आयात			निर्यात		
देश	१६५०	१६५६	१६५७	१६५०	१६५६	१६५७
अलजीरिया	४३४	७७७	१,०००	३३३	४२६	४६०
अस्ट्रेलिया	१,४१०	१,७१३	१,६८३	१,६६८	१,८६६	२,२०८
इटली	१,८४८	३,१६६	३,६२६	१,२०६	२,१५७	२,१५७
इण्डोनेशिया	४४०	८५३	८११	८००	८८२	८८०
ईरान	२६१	—	—		—	—
कनाडा	२,६२६	५,८०४	५,८१७	२,६१०	४,६४६	५,१४८
कम्बोडियां, लाओस वियतनाम	२१५	३०६	३१६	७६	८२	१२०
ग्रीस	४२८	४६४	५२५	६०	१६०	२१६
ग्रेटब्रिटेन	७,०६६	१०,४८०	११,०३८	६,०८८	८,८८२	६,३१०
चिली	२४८	३५४	४२४	२८४	५४६	५६२
जर्मनी (पश्चिम)	२,६०७	६,६१७	७,४७४	१,६७६	७,३५८	८,५७४
जापान	६७४	३,२३०	४,२८४	८२०	२,४६५	२,८५३
टर्की	२८६	४०७	३६७	२६३	३०५	३४५
डेनमार्क	८५३	१,३११	१,३५७	६६५	१,१११	१,१७४
द० अफ्रिका-संघ	८५६३	१,३८५	१,५४२	६२८	१,२०१	१,२५७
पाकिस्तान	४०२	३५१	४२७	४१८	३४०	२६८
पुर्त्तगाल	२७४	४४१	५०१	१८६	२६६	२८८
फिलिपाइन	३५६	५०६	६१६	३२६	४५३	४३५
फ्रांस	३,०३०	५,५५२	६,११८	३,०३७	४,५३८	५,०४८
बर्मा	१११	१६७	२८६	१५८	२४२	२४०
बेलजियम	१,६४२	३,२६३	३,४२३	१,६५३	३,१६२	३,१७६
ब्राजिल	१,०८५	१,२३५	१,४२७	१,३५५	१,४८२	१,३२०
भारत	१,१७३	१,७१२	२,०६०	१,१७८	१,२६६	१,३७८
मलाया और सिंगापुर	६५२	१,३५७	१,४३१	१,३११	१,३६१	१,३६३

	आयात			निर्यात		
देश	१६५०	१६५६	१६५७	१६५०	१६५६	१६५७
मिस्र	५७३	५३४	५२४	५०४	४०६	४६३
मेक्सिको	५०६	६७८	१,१५५	४६६	६८८	६१४
मोरक्को	३२६	४४५	४३३	१६०	३४०	३३१
युगोस्लाविया	२३६	४७३	६६१	१५६	३२१	३६४
सं० रा० अमेरिका	८,८५३	१२,६३५	१२,६१४	१०,१४६	१८,८६२	२०,६३०
सूडान	७८	१३०	१६६	६५	१६२	१४५
स्पेन	३८६	७६७	८६८	३८६	४४१	४०४
स्विडन	१,१८२	२,२०७	२,४२१	१,१०२	१,६४१	२,१४६
हांगकांग	६६५	७६६	६०१	६५७	५६७	५२६

जीवन-बीमा

देश	सिक्का	१६५६	१६५७	१६५७ (अमेरिकन डालर)
अस्ट्रिया	शिलिङ्ग	५,४६०	६,२७६	. २४१
अस्ट्रेलिया	पौंड अस्ट्रेलियन	२,५४०	२,८५०	२,३६७
इजराइल	इजराइल पौंड	१४१	१५५	८६
इटली	लीरा	१३,६१,७२५	१६,००,०००	२,५६०
उरुगुए	पेशो	१८२	२१०	६७
कनाडा	डालर, कनाडियन	३०,५१८	३४,८१६	३५,३४६
कोस्टारिका	कोलोन्स	३६६	२६८	५३
कोलम्बिया	पेसो	१,५८५	२,१४४	३५६
क्यूबा	पेसो	३५६	४१८	४१०
ग्रेटब्रिटेन	पौंड, स्टर्लिङ्ग	६,३२६	१०,०००	२८,०८८
जर्मनी (पश्चिम)	ड्यूट्समार्क	३७,३५६	४४,४३६	१०,५७५
जापान	येन	२७,०३,२१३	३४,४५,६८६	६,५७२
टर्की	लीरा	०	०	०
डेनमार्क	क्रोनर	८,८३३	६,२६०	१,३४५
नारवे	क्रोनर	६,०८२	६,८००	६५५
नेदरलैण्ड	गील्डर	१२,७६७	१४,१५४	३,७३४
न्यूजीलैण्ड	पौंड, न्यूजीलैण्ड	७३५	८१२	२,२५०
पेरू	सोल	१,६४५	२,३००	१२१
पुर्तगाल	एसक्यूडो	४,१०८	३,७४२	१३०
पेर्टोरिको	डालर	३५६	४१२	४१२
फिनलैंड	मार्का	२,४०,४०२	२,७२,००६	८५०

देश	सिक्का	१९५६	१९५७	१९५७ अमेरिकन डालर
फिलिपाइन	पेसो	१,१८६	१,३९९	६९४
फ्रान्स	फ्रैंक	२,५०,०००	२४,५०,००,०००	५,८३३
बेलजियम	फ्रैंक	१,४०,२९३	१,५४,७६४	३,०९४
ब्राजिल	क्रुजेर	१,०७,१६६	१,४१,३७७	७९,१९९
भारत	रुपया	११,५००	१२,७५०	२,६७३
मेक्सिको	पेसो	७,९८४	९,४२१	७५४
संयुक्तराज्य अमेरिका	संयुक्तराज्य-डालर	४,१२,६३०	४,५८,३५९	४,५८,३५९
स्पेन	पेसो	१८,३७५	२०,२००	४८१
स्विट्जरलैंड	फ्रैंक	१२,९४१	१४,१००	३,२९१
हवाई	डालर	१,६२०	१,८२६	१,८२६

विभिन्न देशों का जन-स्वास्थ्य

खाद्य-आपूर्त्ति

विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत भोजन की अनुमित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार है—

देश	कैलोरी (भोजन के शक्ति-उत्पादन-मूल्य की इकाई) (संख्या-प्रतिदिन)			कुल प्रोटीन (ग्राम-प्रतिदिन)		
	युद्ध-पूर्व	१९५०-५१	१९५६-५७	यु०पू०	१९५०-५१	१९५६-५७
अर्जेंण्टाइना	२,७३०	३,१४०	२,९८०	९८	१०२	९७
अस्ट्रेलिया	३,३००	३,२८०	३,१९०	१०३	९७	८८
इटली	२,५२०	२,४३०	२,५७०	८२	७७	७५
कनाडा	३,०१०	३,०१०	३,१४०	८४	९०	९७
ग्रीस	२,६००	२,५१०	२,६००	८४	७७	८५
ग्रेटब्रिटेन	३,११०	३,१००	३,२७०	८०	८८	८४
चिली	२,२४०	२,४००	२,४९०	६९	७३	७७
जर्मनी (पश्चिम)	३,०४०	२,८१०	३,०००	८५	७६	७९
जापान	२,१८०	२,१००	२,२००	६४	५४	६१
टर्की	२,४५०	२,५१०	२,६७०	७९	८१	८८
पाकिस्तान	——	२,१६०	२,०४०	—	५४	४९
पुर्त्तगाल	२,१००	२,४६०	२,५५०	५८	६७	६९
फ्रान्स	२,८७०	२,७९०	२,९२०	९७	८१	१०३
भारत	१,९७०	१,६३०	१,८५०	५६	४५	५०
मिस्र	२,४५०	२,३४०	२,५६०	७३	६९	७३
संयुक्तराज्य अमेरिका	३२,२०३	३,१८०	३,१५०	८९	९१	९५

मानव-जीवन-काल का औसत अनुमान

देश	पुरुष वर्ष	स्त्री वर्ष	देश	पुरुष वर्ष	स्त्री वर्ष
आस्ट्रिया	६३.४८	६७.१४	नारवे	६०.६८	६३.८४
इंगलैंड	६०.१८	६४.४०	फ्रांस	५४.३०	५६.०२
इटली	५३ ७६	५६.००	भारत	२६.६१	२६.५६
चीन	३४.८५	३४.६३	रूस	४१.६३	४८.७६
जर्मनी	५६ ८६	६२.८१	संयुक्तराज्य अमेरिका	६०.७५	६५.०८
दक्षिण अफ्रिका (गोरी जातियाँ)	६०.१०	६४.००	स्विट्जरलैंड	५०.८५	६३.३८

जन्म और मृत्यु-दर

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
अफ्रिका			
अलजीरिया	१६५५	३१.५	१०.८
दक्षिण अफ्रिका-संघ	१६५७	२५.६	८.८
मिस्र	१६५३	४०.०	१८.४
अमेरिका			
कनाडा	१६५७	२८.६	८.३
कोस्टारिका	१६५७	५७.५	१०.१
चिली	१६५७	३५.२	१२.०
मेक्सिको	१६५७	४७.१	१३.८
संयुक्तराज्य अमेरिका	१६५६	२५.०	६.६
एशिया			
जापान	१६५७	१७.२	८.३
थाईलैंड	१६५५	३४.२	६.२
पाकिस्तान	१६५१	२१.२	११.६
बर्मा	१६५६	३५.६	२१.८
भारत	१६५७	२३.६	१२.४
लंका	१६५६	३६.४	६.८
ओसीनिया			
अस्ट्रेलिया	१६५७	२२.३	८.५
न्यूजीलैंड	१६५७	२४.६	६.३
यूरोप			
अस्ट्रिया	१६५७	१६.८	१२.७
आयरलैंड	१६५७	१६.८	१२.६

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
इटली	१६५७	१८.३	१०.०
ग्रेटब्रिटेन	१६५७	१६.५	११.५
जर्मनी (पश्चिम)	१६५७	१७.०	११.३
जर्मनी (पूर्व)	१६५७	१५.५	१२.८
जेकोस्लोवाकिया	१६५७	१६.७	६.६
डेनमार्क	१६५७	१६.८	६.३
नारवे	१६५७	१६.६	८.४
नेदरलैंड	१६५७	२१.२	७.५
पुर्त्तगाल	१६५७	२३.३	११.३
पोलैंड	१६५६	२७.६	६.०
फिनलैंड	१६५७	१६.८	६.४
फ्रान्स	१६५७	१८.४	१२.०
बेलजियम	१६५७	१७.०	१२.५
बलगेरिया	१६५६	१६.५	६.४
युगोस्लाविया	१६५७	२३.५	१०.५
रूमानिया	१६५६	२४.२	६.६
रूस	१६५६	२५.०	७.७
स्पेन	१६५७	२१.२	७.६
स्विट्जरलैंड	१६५७	१७.७	१०.०
स्विडन	१६५७	१४.६	६.६
हंगरी	१६५७	१७.०	१०.५

बालकों की मृत्यु-दर

देश	वर्ष	दर
अलजीरिया	१६५५	६३
अस्ट्रिया	१६५७	४४
अस्ट्रेलिया	१६५६	२१
आयरलैंड	१६५६	३६
इटली	१६५७	५०
कनाडा	१६५६	३२
कोस्टारिका	१६५६	६२
ग्रेटब्रिटेन	१६५७	२४
चिली	१६५६	११२
जर्मनी (पश्चिम)	१६५७	३६
जर्मनी (पूर्व)	१६५७	४६
जापान	१६५७	३६
जेकोस्लोवाकिया	१६५६	३१
डेनमार्क	१६५६	२५
द० अफ्रिका-संघ	१६५६	३१
नारवे	१६५६	२१.४
नेदरलैंड	१६५७	१७
न्यूजीलैंड	१६५६	२३
पुर्त्तगाल	१६५७	८६

देश	वर्ष	दर	देश	वर्ष	दर
पोलैंड	१९५६	७१	युगोस्लाविया	१९५७	१०१
फिनलैंड	१९५७	२८	रूमानिया	१९५६	८२
फ्रांस	१९५७	२६	रूस	१९५५	४८
बर्मा	१९५६	१६७	लंका	१९५६	६७
बलगेरिया	१९५६	७२	सं० राज्य अमेरिका	१९५७	२६
बेलजियम	१९५६	३५	स्पेन	१९५६	५२
भारत	१९५४	११४	स्विट्जरलैंड	१९५६	२६
मिस्र	१९५३	१४६	स्विडन	१९५७	१७
मेक्सिको	१९५६	६६	हंगरी	१९५६	५६

विश्व की वैज्ञानिक प्रगति

अन्तरिक्ष-भ्रमण

इस युग का सबसे अधिक विस्मयकारी वैज्ञानिक कार्य ग्रह-उपग्रहों में राकेटों का भेजा जाना और कृत्रिम ग्रह-उपग्रह तैयार करना है। इस कार्य में रूस और अमेरिका सबसे अग्रगण्य हैं। कुछ दूसरे राष्ट्र भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कालक्रमानुसार इस काम में कैसी प्रगति हुई, उसे नीचे दिया जा रहा है—

४ अक्टूबर, १९५७ को सर्वप्रथम रूस ने स्पुटनिक प्रथम नामक राकेट को अन्तरिक्ष में भेजा, जो वजन में १८४ पौंड था और ५६० मील की ऊँचाई तक उड़ सका था। तीन महीने के बाद वह नष्ट हो गया।

३ नवम्बर, १९५७ को रूस ने स्पुटनिक द्वितीय नामक राकेट को छोड़ा, जो तौल में १,१२० पौंड था और जिसपर एक कुत्ता भी सवार था। यह १,०५६ मील की ऊँचाई तक उड़ा और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ साढ़े चार मास के बाद नष्ट हो गया।

३१ जून, १९५८ को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एक्सप्लोरर प्रथम नामक राकेट शून्य में प्रेषित किया, जो करीब ३१ पौंड भारी था। यह १५८७ मील तक ऊपर गया।

१७ मार्च, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड प्रथम नामक राकेट को आकाश में भेजा। यह ३$\frac{1}{4}$ पौंड का था और २,४६६ मील तक ऊपर गया। कहते हैं, यह अब भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और कई सौ वर्षों तक करता रहेगा।

२६ मार्च, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर तृतीय को शून्य में भेजा। यह ३१ पौंड का था और १,७४१ मील तक ऊपर गया। तीन मास बाद यह नष्ट हो गया।

१५ मई, १८५८ को रूस ने स्पुटनिक तृतीय को ऊपर भेजा, जो २,९२५$\frac{1}{2}$ पौंड भारी था। यह १,१६८ मील ऊपर जाकर पृथ्वी की १०,०३७ मील परिक्रमा कर चुकने पर ६ अप्रैल, १९६० को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जल गया।

२६ जुलाई, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर चतुर्थ को उड़ाया। यह ३८ पौंड भारी था और १८१० मील ऊपर उड़ा। इसके कुछ वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने की आशा थी।

११ अक्टूबर, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने चन्द्रमा तक पहुँचने या उसकी परिक्रमा करने के लिए पायोनियर प्रथम को उड़ाया। वह ७१,३०० मील ऊपर गया और वहाँ से गिरकर चूर-चूर हो गया।

८ नवम्बर, १९५८ को फिर चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर द्वितीय को भेजा। यह ७,५०० मील ऊपर जाने पर टूटकर गिर पड़ा।

६ दिसम्बर, १९५८ को फिर सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर तृतीय को चन्द्रमा के पास रवाना किया। वह ६६,६५४ मील पहुँचकर गिर पड़ा।

१८ दिसम्बर, १९५८ को सं० रा० अमेरिका ने एटलस प्रथम को, जो ८७,०० पौंड भारी था, आकाश में भेजा। वह ९२८ मील जाकर ही गिर पड़ा।

२ जनवरी, १९५९ को रूस ने ल्यूनिक नामक राकेट को उड़ाया, जो ३,२४५ पौंड भारी था। सूर्य का यह १०वाँ ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच की कक्षा में १५ महीने में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया है और वह अपनी परिक्रमा में निरत है।

१७ फरवरी, १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड द्वितीय को शून्य में प्रेषित किया। यह २०५० मील की ऊँचाई पर गया।

२८, फरवरी १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने डिसकवरर प्रथम को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यह ४० पौंड भारी था और इसका जीवन-काल केवल दो सप्ताह था।

३ मार्च, १९५९ को सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर चतुर्थ को अन्तरिक्ष में भेजा। यह चन्द्रमा से ३७,००० मील ऊपर चला गया और १३ महीने में पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।

१२ सितम्बर, १९५९ को रूस ने चन्द्रमा पर एक राकेट भेजा, जो वहाँ पहुँचकर रुक गया। रूस के प्रधान मन्त्री क्रुश्चेव के अमेरिका जाने के एक दिन पूर्व की यह घटना थी।

११ मार्च, १९६० को सं० रा० अमेरिका ने ९० पौंड वजन का एक छोटा सा ग्रह शुक्र के पास भेजा, पर वह शुक्र पर न जाकर पृथ्वी और शुक्र की मध्यवर्त्ती कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करने लगा है। यह ग्रह पृथ्वी से प्रति सेकेंड ७ मील की गति से उड़ा है और ३११ दिन में सूर्य की परिक्रमा करेगा। अबतक मानव-निर्मित ग्रहों की अपेक्षा यह ग्रह सबसे अधिक दूरी पर जाकर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसमें जो रेडियो-सिगनल लगा हुआ है, वह ५ करोड़ मील तक ४½ मिनट में संवाद भेजता रहेगा।

१९६० की गर्मी में सं० रा० अमेरिका से जो राकेट जानेवाला है, उसमें मनुष्य के भी रहने की बात बताई जाती है।

बड़े वैज्ञानिक आविष्कार

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
अलमिनियम	१८२७	वोह्लर	जर्मनी
आइरन लंग	१९२८	फिलिप ऐण्ड शावड्रिंकर	सं० रा० अमेरिका
आइस-मेकिंग मशीन	१८५१	गोरु	सं० रा० अमेरिका
इंजिन, ओटोमोविल	१८७९	बेंज	जर्मनी
इन्ग्रैभिंग, हाफ-टोन	१८९३	इव्स	सं० रा० अमेरिका
इण्डिगो सिन्थेटिक	१८८०	बेअर	जर्मनी
इलेक्ट्रिक आर्क-लाइट	१८०९	डैवी	इंगलैंड
इलेक्ट्रिक फैन	१८८७	हीलर	—
इलेक्ट्रिक लाइट, इन्कैनडेसेन्ट	१८७९	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
एक्स-रे	१८९५	रोएनजेन	जर्मनी
एटोमिक जेनरेटर	१९५१	यू० ए० सी० के वैज्ञानिक	सं०रा०अमेरिका
एटोमिक बम	१९४५	सं० रा० अमेरिका के वैज्ञानिक	
ऐडिंग मशीन	१६४२	पैस्कल	फ्रांस
एयर-प्लेन (आजमाइशी)	१८९६	लैंग्ले	सं० रा० अमेरिका
एयर-प्लेन हेलिकॉप्टर	१९१६	ब्रेनन	इंगलैंड
औटोमोबिल गैसोलिन	१८८७	डैमलर	जर्मनी
केमरा, कोडक	१८८८	ईस्टमैन	सं० रा० अमेरिका
क्रीम सेपरेटर	१८९७	डीलेवेल	स्विडन
क्लॉक-पेण्डुलम	१६५७	ह्यूगेन्स	डच
गैस-बर्नर	१८५५	बुनसेन	जर्मनी
गैस-मैण्टल	१८९३	वेल्सबैच	अस्ट्रिया
गैस-लाइटिंग	१७९२	मरडॉक	स्कॉटलैंड
ग्रामोफोन	१८७७	बर्वनर	सं० रा० अमेरिका
चश्मा	१३१०	आर्मेंटस	इटली
टाइप-राइटर	१८६८	शोल्स	सं० रा० अमेरिका
टेलिग्राफ, मैगनेटिक	१८३२	मोरसे	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन	१८७६	बेल	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन एम्पलिफायर	१९१२	डीफोरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
टेलिविजन	१९२६	वेयर्ड	स्कॉटलैंड
टेलिस्कोप, रिफ्रेक्टिव	१२५०	रोजर बेकन	इंगलैंड
टेलिस्कोप, रिफ्लेक्टिंग	१६८८	न्यूटन	इंगलैंड
टैंक, मिलिटरी	१९१४	स्विन्टन	इंगलैंड
टॉकिंग मशीन	१८७७	एडिसन	सं० रा० अमेरिका

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
टॉरपीडो	१८७०	व्हाइट लीड	इंगलैंड
ट्रैक्टर, कैटरपिलर	१६००	हॉल्ट	सं० रा० अमेरिका
डायनामाइट	१८६७	नोबेल	स्विडन
डायनेमो	१८३१	माइकेल फराडे	इंगलैंड
डिक्टाफोन	१८५५	सी० टेण्टर	सं० रा० अमेरिका
डीजेल इंजिन	१८६५	डीजेल	जर्मनी
थर्मामीटर	१७०१	रयूमर	फ्रांस
थर्मामीटर (एयर)	१५६२	गोलिलियो	इटली
दियासलाई	१८५५	लंडस्ट्रोम	स्विडन
नाइलोन	१६३७	डूपोण्ट	सं० रा० अमेरिका
न्युमेटिक रबर-टायर	१८८८	डनलप	सं० रा० अमेरिका
पावर-लूम	१७८५	कार्टराइट	इंगलैंड
पियानो	१६०६	क्रिस्टफोरो	इटली
पेण्डुलम	१५८१	गैलिलियो	इटली
पैराशूट	१७८३	लिनोरमेंड	फ्रांस
प्रिंटिंग प्रेस रोटरी	१८४७	आर० हो०	सं० रा० अमेरिका
प्रिंटिंग, मूवेबुल टाइप	१४४०	गुएटेनबर्ग	जर्मनी
फाउण्टेनपेन	१८८४	वाटरमैन	सं० रा० अमेरिका
फोटो-कलर	१८६१	लिपमैन	फ्रांस
फोटोग्राफी	१८१४	नीप्से	फ्रांस
फोटो-फिल्म	१८८८	ईस्टमैन गुडविन	सं० रा० अमेरिका
बाइसिकिल (मॉडर्न)	१८८४	स्टारले	इंगलैंड
बैकेलाइट	१६०७	बाएकलैंड	सं० रा० अमेरिका
बैरोमीटर	१६४३	टोरिसेली	इटली
बैलून	१७८३	मॉण्ट गोलफियर बन्धु	फ्रांस
मशीनगन	१८६२	गैटलिंग	सं० रा० अमेरिका
माइक्रोफोन	१८७७	बर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
मोटर-कार-पेट्रोल	१८८७	डेमलर	जर्मनी
मोटर-साईकिल	१८८५	डेमलर	जर्मनी
मोनोटाइप	१८८७	लनस्टोन	सं० रा० अमेरिका
मूवी-प्रोजेक्टर	१८६४	जेनाकिन्स	सं० रा० अमेरिका
मूवी-मशीन	१८६३	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
राइफल	१५२०	कोल्टर	जर्मनी
रेयन	१८८३	स्वान	इंगलैंड
रिवॉल्वर	१८३०	कोल्ट	सं० रा० अमेरिका

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
रेकर्ड, डिस्क	१८६६	बर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
रेडियो	१८६५	मारकोनी	इटली
रेडियो एक्टिविटी	१८६६	बेक्वेरेल	फ्रांस
रेडियो टेलिफोन	१६०६	डॉ० फोरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
रेलवे, स्टीम	१८२५	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लाइनो-टाइप	१८८४	मर्गेन्थोलर	सं० रा० अमेरिका
लिथोग्राफी	१७६६	सेनेफेल्डर	
लैम्प-आर्क	१८७६	ब्रश	सं० रा० अमेरिका
लैम्प, मरकरी-भेपर	१६१२	ह्यूटिट	सं० रा० अमेरिका
लोकोमोटिव, फर्स्ट प्रैक्टिकल	१८२६	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लोकोमोटिव, स्टीम	१८०४	ट्रेभिथिक	इंगलैंड
वाटर प्रूफिंग रबर	१८२३	मकिनटोश	इंगलैंड
वायरलेस टेलिफोन	१६०२	फेशनडेन	सं० रा० अमेरिका
वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक	१८७७	थोमूसन	सं० रा० अमेरिका
सबमेरिन	१८६१	हॉलैंड	सं० रा० अमेरिका
सिनेमेटोग्राफ	१८८६	फ्रीजी-ग्रीनी	इंगलैंड
सिनेमेटोग्राफ टॉकिंग	१६२७	सं० रा० अमेरिका	
सिमेन्ट, पोर्टलैंड	१८४५	आस्पडिन	इंगलैंड
सीने की मशीन	१८३०	थिमोनर	फ्रांस
सेक्सटैन्ट	१५६०	ब्राही	जर्मनी
सेफ्टी-पिन	१८४६	हंट	सं० रा० अमेरिका
सेलुलॉयड	१८६५	पार्कस	इंगलैंड
सोडा-वाटर	१६०७	थॉम्सन	इंगलैंड
स्टीम-इंजिन	१७६५	वाट	इंगलैंड
स्टीम-बोट	१८०७	फुलटन	सं० रा० अमेरिका
स्टील	१८५७	बिस्मेयर	इंगलैंड
स्टील, स्टेनलेस	१६१६	ब्रियरली	इंगलैंड
स्पिनिंग जेनी	१७६०	हारग्रीव्स	इंगलैंड
हाइड्रोजन-बम	१६५०	अणु-बम के वैज्ञानिक	सं० रा० अमेरिका

❀

विश्व के विभिन्न उपयोगी पदार्थों का उत्पादन

गेहूँ

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २,४७१ एकड़) औसत		उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत	
	१९४८—५२	१९५७	१९४८—५२	१९५७
अर्जेण्टाइना	४,४८७	४,३९४	१७५,५	५,८१०
अलजीरिया	१,५९७	१,९२१	९९६	१,३५९
आस्ट्रिया	२०४	२५८	३४८	५७४
अस्ट्रेलिया	४,६२०	३,४८०	५,१६१	२,६१३
इटली	४,७०५	४,९११	७,१७०	८,४४९
इराक	९३६	१,४५६	४४८	१,११८
ईरान	२,०८०	—	१,८६०	२,८००
कनाडा	१०,५१३	८,५११	१३,४७२	१०,०८४
ग्रीस	८७८	१,०८९	८९४	१,७२०
ग्रेटब्रिटेन	८८१	८५५	२,३९७	२,७२६
चिली	७९१	८०७	९४२	१,२५७
चीन	२३,२३४	२७,५७०	१५,९१५	२३,६५०
जर्मनी (पश्चिम)	१,०१३	१,२२१	२,६५६	३,८४३
जापान	७४३	६१५	१,३७५	१,३३०
जेकोस्लोवाकिया	७८५	७४०	१,४९३	१,५२५
टर्की	४,७७०	७,२७५	४,७७१	८,४१९
ट्युनिशिया	९१७	१,२९५	४५२	४९८
पाकिस्तान	४,२१७	४,७२४	३,६८२	३,६४२
पुर्त्तगाल	६८९	८१४	४९९	७९७
पोलैंड	१,४६४	१,४४१	१,८३३	२,३१९
फ्रांस	४,२६४	४,६६८	७,७९१	११,०८२
बलगेरिया	१,४१६	१,४६०	१,७६०	२,३९५
बेलजियम	१६३	२१३	५२५	७६६
ब्राजिल	६७१	१,२६७	४९८	१,१९९
भारत	९,२९०	१३,५८९	६,०८७	९,४६३
मिस्र	६०५	६३६	१,११३	१,४६७
मेक्सिको	६०४	९१४	५३४	१,२५०
मोरक्को	१,२२०	१,४३२	७३८	७४५
युगोस्लाविया	१,८१९	१,९७४	२,१७१	३,१०३

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) १९४८—५२	१९५७
रूमानिया	२,७२८	२,६६८	२,७७८	३,७०१
रूस	४२,६३३	६६,१००	—	—
सं० रा० अमेरिका	२७,७५६	१७,७२७	३१,०६६	२५,८७३
स्पेन	४,१५६	४,३६२	३,६२२	४,६११
हंगरी	१,३८५	१,२४७	१,६०६	१६६,५६

जौ

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २·४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७
अर्जेण्टाइना	५४०	८३३	६५६	१,०१०
अलजीरिया	१,१६६	१,२७७	८०८	६१७
अस्ट्रेलिया	४५५	६७१	५३१	६३५
इथोपिया	—	—	६००	५१०
इराक	६३४	१,२४०	७२२	१,३०५
ईरान	७५७	—	७६७	६८०
कनाडा	२,८७०	३,८०५	४,२८२	४,७०३
कोरिया (दक्षिण)	७७६	८१५	७४६	७२०
ग्रेटब्रिटेन	८१८	१,०६२	२,०६०	३,००५
चीन	—	—	—	—
जर्मनी (पश्चिम)	५८४	८७२	१,३६७	२,५०४
जापान	६८२	६२८	२,०२०	२,१६०
जेकोस्लोवाकिया	६०६	६६८	१,०४६	१,३६२
टर्की	१,६७२	२,६३०	२,२७०	३,६५०
ट्यूनिशिया	५८६	८०८	२१८	१८५
डेनमार्क	४६५	६६१	१,७०६	२,५६०
पेरू	१८१	१७०	२०८	१६६
पोलैंड	८३६	७७७	१,०६१	१,२२७
फ्रांस	६५४	१,६४३	१,५३४	३,६२६
बलगेरिया	२३६	२५८	३३२	४७६
भारत	३,१२८	३,५३१	२,३८४	२,८७२
मेक्सिको	२२२	२३७	१६०	१७४
मोरक्को	१,८५६	१,५६१	१,३६२	७६७
युगोस्लाविया	३२१	४०८	३२३	६०४
रूमानिया	५०६	३०३	४१२	४१७

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) १९४८—५२	१९५७
रूस	८,४०७	९,२००	—	—
संयुक्तराज्य अमेरिका	४,०९५	६,०६५	५,८४३	९,५१८
सीरिया	३६९	८१३	३२१	७२१
स्पेन	१,५५७	१,५३२	१,६०६	१,८८१
हंगरी	४५४	४८२	६५४	९६२

जई

देश	क्षेत्रफल, (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७
अर्जेण्टाइना	६३४	८७६	७४३	९९५
अस्ट्रिया	२०३	१८४	२७५	३४०
अस्ट्रेलिया	८४२	९७१	५६०	३८८
आयरलैंड	२७६	१८४	६१७	४३३
इटली	४६६	४२०	४९५	५८१
कनाडा	४,६२३	४,४५८	६,३२८	५,८७०
ग्रेटब्रिटेन	१,२५४	९५५	२,८६६	२,१९०
चीन	२,०१०	२,०३०	१,४९०	१ ६९०
जर्मनी (पश्चिम)	१,१२१	९०५	२,५००	२,२२८
जर्मनी (पूर्व)	५४५	४५५	१,१८८	९९९
जेकोस्लोवाकिया	६०९	५३५	९६१	८९९
टर्की	३०७	३८४	३२६	४७५
डेनमार्क	२९१	२३६	९२२	७८६
नेदरलैंड	१४२	१५९	४१९	५०५
पुर्त्तगाल	२९४	३०९	१२४	१२८
पोलैंड	१,७१०	१,७३८	२,२४०	२,५४१
फिनलैंड	४३५	४१४	७१८	६९८
फ्रांस	२,३५५	१,६०८	३,३९३	२ ५७९
बेलजियम	१७३	१४८	४८३	४५४
रूमानिया	५०६	३५२	३६९	३९२
रूस	१६,७२६	१४,०००	—	—
संयुक्तराज्य अमेरिका	१५,२६६	१४,०२१	१८,९७०	१८,८८३
स्पेन	६२३	५८६	५१९	५३५
स्विडन	४९४	५१६	८०४	८४७
हंगरी	१७७	१७२	२१३	२६३

मकई

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७
अर्जेण्टाइना	१,६६६	२,४४८	२,५०६	४,८०६
इटली	१,२५३	१,२५२	२,३०६	३,४६४
इण्डोनेशिया	२,०२०	२,०६७	१,५३६	१,८००
कोलम्बिया	६८७	००	७३५	७११
ग्रीस	२४३	२१६	२२५	२६५
घाना	१४२	१७०	१६८	१६६
चीन (मुख्य)	६,६००	६,६००	१३,३५०	१४,२५०
टर्की	८६८	७०६	७४७	७५०
दक्षिण अफ्रिका-संघ	२,८११	००	२,४५३	००
पाकिस्तान	३६३	४३६	३८४	४५४
पुर्त्तगाल	४८६	४८३	३६३	३६६
पेरू	२५७	२३५	४१८	२७१
फिलिपाइन	६६६	१,७१६	६६६	८५६
फ्रान्स	३२४	५४४	४४७	१,३६२
फ्रान्सीसी पश्चिमी अफ्रिका	५३१	००	३०६	००
बलगेरिया	७३७	७८२	७८२	१,४६४
ब्राजिल	४,७८६	५,७७२	५,६१६	७,३८६
भारत	३,३४६	३,६५०	२,१६५	३,११३
मेक्सिको	४,१०१	५,३६५	३,०६०	४,४६८
मोरक्को	५१८	४८३	३०२	२३१
युगोस्लाविया	२,२२७	२,५६०	३,०७८	५,६६०
रूमानिया	३,०८६	३,७२२	२,४६५	६,३३८
रूस	४,२५६	५,८००	—	—
बेनेजुएला	३१०	२८३	३५५	३४०
संयुक्त अरब-गणतंत्र	६८४	७५३	१,४०६	१,५१३
सं० रा० अमेरिका	३३,४६६	२६,३८३	८१,६७१	८६,६३१
स्पेन	३५६	३७६	५२०	७७१
हंगरी	१,१६४	१,३४५	२,०६८	३,२३४

❀

धान

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७
इटली	१४६	१२६	७२५	५६७
इण्डोनेशिया	५,८७६	६,८३०	६,४४१	११,६११
इराक	१७४	६१	२०३	१५४
ईरान	२२०	२५०	४२४	४८०
कम्बोडिया	१,१२७	१,२२५	१,३७२	१,२००
कोरिया (दक्षिण)	१,०५०	१,०४६	२,६२४	३,०८६
चीन (मुख्य)	२६,७८७	३२,१००	५८,१८१	८६,६००
जापान	२,६६६	३,२३२	११,६६१	१४,३२८
तैवान	७६२	७८३	१,६८२	२,२८७
थाइलैण्ड	५,२११	४,५७६	६,८४५	५,७२४
पाकिस्तान	६,००३	६,२६२	१२,४००	१२,६३५
फिलिपाइन	२,३१६	२,६६६	२,७६७	३२०३
फ्रांसीसी दक्षिण अफ्रिका	७७५	८६२	५२३	७००
बर्मा	३,७५८	३,८६५	५,३०६	५,८२८
ब्राजिल	१,६२७	२,५४३	३,०२५	३,६८८
भारत	३,००६२	३१,६८१	३३,३८३	३७,८२६
मडागास्कर	६१५	७४१	८२६	१ ०२०
मलाया	३४३	३६५	६३५	८००
लंका	४४२	५५८	५७२	६५८
संयुक्त अरब-गणतंत्र	२६०	३०८	६८४	१,७११
संयुक्तराज्य अमेरिका	७५२	५४२	१,६२४	१,६४८
सियालिओन	३१७	२७३	२६०	२८०
स्पेन	५८	६७	२७२	३८८

आलू

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) औसत १९४८—५२	१९५७
अर्जेण्टाइना	१६१	१८३	१,२३२	१,३७४
आस्ट्रिया	१७५	१८०	२,२७०	४,०३४

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) १९४८—५२	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) १९४८—५२	१९५७
आयरलैंड	१३८	१०७	२,२७०	४,०३४
इटली	३९२	३८६	२,७३२	३ १५८
कनाडा	१७५	१३०	२,१४७	१,९९३
ग्रेटब्रिटेन	४९७	३२९	९,४५४	५,७९०
चीन (मुख्य)	३३८	—	१,८४६	—
जर्मनी (पूर्व और पश्चिम)	१,९९८	१,९४३	३७,४२७	४१,०३१
जापान	२०९	२१०	२,४५१	३,३९६
जेकोस्लोवाकिया	६२२	६२९	७,२५५	८,७५६
नेदरलैंड	१८६	१३२	४,६७९	३,७४१
पेरू	२१७	२१९	१,२४०	१,०४६
पोलैण्ड	२ ५७५	२,७६३	२६,७२७	३५,१०४
फ्रांस	१,१२४	९८९	१३,७३४	१५,११४
वेलजियम	९०	८२	२,१२७	२,०४३
भारत	२३७	३१८	१,६४७	२,०१३
युगोस्लाविया	२२८	२८५	१,४८६	३,३१०
रूमानिया	२१४	२६५	१,६७९	३,०५८
रूस	८,४१९	९,५००	—	—
सं०रा० अमेरिका	६६२	५६०	१०,६७६	१०,८६५
स्पेन	३५८	३७२	३,३४८	३,६५४
स्विडन	१३२	११९	१,८१४	१,४६८
हंगरी	२५४	२४१	१,७१५	२,७०७

मूँगफली

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) १९४८—५२	१९५६	१९५७	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६) १९४८—५२	१९५६	१९५७
अर्जेण्टाइना	११९	२२२	२५२	१२०	३१८	
चीन	१,५४३	—	—	२,१५०	३,३३६	
जावा और मदुरा	२३६	—	—	२२४	२९२	
नाइजीरिया	—	—	—	६८४	८००	१,२००
फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रिका	—	—	१,२१३	८१७	१,१००	१,२५०
बर्मा	२७७	३२९	३४१	१५४	१६८	११५

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में)			उत्पादन (१००० मेट्रिक टन में)		
	१९४८—५२	१९५६	१९५७	१९४८—५२	१९५६	१९५७
बेलजियन कांगो	२५०	२९९	—	११५	१८२	—
ब्राजिल	१३६	१६८	—	१३९	१८५	...
भारत	४,३७९	५,४४३	५,८५०	३,१९६	४,२६७	४,३३६
संयुक्तराज्य अमेरिका	६१४	५६०	६२६	८३६	७२९	६८३

कहवा

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़)			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)		
	१९४८—५२	१९५६	१९५७	१९४८—५२	१९५६	१९५७
अंगोला	१२७	२३०	—	५५	८१	७५
कोलम्बिया	७५६	९२४	—	३५९	३३३	—
फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रिका	१९७	२६०	—	५२	११६	११२
ब्राजिल	२,६४५	३,३५६	३,६६१	१,०७७	१,०६७	१,३९०
भारत	९१	—	—	२१	४२	—
संसार का जोड़	—	—	—	२,२६०	२,३९०	—

चाय

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़)			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)		
	१९४८—५२	१९५६	१९५७	१९४८—५२	१९५६	१९५७
इण्डोनेशिया	१४४	१४३	—	४२	४३	४७
जापान	२८	४२	—	४०	७१	—
पाकिस्तान	३०	३१	—	२३	२५	२५
भारत	३१४	३२०	—	२८०	३०४	३०३
लंका	२२८	२३१	—	१४०	१७०	१८०

तम्बाकू

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़)			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)		
	१९४८—५२	१९५६	१९५७	१९४८—५२	१९५६	१९५७
ग्रीस	८५	११८	१२२	४९	८२	९७
चीन	१८६	—	—	२२०	३९९	—

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में)			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में)		
	१९४८—५२	१९५६	१९५७	१९४८—५२	१९५६	१९५७
टर्की	११८	१७२	—	८४	११६	—
पाकिस्तान	९६	८३	—	७०	७६	—
ब्राजिल	१४९	१८६	१९०	११३	१४४	१४५
भारत	३३१	३७३	४१४	२४७	२६३	३११
संयुक्तराज्य अमेरिका	९७४	५५२	४५४	९५९	९८९	७६३
संसार-भर का जोड़	२,७००	३,२४०	—	२,८००	३,४३०	—

रूई

(१,००० अमेरिकन गाँठ में)

देश	औसत	
	१९५०—५४	१९५७—५८
अफ्रिका		
उगान्डा	३००	२९५
टैंगनिका	४४	१४०
नाइजीरिया	१००	२००
न्यासालैंड	१०	१०
बेलजियन कांगो	२२२	२३०
मिस्र	१,७४०	१,८७०
सूडान	३७४	२२५
दूसरे देश	३९२	५००
अमेरिका		
अर्जेण्टाइना	५७०	७००
पेरू	४०१	५००
ब्राजिल	१,६७४	१,३५०
मेक्सिको	१,२३७	२,१००
संयुक्तराज्य अमेरिका	१४,१५५	११,००
दूसरे देश	२८२	६३०
एशिया		
ईरान	१५०	३००
कोरिया	८०	४०
चीन	४,४८०	६,५००
टर्की	६३०	६२०
पाकिस्तान	१,३२८	१,३५०
भारत	३,०६२	४,४३०
रूस	३,९००	६,८५०

देश		१९५०--५४		१९५५-५८
ओसीनिया				
अस्ट्रेलिया	....	२	....	२
यूरोप				
इटली	....	२७	....	४०
ग्रीस	....	१२५	....	२६०
स्पेन	....	५७	....	१६५

सूती कपड़ा

देश	उत्पादन की इकाई (१० लाख मीटर्स में) (१ मीटर = १.०९३६ गज १ वर्ग मी० = १.१९५९६ गज)	१९५०	१९५५	१९५६	१९५७
इटली	,,	१०	८	९	१०
कनाडा	,,	२५	२२	२३	२२
ग्रेटब्रिटेन	,,	१६२	१३६	१२३	१२४
चिली	,,	६	३	३	४
जापान	१० लाख वर्गमीटर	१०८	२१०	२४२	२६८
पाकिस्तान	१० लाख मीटर	८	३५	३८	४०
फ्रांस	,,	१६	१५	१६	१८
बेलजियम	सहस्र मेट्रिक टन	६	६	७	७
भारत	,,	२७५	३८८	४०४	४०५
मिस्र	,,	२६	३२	३४	—
मेक्सिको	,,	४	३	५	४
युगोस्लाविया	१० लाख वर्गमीटर	१२	१४	१५	१७
रूस	१० लाख मीटर	३२५	४९२	४५४	४७०
संयुक्तराज्य अमेरिका	,,	७६३	७७५	७८६	७२९

कच्ची चीनी

औसत

देश		१९४८—५२		१९५७
अर्जेण्टाइना	....	५८८	....	६६७
अस्ट्रेलिया	....	९१३	....	१,३१३
इटली	....	६११	....	८४३
इण्डोनेशिया	....	२८६	....	८२९
कनाडा	....	१२५	....	१२५

देश		औसत १९४८–५२		१९५७
क्यूबा	...	५,७८६	...	५,७८१
ग्रेटब्रिटेन	...	६२६	....	६११
जर्मनी	...	१,५४०	...	२,३८७
,, पश्चिम	...	८४०	...	१,५५२
,, पूर्व	....	७००	...	८३५
जेकोस्लोवाकिया	....	७१६	...	८३५
डोमिनिका	...	५४२	...	८८८
तैवान	...	६२६	...	६३०
दक्षिण अफ्रिका-संघ	...	५५५	....	८७१
पाकिस्तान	...	५४	...	१७२
पोर्टोरीको	...	१,२५७	...	८४७
पेरू	...	४८७	...	७३८
पोलैंड	...	८७०	....	१,१३७
फिलिपाइन	...	८२७	...	१,२४४
फिजी	....	१२३	...	१६६
फ्रान्स	....	१,१०६	...	१,५३८
ब्राजिल	...	१,५२०	...	२,६६३
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज	....	६८४	...	७७६
भारत	...	१,३०३	...	२,१६०
मेक्सिको	...	७०४	...	१,१६३
मॉरिसस	...	४४३	...	५६२
रूस	....	२,७२८	...	४,८८२
संयुक्तराज्य अमेरिका	...	१,६२२	...	२,४८१
स्पेन	...	३२३	....	३५५
स्विडन	...	२८१	...	३२२
हवाई	...	६१३	...	७४४

बिजली

(उत्पादन—१० लाख किलोवाट में)

देश		उत्पादन १९५०		१९५५		१९५६
जर्मनी (पूर्व)	...	१६,४६६	...	२८,६६५	...	३१,१८६
जेकोस्लोवाकिया	...	६,२८०	...	१५,०१३	...	१६,५६१
पोलैंड	...	६,४२१	...	१७,७५१	...	१६,४६५

देश	१६५०	१६५५	१६५६
बलगेरिया	७६७	२,०७३	२,३६३
हंगरी	३,०००	५,४२८	५,१६४
संसार का कुल जोड़ (रूस को मिलाकर)	६,५६,२००	१५,३५,५००	१६,७७,६००
संसार का कुल जोड़ (रूस को छोड़कर)	८,६५,६००	१३,६५,३००	१४,८५,६००

पेट्रोलियम

(१००० मेट्रिक टन में)
(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

प्रान्त और देश	१६५०	१६५५	१६५६	१६५७	१६५८
उत्तरी अमेरिका					
कनाडा	३,७३८	१७,४२६	२३,१२६	२५,०००	२२,०००
मेक्सिको	१०,२६६	१२,५६६	१२,७६६	१२,६००	१३,०००
सं०रा०अमेरिका	२,७१,०८१	३,३४,६३१	३,५२,८४६	३,५२,७००	३,३०,०००
कैरिबियन					
कोलम्बिया	४,७८४	५,७६८	६,२८४	६,४७६	६,६००
क्यूबा	४	४६	८०	५०	५०
ट्रिनिडाड	३,०१५	३,५६४	४,१८०	४,६००	५,१५०
बेनेजुएला	७८,२४०	१,१२,३७६	१,२८,६२३	१,४५,३१५	१,३५,०००
दक्षिण अमेरिका					
अर्जेण्टाइना	३,४६२	४,४६६	४,४२०	४,४८०	४,६००
इक्वेडर	३४७	४६५	४६०	४००	४२०
चिली	८२	३३२	४८०	५४०	४३०
पेरू	२,०५१	२,३००	२,५३०	१,४००	२,५५०
बोलिविया	८०	३५१	४४०	५००	४७५
ब्राजिल	४४	२६०	५३०	१,४००	२,५००
पश्चिम एशिया					
इजराइल	०	०	२०	६०	१००
इराक	६,४५७	३३,२०६	३१,०६३	२१,६४०	३५,७००
ईरान	३२,२५६	१६,०२५	२६,३४६	३५,५३०	४०,६००
कातर	१,६३२	५,४३८	५,८७६	६,६१०	८,२००
कुवैत	१७,२६१	५४,७५६	५४,६८२	५७,२८०	७०,२००
कुवैत और सऊदी अरब के तटस्थ भाग	०	१,३६२	१,६००	३,३७०	४,३००

प्रान्त और देश	१९५०	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८
टर्की	१७	२०२	३००	२९८	३००
बहरैन	१,५१०	१,४९९	१,४९५	१,५९०	२,०००
मिस्र	२,३४९	१,८००	१,८००	२,१५०	३,०००
पूर्वी एशिया					
इण्डोनेशिया	६,४१४	११,७९०	१२,५००	१५,३६०	१६,८००
जापान	२८५	३१९	३२०	३२०	३६०
न्यू गायना	२५९	४७४	३६०	३३०	३००
पाकिस्तान	१६६	२७६	२९०	३००	३२०
बर्मा	७१	१९९	२२५	३८०	४६०
ब्रिटिश बोर्नियो		४१८०			
ब्रूनी	४,१८०	५,३०८	५,७४०	५,७३०	५,२००
भारत	२५२	३३०	३८०	४३०	४२०
अफ्रिका					
अंगोला	—	—	—	१५०	२००
अलजीरिया }	४२	५९	४०	२३	४४२
मोरक्को }		१०२	९८	७६	७५
गैबोन	—	—	—	१७३	५०५
नाइजीरिया	—	—	—	—	३००
यूरोप					
अस्ट्रिया	११,६९९	३,६६६	३,४२८	३,१९०	२,८४०
इटली	८	२०५	५००	१,३३०	१,५००
ग्रेटब्रिटेन	४६	५४	६७	८०	८१
नेदरलैंड	७०५	१,०२४	१,१००	१,५२०	१,६००
पश्चिमी जर्मनी	१,११९	३,१४७	३,५०६	३,९६०	४,४३०
फ्रांस	१५१	८७८	१,२६४	१,४१०	१,३९०
युगोस्लाविया	११०	२५७	२९४	३९६	४६२
रूसी गुट					
अलबानिया	१३२	२२०	२९०	४९०	५८०
चीन	—	९६६	१,१७६	१,४५०	१,५००
जेकोस्लोवाकिया	१०२	१४०	१४०	१४०	१४०
पोलैंड	१७८	१८०	१८४	१९०	१७५
बलगेरिया	—	१५०	२४७	२८०	३००
रूमानिया	५,४६०	१०,५७५	१०,९२०	११,५००	११,१८०
रूस	३७,८००	७०,८००	८३,८००	९८,३००	१,१३,५००
हंगरी	५३०	१,६००	९००	६७०	८५०

कोयला

(उत्पादन १,००० मेट्रिक टन में)
(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१६५०	१६५५	१६५६
जर्मनी (पूर्व)	२,८००	२,६६७	२,७४३
जेकोस्लोवाकिया	१८,४५६	२२,१३५	२३,४११
बलगेरिया	१५७	२६३	३७०
रूमानिया	३००	४०४	४१४
हंगरी	१,४००	२,६६२	२,३७१
संसार-भर का जोड़ (रूस को मिलाकर)	१३,६४,२००	१५,०६,७००	१५,७६,७००
संसार-भर का जोड़ (रूस को छोड़कर)	१२,०६,६००	१२,३०,०००	१२,७६,०००

सिमेंट

(उत्पादन १,००० मेट्रिक टन में)
(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१६५०	१६५५	१६५६
जर्मनी (पूर्व)	१,४१२	२,६७१	३,२६६
जेकोस्लोवाकिया	१,६६०	२,८६२	३,१४८
पोलैंड	२,५१४	३,८१३	४,०३५
बलगेरिया	६०२	८१२	८५६
रूमानिया	१,०२८	१,६६१	२,१८६
हंगरी	७६७	१,१७५	६६५
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को मिलाकर)	१,३३,०००	२,१४,०००	२,२६,०००
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को छोड़कर)	१,२२,०००	१,६१,०००	२,०४,०००

कच्चा लोहा और उसका मिश्रण

(उत्पादन १,००० मेट्रिक टन में)
(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१६५०	१६५५	१६५६
जर्मनी (पूर्व)	३३७	१,५१७	१,५७४
जेकोस्लोवाकिया	१,६८०	२,६८२	३,२२८
पोलैंड	१,५३३	३,११२	३,५०६

देश	१९५०	१९५५	१९५६
रूमानिया	३२०	५७०	५८३
हंगरी	४६१	८६८	७५५
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को मिलाकर)	१,३२,१००	१,८८,७००	१,६५,६००
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को छोड़कर)	१,१२,६००	१,५५,४००	१,६०,१००

कच्चा इस्पात

(उत्पादन १,००० मेट्रिक टन में)

(१ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१९५०	१९५५	१९५६
जर्मनी (पूर्व)	९९९	२,५०८	२,७४०
जेकोस्लोवाकिया	३,१२२	४,४७४	४,८८२
पोलैंड	२,५१५	४,४२६	५,०१४
रूमानिया	५५५	७६६	७७९
हंगरी	१,०४८	१,६२९	१,४२५
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को मिलाकर)	१,५८,७००	२,६६,२००	२,७८,१००
संसार-भर का कुल जोड़ (रूस को छोड़कर)	१,६१,४००	२,२०,६००	२,२६,५००

❀

विश्व की कुछ प्रमुख ज्ञातव्य बातें

नदियाँ

नाम	सागर या खाड़ी जिसमें गिरती है	लम्बाई (मीलों में)
मिसिसिपी-मिसौरी	मेक्सिको की खाड़ी (सं० रा० अ०)	४,२००
आमेजन	एटलांटिक महासागर (दक्षिण अमेरिका)	४,०००
नील	भूमध्यसागर (मिस्र)	३,७००
ओबी	उत्तरी (आर्कटिक) महासागर (साइबेरिया)	३,२००
यांग-सिक्यांग	प्रशान्त महासागर (चीन)	३,१००
आमूर	प्रशान्त महासागर (साइबेरिया)	२,६००
कांगो	एटलांटिक महासागर (अफ्रिका)	२,६००
लीना	आर्कटिक महासागर (साइबेरिया)	२,८६०
येनिसी	आर्कटिक महासागर (साइबेरिया)	२,८६०
ह्वांगहो	प्रशान्त महासागर (चीन)	२,७००
नाइजर	एटलांटिक महासागर (अफ्रिका)	२,६००

महासागर और सागर

महासागर

नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	गहराई (फुट में)
प्रशान्त महासागर	६,७७,००,०००	३५,६४०
एटलांटिक महासागर	३,४८,००,०००	३०,२४६
भारतीय महासागर	२,८६,००,०००	२२,६६८
दक्षिणी (अंटार्कटिक) महासागर	७५,००,०००	१७,८५०
उत्तरी (आर्कटिक) महासागर	५५,४१,६००	१६,५००

सागर

नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
कोरल सागर	२५,००,०००	हडसन की खाड़ी	४,७०,०००
भूमध्य सागर	११,४५,०००	जापान-सागर	४,००,००
कैरिबियन सागर	१०,४६,५००	अन्दमन-सागर	३,०८,३००
दक्षिण चीन-सागर	८,६५,४००	उत्तर सागर	२,२०,०००
बेरिंग सागर	८,७५,८००	कास्पियन सागर	१,६६,०००
मेक्सिको की खाड़ी	७,२०,०००	लाल सागर	१,६६,०००

नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
ओखोटस्क	५,८६,८००	काला सागर	१,६३,०००
पीत सागर	४,८०,०००	बाल्टिक सागर	१,६०,०००
पूर्वी चीन-सागर	४,८०,०००		

पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
एवरेस्ट		नेपाल-तिब्बत		२६,०२८
गॉडविन ऑस्टिन		कश्मीर		२८,२५०
कंचनजंघा		नेपाल-सिक्किम		२८,११६
लोत्से-१	...	नेपाल-तिब्बत	...	२७,८६०
मकालू	...	नेपाल-तिब्बत	...	२७,८२४
लोत्से-२	...	नेपाल-तिब्बत	...	२७,५६०
चो ओयू	...	नेपाल-तिब्बत	...	२६,८६७
धौलागिरि	...	नेपाल	...	२६,८११
नागा पर्वत	...	कश्मीर	....	२६,६६०
मानसालू	...	नेपाल	...	२६,६५७
अन्नपूर्णा	....	नेपाल	....	२६,५०३
गोशेरब्रुम	....	कश्मीर	....	२६,४७०
गोसाई थान	...	तिब्बत	...	२६,२८६
डिस्टेगिल	...	कश्मीर	...	२५,८६८
हिमालचुली	...	नेपाल	...	२५,८०१
नुप्सू	...	नेपाल-तिब्बत	...	२५,६८०
मशेरब्रुम	...	कश्मीर	...	२५,६६०
नन्दादेवी	...	भारत	...	२५,६४३
कोमोलोंजो	...	नेपाल-तिब्बत	...	२५,६४०
रेखापोशी	...	कश्मीर	...	२५,५५०
कैमत	....	भारत-तिब्बत	...	२५,४४७

प्रमुख झीलें

नाम		महादेश		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
कास्पियन	...	एशिया-यूरोप	...	१,७०,०००
सुपीरियर	...	उत्तरी अमेरिका	....	३१,८२०

नाम		महादेश		क्षेत्रफल
विक्टोरिया-न्यांजा	....	अफ्रिका	...	२६,२००
अरल	...	एशिया	...	२४,४००
ह्यूरन	...	उत्तरी अमेरिका	....	२३,०१०
मिचिगन	....	उत्तरी अमेरिका	...	२२,४००
चाड	....	अफ्रिका	...	२०,०००
टैंगानिका	...	अफ्रिका	...	१२,७०६
बैकाल	...	साइबेरिया	...	१२,१५०
ग्रेटबीयर	....	उ० अमेरिका	...	१२,६६०
ग्रेटस्लेव	...	उ० अमेरिका	....	११,१७०
न्यासा	...	अफ्रिका	...	११,०००
ईरी	...	उत्तर अमेरिका	...	६,६४०
विनिपेग		"	...	६,३६८
अण्टेरियो		"	...	७,५४०
लादोगा		यूरोप	...	७,१००
बालकश	...	एशिया	...	७,०५०

प्रमुख ज्वालामुखी

जीवित

नाम		स्थान		ऊँचाई (फुट में)
कोटोपैक्सी	...	इक्वेडर	...	१६,५५०
माउण्ट रैंगेल	...	सं० रा० अमेरिका	...	१४,०००
मौनालोआ	...	हवाई द्वीप	....	१३,६७५
एरेबस	...	अन्टार्कटिक	...	१३,०००
निरागोंगी	....	बेलजियन-कांगो	...	११,५६०
इलिऊमना	...	अल्युसियन द्वीप	....	११,०००
एटना	...	सिसिली	...	१०,७४१
चिलान	...	चिली	...	१०,५००
न्यामुरगिरा	...	बेलजियन-कांगो	...	१०,१५०
पैरीकुटिन	...	मेक्सिको	...	६,०००
असामा	...	जापान	...	८,२००
हेकला	...	आइसलैंड	...	५,१००
किलौई	....	हवाई द्वीप	...	४,०६०
विसुवियस	...	इटली	...	,७००
स्ट्रॉम्बोली	...	लिपारी द्वीप	...	३,०००

सुप्त

नाम		स्थान		ऊँचाई (फुट में)
लुलैलाको	...	चिली	...	२०,२४४
डेमावेण्ड	...	ईरान	...	१८,६००
सेमेराश्रो	....	जावा	...	१२,०५०
हलकाकाला	....	हवाई द्वीप	...	१०,०३२
युराटूर	....	जावा	....	७,३००
पिली	....	पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह	...	४,४३०
क्राकातोश्रा	...	सुण्डा मुहाना	...	२,६००
तूसिमा	...	जापान	...	२,४८०

मृत

नाम		स्थान		ऊँचाई (फुट में)
श्रकोंकागुश्रा	....	चिली	...	२२,६७६
चिम्बोराजो	...	इक्वेडर	...	२०,५००
किलिमंजारो	...	टैंगनिका	...	१६,३४०
एण्टिसाना	...	इक्वेडर	...	१८,८५०
एलबुर्ज	....	काकेसस	....	१८,५२६
पोपोकैटापेट्ल	....	मेक्सिको	....	१७,७५०
श्रोरिजाबा	...	,,	....	१७'४००
फ्यूजियामा	....	जापान	...	१२,३६५

बड़े द्वीप

नाम		महासागर		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
श्रस्ट्रेलिया	...	प्रशान्त महासागर	...	२६,७४,५८०
ग्रीनलैंड	....	उत्तरी एटलांटिक महासागर	...	८,३६,७८२
न्यूगीनी	....	प्रशान्त महासागर	....	३,१०,०००
बोर्नियो	...	प्रशान्त महासागर	...	३,०६,६०६
मडागास्कर	....	भारतीय महासागर	...	२,४१,०६४
बैफिनलैंड	...	श्रार्कटिक महासागर	...	२,०१,६००
सुमात्रा	...	भारतीय महासागर	...	१,६४,१४८
फिलिपाइन द्वीप	....	प्रशान्त महासागर	...	१,१४,४००
न्यूजीलैंड (उत्तर और दक्षिण)	....	प्रशान्त महासागर	....	१,०३ ६५४
ग्रेटब्रिटेन	...	एटलांटिक महासागर	...	८८,७४५
विक्टोरिया	....	ब्यूफोर्ट (कनाडा)	...	८०,३४०
एलेसमेयर	...	श्रार्कटिक महासागर	....	७७,३६२
जावा	...	प्रशान्त महासागर	...	४८,८४२

प्रसिद्ध मरुभूमियाँ

नाम		देश		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
सहारा	...	उत्तरी अफ्रिका	...	३५,००,०००
लिबिया	...	उत्तरी अफ्रिका	...	६,५०,०००
अस्ट्रेलियन मरुभूमि	....	अस्ट्रेलिया	....	६,००,०००
अरब	...	अरब	...	५,००,०००
गोबी	...	मंगोलिया	...	५,००,०००
काराकुम	....	तुर्किस्तान	....	१,१०,०००
किजिलकुम	....	मध्य तुर्किस्तान	....	७०,०००
अटकामा	....	चिली	....	७०,०००
मोजावे	....	सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया)	....	१५,०००
कोलोरैडो	....	सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया)	....	३,०००

लम्बी सुरंगें

नाम		स्थान		लम्बाई (मीलों में)
ईस्ट फिंचले-मॉर्डन	....	इंगलैंड	....	१७१/४
बेन-नेविस	....	इंगलैंड	....	१५
टाना	....	जापान	....	१३१/२
सिम्प्लोन	....	स्विट्जरलैंड-इटली	....	१२१/४
एपेनाइन	....	इटली	....	१११/२
सेंट गोथार्ड	....	स्विट्जरलैंड	....	९१/४
लोएच बेग	....	स्विट्जरलैंड	....	९
मौण्ट केनिस	....	इटली	....	८१/२
कास्केड	....	सं० रा० अमेरिका	....	७३/४
अर्लबर्ग	....	अस्ट्रिया	....	६१/४
मोफैट	....	सं० रा० अमेरिका	....	६
शिमजू	....	जापान	....	६
रिमुटाका	....	न्यूजीलैंड	....	५१/२
रिकेन	....	स्विट्जरलैंड	....	५१/४
ग्रेनचनबर्ग	....	स्विट्जरलैंड	....	५१/४
टौरेन	....	अस्ट्रिया	....	५१/४

प्रसिद्ध पहाड़ी घाटियाँ

घाटियों के नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
अल्पिना	....	कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका)	....	१३,५५०

घाटियों के नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
सेंट बरनार्ड	....	स्विस आल्प्स	....	८,१००
सेंट गोथार्ड	....	स्विस आल्प्स	....	६,९३६
सिम्पलोन	....	स्विस आल्प्स	....	६,५९५
बोलन	....	बलूचिस्तान	....	५,८८०
बेनर	....	अस्ट्रियन आल्प्स	....	४,५८८
शिपकी	....	भारत-तिब्बत	....	४,३००
खैबर	....	अफगानिस्तान	....	३,८७३

ऊँचे बाँध

नाम	देश	ऊँचाई (फुट में)	नाम	देश	ऊँचाई (फुट में)
मोडवोइसिन	स्विट्जरलैंड	७८०	हंग्री होर्स	सं० रा० अमेरिका	५६४
हूवर	सं० रा० अमेरिका	७२६	ग्रैंड कॉली	सं० रा० अमेरिका	५५०
ग्लेन			कोगोटी	चिली	२४८
कैनिओन	सं० रा० अमेरिका	७००	बुरिनजुक	अस्ट्रेलिया	२४७
भाकरा	भारत	६८०	मेट्टुर	दक्षिण भारत	२३०
शास्टा	सं० रा० अमेरिका	६०२	नीप्रोस्ट्रोव	रूस	२००
टिगनेस	फ्रांस	५९२	मारथोन	ग्रीस	२००
कुरोबी	जापान	५९०	ह्यूम	अस्ट्रेलिया	१८०
ग्रैंड डिक्सेन्स	स्विट्जरलैंड	५८०			

बड़े बाँध

नाम	देश	जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में)	निर्माण-काल	नदी
ह्यूम	अस्ट्रेलिया	४०,००,०००	१९३६	मर्रे
ग्रैण्डकोली	सं० रा० अमेरिका	३१,३१,४२८	१९४१	कोलम्बिया
अस्वान	मिस्र	१७,३२,०००	१९३०	नील
कोगोटी	चिली	१०,८१,०००	१९३२	लिमारी
हूवर	सं० रा० अमेरिका	१०,००,०००	१९३६	कोलोरैडो
नीप्रोस्टोव	रूस	६,९८,०००	१९३२	नीपर
बुरिनजुक	अस्ट्रेलिया	४,०८,०००	१९२७	मर्रे
मारथोन	ग्रीस	२,२४,१००	१९३०	हरद्रा
मेट्टुर	दक्षिण भारत	२,००,०००	१९३४	कावेरी
कृष्णराज सागा	दक्षिण भारत	४३,९३५	—	—
निजाम सागर	दक्षिण भारत	२५,५९६	—	—
लॉयड बाँध	सिन्ध	२४,१९८	—	—

जहाजी नहरें

नाम	स्थान	लम्बाई (मीलों में)	नाम	स्थान	लम्बाई (मीलों में)
			एल्बे ट्रैब	जर्मनी	४१
गोटा	स्विडन	११५	मैन्चेस्टर	इंगलैंड	३५$\frac{1}{2}$
स्वेज	मिस्र	१००	वेलैण्ड	कनाडा	२७$\frac{1}{2}$
वोलगा	मास्को (रूस)	८०	प्रिन्सेस जालिआना	हॉलैण्ड	२५
कील	जर्मनी	६१	अम्सटरडम	हॉलैण्ड	१६$\frac{1}{2}$
वोलगा-डोन	रूस	६०	कोरिन्थ	सं० रा० अमेरिका	४
पनामा	अमेरिका	५०	सौल्टे	मैरी (संयुक्तराज्य अमेरिका-कनाडा)	२$\frac{3}{4}$

मुख्य जल-प्रपात

नाम	स्थिति	उँचाई (फुट में)
ऐंजिल	वेनेजुएला	३,३००
कुकेनाम	ब्रिटिश गायना	२,०००
सुदरलैंड	न्यूजीलैंड (दक्षिणी द्वीप)	१,९०४
टुगेला	नेटाल (द० अफ्रिका)	१,८००
रिबोन	कैलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका)	१,६१२
अपर योसोमाइट	कैलिफोर्निया	१,४३०
गैवर्नी	फ्रांस	१,३८५
टक्काकौ	ब्रिटिश कोलम्बिया	१,२००
विडोज टीयस	कैलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका)	१,१७०
स्टौबैक	स्विट्जरलैंड	९८०
ट्र्येल वैच	×	९५०
ग्रोसोपा	मैसूर	९५०
मिड्ल कैसकेड	कैलिफोर्निया	९१०
मल्ट नोमाह	संयुक्तराज्य अमेरिका	८५०
किंग एडवर्ड सप्तम	ब्रिटिश गायना	८४४
फेअरी	वाशिंगटन (संयुक्तराज्य अमेरिका)	७००
कालाम्बो	दक्षिण अफ्रिका	७०५
मैरेडैडफोज (स्कावक्जे फोन)	नारवे	६५०
टर्नी	इटली	६५०
किंग जोर्ज	दक्षिण अफ्रिका	४५०
ग्वायरा	पारागुए (दक्षिण अफ्रिका)	३७४
स्प्लेण्डर ऑफ् सन	जापान	३५०

नाम	स्थिति	ऊँचाई (फुट में)
विक्टोरिया	दक्षिणी रोडेशिया (अफ्रिका)	३४३
सेवेन फॉल्स	कोलोरैडो	२६६
निआगरा	न्यूयार्क	१६७

प्राथमिक पर्वतारोहण

समय (ईसवी-सन्)	पर्वतों के नाम	स्थिति	आरोहियों के नाम
१७८६	ब्लैंक	फ्रांस-इटली	एम्० जी० पैकर्ड और जे० बलमट
१८११	जंगफ्रौ	स्विट्जरलैंड	जे० आर० ऐंड एच्० मेयर
१८६५	मैटरहॉर्न	स्विट्जरलैंड	ई० ह्विम्पर
१८६८	एलबुर्ज	काकेसस (रूस)	डी० डब्ल्यू० फ्रेसफील्ड, ह्वि० ए० डब्ल्यू० मूरे, सी० सी० टक्कर
१८८०	चिम्बोरैजो	इक्वेडर	ई० ह्विम्पर
१८८२	कूक	न्यूजीलैंड	डब्ल्यू० एस्० ग्रीन
१८८७	किलिमंजारो	टैंगानिका	मियर
१८६७	एकोनकागुआ	अर्जेण्टाइना	एम० जुर्ब्रिगेन
१८६७	सेंट एलिअस	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	ड्यूक ऑफ् एब्रुजी
१८६६	केनिया	केनिया	एच्० जे० मैकिण्डर
१६०६	रुवेञ्जोरी	केन्द्रीय अफ्रिका	ड्यूक ऑफ् एब्रुजी
—	मेक किनली	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	पारकर ब्रोन
१६२५	लोगन	अलास्का	ए० एच्० मेककार्डी
—	इलाम्पू	बोलिविया	जर्मन-अस्ट्रियन आरोहण
१६५०	अन्नपूर्णा	हिमालय	फ्रांसीसी आरोहण, मौरिस हरजोग के नेतृत्व में
१६५३	एवरेस्ट	हिमालय	ब्रिटिश आरोहण
१६५३	नागापर्वत	कश्मीर	अस्ट्रिया-जर्मनी आरोहण
१६५३	नानकुम	जम्मू और कश्मीर	फ्रांसीसी आरोहण
१६५४	गॉडविन ऑस्टिन (काराकोरम)	हिमालय(भारत)	इटालियन आरोहण
१६५४	को-ओयूम	हिमालय-नैपाल	अस्ट्रियन आरोहण
१६५५	कंचनजंघा	हिमालय	चार्ल्स इवान के नेतृत्व में ब्रिटिश आरोहण

समय (ईसवी-सन्)	पर्वतों के नाम	स्थिति	आरोहियों के नाम
१९५५	मकालू	नैपाल	फ्रांसीसी आरोहण
१९५६	लोत्से	नैपाल	स्विस आरोहण
१९५६	मानसालू	नैपाल	जापानी आरोहण
१९६०	एवरेस्ट	हिमालय	भारतीय आरोहण

प्रमुख रेलवे प्लैटफार्म

नाम		देश		लम्बाई (फुट में)
स्टोरविक	....	स्विडन	....	२,४७०
सोनपुर	....	भारत	....	२,४१५
खड़गपुर	....	भारत	....	२,३६०
न्यू लखनऊ	....	भारत	....	२,२५०
बुलावायो	....	रोडेशिया	....	२,२०२
बेजवाडा	....	भारत	....	२,२१०
मैनचेस्टर विक्टोरिया एक्सचेंज		इंगलैंड	....	२,१९४
झांसी	....	भारत	....	२०२५
कोटरी	....	पाकिस्तान	....	१,८९६
मांडले	....	बर्मा	....	१,७८८

बड़े पुल

नाम		देश		लम्बाई (वाटर-वे के फुट में)
लोअर जाम्बेजो	....	पूर्व अफ्रिका	....	११,३२२ फुट
स्टार्सस्ट्राम	....	डेनमार्क	....	१०,४९९ ,,
टे-पुल	....	स्कॉटलैंड	....	१० २८९ ,,
सोन पुल	....	भारत	....	९,८३९ ,,
गोदावरी	....	भारत	....	८,८८१ ,,
फर्थ पुल	....	स्कॉटलैंड	....	८,२९१ ,,
रिओ सलादो	....	अर्जेण्टाइना	....	६,७०३ ,,
गोल्डेन गेट	....	संयुक्तराज्यअमेरिका	....	६,२६० ,,
रिओ डुल्स	....	अर्जेण्टाइना	....	५,८६६ ,,
हार्डिङ्ग	....	पाकिस्तान	....	५,३८४ ,,
विक्टोरिया जुबिली	....	कनाडा	....	५,३२५ ,,
मोएरडिज्क	....	नेदरलैंड	....	४,६६८ ,,
सिडनी बन्दरगाह	....	अस्ट्रेलिया	....	४,१२४ ,,

नाम		देश		लम्बाई (वाटर-वे फुट में)
जैक्वेस कार्लियर	....	कनाडा	....	३,८६० ,,
क्वीन्स बौरो	....	संयुक्तराज्य अमेरिका	....	३,७२० ,,
ब्रुक्लीन	....	,, ,,	....	३,४५१ ,,
टोटन	....	पोलैंड	....	२,२६१ ,,
क्यूबेक पुल	....	कनाडा	....	३,२०५ ,,

प्रसिद्ध दूरवीक्षण-यंत्र

नाम	आकार (इंच में)	वेधशाला
पैलोमर	२००	माउण्ट पैलोमर (कैलिफोर्निया, सं०रा०अ०)
माउण्ट विल्सन	१००	पैसाडेना (कैलिफोर्निया, सं० रा०अमेरिका)
डनलैप	७४	रिकामोंडहिल (कनाडा)
डोमिनियन एस्ट्रो-फिजिकल	७२	विक्टोरिया बी० सी० (कनाडा)
पर्किन्स	६६	डेलावर (सं० रा० अमेरिका)
हारवर्ड	६१	हारवर्ड (सं०रा० अमेरिका)
ब्लोएमफोण्टन	६०	दक्षिण अफ्रिका
माउण्ट विल्सन	६०	पैसाडेना (सं०रा० अमेरिका)
कोर्डोवा	६०	अर्जेण्टाइना
येर्क्स	४०	विलियम बे (सं०रा० अमेरिका)
लिक	३६	माउण्ट हैमिल्टन (कैलिफोर्निया)
पेरिस यूनिवर्सिटी	३२½	मेउडन (फ्रांस)
एस्ट्रो-फिजिकल	३१½	पोट्सडम (जर्मनी)
एलेग्नी	३०	पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)
विसकोफशीम	३०	नाइस (फ्रांस)
पौलकोवा	३०	लेनिनग्राड (रूस)

उच्च प्रासाद और मीनारें

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
एम्पायर स्टेट	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	१०२	१,२५०
क्रिस्लर	न्यूयार्क (सं०रा० अ०)	७७	१,०४६
आइफेल टावर	पेरिस (फ्रांस)	—	६८४
६० बाल टावर	न्यूयार्क सं० रा० अ०)	६६	६५०
बैंक ऑफ् मनहटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७१	६२७
आर० सी० ए०	(सं० रा० अ०)	७०	८५०

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
ऊलवर्थ	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६०	७६२
सिटी बैंक	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५४	७४५
टर्मिनल टावर	(सं० रा० अ०)	५२	७०८
५०० फिफ्त एवेन्यू		६०	७००
मेट्रोपोलिटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५०	७००
चानिन टावर	(सं० रा० अ०)	५६	६८०
लिंकन	(सं० रा० अ०)	५३	६७३
इरविन ट्रस्ट	(सं० रा० अ०)	५०	६५४
जेनरल इलेक्ट्रिक	(सं० रा० अ०)	५०	६४१
बालडोर्फ अस्टोरिया कैथेड्रल	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	४६	६२५
उल्म कैथेड्रल	जर्मनी	—	५२६
सेंट जॉन दी डिवाइन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	—	५००
रोएन कैथेड्रल	(फ्रांस)	—	४८५
स्ट्रासबर्ग कैथेड्रल	(जर्मनी)	—	४६८
सेंट स्टेफेन्स कैथेड्रल	(वियना)	—	४४१
च्योप्स का पिरामिड	(मिस्र)	—	४५०

कतिपय पशु-पक्षियों की विशेषताएँ

सबसे लम्बा पशु	जिराफ
सबसे बड़ा पशु	हाथी
सबसे तेज उड़नेवाला पक्षी	स्विफ्ट (गति प्रति घंटा २०० मील)
कुत्ते की जाति में सबसे बड़ा चौपाया	भेड़िया
सबसे बड़ा हिंसक जीव	सिंह
आकार में मनुष्य से मिलता-जुलता जीव	वनमानुष
समुद्री चिड़ियों में सबसे बड़ी चिड़िया	अलबाइन्स (दक्षिणी समुद्र में पाई जानेवाली)
शीघ्रतमगामी पशु	चीता
सबसे बड़ा समुद्री जीव	नील ह्वेल
सबसे छोटी चिड़िया	हमिंग बर्ड (भन-भन शब्द करनेवाली एक प्रकार की चिड़िया)
सबसे ज्यादा जीनेवाला जीव	नील ह्वेल (५०० वर्ष)
सबसे चौड़ी मछली	हेलिबट
सबसे लम्बी गरदनवाला पशु	जिराफ
सबसे ज्यादा जीनेवाली चिड़िया	शुतुरमुर्ग
सबसे भारी चिड़िया	कोनडोर (दक्षिण अमेरिका में पाया जानेवाला एक गृद्ध)

विभिन्न जीवों का गर्भ-धारण-काल

जीवों के नाम	गर्भ-धारण-काल	जीवों के नाम	गर्भ-धारण-काल
ऊँट	१३ महीना	बिल्ली	२ महीना
ऊदबिलाव	४ महीना	भालू	७ महीना
कंगारू	१½ महीना	भेड़	५ महीना
खरगोश	१ महीना	भेड़िया	२ महीना
गाय	९ महीना	मनुष्य	९ महीना १० दिन (२८०दिन)
गिलहरी	१ महीना	लोमड़ी	२ महीना
घोड़ा	११ महीना	सिंह	३½ महीना
चूहा	२० दिन	सूअर	४ महीना
जिराफ	१४ महीना	हाथी	२० से २२ मास
बकरी	६ महीना		

उच्चतम, बृहत्तम, महत्तम, दीर्घतम, न्यूनतम

सबसे बड़ा और अधिक जनसंख्यावाला महादेश	एशिया।
सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत भूमि	अमेरिका; उत्तर-दक्षिण आर्कटिक से अण्टार्कटिक सागर तक।
सबसे ऊँचा देश	तिब्बत (१६००० फुट)।
सबसे घनी आबादीवाला बड़ा देश	चीन।
सबसे घनी जनसंख्यावाला छोटा देश	मोनैको(यूरोप), ३३,८९८ प्रतिवर्ग मील।
सबसे छोटा स्वतंत्र राष्ट्र	वैटिकन सिटी, रोम (इटली), क्षेत्रफल १०९ एकड़।
सबसे छोटा महाद्वीप	आस्ट्रेलिया।
सबसे बड़ा द्वीप-समूह	इण्डोनेशिया।
सबसे बड़ा प्रायःद्वीप	भारत।
सबसे बड़ा नगर	लन्दन (जनसंख्या ८३,४६,०००)।
सबसे उत्तर का नगर	हेमरफेस्ट, नार्वे (आर्कटिक वृत्त से २७५ मील उत्तर)।
सबसे ऊँचा नगर	फारी, तिब्बत (१४,३०० फुट)।
सबसे बड़ी इमारत	पिरामिड (मिस्र)।
सबसे विशाल भवन	वैटिकन (रोम)।
सबसे बड़ा राजमहल	मेड्रिड (स्पेन) का राजमहल।
सबसे बड़ा आफिस का मकान	पेण्टेगोन (सं० रा० अमेरिका); ३४ एकड़ में। इसमें ३२,००० आदमी काम करते हैं।

सबसे बड़ा कंक्रीट का मकान	ग्रैंड डिक्सेन्स (स्विट्जरलैंड)।
सबसे बड़ा गुम्बज	गोल गुम्बज (बीजापुर, भारत); १४४फुट।
सबसे लम्बा चर्च	अल्म कैथेड्रल(जर्मनी); ५२६ फुट ऊँचा।
सबसे विशाल चर्च	सेंट पिटर्स का चर्च (रोम)।
सबसे लम्बी मूर्त्ति	स्वाधीनता की मूर्त्ति (न्यूयार्क, अमेरिका) एँड़ी से चोटी तक १११ फुट।
सबसे बड़ा म्यूजियम	ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन।
सबसे बड़ा थियेटर	ब्लैंकिटा थियेटर (हवाना); ६५०० व्यक्तियों के लिए स्थान।
सबसे लम्बी दीवाल	चीन की दीवाल, १५०० मील से अधिक,
सबसे बड़ी वाटिका	एलोस्टोन, नेशनल पार्क (सं० रा० अमेरिका); ३ ३५० वर्गमील।
सबसे बड़ा दूरवीक्षण-यंत्र	माउण्ट पेलोमर (कैलिफोर्निया, अमेरिका) वाला, व्यास २०० इंच।
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रैंड सेण्ट्रल टर्मिनस, न्यूयार्क। इसमें ४७ प्लेटफार्म हैं।
सबसे लम्बी रेलवे लाइन	ट्रान्स साइबेरियन रेलवे लाइन; रीगा से ब्लाडिब्रोस्टक (रूस ,६००० मील)
सबसे लम्बा राजपथ	ब्रॉडवे (न्यूयार्क, अमेरिका)।
सबसे ऊँचा हवाई अड्डा	लद्दाख (कश्मीर); १४,२३० फुट।
हवाई जहाज की सबसे ऊँची उड़ान	८३,२३५ फुट।
मुसाफिरवाले बैलून की सबसे ऊँची उड़ान	१,०२,००० फुट।
सबसे गहरी खान	कोलार गोल्डफील्ड, मैसूर (लगभग १०,००० फुट गहरी)।
सबसे गहरा सूराख	टेक्सास (सं० रा० अमेरिका) का एक तेल का कुँआ।
सबसे बड़ी हीरा की खान	किम्बरली (दक्षिण अफ्रिका)।
सबसे बड़ा हीरा	कुलिनन।
सबसे बड़ा मोती	बेरेस्फोर्ड-होप (१,८०० ग्राम)।
सबसे बड़ा घंटा	सारकोलो कोल, क्रेमलिन (मास्को), १८० टन।
सबसे ऊँचा वृक्ष	जैण्ट सेकुइया वृक्ष, हैम्बोल्ट स्टेट पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका (३६८ फुट ऊँचा)
सबसे अधिक वर्षावाली एवं गीली भूमि	चेरापुंजी (आसाम)। एक मास में ३६६ इंच।
सबसे कम वर्षावाली भूमि	एरिका (चिली), २ इंच।

सबसे ठंढा स्थान	वरखोयांस्क (साइबेरिया); ६०° फेरेन्हाइट ५ और ७ फरवरी, १८६२।
सबसे गर्म स्थान	अजिजिया (लीबिया); १३६° फेरेन्हाइट (१३ सितम्बर, १६२२)।
सबसे अधिक वार्षिक तापमानवाला स्थान	सोमालीलैंड (अफ्रिका); ८८° फेरेन्हाइट।
सबसे कम वार्षिक तापमानवाला स्थान	फ्रामहीम; अण्टार्कटिक, १४०° फेरेन्हाइट।
सबसे बड़ा अन्तर्देशीय समुद्र	मेडिट्रेनियन सागर।
सबसे खारा और सबसे छिछला समुद्र	डेड सी।
सबसे बड़ी स्वच्छ जलवाली झील	सुपीरियर (उत्तरी अमेरिका)।
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	मीड़ (सं० रा० अमेरिका)।
सबसे गहरी झील	बैकाल (साइबेरिया)।
सबसे विशाल नदी	आमेजन (दक्षिण अमेरिका)
नदी द्वारा सिंचित सबसे बड़ा क्षेत्र	आमेजन का क्षेत्र; २७,२०,८०० वर्गमील।
सबसे बड़ा मुहाना	सुन्दर वन; ८,००० वर्गमील।
सबसे बड़ी जहाजी नहर	श्वेत सागर की नहर (रूस); १४० मील लम्बी।
सबसे बड़ा जहाज	क्वीन एलिजावेथ (८३,६७३ टन)।
सबसे बड़ा ग्रह	बृहस्पति।

तृतीय भाग

भारत

भारत-भूमि

भारत एशिया महादेश के दक्षिण समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब समुद्र तथा पश्चिमी पाकिस्तान हैं। उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से चीन, तिब्बत, नैपाल, सिक्कम, भूटान और फिर तिब्बत और चीन हैं। इसके सारे उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई करीब १५०० मील है। इसके पूरब में बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी है। उत्तर-दक्षिण की ओर भारत और बर्मा के बीच पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई, और अराकान योमा पर्वत-मालाएँ हैं।

प्राकृतिक रचना—भारत का क्षेत्रफल १२,५६,६५१ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २००० मील और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा-रेखा ६,४२५ मील है, जिसमें ४००० मील क लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर है। इसके समुद्री किनारे की लम्बाई ३,५३५ मील है। यह देश भूमध्यरेखा के उत्तर में ८° लेकर ३७° १०′ उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६५° से ६६° २५′ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। बंगाल की खाड़ी के अन्दर अंदमन और निकोबार द्वीप-समूह तथा अरब सागर के अन्दर लक्का दीव, मिनिकौय और अमिनदीवी द्वीप समूह भी भारत के अंग हैं।

यह देश इतना विस्तृत है कि इसके विभिन्न स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत अन्तर पड़ता है। कश्मीर में यहाँ का तापमान ४६° फेरेन्हाइट है तो राजस्थान में १२° फेरेन्हाइट। उसी प्रकार इसकी औसत वार्षिक वर्षा थार मरुभूमि (राजस्थान) में ४ इंच है, तो चेरापुंजी (आसाम) में ४२५ इंच।

इसका समुद्र-तट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है तो पूर्वी तट छिछला है, जिससे यहाँ अधिक बन्दरगाह नहीं हैं। इसके प्राकृतिक बन्दरगाह केवल बम्बई और गोआ हैं। मद्रास में विशाखापत्तनम् और ओखा विशुद्ध कृत्रिम बन्दरगाह हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इसके मुख्य बन्दरगाह हैं—कंडला, बेदीबन्दर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमूगाओ, मंगलोर, कोभीकोड (.कालीकट), कोचीन, अर्लापी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुपकोटि, नागापट्टनम्, कारीकल, कूडालोर, पांडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम, काकीनाड, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता। इनमें मरमूगाओ बन्दरगाह पुर्तगाल के अधीन है।

भारत तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है —(१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी अधित्यका। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर पर्वत-श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी एवरेस्ट, माउण्टगॉ डविन ऑस्टिन, कंचनजंघा आदि संसार की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। इन पर्वत-श्रेणियों के बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटियाँ हैं। इनमें से कश्मीर तथा कुल्लू की घाटियाँ उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। आवागमन के लिए कश्मीर में जोजिला और पंजाब में शिपकी घाटियाँ हैं। शिपकी से दार्जिलिंग तक कोई घाटी नहीं है। भारत के उत्तर-पूरब में मुख्य चुम्बी घाटी है।

सिन्धु गंगा का मैदान १,५०० मील लम्बा तथा १५० से २०० मील चौड़ा है। यह मैदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र—इन तीन नदी-क्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का एक सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मैदान है और संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र में भी एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग १,००० मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊँचाई है, तो वह भी समुद्र-तल से ७०० फुट से अधिक नहीं।

दक्षिणी अधित्यका १,५०० से ४,००० फुट ऊँचे पहाड़ों और पर्वत-श्रेणियों के द्वारा सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाती है। अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल तथा अजन्ता पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं। प्रायद्वीप के एक ओर औसतन २,००० फुट ऊँचे पूर्वी घाट और दूसरी ओर ३,०००–४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं, जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं पर ८,८४० फुट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियाँ—भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं :—(१) हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ, (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदी-क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय से निकलनेवाली नदियों में वर्फीले स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष-भर पानी रहता है। वर्षा-ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम तो कभी अधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ तो वर्ष के अधिक समय में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका जलक्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदी-क्षेत्रवाली नदियाँ बहुत कम हैं, जो अपने-अपने नदी-क्षेत्रों में ही अथवा साम्भर झील-जैसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं और किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।

गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत हैं।

इस क्षेत्र में नदियाँ भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में हिमालय से निकलती है। यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र गोदावरी का नदी-क्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु के नदी-क्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायदीप वाले भाग में कृष्णा नदी-क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। महानदी, प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे बड़े नदी-क्षेत्र में से होकर बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदी-क्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का तासी नदी-क्षेत्र तथा दक्षिण का पेणार नदी-क्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

जलवायु—भारत की जलवायु मुख्यतः वर्षा-प्रधान उष्ण है, जो स्थान-स्थान पर भिन्न भिन्न है। यहाँ ६ ऋतुएँ हैं, पर मुख्य तीन ही हैं—जाड़ा, गर्मी और बरसात। जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है —

(क) ८० इंच से अधिक वार्षिक वर्षावाले प्रदेश; जैसे पश्चिमी तट, बंगाल तथा आसाम;

(ख) ४० से ८० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा-घाटी का मध्य भाग; और

(ग) २० से ४० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गंगा के मैदान का ऊपरी क्षेत्र।

जन संख्या

संसार के सबसे अधिक जन-संख्यावाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान चीन का है। १९५१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जन-संख्या ३५,६८,७९,३९४ थी। इसमें असाम के 'ख' भाग के आदिमजातीय क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर-राज्य की संख्या सम्मिलित नहीं है। इनकी संख्या सम्मिलित करने पर कुल जन-संख्या ३६,११,५१,६६६ हो जाती है। १९५८ के मध्य में भारत की कुल जन-संख्या अनुमानतः ३९.७५ करोड़ थी, जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, पाण्डीचेरी (फ्रांसीसी सरकार द्वारा हस्तान्तरित किये जाने पर भारत में विलयित) और सिक्किम की जन-संख्या भी सम्मिलित थी। १९५६ के राज्य-पुनस्संघटन के बाद १९५१ की गणना के अनुसार भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल और उनकी जन-संख्या इस प्रकार है—

	क्षेत्रफल वर्गमील	जन-संख्या
भारत	१२,५९,७६५	३६,११,५१,६६६
राज्य		
आसाम	८५,०१२	९०,४३,७०७

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जनसंख्या
आन्ध्र प्रदेश	१,०५,६७७	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५,६४६
उत्तर प्रदेश	१,१३,४२२	६३,२१,५,७४२
केरल	१५,००६	१,३५,४६,११८
जम्मू तथा कश्मीर (अनुमानतः)	८५,८६१	४४,१०,०००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४,८६०
पश्चिम बंगाल	३३,६२७	२,६३,०२,३८६
महाराष्ट्र और गुजरात (बम्बई)	१,६०,६६८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,०७१	३,८७,८३,७७८
मद्रास	५०,१२८	२,६६,७४,६३६
मध्यप्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७१,६३७
मैसूर	७४,८६१	१,६४,०१,१६३
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५६,७०,७७४
संघीय क्षेत्र		
अन्दमन तथा निकोबार द्वीप-समूह	३,२१५	३०,६७१
दिल्ली	५७३	१७,४४,०७२
मणिपुर	८,६२६	५,७७,६३५
लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह	११	२१,०३५
हिमाचल प्रदेश	१०,६२२	११,०६,४६६
त्रिपुरा	४,०,२२	६,३६,०२६

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर—अधिकांश जन्म तथा मृत्यु पंजीकृत नहीं कराई जा पातीं, इसलिए पंजीकरण के आँकड़ों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना के आँकड़ों में भिन्नता मिलती है। १६४१–५० के दशक में पंजीकृत जन्म-दर २८ तथा पंजीकृत मृत्यु-दर २० थी। १६५६ में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म-दर २७.४ तथा मृत्यु-दर ११'४ थी।

१६४१ तथा १६५१ के बीच भारत में प्रतिवर्ष एक हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म की औसतन दर ४० रही, प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष औसतन २७ मृत्यु हुई तथा जन-संख्या में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष औसतन १३ की वृद्धि हुई। सबसे ऊँची जन्म दर भारत के मध्यवर्त्ती क्षेत्र में और सबसे नीची जन्म-दर दक्षिण भारत में थी। इसी प्रकार सबसे ऊँची मृत्यु-दर भी भारत के मध्यवर्त्ती क्षेत्र में और सबसे नीची मृत्यु-दर दक्षिण भारत में रही।

भारत में १४ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं का अनुपात बहुत अधिक और ५५ वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के लोगों का अनुपात बहुत कम है, जो क्रमशः

३८.३ प्रतिशत तथा ८·३ प्रतिशत है। १९५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ थीं। भारत के १० बड़े नगरों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे १९५१ में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थी---बृहत्तर कलकत्ता (६०२), बृहत्तर बम्बई (५९६), मद्रास (९२१), दिल्ली (७५०), हैदराबाद (९८९), अहमदाबाद (७६४), बंगलोर (८८३), कानपुर (६९९), पूना (८३३) तथा लखनऊ (७८३)।

सघनता—१९५१ में जन-संख्या की घनता २८७ मनुष्य प्रति वर्गमील थी। १९२१ से १९५१ तक के ३० वर्षों में जन-संख्या की घनता में २.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सामाजिक रूप—भारत के निवासी विभिन्न धर्मावलम्बी हैं। १९५१ की जन-गणना के अनुसार इनमें हिन्दू ८४.९९ प्रतिशत, मुसलमान ९.९३ प्रतिशत ईसाई २.३० प्रतिशत तथा सिख १.७४ प्रतिशत हैं। शेष अन्य धर्मों के माननेवाले हैं।

भाषाएँ—१९५१ की जनगणना के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें ७२० भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की संख्या एक लाख से कम है) तथा ६३ गैर-भारतीय भाषाएँ हैं। ९१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी-न-किसी एक भाषा को बोलती है। दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में हिन्दी बोलनेवालों की संख्या १०.८८ करोड़ थी। हिन्दी उर्दू, हिन्दुस्तानी और पंजाबी बोलनेवालों की संख्या १४.९९ करोड़ थी। संविधान में उल्लिखित विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत इस प्रकार है—

भाषा	बोलनेवालों की संख्या	कुल जन-संख्या का प्रतिशत	भाषा	बोलनेवालों की संख्या	कुल जन-संख्या का प्रतिशत
हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी, पंजाबी	१४,९९,००,०००	४६.३	गुजराती	१,६३,००,०००	५.०
			कन्नड़	१,४५,००,०००	४.५
			मलयालम	१,३४,००,०००	४.१
			उड़िया	१,३२,००,०००	४.१
तेलुगु	३,३०,००,०००	१०.२	असमिया	५०,००,०००	१.५
मराठी	२,७०,००,०००	८.३	कश्मीरी	५,०००	—
तमिल	२,६५,००,०००	८.२	संस्कृत	१,०००	—
बँगला	२,५१,००,०००	७.८			

शहरी तथा ग्रामीण जन-संख्या—देश की ३५.६९ करोड़ की कुल जनसंख्या में से ६.१९ करोड़ अथवा १७.३ प्रतिशत व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २९.५० करोड़ अथवा ८२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में। १९४१-१९५१ के दशक में शहरी जन-संख्या में ३·४ प्रतिशत की वृद्धि तथा ग्रामीण जन-संख्या में ३·४ प्रतिशत की कमी हुई।

देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८,०८८ गाँव हैं। २९·५ प्रतिशत ग्रामीण जनता छोटे गाँवों में (५०० की जन-संख्या से कम के), ४८.८ प्रतिशत ग्रामीण जनता मध्यम गाँवों में (५०० से २,००० की जन-संख्या के), १९.४ प्रतिशत ग्रामीण जनता बड़े गाँवों में

(२,००० से ५,०००, की जन-संख्या के) और ५.३ प्रतिशत ग्रामीण जनता बहुत बड़े गाँवों में (५,००० से अधिक की जन संख्या के) रहती है। ३८ प्रतिशत शहरी लोग नगरों में (१ लाख तथा उससे अधिक की जन संख्या के), ३०.१ प्रतिशत बड़े कस्बों में (२०,००० से १,००,००० की जन-संख्या के), २८.६ प्रतिशत छोटे कस्बों में (५,००० से २०,००० की जन-संख्या के) तथा ३.३ प्रतिशत (५,००० से कम जन-संख्या की) बस्तियों में रहते हैं।

इस प्रकार भारत में १,००,००० या उससे अधिक जन-संख्यावाले नगरों की संख्या ७१ है। इनमें से ३१ नगर ऐसे हैं, जो एक-दूसरे से आपस में मिले हुए बसे हैं और ४० नगर अलग-अलग बसे हैं।

भारत की जन-संख्या में ह्रास और वृद्धि

ई०	पुरुष	ह्रास या वृद्धि	प्रतिशत
१९०१	२३,५४,७८,८१३	....	....
१९११	२४,८९,६५,४३४	+ १,३५,१६,६२१	+ ५.८
१९२१	२४,८१,२०,७४६	— ८,७४,६८८	—०.३
१९३१	२७,५४,६८ ४३२	+ २,७३,४७,६८६	+ ११.०
१९४१	३१,४८,०४,६६४	+ ३,९३,३६,२३२	+ १४.३
१९५१	३५,६८,७९,३९४	+ ४,२०,७४,७३०	+ १३.४

राज्यों की जन-संख्या-वृद्धि

राज्य	१९२१ ई०	१९३१ ई०	१९४१ ई०	१९५१ ई०
आन्ध्र प्रदेश	२,१५,४१,९७५	२,४३,२४,१०६	२,७४,२५,४७४	३,१२,६०,१३३
आसाम	५३,१६,५६०	६३,४४,४५६	७५,९३,०३७	८७,७२,८७४
बिहार	२,८१,१६,१८५	३,१३,३९,०५०	३,५१,७१,८७९	३,८७,८४,१७२
बम्बई	३,१०,१९,९५७	३,५४,४६,७१७	४,०५,३४,३०९	४,८२,६५,२२१
केरल	७८,०२,१२७	९५,०७,०५०	१,१०,३१,५४१	१,३५,४९,११८
मध्यप्रदेश	१,९१,७१,७५०	२,१३,५५,६५७	२,३९,९०,६०८	२,६०,७१,६३७
मद्रास	२,१५,१४,८९८	२,३३ ५५,८४१	२,६१,३२,०८३	२,९९,७४,९३६
मैसूर	१,३३,७४,३९०	१,४६,३१,१२८	१,६२,५४,६५८	१,९४,०१,१९३
उड़ीसा	१,११,५८,५८६	१,२४,९१,०५६	१,३७,६७,९८८	१,४६,४५,९४६
पंजाब	१,२४,६५,००९	१,३६,६६,८७६	१,६१,०१,१८९	१,६१,३४,८९०
राजस्थान	१,०२,९२,६४८	१,१७,४७,९७४	१,३८,६३,८५९	१,५९,७०,७७४
उत्तरप्रदेश	४,६६,९९,८६५	४,९७,७९,७५४	५,६५,३१,८४८	६,३२,१५,७४२
पश्चिम बंगाल	१,७४,८४,३७१	१,८९,०७,८७८	२,३२,३१,८१९	२,६३,०१,९९२
अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह	२७,०८६	२९,४६३	३३,७६८	३०,९७१

राज्य	१९२१ ई०	१९३१ ई०	१९४१ ई०	१९५१ ई०
दिल्ली	४,८८,५४२	६,३६,२४६	९,१७,९३९	१७,४४,०७२
हिमाचल प्रदेश	८,९०,०४६	९,५४,२७६	१०,५७,७११	११,०९,४६६
लकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप-समूह	१३,६३७	१६,०४०	१८,३५५	२१,०३५
मणिपुर	३,८४,०१६	४,४५,६०६	५,१२,०६९	५,७७,६३५
त्रिपुरा	३,०४,४३७	३,८२,४५०	५,१३,०१०	६,३९,०२९

❀

राज्यों के गाँव और नगर

राज्य	गाँव	नगर
भारत	५,५८,०८८	३,०१८
आन्ध्र प्रदेश	२६,४५०	२९३
आसाम	२५,३२७	२८
बिहार	६७,६७०	१०८
बम्बई	५४,२७९	६२५
केरल	४,५९७	८८
मध्यप्रदेश	७०,०३४	२०२
मद्रास	१८,३५१	२९५
मैसूर	२५,८७८	२८९
उड़ीसा	४८,३९८	३९
पंजाब	२०,८५५	१९४
राजस्थान	३१,७०४	२२७
उत्तरप्रदेश	१,११,७२२	४८६
पश्चिम बंगाल	३७,४७१	१२०
संघीय क्षेत्र		
अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह	२०१	
दिल्ली	३०४	१०
हिमाचल प्रदेश	८,३८४	११
लकादीव मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप-समूह	१०	
मणिपुर	१,६०१	१
त्रिपुरा	३,४५३	१
सिक्किम	९९	१

भारत के प्रमुख नगर और उनकी जन-संख्या

राज्य और नगर		१९५१ई०	प्रतिशत वृद्धि या ह्रास
भारत		२,४१,२६,५९२	+ ३६.२
आन्ध्र			
१. हैदराबाद	...	१०,८५,७२२	+ ३८·०
२. विजयवाड़ा	....	१,६१,१९८	+ ६०·६
३. वारंगल	...	१,३३,१३०	+ ३५·७
४. गण्टूर	...	१,२५,२५५	+ ३९·९
५. विशाखापतनम्	....	१,०८,०४२	+ ४२·४
६. राजमुन्द्री	...	१,०५,२७६	+ ३४·२

राज्य और नगर		१९५१ ई०	प्रतिशत वृद्धि या ह्रास
बिहार			
१. पटना	....	२,८३,४७९	+३६'३
२. जमशेदपुर	...	२,१८,१६२	+२७'५
३. गया	...	१,३३,७००	+२३'९
४. भागलपुर	....	१,१४,५३०	+२०'५
५. राँची	...	१,०६,८४९	+५३'३
बम्बई			
१. बम्बई	...	२८,३९,२७०	+५०'५
२. अहमदाबाद	...	७,८८,३३३	+२८'६
३. पूना	...	४,८०,९८२	+५३'४
४. नागपुर	....	४,४९,०९९	+३९'२
५. शोलापुर	...	२,६६,०५०	+२६'६
६. सूरत	...	२,२३,१८२	+२६'२
७. बड़ौदा	...	२,११,४०७	+३१'९
८. भावनगर	...	१,३७,९५१	+२९'२
९. कोल्हापुर	...	१,३६,८३५	+३८'१
१०. राजकोट	....	१,३२,०६९	+८६'७
११. जामनगर	...	१,०४,४१९	+३७'३
केरल			
१. त्रिवेन्द्रम	...	१,८६,९३१	+३७'२
२. कोजीकोड	....	१,५८,७२४	+२२'७
३. आलपेई	...	१,१६,२७८	+६९'५
मध्यप्रदेश			
१. इन्दौर	....	३,१०,८५९	+४१'७
२. जबलपुर	...	२,५६,९९८	+३६'१
३. ग्वालियर	...	२,४१,५७७	+२७'९
४. उज्जैन	...	१,२९,८१७	+४६'०
५. भोपाल	...	१,०२,३३३	+३०'५
मद्रास			
१. मद्रास	...	१४,१६,०५६	+५८'२
२. मदुराई	....	३,६१,७८१	+४०'८
३. त्रिचिरापल्ली	...	२,१८,९२१	+३१'४
४. सलेम	...	२,०२,३३५	+४३'८

राज्य और नगर		१९५१ ई०	प्रतिशत वृद्धि या ह्रास
५. कोयम्बटूर	...	१,९७,७५५	+४१·१
६. बेलोर	...	१,०६,०२४	+३८·६
७. तंजोर	....	१,००,६८०	+३७·८
मैसूर			
१. बंगलोर	....	७,७८,९७७	+६२·८
२. मैसूर	...	२,४४,३२३	+४७·५
३. कोलार गोलफील्ड	...	१,५९,०८४	+१७·२
४. हुबली	...	१,२९,६०९	+३०·३
५. मंगलोर	....	१,१७,०८३	+३६·३
उड़ीसा			
१. कटक	....	१,०२,५०५	+३१ ६
पंजाब			
१. अमृतसर	....	३,२५,७४७	—१४·२
२. जालंधर	....	१,६८,८१६	+२२·१
३. लुधियाना	...	१,५३,७९५	+३१·८
राजस्थान			
१. जयपुर	...	२,९१,१३०	+४६.४
२. अजमेर	....	१,९६,६३३	+२८·७
३. जोधपुर	...	१,८०,७१७	+३५·०
४. बिकानेर	....	१,१७,११३	—८·३
उत्तर प्रदेश			
१. कानपुर	...	७,०५,३८३	+३६·६
२. लखनऊ	...	४,९६,८६१	+२४·८
३. आगरा	....	३,७५,६६५	+२७·७
४. वाराणसी	....	३,५५,७७७	+३०·०
५. इलाहाबाद	...	३,३२,२९५	+२४·२
६. मेरठ	...	२,३३,१८३	+३१·८
७. बरैली	...	२,०८,०८३	+७·७
८. मुरादाबाद	....	१,६१,८५४	+१२·८
९. सहारनपुर	....	१,४८,४३५	+३१·३
१०. देहरादून	....	१,४४,२१६	+५९·३
११. अलीगढ़	....	१,४१,६१८	+२२·८
१२. रामपुर	....	१,३४,२७७	+४०·२
१३. गोरखपुर	...	१,३२,४३६	+२८·६

राज्य और नगर	१९५१ ई०	प्रतिशत वृद्धि या ह्रास
१४. झांसी	१,२७,३६५	+ २०.६
१५. मथुरा	१,०५,७७३	+ २७.१
१६. शाहजहाँपुर	१,०४,८३५	— ५.०
पश्चिम बंगाल		
१. कलकत्ता	२५,४८,६७७	+ १८.६
२. हावड़ा	४,३३,६३०	+ १३.४
३. टालीगंज	१,४६,८१७	+ ८७.५
४. भाटपारा	१,३४,६१६	+ १४.२
५. खड्गपुर	१,२६,६३६	+ ३६.२
६. गार्डेन रीच	१,०६,१६०	+ २४.७
७. दक्षिण सुन्दरवन (बेहला)	१,०४,०५५	+ ४८.४
दिल्ली		
१. दिल्ली	६,१४,७६०	+ ५४.७
२. नई दिल्ली	२,७६,३१४	+ ६८.७

विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति—भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के उत्प्रवास की व्यवस्था 'भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, १६२२' तथा इसके अधीन बनाये जानेवाले नियमों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी की गई विशेष सूचनाओं के अनुसार होती है।

१६५७ में अफ्रिका, बर्मा, मलाया, श्रीलंका तथा अन्य देशों से क्रमशः ३६; ४; १,५१८; १०४ तथा १,२३४ व्यक्ति भारत वापस आये और भारत से अफ्रिका, बर्मा, मलाया, श्रीलंका तथा अन्य देशों को क्रमशः २८७, ४३, ८३, १४८ तथा २,६१४ व्यक्ति गये।

विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख है। इनमें से केनिया, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रिका, फिजी द्वीप-समूह, बर्मा, ब्रिटिश गायना, मलाया, मॉरीशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक और इण्डोनेशिया, जमैका, टैंगनिका, डच गायना और युगाण्डा में से प्रत्येक देश में २५,००० से अधिक हैं।

विदेशों में भारतीय

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या	आनुमानिक वर्ष
अदन	१५,८१७	१९५५
अस्ट्रेलिया	८८७	१९५४
बर्बाडोस	१४०	१९५५
ब्रिटिश गायना	२,१०,०००	१९५४
ब्रिटिश हौण्डुरास	२,०००	१९४६

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	....	२,०००	....	१९५४
ब्रिटिश सोमालीलैंड	...	२५०	...	१९४६
ब्रूनी	..	४३६	...	१९४७
कनाडा	...	७,६६४	....	१९५७
सिलोन	....	९,००,००० (लगभग)	...	१९५७
डोमिनिका	....	५	....	१९५०
फिजी द्वीप-समूह	....	१,६६,४०९	...	१९५६
जिब्राल्टर	....	४१	...	१९४६
गोल्डकोस्ट	....	३२९	...	१९५४
ग्रेनाडा	....	४,०००	...	१९५४
हाँगकाँग	....	३,०००	...	१९५७
जमैका	....	२६,०००	...	१९५४
केनिया	....	१,२७,०००	...	१९५४
लीवार्ड द्वीप-समूह	....	९९	....	१९४६
मलाया	....	७,४०,४३६	...	१९५६
माल्टा	....	३७	....	१९४८
मौरिसस	....	३,७५,९१८	...	१९५५
न्यूजीलैंड	....	१,२००	...	१९५२
नाइजीरिया	....	३०४	....	१९५४
न्यासालैंड	...	६,००० (लगभग)	....	१९५४
रोडेशिया (उत्तरी)	....	३,५०० (लगभग)	....	१९५४
रोडेशिया (दक्षिणी)	...	४,७०० (लगभग)	....	१९५४
सारावक	....	२,२०१	....	१९५४
सीकेलस	....	२८५	....	१९४७
सियरालिओन	....	७६	....	१९४८
सिंगापुर	....	९२,८९५	...	१९५४
दक्षिण अफ्रिका	....	४,११,०००	....	१९५८
सेण्टकिट्स	...	९७	....	१९५०
सेण्ट लूशिया	...	३,०००	...	१९५४
सेण्ट-विन्सेण्ट	....	२,०००	....	१९५४
टैंगनिका	....	६५,३६५	....	१९५७
ट्रिनिडाड और टोबैगो	....	२,६७,०००	....	१९५७
उगाण्डा	....	५०,०००	...	१९५४
युनाइटेड किंगडम	...	१,७०,०००	....	१९५८
जंजीबार और पांबा	....	१५,८१२	....	१९४८

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
अदन प्रोटेक्टरेट	...	१००	...	१६५६
अफगानिस्तान	...	२३६	...	१६५४
अर्जेंएटाइना	...	२५०	...	१६५८
आस्ट्रिया	...	४१	....	१६५५
बहरेन	...	३,०००	...	१६५४
बेलजियन कांगो	...	१,२२७	...	१६५०
बेलजियम	...	७२	...	१६५५
ब्राजिल	...	६०	...	१६५५
बलगेरिया	...	३	...	१६५३
बर्मा	...	६-७ लाख (अनुमानतः)		
कम्बोडिया	...	२००	...	१६५७
चिली	...	५	...	१६५८
चीन	....	२१०	...	१६५७
क्यूबा	...	२३ (लगभग)	....	१६५८
जेकोस्लोवाकिया	...	४	...	१६५५ (मई)
डेनमार्क	...	२२	...	१६५५
डचगायना	....	७०,०००	....	१६५५
मिस्र	...	१००	...	१६५६
इथोपिया और इरिट्रिया मिला हुआ		२,०००	...	१६५७
फिनलैंड	....	१	...	१६५५
फ्रान्स	...	२६५	....	१६५७
जर्मनी (पश्चिमी और पूरबी)		३५	...	१६५३
पश्चिम जर्मनी	...	१,३०० (छात्र और प्रशिक्षणार्थी)		
इएडोचाइना	...	२,३००	...	१६५०
इएडोनेशिया-गणराज्य	...	४०,०००	...	१६५२
ईरान	...	६१७	...	१६५७
इराक	....	८५०	...	१६५४
इटालियन सोमालीलैंड	....	१,०००	...	१६४७
इटली	...	११३	....	१६५५ (मार्च)
जापान	...	५०१	...	१६५४
कुवैत	....	२,५००	....	१६५४
लेबनान	...	५६	...	१६५५
लीबिया	...	२७	....	१६५६
लक्जेमवर्ग	...	—	...	१६५२
मडागास्कर	....	१४,०००	...	१६५६ (लगभग)

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
मेक्सिको	....	१२ (लगभग)	...	१६५८
मसकट	...	१,१४५	...	१६४७
नैपाल	...	१०,४४१	...	१६४१
नैदरलैंड	...	३	...	१६५७
पैलेस्टाइन	...	५६	...	१६४७
पनामा	...	५-८ सौ के बीच	...	१६५६
फिलिपाइन	...	१,२६५	...	१६५४
पुर्त्तगाल	...	१	...	१६५२
पुर्त्तगीज पूर्व अफ्रिका	...	५,०००	...	१६४८
काटर (पर्सियन गल्फ)	...	८००	...	१६५४
रियूनियन द्वीप-समूह	....	२,५००	...	१६५५
रूआन्डा उरुन्डी	...	१,६६३	...	१६५०
सऊदी अरब	...	५,०००	...	१६५६
शरजाह दुबाई	....	२५०	...	१६५४
सूडान	...	२,५००	...	१६५७
स्विडन	...	७६	...	१६५५
स्विट्जरलैंड	....	२५०	...	१६५७
सीरिया	...	१३	....	१६५४
थाइलैंड	...	६,६००	...	१६५५
सं० रा० अमेरिका	...	५,०६३	...	१६५८
रूस	...	१५	...	१६५३
यमन	...	५०	...	१६५६
युगोस्लाविया	न० अ०			

❀

राष्ट्रीय चिह्न, झण्डा और गीत

राष्ट्रीय चिह्न—भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ-स्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ के उस रूप का प्रतिरूप है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मूल रूप से यह स्तम्भ सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांग-मार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी। इसमें चार सिंह हैं, जो स्तम्भ के शीर्ष-भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए स्थित हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ता हुआ, एक घोड़ा, एक साँड़ तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्त्तियाँ हैं, जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ एक 'धर्मचक्र' था।

२६ जनवरी, १६५० को भारत-सरकार द्वारा अपनाये गये इस राष्ट्रीय चिह्न में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है, जिसकी दाईं और बाईं ओर क्रमशः एक साँड और एक घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद् का वाक्य- 'सत्यमेव जयते' अंकित है। इसका अर्थ है—'सत्य की ही विजय होती है'।

राष्ट्रीय झण्डा—वर्त्तमान भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा १६०६ में कलकत्ता में फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा—तीन रंग थे। दूसरा झण्डा भी कुछ इसी तरह का था, जिसे श्रीमती कामा आदि निष्कासित क्रान्तिकारियों ने पेरिस में फहराया था। तीसरा झण्डा १६१७ के होमरूल आन्दोलन में श्रीमती ऐनीबेसेण्ट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। चौथी बार काँगरेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए एक तिरंगा झण्डा १६२१ में तैयार किया। वही झण्डा कुछ परिवर्त्तन के बाद २२ जुलाई, १६४७ को भारत की संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। यह तीन बराबर की आयताकार पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो चर्खे का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्मचक्र की बनावट का है।

झण्डे के फहराये जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किये जाने के लिए भारत-सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किये हैं। इसको किसी के लिए झुकाया नहीं जा सकता तथा कोई और झण्डा या चिह्न इसके ऊपर अथवा दाईं ओर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक झण्डे फहराने हों तो वे सब राष्ट्रीय झण्डे की बाईं ओर ही रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊँचा फहराना हो तब राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

यदि एक ध्वज-दण्ड पर कई झण्डे फहराने हों तो तब भी राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। झण्डे को लिटाकर अथवा झुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाय। जुलूस में यह झण्डा ध्वजवाहक के दायें कन्धे पर और सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी डण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से इसे झुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत-गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता-दिवस, गणतन्त्र-दिवस, महात्मा गांधी का जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय झण्डा, कोई व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'जन-गन-मन……' भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १६५० को स्वीकृत हुआ। श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी लिखित 'वन्दे मातरम्' को भी, जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस के १८६६ के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था, 'जन-गण-मन…' के समान ही दर्जा दिया गया है।

❀

संविधान

संविधान-सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन ६ दिसम्बर, १६४६ को हुआ। २२ जनवरी, १६४७ को इस सभा ने अपना उद्देश्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया और प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर संविधान-सभा की प्रारूप-समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो फरवरी, १६४८ में प्रकाशित हुआ। यह सामान्य विचार-विमर्श के लिए ४ नवम्बर, १६४८ को संविधान-सभा में प्रस्तुत किया गया। इसी बीच 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त, १६४७ को सत्ता के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधान-सभा उसपर लगे पहले के बन्धनों से मुक्त हो गई और उसपर एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न निकाय के रूप में भारत का संविधान तैयार करने का उत्तरदायित्व आया। संविधान-सभा ने ३६५ अनुच्छेदों तथा ८ अनुसूचियों से युक्त भारत के संविधान को २६ नवम्बर, १६४६ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया। यह संविधान २६ जनवरी, १६५० से लागू हुआ।

संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए निम्नलिखित बातें सुरक्षित करना है—

न्याय —सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक;

स्वतन्त्रता —विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की;

समानता —सामाजिक और अवसर की, और

भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का आश्वासन।

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है, जिसके राज्य-क्षेत्र में आसाम, आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान के राज्य और अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली; मणिपुर; लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह; हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र तथा अन्य अर्जित क्षेत्र हैं।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत देश के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिताओं की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्षों तक भारत का निवासी होने की

शर्तें पूरी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार पाकिस्तान से आनेवाले वे विस्थापित व्यक्ति, जो अमुक शर्तों को पूरा करते हों, भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय कूटनीतिक अथवा वाणिज्यीय प्रतिनिधियों द्वारा अपने-आपको पंजीकृत करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ले, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो और जो संविधान अथवा यथोचित विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवास पागलपन, अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा गैरकानूनी कार्य के आधार पर अनर्ह न ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार दिया गया है।

मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में सात प्रकार के व्यापक मौलिक अधिकार गिनाये गये हैं: समता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद १६); एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड न पा सकने, अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाये जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा जीवन से वंचित न किये जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० से २२); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ तथा २४); धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८); सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद ३१) तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत सभी अधिकार निर्णेय हैं तथा उनके परिपालन के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग-भेद अथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायगा।

राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किये जा सकते, किन्तु 'देश के शासन में इनका ध्यान रखना आवश्यक' माना जाता है। इनमें कहा गया है—"सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, अपनी क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का

समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापे तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निर्देशक सिद्धान्तों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मादक पेयों तथा औषधियों का निषेध करना, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-पंचायतें बनाना तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

केन्द्र

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार भारत-गणराज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् सम्मिलित हैं।

राष्ट्रपति—राष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचक-मण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करता है। राष्ट्रपति को कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारत का नागरिक तथा लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हतावाला होना चाहिए। उसका कार्य-काल ५ वर्षों का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी खड़ा हो सकता है। संविधान भंग के दोष पर विशेष रूप से अभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, संसद् को स्थगित करने, संसद् में अभिभाषण देने, संसद् को सन्देश देने तथा लोकसभा को भंग करने-जैसे अनेक कार्यों का भी अधिकार प्राप्त है।

उपराष्ट्रपति—उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों के सदस्य अपने एक संयुक्त अधिवेशन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। उपराष्ट्रपति भी ३५ वर्ष की आयु से कम का न होना चाहिए तथा उसे राज्य-सभा के चुनाव में खड़े होने की अर्हतावाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५ वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किन्तु इस अवधि में वह राज्य-सभा का सभापति नहीं रह जाता।

मन्त्रिपरिषद्—संविधान के अनुच्छेद ७४ में प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देती है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है, तथापि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के केन्द्रीय प्रशासन-कार्य-सम्बन्धी निर्णयों से अवगत कराता है।

महान्यायवादी (एटर्नी जेनरल)—राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भारत-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता तथा ऐसे कानूनी कार्य करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गये हों। वह संविधान द्वारा सौंपे गये अथवा संविधान के अन्तर्गत मिले अन्य कार्य भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश के सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है।

संसद्

केन्द्रीय विधान-मण्डल, जो 'संसद्' कहलाता है, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनता है। ये सदन राज्य-सभा तथा लोक-सभा कहलाते हैं।

राज्य-सभा—राज्य-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, जिसमें से १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के कारण नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं और शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य-सभा भंग नहीं होती और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रीति से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उसी राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्य-सभा की सदस्यता के लिए प्रत्येक प्रत्याशी का भारत का नागरिक होना तथा ३० वर्ष से कम आयु का न होना आवश्यक है।

लोक-सभा—लोक-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों (जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विधान-मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के प्रतिनिधि-सहित) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद् द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार लोक-सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक-से-अधिक २० सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ प्रतीत हो, तो वह उनके प्रतिनिधित्व के लिए लोक-सभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

लोक-सभा का कार्यकाल, बशर्ते कि वह समय से पूर्व ही भंग नहीं की जाती, उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से अधिक-से-अधिक ५ वर्ष का होता है। संकटकालीन स्थिति में संसदीय कानून द्वारा इसका कार्यकाल अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक १० न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा किसी उच्च न्यायालय में अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुकनेवाला

अथवा उच्च न्यायालय अथवा दो ऐसे ही अधिक न्यायालयों में कम-से-कम १० वर्षों तक वकील रह चुकनेवाला अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किये जा सकने की भी व्यवस्था रखी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति द्वारा दिये गये ऐसे आदेश द्वारा ही, जो संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से पास किया जा चुका हो, अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है।

भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक

अनुच्छेद १४८—१५१ में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के हिसाब-किताब पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। उसके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का निश्चय संसद् द्वारा बनाये गये कानून द्वारा अथवा कानून के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों को दिये गये उसके प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं।

राज्य

संविधान के छठे भाग के अनुसार राज्य-सरकारों की रचना भी केन्द्रीय सरकार की भाँति ही होगी।

कार्यपालिका—राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में स्थापित एक मन्त्रिपरिषद् से मिलकर बनती है।

राज्यपाल—राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ५ वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु वह उसकी इच्छा-पर्यन्त ही इस पद पर रहता है। ३५ वर्ष से अधिक आयुवाले भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। राज्यपाल संसद् के किसी भी सदन अथवा राज्य-विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता अथवा अन्य कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता।

मन्त्रिपरिषद्—संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की दृष्टि से मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है, जो अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त ही अपने पद पर बना रहता है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

महाधिवक्ता (एडवोकेट जेनरल)—महाधिवक्ता राज्यपाल अथवा संविधान अथवा अन्य किसी विधान द्वारा सौंपे गये कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए तथा कानूनी

मामलों में राज्य की सरकार को परामर्श देने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।

विधान-मण्डल

प्रत्येक राज्य में एक विधान-मण्डल होता है, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक सदन अथवा दो सदन होते हैं। आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश तथा मैसूर में दो सदनों तथा अन्य राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। उच्च सदन 'विधान-परिषद्' कहलाता है तथा निम्न सदन 'विधान-सभा'।

विधान-परिषद्—प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान-सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। इसके लगभग एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान-सभा के सदस्य नहीं हैं, और एक-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला-मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मण्डल द्वारा, द्वादशांश सदस्य शिक्षा-संस्थाओं (माध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं) के पंजीकृत अध्यापकों द्वारा, द्वादशांश सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नातकों द्वारा तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। केन्द्र की भाँति विधान-परिषदें स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हैं।

विधान-सभा—अनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में उस राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अधिक-से-अधिक ५०० तथा कम-से-कम ६० सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्षों का होता है।

न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाता है। ये सब ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं तथा इनको भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किये जाने की भाँति ही पदच्युत किया जा सकता है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल,

सीमाएँ अथवा वर्त्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद् को ही है। ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद ३६८ के सम्बन्ध में संविधान के संशोधन के रूप में माना जायगा।

वैधानिक सम्बन्ध—केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धों द्वारा होती है, जिसमें केन्द्रीय सूची, राज्य-सूची तथा समवर्त्ती सूची सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधान-मण्डलों को है। समवर्त्ती सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधान-मण्डलों, दोनों को है।

क्षेत्रीय दृष्टि से संसद् के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देश अथवा उसका कोई भी भाग आ सकता है, जबकि राज्य के विधान-मण्डल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित होता है। संसद् भारत के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए भी, जो किसी राज्य में नहीं है, उन मामलों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती है, जो राज्यों के विधान-मण्डलों के ही अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

प्रशासनिक सम्बन्ध—केन्द्र तथा राज्यों की कार्यपालिका-शक्ति यद्यपि उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ सम्बद्ध है, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य-सरकारों अथवा उनके अधिकारियों को सौंप सकती है तथा उन्हें आदेश दे सकती है।

वित्त

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति तथा ठेकों आदि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन आता है।

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों की सूचियों में कुछ उन विशेष करों के सम्मिलित किये जाने के अतिरिक्त, जिनके सम्बन्ध में वे अलग-अलग ही कानून बना सकती हैं, संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह भारत की समेकित निधि के आधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती है। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किये गये ऋणों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दे सकती है। राज्यों को भी उनकी अपनी-अपनी समेकित निधियों के आधार पर अपने-अपने ऋण जारी करने का अधिकार है।

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त-आयोग की स्थापना की जाने की व्यवस्था की गई है, जो करों से होनेवाली शुद्ध आय के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों के बीच वितरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।

व्यापार तथा वाणिज्य

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा विनिमय की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विषय में बताया गया है।

सार्वजनिक सेवाएँ

चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों में काम करनेवाले कर्मचारियों की भरती, उनकी सेवा की शर्त्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोक-सेवा-आयोगों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।

निर्वाचन

निर्वाचन-आयोग को संसद्, राज्यों के विधान-मण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए होनेवाले सभी निर्वाचनों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इस आयोग में मुख्य निर्वाचन-आयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त ऐसे ही कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्त्तों का निर्णय राष्ट्रपति करता है और मुख्य निर्वाचन-आयुक्त को भी उसी प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को किया जाता है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ की व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी तथा सरकारी उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु राजभाषा के रूप में अँगरेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक-से-अधिक १५ वर्षों तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति पर और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में जाँच करने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अँगरेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ करने के विचार से केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार ३० संसद्-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच की जाने की भी व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान-मण्डल कानून बनाकर उसी राज्य में प्रचलित एक अथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी उद्देश्यों अथवा किसी एक सरकारी उद्देश्य के लिए राजभाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा, जो उस समय संघ की भाषा होगी।

संकटकालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्था

अनुच्छेद ३५२ के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान हो जाय कि युद्ध अथवा आन्तरिक उपद्रव के फलस्वरूप भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र

की सुरक्षा संकट में है अथवा इस कारण संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह राज्यों को एक घोषणा द्वारा विशेष आदेश दे सकता है। किन्तु, आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति की घोषणा संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए दो महीने के अन्दर-ही-अन्दर उनके सम्मुख उपस्थित कर दी जानी चाहिए।

राज्य के संवैधानिक तन्त्र के विफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य-सरकार के सभी अथवा किसी कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा वह राज्यपाल से समाचार प्राप्त होने के आधार पर अथवा निश्चित रूप से यह मालूम कर लेने पर कर सकता है कि उस स्थिति में राज्य-सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य-संचालन नहीं कर पा रही है।

अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ—सभी नागरिकों के लिए समान असैनिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में आंग्ल-भारतीयों-जैसे अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों-जैसे पिछड़े तथा अविकसित वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ हैं, जिससे ये लोग उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व है।

आसाम के आदिम जातीय क्षेत्र—संविधान में आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २४४ (२) में इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन-कार्य करनेवाले आसाम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। आसाम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए भी एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

विशेष अधिकारी—अनुच्छेद ३३८ में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के अन्तर्गत इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जाँच करेगा।

संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में उसके उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा स्वीकृत किये जाने पर यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाने के पश्चात् ही विधेयक की शर्त्तों के अनुसार संविधान संशोधित माना जायगा।

२६ जनवरी, १९५० को संविधान लागू होने के बाद से अबतक संविधान में ७ संशोधन किये जा चुके हैं। 'संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा जो राज्यों के पुनस्संगठन के कारण अनिवार्य हो गया था, न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अथवा राज्यों की सीमाओं में ही फेर-बदल हुआ, बल्कि राज्यों के वर्गीकरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया।

भारत-सरकार

भारत गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति, जिसमें प्रतिरक्षा-सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं। प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा सहयता देती है।

मन्त्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं —(१) मन्त्री, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री, जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते, किन्तु मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (३) उपमन्त्री।

राष्ट्रपति	राजेन्द्र प्रसाद
उपराष्ट्रपति	एस्० राधाकृष्णन्

	मन्त्रिमण्डल के सदस्य	*विभाग*
१.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधान मन्त्री, वैदेशिक मामले तथा आणविक शक्ति-विभाग
२.	गोविन्दवल्लभ पन्त	आन्तरिक मामले
३.	मोरारजी रणछोड़जी देसाई	वित्त
४.	जगजीवन राम	रेल
५.	गुलजारीलाल नन्दा	श्रम, नियोजन तथा योजना
६.	लालबहादुर शास्त्री	वाणिज्य तथा उद्योग
७.	स्वर्ण सिंह	इस्पात, खान तथा ईंधन
८.	के० सी० रेड्डी	निर्माण-कार्य, आवास तथा सम्भरण
९.	एस० के० पाटिल	खाद्य तथा कृषि
१०.	वी० के० कृष्ण मेनन	प्रतिरक्षा
११.	पी० सुब्बाराव	परिवहन तथा संचार-साधन
१२.	हाफिज मुहम्मद इब्राहिम	सिंचाई तथा विद्युत्
१३.	अशोककुमार सेन	विधि

राज्य-मन्त्री

१४.	सत्यनारायण सिन्हा	संसदीय मामले
१५.	बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर	सूचना तथा प्रसारण
१६.	डी० पी० करमरकर	स्वास्थ्य
१७.	पंजाबराव एस्० देशमुख	कृषि
१८.	केशवदेव मालवीय	खान तथा तेल
१६.	मेहरचन्द खन्ना	पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक मामले
२०.	नित्यानन्द कानूनगो	वाणिज्य
२१.	राज बहादुर	परिवहन तथा संचार-साधन
२२.	बलवन्त नागेश दातार	अन्तरिक मामले
२३.	मनहरलाल मनसुखलाल शाह	उद्योग
२४.	सुरेन्द्र कुमार दे	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
२५.	कालूराम श्रीमाली	शिक्षा
२६.	हुमायूँ कबीर	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले
२७.	बी० गोपाल रेड्डी	राजस्व तथा असैनिक व्यय

उप-मन्त्री

२८.	सुरजीतसिंह मजीठिया	प्रतिरक्षा
२६.	आबिद अली	श्रम
३०.	अनिलकुमार चन्द	निर्माण-कार्य, आवास तथा सम्भरण
३१.	एम्० वी० कृष्णप्पा	कृषि
३२.	जयसुख लाल हर्थी	सिचाई तथा विद्युत्
३३.	सतीशचन्द्र	वाणिज्य तथा उद्योग
३४.	श्यामनन्दन मिश्र	योजना
३५.	बलराम भगत	वित्त
३६.	मनमोहन दास	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले
३७.	शाहनवाज खाँ	रेल
३८.	लक्ष्मी एन्० मेनन, श्रीमती	वैदेशिक मामले
३६.	वायलेट अल्वा, श्रीमती	आन्तरिक मामले
४०.	कोठा रघुरामय्या	प्रतिरक्षा
४१.	ए० एम्० तोमस	खाद्य तथा कृषि
४२.	आर० एम्० हाजरनवीस	विधि
४३.	एस्० वी० रामस्वामी	रेल
४४.	अहमद मुहिउद्दीन	असैनिक उड्डयन
४५.	तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती	वित्त
४६.	पी० एस्० नस्कर	पुनर्वास
४७.	बी० एस्० मूर्त्ति	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

संसदीय सचिव

मन्त्रियों को संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए कई मन्त्रालयों में संसदीय सचिव भी हैं। १ मई, १९६० को इनकी स्थिति इस प्रकार थी—

१.	सादत अली खाँ	वैदेशिक मामले
२.	योगेन्द्रनाथ हजारिका	वैदेशिक मामले
३.	जी० राजगोपालन	सूचना तथा प्रसारण
४.	ललितनारायण मिश्र	श्रम, नियोजन तथा योजना
५.	फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़	प्रतिरक्षा
६.	आनन्दचन्द्र जोशी	सूचना तथा प्रसारण
७.	गजेन्द्रप्रसाद सिन्हा	इस्पात, खान तथा ईंधन
८.	श्यामधर मिश्र	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

प्रधानमन्त्री का सचिवालय

के० राम, आई० सी० एस०	प्रधान निजी सचिव

भारत-सरकार के सचिव

विष्णु सहाय	मन्त्रिमण्डल
एस० रंगनाथन	वाणिज्य तथा उद्योग
डी० एल० मजुमदार	कम्पनी, विधि तथा शासन
बी० आर० टण्डन	सामुदायिक विकास एवं सहकारिता
ओ० पुल्ल रेड्डी	प्रतिरक्षा
के० जी० सैयदेन	शिक्षा, शैक्षणिक परामर्शदाता भी,
एन० आर० पिल्लै	वैदेशिक मामले
(सामान्य सचिव)	
एस० दत्त	विदेश
जे० एम० देसाई	राष्ट्र-मण्डल
बी० एन० चक्रवर्त्ती	विदेश
एस० के० राय	अर्थ
(राजस्व तथा आर्थिक मामले)	
एम० वी० रंगाचारी	विशेष
एन० एन० वञ्चू	व्यय
बी० बी० घोष	खाद्य तथा कृषि

के० आर० दानले	कृषि
वी० के० वी० पिल्लै	स्वास्थ्य
वी० एन्० झा	आन्तरिक मामले
शंकर प्रसाद	कश्मीरी मामले
वी० विश्वनाथन	विशेष
आर० के० रामध्यानी	सूचना एवं प्रसार
टी० शिवशंकर	सिंचाई एवं विद्युत्
पी० एम्० मेनन	श्रम एवं नियोजन
के० वाइ० भण्डारकर	वैधानिक मामले, विधि
जी० आर० राजगोपाल	संविधान
के० वी० माथुर (चेयरमैन)	रेल रेलवे बोर्ड
धर्मवीर	पुनर्वास
एम्० एस्० थक्कर	वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मामले
एस्० एस्० खार (खान एवं ईंधन)	इस्पात, खान एवं ईन्धन
एस्० बूथलिंगम्	लौह एवं इस्पात
एम्० एम्० फिलिप (संचार तथा असैनिक उड्डयन)	परिवहन एवं संचार-साधन
आर० एल्० गुप्ता (परिवहन)	
एम्० आर० सचदेव	निर्माण-कार्य, आवास एवं सम्भरण
जे० एच्० भाभा	आणविक शक्ति-विभाग
कैलाशचन्द्र	संसदीय मामले

राष्ट्रपति का सचिवालय

ए० वी० पै०, आइ० सी० एस्०	सचिव
मेजर जनरल सरदार हरनारायण सिंह	सैन्य-सचिव

यातायात-आयोग

सी० रामसुब्बन (चेयरमैन), डॉ० एस्० के० मुरञ्जन (सदस्य)
आर० एस्० भट्ट (सदस्य), जे० एन्० दत्त (सदस्य), डा० राम वर्मा (निदेशक),

आणविक शक्ति-विभाग

डा० एच्० जे० भाभा (चेयरमैन, आणविक शक्ति-आयुक्त एवं सचिव), पी० एन्० थापर (सदस्य, वित्त एवं शासन), डॉ० के० एस्० कृष्णन् (सदस्य, आणविक शक्ति-आयोग), भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा-निरीक्षक ए० के० चन्दा ।

अर्थ-आयोग

के० सन्थानम् (चेयरमैन), उज्ज्वल सिंह, एम्० वी० रंगाचारी, एल्० एस्० मिश्र, बी० एन्० गांगुली तथा एच्० वी० भान (सदस्य)।

निर्वाचन-आयोग

के० वी० के० सुन्दरम् (मुख्य निर्वाचन-आयुक्त), पी० एस्० सुब्रह्मण्यम् (निर्वाचन-उपायुक्त), एस्० सी० राय (सचिव)।

विधि-आयोग

टी० एल० वेंकटरमण अय्यर (चेयरमैन), डी० बसु (संयुक्त सचिव), पी० सत्यनारायण राव (सदस्य)।

सामान्य व्यवस्थापक, भारतीय रेल-पथ

आर० वी० लाल (केन्द्रीय), बी० बी० माथुर (पश्चिमीय), के० लाल (इंजिन-निर्माण-कार्य, चित्तरञ्जन), वाई० पी० कुलकर्णी (उत्तर-पूर्व सीमान्त), एम्० के० कौल (उत्तरीय), एल्० एन्० खाँ (पूर्वीय), ए० सी० मुखर्जी (दक्षिणीय), एस्० एस्० रागसुमन (उत्तर-पूर्वीय), जी० पी० शहनी (दक्षिण-पूर्वीय), एच्० के० एल्० सेठी (गंगा-सेतु-परियोजना) एच्० डी० अवस्थी (रेल-पथ विद्युत्करण)।

योजना-आयोग

जवाहरलाल नेहरू (चेयरमैन), वी० टी० कृष्णमाचारी (डिप्टी चेयरमैन), जी० एल्० नन्दा (योजना-मन्त्री), मोरारजी देसाई, वी० के० कृष्णमेनन, श्रीमन्नारायण, टी० एन्० सिंह, सी० एम्० त्रिवेदी तथा ए० एन्० खोसला (सदस्य)

भारत के सामान्य निबन्धक

ए० मित्र (सामान्य निबन्धक एवं जनगणना-आयुक्त), डी० नटराजन् (सामान्य उपनिबन्धक)।

महत्त्वपूर्ण पद

के० एम्० राहा (सामान्य निदेशक, असैनिक उड्डयन), अरुण के० राय (नियन्त्रक एवं सामान्य लेखा-निरीक्षक), बी० शंकर, आइ० सी० एस्० (सामान्य निदेशक, पोस्ट एवं टेलिग्राफ), के० के० फ्रेमजी (सामान्य निदेशक, सैन्य-सामग्री का कारखाना), एल्० एम्० श्रीकान्त (आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति), ए० घोष सामान्य निदेशक, पुरातत्त्व विज्ञान), डा० एन्० दत्त मजुमदार (निदेशक, नृतत्त्व-विज्ञान), के० आर० के० मेनन (चेयर-मैन, औद्योगिक वित्त-निगम), कर्नल गम्भीर सिंह (सामान्य सर्वेक्षक, भारत), नागेन्द्र सिंह, आइ० सी० एस्० (सामान्य निदेशक, नौ-परिवहन) सी० आर० रंगनाथन् (महानिरीक्षक, वन), वी०एन्० राजन्, आइ०सी०एस्० (सामान्य निदेशक, आपूर्त्ति एवं वितरण), एस्०वसु (सामान्य निदेशक, वेधशाला), पी० ए० गोपालकृष्णन्, आइ० सी० एस्० (चेयरमैन,

जीवन-बीमा-निगम), के० शेषगिरि राव (नियन्त्रक, एकत्वकरण एवं आकलन), सी० ए० सुब्रह्मण्यम् (नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री), आर० सी० गुप्त (निदेशक, अभिलेख), एम्० एल्० भारद्वाज (प्रधान मुद्रणालय, सूचनाधिकारी), ले० कर्नल यशवन्त सिंह (सामान्य निदेशक, स्वास्थ्य-सेवाएँ), एस्० अब्दुल कादिर (सामान्य निदेशक, व्यवस्था एवं नियोजन), एस्० एम्० बिलग्रामी (मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात), एस्० वेंकटरमण (महालेखा-पाल, भारत), सी० ए० रामकृष्णन्, आइ० सी० एस्० (सामान्य निदेशक, खाद्य), के० वी०-के० सुन्दरम् (मुख्य निर्वाचन-आयुक्त), एम्० एस्० थक्कर (निदेशक, विज्ञान एवं कृषि-शोध परिषद्), जगदीशचन्द्र माथुर (सामान्य निदेशक, अखिलभारतीय आकाशवाणी), भवेश-चन्द्र राय (निदेशक, भूतत्त्व-सर्वेक्षण, भारत), सी० आर० वी० मेनन (सामान्य निदेशक, वाणिज्य, गुप्तवार्ता एवं सांख्यिकी), शंकर प्रसाद, आइ० सी० एस्० (चेयरमैन, भारतीय विमान परिवहन-निगम), पी० सी० भट्टाचार्य (चेयरमैन, राज्य-अधिकोष, भारत), एच्० वी० आर० आयंगर (शासक, भारत-सञ्चित अधिकोष)।

विधान-मण्डल

भारत सार्वभौमिक वयस्क-मताधिकार पर आधारित एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है, जिसका प्रशासन कार्य संसदीय पद्धति पर आधारित एक सरकार करती है। सम्पूर्ण प्रभुत्व भारतवासियों में ही निहित है। कार्यपालिका विधान-मण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

संसद्

वर्त्तमान राज्य-सभा के कुल सदस्य २३२ हैं, जिनमें से २२० राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये हुए हैं। लोक-सभा के वर्त्तमान कुल सदस्यों की संख्या ५०६ है, जिनमें ५०० सदस्य १४ राज्यों (जम्मू तथा कश्मीर-विधान-मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के ६ सदस्य-सहित) और दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किये हुए और ६ सदस्य आंग्ल भारतीयों, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये हुए हैं।

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य-सभा	लोक-सभा
असम	७	१२
आन्ध्र-प्रदेश	१८	४३
उड़ीसा	१०	२०
उत्तर-प्रदेश	३४	८६
केरल	६	१८
जम्मू तथा कश्मीर	४	६
पंजाब	११	२२
पश्चिम बंगाल	१६	३६
बिहार	२२	५३
मद्रास	१७	४१
मध्य-प्रदेश	१६	३६
महाराष्ट्र और गुजरात	२७	६६
मैसूर	१२	२६
राजस्थान	१०	२२
दिल्ली	३	५
मणिपुर	१	२
हिमाचल प्रदेश	२	४
त्रिपुरा	१	२
कुल योग	२२०	५००

राज्य-सभा

सभापति	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
उपसभापति	एस्० वी० कृष्णमूर्त्ति राव

असम (७)

१. एम्० तय्यबुल्ला, २. एस्० सी० देव, ३. जयभद्र हागजर, ४. श्रीमती पुष्पलता दास, ५. पूर्णचन्द्र शर्मा, ६. लीलाधर बरुआ, ७. श्रीमती वेदवती बरागोहेन।

आन्ध्र-प्रदेश (१८)

८. अकबरअली खाँ, ९. अद्दुरु बलरामी रेड्डी, १०. अल्लुरि सत्यनारायण राजू, ११. ए० चक्रधर, १२. एन० वेंकटेश्वर राव, १३. मुदुमला हेनरी सैम्युअल, १४. एस्० चन्ना रेड्डी, १५. के० एल्० नरसिहम, १६. जे० वी० के० वल्लभराव, १७. नरोत्तम रेड्डी, १८. वी० गोपाल रेड्डी, १९. मक्किनेनी बासवपुन्नय्य, २०. श्रीमती यशोदा रेड्डी, २१. राजबहादुर गौड़, २२. विल्लुरी वेंकटरमण, २३. वीरमचिनेनी प्रसाद राव, २४. वी० सी० केशवराव, २५. श्रीमती सीता युधवीर।

उड़ीसा (१०)

२६. अभिमन्यु रथ, २७. गोविन्दचन्द्र मिश्र २८. दिवाकर पटनायक, २९. विबुधेन्द्र मिश्र, ३०. भागीरथी महापात्र, ३१. महेश्वर नायक, ३२. विश्वनाथ दास, ३३. स्वप्नानन्द पाणिग्रही, ३४. हरिहर पटेल, ३५. रिक्त।

उत्तर-प्रदेश (३४)

३६. अख्तर हुसैन, ३७. अजीतप्रताप सिंह, ३८. श्रीमती अनास किदवई, ३९. अमरनाथ अग्रवाल, ४०. अमोलक चन्द, ४१. अहमद सईद खाँ, ४२. आर० सी० गुप्त, ४३. ए० धरमदास, ४४. गोपीनाथ सिंह, ४५. गोविन्दवल्लभ पन्त ४६. श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल, ४७. जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल, ४८. जशोदसिंह विष्ट, ४९. जसपत राय कपूर, ५०. जेड्० ए० अहमद, ५१. तारकेश्वर पाण्डे, ५२. धर्मप्रकाश, ५३. नवाबसिंह चौहान ५४. पी० एन्० सप्रू, ५५. पुरुषोत्तमदास टण्डन, ५६. फरीदुल्हक अन्सारी, ५७. बालकृष्ण शर्मा, ५८. वृजबिहारी शर्मा, ५९. महावीरप्रसाद भार्गव ६०. मुहम्मद इब्राहीम, ६१. मुहम्मद फारुकी, ६२. योगेशचन्द्र चटर्जी, ६३. रामकृपाल ६४. श्यामधर मिश्र, ६५. श्यामसुन्दर नारायण तंखा, ६६. श्रीमती सावित्री देवी निगम, ६७. हरप्रसाद सक्सेना, ६८. हीरावल्लभ त्रिपाठी, ६९. हृदयनाथ कुंजरू।

केरल (९)

७०. ए० सुब्बाराव, ७१. एन्० सी० शेखर, ७२. एम्० एन्० गोविन्दन नायर, ७३. के० पी० माधवन नायर, ७४. श्रीमती के० भारती, ७५. के० माधव मेनन, ७६. पी० ए० सोलोमन, ७७. पी० जे० तोमस, ७८. पी० नारायणन नायर।

जम्मू तथा कश्मीर (४)

७६. पीर मोहम्मद खाँ, ८०. बुद्धसिंह, ८१. मोहम्मद जलाली, ८२. त्रिलोचन दत्त।

पंजाब (११)

८३. अनूप सिंह, ८४. श्रीमती अमृत कौर, ८५. एम्० एच्० एस्० निहाल सिंह, ८६. ऊधमसिंह नागोके, ८७. चमनलाल, ८८. जगन्नाथ कौशल, ८६. जैलसिंह, ६०. जुगल किशोर, ६१. दरशनसिंह फेरुमन, ६२. माधोराम शर्मा, ६३. रघुबीरसिंह पंचहजारी।

प० बंगाल (१६)

६४. अतीन्द्रनाथ बोस, ६५. अन्सारुद्दीन अहमद, ६६. अब्दुर्रज्जाक खाँ, ६७. नलिनाक्ष दत्त, ६८. नीहाररंजन राय, ६६. पी० डी० हिम्मतसिंहका, १००. भूपेश गुप्त, १०१. श्रीमती मायादेवी छेत्री, १०२. मेहरचन्द खन्ना, १०३. मृगांकमोहन सूर, १०४. राजपतसिंह डूगर, १०५. सत्येन्द्रप्रसाद राय, १०६. सन्तोषकुमार बसु, १०७. सी० सी० विश्वास, १०८. सुरेन्द्रमोहन घोष, १०६. हुमायूँ कबीर।

बम्बई (२७)

११०. आबिद अली, १११. एम्० डी० डी० गिल्डर, ११२. एम्० डी० तुम्पल्लीवार, ११३. एम्० सी० शाह, ११४. एस्० डी० पाटील, ११५. खण्डुभाई देसाई, ११६. जी० आर० कुलकर्णी, ११७. जे० एच्० जोशी, ११८. जे० के० मोदी, ११६. टी० आर० देवगिरिकर, १२०. डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल, १२१. डी०एच्० वरियावा, १२२. देवकीनन्दन नारायण, १२३. धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार, १२४. नरसिंहराव वलभीमराव देशमुख, १२५. पी० एन्० राजभोज, १२६. प्रेमजी थोभनभाई लेउवा, १२७. बाबूभाई एम्० चिनाय, १२८. बी० डी० खोब्रागडे, १२६. रघुवीर, १३०. राजाभाऊ विट्ठलराव डांगरे, १३१. रामराव माधवराव देशमुख, १३२. रोहित मनुशंकर दवे, १३३. लवजी लखमशी, १३४. लालजी पेंडसे, १३५. वामन शिवदास बारलिंगे, १३६. वेंकटकृष्ण धागे।

बिहार (२२)

१३७. अवधेश्वरप्रसाद सिन्हा, १३८. अहमद हुसैन, १३६. आर० जी० अग्रवाल, १४०. एम्० जॉन, १४१. कामता सिंह, १४२. किशोरी राम, १४३. गंगाशरण सिंह, १४४. श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह, १४५. तजम्मुल हुसेन, १४६. थियोडोर बोदरा, १४७. देवेन्द्रप्रसाद सिंह, १४८. पूर्णचन्द्र मित्र, १४६. ब्रजकिशोरप्रसाद सिन्हा, १५०. मजहर इमाम, १५१. महेश शरण, १५२. मोहम्मद उमैर, १५३. राजेन्द्रप्रताप सिन्हा, १५४. रामधारी सिंह दिनकर, १५५. रामबहादुर सिन्हा, १५६. श्रीमती लक्ष्मी एन्० मेनन, १५७. शीलभद्र याजी, एक स्थान रिक्त।

मद्रास (१७)

१५८. अब्दुल रहीम, १५६. श्रीमती अम्मुस्वामीनाथन्, १६०. ए० रामस्वामी मुदलियार, १६१. एन्० डी० राजा, १६२. एन्० एम्० लिंगम्, १६३. एन्० रामकृष्ण अय्यर, १६४. ए० चत्तनाथ करयालर, १६५. एस्० वेंकटरमण, १६६. जी० राजगोपालन्,

१६७. टी० एस्० अविनाशलिंगम चेट्टियार, १६८. टी० एस्० पट्टाभिरमण, १६९. श्रीमती टी० नलमुत्तु राममूर्त्ति, १७०. टी० भास्कर राव, १७१. टी० वी० कमलस्वामी, १७२. डी० ए० मिर्जा, १७३. पी० एस्० राजगोपाल नायडू, १७४. बी० परमेश्वरन् ।

मध्य-प्रदेश (१६)

१७५. अवधेशप्रताप सिंह, १७६. आर० पी० दुबे, १७७. श्रीमती कृष्णकुमारी, १७८. गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, १७९. दयालदास कुर्रे, १८०. निरंजन सिंह १८१. बनारसीदास चतुर्वेदी, १८२. भानुप्रताप सिंह, १८३. मुहम्मद अली, १८४. रघुवीर सिंह, १८५. रतनलाल किशोरीलाल मालवीय, १८६. रामसहाय १८७. श्रीमती रुक्मिणी बाई, १८८. वी० वी सर्वते, १८९. श्रीमती सीता परमानन्द, १९०. त्रयम्बक दामोदर पुस्तके ।

मैसूर (१२)

१९१. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी तिम्मरेड्डी, १९२. एन्० एस्० हर्डिकर, १९३. एम्० गोविन्द रेड्डी, १९४. एस्० वी० कृष्णमूर्त्ति राव, १९५. जनार्दन राव देसाई, १९६. वी० पी० बासप्प शेट्टी, १९७. बी० शिवराव, १९८. बी० सी० नंजन्दय्य, १९९. मुल्क गोविन्द रेड्डी, २००. मुहम्मद वली उल्लाह, २०१. राघवेन्द्र राव, २०२. श्रीमती वायलट अल्वा ।

राजस्थान (१०)

२०३. अब्दुल शकूर, २०४. आदित्येन्द्र, २०५. के० एल्० श्रीमाली, २०६. केशवानन्द, २०७. जयनारायण व्यास, २०८. जसवन्त सिंह, २०९. टीकाराम पालीवाल, २१०. विजय सिंह, २११. श्रीमती शारदा भार्गव, २१२. सादिक अली ।

दिल्ली (१०)

२१३. एस० के० दे, २१४. ओंकारनाथ, २१५. मिर्जा अहमद अली ।

मणिपुर (१)

२१६. ललितमाधव शर्मा

हिमाचल-प्रदेश (२)

२१७. आनन्द चन्द, २१८. श्रीमती लीला देवी ।

त्रिपुरा (१)

२१९. अब्दुल लतीफ ।

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

२२०. ए०आर० वाडिया, २२१. एम्० सत्यनारायण, २२२. काका साहेब कालेलकर, २२३ के० एम्० पणिक्कर, २२४. जयराम दास दौलतराम, २२५. ताराचन्द, २२६. नारायणदास रतनमल मलकानी, २२७. पृथ्वीराज कपूर, २२८. बी० बी० (मामा) वरेरकर, २२९. मैथिलीशरण गुप्त, २३०. मोहनलाल सक्सेना, २३१. श्रीमती रुक्मिणीदेवी अरुण्डेल ।

लोक-सभा

अध्यक्ष—अनन्त शायनम् आयंगर, उपाध्यक्ष—सरदार हुकुम सिंह, सचिव—एम० एन्० कौल ।

असम (१३)

द्वारकानाथ, तिवारी, निवारणचन्द्र लस्कर, श्रीमती मंजुला देवी, धरणीधर बसुमत्री, हेम बरुआ, श्रीमती मुफीदा अहमद, जोगेन्द्रनाथ हजारिका, बी० भगवती, अमजद अली, लीलाधर कटकी, प्रफुल्लचन्द्र बरुआ, हूवर हिन्निथ, चौखामून गोहेन ।

आन्ध्र-प्रदेश (४३)

टी० नागी रेड्डी, पेराडेकान्ति वैंकटसुब्बय्य, के० आसन्न, श्रीमती मोती वेदकुमारी । रोएडा नरप्प रेड्डी, बी० रामी रेड्डी, एस्० उस्मान अली खाँ, एम्० श्रीरंग राव, एम्० आर० कृष्ण, एम्० तिरुमलराव, बी० एस्० मूर्त्ति, टी० बी० विटठलराव, डुग्गीराला बलराम कृष्णय्य, के० रघुरामय्य, एम्० सूर्यनारायण मूर्त्ति, के० वीरन्न पडलु, एम्० अनन्तशयनम् अयंगार, एम्० बी० गंगाधरशिव, एन्० जी० रंगा, उदाराज रामन, डी० वेंकटेश्वर राव, डी० राजय्य, हरिश्चन्द्र हेडा, आर० लक्ष्मीनरस रेड्डी, बी० अंजनप्प, डी० एस्० डोरा, बी० सत्यनारायण, एम्० वेंकट कृष्ण राव, सी० वाली रेड्डी, जे० रामेश्वर राव, पी० रामस्वामी, ई० मधुसूदन राव, पी० हनुमन्त राव, टी० एन्० विश्वनाथ रेड्डी, डी० सत्यनारायण राजू, सादत अली खाँ, श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई, श्रीमती कोम्मराजू अचमम्बा, विजयराम राजू, बी० राजगोपाल राव, अहमद मुहीउद्दीन, के० रेड्डी रामकृष्ण, विनायक राव के० कोरटकर ।

उड़ीसा (२०)

बी० पी० जी० देववर्मा, नित्यानन्द कानूनगो, प्रतापकेशरी देव, विजयचन्द्र प्रधान, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, वैष्णव चरण मल्लिक, जगन्नाथ राव, टी० संगन्न, लक्ष्मीनारायण भंजदेव, उमाचरण पटनायक, मोहन नायक, सुरेन्द्र महन्ती, चिन्तामणि पाणिग्रही, भगवत साहू, कान्ह चरण जेना, नरसिंह चरण सामन्तसिंहार, रामचन्द्र माझी, श्रद्धाकर सूपाकर, वनमाली कुम्भार, काली चन्द्रमणि ।

उत्तर-प्रदेश (८६)

हिफजुर्रहमान, जंगबहादुरसिंह बिष्ट, जमाल ख्वाजा, नरदेव स्नातक, अचल सिंह, कालिका सिंह, विश्वनाथ प्रसाद, अर्जुनसिंह भदौरिया, तुला राम, लालबहादुर शास्त्री, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्रीमती गंगादेवी, रोहन लाल चतुर्वेदी, एस्० एम्० बनर्जी, भगवान दीन मिश्र, खुशवक्त राय, भक्त दर्शन, हरप्रसाद सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, सिंहासन सिंह, महादेव प्रसाद, उमराव सिंह, प्रभुनारायण सिंह, कृष्ण चन्द्र, बीरबल सिंह, गणपत राम, श्रीमती सुशीला नय्यर, मानवेन्द्र शाह, रामशंकर लाल, रामजी वर्मा, महावीर त्यागी, सी० डी० पाण्डे, मुनीश्वरदत्त उपाध्याय, मोहन स्वरूप, अन्सार हरवानी, मूलचन्द दुबे, बृजराज सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मसुरिया दीन, राजाराम मिश्र, पन्ना लाल, रघुवीर सहाय, सतीश चन्द्र, अटलबिहारी वाजपेयी, राधामोहन सिंह, के० डी० मालवीय, राम गरीब,

जोगेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, रामसेवक यादव, रामानन्द शास्त्री, अब्दुल लतीफ, जगदीश अवस्थी, बदन सिंह, रघुवरदयाल मिश्र, कन्हैयालाल बाल्मीकि, महेन्द्र प्रताप, शिब्बन लाल सक्सेना, जे० एन्० विल्सन, रूप नारायण, शाहनवाज खाँ, वंसीदास ढांगर, सुमत प्रसाद, राम शरण, बी० वी० केसकर, सरजू पाण्डे, सैयद अहमद मेंहदी, फिरोज गान्धी, बैजनाथ कुरील, पुलिन विहारी बनर्जी, रघुनाथ सिंह, विशनचन्द्र सेठ, नारायण दीन, विष्णु शरण दुब्लिश, विश्वनाथ राय, अजित प्रसाद जैन, सुन्दरलाल, श्रीमती उमा नेहरू, प्रागी लाल, गोविन्द मालवीय, मन्नूलाल द्विवेदी, लच्छीराम, छेदा लाल गुप्त, शिवदीन द्रोहर, काशीनाथ पाण्डे, कृष्णचन्द्र शर्मा।

केरल (१८)

पी० टी० पुन्नूसी, ए० एम्० तोमस, ए० के० गोपालन्, बी० पी० नायर, पी० के० कोडियन, के० पी० कुट्टिकृष्णन् नायर, मात्यु मणियनगाडन, एम० के० कुमारन्, पी० के० वासुदेवन् नायर, एम० के० जिनचन्द्रन्, वी० ई० चरण पी० कुन्हन, के० बी० मेनन, बी० पोकर, टी० सी० एन्० मेनन, जी० टी० कोट्टुकापल्लि, के० कृष्णन् वारियर, एस्० ईश्वर अय्यर।

जम्मू तथा कश्मीर (६)

अब्दुर्रहमान, अब्दुल रशीद, ए० एम्० तरीक, श्रीमती कृष्णा मेहता, मुहम्मद अकबर, रिक्त।

पंजाब (२२)

श्रीमती सुभद्रा जोशी, चुन्नीलाल, गुरुमुखसिंह मुसाफिर, हेमराज, दलजीत सिंह, मूलचन्द जैन, प्रकाशवीर शास्त्री, दीवानचन्द्र शर्मा, स्वर्ण सिंह, साधू राम, प्रतापसिंह दौलता, सुरजीतसिंह मजीठिया, अचिन्त राम, इकबाल सिंह, हुकम सिंह, अजीत सिंह, रामकृष्ण, रणवीरसिंह, अजीतसिंह सरहदी, बहादुरसिंह, ठाकुरदास भार्गव, बलदेवसिंह।

पश्चिम बंगाल (३६)

अतुल्य घोष, मनमोहन दास, अरविन्द घोषाल, अशोक कुमार सेन, हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी, साधनचन्द्र गुप्त, नलिनीरंजन घोष, उपेन्द्रनाथ बर्मन, प्रमथनाथ बनर्जी, निकुंज बिहारी मैती, पूर्णेन्दुशेखर नस्कर, कन्सारी हल्दर, सतीशचन्द्र सामन्त, टी० मनायन, श्रीमती इला पाल चौधरी, चपलकान्त भट्टाचार्य, मारदी सेलकू, विभूति भूषण दास गुप्त, सुबीमन घोष, त्रिदिवकुमार चौधरी, श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती, परेशनाथ कयाल, अरुणचन्द्र गुह, रामगति बनर्जी, पशुपति मण्डल, अनिलकुमार चन्द, कमलकृष्ण दारू, विमलकुमार घोष, श्रीमती रेणुका राय, नरसिंह मल्लदेव, सुबोध हंसदा, मुहम्मद खुदाबख्श, जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी, मुहम्मद इलियास, प्रभात कार, रिक्त।

बम्बई (६६)

जी० बी० खेडकर, एल्० एस्० भाटकर, पी० एस्० देशमुख, आर० के० खाडिलकर, इन्दुलाल के० याज्ञिक, करसनदास परमार, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई पटेल, वी० एस नालूरकर, रामानन्द तीर्थ, भवनजी ए० खीमजी, दाजीसाहब रामराव चव्हाण, बी० सी० काम्बले, भाउसाहेब आर० महगाँवकर, एस० के० डांगे, आर० बी० राउत,

बी० डी० सोलंके, फतेहसिंहजी थोंडसर, श्रीमती जयाबेन वाजूभाई शाह, बलवन्तराव जी मेहता, वी० एन्० स्वामी, ए० वी घड़े, जी० एस्० ओझा, एस्० वी० पारुलकर, एल्० एम्० मथेरा, जलजीभाई कोयाभाई विन्दोड, यू० एल्० पाटील, एम्० एस्० अणे, हरिहर राव सोणुले, डी० एन्० पी० काम्बले, भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़, मणिकलाल मगन लाल गान्धी, एन्० के पंगारकर, लक्ष्मण वीड वालवी, मोतीसिंह ठाकुर, एन्० जी० गोरे, नवशेर भरूचा, फतेहसिंह राव पी० गायकवाड़, अकबरभाई चावडा, वी० के० कृष्ण मेनन, एस्० के पाटील, एस्० ए० डांगे, जी० के० माने, नानूभाई नीछाभाई पटेल, के० एम्० जेढे, एस्० आर० राने, चन्द्र शंकर, आर० एम्० हाजरनवीस, वी० आर० वासर्नीक, आर० डी० पाटील, मनुभाई शाह, छगनलाल मदारीभाई केदारिया, यादव नारायण याधव, बालासाहेब पाटील, पुरुषोतमदास आर० पटेल, डी० वाई० गोहोकर, पी० आर० अस्सर, नाथ बापू पाई, के० जी० देशमुख, कमलनयन जे० बजाज, जे० जी० मोरे, टी० एच्० सोनवणे, नाना पाटील, गुलजारीलाल नन्दा, मोरारजी देसाई, नरेन्द्र भाई नथवानी, बहादुर सिंह, जयसुख लाल हठी।

विहार (५३)

सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, भोलानाथ विस्वास, मुहम्मद ताहिर, द्वारकानाथ तिवारी, जियालाल मण्डल, बृजेश्वर प्रसाद, एस्० ए० मातिन, सैयद महमूद, विपिनबिहारी वर्मा, भोला राउत, श्रीमती विजया राजे, राजेन्द्र सिंह, मणीन्द्र कुमार घोष, श्यामनन्दन मिश्र, सुरेश चन्द्र चौधरी, देवी सोरेन, श्रीनारायण दास, रामेश्वर साहू, प्रभातचन्द्र बोस, श्रीमती सत्यभामा देवी, रामधनी दास, कैलाशपति सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, दिग्विजय नारायण सिंह, फणिगोपाल सेन, श्रीमती शकुन्तला देवी, कमल सिंह, विभूति मिश्र, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, मथुरा प्रसाद मिश्र, बनारसीप्रसाद झुनझुनवाला, अनिरुद्ध सिन्हा, महेन्द्रनाथ सिंह, बनारसीप्रसाद सिन्हा, नयनतारा दास, अशोक मेहता, जयपाल सिंह, एम० आर० मसानी, पैका मुरमु, इगनेस बेक, बी० आर० भगत, सत्यनायण सिन्हा, ललितनारायण मिश्र, भोली सरदार, डॉ० रामसुभग सिंह, जगजीवन राम, झूलन सिन्हा, शम्भू चरण गोडसोरा, जे० बी० कृपलानी, श्रीमती ललिता राज्यलक्ष्मी, राजेश्वर पटेल, चन्द्रमणिलाल चौधरी।

मद्रास (४१)

टी० डी० मूत्तुकुमारस्वामी नायडू, के० पेरियस्वामी गौण्डर, सी० आर० पट्टाभिरमण, सी० आर० नरसिंहन्, श्रीमती पार्वती एम्० कृष्णन् , के० एस्० रामस्वामी, ए० कृष्णस्वामी, एन्० शिवराज, आर० कनकसबाई पिल्ले, एल्० हालयापेरूमल, एम्० गुलाम मुहिद्दीन, एस्० सी० बालकृष्णन्, ए० वैरावन, एन्० पी० षणमुख गौण्डर, एम्० के० एम्० अब्दुल सलाम, पी० सुब्बरायन, टी० गणपति पी० टी० थानु पिल्ले, ए० दुराइस्वामी गौण्डर, आर० धर्मलिंगम्, आर० गोविन्दराजुलु नायडू, एम्० शंकरपाण्डयन्, के० आर० सम्बन्दम, एम्० अय्यकण्णु, पी० थानुलिंगम् नाडर, ई० वी० के सम्पत, एस्० आर० अरुमुखम् सी० नंजप्पन, एम्० पालनियन्दी, आर० नारायणस्वामी, आर० रामनाथन चेट्टियार, पी० कार० रामकृष्णन्, एस्० सी० सी० एन्थनी पिल्ले, टी० टी० कृष्णमाचारी, के० टी०

के० तंगमणि, पी० सुब्बय्य अम्बालम, एन्० आर० एम्० स्वामी, एम्० मुत्तुकृष्णन्, यू० मुत्तुरामलिंग थेवर, आर० एस्० अरुमुगम, एस्० सी० रामस्वामी।

मध्य प्रदेश (३६)

के० एल्० खादीवाला, राधेलाल व्यास, राम सहाय तिवारी, मोतीलाल मालवीय, श्रीमती विजया राजे सिन्धिया, राधाचरण शर्मा, सूर्य प्रसाद, वी० एल्० चाण्डक, एन्० एम्० वाडिया, अमरसिंह सहगल, गोविन्द दास, अमरसिंह डामर, मोहनलाल बाकलीवाल, रामसिंह भाई वर्मा, बाबूलाल तिवारी, सुरती किस्तैया, विद्याचरण शुक्ल, मिनीमाता आगमदास गुरु, श्रीमती, सी० डी० गौतम, रेशम लाल जांगडे, श्रीमती मैमूना सुल्ताना, एम्० जी० उइके, माणिकभाई अग्रवाल, वीरेन्द्रबहादुर सिंह, श्रीमती केसरकुमारी देवी, शिवदत्त उपाध्याय, आनन्दचन्द्र जोशी, कमलनारायण सिंह, लीलाधर जोशी, के० बी० मालवीय, वृजनारायण, चण्डिकेश्वर शरण सिंह, बाबूनाथ सिंह, ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, श्रीमती सहोदराबाई राय, रघुनाथ सिंह कालीधर।

मैसूर (२६)

यू० एस्० मल्लय्य, जोशिम अल्वा, एस्० ए० अगाडी, के० सी० रेड्डी, डोड्डा तिम्मय्य, महादेवप्प रामपुरे, शंकर देव, डी० ए० कट्टि, जे० एम्० मुहम्मद इमाम, सी० आर० बासप्प, एन्० वी० कृष्णप्प, डी० पी० करमरकर, टी० आर० नेश्वी, एच्० सी० दासप्प, एन्० केशव, टी० सुब्रह्मण्यम्, एम्० एस्० गुरुपादस्वामी, आर० बी०बिदारी, वी० एन्० दातार, के० आर० आचार, एम्० के० शिवनंजप्प, एम्० शंकरय्य, एस्० एम्० सिद्दय्य, जी० एस्० मलकोटे, के० जी० वोडयार०, एच्० सिद्धनंजप्प।

राजस्थान (२२)

मुकुटविहारी लाल भार्गव, शोभाराम, माणिक्यलाल वर्मा, दीनबन्धु परमार, नेमीचन्द्र कासलीवाल, ओंकारलाल, हरिश्चन्द्र शर्मा, सूरज रतन दामाणी, जसवन्तराज मेहता, राधेश्याम आर० मोरारका, जी० डी० सोमाणी, मथुरादास माथुर, हरिश्चन्द्र माथुर, रघुनाथ सिंह, पी० वी० भोगजी भाई, करणी सिंह, पन्नालाल बारूपाल, राज बहादुर, रमेशचन्द्र व्यास, हीरालाल शास्त्री, जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया, रामेश्वर टाँटिया।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (१)

लछमन सिंह।

दिल्ली (५)

राधारमण, ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी० कृष्णन् नायर, नवल प्रभाकर।

मणिपुर (२)

लैसराम अछव सिंह, रुंगसुंग सुइसा।

लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह (१)

के० नल्लकोय।

हिमाचल-प्रदेश (४)

पद्मदेव, जोगेन्द्र सेन, रिक्त, नेकराम नेगी।

त्रिपुरा (१)

दशरथ देव, बंगशी ठाकुर।

आंग्ल-भारतीय (२)

ए० ई० टी० बैरो, फ्रैंक एन्थनी।

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र (१)

रिक्त।

संसद् के काय तथा अधिकार—देश की शासन-व्यवस्था के लिए कानून बनाना, सरकार की आवश्यकताओं तथा राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचक-मण्डल के अंग माने जाते हैं तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचक-मण्डल करता है। मन्त्रिपरिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तर-दायी होती है, जो मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों पर भी स्वीकृति देती है। लोक-सभा बजट पास करने से इन्कार करके अथवा किसी अन्य बड़ी वैधानिक कार्यवाही द्वारा अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

सभी कानूनों के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त-सम्बन्धी सभी प्रकार के विधानों की सिफारिश यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों, कर-सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक-सभा ही दे सकती है। संकटकालीन परिस्थिति में संसद् को राज्य-सूची में गिनाये गये विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्याया-धीशों, मुख्य निर्वाचन-आयुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत करने के अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त हैं।

कार्यविधि—दोनों सदनों की कार्यवाही की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद ११८ के अधीन बने उनके अपने-अपने कार्यविधि तथा कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है।

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयक-सम्बन्धी व्यवस्था के अनुसार विधेयक संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं।

दोनों सदनों से विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया एक ही-सी है। प्रत्येक विधेयक को निम्न चरणों से क्रमानुसार गुजरना पड़ता है : (१) प्रस्तुत किया जाना तथा प्रकाशन, (२) सामान्य वादविवाद, (३) एक-एक धारा पर विचार तथा (४) सदन द्वारा विधेयक का

धारित होना। दोनों सदनों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे कानून का रूप प्राप्त होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की अवस्था में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा इसपर मतदान लेने का अधिकार है।

धन-विधेयकों के सम्बन्ध में, जो केवल लोक-सभा में ही उपस्थित किये जाते हैं, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। लोक-सभा द्वारा पास किये जाने पर प्रत्येक धन-विधेयक राज्य-सभा के समक्ष रखा जाता है, जिससे वह विधेयक प्राप्त करने के १४ दिनों के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिश दे सके। राज्य-सभा इसे पुनः लोक-सभा के पास वापस भेज देती है। सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक-सभा पर निर्भर होता है।

संसदीय मामला-विभाग — संसद् का कार्यक्रम निर्धारित करने तथा इसके कार्य-संचालन का कार्य 'संसदीय मामला-विभाग' करता है। यह विभाग इस कार्य को सरकार की ओर से मन्त्रिमण्डल की 'संसदीय तथा कानूनी मामला-समिति' और संसद् की ओर से प्रत्येक सदन की 'कार्यवाही परामर्श-समिति' के परामर्श से करता है।

यह विभाग सरकार की ओर से सदन में दिये गये आश्वासनों तथा आरम्भ किये गये कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर संसद् में विवरण भी प्रस्तुत करता रहता है। 'सरकारी आश्वासन लोक-सभा-समिति' इन विवरणों की जाँच करती है।

सदनों की समितियाँ — संसदीय समितियाँ, लोक-सभा अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्त की जाती हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनकी बैठक निजी तौर पर होती है। प्रत्येक सदन की महत्त्वपूर्ण समितियों में से 'कार्यवाही परामर्श-समिति' तथा 'विशेषाधिकार-समिति' उल्लेखनीय हैं।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण — सामान्य वित्त-नियन्त्रण रखने के अलावा लोक-सभा अपनी 'सार्वजनिक लेखा तथा प्राक्कलन-समितियों' द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन पर नियन्त्रण रखती तथा देखभाल करती है। लोक-सभा इन समितियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने सदस्यों में से करती है। कोई भी मन्त्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। 'सार्वजनिक लेखा-समिति' यह भी देखती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद् के निर्णयों के अनुरूप ही किया जाता है। 'प्राक्कलन-समिति' मितव्ययिता तथा प्रशासन आदि में सुधार करने की सिफारिश करती रहती है।

सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने तथा उनपर बहस करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा प्रश्न किया जाना, उन प्रश्नों के फलस्वरूप स्पष्ट होनेवाले मामलों पर आधा घण्टा बहस होना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस, संकटकालीन स्थगन-प्रस्ताव तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रस्ताव आते हैं।

दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, जिसमें जनता के हित के आवश्यक मामलों के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर प्रकाश डाला जाता है, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर होनेवाली बहस के द्वारा सरकारी नीतियों पर विचार करने का एक बड़ा अवसर मिलता है।

सार्वजनिक हित का कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न अथवा समस्या उत्पन्न होने पर कोई भी सदस्य, सदन में उसपर विचार किये जाने के लिए स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। १५ दिन की पूर्व-सूचना के बाद कोई भी सदस्य, संसद् में सार्वजनिक हित-सम्बन्धी कार्यवाही के लिए तत्सम्बन्धी मन्त्री को इसकी सूचना दे देते हैं।

राज्यीय विधान-मण्डल

भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदनवाले विधान-मण्डलों तथा ४ राज्यों में एक सदनवाले विधान-मण्डलों की व्यवस्था है। राज्यों की विधान-परिषदों तथा विधान-सभाओं के सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ की तालिका में दी गई है।

विधानमण्डल के पदाधिकारी — राज्यों में भी विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति और विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद् के सभापति तथा सभा के अध्यक्ष को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद् में उनके समानाधिकारियों को प्राप्त हैं।

कार्य — सातवीं अनुसूची की सूची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्यीय विधान-मण्डलों को एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के लिए विधान-मण्डल की स्वीकृति आवश्यक है।

कार्यविधि — भारत के संविधान में अनुच्छेद १८८—२१३ में कार्य-संचालन सदस्यों की अनर्हता और राज्यीय विधान-मण्डलों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यीय विधान-मण्डलों को संविधान के द्वारा कार्यविधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिये गये हैं।

सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने के लिए राज्यों में भी वैसी ही व्यवस्था है, जैसी केन्द्र में। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में संसद् की भाँति राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विधान-सभा यदि किसी विधेयक को, उसके विधान-परिषद् में भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय वाचन में पास कर देती है, तो पास किये जाने के एक महीने बाद वह विधेयक स्वतः कानून का रूप ले लेता है, चाहे विधान-परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उसपर विचार करने का अधिकार केवल विधान-सभा को ही है। विधान-परिषद् परिवर्त्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है। विधान-सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है।

विधान-मण्डल की कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्यीय विधान-मण्डलों में भी उनकी अपनी समितियाँ होती हैं।

विधेयक को रोक रखना—राज्यीय विधान-मण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता, जबतक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति को रोक रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को, उनपर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किये जाने के लिए भी, रोक रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण—कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्यीय विधान-मण्डलों में कार्य-संचालन की सभी सामान्य संसदीय पद्धतियाँ ही उपयोग में आती हैं। इस प्रकार राज्य का विधान-मण्डल कार्यपालिका क नित्य-प्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी 'प्राक्कलन तथा लेखा-समितियाँ' भी होती हैं।

विधान-मण्डलों के सदस्य

राज्य	विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या	विधान-सभा के सदस्यों की संख्या
आसाम	—	१०५
आन्ध्र प्रदेश	९०	३०१
उड़ीसा	—	१४०
उत्तर प्रदेश	१०८	४३०
केरल	—	१२६
जम्मू तथा कश्मीर	३६	७५
पंजाब	५१	१५४
पश्चिम बंगाल	७५	२५२
महाराष्ट्र और गुजरात	१०८	३९६
बिहार	९६	३१८
मद्रास	६३	२०५
मध्य प्रदेश	९०	२८८
मैसूर	६३	२०८
राजस्थान	—	१७६
योग	७८०	३,१७४

❀

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय—भारत-सरकार का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) सम्पूर्ण देश की न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँ तक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, संविधान के द्वारा इसको अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों (हाईकोर्टों) के संगठन को, जिसमें उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति सम्मिलित है, केन्द्र का विषय बनाकर इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ कर दी गई है। यह संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करता है और उसकी व्याख्या करता है। इसको नागरिकों की स्वतन्त्रता के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना होता है।

१ मई, १९५९ को इस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे, उनकी स्थिति इस प्रकार थी—मुख्य न्यायाधिपति—भुवनेश्वर प्रसाद सिंह; न्यायाधीश—एन्० एच्० भगवती, सैयद जफर इमाम, एस्० के० दास, जीवन लाल कपूर, पी० बी० गजेन्द्रगडकर, अमल कुमार सरकार, कोका सुब्बाराव, के० एन्० वांचू, महम्मद हिदायतुल्ला, के० सी० दासगुप्त और जे० सी० शाह।

भारत-सरकार के विधि-अधिकारी ये हैं—महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल)—एम्० सी० सीतलवाद; महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जनरल)—सी० के० दफ्तरी; अतिरिक्त महावादेक्षक–एच्० एन्० सान्याल।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में सीधे मुकदमे लेना तथा अपीलें सुनना—दोनों कार्य आते हैं। केन्द्र तथा एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़े सीधे सर्वोच्च न्यायालय के सामने आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, सर्वोच्च न्यायालय में सीधे शिकायत दायर कर सकता है।

संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावना वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा जारी किये गये अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में, जिनमें झगड़े के विषय से सम्बन्धित राशि २०,००० रुपये से कम न हो अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर अथवा उसी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित ठहराये जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों में अपील करने के अधिकार की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दे, (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दे, अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिये गये निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। इसको संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

उच्च न्यायालय—प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था 'उच्च न्यायालय' (हाईकोर्ट) है। इस समय देश में १४ उच्च न्यायालय हैं—आसाम (गोहाटी—१९४८), आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद—१९५४), इलाहाबाद (१९१९), उड़ीसा (कटक—१९४८), कलकत्ता (१८६१), केरल (एर्नाकुलम—१९५६), जम्मू तथा कश्मीर (श्रीनगर—१९२८), पंजाब (चण्डीगढ़—१९४७), पटना (१९१६), बम्बई (१८६१), मद्रास (१८६१), मध्यप्रदेश (जबलपुर—१९५६), मैसूर (बंगलोर—१८८४) तथा राजस्थान (जोधपुर—१९४९)।

उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करना होता है। सामान्यत: प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है, जिस राज्य में वह स्थित हो, किन्तु राज्यीय विधान-मण्डल को उच्च न्यायालय के संविधान अथवा संगठन में परिवर्त्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् ही पदच्युत कर सकती है।

उच्च न्यायालयों को उनके न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय—जिला-न्यायाधीश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं।

कुछ स्थानीय भिन्नता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्त्तव्य देश-भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है, जो जिला-न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

दण्ड न्याय के प्रशासन तथा दण्ड-न्यायालयों की रचना आदि का नियम समय-समय पर संशोधित तथा परिवर्द्धित की जानेवाली 'दण्ड-प्रक्रिया-संहिता' के अनुसार होता है।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना—कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के सम्बद्ध में आसाम, बम्बई, मद्रास तथा मध्यप्रदेश के राज्यों में पूर्ण रूप से सुधार किया जा चुका है। आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश केरल, पंजाब, बिहार तथा राजस्थान में आंशिक रूप से सुधार किये गये हैं।

प्रतिरक्षा

सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भारत के राष्ट्रपति में निहित है। सेनाओं के नियन्त्रण का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा-मन्त्रालय तथा स्थल, जल और वायु—इन तीन सेनाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गति-विधियाँ तथा उनका विकास उचित और समन्वित ढंग से होता है। सेना की तीनों शाखाओं का कार्य-संचालन सामान्यतः उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के नियन्त्रण में होता है। इस समय स्थल-सेनाध्यक्ष—जनरल के० एस्० तिमय्य; जल-सेनाध्यक्ष—वाइस ऐडमिरल आर० डी० कटारी, और वायु सेनाध्यक्ष—एयर मार्शल एस० मुखर्जी हैं।

स्थल-सेना—स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है—दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट जनरल के पद का एक 'जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओं में बँटी हुई होती है और उनके अधिकारी मेजर जनरल के पद के 'जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग' होते हैं। ये शाखाएँ भी उपशाखाओं में बँट जाती हैं और उनके अधिकारी 'ब्रिगेडियर' होते हैं।

स्थल-सेना का मुख्यालय, जो दिल्ली में है, 'चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ' के अधीन कार्य करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक, लेफ्टिनेण्ट जनरल के बाद के 'मुख्य स्टाफ अधिकारी' के अधीन काम करती हैं। ये शाखाएँ हैं 'जनरल स्टाफ शाखा', 'ऐड्जूटेण्ट-जनरल-शाखा', क्वार्टरमास्टर-जनरल-शाखा, और 'आर्डनेन्स मास्टर जनरल-शाखा'। 'इंजीनियर-इन-चीफ शाखा' तथा 'सैनिक सचिव-शाखा' एक-एक मेजर जनरल के अधीन हैं। इन सभी शाखाओं का कार्य अलग-अलग है; जैसे सैनिक गुप्तचर-विभाग, सैनिक प्रशिक्षण, परिवहन, सैनिकों का चुनाव, इंजीनियरिंग आदि।

जल-सेना—जल-सेना के दिल्ली-स्थित मुख्यालय में 'चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ' चार मुख्य स्टाफ-अधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। इसके अधीन चार संकार्य तथा प्रशासनिक कमान हैं—एक समुद्र पर तथा तीन तट पर। ये कमान इस प्रकार हैं—(१) फ्लैग ऑफिसर कमाण्डिंग, भारतीय जहाजी बेड़ा; (२) फ्लैग ऑफिसर, बम्बई; (३) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापत्तनम्।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई० एन्० एस्० मैसूर' (८,७०० टन), जो पहले 'एच्० एम्० एस्० नाइजीरिया' कहलाता था, 'आई० एन्० एस्० दिल्ली' (७,०३० टन) और कई विध्वंसक तथा अन्य जहाज हैं।

वायु-सेना—'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' के कार्य-संचालन में उनकी सहायता तीन स्टाफ-अधिकारी करते हैं, जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के मुख्यालय की तीन मुख्य शाखाएँ हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन तीन बड़ी कमान हैं, जो 'संकार्य कमान', 'प्रशिक्षण कमान' तथा 'धारण कमान' के रूप में क्रमशः पालम, बंगलोर तथा कानपुर में स्थित हैं।

संसद् द्वारा १६५२ में स्वीकृत 'सुरक्षित तथा सहायक वायु-सेना अधिनियम' के अनुसार सं० ५१ (दिल्ली), सं० ५२ (बम्बई), सं० ५३ (मद्रास), सं० ५४ (उत्तर प्रदेश) तथा सं० ५५ (बंगाल) नामक ५ सहायक वायु-सेना टुकड़ियाँ स्थापित की जा चुकी हैं।

प्रशिक्षण-संस्थान

सैनिक प्रशिक्षण के लिए देश में कई संस्थाएँ स्थापित हुई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी—खडकवासला-स्थित 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी' में प्रवेश के लिए मैट्रिक पास शिक्षार्थियों को केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग द्वारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी होती हैं। खडकवासला का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का है, जिसके बाद सैन्य-शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा-स्कूलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-सेवाएँ-कर्मचारी-कॉलेज—दक्षिण भारत के विलिंगटन-स्थित 'प्रतिरक्षा-सेवाएँ कर्मचारी कालेज' में सेवारत अधिकारियों को अन्तर्सैना के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कॉलेज में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-कॉलेज—पूना-स्थित 'सशस्त्र सेना चिकित्सा-कॉलेज' में नये राजादिष्ट चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्यास्मरणीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है, जिससे उनको उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे।

स्थल-सेना के कॉलेज तथा स्कूल—देहरादून-स्थित सैनिक कॉलेज, स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र है। पूर्वोक्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी नामक संस्था से उत्तीर्ण होकर निकलनेवाले शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त किये जाने के पूर्व देहरादून में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। कॉलेज में प्रवेश पानेवाले अन्य शिक्षार्थी वे होते हैं, जो 'केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग' तथा 'सेना-चुनाव-मण्डल' की प्रतियोगिता-प्रवेश-परीक्षा पास कर चुके होते हैं।

किर्की-स्थित 'सैनिक इंजीनियरिंग कॉलेज' में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सम्पूर्ण सैनिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रशिक्षण-केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल्स, देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, मऊ का इन्फैण्ट्री स्कूल, जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर-सेण्टर तथा स्कूल।

जल-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्र—विशेष प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़-कर जल-सेना के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापत्तनम्-स्थित 'जल-सेना-प्रशिक्षण-केन्द्रों' में होता है।

कोचीन-स्थित 'आई० एन्० एस्० वेन्दुरुथि' तथा जल-सेना का 'विमान-केन्द्र 'गरुड़' जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्र हैं।

लोनावाला (बम्बई)-स्थित 'आई० एन्० एस्० शिवाजी' पर मेकेनिकल इंजीनियरों तथा आर्टिफिशियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आई० एन्० एस्० वलसुरा' पर बिजली-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल सेना में भर्ती होनेवाले नये रँगरूटों को विशाखापत्तनम्-स्थित 'आई० एन्० एस्० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

वायु-सेना के कॉलेज तथा स्कूल—नौसिखिए विमान-चालकों को जोधपुर के 'वायु-सेना फ्लाइंग कॉलेज' में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है।

उड्डयन-निर्देशकों को ताम्बरम-स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। कोयमुत्तूर-स्थित 'वायु-सेना प्रशासनिक कॉलेज' में वायु-सेना के प्रशासन-अधिकारियों को तथा बंगलोर में हाल ही में स्थापित उड्डयन-चिकित्सा-स्कूल में चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जलाहाली-स्थित 'वायु-सेना प्राविधिक कॉलेज' में इंजीनियरिंग-अधिकारियों को प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रतिरक्षा-उत्पादन

सैन्य-सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरीक्षण, शोध तथा सेना की तीनों शाखाओं की विकास-सम्बन्धी गति-विधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने तीन वर्ष पूर्व एक 'प्रतिरक्षा-उत्पादन-मण्डल' स्थापित किया। प्रतिरक्षा-मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। यह मण्डल सभी शस्त्र-निर्माणशालाओं (आर्डनेन्स फैक्टरीज) के संचालन के लिए उत्तरदायी है।

सेना की तीनों शाखाओं के 'प्राविधिक विकास-संगठनों' और 'प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन' को मिलाकर उत्पादन में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी, १९५८ में एक 'शोध तथा विकास-संगठन' स्थापित किया गया। इसका 'उत्पादन तथा निरीक्षण-संगठन' के साथ सीधा सम्बन्ध है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक सैन्य-सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

शस्त्र-निर्माणशाला—शस्त्र-निर्माणशालाओं में, जिनमें कुछ समय पूर्व तक मुख्य रूप से स्थल-सेना की आवश्यकताओं की ही पूर्त्ति की जाती थी, अब जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री तैयार की जाती है।

मशीन-औजार-प्राम्रूप-कारखाना—अम्बरनाथ (बम्बई) स्थित 'मशीन-औजार प्राम्रूप कारखाने' में मशीनी औजार-सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण कार्य पूरे किये गये। इस कारखाने में कई अन्य औजार भी तैयार किये गये।

हिन्दुस्तान विमान-कारखाना—बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान विमान-कारखाना (लिमिटेड)' में भारतीय वायु-सेना के विमानों की मरम्मत, उनको नया रूप देने तथा विमानों के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस कारखाने में वैम्पायर जेट लड़ाकू विमानों का भी निर्माण किया जाता है।

भारत विद्युदणु (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखाना—बंगलोर के निकट जलाहली-स्थित 'भारत विद्युदणु (प्राइवेट) लिमिटेड' में प्रारम्भिक उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १९५५ में आरम्भ हुआ। जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५८ तक ३३·९५ लाख रुपये के मूल्य के विद्युत् उपकरणों का निर्माण हुआ।

विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य आपात-कार्य भी करती हैं। इनमें मुख्य हैं— १) बाढ़, अकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (२) जल-विद्युत् तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम में आनेवाले फोटो-सर्वेक्षण तथा (३) बेकार भूमि का पुनरुद्धार।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय प्रतिरक्षा-सेनाओं ने 'कोरिया-विराम-सन्धि करार' तथा २० जुलाई, १९५४ को जेनेवा में हुई युद्ध-विराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित 'वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया नियन्त्रण तथा अधीक्षण अन्तरराष्ट्रीय आयोगों' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। भारतीय सेना ने संसार में शान्ति-स्थापन के एक अन्य कार्य में उस समय सहायता दी, जब १९ नवम्बर, १९५६ को एक भारतीय सैन्य-टुकड़ी 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपातकालीन सेना' में सम्मिलित होने के लिए मिस्र भेजी गई। श्रीलंका के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुँचाने के सम्बन्ध में भारतीय वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख पौण्ड से अधिक की खाद्य-वस्तुएँ तथा औषधियाँ गिराईं। लगभग ७० सैन्य-अधिकारियों ने लेबनान के 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया।

प्रतिरक्षा-व्यय

१९५९-६० (बजट-प्राक्कलन) में प्रतिरक्षा पर २ अरब ४२ करोड़ ६८ लाख रुपये तथा ३२.७४ करोड़ रुपये का क्रमशः राजस्वगत तथा पूँजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना का उद्देश्य, जो अक्तूबर, १९४९ में सर्वप्रथम संगठित की गई थी, देश के नवयुवकों को उनके अवकाश के समय में सैनिक-प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—प्रादेशिक तथा शहरी। रँगरूटों का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा शहरी सेना में ३२ दिन का होता है।

लोक-सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना के रूप में पुनस्संगठित हुई थी, अब 'लोक-सहायक सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ५ लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य-शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष 'लोक-सहायक सेना' में भर्ती हो सकते हैं। नये रँगरूटों को ३० दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी दल

इस दल में स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्र और छात्राएँ भर्ती हो सकती हैं। इसमें तीन टुकड़ियाँ होती हैं—उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल तथा वायु-शाखाएँ होती हैं। सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त कुछ सैन्य-शिक्षार्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १९५९ के आरम्भ में इस दल में कुल १,९२,२५३ सैन्य-शिक्षार्थी थे।

सहायक सैन्य-शिक्षार्थी दल

स्कूलों के उन छात्र-छात्राओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जो राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं पाते, सहायक सैन्य-शिक्षार्थी दल की व्यवस्था की गई है। १९५८ के अन्त में सहायक सैन्य-शिक्षार्थी दल के शिक्षार्थियों की संख्या ८,५७,९४७ थी।

शिक्षा

१५ अगस्त, १९५७ से केन्द्र में देश के अन्दर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक अलग शिक्षा-मन्त्रालय कायम किया गया है। देश में साधारणतः शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार का काम 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का काम अखिलभारतीय परिषदें करती हैं। केन्द्रीय सरकार अलीगढ़, दिल्ली, बनारस (वाराणसी) तथा विश्वभारती-विश्वविद्यालयों के साथ-साथ संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन' (यूनेस्को)-जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के सम्बन्ध में छात्रवृत्तियाँ आदि भी देती है।

१९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत में ५,९२,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें से ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थीं।

१९५६-५७ में देश में कुल ३,७७,७१८ शिक्षा-संस्थान थे, जिनमें ३,५७,७५,००० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे तथा इनपर कुल २ अरब २ करोड़ २४ लाख रुपये व्यय हुए।

१९५६-५७ में देश में ७७३ पूर्व-प्राथमिक स्कूल; २,८७,३१८ प्राथमिक स्कूल; ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल; ३,२८३ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले स्कूल; ४६,१२७ विशेष शिक्षावाले स्कूल; ७७१ कला तथा विज्ञान-कॉलेज; ४०४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले कॉलेज; १२७ विशेष शिक्षावाले कॉलेज; ४१ शोध-संस्थान; १२ शिक्षा-मण्डल तथा ३४ विश्वविद्यालय थे।

इन ३,७७,७१८ मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थानों में से ८९,३०४ शिक्षा-संस्थानों की व्यवस्था सरकार के अधीन; १,५३,९५३ शिक्षा-संस्थानों की व्यवस्था जिला-मण्डलों के अधीन; ११,४४८ शिक्षा-संस्थानों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के अधीन; १,११,०६४ शिक्षा-संस्थानों की व्यवस्था सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाले निजी संगठनों के अधीन तथा ११,९४९ शिक्षा-संस्थानों की व्यवस्था सरकार से सहायता प्राप्त न करनेवाले निजी संगठनों के अधीन थी। इन शिक्षा-संस्थानों में क्रमशः ७४,०३,६८४; १,३५,२४,१६४; २६,७९,६३२; १,०१,४२,५५३ तथा १३,३०,८९० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

१९५६-५७ में शिक्षा पर हुए २ अरब २ करोड़ २४ लाख रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय में से सरकार ने ६२.२ प्रतिशत व्यय वहन किया और शेष की व्यवस्था जिला-मण्डलों तथा नगरपालिकाओं की ओर से हुई।

प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा-सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से एक 'अखिलभारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्' है।

१९५६-५७ में प्राथमिक (पूर्व-प्राथमिक-सहित) तथा बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः २,८८,०९१ तथा ४६,८२५ थी, जिनमें क्रमशः २ करोड़ ३९ लाख ६७ हजार तथा ४१.०३ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जिनपर क्रमशः ५७.६१ करोड़ रुपये तथा ९.०६ करोड़ रुपये व्यय हुए।

माध्यमिक शिक्षा

१९५६-५७ में देश में ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें ९३.३० लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा जिनपर ५७.४७ करोड़ रुपये व्यय हुए।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालीय शिक्षा

भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा (१) कला तथा विज्ञान-कॉलेजों, (२) व्यावसायिक शिक्षावाले कॉलेजों, (३) विशेष शिक्षावाले कॉलेजों, (४) शोध-संस्थानों तथा (५) विश्व-विद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में 'उच्चतर माध्यमिक' तथा इण्टरमीडिएट

शिक्षा-मण्डल' हैं, वहाँ इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में रहती है।

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं। सम्बन्धन की व्यवस्थावाले विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य नहीं होता, बल्कि ये परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं। सम्बन्धन तथा अध्यापन की व्यवस्थावाले विश्वविद्यालय उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा शोध-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। आश्रम-प्रणाली तथा अध्यापन-वाले विश्वविद्यालय सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं तथा उनका उनके अधीन कॉलेजों पर नियन्त्रण रहता है।

१९२५ में स्थापित 'अन्तरविश्वविद्यालय-मण्डल' विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे कुछ और भी संस्थान हैं, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं; जैसे दिल्ली का जामियामिलिया, हरिद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर की भारतीय विज्ञान-संस्था। इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों-जैसी ही है। कई शोध-प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को 'अन्तरविश्वविद्यालय-मण्डल' द्वारा उच्चतर शोध-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग—सरकार द्वारा १९४८ में नियुक्त 'विश्व-विद्यालीय शिक्षा-आयोग' के सुझाव के अनुसार १९५३ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गई। १९५६ में संसद् के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतंत्र संस्था मान लिया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालीय शिक्षा-सम्बन्धी अधिकांश मामलों की देख-रेख का भार सौंपा गया है। आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस आयोग के अध्यक्ष श्रीचिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख हैं।

प्राविधिक (टेकनिकल) शिक्षा

१९५७ में देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षावाले ७४ डिग्री-संस्थान तथा १२६ डिप्लोमा-संस्थान थे, जिनमें क्रमशः ९,७७८ तथा १५,९९५ विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। १९५७ में इनमें से क्रमशः ४,२९० तथा ५,०३४ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले।

खड़गपुर-स्थित 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का कार्य १९५१ में आरम्भ हुआ। बम्बई की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में विद्यार्थियों को सबसे पहले १९५८ में प्रवेश दिया गया। कानपुर तथा मद्रास में दो संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।

खड़गपुर की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था', दिल्ली के 'अर्थशास्त्र स्कूल', मद्रास विश्व-विद्यालय के 'अर्थशास्त्र-विभाग' बम्बई के 'अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल', बंगलोर

की 'भारतीय विज्ञान-संस्था', कलकत्ता की 'समाज-कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध-संस्था' तथा बम्बई की 'विक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था' में प्रबन्ध-व्यवस्था-सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू किये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित ४ 'प्रादेशिक मुद्रण-स्कूल' हैं।

शोधकर्त्ताओं को व्यक्तिगत सहायता-अनुदान दिये जाने के अतिरिक्त विभिन्न विश्व-विद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी ६८० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

'राष्ट्रीय शोध-शिष्यवृत्ति-योजना' के अधीन ४००-४०० रुपये मासिक की ८० शिष्य-वृत्तियों तथा प्रतिवर्ष १,००० रुपये के अनुदान के लिए भी व्यवस्था की गई।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास-सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद्' स्थापित की गई है।

समाज-शिक्षा

समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके उद्देश्य हैं-(१) साक्षरता-प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना और (५) समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना। योजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जबकि केन्द्र मार्ग-दर्शन, वित्तीय सहायता तथा समन्वय की व्यवस्था करता है।

विकलांगों की शिक्षा

एक 'राष्ट्रीय परामर्श-परिषद्' सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्धे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। देहरादून के 'अन्ध (प्रौढ़) प्रशिक्षण-केन्द्र' में लगभग १५० अन्धे व्यक्तियों को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए अबतक निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) 'पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना मण्डल' द्वारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ समितियों ने १,३७,५६० पारिभाषिक शब्दों की रचना की तथा अबतक १४ विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियाँ प्रकाशित की गई हैं।

(२) जबतक सरकार देवनागरी-लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय करे, तबतक के लिए 'हिन्दी-टंकणयन्त्र (टाइपराइटर) तथा 'दूरमुद्रक समिति' के प्रतिवेदन को प्रकाशित किये जाने से रोक रखा गया है।

(३) हिन्दी-शीघ्रलिपि की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है, जिसके १९६० तक पूरा होने की आशा है।

(४) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के आधार पर 'हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण-कॉलेज' संगठित किये जानेवाले हैं और आगरा का 'अखिलभारतीय हिन्दी-महाविद्यालय' हिन्दी में शोध तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा।

(५) १९५८ में इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं।

(६) काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा १० खण्डों में हिन्दी-विश्वकोष के संग्रह का कार्य किये जाने में प्रगति हुई और इसका प्रथम खण्ड शीघ्र ही मुद्रणालय को भेज दिया जायगा।

(७) वनस्पतिशास्त्र तथा रसायनशास्त्र-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ छप रहे हैं तथा अन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रंथ तैयार किये जा रहे हैं।

(८) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली-सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(९) सम्बन्धित राज्य-सरकारों के परामर्श से सूती वस्त्र-उद्योग, मछली-पालन, धातु-कर्म आदि पर विशेष शब्दावलियाँ तैयार किये जाने के लिए सामग्री संगृहीत की जायगी।

(१०) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। १९५८ में पटना में अहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी-अध्यापकों की एक विचार-गोष्ठी का अयोजन किया गया।

(११) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी-अध्यापकों के लिए पुस्तकों आदि की व्यवस्था के लिए राज्य-सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये हैं।

(१२) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों की ७ सूचियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सुझाव तथा सम्मति माँगी गई है।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद

शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कॉलेजों के विकास के लिए तैयार की गई 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-योजना' कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य व्यायाम-शालाओं तथा अखाड़ों आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श-मण्डल' स्थापित किया गया है।

खेलकूद के कार्य-क्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए 'अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् विभिन्न राज्यों में राज्य खेलकूद परिषदों की स्थापना की गयी है, 'राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेलकूद-विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

भारत के विश्वविद्यालय

क्र० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन	कॉलेज	वाइस-चान्सलर
१.	कलकत्ता-विश्वविद्यालय	कलकत्ता	१८५७	१४८	प्रो० निर्मलकुमार सिद्धांत
२.	बम्बई-विश्वविद्यालय	बम्बई	१८५७	४२	टी० एम्० अदवानी
३.	मद्रास-विश्वविद्यालय	मद्रास	१८८७	१०५	डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर
४.	इलाहाबाद-विश्वविद्यालय	इलाहाबाद	१८८६	४	डॉ० एस्० रंजन
५.	बनारस-विश्वविद्यालय	बनारस	१९१५	२१	नटवरलाल हीरालाल भगवती
६.	मैसूर-विश्वविद्यालय	मैसूर	१९१६	५३	डॉ० के० वी० पट्टापा
७.	पटना-विश्वविद्यालय	पटना	१९१७	३९	डॉ० बलभद्र प्रसाद
८.	उस्मानिया-विश्वविद्यालय	हैदराबाद	१९१८	३४	डॉ० एस्० रेड्डी
९.	अलीगढ़-विश्वविद्यालय	अलीगढ़	१९२०	२	बी० एच्० जैदी
१०.	लखनऊ-विश्वविद्यालय	लखनऊ	१९२१	१३	के० ए० एस्० ऐयर
११.	दिल्ली-विश्वविद्यालय	दिल्ली	१९२२	२२	डॉ० पी०के०आर०वी०राव
१२.	नागपुर-विश्वविद्यालय	नागपुर	१९२३	२८	के० टी० मंगलमूर्त्ति
१३.	आन्ध्र-विश्वविद्यालय	वाल्टेयर	१९२६	४९	डॉ० वी० एस्० कृष्णा
१४.	आगरा-विश्वविद्यालय	आगरा	१९२७	६०	के० पी० भटनागर
१५.	अन्नामलाई-विश्वविद्यालय	अन्नामलाई नगर	१९२९	—	टी० एम्० नारायणस्वामी
१६.	केरल-विश्वविद्यालय	त्रिवेन्द्रम	१९३७	६६	डॉ० जॉन मथाई
१७.	श्रीत्रावणकोर-विश्वविद्यालय	त्रावणकोर	१९३८	—	....
१८.	श्री वेंकटेश्वर-विश्वविद्यालय	त्रिपुति	१९४३	—	डॉ० एस्० गोविन्दराजू
१९.	उत्कल-विश्वविद्यालय	कटक	१९४३	२१	डॉ० प्राणकृष्ण परीजा
२०.	सागर-विश्वविद्यालय	सागर	१९४६	२३	डॉ० पी० मिश्र
२१.	पंजाब-विश्वविद्यालय	चंडीगढ़	१९४७	११६	ए० सी० जोशी
२२.	राजपुताना-विश्वविद्यालय	जयपुर	१९४७	—	
२३.	राजस्थान-विश्वविद्यालय	जयपुर	१९४७	४१	जी० सी० चटर्जी
२४.	गोहाटी-विश्वविद्यालय	गोहाटी	१९४८	२६	एस्० के० भूंय
२५.	जम्मू एवं काश्मीर-विश्वविद्यालय	श्रीनगर	१९४८	२५	ए० ए० ए० फिजी
२६.	मध्यभारत-विश्वविद्यालय	इन्दौर	१९४८	—	

क्र.सं.	नाम	स्थान	संस्थापन	कॉलेज	वाइस चान्सलर
२७.	रुड़की-विश्वविद्यालय	रुड़की	१९४८	—	डा० ए० एन्० खोसला
२८.	कर्नाटक-विश्वविद्यालय	धारवाड़	१९४९	२५	डी० सी० होवेट
२९.	गुजरात-विश्वविद्यालय	अहमदाबाद	१९४९	४५	एम्० सी० देसाई
३०.	पूना-विश्वविद्यालय	पूना	१९४९	३९	डॉ० आर० पी० परांजपे
३१.	बड़ौदा-विश्वविद्यालय	बड़ौदा	१९४९	३	जे० एम्० मेहता
३२.	एस्० एन्० डी० टी० महिला-विश्वविद्यालय	बम्बई	१९५१	६	श्रीमती पी० वी० थैकर्सी
३३.	विश्वभारती-विश्वविद्यालय	शांति-निकेतन	१९५१	६	एस्० आर० दास
३४.	बिहार-विश्वविद्यालय	पटना	१९५२	७६	डॉ० दुखन राम
३५.	जादवपुर-विश्वविद्यालय	कलकत्ता	१९५५	२	डॉ० त्रिगुण सेन
३६.	सरदार वल्लभभाई-विद्यापीठ	वल्लभ-नगर	१९५५	४	वी० टी० पटेल
३७.	कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय	कुरुक्षेत्र	१९५६	—	ए० सी० जोशी
३८.	गोरखपुर-विश्वविद्यालय	गोरखपुर	१९५७	१२	बी० एन्० झा
३९.	जबलपुर-विश्वविद्यालय	जबलपुर	१९५७	१७	पंडित कुंजीलाल दूबे
४०.	विक्रम-विश्वविद्यालय	उज्जैन	१९५७	२६	डॉ० माताप्रसाद

विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं की प्रगति

	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७
पूर्व प्राथमिक विद्यालय	३९६	४२६	५१३	६३०	७७३
प्राथमिक विद्यालय	२,२२,०१४	२,३९,३८२	२,६३,६२६	२,७८,१३८	२,८७,३१८
माध्यमिक विद्यालय	२४,०५९	२५,७६७	२७,५१८	३२,५९८	३५,८२८
व्यावसायिक स्कूल	२,६१६	२,५९९	२,७५२	३,०९७	३,२८३
विशेष शैक्षणिक विद्यालय	४८,७०६	४४,१४२	४७,५३४	५०,९८७	४६,१२७
कला और विज्ञान-महाविद्यालय	५८१	६१३	६५७	७१२	७७१
प्रोफेशनल कॉलेज	२३९	२५३	२९१	३४६	४०४
विशेष शैक्षणिक महाविद्यालय	७९	८७	१०६	११२	१२७
अनुसन्धान-प्रतिष्ठान	३१	३५	३३	३४	४१
शिक्षामंडल (बोर्ड ऑफ् एजुकेशन)	९	१०	१०	११	१२
विश्वविद्यालय	२९	३०	३१	३२	३४
कुल जोड़—	२,९८,७५९	३,१३,३४४	३,४३,०७१	३,६६,६३७	३,७७,७१८

भारत में साक्षरता

राज्य और संघीय क्षेत्र	भारत में कुल शिक्षितों की संख्या	पुरुष	महिलाएँ	प्रतिशत	पुरुष	महिलाएँ
भारत	५,६२,५१,००१	४,५६,०१,८४	१,३६,४६,८१७	१६.६१	२४.८७	७.८७
राज्य						
आन्ध्र	४१,०२,७२१	३०,६७,०२०	१०,०५,७०१	१३.१२	१६.६७	६.४६
आसाम	१६,३३,७५३	१३,०३,०८७	३,३०,६६६	१८.०७	२७.०८	७.८८
बिहार	४७,११,६६७	३६,८६,५६८	७,२५,३६६	१२.१५	२०.४६	३.७१
बम्बई	१,०४,४५,२४०	७८,६७,६२६	२५,७७,३१४	२१.६४	३१.७०	१०·६६
केरल	५५,३८,६७५	३३,६५,७७८	२१,७३,१६७	४०.८८	५०.३७	३१.६५
मध्य-प्रदेश	२५,६२,५८३	२१,५०,२६३	४,१२,३२०	६.८३	१६.२२	३.२२
मद्रास	६२,३७,१३३	४७,३२,५२०	१५,०४,६१३	२०.८१	३१.६६	१०.००
मैसूर	३७,४३,४५७	२८,६६,६५०	८,७३,८०७	१६.२६	२६.०८	६.१६
उड़ीसा	२३,१३,४३१	१६,७८,७०५	३,३४,७२६	१५.८०	२७.३२	४.५२
पंजाब	२४,५७,४६६	१८,२५,६५३	६,३१,५४३	१५.२३	२१.०३	८.४७
राजस्थान	१४,२६,७१२	१२,००,२८२	२,२६,४३०	८.६५	१४.४४	३.००
उत्तर-प्रदेश	६८,२५,०७२	५७,५३,५८०	१०,७१,४६२	१०.८०	१७.३८	३.५६
पश्चिम बंगाल	६३,१८,६०३	४८,२६,७०७	१४,८८,८६६	२४.०२	३४.२३	१२.२१
संघीय क्षेत्र						
अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह	७,६८०	६,५१३	१,४६७	२५.७७	३४.१८	१२.३१
दिल्ली	६,६६,०७३	४,२४,११८	२,४४,६५५	३८.३६	४२.६६	३२.३४
हिमाचल-प्रदेश	८५,५०६	७२,६७२	१२,५३७	७.७१	१२.५६	२.३७
लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह	३,२०४	२,६३५	५६६	१५.२३	२५.५६	५.३०
मणिपुर	६५,८६५	५८,६३२	६,६६३	११.४१	२०.७७	२.३७
त्रिपुरा	६६,१६७	७४,६७५	२४,२२२	१५.५२	२२.३४	७.६८

❀

सांस्कृतिक विकास

'राष्ट्रीय संस्कृति-न्यास' की स्थापना कला तथा संस्कृति का विकास करने और जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति ललित-कला-अकादमी, संगीत-नाटक-अकादमी तथा साहित्य-अकादमी के द्वारा की जाती है।

कला

ललित-कला-अकादमी—सन् १९५४ ई० में स्थापित 'ललित-कला-अकादमी' ललित कलाओं के विकास का कार्य करने के अतिरिक्त चित्रकला तथा मूर्त्तिकला आदि के विकास और इनको जीवित बनाये रखने के कार्यक्रम तैयार करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादमियों की गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करती है। तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन करने के साथ-साथ यह अन्तरप्रादेशिक तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में भी सहयोग देती है।

अकादमी, नई दिल्ली में प्रति वर्ष 'राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी' का आयोजन करती है, जिसकी बारी-बारी से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी व्यवस्था की जाती है। अबतक ऐसी पाँच राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। अकादमी ने १९५६ में भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण की २,५००वीं जयन्ती के एक कार्यक्रम के रूप में नई दिल्ली में एक बौद्धकालीन कला-प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो बाद में वाराणसी, पटना, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में भी संगठित की गईं।

अबतक कनाडा की चित्रकला, हंगरी की लोक-कलाओं, चीनी दस्तकारियों, पोलिश कलाओं, समसामयिक जर्मन कला-सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ संगठित की जा चुकी हैं। रैम्ब्रेण्ट के जीवन तथा उनकी रचनाओं का विभिन्न नगरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। समसामयिक कला के नमूनों तथा अजायबघर की पुरातन वस्तुओं की एक भारतीय प्रदर्शनी का चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया, रूस तथा पोलैण्ड में आयोजन किया गया।

अकादमी द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों की कलाओं तथा दस्तकारियों के किये जानेवाले सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा चुका है और अब गुजरात के सम्बन्ध में किया जायगा।

अकादमी विख्यात कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करती है।

प्रकाशन — अकादमी द्वारा अबतक कला-सम्बन्धी जितने प्रकाशन हुए हैं, उनमें से 'मुगलकालीन चित्र,' 'सामयिक चित्र-संग्रह', १२ चित्र-पोस्टकार्ड, 'पहाड़ी चित्रकला में कृष्ण-कथा' और 'अजन्ता तथा मेवाड़-चित्रकला-संग्रह' के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं। आगामी प्रकाशन 'कृष्णगढ़-चित्रकला', 'बूँदी-चित्रकला' तथा भारतीय काव्य-सम्बन्धी चित्रों के संग्रह के सम्बन्ध में होंगे। अकादमी 'ललित-कला' नाम की एक अर्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय के प्रकाशन-विभाग की ओर से भी कला-सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं।

राष्ट्रीय कला-संग्रहालय-सन् १९५४ ई० में स्थापित 'राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय' में लगभग १४० कलाकारों की १,७४८ कृतियों का संग्रह है, जिनमें सर्वश्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियाँ सम्मिलित हैं।

नृत्य तथा नाटक

संगीत-नाटक-अकादमी—सन् १९५३ ई० में स्थापित 'संगीत-नाटक-अकादमी' का मुख्य कार्य देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण तथा उन पर शोध करना, उनका फिल्म तैयार करना और उसके सम्बन्ध में संग्रह आदि का प्रकाशन करना है।

अकादमी ने १९५५ में दिल्ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा आधुनिक गीत-नृत्यों के एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया। १९५८ में भारत की नृत्य-कला के सम्बन्ध में एक विचार-गोष्ठी का संगठन किया गया। लोक-नृत्य उत्सव वार्षिक गणराज्य-दिवस-समारोह का एक अभिन्न अंग हो गया है। मणिपुरी-शैली के नृत्य का प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र बनाने के लिए अकादमी ने इम्फाल-स्थित 'मणिपुर नृत्य-कॉलेज' को अपने अधिकार में ले लिया है।

१९५४ में अकादमी ने एक राष्ट्रीय नाटक-समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत, अँगरेजी तथा मणिपुरी में भी नाटक खेले गये। १९५६ में एक नृत्य-विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष पुरस्कार देती है।

आकाशवाणी-नाटक—आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय नाटक-कार्यक्रम एक साथ प्रसारित किये जाते हैं।

संगीत

संगीत-समारोह—अकादमी के तत्त्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत-समारोह १९५४ में दिल्ली में तथा द्वितीय १९५६ में पटना में हुआ।

अकादमी एक भारतीय संगीत-संग्रहालय के निर्माण के लिए प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञों के रिकार्ड तैयार करने और पुराने ग्रामोफोन-रिकार्डों का संग्रह करने का विचार कर रही है। शोध-कार्य की सुविधा के लिए एक 'भारतीय संगीत-पुस्तकालय' भी स्थापित किया जा रहा है।

१९५७ में हुई भारतीय संगीत-गोष्ठी के अवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत-शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

आकाशवाणी-संगीत-सम्मेलन—आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक आयोजन का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक-संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागनियों में गान प्रस्तुत कराना है।

सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें संगीत के विकास-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

विभिन्न कार्यक्रम—१९५२ से आरब्ध आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक-संगीत-कलाकारों के बीच पारस्परिक रूप से कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रति अधिक रुचि उत्पन्न करना है। समय-समय पर लोक-संगीत भी प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी के कई केन्द्र शास्त्रीय तथा लोक-संगीत पर आधारित सरल संगीत तैयार करते तथा उसे प्रस्तुत करते हैं।

१९५२ में स्थापित आकाशवाणी के राष्ट्रीय वाद्यवृन्द द्वारा वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अबतक 'मेघदूतम्', 'कलिंगविजयम्', 'ज्योतिर्मुख' तथा 'शाकुन्तलम्'-जैसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

साहित्य

साहित्य-अकादमी—१९५४ में स्थापित 'साहित्य-अकादमी' एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य का विकास करना तथा उच्च साहित्यिक मानदण्ड निर्धारित करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची तैयार करना इसका एक प्रमुख कार्य है, जिसमें बीसवीं शताब्दी में भारत में प्रकाशित और भारतीय लेखकों द्वारा रचित १४ भारतीय भाषाओं तथा अँगरेजी की साहित्य-सम्बन्धी पुस्तकों का उल्लेख रहेगा।

श्री एस्० के० दे द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' प्रकाशित हो चुका है। प्रोफेसर वेलंकर रचित 'विक्रमोर्वशीय' का आलोचनात्मक संस्करण प्रेस में है।

श्री पी० के० परमेश्वरन् नागर द्वारा लिखा गया 'मलयालम-साहित्य का इतिहास' प्रकाशित हो चुका है और इसका कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। श्रीसुकुमार सेन-लिखित 'बँगला-साहित्य का इतिहास' छप रहा है। सर्वश्री बी० के० बरुआ तथा एम्० मानसिंह द्वारा लिखित असमिया तथा उड़िया-साहित्य के इतिहास की पाण्डु-लिपियाँ भी मुद्रण के लिए भेजी जानेवाली हैं।

सर्वश्री एस्०के०दे०तथा आर०सी० हाजरा द्वारा सम्पादित 'एन्थॉलॉजी ऑफ् संस्कृत-लिटरेचर' का प्रथम खण्ड प्रेस में है, जबकि श्रीनलिनाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित 'संस्कृत में बौद्ध साहित्य' प्रकाशित होनेवाला है। पंजाबी काव्य-संग्रह, बँगला का वैष्णव गीतिकाव्य, गुजराती के एकांकी नाटक', तमिल में भारती की कविताओं का संग्रह तथा मराठी में राजवाडे का गद्य-संग्रह प्रकाशित किये जा चुके हैं।

'भारतीय कविता १९५३' शीर्षक एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें १४ मुख्य भाषाओं में लिखित कविताओं तथा उनके हिन्दी-पद्यानुवादों का संग्रह है। दूसरा काव्य-संग्रह (१९५४-५५) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१९५६-५७) छप रहे हैं।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ (मूल बँगला) देवनागरी-लिपि में आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत इनका प्रथम खण्ड 'एकोतरशती' शीर्षक से प्रकाशित किया जा चुका है।

अबतक जो अन्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें 'रूसी-हिन्दी-शब्दकोष' तथा 'कण्टेम्पोरेरी इण्डियन लिटरेचर' मुख्य हैं। भारतीय लेखकों का इतिवृत्त भी तैयार किया जा रहा है।

अकादमी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकों पर प्रति वर्ष पुरस्कार भी देती है।

गान्धी-साहित्य—१९५६ के आरम्भ में सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय ने महात्मा गांधी के भाषणों, पत्रों तथा लेखों आदि का एक महत्त्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की एक योजना पर कार्य आरम्भ किया। १८८४ से १९०८ तक के समय की रचनाओं से युक्त प्रथम दो खण्ड प्रकाशित किये जा चुके हैं। १९१४ के वर्ष तक की सामग्री के संग्रह का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे की सामग्री का संग्रह किया जा रहा है।

अन्य साहित्यिक गति-विधियाँ—१९५६ में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय कवि-सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऐसा कवि-सम्मेलन अब प्रति वर्ष होता है, जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

१९५६ में देश के सभी साहित्यिकों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया। एक दूसरा साहित्य-समारोह १९५७ में हुआ, जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन पर विचार-विमर्श किया गया। अप्रैल, १९५८ में हुए तीसरे साहित्य-समारोह में सम-सामयिक नाट्य-साहित्य की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास—उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्रीचिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख की अध्यक्षता में १९५७ में एक 'राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास' स्थापित किया गया।

यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों की मान्यताप्राप्त रचनाओं के प्रकाशन का भी कार्य करेगा। इस न्यास के प्रकाशन-कार्य का अधिकांश कार्य सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय का प्रकाशन-विभाग करेगा।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास—१९५८-६१ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारत-सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसपर २० लाख रुपये व्यय किये जाने का विचार किया है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क

विदेश-सम्पर्क-विभाग—केन्द्रीय वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामला-मन्त्रालय में एक विदेश-सम्बन्ध-विभाग स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य कलाकारों, विद्यार्थियों

तथा अध्यापकों आदि के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करना और प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा संसार के विभिन्न देशों के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

प्रतिनिधि-मण्डल—१९५८-५९ में जो भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल अन्य देशों को गये, उनमें थे—सोवियत रूस को गया महिला-शिष्टमण्डल तथा भारतीय विद्यावेत्ता प्रतिनिधि-मण्डल; टोकियो में विभिन्न धर्मों के इतिहास के सम्बन्ध में हुए एक सम्मेलन के लिए गया एकव्यक्तीय प्रतिनिधि-मण्डल; नैपाल को गया संगीतज्ञों तथा नर्त्तकों का एक दल तथा अफगानिस्तान को गया २६ व्यक्तियों का हॉकी-फुटबॉल-खिलाड़ी तथा संगीतज्ञ-मण्डल।

नैपाल से १५ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल और पत्रकारों तथा सरकारी कर्मचारियों के दो दल; कनाडा से एक प्रसिद्ध संगीत-आलोचक; हिन्दी तथा संस्कृत के दो जापानी विद्यार्थी तथा लन्दन की राष्ट्रमण्डलीय संस्था के निर्देशक भारत आये।

सांस्कृतिक समझौता—१९५८ में काहिरा में भारत तथा संयुक्त अरब-गणराज्य के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

अनुदान—विदेशों के साथ निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी विदेश-स्थित २० से अधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्—भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १९४९ में इस परिषद् की स्थापना हुई। यह परिषद् अपने-आप में एक स्वतन्त्र संस्था है। परिषद् अँगरेजी तथा अरबी भाषा में एक-एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। परिषद् दुर्लभ पाण्डु-लिपियों तथा भारत-सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशनों का विदेशी भाषा में अनुवाद कराने का भी काम करती है।

वैज्ञानिक शोध

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद्

भारत में वैज्ञानिक शोध का काम सरकार के तत्वावधान में मुख्यतः 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद्' और उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ करती हैं। परिषद्, शोध-संस्थानों में लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञों को अस्थायी रूप से काम में लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है।

१६५८-५६ में परिषद् का आवर्त्तक व्यय ३.३१ करोड़ रुपये तथा अनुमित पूँजीगत व्यय १.७८ करोड़ रुपये हुआ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ—स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद्, देश के विभिन्न केन्द्रों में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी है, जिनका विवरण नीचे द्रष्टव्य है—

१.	केन्द्रीय ईन्धन शोध-संस्था	जीलगोड़ा (बिहार)
२.	केन्द्रीय काँच तथा कुम्हारी काम शोध-संस्था	जाधवपुर
३.	केन्द्रीय खनन शोध-केन्द्र	धनबाद
४.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध-संस्था	मैसूर
५.	केन्द्रीय चर्म-शोध-संस्था	मद्रास
६.	केन्द्रीय नमक-शोध-संस्था	भावनगर
७.	केन्द्रीय भवन-शोध-संस्था	रुड़की
८.	केन्द्रीय भेषज शोध-संस्था	लखनऊ
९.	केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध-संस्था	दुर्गापुर (बंगाल)
१०.	केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरिंग शोध-संस्था	पिलानी (राजस्थान)
११.	केन्द्रीय विद्युत् रसायन-शोध-संस्था	कराइकुडी (मद्रास)
१२.	केन्द्रीय सड़क-शोध-संस्था	नई दिल्ली
१३.	केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य-शोध-संस्था	नागपुर
१४.	प्रादेशिक शोध-प्रयोगशाला	हैदराबाद
१५.	प्रादेशिक शोध-प्रयोगशाला	जम्मू-तावी (जम्मू तथा कश्मीर)
१६.	बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय	कलकत्ता
१७.	भारतीय जीवरसायन तथा परीक्षणात्मक औषधि-संस्था	कलकत्ता
१८.	राष्ट्रीय धातुकर्म-प्रयोगशाला	जमशेदपुर
१९.	राष्ट्रीय भौतिक-प्रयोगशाला	नई दिल्ली
२०.	राष्ट्रीय रसायन-प्रयोगशाला	पूना
२१.	राष्ट्रीय वनस्पति-विज्ञान-उद्यान	लखनऊ

शोध-कार्य को प्रोत्साहन—अनुदानों की सहायता से अन्य शोध-प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों को आधारभूत तथा व्यावहारिक शोध-कार्य करने और अपने-अपने विशेष ज्ञान-अनुदानों की सहायता से अन्य शोध-प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों को आधारभूत तथा व्यावहारिक शोध-कार्य करने और अपने-अपने विशेष ज्ञान का विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस समय देश के ३८ से अधिक शोध-केन्द्रों में ३१० से अधिक कार्यक्रमों का काम जारी है।

हाल के कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मार्गदर्शक संयन्त्रों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के कार्य पर अधिक जोर दिया जा रहा है। १९५८ के प्रथम ६ महीनों में ऐसे १६ मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किये गये।

विज्ञान-मन्दिर—सामुदायिक विकास-योजना-कार्य-क्षेत्रों में विज्ञान-मन्दिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

परमाणु-शोध तथा आणविक शक्ति

'आणविक शक्ति-आयोग' आणविक शक्ति-विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीति तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग का वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक कार्य 'आणविक खनिज-विभाग' तथा 'आणविक शक्ति-प्रतिष्ठान' करते हैं। तत्सम्बन्धी औद्योगिक कार्य 'भारतीय दुर्लभ मृतिका (प्राइवेट) लिमिटेड' तथा 'तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्थाएँ करती हैं।

'आणविक खनिज-विभाग' भूगर्भ-सर्वेक्षण, खनन तथा खनिज प्रौद्योगिकी का कार्य करता है।

ट्रॉम्बे-स्थित 'आणविक शक्ति-प्रतिष्ठान' में आणविक शक्ति-सम्बन्धी शोधकार्य तथा विकास-कार्य किये जाते हैं। प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त एक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया जा चुका है।

यह प्रतिष्ठान जीव-रसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-विभागों के अतिरिक्त भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा इंजीनियरिंग-सम्बन्धी तीन मुख्य शाखाओं में बँटा हुआ है। प्रत्येक शाखा के विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान द्वारा दी जानेवाली अन्य सुविधाओं में भारत की सर्वप्रथम आणविक भट्ठी 'अप्सरा'; एक रेडियो-रसायन-प्रयोगशाला [रेडियो-सक्रिय तत्त्वों के सम्बन्ध में रसायनज्ञों (केमिस्टों) के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त]; एक विकास तथा उत्पादन एकक; एक स्वास्थ्य-सर्वेक्षण सेवा (जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि रेडियो-सक्रिय सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करनेवाले कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक औषधि नहीं दी जाती) और यूरेनियम तैयार करनेवाला एक संयन्त्र सम्मिलित है। 'जरलीना' नामक एक दूसरी आणविक भट्ठी का भी निर्माण किया जा रहा है, जो नई आणविक भट्ठियों के अध्ययन तथा आकल्पन की दृष्टि से उपयोगी रहेगी। इसके अतिरिक्त कनाडा-भारत आणविक भट्ठी का भी निर्माण किया जा रहा है। 'जरलीना' में १९५९ में कार्य आरम्भ हो गया और कनाडा-भारत आणविक भट्ठी में १९६० के प्रारम्भ में।

आयोग की औद्योगिक गति-विधियों में केरल तथा मद्रास-सरकारों के साथ संयुक्त रूप से अक्तूबर, १६५६ में स्थापित 'तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड' सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाजाइट तैयार किये जाते हैं। इलेमेनाइट, विदेशी विनिमय के अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है और मोनाजाइट अलवाए-स्थित 'भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड' को भेज दिया जाता है। अलवाए की यह संस्था भी संयुक्त रूप से आयोग तथा केरल-सरकार के अधीन है। अलवाए में मोनाजाइट-रेत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। आयोग की ओर से घाटशिला-स्थित एक मार्गदर्शक संयन्त्र (बिहार) में ताँबे की कतरनों से यूरेनियम निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किये जा रहे उर्वरक संयन्त्र में एक उपोत्पाद के रूप में 'हैवी वाटर' का उत्पादन किया जायगा।

आयोग की गति-विधियाँ भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप परमाणु-शक्ति के विकास की दिशा में होती हैं।

परमाणु-विज्ञान के विकास की दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा शोध-संस्थानों को सहायता-अनुदान देता है। इस सम्बन्ध में भौतिकविज्ञान में शोधकार्य को प्रोत्साहन देने के लिए १६४५ में स्थापित 'टाटा मूलभूत शोध संस्था' का उल्लेख किया जा सकता है। यह संस्था ब्रह्माण्ड-रश्मि-सम्बन्धी कार्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। परमाणु तथा ब्रह्माण्ड-रश्मि-शोध के अन्य मुख्य केन्द्र हैं—अहमदाबाद की 'भौतिकविज्ञान प्रयोगशाला'; कलकत्ता की 'बोस-संस्था'; बंगलोर की 'भारतीय विज्ञान-संस्था' तथा कलकत्ता की 'साहा परमाणु भौतिक-विज्ञान-संस्था'।

अन्य शोध-विभागों का कार्य

'केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत्-मण्डल' के तत्त्वावधान में देश में ११ जलगति (हाइड्रोलिक) शोध-केन्द्र' हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित 'केन्द्रीय जल-विद्युत् तथा सिंचाई शोध-केन्द्र' इसका प्रमुख केन्द्र है।

संचार-साधन मन्त्रालय के 'असैनिक उड्डयन महानिदेशालय' के अधीन स्थापित 'शोध तथा विकास-निदेशालय' विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

देहरादून की 'वन-अनुसन्धान-संस्था' में भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित शोध-कार्य होता है।

नई दिल्ली के आकाशवाणी शोध-विभाग में रेडियो-तरंग-सम्बन्धी समस्याओं पर शोध-कार्य होता है।

रेल-कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए 'रेल-मण्डल' ने लखनऊ में एक शोध-केन्द्र तथा लोनावाला और चित्तरंजन में शोध-उपकेन्द्र स्थापित किये हैं।

सड़क-विकास-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन-मन्त्रालय के अधीन 'सड़क-संगठन' करता है।

अन्य संस्थान

देश में कई शोध-संस्थान निजी तौर पर वैज्ञानिक शोध-कार्य में लगे हुए हैं। इनमें से मुख्य हैं—'बीरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान-संस्था', लखनऊ; 'बोस-संस्था', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन-संघ', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान-संस्था', बंगलोर; 'भौतिकविज्ञान-शोध-प्रयोगशाला', अहमदाबाद तथा 'श्रीराम औद्योगिक शोध-संस्था', दिल्ली।

चिकित्सा-शोधकार्य

१६१२ सन् में 'भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद्' की स्थापना हुई थी। चिकित्सा-कॉलेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में कई विशेष अध्ययन- वाले संस्थान भी हैं। कलकत्ता की 'अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्था' में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा-सम्बन्धी तथा निरोधात्मक औषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है, जो भारत के लिए नई हैं। कलकत्ता की 'ऊष्ण कटिबन्धीय औषधि-संस्था' में ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में पाई जानेवाली बीमारियों के सम्बन्ध में शोध-कार्य किया जाता है।

गिण्डी (मद्रास)-स्थित 'किंग निरोधात्मक औषधि-संस्था' में बैक्टीरिया-सम्बन्धी रोगों के टीके तैयार किये जाते हैं।

दिल्ली की 'वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था' में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में शोध-कार्य होता है। चिंगलपट का 'लेडी विलिंग्डन कोढ़ उपचारालय' तथा सैदापेट का 'सिल्वर जुबली बाल उपचारालय' मद्रास-सरकार द्वारा हस्तगत कर लिये गये हैं और उनके स्थान पर 'केन्द्रीय कोढ़-संस्था' स्थापित कर दी गई है।

बम्बई की हॉफकिन संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किये जाते हैं।

बम्बई के 'भारतीय कैंसर-शोध-केन्द्र' में कैंसर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती है।

कसौली की 'केन्द्रीय शोध-संस्था' में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है।

कुन्नूर-स्थित पास्च्योर संस्था में इन्फ्लुएंजा, रेबीज आदि पर शोध-कार्य किया जाता है।

कृषि-शोध-कार्य

१६२६ में स्थापित 'भारतीय कृषि-शोध-परिषद्' कृषि तथा पशुपालन, दोनों से सम्बन्धित शोध-कार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली की 'भारतीय कृषि-शोध-संस्था' कृषि-सम्बन्धी शोध-कार्य करनेवाली सबसे पुरानी संस्था है।

आइजटनगर की 'भारतीय पशु-चिकित्सा-शोध-संस्था' में पशुओं की बीमारियों तथा उनके उपचार का काम होता है। करनाल की 'राष्ट्रीय दुग्धशाला-शोध-संस्था' का विकास

किया जा रहा है। 'केन्द्रीय चावल शोध-संस्था' तथा 'केन्द्रीय आलू-शोध-संस्था' में क्रमशः चावल तथा आलू-सम्बन्धी समस्याओं पर शोध-कार्य होता है।

सात जिन्स समितियाँ — कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तेलहन, सुपारी तथा लाख के सम्बन्ध में शोध-कार्य करती हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा शोध-संस्थान हैं।

मण्डपम—स्थित 'केन्द्रीय तटवर्त्ती मछली-शोध-केन्द्र' में समुद्र-तट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है।

कलकत्ता का 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली-शोध-केन्द्र' तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है।

सम्मान और पुरस्कार

भारत-रत्न

भारत-सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी हुई यह श्रेष्ठतम उपाधि है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किये गये असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक, पीपल के पत्तों के आकार का होता है, जो $२\frac{५}{१६}$ इंच लम्बा, $१\frac{७}{८}$ इंच चौड़ा और $\frac{१}{८}$ इंच मोटा रहता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके उपरी भाग में सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी-अक्षरों में 'भारत-रत्न' लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राज-चिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राज-चिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारत-रत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

अबतक यह निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है—

चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी
डॉ० राधाकृष्णन्
डॉ० सी० वी० रमण
,, भगवानदास
,, एम्० विश्वेश्वरैया
पं० जवाहरलाल नेहरू
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त
डॉ० डी० के० कर्वे
श्री के० आर० आई० दोराइसरामी

पद्म-विभूषण

यह सम्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवाले व्यक्तियों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है, जिसपर एक ज्यामितिक आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १३⁄₈ इंच होता है और मोटाई ⅛ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के ऊपर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राज-चिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होता है। ये भी ठोस काँसे के होते हैं। १९६० ई० में यह सम्मान श्री एम्० आर्० पिल्लई, प्रधान सचिव, परराष्ट्र-मंत्रालय को दिया गया।

पद्म-भूषण

यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी भी इसके पाने के अधिकारी हैं।

इसकी बनावट भी 'पद्म-विभूषण' के पदक-जैसी ही है। उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं। इसका घेरा, 'पद्म-भूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ भाग 'स्टैण्डर्ड सोने' का होता है।

१९६० ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई—श्री अय्यदेवर कालेश्वर राव, आन्ध्र; पण्डित बालकृष्ण शर्मा, नई दिल्ली; उस्ताद हाफिज अली खाँ, नई दिल्ली; श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश, संस्कृत-विद्वान्, कलकत्ता; काजी नजरुल, इस्लाम, कलकत्ता; डॉ० नीलकण्ठ दास, उड़ीसा; डॉ० रवीन्द्रनाथ चौधरी, कलकत्ता; पण्डितराज राजेश्वर दत्त शास्त्री, द्रविड-संस्कृत-विद्वान्, वाराणसी; श्री शिवपूजन सहाय, हिन्दी-विद्वान्, पटना; श्री विठल नागेश शिरोदकर, प्रजनन-रोग-विशेषज्ञ, बम्बई।

पद्म-श्री

यह सम्मान भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, किसी भी असामान्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इसका नाम उपरले भाग में उभरे हुए हिन्दी के अक्षरों में लिखा होता है। 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'श्री' शब्द नीचे लिखे रहते हैं। इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्म-श्री' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ काम स्टेनलेस इस्पात का होता है।

१९६० ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई—मिस आरती साहा, कलकत्ता; डॉ० आर्त्तवल्लभ महन्ती, अवसर-प्राप्त प्राध्यापक, उत्कल-विश्व-विद्यालय; श्री अय्यगिरि साम्बशिव राव, बम्बई; श्री बी० एस्० केशवन, कलकत्ता; दहियाभाई जीवनजी नायक, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बम्बई; श्री हरिकृष्णन लाल सेठी, सामान्य प्रबन्धक, गंगा-सेतु-योजना; कप्तान हरमन्दर सिंह, राजनीतिक पदाधिकारी, उत्तर-पूर्व सीमान्त, आसाम; मिस्टर जसु पटेल, अहमदाबाद; मिस्टर के० आर० आइ० दोराइस्वामी, निर्देशक, दि प्रीमियर रेडियोलोजिकल इन्स्टिच्यूट एण्ड कैंसर हॉस्पिटल, मिलापुर, मद्रास; श्रीमती कुलसुम सयानी, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यकर्त्री, सौराष्ट्र; श्रीनुथाकी भानु प्रसाद, आणविक शक्ति-संस्थान

ट्राम्बे; श्री आर्० एम्० अल्पाइवाला, सभापति राष्ट्रीय अन्ध-समिति; मेसर्स सोफिया वाडिया, सामाजिक कार्यकर्त्ता, बम्बई; डॉ० बी० सुब्रह्मण्यम्, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य, कला, विज्ञान-अनुसन्धान-संस्थान, मैसूर; श्री विजय हजारे, बड़ौदा; श्रीमती वीरवती, स्त्री-मूर्त्तिकार, दिल्ली।

वीरता के लिए पुरस्कार

वीरता के लिए भारत-सरकार की ओर से सम्मानार्थ प्रतिवर्ष परम वीर-चक्र, महावीर-चक्र और वीर-चक्र दिये गये हैं। फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीन श्रेणियों के अशोक-चक्र हैं। उपयुक्त पात्रों के नहीं मिलने पर ये पदक नहीं भी दिये जाते हैं।

परम वीर-चक्र—वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीर-चक्र' पदक है, जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है।

महावीर-चक्र—'महावीर-चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा अकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है।

वीर-चक्र—'वीर-चक्र' का स्थल, जल अथवा अकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य के लिए दिये जानेवाले पदकों में तीसरा है।

अशोक-चक्र, श्रेणी १—यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है।

अशोक-चक्र-श्रेणी २—यह गोलाकार रजत पदक असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसी 'अशोक-चक्र, श्रेणी १' की।

अशोक-चक्र, श्रेणी ३—यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है। काँसे के बने होने के अतिरिक्त यह पदक 'अशोक-चक्र—श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है।

राष्ट्रीय प्राध्यापक

१९४९ ई० में भारत-सरकार ने राष्ट्रीय प्राध्यापकों के कुछ पद-निर्माण किये। उन प्राध्यापकों को प्रतिमास २,५०० रुपये वेतन के रूप में इस उद्देश्य से दिये जाते हैं कि वे अनुसंधान-संबंधी कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और समय लगा सकें। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में जाकर अनुसंधान-कार्य कर सकते हैं। १९४९ से १९५९ तक निम्नांकित व्यक्तियों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है —

१९४९—डॉ० सी० वी० रमण
१९५८—श्री एस्० एन्० बोस, एफ्० आर० एस्०
१९५८—डॉ० के० एस्० कृष्णन्
१९५९—डॉ० राधाविनोद पाल (राष्ट्रीय प्राध्यापक, न्याय व्यवस्था)
डॉ० पी० वी० काणे (राष्ट्रीय प्राध्यापक, भारतीय शास्त्र)

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १६५८ से प्रतिवर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान आजकल दिये जाते हैं। १६५८ और १६५६ में ये प्रमाण-पत्र तथा अनुदान निम्नांकित विद्वानों को दिये गये —

१६५८

संस्कृत—श्री विधुशेखर भट्टाचार्य, श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्री पाण्डुरंग वामन काणे और श्री श्रीपाद कृष्णमूर्त्ति शास्त्री।

अरबी—मुहम्मद जुबेर सिद्दीकी

१६५६

संस्कृत—डॉ० गोपीनाथ कविराज, पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पंडितराज फुरैलत पाम अतम्बापू शर्मा, श्री उत्तमुर तिरुमलाई मल्लन, चक्रवर्त्ती वीर राघवाचार्य।

फारसी—डॉ० हादी हसन

साहित्य-अकादमी का सम्मान, १६५६

बंगाली—कालिकतार काछी द्वारा–श्री गजेन्द्रकुमार मित्र।

हिन्दी—संस्कृति के चार अध्याय द्वारा–श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'।

कन्नड—यासगना वायालता ट्रीटीज ऑन कन्नड फोक ड्रामा द्वारा–श्री के० एस० करन्थ।

मराठी—भारतीय साहित्य-शास्त्र द्वारा–श्री जी० टी० देशपाण्डे।

पंजाबी—वादा वेला (कविता) द्वारा–श्री मोहन सिंह।

उर्दू—उर्दू और स्टेज द्वारा–श्री सैयद मसूद हसन रिजवी।

सिन्धी—कनवार ए बायोग्राफी द्वारा—श्री तीरथ वसन्त।

ललित कला अकादमी-सम्मान, १६५६

आधुनिक कला—श्रीराघव आर० कमेरिया, ए० एस० जगन्नाथम् और मोहम्मद यासीन।

शैक्षणिक यथार्थवादी कला—रतनवाद के श्री सुशीलकुमार दास और श्री दीपक बनर्जी।

प्राच्य कला—श्री पी० खेमराज, श्री भगवान कपूर और श्री विहारी वरभइया।

वर्ष का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शक—श्री मोहम्मद यासीन।

संगीत-नाट्य-अकादमी-सम्मान, १६५८-५६

हिन्दुस्तानी संगीत

कण्ठ-गीत—श्री कृष्णराव शंकर पंडित

वाद्य-गीत—उस्ताद जहाँगीर खाँ

कर्नाटक-संगीत

कण्ठ-गीत—श्री जी० एन्० ब्रह्मण्यम्

वाद्य-गीत—श्री राजमाणिकम् पिल्लई

नृत्य

भरत-नाट्यम्—श्रीमती गौरी अम्मा

कत्थक—श्री सुन्दर प्रसाद

नाटक

कलाकार—श्री पी० सम्बन्ध मुदालियर

निर्देशक—श्री शंभु मित्र

छाया-चित्र

कलाकार—श्री अशोक कुमार

निर्देशक—श्री सत्यजित राय

कृषि-पंडित

कृषि-संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को भारत-सरकार की भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद् (इण्डियन कौंसिल ऑफ् एग्रिकल्चरल रिसर्च) की ओर से प्रतिवर्ष कृषि-पंडित की उपाधि दी जाती है।

गोपाल-रत्न

अखिलभारतीय दुग्ध-प्रतियोगिता में विजयी होनेवाली गाय या भैंस के पोषकों को भारत-सरकार की ओर से २,००० रुपये के नकद पुरस्कार के साथ गोपाल-रत्न की उपाधि दी जाती है। यह पुरस्कार सन् १९५६ से दिया जाने लगा है।

भारतीय पुरातत्त्व

भारत में पुरातत्त्व-अध्ययन का आरम्भ— सर्वप्रथम प्राच्य पुरावृत्त, साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन और अध्ययन की बात कलकत्ता-सर्वोच्च न्यायालय के अवर-न्यायाधीश श्री विलियम जोन्स के मन में उठी थी। उसके भारत पहुँचने के चार मास के अन्दर जनवरी, १७८४ में उन्हीं की देख-रेख में एशिया-भर के इतिहास, पुरावृत्त, साहित्य, कला और विज्ञान के अनुशीलन के लिए कलकत्ता में 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल' नामक संस्था की स्थापना हुई। किन्तु १८३३ ई० तक इस विषय में कोई क्रमिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया।

सन् १८३३ ई० में कलकत्ता-टकसाल के परीक्षणाध्यक्ष और 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल' के मंत्री श्री जोन्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के पढ़ने की कुंजी ढूँढ़ निकाली। तदनंतर लेफ्टिनेण्ट कनिंघम ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। १८४८ ई० में उन्होंने

पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए एक योजना प्रस्तुत की, किन्तु तत्काल उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तेरह वर्ष बाद, १८६१ ई० में, वे भारत के प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए। किन्तु १८६६ ई० में वह पद उठा दिया गया। इसके बाद १८७० ई० में भारतीय पुरातत्त्व के सर्वेक्षण के लिए प्रधान निर्देशक (डाइरेक्टर-जेनरल) के पद का निर्माण किया गया और जे० कनिंघम ही उसके प्रथम प्रधान निर्देशक नियुक्त हुए। किन्तु इनके अधिकार में प्राचीन स्मारकों की देख-रेख का काम नहीं था, बल्कि यह काम प्रान्तीय सरकारों के लोक-निर्माण-विभाग के हाथ में था। सन् १८७८ ई० में प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की देखभाल के लिए एक संग्रहालयाध्यक्ष (क्यूरेटर) का पद बनाया गया। उसका काम प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए प्राचीन स्मारकों की वर्गीकृत सूची बनाना तथा सरकार को यह परामर्श देना कि कौन प्राचीन स्मारक सुधार के योग्य है और कौन पूर्णतया नष्ट हो गया है। कुछ दिनों के पश्चात् यह पद भी समाप्त कर दिया गया और पुनः यह कार्य प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में चला गया। सन् १८७८ ई० में पुरातत्त्व के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट पास किया गया।

सन् १८८५ ई० में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रधान निर्देशक के हाथों में दे दिया गया और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत को इन पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया—(१) मद्रास, (२) बंबई, (३) राजपुताना (सिंध और पंजाब-सहित), (४) मध्यभारत—(मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रान्त, अर्थात्-उत्तरप्रदेश-सहित) और (५) बंगाल (आसाम-सहित)। किन्तु १८८६ ई० में पुनः इसका कार्य ठप पड़ गया; क्योंकि सर्वेक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण पद समाप्त कर दिये गये और यह स्थिति बीसवीं सदी के आरंभ तक रही।

सन् १६०४ ई० में 'प्राचीन स्मारक सुरक्षा-विधि (एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट) बनी, जिससे पुरातत्त्व के कार्य में नवीन युग का पदार्पण हुआ। इस विधि द्वारा धार्मिक स्थानों को छोड़ सभी प्रकार के वैयक्तिक और दूसरे अरक्षित स्मारकों के सुधार, अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई का निषेध और प्राचीन ध्वंसावशेष-वाले स्थानों में यातायात का नियंत्रण किया गया।

सन् १६१६ ई० में यह विभाग केन्द्रीय सरकार के अधिकार में आ गया और तब से अभी तक उसी रूप में है। अबतक के पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह समझा जाता था कि सभ्यता के इतिहास का प्रारंभ आर्य-सभ्यता से ही होता है तथा मौर्य-काल से पूर्व किसी प्रकार बुद्ध-काल तक ही पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। किन्तु, जब हड़प्पा और मोहें-जोदड़ो की खुदाई की गई, तब भारतीय इतिहास की प्रकाश-किरणें ईसा से पाँच हजार वर्ष पूर्व तक जा पहुँचीं।

अगस्त, १६४७ ई० में स्वाधीनता-प्राप्ति और भारत-विभाजन के पश्चात् सिंधु-घाटी के काँठे और गान्धार-क्षेत्र के भारत से निकल जाने तथा देशी रियासतों के भारतीय संघ में मिल जाने पर देशी रजवाड़ों की एक लाख साठ हजार वर्गमील भूमि इस विभाग के अधिकार में आ जाने के कारण इस विभाग का पुनस्संगठन करना पड़ा।

विभाजन के पश्चात् इस विभाग का नाम 'भारत का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण' से बदलकर 'पुरातत्त्व-विभाग' कर दिया गया, जो अबतक प्रचलित है।

प्रशासन—'पुरातत्त्व-विभाग' के केन्द्र राज्यों के अनुसार नहीं हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण देश को नौ केन्द्रों या मण्डलों में विभक्त कर दिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र की पुरातात्त्विक सामग्री की देखरेख और व्यवस्था करते हैं। इन मंडलों में एक अवर निर्देशक और उनके सहायक रहते हैं। ये मंडल निम्नलिखित हैं—(१) उत्तरीय मंडल, आगरा; (२) मध्य-पूर्वीय मंडल, पटना; (३) पूर्वीय मंडल, कलकत्ता; (४) दक्षिण पूर्वीय मंडल, विशाखापत्तनम्; (५) दक्षिणीय मंडल, मद्रास; (६) दक्षिण-पश्चिमीय मंडल, औरंगाबाद; (७) पश्चिमीय मंडल, बड़ौदा; (८) मध्य मंडल, भोपाल और (९) उत्तर-पश्चिमीय मंडल, दिल्ली। इसकी एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति है, जिसके, भारतीय संसद्, भारत के विभिन्न राज्यों एवं विद्वत्परिषदों (वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक) के प्रतिनिधि और केन्द्रीय पुरातत्त्व-विभाग के अधिकारी सदस्य होते हैं।

पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान अधिकारी प्रधान निर्देशक होते हैं। यह विभाग देश के राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, यह ऐतिहासिक शोधों एवं पुरातत्त्विक उत्खनन का कार्य भी करता है। यह विभाग ऐतिहासिक शोध एवं उत्खनन के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देता है।

देश के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्मारक में प्रवेश के लिए सरकार ने प्रतिव्यक्ति २० नये पैसे प्रवेश-शुल्क निर्धारित कर दिया है। यह शुल्क १५ वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगता। देश के कुछ प्रमुख स्मारक ये हैं—हैदराबाद की चार मीनार (आंध्र-प्रदेश); बिहार के कुम्हरार (पटना) का मौर्य-राजप्रासाद का स्थल और नालन्दा का बौद्ध विहार; महाराष्ट्र की अजन्ता की गुफाएँ; एलिफेंटा की गुफाएँ और कार्ला की गुफाएँ दिल्ली के लालकिला और कुतुब मीनार; मध्य-प्रदेश के खजुराहो के मन्दिर, बाग की बौद्ध गुफाएँ और साँची के बौद्धस्तूप; मद्रास-राज्य का गिंजी किला (राजगिरि तथा कृष्णागिरि पहाड़ियों के स्मारक-समेत); बीजापुर का गोल-गुंबज; सेरिंगपत्तम् का दरिया दौलतबाग; उत्तर-प्रदेश का आगरा का किला; सिंकदरा का अकबर का मकबरा और लखनऊ की रेजीडेंसी बिल्डिंग।

पुरातत्त्वविषयक शोध—इस विभाग के कार्य मुख्यतः दो प्रकार के हैं—एक तो संरक्षण, दूसरा शोध एवं अन्वेषण। इसकी चार शाखाएँ हैं—उत्खनन-शाखा, पुरालेख-शाखा, संग्रहालय-शाखा और रसायन-शाखा।

(१) उत्खनन-शाखा—इस शाखा का कार्य सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। इसके कार्यों के फलस्वरूप बहुत-से पुरातात्त्विक स्थानों, मंदिरों, पुरालेखों, मूर्त्तियों, ध्वंसावशेषों और कंकालों का पता लग सका है।

(२) पुरालेख-शाखा—इस शाखा का कार्य भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त पुरालेखों का शोध और संग्रह करना है। भारत में प्राचीन पुरालेख हजारों की संख्या में पाये गये हैं। यहाँ के पुरालेख मुख्यतः ताम्रपत्रों और शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रालेख भी प्रचुर परिमाण में मिले हैं।

(३) **संग्रहालय-शाखा**—पुरातत्त्व-विभाग में संग्रहालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समग्र देश में पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्यों की प्रगति एवं विस्तार के फलस्वरूप अनेक स्थानों में उत्खनन-कार्य हुए, जिससे देश में बहुत-से संग्रहालय स्थापित हुए हैं।

(४) **रसायन-शाखा**—पुरातत्त्व-विभाग में इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम १९१७ ई० में हुई। इस शाखा का मुख्य कार्य है—रासायनिक प्रयोग द्वारा संग्रहालय की एवं अन्य पुरातात्त्विक वस्तुओं की सुरक्षा करना। यह विभाग प्राप्त वस्तुओं का रासायनिक परीक्षण एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

पुरातत्त्व-विद्यालय—दिल्ली में १५ अक्टूबर, १९५८ ई०, को एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुरातत्त्व-सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान देकर उन्हें पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य के लिए निपुण बनाना है।

प्रकाशन—पुरातत्त्व-विभाग ने अपने विभागीय शोधों और उत्खननों के विवरणों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया है। 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इंडिया' नाम से प्रकाशित इस विभाग के शोध-विवरण इतिहास-प्रेमियों और ऐतिहासिक अनुशीलन करनेवालों के लिए विशेष उपादेय सिद्ध हुए हैं। इस विभाग ने 'एन्शियेण्ट इंडिया' नाम से अपने १२ बुलेटिन और गाइड भी प्रकाशित किये हैं। इसके प्रकाशन में 'एपिग्राफिया इंडिया कॉर्पस इंस्क्रिशनम् इंडिकारम्' आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग—भारत सरकार ने एक विधेयक द्वारा १९१९ ई० में इस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में वे विद्वान् और संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जो ऐतिहासिक अनुशीलन, ऐतिहासिक हस्त-लेखों और अभिलेखों के अध्ययन में संलग्न हैं। इस आयोग के अध्यक्ष-पदेन शिक्षामंत्री और सचिव 'नेशनल आर्चिव्स' के निर्देशक हुआ करते हैं।

पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

१७८४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल की स्थापना हुई।

१८६२ ई० में 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इंडिया' नामक राजकीय संस्था कायम हुई।

१८७२ ई० में 'इण्डियन एण्टिक्वेटी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

१८७७ ई० में 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' नामक ग्रन्थ का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ, जिसमें अशोक और उसके पोते के शिलालेखों की अविकल प्रतिलिपि और उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ।

१८७८ ई० में प्राचीन वस्तुओं को नाश करनेवालों के प्रतिरोध के लिए 'ट्रेजर ओव ऐक्ट' स्वीकृत हुआ।

१९०४ ई० में प्राचीन अवशेषों के संरक्षण के लिए 'एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९४५ ई० में 'सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ् आर्कियोलॉजी' का निर्माण हुआ।

१९४८ ई० में 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इंडिया' का नाम डिपार्टमेण्ट ऑफ आर्कियोलॉजी' रखा गया।

१९४९ ई० में नई दिल्ली में 'नेशनल म्यूजियम' और 'आर्कियोलॉजिकल स्कूल' का उद्घाटन हुआ।

१९५८ ई० में 'ऐन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स ऐंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐण्ड रिमेन्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

संग्रहालय

संग्रहालय या म्यूजियम पुरातत्त्व-विभाग की ही एक शाखा है। इसमें शोध और उत्खनन से प्राप्त एवं दूसरे पुरातत्त्वविषयक अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्त्ति, मृत्खंड आदि वस्तुएँ संगृहीत और संरक्षित की जाती हैं। सबसे पहला म्यूजियम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ् बंगाल ने १८१४ ई० में स्थापित किया था, जो कालान्तर में 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात् प्रायः भारत के प्रत्येक प्रदेश में म्यूजियम स्थापित हुए। १८७८ ई० में सर्वप्रथम 'क्यूरेटर ऑफ् एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स' के एक केन्द्रीय पद का निर्माण किया गया।

सन् १९४५ ई० से पुरातत्व-विभाग के जिम्मे भारत-भर के संग्रहालयों की देखरेख का कार्य आ गया। इस समय भारत में लगभग १०० म्यूजियम हैं, जिनमें ईसा पूर्व पाँच हजार वर्ष से ब्रिटिश शासन-काल तक की पुरातत्त्व एवं इतिहास से संबद्ध बहुत-सी सामग्री ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता होने पर भी अबतक भारत-सरकार उन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकी है। बहुत-सी सामग्री देश-विभाजन होने पर पाकिस्तान के म्यूजियमों में पड़ी रह गई हैं।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख म्यूजियम निम्नलिखित हैं—

पश्चिम बंगाल

१. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।
२. आशुतोष म्यूजियम, कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
३. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता।
४. गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल म्यूजियम, कलकत्ता।
५. बंगीय साहित्य-परिषद्-म्यूजियम, कलकत्ता।
६. कमर्शियल म्यूजियम, कलकत्ता।
७. शिवपुर बोटानिकल गार्डेन हर्बेरियन, शिवपुर, हावड़ा।
८. नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम, दार्जिलिंग।
९. बी० आर० सेन म्यूजियम, मालदह।

बिहार

१०. पटना म्यूजियम, पटना ।
११. राधाकृष्ण जालान-म्यूजियम, पटना-सिटी ।
१२. नालन्दा म्यूजियम, नालन्दा (पटना) ।
१३. वैशाली म्यूजियम, वैशाली (मुजफ्फरपुर) ।
१४. बोधगया म्यूजियम, बोधगया ।
१५. चन्द्रधारी-संग्रहालय, दरभंगा ।

उत्तर-प्रदेश

१६. सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ (बनारस) ।
१७. भारत-कला-भवन, काशी ।
१८. म्यूनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग ।
१९. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ ।
२०. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मथुरा ।
२१. ताज म्यूजियम, आगरा ।
२२. फैजाबाद म्यूजियम, फैजाबाद ।
२३. गुरुकुल काँगड़ी म्यूजियम, काँगड़ी, हरद्वार ।

दिल्ली

२४. नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली ।
२५. सेन्ट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम, नई दिल्ली ।
२६. फोर्ट म्यूजियम, दिल्ली ।
२७. वार मेमोरियल म्यूजियम, नई दिल्ली ।

पंजाब

२८. पटियाला म्यूजियम, पटियाला ।

हिमाचल-प्रदेश

२९. भूरीसिंह म्यूजियम, चंबा ।
३०. स्टेट म्यूजियम, चंडीगढ़ (पंजाब) ।

राजस्थान

३१. सिटी पैलेस म्यूजियम, जयपुर ।
३२. सेण्ट्रल म्यूजियम, जयपुर ।
३३. स्टेट म्यूजियम, उदयपुर ।
३४. विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, उदयपुर ।
३५. सरदार म्यूजियम, जोधपुर ।
३६. राजस्थान म्यूजियम, अजमेर ।
३७. गंगा गोल्डेन जुबिली म्यूजियम, बीकानेर ।

३८. अलवर म्यूजियम, अलवर ।
३६. अंबर म्यूजियम, आमेर, जयपुर ।
४०. भरतपुर म्यूजियम, भरतपुर ।
४१. झालावार म्यूजियम, झालरापत्तन ।
४२. कोटा म्यूजियम, कोटा ।

मध्य-प्रदेश

४३. भोपाल म्यूजियम, भोपाल ।
४४. रायसेन म्यूजियम, भोपाल ।
४५. अमरावती म्यूजियम, अमरावती ।
४६. सनोही म्यूजियम, भोपाल ।
४७. धार म्यूजियम, धार ।
४८. ग्वालियर म्यूजियम, ग्वालियर ।
४६. इन्दौर म्यूजियम, इन्दौर ।
५०. वेंकट वैद्य साधन म्यूजियम, रीवाँ ।
५१. जनपद-सभा म्यूजियम, रायपुर ।
५२. महन्त घासीदास म्यूजियम, रायपुर ।
५३. जारदिने म्यूजियम, खजुराहो ।
५४. म्यूजियम ऑफ् आर्कियोलॉजी, साँची ।

गुजरात

५५. जूनागढ़ म्यूजियम, जूनागढ़ ।
५६. भुज म्यूजियम, कच्छ ।
५७. जामनगर म्यूजियम, जामनगर ।
५८. सर प्रतापसिंह म्यूजियम, भावनगर ।
५६. बड़ौदा म्यूजियम, बड़ौदा ।
६०. लोयल म्यूजियम, लोयल ।

महाराष्ट्र

६१. प्रिंस ऑफ् वेल्स म्यूजियम, बम्बई ।
६२. अमरेली म्यूजियम, बम्बई ।
६३. सेंटजेवियर कालेज म्यूजियम, बम्बई ।
६४. भारतीय विद्याभवन म्यूजियम, बम्बई ।
६५. विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, बम्बई ।
६६. कोल्हापुर म्यूजियम, कोल्हापुर ।
६७. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सतारा ।
६८. भारत इतिहास-संशोधक-मंडल, पूना ।
६६. सेंट्रल म्यूजियम, नागपुर ।

मैसूर

७०. स्टेट म्यूजियम, मैसूर।
७१. गवर्नमेंट म्यूजियम, बंगलोर।

केरल

७२. म्यूजियम ऑफ् एंटिक्विटीज, पद्मनाभपुरम्।
७३. इंडोनेशियन गैलरी एण्ड म्यूजियम ऑफ् ईस्टर्न आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, त्रिवेन्द्रम्।
७४. स्टेट म्यूजियम, त्रिचूर, कोचीन।
७५. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, त्रिचूर।
७६. गवर्नमेंट म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम्।
७७. श्रीचित्रालयम्, त्रिवेन्द्रम्।

मद्रास

७८. गवर्नमेंट म्यूजियम, मद्रास।
७९. फोर्टसेंट जार्ज म्यूजियम, मद्रास।
८०. एस्० एम्० म्यूजियम, तिरुपति।
८१. पदुकोट्टाइ म्यूजियम, पदुकोट्टाई।

आन्ध्र

८२. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद।
८३. मस्किस साइट म्यूजियम, हैदराबाद।
८४. कोंडपुर साइट म्यूजियम, हैदराबाद।
८५. हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद।
८६. विक्टोरिया जुबिली म्यूजियम, वेजवाड़ा।
८७. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बीजापुर।

उड़ीसा

८८. स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर।
८९. बारीपद म्यूजियम, बारीपद।

आसाम

९०. गौहाटी म्यूजियम, गौहाटी, आसाम।

❁

जन-स्वास्थ्य

१६४१-१६५० में भारत के पुरुषों तथा महिलाओं का जीवनकाल अनुमतः क्रमशः ३२.४५ वर्ष तथा ३१.६६ वर्ष का रहा। १६४७ से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने में आया, जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है—

	१६४७	१६५६	१६५७
प्रति १,००० व्यक्ति सामान्य मृत्यु-दर	१६.७	११.४	१२.१
बाल-मृत्यु-दर	१४६	१०८	—
प्रति १,००० व्यक्ति मृत्यु (निम्न कारण से)			
(१) ज्वर	१०.८	४.८	४.८
(२) चेचक	०.१	०.०६	०.१६
(३) प्लेग	०.३	—	—
(४) हैजा	०.४	०.०६	०.२६
(५) पेचिस तथा अतिसार	०.८	०.६	०.५
(६) श्वास-सम्बन्धी बीमारियाँ	१.५	०.६	१.१

स्वास्थ्य-कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर हैं, किन्तु मलेरिया-नियन्त्रण फाइलेरिया-नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोक-थाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्र पर आता है।

रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण

मलेरिया—१६५३ में आरम्भ किया गया 'राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम १ अप्रैल, १६५८ से 'राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम' में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम अमेरिका के 'प्राविधिक सहयोग-मण्डल' तथा 'विश्व-स्वास्थ्य-संगठन' के साथ-साथ राज्य-सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत की 'मलेरिया संस्था, शोधकार्य तथा कर्मचारियों को मलेरिया-नियन्त्रण का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। छह प्रादेशिक समन्वयन-संगठन स्थापित किये जा रहे हैं।

३१ मार्च, १६५८ तक १६.३५ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की गई और १६० मलेरिया एकक स्थापित किये गये।

फाइलेरिया—१६५४-५५ में आरम्भ किये गये 'राष्ट्रीय फाइलेरिया-नियन्त्रण-कार्य-क्रम' के अन्तर्गत इस रोग के रोगियों को औषधियाँ बाँटी जाती हैं और शहरों तथा गाँवों में मच्छर-विरोधी कार्यवाही की जाती है। राज्यों के ४६ नियन्त्रण-शाखाओं में कार्य हो रहा है। एरणाकुलम् में इसका एक 'व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण-केन्द्र' स्थापित किया गया है।

क्षय रोग—देश में क्षय-रोग से प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं, जिनमें से लगभग ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं।

१९४८ में आरम्भ हुए बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन का उद्देश्य २० वर्ष से कम की आयु के १७ करोड़ क्षय-रोगग्रस्त व्यक्तियों की रक्षा करना है। इस काम में १६२ क्षय-रोग-निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक डाक्टर तथा छह विशेषज्ञ हैं। अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक ११.६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें से लगभग ४.०७ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाये गये।

नई दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् में छह केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। दिल्ली की 'वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था'-जैसी अन्य कई संस्थाओं में तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

१९५७ में देश में क्षय-रोग की चिकित्सा-सम्बन्धी ७१ स्वास्थ्यलाभ-गृहों; ७६ अस्पतालों; २३५ उपचारालयों; २०९ वार्डों तथा १८,१४७ रोगी-शय्याओं की व्यवस्था थी।

१९५६ में क्षय-रोग की चिकित्सा-संस्थाओं में काम करनेवाले स्वास्थ्य-कर्मचारियों में १,३०१ चिकित्सक; ८६२ उपचारिकाएँ; १५५ स्वास्थ्य-निरीक्षक; १५ सामाजिक कार्यकर्त्ता; १४२ एक्स-रे प्राविधिज्ञ; ९८ प्रयोगशाला-प्राविधिज्ञ तथा २,९६६ सामान्य कर्मचारी थे।

क्षय-रोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके निवास के लिए देश में १५ देखभाल-बस्तियाँ हैं। द्वितीय योजना-काल में ऐसी ९ बस्तियाँ और बसाने का विचार किया गया है।

कुष्ठ रोग—१९५३ में देश में लगभग १५ लाख व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया था। आसाम तथा आन्ध्र-प्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास तथा मध्य-प्रदेश में और उत्तर-प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप रहता है।

प्रथम योजना-काल में आरम्भ हुई 'कुष्ठ रोग नियन्त्रण-योजना' के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्य-प्रदेश में ४ उपचार तथा अध्ययन-केन्द्र और १० राज्यों तथा २ संघीय क्षेत्रों में ६३ सहायक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इस योजना को कार्यान्वित किये जाने के कार्य की समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए फरवरी, १९५८ में एक परामर्श-समिति नियुक्त की गई।

चिंगलपट-स्थित 'केन्द्रीय कुष्ठ-अध्यापन तथा शोध-संस्था' के दो अस्पतालों में कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में 'हिन्द-कुष्ठ-निवारण-संघ' तथा 'गांधी-स्मारक-न्यास' भी महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

यौन रोग—यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा मद्रास-राज्यों के ५ से ८ प्रतिशत निवासी 'सिफलिस' रोग से तथा आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्य-प्रदेश के कुछ जिलों के लोग भी 'याज़' रोग से पीड़ित रहते हैं। इन क्षेत्रों में इनके नियन्त्रण का काम चालू है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में चिकित्सा-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों के मुख्यालयों में ८ यौन रोग-उपचारालयों तथा जिलों में ७५ यौन रोग-चिकित्सालयों

की स्थापना की भी एक योजना सम्मिलित है। १९५७ के अन्त तक ६,०७,१५३ रोगियों की जाँच की गई तथा ८,१४४ रोगियों का उपचार किया गया।

इन्फ्ल्युएंजा—कुन्नूर की पास्तुर संस्था में १९५० में एक इन्फ्ल्युएंजा-केन्द्र खोला गया था। इन्फ्ल्युएंजा के टीके तैयार करने के लिए यहाँ एक कारखाना भी खोला गया है।

कैंसर—बम्बई-स्थित 'भारतीय कैंसर शोध-केन्द्र' तथा कलकत्ता-स्थित 'चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर शोध केन्द्र' में जाँच-पड़ताल का कार्य जारी है। बम्बई के 'टाटा-स्मारक अस्पताल' में चिकित्सा की सुविधाएँ प्राप्त हैं।

पोषण तथा खाद्य में मिलावट का निवारण

भारत में इस सम्बन्ध में १९३५ से होते आ रहे सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारतीय लोगों का भोजन, मात्रा तथा पदार्थों की दृष्टि से अभावपूर्ण रहता है। प्रति वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन २,४०० से ३,००० कैलोरियों की आवश्यकता होती है, किन्तु एक औसत भारतीय के भोजन में केवल १,७५० कैलोरियाँ ही होती हैं। भारतीय लोगों के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन-जैसे आवश्यक खाद्य-तत्त्वों का भी अभाव रहता है।

पोषण-सम्बन्धी शोध—राज्यों में प्रादेशिक भोजन तथा पोषण-सम्बन्धी सर्वेक्षण किये जाते हैं। 'भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद्' इस सम्बन्ध में शोध-कार्य करती है। पोषण-परामर्श-समिति पोषण-सम्बन्धी नीतियों के विषय में सुझाव देती रहती है।

चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता तथा सेवा

चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता तथा सेवा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर ही है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। १९५६ में देश में अस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या ९,६३५ थी। १९५७ के अन्त में देश में लगभग ७६,७१६ पंजीकृत चिकित्सक; ८७,७६८ वैद्य, हकीम तथा अन्य प्रकार के चिकित्सक; ३६,७६१ कम्पाउण्डर; २६,७४० उपचारिकाएँ; ३१,४१२ दाइयाँ; ४,०७१ टीका लगानेवाले तथा ३,६७६ दन्त-चिकित्सक थे।

स्वास्थ्य-बीमा—स्वास्थ्य-बीमा-योजना की सुविधाएँ, जिनके द्वारा 'कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम, १९४८' के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को चिकित्सा-लाभ मिलता है, आजकल देश के १३ लाख मजदूरों को प्राप्त हैं।

कोयला-खान तथा अभ्रक-खान मजदूरों को 'कोयला-खान-श्रम-कल्याण-निधि' तथा 'अभ्रक-खान-श्रम-कल्याण-निधि' द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र—१९५४ से आरब्ध एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजना-काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्डों में ६८ प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र

स्थापित किये गये थे। सामुदायिक योजना-कार्य-क्षेत्रों में स्थापित किये जानेवाले लगभग १,००० केन्द्रों के अलावा द्वितीय योजना-काल में ऐसे लगभग २,००० केन्द्र और स्थापित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा-प्रणाली-शोध-संस्था—जामनगर-स्थित यह संस्था २४ अगस्त, १९५३ से कार्य कर रही है। इस संस्था में ५० रोगी-शय्याओं के एक अस्पताल के अलावा एक फार्मेसी, एक संग्रहालय तथा एक रोगविज्ञान-शोध-प्रयोगशाला भी है। इस संस्था में पाण्डु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर शोध-कार्य हो रहा है। १९५६-५७ में इसमें एक 'सिद्ध' विभाग भी स्थापित किया गया।

शिक्षा में एकरूपता—देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों के अध्यापन के लिए ५० से अधिक कॉलेज तथा स्कूल हैं, किन्तु उनके पाठ्यक्रम आदि भिन्न-भिन्न हैं। 'केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद्' ने १९५४ में एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने तथा प्रवेश आदि का कम-से-कम स्टैंडर्ड निर्धारित करने की सिफारिश की। जुलाई, १९५६ में जामनगर में आयुर्वेद का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया गया।

देशी चिकित्सा-प्रणालियों के नियमन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्यीय मण्डल स्थापित किये गये हैं।

होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली—१९५५ में भारत-सरकार ने होमियोपैथी के लिए पाँच वर्ष का एक पाठ्यक्रम स्वीकार किया। द्वितीय योजना में वर्त्तमान ५ शिक्षण-संस्थाओं के स्तर में वृद्धि करने का विचार किया गया है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा-प्रणाली के नियमन के लिए मण्डल बना दिये गये हैं।

औषधि-नियन्त्रण तथा निर्माण

औषधि-नियन्त्रण—'औषधि-अधिनियम' तथा 'औषधि-नियम' जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू है। केन्द्रीय सरकार को, आयात की जानेवाली औषधियों की किस्मों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। देश में तैयार की जानेवाली औषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है। प्राविधिक विषयों पर परामर्श देने के लिए एक 'औषधि प्राविधिक परामर्श-मण्डल' की स्थापना कर दी गई है। सर्वप्रथम 'भारतीय भेषजसंहिता-सारणी' १९५५ में प्रकाशित की गई। कलकत्ता-स्थित 'केन्द्रीय औषधि-प्रयोगशाला' में औषधियों के नमूनों की जाँच-पड़ताल का कार्य किया जाता है।

औषधि तथा जादू द्वारा उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम—१ अप्रैल, १९५५ से लागू हुए इस अधिनियम के अनुसार उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, जिनमें गुप्त रोगों, वासनोत्तेजक औषधियों तथा नारी-रोगों के अद्भुत उपचार का प्रचार किया जाता है। ऐसे विज्ञापनों पर चुंगी तथा डाक-अधिकारियों की सहायता से नियन्त्रण रखा जाता है। परिवार-नियोजन की आवश्यकता को देखते हुए गर्भ निरोधक औषधियों के सम्बन्ध में विज्ञापनों के लिए अनुमति दे दी गई है। अधिनियम

लागू होने के समय से अबतक इसका उल्लंघन करनेवाले ६७ व्यक्तियों को दण्ड दिया जा चुका है।

औषधि-निर्माण—१६४८ में स्थापित मद्रास के गिण्डी नामक स्थान की 'बी० सी० जी० टीका-प्रयोगशाला' की ओर से १६५८ में नवम्बर के अन्त तक भारत में औषधि-विक्रेताओं को ३६,०२,२४० घन-सेण्टीमीटर यद्मि (ट्यूबरकुलीन, अर्थात् क्षयरोग के कीटाणुओं से बनाई हुई क्षयरोग की औषधि) तथा बी० सी० जी० के १७,४२,०५१ घन सेण्टीमीटर टीके दिये गये और अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, मालाय, सिंगापुर तथा श्रीलंका को १६,०४,३००० घन-सेण्टीमीटर यद्मि तथा बी० सी० जी० के ७,०१,८७० घन-सेण्टीमीटर टीके भेजे गये।

१६०६ में स्थापित कसौली की 'केन्द्रीय शोध-संस्था' में टी० ए० बी०, हैजा, कुत्ते के काटने से उत्पन्न होनेवाले रोगों की और कई विष-विरोधी औषधियाँ, देश की सम्पूर्ण आवश्यकता के अनुरूप तैयार की जाती हैं।

पिम्परी-स्थित 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (रोगाणुनाशक) लिमिटेड' तथा दिल्ली-स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हुआ है।

भारत में सिनकोना की खेती के सम्बन्ध में कई उपाय किये गये हैं। 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद्' तथा 'भारतीय चिकित्सा- शोध-परिषद्' कुनीन के मलेरिया-विरोधी कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों में उपयोग में लाये जाने की सम्भावना की जाँच-पड़ताल का कार्य कर रही हैं।

बम्बई की हॉफकिन संस्था में गन्धक से बननेवाली औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जिनकी गणना संसार की सर्वोत्तम औषधियों में होती है। 'इम्पीरियल रसायन-उद्योग (भारत) लिमिटेड' तथा 'टाटा-उद्योग' बैन्सीन हैक्साक्लोराइड तैयार करते हैं।

करनाल, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ४ भेषजीय डिपो हैं, जो सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत किस्म की औषधियाँ देते हैं।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा का उत्तरदायित्व सामान्यतः राज्यों पर है। भारत-सरकार का उत्तरदायित्व उच्चतर अध्ययनों और शोध तथा विशेष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाओं को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित है।

देश में इस समय ५० चिकित्सा-कॉलेज और ६ दन्त-चिकित्सा-कॉलेज तथा आधुनिक ढंग की चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण देनेवाली अन्य संस्थाएँ हैं। द्वितीय योजना-काल में कानपुर, करनूल, कोजीकोड, जबलपुर, जामनगर, नई दिल्ली, पाण्डिचेरी, बीकानेर, भोपाल, राँची तथा हुबली में नये चिकित्सा-कॉलेजों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई।

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्था—सन् १६५६ में एक 'अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्था' स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य चिकित्सा-सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा

देने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। चिकित्सा-कॉलेज के अलावा, इस संस्था में एक दन्त-चिकित्सा-कॉलेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण-केन्द्र तथा ६५० रोगी-शय्याओंवाला एक अस्पताल है।

विशेष प्रशिक्षण—उपचारिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नई दिल्ली तथा वेल्लोर के उपचारण-कॉलेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मद्रास की आन्ध्र-महिला-सभा-जैसे कई गैरसरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,७०० स्वास्थ्य-निरीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने का विचार है।

सहायक चिकित्सकों का प्रशिक्षण—१९५४ में स्वीकृत सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की एक योजना के अनुसार एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था किये जाने का कार्यक्रम रखा गया है।

परिवार-नियोजन

परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य—(१) देश की शीघ्र बढ़ती हुई जन-संख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना, (२) परिवार-नियोजन के उपयुक्त उपाय खोजना तथा उनका व्यापक रूप से प्रचार करना तथा (३) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं द्वारा सलाह दिये जाने की व्यवस्था करना है।

द्वितीय योजना-काल में २,००० उपचारालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरी क्षेत्रों में खोले जायेंगे। १९५६-५९ में १५० शहरी तथा ६०० ग्रामीण उपचारालय स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २०१ शहरी ४६७ ग्रामीण उपचारालय स्थापित किये जा चुके हैं।

परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार परिवार-नियोजन-मण्डल' स्थापित किया गया है। ऐसे परिवार-नियोजन-मण्डल जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भी स्थापित किये जा चुके हैं। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम से अवगत कराया जा रहा है।

शोध—बम्बई में एक 'जनांकिक प्रशिक्षण तथा शोध-केन्द्र' स्थापित किया जा चुका है। बम्बई के 'भारतीय कैंसर-शोध-केन्द्र', कलकत्ता की 'अखिलभारतीय आरोग्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्था', लखनऊ-विश्वविद्यालय और लखनऊ की 'केन्द्रीय औषधि-शोध-संस्था, कलकत्ता की 'जीवाणु-विज्ञान-संस्था' और कलकत्ता की 'स्नातकोत्तर-चिकित्सा-शिक्षा तथा शोध-संस्था' में गर्भ-निरोधक औषधियों की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

❀

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

संविधान के अनुसार सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देश-भर में मादक पेयों तथा द्रव-पदार्थों के उपभोग के निषेध के लिए सतत रूप से प्रयत्न करे। दिसम्बर, १९५४ में नियुक्त 'मद्यनिषेध-जाँच-समिति' के अनुसार लोक-सभा में एक प्रस्ताव द्वारा ३१ मार्च, १९५६ को समिति की ओर से सिफारिश की गई कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास-योजनाओं का ही एक अनिवार्य अंग बनाया जाय।

१९५७-५८ के अन्त में देश के ३२.३ प्रतिशत भाग में मद्य-निषेध जारी था, जिसका प्रभाव देश की ४२.३ प्रतिशत जन-संख्या पर पड़ रहा था। निम्नांकित तालिका में मद्यनिषेध के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रफल और जन-संख्या राज्यों के क्रम से दिखाये गये हैं—

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	मद्यनिषेधवाला क्षेत्र (वर्गमील)	मद्यनिषेध से प्रभावित जन-संख्या
आसाम	३,८४४	१४,६०,०००
आन्ध्र-प्रदेश	५६,६९३	२,०४,१०,०००
उड़ीसा	२५,३५०	८१,००,०००
उत्तर-प्रदेश	१९,३५०	१,३५,३०,०००
केरल	८,६०७	९९,८०,०००
पंजाब	२,४७१	११,२०,०००
गुजरात और महाराष्ट्र (बम्बई)	१,६६,६६४	४,५२,५०,०००
मद्रास	५०,१२८	२,९९,७०,०००
मध्य-प्रदेश	३०,१२७	५३,४०,०००
मैसूर	४६,२१०	१,५६,६०,०००
राजस्थान	३४	१०,०००
हिमाचल-प्रदेश	१,६४८	२,००,०००
योग	४,१७,४७२	१५,१०,६०,०००

प्रगति—जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्यों में मद्यनिषेध का क्रमबद्ध कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया गया है और अधिकांश राज्यों में मद्यनिषेध-मण्डल स्थापित किये गये हैं।

आन्ध्र-प्रदेश में मद्यनिषेध के प्रशासन का कार्य पुलिस-विभाग को सौंप दिया गया है। तेलंगाना-क्षेत्र में ताड़ी तथा शराब की दुकानें बस्तीवाले क्षेत्रों से हटा दी जायेंगी। आसाम के कामरूप जिले में मद्यनिषेध की घोषणा की गई है। बम्बई-राज्य में औरंगाबाद (पूर्व खानदेश जिले को छोड़कर) तथा नागपुर के क्षेत्र में मद्यनिषेध १ अप्रैल, १९५९ से

लागू हो गया। केरल में पुराने तिरुवांकुर-कोचीन राज्य के ६ ताल्लुकों तथा सम्पूर्ण मलाबार जिले में मद्यनिषेध लागू किया गया है।

सम्पूर्ण मद्रास-राज्य में उड़ीसा के कटक, कोरापुट, गंजम, पुरी तथा बालासोर जिलों में और पंजाब के रोहतक जिले में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। उत्तर-प्रदेश के ११ जिलों तथा तीन तीर्थ-केन्द्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ी की सभी दुकानें बन्द कर दी गई हैं तथा शराब की दुकानें सप्ताह में पाँच दिन बन्द रखी जाती हैं। दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तथा त्रिपुरा में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू हो रहा है।

मादक पेयों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं तथा मद्यनिषेध-सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध-आन्दोलन में और अधिक प्रगति लाई गई है।

१ अप्रैल, १९५९ से अफीम के चिकित्सा-भिन्न-उपयोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। भारत में १९४९ से चरस का सम्पूर्ण निषेध है। १ अप्रैल, १९५६ से उत्तर-प्रदेश में गाँजे की बिक्री का निषेध किया जा चुका है। मद्रास में इसके पूर्व १९४९-५० में ही गाँजे के गोदाम बन्द कर दिये गये थे। कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के उपभोग को कम करने के लिए उनके मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिये गये हैं।

दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

स्त्रियों का अनैतिक व्यापार—वेश्यावृत्ति कराने के लिए १८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का क्रय-विक्रय करनेवालों के लिए 'भारतीय दण्ड-विधान' में १० वर्ष तक कारावास तथा जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य से २१ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है।

'महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार-दमन-अधिनियम, १९५६' की सभी व्यवस्थाएँ १ मई, १९५८ को सम्पूर्ण देश के लिए लागू कर दी गईं।

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषण के कार्यक्रम के अधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा पूछताछ-केन्द्रों का संरक्षण-गृहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त पतिता स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें अच्छी नागरिका बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ ये हैं—मद्रास-राज्य का 'स्त्री-सदन,' बम्बई का 'श्रद्धानन्द अनाथ-महिलाश्रम,' मद्रास का 'गुड शैफर्ड होम', 'पूना का 'क्रिस्पिन होम,' पश्चिम बंगाल का 'फैरडल होम' तथा 'अखिल बंग-महिला-अनाथालय' और गोरखपुर का 'खुशालबाग मिशन-अनाथालय'।

बाल-अपराध—आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर-राज्यों और दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू है। आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में 'किशोर बन्दी (बोस्टर्ल) स्कूल अधिनियम' भी लागू है। १८९७ का 'सुधार-विद्यालय-अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है।

बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः राज्य-सरकारों के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण कार्य-क्रम लागू किया है, जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जा रही है।

भिखारी—'दण्ड-प्रक्रिया-संहिता' की दृष्टि में आवारा फिरनेवाले तथा भीख माँगनेवाले, दोनों ही एक समान हैं। दोनों की धारा ५५ (१) (ख) तथा धारा १०६ (ख) के अन्तर्गत दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। १५ फरवरी, १९४१ से एक कानून द्वारा रेलवे-स्टेशन के आस-पास भीख माँगने का निषेध किया जा चुका है। कुछ राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर रोक लगाने के कई विशेष अधिनियम पास किये हैं। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस-नियम लागू हैं।

राज्यों में ऐसी कई संस्थाएँ हैं, जो भिखारियों को पकड़कर उनकी देखभाल करती तथा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता देती हैं। उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर में से प्रत्येक राज्य में एक भिखारी-गृह है। नई दिल्ली में एक मार्गदर्शक 'आवारा-गृह-प्रशिक्षण-केन्द्र' है। 'केन्द्रीय देखभाल-कार्यक्रम' के अन्तर्गत भिखारी-गृहों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल

अगस्त, १९५३ में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल' की स्थापना की गई। मण्डल अपनी स्थापना के समय से अबतक ४,५०० संस्थानों को वार्षिक सहायता-अनुदान तथा ६४९ संस्थानों के लिए दीर्घकालीन अनुदानों की स्वीकृति दे चुका है।

कल्याण-विस्तार-योजना-कार्य—१५ अगस्त, १९५४ को कल्याण-विस्तार-योजना-कार्य के नाम से ग्राम-कल्याण के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ हुई। प्रत्येक योजना-कार्य के अन्तर्गत लगभग २०,००० की जन-संख्या के २५ गाँव आते हैं। अगस्त, १९५४ से दिसम्बर, १९५८ तक ऐसे ४४० कल्याण-विस्तार-योजनाकार्य तथा २,०२३ केन्द्र स्थापित किये गये। इनके अन्तर्गत ८९ लाख की जन-संख्या के ९,९६५ गाँव आये।

अप्रैल, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ तक समन्वित कल्याण-विस्तार-योजना-कार्यों के अन्तर्गत ७८ योजना-कार्य तथा २,०९२ केन्द्रों का कार्य आरम्भ किया गया। इनके अन्तर्गत ३७ लाख की जनसंख्या के ७,८०० गाँव आते हैं। इन योजना-कार्यों के कार्यक्रम में बालकों तथा महिलाओं का कल्याण-कार्य और विकलांगों तथा बाल-अपराधियों की सेवा सम्मिलित है। इनके अन्तर्गत बालवाड़ियों, मातृ-कल्याण गृहों, शिशु-स्वास्थ्य-सेवाओं, समाज-शिक्षा, दस्तकारी के केन्द्रों तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था है।

इन कल्याण-कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रत्येक योजना-कार्य-क्षेत्र में 'कार्य-संचालन-समिति' उत्तरदायी होती है। प्रत्येक योजना-कार्य में पाँच-पाँच गाँव के ४ अथवा ५ केन्द्र होते हैं। प्रत्येक केन्द्र एक ग्राम-सेविका के अधीन होता है, जो एक दाई तथा एक कारीगर की सहायता से कार्य करती है।

शहरी परिवार-कल्याण-योजनाएँ—नारी-कल्याण-कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक 'शहरी परिवार-कल्याण-योजना' आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है, जिससे चुने हुए शहरी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये जा सकें। ऐसे ५ एककों का कार्य, जिनसे ३,५०० परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, दिल्ली, पूना, विजयवाडा तथा हैदराबाद में आरम्भ हुआ है। द्वितीय योजना-काल के अन्त तक ऐसे २० एककों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है।

अन्य कार्य—प्रत्येक राज्य के लिए ५ कल्याण-गृहों के आधार पर देश में ८० कल्याण-गृह तथा प्रत्येक जिले में १ रक्षा-गृह के हिसाब से देश में ३३० बाल-रक्षा-गृह स्थापित करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है।

शेष द्वितीय योजना-काल में कार्यान्वित किये जाने के लिए समाज-कल्याण के कई नये कार्यक्रम भी तैयार किये गये हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों में १०० बड़े कल्याण-विस्तार योजना-कार्यों की स्थापना, २५ से ३० वर्ष तक की महिलाओं को शिक्षा की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की सुविधाएँ देने, प्रमुख औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन मजदूरों के लिए १०० रात्रिकालीन आश्रय-गृह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा 'ग्रामदान' वाले गाँवों में आवश्यक कल्याण-सेवाओं की व्यवस्था करने के कार्य सम्मिलित हैं।

सहायता तथा पुनर्वास

सन् १९५८ ई० के अन्त तक पाकिस्तान से भारत आये ८८.५७ लाख विस्थापित व्यक्तियों में से ४७.४० लाख व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से तथा शेष पूर्व पाकिस्तान से आये। पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य १९५९-६० के अन्त तक और पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय योजना-काल के अन्त तक पूरा हो जायगा। विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास के रूप में मार्च, १९५९ के अन्त तक सरकार ने क्षतिपूर्ति को छोड़कर जो सहायता दी है, वह निम्नलिखित है—

सहायता की किस्म	पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों पर (करोड़ रुपये में)	पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों पर (करोड़ रुपये में)
अनुदान	८५·१८	६६·१२
ऋण	२५·६३	३८·१०
आवास	६०·६८	३४·७०
संस्थापन	२·१६	०.५७
पुनर्वास वित्त-प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण (३१-१२-५८ तक)	७·६३	४·२७
विविध	०·०१	—
दण्डकारण्य-योजना	—	१·३०
योग	१८१·६२	१४८·०६

पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

३१ मार्च, १९५८ तक पूर्व पाकिस्तान से आये ४१·१७ लाख व्यक्तियों में से २·०७ लाख व्यक्ति १९५८ के अन्त तक उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा के शिविरों में आश्रय प्राप्त कर रहे थे।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के शिविरों से क्रमशः ४५,७३ ९३१ शरणार्थी तथा लगभग ४७,१०० विस्थापित परिवार पुनर्वासवाले स्थानों में बसाये गये। उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में अबतक २,९५९ परिवारों को बसाया जा चुका है। आसाम तथा त्रिपुरा में क्रमशः लगभग ७५,००० तथा ५३,००० परिवारों को पुनर्वास-सम्बन्धी सहायता दी गई है।

१४० अनधिवासी बस्तियों को नियमित करार देने के लिए चुन लिया गया है, जिनमें से ८,५४० परिवारों से बसी बस्तियाँ नियमित करार दी जा चुकी हैं।

जून, १९५८ तक ३६,००० व्यक्तियों ने विभिन्न कला तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और लगभग ६,००० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। सेवा-नियोजन-केन्द्रों (कामदिलाऊ दफ्तरों) की सहायता से अबतक लगभग २.१३ लाख विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में लगाया जा चुका है। मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार अथवा स्थापना के लिए २३ योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। जनवरी, १९५९ तक छोटे पैमाने के उद्योगों अथवा कुटीर-उद्योगों की १२६ योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

भारत के पूर्वी भाग में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए १,५६० प्राथमिक स्कूल, २२ माध्यमिक स्कूल तथा २१ कॉलेज स्थापित किये गये हैं।

दण्डकारण्य-योजना—दण्डकारण्य-योजना के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर ८०,००० वर्गमील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 'दण्डकारण्य विकास-प्राधिकारी संस्था' स्थापित की गई है। १९५९-६० में मकानों के निर्माण के लिए ४५,००० एकड़ भूमि साफ करने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिविरों में निवास करनेवाले लगभग ५,००० परिवारों को जुलाई, १९५९ तक बसा दिये जाने की योजना थी।

पुनर्वास-उद्योग-निगम—पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में लगाने के लिए केन्द्र से ५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करके एक 'पुनर्वास-उद्योग-निगम स्थापित करने की योजना है।

पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

पंजाब में ४·७७ लाख परिवारों को अर्द्ध स्थायी व्यवस्था के आधार पर निष्क्रमणार्थी भूमि दी गई और ३३,००० परिवारों को शिकमी काश्तकारों के रूप में बसाया गया। १९५८ के अन्त तक २,६०,०९१ व्यक्तियों को ८५·३२ करोड़ रुपये के मूल्य की १९,११,७१८ स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि पर 'स्थायी अधिकार' तथा ८२,४२४ मकानों के सम्बन्ध में व्यक्तियों को मौरूसी अधिकार दिये गये।

१९५८ के अन्त तक लगभग २.०२ लाख विस्थापितों को नौकरियों तथा व्यापार आदि में लगा दिया गया और लगभग ९०,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ९५ योजनाओं की स्वीकृति दी गई।

३१ जनवरी, १९५९ तक ३.६० लाख दावेदारों की क्षतिपूर्ति की गई। ५१,१५९ व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रमाणपत्र भी दिये गये हैं।

अन्य सहायता-कार्य

संकटकालीन सहायता संगठन—बाढ़, अकाल तथा भूकम्प आदि के समय सहायता पहुँचाने के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में देशव्यापी 'संकटकालीन सहायता-संगठन' स्थापित किये जा चुके हैं।

संगठन का कार्य केन्द्रीय, राज्यीय तथा जिला-स्तर पर होगा। 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-संगठन' के एक अंग के रूप में नागपुर में एक 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता-प्रशिक्षण संस्था' स्थापित की गई है।

प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता-कोष—नवम्बर, १९४७ में स्थापित 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता-कोष' से दैवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के सिलसिले में पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को भी समय-समय पर सहायता दी जाती रही है।

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग

संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की, विशेष रूप से अथवा नागरिकों के सामान्य अधिकारों के रूप में, रक्षा के लिए व्यवस्था निहित है।

'अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिमजातियाँ सूची (संशोधन) आदेश, १९५६' के अन्तर्गत संशोधित सूची के अनुसार देश में इस समय अनुसूचित जातियों के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है। अधिसूचित आदिमजातीय लोगों की संख्या लगभग ४० लाख और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची भारत के महा-पत्रपंजीकार के कार्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की जा रही है।

अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

अस्पृश्यता-(अपराध)-अधिनियम, १९५५—इस अधिनियम द्वारा, जो १ जून, १९५५ को लागू हुआ, अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना-स्थल में जाने से रोकना, तालाब, कुएँ अथवा सोते से पानी लेने से रोकना तथा मन्दिर में पूजा पाठ करने से रोकना दण्डनीय है। सामाजिक अयोग्यता लगाने के सम्बन्ध में भी दण्ड देने का विधान रखा गया है। कोई भी व्यवसाय अथवा धन्धा अपनाने तथा किसी भी नौकरी के मामले में अयोग्यता लगानेवाले व्यक्ति को भी इस अधिनियम के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह हरिजन है, सामान बेचने अथवा उसकी सेवा करने से इन्कार करनेवाले को भी दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन—१९५४ से भारत-सरकार अस्पृश्यता-उन्मूलन-आन्दोलन में आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। इस ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों में 'हरिजन-दिवस' तथा 'हरिजन-सप्ताह' मनाये जाते हैं। अधिकांश राज्यों में 'अस्पृश्यता (अपराध)-अधिनियम, १९५५' की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों में छोटी समितियाँ नियुक्त की गई हैं।

अस्पृश्यता-विरोधी कार्य में 'हरिजन-सेवक-संघ', 'भारतीय दलित जाति-संघ' तथा इलाहाबाद के 'हरिजन-आश्रम'-जैसे स्वैच्छिक संगठनों से भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त हुई है।

विधान-मण्डलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४ के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जन-संख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोक-सभा तथा राज्यीय विधान-सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से १० वर्षों की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

इस समय संसद् तथा राज्यीय विधान-मण्डलों के सदस्यों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिमजातीय सदस्य क्रमशः ७६ तथा ३१ और ४७० तथा २२१ हैं।

सेवाओं में प्रतिनिधित्व

२६ जनवरी, १९५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२½ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें से १६⅔ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायँ। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में ५-५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की दृष्टि से निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं–(१) आयु-सीमा में छूट, (२) अर्हताओं के मानदण्ड में रियायत, (३) कार्यकुशलता के न्यूनतम स्तर के आधार पर भर्ती, और (४) ऐसी पदोन्नति के सम्बन्ध में, जहाँ पदोन्नति परीक्षाएँ पास करने से भिन्न तरीके होती हो, कम-से-कम निचली श्रेणी में सम्मिलित किया जाना। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिमजाति का कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलता, तो वे स्थान क्रमशः अनुसूचित आदिमजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित माने जायेंगे। इन दोनों जातियों के व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,०५,००० व्यक्ति भारत-सरकार के पदों पर नियुक्त हैं। सेवा-नियोजन कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार १९५७ में ऐसे ३२,७६० व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

आसाम के स्वायत्तशासी आदिमजातीय क्षेत्र–आसाम में संविधान की एक प्रादेशिक परिषद् तथा संयुक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, उत्तर कछार पहाड़ियाँ तथा मिकिर पहाड़ियाँ जिलों में पाँच जिला-परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। प्रत्येक जिला-परिषद् में अधिक-से-अधिक २४ सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन-चौथाई सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

अन्य राज्यों में आदिमजाति परामर्श-परिषदें — संविधान की पाँचवीं अनूसूची में उन राज्यों में आदिमजाति-परामर्श-परिषदों की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है,

जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उन राज्यों में भी ऐसी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं हैं, परन्तु अनुसूचित आदिमजातियाँ निवास करती हैं। अबतक कई राज्यों में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण-विषयक मामलों में राज्यपालों को सलाह देती हैं।

कल्याण तथा परामर्श-संस्थाएँ

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति-सम्बन्धी आयुक्त — संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार संविधान में की गई सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस समय अन्य १० सहायक आयुक्त प्रधान आयुक्त की सहायता करते हैं।

केन्द्रीय परामर्श-मण्डल — आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसद् के सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय परामर्श-मण्डल स्थापित किये हैं—(१) आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा (२ हरिजनों के कल्याण के लिए। ये मण्डल इन वर्गों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों पर भारत-सरकार को सलाह देते हैं।

राज्यों के कल्याण-विभाग—संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में इस बात पर जोर दिया गया है कि उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश में एक-एक-मन्त्री के अधीन कल्याण-विभाग स्थापित किये जायँ। इन राज्यों के अलावा आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मणिपुर, मद्रास, मैसूर, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण-विभाग स्थापित किये गये हैं।

कल्याण-योजनाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३३६ (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

शिक्षा-सम्बन्धी-सुविधाएँ—भारत-सरकार ने १६४४-४५ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। १६४८-४६ में अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को तथा १६४६-५० में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी यह लाभ दिया जाने लगा।

भारत-सरकार ने १६५३-५४ में इन वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। आसाम तथा बिहार-राज्य-सरकारें पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा शिक्षा-संस्थाओं से इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखने, आवश्यक उत्तीर्णांकों की मात्रा में कमी करने तथा अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि करने के सुझाव दिये, जिनको देश की विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं ने कार्य-रूप दिया।

आर्थिक सहायता — २.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते रहते हैं। यह समस्या आसाम, आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रथम योजना-काल में इस प्रकार की खेती पर नियन्त्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई। इस सम्बन्ध में १६ केन्द्रों का आसाम में तथा ४ बस्ती-योजनाओं का आन्ध्रप्रदेश में काम आरम्भ किया गया और उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश तथा त्रिपुरा में क्रमशः २,४९६ ; ४६० ; ३६६ तथा ५,३३९ परिवार नियमित रूप से कृषि करने लगे हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषि-योग्य बनाने और ऐसी भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों में बाँटने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इनके लिए पशुपालन तथा मुर्गीपालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों में कानून बने हुए हैं।

अन्य कल्याण-कार्य—अन्य कल्याण-कार्यों में मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाम-मात्र के मूल्य पर दी जानेवाली भूमि-सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को दिये जानेवाले सहायता-अनुदान तथा आर्थिक सहायता आदि सम्मिलित हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जा रही है।

आदिमजातीय शोध-संस्थाएँ—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिमजातीय शोध-संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें आदिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का गहन अध्ययन-कार्य होता है। गोहाटी-विश्वविद्यालय में आसाम की आदिमजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन-कार्य आरम्भ किया गया है। बम्बई की नृतत्त्वशास्त्र-समिति, गुजरात-शोध-समिति तथा बम्बई विश्व-विद्यालय में आदिमजातियों के सम्बन्ध में शोध-कार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शोध-संस्था ने राज्य के आदिमजातीय जीवन के कई पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन

प्रकाशित किये हैं। भारत-सरकार के नृतत्त्वशास्त्र-विभाग में आसाम तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख आदिमजातियों के सम्बन्ध में गहन शोध-कार्य हुआ है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के शोध-विभाग में इस प्रदेश के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति-सम्बन्धी अध्ययन-कार्य होता है। उड़ीसा की आदिमजातीय शोध-संस्था में भी कई महत्त्वपूर्ण आदिमजातीय समस्याओं की जाँच पड़ताल का कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में ३ जिलों की आदिमजातीय समस्याओं के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार की संस्था द्वारा भी सन्ताल-परगना की एक आदिमजाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया गया है। उदयपुर का भारतीय लोक-कला-मण्डल एक अग्रणी गैरसरकारी संगठन है, जिसने भूतपूर्व मध्यभारत राज्य तथा राजस्थान की आदिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य—द्वितीय योजना में ३ लाख आदिमजातीय विद्यार्थियों के लिए आदिमजाति-क्षेत्रों में ३,१८७ स्कूल तथा छात्रावास और २०० सामुदायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के ३० लाख विद्यार्थियों के लिए भी ६,००० स्कूल तथा छात्रावास स्थापित करने और छात्रवृत्तियाँ देने का विचार है। भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों के लिए भी १.१६ लाख छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है।

योजना में १२,००० आदिमजातीय परिवारों को १८६ बस्तियों में बसाने तथा १५,२४६ भूतपूर्व अपराधी आदिमजातीय परिवारों के पुनर्वास की योजनाएँ भी सम्मिलित हैं।

कृषि

संसार में भारत एक सबसे बड़ा कृषि-प्रधान देश है। भारत के लगभग ७० प्रतिशत निवासी अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर करते हैं। देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है। करीब १० करोड़ मजदूर इसी व्यवसाय में संलग्न हैं। देश से निर्यात की जानेवाली कुछ वस्तुओं के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। यहाँ के कुछ बड़े उद्योग जैसे—चीनी और कपड़े की मिलें भी अपने कच्चे मालों के लिए खेतों पर ही निर्भर करती हैं। लाख-उत्पादन में भारत को एकाधिकार-सा है तथा मूँगफली और चाय के उत्पादन के लिए भारत संसार का सबसे प्रमुख देश माना जाता है। चावल, पटसन, कच्ची खाण्ड, अरण्डी के बीज राई तथा तिल के उत्पादन के लिए संसार में भारत का स्थान दूसरा है। कृषि-उत्पादन में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान है। यह करीब ६० प्रतिशत भागों में उत्पन्न होता है। पैदावार के अर्द्धांश में चावल होता है, तथा आधे में गेहूँ, चना आदि अन्य अनाज। इतने पर भी जन-संख्या की दृष्टि से भारत में पूरा खाद्यान्न नहीं होता। इसलिए, पंचवर्षीय योजनाओं का यह प्रथम उद्देश्य है कि भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाय। इस कार्य के लिए जो जमीनें अबतक ऊसर थी या यों ही परती पड़ी थीं, उन्हें आबाद किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न व्यावसायिक अन्नों का भी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

भूमि-उपयोग—देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०,६३ करोड़ एकड़ है। भूमि-उपयोग के आँकड़े ७१.६७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं, जिसमें १९५६-५७ के आँकड़े के अनुसार उस वर्ष १२.५५ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल थे, ११.७८ करोड़ एकड़ भूमि कृषि के योग्य नहीं थी, ६.७० करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष तथा कुंज आदि थे, ५.८७ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी तथा कुल ३२.०७ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी।

भारत की उपजाऊ मिट्टी—मिट्टी के प्रमुख चार भेद हैं—(१) बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई मिट्टी, (२) काली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी तथा (४) लौहयुक्त पथरीली मिट्टी। इन मिट्टियों में प्रथम बाढ़ के पानी द्वारा लाई हुई मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ है। लौहयुक्त पथरीली मिट्टी मध्यभारत में पाई जाती है, इसका कुछ अंश आसाम तथा पूर्वीय और पश्चिमी घाटों में भी पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी डेक्कन के पश्चिमीय प्लेटों में तथा लाल मिट्टी पूर्वीय भागों में पाई जाती है।

सिंचित क्षेत्र—समस्त कृषि-क्षेत्रफल के लगभग १८ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। १९५५-५६ में समाप्त होनेवाले ७ वर्षों में नहरों, तालाबों, कुओं तथा अन्य स्रोतों से ५.६२ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई—जो १९४७,४८ की सिंचित भूमि से ९६ लाख एकड़ अधिक थी।

अनाज और मौसम—भारत में अन्न-उत्पादन के लिए जो विस्तृत पैमाने पर कृषि-आन्दोलन चल रहा है, उसका एक मात्र उद्देश्य है—खाद्याभाव क्षेत्र पर खाद्य का प्रभुत्व। भारत में अन्नोत्पादन के लिए दो प्रकार की फसलें हैं—खरीफ और रबी। खरीफ की फसलें कार्त्तिक से पूस तक तथा रबी की फसलें माघ से चैत्र तक कटती हैं।

खरीफ की फसलों में निम्नलिखित अनाज आते हैं—चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, रुई, ईख और मूँगफली आदि तथा रबी की फसलों में—गेहूँ, जौ, चाय, चना, सरसों तथा दलहन आदि प्रसिद्ध हैं।

किस मौसम में कौन अनाज बोये जाते हैं, यह नीचे लिखा है—

(१) अक्टूबर-नवम्बर	— गेहूँ		(४) जून-जुलाई	— जूट
(२) ,, ,,	— ईख		(५) जून-जुलाई	— काफी
(३) अगस्त-सितम्बर	— रुई		(६) दिसम्बर-जनवरी	— चाय

भारतीय अनाजों का वर्गीकरण—भारतीय अनाजों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है—

(१) खाद्यान्न या खैहन—जैसे, चावल, गेहूँ, जौ, मकई, दलहन, चना, ईख, खेसारी आदि। खाद्यान्न करीव ४ या ५ प्रतिशत हिस्सों में उपजाये जाते हैं।

(२) तेलहन—जैसे, तीसी, राई, सरसों, तिल, रेड़ी, मूँगफली और नारियल।

(३) सूत के पौधे—जैसे, रुई, जूट, सन, पटुआ आदि।

(४) पेय पदार्थ—जैसे, तम्बाकू, चाय, काफी आदि।

१९५७-५८ में खाद्यान्न २६ करोड़, ७३ लाख, ७२ हजार एकड़ भूमि में; गन्ना, ५०.२१ लाख एकड़ भूमि में, तम्बाकू ९.२६ लाख एकड़ भूमि में; कपास २ करोड़, १ लाख, ५८ हजार एकड़ भूमि में; पटसन १७.५४ लाख एकड़ भूमि में तथा तेलहन (मूँगफली, अरण्डी, सरसों, राई, अलसी तथा तिल) ३ करोड़, ४ लाख, १८ हजार एकड़ भूमि में बोया गया।

सरकारी खाद्य और कृषि-आयोजन—१९५७ ई० में खाद्य और कृषि-मन्त्रणालय संस्थापित हुआ। सम्प्रति खाद्य-मन्त्रणालय निम्नलिखित कार्य करता है—(क) असैनिक और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, (ख) बाहर से आये हुए अनाज का राज्यों में वितरण, (ग) अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यनीति में सरकार की सहायता करना तथा उसकी रक्षा करना एवं (घ) खाद्यान्नों के आयात एवं निर्यात को जारी रखना।

कृषि-मन्त्रालय निम्नलिखित कार्यों के लिए जवाबदेह है—(१) कृषि-उत्पादन (२) कृषि-अनुसन्धान, शिक्षा एवं प्रसार, (३) पशु-पालन, मत्स्य एवं वन के कार्य, (४) फल एवं वनस्पति-उद्योग, (५) कृषि, अर्थ, एवं सांख्यिकी, (६) कृषि-विकास, (७) अन्तर-राष्ट्रीय एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के कृषि आयोजन से सम्बद्धता, (८) खाद का उत्पादन एवं वितरण, (९) कृषि-बाजार, (१०) सहकारिता भूमि सुधार, (११) कृषि-लघु सिंचाई और (१२) भूमि-संरक्षण।

कृषि-अनुसन्धान एवं शिक्षा—अखिलभारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्, केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थान एवं उत्पादन-समितियों की शाखाओं में खाद्य एवं कृषि-मंत्रालय के द्वारा कृषि, पशुपालन तथा क्षेत्रीय कृषि-कार्य पर अनुसन्धान-कार्य किया जा रहा है।

(१) भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद्—कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस परिषद् की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना १६२६ ई० में देश में कृषि के उत्थान, रक्षा, अनुसन्धान, पशुपालन आदि कार्यों के लिए तथा उनमें अनुसन्धान को प्रमुखता देने के लिए हुई।

(२) केन्द्रीय अनुसन्धान-संस्थान—अनुसन्धान के मौलिक एवं संयुक्त योजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई है।

(३) उत्पादन-समितियाँ—इस संस्था के द्वारा भी विभिन्न अनुसन्धान-योजनाएँ विभिन्न विषयों पर कार्यान्वित हो रही हैं। इसके अन्दर बहुत-सी उपसमितियाँ भी संगठित हैं।

कृषि-शिक्षण—देश में भारत-सरकार तथा राज्य-सरकारों ने नये-नये कृषि एवं पशु-चिकित्सा सम्बन्धी महाविद्यालयों की स्थापना की है, जिससे कृषि-शिक्षण में अधिक-से-अधिक सफलता मिल सके। केन्द्रीय सरकार इसके लिए राज्य-सरकारों को पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

उत्पादन—१६५६-५७ में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ४.५ प्रतिशत अधिक था। किन्तु १६५७-५८ में विभिन्न राज्यों में प्रतिकूल जलवायु के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन १६५५-५६ की तुलना में ५.७ प्रतिशत तथा १६५६-५७ की तुलना में ६.८ प्रतिशत कम रहा। १६५७-५८ में ६ करोड़, २० लाख, २६ हजार टन खाद्यान्न; ६ करोड़, ४१ लाख, ४२ हजार टन गन्ना; २.५२ लाख टन तम्बाकू; ४७.५३ लाख गाँठ कपास; ४०.८८ लाख गाँठ पटसन तथा ५६.०७ लाख टन तेलहन पैदा हुआ।

कृषि-उत्पादन (सभी जिंसें) का सूचनाङ्क, जो १६५५-५६ में ११६.६ था, १६५६-५७ में बढ़कर १२३.८ हो गया, अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में ६ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। पर, १६५७-५८ में यह सूचनांक घटकर ११३.४ ही रह गया।

१६५७-५८ के कृषि-उत्पादन के सूचनाङ्कों में खाद्यान्नों के उत्पादन का सूचनांक १०७.३, तेलहनों के उत्पादन का सूचनांक ११२.३ और कपास तथा पटसन के उत्पादन का मिला-जुला सूचनांक १६७.२ रहा।

खाद्यान्नों का आयात—१६५८ में गेहूँ तथा अन्य अनाजों के आयात के लिए अमेरिका-सरकार के साथ तथा केवल गेहूँ के आयात के लिए कनाडा की सरकार के साथ करार हुए। बर्मा-सरकार ने एक दीर्घकालीन करार के अधीन चावल दिया। कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत एक जहाज गेहूँ अस्ट्रेलिया से आया। १६५८ में ३.६० लाख टन चावल, २६.७४ लाख टन गेहूँ (आटा-सहित) तथा १.०६ लाख टन अन्य खाद्यान्नों का आयात किया गया।

खाद्यान्नों का वितरण—खाद्यान्न-क्षेत्रों की स्थापना करने, खाद्यान्नों के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा आयात किया गया गेहूँ सरकारी भाण्डारों से सीधे आटा-मिलों को पहुँचाने आदि जैसे नियामक उपायों के अतिरिक्त, १६५८ में खाद्य-संकट दूर करने-के उद्देश्य से सरकारी दूकानों द्वारा बेचे जाने के लिए केन्द्रीय भाण्डारों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न निकाला गया, जब कि केवल ३२ लाख टन ही आयात किया गया था, सरकार ने बेचे जाने के लिए अपने भाण्डारों से ६३ लाख खाद्यान्न निकाला।

विकास-कार्यक्रम

विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाएँ आती हैं—कार्य-सम्बन्धी योजनाएँ तथा वितरण-सम्बन्धी योजनाएँ। पहली योजना में कुओं, तालाबों आदि के निर्माण तथा मरम्मत, भूमि के अन्दर से पानी निकालने के साधनों की व्यवस्था करने तथा भूमि-पुनरुद्धार के कार्य, और दूसरी योजना में उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के वितरण के कार्य आते हैं।

१६५८-५६ में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य-सरकारों को २६.१० करोड़ रुपये देने की सूचना दी गई है। उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य-सरकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए भी ११.८७ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। छोटी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के लिए ३.४० करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी।

छोटे सिंचाई-कार्य—'भारत-अमेरिकी प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम' के अधीन भारत-सरकार द्वारा प्रस्तावित नलकूपों के निर्माण-योजना-कार्यों के अन्तर्गत १६५८ में नवम्बर के अन्त तक २,६६८ नलकूप खोदे गये थे ; २,६७६ नलकूपों में पानी पम्प करने के सेट लगाये गये थे तथा २,६५२ नलकूप चालू किये गये थे। 'अधिक अन्न उपजाओ'-आन्दोलन की सहायता से उत्तर गुजरात में नलकूपों के निर्माण के योजना-कार्य के अधीन कुल ४०० नलकूप खोद लिये गये और उनमें से ३५८ चालू भी कर दिये गये।

उत्तर-प्रदेश में ३० नवम्बर, १६५८ तक ५८७ नलकूप खोदे गये, ४१६ नलकूपों में पपिंग सेट लगाये गये तथा ३२० नलकूप चालू कर दिये गये। बम्बई में ३१ नलकूप खोदे गये। आसाम में ६ नलकूप खोदे गये, २ नलकूपों में पम्पिग सेट लगाये गये तथा २ नलकूप चालू कर दिये गये।

आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, कच्छ, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मद्रास में भूमि के नीचे पानी खोजने के सम्बन्ध में खुदाई-कार्य पूरा किया गया।

भूमि-पुनरुद्धार—१६५८ में केन्द्रीय ट्रैक्टर-संगठन ने ४,००० एकड़ भूमि समतल करने तथा सीढ़ीनुमा बनाने के अतिरिक्त ३६,००० एकड़ काँसीवाली भूमि तथा ३,००० एकड़ जंगल साफ करके कृषि-योग्य बनाया। यह संगठन अबतक १६.६७ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है।

इसके पाँच एकक ३१ अक्तूबर, १९५८ को दण्डकारण्य-प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिये गये।

'प्राविधिक सहयोग-मण्डल' की सहायता से बुधनी (मध्य-प्रदेश) में स्थापित 'ट्रैक्टर प्रशिक्षण-केन्द्र' में अबतक २६१ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

बीज-बहुगुणन तथा उन्नत बीजों का वितरण—रबी-आन्दोलन के एक कार्यक्रम के रूप में उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश, विहार तथा राजस्थान को ७.८५ लाख मन गेहूँ के बीज देने की व्यवस्था की गई। अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आन्ध्र-प्रदेश तथा मद्रास से धान के बीज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई।

खाद तथा उर्वरक—१९५७-५८ में मलमूत्र से २२.२० लाख टन खाद तैयार की गई। १९५८-५९ में २६.४० लाख टन खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १९५७-५८ में १९.२५ लाख टन खाद बाँटी गई। बड़े-बड़े नगरों तथा कस्बों में १५.३० करोड़ गैलन खादोपयोगी पानी (प्रति दिन) का उपयोग करने के लिए 'मलमूत्र-युक्त पानी उपयोग-योजनाओं' का काम जारी रहा। खाद तैयार करने के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए चार योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। कई राज्य-सरकारों ने हरी खाद के बीज बाँटने तथा विशेष आन्दोलनों का संगठन करने की व्यवस्था करके हरी खाद के प्रचार के उपाय किये। विहार के ५० गाँवों में मल तथा कचरे की खाद तैयार करने की एक योजना का कार्य आरम्भ किया गया।

१९५८-५९ में अमोनियम सल्फेट के रूप में नत्रजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग बढ़कर ९ लाख टन हो जाने की सम्भावना थी। अमोनियम सल्फेट की उपलब्धि ६.०२ लाख टन ही होने की सम्भावना है।

राज्यों को 'केन्द्रीय उर्वरक-भाण्डार' से नत्रजनयुक्त उर्वरक तथा बाजार से अन्य उर्वरक खरीदने और किसानों को उधार बेचने की सुविधा देने के लिए अल्पकालीन ऋण देना यथासम्भव जारी रखा गया।

११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 'उर्वरक (नियन्त्रण)-आदेश, १९५७' लागू किया गया, जिसके द्वारा उर्वरकों की किस्म तथा मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाता है।

पौधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण—'पौधा-संरक्षण, रोग-प्रतिबन्ध तथा भाण्डार निदेशालय' अपने १४ पौधा-संरक्षण-केन्द्रों द्वारा राज्यों को फसलों में लगनेवाले कीड़ों तथा बीमारियों के नियन्त्रण के कार्य में प्राविधिक परामर्श, उपकरण तथा कर्मचारियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केन्द्रों ने चुने हुए ग्राम-पंचायती क्षेत्रों में पौधा-संरक्षण का भरपूर कार्य भी किया। १९००० एकड़ भूमि में विमानों द्वारा कीड़ा-नियन्त्रण-कार्यवाही की गई।

समुद्र तथा हवाई अड्डों में स्थित 'रोग-प्रतिबन्ध-केन्द्र' रोग-प्रतिबन्ध-सम्बन्धी निरीक्षण और विदेशों से आयात किये गये पौधों की रक्षा का कार्य करते रहे।

फसल-आन्दोलन—आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, बिहार, मध्य-प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में गेहूँ, जौ, चना तथा ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए एक 'भरपूर-रबी-उत्पादन-आन्दोलन' आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन की विशेषता यह थी कि इसमें गैर-सरकारी व्यक्तियों के सहयोग पर अधिक बल दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों ने उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की उचित समय पर उपलब्धि, बीजों की उनको लगनेवाली बीमारियों से रक्षा, सिचाईं की सुविधाओं की व्यवस्था, उन्नत कृषि-औजारों की उपलब्धि, कीटनाशकों तथा कृषि-ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया। इस आन्दोलन का अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य कृषि जानकारी-सम्बन्धी सामग्री तैयार करना तथा उसका प्रचार करना भी है।

कृषि हाट-व्यवस्था

कृषि हाट-व्यवस्था के विकास का उद्देश्य किसानों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिये जानेवाले मूल्य में से उचित भाग सुरक्षित करना तथा आयोजित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति बाजार में प्रचलित प्रणालियों के नियमन, कृषि-जन्य वस्तुओं के मानकीकरण तथा वर्गीकरण और इनसे सम्बन्धित अन्य विकास-कार्यों द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्गीकरण तथा मानकीकरण—कृषिजन्य वस्तुओं का वर्गीकरण 'कृषि-उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन)-अधिनियम, १९३७' के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ३८ जिन्सें आती हैं। ११७ प्रकार की जिन्सों के लिए वर्गीकरण के मानक निर्धारित किये जा चुके हैं। अधिनियम में वर्गीकरण आवश्यक नहीं रखा गया है। घी, वनस्पति-जन्य तेलों, मक्खन, चावल, गेहूँ, गुड़, आटा, अण्डे तथा फल आदि के लिए ३८० से अधिक 'वर्गीकरण-केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। सिगरेट, ऊन तथा चन्दन का तेल जैसी कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात के पूर्व वर्गीकरण आवश्यक रखा गया है। विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं की माँग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। १९५८-५९ (५ महीने) में १२·६५ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ।

नियन्त्रित बाजार—बाजारों के नियमन का उद्देश्य बाजारों में चल रही हानिकर प्रणालियों को समाप्त करना तथा बाजार-व्यय में कमी करना है। जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ हो। इन नियन्त्रित बाजारों का प्रबन्ध, बाजार-समितियाँ करती है, जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय निकायों तथा राज्य-सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अब तक ७ राज्यों में ५५० नियन्त्रित बाजारों की व्यवस्था की जा चुकी है।

फल-संरक्षण-उद्योग का विकास—'फलजन्य पदार्थ-आदेश, १९५५' के अधीन फल तथा वनस्पति संरक्षण उद्योग पर नियन्त्रण रखा जाता है, जिससे कारखानों में स्वास्थ्य-प्रद वातावरण तथा सफ़ाई, पदार्थों की उत्कृष्टता, उचित रूप से लेबिल लगाये जाने तथा फलजन्य पदार्थों की डिब्बाबन्दी के सम्बन्ध में न्यूनतम मानकों का पूर्णरूप से पालन किया जाय।

१९५७ में विभिन्न फलजन्य पदार्थों का उत्पादन २५,००० टन रहा और इसी अवधि में निर्यात १२,००० टन से बढ़कर १८,००० टन हो गया।

सहकारी हाट-व्यवस्था—रिजर्व बैंक की 'ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण-समिति' द्वारा सुझाये गये कार्यक्रम के आधार पर सहकारी विकास का एक सुगठित कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसके अन्तर्गत ऋण, हाट-व्यवस्था, गोदामों तथा भाण्डारों की व्यवस्था की जायगी। हाट व्यवस्था के क्षेत्र में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि किसानों द्वारा बाजारों में बेचे जानेवाले अतिरिक्त उत्पादन का १० प्रतिशत १९६०-६१ से 'सहकारी हाट व्यवस्था-संस्थानों' द्वारा ही बेचा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के सुगमतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए १९५६ में 'कृषिजन्य उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम-अधिनियम' लागू किया गया। सहकारी समितियों द्वारा कृषिजन्य उत्पादन के विक्रय तथा उसको जमा करके रखने के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार करने और उन कार्यक्रमों का विकास करने के लिए एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम-मण्डल' स्थापित किया गया। १९५८-५९ में १·५९ करोड़ रुपये के कुल व्यय से १,०६० गोदामों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय योजना में जिन ३५ नये सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, उनमें २३ कारखानों को लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। राज्य-सरकारों को इन कारखानों की हिस्सा-पूँजी में भाग लेने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से ३·०८ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। इन कारखानों की पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'औद्योगिक वित्त-निगम' ने भी १३·५४ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दे दी है। १९५७-५८ में ३७ 'सहकारी विधायन एकक' स्थापित किये गये।

'केन्द्रीय गोदाम-निगम' अबतक किराये के भवनों में ६ गोदामों की व्यवस्था कर चुका है। १२ राज्यों में 'राज्यीय गोदाम-निगम' स्थापित किये जा चुके हैं।

वन-उद्योग

भारतीय वनों का कुल क्षेत्रफल २·८१ लाख वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का लगभग २२·३ प्रतिशत है। यह प्रतिशत अन्य देशों के प्रतिशत से अपेक्षाकृत कम है। भारत के वन-क्षेत्र न केवल अनुपात की दृष्टि से ही कम है, बल्कि ये जहाँ-तहाँ बड़े बेढंगे ढंग से फैले हुए तथा इनकी उत्पादन-क्षमता भी अन्य देशों के वनों की औसत उपज से काफी कम है।

उत्पादन—१९५४-५५ में २१ करोड़, ६७ लाख, ८४ हजार रुपये के मूल्य की ५० करोड़, ८० लाख, १ हजार घन फुट लकड़ी का उत्पादन हुआ, जिसमें १० करोड़, ७० लाख, ५४ हजार घन फुट इमारती लकड़ी; २ करोड़ ४१ लाख ५० हजार घन फुट लट्ठे; १२.३८ लाख घन फुट लुगदी तथा दियासलाई-उपयोगी लकड़ी; ३० करोड़, ८३ लाख, ४६ हजार घन फुट ईंधनोपयोगी लकड़ी तथा ६ करोड़, ७२ लाख, १३ हजार घन फुट कोयला-उपयोगी लकड़ी थी।

कागज, दियासलाई तथा प्लाईवुड उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने के साथ-साथ वनों से गोंद, राल, औषधि-सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ आदि वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। १९५४-५५ में वनों से १ करोड़, २८ लाख, ७७ हजार रुपये के मूल्य का बाँस तथा बेंत; ५५ हजार रुपये के मूल्य की रेशेवाली वस्तुएँ; ९०.९९ लाख रुपये के मूल्य का गोंद तथा राल और ५ करोड़, ५३ लाख, ५६ हजार रुपये के मूल्य की अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं।

विकास-योजनाएँ—वन-सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत जिनके लिए द्वितीय योजना में २४.७३ रुपये की व्यवस्था की गई है, ३.८० लाख एकड़ क्षेत्र में फैले हुए उपेक्षित वनों के फिर से लगाये जाने; ५०,००० एकड़ क्षेत्र में अनुकपूर.तथा सरपत उगाये जाने और २,००० एकड़ क्षेत्र में औषधि-सम्बन्धी जड़ी-बूटियों के पौधे लगाये जाने का उद्देश्य रखा गया है। अन्य ५०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई के काम आनेवाले लकड़ी के बागान लगाये जायेंगे। इस कार्यक्रम में वनों की सड़कों के विकास, इमारती लकड़ी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाये जाने और वन-संसाधन-सम्बन्धी सर्वेक्षण के आयोजन की व्यवस्था की गई है। दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक 'वन-अनुसन्धान-केन्द्र' स्थापित करने की कार्यवाही आरम्भ की गई। इस कार्य के लिए केन्द्र ने मैसूर-सरकार की बंगलोर-स्थित 'अनुसंधान-प्रयोगशाला' को अपने अधिकार में ले लिया है।

अन्दमन द्वीपसमूह में वनों से इमारती लकड़ी काटने का काम अब अधिकांशतः आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। विदेशों को केवल उतनी ही लकड़ी भेजी गई, जितने के लिए पहले करार किये जा चुके थे। १९५८ के प्रथम ६ महीनों में मध्यवर्त्ती तथा दक्षिणी द्वीपसमूह में सरकार ने और उत्तर द्वीपसमूह में प्राइवेट कम्पनियों ने वनों से क्रमशः लगभग ३८,४१० टन और १०,०७२ टन इमारती लकड़ी प्राप्त की। इसी अवधि में सरकार तथा प्राइवेट कम्पनियों ने क्रमशः २२,३७५ टन तथा १०,५६३ टन इमारती लकड़ी भारत को निर्यात की।

भूमि-संरक्षण—भूमि-क्षरण के मुख्य कारणों में वनों का काटा जाना, अधिक चरागाहों का बनाया जाना तथा अनुपयुक्त प्रणाली से कृषि करना आदि बातें आती हैं। भूमि-संरक्षण का सुसंगठित कार्यक्रम प्रथम योजना-काल में आरम्भ हुआ था। इस कार्य की देख-भाल 'केन्द्रीय-भूमि-संरक्षण-मण्डल' करता है। भूमि-संरक्षण-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच-पड़ताल करने के लिए देश में ६ 'प्रादेशिक शोध-प्रदर्शन-केन्द्र' हैं। तत्सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक चरागाह-विकास-योजना भी सम्मिलित है। द्वितीय योजना-काल में इस योजना के अन्तर्गत २००-२०० एकड़ के १०० प्रदर्शन-खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भूमि-संरक्षण-सम्बन्धी उपायों से ४.९० लाख एकड़ भूमि की रक्षा की गई। १९५८-५९ में १७१ भूमि-संरक्षण-योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिन पर लगभग ४.५० लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

कृषि-मजदूर

१९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत के कृषि-मजदूरों की संख्या ४.९० करोड़ थी, जो खेती करनेवाले कुल व्यक्तियों के लगभग २० प्रतिशत के बराबर थे।

१६५०-५१ में हुई कृषि-मजदूर-सम्बन्धी प्रथम जाँच-पड़ताल से पता चला कि ८५ प्रतिशत कृषि-मजदूरों के पास अधिकतर फसल की कटाई तथा जुताई आदि के सम्बन्ध में कुछ ही समय का काम रहता था। कृषि-मजदूरों की प्रति परिवार औसत वार्षिक आय ४४७ रुपये और प्रति व्यक्ति औसत आय १०४ रुपये थी। वर्ष में औसतन केवल २१८ दिन काम होते थे—१८६ दिन कृषि-सम्बन्धी कार्य और शेष २६ दिन अन्य कार्य। इस प्रकार वर्ष में ७ महीने मजदूरी देकर कृषि होती थी। लगभग १५ प्रतिशत कृषि-मजदूर भू-स्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औसतन ३२६ दिन काम करते थे, जबकि आकस्मिक रूप से कार्य करनेवाले कृषि-मजदूरों को वर्ष के २०० दिनों में ही काम रहता था। कृषि-मजदूरों की स्थिति में सुधार करने की समस्या दरिद्रता-उन्मूलन की एक मूलभूत समस्या है।

न्यूनतम मजदूरी—प्रथम योजना-काल में अजमेर, उड़ीसा, कच्छ, कुर्ग, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल-प्रदेश तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई थी। अन्य ७ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी है। दूसरी योजना में यह सुझाव रखा गया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी राज्यों में तथा सभी क्षेत्रों में निर्धारित कर दी जाय।

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध और टेकनिकल सहायता—इस समय भारत-सरकार सभी तरह की विदेशी एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता को ग्रहण करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रमण्डल कृषि-ब्यूरो, अन्तरराष्ट्रीय चावल-आयोग, भारत-प्रशान्त-मत्स्य-परिषद्, डेयरी फेडरेशन, अन्तरराष्ट्रीय मुर्गीपालन-विज्ञान-समिति आदि संस्थाओं की सदस्यता कायम रखने के लिए भारत सतत प्रयत्नशील है। भारत को अन्तरराष्ट्रीय खाद्य-कृषि-आयोजन की ओर से टेकनिकल साहाय्य-कार्यक्रम को चालू रखने के लिए सहायता प्राप्त होती है।

खाद्यान्न

चावल—चावल भारत का प्रमुख अन्न है। इसकी खेती ३० प्रतिशत भूमि में होती है। मद्रास, बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आसाम, बम्बई आदि राज्यों में चावल की उपज होती है। इसकी उपज मौनसून पर निर्भर करती है। पूर्वी और दक्षिण भारत का यह प्रमुख खाद्य है। भारत में ४० प्रकार का चावल होता है।

गेहूँ—गेहूँ सारे उत्तर भारत में होता है। यह जोती-बोई जानेवाली जमीन के दशमांश में पैदा किया जाता है। गेहूँ का दो-तिहाई क्षेत्र पंजाब और उत्तरप्रदेश में है। कृषि-अनुसंधान की भारतीय परिषद् ने धान और गेहूँ की समस्या पर विचार करने के लिए दो समितियाँ नियुक्त की हैं।

जौ—गेहूँ और चना खानेवाले लोगों का सहायक खाद्य जौ है। यह अधिकतर उत्तरप्रदेश और बिहार में उपजता है।

ज्वार, बाजरा और मकई—गरीबों का भोजन ज्वार, बाजरा और मकई ही है। जलवायु और मिट्टी के अनुसार ज्वार और बाजरा की कई किस्में होती हैं। भारत में ये

अन्न १६४५-४६ तक ६३ करोड़ १७ लाख ५० हजार एकड़ में उपजाये जाते थे। मकई भी बहुत बड़े भाग में होती है।

चना-दलहन—दलहन देश के सभी भागों में होता है। इसमें चना, अरहर, मूँग, मसूर, कलाई, मटर, खेसारी, कुरथी आदि अनाज आते हैं। इसकी किस्म सुधारने के लिए भारतीय कृषि-अनुसन्धान-विभाग सचेष्ट है।

तेलहन

तेलहन भी भारत की मुख्य उपज है। तेलहन में मुख्यतः राई, सरसों, तीसी, तिल, रेंड़ी, मूँगफली एवं नारियल आते हैं। नारियल को छोड़कर अधिकांश अनाज उत्तर भारत में होते हैं। तीसी पैदा करने में भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान अर्जेण्टाईना का है।

ऊख

सिर्फ कुछ वर्ष पहले भारत में चीनी अधिकतर विदेश से आती थी, पर अब भारत संसार में ऊख और चीनी पैदा करनेवाला एक मुख्य देश हो गया। इसकी फसल मुख्यतः उत्तरप्रदेश, बिहार और बम्बई में होती है। पंचवर्षीय योजना में इसकी उन्नति के लिए लोग प्रयत्नशील हैं।

पेय

तम्बाकू—यह मुख्यतः बंगाल, बिहार, बम्बई और मद्रास में पैदा होता है। १६४५-४६ में भारत में ५ लाख एकड़ जमीन में तम्बाकू की सूखी पत्ती ४२ करोड़ पौंड हुई थी। संसार की उपज का ४० प्रतिशत तम्बाकू भारत में होता है। तम्बाकू की उपज में भारत का तृतीय स्थान है।

चाय—संसार में चाय की खेती करने में भारत का प्रमुख स्थान है। इसकी उपज विशेषतः आसाम, बंगाल और बिहार में होती है। भारत में जूट और रूई के बाद विदेशी विनिमय द्वारा आय प्राप्त करने में चाय का ही स्थान है।

काफी—चाय के बाद काफी का स्थान है। इसकी उपज २,२४,००० एकड़ भूमि में करीब १८,००० टन होती है। दक्षिण भारत की छोटी पहाड़ियों पर इसकी उपज होती है। मैसूर में इसकी उपज अधिकता से होती है।

सूत

रूई—रूई भारत की मुख्य व्यावसायिक फसल है। बम्बई, पंजाब, मध्यप्रदेश, मद्रास, उत्तरप्रदेश आन्ध्र-प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि जगहों में इसकी उपज होती है।

जूट—इसकी खेती पश्चिम बंगाल में अधिकता से होती है। बिहार, उड़ीसा, तथा आसाम के कुछ हिस्सों में भी इसकी उपज होती है।

सन—सन की उपज मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बम्बई और पश्चिम बंगाल में होती है।

रेशम—यह मैसूर में अधिकता से पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आसाम, मुर्शिदाबाद, मालदा, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल, देहरादून, उत्तरप्रदेश, गुरुदासपुर, पंजाब, कश्मीर आदि जगहों में भी इसकी उपज होती है। आसाम का सिल्क भारत-प्रसिद्ध है।

विविध

मसाला—विदेशी व्यापार में इसका प्रमुख स्थान है। भारत में इसकी उपज न्यून मात्रा में होती है। इसमें पीपल, इलायची, काजू, अदरख, हल्दी आदि मसाले आते हैं। इनके अतिरिक्त सभी प्रकार के फल एवं वनस्पतियाँ भोजन के काम में आती हैं।

पोस्ता—इस समय इसकी उपज मुख्यत: उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में सरकार की देख-रेख में होती है। इसीसे अफीम निकाला जाता है।

सिनकोना—सरकारी बागवानी की संरक्षता में यह नीलगिरि और दार्जिलिंग में उपजाया जाता है। इसकी छाल से कुनैन बनता है।

पशुपालन तथा मछलीपालन

पशुपालन-विकास-सम्बन्धी सरकारी नीति का उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना है। इससे बैलों की किस्मों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायगा। इस उद्देश्य की पूर्त्ति केन्द्रग्राम-योजना, गोशाला-विकास-योजना तथा गो-सदन-योजना द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

१९५१ तथा १९५६ की पंचवर्षीय पशुगणनाओं के अनुसार देश के पशुओं, मुर्गियों आदि तथा कृषि-औज़ारों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है—

पशुओं, मुर्गियों तथा कृषि-औज़ारों की संख्या

	१९५६ की पशुगणना	१९५१ की पशुगणना
क. पशु		
१. गाय-बैल		
(क) ३ वर्ष से अधिक आयु के बैल	६,४६,००,०००	६,१८,००,०००
(ख) ३ वर्ष से अधिक आयु की गाय	४,९९,००,०००	४,९९,००,०००
(ग) बछिया-बछड़े	४,३८,००,०००	४,३५,००,०००
कुल गाय-बैल	१५,८७,००,०००	१५,५२,००,०००

	१९५६ की पशु-गणना	१९५१ की पशु-गणना
२. भैंस तथा भैंसे		
(क) ३ वर्ष से अधिक आयु के भैंसे	६५,००,०००	६८,००,०००
(ख) ३ वर्ष से अधिक आयु की भैंस	२,२३,००,०००	२,१९,००,०००
(ग) पड़िया-पाड़े	१,६१,००,०००	१,४७,००,०००
कुल भैंस-भैंसे	४,४९,००,०००	४,३४,००,०००
३. भेड़	३,९२,००,०००	३,६०,००,०००
४. बकरे-बकरियाँ	५,५४,००,०००	४,७१,००,०००
५. घोड़े तथा टट्टू	१५,००,०००	१५,००,०००
६. अन्य पशु (खच्चर, गायें, ऊँट तथा सूअर)	६८,००,०००	६४,००,०००
कुल पशु	३०,६५,००,०००	२९,२६,००,०००
ख. मुर्गियाँ आदि	९,४७,००,०००	७,३५,००,०००
ग. कृषि-औज़ार		
१. हल		
(क) लकड़ी के	३,९६,१५,०००	३,१८,०९,०००
(ख) लोहे के	१३,६७,०००	९,३०,०००
२. बैलगाड़ियाँ	१,०९,६१,०००	९८,५४,०००
३. गन्ना पेरनेवाले कोल्हू		
(क) विद्युत्-चालित	२३,०००	२१,०००
(ख) बैल-चालित	५,४५,०००	५,०५,०००
४. तेल से चलनेवाले इंजिन		
(सिंचाई के लिए पम्प-सहित)	१,२२,०००	८२,०००
५. विद्युत्-चालित पम्प (सिंचाई के लिए)	५५,०००	२५,०००
६. ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए)	२१,०००	९,०००
७. घानियाँ		
(क) ५ सेर तथा उससे अधिक की	९६,०००	२,४२,०००
(ख) ५ सेर से कम की	२,१२,०००	२,०४,०००

केन्द्र-ग्राम-योजना—इस योजना के द्वारा देश के दुधार तथा सूखे (दूध न देनेवाले) पशुओं की दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है । चुने हुए उपयुक्त केन्द्रग्राम-केन्द्रों में नियन्त्रित नस्ल-सुधार, उचित चारा तथा प्रबन्ध-व्यवस्था, रोग-नियन्त्रण और बिक्री आदि की व्यवस्था में सुधार-जैसे विभिन्न उपायों द्वारा भरपूर विकास किया जा रहा है । प्रथम योजनाकाल में देश में ५५५ केन्द्रग्राम-केन्द्र तथा १४६ कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र स्थापित किये गये । १९५७-५८ में कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों से युक्त

७२ नये केन्द्रग्राम-खण्ड, शहरी क्षेत्रों में २३ कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र तथा २३ केन्द्रग्राम विस्तार-केन्द्र स्थापित किये गये।

गो-सदन-योजना—इस योजना का उद्देश्य बूढ़े, पंगु तथा दूध न देनेवाले पशुओं को विकास-कार्यवाले क्षेत्रों से हटाकर आन्तरिक वन-क्षेत्रों में तथा अन्य बेकार भूमि पर स्थापित किये गये गो-सदनों में उनका भरण-पोषण करना है। इस योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों में मरे पशुओं के चमड़े तथा हड्डियों आदि का वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से पूरा-पूरा उपयोग किये जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजना-काल में विभिन्न राज्यों में २५ गो-सदन स्थापित किये गये तथा द्वितीय योजना-काल में ६० गो-सदन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ के अन्त तक २१ नये गो-सदन तथा ५ चर्मालय स्थापित किये गये।

गोशाला-विकास-योजना—इस योजना में गोशालाओं के उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग किये जाने तथा पशु-विकास के सरकारी कार्य में सहायता देने के लिए गोशालाओं की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत गोशालाओं को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जाती है। १९५७-५८ के अन्त तक १३२ गोशालाओं को सहायता दी गई।

मुर्गीपालन-विकास—देश के खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्वों की मात्रा में तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से मुर्गीपालन का विकास किया जाना महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। द्वितीय योजनाकाल में, जिसमें मुर्गीपालन के विकास के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, देश में ५ प्रादेशिक मुर्गीपालन-केन्द्र और ३०० प्रदर्शन तथा विस्तार-केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दुग्धशाला-योजनाएँ—द्वितीय योजना की दुग्धशाला-विकास-योजनाओं में ३६ शहरी दुग्ध-उपलब्धि-केन्द्र, १२ सहकारी क्रीमघर (क्रीमरीज) तथा ७ दुग्ध-चूर्ण तैयार करनेवाले कारखाने सम्मिलित हैं। १९५८-५९ में दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रमों के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

'दिल्ली दुग्ध-योजना' के अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्धशाला तथा ३ दुग्ध-संग्रह-केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण-कार्य किये गये। कलकत्ता में भी नई दुग्धशाला का निर्माण किया गया है। 'आरे दुग्ध बस्ती' के विस्तार का कार्य जारी रहा और 'मद्रास दुग्ध-योजना-कार्य' के अन्तर्गत पशुओं के लिए भवनों का निर्माण हुआ है। अगरतला, चण्डीगढ़, गया, बंगलोर, शोलापुर, हिसार तथा त्रिवेन्द्रम् की दुग्ध-उपलब्धि-योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी प्रगति हुई। कटक, कोयमुत्तूर, जयपुर, नागपुर, पटना, भोपाल तथा हैदराबाद में भी दुग्ध-वितरण की योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

आनन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारी दुग्ध-संघ' के मक्खन तथा दुग्ध-चूर्ण के उत्पादन में वृद्धि हुई और डिब्बाबन्द दूध तैयार करने का कार्य भी आरम्भ किया गया। मद्रास में दुग्ध-चूर्ण कारखाने और अलीगढ़, जूनागढ़ तथा बरौनी में क्रीमघरों की स्थापना का कार्य भी आरम्भ हुआ।

मछलीपालन-विकास—द्वितीय योजना में मछलीपालन-उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किये गये लगभग १२ करोड़ रुपये में से ३.९८ करोड़ रुपये समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछलीपालन-शोध और प्रौद्योगिकी शोध आदि की केन्द्रीय मछलीपालन-योजनाओं के लिए रखे गये थे। मछलीपालन-उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए राज्य-सरकारों को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जा रही है। १९५७ में लगभग १२.३३ लाख टन मछलियाँ (१९५६ की अपेक्षा २२ प्रतिशत अधिक) पकड़ी गईं। मछलीपालन-विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञ इस उद्योग के विकास में सहायता देते रहे।

मछलीपालन-विकास के क्षेत्र में चल रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा देश में शोध-कार्य करने के उद्देश्य से एक 'केन्द्रीय मछलीपालन-मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। इस वर्ष कलकत्ता-स्थित 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछलीपालन-शोध-केन्द्र' तथा मण्डपम-स्थित केन्द्रीय समुद्रतट-मछलीपालन-शोध-केन्द्र की शोध-सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया गया। बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़नेवाले केन्द्र में भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा।

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की कृषि मुख्यत: वर्षा पर निर्भर करती है। किंतु वर्षा की अनिश्चितता एवं इसके असमान वितरण के कारण यहाँ की पैदावार अक्सर मारी जाती है। आसाम में जहाँ ४६०" वर्षा होती है, वहाँ राजस्थान में केवल ३"। सारे भारत की औसत वर्षा ४२" है। इस विषमता का परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ की बढ़ती हुई जन-संख्या के अनुपात में कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनाओं द्वारा सम्पूर्ण देश का उत्पादन बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत के जल का साधन १ अरब, ३५ करोड़, ६० लाख एकड़-फुट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से करीब ४५ करोड़ एकड़-फुट का उपयोग किया जा सकता है। भारत में तीन प्रमुख साधनों द्वारा सिंचाई का प्रबंध किया जाता है (१) नदी; (२) झील और तालाब तथा (३) कुँए और नल-कूप।

सिंचाई का काम मुख्यत: राज्य-सरकारों के जिम्मे है, किंतु केन्द्रीय सरकार के सिंचाई-विभाग द्वारा सिचाई के विकास के लिए राज्यों को प्राविधिक सहायता देना, सिंचाई में जल के उपयोग एवं वितरण के सबंध में विभिन्न राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को सुलझाना, सिचाई के सम्बन्ध में अनुसंधान करना आदि कार्य सम्पन्न होते हैं। ये कार्य मुख्यत: 'केन्द्रीय जल एवं विद्युत्-आयोग', तथा 'केन्द्रीय सिचाई एवं विद्युत्-मंडल' द्वारा किये जाते हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत्-आयोग पर बाढ़-नियंत्रण, सिन्चाई, नौकानयन तथा जल-उत्पादन के लिए जल के साधनों का नियंत्रण, उपयोग एवं संरक्षण की योजनाओं को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अधीन तीन विभाग कार्य कर रहे हैं—(१) जल-विभाग, (२) विद्युत्-विभाग और (३) बाढ़-विभाग। 'केन्द्रीय सिचाई एवं विद्युत्-मंडल'

की स्थापना सन् १९२९ ई० में की गई। यह विभाग देश में विद्युत् एवं सिंचाई के क्षेत्र में शोध-कार्य आरम्भ करने तथा विभिन्न शोध-केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

बाढ़-नियन्त्रण

भारत-सरकार ने सितम्बर, १९५४ में बाढ़-नियन्त्रण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। तीन भागों में बाँटे गये इस कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में मुख्यतः जाँच-पड़ताल तथा आँकड़ों के संग्रह का कार्य किया गया। बाद के चार अथवा पाँच वर्षों में तटबन्धों तथा नाले-नालियों के सुधार-जैसे बाढ़-सुरक्षा-सम्बन्धी उपाय किये जा रहे हैं।

'केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल' के अतिरिक्त १२ राज्यों में भी बाढ़-नियन्त्रण मंडल हैं, जिन्हें सलाहकार-समितियाँ प्राविधिक मामलों में सहायता देती हैं। केन्द्रीय मण्डल की सहायता के लिए केन्द्र ने ४ 'नदी-आयोग (बाढ़)' भी स्थापित कर दिये हैं। 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत्-आयोग' में एक बाढ़-विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है। केन्द्रीय मण्डल ६० योजनाओं के लिए स्वीकृति दे चुका है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में भी अन्य ५०६ योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनके अतिरिक्त २४६ अन्य योजनाएँ विचाराधीन हैं।

उत्तरप्रदेश के बाढ़ग्राही क्षेत्रों में ४,२०० से अधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी गई है और बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ होने के समय से अबतक कई राज्यों में कुल मिलाकर २,४४३ मील लम्बे तटबन्धों का निर्माण किया जा चुका है।

बाढ़-समस्या को हल करने में परामर्श देने के लिए अप्रैल, १९५७ में भारत-सरकार ने उच्चस्तरीय बाढ़-समिति की स्थापना की, जिसका काम विभिन्न राज्यों की बाढ़-समस्या को समझना एवं तत्सम्बन्धी प्राप्य आँकड़ों की परीक्षा करना है।

अन्तर्देशीय नौकानयन

अबतक जिन बहूद्देशीय योजनाओं का निर्माण-कार्य समाप्त हो चुका है अथवा जिनका निर्माण जारी है, उनके कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करना भी है। 'दामोदर-घाटी-निगम' ने नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर बनाने का लक्ष्य रखा है। हीराकुंड बाँध-योजना-कार्य के पूरा होने पर धौलपुर से कटक तक अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा-योजना-कार्य के अन्तर्गत अन्ध्रप्रदेश की ओर एक नौकानयन-सिंचाई-नहर के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान-नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था का जो सुझाव रखा गया था वह, विचाराधीन है।

विद्युत्

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत्-उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति हुई। मार्च, १९५८ में सार्वजनिक उपयोग के विद्युत्-संयन्त्रों की प्रस्थापित क्षमता ३२,२३,१११ किलोवाट थी। इसी अवधि में विद्युत्-उत्पादन भी बढ़कर ११ अरब ३२ करोड़ १९ लाख किलोवाट हो गया।

साधन—भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन केवल ३५ किलोवाट घण्टे है, जबकि नार्वे, कनाडा, ब्रिटेन, रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति क्रमशः ७,२५०; ५,४५०; २,०००; ६६० तथा ८५० किलोवाट घण्टे है।

दक्षिण भारत की नदियों से ११५ बड़ी योजनाओं द्वारा लगभग १.४७ करोड़ किलोवाट विद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४१० करोड़ किलोवाट से अधिक विद्युत् का उत्पादन होता है।

विद्युत्-विकास-सम्बन्धी संगठन—सन् १६४८ में स्वीकृत विद्युत् (उपलब्धि) अधिनियम' के अनुसार १६५० में 'केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी संगठन, की स्थापना हुई और केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में विद्युत्-मण्डल स्थापित किये गये।

स्वामित्व तथा उपयोग—सन् १६२५ ई० तक विद्युत्-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। विगत दूसरे दशक में ही कुछ राज्यों ने विद्युत्-विकास-योजना पर कार्य करना आरम्भ किया। मार्च १६५८ तक सार्वजनिक उपयोग में ३४४ प्रतिशत विद्युत् पर प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था।

१६५७-५८ में घरेलू व्यापार, सार्वजनिक प्रकाश तथा सिंचाई आदि की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३२.०८ लाख उपभोक्ताओं ने विद्युत् का उपभोग किया।

गाँवों में बिजली—कुछ बड़े विद्युत्-केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली पैदा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक केवल आन्ध्र-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ही कुछ प्रगति हुई है। मार्च, १६५८ के अन्त में १०,७१२ कस्बों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी।

पंचवर्षीय योजनाओं की विद्युत्-योजनाएँ—प्रथम पंचवर्षीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत्-विकास-योजनाएँ सम्मिलित थीं। इनमें बड़े बहूद्देश्यीय नदी-घाटी-योजना कार्य ये थे—भाखड़ा-नंगल, हीराकुंड, दामोदर-घाटी-निगम, चम्बल, रिहन्द, कोयना तथा कोसी।

प्रथम योजना-काल में जिन मुख्य विद्युत्-योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा जिनमें विद्युत्-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे निम्नांकित हैं—

		प्रस्थापित क्षमता (किलोवाट)
१.	नंगल (पंजाब)	४८,०००
२.	बोकारो (बिहार)	१,५०,०००
३.	चोल (कल्याण, बम्बई)	५४,०००
४.	खापरखेड़ा (मध्यप्रदेश)	३०,०००
५.	मोयार (मद्रास)	३६,०००
६.	मद्रास नगर संयन्त्र-विस्तार (मद्रास)	३०,०००
७.	मचकुण्ड (आन्ध्रप्रदेश-उड़ीसा)	३४,०००
८.	पथरी (उत्तरप्रदेश)	२०,०००
६.	शारदा (उत्तरप्रदेश)	४१,४००
१०.	सेनगुलम (केरल)	४८,०००
११.	जोग (मैसूर)	७२,०००

द्वितीय योजना में निहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की प्रमुख विद्युत्-उत्पादन-योजनाएँ ये हैं—

सरकारी क्षेत्र की चालू योजनाएँ : तुंगभद्रा—प्रथम चरण (आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर); भाखड़ा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान); हीराकुंड—प्रथम चरण (उड़ीसा); दामोदर-घाटी-निगम (बंगाल तथा बिहार); चम्बल—प्रथम चरण (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान); मुचकुन्द (आन्ध्रप्रदेश तथा उड़ीसा); उम्त्रू (आसाम); कोयना (बम्बई); पेरियर (मद्रास); मद्रास थर्मल-केन्द्र-विस्तार (मद्रास); रिहन्द (उत्तरप्रदेश); रामगुण्डम (आन्ध्रप्रदेश); थर्मल विद्युत्-केन्द्र (राजस्थान); नेरियमंगलम (केरल); पोंगलकुतु (केरल) तथा कण्डला-वाष्प-केन्द्र (बम्बई)।

सरकारी क्षेत्र की नई योजनाएँ—पूर्णा (बम्बई), सिलेरू (आ० प्रदेश), मुचकुन्द-विस्तार (आ० प्रदेश तथा उड़ीसा), तुंगभद्रा-नेल्लोर-योजना (आ० प्रदेश तथा मैसूर), उम्तींगर वाष्प-केन्द्र (आसाम), बरौनी-वाष्प-केन्द्र (बिहार), दक्षिण गुजरात विद्युत् ग्रिड—द्वितीय चरण (बम्बई), कोरबा थर्मल-केन्द्र (म० प्रदेश), दक्षिणी ग्रिड विकास (बम्बई), कुण्डा—प्रथम तथा द्वितीय चरण (मद्रास), हीराकुंड—द्वितीय चरण (उड़ीसा), यमुना-जल-विद्युत्-योजना (उ० प्रदेश), रामगंगा-जलविद्युत्-योजना (उ० प्रदेश), हरदुआगंज वाष्प-केन्द्र-विस्तार (उ० प्रदेश), माताटीला जल-विद्युत्-योजना (उ० प्रदेश), कानपुर-विद्युत्-केन्द्र विस्तार (उ० प्रदेश), जलढका जल-विद्युत्-योजना (प० बंगाल), दुर्गापुर थर्मल-विद्युत्-केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), बोकारो-विस्तार (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), चन्द्रपुर (दुगडा) थर्मल-विद्युत्-केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), तुंगभद्रा-विस्तार (मैसूर), गन्धरबल विद्युत्-गृह (जम्मू तथा कश्मीर), मोहोरा विद्युत्-गृह (जम्मू तथा कश्मीर), भद्रा (मैसूर), शरावती जल-विद्युत्-योजना (मैसूर), जोधपुर (राजस्थान), राजकोट-विद्युत्-केन्द्र-विस्तार (बम्बई), पोरबन्दर वाष्प शक्ति-केन्द्र (बम्बई), सिक्का वाष्प-शक्ति-केन्द्र (बम्बई), शादपुर वाष्प-शक्ति-केन्द्र (बम्बई), पेरियार (केरल), शोलायार (केरल), पम्बा (केरल) तथा बीरसिंहपुर थर्मल-विद्युत्-केन्द्र (मध्यप्रदेश)।

निजी (प्राइवेट) क्षेत्र की मुख्य विद्युत्-उत्पादन-योजनाएँ-अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं० लि० (बम्बई), टाटा पावर सिस्टम (बम्बई), ट्रॉम्बे थर्मल विद्युत्-केन्द्र, शोलापुर (बम्बई), आगरा-विद्युत्-उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश), बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पावर कं० लि० (उ० प्रदेश), युनाइटेड प्रोविन्सेज विद्युत्-उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश) तथा भावनगर विद्युत् कं० लि० (बम्बई)।

नदी-घाटी योजना-कार्य

भारत के प्राकृतिक जलमार्ग बहुत-कुछ बड़े बेढंगे ढंग से स्थित हैं। सिंचाई के विकास के लिए अन्तिम लक्ष्य १५-२० वर्षों में सिंचित क्षेत्र को अब से दुगुना करने का रखा गया है। प्रथम योजना-काल में लगभग २·२० करोड़ भूमि में सिचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ३०० छोटी तथा बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

देश के ये बड़े नदी-घाटी-योजना-कार्य उल्लेखनीय हैं—भाखड़ा-नंगल योजना-कार्य, हीराकुंड बाँध-योजना-कार्य, राजस्थान नहर-योजना-कार्य, दामोदर-घाटी योजना-कार्य, तुंगभद्रा योजनाकार्य, कोसी-योजना-कार्य, चम्बल-योजना-कार्य, नागार्जुन-सागर योजना-कार्य, कोयना योजना-कार्य, रिहन्द बाँध योजना-कार्य, भद्रा जलाशय योजना-कार्य, काकरापार योजना-कार्य, मुचकुन्द तथा मयूराक्षी योजना-कार्य।

विकास-कार्यक्रम

प्रथम योजना-काल में बड़े तथा मध्यम योजना-कार्यों से लगभग ३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगी। सन् १६५८-५६ में दामोदर घाटी-योजना, भाखड़ा-नंगल-योजना, तुंगभद्रा-योजना एवं हीराकुंड योजना—इन चार नदी-घाटी-योजनाओं द्वारा २५ लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हुई। उपर्युक्त-चारों योजनाओं द्वारा अलग-अलग सींची गई भूमि का विवरण इस प्रकार है—

भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राज्यस्थान)	१६.५ लाख एकड़
दामोदर घाटी योजना (पश्चिम बंगाल)	२.३५ ,,
तुंगभद्रा (मैसूर और आंध्र-प्रदेश)	१.५८ ,,
हीराकुंड (उड़ीसा)	२.८५ ,,

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक बृहत् एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई-योजनाओं द्वारा ३ करोड़ ३५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। प्रथम योजना-काल में छोटी योजनाओं से १ करोड़ भूमि में सिचाई आरम्भ हुई। द्वितीय योजना-काल में छोटी योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके फलस्वरूप १६६१ तक देश में कुल ८.३५ करोड़ एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी।

प्रथम योजना के प्रारम्भ में विद्युत्-उत्पादन-संयन्त्रों की कुल प्रस्थापित क्षमता केवल २३ लाख किलोवाट थी, किन्तु योजना-काल की समाप्ति तक इसमें ११ लाख किलोवाट की वृद्धि हुई।

यह अनुमान लगाया गया है कि अगले १० वर्षों में प्रस्थापित क्षमता में प्रतिवर्ष २० प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। द्वितीय योजना-काल में प्रस्थापित क्षमता को ६६ किलोवाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। द्वितीय योजना-काल में कुल मिलाकर ४२ विद्युत्-उत्पादन-योजनाएँ आरम्भ की जायेंगी, जिनमें से २३ जल-विद्युत्-योजनाएँ तथा १६ वाष्पशक्ति-योजनाएँ होंगी। इस अवधि में बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग दुगुना हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय योजना-कार्य-निर्माण-निगम प्राइवेट लिमिटेड—उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा पूरा होनेवाले योजना-कार्यों में आवश्यकता से अधिक पाये जानेवाले उपकरणों का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा ऐसी राज्य-सरकारों को सहायता देने के लिए, जिनके पास बड़े योजना-कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कम्पनी-अधिनियम

के अधीन ६ जनवरी, १९५७ को 'राष्ट्रीय योजना-कार्य-निर्माण-निगम प्राइवेट लिमिटेड' स्थापित किया गया।

केन्द्रीय सरकार और केरल, जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान-सरकारों ने इसकी हिस्सा-पूँजी में योगदान किया है। आसाम तथा पंजाब-सरकारों ने भी योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य सिंचाई-योजना-कार्य हैं—भाखड़ा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान), दामोदर घाटी (प० बंगाल तथा बिहार), हीराकुंड (महानदी का मुहाना-सहित)—प्रथम चरण (उड़ीसा), चम्बल—प्रथम चरण (मध्यप्रदेश तथा राजस्थान), तुंगभद्रा (आ० प्रदेश तथा मैसूर), मयूराक्षी (प० बंगाल), भद्रा (मैसूर), कोसी (बिहार), नागार्जुनसागर—प्रथम चरण (आ० प्रदेश) तथा काकरापार नहर (निचली ताप्ती; बम्बई)। इन योजनाओं का काम जारी है।

नई योजनाओं में तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर), उकई (बम्बई), तावा (म० प्रदेश), पूर्णा (बम्बई), वंशधारा (आ० प्रदेश), नर्मदा (बम्बई), बनास (बम्बई), मूला (बम्बई), गिरना (बम्बई), खडकवासला (बम्बई), नवकट्टलई (मद्रास), सलन्दी (उड़ीसा), गुड़गाँव नहर (पंजाब), कंसवटी (प० बंगाल), चन्द्रकेसर (म० प्रदेश), काबिनी (मैसूर), बनास (राजस्थान), भादर (बम्बई), मुततन्केतु (केरल), लिद्दर नहर (जम्मू तथा कश्मीर), बरना (म० प्रदेश), लक्ष्मणतीर्थ (मैसूर), ऊपरी केर्वा (म० प्रदेश), विदुर (पाण्डिचेरी तथा मद्रास) आदि योजनाएँ आती हैं।

प्रमुख सिंचाई-कार्य

योजना का नाम	समाप्ति-वर्ष	कुल पूँजी (४० लाख)	सिंचित हिस्से (सहस्र एकड़)
आन्ध्र-प्रदेश			
रामपेरू ड्रेनेज	१९५६	१,२८	३०
गोदावरी डेल्टा	१८९०	२,२०	११,११
कृष्णा डेल्टा	१८९८	२,२८	१०,६३
रालापद	१९५७	६०	८
निजाम-सागर	१९३१	३,६२	२,७५
गोदावरी (स्टेज-१)	१९५८-५९	४,४१	६७
बिहार			
सोन की नहरें	१८७४	२,६८	७,४७
त्रिवेणी नहर-प्रसार	१९५८-५९	१,१३	६२
बम्बई			
नीरा (बाईं नहर)	१९०६	१,०६	८३
नीरा (दाईं नहर)	१९३८	६,०२	८१

योजना का नाम	समाप्ति-वर्ष	कुल-पूँजी (४० लाख)	सिंचित हिस्से (सहस्त्र एकड़)
प्रवर नदी-कार्य	१६२६	१,५३	८४
गंगापुर-रिजर्वर	१६५६	३,६६	४५
रंगोला	१६५२	६२	१०
ब्राह्मणी	१६५४	६१	२७
मोज	१६५५	६६	१५
आजी	१६५७-५८	८०	६
माळु १	१६५८-५६	१,२५	२२
जम्मू और कश्मीर			
सिन्धु-घाटी	१६५६	१,२४	१८
केरल			
कुहनद	१६५६	६०	१,२१
पीची	१६५७-५८	२,३५	४६
नय्यर	१६५८ ५६	१,४६	१५
मल्लमपुश	१६५८-५६	५,२८	४८
वालायर रिजर्वर	१६५८-५६	१,१७	८
मध्यप्रदेश			
टण्डुला नहरें	१६२५	३४	१ ६५
महानदी की नहरें	१६२७	१,५६	२,१०
मद्रास			
पेरिञ्चर्नी	१६५६	६७	२०
पेरियर-सिस्टम	१८६७	१,०८	१,४३
कावेरी मेटर	१६३४	६,६२	३,०१
लोअर भावनी	१६५६	६,५१	२,०७
अवानियर रिजर्वर	१६५७	१,०३	११
मैसूर			
कृष्णराजासागर नहरें	१६३०	४,५०	१,००
तुङ्ग अनीकट	१६५८	२,३१	२२
नुगु	१६५८	२,४४	२०
चग्प्रभा बाईं नहर	१६५८-५६	५,४५	१,२०
उड़ीसा			
उड़ीसा नहरें	१८६५	३,८०	४०

योजना का नाम	समाप्ति-वर्ष	कुलपूँजी (४० लाख)	सिंचित हिस्से (सहस्र एकड़)
पंजाब			
पश्चिमी यमुना नहरें	१८८६	२,०२	१०,१८
अपर बारी दोआब नहरें	१८७८-७६	२,२७	८,२८
सरहिन्द-नहर	१८८६-८७	२,६५	१४,८३
पूर्वीय नहर	१६५३	८,३८	३,४६
नङ्गल बराज	१६५४	३,६५	——
राजस्थान			
जवाई प्रोजेक्ट	१६५८-५६	३,००	४५
पार्वती प्रोजेक्ट	१६५६	८४	३७
मेजा प्रोजेक्ट	१६५८	५६	३७
उत्तर-प्रदेश			
गंगा-नहर	१८६१	४,६५	१७,२७
आगरा-नहर	१८६१	१,२६	४,४७
लोअर गंगा-नहर	१८६१	४,६६	११,५२
शारदा नहर	१६३०	११,३७	१६,७२
शारदा नहर-प्रसार	१६५५-५६	१,१०	१,७६
शारदा नहर-रिजर्वर (स्टेज-१)	१६५८-५६	४,८०	१,७२
माटाटीला (स्टेज-१)	१६५६	४,८८	२,६५
पश्चिम बंगाल			
दामोदर नहर	१६३५	१,३०	१,७२
मयूराची	१६५६	१६,११	७,२०

जल के साधन और उनका उपयोग

नदियाँ	अनुमित औसत प्रवाह	उपयोग १६५१ तक	अतिरिक्त उपयोग (प्रथम पंचवर्षीय योजना में)	अतिरिक्त उपयोग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा)
सिन्धु	१,६८०	८०	११०.०	१२.०
गंगा	४,०००	३८०	२१५.०	१४५.०
ब्रह्मपुत्र	३,०००	२३	शून्य	शून्य
गोदावरी	८४०	१२०	१०.०	१५.०
महानदी	८४०	३१	१०५.०	२.०
कृष्णा	५००	६०	१५६.०	२६.०
नर्मदा	३२०	२	शून्य	१०१.०
ताप्ती	१७०	२	७.०	३५.०
कावेरी	१२०	८०	१३.०	६.०

विद्युत्-आपूर्त्ति का सूचक अंक

(आधार १६३६ ई० = १००)

विषय	१६४७	मार्च, १६५८
संचित उत्पादन-क्षमता		
वाष्प-संयन्त्र	१४२.१	३२६.१
तैल-संयन्त्र	११२.५	२८३.४
जल-संयन्त्र	१११.३	२७४.५
कुल उत्पादन-क्षमता की सूची	१२७.०	३०१.३
विद्युत्-उत्पादन		
वाष्प संयन्त्र	१६७.०	५८२.३
तैल-संयन्त्र	१४६.३	२६२.३
जल-संयन्त्र	१६७.८	३८४.३
कुल उत्पादन-क्षमता	१६६.८	४६३.६
कोयला-उपभोग	१७२.६	४७६.०
तैल-ईंधन-उपभोग	१४५.८	२२२ ०
विद्युत्-विक्रय		
घरेलू या निवास-सम्बन्धी	२०६.५	६६३.५
व्यावसायिक, प्रकाश एवं लघु-शक्ति	२३८.२	६६१.६
औद्योगिक	१६२.४	४५३.४
आकर्षण	१२८.६	१६६.३
सिंचाई	१६४.७	८४४.७
सार्वजनिक प्रकाश	१०७.०	३०१.४
जलीय कार्य	१६४.२	३५६.६
कुल विक्रय-सूची	१६५.०	४५७.४

विद्युत्-आपूर्त्ति की प्रगति (१९३९ से १९५८ तक)

वर्ष	उत्पादन-संयन्त्र की संचित क्षमता (सहस्र किलो०)				वर्ष की औसत अधिकाधिक माँग (सहस्र किलो)	उत्पादित शक्ति (करोड़ किलो)	विक्रीत शक्ति (करोड़ किलो०)	औसत भार (कालम ६ पर आधारित) प्रतिशत	औसत माँग (कालम ५ और ६ पर आधारित) प्रतिशत
	वाष्प	डीजल	जल	कुल					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१९३९	५४१	८७	४४२	१,०७०	५७६	२४४	२०३	४८.४	५३.८
१९४७	७५७	९८	५०८	१,३६३	८८३	४०७	३३६	५२.७	६४.८
१९५१	१,०९७	१६३	५७५	१,८३५	१,२०५	५८६	४७९	५५.५	६५.७
१९५२	१,१७७	१७०	७१५	२,०६२	१,३११	६१२	५०१	५३.३	६३.६
१९५३	१,३९४	१८०	७३१	२,३०५	१,४१६	६७०	५६०	५४.०	६१.४
१९५४	१,४९१	२१०	७९३	२,४९४	१,६२५	७५२	६२५	५२.८	६५.२
१९५५	१,५४७	२०९	९३९	२,६९५	१,८५०	८५९	७११	५३.०	६८.६
१९५६	१,५९६	२२८	१,०६२	२,८८६	१,९९०	९९६	७९६	५५.४	६८.९
१९५७-५८	१,७६३	२४६	१,२१४	३,२२३	२,२७९	१,१३२	९३१	५६.७	७०.७

भूमि-सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि-नीति में यह स्वीकार कर लिया गया है कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि-स्वामित्व तथा कृषि का बहुत अधिक महत्त्व है। उस भूमि-व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता आ रहा था, इस भूमि-नीति में एक ऐसी भूमि-व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई, जिसमें किसानों को अपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उन्हें उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने में पूर्ण प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर जोर दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो प्रमुख उद्देश्य हैं :—

(१) गाँवों में वर्त्तमान भूमि-व्यवस्था के कारण कृषि-उत्पादन के मार्ग में आनेवाली अड़चनों को दूर करना तथा देश में यथाशीघ्र ऐसी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था लागू करना, जिससे कार्य-क्षमता और उत्पादन-क्षमता, दोनों में वृद्धि हो और (२) समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की रचना करना तथा सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करना।

विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत भूमि-सुधार-कार्यक्रम के मुख्य दृष्टिकोण ये हैं—(१) खेतों पर अधिकार पाने के लिए उपज का $\frac{१}{६}$ या $\frac{१}{५}$ निश्चित शुल्क के साथ रैयत को अधिकार प्रदान करना एवं जमींदारी या ताल्लुकेदारी को समाप्त करना; (२) जोत की हदबन्दी; (३) जोत का एकीकरण तथा उसे खण्डित होने से बचाना, और (४) सहकारी खेती का विकास एवं ग्राम-सहकारी समितियों का प्रबन्ध।

काश्त-सम्बन्धी सुधार

योजना-आयोग ने राज्यों से काश्त-सम्बन्धी जिस सुधार-कार्यक्रम को अपनाने की सिफारिश की, उसके मुख्य उद्देश्य ये हैं—(१) लगान में कमी करना; (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना।

मध्यवर्त्ती वर्ग का उन्मूलन—कानून बनाने तथा मध्यवर्त्ती वर्ग की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधिकांश कार्य तथा मध्यवर्त्ती वर्ग के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भू-स्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि-भिन्न भूमि (बंजर भूमि) तथा वन आदि हस्तगत कर लिये गये हैं और उनकी व्यवस्था का काम-काज राज्य अथवा ग्राम-पंचायत-जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्त्ती वर्ग के उन्मूलन के बाद सभी राज्यों में सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। उसका अनुमित व्यय करीब ६,२५,२५ करोड़ पड़ता है, जिसमें ६,८८७ करोड़ अबतक दे दिया गया है। केवल उत्तरप्रदेश और बिहार में जो मुआवजा देना पड़ेगा, वह क्रमशः २४,००० करोड़ और १७,६०० करोड़ होता है।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि-सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया। यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई। द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोतों' में निर्धारित की जाय। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजना-काल में प्रत्येक राज्य में वर्त्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है—(क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्त्तमान जोतों के लिए।

निम्नलिखित राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का ब्यौरा इस प्रकार है—

आसाम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र-प्रदेश	तेलंगाना-क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
उत्तर-प्रदेश		१२½ ,,
जम्मू तथा कश्मीर		२२¾ ,,
पंजाब		३० स्टैण्डर्ड ,,
पश्चिम बंगाल		२५ ,,
बम्बई	बम्बई-क्षेत्र (भूतपूर्व)	१२ से ४८ ,,
	मराठवाड़ा-क्षेत्र	१२ से १८० ,,
	विदर्भ तथा कच्छ-क्षेत्र	(३ पारिवारिक जोत)
		(क्षेत्र का निर्णय न्यायाधिकरण करेगा)
मध्य प्रदेश	सौराष्ट्र-क्षेत्र	६० से १२० एकड़
	मध्यभारत-क्षेत्र	५० ,,
	राजस्थान-क्षेत्र	३० से ६० ,,
		(भूमि की उपज के अनुसार भिन्न-भिन्न)
मैसूर	बम्बई-क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद-क्षेत्र	१२ से १८० ,,
राजस्थान (अजमेर-सहित)		३० सिंचित एकड़ अथवा ६० सूखे एकड़
दिल्ली		३० स्टैण्डर्ड एकड़

प्रथम योजना-काल में निम्नलिखित राज्यों में नीचे लिखे आँकड़ों के अनुसार चकबन्दी के कार्य किये गये—

उत्तर-प्रदेश	....	४४ लाख एकड़ भूमि	
पंजाब	....	४८	,,
पेप्सू	....	१३	,,
मध्य-प्रदेश	...	२६	,,
बम्बई	....	२१	,,

द्वितीय योजना-काल की तत्सम्बन्धी राज्यीय योजनाओं के लिए ४·५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

खेतों का बँटवारा तथा टुकड़े होना

भू-सम्पत्ति के उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप खेतों के बँटवारे से उनके टुकड़े इतने अधिक होते गये कि आज कृषि-उत्पादन बहुत ही गिरी अवस्था में है। भारत-सरकार इसी प्रवृत्ति को दूर करना चाहती है। १५ राज्यों में खेतों के बँटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में अन्य उपायों पर भी अमल किया गया।

जोत के आँकड़े

२२ राज्यों में कृषि-भूमि तथा जोत-सम्बन्धी गणना की जा चुकी है। गणना-सम्बन्धी परिणाम बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं।

निम्नलिखित राज्यों में वर्त्तमान जोतों के संबंध में कानून बनाये जा चुके हैं—

आसाम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र-प्रदेश	तेलंगाना-क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर	—	२२$\frac{3}{4}$,,
पंजाब	पेप्सू-क्षेत्र	३० स्टैण्डर्ड (विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में ४० स्टैण्डर्ड एकड़)
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	मराठवाड़ा-क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
	विदर्भ तथा कच्छ-क्षेत्र	६ पारिवारिक जोत
मैसूर	हैदराबाद-क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
राजस्थान	अजमेर-क्षेत्र	५० एकड़ (मध्यवर्त्ती लोगों के सम्बन्ध में)
हिमाचल-प्रदेश		चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रुपये के मूल्य का क्षेत्र।

इसके अतिरिक्त आसाम, आन्ध्र-प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेप्सू-क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जोतों की चकबन्दी

प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाओं में जोतों की चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। योजना-आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चकबन्दी का कार्य सामुदायिक योजना-कार्य-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए।

भूमि-सुधार का प्रशासन

भारत में राज्य-सरकारों के राजस्व-विभाग द्वारा भूमि-सुधार का कार्य किया जा रहा है। कुछ राज्यों में यह कार्य पंचायतों के हाथ में सौंपा गया। उत्तर-प्रदेश में यह काम 'गाँव-समाज' करता है। कुछ ग्रामीण संस्थाओं के द्वारा राजस्व-वसूली का काम किया जाता है और उन संस्थाओं को इस कार्य के लिए कमीशन मिलता है।

काँगरेस की भूमि-सुधार-नीति

काँगरेस-कमिटी के १९५९ के नागपुर-अधिवेशन में अखिलभारतीय भूमि-सुधार के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये—

(१) गाँवों में ग्राम-पंचायतों एवं ग्राम-सहयोग-समितियों के आधार पर ही गाँवों का संगठन। इनके जिम्मे सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिए इन्हें पूरी शक्ति या साधन मिलना चाहिए। उपज बढ़ाने के लिए इन दोनों संस्थाओं का कर्त्तव्य होना चाहिए कि घनी या गहरी खेती को प्रोत्साहन दें।

(२) कृषि का भावी स्वरूप सम्मिलित सहकारी खेती होना चाहिए, जिसमें कृषकों का स्वामित्व बना रहे और उन्हें भूमि के अनुपात से उपज का अंश प्राप्त हो। श्रमिकों को, चाहे उनकी जमीन उसमें हो या न हो, उनके श्रम के अनुपात से पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

(३) सन् १९५९ के अन्ततक वर्त्तमान एवं भावी जोत जमीन की हदबंदी हो जानी चाहिए तथा तत्संबन्धी कानून भी बन जाना चाहिए। इसी अवधि में मध्यवर्त्ती वर्ग का उन्मूलन हो जाना चाहिए। ग्रामीण सहयोग समितियों में छोटे-छोटे किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों का रहना आवश्यक हो।

(४) कृषकों को उचित लाभ की प्राप्ति के लिए उपज का न्यूनतम स्थानीय मूल्य निर्धारित हो जाना चाहिए।

सहकारी कृषि

भूमि-समस्या को केवल सहकारी ग्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है, जैसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में बताया गया है। प्रथम योजना में यह कहा गया है कि छोटे तथा मध्य श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, कृषि में अधिक

पूंजी लगाना तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों का पूरा-पूरा उपयोग करना सम्भव होगा। इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि-समितियों की स्थापना के लिए सहायक कानून तथा उनकी सहायता के लिए नियम बनाये।

द्वितीय योजना-काल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ आधार-भूमि तैयार करने के काम को प्रधानता दी गई है।

'राष्ट्रीय विकास-परिषद्' की स्थायी समिति ने सितम्बर, १९५७ में सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर विचार किया और शेष द्वितीय योजना-काल में ३,००० खेतों में सहकारी कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २,०२० सहकारी कृषि-समितियाँ थीं।

भूदान-यज्ञ

सन् १९५१ ई० में हैदराबाद के तेलंगाना-क्षेत्र के कृषकों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी समय आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना-क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने अपनी इस यात्रा से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि स्वतन्त्र भारत में अहिंसात्मक ढंग से समाज के सबसे अधिक शोषित वर्ग, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो निकट भविष्य में किसान-विद्रोह की संभावना है। इसी कारण उन्होंने १९५१ में ही 'भूदान-यज्ञ'-आन्दोलन आरम्भ किया। धीरे-धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्त्तन लाने के विचार लोगों के सामने प्रकट होते गये और १९५२ तक भूदान-यज्ञ एक क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन बन गया।

भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का लक्ष्य—भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का प्रधान लक्ष्य है—सत्य, अहिंसा और शांति के द्वारा संग्रह और शोषण के स्थान पर वितरण तथा समानता का आदर्श स्थापित करना। आचार्य विनोबा सारे भारत की पैदल यात्रा कर लोगों से उनकी भूमि का कम-से-कम छठा हिस्सा दान के रूप में माँगते थे। उनका लक्ष्य था सन् १९५७ तक ५ करोड़ एकड़ भूमि एकत्र करके खेतिहर भूमिहीन श्रमिकों में बाँट देना। आगे चलकर उन्होंने इस आन्दोलन को 'भूदान' तक ही नहीं रखा है, बल्कि बुद्धिदान, सम्पत्ति-दान, श्रमदान, ग्रामदान आदि आन्दोलन भी प्रारम्भ किये। इस समय उनकी अपील पर बड़े-बड़े डाकू भी अपना दुर्व्यसन छोड़कर समाज-सेवा के कार्य में आ गये हैं।

भूदान-यज्ञ का राजनीतिक महत्त्व—भूदान-यज्ञ-आन्दोलन द्वारा सशस्त्र और हिंसात्मक क्रान्ति को रोकने की चेष्टा की गई है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों का सहयोग इस आन्दोलन को प्राप्त है।

आर्थिक महत्त्व—भूदान-यज्ञ-आन्दोलन द्वारा एकत्र भूमि भूमिहीन कृषक-श्रमिकों में बाँट देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे देश में लगभग ४४.८ लाख ऐसे श्रमिक हैं, जिनके पास निजी भूमि नहीं। यदि सारी भूमि इन श्रमिकों में बाँट दी जाय, तो प्रति परिवार ५० एकड़ भूमि पड़ेगी। इस प्रकार ग्रामीण जीवन से बेरोजगारी का अन्त होगा, ग्रामीण जीवन में समानता का भाव विकसित होगा और किसान भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने पर उत्साहपूर्वक कृषि में संलग्न हो सकेंगे। भूदान-आन्दोलन में खेतिहर भूमिहीन श्रमिकों के बसाने पर अधिक जोर दिया गया है। इस आन्दोलन ने सर्वप्रथम यह नारा उठाया है कि भूमि पर सबका समान अधिकार है। इससे भूस्वामियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति ममता घट रही है। भूस्वामित्व चिरस्थायी नहीं रह सकता, इस बात का अब वे अनुभव कर रहे हैं। पूँजीवादी व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव व्यक्तिगत सम्पत्ति है। भूदान-आन्दोलन सामान्यतः व्यक्तिगत सम्पत्ति की श्राद्धा को भूमिसात् कर रहा है और धन-वितरण की पृष्ठ-भूमि तैयार करता है। इस प्रकार, भूदान-आन्दोलन एक ओर पूँजीवादी व्यवस्था को खोखला कर रहा है, तो दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था की सृष्टि। यही कारण है कि सरकार, प्रमुख राजनीतिक नेता तथा सामान्य जनता इस आन्दोलन का समर्थन कर रही है।

सामाजिक महत्त्व—भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का लक्ष्य शुद्ध गांधीवादी, अर्थात् अहिंसात्मक मार्ग के द्वारा सर्वोदय-समाज की सृष्टि करना है, जहाँ आर्थिक शोषण तथा वैषम्य का कोई स्थान नहीं होगा। इससे हिंसात्मक क्रान्ति नहीं हो पायगी और समाज में शान्ति तथा सुव्यवस्था रहेगी। भूमिदान के माध्यम से लोगों का हृदय-परिवर्त्तन हो रहा है।

भूमिदान-आन्दोलन की गत ९ वर्ष की अवधि में कितनी भूमि और कितने ग्राम प्राप्त हुए, यह नीचे लिखा है—

सन् १९५९ ई० तक भूदान-सम्बन्धी प्रगति

प्रान्त	प्राप्त भूमि	वितरित भूमि	ग्रामदान (घोषित-निश्चित)
१. बिहार	२१,२२,९१० एकड़	२,४२,२५३ एकड़	१५,३७५
२. उत्तर-प्रदेश	४,११,४८४ ,,	१,२७,८३५ ,,	५९
३. बंगाल	१२,६८१ ,,	३,४६४ ,,	२६
४. उड़ीसा	३,९३,४६६ ,,	१,१८,३३५ ,,	१,९४६
५. असम	२३,१९६ ,,	२२५ ,,	१२७
६. मध्य-प्रदेश—			
(क) महाकोसल	१,१८,३५३ ,,	४६,५७२ ,,	७४
(ख) विन्ध्य-प्रदेश	११,१९५ ,,	३,६७० ,,	—
(ग) मध्यभारत	२,७४,६५७ ,,	३३,९२४ ,,	—

प्रान्त	प्राप्तभूमि	वितरित भूमि	ग्रामदान (घोषित-निश्चित)
७. पंजाब	१,६,६२६ ,,	५,६५३ एकड़	२
८. हिमाचल-प्रदेश	१,५६८ ,,	२१ ,,	—
६. राजस्थान	४,२८,१७३ ,,	८१,१०१ ,,	२३४
१०. बम्बई—			
(क) गुजरात	४७,४८६ ,,	११,५२७ ,,	६३
(ख) नागविदर्भ	८६,७७८ ,,	४५,००० ,,	——
(ग) महाराष्ट्र	६४,३६० ,,	१०,५६१ ,,	५३५
(घ) सौराष्ट्र	३१,२३७ ,,	८,१८५ ,,	२
११. आन्ध्र-प्रदेश	२,४१,६५० ,,	६५,२७८ ,,	४८१
१२. मैसूर	१६,६७३ ,,	२,५२७ ,,	६६
१३. मद्रास	७०,८२३ ,,	२,३४६ ,,	२५४
१४. केरल	२६,०२१ ,,	२,१२६ ,,	५४३
		निश्चित	३,८५७
		घोषित	१५३
कुल—	४४,०६,१६२	८,४०,५८७	४,०१०

उद्योग-धंधे

१९५४ में हुई 'भारतीय उद्योग-गणना' के अनुसार भारत में ७,०६७ पंजीकृत कारखाने थे। इनमें ६,६३७ कारखानों में करीब ८ अरब रुपये की पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या १७,१४,७७० थी, जिनमें १५,३३,६८६ व्यक्ति मजदूर थे। इन उद्योगों में कुल करीब १३ अरब रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ।

१९५५ में ३१८ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों को ४१.८१ करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ। १९३९ को आधार-वर्ष मानते हुए सभी उद्योगों के लिए १९५५ में औद्योगिक लाभ का सूचनांक ३३४.३ था। इसी वर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के औद्योगिक लाभ के सूचनांक थे—कपास ५३५.०; कागज ७४७.८; कोयला २००.०; चाय १८३.१; चीनी ४१३.५; पटसन २७७.५; लोहा तथा इस्पात ३०७ ६ और सीमेण्ट ४०६.७। १९५६ में औद्योगिक लाभ का संशोधित सूचनांक (आधार-वर्ष १९५० = १००) १४९.१ था। कुछ उद्योगों के सूचनांक इस प्रकार थे: इंजीनियरिंग ३६८.२; कपास १३३.१; कागज २०९.०; कोयला १०३.२; चाय ११४.५; चीनी १७८.७; पटसन ५५ ३; लोहा तथा इस्पात १२०.८ और सीमेण्ट १२८.२।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम १६४८ में की गई। इस घोषणा में एक ऐसी मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया, जिसमें उद्योगों के आयोजित विकास का तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर हो।

उद्योगों का नियमन

१६४८ में घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और 'उद्योग (विकास तथा नियमन)-अधिनियम, १६५१' लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्त्तमान तथा नई औद्योगिक संस्थाओं के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया। सरकार को किसी भी औद्योगिक संस्था के कार्य-संचालन की जाँच-पड़ताल करने तथा आवश्यकतानुसार निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसी भी अव्यवस्थित संस्था का प्रबन्ध अपने अधीन कर लेने का अधिकार भी सरकार को दे दिया गया। उद्योगों के विकास तथा नियमन-सम्बन्धी मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय परामर्श-परिषद्'और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

इन अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के साधनों का उचित उपयोग कराना, बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सन्तुलित विकास कराना तथा विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन कराना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। 'केन्द्रीय उद्योग-परामर्श-परिषद्' के अतिरिक्त अन्य कुछ उद्योगों के लिए विकास-परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। जनवरी—सितम्बर, १६५८ में इस अधिनियम के अन्तर्गत ५५४ नये उद्योगों को लाइसेंस दिये जाने के लिए स्वीकृति दी गई।

उन महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त पूँजी प्राप्त नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष शर्त्तों पर ऋण देकर अथवा पूँजी लगाकर उनको वित्तीय सहायता दी।

उत्पादन-क्षमता

एक उत्पादन-क्षमता-प्रतिनिधि-मण्डल की सिफारिश के अनुसार, जो अक्तूबर-नवम्बर, १६५६ में जापान गया था, स्वतन्त्र संस्था के रूप में फरवरी, १६५८ में एक 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता-परिषद्' स्थापित की गई, जिसमें सरकार, मिल-मालिकों, मजदूरों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है।

औद्योगिक वित्त

जुलाई, १६४८ में स्थापित 'औद्योगिक वित्त-निगम' दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता आ रहा है। मार्च, १६५८ तक निगम ने ५७.४२ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दी। द्वितीय योजना में

निगम को केन्द्रीय सरकार से १३.५० करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई थी। अब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

'औद्योगिक वित्त-निगम (संशोधन)-अधिनियम, १६५७' का उद्देश्य निगम की संसाधन-सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है। अब उन उद्योगों को (नये उद्योग-सहित) जिन्हें राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निगम से ऋण प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य-सरकार अथवा एक अनुसूचित बैंक अथवा कोई राज्यीय सहकारी बैंक कुछ प्रत्याभूति (गारण्टी) दे। 'राज्यीय वित्त-निगम' मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं, जो अखिलभारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते।

निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों की सहायता के लिए जनवरी, १६५५ में स्थापित 'भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग-निगम' ने १६५७ के अन्त तक कई उद्योगों के लिए ११.६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के आधार पर फिर से ऋण लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य से जून, १६५८ में 'उद्योग-पुनर्वित्त-निगम प्राइवेट लिमिटेड' स्थापित किया गया। ये सुविधाएँ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी, जिनकी चुकता पूँजी तथा जिनका सुरक्षित धन २.५० करोड़ से अधिक नहीं है।

१६५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय उद्योग-विकास-निगम' सूतीवस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने का भी कार्य करता है। इस निगम को इस कार्य के लिए अबतक २.२६ करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

सरकार आवश्यक कच्चे माल तथा वस्तुओं के आयात के लिए सुविधाएँ और कर-सम्बन्धी रियायतें देकर तथा नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र की सहायता करती है। जनवरी, १६५२ में स्थापित 'अनुविहित तटकर-आयोग' संरक्षण-प्राप्त उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करता रहता है और नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के मामलों की जाँच करता है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किये गये हैं।

विदेशी पूँजी—द्रुत औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत संसाधनों की कमी की पूर्त्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निश्चय किया है, जिनमें किसी अमुक वस्तु के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है। विदेशी पूँजी-सम्बन्धी नीति अप्रैल, १६४८ के औद्योगिक नीति-विषयक प्रस्ताव तथा १६४६ में संविधान-सभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गई थी। इसके अनुसार—

(१) विदेशी पूँजी का उपयोग तथा विदेशी उद्यमों का नियमन राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही इस

बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रण भारतीयों के हाथों में रहे;

(२) सामान्य औद्योगिक नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में विदेशी तथा भारतीय उद्यमों में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायगा;

(३) देश की विदेशी विनिमय की स्थिति के अनुसार ही लाभ और पूँजी को विदेश भेजने की उचित सुविधाएँ दी जायेंगी, तथा

(४) राष्ट्रीयकरण की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति दी जायगी।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति—भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यद्यपि १८१८ में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, तथापि देश में सूती-वस्त्र-उद्योग का जन्म १८५४ में बम्बई में उस समय हुआ, जब इस उद्योग की पूँजी तथा व्यवस्था प्रमुख रूप से भारतीयों के हाथ में आ गई। भारत में पटसन-उद्योग का जन्म विदेशी पूँजी तथा विदेशियों के प्रयास के साथ १८५५ में कलकत्ता के निकट हुआ। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला-उद्योग का ही विकास हुआ। इस युद्ध से भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। 'भारतीय राजकोषीय (फिस्कल) आयोग' की सिफारिश पर १९२२ से लागू 'उद्योगों को विभेदी संरक्षण' की नीति से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। १९२२ से १९३९ तक की अवधि में सूती कटपीसों, इस्पात की सिल्लियों तथा कागज का उत्पादन बढ़कर क्रमशः दुगुने से अधिक, आठ गुना तथा ढाई गुना हो गया। १९३२—३९ में चीनी-उद्योग का विकास तो इतनी द्रुत गति से हुआ कि इसके सम्बन्ध में देश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो गया। इसी समय सीमेण्ट-उद्योग का भी विकास आरम्भ हुआ और १९३५-३६ तक देश की सीमेण्ट-सम्बन्धी ९५ प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्त्ति देश में बने सीमेण्ट से ही होने लगी। इसी अवधि में दियासलाई, वनस्पति, साबुन तथा कई इंजीनियरिंग के उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और देश में बिजली का सामान भी बनने लगा।

द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप देश के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का अधिक से-अधिक उपयोग किये जाने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हुई। युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में और भी कई नये उद्योगों का जन्म हुआ।

प्रथम योजना-काल—प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के विकास पर अधिक बल दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के विकास के लिए कुल विनियोग का केवल लगभग ८ प्रतिशत ही निर्धारित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की तत्कालीन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किये जाने पर अधिक बल दिया गया।

प्रथम योजना-काल में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ६० करोड़ रुपये का विनियोग किया गया, जबकि लक्ष्य ९४ करोड़ रुपये के विनियोग का रखा गया था। नये योजना-कार्यों

तथा विस्तार कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग २.३३ अरब रुपये का विनियोग किये जाने का अनुमान लगाया गया था। यह लक्ष्य भी प्राप्त किया जा चुका है। उद्योगों में कुल मिलाकर लगभग २·९३ अरब रुपये का नया विनियोग किया गया, जबकि योजना में ३.२७ अरब रुपये के विनियोग का लक्ष्य रखा गया था।

सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पतिजन्य तेल, सीमेण्ट, कागज, साइकिल, सिलाई की मशीनों तथा पेट्रोल-शोधन आदि के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिये गये। लोहा तथा इस्पात, अल्युमिनियम, मशीनी औजार, उर्वरक, डीजल इंजिन, पटसन से बनी वस्तुओं तथा बिजली के सामानों का उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच सका। प्रथम योजना-काल में कई नई वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हुआ।

२·९३ अरब रुपये के इस विनियोग का उद्योगवार विभाजन इस प्रकार है—

उद्योगवार विनियोग (प्रथम योजना)

	(करोड़ रुपयों में)
धातुकर्म-उद्योग (लोहा तथा इस्पात, अल्युमिनियम, सीसा)	६१.००
पेट्रोल-शोधन	४५.००
रसायन-उद्योग (रासायनिक पदार्थ, उर्वरक तथा औषधि आदि)	२७.००
इंजीनियरी उद्योग (बड़े तथा छोटे)	४६.००
सूती वस्त्र-उद्योग	२०.००
चीनी-उद्योग	५.००
रेयन वस्त्र-उद्योग	८.००
सीमेण्ट	१७.५०
कागज तथा गत्ता-उद्योग (समाचारपत्र-सम्बन्धी कागज-सहित)	१२.००
विद्युत्-उत्पादन तथा वितरण (निजी क्षेत्र में)	३२.६०
अन्य	१८.९०
योग	२९३.००

द्वितीय योजना-काल में—द्वितीय योजना-काल में संगठित उद्योगों में १०.९४ अरब रुपये का नया विनियोग (मूल आवण्टन) किया जायगा—५.२४ अरब रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में ('राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' द्वारा किये गये ३५ करोड़ रुपये के विनियोग के अलावा) तथा ४.६५ अरब रुपये निजी क्षेत्र में।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में व्यय किये जानेवाले १०.९४ अरब रुपये का सविस्तार उद्योगवार ब्यौरा इस प्रकार है—

उद्योगवार व्यय (द्वितीय योजना)

उद्योग	व्यय (करोड़ रुपयों में)	कुल विनियोग का प्रतिशत
धातुकर्म-सम्बन्धी उद्योग	५०२.५०	४५.९
इंजीनियरी उद्योग	१५०.००	१३.७
रसायन-उद्योग	१३२.००	१२.०
सीमेण्ट तथा बिजली का सामान आदि	९३.००	८.५
पेट्रोल-शोधन	१०.००	०.९
कागज तथा समाचार-पत्र-सम्बन्धी कागज आदि	५४.००	५.०
चीनी	५१.००	४.७
कपास, पटसन, ऊनी तथा रेशमी सूत और वस्त्र	३६.३०	३.३
रेयन	२४.००	२.२
अन्य	४१.५०	३.८

उद्योगों की १९५५-५६ की अपेक्षा १९६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि

	उत्पादन-क्षमता	उत्पादन
पूँजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योग		
तैयार इस्पात	२६०	२३१
अल्युमिनियम	३००	२३३
लौह-मैंगनीज	५१४	—
नत्रजनयुक्त उर्वरक	३४९	२७७
फॉस्फेटयुक्त उर्वरक	२४३	५००
सोडा ऐश	१८१	१८८
कास्टिक सोडा	२४१	२७५
प्लास्टिक के काम का पाउडर	९८६	१,३६२
रंग आदि	३०६	४५०
शक्ति सुरासार	३३	१००
सीमेण्ट	२२४	१८३
ऊष्मसह भट्टियाँ	१२५	१८६

पूँजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योग	उत्पादन-क्षमता	उत्पादन
बनावट के ऊपरी ढाँचे	१२१	१७८
रेल-इंजिन	१३५	१२५
विद्युत्-परिवर्त्तक	१२८	११६
औद्योगिक मशीन	—	४७१
बेंजोल	५६७	६००
उपभोक्ता-सामग्री-उद्योग		
चीनी	४४	२४
रेयन आदि	१६२	२४६
सूती वस्त्र—		
सूत	१३.०	१९.६
वस्त्र	गौण	२९.२
ऊनी वस्त्र—		
ऊनी धागा	१९.७	२५.०
वस्त्र	४.२	३४.२
काँच तथा काँच के बरतन	१६.२	६०.०
बाइसिकिल	१७.८	८१.८
साबुन	५.०	५०.०
वनस्पति	—	४८.१
कागज तथा गत्ता	११४	७५

औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक

(आधार वर्ष १९५१ ई० = १००)

			उत्पादन के सूचनांक (१९५१ ई० = १००)		
				अक्तूबर	अक्तूबर
	१९५६	१९५७	१९५७	१९५७	१९५८
सूती वस्त्र			११६.८	१११.१	११३.८
कपड़ा (करोड़ गज)	५३०.६६	५३१.७४	१०९.७	१०३.०	१०५.३
सूत (करोड़ पौण्ड)	१६७.१२	१७८.०१	१२७.५	१२२.५	१२९.७
पटसन से बनी वस्तुएँ (लाख टन)	१०.९३	१०.३०	१२०.५	११५.६	११५.१
चीनी (लाख टन)	१८.५६	२०.३९	१८५.५	४७.९	३४४.७
कागज तथा गत्ता (लाख टन)	१.९४	२·१०	१५९.३	१६६.४	२०४.४
(सिगरेट अरब)	२६.३०	२८.८१	१३४.७	१२७.६	१३२.७

	१९५६	१९५७	१९५७	अक्तूबर १९५७	अक्तूबर १९५८
कोयला (करोड़ टन)	३.९४	४.३५	१२६.८	१२४.३	१३१.१
लोहा तथा इस्पात			११९.३	११७.४	११६.९
तैयार इस्पात (लाख टन)	१३.३८	१३.४६	१२५.१	१२१.२	११५.४
कच्चा लोहा तथा लौह-मिश्रित धातु (लाख टन)	१९.५८	१९.१२	१०४.८	१०७.९	१२०.८
सामान्य इंजीनियरिंग			२४१.३	२०३.५	२३४.८
लालटेन (लाख)	५१.७९	४३.४५	१०९.३	७२.७	८४.९
डीजल इंजिन (संख्या)	१२,०१२	१६,६४४	२२९.६	२८७.४	३९०.४
रसायन तथा रासायनिक पदार्थ			१८१.३	१८१.१	२०४.४
साबुन (लाख टन)	१.१०	१.१२	१३३.८	१३६.६	१४६.७
दियासलाई (लाख पेटियाँ)	६.२६	५.७८	१००.१	९०.९	९६.५
सल्फर एसिड (लाख टन)	१.६५	१.९६	१८३.३	१७८.४	२१२.५
मोटरगाड़ियाँ (संख्या)	३२,१३६	३१,९३२	१४३.४	१३२.०	१४५.७
रबर से बनी वस्तुएँ			१६५.५	११५.०	१३९.०
टायर (लाख)	७२.५९	८१.४०	१७०.१	१०२.७	१३६.८
उत्पादित विद्युत (करोड़ (किलोवाट घण्टे)	९६१.०८	१,०८३.४८	१८४.९	१८६.९	२१९.२
सीमेण्ट (लाख टन)	४९.२८	५६.०२	१७५.३	१९१.७	१५४.४
अलौह-मिश्रित धातुएँ			१५१.७	१६९.४	१६०.९
पीतल (हजार टन)	१३.६०	१७.८०	१५८.२	१८४.९	१६६.१
लोहा (लाख टन)	४२.४८	४६.२०	१२६.३	१३०.२	१६९.५
सामान्य सूचनांक			१३७.३	१३३.९	१४२.७

मुख्य उद्योग

सूती वस्त्र-उद्योग—स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्वकाल में सूती वस्त्र-उद्योग का किस प्रकार विकास हुआ, यह नीचे दिया गया है—

सूती वस्त्र-उद्योग का विकास (१८७९—१९४७)

वर्ष	मिलें	तकुए (लाख)	करघे (हजार)	उत्पादन	
				सूत (करोड़ पौण्ड)	कटपीस (करोड़ गज)
१८७९-८०	५८	१४.०८	१३.३०	—	—
१८८९-९०	११४	२६.३५	२२.१०	—	—
१९०१	१७८	४८.४१	४०.५०	५७.३०	१२.००

वर्ष	मिलें	तकुए (लाख)	करघे (हजार)	उत्पादन सूत (करोड़ पौण्ड)	उत्पादन कटपीस (करोड़ गज)
१९११	२३३	६०.६५	८५.८०	६२.५०	२६.७०
१९२१	२४६	७२.७८	१३३.५०	६६.४०	४०.३०
१९३१	३१४	९०.७८	१७५.२०	९६.६०	६७.२०
१९४१	३९६	१००.२६	२००.२०	१५७.७०	१०६.३०
१९४७	४२३	१०३.५४	२०३.००	१२६.६०	३७६.२०

१९५८ में उपभोक्ताओं द्वारा कम माल का क्रय किये जाने तथा मिलों में कपड़ा पड़े रहने के कारण उत्पादन कम हुआ। दिसम्बर, १९५७ से उत्पाद-शुल्कों में कई किस्तों में पर्याप्त कमी किये जाने के फलस्वरूप सूती वस्त्र-उद्योग को काफी राहत मिली।

१९५८ के आरम्भ में देश में ४७० सूती वस्त्र की मिलें थीं, जिनमें १,३०,५०,००० तकुओं तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था। १९५८ में १.६८ अरब पौण्ड सूत तथा ४ अरब ९२ करोड़ ७० लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ। १९५९ के प्रारम्भ में इन मिलों की संख्या बढ़कर ४८२ हो गई। इनमें १.२० अरब रुपये का विनियोग हुआ था तथा ९ लाख मजदूर काम कर रहे थे।

सरकार इस उद्योग की आधुनिक उपकरणों तथा मशीनों-सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए १९५५ से सर्वेक्षण कर रही है। १९५८ तक 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' ने ३.७१ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी।

पटसन-उद्योग—पटसन-उद्योग का प्रारम्भिक विकास इस प्रकार है—

पटसन-उद्योग का विकास (१८७९—१९४७)

वर्ष	मिलें	अधिकृत पूँजी (करोड़ रुपये)	करघे (हजार)	तकुए (लाख)
१८७९-८० से १८८३-८४ (औसत)	२१	२.७१	५.५०	०.८८
१८९९-१९०० से १९०३-०४ (औसत)	३६	६.८०	१६.२०	३.३५
१९०९-१० से १९१३-१४ (औसत)	६०	१२.०९	३३.५०	६.९२
१९२५-२६ — —	९०	२१.३५	५०.५०	१०.६४
१९३०-३१ — —	१००	२३.६१	६१.८०	१२.२५
१९३७-३८ — —	१०५	२४.८९	५२.४०	८११.०
१९४६-४७ — —	१०६	—	६६.००	१२.०५

१९५४ की 'भारतीय उद्योग-गणना' के अनुसार उस समय देश में १०८ पटसन मिलें थीं, जिनमें ६५.३० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी तथा २,७१,४१५ व्यक्ति काम कर रहे थे। १९५७ में पटसन से बनी १०.३० लाख टन वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

पटसन-उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन-मिलों को मशीनों के आयात के लिए लाइसेंस दिये गये और देश में ही पटसन-मिल-सम्बन्धी मशीनों का निर्माण आरम्भ

किया गया। 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' अबतक ३.४७ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दे चुका है। ५० प्रतिशत से अधिक तकुए आधुनिक ढंग के कर दिये गये हैं।

सीमेण्ट—पोर्टलैण्ड सीमेण्ट का उत्पादन १९०४ में मद्रास में आरम्भ हुआ। इस उद्योग का वास्तविक विकास १९१२-१३ में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। १९५८ के ११ महीने में ५५.२९ लाख टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ।

कागज—भारत में मशीन से कागज बनाये जाने का काम १८७० में कलकत्ता के निकट 'बेली मिलों' की स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। द्वितीय महायुद्ध में कागज-मिलों की संख्या बढ़कर १५ हो गई। १९५० से इस उद्योग में काफी प्रगति हुई। १९५७ में २,१०,१३२ टन कागज का उत्पादन हुआ।

चीनी—२०वीं शताब्दी के चौथे दशक में मिले संरक्षण के अधीन तथा उसके पश्चात् चीनी-उद्योग का जो विकास हुआ, वह इस प्रकार है—

वर्ष	मिलें	चीनी का उत्पादन (सहस्र टन में)
१९३१-३२	३२	१,६०,०००
१९३८-३९	१३२	६,४२,०००
१९४५-४६	१३८	९,२३,०००
१९५०-५१	१३९	११,१६,०००
१९५५-५६	१४३	१८,५६,०००
१९५६-५७	—	२०,३९,०००
१९५७-५८	—	२०,०६,०००

समाचारपत्र-सम्बन्धी कागज की सर्वप्रथम मिल में उत्पादन-कार्य जनवरी, १९५५ में आरम्भ हुआ। इसकी प्रस्थापित क्षमता ३०,००० टन है, जबकि देश में इस समय प्रति वर्ष ७०,००० टन कागज की आवश्यकता पड़ती है। अप्रैल—जून, १९५८ में प्रतिदिन ७७.१९ टन कागज का उत्पादन हुआ।

लोहा तथा इस्पात—१८३० में दक्षिणी आरकाड़ु में आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात तैयार करने का सबसे पहला प्रयास असफल रहा। १८७४ में झरिया कोयला-खानों के निकट 'बराकर आयरन वर्क्स' स्थापित किया गया, जिसे १८८९ में 'बंगाल आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। १९०० में ३५,००० टन लोहा तथा इस्पात का उत्पादन हुआ। साकची (बिहार) में १९०७ में स्थापित 'टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' में कच्चे लोहे तथा इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन क्रमशः १९११ तथा १९१३ में हुआ। इनके अतिरिक्त १९०८ में आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' और १९२३ में भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स' (अब 'मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स') स्थापित हुए। १९३९ तक ८ लाख टन से अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ। द्वितीय महायुद्ध के समय में इस उद्योग का

और अधिक विकास हुआ और १९५७ तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर १३.४६ लाख टन हो गया। टाटा वर्क्स में मजदूरों की हड़ताल आदि के कारण १९५८ में इस्पात का उत्पादन घटकर १२.९५ लाख टन रहा। १९५८ में ११.६० लाख टन लोहे तथा इस्पात का आयात किया गया।

सन् १९५४ की 'भारतीय उद्योग-गणना' के अनुसार देश में उस समय लोहा तथा इस्पात के १२६ बड़े तथा छोटे कारखाने थे, जिनमें ३४.३० करोड़ रुपये की चालू पूँजी लगी हुई थी और ८५,६३४ व्यक्ति काम कर रहे थे।

इस्पात की बढ़ती हुई माँग की पूर्त्ति के लिए सरकार वर्त्तमान इस्पात संयंत्रों (प्लैण्ट) को, उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता देती आ रही है और साथ ही कुछ नये इस्पात-संयंत्रों की स्थापना भी कर रही है। द्वितीय योजना-काल में 'टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन करने तथा 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ाकर ८ लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में १०-१० लाख टन की उत्पादन-क्षमता के ३ इस्पात-संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। रूरकेला में १.७० अरब रुपये के व्यय से स्थापित किये जा रहे संयंत्र में प्रति वर्ष ७.२० लाख टन इस्पात की वस्तुएँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई (मध्यप्रदेश) के दूसरे संयंत्र में जिसपर १.३१ अरब रुपये व्यय किये जाने का अनुमान लगाया गया है, ७.७० लाख टन बिक्री-योग्य इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन होने की आशा है। दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) के तीसरे संयंत्र पर १.३८ अरब रुपये व्यय होने तथा इससे प्रतिवर्ष ७.९० लाख टन इस्पात की हल्की वस्तुएँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स' में १९६०-६१ तक १ लाख टन इस्पात तैयार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन तीनों योजना-कार्यों का निर्माण-कार्य पूरा होने पर इस्पात की सिल्लियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जायगा, जिससे ४६.८० लाख टन इस्पात तैयार हो सकेगा। रूरकेला की प्रथम धमन-भट्ठी का कार्य ३ फरवरी, १९५९ को तथा भिलाई की धमन-भट्ठी का कार्य ४ फरवरी, १९५९ को आरम्भ हो गया। इन तीनों इस्पात-संयंत्रों के प्रबन्ध का दायित्व 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' पर है, जो अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है। दुर्गापुर संयंत्र को धातुकर्म-सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल-सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भट्ठी संयंत्र का मार्च, १९५९ में उद्‌घाटन हुआ।

इंजीनियरिंग—१९४७ से सरकार इंजीनियरिंग-उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करती आ रही है तथा कई प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी भी हो चुका है। हाल के कुछ वर्षों में देश में कई नई वस्तुओं का निर्माण होना आरम्भ हुआ।

१९५७ में भारी तथा हल्की औद्योगिक मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश की औद्योगिक मशीन-सम्बन्धी अधिकांश माँग की पूर्ति अब देश में ही बनी मशीनों से हो सकती है। १९५७ में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। १९५८ में डीजल इंजिनों, बिजली की मोटरों, साइकिलों तथा सिलाई की मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

'नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड' अक्तूबर, १९५२ में स्थापित हुई। सरकार ने मूल रूप से १८७२ में संस्थापित इस निजी संगठन (नाहन फाउण्ड्री) को, जनवरी १९५३ में एक कम्पनी के नियन्त्रण में हस्तान्तरित कर दिया।

इस फाउण्ड्री में कृषि-औजार तैयार किये जाते हैं। १९५७-५८ में इस फाउण्ड्री में २,४५३ टन सामग्री का उत्पादन हुआ। एक विशेषज्ञ-समिति की सिफारिश पर इस फाउण्ड्री का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

भारतीय लेथ मशीनें सबसे पहले बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक मशीनी औजार-कारखाने में मई, १९५६ में तैयार की गई। यह कारखाना अब 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के अधीन है। १९५७-५८ में इस कारखाने में ४०२ मशीनों का निर्माण किया गया। इसमें अन्य प्रकार के मशीनी औजारों के भी तैयार किये जाने का विचार किया जा रहा है। १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ८९५ मशीनें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स—टेलीफोन के तार के सम्बन्ध में डाक-तार-विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबल्स फैक्टरी' का उत्पादन-कार्य १९५४ में आरम्भ हुआ। १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में इस कारखाने में क्रमशः ५९१ मील तथा ५३८ मील लम्बे केबल-तारों का निर्माण हुआ।

'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्टरी' १८३० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। जून, १९५७ में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्त्तित कर दिया गया। इसमें २५० प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म औजार तैयार किये जाते हैं। १९५७-५८ में इस कारखाने में ३० लाख रुपये के मूल्य के औजारों का निर्माण हुआ।

'चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने' के विकास-कार्यक्रम में इस्पात के एक भारी ढलाई-कारखाने की स्थापना का कार्यक्रम भी सम्मिलित है। जिससे भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सके। तदनुसार ७,००० टन की उत्पादन-क्षमता का एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार बड़े ढलाई-कारखानों के लिए 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' के कार्यक्रम में १५ करोड़ की व्यवस्था रखी गई है। द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में कई मशीन-उद्योगों की स्थापना तथा 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी' के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।

बिजली के काम में आनेवाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए ब्रिटेन के एक फर्म के साथ करार किया गया। अगस्त, १६५६ में 'हैवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। तत्सम्बन्धी संयंत्र भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। इसपर ७-८ वर्षों में २१ करोड़ रुपये का विनियोग किये जाने का अनुमान लगाया गया है।

उद्योगों के उपयोग में आनेवाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप से 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' (अक्तूबर, १६५४ में स्थापित एक सरकारी कम्पनी) कर रहा है। देश में एक भारी मशीन-निर्माण-संयत्र (बिहार में राँची के निकट हटिया में), एक कोयला-खनन-मशीन-संयंत्र तथा एक चश्मा-शीशा-कारखाना (दोनों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में) की स्थापना करने में सहायता प्राप्त करने के लिए १६५७ में रूस की सरकार के साथ एक करार किया गया। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन १६५६ में प्राप्त होने की आशा है।

रेल-इंजिन तथा सवारी-डब्बे— सरकार ने रेल-इंजनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बन प्राप्त करने की दृष्टि से रेल-मन्त्रालय के अधीन पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन में एक रेल-इंजिन-कारखाना स्थापित किया। अब इसमें प्रति वर्ष डब्ल्यू० जी० किस्म के १६८ इंजिन तैयार किये जाते हैं, जो स्टैण्डर्ड किस्म के २०० से अधिक इंजिन के बराबर होते हैं। अन्ततोगत्वा इस कारखाने में प्रति वर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के ३०० इंजिन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाले 'टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने' से १६५७-५८ तथा १६५८-५६ में क्रमशः ८५ तथा १०० इंजिन प्राप्त हुए।

पेराम्बूर-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारी-डब्बा-कारखाने में उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १६५५ में आरम्भ हुआ। १६५७-५८ में २२२ अनुपस्कृत (फर्निश्ड) सवारी डब्बों का निर्माण हुआ। १६५६ से इस कारखाने में प्रतिवर्ष ३५० सवारी डब्बे तैयार किये जायेंगे।

जहाजरानी— मार्च १६५२ में सरकार ने 'सिन्धिया स्टीमशिप नेविगेशन कम्पनी' से विशाखापत्तनम् का जहाज-निर्माण-घाट खरीद लिया। इस जहाज-निर्माण-घाट का प्रबन्ध 'हिन्दुस्तान जहाज-निर्माण घाट लिमिटेड' के अधीन कर दिया गया, जिसकी ७८ प्रतिशत पूँजी सरकार द्वारा लगाई हुई है। यह जहाज-निर्माण-घाट प्रतिवर्ष चार आधुनिक डीजल-चालित जहाज का निर्माण कर सकता है।

अबतक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न लम्बाई-चौड़ाई के २० जलयान तथा ३ छोटी नौकाएँ (लगभग १,०१,३७२ टन भार) तैयार की जा चुकी हैं। द्वितीय योजना-काल में इस कारखाने में ७५,००० से ६०,००० टन जी० आर० टी० तक के जलयान तैयार किये जाने का विचार किया गया था। अब एक दूसरा जहाज-निर्माण-घाट स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन का एक प्राविधिक

मण्डल १९५७ में भारत आया तथा अप्रैल, १९५८ में उसने अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया।

विमान-उद्योग—दिसम्बर, १९४० में ४ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से बंगलोर में 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक विमान-कारखाना स्थापित किया गया।

भारतीय वायुसेना के विमानों की मरम्मत तथा उनके सार-सँभाल के अलावा इस कारखाने में भारतीय वायुसेना के लिए वैम्पायर जेट-विमान तैयार करने अथवा उनके पुर्जों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस कारखाने में 'एच-टी २' नामक विमान, भारतीय रेलों के लिए केवल इस्पात के बने हुए सवारी-डब्बे तथा विभिन्न राज्यीय तथा निजी परिवहन-संगठनों के लिए बस के ढाँचे तैयार किये जाते हैं।

रासायनिक पदार्थ तथा औषधियाँ—प्रथम महायुद्ध के समय में भारत के रसायन-उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के अवसर पर भारत रासायनिक पदार्थों के आयात पर ही निर्भर था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से रसायन-उद्योग के विकास में काफी प्रगति हुई। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। निजी क्षेत्र में १९४६—५० में देश में रसायन-उद्योग-सम्बन्धी ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। १९५४ में देश में विभिन्न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ। १९५६ में कास्टिक सोडा, सुपर-फास्फेट तथा साबुन आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई जबकि अमोनियम सल्फेट तथा दियासलाई आदि के उत्पादन में कुछ कमी आई। १९५७ तथा १९५८ में भी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगस्त, १९५८ में सोवियत विशेषज्ञों की एक मण्डली भारत आई।

सरकार ने 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरराष्ट्रीय बालसंकट-कोष' तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन' की सहायता से दिल्ली में एक डी० डी० टी० कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १९५५ में आरम्भ हुआ। १९५७ में १,२७० टन डी० डी० टी० तैयार किया गया। १९५८ में कारखाने की उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई। अप्रैल, १९५८ से केरल-राज्य के अलवाए नामक स्थान में स्थापित डी० डी० टी० के दूसरे कारखाने में भी कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारत-सरकार, पूना के निकट पिम्परी में एक पेनसिलीन-कारखाना स्थापित कर चुकी है। इसका उत्पादन-कार्य अगस्त, १९५५ में आरम्भ हुआ। इस कारखाने का प्रबन्ध 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के नियन्त्रण में है। १९५७-५८ में प्रति वर्ष २ करोड़, १४ लाख, ३० हजार मेगा पेनसिलीन का उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। वर्त्तमान संयंत्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा पेनिसिलीन तैयार किया जा सके। इस कारखाने में १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ४०,०००-४५,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रो-स्ट्रेप्टोमाइसीन तैयार करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

उर्वरक—सरकार द्वारा स्थापित 'सिन्दरी-उर्वरक-कारखाने' की देखभाल 'सिन्दरी उर्वरक तथा रसायन (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्था करती है। इसका उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १९५१ में आरम्भ हुआ। १९५७-५८ में इस कारखाने में ३,३२,०४१ टन अमोनियम-सल्फेट तैयार हुआ। कोयला-भट्ठी-संयंत्र से प्राप्त होनेवाली गैस का उपयोग करके उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना विचाराधीन है। १९५७-५८ में २.२६ लाख टन कोयला तथा ९६,१४४ टन अमोनियम तैयार किया गया।

नत्रजनयुक्त उर्वरकों की प्रत्याशित माँग की पूर्त्ति के उद्देश्य से नंगल, नइवेली तथा रूरकेला में ३ अतिरिक्त उर्वरक-उत्पादन-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता क्रमशः ७०,००० टन, ७०,००० टन तथा ८०,००० टन की होगी। 'नंगल फर्टिलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के प्रबन्ध में नंगल-स्थित कारखाने में उत्पादन-कार्य १९६० में आरम्भ होने की आशा है। नइवेली तथा रूरकेला के कारखानों में क्रमशः यूरिया तथा नाइट्रोलाइमस्टोन तैयार किया जायगा।

तेल—द्वितीय योजना के प्रारम्भ में तेल-संसाधनों की दृष्टि से देश की स्थिति संतोषप्रद थी। देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती है, जिसमें से ६६ लाख टन तेल की पूर्त्ति आयात से ही होती है। भारत का एकमात्र तेल-क्षेत्र आसाम में डिगबोई के आसपास स्थित है। नाहरकटिया तथा मोरान के आसपास के प्रदेशों में भी तेल का पता लगाया जा चुका है और कई कुएँ खोदे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों से प्रति वर्ष २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन बढ़कर ४५ से ५० लाख टन हो जायगा।

पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का पता लगाने तथा इनके उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जानेवाले दो तेल-शोधक कारखानों तक पाइप लगाने के लिए 'आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक रुपया कम्पनी की स्थापना के लिए जनवरी, १९५८ में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

पंजाब में ज्वालामुखी नामक स्थान में तेल की खोज का काम जारी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। इस खोज में विदेशों से भी सहायता प्राप्त हो रही है।

प्रथम योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल-सम्बन्धी कुल आवश्यकता की पूर्त्ति आयातों से ही होती थी; क्योंकि डिगबोई-स्थित 'आसाम-तेल-कम्पनी' के शोध-कारखाने में पेट्रोल-उत्पादन कुल आवश्यकता के ५ प्रतिशत से कुछ ही अधिक था। प्रथम योजना में ३ पेट्रोल-शोधक कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया था। इनमें से दो ट्रॉम्बे तथा तीसरा विशाखापत्तनम् में स्थापित किया गया।

दो नये तेल-शोधक कारखानों के संचालन के लिए अगस्त, १९५८ में ३० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ 'इण्डियन रिफाइनरीज (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। अक्तूबर, १९५८ में हुए एक करार के अनुसार रूमानिया-सरकार ने भी आसाम में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

कोयला तथा लिग्नाइट—खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले १८१४ में रानीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ। देश में रेलों का चलना आरम्भ होने से इस उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा कई ज्वाइण्ट स्टॉक-कम्पनियाँ स्थापित हुईं। इन कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियाँ यूरोपीय लोगों के ही नियन्त्रण में थीं। १८६८ के बाद कोयला-उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। १९५८ में ४.५२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ।

द्वितीय योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। २.२० करोड़ टन कोयले के अतिरिक्त उत्पादन में से १ करोड़ टन कोयला निजी क्षेत्र में पैदा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की देखभाल के लिए अक्तूबर, १९५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' ११ कोयला-खानों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल हुआ। कई नई कोयला-खानों में भी कोयला निकाला जाने लगा है। नवम्बर, १९५८ में एक जापानी फर्म की सहायता से कारगली में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित किया गया। मार्च, १९५९ में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म की सहायता से पश्चिम बंगाल-सरकार द्वारा स्थापित दुर्गापुर के कोयला-भट्ठी संयन्त्र से दुर्गापुर इस्पात-संयन्त्र के लिए कोयला प्राप्त होगा। १९५८ में निजी कोयला-खानों से ३.९५ करोड़ टन कोयला निकाला गया।

दक्षिण-भारत में कोयले की कमी को देखते हुए नइवेली के 'बहूद्देश्यीय दक्षिण आरकाडु लिग्नाइट योजना-कार्य' के विकास को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। दिसम्बर १९५६ में 'नइवेली लिग्नाइट-निगम' ने इस योजना-कार्य को अपने अधिकार में ले लिया। कोयला निकालने का काम प्रगति पर है। नवम्बर, १९५७ के भारत-रूसी करार के अधीन एक विद्युत् गृह की स्थापना के लिए ५० करोड़ रूबल का ऋण प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य खनिज पदार्थ—१९५८ में खनन-कार्य में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे और ३,३०० खानों में काम हो रहा था। अधिक महत्त्वपूर्ण खनन-केन्द्र आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। १९५७ में खानों से १ अरब २६ करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गये। १९५६ में इनका परिमाण-सम्बन्धी सूचनांक ११६.५ (आधार वर्ष : १९५१ ई० = १००) था। विभिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा उनका मूल्य इस प्रकार है —

खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य)

	१९५७	
	परिमाण	मूल्य (रुपये)
धातु खनिज पदार्थ		
लौह		
क्रोमाइट (टन)	७८,५४२	२६,२०,०००
लोहा (टन)	५०,७४,०००	४,३४,४३,०००
मैंगनीज (टन)	१६,०२,०००	१४,०५,४६,०००

	परिमाण	मूल्य (रुपये)
अलौह		
बॉक्साइट (टन)	६६,०७१	६,०६,०००
ताँबा (टन)	४,०४,०००	२,६५,३४,०००
सोना (औंस)	१,७६,०००	५,१०,६६,०००
इलेमैनाइट (टन)	२,६६,०००	१,६८,१२,०००
सीसा (टन)	४८,५०,०००	१२,१०,०००
चाँदी (औंस)	१,२६,०००	६,०५,०००
चरडातु वोलफ्राम (हण्डरवेट)	२६	८,०००
जस्ता (टन)	७,४६६	२५,३२,०००
धातु-भिन्न खनिज पदार्थ		
हीरा (कैरेट)	७६०	१,६८,०००
मरकत एमेरल्ड (कैरट)	३,३८,०००	२५,०००
जिप्सम (टन)	६,२२,०००	५७,६३,०००
कच्चा अभ्रक (हण्डरवेट)	६,०६,०००	२,३१,५४,०००
नमक (सेंधा नमक को छोड़कर) (टन)	३६,१२,०००	७,४३,७५,०००

बागान-उद्योग

१८३४-१८६५ में चाय का उत्पादन सरकारी बागानों में ही होता था। १८६५ के बाद से चाय के बागानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय कारोबारी संस्थाओं के हाथ में ही रही। १९३५-३६ में ७,८१,२३० एकड़ भूमि में ३१.५० करोड़ पौण्ड चाय का उत्पादन हुआ।

कहवा की कृषि १८३० में आरम्भ हुई तथा १८६२ में इस उद्योग का विकास चरम सीमा पर पहुँच गया। १९३५-३६ में १,८६,००० एकड़ भूमि में कहवा के बागान थे।

रबर के बागान हाल के कुछ वर्षों में लगाये गये। १९४० में १२,००० टन रबर का उत्पादन हुआ। १९४०-४१ में ५,३८,००० एकड़ भूमि में रबर के बागान थे।

चाय, कहवा तथा रबर के बागान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०४ प्रतिशत में फैले हुए हैं। ये बागान मुख्यतः उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट पर स्थित हैं। इनमें १२ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को बहुत अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। १ अरब रुपये का विदेशी विनिमय केवल चाय से ही प्राप्त होता है। कहवा तथा रबर का उपभोग आजकल अधिकतर अपने देश में ही हो जाता है।

चाय तथा कहवा के बागानों में १९५७ में उत्पादन क्रमशः ६७ करोड़, ५६ लाख, ३१ हजार तथा ८ करोड़, ८० लाख, १० हजार पौण्ड और रबर के बागानों में १९५६ में उत्पादन ४.९० करोड़ पौण्ड हुआ।

१९५४ में चाय-उद्योग में १.१३ अरब रुपये का विनियोग किया गया। इस उद्योग में ९,९३,५९४ व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त १९५५-५६ में कहवा तथा रबर के बागान क्रमशः १३,४४३ तथा १४,४१७ थे, जिनमें क्रमशः २,२२,७६३ तथा औसतन ५७,८१२ व्यक्ति रोजगार में लगे हुए थे।

चाय, कहवा तथा रब-उद्योगों की आर्थिक स्थिति तथा समस्याओं की जाँच-पड़ताल के लिए अप्रैल, १९४४ में नियुक्त 'बागान जाँच-आयोग' ने १९५६ में अपने प्रतिवेदन दिये। सितम्बर, १९५८ में चाय पर लगनेवाले निर्यात-शुल्क में कमी करने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दरों पर उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने का निर्णय किया गया।

छोटे पैमाने के तथा कुटीर-उद्योग

यद्यपि देश में बड़े पैमाने के उद्योग का काफी विकास हुआ है, तथापि भारत मुख्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश के कुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं, जिनमें ५० लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग में ही काम करते हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य-सरकारों पर है। उनकी सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने ये संगठन स्थापित किए हैं—अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग; अखिलभारतीय दस्तकारी-मण्डल; अखिलभारतीय हथ-करघा-मण्डल; लघु उद्योग-मण्डल; नारियल-जटा-मण्डल तथा केन्द्रीय रेशम-मण्डल।

सरकार तथा बैंकिंग-संस्थान छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। १९५७-५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य-सरकारों के लिए ३.३० करोड़ रुपये के ऋणों तथा १.१० करोड़ रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई। अबतक ७२ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से सितम्बर, १९५८ तक १७ औद्योगिक बस्तियों का निर्माण पूरा हो चुका था और इनपर ३.६८ करोड़ रुपये व्यय हुए। इन औद्योगिक बस्तियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ रुपये से बढ़कर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास-स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओं, १२ बड़ी संस्थाओं, ५ शाखा-संस्थाओं तथा ६२ विस्तार-केन्द्रों का भी कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रत्येक राज्य में भी ऐसी एक संस्था की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, १९५८ में इस सेवा का पुनस्संगठन किया गया। लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं तथा फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से भारतीय प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है।

फरवरी, १९५५ में एक 'राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम' स्थापित किया गया। १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित ३.४० करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीदीं। निगम ने मशीनों तथा उपकरणों के क्रय-विक्रय (हायर परचेज) के लिए एक योजना लागू की, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों को १.४३ लाख रुपये की मशीनें दी जा चुकी हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए 'सामुदायिक योजना-कार्य-प्रशासन' ने कई सामुदायिक योजना-कार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डों में खण्ड-स्तर के औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किये हैं।

दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए १९५२ में स्थापित 'अखिल भारत दस्तकारी-मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में विशेष रूप से ध्यान दिया। इस मण्डल के निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए 'भारत दस्तकारी विकास-निगम स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में 'दस्तकारी-सप्ताह' मनाये जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रति वर्ष १ अरब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष लगभग ७ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

नारियलजटा-उद्योग मुख्यतः एक कुटीर-उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में लकड़ी के करघे हैं, जिनपर हाथ से काम किया जाता है। १.२० लाख टन के अनुमित वार्षिक उत्पादन में से ९० प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है।

औसतन ५०,००० टन नारियल जटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। 'नारियल-जटा-मण्डल' भारत में नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है। नारियल-जटा से बनी वस्तुएँ विदेशी विनिमय के अर्जन के महत्त्वपूर्ण स्रोत होने की दृष्टि से द्वितीय योजना में नारियल-जटा उद्योग के लिए की गई व्यवस्था अब बढ़ाकर २.३० करोड़ रुपये की कर दी गई है।

१९५७ में ३१.७० लाख पौण्ड कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ, जिसमें से लगभग आधे का उत्पादन मैसूर-राज्य में ही हुआ। मैसूर के बाद इसके महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में आसाम, जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के राज्य आते हैं। अप्रैल, १९५८ में पुनस्संगठित 'केन्द्रीय-रेशम-मण्डल' रेशम उद्योग तथा रेशम-कीड़ा-पालन के विकास का देखभाल करता है। १९४३ में बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) में एक 'केन्द्रीय रेशम-कीड़ा-पालन-शोध-केन्द्र' स्थापित किया गया, इसकी एक शाखा कलिम्पोंग में भी स्थापित की गई। द्वितीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार किया जायगा। 'केन्द्रीय रेशम-मण्डल' की ओर से मैसूर में एक 'अखिलभारतीय रेशम-कीड़ा-पालन-प्रशिक्षण-संस्था' तथा श्रीनगर में एक 'केन्द्रीय रेशम-कीड़ा (विदेशी) पालन-केन्द्र' स्थापित किया गया।

प्रथम योजना-काल में लघु तथा ग्राम-उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न मण्डलों के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने जो व्यय किया, वह इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपयों में)
	१९५१-५६
खादी-उद्योग	१२.३०
ग्राम-उद्योग	२.६०
लघु उद्योग	४.४०
दस्तकारी	०.८०
नारियल-जटा	०.३०
रेशम-कीड़ा-पालन	०.७०
हथकरघा	१२.२०
योग	३३.६०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु तथा ग्राम-उद्योगों के विकास के लिए २ अरब रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें खादी-उद्योग पर १६.७० करोड़ रुपये, ग्राम-उद्योगों पर ३८.८० करोड़ रुपये, लघु उद्योगों पर ५५ करोड़ रुपये, दस्तकारी-उद्योग पर ९ करोड़ रुपये, हथकरघा-उद्योग पर ५९.५० करोड़ रुपये तथा अन्य उद्योगों पर २१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

खादी-उद्योग—'अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग' खादी-उद्योग को सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों, राज्य-सरकारों और राज्य-सरकारों द्वारा स्थापित मण्डलों के द्वारा वित्तीय सहायता देता है। खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपभोक्ताओं को एक रुपये पर १९ नये पैसे की छूट दी जाती है, जबकि उन व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग गज खादी पर ३१ नये पैसे की छूट दी जाती है, जो अपने उपयोग के लिए खादी स्वयं तैयार करते हैं। खादी के विक्रय तथा उत्पादन-केन्द्रों को भी एक रुपये पर ३७ नये पैसे छूट दी जाती है।

१९५७-५८ में १०.१५ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७.७२ करोड़ रुपये की खादी बिकी।

अम्बर-चर्खा—१९५६-५७ में उन्नत प्रकार का चर्खा (अम्बर-चर्खा) चालू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया। इस चर्खे में ४ तकुए होते हैं और कातनेवाला ८ घण्टे में प्रतिदिन ६ गुण्डियाँ कात सकता है। अम्बर-चर्खे पर काते गये सूत से करघों द्वारा लगभग ३० करोड़ वर्गगज वस्त्र तैयार होनेवाला है।

सरकार द्वारा मार्च, १९५६ में नियुक्त 'अम्बर-चर्खा-जाँच-समिति' इस निर्णय पर पहुँची कि कताई के लिए अम्बर-चर्खा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तदनुसार सरकार ने १९५६-५७ में ७५,००० अम्बर-चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी। १९५७-५८ में अम्बर-चर्खे के सूत से १ करोड़, ११ लाख, ५० हजार वर्गगज कपड़ा तैयार हुआ।

१९५७-५८ में अम्बर-चर्खा-कार्यक्रम के अन्तर्गत १,१०,१५३ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। १९५६-५७ में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास द्वारा २१.१८ लाख व्यक्तियों को पूर्ण तथा आंशिक समय के काम दिलाये गये।

खनिज पदार्थ

खनिज सम्पत्ति के मामले में भारत को एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। संसार के खनिज-उत्पादक देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। मैंगनीज और इलमेनाइट के सर्वाधिक उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अबरख के संचित परिमाण एवं किस्म तथा मैंगनेटाइट और बॉक्साइट के प्रचुर संचय के कारण भारत को खनिज-उत्पादक देशों में यह महत्त्व प्राप्त है। कच्चा लोहा, कोयला तथा कई अन्य खनिजों की भी यहाँ प्रचुरता है। पेट्रोलियम, जस्ता, एण्टीमनी, टिन, प्लेटिनम, सेलीनम बोरेटस, आयोडिन, पोटाश, गंधक, शोरा, फास्फेट और टेलुरियम आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन सर्वथा अपर्याप्त है। निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले सामान, जैसे—चूना, पत्थर, क्ले, बालू, जिप्सम आदि यहाँ प्रचुर परिमाण में प्राप्य हैं।

भारत के खनिज पदार्थ चार श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—(१) पहली श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन यहाँ की खपत से अधिक होता है और जो दुनियाँ के बाजार में पर्याप्त परिमाण में भेजे जाते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ कच्चा लोहा, टिटैनियम और अबरख हैं। (२) दूसरी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जिनका निर्यात एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंगनीज, बॉक्साइट मैंगनेसाइट, प्रकृत अब्रेसिव्स, स्टीटाइट, सिलिका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मानेजाइट, कोरण्डम तथा सिमेण्ट के सामान ऐसे ही खनिज पदार्थ हैं। (३) तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन देश की वर्त्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा जाता है। ऐसे खनिज पदार्थ हैं-कोयला, अलमिनियम, खनिज रंग, सोना, क्रोम, गृह-निर्माण के पत्थर, संगमरमर, स्लेट, चूना-पत्थर, औद्योगिक मिट्टी, डोलोमाइट, सोडियम, साल्ट और अलकली, दुष्प्राप्य मिट्टी, बेरिलियम, एल्यूम शीशा का बालू, पिराइट्स, बोरैक्स, नाइट्रेट्स, जिरकॉन, वेनेडियम, कीमती पत्थर, फास्फेट आदि। (४) चौथी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जो यहाँ बहुत कम परिमाण में पाये जाते हैं और जिनके लिए भारत को अधिकतर विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसे पदार्थों में ताँबा, चाँदी, निकेल, पेट्रोलियम, गंधक सीसा, जस्ता, टिन, फ्लोराइड, पारा, प्लाटिनम, ग्रेफाइट, एस्फाल्ट, मॉलिबडेनम, टंगस्टेन और पोटाश हैं।

खानों एवं खनिज पदार्थों का संरक्षण—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत-सरकार ने खनिज-सम्पत्ति के संरक्षण, नियमन एवं उसमें छूट देने के लिए कानून-निर्माण की आवश्यकता का अनुभव किया। सितम्बर, १९५७ ई० में माइन्स ऐण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन

एण्ड डेवलपमेंट) नामक कानून पास किया गया, जिसमें १९५८ के ऐक्ट १५ द्वारा संशोधन लाया गया। यह कानून केन्द्रीय सरकार को खानों एवं खनिज पदार्थों के संरक्षण एवं विकास तथा लाइसेंस, लीज आदि की शर्तों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।

खान-सम्बन्धी सरकारी विभाग —भारत-सरकार के इस्पात, खानें और ईन्धन मंत्रालय के दो विभाग हैं—(१) लोहा और इस्पात विभाग तथा (२) खानें और ईंधन-विभाग। इस दूसरे विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यालय और संगठन (संस्थाएँ) हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इण्डिया, (२) इण्डियन ब्यूरो ऑफ् माइन्स, (३) आयल ऐण्ड नेशनल गैस कमीशन, (४) ऑफिस ऑफ् द कोल कण्ट्रोलर, (५) कोल-बोर्ड, (६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और (७) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०।

खनिज पदार्थ-सम्बन्धी संस्थाएँ —खनिज पदार्थ-संबंधी निम्नांकित संस्थाएँ हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ् इण्डिया—इसकी स्थापना १८५१ ई० में हुई। यह संस्था भारत के भूगर्भ-संबंधी मानचित्र तैयार करती है, जिनके आधार पर देश के खनिज साधनों का मूल्यांकन होता है तथा भूगर्भ-संबंधी कार्य किये जाते हैं। यह संस्था एक निर्देशक के अधीन कार्य करती है, जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है।

(२) मिनरल इनफॉरमेशन ब्यूरो—उद्योगों के संबंध में सूचना एवं परामर्श देने के लिए इस संस्था की स्थापना सन् १९४८ ई० में की गई। अप्राविधिक भाषा में भारतीय खनिजों, ईंधन, कच्चा लोहा, लौह-मिश्रण खनिज, बहुमूल्य द्रव्य, जवाहरात, रासायनिक उद्योगों के खनिज, औद्योगिक मिट्टी, बालू एवं अन्य मिश्रित खनिजों के में संबंध में तथ्य का विस्तार करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(३) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन—१५ करोड़ की अधिकृत पूँजी से इस विभाग की स्थापना १५ नवम्बर, १९५८ ई० को की गई, यह कारपोरेशन तेल, प्रकृत गैस और कोयला के अतिरिक्त शासकीय क्षेत्रों में अन्य खनिजों के उपयोग के कार्य को सम्पन्न करेगा। प्रारंभ में किरी फुरू के कच्चे लोहे का उपयोग प्रति वर्ष २० लाख टन जापान को निर्यात करने के रूप में करेगा।

(४) उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड—शासकीय क्षेत्र में कच्चे लोहे के उपयोग के उद्देश्य से इसकी स्थापना मई, १९५६ ई० में की गई।

(५) इंडियन ब्यूरो ऑफ् माइन्स—इसकी स्थापना १९४८ ई० में की गई और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में रखा गया। यह खान-विशेषज्ञों की संस्था है, जो खनिज के विकास के संबंध में समय-समय पर अपना परामर्श सरकार को दिया करती है। यह संस्था 'माइन्स ऐण्ड मिनरल (रेगुलेशन डेवलपमेंट) ऐक्ट १९५८' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। इसे उत्खनन-प्रणालियों में सुधार एवं विकास, खनिज के अधिकतम परिमाण की उपलब्धि तथा खनिजों के अपव्यय को रोकने के लिए खानों का निरीक्षण करना पड़ता है। यह संस्था खनिज पदार्थों में रियायत, रोयल्टी,

लगान, कर-निर्धारण, निर्यात-नीति आदि के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देती है और खनिजों के उत्पादकों और व्यवसायियों को विश्लेषण तथा परीक्षण की सुविधाएँ प्रदान करती है।

खनिज-उद्योग से संबंधित सभी विषयों में सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५३ ई० में 'खनिज-परामर्श-मंडल (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई। यह मण्डल खनिज एवं खनिज उत्पादनों के आयात-निर्यात-मूल्य के संबंध में सरकार को परामर्श देता है तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन, अन्तर्देशीय वितरण तथा खपत की आलोचना करता है।

खान-संबंधी शिक्षा—सन् १९२६ ई० में धनबाद में 'इण्डियन स्कूल ऑफ् माइन्स ऐण्ड अप्लायड जियोलॉजी' स्थापित किया गया, जहाँ खनिज-अभियंत्रणा एवं प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र का प्राविधिक उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त यहाँ विद्युत् और मिकैनिकल इंजीनियरिंग, रसायन-शास्त्र, फ्यूएल टेकनोलॉजी, धातु-विज्ञान-गणित, विदेशी भाषाएँ आदि की शिक्षा दी जाती है। एक पुनर्गठन-समिति के अभिस्ताव पर इस विद्यालय का पुनस्संगठन किया गया है। नये कार्यक्रम में यहाँ धातु-विज्ञान, फ्यूएल-टेकनोलॉजी, रिफ्रैक्टरीज और सेरामिक्स-जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विद्यालय में खान तथा प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र की शिक्षा के लिए 'नेशनल स्कूल ऑफ् माइन्स' नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है। हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी के 'कॉलेज ऑफ् माइनिंग एण्ड मेटलॉजी' में खान-संबंधी शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न खनिज पदार्थ

कोयला—सब प्रकार के उद्योग-धंधों के लिए कोयला परम आवश्यक वस्तु है। संसार में कोयले के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना और टरशियरी इन दो क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य-भारत, मध्य-प्रदेश और हैदराबाद में फैला हुआ है। टरशियरी क्षेत्र आसाम और राजपूताना में है। गोंडवाना-क्षेत्र से ९८ प्रतिशत कोयला और टरशियरी क्षेत्र से २ प्रतिशत कोयला निकलता है। इस समय कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग साढ़े ३ करोड़ टन है। इसमें ५५ प्रतिशत बिहार से, २८ प्रतिशत बंगाल से, ६ प्रतिशत मध्य-प्रदेश से, ५ प्रतिशत पूर्वी रियासतों से, ४ प्रतिशत हैदराबाद से और २ प्रतिशत गोंडवाना-क्षेत्र से कोयला निकलता है। बिहार में, मुख्यतः झरिया में और बंगाल में, मुख्यतः रानीगंज में कोयले की खानें हैं। झरिया की खानों से सबसे अच्छा कोयला निकलता है। हैदराबाद में कोयला की खान हैदराबाद से १४६ मील दूर सिंगरेनी नामक स्थान में है। सिक्किम की रांगित तराई में कोयले की नई खान का पता चला है। कोयले की खपत मुख्यतः भारत में ही होती है। कोयले की खानें लगभग एक हजार हैं, जहाँ ढाई लाख आदमी काम में लगे हुए हैं।

सन् १९४९ में झरिया के पास डिगवाडीह नामक स्थान में एक ईंधन-अनुसंधान-संस्थान (फ्यूएल रिसर्च इन्स्टीट्यूट) की स्थापना की गई, जिसका काम कोयला-सम्बन्धी

अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की ओर से कोयला-नियंत्रक (कलकत्ता कोयला-मंडल कलकत्ता), राष्ट्रीय कोयला विकास-निगम लि० (राँची), नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०, कोल-कौंसिल ऑफ् इंडिया आदि संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारत-सरकार के भू-गर्भ-विभाग ने हजार फीट नीचे २० अरब टन और दो हजार फीट नीचे ५ अरब टन कोयला होने का अनुमान किया है। मद्रास के वृद्धाचलम् और कुडालोर नामक स्थान में कोयले की खानें मिली हैं, जहाँ शीघ्र ही काम चालू होगा।

मैंगनीज—उपयोगिता में कोयला के बाद मैंगनीज का ही स्थान है। इसका सबसे अधिक काम इस्पात बनाने में होता है। बैटरी बनाने में तथा रासायनिक उद्योग-धन्धों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रूस के बाद यह भारत में ही सबसे अधिक पाया जाता है। संसार का एक तिहाई मैंगनीज यहीं उत्पन्न होता है। भारत में ६५ प्रतिशत मैंगनीज का उत्पादन मध्य-प्रदेश में होता है। बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, मध्य-भारत और मद्रास में भी यह पाया जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और संयुक्तराज्य अमेरिका यहाँ के मैंगनीज के ग्राहक हैं।

सोना—खनिज पदार्थों में तीसरा स्थान सोने का है। भारत का ६५ प्रतिशत सोना मैसूर के कोलार नामक स्थान से निकलता है। हैदराबाद के हुती, बम्बई के धरवार, मद्रास के अनन्तपुर आदि स्थानों में भी स्वल्प परिमाण में सोना मिलता है। सिंहभूमि और उड़ीसा की कुछ नदियों के बालू में भी सोना पाया जाता है। रूस को छोड़कर संसार का २ प्रतिशत सोना भारत में मिलता है। 'कोलार गोल्ड माइन्स एक्वीजिशन ऐक्ट १९५६' के पास होने के बाद सभी खानों पर सरकार का अधिकार हो गया है।

अबरख—संसार का तीन-चौथाई अबरख भारत में पाया जाता है। यहाँ यह मुख्यतः बिहार के हजारीबाग और गया जिले में भी मिलता है। भारत का लगभग ८० प्रतिशत अबरख यहीं निकलता है। राजस्थान तथा मद्रास के नेलोर जिले में भी इसकी खानें हैं। ट्रावणकोर, मैसूर और उड़ीसा में भी इसके पाये जाने का अनुमान किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोग बिजली आदि के सामान बनाने में होता है। खराब अबरख कागज, पेंट रबर आदि बनाने में लगाया जाता है। लगभग २ करोड़, १७ लाख, रुपये का ११,२५० टन अबरख भारत से बाहर भेजा जाता है।

पेट्रोलियम—संसार का सिर्फ १·१० भाग पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है। यह आसाम के डिगबोई नामक स्थान में मिलता है। आसाम के नहरकटिया नामक स्थान में इसकी खान का पता चला है; जहाँ १०,००० फीट की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। भारत-सरकार ने बम्बई के ट्राम्बे में दो तथा विशाखापत्तनम् में एक तेल-शोध-कारखाने स्थापित किये हैं। गोहाटी तथा बरौनी में भी तेल-शोध कारखाने खुल रहे हैं।

लोहा—भारत के लोहे की खान का भी संसार में एक विशेष स्थान है। सबसे अच्छे लोहे की सबसे बड़ी खान यहीं है। लोहे की चालू खान बिहार उड़ीसा, मध्य-प्रदेश, आन्ध्र और मैसूर-राज्य में हैं। मध्य-प्रदेश में बहुत थोड़ा लोहा मिलता है। सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा बिहार के सिंहभूमि जिले में तथा उड़ीसा में ही पाया

जाता है। जमशेदपुर के पास नोआमुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, जो टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० के अधिकार में है। जमशेदपुर के आस-पास टिन तथा दूसरी मुख्य खानें भी हैं। कहते हैं, बिहार-उड़ीसा की लोहे की खानों में २,८३,२० लाख टन लोहा संचित है, जो सारे भारत के काम के लिए हजार वर्ष तक काफी होगा।

नमक—भारत का दो-तिहाई नमक बम्बई और मद्रास के समुद्र-तट पर सामुद्रिक जल से बनता है। उड़ीसा-तट पर तथा कच्छ की खाड़ी में खरगोडा नामक स्थान में भी नमक बनाया जाता है। देश के भीतरी भाग के अन्दर राजपूताने के साम्भर झील में तथा उसके आसपास नमक मिलता है। पश्चिमी पंजाब और कोटा की पहाड़ी में पाया जानेवाला सेंधा नमक अब पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया है। खंडित भारत के अन्दर हिमाचल-प्रदेश के मंडी नामक स्थान से १ लाख मन सेंधा नमक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। नमक की खपत का अनुमान प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १३ पौंड है। १९५४ में केन्द्रीय नमक-अनुसंधान-संस्थान की स्थापना की गई। कुछ दिनों में भारत संसार का एक प्रमुख नमक-उत्पादक देश बन जायगा।

अलमिनियम— इसकी खान अभी कुछ ही वर्षों से चालू हुई है। यह ट्रावणकोर, बिहार और मध्य-प्रदेश में पाया जाता है। कलकत्ता के पास बेलूर का रॉलिंग मिल अलमिनियम की चीजें तैयार करती है। आसनसोल में 'अलमिनियम कारपोरेशन ऑफ् इन्डिया, ने अपना काम शुरू किया है। बिहार के मुरी नामक स्थान में भी इसका कारखाना खुल गया है।

इलमिनाइट—इलमिनाइट के लिए भारत संसार में अग्रगण्य हो गया है। यह सबसे बढ़कर उजला पदार्थ है। उजले रंग के बनाने में यह लेड का स्थान लेगा। यह भारत के दक्षिण भाग में कुमारी अन्तरीप के बालू में पाया जाता है।

मोनेजाइट और जिरकोन—ये दोनों ट्रावणकोर और कुमारी अन्तरीप के सामुद्रिक बालू से निकाले जाते हैं। संसार का ८८ प्रतिशत मोनेजाइट भारत देता है। केरल के अलवाएज में मोनेजाइट की कारखाना खोला गया है।

क्रोमाइट—भारत का ६५ प्रतिशत क्रोमाइट मैसूर में पाया जाता है। इसके बाद सिंहभूमि का स्थान है।

मैगनेसाइट—यह मद्रास के सलेम जिले में तथा मैसूर, राजपूताना, कश्मीर, बेलूचिस्तान और बिहार में पाया जाता है। इसका उपयोग सिमेण्ट; काँच, कागज, रबड़ हवाई जहाज आदि तैयार करने में होता है।

बॉक्साइट—यह बम्बई से ३० मील दूर डूंगर पहाड़ी पर बहुत मिलता है। यह मध्य-प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, मंडाला, शिवनी और नन्दगाँव जिले में तथा बिहार में भी अधिकता से पाया जाता है। यह पेट्रोलियम साफ करने और फिटकिरी एवं अलमिनियम बनाने के काम में आता है।

सिमेण्ट—सिमेण्ट बनाने का सामान यहाँ बहुत पाया जाता है। सिमेण्ट तैयार करने का मुख्य स्थान पोरबन्दर (काठियावाड़), कटनी, जबलपुर (मध्य-प्रदेश), बिहार, लाखेरी (राजपूताना) और गुंटूर (मद्रास) है।

कैनाइट—भारत में मुख्यतः यह बिहार के अन्दर सिंहभूमि, सरायकेला और खरसावाँ में पाया जाता है।

ताँबा भारत में मुख्यतः बिहार के सिंहभूमि और बरगंडा, जयपुर के सिन्धाना और खेतड़ी, राजस्थान के दरीबा और खो, सिक्किम के भोटांग और दिकचू तथा आंध्र के गुण्टूर, कूर्नूल और नेलोर में मिलता है। 'सिंहभूमि इण्डियन कॉपर-कारपोरेशन' कार्य इस दिशा में कर रहा है।

चूना का पत्थर—यह बिहार के रोहतासगढ़ और मध्य-प्रदेश के कटनी नामक स्थानों में तथा राजस्थान के बूँदी, जोधपुर और सिरोही तथा मध्य-भारत के रीवाँ और महियार रियासतों में पाया जाता है। यह चूना और सिमेण्ट बनाने के काम में आता है।

जिप्सम—भारत का ८० प्रतिशत जिप्सम राजपूताना के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों में पाया जाता है। यह काठियावाड़, मद्रास, पंजाब उत्तर-प्रदेश में भी मिलता है। इसका उपयोग सिमेण्ट, प्लास्टर पेंट आदि बनाने में किया जाता है।

स्टीटाइट—इसे सोप-स्टोन और पॉट स्टोन भी कहते हैं। चूर्ण के रूप में इसे 'फ्रेंच चॉक' कहा जाता है। यह जयपुर, गुण्टूर, जबलपुर तथा मैसूर और बिहार में मिलता है।

कीमती पत्थर—हीरा की खान मध्य-भारत की पन्ना-रियासत में है। नील मणि कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पर और लाल मणि किसुनगढ़-रियासत के बरवार जिले में तथा पास की जयपुर-रियासत में पाया जाता है।

टिन, लेड और जिंक—ये धातुएँ भारत में बहुत ही कम पाई जाती हैं। टिन बिहार की अबरख-खान के पास कभी-कभी मिलता है। लेड जयपुर, उदयपुर और छोटा उदयपुर रियासतों में तथा हजारीबाग में पाया जाता है।

साइक्लोटोन बेरिज—यह खनिज पदार्थ अणु बम तैयार करने और एक्सरे के औजार बनाने के काम में आता है। यह संसार में एक हजार से दो हजार टन तक प्रति वर्ष निकलता है। भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने अभी हाल में ही अजमेर में ५० से १०० टन तक इसके मिल सकने का पता लगाया है।

अन्य खनिज पदार्थ—अन्य खनिज पदार्थ और उनके मिलने के स्थान इस प्रकार है—**फुलर मिट्टी**—मध्य-प्रदेश, पंजाब और राजपूताना। **बैरिट्स**—मद्रास और राजपूताना। **गेरू**—मध्य भारत, मध्य-प्रदेश, पूर्वी रियासतें, मद्रास, उड़ीसा और राजपूताना। **ग्रैफाइट**—मैसूर, मध्य प्रदेश, मद्रास और पूर्वी रियासतें। **टंगस्टेन**—जोधपुर रियासत। **ऐसबेस्टस**—पूर्वी रियासत, मैसूर और राजपूताना। **फेल्सपार**—मैसूर और राजपूताना। **गेरनेट सैंड**—मद्रास। **बेण्टोनाइ**—जोधपुर। **अपेटाइट**—बिहार और मद्रास। **टैंटेलाइट**—मुँगेर (बिहार)। **एण्टिमोनी**—चित्रल रियासत।

भारत के खनिज-उत्पादन का सूचनांक

(आधार १९५१ = १००)

ईसवी सन्	साधारण सूचनांक	कोयला	लोहा	क्रोमाइट	ताँबा	सोना	इलमेनाइट	बॉक्साइट	मैंगनीज
१९५२	१०४.०	१०५.४	१०७.४	२१०.७	८८.१	११२.०	१००.५	९४.७	११३.२
१९५३	१०६.६	१०४.६	१०५.४	३८७.८	६४.५	९८.७	९६.०	१०५.७	१४७.३
१९५४	१०७.७	१०६.९	११७.८	२७२.५	९३.०	१०५.७	१०७.२	१११.५	१०९.४
१९५५	११२.८	११०.७	१२७.२	५३५.०	९५.७	९३.४	११२.१	१२१.१	१२२.५
१९५६	११६.८	११३.७	१३३.२	३१५.५	१०४.६	९२.५	१५०.०	१३६.१	१३०.६
१९५७	१३२.८	१२५.६	१३८.४	४७०.३	१०९.५	७९.२	१३२.२	१४४.३	१२९.०
१९५८	१२५.७	१२८.४	१६४.१	३६१.८	१०९.८	७५.२	१३८.०	२०४.२	९२.४

भारत का खनिज-उत्पादन

ईसवी सन्	सोना (औंस)	मैंगनीज (०००टन)	कच्चा ताँबा (टन)	इलमेनाइट (टन)	मकान के सामान (मूल्य = ०००रुपया)	अभ्रक (हंडरवेट)	बौक्साइट (टन)	क्रोमइट (टन)	कीनाइट (टन)	जिप्सम (टन)
१९५०	१,६६,६२५	८८३	३,६०,३०८	२,१२,६६३	४१,४७६	१६२	६४,३६६	१६,७२६	३५,४४८	२,०६,३६६
१९५१	२,२६,३६४	१,२९२	३,६६,०५७	२,२४,०८४	५८,८१०	२००	६७,०४७	१६,७०२	४२,५०१	२,०३,६१२
१९५२	२,५३,२६४	१,४६२	३,२४,६३५	२,२४,८९५	३५,४७६	१५२	६३,५०५	३५,१८७	२६,८८२	४,११,२०४
१९५३	२,२३,३७६	१,९०२	२,३८,०१०	२,१५,२५९	३९,७००	१२६	७०,८४८	६४,७७०	१५,३७४	५,८५,८३९
१९५४	२,३९,१६८	१,४१४	३,४२,७५०	२,४०,५१३	४०,८००	१०३	७४,७४७	४५,५०७	४२,३३०	६,१२,१२०
१९५५	२,१०,८८०	१,५८४	३,५३,०५४	२,५०,७७४	३६,२८७	४६५	८१,१७२	८९,३४९	११,७४१	६,८९,९०५
१९५६	२,०९,२५१	१,६८७	३,८६,१९६	३,३५,५९०	३७,००७	५६१	९१,२२५	५२,६८६	२०,१३५	८,४९,५८३
१९५७	१ ७९,१८२	१,६५४	४,०३,९२९	२,९६,२२१	४१,८३८	६०९	९६,७५०	७८,५४२	२३,५०४	९,२१,९७२
१९५८	१,७०,०००	१,४०६	४,०५,०००	३,०९,०००	४४,१६६	६२६	१,१४,९९९	६०,४१७	२४,१७७	७,९०,०००

श्रम

भारत की अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूर कारखानों में काम करते हैं। १९५७ में कारखानों में प्रतिदिन औसतन ३०,८७,८६४ मजदूर काम करते थे। १९५५ के आँकड़ों के अनुसार बागानों में प्रतिदिन औसतन १२,१२६३६ मजदूर काम पर लगे हुए थे। १९५७-५८ में रेलों में प्रतिदिन ११,११,०२६ मजदूर काम करते थे। १९५६ में खानों में प्रतिदिन ६,२८,५८७ मजदूर और कलकत्ता तथा कोचीन को छोड़कर अन्य बड़े बन्दरगाहों में प्रतिदिन ३०,६२६ मजदूर काम पर रहे।

१९५७ में कारखानों में प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या सबसे अधिक बम्बई (९,६५,५५८) तथा पश्चिम बंगाल (६,५४,५३२) में थी।

अगस्त, १९५८ में कोयला की खानों में प्रतिदिन औसतन ३,५९,९६१ मजदूर तथा नवम्बर, १९५८ में सूती वस्त्र-उद्योग में प्रतिदिन औसतन ७,६८,५०६ मजदूर काम करते रहे। सूती वस्त्र-उद्योग में कुल ८,९०,४४३ मजदूर काम करते रहे।

उत्पादन-क्षमता—मजदूरों की उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन का कार्य भारत में कुछ समय पूर्व ही आरम्भ हुआ। १९५५ में प्रकाशित तत्सम्बन्धी अध्ययन के फलस्वरूप निम्नलिखित बातों का पता चला है —

(१) **कोयला-खनन-उद्योग**—१९५१—१९५४ तक के वर्षों में खनिकों तथा लदाई करनेवालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत प्रति मास की वृद्धि हुई।

(२) **कागज-उद्योग**—१९४८—१९५३ में मजदूरों की औसत आय में तो वृद्धि हुई, किन्तु उत्पादन-क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(३) **पटसन वस्त्र-उद्योग**—१९४८—१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता में २.९ प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा आय में ३.७ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई।

(४) **सूती वस्त्र-उद्योग**—१९४८—१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता तथा आय में प्रतिवर्ष क्रमशः २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५४ में काम करनेवाले मजदूरों की उत्पादन-क्षमता तथा वास्तविक आय के सूचनांक (आधार वर्ष : १९३९ = १००) क्रमशः ११३.० तथा १०२.७ थे।

श्रम-कार्यालय ने वार्षिक उद्योग-गणना के आधार पर चुने हुए इन ९ उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के सूचनांकों का संग्रह करने का कार्य आरम्भ किया—पटसन-वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, काँच, सीमेण्ट, कागज, दियासलाई तथा ऊनी वस्त्र।

राष्ट्रीय नियोजन-सेवा

सन् १९४५ ई० में आरम्भ हुई नियोजन-सेवा के अन्तर्गत देश-भर में नियोजन-केन्द्र खुले हुए हैं, जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं। सेवा-नियोजन-केन्द्र रोजगार चाहनेवाले सभी वर्गों के लोगों को काम प्राप्त करने में सहायता देते हैं। ये विस्थापित व्यक्तियों, अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लोगों को काम दिलाने के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायी हैं।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २११ सेवा-नियोजन-केन्द्र थे। नवम्बर, १९५८ तक सेवा-नियोजन-केन्द्रों द्वारा २१,६५,११३ व्यक्तियों का नाम पंजीकृत किया गया; २,३१,९८५ प्रार्थियों को काम दिलाया गया तथा ३,३४,२९४ रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त की गई। नवम्बर, १९५८ के अन्त में सेवा-नियोजन-केन्द्रों के पास ११,५९,०३१ प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र थे तथा ६४,६८७ रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ की गईं।

सेवा-नियोजन-केन्द्रों के दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य १ नवम्बर, १९५६ से राज्य-सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार नीति तैयार करने, प्रक्रिया तथा मानकों में समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने का ही कार्य करती है।

कई ऐसी योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है, जिनके अनुसार सेवा-नियोजन-केन्द्र अधिक अच्छी सेवा की व्यवस्था कर सकेंगे तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो जायगा।

कारीगरों को प्रशिक्षण—कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश में १०० से अधिक प्रशिक्षण-केन्द्र हैं।

द्वितीय योजना-काल में 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण-योजना' तथा 'औद्योगिक मजदूर-प्रशिक्षण-योजना (सन्ध्याकालीन वर्ग)' को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में समन्वय स्थापित करने, एकसार मानक (यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड) निर्धारित करने, प्रशिक्षण-नीति विषयक प्रश्नों पर भारत-सरकार को परामर्श देने तथा कारीगरों को उनकी कार्य-कुशलता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र देने के लिए एक 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण-परिषद्' स्थापित की गई है।

मजदूरी तथा आय

१९५७ के आँकड़ों के अनुसार २०० रुपये प्रति मास से कम मजदूरी पानेवाले मजदूरों की औसत वार्षिक आय सबसे अधिक आसाम (१,८३३.६० रुपये) तथा दिल्ली में (१,४६३.४० रुपये) थी और सबसे कम उड़ीसा में (९५६.८० रुपये)।

वास्तविक आय—१९५६ में मजदूरों की वास्तविक आय के सूचनांक (१९४७ = १००) इस प्रकार थे—आय का सामान्य सूचनांक १६३, अखिलभारत मजदूर उपभोक्ता-मूल्य सूचनांक १२१ तथा वास्तविक आय का सूचनांक १३५।

श्रमिक उपभोक्ता-मूल्य-सूचनांक—१९५७ में कुछ औद्योगिक केन्द्रों के सामान्य उपभोक्ता-मूल्य-सूचनांक (आधार वर्ष १९४९ = १००) इस प्रकार थे अहमदाबाद १०४ एरणाकुलम् १११, कानपुर ९४, कोलार स्वर्ण-खानें १२८, जलगाँव १०५, नागपुर ११२, बंगलोर १२६, बम्बई १२०, मद्रास ११६, मैसूर १२०, शोलापुर ११३, हैदराबाद १२४ तथा त्रिचूर ११२।

श्रम-कार्यालय के अनुसार १९५७ में निम्न औद्योगिक केन्द्रों के मजदूरों के सामान्य उपभोक्ता-मूल्य-सूचनांक (आधार वर्ष : १९४९ = १००) थे—अजमेर ९९, अकोला ९६, कटक ११०, खड़गपुर १०९, गोहाटी १०३, जबलपुर १०७, जमशेदपुर ११५, झरिया ९९, तिनसुखिया ११८, दिल्ली ११४, डेहरी-ऑन-सोन १०८, ब्यावर ९५, बरहामपुर १०८, बागान-केन्द्र १०८, भोपाल १०१, मरकारा ११४, मुंगेर ९९, लुधियाना ९६, सतना ९९ तथा सिलचर १०५।

मजदूरी का नियमन—मजदूरी के नियमन की व्यवस्था १९३६ के 'मजदूरी-भुगतान-अधिनियम' तथा १९४८ के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के अनुसार होती है। पहला अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सम्पूर्ण भारत के लिए तथा किसी भी कारखाने में काम करनेवाले व्यक्तियों के लिए लागू होता है।

'न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम' में सरकार को अनुसूची में वर्णित उद्योगों के कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। १९५७ के एक संशोधन के अनुसार सभी प्रकार के मजदूरों को; जिनमें कृषि-मजदूर भी सम्मिलित होंगे, १९५९ के अन्त तक इस अधिनियम के अन्तर्गत ले आने का उद्देश्य रखा गया है।

'मजदूरी-मण्डल' उचित मजदूरी के आधार पर मजदूरी की दर निर्धारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन-मण्डल' के निर्णय अवैध ठहराये जाने के कारण, केन्द्रीय सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन की दरें निर्धारित करने में सक्षम बनाने की सिफारिश करने के लिए 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन-समिति' स्थापित की गई। सूती वस्त्र, सीमेण्ट तथा चीनी-उद्योगों के लिए भी केन्द्रीय मजदूरी-मण्डल स्थापित किये जा चुके हैं।

मजदूरी-गणना-योजना—इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों तथा बागानों में काम करनेवाले मजदूरों की मजदूरी की दरों तथा उनकी आय के आँकड़ों का संग्रह करना है।

कोयला-खान अधिलाभांश (बोनस)-योजना—'कोयला खान-निर्वाह-निधि तथा अधिलाभांश-योजना अधिनियम १९४८' के अधीन तैयार की गई 'कोयला खान अधिलाभांश योजनाएँ' आसाम, आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की कोयला-खानों में लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आसाम के मजदूरों को छोड़कर शेष सभी कोयला खान-मजदूरों को अधिलाभांश के रूप में उनकी मूल आय की

एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है। आसाम में अधिलाभांश, सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब से दिया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद—सितम्बर, १९५८ तक देश में ९७० औद्योगिक विवाद उठे, जिनसे ५.९२ लाख मजदूर सम्बन्धित थे और जिनके कारण ५३.६१ लाख मानव-दिनों की हानि हुई।

औद्योगिक रोजगार-सम्बन्धी स्थायी आदेश—सन् १९४६ के 'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम' के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाये, जिनमें १०० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते थे। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के उन सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर लिया गया है, जिनमें से प्रत्येक में ५० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। उत्तर-प्रदेश-सरकार ने यह अधिनियम उत्तर भारत के कारखाना मालिक-संघ-उत्तर-प्रदेश तेल-मिल-मालिक-संघ, बिजली-कम्पनियों तथा सभी काँच-उद्योगों के लिए लागू कर दिया है।

त्रिदलीय तन्त्र—केन्द्रीय तन्त्र में मुख्यतः भारतीय श्रम-सम्मेलन, स्थायी श्रम-समिति, औद्योगिक समितियाँ तथा कुछ अन्य समितियाँ आती हैं। १९५८ में इन संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशन में उद्योग-सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसी वर्ष, खानों (कोयला-खानों को छोड़कर) तथा पटसन औद्योगिक समितियों की बैठक पहली बार हुई।

समझौता-तन्त्र—केन्द्र के क्षेत्र में आनेवाली औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक सम्बन्ध के प्रशासन के कार्य का उत्तरदायित्व मुख्य श्रम-आयुक्त पर है। इसकी सहायता के लिए एक संगठन स्थापित किया जा चुका है, जिसमें प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, समझौता-अधिकारी तथा श्रम-निरीक्षक होते हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारों के भी अपने-अपने समझौता-तन्त्र हैं, जिनके प्रधान अधिकारी 'श्रम-आयुक्त' होते हैं।

अधिनिर्णयन (एडजुडिकेशन)-तन्त्र—औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णयन के लिए भारत में जो तन्त्र है, उसमें श्रम-न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आते हैं। इन सबके अपने-अपने अलग-अलग अधिकार-क्षेत्र हैं।

उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों का योग—भारतीय श्रम-सम्मेलन में जुलाई, १९५७ में उस अध्ययन-मण्डल की सिफारिशों पर विचार किया गया, जिसने कुछ पश्चिमी देशों में इस योजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्थाओं का प्रारम्भिक अध्ययन किया था। जनवरी-फरवरी, १९५८ में आयोजित इसी प्रकार की एक अन्य गोष्ठी में ऐसी परिषदें स्थापित करना स्वीकार किया गया। १६ औद्योगिक संस्थाओं में इस योजना पर काम जारी है, जबकि अन्य २० संस्थाओं ने भी इसे परीक्षण के लिए अपनाना स्वीकार कर लिया है।

मजदूरों की शिक्षा—केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों, कारखाना-मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाशास्त्री-संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त 'केन्द्रीय मजदूर शिक्षा-मण्डल' एक

समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। नवम्बर, १९५८ में ४३ अध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया। इसके बाद कार्यकर्त्ता-अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायगा और फिर उनके द्वारा मजदूरों को। द्वितीय योजना-काल के अन्त तक लगभग ४ लाख मजदूरों को प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है।

मजदूर-संघ

पंजीकृत मजदूर-संघ तथा उनके सदस्य—१९५६-५७ में १७३ केन्द्रीय मजदूर. संघ तथा ८,१८० राज्यीय मजदूर-संघ थे, जिनमें से सरकार को विवरणपत्र देनेवाले मजदूर-संघ क्रमशः १०२ तथा ४,२९७ थे। विवरण-पत्र देनेवाले इन मजदूर-संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः १,८७,२९५ तथा २१,८९,४६७ थी।

१९५७ में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ काँगरेस (आई० एन० टी० यू० सी०) तथा हिन्द मजदूर-सभा से क्रमशः ६७२ तथा १३८ मजदूर-संघ सम्बद्ध थे, जिनकी सदस्य-संख्या क्रमशः ९,३४,३८५ तथा २,३३,९९० थी।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना—'कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम, १९४८', की व्यवस्थाएँ ऐसे सभी कारखानों पर लागू होती हैं, जो बारहों महीने चालू रहते हैं, जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है तथा २० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है, उन क्षेत्रों के १३,५६,५०० व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। १९५७-५८ के अन्त तक कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ३.५२ करोड़ रुपये प्राप्त किये जा चुके थे। आसाम, पंजाब, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में १९५८ में इस योजना के अधीन बीमा करानेवाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए भी चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

कर्मचारी-निर्वाह-निधि—'कर्मचारी-निर्वाह-निधि अधिनियम, १९५२' उन सभी संस्थाओं पर लागू होता है, जिनमें ५० या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। उन सभी मजदूरों को, जिनकी आय ५०० रुपये मासिक अथवा उससे कम है, अपनी ६¼ प्रतिशत आय न्यूनतम अंशदान के रूप में देनी होती है। सितम्बर, १९५८ के अन्त में यह योजना ७,१८९ कारखानों में लागू थी, जिनमें २९.५० लाख मजदूर काम करते थे। इन मजदूरों में से २४.०४ लाख मजदूरों ने इस निधि में १ अरब, २१ करोड़, ५० लाख रुपये का योगदान दिया।

कोयला-खान-निर्वाह-निधि-योजनाएँ—इन योजनाओं के अन्तर्गत मजदूरों को अपनी कुल आय का ६¼ प्रतिशत भाग निधि में लगाना होता है। अक्तूबर, १९५८ के अन्त में इस निधि की कुल सम्पत्ति (एसेट्स) १४ करोड़ रुपये से अधिक की थी।

मजदूरों की क्षति-पूर्ति—'मजदूर-क्षति-पूर्ति अधिनियम, १९२३' में काम के समय में लगनेवाली चोट, कारखाने में काम करने के कारण उत्पन्न बीमारियों और इस

प्रकार लगी चोट तथा बीमारी के फलस्वरूप होनेवाली मृत्यु के सम्बन्ध में क्षति-पूर्ति की अदायगी की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ४०० रुपये मासिक तक की आयवाले कर्मचारी आते हैं।

मातृत्व-लाभ—मातृत्व-लाभ की अदायगी के विषय में लगभग सभी राज्यों में कानून लागू हैं। कुछ राज्यीय अधिनियम अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले सभी नियन्त्रित कारखानों पर लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में मातृत्व-लाभ के भुगतान का नियमन तीन केन्द्रीय अधिनियमों के अनुसार होता है।

श्रम-कल्याण

सन् १९४८ के 'कारखाना अधिनियम', १९५२ के 'खान अधिनियम' तथा १९५१ के 'बागान मजदूर अधिनियम' के अन्तर्गत आनेवाले उद्योग तथा प्रतिष्ठानों के लिए उपाहार-गृहों, शिशुपालन-गृहों, विश्राम-गृहों, नहाने-धोने की सुविधाओं, चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण-अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कल्याण-योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई कानून बनाये और लागू किये जा चुके हैं।

कोयला-खान श्रम-कल्याण-निधि—इसके अधीन २ केन्द्रीय अस्पतालों, ६ प्रादेशिक अस्पताल तथा मातृ-शिशु-कल्याण-केन्द्रों, २ दवाखानों तथा २ क्षय-उपचारालयों की व्यवस्था है। मलेरिया-विरोधी कार्यवाही तथा बी० सी० जी० टीका आन्दोलन भी जारी हैं। इसकी ओर से प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्रों तथा नारी-कल्याण-केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाती है।

एक सहायता-ऋण-योजना के अधीन १,७५९ मकान बनाये गये तथा ३९४ मकानों का निर्माण हो रहा है। कोयला-खान-मजदूरों को १०,००० मकान दिये गये तथा २,४९४ मकानों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस वर्ष इस निधि में १,६४,९७,३५१ रुपये प्राप्त हुए और इस निधि में से सामान्य कल्याण-कार्यों पर ९०,५६,३५० रुपये तथा आवास पर १,५६,४०,९५० रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

अभ्रक-खान श्रम-कल्याण-निधि—इस निधि द्वारा अभ्रक-खान-मजदूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। करमा (बिहार) में एक अस्पताल खोला जा चुका है और कालिचेडु (आन्ध्र-प्रदेश) तथा तीसरी (बिहार) में २ अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। एक अन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान में) भी खोला जायगा। १९५८-५९ में आन्ध्र-प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को क्रमशः ३.१२ लाख रुपये, १२.४७ लाख रुपये तथा २.४३ लाख रुपये दिये गये।

बागान-मजदूर-कल्याण— १९५१ के 'बागाना मजदूर अधिनियम' के अनुसार सभी बागानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करें तथा अस्पताल अथवा दवाखाने खोलें।

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक संस्थाओं की श्रम-कल्याण निधियाँ—मजदूरों के लाभ के कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दृष्टि से १९४६ में श्रम-कल्याण-निधियाँ चालू की गईं। औद्योगिक संस्थाओं के लिए 'श्रम-कल्याण निधि अधिनियम' लागू होने तक इस योजना के अधीन १९५८-५९ तक कल्याण-कार्य किया जाता रहेगा।

श्रम-कल्याण-केन्द्र—अधिकांश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारों की ओर से कई कल्याण-केन्द्रों की व्यवस्था है। ये केन्द्र मजदूरों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यवसाय-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने की व्यवस्था करते हैं।

औद्योगिक विकास

सितम्बर, १९५२ में आरम्भ हुई 'सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास-योजना' में 'कारखाना अधिनियम, १९४८' द्वारा शासित औद्योगिक मजदूरों और कोयला-अभ्रक-खानों के मजदूरों को छोड़कर 'खान अधिनियम १९५२' के अन्तर्गत आनेवाले अन्य खान-मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण तथा सहायता देती है।

अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक राज्य-सरकारों, कारखाना-मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में १५.९४ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में १५.१२ करोड़ रुपये दिये गये और १,०३,९६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई। अगस्त, १९५८ के अन्त तक लगभग ७७,००० मकान बनवाये जा चुके थे।

बागान-मजदूर आवास-योजना—१९५१ के 'बागान-मजदूर-अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक बागान-मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करे। द्वितीय योजना में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। १९५६-५७ में बागान मालिकों को देने के लिए केरल-सरकार ने १.५० लाख रुपये लिये और इसी कार्य के लिए मद्रास-सरकार भी ८३,५०० रुपये ले चुकी है।

सहकारी आन्दोलन

सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात सन् १९०४ ई० में हुआ जबकि ग्रामीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने के लिए इस सम्बन्ध में एक ऐक्ट—को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (सहकारी ऋणदात्री समिति) ऐक्ट—पास किया गया। प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे अपने यहाँ इस कानून से बनी सहकारी समितियों के नाम दर्ज करने, उनकी देख-रेख करने और उनके हिसाब-किताब की जाँच कराने के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करें। इस कानून का आश्रय पाकर धीरे-धीरे देश के भिन्न-भिन्न भागों में सहकारी समितियाँ कायम होने लगीं। सन् १९११-१२ में आकर सहकारी समितियों की संख्या ८,१७७ हो गई, जिनके ४,०३,३१८ सदस्य थे और ३,३५,७४,१९२ रुपये की कार्यकारी पूँजी थी।

१९१२ में इस विषय में फिर एक नया ऐक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार अऋणदात्री सहकारी समितियों और केन्द्रीय सहकारी एजेन्सियों को स्वीकार किया गया तथा उनके कार्य आदि के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त स्थिर किये गये। इस ऐक्ट से सहकारी आन्दोलन को बड़ा बल मिला। १९१४ में सरकार ने इस आन्दोलन की जाँच-पड़ताल के लिए मैकलेगन के अधीन एक कमिटी नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट १९१५ में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियों का पुनस्संगठन किया गया और उनके शासन-प्रबन्ध में हेरफेर हुए।

सन् १९२० के मार्ले-मिण्टो-सुधार के अनुसार सहकारी आन्दोलन प्रान्तीय विषय बना दिया गया। अतएव भिन्न-भिन्न प्रान्तों ने इस आन्दोलन की जाँच पड़ताल के लिए अपने-अपने यहाँ कमिटियाँ कायम कीं और फिर वे उनकी सिफारिशों पर अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार सहकारी कार्यों के विकास में लग पड़े। मध्य-प्रदेश ने सन् १९२२ में और बिहार-उड़ीसा ने १९२३ ई० में ऐसी कमिटियाँ नियुक्त की थीं। इसके कुछ वर्षों के बाद उत्तर-प्रदेश, मद्रास, बर्मा आदि प्रान्तों में भी जाँच-समितियाँ कायम की गईं। बम्बई-सरकार ने १९५२ में और मद्रास-सरकार ने १९३२ में सहकारी आन्दोलन-सम्बन्धी ऐक्ट पास किया इसी प्रकार बंगाल, बिहार-उड़ीसा आदि प्रान्तों ने भी इस सम्बन्ध में ऐक्ट बनाये। धीरे-धीरे हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, मैसूर, बड़ौदा, ट्रावनकोर, इन्दौर आदि रियासतों में भी सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ।

सन् १९२६ ई० में कृषि-सम्बन्धी जो रॉयल कमीशन बैठा, उसने सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल की, जिसकी रिपोर्ट १९२८ में प्रकाशित हुई। फिर भारतीय सेण्ट्रल बैंकिंग इन्क्वारी कमिटी की प्रान्तीय कमिटियों ने भी इस आन्दोलन की जाँच की, जिसकी रिपोर्ट १९३१ में निकली। सहकारी आन्दोलन पर विचार करने के लिए १९३४ की २९ जनवरी को दिल्ली में एक सहकारी सम्मेलन (को-ऑपरेटिव कॉन्फ्रेन्स) हुआ था। १९३६ और १९३९ में भी दिल्ली में प्रान्तीय रजिस्ट्रारों के सम्मेलन हुए।

सहकारी समितियों का कई तरह से वर्गीकरण किया जाता है। एक तरह के वर्गीकरण में प्राथमिक समितियाँ और केन्द्रीय समितियाँ आती हैं। इन दो श्रेणियों में फिर प्रत्येक को कृषि-सम्बन्धी और अकृषि-सम्बन्धी श्रेणियों में बाँटते हैं। पुनः इनमें से प्रत्येक का ऋणदात्री और अऋणदात्री समितियों में वर्गीकरण होता है। कुछ लोग सहकारी समितियों को उत्पादक और क्रय-विक्रय श्रेणियों में भी बाँटते हैं। बहूद्देशीय सहकारी समितियाँ भी होती हैं।

सन् १६३८-३६ में सम्पूर्ण भारत के अन्दर प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या भूमि-बन्धक बैंकों (लैंड मॉरगेज बैंकों) को छोड़कर १,२०,८०१ थी, जिनके सदस्य ५२,६७,८८६ थे। १६४५-४६ में आकर प्राथमिक समितियों की संख्या १,७०,७६६ हो गई और उनके ८६,८६,२१४ सदस्य हुए। प्राथमिक समितियों के अन्दर कृषि-सम्बन्धी ऋणदात्री समितियों की संख्या ही सबसे अधिक रही है। कृषि-सम्बन्धी ऋणदात्री समितियाँ थोड़े समय के लिए ही ऋण देती हैं। कृषि-सम्बन्धी सुधार एवं ऋणशोधन आदि के उद्देश्य से अधिक समय के लिए ऋण देनेवाले भूमि-बन्धक बैंक हैं।

सन् १६४५ में नियुक्त 'सहकारी योजना-समिति' ने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को बहूद्देश्यीय समितियों में बदल दिया जाय। इसने एक यह भी सुझाव रखा कि रिजर्व बैंक सहकारी समितियों को अधिक सहायता दे।

सन् १६५१ में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक निर्देशन-समिति ने देश की ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का सविस्तर सर्वेक्षण किया, जिसका प्रतिवेदन दिसम्बर, १६५४ में प्रकाशित हुआ। सर्वेक्षण से पता चला कि सहकारी समितियों से किसानों को केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला। सरकार की ओर से भी लगभग इतना ही ऋण दिया गया। समिति ने ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी एक संगठित योजना का सुझाव रखा। उस योजना की मुख्य विशेषताएँ ये थीं—सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में भाग ले, ऋण-सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाय, प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों का विकास किया जाय, गोदामों आदि की व्यवस्था की जाय तथा सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था हो। समिति ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए भी सिफारिश की, जिससे वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारी तथा अन्य बैंकों को भुगतान आदि की अधिक सुविधाएँ दे सके। 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, (अधिनियम) में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम-मण्डल' स्थापित करने की भी सिफारिश की गई।

मई, १६५५ में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में किये गये एक संशोधन के अनुसार फरवरी, १६५६ में १० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान से स्थापित 'राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन कार्य) निधि' में १६५५-५६, १६५६-५७ तथा १६५७-५८ में प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का और विनयोग किया गया। इसी समय १ करोड़ रुपये के प्रारम्भिक विनियोग के साथ १६५५-५६ में स्थापित राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण)

निधि' में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में १ करोड़ रुपये और सम्मिलित कर दिये गये। रिजर्व बैंक की 'दीर्घकालीन कार्य-निधि' से १४ राज्य-सरकारों के लिए स्वीकृत ६.०४ करोड़ रुपये के ऋणों में से जून, १९५८ के अन्त तक १३ राज्य सरकारों को ५.८३ करोड़ रुपये ऋण-स्वरूप दिये गये।

१ अगस्त, १९५६ से लागू हुए 'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम-अधिनियम' के अन्तर्गत १ सितम्बर, १९५६ को एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम-मण्डल' स्थापित किया गया।

'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम-अधिनियम' में एक केन्द्रीय गोदाम-निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम-निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से केन्द्रीय गोदाम-निगम १० करोड़ रुपये की जारी हिस्सा पूँजी से स्थापित किया जा चुका है और इसकी ओर से ६ गोदामों की व्यवस्था की जा चुकी है। ११ राज्यीय गोदाम-निगम भी स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके गोदामों की व्यवस्था की जा रही है।

संसद् के एक अधिनियम के अनुसार इम्पीरियल बैंक पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिये जाने के फलस्वरूप १ जुलाई, १९५५ को भारत के सरकारी बैंक (स्टेट बैंक) की स्थापना हुई। नवम्बर, १९५८ के अन्त तक देश में सरकारी बैंक की २८४ शाखाएँ स्थापित हुईं।

रिजर्व बैंक तथा भारत-सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 'केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति' ने सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक सविस्तर योजना तैयार की है। सहकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पूना में एक 'अखिलभारतीय सहकारी प्रशिक्षण-कॉलेज' स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई और भी प्रशिक्षण केन्द्र हैं — मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र तथा सामुदायिक विकास-खण्डों में काम करनेवाले सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थान। एक प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र में भूमि के बन्धक रखे जाने से सम्बन्धित बैंकिंग के विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

'ग्रामीण ऋण-सर्वेक्षण-समिति' की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजना-काल के लिए सहकारी विकास का एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। १९६०-६१ के अन्त तक किसानों को १.५० अरब रुपये का अल्पकालीन सहकारी ऋण, ५० करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण तथा २५ करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। १०,४०० बड़ी समितियों ; १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियों; ३५ सहकारी चीनी कारखानों; ४८ सहकारी कपास-ओटाई मिलों तथा ११८ अन्य सहकारी समितियों के संगठन के लिए भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम-निगमों द्वारा ३५० गोदामों, हाट-व्यवस्था-समितियों के लिए १,५०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

१९५७-५८ में राज्यीय सहकारी बैंकों के लिए ४८.२४ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई। १९५७-५८ के अन्त में ४०.४७ करोड़ रुपये उधार लिये जा चुके थे।

'बुनकर सहकारी समितियों' को वित्तीय सहायता देने के लिए ८ राज्यीय सहकारी बैंकों को इस वर्ष २ करोड़ ५ लाख ७८ हजार रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया। सहकारी चीनी कारखानों की चालू पूँजी-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए ३ करोड़ रुपये के ऋणों की स्वीकृति दी गई। १२ राज्यीय सहकारी बैंकों को ७.७२ रुपये का मध्यकालीन ऋण देना भी स्वीकार किया गया।

सहकारिता का रूप

सहकारी आन्दोलन सामान्यतः ३ हिस्सों में बँटा हुआ है, जिसके अनुसार राज्यों में शीर्ष-समितियाँ, जिलों में केन्द्रीय समितियाँ तथा ग्रामों में प्राथमिक समितियाँ स्थापित की जाती हैं।

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १९५६-५७ के अन्त तक ९.९६ करोड़ व्यक्तियों अथवा २५ प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था।

१९५६-५७ में कुल २,४४,७६९ सहकारी समितियाँ थीं, जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या १,९३,७३,३४९ थी और उनकी चालू पूँजी कुल मिलाकर ५ अरब ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये की थी।

१९५६-५७ में सहकारी समितियों को ८ करोड़, ५८ लाख, ३८ हजार रुपये का कुल लाभ हुआ, जिसका ब्यौरा निम्नांकित तालिका में दिया गया है—

सहकारी समितियों को प्राप्त लाभ

	रुपये
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	१,५५,२६,०००
राज्यीय तथा केन्द्रीय गैर-ऋण-समितियाँ	१,५०,३३,०००
प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ	१,८९,८०,०००
अनाज-बैंक	१५,६१,०००
प्राथमिक कृषि-गैर-ऋण-समितियाँ	७४,९८,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न ऋण-समितियाँ	१,८८,२७,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न गैर-ऋण-समितियाँ	६५,८५,०००
भूमि-बन्धक बैंक	१८,२८,०००
योग	८,५८,३८,०००

प्राथमिक समितियाँ

जून, १९५७ के अन्त में सभी प्रकार की २,४४,७६९ सहकारी समितियों में से २,४०,६०४ प्राथमिक समितियाँ थीं। १९५६-५७ में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक समितियाँ तथा उनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी—

प्राथमिक समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या

	समितियाँ	सदस्य
कृषि		
ऋण-समितियाँ	१,६१,५१०	६१,१६,८४६
अनाज-बैंक	८,१६१	७,६२,२५६
ऋण-समितियाँ	३१,६०५	२७,५७६,११
प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक	३२६	३,३३,५८६
कृषि-भिन्न		
ऋण-समितियाँ	१०,१५०	३२,३८,७२७
गैर-ऋण-समितियाँ	२८,५१६	३१,५६,१५३
बीमा-समितियाँ	६	७,८६७
योग	२,४०,६०४	१,६३,७३,३४६

१६५६-५७ में प्राथमिक सहकारी समितियों ने ४ अरब, ६७ करोड़, ७० लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया।

कृषि-ऋण-समितियाँ—जून, १६५७ ई० के अन्त में कृषि-ऋण-समितियों की चालू पूँजी ६८.३० करोड़ रुपये की थी। उसमें ७६.८२ करोड़ रुपये के अदत्त ऋण तथा १६.८२ करोड़ रुपये के पिछले ऋण थे। जून,१६५७ के अन्त तक ६७.३३ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। इसी समय तक इन समितियों को केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों तथा सरकार से ५६.६४ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए और जून, १६५७ के अन्त में इनकी निधियों (फण्ड्स) में ३३.३१ करोड़ रुपये तथा इनके निक्षेप (डिपॉजिट्स) ८.०५ करोड़ रुपये के थे।

ब्याज की दरें ऊँची ही रहीं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में १२$\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा २१ प्रतिशत। जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन भलीभाँति विकसित हो चुका था, उनमें ब्याज की दरें सामान्यतः ४ से १२ प्रतिशत तक रहीं।

कृषि-गैर-ऋण-समितियाँ—ये समितियाँ बीज, खाद तथा मशीनी औजार-जैसी वस्तुएँ खरीदने के कृषि-सम्बन्धी कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि-गैर-ऋण-समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है—

कृषि-गैर-ऋण-समितियाँ (१६५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या
क्रय तथा विक्रय	३,१४३	६,६६,५७५
उत्पादन तथा विक्रय		
(क) हाट-व्यवस्था	६,७३१	७,५१,३२६
(ख) अन्य	५,२६१	६,६०,०१४
उत्पादन	७,६८७	४,६४,२०२
समाज-सेवाएँ	५,२४३	१,६८,७४६
आवास	५४०	१७,०४५

कृषि-भिन्न-ऋण-समितियाँ—इन समितियों में कर्मचारी-ऋण-समितियाँ तथा शहरी बैंक भी सम्मिलित हैं। १९५६-५७ के अन्त में इनके निक्षेप ६४.५९ करोड़ रुपये (चालू पूँजी के ६४.३१ प्रतिशत) के थे। इस वर्ष ३.०२ करोड़ रुपये का सामान प्राप्त हुआ तथा ३.५६ करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इनमें से कुछ समितियों ने गैर-ऋण कारोबार भी किया। १९५६-५७ में इन समितियों ने २ अरब, ३७ करोड़, ३१ लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया, २१.७० करोड़ रुपये का विनियोग किया, इनकी चुकता पूँजी २०.८४ करोड़ रुपये की थी, इनकी सुरक्षित निधि में ५.५६ करोड़ रुपये थे और इनके पास नकद तथा बैंकों में ८.२४ करोड़ रुपये थे।

कृषि-भिन्न गैर-ऋण समितियाँ—ऐसी विभिन्न प्रकार की समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४० में दिखाई गई है।

प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक—१९५६-५७ के अन्त में देश में ३२६ प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक थे, जिनके सदस्यों की संख्या ३,३३,५८६ थी। इन बैंकों ने २.०५ करोड़ रुपये के ऋण दिये तथा इनकी चालू पूँजी १२.७० करोड़ रुपये की थी। ऋण लेनेवालों से ५½ से १० प्रतिशत तक ब्याज लिया गया।

कृषि-भिन्न गैर-ऋण-समितियाँ (१९५५-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या
क्रय तथा विक्रय	५,७१९	११,१०,६६०
उत्पादन तथा विक्रय	१२,३५३	१२,४१,९२२
उत्पादन	४,४७२	४,४४,२२२
समाज-सेवाएँ	२,८९१	१,५२,४२७
आवास	३,०८१	२,०६ ९२२
बीमा	६	७,८६७

केन्द्रीय समितियाँ

केन्द्रीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—(१) केन्द्रीय बैंक तथा बैंक-संघ और (२) केन्द्रीय गैर-ऋण-समितियाँ।

केन्द्रीय बैंक तथा बैंक-संघ—केन्द्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य उनसे सम्बद्ध बैंकों के बीच सन्तुलन स्थापित करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। १९५६-५७ में देश में ४५१ केन्द्रीय बैंक तथा बैंक-संघ थे, जिनके सदस्यों की संख्या ३,१०,५५५ थी। इन्होंने १ अरब, ८० लाख रुपये के ऋण दिये तथा इनकी चालू पूँजी १ अरब, १० करोड़, २६ लाख रुपये की थी। इनकी चुकता पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ क्रमशः ११.११ करोड़ रुपये तथा ७.३४ करोड़ रुपये की थीं।

१९५६-५७ के अन्त में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने २९.०५ करोड़ रुपये का विनियोग कर रखा था, जिसमें से १५.६५ करोड़ रुपये सरकारी तथा अन्य न्यासी (ट्रस्टी) सिक्युरिटियों में लगे हुए थे।

केन्द्रीय गैर-ऋण-समितियाँ—विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय गैर-ऋण-समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या नीचे की तालिका में दी गई है—

केन्द्रीय गैर-ऋण-समितियाँ (१९५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट-व्यवस्था-संघ	२,३३६	१६,६६,६७२	४०,८३४
थोक माल तथा उपलब्धि संघ	१९६	२८,५८३	१८,८१२
औद्योगिक संघ	११२	११,९१४	४,६५७
आवास-समितियाँ	२	—	१४०
दुग्ध-संघ	६६	९,७२०	१,३०८
अन्य	२३२	३१,९८९	८,२७३

शीर्ष-समितियाँ

शीर्ष-समितियाँ उनसे सम्बद्ध जिलों की समितियों के सन्तुलन-केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ तीन प्रकार की होती हैं—(१) राज्यीय सहकारी बैंक, (२) राज्यीय गैर-ऋण-समितियाँ तथा (३) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक।

राज्यीय सहकारी बैंक—१९५६-५७ में देश में २३ राज्यीय सहकारी बैंक थे, जिनके सदस्य ३३,४४० तथा जिनकी चालू पूँजी ७९.५४ करोड़ रुपये की थी। इन बैंकों ने १९.९६ करोड़ रुपये का विनियोग किया था तथा इनके पास अन्य बैंकों में नकद ८.६१ करोड़ रुपये थे।

राज्यीय गैर-ऋण-समितियाँ—राज्यीय गैर-ऋण-समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या आगे दी हुई है।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक—केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक, जो किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के मुख्य स्रोत हैं, अपने लिए मुख्यतः ऋण-पत्र जारी करके ही धन की व्यवस्था करते हैं। १२ बैंकों (सदस्य-संख्या १,१६,५६१) में से केवल ३ बैंकों—(१) सौराष्ट्र केन्द्रीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक, (२) उड़ीसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक तथा (३) मद्रास सहकारी भूमि-बन्धक बैंक—ने १९५६-५७ में क्रमशः १.५० करोड़ रुपये, १० लाख रुपये तथा ५० लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किये। रिजर्व बैंक ने उड़ीसा-राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैंक के ऋण-पत्रों में १.५० लाख रुपये का योगदान दिया। १९५६-५७ के अन्त में १६.९५ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी थे।

राज्यीय गैर-ऋण-समितियाँ (१९५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट-व्यवस्था-संघ	१३	२,०५१	१,८९९
थोक माल तथा उपलब्धि-संघ	७	१,५०३	३४०

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या व्यक्ति	सदस्य-संख्या समितियाँ
औद्योगिक संघ	२२	१,४३६	३,७३५
आवास-समितियाँ	४	६०	३१३
अन्य	१०	२,८१६	१,४८८

अन्य संस्थाएँ

निरीक्षण-संघ—१६५६-५७ में देश में ६५० निरीक्षण-संघ थे, जिनसे ३१ १३६ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों की सदस्य-संख्या ३३,०१,५१० तथा इनकी चालू पूँजी १ अरब, २१ करोड़, ८१ लाख रुपये की थी।

राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थाएँ—जून, १६५७ के अन्त में देश में ऐसे २६ संघ थे, जिनसे ३८,६७७ प्राथमिक तथा ४६५ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं और इनके सदस्य १,२६६ व्यक्ति थे। इनको ४७.७० लाख रुपये की कुल आय हुई तथा इन्होंने कुल ४५.२५ लाख रुपये व्यय किये।

बीमा-समितियाँ—अग्नि तथा सामान्य बीमा सहकारी समितियों ने ३६.२० करोड़ रुपये के अग्नि-बीमा, ७.०३ करोड़ रुपये के गोदामों तथा भवनों के बीमा, ३.४५ करोड़ रुपये के कपास-मिलों के बीमा तथा ६.५३ करोड़ रुपये के कारखानों के बीमा का कारोबार किया। २ सहकारी मोटर बीमा-समितियों ने १६५६-५७ में १,८६२ बीमा-पत्र जारी किये।

भंग की जानेवाली समितियाँ—१६५६-५७ के आरम्भ में १३,३७२ सहकारी समितियाँ भंग की जानी थीं, जबकि इस वर्ष २,२५८ समितियाँ भंग की गईं। १६५६-५७ में सम्पत्तियों से ६४.४६ लाख रुपये वसूल किये गये तथा ४६.३७ लाख रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया।

सब प्रकार की सहकारी समितियाँ

राज्य	समितियों की सं०	प्राथमिक समितियों के सदस्य	कुल कार्य-पूँजी
आन्ध्र	१६,१३१	२३,३४,२८८	६,८३,७०२
आसाम	५,२३४	३,३३,१३६	६५,२३४
बिहार	२३,५८५	१०,५४,४७८	१,३८,२४३
बम्बई	३०,२०७	३५,८१,८६०	१८,६१,२४७
जम्मू और कश्मीर	२,४३४	२,१३,०६८	२३,०४४
केरल	४,२६८	६,१३,१६४	१,०१,८०१
मध्य-प्रदेश	१६,५६३	६,७८,५६७	२,५५,०२०
मद्रास	१२,४०६	२३,१६,६०७	७,४३,०००
मैसूर	१२,५०६	१७,५६,६०२	३,६८,५५५
उड़ीसा	६,१६४	७,४८,१४१	१,२५,६३६

राज्य	समितियों की सं०	प्राथमिक समितियों के सदस्य	कुल कार्यकारी पूँजी
पंजाब	२३,२३५	११,९२,३३२	३,८९,७५५
राजस्थान	८,३७४	३,१६,७५४	८०,४०७
उत्तर-प्रदेश	५३,४५१	२५,१३,५१०	४,८९,३८७
पश्चिम बंगाल	१८,३३७	१२,३०,२२०	२,६३,४३७
अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह	२४	२,५५१	६९०
दिल्ली	१,५६५	९९,६५८	३७,४०९
हिमाचल-प्रदेश	७८७	५६,४९१	१४,२६६
मणिपुर	१२६	८,१७०	८५८
पांडिचेरी	६१	८,७३०	२,१०१
त्रिपुरा	२४८	१४,६६२	२,८८७
टोटल १९५६-५७	२,४४,७६९	१,९३,७३,३४९	५३,७६,६८२
टोटल १९५५-५६	२,४०,३९५	१,७६,२१,९७८	४६,८८,१९९
टोटल १९५४-५५	२,१९,२८८	१,६०,२०,६८१	३९,०५,१६६

❀

व्यापार

विदेशों के साथ व्यापार

१९५७-५८ में विदेशों के साथ भारत का व्यापार कुल १५ अरब ६४ करोड़ ६२ लाख रुपये का हुआ—९ अरब २७ करोड़ १९ लाख रुपये का आयात तथा ६ अरब ३७ करोड़ ४३ लाख रुपये का निर्यात।

१९५७-५८ में भारत का व्यापार-सन्तुलन—२८९.७६ करोड़ रुपये था, जो १९५१-५२ के वर्ष से ही प्रतिकूल चला आ रहा है।

भुगतान-सन्तुलन—१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर) के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी—

चालू भुगतान-सन्तुलन

		१९५८-५९ (अप्रैल–सितम्बर) रुपये
आयात (निजी तथा सहकारी)	....	५,२६,००,००,०००
निर्यात	....	२,५३,५०,००,०००
व्यापार-सन्तुलन	....	२,७२,५०,००,०००
सरकारी दान अन्य अनभिलिखित (शुद्ध)	....	६१,७०,००,०००
चालू भुगतान-सन्तुलन	....	२,१०,८०,००,०००

१९५६-५७ का ३.०७ अरब रुपये का घाटा आयातों में हुई वृद्धि तथा निर्यातों में आई कमी के फलस्वरूप १९५७-५८ में बढ़कर ४.५१ अरब रुपये का हो गया। १९५८-५९ के पूर्वार्द्ध में भुगतान-सन्तुलन पर दबाव पड़ना जारी रहा।

१९५८-५९ के भुगतान-सन्तुलन में पड़नेवाले घाटे को पूरा करने के लिए निम्न-लिखित साधनों के द्वारा व्यवस्था की गई—

भुगतान-सन्तुलन के घाटे की पूर्त्ति के लिए व्यवस्था

	१९५८-५९ (अप्रैल–सितम्बर) रुपये
सरकारी ऋण	९५,५०,००,०००
अन्य पूँजीगत लेन-देन	१७,१०,००,०००
सुरक्षित रखे गये विदेशी विनिमय का उपयोग	८६,३०,००,०००
भूल-चूक लेनी-देनी	११,९०,००,०००
	२,१०,८०,००,०००

आयात—१९५७-५८ में विदेशी विनिमय बचाकर रखने का प्रयास करने के बावजूद, ११.७५ अरब रुपये के मूल्य का आयात हुआ। इतना अधिक आयात मुख्यतः पहले किये जा चुके वादों के परिणामस्वरूप हुआ। आयात में यह वृद्धि सरकारी आयातों कारण ही हुई, जो इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा २.०१ अरब रुपये के मूल्य का अधिक हुआ। आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों में लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। कठोर नियन्त्रणात्मक उपायों के फलस्वरूप निजी आयात कम रहा, किन्तु निजी क्षेत्र में मशीनों का आयात १.५६ अरब रुपये से बढ़कर १.६४ अरब रुपये के मूल्य का हो गया। निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात के आयात में और कच्ची सामग्री, तेल, कपास तथा रासायनिक पदार्थों के आयात में कमी आई। मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में भी लगभग ३० करोड़ रुपये की कमी हुई।

१९५७-५८ में सरकारी आयातों में लगभग ७० प्रतिशत की वृद्धि (२.९१ अरब रुपये से बढ़कर ४.९३ अरब रुपये) हुई। खाद्यान्नों के आयात में ४७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। शेष १.५५ अरब रुपये की वृद्धि मशीनों तथा उपकरणों और लोहा तथा इस्पात के क्षेत्र में हुई। १९५८-५९ के पूर्वार्द्ध में सरकारी आयात, कुल आयात का ४८ प्रतिशत रहा।

सरकारी तथा विकास-कार्य-सम्बन्धी आयात—सरकारी तथा विकास-कार्य-सम्बन्धी आयात का विवरण इस प्रकार है—

सरकारी तथा विकास-कार्य-सम्बन्धी आयात

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी आयात	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)	विकास तथा विकास-भिन्न जिन्सों का आयात (१९५७ से प्रतिबन्धित आयात-नीति का परिणाम)	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)
खाद्यान्न	५३.८०	*विकास-भिन्न जिन्सें*	१७१.४०
सरकारी योजना-कार्यों के लिए पूँजीगत उपकरण	८५.६०	खाद्य	५३.८०
लोहा तथा इस्पात	२२.१०	अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ	३८.८०
रेल-सम्बन्धी सामग्री	३२.२०	अन्य विकास-भिन्न वस्तुएँ	७८.८०
संचार-सामग्री (जहाज-सहित)	५.६०	*कच्ची सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ*	१५६.७०
अन्य (उर्वरक-सहित)	५१.२०	*पूँजीगत सामग्री*	१९७.८०
		निजी	७४.१०
		सरकारी	१२३.७०
	२५०.८०		५२५.९०

निर्यात—१९५७-५८ में निर्यातों से ५.९५ अरब रुपये प्राप्त हुए, जो १९५६-५७ की प्राप्ति से ४० करोड़ रुपये कम थे। विदेशों की माँग में कमी आने और कलकत्ता में बैंक तथा जहाज-निर्माण-केन्द्र के कर्मचारियों की हड़ताल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रथम ६ महीनों में निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चाय, पटसन की वस्तुओं, कपास तथा वनस्पति-जन्य तेलों के निर्यात में क्रमशः ३० करोड़, ८ करोड़ तथा ११ करोड़ रुपये की महत्त्वपूर्ण कमी आई। डालरवाले क्षेत्रों को किये जानेवाले निर्यातों में तो कुछ ही कमी हुई, किन्तु पौण्ड-पावनेवाले क्षेत्रों को किये जानेवाले निर्यातों में काफी कमी हुई।

व्यापार-नीति

विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि में तेजी से कमी आने के फलस्वरूप, जिसका कारण मुख्यतः मशीनों और लोहा तथा इस्पात के आयात में हुई भारी वृद्धि थी, १९५७ के पूर्वार्द्ध के लिए आयात-सम्बन्धी नीति में अधिक कड़ाई करना आवश्यक हो गया। आयात पर लगे प्रतिबन्ध कठोर कर दिये गये और जुलाई-सितम्बर, १९५७ तथा अक्तूबर, १९५७ – मार्च, १९५८ में कम आवश्यक उपभोक्ता-सामग्री के आयात में भारी कमी की गई।

निर्यात-प्रोत्साहन—निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में सूती वस्त्र, रेशमी तथा रेयन-वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग-सम्बन्धी सामग्री, काजू, काली मिर्च, तम्बाकू, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं, अभ्रक, खेल-कूद-के सामान, रसायनों आदि के लिए निर्यात-प्रोत्साहन-परिषदें स्थापित कीं। इस सम्बन्ध में ये अन्य उपाय भी किये गये—२०० जिन्सों के निर्यात पर लगे नियन्त्रण हटा दिये गये, कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में लगे प्रतिबन्धों में कमी कर दी गई, निर्यात-शुल्क कम अथवा समाप्त कर दिये गये, नियन्त्रण के अधीन आनेवाली जिन्सों के लिए मुक्त रूप से लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था की गई तथा निर्यात की जानेवाली जिन्सों पर लगा उत्पादक-शुल्क वापस किया जाने लगा।

एक विशेषज्ञ-समिति की सिफारिश पर ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से जुलाई, १९५७ में एक सरकारी 'निर्यात-हानि-भय बीमा-निगम' स्थापित किया गया। यह निगम उन हानि-भय-बीमे की सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनका कारोबार सामान्यतः व्यापारिक बीमा-कम्पनियाँ नहीं करतीं। जून, १९५७ में एक 'विदेशी व्यापार-मण्डल' तथा एक 'निर्यात-प्रोत्साहन-निदेशालय' स्थापित किये गये। 'प्रदर्शनी निदेशालय' भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापारिक दृश्य-प्रचार का काम करता है। भारत, विदेशों की प्रदर्शनी तथा व्यापारिक मेलों में भाग लेता आ रहा है। अक्तूबर, १९५८ में नई दिल्ली में 'भारत १९५८' नामक एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई, जो जनवरी, १९५९ तक जारी रही।

निर्यात-प्रोत्साहन के सभी पहलुओं के सविस्तर अध्ययन के लिए नियुक्त 'निर्यात-प्रोत्साहन-समिति' ने अगस्त, १९५७ में सरकार को दिये अपने प्रतिवेदन में ये आवश्यक बातें सुझाईं—(१) सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि-उत्पादन में ठोस वृद्धि, (२) अन्य देशों की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भारतीय वस्तुओं का मूल्य कम रखना, (३) घरेलू उपभोग को कम करके भी निर्यात को प्रोत्साहन देना, (४) विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना तथा निर्यात के क्षेत्रों का विस्तार करना और (५) निर्यात की वस्तुओं के नये प्रयोगों की खोज करना। समिति का विचार है कि उचित उपाय किये जाने के फलस्वरूप भारत का निर्यात ७ अरब रुपये से बढ़कर ७.५० अरब रुपये प्रति वर्ष का हो सकता है। समिति ने यह भी सुझाया है कि निर्यात-शुल्क न केवल नीची दर पर ही लगाये, जायँ बल्कि उन्हें शीघ्र परिवर्त्तित भी नहीं किया जाना चाहिए।

'निर्यात-प्रोत्साहन-परिषदों' द्वारा विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि-मण्डलों के अतिरिक्त भारत-सरकार ने मई, १९५६ में एक औद्योगिक-वाणिज्यीय सद्भावना-मण्डल डेन्मार्क, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भेजा। एक 'भारतीय व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डल' १९५७ में पश्चिम जर्मनी गया। १९५८ में अफगानिस्तान, जापान तथा रूस को भी ३ व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल गये। घाना, जंजीबार, यूगाण्डा, श्रीलंका, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब-गणराज्य के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ष भारत आये।

व्यापार-करार

अप्रैल, १९५७ के बाद से १९५९ के आरम्भ तक १२ देशों के साथ हुए व्यापार-करारों को नया किया गया और अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, यूनान तथा

श्रीलंका के साथ नये करारों पर हस्ताक्षर किये गये। इथोपिया, जापान तथा यूनान के साथ व्यापार-करार पहली बार हुए। भारत तथा १६ देशों के बीच व्यापार-करार पहले से ही हुए हैं।

अगस्त, १९५६ में हुए भारत-अमेरिका-करार में ३६ करोड़ डालर (१.७२ अरब रुपये) के मूल्य की उन कृषिजन्य वस्तुओं के भारत में आयात किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार बिक्री से होनेवाली आय में से १.३७ अरब रुपये भारत-सरकार को हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे तथा शेष का भारत में उपयोग करने के लिए अमेरिकी सरकार स्वतन्त्र होगी।

जुलाई, १९५६ में भारत, अमेरिका तथा वर्मा के बीच हुए एक त्रिदलीय करार के अनुसार भारत वर्मा को लगभग १.८५ करोड़ रुपये के मूल्य के सूती वस्त्र का निर्यात करेगा, जिसका भुगतान वर्मा, अमेरिका से खरीदे गये कच्चे कपास के रूप में करेगा।

तट-कर

१९५७-५८ में तटकर-आयोग ने तटकर-सम्बन्धी १२ मामलों की तथा इस्पात के मूल्य-सम्बन्धी १ मामले की जाँच की। तटकरवाले मामलों की जाँच का सम्बन्ध उद्योगों को मिली सुरक्षा जारी रखने के प्रश्न से था। डिब्बाबन्द फल, तेल से जलनेवाले लैम्प, लौह-भिन्न धातु तथा सूती वस्त्र-मशीन-उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर-सम्बन्धी सुरक्षा या तो समाप्त कर दी गई अथवा इनके उत्पादन के कुछ ही भाग के लिए सीमित रखी गई। आयोग ने उद्योगों को सुरक्षा देने तथा उनके सुरक्षात्मक शुल्क की वर्त्तमान दरों में परिवर्त्तन करने की सिफारिश की।

व्यापार की दिशा

विदेशों के साथ होनेवाले भारत के व्यापार में अमेरिका तथा ब्रिटेन मुख्य खरीदार हैं। १९५७ में भारत के आयात-व्यापार में १६.६ प्रतिशत आयात अमेरिका से तथा २३.२ प्रतिशत आयात ब्रिटेन से हुआ। निर्यात-व्यापार में २०.६ प्रतिशत निर्यात अमेरिका को तथा २५.१ प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को हुआ।

१९५७ में विदेशों को ६ अरब ३७ करोड़ ७४ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात तथा विदेशों से १० अरब २५ करोड़ ८० लाख रुपये के मूल्य का आयात हुआ।

१९५७ में खाद्य, पेय तथा तम्बाकू ; कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का मिला-जुला सामान्य निर्यात-सूचनांक परिमाण की दृष्टि से ११९ तथा मूल्य की दृष्टि से ६४ था। इसी प्रकार इन वस्तुओं का आयात-सूचनांक परिमाण की दृष्टि से १५६ तथा मूल्य की दृष्टि से ६८ था। इस वर्ष निर्यात-मूल्य-सूचनांक तथा आयात-मूल्य-सूचनांक का अनुपात (आधार वर्ष : १९५२-५३ = १००) ६६ रहा।

सरकारी व्यापार-निगम

मई, १९५६ में १ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से सरकारी संगठन के रूप में 'सरकारी व्यापार-निगम' की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य विदेशों के साथ होनेवाले

भारत के व्यापार की न्यूनताओं को पूरा करके व्यापार को संगठित करना है। स्थापित होने के बाद से ही यह निगम नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्थावाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार में विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत के पौण्ड-पावने पर कुछ भी प्रभाव डाले विना इन देशों से इस्पात, सीमेण्ट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किये जा सकें। निगम सीमेण्ट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा जिप्सम-जैसी वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर पहले से ही खरीद चुका है। निगम ने जिन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उनमें खनिज पदार्थ, जूते तथा दस्तकारी की वस्तुएँ, नमक, चाय, कहवा तथा ऊनी वस्त्र हैं। निगम ने लगभग १ अरब २६ करोड़ ८० लाख रुपये का कारोबार किया।

सरकार ने जुलाई, १९५६ में निगम को भारतीय सीमेण्ट उद्योगों से सीमेण्ट प्राप्त करने, विदेशों से सीमेण्ट मँगाने तथा इसका भारत की सभी रेल-पथ-सीमाओं (रेलहैड्स) पर समान मूल्य पर वितरण करने का काम सौंप दिया। देश में सीमेण्ट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के फलस्वरूप १९५८ में निगम को २ लाख टन भारतीय सीमेण्ट निर्यात करने का अधिकार दे दिया गया। जुलाई, १९५७ से देश से कच्चा लोहा विदेशों को भेजने की व्यवस्था करने का काम भी निगम को सौंप दिया गया है।

आन्तरिक व्यापार

तटीय व्यापार

भारतीय तट निम्न सामुद्रिक खण्डों में विभाजित कर दिया गया है—(१) पश्चिम बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) मद्रास (आन्ध्र-प्रदेश-सहित), (४) तिरुवांकुर-कोचीन, (५) कोचीन बन्दर, (६) बम्बई, (७) सौराष्ट्र, ओखा तथा कच्छ। एक ही सामुद्रिक खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होनेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' कहलाता है तथा दो भिन्न सामुद्रिक खण्डों के बीच होनेवाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

१९५७-५८ (अप्रैल-दिसम्बर) में कुल तटवार व्यापार २ अरब ३७ करोड़ २५ लाख रुपये के मूल्य का हुआ—१ अरब १४ करोड़ १८ लाख रुपये के मूल्य का आयात तथा १ अरब २३ करोड़ ७ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात।

अन्तर्देशीय व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का अन्तर्देशीय व्यापार, इसके बाह्य व्यापार से कई गुना बड़ा हो। 'राष्ट्रीय योजना-समिति' की व्यापार-उपसमिति के प्रतिवेदन के अनुसार १९४० में देश का आन्तरिक व्यापार ७० अरब रुपये के मूल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ अरब रुपये के मूल्य का हुआ। अन्तर्देशीय व्यापार की दृष्टि से भारत ३६ व्यापार-खण्डों में विभाजित किया गया है।

विभिन्न राज्यों तथा बन्दरगाहवाले मुख्य नगरों (आयात) के बीच रेल तथा नदियों के द्वारा देश में जो व्यापार हुआ, वह आगे की तालिका में दिखाया गया है—

अन्तर्देशीय व्यापार—चुनी हुई वस्तुएँ

	(१९५६-५७) मन
लकड़ी तथा पत्थर का कोयला	५,७,५२,२२,०००
सूती कटपीस	७०,२६,०००
चावल	४,५४,११,०००
गेहूँ	२,९७,७४,०००
कच्चा पटसन	९१,२०,०००
लोहा तथा इस्पात की वस्तुएँ	६,६०,९५,०००
तेलहन	२,५०,५७,०००
नमक	२,९४,२०,०००
चीनी (खाण्डसारी चीनी को छोड़कर)	२,४४,५९,०००

मेट्रिक माप-तोल—'माप-तोल-मानक अधिनियम, १९५६' के अधीन चुने हुए क्षेत्रों में अक्तूबर, १९५८ से मेट्रिक माप-तोल की प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। राज्य-सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं के परामर्श से सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाजारों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में मेट्रिक माप-तोल की प्रणाली लागू की गई। अक्तूबर, १९६० तक माप-तोल की वर्त्तमान प्रणाली का प्रयोग करने की छूट दे दी गई है। राज्य-सरकार का उद्देश्य १९६० के मध्य तक सम्पूर्ण भारत में मेट्रिक तोल का चलन आरम्भ कर देना रखा गया है। मेट्रिक माप की प्रणाली भी धीरे-धीरे लागू हो रही है।

चलचित्र-निर्माण-उद्योग

भारतीय चलचित्र-निर्माण-उद्योग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस छोटी अवधि में ही इसका पर्याप्त विकास एवं उन्नति हुई है। सन् १९१२ ई० में दादा साहब फाल्के ने 'हरिश्चन्द्र' नामक सर्वप्रथम भारतीय चित्र का निर्माण किया। सन् १९२८ ई० तक यहाँ प्रतिवर्ष ८० चित्र निर्मित होने लगे। किन्तु सन् १९३० ई० तक बननेवाले चित्र मूक चित्र ही थे। सन् १९३१ ई० में सर्वप्रथम इम्पीरियल फिल्म कम्पनी, बम्बई द्वारा 'आलमआरा' नामक सवाक् चित्र का निर्माण हुआ। इसी वर्ष 'शीरी-फरहाद' नामक दूसरा सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर द्वारा निर्मित हुआ। उक्त दोनों चित्रों को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके बाद धड़ल्ले से सवाक् चित्र बनने लगे, जिससे इस उद्योग को काफी बल प्राप्त हुआ। बाहर से चित्रों का आना कम हो गया और भारतीय चित्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व सन् १९३९ ई० तक भारतीय चित्रों की संख्या १९५ और सिनेमा-घरों की संख्या ११६५ हो गई थी। आजकल भारतवर्ष में प्रतिवर्ष २५० से २८० तक चित्र निर्मित होते हैं। अमेरिका और

जापान के बाद इस क्षेत्र में भारतवर्ष का ही स्थान है। इस उद्योग में यहाँ प्रतिवर्ष लगभग २०,००,००,००० फुट कच्ची फिल्मों की खपत होती है और लगभग ७०,००० व्यक्ति लगे हुए हैं। भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों में चलचित्र-निर्माण-उद्योग का आठवाँ स्थान है।

प्रमुख रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चलचित्रों का निर्माण होता है। लगभग ५० प्रतिशत चलचित्र केवल बम्बई में ही बनते हैं। कलकत्ता और मद्रास में क्रमशः २० और २५ प्रतिशत चलचित्र निर्मित होते हैं। सम्पूर्ण देश में कुल ६३ स्टूडियो हैं। सन् १९५१ ई० में २१९ और १९५८ ई० में २९५ वृत्त-चित्रों (फीचर फिल्म्स) का निर्माण-कार्य हुआ। विगत ५ वर्षों में सामाजिक चित्रों की संख्या में ह्रास और अपराध-चित्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १९५४ ई० में २०४ सामाजिक चित्रों का निर्माण हुआ, वहाँ सन् १९५८ ई० में केवल १५० सामाजिक चित्र निर्मित हुए। इसके विपरीत अपराध-चित्रों की संख्या ४ से २८ तक पहुँच गई। समूचे देश में वितरकों और वितरण अभिकरणों (एजेन्सीज) की कुल संख्या अनुमानतः ७०० से ९०० तक है।

भारतवर्ष में प्रमुख रूप से हिन्दी, बँगला, तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती के चलचित्र बनते हैं। इनमें से अनेक हिन्दी और बँगला चित्र अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

चित्रों पर सरकारी नियंत्रण—भारत-सरकार का सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय भारतीय चलचित्रों से सम्बन्धित सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय सरकार के 'फिल्म-डिवीजन' पर भी इसका नियंत्रण है।

फिल्म-डिवीजन—फिल्म-डिवीजन सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की ही एक शाखा है। इसका मुख्यालय मालाबार-हिल (बम्बई) में है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत-सरकार के समाचार और वृत्त-चित्रों का निर्माण और वितरण करना है। इसके दो प्रधान विभाग हैं—(१) 'भारतीय वृत्त-चित्र-विभाग' और (२) 'समाचार-समीक्षा-विभाग'। फिल्म-डिवीजन के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र चित्र-निर्माताओं को भी खास विषयों पर वृत्त-चित्रों के निर्माण का भार सौंपा जाता है। इधर भारत-सरकार ने २० से २५ लाख की पूँजी से 'फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन' नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसने अपना कार्यारंभ कर दिया है।

बच्चों के लिए चित्र—भारत-सरकार बच्चों के हित को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए उपादेय चलचित्रों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी ले रही है। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए सन् १९५५ ई० में दिल्ली में 'चिल्डरेन्स फिल्म सोसाइटी' की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग दो चित्र निर्मित होते हैं। बच्चों एवं किशोरों के लिए विशेष उपयुक्त एवं उनकी अभिरुचि के चित्रों का निर्माण करना, उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना तथा निर्माण, वितरण एवं प्रदर्शन में समन्वय स्थापित करना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी को बच्चों के लिए विशेष उपादेय चित्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान भी मिलता है।

चलचित्र-परामर्शदात्री समिति (फिल्म एडवाइजरी बोर्ड)—सन् १९४९ ई० में केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय के फिल्म-डिवीजन को परामर्श देने के लिए एक 'चलचित्र-परामर्शदात्री समिति' की स्थापना की। उक्त समिति फिल्म-डिवीजन के द्वारा अथवा स्वतंत्र निर्माताओं के द्वारा निर्मित समाचार तथा वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करती है। वृत्त-चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह समिति 'फिल्म-डिवीजन' को परामर्श भी देती है।

सेन्सर-बोर्ड—सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेन्सर्स' नवनिर्मित चलचित्रों के परीक्षण तथा उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त ठहराने के लिए उत्तरदायी है। यह नवनिर्मित चलचित्रों की सर्वप्रथम परीक्षा कर यह देखता है कि वस्तुतः कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक है या नहीं। सेन्सर-बोर्ड जिन चित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त समझता है, उन्हें 'यू' (U) वाला प्रमाण-पत्र देता है। जिन चित्रों को वह केवल वयस्कों के ही देखने लायक समझता है, उनके लिए 'ए' (A) वाला प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा छह गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। चलचित्र-निर्माताओं की ओर से सेंसर-बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के पास अपील की जा सकती है। हाल ही भारत सरकार ने घोषणा की है कि निर्माताओं को प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद उनके द्वारा निर्मित चित्र दुबारे जाँच के लिए सेंसर-बोर्ड के समक्ष दाखिल करने होंगे। एक फिल्म लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने कानून बना दिया है कि हर चित्र-निर्माता अपने द्वारा निर्मित चित्रों की प्रतियाँ सेंसर-बोर्ड के पास भेजेगा।

चलचित्रों पर कर-निर्धारण—चलचित्र-उद्योग पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग कर लगाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्ची फिल्मों के आयात-कर, चलचित्र-सम्बन्धी प्रसाधनों के आयात-कर, फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित चित्रों के प्रदर्शन का शुल्क, सेंसर-बोर्ड के प्रमाण-पत्र की फीस आदि के रूप में कर लगाये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारों द्वारा भी मनोरंजन-कर, विक्रय-कर, बिजली-कर, थियेटर टैक्स, लाइसेंस-शुल्क आदि कई तरह के कर लगाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त नगर-पालिकाओं एवं नगर-निगमों द्वारा भी ऑक्ट्राय-चुंगी, लाइसेंस-फीस, संपत्ति-कर, पोस्टर और विज्ञापन-कर आदि लगाये जाते हैं।

भारतीय चलचित्र-संघ—इस संघ का प्रधान उद्देश्य है—चलचित्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना, उसका निरीक्षण करना तथा संरक्षण देना। यह संघ चलचित्र-उद्योग और उसमें लगे लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह उनके व्यापार के तरीकों का नियमन करता है, उद्योग-सम्बन्धी नियम, कानून एवं रीतियों में एकरूपता स्थापित करता है, पंचायत या अन्य तरीकों द्वारा आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, चलचित्र-उद्योग को प्रोत्साहन देता है तथा फिल्म-उद्योग के लाभ-हानि की दृष्टि से विधायिका या कार्यकारिणी का समर्थन अथवा विरोध करता है।

सर्वश्रेष्ठ चित्रों को राजकीय पुरस्कार—उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के हेतु केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष चित्र-निर्माताओं को पुरस्कार देती है। इस वर्ष 'अपुर संसार' (बँगला) नामक चलचित्र, सन् १६५६ का सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के नाते, इसके निर्माता श्रीसत्यजित राय को राष्ट्रपति का स्वर्ण-पदक दिया गया है। 'हीरा-मोती' (हिन्दी) को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के कारण और 'सुजाता' (हिन्दी) को तृतीय सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के कारण अखिलभारतीय श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। 'अनाड़ी' (हिन्दी) को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ चित्र होने के नाते राष्ट्रपति का रजत-पदक दिया गया है। इसी प्रकार 'प्रवैरुन' (असामी), 'बगपिरिविनय' (तामिल) तथा 'नम्मी नकट्ट' (तेलुगु) को भी राष्ट्रपति के रजत-पदक मिले हैं।

वृत्तचित्रों में 'कथा-कली' तथा अँगरेजी बालचित्र को अखिल 'भारतीय' श्रेष्ठता के प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। सर्वश्रेष्ठ बालचित्र के लिए इस वर्ष भी प्रधानमंत्री का स्वर्ण-पदक किसी चित्र को नहीं मिल पाया है। सरकार ने इस वर्ष शिक्षा-संबंधी चित्रों के लिए दो नये पुरस्कार आरंभ किये हैं, किन्तु इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए किसी भी चित्र को नहीं चुना गया।

पुरस्कार के लिए चुने गये चलचित्रों और वृत्तचित्रों के निर्माताओं तथा निर्देशकों को पुरस्कार देने के अलावा प्रत्येक चलचित्र में काम करनेवाले प्रमुख कलाकारों को भी स्मृतिचिह्न दिये गये हैं।

विदेशों में भारतीय चित्रों की माँग—जापान और चीन को छोड़कर समस्त एशिया, पूर्वी अफ्रिका, मिस्र, लीबिया और वेस्ट इण्डीज में भारतीय चित्रों की अच्छी माँग है। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में अधिकाधिक भारतीय चित्र दिखाये जा रहे हैं। इस प्रकार चलचित्रों द्वारा विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रुपये की आय होती है।

भारत के प्रमुख चलचित्र-निर्माता : कलकत्ता—(१) न्यू थियेटर्स, (२) ईस्ट इण्डियन फिल्म्स, (३) डीलक्स पिक्चर्स, (४) इण्डियन नेशनल आर्ट पिक्चर्स, (५) एम० पी० प्रोडक्शन्स लि०, (६) रूपश्री लिमिटेड, (७) अरोड़ा फिल्म्स कारपोरेशन, (८) वसु-मित्र, (६) इन्द्रपुरी स्टूडियो, (१०) सत्यजित प्रोडक्शन, (११) राधा फिल्म्स। **बम्बई**—(१२) राजकमल-कला-मंदिर, (१३) बॉम्बे टॉकीज लि०, (१४) कारदार प्रोडक्शन्स, (१५) श्री रणजीत मूवीटोन, (१६) फिल्मिस्तान, (१७) बॉम्बे सीनेटोन, (१८) आर० के० फिल्म्स, (१६) वाडिया मूवीटोन, (२०) पंचोली प्रोडक्शन्स, (२१) गुरुदत्त फिल्म्स, (२२) महबूब प्रोडक्शन्स, (२३) अशोककुमार प्रोडक्शन्स। **पूना**—(२४) प्रभात फिल्म्स कम्पनी, (२५) रणजीत मूवीटोन। **मद्रास**—(२६) जेमिनी स्टूडियोज, (२७) भारत मूवीटोन, (२८) जय फिल्म्स, (२६) ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स, (३०) रागिनी फिल्म्स, (३१) प्रकाश प्रोडक्शन्स।

प्रमुख वितरक—(१) कलकत्ता फिल्म्स एक्सचेंज, (२) अरोरा फिल्म कारपोरेशन लिमिटेड, (३) दोसानी फिल्म कारपोरेशन, (४) प्राइमा फिल्म्स लिमिटेड, (५) डिलक्स

डिस्ट्रिब्यूटर्स, (६) एसोसिएटेड डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड, (७) इस्टर्न फिल्म एक्सचेंज, (८) कपूरचन्द लिमिटेड, (९) वेस्टर्न थियेटर्स लि० और (१०) नोवल्टी पिक्चर्स।

सन् १९५६ तक विभिन्न भाषाओं में बने भारतीय वृत्तचित्रों की संख्या —

भाषा	संख्या	भाषा	संख्या
हिन्दी और उर्दू—	२,८३७	अँगरेजी	१२
तमिल	७१३	उड़िया	१०
बंगला	७०६	फारसी	६
तेलुगु	३२६	अरबी	२
मराठी	२७८	सिंहली	१
गुजराती	९५	कोंकणी	१
कन्नड	८६	मारवाड़ी	१
मलयालम	५७	सिन्धी	१
पंजाबी —	४४	पश्तो	१
असमिया	१७	जर्मन	१

बैंक

भारत में बैंकों का प्रचलन १८वीं शताब्दी में कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित 'ब्रिटिश एजेन्सी हाउस' से हुआ। १९वीं शताब्दी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन प्रेसिडेन्सी बैंकों की स्थापना हुई। सन् १९२१ ई० में इन प्रेसिडेन्सी बैंकों को इम्पीरियल बैंक के साथ संयुक्त कर दिया गया। इसी इम्पीरियल बैंक का नाम अब 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' कर दिया गया है। सन् १९३५ ई० के अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

सन् १९४९ ई० में 'बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट' नामक एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों की देख-रेख एवं उनके नियंत्रण का सारा उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। इस संबंध में रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—(क) अन्य भारतीय बैंकों की देख-रेख और निरीक्षण; (ख) बैंकों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं नई शाखाओं की स्थापना पर नियंत्रण रखना; (ग) संयोजन एवं व्यवस्था की रूपरेखा की परीक्षा करना एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करना; (घ) बैंकिंग कम्पनियों को दिवालिया करार देना; (ङ) बैंकों का विवरण प्राप्त कर उसकी छान-बीन करना और (च) सामान्य रूप से बैंकों को परामर्श देना तथा आपातकाल में उनकी सहायता करना।

भारतीय बैंकों के प्रकार

सामान्यतया भारतीय बैंक इतने प्रकार के हैं—(१) रिजर्व बैंक, (२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और दूसरे अनुसूचित बैंक, (३) अननुसूचित बैंक; ज्वायण्ट स्टॉक बैंक (जिसमें सरकारी और सरकार द्वारा नियंत्रित बैंक भी सम्मिलित हैं)। लेकिन, इसमें द्वितीय अनुसूची के बैंकों, जिनके निबंधित (रजिस्टर्ड) कार्यालय विदेशों में हैं, की गणना नहीं की गई है।

अनुसूचित बैंक—इस कोटि में भारत में अपना कारोबार करनेवाले वे बैंक आते हैं—(क) जिनके पास चुकता और सुरक्षित दोनों मिलाकर पाँच लाख से कम की पूँजी न हो; (ख) जो नियमतः कम्पनी, कारपोरेशन या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था हों; (ग) जो अपने कारबार से रिजर्व बैंक को संतुष्ट रखते हों। अनुसूचित बैंकों के निम्न-लिखित दो और भी प्रकार हैं—(क) वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारतीय संघ में हों तथा (ख) विदेशी अनुसूचित बैंक, अर्थात् वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारत से बाहर हों।

अननुसूचित (नन-शिड्यूल्ड) बैंक—अननुसूचित बैंक चार प्रकार के हैं—ए-२, बी, सी और डी।

ए-२ बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता तथा सुरक्षित पूँजी मिलाकर ५ लाख या उससे अधिक हो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किये गये हों। बी-बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख और ५ लाख के बीच हो। 'सी'-बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५० हजार से १ लाख के बीच पूँजी हो। 'डी'-बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५०,००० से कम पूँजी हो।

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों के अतिरिक्त बैंकों द्वारा उद्योग-धंधों के विकास के लिए भारत-सरकार ने कई अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की है। जैसे—(१) १९४८ में 'इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया'; (२) १९५१ में 'स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन'; (३) १९५५ ई० में 'इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन' और (४) १९५८ में 'दी रीफाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लि०'।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना १ अप्रैल, १९३५ ई० को की गई। यह पहले विशुद्ध प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी था, किन्तु सन् १९४८ ई० में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसकी व्यवस्था के लिए 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' की स्थापना की गई। इसका कार्य इन चार क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक-एक स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये। इसका प्रमुख कार्य सरकार की आर्थिक नीति के अन्तर्गत देश की मुद्रा-प्रणाली का नियमन करना है। यह नोट निकालने का एकाधिकार रखता और अपने पास देश की मुद्रा-सम्बन्धी स्थिरता बनाये रखने के लिए संचित कोष रखता है। यह व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक है। यह बैंक रुपये का विदेशी विनिमय मूल्य निर्धारित करता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना जुलाई, १९५५ में हुई। उसी समय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का कुल कारबार इसमें मिला दिया गया। इसकी अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपये की और जारी की गई पूँजी ५ करोड़ ६२½ लाख रुपये की है, जो इम्पीरियल बैंक के हिस्से के बदले में है। इसकी जारी की गई पूँजी का कम-से-कम ५५ प्रतिशत रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक चाहे तो शेष ४५ प्रतिशत हिस्सा भी हिस्सेदारों को लौटा सकता है।

बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथ में है। इस बोर्ड के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को भारत-सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त करती है। भारत-सरकार की स्वीकृति से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिक-से-अधिक दो प्रबन्ध-निर्देशक नियुक्त किये जाते हैं। हिस्सेदार ६ निर्देशकों को चुनते हैं। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व बैंक की सलाह से ८ निर्देशकों को मनोनीत करती है। एक निर्देशक भारत-सरकार और एक निर्देशक रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। ये सभी केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य होते हैं।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की ही तरह उद्योग-धन्धों और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए ऋण देता है। देश के अन्दर स्टेट बैंक की सैकड़ों शाखाएँ हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की अपनी शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ही उसके एजेण्ट की तरह काम करता है।

ज्वायण्ट स्टॉक बैंक या अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और बड़े विनिमय-बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जो इण्डिया कम्पनी ऐक्ट के अनुसार निबन्धित (रजिस्टर्ड) होते हैं। इन्हें ज्वायण्ट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। न्यूनाधिक पूँजी के अनुसार ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं। जिन बैंकों की चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख रुपये या इससे अधिक होती है, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं।

अनुसूचित बैंक मुख्यतः व्यावसायिक बैंक हैं। ये लोगों के रुपये जमा रखते हैं, उनकी कोई वस्तु बन्धक रखते हैं, गल्ला, कपड़ा आदि की जमानत पर ऋण देते हैं, कम्पनी के हिस्सों की खरीद-बिक्री करते हैं, लोगों के आभूषण आदि अपनी हिफाजत में रखते हैं, बड़े-बड़े कृषकों या बागान-मालिकों के साथ कृषि-सम्बन्धी व्यवसाय करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य कारबार भी करते हैं।

विनिमय-बैंक

विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य वैदेशिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी विनिमय बैंकों की स्थापना भारत के बाहर हुई है। ये विदेशी मुद्रा में

हुण्डियाँ खरीदते हैं और जहाजरानी तथा दूसरे दस्तावेजों पर ऋण देते हैं। ये अन्तर्देशीय वाणिज्य के संबंध में भी, मुख्यत: मालों के आयात-निर्यात के संबंध में, कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अब ये बैंक लोगों के सेविंग्स और फिक्स्ड एकाउण्ट भी रखने लगे हैं। इस प्रकार इनके कार्य देश के भीतरी भागों में बढ़ रहे हैं। विनिमय-बैंक भारत एवं विश्व के वाणिज्य व्यवसाय के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस कार्य को सन् १८४२ ई० में ओरियण्टल बैंकिंग कारपोरेशन ने आरंभ किया था, वही कार्य अब ये बैंक करने लगे हैं।

अननुसूचित बैंक

अननुसूचित बैंक के अन्तर्गत वे बैंक आते हैं, जो संयुक्त कम्पनी तो हैं, किन्तु साधारणतः उनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख से कम ही होती है। पूँजी के न्यूनाधिक्य के हिसाब से ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं—प्रथम श्रेणी में वे बैंक आते हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख या उससे अधिक तो है, पर अन्य कई कारणों से वे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी श्रेणी के बैंक वे हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख से ५ लाख तक हैं। तृतीय श्रेणी के बैंक ५०,००० से १ लाख पूँजीवाले तथा चतुर्थ श्रेणी के बैंक ५०,००० से कम पूँजीवाले होते हैं।

देशी तरीके के बैंक

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों से सरकार के, बड़े-बड़े वाणिज्य-व्यवसायों के तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों के कारोबार चलते हैं। किन्तु मध्यम या निम्न श्रेणी के व्यापारियों, छोटे पैमाने के उद्योगपतियों, साधारण कृषकों आदि के कार्य वैयक्तिक रूप से काम करनेवाले महाजनों, सेठ-साहूकारों, शर्राफों आदि से चलते हैं। ये महाजन खेत, गहने तथा अन्य संपत्ति के बंधक पर ऋण दिया करते हैं। ये महाजन छोटी-बड़ी रकमों की हुण्डियाँ निकालते हैं।

भूमि-बन्धक बैंक

सन् १९५८ ई० के कृषि-संबंधी शाही कमीशन और सन् १९३० ई० की बैंकिङ्ग इन्क्वायरी कमिटी की सिफारिशों के अनुसार भारत के अनेक भागों में सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर भूमि-बंधक बैंकों के स्थापन की आवश्यकता समझी गई है। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों की भूमि और मकान को महाजनों के चंगुल से बचाने, उन्हें पुराने ऋण से विमुक्त करने, उनकी भूमि को जोत, खाद आदि द्वारा उन्नत बनाने, उनके लिए मकान बनवाने आदि की सुविधाएँ प्रदान करना है। ये बैंक पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और आसाम में सहकारी आन्दोलन के सिलसिले में कायम हुए हैं, किन्तु इनके कार्य अभी बहुत छोटे पैमाने पर चल रहे हैं।

भारत के रिजर्व बैंक का देय और सम्पत्ति

निर्गम—विभाग
(लाख रुपयों में)

३० जून	बैंकिंग विभाग में रखे गये नोट	प्रचलित नोट	कुल देय (कुल निर्गमित नोट) या सम्पत्ति	भारत में रखी गई स्वर्ण-मुद्रा या स्वर्ण-पिण्ड	विदेशी सिक्यूरिटीज	कुल स्वर्ण-मुद्रा, स्वर्ण-पिंड और विदेशी सिक्यूरिटीज	रुपये	भारत-सरकार की सिक्यूरिटीज (रुपये में)
१९५३	३,८४७	१,१३६,३२	१,१७४,७८	४,००२	६०३,१५	६४३,१७	९,१७६	४३६,८६
१९५४	४१,०८	१,१७२,०३	१,२१३,१२	४०,०२	६५३,१५	६९३,१७	९८,७३	४२१,२२
१९५५	३१,७८	१,३०९,७६	१,३४१,५५	४०,०२	६५२ ०५	६९२,०६	१०५,८४	५४३,६५
१९५६	२८,२७	१,४७४,६७	१,५०२,९४	४०,०२	६४६,५५	६८६,५७	१०७,६९	७०८,६८
१९५७	३९,५०	१,५४२,१७	१,५८१,६७	११७,७६	४१२,५२	५३०,२८	१२५,५८	९२४,१८
१९५८	३९,०५	१,५७७,२७	१,६१६,३२	११७,७६	१९९,६८	३१७,४४	१३१,३३	१,१६७,५६

भारत के रिजर्व बैंक का देय और सम्पत्ति

(२) बैंकिंग विभाग

(लाख रुपये में)

३० जून	चुकता पूँजी और सु० पूँजी	कुल संचय (योग)	भुगतान योग्य देयक	अन्य देय	कुल देय या सम्पत्ति	नकद	खरीदे और भुनाये गये देय	विदेश में रखा गया रोकड़ बाकी	सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	दूसरों को ऋण एवं अग्रिम	विनियोग	अन्य सम्पत्ति
१९५३	१०,००	२४७,०२	१,६६	१४,६८	२७३,६६	३८,६९	१४,६०	१११,७०	३४०	२०,८८	७९,८०	४,५९
१९५४	१०,००	२४१,४५	२,१८	२०,९७	२७४,६०	४१,३३	५८३	९२,६५	४७	३७,४७	९१,३३	५,५५
१९५५	१० १०	१४६,१८	६,९५	२३,४०	१८६,५३	३१,९१	११,७२	६०,९१	७६	२८,२४	४६,३९	६,५९
१९५६	१०,१०	१३७,५६	५,३२	३९,८१	१९२,६९	२८,३७	८३६	३८,५२	२,३७	६९,६८	३७,३३	८,०६
१९५७	८५,००	२९१,२६	१३,१६	३१ ३४	४२०,७६	३६,६२	१३	४३,०४	२३.८९	९१,४६	२०८,९४	१३,६८
१९५८	८५,५०	३०८,२८	१३,४७	३८,४१	४४५,३६	३९,१६	६९	१४,३३	२३,६६	६०,५३	२८९,०८	१४,९१

स्टेट बैंक ऑफ् इण्डिया का देय और सम्पत्ति

(लाख रुपये में)

वर्ष	चुकता पूँजी	सुरक्षित धन	कुल जमा	नकद हाथ में	नकद बैंक में	विनियोग (गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज)	अन्य विनियोग	तुरत दी जाने-वाली राशि	ऋण एवं अग्रिम	खरीदे और भुनाये गये देयक	विशुद्ध लाभ	कार्यालयों की सं०
१९५३	५,६३	६,३५	२०६,९७	३,६९	१५,९५	८०,९५	१३,१९	—	९२,०३	१४,२८	१,२७	४२४
१९५४	५,६३	६,३५	२३१,१३	३,७०	३२,६७	९४,९५	१३,७७	—	९६,१५	६,१७	१,३७	४५५
१९५५	५,६३	६,३५	२१९,८०	३,४२	२५,९६	१०४,९६	१२,०२	१,५३	८९,०१	१६,८०	१,३६	४८४
१९५६	९,६३	६,३८	२३५,४७	३,३९	२४,३९	९२,५९	१४,२८	१,०७	१०७,४२	३२,७४	१,५६	५३८
१९५७	५,६३	६,६३	३६६,६८	१०,२४	२९,२८	१७०,१८	१३,२५	२,००	१५४,६१	१८,८७	१,८७	६२२
१९५८	५,६३	७,००	४७८,६८	११,३४	४४,१३	२६८,३७	१६,१९	२,११	१५८,५६	१३,५०	१,९०	७१२

अन्य भारतीय अनुसूचित बैंकों के देय और सम्पत्ति

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बैंकों की संख्या	चुकता पूँजी	सुरक्षित पूँजी	कुल संचय	हाथ में नकद	बैंक में नकद	विनियोग (गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज)	अन्य विनियोग	तुरत दी जाने-वाली राशि	ऋण एवं अग्रिम	खरीदे और भुनाये गये देयक	विशुद्ध लाभ	कंपनियों की संख्या
१६५४	७१	२,७०३	२,०३४	५८,६०८	३,२८८	५,४२३	२०,५२६	३,६११	—	२७,७७४	५,५६७	४,५५	२,२४४
१६५५	७१	२,७२२	२,०३८	६५,७४७	३,५४६	५,३३१	२३,१२४	३,७६८	४,४१	३०,८७५	८,२६१	५,२४	२,३०७
१६५६	७१	२,७३६	२,०७८	७२,५३३	३,६६५	५,३५२	२३,१८६	३,८५७	८,६०	३७,२२६	१०,६०३	६,७०	२,३५६
१६५७	७३	२,६११	२,३२२	८५,७१२	३,८६६	७,०१०	२२,४१३	५,५३५	३,७४३	४३,२१६	६,४१८	७,६२	२,५८४
१६५८	७६	२,६६४	२,५०३	६७,६५१	४,३१३	६,७६८	३२,१५२	६,०१२	३,००२	४६,८२३	१०,०७२	६,५६	२,८५२

भारतीय ज्वायण्ट स्टॉक बैंक, १९५८

बैंकों की संख्या

१—भारतीय बैंक	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८
(१) अनुसूचित बैंक	७२	७२	७२	७४	७७
(२) अननुसूचित बैंक					
अ	६५	६४	५८	५५	४५
ब	१९१	१९०	१७०	१६३	१५९
स	११६	१०५	९३	७६	७४
द	३७	२५	१२	४	२
(१) और (२) का कुल योग	४८१	४५६	४०५	३७२	३५७
२—विदेशी बैंक					
(१) अनुसूचित बैंक	१६	१७	१७	१७	१६
(२) अननुसूचित बैंक	१	१	—	—	—
(१) और (२) का कुल योग	४९८	४७४	४२२	३८९	३७३

पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक

वर्ष	जमा करने-वालों की संख्या	संचय (ब्याज सहित, लाख रुपयों में)	निकासी (लाख रुपयों में)	रोकड़ (लाख रुपयों में)	औसत रोकड़ जमा प्रति संचय कर्त्ता पर (रुपयों में)
१९५५	५,३८४	१४,७१७	१२,२६३	२५,६४९	४७,६·४
१९५६	५ ९८८	१७,१६४	१३,४६३	२९,३५०	४९,०·१
१९५७	६,३८५	१९,३९८	१६,५३२	३२,२०८	५०,४·४
१९५८	६,९२०	१९,२१७	१७,४६२	३३,९६३	४९,०·८

विदेशी अनुसूचित बैंकों के देय और सम्पत्ति

(लाख रुपयों में)

ई० सन्	बैंकों की सं०	कुल जमा	नकद हाथ में	नकद बैंक में	गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज	अन्य विनियोग	शीघ्र दी जानेवाली राशि	ऋण एवं अग्रिम	भुनाये और खरीदे गये देयक	विशुद्ध लाभ	कार्यालयों की सं०
१९५४	१६	१७८.४६	२,२२	१३,८३	४६,३६	१,८४	—	१२४,६४	२५,७५	१,२५	६६
१९५५	१७	१९४,४६	३,२२	१४,५८	४६,०१	३,६६	५,७२	१३६,०७	३१,८८	१,६८	६७
१९५६	१७	१८७,२४	२,८१	१५,०२	३६,२७	२,८७	४,३६	१६१,२२	४०,६४	१,६६	६७
१९५७	१७	२०४,१४	२,६२	१७,५३	३८,९१	४,३६	१२,०७	१४३,८७	५०,४२	१,६२	६७
१९५८	१६	१९५,७६	२,५७	१२,५८	४४,७४	२,७८	११,१६	१३४,७३	२५,३६	१,०३	६६

कुल अननुसूचित बैंकों के देय और सम्पत्ति

(लाख रुपयों में)

ई० सन्	बैंकों की सं०	चुकता पूँजी	सुरक्षित पूँजी	कुल जमा	नकद हाथ में	नकद बैंक में	गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज	अन्य विनियोग	ऋण और अग्रिम	भुनाये और खरीदे गये देयक	विशुद्ध लाभ	कार्यालयों की सं०
१९५४	४१०	८,८०	४,८१	६६,८३	६,१७	४,४३	२१,६६	४,९९	४०,७९	१,६५	६२	१,१९९
१९५५	३६६	८,११	४,६७	७०,१३	६,४८	३,७९	२५,२४	५,६१	३७,३२	२,०९	६३	१,१४२
१९५६	३३४	७,६४	४,४४	७३,७५	६,६०	३,४६	२५,६७	६,२८	३६,८२	२,७२	७१	१,१०१
१९५७	२९८	६,०९	३,३८	५१,८१	४,७९	३,१२	१३,७७	३,७५	३३,१६	१,५५	४८	९४७
१९५८	२८०	५,५३	३,१७	४७,६३	४,४४	३,६९	११,०८	४,१७	२,९०३	१,३६	४२	८६५

भारतीय बीमा

बीमा का राष्ट्रीयीकरण—जीवन-बीमा के इतिहास में संसार के अन्दर सर्वप्रथम भारत-सरकार ने ही १९५६ ई० में जीवन-बीमा के व्यवसाय का राष्ट्रीयीकरण किया। १९५६ की ६ जनवरी को राष्ट्रपति ने एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत में काम करनेवाली देशी और विदेशी सभी जीवन-बीमा-कम्पनियों का काम भारत-सरकार के हाथ सौंपा। उसी वर्ष 'भारत का जीवन-बीमा-निगम'-सम्बन्धी बिल २३ मई को पास हुआ और १ सितम्बर से इसका काम आरम्भ कर दिया गया। प्रधान कार्यालय बम्बई में रखा गया। इस निगम को पूरा अधिकार दिया गया कि वह जीवन-बीमा तथा अन्य बीमा—जैसे अग्नि, जहाज, मोटर आदि के बीमा का भी काम करे। निगम की स्थापना के बाद भारतीय अथवा विदेशी जीवन-बीमा-कम्पनियाँ भारत में अपने व्यवसाय के लिए अधिकृत नहीं रहीं। भारतीय जीवन-बीमा-कम्पनियों को विदेशों में भी काम करने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, पोस्ट ऑफिस जीवन-बीमा-फंड तथा सरकारी कर्मचारी-वर्ग के लिए अनिवार्य जीवन-बीमा-योजना का काम पूर्ववत् चलता रहा। जीवन-बीमा, अर्थात् साधारण बीमा-कम्पनियों का काम भी अभी उन्हीं कम्पनियों के हाथ में है। भारत का जीवन-बीमा-निगम अभी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

जीवन-बीमा-निगम का प्रबन्ध १५ सदस्यों की समिति के द्वारा होता है, जिसके चेयरमैन की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की ओर से होती है। निगम के संचालन के लिए इसकी एक कार्य-समिति, एक धन-विनियोग-समिति, प्रबन्ध-निर्देशक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं। इस कार्य के लिए देश पाँच क्षेत्रों (जोनों) में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के प्रधान कार्यालय बम्बई, दिल्ली कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कई प्रमंडलीय कार्यालय (डिवजिनल ऑफिस) और प्रत्येक प्रमंडलीय कार्यालय के अधीन कई शाखा-कार्यालय (ब्रांच-ऑफिस हैं।

जीवन-बीमा का आयोजन तथा कार्य—केन्द्रीय वित्त-मंत्रणालय के अन्दर आर्थिक विषयों का एक विभाग है, और उसी की एक शाखा है बीमा-शाखा (इन्श्योरेन्स डिविजन)। देश के अन्दर बीमा-सम्बन्धी सब प्रकार के कार्यों की देख-भाल यह करता है।

बीमा की नवीन योजनाएँ—निगम की स्थापना के पूर्व भारतीय और विदेशी बीमा की कम्पनियाँ लोगों की सुविधा के लिए बीमा-सम्बन्धी विभिन्न भाँति की नई-नई योजनाएँ समय-समय पर तैयार करती रहती थीं, जिनमें अधिकांश अब भी चालू हैं। इधर निगम ने तीन और भी नई योजनाएँ तैयार की हैं—जनता-योजना, सामूहिक बीमा और अधिवार्षिक योजना तथा वेतन-बचत-योजना। (१) जनता-योजना (जनता-स्कीम) बृहत्तर बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, दिल्ली, रोहतक, कानपुर, कलकत्ता, सिलीगुडी, मद्रास, मदुराई, कोएम्बटूर तथा हैदराबाद के औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है।

सहायक संस्थाएँ—भारत के जीवन-बीमा-निगम की सहायता के लिए दो और संस्थाएँ हैं—(१) इन्श्योरेन्स एसोसिएशन ऑफ् इंडिया और (२) री-इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ् इंडिया। १९५० में भारत में काम करनेवाली सभी बीमा-कंपनियों ने मिलकर इन्श्योरेन्स एसोसिएशन ऑफ् इंडिया की स्थापना की थी। इस एसोसिएशन की दो कौंसिलें थीं—एक लाइफ इन्श्योरेन्स कौंसिल और दूसरी जेनरल इन्श्योरेन्स कौंसिल। पहली जीवन-सम्बन्धी कार्यों की देख रेख करती थी, तो दूसरी साधारण बीमा-सम्बन्धी कार्यों की। जीवन-बीमा-निगम की स्थापना के बाद लाइफ इश्न्योरेन्स कौंसिल की आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, दूसरी कौंसिल अपना काम पूर्ववत् कर रही है। भारत सरकार से परामर्श कर साधारण बीमा का कार्य करनेवाली बीमा-कंपनियों ने री-इन्श्योरेन्स ऑफ् इंडिया नामक संस्था की स्थापना की।

बीमा करनेवाली अन्य संस्थाएँ—जैसा पहले कहा जा चुका है, जीवन-बीमा निगम के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएँ और सरकारी महकमें बीमा का काम करते हैं। सन् १८८३ से डाक और तार-विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के जीवन-बीमा का काम करता आ रहा है। पीछे कुछ दूसरे लोगों के जीवन-बीमा का काम भी यह विभाग करने लगा। १९४८ से प्रतिरक्षा-विभाग के व्यक्तियों का भी यहाँ जीवन-बीमा होने लगा। आंध्र, केरल, मैसूर, राजस्थान और उत्तर-प्रदेश की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा का कार्य करती हैं। कुछ कंपनियाँ जहाज तथा अन्य कई प्रकार के बीमा का काम करती हैं। प्रोविडेण्ट सोसाइटी ऐक्ट के अनुसार १९५६ तक ७१ प्रोविडेण्ट सोसाइटियाँ एक हजार रुपये तक के जीवन-बीमा का काम करती रहीं।

निगम की धन-विनियोग-नीति—बीमा-किस्तों से सरकार को जो रुपये प्राप्त होते हैं, उनके विनियोग की नीति के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने १९५८ के २५ अगस्त को घोषित किया है कि कुल कोष का ५० प्रतिशत गवर्नमेण्ट सिक्युरिटी और गवर्नमेण्ट एप्रुण्ड सिक्युरिटीज में, ३५ प्रतिशत इन्श्योरेन्स ऐक्ट के अनुसार स्वीकृत विनियोगों में और १५ प्रतिशत अन्य विनियोगों में लगाये जाते हैं।

सन् १९५३ से १९५८ तक के जारी किये गये बीमा-पत्रों (पॉलिसियों) की संख्या और उनकी धन-राशि नीचे लिखे अनुसार हैं—

ईसवी-सन्	बीमा-पत्रों की संख्या	उनकी धनराशि (लाख रुपयों में)
१९५३	५,९१,७७७	१९,९८९
१९५४	७,५७,०४७	२५,३९९
१९५५	८,०६,१४२	२५,८६३
१९५६	५,६७,६०८	२०,०२८
१९५७	७,६४,५८५	२८,१९०
१९५८	८,६७,११४	३१,३८४

नियोक्ताओं का राज्य-बीमा-निगम

नियोक्ताओं के राज्य-बीमा-निगम-सम्बन्धी ऐक्ट १९४६ में पास हुआ था और १९५१ में उसका संशोधन हुआ। १९५२ की फरवरी से योजना चालू की गई। यह योजना उन स्थायी फैक्टरियों पर लागू होती है, जहाँ विद्युत् का उपयोग होता है और कम-से-कम २० कर्मचारी काम करते हैं। ४०० रुपये तक मासिक वेतन पानेवाले मजदूर और क्लर्क लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू है, वहाँ के १३,५६,५०० व्यक्तियों को इससे लाभ पहुँच रहा है।

इस योजना के अनुसार एक केन्द्रीय कोष कायम किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, नियोक्ता तथा नियुक्त व्यक्ति—सभी कुछ-न-कुछ रकम देते हैं।

जिन मजदूरों का मासिक वेतन ३०) से कम है, वे इस कोष में कुछ नहीं देते; पर इससे मिलनेवाले सभी लाभों के हकदार होते हैं। ३० रुपया से ४५ रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारी प्रति सप्ताह दो आने देते हैं। इसी प्रकार बढ़ते हुए २४० रु० से ४०० रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले प्रतिसप्ताह सवा रुपया देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को एक खास डिस्पेन्सरी में मुफ्त डाक्टरी सलाह दी जाती है और उनकी मुफ्त चिकित्सा की जाती है। उन्हें घर पर भी दवाएँ पहुँचाई जाती है। वे ३६५ दिनों के अन्दर ८ सप्ताह तक बीमारी के समय में आधे से कुछ अधिक वेतन पाने के अधिकारी होते हैं। अपने काम के सिलसिले में जब वे जख्मी होते हैं, तब उन्हें किस्त से कुछ रकमें दी जाती है, परन्तु स्थायी रूप से नाकाम हो जाने पर उन्हें आजीवन कुछ रकमें मिलती रहती है। किन्तु मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को बहुत दिनों तक पेंशन मिलता है। महिलाओं को मातृत्व-काल में विशेष सुविधा पाने का अधिकार रहता है।

१९५७ के बीमा सम्बन्धी-आँकड़े

भारतीय बीमा-कम्पनियों की प्रीमियम से आय	१०.९३	लाख रुपये
विदेशी बीमा-कम्पनियों की प्रीमियम से आय	७.१६	,,
१९५८ में कुल बीमा-कम्पनियों की संख्या	१८४	
१९५८ में भारतीय बीमा-कम्पनियों की संख्या	९१	
१९५८ में विदेशी बीमा-कम्पनियों की संख्या	९३	
१९५७ में भारतीय बीमा-कम्पनियों की कुल आय	२३१३	लाख रुपये
१९५७ में भारतीय बीमा-कम्पनियों की कुल सम्पत्ति	४६०२	,,
१९५७ में विदेशी बीमा-कम्पनियों की कुल सम्पत्ति	११९१	,,

❀

परिवहन (ट्रान्सपोर्ट)

सरकार के परिवहन-विभाग के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय हैं-(१) बड़े और छोटे बन्दरगाह (२) जहाजरानी और जहाज-निर्माण, (३) लाइट हाउस और लाइट-शिप, (४) अन्तर्देशीय परिवहन, (५) सड़क-परिवहन, (६) परिवहन के विभिन्न साधनों (रेलवे-समेत) का परस्पर समन्वय, (७) सड़कों का विकास, (८) केन्द्रीय स्थलपथ और (९) भ्रमण।

१९५८ ई० में एक भ्रमण-विभाग अलग ही स्थापित किया गया है, जिसका एक प्रधान निर्देशक होता है। वही देश के दर्शनीय स्थानों के भ्रमण-संबंधी विषयों का प्रबंध करता है।

परिवहन-समन्वय—एक ओर विभिन्न परिवहन-प्रणालियों और दूसरी ओर केन्द्रीय एवं राज्य-परिवहन-नीति के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने के लिए भारत-सरकार ने परिवहन-परामर्श-परिषद् (ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कौंसिल), केन्द्रीय परिवहन-मंडल (सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रान्सपोर्ट) और परिवहन के केन्द्रीय मंडल की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रान्सपोर्ट) के स्थान पर निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की हैं—

१. परिवहन-विकास-परिषद् (ट्रान्सपोर्ट डेवलपमेंट कौंसिल)
२. स्थलपथ और अन्तर्देशीय जलपथ-परिवहन-परामर्श-समिति। (रोड एण्ड इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कमिटी)
३. केन्द्रीय परिवहन-समन्वय-समिति (सेण्ट्रल ट्रान्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी)

रेल-पथ

रेल का आरंम्भ—रेल-पथ स्थापित करने का प्रस्ताव १८४४ ई० में हुआ था, किंतु इसका आरंभ १८५३ ई० के अप्रैल महीने में हुआ। रेल की पहली लाइन बंबई से कल्याण तक बनाई गई थी। दूसरी लाइन १८५४ ई० में कलकत्ता से बर्दवान तक और तीसरी लाइन १८५६ ई० में मद्रास से आरकोनम तक बनाई गई। रेल-पथों की व्यवस्था पहले ब्रिटिश कंपनियों के अधिकार में थी। सरकार की ओर से इसके लिए भूमि मुफ्त में मिली थी। यह ९९ वर्षों का पट्टा था, किंतु यह शर्त थी कि यह पट्टा २५ या ५० वर्षों पर भी सरकार समाप्त कर दे सकती है और पूँजी लौटाकर कंपनियों से रेलवे खरीद ले सकती है।

सन् १८५९ ई० में ५,००० मील तक रेल बिछाने का निर्णय किया गया और इसके लिए निम्नलिखित आठ कम्पनियों से समझौता हुआ—(१) ईस्ट इंडिया रेलवे, (२) ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, (३) मद्रास रेलवे (४) बंबई-बड़ौदा सेंट्रल इण्डिया

रेलवे, (५) ईस्टर्न बंगाल रेलवे, (६) अवध-रुहेलखण्ड रेलवे, (७) सिंध-पंजाब-दिल्ली रेलवे और (८) ग्रेट सदर्न इंडिया रेलवे।

कंपनियों के काम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहे थे, अतः १८७६ ई० में सरकार ने रेल-पथों को कंपनियों से ले लेने का विचार किया। तदनुसार १६०० ई० तक सभी रेल-पथ खरीद लिये गये; किंतु प्रबंध कंपनियों के हाथ में ही रहा। १६२१ ई० में सर विलियम अकवर्थ की अध्यक्षता में एक कमिटी कायम हुई, जिसने सरकारी प्रबंध की सिफारिश की और १६२३ ई० में विधान-सभा में इसके विषय में एक प्रस्ताव पारित हुआ तथा १६२५ ई० से एक-एक कर सभी कंपनियाँ सरकार के हाथ में आ गईं।

१६४७ ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् रेल-पथ का राष्ट्रीयीकरण हो गया। अब इसकी सारी व्यवस्था और आय-व्यय पूर्णतया सरकार के हाथों में आ गये। उसके बाद से यह केन्द्रीय सरकार का एक विभाग हो गया है।

भारतीय-रेल एशिया में सबसे बड़ी और संसार में चौथी है। भारतीय रेलों की लंबाई ३४,८८६ मील है। रेलवे आज सरकार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है।

सन् १६४७ ई० के पूर्व भारत की रेलें ३७ रेल-प्रणालियों में बंटी थीं, जिन्हें स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ८ क्षेत्रों में बाँट दिया गया है। वे क्षेत्र निम्नलिखित तालिका में दिखाये जा रहे हैं—

रेल-क्षेत्र

क्षेत्र	स्थापित होने की तिथि	रेल-क्षेत्र के अन्तर्गत लाइनें	मुख्यालय		३१ मार्च, १६५८ को रेल-मार्गों* की लम्बाई (मीलों में)
दक्षिणी	१४ अप्रैल, १६५१	मद्रास तथा दक्षिण मरहठा, दक्षिण भारत और मैसूर रेल	मद्रास		६,१५६.३६
				ब० ला०	१,८५८.३४
				म० ला०	४,२०५.३२
				छो० ला०	६५.७०
मध्य	५ नवम्बर, १६५१	ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, निजाम स्टेट, सिन्धिया और धौलपुर रेल	बम्बई		५,३३०.५२
				ब० ला०	३,७६६.५८
				म० ला०	८०८.६६
				छो० ला०	७२४.६८
पश्चिमी	५ नवम्बर, १६५१	बम्बई-बड़ौदा तथा सेण्ट्रल इण्डिया, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेल	बम्बई		६,०५७.६१
				ब० ला०	१,५८५.५६
				म० ला०	३,७१३.७४
				छो० ला०	७५८.२८

* ब० ला०=बड़ी लाइन ५'६"; म० ला०=मध्यम लाइन ३'-३$\frac{3}{8}$"; छो० ला०= छोटी लाइन २'-६" तथा २'।

क्षेत्र	स्थापित होने की तिथि	रेल-क्षेत्र के अन्तर्गत लाइनें	मुख्यालय	३१ मार्च, १९५८ को रेल-मार्गों की लम्बाई (मीलों में)	
उत्तरी	१४ अप्रैल, १९५२	पूर्वी पंजाब, जोधपुर-बीकानेर रेल और ईस्ट इण्डियन रेल के तीन अपर डिवीजन	दिल्ली		६,३६८.४०
				ब० ला०	४,२०१.५२
				म० ला०	२,००५.०५
				छो० ला०	१६१ ८३
उत्तर-पूर्वी	१४ अप्रैल, १९५२	अवध तथा तिरहुत, आसाम रेल और पुरानी बम्बई-बड़ौदा तथा सेण्ट्रल इण्डिया रेल का फतेहगढ़ जिला	गोरखपुर	म० ला०	३,०६३.५३
उत्तर-पूर्व सीमान्त	१५ जनवरी, १९५८		पाण्डू		१,७३८.००
				ब० ला०	२ २५
				म० ला०	१,६८६ ००
				छो० ला०	४९.७५
पूर्वी	१ अगस्त, १९५५	ईस्ट इण्डियन रेल (तीन अपर डिवीजनों को छोड़कर)	कलकत्ता		२,३२४.६८
				ब० ला०	२,३०७.५४
				म० ला०	--
				छो० ला०	१७.१४
दक्षिणी-पूर्वी	१ अगस्त, १९५५	बंगाल-नागपुर रेल	कलकत्ता		३,४१९.४८
				ब० ला०	२,४९४ ६५
				म० ला०	—
				छो० ला०	९२४.८३

रेल-वित्त—१९२५ में रेल-वित्त, सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार योगदान दिया करें।

विकास-योजना

हाल के कुछ वर्षों में रेलों के सामने पुराने डब्बों तथा रेल-इंजिनों के स्थान पर नये डब्बे तथा रेल-इंजिन चालू करने की समस्या रही है। यह समस्या पहले आर्थिक मन्दी के कारण पैदा हुई और बाद को युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप और भी जटिल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के पुनस्संस्थापन तथा विस्तार पर ४ अरब २३ करोड़ ७३ लाख रुपये व्यय किये गये।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ४८ अरब रुपये के कुल व्यय में से रेलों पर ९ अरब रुपये व्यय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से १.५०

अरब रुपये की व्यवस्था रेलें स्वयं अपने-आप करेंगी। इसके अतिरिक्त 'रेल-मूल्य-ह्रास-निधि' में उनके योगदान के रूप में २.२५ अरब रुपये और व्यय किये जायेंगे।

निर्माण-कार्य—प्रथम योजना काल में, पहले उखाड़ दी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछा दी गईं, ३८० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदल दिया गया। योजना-काल के अन्त में ४५४ मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा रही थीं; ५२ मील लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थीं तथा २,००० मील से अधिक नई लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था। द्वितीय योजना-काल में ८४२ मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जायेंगी; १,६०७ मील लम्बी रेल-लाइनें दोहरी की जायेंगी, २६५ मील लम्बी मध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जायगा तथा ८,००० मील लम्बी वर्तमान लाइनों के स्थान पर नई लाइनें बिछाई जायेंगी।

१९५७-५८ में १६८.१४ मील लम्बी ये नई लाइनें चालू की गईं—(१) उत्तरी रेल की बरहन-आवागढ़ लाइन (बरहन-एटा लाइन पर) (२३.३३ मील); (२) उत्तर-पूर्वी रेल की लीडो-लेकापाणी लाइन (५.४१ मील); (३) दक्षिणी रेल की कोट्टयम-क्विलोन लाइन (५९.३२ मील); (४) पश्चिमी रेल की भिलाड़ी-रानीवाड़ा लाइन (४३.६१ मील) और (५) मध्य रेल की खण्डवा-तक्कल लाइन (१८.३९ मील), खण्डवा-अजमेर लाइन (०.३९ मील) तथा हिंगोली-कन्हेरगाँव-नाका लाइन (१७.९६ मील)।

रेल-इंजिन तथा डब्बे—प्रथम योजना-काल में ४६६ रेल-इंजिनों; ४,३५१ सवारी-डब्बों और ४१,१९२ माल-डब्बों का निर्माण किया गया।

द्वितीय योजना में रेलों के विकास तथा पुनस्संस्थापन के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, वह निम्नांकित तालिका में दिखाया गया है—

	रेल-इंजिन			माल डब्बे			सवारी डब्बे		
	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन
विकास	४६८	४५१	—	६६,५७५	१६,८२०	—	१,७६४	३,३६४	—
पुनस्संस्थापन	९६२	४०२	८१	१४,८७९	४,९५२	४,०२१	४,३९२	१,४२२	६३३
योग	१,४३०	८५३	८१	८१,४५४	२१,७७२	४,०२१	६,१५६	४,७८६	६३३

१९५७-५८ में बड़ी लाइन के २२५ तथा मध्यम लाइन के ३७८ नये रेल-इंजिनों; बड़ी लाइन के ९२५, मध्यम लाइन के ४२४ तथा छोटी लाइन के ६९ नये सवारी-डब्बों और बड़ी लाइन के १९,८९४; मध्यम लाइन के ९,६७४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये माल-डब्बों का प्रयोग आरम्भ हुआ।

रेल-इंजिनों, सवारी-डब्बों तथा माल-डब्बों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारत सामान्यतः स्वावलम्बी हो चुका है। सरकारी 'चित्तरंजन रेल-इंजिन-कारखाने' में प्रतिवर्ष

बड़ी लाइन के औसतन १६८ रेल-इंजिन तैयार किये जाते हैं। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ७६० रेल-इंजिनों का निर्माण हुआ।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक 'टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाना' में मध्यम लाइन के ३७१ रेल-इंजिन तैयार किये गये। द्वितीय योजना-काल के अन्त तक प्रतिवर्ष औसतन १०० रेल-इंजिन तैयार करने का लक्ष्य है।

बिजली की दोहरी व्यवस्था के सवारी-डब्बों को छोड़कर अन्य सवारी-डब्बों का आयात बन्द कर दिया गया है। मद्रास के निकट पेराम्बूर-स्थित 'सरकारी जोड़हीन सवारी-डब्बा कारखाना' में प्रारम्भ में १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष ३५० सवारी-डब्बों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ५९७ सवारी-डब्बों का निर्माण हुआ। बंगलोर-स्थित एक दूसरे सरकारी कारखाने 'हिन्दुस्तान विमान (एयरक्राफ्ट) कारखाना' में दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक बड़ी लाइन के इस्पात के १,२८५ उपस्कृत (फर्निश्ड) सवारी-डब्बे तैयार किये गये।

भारत के माल-डब्बा-उद्योग में प्रथम योजना-काल के प्रथम वर्ष में ३,७०७ तथा अन्तिम वर्ष में १५,४४५ माल-डब्बे तैयार किये गये। १९५७-५८ में इस कारखाने में १७,३०० माल-डब्बे तैयार हुए।

कारखानों का विकास—द्वितीय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने और मध्यम लाइन के सवारी-डब्बों के निर्माण का एक नया कारखाना स्थापित करने, 'जोड़हीन सवारी-डब्बा कारखाना में एक नया उपस्करण-विभाग खोलने तथा चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाना के विस्तार क. व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप रेल-इंजिनों, माल-डब्बों तथा सवारी-डब्बों की वार्षिक पुनर्नवन-क्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

विद्युत्करण—भारत में विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम १९२५ में आरम्भ हुआ। बिजली से चलनेवाली रेल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के आसपास कुछ ही लाइनों पर चलती है। पूर्वी रेल की मुख्य हावड़ा-बर्दवान लाइन पर विद्युत्करण का कार्य पूरा हो गया तथा इस लाइन पर विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम अगस्त, १९५८ में आरम्भ हुआ। ३१ मार्च, १९५८ को देश में ३०६.२४ मील लम्बी लाइन पर बिजली से चलनेवाली रेलों की व्यवस्था थी। द्वितीय योजना-काल में १,४४२ मील लम्बी रेल-लाइन पर बिजली से चलनेवाली रेलों की व्यवस्था हो जायगी।

कुछ चुने हुए रेल-मार्गों पर डीजल से चलनेवाली रेलों की व्यवस्था की जा चुकी है। १९६०-६१ तक १,२९३ मील लम्बी रेल-लाइन पर डीजल से चलनेवाली रेलों की व्यवस्था हो जायगी।

पुल—मोकामाघाट के निकट गंगा-पुल का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय योजना में पुलों के लिए निर्धारित किये गये ३३ करोड़ रुपये में से १८ करोड़ रुपये पुनर्संस्थापन पर, ९ करोड़ रुपये गंगा-पुल पर तथा ६ करोड़ रुपये ६ नये पुलों पर व्यय किये जायेंगे।

रेल-यात्रियों को सुविधाएँ—१९५१-५२ से १९५७-५८ तक रेलों के संगठन में जो सुधार किये गये, उनमें से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सुधार उल्लेखनीय हैं—

(१) सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक यात्रा;

(२) लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए सवारी-डब्बों में स्थान सुरक्षित किये जाने की व्यवस्था;

(३) दिसम्बर, १९५८ तक ९०३ नई रेलगाड़ियों का चालू किया जाना तथा ६३० रेलगाड़ियों का विस्तार;

(४) सोने की व्यवस्था;

(५) सभी जनता-गाड़ियों (तृतीय श्रेणी) में वातानुकूलन (एयरकंडिशन) की व्यवस्था;

(६) भोजन की व्यवस्था में सुधार करना; और

(७) पीने के पानी की सुविधाओं और पंखों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था में सुधार और नये अथवा उन्नत पुलों तथा प्लेटफार्मों की व्यवस्था।

कर्मचारी-कल्याण—प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में नये मकानों के निर्माण तथा कर्मचारी-कल्याण-कार्यों पर प्रतिवर्ष औसतन ४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय किये गये। द्वितीय योजना-काल में प्रतिवर्ष औसतन १० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रथम योजना-काल में कर्मचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाये गये और द्वितीय योजना-काल में ६४,५०० क्वार्टर बनवाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ में इनमें से २५,००० क्वार्टर बनवा दिये गये।

१९५७-५८ के अन्त में रेल-कर्मचारियों के लिए ८३ अस्पताल तथा ४४० दवाखाने थे। द्वितीय योजना-काल में १३ नये रेल-अस्पताल और ७५ नये दवाखाने खोलने तथा वर्तमान रेल-अस्पतालों में १,६०० अतिरिक्त रोगी-शय्याओं की व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है।

दिसम्बर, १९५७ में १० लाख अथवा उससे अधिक रेल-कर्मचारियों के समक्ष एक निवृत्ति-वेतन (पेंशन)- योजना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखने का निर्णय किया गया।

रेल-कर्मचारियों की उन सन्तानों के लाभ के लिए, जो अपने माता-पिताओं से दूर रहकर विद्याध्ययन कर रहे हैं, १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किये जा रहे हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १९५८ में प्रथम चलते-फिरते पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया।

किराया तथा भाड़ा

१९४८ में रेलों के किरायों तथा भाड़ों की दरों में सुधार किया गया। दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली-मद्रास के बीच चलनेवाली तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित गाड़ियों के लिए ४ पाई प्रति मील अतिरिक्त किराया लिया जाता है।

'रेल-यात्री किराया अधिनियम' १५ सितम्बर, १९५७ को लागू हुआ। १५ मील तक की दूरी का किराया करमुक्त है।

'रेल-भाड़ा-जाँच-समिति' की सिफारिश पर १ अक्तूबर, १९५८ से संशोधित रेल-भाड़े लागू किये गये, जिनके अनुसार भाड़ों से होनेवाली आय में प्रतिवर्ष ६.६० करोड़ रुपये और पार्सल यातायात से होनेवाली आय में २ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है। समिति ने भाड़े से होनेवाली आय में औसतन १२.६ प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है।

प्रशासन

रेलों के नियन्त्रण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व 'रेल-मण्डल' पर है, जो सर्वप्रथम १९०५ में स्थापित हुआ था। जनता तथा रेल-प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिए निम्नांकित ३ प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं –(१) 'प्रादेशिक रेल-उपभोक्ता सलाहकार-समितियाँ, (२) प्रत्येक रेल-क्षेत्र के मुख्यालय में 'क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार-समितियाँ' तथा (३) केन्द्र में 'राष्ट्रीय रेल-उपभोक्ता सलाहकार-परिषद्'। प्रत्येक रेल-डिवीजन के लिए १ जनवरी, १९५८ से 'डिवीजनल सलाहकार समितियाँ' स्थापित की गई हैं।

सड़कें

यातायात की समस्या—भारत-जैसे विशाल देश में यातायात के लिए सड़कों की महती आवश्यकता है। देश के उद्योग, व्यवसाय, कृषि आदि के विकास और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण देश में राजपथों और सड़कों का विस्तार होना चाहिए। सड़कों के विस्तार के मामले में भारत एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है। सड़कों का अभाव भी एक कारण है, जिससे आज यहाँ की खेती, उद्योग, वाणिज्य-व्यवसाय आदि पिछड़े पड़े हैं। यहाँ के अधिकांश गाँव एक-दूसरे से तथा बाजारों से विच्छिन्न हैं। जो भी कच्ची सड़कें हैं, वे बरसात में जल एवं कीचड़ से भर जाने के कारण दुर्गम हो जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी सड़कें अवश्य हैं, जो बहुत विकसित और आधुनिक हैं।

आज भारत में चार मुख्य राजपथ हैं। इनमें से एक कलकत्ता से दिल्ली होते हुए अमृतसर तक गया है। वह आगे पाकिस्तान में लाहौर होकर पेशावर और खैबर घाटी तक पहुँचा है। इसे ग्रैंडट्रंक रोड कहते हैं। यह बहुत प्राचीन सड़क है। मुस्लिम-काल में शेरशाह ने इसकी मरम्मत कराई थी। दूसरी बड़ी सड़क दिल्ली से

बम्बई, तीसरी बम्बई से मद्रास और चौथी मद्रास से कलकत्ता तक चली गई है। ये सभी सड़कें ५००० मील लम्बी हैं।

देश में पक्की सड़कों की लम्बाई ६८,००० मील है और कच्ची सड़कों की लम्बाई २,०५,००० मील।

सड़कों के विकास के लिए १९२७ ई० में डॉ० एम्० आर० जयकर की अध्यक्षता में एक 'रोड डेवलपमेण्ट कमिटी' कायम की गई थी। इस कमिटी की सिफारिश पर १९२९ ई० में सरकार ने मोटर स्पिरिट का आयात-कर और एक्साइज-ड्युटी चार आना प्रति गैलन से बढ़ाकर छह आना प्रति गैलन कर दी और इस आमदनी को सड़कों के विकास में लगाया जाने लगा। यह आमदनी प्रान्तीय सरकारों को बाँट दी जाती है। जयकर-कमिटी ने सड़कों के विकास के लिए प्रान्तीय सरकारों की शक्ति को अपर्याप्त समझकर केन्द्रीय सरकार के हाथ में व्यवस्था की सिफारिश की थी और निम्नलिखित तीन समितियों की स्थापना की बात कही थी—(१) सड़क-विकास-समिति, (२) परिवहन-परामर्श-समिति, और (३) शोध एवं सूचना का केन्द्रीय संघटन। केन्द्रीय सड़क-संघटन-समिति १९३० ई० में और परिवहन-परामर्श-समिति १९३५ ई० में स्थापित हुई थी।

इसके पश्चात् इण्डियन रोड काँगरेस के प्रस्तावानुसार सन् १९४३ ई० में देश के अन्दर सड़क-विकास की एक योजना चालू की गई, जो नागपुर-योजना के नाम से प्रसिद्ध है।

१९४७ ई० में केन्द्रीय सरकार ने बड़े-बड़े राजपथों के निर्माण और देख-भाल का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। नये संविधान के अनुसार भी बड़े-बड़े राजपथ केन्द्रीय सरकार के हाथ में और राज्यीय राजपथ एवं जिला और गाँवों की सड़कें राज्य-सरकार के हाथों में आ गई हैं। केन्द्रीय सरकार के हाथ में संघीय क्षेत्र—जैसे दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल-प्रदेश, त्रिपुरा, अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह और लकादीव द्वीप-समूहों की सड़कें भी केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं।

नागपुर-योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हुए हाल के वर्षों में सड़क-विकास के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है, वह इस प्रकार है—

सड़कों का विकास

	पक्की सड़कें (मील)	कच्ची सड़कें (मील)
नागपुर-योजना में निर्धारित लक्ष्य	१,२३,०००	२,०८,०००
१ अप्रैल, १९५१	९८,०००	१,५१,०००
३१ मार्च, १९५६	१,२२,०००	१,९८,०००
३१ मार्च, १९५७	१,२७,०००	२,०१,०००
३१ मार्च, १९६१	१,४४,०००	२,३५,०००

राष्ट्रीय राजपथ—१ अप्रैल, १९४७ को जिस समय केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का दायित्व स्वयं ग्रहण किया, लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें और हजारों पुल बड़े और छोटे टूटे हुए थे। इसके अतिरिक्त वर्त्तमान सड़कों में से ९,००० मील सड़कें अच्छी नहीं थीं। तब से आजतक हुई प्रगति निम्नांकित तालिका में दिखाई गई है—

राष्ट्रीय राजपथों की प्रगति

	टूटी हुई सड़कें फिर बनाई गईं (मील)	बड़े पुल बनाये गये	वर्त्तमान सड़कों में सुधार किया गया (मील)	सड़कें चौड़ी की गईं (मील)
प्रथम योजना-काल	७४६	३३	५,०००	४००
१ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५८	३८०	२३	२,०००	७००
द्वितीय योजना-काल (प्रस्तावित)	७००	४०	३,५००	३,०००

राज्यों के पुनस्संगठन के पश्चात् राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर १४,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे।

इस समय १३,९०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं, जिनके बीच-बीच में निम्नलिखित सड़कें आ जाती हैं—

अमृतसर—कलकत्ता; आगरा—बम्बई; बम्बई—बंगलोर—मद्रास; मद्रास—कलकत्ता; कलकत्ता—नागपुर—बम्बई; वाराणसी—नागपुर—हैदराबाद—कुरनूल—बंगलोर—कन्याकुमारी अन्तरीप; दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई; अहमदाबाद—कण्डला बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा अहमदाबाद—पोरबन्दर; अम्बाला—शिमला—तिब्बत की सीमा; दिल्ली—मुरादाबाद—लखनऊ; लखनऊ—मुजफ्फरपुर—बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक); आसाम एक्सेस सड़क और आसाम ट्रंक सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए बर्मा तक)।

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य जारी हैं, उनमें से जवाहर (बनिहाल) सुरंग मुख्य है। इस सुरंग का निर्माण जम्मू—श्रीनगर—उरी के राष्ट्रीय राजपथ पर पीर-पंजाल पर्वतमाला के आरपार ७,२५० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है। यह सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में एक है। इसका निर्माण पूरा होने पर कश्मीर घाटी तथा शेष भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जायगी, जो बारहों महीने चालू रहेगा। सुरंग में दो मार्ग हैं, जिनमें से एक यातायात के लिए खोल दिया गया है।

अन्य सड़कें—भारत-सरकार राज्यों की कुछ सड़कों के विकास के लिए भी वित्त की व्यवस्था करती है। इनमें आसाम की पासी—बदरपुर सड़क और केरल, बम्बई तथा मैसूर-राज्यों की पश्चिमी तटवाली सड़कें आती हैं।

मई, १९५४ में स्वीकृत अन्तर-राज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजना-काल में १२५ मील लम्बी नई सड़कें बनवाई गईं तथा ५०० मील लम्बी वर्त्तमान सड़कों को सुधारा गया। शेष कार्य-क्रम द्वितीय योजना में पूरा किया जायेगा।

राज्यों के दायित्व में आनेवाली सड़कें—द्वितीय योजना-काल के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत २१,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा ३७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई जायँगी।

सड़क-परिवहन

मोटर-गाड़ियाँ—३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होनेवाले वर्ष में भारत में ४,२२,०४१ मोटर-गाड़ियाँ थीं। मार्च, १९५६ के अन्त में ४०,४२७ मोटर-साइकिल तथा ऑटो-रिक्शा; १,८८,१६५ प्राइवेट कार तथा जीप; ६१,०१८ सार्वजनिक बसें; १,१८,१४४ भारवाहक ट्रक आदि और १३,९८७ अन्य मोटर-गाड़ियाँ थी।

३१ मार्च, १९५७ को समाप्त हुए वर्ष में ३३,१२,४९,००० रुपये के मूल्य की २५,५४२ मोटर-गाड़ियाँ तथा पुर्जों का आयात किया गया।

प्रशासन—कई राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में, सवारी सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयीकरण किया जा चुका है। इन परिवहन-सेवाओं की व्यवस्था अनुविहित सड़क-परिवहन-निगम', ज्वाइएट स्टॉक कम्पनियाँ तथा राज्यीय विभाग करते हैं। माल-वहन का कार्य मुख्यत: निजी व्यवसाय के ही अंतर्गत है। तृतीय योजना की समाप्ति के पहले-इसका भी राष्ट्रीयीकरण करने का सरकार का विचार है।

अन्तर-राज्यीय मार्गों की सड़क-परिवहन-सेवाओं के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तर-राज्यीय परिवहन-आयोग' स्थापित किया जा चुका है।

विभिन्न प्रकार की परिवहन-सेवाओं और केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के लिए भारत-सरकार ने 'परिवहन-विकास-परिषद्' 'सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन-परामर्श-समिति' और 'केन्द्रीय परिवहन-समन्वय समिति' स्थापित की हैं। राज्यों में परिवहन-सम्बन्धी प्रशासन के पुन:संघटन पर परामर्श देने के लिए एक 'एतदर्थ-समिति' (एड-हॉक कमिटी) स्थापित की गई है।

अन्तर्देशीय जलपथ

देश के नौगम्य (नेवीगेबल) जलमार्ग ५,००० मील से अधिक लम्बे हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा, केरल की नहरें, आन्ध्र-प्रदेश तथा मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें उल्लेखनीय हैं।

गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर होनेवाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के पारस्परिक सहयोग से १९५२ में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन-मण्डल' स्थापित किया गया। मंडल के कोष के लिए उ० प्र० बिहार, बंगाल और आसाम की संबद्ध सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार वार्षिक द्रव्य-राशि देती हैं। मंडल के पास दो सर्वेक्षण लंच, दो टगबोर और आठ मछली मारने की नौकाएँ हैं। मंडल ने पटना-छपरा के बीच में भी नौकाओं द्वारा परिवहन-कार्य शुरु किया है।

इस समय १,५५७ मील की लम्बाई में नदियों में यन्त्र-चालित छोटी नौकाएँ तथा ३,५८७ मील लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र-मण्डल' ने गंगा के ऊपरी भाग में एक परीक्षण-योजना-कार्य आरम्भ कर दिया है। योजना में बकिंघम नहर तथा पश्चिमी तट की नहरों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

'अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति' ने अन्तर्देशीय जलमार्गों तथा बहूद्देश्यीय नदी-घाटी योजना-कार्यों के विकास आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना-काल में विकास के लिए ३ करोड़ रुपये की खर्च की सिफारिश की है।

इस सिफारिश को योजना-आयोग ने स्वीकृति प्रदान की और निम्नांकित कार्य प्रारंभ हुए —(१) ब्रह्मपुत्र नदी के संरक्षण के लिए १५ लाख रुपये, (२) नूनखोवा शोअल में मछली पकड़ने के लिए साढ़े सात लाख रुपये, (३) गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मंडल को १४ लाख रुपये, (४) मछली मारने की डोंगी की खरीद के लिए १२ लाख रुपये, (५) पांडु-तट के विकास के लिए २० लाख रुपये तथा (६) उड़ीसा, केरल, मैसूर, आंध्र, मद्रास और उत्तर-पूर्व-प्रदेश की विविध योजनाओं की पूर्त्ति के लिए शेष रकम लगाई जा रही हैं।

अभी तक जल-परिवहन का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है।

जहाजरानी

योजना-काल में प्रगति—१९४७ में 'जहाजरानी-नीति-समिति' ने अगले ५-७ वर्षों में २० लाख टन जी० आर० टी० के लक्ष्य की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह अनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे, खण्डों में ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाजरानी-कम्पनियों को जहाजी बेड़े का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से १९५१ में ऋण देने की एक योजना बनाई गई।

प्रथम योजना के अन्त में देश में, ६,००,७०७ जी० आर० टी० के जहाज थे और द्वितीय योजना के अन्त में देश में, ६,०१,७०७ जी० आर० टी० के जहाजों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में, भारत में ६,३६,७०८ जी०आर०टी० के १४१ जहाज थे जिनमें, २,५७,६४५ जी० आर० टी० के ८५ जहाज तटीय व्यापार में तथा ३,७१,७६३ जी० आर० टी० के ५६ जहाज विदेश-व्यापार में लगे हुए थे।

१,२८,००० जी० आर० टी० के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, जो द्वितीय योजना-काल के पूर्व ही प्राप्त हो जायेंगे। द्वितीय योजना में प्रस्तावित ३ लाख जी० आर० टी० के जहाजों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशी विनिमय की कमी तथा आन्तरिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कटौती कर दी गई।

वाणिज्य-जहाजरानी-अधिनियम—१९५८ में लागू किये गये 'वाणिज्य-जहाजरानी अधिनियम' में भारत-सरकार को परामर्श देने के लिए 'राष्ट्रीय जहाजरानी-मण्डल' तथा 'जहाजरानी-विकास-निधि' की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है।

जहाजरानी-निगम—१९५० में १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से सरकार द्वारा संचालित 'पूर्वी जहाजरानी-निगम-लिमिटेड' नामक एक जहाजरानी-निगम स्थापित किया गया। सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध अगस्त, १९५६ में सिन्धिया कम्पनी से अपने अधिकार में ले लिया। इस निगम के पास माल-परिवहन तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय ८ जहाज हैं। भारत-जापान, भारत-अस्ट्रेलिया, भारत-सिंगापुर तथा भारत-पूर्वी अफ्रीका-मार्गों पर इस निगम की ओर से माल-परिवहन-सेवा तथा यात्री-परिवहन-सेवा की नियमित व्यवस्था है।

१० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ १९५६ में पंजीकृत 'जहाजरानी-निगम' के जहाज भारत-पोलैण्ड, भारत-फारस की खाड़ी, भारत लालसागर तथा भारत-रूस-मार्ग पर चलेंगे।

हिन्दुस्तान-जहाज-निर्माण-घाट—सरकार ने सिन्धिया कम्पनी से 'विशाखापत्तनम् जहाजनिर्माण-घाट' मार्च, १९५२ में खरीदकर इसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान-जहाज-निर्माण-घाट लिमिटेड' को सौंप दिया। इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज का जलावतरण मार्च, १९४८ में हुआ। अबतक २० समुद्री जहाजों तथा ३ छोटे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है। १९६०-६१ तक ६ और जहाजों का निर्माण होने की आशा है।

दूसरा जहाज-निर्माण-घाट—ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो-योजना की 'प्राविधिक सहयोग-योजना' के अन्तर्गत भारत में दूसरे जहाज-निर्माण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का सर्वेक्षण करने तथा तत्सम्बन्धी आँकड़ों का संग्रह करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत भेजा। मण्डल ने अप्रैल, १९५८ में दिये अपने प्रतिवेदन में कोचीन (एरणाकुलम्), मजगाँव गोदी, कण्डला, ट्रॉम्बे तथा जिओंखाली को अधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर विचार करने का सुझाव दिया।

प्रशिक्षण-संस्थान—१९५८ में 'टी० एस्० डफरिन' में ६१ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और तत्पश्चात् उन्हें विभिन्न जहाजों पर नियुक्त कर दिया गया।

३,१०२ शिक्षार्थियों ने मार्च, १९५८ के अन्त तक बम्बई के 'नाविक तथा इंजीनियरिंग कॉलेज' में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं से लाभ उठाया। कलकत्ता के 'समुद्री इंजीनियरिंग कॉलेज' की छठी टुकड़ी के शिक्षार्थियों में, १९५८ में ५० शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

तीन नाविक प्रशिक्षण-संस्थानों में सितम्बर, १९५८ के अन्त तक २,४८५ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

बड़े बन्दरगाह—भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं : कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापत्तनम्।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अनुविहित बन्दरगाह प्राधिकारियों के अधीन है। इन प्राधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है। कण्डला, कोचीन तथा विशाखापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है।

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के सम्बन्ध में उपाय किये जा चुके हैं और कई बन्दरगाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारी हैं।

छोटे बन्दरगाह—भारत के समुद्र-तट पर अन्य कई छोटे बन्दरगाह भी हैं, जहाँ प्रति वर्ष लगभग ५० लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य-सरकारों पर है। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल—बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए १९५० में 'राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल' स्थापित किया गया।

❀

असैनिक उड्डयन

आरम्भ—भारत में सर्वप्रथम मनुष्य का अन्तरिक्ष-उड्डयन बैलून से हुआ था। यह बात १८७७ ई० की है, जब श्रीजोसेफलिन बंबई में ७५०० फीट की ऊँचाई तक उड़े थे। १९११ ई० में सैनिक अधिकारियों ने शक्ति-चालित विमान का प्रदर्शन किया था। पुनः इसी वर्ष प्रयाग से नैनी तक ६ मील की दूरी में संसार का सर्वप्रथम 'एयर मेल' चालू हुआ था, जिसका चालक फ्रांस-निवासी एक पिकेट था। बंबई के तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड लायड ने १९२० ई० में नियमित 'एयरमेल' का आरंभ किया, लेकिन १९२६ ई० से वस्तुतः, यह सेवा नियमित रूप से चालू हो सकी। इसी वर्ष से वास्तविक वायुपथ का विकास शुरू हुआ और असैनिक उड्डयन की जड़ रोपी गई।

१९२७ ई० में, भारत में अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड्डयन-कार्य नियमित रूप से चलने लगा। १९२९ ई० में कराची से लंदन तक विमान-सेवा चालू हुई। बहुत-से स्थानों में हवाई स्टेशन बने, फ्लाइंग क्लब स्थापित हुए और इस विषय में जनता की रुचि को बढ़ावा देने का कार्य होने लगा।

१९४५ ई० में यात्री और मालवाही विमानों की संख्या बढ़ी और इस कार्य में भारत में ११ कंपनियाँ काम करने लगीं। किंतु, फिर भी इसकी व्यावसायिक प्रगति में संतोषजनक परिणाम नहीं निकल रहे थे। एतदर्थ, सरकार ने श्रीराजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जाँच-समिति कायम की। समिति ने सम्मति दी—(१) देश की व्यावसायिक प्रणाली की अपेक्षा विमान-सेवा प्रस्तुत करनेवाली संस्थाएँ अधिक हैं, (२) अधिकतर कंपनियों का व्यय अधिक है तथा (३) निजी कंपनियों को विमान चलाने के व्यय में कमी करने और पुनःसंगठन करने की इजाजत दी जा सकती है।

इतना होने के बावजूद निजी कंपनियाँ शिकस्त में पड़ती गईं और अपने-आपको व्यय-भार सँभालने में असमर्थ पाती गईं। फलतः, उन्होंने कम सूद पर सरकार से कर्ज लेने की बात उठाई। सरकार ने कंपनियों की आर्थिक परिस्थिति को कमजोर देख १९५३ ई० में 'एयर कारपोरेशन ऐक्ट' पारित किया और उसके अनुसार सभी कंपनियों को अपना-अपना यथाभाग देकर सरकारी अधिकार में दो निगम बनाये गये। एक के अनुसार अन्तर-राष्ट्रीय सेवा में संलग्न विमान-कंपनियों का निगम बना और दूसरे के अनुसार अन्तर्देशीय एवं आसपास के देशों में चालित विमान-सेवा-संलग्नों का निगम बना। इस प्रकार, यहाँ 'एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन' और 'इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन' नाम की दो संस्थाएँ कायम हो गईं।

निगम-विधेयक के अनुसार निगम ने तीन समितियाँ कायम कीं—(१) अन्तरिक्ष परिवहन-समिति, (२) परामर्श-समिति और (३) श्रमिक-सम्पर्क-समिति।

(१) अन्तरिक्ष परिवहन-समिति जनता की महत्त्वपूर्ण उपयोगिता पर सम्मति देती है।

(२) परामर्श-समिति दोनों निगमों के लिए पृथक्-पृथक् है और इसका काम जनता से संपर्क बढ़ाने और उसे संपुष्ट बनाये रखने के विषय में परामर्श देना है।

(३) श्रमिक-संपर्क-समिति—यह भी दोनों निगमों के लिए पृथक्-पृथक् है और इनमें अधिकारियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

पहले निम्नलिखित आठ कंपनियाँ उड्डयन-सम्बन्धी अलग-अलग काम करती थीं—(१) एयरवेज (इंडिया) लि०, (२) हिमालयन एवियेशन लि०, (३) कलिंग एयर लाइन्स, (४) भारत एयरवेज लि०, (५) एयर इंडिया लि०, (६) एयर सर्विसेज ऑफ् इंडिया लि०, (७) डेक्कन एयरवेज लि० और (८) इंडियन नेशनल एयरवेज लि०।

भारतीय विमान-निगम के एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिन्हें सरकार नियुक्त करती है। निगम अनुविहित (विधान-विहित) संस्था है, जो दिन-प्रतिदिन के कार्य में स्वतन्त्र है। समय-समय पर इसे सरकार की ओर से आदेश प्राप्त होते हैं। ऑडिटर जेनरल की जाँच के बाद निगम का हिसाब-किताब लोक-सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार सरकार उचित द्रव्यराशि देती है।

१९५८ में भारतीय विमानों ने ८ लाख यात्रियों और लगभग १९.४२ करोड़ पौण्ड माल तथा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले जाने में २.९० करोड़ मील की उड़ान की।

१९४७ से अबतक यात्री-परिवहन में दूने से अधिक की वृद्धि हुई और माल-परिवहन में १७ गुने से अधिक की। डाक पहले से लगभग ९ गुनी अधिक लाई-ले जाई गई तथा विमानों ने पहले की अपेक्षा ढाई गुना अधिक उड़ान की।

निगम के विमान और उड्डयन—'इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास १९५८ के अन्त में १० वाइकाउण्ट, ६ स्काई मास्टर, ५ हेरोन तथा ६१ डकोटा विमान थे। इसके विमान देश के मुख्य नगरों के बीच उड़ान करते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ५,६६,५७३ यात्रियों के साथ १,८३,१८,५५२ मील की उड़ान की।

'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन' के पास १० सुपर कॉन्स्टलेशन तथा डकोटा विमान है। इसके विमान १७ देशों की उड़ान पर जाते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ८८,३१२ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले-जाने में ६७,१९,००० मील की उड़ान की।

विमान-प्रशिक्षण—असैनिक उड्डयन-विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण-केन्द्र में विमान-चालकों, वैमानिक इंजीनियरों, हवाई अड्डा-अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। १९५८ में इस केन्द्र में ३१२ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और नवम्बर के अन्त में १७७ शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

उड्डयन-क्लब—भारत में सहायता-प्राप्त १४ उड्डयन-क्लब, ३ ग्लाइडिंग केन्द्र तथा १ ग्लाइडिंग क्लब हैं। नवम्बर, १९५८ के अन्त तक इन उड्डयन-क्लबों में २०१

विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया गया और १ दिसम्बर, १९५८ को इन क्लबों में ५४१ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

हवाई अड्डे—भारत-सरकार के असैनिक उड्डयन-विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में ८४ हवाई अड्डे हैं। कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ता क्रूज) के हवाई अड्डे, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

६ नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर शेष द्वितीय योजना-काल में ३ नये हवाई अड्डों तथा १ ग्लाइडर-ड्रोम के भी निर्माण किये जाने की आशा है। तीनों अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की मुख्य हवाई पट्टियों का विस्तार किया जा रहा है।

विमान— १ दिसम्बर, १९५८ को ५२२ विमानों के पास चालू पंजीयन-प्रमाण-पत्र तथा २०६ विमानों के पास हवा में उड़ने की योग्यता के चालू प्रमाण-पत्र थे।

वायु-परिवहन-समझौते—१९५८ में भारत-सरकार और सोवियत रूस, लेबनॉन गणराज्य तथा इटली गणराज्य की सरकारों के बीच वायु-परिवहन-समझौते हुए। अफ़गानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ईराक, जपान, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, मिस्र, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन समझौते पहले से ही किये जा चुके हैं।

पर्यटन-उद्योग

प्रशासन—१९४९ में परिवहन-मन्त्रालय के अधीन एक 'पर्यटन-उद्योग-विभाग' स्थापित किया गया और तब से कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन-कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, दार्जिलिंग, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन-सूचना-कार्यालय खोले जा चुके हैं। ये कार्यालय राज्य-सरकारों के निकट सम्पर्क में रहते हुए कार्य करते हैं। कोलम्बो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न तथा लन्दन में भी भारत-सरकार के पर्यटन-कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं।

परिवहन तथा संचार-साधन-मन्त्रालय में अलग से एक 'पर्यटन-विभाग' स्थापित किया जा चुका है। एक 'पर्यटन-विकास-परिषद्' सरकार को पर्यटन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

पर्यटन-उद्योग के विकास को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी विनिमय के इस स्रोत से पूरा-पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जा चुकी है, जिसमें तत्सम्बन्धी विभागों के सचिव तथा अध्यक्ष होंगे और जिसकी अध्यक्षता मन्त्रिमण्डल के सचिव करेंगे।

होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति—भारत के होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए १९५७ में स्थापित 'होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति' की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं।

पर्यटन-सम्बन्धी नियमों में छूट—भारत में पर्यटन-उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनिमय-नियन्त्रण और चुंगी आदि से सम्बन्धित नियम कुछ शिथिल कर दिये गये हैं। देशाटन को बढ़ावा देने के लिए रेलों द्वारा रियायती दरों पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म-ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जानेवाले पर्यटकों को विशेष रियायत दी जाती है। इस समय देश में सरकार द्वारा स्वीकृत २६ यात्रा-संस्थाएँ, १३ शिकार-संस्थाएँ तथा ५ मान्यताप्राप्त पर्यटन-अभिकर्त्ता (एजेण्ट) हैं।

जानकारी—पर्यटन-सम्बन्धी साहित्य मार्गदर्शन-पुस्तिकाओं, फोल्डरों, मानचित्रों तथा चित्रमय कार्डों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'ट्रैवेलर इन इण्डिया' शीर्षक एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

भारत के भ्रमण के लिए आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या १९५१ के बाद से अब चार गुने से अधिक हो गई है। १९५८ में ९२,१९३ विदेशी पर्यटक भारत आये।

पर्यटन-उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य-सरकारों ने कई योजनाएँ तैयार की हैं।

डाक-तार-टेलीफोन

पूर्ववृत्त—भारत में सर्वप्रथम सन् १७६६ ई० में लार्ड क्लाइव ने डाक-पद्धति चलाई। किन्तु प्रारम्भ में डाक का उपयोग केवल सरकारी कार्यालयों के लिए ही होता था। लार्ड हेस्टिंग्स के समय में इसका उपयोग सर्वसाधारण के लिए भी होने लगा। सन् १७७४ ई० में लार्ड डलहौजी के समय में नियमित डाक-सेवा प्रारम्भ हुई। लार्ड डलहौजी ने पत्रों का वहन-व्यय कम कर दिया और टिकट-प्रणाली का आरम्भ किया। सर्वप्रथम सन् १८३७ ई० के ऐक्ट के अनुसार डाक-सेवा जन-सेवा के रूप में परिणत की गई। १८५४ ई० डाक-तार-विभाग के लिए एक महत्त्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष डाक-विभाग के लिए एक मुख्य निर्देशक नियुक्त हुए थे और सम्पूर्ण भारत के लिए दरों में एकरूपता स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम सिन्ध में १८२५ ई० में डाक-टिकट का आरम्भ हुआ, जो सफेद, नीले और लाल रंग का ठप्पा-मात्र था।

सन् १८३९ ई० में कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक पहली बार तार-लाइन स्थापित हुई थी। यह तत्कालीन तार-लाइनों में संसार की सबसे बड़ी लाइन थी। इसकी लम्बाई २१ मील थी। प्रारम्भ में यह व्यक्तिगत थी, किन्तु १२ वर्षों के बाद यहाँ सरकारी तौर पर

तार का कार्य शुरू हुआ। १८५३ ई० में कलकत्ता से आगरा तक तार की लम्बी लाइन लगी और १८५४ ई० में पहला तार भेजा गया। यही लाइन एक ओर बम्बई तक और दूसरी ओर पेशावर तक बढ़ा दी गई।

इसके बाद सम्पूर्ण भारत में तार-लाइन बैठाई गई। १८६७ ई० में १४६०० मील में यह लाइन फैली थी और आज भूमिगत लाइन को छोड़कर केवल ऊपर की लाइन ८०,००,०० मील से भी अधिक लम्बाई में फैली हुई है।

प्रशासन और व्यवस्था—केन्द्रीय सरकार का डाक-तार-टेलीफोन या संचार-विभाग के नाम से एक विभाग है। यह संचार और परिवहन-मन्त्रालय के अधीन है। सभी विभागों के एक महानिर्देशक होते हैं। प्रशासक की देखरेख एवं परामर्श के लिए 'डाक-तार-मंडल' स्थापित है, जिसके अध्यक्ष महानिर्देशक होते हैं। मंडल के सदस्यों में उप-प्रधान निर्देशक, मुख्य अभियन्ता और वित्त-विभाग (परिवहन-शाखा) के संयुक्त सचिव होते हैं। यह विभाग डाक, तार, टेलीफोन, बेतार-का-तार, सेविंग्स बैंक, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, डाक-जीवन-बीमा और रेडियो आदि के लाइसेंस का प्रबन्ध करता है। इस विभाग का कार्य व्यावसायिक और जनोपयोगी दोनों प्रकार का है। व्यावसायिक दृष्टि से रेलवे के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है, किन्तु रेलवे की तरह इसका वित्तीय प्रबन्ध अलग नहीं होता है।

सन् १९५९ ई० में एक नया 'डाक-तार-मंडल' स्थापित हुआ है। यह केवल प्रशासन का ही कार्य नहीं देखता, प्रत्युत, आंतरिक वित्तीय विषय भी इसके हाथ में हैं। यह ५० लाख तक का वार्षिक व्यय अपने हाथों कर सकता है। इसके एक अध्यक्ष और ६ दूसरे सदस्य हैं। इसमें विभाग के प्रधान निर्देशक, उप-निर्देशक, मुख्य अभियन्ता, और व्यवसायों के प्रतिनिधि आदि सदस्य हैं।

क्षेत्रीय एकक—सम्पूर्ण भारत के डाक-तार-विभाग को १३ क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है, जिनमें एक-एक पोस्टमास्टर जेनरल मुख्य अधिकारी के रूप में होते हैं। इनमें से १२ डाक-तार के केन्द्र हैं और १ केवल डाक का, जो दिल्ली में है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के चार टेलीफोन-क्षेत्रों के अतिरिक्त इसके २१ प्रशासन-एकक हैं।

निम्नलिखित मुख्य डाक-तार-क्षेत्र हैं—बंगाल, बिहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, मद्रास, मध्यप्रदेश, आन्ध्र, आसाम, उड़ीसा, दिल्ली और हैदराबाद।

इनमें से प्रथम सात क्षेत्रों में पोस्टमास्टर जेनरल और शेष में डाइरेक्टर मुख्य अधिकारी होते हैं। पूर्वोक्त चार टेलीफोन-जिला-केन्द्रों में जेनरल मैनेजर मुख्य अधिकारी होते हैं।

शोध-प्रशिक्षण-केन्द्र—विभागीय कार्यों के सम्पादन के लिए सहारनपुर में १९५४ ई० में विभाग की ओर से एक प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है। वहीं १९५६ ई० में तार-टेलीफोन-संचार के शोध के लिए एक अलग केन्द्र खुला है।

तार—भारत में १९५३ ई० में तार-विभाग का शतवार्षिक समारोह मनाया गया था।

टेलीफोन—सन् १८७६ ई० में श्रीमान् बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसके पाँच वर्ष बाद ही भारत में टेलीफोन के ५०-लाइन के तार बिछा दिये गये थे। भारत उन देशों में से एक है, जहाँ पहले-पहल टेलीफोन की लाइनें लगीं। भारत में कलकत्ता में ही सर्वप्रथम टेलीफोन की लाइनें लगाई गईं। इसी नगर में अन्य भारतीय नगरों की अपेक्षा सबसे अधिक टेलीफोन-नम्बर हैं। अभी भारत में प्रति सहस्र ७ व्यक्ति के पास टेलीफोन है, जबकि अमेरिका में प्रति सहस्र ३१० के पास बहुत दिनों तक कलकत्ता, बंबई, मद्रास, करांची और रंगून के लिए एक्सचेंज का लाइसेंस ओरियंटल टेलीफोन कंपनी को मिलता था, किंतु १९४२ ई० में सभी लाइनों पर सरकार ने अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम १९१३ ई० में शिमला में स्वयंचालित ऑटोमेटिक टेलीफोन शुरू हुआ था।

टेलीफोन-प्रशिक्षण—टेलीफोन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए जबलपुर में एक साधन-संपन्न प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है।

टेलीफोन-उद्योग—बँगलोर (मैसूर) में टेलीफोन के उपकरणों के निर्माण के लिए एक कारखाना खुला है, जिसपर केन्द्रीय सरकार, मैसूर-सरकार और इंगलैंड की 'ऑटोमेटिक टेलीफोन ऐण्ड इलेक्ट्रिक कंपनी' का संयुक्त स्वामित्व है।

टेली-कम्यूनिकेशन रिसर्च-सेण्टर—इस शोध-संस्था की स्थापना सन् १९५५ में हुई। इसने टेलीफोन-शोध-संबंधी कई कार्य अपने हाथ में लिये हैं। इसने छोटे पैमाने पर कार्यारंभ किया है।

बेतार-का-तार—भारत में बेतार-का-तार परिवहन भी कार्यशील है। यह तार-विभाग के साथ काम करता है। समुद्री किनारों के स्टेशन बेतार-के-तार से जलयानों और वायुयानों से अपना सम्बन्ध जोड़े रहते हैं और उनकी सूचना पाते रहते हैं। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के अतिरिक्त दूसरे छोटे बंदरगाहों में भी बेतार-के-तार के स्टेशन हैं। जबलपुर, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में मॉनिटरिंग स्टेशन भी स्थापित हुए हैं।

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी उद्योग के रूप में रेलों के बाद डाक-तार-सेवाओं का ही स्थान है। ३१ मार्च, १९५८ को डाक-तार-सेवाओं में ३,१६,६१७ व्यक्ति काम में लगे हुए थे और उस समय तक इन सेवाओं पर १.११ अरब रुपये का पूँजीगत व्यय हुआ।

१ अप्रैल, १९५८ को इस विभाग के पास संगृहीत बचत के रूप में २३.९० करोड़ रुपये थे।

डाक-सेवा

१९५७-५८ में ३,३५,५०,००,००० डाक की वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को लाई-ले जाई गईं, जिनसे डाक-तार-विभाग को ३४.८८ करोड़ रुपये की आय हुई।

३१ मार्च, १९५८ को देश के कुल ६१,८८६ डाकघरों में से ५,७८६ स्थायी तथा १,१७८ अस्थायी डाकघर शहरों में और ३६,९५० स्थायी तथा १७,९७२ अस्थायी

डाकघर गाँवों में थे। शहरों तथा गाँवों में कुल मिलाकर १,२३,२५४ पत्र-पेटियाँ लगी हुई थीं।

१९५८ में १,४९२ नये डाकघर स्थापित किये गये। प्रथम योजना-काल में १९,७१२ डाकघर स्थापित किये गये तथा द्वितीय योजना-काल में २०,००० डाकघर और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

चलते-फिरते शहरी डाकघर—नगरों में चलते-फिरते डाकघरों की योजना कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में चालू है। सामान्य-डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर, निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न मुहल्लों में चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में मनीआर्डर स्वीकार नहीं किये जाते और न सेविंग्स बैंक का काम होता है।

हवाई डाक—देश में कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास-जैसे मुख्य नगरों के बीच 'अन्तर्देशीय रात्रि हवाई डाक-सेवा' काम चालू है। एक अन्य विशेष योजना के अनुसार सभी अन्तर्देशीय पत्र तथा कार्ड आदि बिना किसी अतिरिक्त वायु-अधिभार के सामान्यतः विमान द्वारा लाये जाते हैं।

अदन, अफगानिस्तान, अमेरिका, आयरलैण्ड, अस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, इथोपिया, इराक, ईरान, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जर्मनी (लोकतन्त्रात्मक गणराज्य), जर्मनी) (संघात्मक गणराज्य), जापान, डेनमार्क, थाईलैण्ड, दक्षिण रोडेशिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, पूर्व अफ्रिका (केनिया, टैंगनिका तथा युगाण्डा), फ्रांस, फिजी, बर्मा, ब्रिटेन, बेल्जियम, बेहरीन, मलाया, मॉरीशस, मिस्र, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, सूडान, हाँगकांग तथा हालैण्ड और भारत के बीच सीधी विमान-पार्सल-सेवाएँ चालू हैं।

डाक-बचत-अधिकोष (पोस्टल सेविंग्स बैंक)—बचत का धन जमा कराने की सुविधाएँ देश के अधिकांश डाकघरों में उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक-से-अधिक १५,००० रुपये तथा दो अथवा उससे अधिक व्यक्ति मिल-जुलकर अधिक से अधिक ३०,००० रुपये इस खाते में जमा करा सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा अकेले तथा मिल-जुल कर बचत खाते में जमा कराये गये धन के सम्बन्ध में क्रमशः १०,००० रुपये तथा २०,००० रुपये पर प्रति वर्ष २½ प्रतिशत ब्याज मिलता है और इससे आगे की राशि पर प्रतिवर्ष २ प्रतिशत।

सेविंग्स बैंक का काम करनेवाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार में अधिक से अधिक १,००० रुपये निकाले जा सकते हैं। सेविंग्स के लिए चेक-प्रणाली शुरू कर दी गई है, जिससे कि रुपया निकालने में सुविधा हो।

डाक-बीमा—१९५७-५८ में डाक-तार-विभाग के असैनिक डाक-बीमा-विभाग में १.५२ करोड़ रुपये के मूल्य के नये ७,८४३ बीमा कराये गये। इसी अवधि में असैनिक डाक-बीमा-विभाग में ४८ लाख रुपये के मूल्य के नये ६०२ बीमा कराये गये। १९५७-५८ तक २८.५७ करोड़ रुपये के मूल्य के कुल ८,३३६ सैनिक डाक-बीमा हुए थे।

तार-सेवा

१९५७-५८ में देश में कुल १०,७२३ तारघर थे, जिनमें लाइसेंस-प्राप्त तारघर भी सम्मिलित थे। इन तारघरों द्वारा ३.३२ करोड़ तारों का एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच आदान-प्रदान हुआ तथा इस वर्ष तारघरों को कुल ८.२० करोड़ रुपये की आय हुई। इस वर्ष के कुल तारों में २.२७ लाख तार समाचार-पत्र-सम्बन्धी थे।

डाक-तार

संपूर्ण देश में १६३ नये तारघर खोले गये। इसी अवधि में तार-प्रणाली के सन्देश-वाहक तारों की लम्बाई भी ३,१०,११० मील से बढ़ाकर ३,५८,०१० मील कर दी गई।

बम्बई में स्थापित 'टेप-रिले एक्सचेंज' और २३ केन्द्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार संदेश, गन्तव्य केन्द्रों को अपने-आप ही पहुँचा दिये जाते हैं। ये केन्द्र पुश-बटन-प्रणाली द्वारा एक्सचेंज से सम्बद्ध रहते हैं।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार—देश में हिन्दी में तार देने की व्यवस्था इस समय लगभग १,४०० तारघरों (५० रेल-तारघर-सहित) में उपलब्ध है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोर्स-प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप अबतक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तार किसी भी भारतीय भाषा में दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि ये तार देवनागरी-लिपि में लिखे हुए हों। इसके अतिरिक्त हिन्दी में तार देने के सम्बन्ध में निम्नांकित सुविधाओं की भी व्यवस्था है—(१) बधाई-सम्बन्धी तार, (२) संकटकालीन तार, (३) स्थानीय तार, (४) जहाँ फोनोग्राम की व्यवस्था हो, वहाँ फोनोग्राम द्वारा हिन्दी में तार, (५) तार द्वारा मनीऑर्डर तथा (६) रियायती दरों पर तार के संक्षिप्त पतों का पंजीयन।

हिन्दी में दिये जानेवाले तारों की संख्या दिन-प्रति-दिन तेजी से बढ़ती जा रही है।

टेलीफोन-सेवा

१९५८ तक देश में ३,३५,००० टेलीफोन लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त देश में ६,४५७ टेलीफोन-एक्सचेंज भी थे। इस वर्ष २.३१ करोड़ ट्रंक-कॉल किये गये तथा टेलीफोन से १८.४० करोड़ रुपये की आय हुई।

१९५८ तक के समय में अधिक दूरी के स्थानों को टेलीफोन करने के लिए १५१ सार्वजनिक टेलीफोन-घरों तथा २९,००० अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था की गई। १९५८ के अन्त में टेलीफोन के तारों की लम्बाई २,६१,४०० मील थी।

'टेलीफोन के मालिक बनो'-योजना—यह योजना १९४९ ई० में आरंभ की गई थी। इस समय अहमदाबाद, कलकत्ता (केवल बैरकपुर और श्रीरामपुर एक्सचेंज-क्षेत्रों में), नई दिल्ली, बम्बई ('२४' तथा '२६' एक्सचेंज-क्षेत्रों को छोड़कर) तथा मद्रास (किलपौक,

माउण्ट रोड तथा मैलापुर एक्सचेंज-क्षेत्रों को छोड़कर) में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक ३३,००० से अधिक कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इसके लिए कलकत्ता और बंबई में २० वर्षों के लिए २५०० रु० और दूसरे स्थानों के लिए २००० रु० अग्रिम देने पड़ते हैं। मासिक संधारण के लिए २) देने पड़ते हैं।

सन्देश-दर-प्रणाली—इस प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन रखनेवाले व्यक्ति को निर्धारित मासिक शुल्क के अलावा प्रत्येक कॉल के लिए भी शुल्क देना होता है। यह प्रणाली ४० एक्सचेंजों में चालू है।

टेलीफोन-उद्योग—१६५७-५८ में बंगलोर के 'भारतीय टेलीफोन-उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड' में ६०,२४१ टेलीफोनों; ४२,३०५ एक्सचेंज-लाइनों; २४६ छोटे एक्सचेंजों (८,००५ लाइन); ३१ एक-तारवाहक प्रणालियों; ५२ तीन-तारवाहक प्रणालियों तथा २ बारह-तारवाहक प्रणालियों के निर्माण के अतिरिक्त कई छोटे पुर्जों का भी निर्माण हुआ।

समुद्रपार संचार-साधन

१ जनवरी, १६४७ को राष्ट्रीयीकृत 'समुद्रपार संचार-सेवा' के अन्तर्गत इस समय ५७ प्रत्यक्ष रेडियो-सेवाओं का संचालन होता है। इनके द्वारा भारत विदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। गत ७ वर्षों में इस सेवा के अन्तर्गत १.६० करोड़ तार विदेशों को भेजे तथा विदेशों से प्राप्त किये गये। असैनिक उड्डयन-कम्पनियों को ४ अन्तरराष्ट्रीय रेडियो-दूर-मुद्रक-प्रणालियाँ पट्टे पर दी गईं।

रेडियो-टेलीफोन-सेवा—भारत और अदन, अस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, इथोपिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पूर्व अफ्रिका, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलाया, मिस्र वियतनाम (दक्षिण), सऊदी अरब, स्विट्जरलैण्ड, सोवियत रूस तथा हाँगकांग के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था है।

अमेरिका, अर्जेण्टाइना, अल्जीरिया, आइसलैण्ड, आयरिश गणराज्य, आस्ट्रिया, इजराइल, क्यूबा, कनाडा, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, चेकोस्लोवाकिया, जिब्राल्टर, ट्यूनिशिया, टैंजियर, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका, न्यूफाउण्डलैण्ड, नार्वे, निकारागुआ नीदरलैण्ड, पनामा, फिनलैण्ड, बरमूडा, बारबडोस, ब्राजिल, बेल्जियम, मेक्सिको, मोरक्को, यूनान, रोडेशिया, लग्जेमबर्ग लेबनॉन, वेटिकन नगर, स्पेन, स्यूटा, स्वीडन, सूडान, हंगरी, हवाई, होण्डुरास और भारत के बीच लन्दन के द्वारा रेडियो-टेलीफोन-सेवाएँ उपलब्ध हैं।

काहिरा द्वारा सूडान, अस्ट्रेलिया द्वारा न्यूजीलैण्ड, इथोपिया द्वारा अस्मारा, बर्न द्वारा युगोस्लाविया और बेहरीन द्वारा कुवैत, दोहा तथा मस्कत और भारत के बीच भी रेडियो-टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं। समुद्र में चल रहे ३५ जहाज रेडियो-टेलीफोन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

रेडियो-टेलीग्राफ-सेवा—भारत और अफगानिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, थाईलैण्ड,

पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र, युगोस्लाविया, वियतनाम (उत्तर), वियतनाम (दक्षिण), स्विट्ज़रलैण्ड तथा सोवियत रूस के बीच रेडियो-टेलीग्राफ-सेवाओं की व्यवस्था है।

रेडियो-फोटो-सेवा—भारत, अमेरिका, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पोलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो सेवाएँ चालू हैं। भारत से लन्दन के द्वारा अस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जमैका, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिका, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, बेल्जियम, मिस्र, युगोस्लाविया, यूनान स्विट्ज़रलैण्ड तथा स्वीडन को भी फोटो भेजने की सुविधाएँ हैं।

एक अन्य सेवा द्वारा विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य-दूतावासों को उनके लाभ के लिए भारत-सरकार की ओर से और भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचार-पत्र-समितियों की ओर से समाचार भेजे जाते हैं।

डाक-तार-विभाग के महत्त्वपूर्ण वर्ष

१७६६ ई० लार्ड क्लाइव द्वारा डाक-सेवा का आरम्भ।
१७७४ ई० लार्ड डलहौजी द्वारा नियमित डाक-सेवा का आरम्भ।
१८२५ ई० करांची से सिंध के लिए भेजा गया पहला डाक-टिकट।
१८३० ई० इंगलैंड और भारत के बीच डाक-प्रेषण की व्यवस्था।
१८३७ ई० डाक-विषयक पहला विधेयक-जिसके द्वारा डाक-विभाग जन-सेवा के रूप में परिणत हुआ।
१८३६ ई० कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक पहली तार-लाइन।
१८४० ई० भारत से इंगलैंड तक 'मेलसर्विस' का प्रथम चार्टर प्राप्त।
१८५१ ई० पहली सरकारी तार-लाइन कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक बिछी।
१८५३ ई० कलकत्ता से आगरा तक लंबी तार-लाइन की स्थापना।
१८५४ ई० जनवरी में दूर भेजा गया पहला तार-संवाद।
१८५४ ई० पहली अक्टूबर को अखिलभारतीय स्तर पर प्रेषित पहला डाक-टिकट।
१८६५ ई० २७ जनवरी को इंगलैंड-भारत के बीच स्थापित पहली तार-लाइन।
१८७० ई० कलकत्ता के पुराने दुर्ग में उद्घाटित पहला प्रधान डाकघर (जी० पी० ओ०)।
१८७१ ई० वी० पी०-पद्धति की स्थापना।
१८७७ ई० वी० पी० पद्धति का आरम्भ।
१८८० ई० मनीआर्डर-पद्धति का प्रारम्भ।
१८८१ ई० कलकत्ता में पहली टेलीफोन-लाइन की स्थापना।
१८८५ ई० डाक-बचत अधिकोष (पोस्टल सेविंग्स बैंक) का आरम्भ।
१८८८ ई० मनीआर्डर भेजना आरम्भ।

१६११ ई० — १८ फरवरी को इलाहाबाद से नैनी (६ मील) तक पहली हवाई डाक-सेवा का आरम्भ, जिसमें ६५०० पत्र थे।

१६१३ ई० — शिमला में पहली स्वयंचालित टेलीफोन-लाइन।

१६२६ ई० — ४ अप्रैल को भारत-इंगलैंड के बीच प्रथम हवाई डाक-सेवा का आरम्भ।

१६३१ ई० — नई दिल्ली-उद्घाटन-समारोह-टिकट का प्रचलन।

१६४२ ई० — (क) २ फरवरी को 'एयरग्राफ' सर्विस का आरम्भ।
(ख) टेलीफोन के सभी एक्सचेंजों को सरकार के अधीन करना।

१६४३ ई० — 'फोटो-टेलीग्राफ' सर्विस का आरम्भ।

१६४६ ई० — दो पैसेवाला पोस्टकार्ड का पहली जुलाई से पुनः प्रचलन।

१६४७ ई० — पहली जनवरी को, भारत-सरकार द्वारा समुद्रपार दूर-परिवहन-सेवा की खरीदगी।

१६४६ ई० — जनवरी में नागरी-लिपि में हिन्दी-तार-संवाद का प्रचलन।

१६५३ ई० — भारतीय टेलीग्राफ का शतवार्षिक समारोह।

१६५४ ई० — पहली अक्टूबर को भारतीय डाक-टिकट के शतवार्षिक समारोह और अन्तरराष्ट्रीय डाक-टिकट-संग्रह का प्रदर्शन।

१६५७ ई० — पहली अप्रैल से डाक-टिकट और डाक-सामग्री के लिए दाशमिक मुद्रा का प्रचलन।

१६५६ ई० — एक नये 'डाक-तार-मंडल' की स्थापना, जिसके एक अध्यक्ष और छह दूसरे सदस्य होते हैं।

डाक-तार-मंडल और उनके अधिकार-क्षेत्र

	पोस्ट और टेलीग्राम सर्किल	अधिकार-क्षेत्र
१.	पोस्टमास्टर-जेनरल, बंगाल (पश्चिम)	बंगाल, अंडमन और निकोबार द्वीप, सिक्कम।
२.	पोस्टमास्टर-जेनरल, बिहार	बिहार
३.	पोस्टमास्टर-जेनरल, उत्तरप्रदेश	उत्तर-प्रदेश
४.	पोस्टमास्टर-जेनरल, पंजाब	पंजाब, हिमांचल-प्रदेश, बिलासपुर, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली (केवल टेलीग्राफ)।
५.	पोस्टमास्टर-जेनरल, बम्बई	बम्बई, सौराष्ट्र और कच्छ
६.	पोस्टमास्टर-जेनरल, मद्रास	मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन, कुर्ग, हैदराबाद (यह एक छोटा सर्किल है, जो निर्देशक के अधिकार में है)।
७.	पोस्टमास्टर-जेनरल, सेंट्रल, सर्किल	मध्यप्रदेश और विन्ध्यप्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, भोपाल और अजमेर।

	पोस्ट और टेलीग्राम सर्किल	अधिकार-क्षेत्र
८.	डाइरेक्टर ऑफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ्स, आन्ध्र	आंध्र
९.	डाइरेक्टर ऑफ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स, आसाम	आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा
१०.	डाइरेक्टर ऑफ पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स, उड़ीसा	उड़ीसा
११.	डाइरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, दिल्ली	दिल्ली
१२.	डाइरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, हैदराबाद	हैदराबाद (छोटा सर्किल)
१३.	जेनरल मैनेजर, टेलीफोन्स, कलकत्ता जिला	कलकत्ता शहर
१४.	जेनरल मैनेजर, टेलीफोन्स, बम्बई जिला	बम्बई शहर
१५.	जिला मैनेजर, टेलीफोन्स, दिल्ली जिला	दिल्ली और नई दिल्ली
१६.	,, ,, ,, मद्रास जिला	मद्रास शहर

आकाशवाणी (ऑल इण्डिया रेडियो)

आरम्भ—भारत में पहले-पहल १९२७ ई० में प्रसारण-कार्य प्रारम्भ हुआ। यह कार्य सर्वप्रथम एक कम्पनी की ओर से आरम्भ हुआ, जिसका नाम था 'इण्डियन ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी'। इस कम्पनी ने कलकत्ता और बम्बई में स्टेशन खोले थे। किन्तु, कम्पनी इस कार्य को नहीं चला सकी और दिवालिया हो गई। अनन्तर, इस कार्य को भारत-सरकार ने अपने हाथों में लिया और कुछ दिनों के लिए प्रयोगात्मक रूप में चलाना मंजूर कर लिया। बाद में भारत-सरकार ने १९३२ में चलाते रहने का निर्णय करके इसे श्रम और उद्योग-विभाग के नियंत्रण में ले लिया। १९३५ ई० के मार्च में प्रसारण-विभाग एक अलग विभाग के रूप में परिणत कर दिया गया और इस विभाग के एक नियंत्रक नियुक्त हुए। उस समय इसका नाम 'इण्डियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस' पड़ा। १९३६ ई० में इसका नाम बदलकर 'ऑल इण्डिया रेडियो' कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के समय इसकी महत्ता बढ़ी। फलस्वरूप दिल्ली में भी ऑल इण्डिया रेडियो का अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर का स्टेशन स्थापित हुआ और १९४६ ई० में इस विभाग के विकास की योजना तैयार की गई। 'ऑल इण्डिया रेडियो' संघीय शासन के सूचना और प्रसारण-मंत्रालय के अन्दर है। इसके संचालन के लिए एक प्रधान निर्देशक होते हैं। इनकी सहायता के लिए अनेक सहायक निर्देशक और एक मुख्य अभियन्ता हैं। स्थानीय रेडियो-स्टेशन की व्यवस्था स्टेशन-डाइरेक्टरों के अधीन होती है।

अभी भारत में २८ रेडियो-स्टेशन हैं, जो देश के मुख्य-मुख्य भाषा-क्षेत्रों की सीमा में स्थित हैं। प्रत्येक रेडियो-स्टेशन में एक स्टेशन-डाइरेक्टर या सहायक स्टेशन डाइरेक्टर और एक अभियन्ता होते हैं। अभियन्ता प्राविधिक कार्यों की व्यवस्था में स्टेशन-डाइरेक्टर की सहायता करते हैं। इनके अतिरिक्त कार्यक्रम-संचालक और दूसरे सहायक होते हैं। सभी रेडियो-स्टेशन देश के चार क्षेत्रों में विभक्त हैं—उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी।

उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, राँची, जालन्धर, जयपुर, इन्दौर, शिमला, भोपाल, श्रीनगर और जम्मू नगरों के स्टेशन हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत बम्बई, नागपुर, पूना, अहमदाबाद, राजकोट और धारवार स्टेशन हैं। दक्षिणी क्षेत्र में मद्रास, तिरुचीपल्ली, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड, हैदराबाद और बंगलोर के स्टेशन आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, कटक और गौहाटी के स्टेशन हैं।

कार्यक्रम

आकाशवाणी के कार्यक्रमों की योजना श्रोताओं की आवश्यकता और रुचि के अनुसार बनती है। सभी मिलाकर मुख्यतः १४ कार्यक्रम चलते हैं, जिनके नाम और विवरण इस प्रकार हैं :—

१. समाचार— आकाशवाणी के २८ केन्द्रों से ७३ समाचार-सम्बन्धी कार्यक्रम भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं। राष्ट्रीय सूचनाएं दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होती हैं, जिन्हें दूसरे स्टेशन रिले करते हैं। नेशनल न्यूजरील दिल्ली से सप्ताह में दो बार इंगलिश में और एक बार हिन्दी में प्रसारित होता है। राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचार दस केन्द्रों से आवश्यकतानुसार प्रसारित होते हैं। लोक-सभा की आलोचना दिल्ली से एवं दूसरे स्थानों से भी प्रसारित होती है और प्रादेशिक विधान-सभाओं की आलोचना क्षेत्रीय स्टेशनों से।

२. संगीत—आकाशवाणी का अधिकांश समय संगीत-कार्यक्रम में लगता है। आकाशवाणी के केन्द्रों से हिन्दुस्तानी और कर्नाटक-संगीत का कार्यक्रम चलता है। सप्ताह में एक दिन राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम चलता है, जिसमें आमंत्रित श्रोता भी सम्मिलित होते हैं। इस कार्यक्रम में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक-संगीत के मुख्य-मुख्य कलाकार बुलाये जाते हैं। सामूहिक वादन में दोनों परम्पराओं के रागों और लोकगीतों की धुनों को उपस्थित किया जाता है। आकाशवाणी का सहगान का कार्यक्रम भी आकर्षक होता है। हलके-फुलके गाने भी सभी केन्द्रों से प्रसारित होते रहते हैं। सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से क्षेत्रीय लोकगीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। लोकगीतों का संग्रह सभी ग्रामीण क्षेत्रों से किया जाता है। इसके लिए केन्द्रीय 'लोकगीत पुस्तकालय' भी स्थापित हुआ है। संगीत-समारोहों के कार्यक्रम भी यथासमय प्रसारित होते रहते हैं। समारोहों का कार्यक्रम पहले से रेकर्ड कर लिया जाता है।

विविध संगीत—इस कार्यक्रम में अखिलभारतीय स्तर के संगीत, फिल्मी गाने, लोकगीत, व्यंग्य और पारिवारिक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इसमें जन-मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। विदेशी संगीत के लिए एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त है, जो विदेशी संगीत के विकास के लिए परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी का अपना वार्षिक संगीत-समारोह भी होता है जिसका प्रसारण यथासमय किया जाता है।

३. **वार्त्ता**—आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से अँगरेजी, हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं में लगभग १०,००० वार्त्ताएँ प्रसारित की जाती हैं। इनमें स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विषयों का प्रतिपादन होता है।

४. **साहित्यिक वार्त्ता**—इस कार्यक्रम के अंदर अँगरेजी, हिन्दी एवं दूसरी भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों की साहित्यिक वार्त्ताएँ प्रस्तुत की जाती हैं। यह आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम है। इसमें यथासमय सभी क्षेत्रों और केन्द्रों में कवि-सम्मेलन, मुशायरा आदि भी प्रस्तुत किये जाते हैं।

५. **नाटक, फीचर और ऑपेरा**—इन तीनों विषयों के क्रमिक कार्यक्रम सभी केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं। बहुधंधी योजनाओं, कारखानों, मेलों आदि के फीचर प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऑपेरा में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संगीत के विकास का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

६. **विशेष कार्यक्रम**—आकाशवाणी से किसी विशेष अधिवेशन, उत्सव या समारोह आदि का कार्यक्रम रेकर्ड करके प्रसारित होता रहता है। इसके अंदर किसी महान् व्यक्ति या संस्था-विशेष से ली गई अन्तर्वीक्षा, खेल आदि का आँखों देखा हाल आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते हैं।

७. **विशिष्ट श्रोताओं के लिए कार्यक्रम**—इसके अन्दर ४८ क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रामीणों के लिए विशेष वार्त्ता आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित की जाती है।

८. **उद्योग-धंधों का कार्यक्रम**—आकाशवाणी के बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, नागपुर, लखनऊ और त्रिवेन्द्रम् केन्द्रों से स्थानीय श्रमिकों और श्रम से संबद्ध दूसरे लोगों के लिए तत्संबंधी विषयों की वार्त्ता प्रस्तुत की जाती है।

९. **शिक्षा-विषयक कार्यक्रम**—शिक्षा-विषयक वार्त्ताओं के लिए भारतीय विश्व-विद्यालयों को अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिनमें परामर्शदात्री समितियाँ होती हैं और वे आंचलिक वार्त्ताओं के लिए योजना तथा कार्यक्रम के लिए परामर्श देती हैं, जिनके अनुसार विश्वविद्यालयीय स्तर के शिक्षा-विषयों पर वार्त्ताएँ प्रसारित की जाती हैं।

१०. **स्कूली कार्यक्रम**—विश्वविद्यालय की भाँति स्कूली लड़के-लड़कियों के लिए भी अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में आकाशवाणी के २१ केन्द्र संलग्न हैं।

११. **महिलाओं और बच्चों का कार्यक्रम**—लगभग सभी आकाशवाणी-केन्द्रों से महिलाओं और बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

१२. **आदिवासियों एवं जनजातियों का कार्यक्रम**—आकाशवाणी के राँची, भोपाल, विजयवाड़ा और गौहाटी केन्द्रों से क्षेत्रीय आदिवासियों के लिए उनसे संबद्ध विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

१३. **सैनिक कार्यक्रम**—दिल्ली-केन्द्र से प्रतिदिन एक घंटा का कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित होता है।

१४. **सामुदायिक कार्यक्रम**—अभीतक भारतीय गाँवों के निवासी शिक्षित नहीं हुए हैं और उनकी शिक्षा तथा मनोविनोद के साधन सीमित हैं। अतः इन लोगों के लिए आकाशवाणी विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। इसके अन्दर चौपाल आदि का कार्यक्रम होता है, जो ग्रामीण जनता की रुचि के अनुकूल एवं ज्ञानवर्द्धक होता है। प्रादेशिक सरकारों ने ग्रामीणों के लिए पंचायत, पुस्तकालय आदि के नाम रेडियो-सेट प्रदान कर उन्हें यह कार्यक्रम सुनने का अवसर दिया है। इसमें लोकगीतों लोक-कथाओं एवं खेती-बारी आदि के संबंध में वार्त्ताएँ, नाटक, फीचर आदि प्रस्तुत किये जाते हैं।

विदेशी सेवा—आकाशवाणी का यह एक विभाग है। इस विभाग के एक निर्देशक होते हैं। इस विभाग से बाहर हिन्दुस्तानियों और विदेशियों के लिए १६ देशी-विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिदिन २० घण्टे तक चालू रहते हैं।

कार्यक्रमों में परस्पर परिवर्त्तन—जिस प्रकार अँगरेजी एवं दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का हिन्दी में और हिन्दी से अँगरेजी एवं इतर भाषाओं में कार्यक्रम परिवर्त्तित करके प्रसारित किये जाते हैं, उसी प्रकार विदेशी कार्यक्रमों में भी विदेशों से परिवर्त्तन किया जाता है। भारतीय कार्यक्रम विदेशों को भेजा जाता है और विदेशी कार्यक्रम भारतीय स्टेशन से प्रसारित किया जाता है।

मॉनिटरिंग सेवा—मॉनिटरिंग आकाशवाणी की सेवा का एक प्रकार है, जिसमें आकाशवाणी के नियुक्त व्यक्ति यह सुना करते हैं कि विदेशी रेडियो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विषयों पर क्या प्रसारित करते हैं, और उन्हें सुनकर लिख लिया करते हैं। आजकल यह विभाग प्रतिदिन २३ विदेशी रेडियो-स्टेशनों से प्रसारित होनेवाले नौ भाषाओं की १०० वार्त्ताओं का संग्रह करता है।

ट्रांस्क्रिप्शन सेवा—ट्रांस्क्रिप्शन या अनुलेखन सेवा-विभाग में गानों, वर्त्ताओं और दूसरे कार्यक्रमों के प्रसारण से पहले अनुलेखन कर लिया जाता है। इसमें बड़े महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की वार्त्ता, भाषण या संगीत आदि अनुलेखित किये जाते हैं। यह विभाग १९५४ ई० में शुरू हुआ था। इसके पास 'रेकर्ड प्रोसेसिंग प्लांट' का पूरा सेट रहता है, जो आकाशवाणी के हलके-फुलके गानों का ग्रामोफोन-रेकर्ड तैयार किया करता है। बड़े लोगों के भाषण आदि के रेकर्ड के लिए स्टैंपर और डिश का प्रयोग किया जाता है।

विभिन्न विभाग

अधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण—आकाशवाणी के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक विद्यालय खोला गया है। इसमें

प्रसारण-कर्त्ताओं एवं कार्यक्रम-अधिकारियों के कार्य से संबद्ध सामान्य एवं विशेष प्रविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कूल में रेलवे-विभाग की ओर से रेलवे-स्टेशनों पर घोषणा करनेवाले व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया है।

१९५८ ई० में आकाशवाणी के अभियंत्रण (इंजीनियरिंग)-विभाग के अधिकारियों के प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए भी एक स्कूल स्थापित हुआ है, जिसमें नये आये अभियंताओं को आकाशवाणी विषयक विशेष प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आकाशवाणी में काम करनेवाले पुराने अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए भी 'रिफ्रेशर कोर्स' चालू किया गया है।

संगीत और नाटक-विभाग—सूचना और प्रसारण-मंत्रालय ने १९५४ ई० में संगीत-नाटक-विभाग की स्थापना की थी। १९५६ ई० में इसे उसने आकाशवाणी के अधिकार में कर दिया। इस विभाग द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को नाटकों, गीति-नाट्यों और लोकगीतों के माध्यम से जनता में प्रचारित-प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्दर नाटकों का अभिनय, कवि-सम्मेलन, लोक-नाट्य, कठपुतलियों का नृत्य, ऑपेरा, कौव्वाली आदि कार्य संपन्न किये जाते हैं।

श्रोता-सम्बन्धी शोध—इस विभाग द्वारा आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुननेवाले व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन एवं संग्रहण किया जाता है। इसके लिए विभाग वैज्ञानिक पद्धति अपनाये हुए है और यह विविध कार्यक्रमों के जानकार श्रोताओं से तत्तत् कार्यक्रमों पर सम्मति मँगाकर संग्रह करता है तथा मूल्यवान् सम्मतियों को, कार्यक्रमों को आयोजित एवं प्रस्तुत करनेवाले अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिए संपादित करता है।

परामर्शदात्री समिति—आकाशवाणी के केन्द्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विविध परामर्शदात्री समितियाँ बनी हुई हैं, जो संबद्ध कार्यक्रमों की योजनाओं और प्रसारण के लिए उचित परामर्श देती हैं। ये विविध समितियाँ आकाशवाणी के विविध केन्द्रों में काम करती हैं। ये निम्नलिखित हैं—कार्यक्रम-परामर्श-समिति, ग्रामीण-परामर्श-समिति, औद्योगिक कार्यक्रम-परामर्श-समिति, सैनिक-कार्यक्रम-परामर्श-समिति, शिक्षा-कार्यक्रम-समिति और विश्वविद्यालयीय कार्यक्रम-समिति। इनके अतिरिक्त नाटक एवं संगीत के कलाकारों से संबद्ध 'स्क्रीनिंग कमिटी' और नाटक-कलाकारों के लिए 'ऑडिशन कमिटी' भी स्थापित की गई हैं।

पत्र एवं प्रकाशन—श्रोताओं की सुविधा के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रकाशन अँगरेजी, हिन्दी, उर्दू, बँगला, तमिल, तेलुगु और गुजराती भाषाओं में होता है। इनके अतिरिक्त विदेशी श्रोताओं के लिए नौ भाषाओं में पृथक्-पृथक् पत्र एवं बुलेटिन प्रकाशित होते हैं। भारत-सरकार के प्रकाशन-विभाग से आकाशवाणी के निर्धारित कार्यक्रम के अंदर पढ़े गये मूल्यवान् निबंधों का प्रकाशन भी होता है।

शोध-विभाग—भारत के प्रसारण से संबद्ध प्राविधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए 'शोध-विभाग' नाम से एक विशिष्ट विभाग स्थापित हुआ है। आकाशवाणी-स्टेशनों की लघु और मध्यम तरंगों की समीप एवं सुदूर की वार्त्ताओं को प्रचारित करने के लिए स्टेशनों की क्षेत्रीय शक्ति का परिमापन किया जाता है। अयन-मंडल के अध्ययन के परिणाम संगृहीत किये जाते हैं और उनसे भीतरी और बाहरी प्रसारणों की ग्रहण-शक्ति का पता लगाया जाता है। शोध-विभाग राष्ट्रीय ध्वनि-विषयक पदार्थों पर अधिक ध्यान देता है और उनके विकास का प्रबंध करता है।

देख-भाल और व्यवस्था—आकाशवाणी के प्रसारण-कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विविध प्रकार के उपकरणों को समुचित अवस्था में रखना आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक स्टेशन के अभियंता अपने स्टेशन के उपकरणों की देख-भाल और व्यवस्था किया करते हैं तथा सभी का संघटित नियंत्रण दिल्ली के संधारण अभियंता (मेंटेनेंस इंजीनियर) करते हैं। यही सभी स्टेशनों के प्रसारण उपकरणों की देख-रेख के अधिकारी पुरुष हैं। दिल्ली के संधारण-अभियंता प्रत्येक स्टेशन के ट्रान्समीटरों और रिसीविंग सेण्टरों, बिजली-सप्लाई, वाल्व, एरियल, स्टूडियो आदि की व्यवस्था के उत्तरदायी हैं। अब उन उपकरणों की देख-भाल और मरम्मत भी भारत में होने लगी, जिनकी मरम्मत पहले विदेशों में ही होती थी।

टेली विजन

सन् १९५९ ई० में दिल्ली में आरम्भिक प्रयोग के रूप में टेलीविजन की स्थापना की गई है। युनेस्को ने इसके लिए २५००० डालर प्रारम्भिक सहायता के रूप में देने की बात मान ली है।

१९५८-५९ ई० की आकाशवाणी सम्बन्धी विशेष बातें

रेडियो-स्टेशन	२८
ट्रान्समीटर	५५
स्टूडियो-सेण्टर	३२
रिसीविंग सेण्टर	२८
न्यूज बुलेटिन और भाषाएँ	७६
रेडियो-न्यूज-रील्स	सप्ताह में अँगरेजी में २ और हिन्दी में १
रेडियो-लाइसेन्स	१५,१३,६४६
राज्य-सरकारों द्वारा सामुदायिक केन्द्रों को दिये गये रेडियो-सेट	४६,६४२
घरेलू कार्यक्रम-पत्रिका	८
विदेशी कार्यक्रम-पत्रिका	८
कार्यक्रम की भाषाएँ	१६
शिक्षा-कार्यक्रमों को प्रसारित करनेवाले स्टेशन	२१
रेडियो-रिसीवर और स्कूल	१०,७४१ (अगस्त, १९५८)

औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए	१० स्टेशन
सैनिक कार्यक्रमों के लिए	३ स्टेशन
मॉनिटरिंग सर्विस	२३ बाहरी स्टेशनों से प्रसारित होनेवाले ६ भाषाओं के १०० कार्यक्रमों का प्रतिदिन का हिसाब।
१९५८ में होनेवाले गीत, नाटक, नृत्य, कठपुतली-नाच आदि के कार्यक्रम	११०३

भारत में चालू घरेलू रेडियो की संख्या

१९२७ ई०	३,९५४	१९५२ ई०	६,९४,५६०
१९४७ ई०	२,४८,२७४	१९५३ ई०	७,६९,५०५
१९४८ ई०	२,८६,०४६	१९५४ ई०	८,३५,२४९
१९४९ ई०	२,६९,७२८	१९५५ ई०	९,४७,३५३
१९५० ई०	५,०७,३२४	१९५६ ई०	१०,७५,९००
१९५१ ई०	६,३५,०२६	१९५७ ई०	१२,३०,८१४
		१९५८ ई०	१२,९१,८१२

दूसरे प्रकार के रेडियो

(सामुदायिक, स्कूल, क्रिस्टल आदि)

१९४७ ई०	२७,६८१	१९५३ ई०	६८,२४४
१९४८ ई०	३२,९४४	१९५४ ई०	७१,९४८
१९४९ ई०	३८,३३२	१९५५ ई०	८२,४६३
१९५० ई०	३८,९९५	१९५६ ई०	१,००,६११
१९५१ ई०	५०,४८२	१९५७ ई०	१,१६,४०२
१९५२ ई०	६४,०६०	१९५८ ई०	१,०,९६२५

भारत में रेडियो-सेट का उत्पादन

१९५३ ई०	५६,३००	१९५६ ई०	१,५०,५९६
१९५४ ई०	५८,२०३	१९५७ ई०	१,९०,६९०
१९५५ ई०	८१,२००	१९५८ ई०	१,४७,२८८

❀

परिवार-नियोजन

परिवार-नियोजन अँगरेजी के शब्द 'बर्थ-कंट्रोल' या जन्म-निरोध का पर्यायवाची है। इस शब्द की जन्मदात्री श्रीमती मारगेरेट सैंगर हैं। वे अमेरिका की पब्लिक-हेल्थ-नर्स थीं। वे ही इस आन्दोलन की माता हैं। ब्रिटेन में स्व० श्रीमती मेरी स्टोप्स ने इस आन्दोलन का प्रचार-प्रसार किया। अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों देशों में पहले जनमत एवं सरकार ने इसका घोर विरोध किया था। किन्तु तेजी से बढ़ती हुई आबादी की समस्या एवं बार-बार अनियंत्रित बच्चों के जन्म से माताओं के स्वास्थ्य की क्षति के कारण पीछे जनता और सरकार ने इस आन्दोलन की आवश्यकता का अनुभव किया। फलतः यह सारे देश में फैल गया।

प्रचार-प्रसार—संसार में जापान और भारत—इन दो देशों में सरकारी स्तर पर 'परिवार-नियोजन' को कार्यान्वित किया जा रहा है। जापान ने इस दिशा में विशेष प्रगति की है।

भारत के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखने पर इसके क्षेत्रफल, जन-संख्या और आर्थिक स्थिति पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। जन-गणना-विभाग और 'रैण्डम-सैम्पुल-सर्वे' के प्रयासों के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि भारत की जन-संख्या लगभग ४० करोड़ है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ की जन-संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, या यों समझिए कि प्रत्येक वर्ष करीब ७० लाख खानेवाले नये मुँह जन्म ले रहे हैं। इस तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए भारत की जनता और सरकार दोनों जागरूक हो गई हैं। यह सामान्य इच्छा है कि देश की जनता सुशिक्षित, सुसंस्कृत, स्वस्थ एवं सुखी रहे और इस लक्ष्य पूर्त्ति के लिए बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकना आवश्यक है। इसी आवश्यकता ने भारत में परिवार-नियोजन को प्रश्रय दिया। सर्वप्रथम परिवार-नियोजन-चिकित्सालय (बर्थ-कंट्रोल-क्लिनिक) की स्थापना सन् १९२३ ई० में मैसूर की सरकार द्वारा की गई। उसके पश्चात् अखिल-भारतीय काँगरेस ने अपने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा देश में इस आन्दोलन के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के बाद बम्बई में डॉ० कर्वे एवं डॉ० पिल्ले आदि के अथक प्रयास से संतति-निरोध के हेतु कुछ कुटुम्ब-सुधार-केन्द्र खोले गये। जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब इस आन्दोलन को सरकारी स्तर पर और अधिक प्रश्रय मिला। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ३०० नगरों और २००० गाँवों में परिवार-नियोजन-केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों में दम्पतियों को संतति निरोध की सारी बातों की शिक्षा दी जाती है तथा उसके उपादान निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर वितरित किये जाते हैं। प्रायः १०० रु० से कम आमदनीवाले व्यक्ति को ये उपादान निःशुल्क दिये जाते हैं। १०० रु० से २०० रु० तक की

आमदनीवाले व्यक्ति को आधे मूल्य पर तथा २००) से ऊपर की आमदनी वाले को उचित मूल्य पर संतति-निरोधक औषधियाँ एवं अन्य उपादान दिये जाते हैं। इन केन्द्रों में 'सुरक्षित काल' की विधि भी बतलाने की व्यवस्था है।

संचालन एवं प्रशिक्षण—सम्पूर्ण भारत के परिवार-नियोजन-आन्दोलन का संचालन एक 'सेण्ट्रल फैमिली-प्लानिंग-बोर्ड' से होता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री हैं। इसकी शाखाएँ केरल एवं जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में अपना कार्य कर रही हैं। प्रत्येक राज्य-सरकार ने अपने स्वास्थ्य-निर्देशक के कार्यालय में एक 'स्टेट फैमिली प्लानिंग अफसर' की नियुक्ति की है। इस दिशा में विभिन्न कोटि के नागरिकों को उचित शिक्षा बम्बई, रामनगरम् (मैसूर) और कलकत्ता में दी जाती है। शिक्षण के सिलसिले में चिकित्सकों एवं समाजसेवियों को प्रमुखता दी जाती है। उक्त केन्द्र में शिक्षण के अतिरिक्त संतति-निरोधक औषधियों एवं तत्सम्बन्धी अन्य उपादानों पर अनुसंधान की भी व्यवस्था है। इस प्रकार का एक केन्द्र लखनऊ में भी है।

सरकारी अनुदान—अबतक ग्रामीण-क्षेत्रों में ६११ और नागरिक क्षेत्रों में ४२१ केन्द्र खोले गये हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के ५७१ और नागरिक क्षेत्रों के २६६ केन्द्र राज्य-सरकारों की सहायता से, ५२ नागरिक-केन्द्र 'लोकल-बडीज' के प्रयत्न से और ४० ग्रामीण तथा १०० नागरिक केन्द्र सामान्य जनता के प्रयास से खुले हैं। अबतक के खुले केन्द्रों के संचालन एवं नये केन्द्रों के खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् १६५८-५६ में १८.८३ लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

कार्यक्रम—प्लानिंग-कमीशन द्वारा प्रस्तुत परिवार-नियोजन का कार्यक्रम इस प्रकार है—(१) भारत की शीघ्रता से बढ़ती हुई जन-संख्या के वास्तविक कारणों को समुपस्थित करना, (२) परिवार-नियोजन के उचित साधनों का अनुसंधान करना एवं ऐसी व्यवस्था करना, जिससे उक्त साधनों का समुचित प्रचार हो, (३) परिवार-नियोजन-आन्दोलन को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य-केन्द्रों की सेवाओं का अभिन्न अंग बनाना, (४) संतति-निरोधक औषधियों एवं तत्संबंधी उपादानों के उत्पादन पर अनुसंधान करना, (५) सामान्य जनता को इस दिशा में शिक्षित करने की व्यवस्था करना।

भारत और अन्तर-राष्ट्रीय संगठन

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत-सरकार की गतिविधियों का संचालन संविधान के एक निर्देशक-तत्त्व में निहित आचरण के आदर्शों के अनुसार होता है। भारत-सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्तर-राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना में सक्रिय सहयोग दे, विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाये रखे, अन्तर-राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों की शर्त्तों के प्रति आदर की भावना का विकास करे तथा अन्तर-राष्ट्रीय झगड़ों को पंचनिर्णय द्वारा सुलझाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के कारण भारत राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र में निहित सिद्धान्तों का प्रबल समर्थक है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ भारत के सम्बन्ध-काल में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। इनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण घटना १९४८ में इस विश्वव्यापी संगठन द्वारा महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलियाँ अर्पित किये जाने की है। अन्य उल्लेखनीय घटनाओं में १९५० से १९५२ तक भारत के सुरक्षा-परिषद् के सदस्य-पद पर बने रहने, कोरिया में विराम-सन्धि तथा युद्ध-बन्दियों की समस्या के हल के लिए भारतीय योजना प्रस्तुत किये जाने, १९५३-५४ में भारत द्वारा कोरिया-सम्बन्धी 'तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी-आयोग' का अध्यक्ष-पद सँभाले जाने, १९५३ में श्रीमती विजय-लक्ष्मी पण्डित के संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षा चुने जाने, १९५५ में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में जेनेवा में आयोजित अन्तर-राष्ट्रीय (आणविक शक्ति का शान्ति के लिए उपयोग) सम्मेलन की अध्यक्षता किये जाने तथा १९५८ में लेबनॉन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना में भारत द्वारा सहयोग दिये जाने की घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

१९५८ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो भारतीय शिष्ट-मण्डल न्यूयार्क गया, उसका नेतृत्व श्री वी० के० कृष्णमेनन् ने किया।

राजनीतिक

१९५८ में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं की कार्यवाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

अल्जीरिया—स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन नहीं हुआ। अल्जीरियाई नेताओं ने काहिरा में एक अस्थायी सरकार स्थापित की है। भारत का अपने निज के अनुभव के आधार पर विचार यह है कि एक बार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् भूतपूर्व शासकों के साथ समानता तथा पारस्परिक आदर-भाव के आधार पर सहयोग करना सम्भव है। किन्तु, ऐसा सम्भव तभी होगा, जब दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करने के इच्छुक हों।

साइप्रस—भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल अपने इसी दृष्टिकोण पर दृढ़ रहा कि साइप्रस का प्रश्न एक औपनिवेशिक प्रश्न है और साइप्रस, साइप्रसवासियों का है। इसने साइप्रस-द्वीप के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया।

लेबनॉन—संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के अनुरोध पर तथा लेबनॉन सरकार की सहमति से भारत ने लेबनॉन के 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया। इस उद्देश्य से एक टुकड़ी लेबनॉन भेजी गई। श्रीराजेश्वरदयाल को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। यह दल सौंपा गया कार्य पूरा कर चुका है।

आणविक शक्ति-संस्थान—सितम्बर, १९५८ में वियना में हुए एक महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने आणविक शक्ति-संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक भारतीय वैज्ञानिक, संस्थान द्वारा रेडियो-सक्रिय आइसोटोपों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया-संहिता तैयार करने के लिए स्थापित एक विशेषज्ञ-समिति की कार्यवाही में भी भाग ले रहा है।

न्यासी तथा अस्वायत्तशासी क्षेत्र—भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ की 'अस्वायत्तशासी क्षेत्र-सूचना-समिति' का १९६१ तक के तीन वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। एक भारतीय प्रतिनिधि, पश्चिमी समोआ जानेवाले शिष्ट-मण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और दूसरा भारतीय प्रतिनिधि, १९५८ में पश्चिम अफ्रिका जानेवाले शिष्टमण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया।

'न्यासिता (ट्रस्टीशिप) परिषद्' के ८ वें विशेष अधिवेशन में फ्रांसीसी शासन में आनेवाले टोगोलैण्ड के भविष्य पर विचार किया गया और भारत तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा रखे गये प्रस्ताव स्वीकार किये गये। कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव, विशेष निधि, प्राविधिक सहायता-मण्डल तथा अन्य विशिष्ट संस्थानों से यह अनुरोध किया गया कि टोगोलैण्ड-सरकार द्वारा सहायता के लिए किये जानेवाले किसी भी अनुरोध पर तुरन्त और सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाय।

दक्षिण अफ्रिका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति—१९५८ में महासभा ने अपने विशेष राजनीतिक समिति के एक प्रस्ताव का भारी बहुमत से समर्थन किया। इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रिका-सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र तथा मानव-अधिकार-सम्बन्धी सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धान्तों तथा उद्देश्य के अनुरूप दक्षिण अफ्रिका-संघ में बसे भारतीय तथा पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के साथ समझौता-वार्त्ता करे। समझौता वार्त्ताओं की प्रगति के विषय में इन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा को प्रतिवेदन देना है।

कश्मीर—सुरक्षा-परिषद् के एक प्रस्ताव के अनुसार डॉ० फ्रैंक ग्राहम १९५८ के प्रारम्भ में भारत आये। उन्होंने सुरक्षा-परिषद् को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

सह-अस्तित्व—विशेष राजनीतिक समिति अर्जेण्टीना, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, घाना, चेकोस्लोवाकिया, बोलिविया, युगोस्लाविया तथा श्रीलंका के साथ मिलकर भारत द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप मिल जुलकर रहने और शान्तिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

निःशस्त्रीकरण—महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भारत ने १) जबतक कोई समझौता नहीं हो जाता, तबतक परमाणु-शस्त्रों का परीक्षण तुरन्त बन्द करने की माँग करते हुए एक प्रस्ताव तथा (२) आकस्मिक आक्रमणों के निवारण की सम्भावनाओं के विचारार्थ होनेवाले सम्मेलन पर हर्ष प्रकट करने का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष से उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव भी भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में निःशस्त्रीकरण-आयोग के विस्तार का सुझाव दिया गया था, जिससे संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य इस आयोग के सदस्य बन सकें।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्थाओं में निर्वाचन—भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघीय 'अल्पसंख्यक भेदभाव-निवारण तथा संरक्षण' उप-आयोग का संवाददाता निर्वाचित किया गया।

सामुद्रिक कानून-विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन—भारत के केन्द्रीय विधि-मन्त्री श्री ए० के० सेन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने १९५८ में जेनेवा में हुए 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानून-सम्मेलन' में भाग लिया। सम्मेलन में चार अभिसमय (कन्वेन्शन) और 'अनिवार्य विवाद-निपटान' विषयक एक वैकल्पिक हस्ताक्षर-व्यवस्था स्वीकार की गई।

अन्तर-राष्ट्रीय कानून-आयोग—इस आयोग पर अन्तर-राष्ट्रीय कानूनों का विकास करने का दायित्व है। महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिए निर्वाचित इसके २१ सदस्य अपनी-अपनी सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के रूप में अपनी व्यक्तिगत स्थिति में काम करते हैं। भारत के श्रीराधाविनोद पाल अप्रैल, १९५८ में जेनेवा में हुए इस आयोग के दसवें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

'एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार-समिति' के काहिरा में हुए दूसरे अधिवेशन में, इसमें भाग लेनेवाले देशों की सरकारों द्वारा सम्मति देने के लिए उपस्थित किये गये कई विषयों पर विचार किया गया। इन विषयों में कूटनीतिक सुविधाएँ, अपराधियों की वापसी के सिद्धान्त आदि जैसे विषय सम्मिलित थे। समिति ने 'अन्तर-राष्ट्रीय कानून-आयोग' के ९वें तथा १०वें अधिवेशनों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया।

आर्थिक तथा सामाजिक

१९४८ तथा १९५२ को छोड़कर भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ 'आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' का उसके प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत इस परिषद् के कई आयोगों का भी सदस्य बना रहा। १ मई, १९५७ को भारत 'प्राविधिक सहायता-समिति' का सदस्य

निर्वाचित हुआ। भारत को इस परिषद् के कई आयोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत ने जुलाई, १९५८ में जेनेवा में हुई इस परिषद् की बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए 'विशेष सं० रा० निधि' की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई।

एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग—एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग की 'अन्तर्देशीय परिवहन-समिति' ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को दिये अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की कि भारत में रेल-परिवहन में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक् 'रेल निरीक्षण-संगठन' स्थापित किया जाना चाहिए।

मार्च, १९५८ में कुआलालम्पुर में हुए इस आयोग के १४वें अधिवेशन में भारत, एक प्रारूप-समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ। यह समिति, जापान द्वारा आयोग के क्षेत्रीय सदस्यों में परस्पर व्यापार-वार्त्ता चलाने के लिए दिये गये सुझाव की जाँच के हेतु नियुक्त की गई थी। भारत के उद्योग-विभाग के केन्द्रीय राज्य-मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया।

एशिया तथा सुदूरपूर्व में कृषि-मूल्य तथा कृषि-आय स्थिर करने की नीति के विचारार्थ 'खाद्य तथा कृषि-संगठन' और एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग की, मार्च १९५८ में, नई दिल्ली में मिली-जुली बैठक हुई। २९ देशों के १०० से अधिक तेल-विशेषज्ञों ने दिसम्बर, १९५८ में नई दिल्ली में 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' द्वारा संगठित 'एशिया तथा सुदूरपूर्व पेट्रोल-संसाधन-विकास' विषयक विचार-गोष्ठी में भाग लिया।

खाद्य तथा कृषि-संगठन—'खाद्य तथा कृषि-संगठन' की एक अध्ययन-मण्डली ने मार्च, १९५८ में भारत-सरकार को दिये अपने प्रतिवेदन में आसाम की आभ्यन्तरिक जलमार्ग-प्रणाली के विकास की आवश्यकता पर बल दिया था। 'खाद्य तथा कृषि संगठन' का भारत में लकड़ी-उत्पादन से सम्बन्धित प्रतिवेदन अप्रैल, १९५८ में प्रकाशित हुआ। आन्ध्र-प्रदेश तथा मैसूर में 'मछुआ-प्रशिक्षण-केन्द्र' स्थापित करने के लिए 'खाद्य तथा कृषि-संगठन' के मछली-पालन-प्रशिक्षण-केन्द्र का एक विशेषज्ञ भारत आया। 'अन्तर-राष्ट्रीय सहकार-कार्यक्रम' के अधीन 'खाद्य तथा कृषि-संगठन' ने भारत में कलकत्ता दुग्ध-योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपकरणों की व्यवस्था करना स्वीकार किया और दो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मद्रास में स्कूल के बालक-बालिकाओं को पोषक तत्त्वयुक्त भोजन देने के सर्वेक्षण की एक योजना के लिए 'खाद्य तथा कृषि-संगठन' से १४,००० डालर का नकद अनुदान प्राप्त हो चुका है।

भारत ने जून, १९५८ में 'खाद्य तथा कृषि-संगठन' की 'मरुभूमि-टिड्डी-नियन्त्रण-समिति' के पाँचवें अधिवेशन में भाग लिया। अक्तूबर, १९५८ में टोकियो में हुए 'एशिया तथा सुदूरपूर्व खाद्य तथा कृषि-संगठन-सम्मेलन' में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय कृषि-मन्त्री ने किया।

अन्तर-राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक—३० सितम्बर, १६५८ तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए १ अरब, ५० करोड़, ३६ लाख रुपये के तथा निजी क्षेत्र के लिए ६१.०८ करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई। प्रथम योजना-काल में २८.६७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। द्वितीय योजना के लिए रखे गये शेष १ अरब, २१ करोड़, ४२ लाख रुपये में से ४३.२५ करोड़ रुपये ३० सितम्बर, १६५८ तक प्राप्त किये गये।

बैंक के संचालक-मण्डल (बोर्ड ऑफ् गवर्नर्स) की १३वीं वार्षिक बैठक अक्तूबर १६५८ में, नई दिल्ली में आरम्भ हुई। केन्द्रीय वित्त-मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया।

अन्तर-राष्ट्रीय वित्त-निगम—'अन्तर-राष्ट्रीय वित्त-निगम-अधिनियम, १६५८' द्वारा निगम को भारत में कई छूट तथा विशेषाधिकार दिये गये हैं। निगम के संचालक-मण्डल की वार्षिक बैठक अक्तूबर, १६५८ में, नई दिल्ली में हुई।

अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा-कोष—इस संगठन की तेरहवीं वार्षिक बैठक अक्तूबर, १६५८ में, नई दिल्ली में आरम्भ हुई। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त-मन्त्री ने किया। इस कोष के एशियाई विभाग के सह-निर्देशक (असिस्टेण्ट-डायरेक्टर) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल भारत की सामान्य आर्थिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से दिसम्बर १६५८ में भारत आया।

इस कोष की स्थापना होने के समय से दिसम्बर, १६५८ तक भारत इस कोष से ३० करोड़ डालर का क्रय कर चुका है, जिसमें से ६.६६ करोड़ डालर का फिर से क्रय किया गया। 'अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा-कोष' के करार की शर्तों के अनुसार भारत को ४० करोड़ डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा, रुपयों में वापस खरीदने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष कोष—संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस कोष के सम्बन्ध में हुई बहस के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा ने १५ अक्तूबर, १६५८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के द्वारा १ जनवरी, १६५६ से इस कोष की व्यवस्था की जाने लगी। इस कोष से अल्पविकसित देशों में प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक तथा व्यवस्थित सहायता दी जायगी। भारत इसकी प्रबन्ध-परिषद् में निर्वाचित हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य विशेष संस्थाएँ—अन्तर-राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन, अन्तर-राष्ट्रीय दूर-संचार-संघ, विश्व-डाक-संघ तथा विश्व-अन्तरिक्ष-विश्व-विज्ञान-संगठन के साथ भी भारत का सक्रिय रूप से सम्बन्ध है।

अन्य अन्तर-राष्ट्रीय संगठन

राष्ट्र-मण्डल—'राष्ट्रमण्डलीय व्यापार तथा अर्थ-सम्मेलन' सितम्बर, १६५८ में माण्ट्रियल (कनाडा) में हुआ। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त-मन्त्री ने किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डलीय देशों की अर्थ-व्यवस्था तथा व्यापार-विषयक महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया।

कोलम्बो-योजना—भारत ने १९५७-५८ में नेपाल को ७५ लाख रुपये की प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता दी। भारत ने ३७.५० करोड़ रुपये की लागत के त्रिशूली जलविद्युत्-योजना-कार्य के निर्माण में सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इस सहायता में त्रिशूली नदी पर पुल का निर्माण किया जाना भी सम्मिलित रहेगा।

कोलम्बो-योजना आरम्भ होने के समय से भारत प्राविधिक सहयोग-योजना के अन्तर्गत ८८६ व्यक्तियों को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ दे चुका है। २२० प्रशिक्षणार्थी इस वर्ष भारत आये। इनमें से १२६ प्रशिक्षणार्थियों ने कलकत्ता के 'अन्तरराष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा-केन्द्र' में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई प्रकार के विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं।

भारत को १६ जापानी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हुईं। आर्थिक विकास-कार्य-क्रम के अधीन भारत को अस्ट्रेलिया से १ करोड़ पौण्ड, कनाडा से १०.१० करोड़ डालर तथा न्यूजीलैण्ड से २० लाख पौण्ड प्राप्त हुए। नवम्बर, १९५८ में अमेरिका में हुई 'कोलम्बो-योजना-सलाहकार-समिति' की १०वीं बैठक में भारत की ओर से भारत के केन्द्रीय वित्त-उपमन्त्री ने भाग लिया।

राष्ट्रमण्डलीय संसदीय संघ—इस संस्था की कार्यपालिका परिषद् की बैठक लोकसभा के अध्यक्ष श्रीअनन्तशयनम आयंगर के सभापतित्व में जनवरी, १९५९ में बरमूडा में हुई।

अन्तरराष्ट्रीय कृषि-अर्थशास्त्र-सम्मेलन—इस संगठन का १०वाँ अधिवेशन २४ अगस्त, १९५८ को मैसूर में आरम्भ हुआ। इस ग्यारह-दिवसीय अधिवेशन में ५६ देशों के लगभग ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अन्तरराष्ट्रीय जूरी-आयोग—१९५२ ई० में स्थापित तथा १६ जून, १९५५ को नीदरलैण्ड के कानूनों के अधीन 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' के एक परामर्शदाता-संगठन के रूप में सम्बद्ध किये गये 'अन्तरराष्ट्रीय जूरी-आयोग' का सम्मेलन ५ जनवरी, १९५९ को नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।

अन्तरराष्ट्रीय वायु-परिवहन-संघ—'अन्तरराष्ट्रीय वायु-परिवहन-संघ' एक स्वेच्छिक तथा गैर-राजनीतिक विमान-संघ है, जिसके द्वारा विमान-सेवाओं ने अपने व्यक्तिगत परिवहन-मार्गों को एक साथ मिलाकर एक संगठित सार्वजनिक सेवा का रूप दे दिया है। इस संघ की चौदहवीं वार्षिक बृहद् बैठक २७ अक्तूबर, १९५८ को नई दिल्ली में आरम्भ हुई, जिसमें ५० देशों की ८६ विमान-सेवाओं के लगभग २५० प्रतिनिधियों तथा पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। एयर इण्डिया इण्टरनेशनल का अध्यक्ष इस संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ।

❀

भारत के प्रमुख पुस्तकालय

१. नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर, कलकत्ता-२७।
२. अमीरुद्दौला गवर्नमेण्ट पब्लिक लाइब्रेरी, केसरबाग, लखनऊ।
३. आसफिया स्टेट लाइब्रेरी, हैदराबाद।
४. बागबाजार रीडिङ्ग लाइब्रेरी, कलकत्ता।
५. बंगलोर पब्लिक लाइब्रेरी, बंगलोर (मैसूर)।
६. भारत इतिहास-संशोधन-मण्डल लाइब्रेरी, (सदाशिव पथ) पूना।
७. केन्द्रीय पुस्तकालय, बड़ौदा।
८. कनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, इगमोर, मद्रास।
९. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, क्वीन्स रोड, दिल्ली—६।
१०. गुथम लाइब्रेरी, मद्रास।
११. जामिया लाइब्रेरी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामियानगर, दिल्ली।
१२. जामिया निजामिस लाइब्रेरी, हैदराबाद।
१३. मद्रास लिटररी सोसाइटी लाइब्रेरी, मद्रास।
१४. मुम्बई मराठी ग्रन्थ-संग्रहालय, बम्बई।
१५. नेशनल आर्चिव्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
१६. अहमदाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, अहमदाबाद।
१७. नीलगिरि लाइब्रेरी, उटकमण्ड।
१८. राममोहन लाइब्रेरी, कलकत्ता।
१९. सेठ मानिकलाल जेठभाई लाइब्रेरी, अहमदाबाद।
२०. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पटना।
२१. राज-पुस्तकालय, दरभङ्गा।
२२. खुदाबख्श लाइब्रेरी, चौहट्टा, पटना।

बिहार

१. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टिट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पटना।
२. बिहार हितैषी पुस्तकालय, पटना।
३. महेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, महेन्द्रू, पटना—६.
४. खुदाबख्श खाँ लाइब्रेरी, चौहट्टा, पटना।
५. लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय, दरभङ्गा।
६. मन्नूलाल पुस्तकालय, गया।
७. म्युनिसिपल पुस्तकालय, टाउनहॉल, मुजफ्फरपुर।

८. नागरी प्रचारिणी सभा-पुस्तकालय, आरा।
९. सार्वजनिक पुस्तकालय, गया।
१०. चैतन्य पुस्तकालय, पटना सिटी।
११. सन्तूलाल पुस्तकालय, राँची।
१२. शारदा-सदन पुस्तकालय, लालगंज, मुजफ्फरपुर।
१३. सुहृद्-परिषद् ऐण्ड हेमचन्द्र ग्रन्थागार, लंगरटोली, बाँकीपुर, पटना–४.
१४. वराहमिहिराचार्य पुस्तकालय, पटना।
१५. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पुस्तकालय, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-भवन, पटना-३
१६. खान-भूगर्भ और धातुविज्ञान-संस्थान-पुस्तकालय, धनबाद।
१७. भगवान पुस्तकालय, भागलपुर।
१८. बिहार रिसर्च सोसाइटी पुस्तकालय, पटना।
१९. राज-पुस्तकालय, दरभङ्गा।
२०. श्रीकृष्ण सेवा-सदन पुस्तकालय, मुंगेर।
२१. पुरातत्त्व-पुस्तकालय, पटना।
२२. अमेरिकन इन्फॉरमेशन लाइब्रेरी, ब्रजकिशोर-पथ, पटना।
२३. सूचना-केन्द्र-पुस्तकालय, अनुग्रह नारायण पथ, कदमकुआँ, पटना–३।
२४. गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग, पटना।
२५. राज-पुस्तकालय, राजनगर (दरभङ्गा)।

बम्बई

केन्द्रीय पुस्तकालय

१. एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय, बम्बई।
२. केन्द्रीय पुस्तकालय, टाउन हॉल, बम्बई।

क्षेत्रीय पुस्तकालय

३. महाराष्ट्र क्षेत्रीय पुस्तकालय, गोखले हॉल, लक्ष्मी रोड, पूना–२
४. गुजरात क्षेत्रीय पुस्तकालय, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद–९

मण्डल–पुस्तकालय

५. मुम्बई मराठी ग्रन्थ-संग्रहालय, बम्बई–२
६. मराठी ग्रन्थ संग्रहालय, सरस्वती मन्दिर, थाना।
७. सार्वजनिक वाचनालय, अलीबाग, कोलाबा जिला।
८. रत्नागिरि नगर-वाचनालय, रत्नागिरि।
९. सार्वजनिक वाचनालय, नासिक।
१०. अहमदनगर वाचनालय, चितले रोड, अहमदनगर।
११. नगर-वाचनालय, सतारा शहर, उत्तर सतारा।
१२. हीराचन्द्र नेमचन्द वाचनालय, शोलापुर।

१३. वल्लभदास बालजी पुस्तकालय, जलगाँव, जिला – पूर्व खानदेश ।
१४. धोनदो शामराव गरुड़ पुस्तकालय, धुलिया (पश्चिम खानदेश) ।
१५. संगली नगर वाचनालय, संगली, जिला—दक्षिण सतारा ।
१६. करवीर नगरवाचन-मन्दिर, कोल्हापुर ।
१७. दही लक्ष्मी पुस्तकालय, नदियाड़, जिला – कैरा ।
१८. रायचन्द दीपचन्द पुस्तकालय, भड़ौच ।
१९. ऐण्ड्रूज पुस्तकालय और वाचनालय, चौक बाजार, सूरत ।
२०. विक्टोरिया जुबिली पुस्तकालय, पालनपुर, बनसकन्थ जिला ।
२१. हिम्मत पुस्तकालय, हिम्मतनगर, सबरकन्थ जिला ।
२२. अमरेली सार्वजनिक पुस्तकालय, सर्कवदा, अमरेली ।
२३. छगनलाल पीताम्बरदास पारीख सार्वजनिक पुस्तकालय, स्टेशन रोड, मेहसाना ।

तालुका और पेठ-पुस्तकालय

२४. खार स्थानीय एसोसिएशन का कमलाबाई बी० निमकर पुस्तकालय, स्टेशन रोड, बम्बई—२१
२५. अलबर्ट, एडवर्ड इन्स्टिट्यूट ऐण्ड लाइब्रेरी, पूना ।
२६. आप्टे वाचन-मन्दिर इचल करनजी, कोल्हापुर ।
२७. बलवाटरकी लौज लाइब्रेरी, फ्रेञ्च रोड, बम्बई ।
२८. काम्बे एजुकेशन सोसाइटीज सें० जे० जे० लाइब्रेरी, काम्बे (कैरा) ।
२९. द्वारका सार्वजनिक पुस्तकालय, द्वारका, ओखा-मण्डल (अमरेली) ।

उत्तर-प्रदेश

१. अमीरुद्दौला सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय, केसरबाग, लखनऊ ।
२. आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।
३. बृजमोहन चन्दल सार्वजनिक पुस्तकालय, पौरी, गढ़वाल ।
४. कारमाइकल पुस्तकालय, वाराणसी ।
५. देशबन्धु पुस्तकालय, मथुरा ।
६. गंगाप्रसाद वर्मा स्मारक पुस्तकालय, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ ।
७. गयाप्रसाद पुस्तकालय और वाचनालय, कानपुर ।
८. हिन्दी वाचनालय, इलाहाबाद ।
९. ल्याल पुस्तकालय और वाचनालय, टाउनहॉल, मेरठ ।
१०. महात्मा मुंशीराम सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय, देहरादून ।
११. प्रेम भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद ।
१२. सार्वजनिक पुस्तकालय, अलफ्रेड पार्क, इलाहाबाद ।
१३. सौलत सार्वजनिक पुस्तकालय, रामपुर ।
१४. श्री खोजवाँ आदर्श पुस्तकालय, खोजवाँ, वाराणसी ।
१५. तिलक-स्मारक पुस्तकालय, मसूरी ।

पश्चिम बंगाल

१. नेशनल लाइब्रेरी, वेलवेडियर, कलकत्ता-२७
२. बागबाजार वाचनालय पुस्तकालय, के० सी० घोष रोड, कलकत्ता-४
३. बाली साधारण ग्रन्थागार; जी० टी० रोड, बाली (हावड़ा)।
४. बंगीय साहित्य-परिषद्, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता—६
५. बँसबरिया सार्वजनिक पुस्तकालय, बँसबरिया, हुगली।
६. बन्त्र सार्वजनिक पुस्तकालय, लक्ष्मीनारायण चक्रवर्ती लेन, हावड़ा।
७. बड़तल्ला मुस्लिम पुस्तकालय, बड़तल्ला, २४ परगना।
८. बेलीघाट सांध्य-समिति-पुस्तकालय, १३ कालीतारा बोस लेन, कलकत्ता।
९. भद्रेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय, भद्रेश्वर बाजार, भद्रेश्वर, हुगली।
१०. भारती-परिषद् पुस्तकालय (कॉर्नवालिस यूनियन क्लब ऐण्ड लाइब्रेरी), आर० जी० कार रोड, श्याम बाजार, कलकत्ता—४
११. बी० आर० सेन सार्वजनिक पुस्तकालय, मालदा।
१२. चैतन्य पुस्तकालय और बीडन स्क्वायर लिटररी क्लब, ४/१ बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता—६
१३. चन्दरनगर पुस्तकागार, चन्दरनगर, हुगली।
१४. धकोरिया सार्वजनिक पुस्तकालय, धकोरिया, कलकत्ता।
१५. कोनागार सार्वजनिक पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय; ५३, जी० टी० रोड, पश्चिम कोनागार, हुगली।
१६. माधव स्मारक पुस्तकालय, हावड़ा रोड, सलकिया।
१७. माइकेल मधुसूदन पुस्तकालय, १७/१/२ मनस्वाला लेन, खिदिरपुर, कलकत्ता-२३
१८. मोहचरी सार्वजनिक पुस्तकालय, अण्डलमौरी, हावड़ा।
१९. राष्ट्रीय पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, २२/१ कॉर्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता—६
२०. राममोहन पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, २६७, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता—९
२१. संस्कृत साहित्य-परिषद्; १७, आर० जी० कार रोड, कलकत्ता।
२२. तिलक-पुस्तकालय, रानीगंज, बर्दवान।
२३. शान्तिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय, शान्तिपुर, नदिया।
२४. श्री महावीर पुस्तकालय, १०/ए, चितपुर रोड, कलकत्ता—७
२५. उत्तरपाड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय, ग्रैण्ड ट्रंक रोड, उत्तरपाड़ा, हुगली।
२६. अखिलभारतीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थान-पुस्तकालय, चित्तरञ्जन एवेन्यू, कलकत्ता।
२७. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पुस्तकालय, कलकत्ता।
२८. रामकृष्ण मिशन इन्स्टिट्यूट ऑफ कल्चर पुस्तकालय, कलकत्ता।

आसाम

१. आसाम सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय, शिलौङ्ग ।
२. कॉटन पुस्तकालय, धुब्री ।
३. गुर्जन हॉल, गौहाटी ।
४. हेम बरुआ पुस्तकालय, तेजपुर ।
५. कामरूप अनुसन्धान-समिति (आसाम अनुसन्धान सोसाइटी) पुस्तकालय, गौहाटी ।
६. कामरूप संस्कृत-संजीवनी पुस्तकालय, नलबारी (कामरूप) ।
७. विराज धार्मिक संस्थान-पुस्तकालय, डिब्रूगढ़ ।

मध्य-प्रदेश

१. अमरावती नगर-वाचनालय, अमरावती ।
२. बाबूजी देशमुख वाचनालय, ताजना पथ, अकोला ।
३. हिन्दू-धर्म-संस्कृत-मन्दिर, दन्तोली, नागपुर ।
४. लोकमान्य वाचनालय, अरवी (वर्धा) ।
५. महाराष्ट्र वाचनालय, तिलक-मन्दिर, श्रीनाथ की तलैय्या, गंगापुरा, जबलपुर ।
६. सार्वजनिक पुस्तकालय, टाउन हॉल, सागर ।
७. राजाराम सीताराम दीक्षित पुस्तकालय, सीताबुल्दी, नागपुर–१ ।
८. राष्ट्रीय वाचनालय, नागपुर ।
९. सदर मुस्लिम पुस्तकालय, सदर बाजार, नागपुर ।
१०. श्रीरामकृष्ण-आश्रम-पुस्तकालय, धनटोली, नागपुर ।
११. केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर ।
१२. इन्दौर सामान्य पुस्तकालय, कृष्णपुर, इन्दौर ।
१३. हमीदिया राज्य-पुस्तकालय, सुल्तानिया रोड, भोपाल ।

मद्रास

१. अद्यार पुस्तकालय, अद्यार, मद्रास–२०
२. कनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, इगमोर, मद्रास–८
३. धर्मपुरम् अधीनम् पुस्तकालय, मयूरम् ।
४. गनरवम मदुराई जिला-परिषद् भ्रमणशील पुस्तकालय, पेरियाकुलम् (मदुरा) ।
५. गोपालराव सार्वजनिक पुस्तकालय, कुम्भकोणम्, तंजोर ।
६. हिन्दी-प्रचार-पुस्तकालय, हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास–१७ ।
७. करन्थाई तमिल संगम पुस्तकालय, करुन्थमकुडी, तंजोर ।
८. मद्रास लिटरेरी सोसाइटी पुस्तकालय, नंगमबकम्, मद्रास ।
९. म्युनिसिपल पुस्तकालय एवं वाचनालय, अमलापुरम् ।

१०. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, तेनाली।

११. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, त्रिपुटी।

१२. नरेन्द्र ग्रन्थालयम्, गोवदा।

१३. नीलगिरि पुस्तकालय, उटकमण्ड, नीलगिरि।

१४. रामकृष्ण केन्द्रीय पुस्तकालय, मद्रास।

१५. साधु सेसय्या प्राच्य पुस्तकालय, कुम्भकोनम्, तंजोर।

१६. शारदा-पुस्तकालय, अनाकापल्ली।

१७. सरवेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी पुस्तकालय, रायपेठ।

१८. विक्टोरिया-एडवर्ड हॉल, वेस्टमैली स्ट्रीट, मदुरा।

१९. वाई० एम्० सी० ए० पुस्तकालय, मदुरा।

आन्ध्र

१. आन्ध्र ग्रन्थालयम्, कर्णूल।

२. हैदरी सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, निजामशाही रोड, हैदराबाद।

३. सईदिया पुस्तकालय,जामबाग, ट्रूप बाजार, हैदराबाद।

४. महाराजा गजपतिराव हिन्दू वाचनालय एवं पुस्तकालय, विशाख।

५. म्युनिसिपल निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय, गुंटूर।

६. नगरपालिका सार्वजनिक पुस्तकालय, कोल्कोकोड।

७. नेलोर प्रोग्रेसिव यूनियन निःशुल्क वाचनालय एवं पुस्तकालय, नेलोर

८. रमाबाला भक्त पुस्तक-भाण्डागारम्, राजामुंद्री।

९. रामकृष्ण-मठ पुस्तकालय, लंचीपुरम्।

१०. सारस्वत-निकेतनम्, सुब्रोइ महल, वेटापलम् (गुंटूर)।

११. श्रीभाषा संजीवनी संगम, अमृतालूर, तेनाली, गुंटूर।

१२. श्री ब्रह्मरम्बा मालेश्वर आन्ध्र-ग्रन्थालयम्, वेजवाड़ा।

१३. श्रीईश्वर-पुस्तक-भाण्डागारम्, रामरावपेठ, काकीनाड।

१४. श्रीगौतमी पुस्तकालय, राजामुंद्री (पूर्व-गोदावरी)।

१५. श्री के० आर० वी० के० पुस्तकालय, काकीनाड (पूर्व गोदावरी)।

१६. श्री एस्० वी० पुस्तकालय, पिथोपुरम् (पूर्व गोदावरी)।

१७. श्री मेलिदौला हनुमतरैय्या ग्रन्थालयम्, गांधीनगर, वेजवाड़ा (किस्तमा)।

१८. तंजोर महाराजा सरफोजी का 'सरस्वती-महल-पुस्तकालय', तंजोर।

१९. यंग मेन्स हिन्दू एसोसिएशन पुस्तकालय, एलोर (वेस्ट गोदावरी)।

त्रावणकोर-कोचीन

१. देशबन्धु पुस्तकालय एवं वाचनालय, इमोर, त्रिपद।
२. अर्नाकुलम् सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, अर्नाकुलम्।
३. ज्ञान प्रदायिनी पुस्तकालय एवं वाचनालय, कान्दीपुर, मान्दीकरा।
४. लालजी स्मारक वाचनालय एवं पुस्तकालय, करुनागपल्ली।
५. पी० के० स्मारक पुस्तकालय एवं वाचनालय, अम्बाला-पुजा।
६. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, त्रिचूर।
७. श्री चित्र तिरुमल पुस्तकालय एवं वाचनालय, वञ्चीपुरम्, त्रिवेन्द्रम्।
८. त्रिवेन्द्रम् सार्वजनिक पुस्तकालय, त्रिवेन्द्रम्।

गुजरात

१. वर्टन लाइब्रेरी, दीवान-पारा, भावनगर।
२. दयाराम निःशुल्क वाचनालय एवं पुस्तकालय, रणजीत रोड, जामनगर।
३. देसाई ननजी गोकुलजी एवं सेठ जेवरशाह हरजीवन पुस्तकालय, पोरबन्दर।
४. गवर्नमेंट लाइब्रेरी, जूनागढ़।
५. लैंङ्ग लाइब्रेरी, मेमोरियल इन्स्टिट्यूट बिल्डिंग, जुबिली गार्डेन, राजकोट।
६. श्रीलखजी राज-पुस्तकालय, राजकोट।
७. म्यूजियम लाइब्रेरी, राजकोट।
८. म्यूजियम लाइब्रेरी, जामनगर।
६. म्यूजियम लाइब्रेरी, जूनागढ़।

मैसूर

१. कृष्ण राजेन्द्र-मण्डल पुस्तकालय एवं वाचनालय, चितालगढ़।
२. सार्वजनिक पुस्तकालय, मैसूर।
३. सार्वजनिक पुस्तकालय, शेषाद्रि अय्यर स्मारक हॉल, चामराजा पार्क, बंगलोर।
४. कृष्ण-राजेन्द्र पुस्तकालय, तुडकुर।
५. सिल्वर जुबिली सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, चकबगलपुर।

उड़ीसा

१. जन-सम्पर्क-वाचनालय, देवगढ़ (बाम्रा)।
२. रघुनन्दन पुस्तकालय, एमर मठ, पुरी।
३. रामकृष्ण-मिशन-पुस्तकालय, पुरी।
४. श्रीरामचन्द्र पुस्तकालय, बारीपाड़ा।

पंजाब

१. केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रूर।
२. पटियाला यूनियन सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रूर।
३. राजेन्द्र विक्टोरिया डायमण्ड जुबिली सार्वजनिक पुस्तकालय, पटियाला।
४. हंसराज पुस्तकालय, अम्बाला।
५. पण्डित मोतीलाल नेहरू म्युनिसिपल सार्वजनिक पुस्तकालय, अमृतसर।

जम्मू एवं कश्मीर

१. श्रीप्रतापसिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, लालमंडी, श्रीनगर।
२. श्रीरणवीर पुस्तकालय, जम्मू।

राजस्थान

१. किङ्ग इम्परर पञ्चम जार्ज सिल्वर जुबिली पुस्तकालय, विकानेर।
२. महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर।
३. महिला-मण्डल-पुस्तकालय, उदयपुर।
४. राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय, एहरतपुर।
५. सुमर सार्वजनिक पुस्तकालय, जोधपुर।
६. अनूप संस्कृत पुस्तकालय, विकानेर (किला)।
७. बिड़ला केन्द्रीय पुस्तकालय, पिलानी।
८. अजमेर म्युनिसिपल सार्वजनिक पुस्तकालय, टाउन-हॉल, अजमेर।

मणिपुर

१. मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय, इम्फाल।

हिमाचल-प्रदेश

१. महिमा सरकारी पुस्तकालय, नाहन।
२. द्वारकादास पुस्तकालय, लाजपतराय-भवन, यू० एस० क्लब, शिमला-१
३. म्युनिसिपल केन्द्रीय पुस्तकालय, शिमला।
४. भारतीय संयुक्त सेवा-संस्थान पुस्तकालय, शिमला।

दिल्ली

१. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली।
२. मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय, चाँदनी चौक, दिल्ली।
३. जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय, जामियानगर।

❀

पर्व-त्यौहार

हिन्दू-पर्व

हिन्दूधर्म एक समन्वयात्मक धर्म है। इसमें एक ईश्वर की सत्ता सर्वमान्य है, जिसके प्रतिपादक वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि हैं। एकेश्वर सिद्धान्त की मान्यता रहने पर भी धर्म की परिभाषा और मान्यता में इतनी स्वतन्त्रता है कि उपास्य देवों और प्रतिपादक ग्रन्थों का बाहुल्य हो गया। वस्तुतः, हिन्दूधर्म जीवन की विस्तृत परिभाषा का कार्यक्षेत्र है, अतएव इसमें अनेक विविधताएँ हैं। इसमें विभिन्न सम्प्रदायों, अनेक उपास्य देवों और विविध रीति-रस्मों के कारण पर्वों और त्यौहारों की भी बहुलता हो गई है। वर्ष के बारहो महीनों में कोई ऐसा मास या पक्ष नहीं है जबकि दो-चार पर्व त्यौहार न आते हों। इन पर्वों में कुछ तो सार्वदेशिक और सार्वसाम्प्रदायिक होते हैं और कुछ प्रान्तीय स्थानीय या तत्तत् सम्प्रदायों से संबंद्ध। सार्वदेशिक पर्व ऐसे हैं, जो भारत के इस विशाल प्रांगण में सर्वत्र एक साथ मनाये जाते हैं और इनसे संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता और एक राष्ट्रीयता झलकती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध सार्वदेशिक एवं प्रान्तीय पर्वों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं।

रामनवमी—यह पर्व चैत्र-शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था। इस दिन प्रायः १२ बजे दिन तक उपवास रखकर लोग पूजा-पाठ करते हैं और मध्याह्न में राम-जन्मोत्सव मनाकर विशेष पक्वान्न आदि खाते हैं। यह पर्व सामान्यतः हिन्दू-मात्र में और विशेषतः वैष्णव सम्प्रदायों में प्रचलित है।

बिहार-राज्य में इस दिन मंदिर या आँगन में या किसी पवित्र स्थान पर ध्वजा गाड़ने की भी प्रथा है। इस ध्वजा पर महावीर हनुमान् की आकृति चित्रित रहती है।

शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासन्तिक नवरात्र भी मनाया जाता है। इसमें कहीं दुर्गा की पूजा तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ और कहीं भगवान् राम की पूजा तथा रामायणादि का पाठ होता है।

मेष-संक्रान्ति—इसे बिहार प्रदेश में सतुआनी, सतुआ-संक्रान्ति, या सिरुआ-बिसुआ तथा उत्तरप्रदेश में विश्वा और पंजाब में वैशाखी कहते हैं। पंजाब तथा पश्चिमी प्रदेशों में एवं बंगाल और नैपाल में इसी दिन से नववर्षारम्भ मानते हैं।

उत्तर-भारत में इस पर्व का पूरा प्रचलन है। इस दिन नवान्न-भक्षण का उत्सव मनाया जाता है। नये जौ-चने का सत्तू, आम आदि मौसमी फल, पंखा और नये घड़ों का दान एवं अपने घरों में इनका स्वयं प्रयोग किया जाता है। पूर्वी प्रदेशों में यह घर-घर में

मनाया जाता है। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका सामाजिक रूप है और इस दिन प्याउ पर पानी-शरबत और फल आदि से लोगों का आदर-सत्कार किया जाता है।

महावीर-जयन्ती—जैन-तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ था। ये अन्तिम जैन-तीर्थंकर माने जाते हैं। चैत्र-शुक्ल द्वादशी को जैनी लोग सर्वत्र इनकी जयन्ती धूमधाम से मनाया करते हैं। इसी अवसर पर उनकी जन्मभूमि वैशाली (मुजफ्फरपुर) में प्रतिवर्ष बृहत् समारोह का आयोजन होता है।

वैशाख-पूर्णिमा—वैशाख-पूर्णिमा को आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व और ईसा से ५६३ वर्ष पहले भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। बौद्ध-सम्प्रदाय में इस दिन महान् उत्सव होता है। श्रीलंका, बर्मा, थाइलैंड आदि बौद्ध देशों में यह राष्ट्रीय पर्व है। १९५६ के बाद इस पर्व को भारत-सरकार ने अखिलभारतीय स्तर का घोषित कर इस दिन को अवकाश का दिन निर्धारित कर दिया है।

गंगा-दशहरा—ज्येष्ठ-शुक्ल दशमी के दिन गंगा-जन्मोत्सव और गंगा-दशहरा-पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगास्नान तथा गंगापूजा सामूहिक और वैयक्तिक रूप से की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से गंगा नदी में पानी बढ़ने लगता है।

नाग-पंचमी—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पंचमी तिथि को पड़ता है। इस दिन उत्तर भारत के प्रायः सभी राज्यों में नाग की पूजा होती है और उन्हें दूध-लावा या अन्य वस्तुएँ चढ़ाई जाती हैं। घरों में गोबर और चूना की रेखा खींची जाती है और मुँह पर गोबर पर चूना, सिंदूर आदि डाला जाता है।

वाराणसी में प्रचलित रीति के अनुसार इस दिन नाग के चित्रों की खरीद-बिक्री होती है और सुबह से ही बच्चे नाग-चित्रों को गली-गली में घूमकर बेचा करते हैं। काशी के पंडित उस दिन अपराह्न में नागकूप पर एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते हैं। उनके बीच यह बात प्रसिद्ध है कि यह दिन व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्मृति का दिन है। यह प्राचीन काल की नाग-पूजा की स्मृति का अवशेष-मात्र है।

रक्षा-बन्धन—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। इसे राखी-पर्व भी कहते हैं। इसका महत्त्व उत्तर-भारत के सभी राज्यों में है। इस दिन पुरोहित राखी के सूत्र लेकर घर-घर जाते हैं तथा लोगों को बाँधते हैं और उसके बदले में दक्षिणा पाते हैं।

पश्चिमी प्रदेशों में यह भाई-बहन का पर्व है और बहनें अपने भाइयों को राखी बाँधा करती हैं। यदि भाई कहीं दूर हो तो राखी डाक द्वारा भेजी जाती है। इसके बदले में भाई अपनी बहन को यथाशक्ति पुरस्कार देता है। प्रवाद है कि मुगलों के समय में बहुत सी हिन्दू ललनाओं ने भाई मानकर मुसलमानों को राखी बाँधी थी और उन मुस्लिम भाइयों ने अपनी हिन्दू बहनों की रक्षा की थी।

प्राचीन समय में इस दिन उपाकर्म-विधि होती थी और आचार्य अपने शिष्यों को वेदों का पढ़ाना आरम्भ करते थे। सम्भव है, उसी का यह स्मृति-शेष हो।

कृष्णाष्टमी—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है और प्रायः सम्पूर्ण भारत में भाद्र-कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आज से ५००० वर्ष पूर्व इसी तिथि को वसुदेव के घर भगवान् कृष्ण का अवतार हुआ था। हिन्दू-समाज में इनकी पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होती है। कुछ लोग इन्हें ईश्वर का अवतार ही मानते हैं।

इस दिन-दिन भर उपवास रखा जाता है और १२ बजे रात्रि में चन्द्रोदय के समय लोग भगवान् कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं और मूर्त्ति को झूला पर झुलाते हैं। मथुरा और वृन्दावन में इसका सर्वाधिक महत्त्व है।

हरितालिका-व्रत—यह भादो-शुक्ल तृतीया को पड़ता है। इसे 'तीज' भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियाँ व्रत-उपवास करके पति के मंगलार्थ शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। स्त्रियों का यह एक महत्त्वपूर्ण पर्व है और सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे जीवन-भर निभाती हैं।

अनन्त चतुर्दशी—यह भादो-शुक्ल-चतुर्दशी के दिन पड़ता है। इस दिन मध्याह्न तक उपवास करके अनन्त भगवान् (विष्णु) की पूजा की जाती है और किसी पात्र में दूध रखकर उसमें क्षीर-सागर की कल्पना करके अनन्त-सूत्र की खोज की जाती है। पश्चात् वही अनन्त-सूत्र बाँह में पहना जाता है। यह पर्व भी उत्तर-भारत का है और न्यूनाधिक रूप में सभी प्रदेशों में मनाया जाता है। अनन्त-व्रत की कथा और पूजा कहीं व्यक्तिगत और कहीं-कहीं सामूहिक रूप में होती है।

गणेश-चतुर्थी—यह भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को पड़ती है। महाराष्ट्र में इसे गणेश या गणपति-चतुर्थी कहते हैं और उत्तर-भारत में 'चौथचन्दा' या 'चौकचन्दा'।

महाराष्ट्र में यह एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन गणेश की प्रतिमा की स्थापना और पूजा की जाती है। गणेश-मन्दिरों में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और बड़े प्रदर्शन के साथ मूर्त्ति का विसर्जन होता है।

उत्तर-भारत में इस दिन शाम को स्त्रियाँ चन्द्रमा को अर्घदान दे फल-मिष्टान्न से पूजा करती हैं। इस दिन के विषय में श्रीकृष्ण और स्यमनाक मणि की कथा कही जाती है। लोगों का विश्वास है कि इस दिन चाँद को देखने से अकारण ही दोषों का आरोप होता है। कहीं-कहीं लोग गालियाँ सुनने के लिए किसी के छप्पर आदि पर कुछ फेंक दिया करते हैं। माना जाता है कि गालियों से दोष का निवारण हो जाता है।

बिहार और उत्तर-प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के अन्दर लड़के गणेश की पूजा करके डंटा खेलते हैं और शिक्षक लड़कों को लेकर घर-घर जाते हैं तथा लड़कों को खेलाकर अभिभावकों से कुछ दक्षिणा पाते हैं।

महालय—यह आश्विन के कृष्ण-पक्ष में पड़ता है और पूरे एक पक्ष तक लोग इसे मनाते हैं। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध-पक्ष भी कहते हैं। १५ दिनों के अन्दर प्रतिदिन या कभी एक दिन भी प्रायः सभी हिन्दू गृहस्थ अपने मृत पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। एक पक्ष-भर गया में एक बड़ा मेला लगा रहता है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों से हिन्दू लोग यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध

और तर्पण करते हैं। विश्वास है कि यदि मृत पितरों का गया-श्राद्ध नहीं होता है, तो उन्हें मुक्ति या स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती है। अतः प्रत्येक हिन्दू चाहता है कि वह पितरों का गया जाकर श्राद्ध करे।

जीवत्पुत्रिका—इसे लोकभाषा में 'जिउतिया' या 'जितिया' कहते हैं। यह स्त्रियों का पर्व है। इस दिन स्त्रियाँ अपनी संतान के कुशल-क्षेम के लिए उपवास रखती हैं और जीमूतवाहन की कथा कहती-सुनती हैं। प्रायः सभी संतानवती नारियाँ इस व्रत को अनिवार्य रूप से किया करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गहरी विपत्ति से बच जाता है तो कहा जाता है कि माँ ने 'खर-जिउतिया' किया था। अर्थात् कुच्छ्र जीवत्पुत्रिका-व्रत के करने से ही उस व्यक्ति की जान बची। स्त्रियों में इस व्रत पर्व का बहुत बड़ा महत्त्व और प्रतिष्ठा है।

दशहरा—इसे नवरात्र, दुर्गापूजा या केवल पूजा भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व आश्विन-शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक मनाया जाता है। अष्टमी, नवमी और दशमी—ये तीन दिन अधिक महत्त्व और चहल-पहल के दिन होते हैं। पंडित लोग सर्वत्र इन दिनों महासरस्वती की प्रतिष्ठा और पूजा करते हैं। पुस्तकों की भी पूजा होती है और तीन दिनों तक पूर्ण अनध्याय करके वे 'सरस्वती-शयन' मनाया करते हैं। यह सरस्वती-शयन भारत के दक्षिणी और उत्तरी दोनों भागों में मनाया जाता है। मन्त्र-सिद्धि करनेवाले तान्त्रिक इन नौ दिनों में अपने-अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए जप आदि किया करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की मूर्त्ति का विसर्जन, सीमान्त-गमन, नीलकंठ-दर्शन और शमी-पूजन होता है। पहले राजे-महाराजों के दरबार में इस दिन सैन्य प्रदर्शन और अस्त्र-शस्त्र-प्रदर्शन हुआ करता था एवं राजा लोग प्रदर्शनपूर्वक सैनिकों के साथ निकला करते थे। इस प्रकार का प्रदर्शन यद्यपि सभी राजकुलों में होता था, किंतु मैसूर-राज्य का प्रदर्शन भारत-भर में प्रसिद्ध था।

पूरे नवरात्र का महत्त्व बंगाल, आसाम, उड़ीसा और विहार में बहुत अधिक है। टोलों-महल्लों और गाँवों में मूर्त्ति की प्रतिष्ठा, पूजा और बलि धूम-धाम से होती है। मूर्त्ति प्रायः महिषासुरमर्दिनी वीरवेश देवी दुर्गा की बनती है, जिसमें भैंसे के आधे शरीर के साथ ढाल तलवार लिए महिषासुर की भी मूर्त्ति होती है। साथ में नौ दुर्गाएँ भी होती हैं और कार्त्तिक, गणेश आदि भी रहते हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में दशमी के दिन रावण, कुम्भकरण और मेघनाद की मूर्त्तियाँ बनाकर उनमें आग लगाई जाती है।

इस अवसर पर सर्वत्र रामलीला की जाती है। किंतु वाराणसी के रामनगर की रामलीला अति प्रसिद्ध है। यह एक अखिलभारतीय उत्सव होता है, जिसमें साधु-संत और दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ एकत्र होती है।

भरत-मिलाप—यह आश्विन-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। चूँकि दशमी को रावण-वध होता है, अतः एकादशी के दिन राम वन से लौटकर आते हैं और शृंगवेरपुर में भरत से मिलते हैं। इसी उपलक्ष्य में इस दिन भरत-मिलाप का दृश्य दिखाया

जाता है। यह हर्षोल्लास और समारोह के साथ मनाया जाता है और पूर्व से चली आ रही रामलीला की इस दिन समाप्ति हो जाती है।

काशी-नरेश की ओर से होनेवाले 'नाटी इमली' (वाराणसी) का भरत-मिलाप भारत-प्रसिद्ध है। रामलीला मैदान, दिल्ली का भरत-मिलाप भी बहुत प्रसिद्ध है।

कौमुदी-महोत्सव—यह एक प्राचीनकालीन महोत्सव है, किंतु अब इसे लोग भूल-से गये हैं। फिर भी साहित्यिक-समाज इसको पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है। स्थान-स्थान पर इसे समारोहपूर्वक मनाने का आयोजन किया जा रहा है। यह आश्विन-शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन रात्रि को चाँदनी में पायस आदि बनाकर रखा जाता है, मूर्त्ति को चाँदनी में झुलाया जाता है और बारह बजे रात्रि में भोग-राग लगाकर प्रसाद-वितरण होता है।

दीवाली—यह पर्व कार्त्तिक-अमावस को पड़ता है। इस दिन प्राय: सम्पूर्ण भारत में घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-पूजा होती है और दीपोत्सव मनाया जाता है। व्यापारी इस दिन अपने वही-खातों को बदलकर नये वर्ष का हिसाब शुरू करते हैं। व्यापारी-वर्ग के लिए यह पर्व विशेष महत्त्वपूर्ण है। दीपावली की रात में बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में लोग सन की संठियों में आग लगाकर 'हुक्का-पाँती' खेलते हैं। 'हुक्का-पाँती' शब्द 'उल्कापंक्ति' का अपभ्रंश है।

जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लंका-विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दीवाली मनाई जाती है।

इसके पूर्व त्रयोदशी तिथि को धन्वन्तरि-जयन्ती और चतुर्दशी को नरक-चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था।

दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन-पूजा और अन्नकूट-उत्सव होता है। बिहार में इस दिन मवेशियों को साज सँवारकर पशु-क्रीड़ा का उत्सव मनाया जाता है।

भ्रातृ-द्वितीया—इसे 'भैया-दूज' भी कहते हैं। यह कार्त्तिक-शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। यह भाई-बहन का त्यौहार है। इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर मिष्टान्न खिलाती है और भाई उसे पारितोषिक देता है। इसका प्रचलन उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अधिक है। कहा जाता है कि इसी दिन यमी ने अपने भाई यम की पूजा-प्रतिष्ठा की थी और तभी से यह पर्व चालू है। राजस्थान में इसे 'टिक्का' कहते हैं।

चित्रगुप्त-पूजा – कार्त्तिक-शुक्ल द्वितीया को ही चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन दावात-कलम की भी पूजा होती है; इसलिए इसे दावात-पूजा भी कहते हैं। इस पर्व का प्रचलन कायस्थ-जाति में ही है।

अक्षय नवमी– कार्त्तिक-शुक्ल नवमी के दिन आँवले के पेड़ के नीचे भोजन, धातृफल और कूष्मांड आदि का गुप्तदान एवं भोजन इस पर्व की मुख्य प्रक्रियाएँ हैं। यह प्रथा अब कम होती जा रही है।

छठ—कार्त्तिक-शुक्ल षष्ठी को सूर्य-व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का बहुत कठिन व्रत है। बिहार में तथा उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका प्रचलन बहुत है। यहाँ चैत में भी छठ-व्रत किया जाता है।

देवोत्थान—यह कार्त्तिक-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। समझा जाता है कि इस दिन भगवान् विष्णु चार मास शयन के पश्चात् जगते हैं। अतः उनके उठने के दिन देवोत्थान-पर्व मनाया जाता है।

बिहार में इस दिन सायंकाल ऊख, नया गुड़ एवं रस, सुथनी, शकरकंद आदि से भगवान की पूजा की जाती है और अर्घ दिया जाता है। इसी दिन से ऊख का चूसना तथा गुड़ आदि का बनाना प्रारंभ होता है।

इससे चार मास पूर्व आषाढ़-शुक्ल एकादशी को मन्दिरों में हरिशयनी व्रतोत्सव मनाते हैं। साधु लोग हरिशयनी से लेकर देवोत्थान तक चातुर्मास्य मनाते हैं और इस अवधि में वे कहीं एक ही स्थान में रहते हैं।

गोपाष्टमी—गोपाष्टमी कार्त्तिक-शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय-बैलों को नहला-धुलाकर और तेल-सिंदूर आदि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है तथा उत्सव मनाया जाता है। पिंजरापोलों और गोशालाओं में यह उत्सव विशेष धूमधाम से होता है। मथुरा-वृन्दावन का यह विशिष्ट त्यौहार है।

कार्त्तिक-पूर्णिमा—इस दिन जगह-जगह गंगा-स्नान और दान होता है। बिहार में इसका विशेष महत्त्व है। इसी दिन सोनपुर का संसार-प्रसिद्ध मेला लगता है और हरिहरनाथ महादेव की पूजा होती है।

विवाह-पंचमी—अगहन-शुक्ल पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसका प्रचलन मिथिला और अयोध्या के वैष्णवों में अधिक है। जनकपुर में इस समय मेला लगता है और पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। कहते हैं, इसी दिन भगवान् राम और महारानी सीता का विवाह-संस्कार हुआ था।

तिला संक्रान्ति—तिला संक्रान्ति या मकर संक्रान्ति दोनों एक ही हैं। चूँकि मकर संक्रान्ति के दिन तिलदान, तिलस्नान और तिल-भोजन शुभ माना जाता है, इसलिए इसे तिला संक्रान्ति भी कहते हैं। यह पूस-माघ महीने में १३ या १४ जनवरी को पड़ता है। प्रयाग में प्रायः एक मास के लिए भारत के विभिन्न भागों के लोग आकर रहते हैं और संगम पर स्नान-दान किया करते हैं।

कुम्भ-पर्व—यह माघ महीने में होता है। हर छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ और बारहवें वर्ष कुम्भ या महाकुम्भ-पर्व होता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इस अवसर पर बड़े मेले लगते हैं और लाखों हिन्दू आकर स्नान करते हैं। मेला एक महीने तक लगा रहता है।

सरस्वती-पूजा—सरस्वती-पूजा या वसन्त-पंचमी माघ-शुक्ल पंचमी को पड़ती है। इसमें सरस्वती-पूजा, बालकों का अक्षर ग्रहण, नवीन हल-कर्षण आदि कार्य किये

जाते हैं। बंगाल-बिहार में इस पर्व के दिन सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन और विसर्जन करते हैं। पंजाब में इस दिन पीला हलुआ आदि खाने, पीले वस्त्र पहनने और पीली गुड्डी उड़ाने का अधिक प्रचलन है। वसंत का आरंभ इसी दिन से माना जाता है।

माघी पूर्णिमा—कार्त्तिक-पूर्णिमा की तरह माघ की पूर्णिमा भी पवित्र पर्व मानी जाती है और इस दिन सर्वत्र तीर्थों में स्नान-दान किया जाता है। प्रयाग, वाराणसी और हरिद्वार में इसका विशेष उत्सव होता है।

शिवरात्रि—यह पर्व फाल्गुन-कृष्ण त्रयोदशी को पड़ता है। यह भगवान् शिव और पार्वती का विवाह-दिन समझा जाता है। पशुपतिनाथ (काठमांडू, नेपाल), विश्वनाथ (काशी), वैद्यनाथ (देवघर), महाकालेश्वर (उज्जैन) आदि प्रधान शिव-मंदिरों में धूमधाम से पूजन आदि होते हैं।

होली—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है। यह फाल्गुन-पूर्णिमा को पड़ती है और प्रायः लगातार तीन दिनों तक इसका उत्सव होता रहता है। यह एक राष्ट्रीय एवं उत्साह-उमंग का पर्व है। इस दिन छूटकर लोग एक-दूसरे पर रंग-अबीर डालते हैं और पक्वान्न-मिष्टान्न खाते-पीते हैं।

होलिका-दहन पूर्णिमा की रात्रि के अंतिम प्रहर में होता है। इसे उत्तरी भारत में 'संवत् जलाना' भी कहते हैं। होलिका-दहन के पश्चात् रजोत्सव (धुड़खेल) प्रारम्भ होता है। कहीं होली जलाने के एक दिन बाद धूलिवंदन और रंग-अबीर-क्रीड़ा होती है और कहीं एक दिन पहले से ही।

यह पर्व वसन्त और शस्य दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही, उत्तर भारत में प्रचलित वर्ष-गणना के अनुसार वर्षान्त होने के कारण भी यह वर्षान्त-पर्व है।

मुस्लिम-पर्व

ईद—इसे 'रमजान की ईद' या 'इदुलफितर' कहते हैं। यह रमजान महीने के अंत होने पर दूज के चाँद के दर्शन के बाद मनाई जाती है। इस दिन सभी मुसलमान प्रायः नये-नये कपड़े पहनकर मस्जिद में या किसी बड़े मैदान में एकत्र होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। इस दिन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है।

बकरीद—इसे 'इदुज्जोहा' भी कहते हैं। यह अब्राहम के बलिदान की स्मृति में मनाई जाती है। कहते हैं कि अब्राहम को ईश्वर की आज्ञा हुई कि वह अपने पुत्र इस्माइल का बलिदान कर दे। उसने ऐसा ही किया। किंतु जब ऊपर से चादर हटाई गई तो इस्माइल जीवित निकला और उसकी जगह पर एक कटी भेंड़ पाई गई। मुसलमान इस पर्व के दिन भेड़ों और बकरों की कुर्बानी करते हैं।

मुहर्रम—यह मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे केवल शिया मुसलमान मनाते हैं। यह मुहम्मद साहब के नाती हसन इमाम साहब के बलिदान की स्मृति में १० दिनों तक मनाया जाता है। हसन इमाम अपने को पैगम्बर साहब का उत्तराधिकारी बताते थे, जबकि दूसरी ओर मजीद खलीफा बना दिये गये थे। इसी बात पर वहाँ युद्ध छिड़ गया और दोनों दल की सेना दमिश्क के कर्बला नामक मैदान में जुटी। घनघोर युद्ध के बाद हसन साहब की पराजय हुई और वे सपरिवार मारे गये। उन्होंने अंतिम समय में पानी के बिना तड़प-तड़पकर अपने प्राण छोड़े। तभी से उनकी स्मृति में यह बलिदान-दिवस मनाया जाता है। प्रतीक के रूप में मुसलमान ताजिया निकालते हैं, जिसे प्रदर्शन के बाद एक निश्चित स्थान में दफना दिया जाता है।

चेहल्लुम—मुहर्रम के ४०वें दिन सफर महीने की २०वीं तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है। इस अवसर पर भी मुसलमान ताजिया निकालते हैं और उसे दफनाते हैं।

शबे-बरात—यह शाबान की १६वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस रात सभी मनुष्यों के कर्मों की जाँच-पड़ताल होती है और उनके कर्मानुसार उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है। इस दिन आतिशबाजी आदि की जाती है और खुशियाँ मनाई जाती हैं।

आखिरी चहार शुम्भा—सफर के बुधवार को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन पैगम्बर साहब अंतिम रोग-शय्या पर पड़े-पड़े थोड़ा स्वस्थ हो गये थे। यह उसी की स्मृति का पर्व है।

बारा-वफात—इसे ईदे मिलाद भी कहते हैं। रबी-उल-अव्वल महीने की १२वीं तारीख को यह पर्व पड़ता है। पैगम्बर साहब (५७० ई० से ६३२) के पवित्र जन्म और मृत्यु की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है।

ईसाई-पर्व

नव वर्ष-दिवस—पहली जनवरी को ईसवी-सन् का नव वर्ष-दिवस मनाया जाता है।

कैंडलपास दिवस—यह २ फरवरी को होता है। इसे कुमारी मेरी की पवित्रता की स्मृति में मनाते हैं। रोमन कैथोलिकों के चर्चों में यह एकान्त रूप से मनाया जाता है।

ईस्टर—यह ईसाइयों का प्रधान पर्व है। इस समय ईसामसीह पुनरुज्जीवित हुए थे। यह २२ मार्च और २५ अप्रैल के बीच पड़ता है।

गुड-फ्राइडे—ईस्टर के रविवार के ठीक पहले पड़नेवाले शुक्रवार को यह पर्व मनाया जाता है।

फूल्स डे—यह पहली अप्रैल को पड़ता है। इस दिन ईसाई एक दूसरे से हँसी-मजाक करते हैं और एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह वसन्त का पर्व है। आजकल भारत में दूसरे लोगों में भी यह प्रचलित हो गया है।

क्रिसमस-दिवस—यह ईसामसीह के जन्म-दिवस से संबद्ध पर्व है। यह दिसम्बर की २५वीं तारीख को पड़ता है। ईसाइयों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। इस दिन लोग उत्सव करते हैं, उपहार और बधाइयाँ दी जाती हैं।

राष्ट्रीय पर्व

गणतन्त्र-दिवस—२६ जनवरी (१६२६ ई०) को लाहौर के काँगरेस-अधिवेशन में 'पूर्ण स्वतन्त्रता' का प्रस्ताव पास किया गया था और स्वतन्त्र होने के पहले इस दिन 'स्वतन्त्रता-दिवस' का समारोह मनाया जाता था। किंतु १६५० ई० की २६ जनवरी को नवीन संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता-प्राप्त जनतन्त्र की प्रतिष्ठा की घोषणा की गई। तब से यह तिथि जनतन्त्र-दिवस या गणतन्त्र-दिवस के रूप में मनाई जाने लगी है।

स्वतन्त्रता-दिवस--१५ अगस्त (१६४७ ई०) को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ और यहाँ प्रभुसत्ता प्राप्त प्रजातन्त्र स्थापित किया गया। तब से इस दिन भारत के प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता-दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्वतन्त्रता-संघर्ष में शहीद हुए व्यक्तियों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की जाती है। यह भी राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन सर्वत्र छुट्टी रहती है।

प्रान्तीय पर्व

कश्मीर

शिवरात्रि—कश्मीरी लोग शिवरात्रि को 'हेरथ' कहते हैं। इस दिन शिव पार्वती के विवाहोत्सव का समारोह होता है।

नौ-रोज—चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा के दिन का 'नववर्ष का उत्सव' यहाँ नौ-रोज कहलाता है।

किच्छ मावस—पूस महीने में होनेवाला यह कुत्तों का एक उत्सव है, जबकि लोग कुत्ते को माला आदि पहनाकर उनका स्वागत-सत्कार करते हैं। कश्मीरियों का विश्वास है कि इस दिन यक्ष अदृश्य रूप से कुत्ते आदि के रूप में घूमते हैं। यक्ष के सिर पर केवल एक सफेद टोपी देखी जा सकती है और जो इस टोपी को पा जाता है, वह यक्ष को अपने वश में कर लेता है और उससे जो चाहे, करा सकता है। इस दिन छप्पर पर स्वादिष्ठ खिचड़ी का थाल रखा जाता है और समझा जाता है कि यक्ष आकर इसे खा लेगा।

पंजाब

लोरी—इसे लोहरी या 'लोरी' कहते हैं। यह पर्व माघ में मकर-संक्रान्ति के अवसर पर होता है। रात्रि में बड़ा घूर या कौरा जलाया जाता है और उसके चारों ओर लोग बैठकर लोक-गीत गाते हैं तथा उसमें नवीन अन्न, ईख आदि छोड़ते हैं। यह एक हेमन्तोत्सव है।

वैशाखी—१६६६ ई० में मेष-संक्रान्ति के दिन गुरु गोविंदसिंह ने 'खालसा-पंथ' की स्थापना आनन्दपुर में की थी और तब से सिक्खों के बीच इस दिन का महत्त्व बढ़

गया है। इस दिन प्रान्त-भर में समारोह के साथ उत्सव मनाया जाता है। यह नव वर्ष का पहला दिन होता है।

टिक्का—'भ्रातृ द्वितीया' या 'भैयादूज' को ही पंजाब में टिक्का कहते हैं; क्योंकि बहन भाई को टीका लगाकर भोजन कराती है और स्वागत-सत्कार करती है।

गुरु नानक-जयन्ती—यह कार्तिक-पूर्णिमा को मनाई जाती है। सिक्ख-धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का यह जन्म-दिवस है। इस समय दो दिनों तक 'गुरुग्रंथ साहब' का अखंड पाठ होता है और समारोह के साथ भजन-कीर्त्तन, सभा, भोज आदि होते हैं।

गुरु गोविंदसिंह-जयन्ती—यह पूस महीने में शुक्ल सप्तमी को पड़ती है। यह भी अखिल भारतीय पर्व है और इसका आयोजन पंजाब से भी बढ़कर पटना (बिहार) में होता है; क्योंकि गुरु गोविंदसिंह का जन्म-स्थान पटना ही है, जहाँ आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा और संगत है।

इसी प्रकार, पंजाब में गुरु तेगबहादुर, गुरु अर्जुनदेव आदि की जयन्तियाँ भी यथासमय मनाई जाती हैं।

हिमाचल-प्रदेश

श्रावण का रविवार—इस दिन चंबा में, जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, 'मिंजर मेला' लगता है। इसमें पहले चंबा के राजा साहब तथा दूसरे राज्याधिकारी भी भाग लेते थे और सभी लोग जुलूस के रूप में रावी के किनारे जाकर 'मिंजर (एक रेशमी टुकड़ा और चाँदी) फेंकते थे कि इसके साथ शहर की सभी आपद्-विपद् नदी में समा जायँगी। वे लोग एक भैंसे को बलि के रूप में पानी में छोड़ देते थे।

दशहरा—भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है। कुलू में बजौरा-नृत्य इस अवसर पर अवश्य होता है।

ज्वालामुखी—काँगड़ा जिले में ज्वालामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मेला लगता है। दशहरा के अवसर पर यहा पहाड़ी रीति-रस्म के साथ पूजा-पाठ होता है।

इसी प्रकार, इस प्रदेश के बैजनाथ, चिंतिपूर्णी आदि स्थानों में मेले लगते हैं और विशेष अवसरों पर पर्व मनाये जाते हैं।

दिल्ली

सैटे गुल फरोशन---हिंदुओं और मुसलमानों का यह सम्मिलित मेला है। इसमें एक बड़े ताड़ के पंखे को फूलों से सजाकर मेहरौली ले जाया जाता है और वहाँ जाकर हिंदू योगमाया-मंदिर में चले जाते हैं और मुसलमान ख्वाजा साहब की दरगाह में। वहाँ दोनों अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार धार्मिक कृत्य करते हैं।

उर्स हजरत निजामुद्दीन—हजरत निजामुद्दीन औलिया (१२३८-१३२४) साहब के नाम पर यह मेला लगता है। सभी प्रकार के मुसलमान इसमें सम्मिलित होते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ के तालाब के जल से सभी बीमारियाँ अच्छी हो जाती हैं।

उत्तर-प्रदेश

उत्तर-प्रदेश में सामान्यतः ये ही पर्व मनाये जाते हैं, जो अखिलभारतीय हैं। किंतु कुछ स्थानीय पर्व भी हैं, जो अधिकतर मथुरा-वृन्दावन में ही मनाये जाते हैं।

रथोत्सव—यह उत्सव चैत्र में वृन्दावन के श्रीरंग-मंदिर में मनाया जाता है।

गजोद्धार—श्रावण में ग्राह से गज की मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है।

वनयात्रा—भादों में भगवान् कृष्ण के गोवर्धन पर्वत के धारण करने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण ने इन्द्र के वृष्टि-कोप से जनता की रक्षा गोवर्धन धारण करके की थी।

कंस का मेला—मथुरा में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह कार्त्तिक मास में होता है और कंसवध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

बिहार

सरहुल—यह आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।

आसाम

भोगली बिहु—आसाम का यह पर्व पूस मास में धनकटनी के बाद मनाया जाता है। रात-भर लोग एक समारोह करते हैं और भैंसों को लड़ाते हैं।

रोंगली बिहु—यह चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे गोसबिहु भी कहते हैं। यह नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर उनकी पूजा की जाती है।

रासलीला—कार्त्तिक में भगवान् कृष्ण के जन्म पर आधारित मणिपुरी नृत्य में रासलीला प्रस्तुत की जाती है।

बंगाल

गंगासागर-मेला—पूस के अंत में यह मेला लगता है। डायमंड हारबर से ४० मील आगे समुद्र में गंगासागर-संगम पर जाकर लोग स्नान-दान किया करते हैं।

उड़ीसा

रथयात्रा—आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी में रथयात्रा-उत्सव होता है। इसमें जगन्नाथजी की मूर्त्ति सर्वत्र रथ पर घुमाई जाती है। जगन्नाथ (कृष्ण) की मूर्त्ति के साथ बलभद्र और सुभद्रा की भी मूर्त्तियाँ रखी जाती हैं।

राजस्थान और मध्य-प्रदेश

पुष्कर का मेला—कार्त्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर-क्षेत्र में यह मेला लगता है। पुष्कर-क्षेत्र अजमेर से ७ मील पर है। वहाँ ब्रह्माजी का मंदिर है। इस समय ऊँट और घोड़ों का भी मेला लगता है।

उर्स मोइनुद्दीन चिश्ती—फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती महान् सिद्ध हो गये हैं। वे अजमेर में रहा करते थे और वहीं इनकी समाधि है। वहाँ सात दिनों तक उर्स का मेला लगता है। कहते हैं, बादशाह अकबर भी पैदल ही वहाँ आते थे और उर्स में सम्मिलित होते थे। आज भी भारत-पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों के मुसलमान इस उर्स में सम्मिलित होते हैं।

मैसूर

गोतमेश्वर-उत्सव—श्रवणबेलगोला में स्थित जैनसिद्ध गोतमेश्वर की प्रस्तर-मूर्त्ति के पास हजारों जैन एकत्र होकर श्रद्धा-पुष्प चढ़ाते हैं। यह उत्सव प्रति १५ वर्ष पर एक बार होता है।

मद्रास-आंध्र

पोंगल—मकर-संक्रान्ति के समय यह पर्व मनाया जाता है और तीन दिनों तक चलता है। तमिलों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। तीन दिनों में प्रथम दिन भोगि-पुंगल बनता है, जो इष्ट-मित्रों को खिलाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य-पुंगल बनता है, जिसकी बलि सूर्य को दी जाती है। इस दिन खीर बनती है। तीसरे दिन मत्तु-पुंगल बनता है, जिसकी बलि पशु-पक्षियों को दी जाती है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर फूल-घंटी आदि से सजाया जाता है। कहीं-कहीं बैलों को लड़ाया भी जाता है। इस उत्सव में इष्ट-मित्रों एवं अतिथियों को खिलाने-पिलाने की भी रीति है। यह उत्तर-भारत की तिल-संक्रान्ति जैसी ही है। यहाँ भी रात्रि में खिचड़ी खाई जाती है। पुंगल खिचड़ी को कहते हैं।

मदुराई नदी-उत्सव—वैशाखी पूर्णिमा को वैगाई नदी के तट पर सुन्दरेश (शिव) और मीनाक्षी देवी का विवाहोत्सव-समारोह होता है।

कावेरी नदी-उत्सव—यह भादो महीने में होता है। इस उत्सव में ग्रामीण देव-मूर्त्तियों का जुलूस निकाला जाता है। चावल, दूध, माला, चूड़ी आदि के साथ नदी में उनका विसर्जन कर दिया जाता है।

गोकुल-अष्टमी—मद्रास में कृष्ण-जन्माष्टमी को गोकुल-अष्टमी कहते हैं।

दशहरा—आश्विन के नवरात्र में प्रथम तीन दिनों तक लक्ष्मी-पूजा, दूसरे तीन दिनों तक शक्ति-पूजा और अंतिम तीन दिनों तक सरस्वती-पूजा होती है। आठवें या दसवें दिन अयोध्या-पूजा होती है। उस दिन अस्त्रों-शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। विजयादशमी को सरस्वती की पूजा और पुस्तकों एवं संगीत-वाद्यों की पूजा होती है। हैदराबाद में इस दिन बनजारों का नृत्य होता है, जो देखने योग्य होता है।

दीवाली—यहाँ उत्तर-भारत की तरह कार्त्तिक-अमावास्या के दिन दीवाली नहीं मनाई जाती है; बल्कि एक दिन पहले चतुर्दशी को ही।

कार्त्तिकी पूर्णिमा—मद्रास में कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन दीवाली मनाई जाती है। इस सम्बन्ध में महाबली और भगवान् शंकर से संबद्ध अलग-अलग कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

वैकुण्ठ-एकादशी—पौष शुक्ल एकादशी को 'वैकुण्ठ-एकादशी' कहते हैं। यह पर्व मोहिनी अप्सरा और राजा रुक्मांगद की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टम् में यह उत्सव लगातार २० दिनों तक चलता है।

आगपर चलना—यह उत्सव भी वर्ष में एक बार होता है। इसमें पुरोहित और आगपर चलनेवाला व्यक्ति जुलूस के साथ नदी में स्नान करने जाता है और वहाँ से नाचते-गाते आकर मंदिर में २० हाथ लम्बे गड्ढे से होकर, जिसमें कोयला जलता रहता है, नंगे पैरों पार करता है। रात में गाना-बजाना और उत्सव होता है।

ब्रह्मोत्सव—तिरुपति के मंदिर में आश्विन में और श्रीरंगम् के मंदिर में चैत्र और पौष में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का उत्सव मदुरा, कांचीपुरम् और तिरुपति के मीनाक्षी-मंदिर में १० दिनों तक चलता है

नव वर्ष के उपलक्ष्य में चैत्र में रथ-यात्रा-उत्सव होता है। यह मद्रास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्व है।

केरल

विशु—यह मलयाली लोगों का नव वर्ष-दिवस है, जो अप्रैल मास में पड़ता है। इस दिन दान-पुण्य किया जाता है और समारोह के साथ सहभोज आदि होते हैं।

ओनाम—यह खेती का त्यौहार है और मलयाली लोग इसे चार दिनों तक सहभोज, नौका-भ्रमण और नाच-गान के साथ मनाते हैं। यह भादों शुक्ल, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चार दिनों तक मनाया जाता है।

इसके साथ बलि और वामन की पौराणिक कथा भी जोड़ दी गई है। विश्वास है कि इसदिन बलि मर्त्यलोक में आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं, जो उत्सव मनाकर उनकी शुभकामना करती है।

इस उत्सव में कथाकली नृत्य भी होता है। इसमें नावों की दौड़ का विशेष महत्त्व है। अरनमुलाइ और कोट्टायम् में नावों की दौड़ अत्यंत आकर्षक होती है। सैकड़ों मल्लाह अपनी नाव लेकर इसमें सम्मिलित होते हैं और नाव-चालन का सम्मिलित नाद श्रुति-सुखद होता है। सभी नावों पर सजी-सजाई लाल छतरी लगी रहती है, जिसमें सोने की अशर्फियाँ आदि भी लटकती रहती हैं। रात्रि में नायर-बालाएँ नृत्य करती हैं। यह केरल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव है।

❀

महापुरुषों की जयन्तियाँ

ईसामसीह	२५ दिसम्बर।
कबीरदास	ज्येष्ठ-पूर्णिमा।
कालिदास, महाकवि	कार्तिक शुक्ल एकादशी।
कृष्ण, भगवान्	भाद्रपद कृष्णाष्टमी।
गान्धी, महात्मा, मोहनदास करमचन्द	२ अक्टूबर।
गुरु गोविन्दसिंह	पौष शुक्ल सप्तमी।
गुरु नानक	कार्तिक-पूर्णिमा।
जयप्रकाश नारायण	विजयादशमी।
जवाहरलाल नेहरू	१४ नवम्बर।
तुलसीदास, गोस्वामी	श्रावण शुक्ल सप्तमी।
दयानन्द सरस्वती, महर्षि	शिवरात्रि
धन्वन्तरि	कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी।
परशुराम, भगवान्	वैशाख शुक्ल तृतीया
प्रताप, महाराणा	ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया।
प्रेमचन्द	श्रावण कृष्ण दशमी।
बालगंगाधर तिलक, लोकमान्य	१ अगस्त।
बुद्ध, भगवान्	वैशाखी पूर्णिमा।
मदनमोहन मालवीय, महामना	२५ दिसम्बर।
महावीर, वर्द्धमान	चैत्र शुक्ल त्रयोदशी।
महावीरप्रसाद द्विवेदी	३१ दिसम्बर।
मीराँ	वैशाख शुक्ल द्वितीया।
मुहम्मद साहब	रबी-उल-अव्वल की १२वीं तारीख.
मैथिलीशरण गुप्त	३ अगस्त।
रविदास	माघी पूर्णिमा।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	वैशाख शुक्ल द्वादशी।
राजेन्द्रप्रसाद, राष्ट्रपति	३ दिसम्बर।
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी	१८ फरवरी।
रामचन्द्र, भगवान्	चैत्र शुक्ल नवमी।
रामतीर्थ, स्वामी	२२ अक्टूबर।
राहुल सांकृत्यायन	वैशाख कृष्ण अष्टमी।
लाजपत राय, लाला	१७ नवम्बर।
वल्लभभाई पटेल, सरदार	३१ अक्टूबर।

वाल्मीकि, महर्षि	आश्विन शुक्ल तृतीया
विद्यापति	कार्त्तिक शुक्ल त्रयोदशी ।
विनोबा भावे, संत	११ सितम्बर ।
वेदव्यास	आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा ।
शंकराचार्य, स्वामी	वैशाख शुक्ल पंचमी ।
शिवपूजनसहाय, आचार्य	श्रावण कृष्ण त्रयोदशी ।
शिवाजी छत्रपति	वैशाख शुक्ल द्वितीया ।
श्रीकृष्ण सिंह, डॉ०	२१ अक्टूबर ।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, डॉ०	५ सितम्बर ।
सहजानन्द सरस्वती, स्वामी	फाल्गुन शिवरात्रि ।
सुभाषचन्द्र बोस, नेताजी	२३ जनवरी
सुमित्रानन्दन पन्त	२० मई ।
सूरदास	वैशाख शुक्ल पंचमी ।
हनुमान्	कार्त्तिक कृष्ण चतुर्दशी ।
हरिश्चन्द्र भारतेन्दु	भाद्र शुक्ल (ऋषि-सप्तमी)।

राजनीतिक दल

१. **इण्डियन नेशनल काँगरेस**—काँगरेस की स्थापना १८८५ ई० में अवसर-प्राप्त यूरोपीय सिविलियन एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा हुई थी। पहले इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक मत प्रकट करना था। सन् १९०६ ई० में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति बताया। सन् १९०७ में इसके गरम दल और नरम दल के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ। गरम दल के नेता लोकमान्य बालगंगाधर तिलक थे, जो अपने दल के साथ इस संस्था से अलग हो गये। १९२० ई० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में काँगरेस का रूप बिल्कुल ही बदल गया। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए इस दल ने गाँव-गाँव में जोरों से आन्दोलन आरम्भ किया। १९२९ ई० में जवाहरलाल नेहरू ने काँगरेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति घोषित किया। १९३० ई० से सत्याग्रह-आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। १९४२ ई० में काँगरेस ने देश में भीषण क्रान्ति पैदा की। मुख्यतः इसी दल के आन्दोलन के फलस्वरूप १९४७ ई० के १५ अगस्त को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद काँगरेस से ही अनेक दल निकल पड़े।

इधर काँगरेस ने अपना उद्देश्य बदल दिया है। इस समय काँगरेस का उद्देश्य भारतवासियों की उन्नति और कल्याण करना, शान्तिमय एवं वैध उपायों से समान अवसर तथा समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार के आधार पर सहकारितापूर्ण धर्म-निरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य कायम करना है। यह विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धुत्व का लक्ष्य अपने समक्ष रखती है। इस समय श्रीसंजीव रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। ए० सत्यनारायण राजू, सादिक अली, तख्तमल जैन तथा सुचिता कृपलानी प्रधान मंत्री हैं। काँगरेस-संगठन के अन्दर कार्य-समिति, अखिलभारतीय काँगरेस-कमिटी, प्रान्तीय काँगरेस-कमिटियाँ और क्रमशः जिला, तहसील, थाना-मण्डल तथा ग्राम-कमिटियाँ हैं। काँगरेस का एक पार्लियामेण्ट्री बोर्ड है, जो दल के संसदीय कार्यों की देखरेख करता और उसपर नियन्त्रण रखता है। इस बोर्ड के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू हैं।

२. **कम्युनिस्ट पार्टी**—इस पार्टी की स्थापना १९२४ ई० में हुई। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य काँगरेस के भी सदस्य हुआ करते थे, परन्तु गत महायुद्ध के समय इन लोगों ने काँगरेस-नीति के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता पहुँचाई। उनके और भी कार्य-व्यवहार काँगरेस की नीति के विरुद्ध हुए, जिसके कारण वे काँगरेस से हटा दिये गये। भारत में इस पार्टी के कार्य इस प्रकार होते रहे हैं कि यहाँ की अधिकांश जनता के हृदय में इसके प्रति सदा सन्देह बना रहता है। कई बार इस पार्टी को गैरकानूनी घोषित किया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९५७ ई० में भारत के एक राज्य (केरल) में इस पार्टी को अपनी सरकार बनाने का अवसर मिला। दो-ढाई वर्षों तक चलने के बाद वहाँ आन्तरिक उपद्रव प्रारंभ हुए और अन्त में वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। भारत-चीन-सीमा-विवाद के संबंध में इस दल का दृष्टिकोण सन्देहास्पद है।

यह दल भारतीय परिस्थितियों एवं जनमत के प्रतिकूल रूस की नीति का समर्थन करता है तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। यह दल साम्राज्यवाद और पूँजी-वाद का विरोधी है तथा श्रमिकों का संगठन कर ऐसे गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसका सूत्र-संचालन श्रमिकों द्वारा ही हो। मार्क्सवाद और लेनिन-वाद के सिद्धान्तों के आधार पर पूर्ण समाजवाद की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लोक-सभा में यही दल विरोधी दल के रूप में काम कर रहा है, जिसके नेता श्री अमृतपाद डांगे हैं।

३. **प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी**—समाजवादी दल की स्थापना की कल्पना १९३२-३३ में की गई, जब श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीअच्युत पटवर्द्धन और श्रीअशोक मेहता नासिक जेल में थे। इन्होंने वहीं मिलकर अपना अगला कार्यक्रम निर्धारित किया। इस दल का प्रथम अधिवेशन १९३४ ई० के मई महीने में अखिलभारतीय काँगरेस कमिटी की बैठक के अवसर पर पटना में हुआ। प्रारम्भ में यह दल काँगरेस का वामपक्षी दल था, और अपने समाजवादी आदर्शों के अनुसार कार्य करने पर जोर देता था। यह दल किसानों और मजदूरों के बीच विशेष रूप से काम करता रहा। धीरे-धीरे काँगरेस के दक्षिण पक्ष-वालों के साथ इसका मतभेद बढ़ता गया। फलतः सन् १९४७ ई० के मार्च महीने में इसने काँगरेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। दल के वार्षिक अधिवेशन में निश्चित कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बड़ी सभा (नेशनल जेनरल कौंसिल) और उसकी कार्य-समिति (नेशनल एक्जेक्यूटिव) होती थी। कुछ दिनों के बाद किसान-मजदूर प्रजा पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के मिल जाने से 'प्रजा-सोशलिस्टपार्टी' बनी। संवैधानिक प्रणाली से प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय इसके चेयरमैन श्रीगंगाशरण सिंह, एम० पी० तथा इसके महामंत्री एन० जी० गोरे, एम० पी० हैं।

४. **अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लॉक)**—अग्रगामी दल की स्थापना १९३८ ई० में नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस द्वारा की गई थी। श्री बोस को आशंका थी कि काँगरेस महायुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार से समझौता करके कहीं पूर्ण स्वाधीनता-प्राप्ति से कुछ कम पर ही न राजी हो जाय। इसलिए उन्होंने इस दल की स्थापना की। सन् १९४८ ई० में यह दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक दल के नेता आर० एस्० रूईकर और दूसरे के के० एन्० जोगलेकर थे।

१९५० ई० की जनवरी में दोनों शाखाएँ फिर एक साथ हो गईं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद कर भारत में समाजवादी सरकार कायम करना अब इस दल का उद्देश्य है।

५. **अखिलभारतीय हिन्दू-महासभा**—हिन्दू-महासभा का कार्य मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन् १९०६ ई० के लगभग ही आरम्भ हुआ, परन्तु इसमें कभी वैसी जान नहीं आने पाई, जैसी मुस्लिम लीग में। हिन्दू-महासभा में

स्व० महात्मा मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, वीर सावरकर, डॉ० मुंजे, डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि प्रमुख नेता थे। भारत के वर्त्तमान राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भी कभी इसकी कार्य-समिति के सदस्य थे।

प्रारम्भ में यह संस्था मुख्यतः अपने संस्कृति-रक्षा-सम्बन्धी कार्यों में ही लगी रही। पीछे अँगरेजी सरकार और देश के प्रमुख राजनीतिक दल काँगरेस को मुसलमानों का पक्षपाती समझकर उसकी नीति का विरोध करने के लिए इसने राजनीति में विशेष रूप से भाग लेना शुरू किया। १९३५ ई० में केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेम्बलियों एवं कौंसिलों के चुनाव में भी इसने भाग लिया, पर काँगरेस की प्रतिद्वन्द्विता में यह टिक नहीं सकी। महात्मा गाँधी की हत्या के बाद मुस्लिमलीग की तरह हिन्दू-महासभा ने भी कुछ समय के लिए अपना राजनीतिक कार्य स्थगित कर दिया था, जिसे ७ अगस्त, १९४८ ई० को पुनः जारी करने का निश्चय किया गया।

६. **मुस्लिम लीग**—मुस्लिम लीग की स्थापना सन् १९०६ ई० में मुसलमानों को विशेष सुविधाएँ दिलाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए की गई। कुछ ही वर्षों में इसने अपने को इतना शक्तिशाली बना लिया कि सम्पूर्ण देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व धीरे-धीरे इसने साम्प्रदायिकता की जड़ मजबूत कर डाली। १९३५ के निर्वाचन में बंगाल और सिंध-जैसे प्रान्तों में इसने अपने मंत्रिमण्डल भी बनाये। देश-विभाजन के बाद पाकिस्तान-जैसे एक अलग राष्ट्र का निर्माण इसीके (लीग के) अथक परिश्रम का फल है। महात्मा गाँधी की हत्या के बाद जिन संस्थाओं के प्रति सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया, उनमें एक यह भी है। कुछ दिनों के बाद लीग पुनः राजनीति में आ सकी है, पर इसने अपना उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान तक ही सीमित रखा है।

७. **डेमोक्रैटिक वानगार्ड**—यह पार्टी सन् १९४३ ई० में उन लोगों के द्वारा कायम की गई, जो रेडिकल डेमोक्रैटिक पार्टी से अलग हो गये थे। इसका उद्देश्य गण-तंत्रात्मक क्रान्ति उत्पन्न करना है।

८. **राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ**—इसकी स्थापना कुछ महाराष्ट्रियों द्वारा सन् १९२५ ई० में हुई। इसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-राष्ट्र कायम करना, हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना और हिन्दू-समाज में सब प्रकार की जागृति लाना है। इसकी शाखाएँ भारत में सर्वत्र फैली हुई हैं। महात्मा गाँधी की हत्या के बाद यह संघ गैरकानूनी करार दिया गया था, पर अब इसपर से प्रतिबन्ध हट गया है। इसके प्रधान श्री माधव सदाशिव गोलवलकर हैं, जिन्हें संघवाले 'गुरुजी' कहा करते हैं।

९. **रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी**—यह पार्टी सन् १९४८ ई० में श्रीशरत्चन्द्र बोस द्वारा कायम की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता को विदेशी प्रभाव से अलग रखना है। इसके कुछ सदस्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं। श्री बोस की मृत्यु के बाद इसके काम में कोई विशेष प्रगति नहीं आ सकी है।

१०. **रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया**—यह कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार करती है और क्रान्ति द्वारा भारत में समाजवादी राज्य कायम करना चाहती है।

११. **रिवोल्युशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया**—इस पार्टी के सदस्य अपने को लेनिन के अनुयायी बताते हैं। यह पार्टी रूस की नीति के विरुद्ध है। यह अखिल-भारतीय काँगरेस की भी आलोचना करती है।

१२. **सर्वोदय समाज**—यह गांधीवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवाले लोगों की एक संस्था है। गांधीवाद विचारधारा के अनुसार चलनेवाले एवं रचनात्मक कार्यक्रम में लगे देश-सेवकों की यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए विश्व-बन्धुत्व की भावना से काम करता है। वस्तुओं की शुद्धता एवं स्वाभाविकता पर पूर्ण विश्वास रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। खादी, हरिजनोद्धार, आदिवासी-सेवा, कुष्ठ-निवारण तथा समाज की सर्वतोमुखी सेवा ही इसके प्रमुख कार्य हैं। आचार्य विनोबा भावे इसके साम्प्रतिक सूत्रधार हैं।

१३. **पीजेण्ट्स ऐण्ड वर्कर्स पार्टी**—किसानों और मजदूरों की इस पार्टी के नेता श्री एस्० एस्० मोर और श्री के० एम्० जेडे हैं। पार्टी का कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र है। विना मुआवजा दिये ही जमींदारी-उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह पार्टी विदेशी वस्तुओं और पूँजियों का विरोध करती है। उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयीकरण में इस पार्टी का पूर्ण विश्वास है।

१४. **भारत-सेवक-समाज**—भारत-सेवक-समाज एक नई राष्ट्रीय संस्था है। स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के बाद भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए तथा देश को शक्तिशाली बनाने के निमित्त इसकी स्थापना की गई है। यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस संस्था में हरेक विचार के लोगों का स्वागत किया जाता है। हिंसा और तोड़-फोड़ में विश्वास रखनेवालों तथा साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आदर्शों के माननेवाले प्रतिक्रियावादियों को इसमें स्थान नहीं मिलता।

१५. **भारतीय जनसंघ**—स्व० डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सन् १९५१ ई० में में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। अखण्ड भारत में इसका पूर्ण विश्वास है तथा कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के प्रति इस संघ का बड़ा कड़ा रुख है।

१६. **अखिलभारतीय मुस्लिम मजलिस**—यह काँगरेस के सिद्धान्तों का समर्थन तथा पाकिस्तान का विरोध करनेवाले प्रगतिशील एवं राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों की एक संस्था है।

१७. **जमायत-उल-उलेमा-हिन्द**—प्रारम्भ से ही यह धार्मिक मुसलमान उलेमाओं की पार्टी है, जो काँगरेस के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन करती रहती है। अब इसने अपना राजनीतिक कार्यक्रम प्रायः स्थगित कर दिया है।

१८. **शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस**—यह मुसलमानों के शिया-सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व और राजनीति में काँगरेस का समर्थन करती है।

१९. **मोमिन अन्सार कॉन्फ्रेंस**—मुसलमानों के मोमिन-सम्प्रदाय की यह पार्टी मुस्लिम लीग का विरोध और काँगरेस की नीति का समर्थन करती रही है।

२०. **सिख-पार्टियाँ**—सिखों के तीन मुख्य दल हैं—पहला शिरोमणि अकाली दल ; दूसरा पन्थिक दरबार और तीसरा काँगरेस-समर्थक दल।

अकाली दल—इस दल के नेता मास्टर तारासिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरह सिखिस्तान के लिए आन्दोलन कर रखा है। मई १९५० ई० में मास्टर तारासिंह के सभापति-पद से हटने पर भारतीय संसद् के सदस्य सरदार हुकमसिंह इस दल के सभापति बनाये गये हैं।

पन्थिक दरबार—इसके नेता पटियाला के महाराज हैं, जो सिखिस्तान के विरोधी हैं।

तीसरा दल वह है, जो काँगरेस का समर्थन करता है।

२१. **स्वतन्त्र पार्टी**—सामाजिक न्याय और कल्याण समाजवाद के बिना ही उचित रीति एवं दृढ़ता से समाज में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक न्याय और कल्याण की स्थिति गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार चलने से ही लाई जा सकती है—ऐसा इस पार्टी का विश्वास है। यह पार्टी धर्म-सापेक्ष राज्य की हिमायती है। इसके प्रमुख नेता श्रीराजगोपालाचार्य, के० एम्० मुंशी, प्रो० राँगा आदि हैं

२२. **द्रविड़ मुने** कज़ाकम—दक्षिण भारत की यह पार्टी है, जो ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध है तथा उत्तर-भारत के ब्राह्मणों की प्रधानता के विरोध में काम कर रही है। दक्षिण में एक पृथक् राज्य की स्थापना करना भी इसका लक्ष्य है।

२३. **सोशलिस्ट पार्टी**—प्रजातान्त्रिक एवं शान्तिपूर्ण क्रान्ति के द्वारा समाज में समाजवाद की स्थापना ही इसका उद्देश्य है। इस समय इसके चेयरमैन भूपेन्द्र नारायण मण्डल तथा सामान्य सचिव आर० एम्० मनाकलथ हैं। संसार के अन्य देशों में असमानता को दूर करना और एक अखिल विश्व-संसद् की स्थापना करना इसकी वैदेशिक नीति का लक्ष्य है।

२४. **महागुजरात जनता-परिषद्**—यह गुजराती बोलनेवाले लोगों की एक संस्था है, जो द्विभाषी बम्बई राज्य की स्थापना की घोषणा के समय एक पृथक् राज्य की संस्थापना के लिए स्थापित की गई। इन्दुलाल याज्ञिक इसके प्रथम सभापति हुए। पृथक् गुजरात-राज्य का निर्माण हो चुका। देखें, यह संस्था अपना कौन-सा अगला कार्यक्रम आगे निश्चित करती है।

२५. **संयुक्त महाराष्ट्र-समिति**—विभिन्न क्षेत्रों में मराठी बोलनेवालों की यह संस्था महाराष्ट्र के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को सामूहिक स्तर पर उन्नत करने के लिए स्थापित की गई। एस्० एम्० जोशी इसके प्रधान मन्त्री तथा शिवाजी पाटिल आदि इसके संयुक्त मन्त्री हैं।

२६. **पिछड़ा वर्ग-संघ**—इसकी स्थापना स्व० डॉ० अम्बेदकर ने की थी। इसका कार्य राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों से पृथक् है। पिछड़े लोगों को विशेष सुविधाएँ दिलाना ही इसका प्राथमिक लक्ष्य था। भारत के खण्डित होने के बाद से इसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है।

२७. **किसान-पार्टी**—समाजवादी मापदण्ड पर इसका कार्य-क्रम भारतीय किसानों के आन्दोलन को बढ़ाने का है। यद्यपि यह दल काँगरेस से पृथक् है, फिर भी बहुत-कुछ बातों में उसका साथ देता है।

२८. **झारखण्ड-पार्टी**—यह दल बिहार के दक्षिणी भाग झारखण्ड (छोटानागपुर एवं संथाल प्रगना का कुछ भाग) का एक राजनीतिक दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक् झारखण्ड प्रान्त का निर्माण करना है। इसके नेता श्रीजयपाल सिंह हैं। इस दल के सदस्य भारतीय संसद् की राज्य परिषद् में १, लोक-सभा में ३, बिहार-विधान-परिषद् में १ और बिहार-विधान-सभा में ३२ हैं।

२९. **राम-राज्य-परिषद्**—धर्म-सापेक्ष राज्य की स्थापना के लिए अखिलभारतीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई। विगत निर्वाचन में इस दल का एक सदस्य शाहाबाद जिला के किसी चुनाव-क्षेत्र से बिहार-विधान-सभा के लिए निर्वाचित हुआ।

३०. **जनता-पार्टी**—रामगढ़ के राजा श्रीकामाख्या नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थापित यह छोटानागपुर-प्रमंडल का एक राजनीतिक दल है। इसका एक महत्त्वपूर्ण अधिवेशन जनवरी, १९५४ में पटना में हुआ था। इस दल के सदस्य भारतीय संसद् की राज्य-परिषद् में १, लोक-सभा में १, बिहार-विधान-परिषद् में १ और बिहार-विधान-सभा में ८ हैं। जनता-पार्टी अब स्वतन्त्र पार्टी में मिल गई है।

३१. **लोक-सेवक-संघ**—यह मानभूमि जिला का एक राजनीतिक दल है, जो इस जिला में बँगला भाषा का प्रचार करने तथा इस जिला को प० बंगाल में मिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसके नेता श्रीअतुलचन्द्र सेन और श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी हैं। बिहार-विधान-सभा में इस दल के ७ सदस्य हैं।

३२. **गणतन्त्र-परिषद्**—यह दल अब जनसंघ में मिल गया है। बिहार-विधान-सभा में सिंहभूमि जिला से इसका एक सदस्य है।

३३. **संयुक्त किसान-सभा**—यह सभा सुप्रसिद्ध किसान-नेता स्व० स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा किसानों के हित के लिए स्थापित हुई थी। इस सभा द्वारा किसान-आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। जमींदारी-उन्मूलन एवं स्वामीजी की मृत्यु के बाद यह संस्था शिथिल पड़ गई है।

❀

सिक्का एवं माप-तौल की नवीन दशमलव-पद्धति

माप और तौल की दशमलव-पद्धति फ्रांस से आरम्भ हुई थी इसलिए इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पृथ्वी के ध्रुव से लेकर विषुवत् रेखा तक की दूरी का एक करोड़वाँ हिस्सा मीटर कहलाता है। मीटर के दस गुना को डेका-मीटर, सौ गुना को हेक्टोमीटर, हजार गुना को कीलोमीटर और दस हजार गुना को मीरिया मीटर कहते हैं। इसी प्रकार मीटर के दसवें भाग को डेसीमीटर, सौवें भाग को सेन्टीमीटर और हजारवें भाग को मीली मीटर कहते हैं। ग्रीक शब्द 'डेका' का अर्थ दस, 'हेक्टो' का अर्थ सौ, 'किलो' का अर्थ हजार और 'मीरिया' का अर्थ दस हजार होता है। इसी प्रकार लैटिन शब्द 'डेसी' का अर्थ दशांश, 'सेन्टी' का अर्थ शतांश और 'मीली' का अर्थ सहस्रांश है। इसे सारिणी के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

१ डेकामीटर = १० मीटर	१ डेसीमीटर = १/१० मीटर
१ हेक्टोमीटर = १०० मीटर	१ सेन्टीमीटर = १/१०० मीटर
१ किलोमीटर = १,००० मीटर	१ मीलीमीटर = १/१००० मीटर
१ मीरिया मीटर = १०,००० मीटर	

क्षेत्र की माप की एक इकाई को 'अर' कहते हैं, जिसकी चारो भुजाएँ दस-दस मीटर की होती हैं। तदनुसार—

१ अर = १०० वर्ग मीटर	१ डेसी अर = १/१० अर
१ डेकर = १० अर	१ सेन्टी अर = १/१०० अर
१ हेक्टर = १०० अर	

तौल के लिए 'ग्राम' शुद्ध जल के एक घन सेन्टीमीटर को कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकाग्राम = १० ग्राम	१ डेसीग्राम = १/१० ग्राम
१ हेक्टोग्राम = १०० ग्राम	१ सेन्टीग्राम = १/१०० ग्राम
१ किलोग्राम = १,००० ग्राम	१ मीलीग्राम = १/१००० ग्राम
१ मीरिया ग्राम = १०,००० ग्राम	

एक घन डेसीमीटर जितने स्थान में रखा जा सकता है, उस इकाई को 'लीटर' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकालीटर = १० लीटर	१ डेसीलीटर = १/१० लीटर
१ हेक्टोलीटर = १०० लीटर	१ सेन्टीलीटर = १/१०० लीटर
	१ मीलीलीटर = १/१००० लीटर

१९५५ में भारतीय संसद् ने दशमलव-पद्धति से सिक्का चलाने का विधान स्वीकृत किया। तदनुसार अप्रैल, १९५७ से रुपये में ६४ पैसे या १६ आने के स्थान में १०० नये पैसे चलाये गये। १, २, ५, १० और ५० नये पैसे के सिक्के ढाले गये और एक निश्चित अवधि तक के लिए उनका सम्बन्ध पुराने पैसे और आने से निर्धारित किया गया। मोटे हिसाब से एक पुराना पैसा १$\frac{1}{2}$ नये पैसे के बराबर होता है।

भारत में माप-तौल की दशमलव-पद्धति का कानून १९५६ में बना तथा १ अक्तूबर, १९५८ से लागू हुआ। इस कानून के अनुसार इस पद्धति की परीक्षणात्मक तथा परिवर्त्तनात्मक अवधि १९५६ से १९६६ तक दस वर्षों की रखी गई है। १९६६ के बाद पूर्ण रूप से केवल इसी पद्धति का कार्यान्वियन होगा।

तौल में अब तोला, छटाँक, अधवा, पौआ, असेरी, सेर, पसेरी और मन नहीं कहलाकर ग्राम, डेका-ग्राम, हेक्टो-ग्राम, कीलोग्राम आदि; माप में इंच, फुट, गज, मील आदि नहीं कहे जाकर मीटर, डेकामीटर आदि; क्षेत्रफल में वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग गज, बीघा, एकड़ आदि नहीं कहे जाकर मीटर, हेक्टर आदि तथा धारित कैपेसिटी के सम्बन्ध में गैलन आदि नहीं कहे जाकर लीटर आदि कहे जायेंगे।

किलोग्राम के अन्तरराष्ट्रीय नमूने की प्रामाणिक प्रति प्राप्त की गई है तथा वह राष्ट्रीय भौतिक शोधशाला के संचालक के अधिकार में रखी गई है। विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के माप-तौल-निरीक्षकों के पास माप-तौल की प्रामाणिक सामग्री भेज दी गई है। माप-तौल की दशमलव-पद्धति को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रान्तों ने अपने-अपने राज्य में पृथक् विभाग खोले हैं। अङ्कगणित में दशमलव-विषयक पृथक् एक पाठ दिया गया है तथा उसकी शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रान्तों के लोक-शिक्षा-निर्देशकों के द्वारा सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भेज दिया गया है। दशमलव-शिक्षा-सम्बन्धी विवरण का भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में भी इसकी शिक्षा दी जा सके। सामान्य शिक्षा के लिए 'मेट्रिक मेजर्स' नाम की एक पत्रिका भी निकाली गई है।

परिवर्त्तन-काल—माप-तौल की नवीन दशमलव-पद्धति १ अक्टूबर, १९५८ को क्रियान्वित हुई। दो-तीन वर्षों तक प्राचीन और नवीन दोनों पद्धतियों में परस्पर परिवर्त्तन की अवधि रहेगी। इस नवीन पद्धति के पूर्ण रूप से प्रचलित न होने की स्थिति में विनिमय की अवधि अधिक-से-अधिक १९६६ ई० तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद सम्पूर्ण देश में केवल नवीन पद्धति ही कार्यान्वित होगी।

१ अक्टूबर, १९५८ को ही सूती कपड़े, लोहा तथा इस्पात, अभियन्त्रण, रसायन, सिमेन्ट, नमक, कागज, रबर, कहवा आदि के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में यह पद्धति लागू हो गई। केवल दो वर्षों तक वहाँ प्राचीन पद्धति भी चलती रहेगी। डाक-तार, रेलवे आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों में नवीन पद्धति का ही प्रयोग होता है।

क्षेत्र

१ अक्टूबर, १९५८ को निम्नलिखित क्षेत्रों में माप-तौल की दशमलव-पद्धति लागू हुई—

आन्ध्र-प्रदेश—विशाखापत्तनम्, कृष्णा, गुण्टूर, कर्नूल, हैदराबाद, वारंगल तथा निजामाबाद जिले।

आसाम—गौहाटी का नगर-निगम-क्षेत्र तथा नवगाँव जिला।

बिहार—भागलपुर तथा राँची-डिवीजन, पटना, गया, शाहाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर, चम्पारन तथा दरभंगा के नगर-निगम-क्षेत्र तथा निर्दिष्ट क्षेत्र।

बम्बई—(महाराष्ट्र और गुजरात) बम्बई, पूना, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा तथा योतमल के नगर-निगम-क्षेत्र।

केरल—अर्नाकुलम्, किलोन तथा कोजीकोड जिले।

मध्य-प्रदेश—भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर तथा जबलपुर जिले।

मद्रास—साउथ आर्कोट, नॉर्थ आर्कोट, चिंगलेपुत्त तथा मद्रास जिले।

मैसूर—बंगलोर, रायचूड़ तथा धारवार जिले।

उड़ीसा—ब्रह्मपुर, कटक तथा संबलपुर जिले।

पंजाब—अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, अम्बाला, पटियाला तथा गुरगाँव जिले।

राजस्थान—अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा तथा उदयपुर जिले।

उत्तर-प्रदेश—गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, लखनउ, आगरा तथा मेरठ के नागरिक क्षेत्र।

पश्चिम बंगाल—कलकत्ता तथा हावड़ा के नागरिक क्षेत्र।

दिल्ली—दिल्ली।

हिमाचल-प्रदेश—मंडी और सिरपुर जिले।

मणिपुर और इम्फाल—नागरिक क्षेत्र।

त्रिपुरा—अगरतला का नागरिक क्षेत्र।

अण्डमन तथा निकोबार-द्वीप-समूह—पोर्टब्लेयर।

कुछ अँगरेजी तौल और माप का नवीन रूपान्तर इस प्रकार है—

अँगरेजी तौल

१ ग्रेन = ०.००००६४७९९ किलोग्राम
१ आउंस = ०.०२८३४९५ ,,
१ पौंड = ०.४५३५९२४ ,
१ क्वाटर = ५०.८०२ ,,
१ टन = १०१६.०५ ,,

भारतीय तौल

१ तोला = ०.०११६६३८ किलोग्राम
१ सेर = ०.९३३१० ,,
१ मन = ३७.३३४२ ,,

अँगरेजी माप

१ इंच = ०.०२५४ मीटर
१ फुट = ०.३०४८ ,,
१ गज = ०.९१४४ ,,
१ मील = १६०९. ३४४ ,,

क्षमता (कैपेसिटी)

१ इम्पीरियल गैलन = ४,५४५९६ लीटर

कितने छटाँक कितने ग्राम के बराबर है, यह नीचे दिया जाता है—

छटाँक		ग्राम (लगभग)	छटाँक		ग्राम (लगभग)
१	=	५८	९	=	५२५
२	=	११७	१०	=	५८३
३	=	१७५	११	=	६४२
४	=	२३३	१२	=	७००
५	=	२९२	१३	=	७५८
६	=	३५०	१४	=	८१६
७	=	४०८	१५	=	८७५
८	=	४६७			

कितने सेर कितने किलोग्राम और ग्राम के बराबर हैं, यह नीचे देखें—

सेर		किलोग्राम		ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)
१	=	—	=	६३०
२	=	१	=	८७०
३	=	२	=	८००
४	=	३	=	७३०
५	=	४	=	६७०
६	=	५	=	६००
७	=	६	=	५३०
८	=	७	=	४६०
९	=	८	=	४००
१०	=	९	=	३३०
११	=	१०	=	२६०
१२	=	११	=	२००
१३	=	१२	=	१३०
१४	=	१३	=	६०
१५	=	१४	=	—
१६	=	१४	=	९३०
१७	=	१५	=	८६०
१८	=	१६	=	८००
१९	=	१७	=	७३०
२०	=	१८	=	६६०
२१	=	१९	=	६००
२२	=	२०	=	५३०
२३	=	२१	=	४६०
२४	=	२२	=	३९०
२५	=	२३	=	३३०
२६	=	२४	=	२६०

सेर		किलोग्राम		ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)
२७	=	२५	=	१६०
२८	=	२६	=	१३०
२६	=	२७	=	६०
३०	=	२७	=	६६०
३१	=	२८	=	६३०
३२	=	२६	=	८६०
३३	=	३०	=	७६०
३४	=	३१	=	७३०
३५	=	३२	=	६६०
३६	=	३३	=	५६०
३७	=	३४	=	५२०
३८	=	३५	=	४६०
३६	=	३६	=	३६०

कितने मन कितने किलोग्राम के बराबर है, यह नीचे लिखा है—

मन		किलोग्राम	मन		किलोग्राम
१	=	३७	११	=	४११
२	=	७५	१२	=	४४८
३	=	११२	१३	=	४८५
४	=	१४६	१४	=	५२३
५	=	१८७	१५	=	५६०
६	=	२२४	१६	=	५६७
७	=	२६१	१७	=	६३५
८	=	२६६	१८	=	६७२
६	=	३३६	१६	=	७०६
१०	=	३७३	२०	=	७४६

सरल रूपान्तरण-सूची

वजन

टन से मेट्रिक टन

टन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मेट्रिक टन	१.०२	२.०३	३.०५	४.०६	५.०८	६.१०	७.११	८.१३	९.१४	१०.१६

पौंड से किलोग्राम

पौण्ड	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	०.४५	०.९१	१.३६	१.८१	२.२७	२.७२	३.१८	३.६३	४.०८	४.५४

तोला से ग्राम

तोला	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
ग्राम	११.६६	२३.३३	३४.९९	४६.६६	५८.३२	६९.९८	८१.६५	९३.३१	१०४.९७	११६.६४

सेर से किलोग्राम

सेर	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	०.९३	१.८७	२.८०	३.७३	४.६७	५.६०	६.५३	७.४६	८.४०	९.३३

मन से क्वेण्टल

मन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
क्वेण्टल	०.३७	०.७५	१.१२	१.४९	१.८७	२.२४	२.६१	२.९९	३.३६	३.७३

लम्बाई

माइल से किलोमीटर

माइल	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोमीटर	१.६१	३.२२	४.८३	६.४४	८.०५	९.६६	११.२७	१२.८७	१४.४८	१६.९

गज से मीटर

गज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मीटर	०.९१	१.८३	२.७४	३.६६	४.५७	५.४९	६.४०	७.३२	८.२३	९.१४

इञ्च से मिलिमीटर

इञ्च	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
मिलिमीटर	२५.४०	५०.८०	७६.२०	१०१.६०	१२७.००	१५२.४०	१७७.८०	२०३.२०	२२८.६०	२५४.००	२७९.४०	३०४.८०

क्षेत्रफल

एकड़ से हेक्टर्स

एकड़	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
हेक्टर्स	०.४०	०.८१	१.२१	१.६२	२.०२	२.४३	२.८३	३.२४	३.६४	४.०५

वर्गगज से वर्गमीटर

वर्गगज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
वर्गमीटर	०.८४	१.६७	२.५१	३.३४	४.१८	५.०२	५.८५	६.६९	७ ५३	८.३६

धारण-शक्ति या क्षमता (कैपेसिटी)

गैलन से लीटर

गैलन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
लीटर	४.५५	९.०९	१३.६४	१८.१८	२२.७३	२७.२८	३१.८२	३६.३७	४०.९१	४५.४६

विदेशों में भारत के राज-प्रतिनिधि

राजदूत-(एम्बेसडर)

देश या नगर	प्रतिनिधियों के नाम	पद	पता
अफगानिस्तान	एस्० एन्० हकसार		भारतीय दूतावास, शहरे-अरब, काबुल।
अर्जेण्टइना	पी० ए० मेनन्		भारतीय दूतावास, लेवेल४६२,(५फ्लोर) ब्यूनिस आयर्स।
आस्ट्रिया	आर्थर एस्० लाल		भारतीय दूतावास, १७ स्पितू गेसीज (इण्ट्रान्स २, स्पिति गेसी) विएना १८।
बेलजियम	एम्० ए० रॉफ़		साथ ही लक्जम्बर्ग के मंत्री, भारतीय दूतावास, ५८५, एवेन्यू लाइस ब्रुसेल्स।
बोलिविया	आर० एस्० मणी		साथ ही चिली के राजदूत सेण्टिआगो।
ब्राजिल	एम० के० कृपलानी		भारतीय दूतावास, रुआ बराओ डो फ्लेमेंगो २२, एप्ट ८०१–८०२, रिओडिजनेरो।
बर्मा			भारतीय दूतावास, ओरियण्टल बिल्डिंग्स, मरचेण्ट ५४५-४७, स्ट्रीट, रंगून।
कम्बोडिया	बी० एम्० एम्० नैय्यर		भारतीय दूतावास, फनोम पेन्ह।
चिली	आर० एस्० मणी		साथ ही बोलिविया के राजदूत, भारतीय दूतावास, सण्टिआगो डे चिली।

चीन	जी० पार्थ सारथी	साथ ही मंगोलिया के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, ३२, ह्वांग चिम्रा-ओ मिन हसिम्रांग, पेकिंग।
चेकोस्लोवाकिया	बी० के० आचार्य	साथ ही रुमानिया के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, २२, थनोवसका, प्राग ३।
डेनमार्क	केवलसिंह		स्वेडेन के राजदूत, फिन लैंड के मंत्री, भारतीय दूतावास स्टॉकहोम।
मिस्र	आर० के० नेहरू	भारतीय दूतावास, २६ शरिया हसन पाशा, काहिरा।	(साथ ही लेबनान और लीबिया गण-राज्य के मंत्री)
इथोपिया	एन्० एस्० गिल		पी० ओ० ५२८, अदीस अबाबा।
फ्रान्स	एन्० राघवन्		भारतीय दूतावास, १५, रूइ अल्फ्रेड, डेहोडेनेक, पेरिस।
पश्चिम जर्मनी	बी० एफ्० एच्० बी० तैयबजी		भारतीय दूतावास, २६२, कोब्लेन गोइस्ट्रेसी, बोन।
ग्रीस (यूनान)	अली यावर जंग	साथ ही युगोस्ला-विया के राजदूत।	भारतीय दूतावास, बेलग्रेड।
इण्डोनेशिया	जे० एन्० खोसला		भारतीय दूतावास, पो० बॉक्स न० ११८, ४४, केबज-सेरीह, जकार्त्ता।
ईरान	टी० एन्० कौल		भारतीय दूतावास, एवेन्यू शाहरोजा, तेहरान।
इराक	आइ० एस्० चोपरा	साथ ही जर्दान के मंत्री	भारतीय दूतावास, अलटवारी स्ट्रीट, बगदाद।

देश	नाम	पद	पता
आयरलैंड	श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित	ग्रेट ब्रिटेन में हाई कमिश्नर, स्पेन के राजदूत	६०, फिट्ज विलियम स्क्वायर, डब्लिन, लंदन।
इटली	खूबचन्द राजदूत (अबानिया के मंत्री भी)		भारतीय दूतावास, भाया— फ्रान्सिस्को, डेन्स, ३६, रोम।
जापान	लालजी मेहरोत्रा	(अलबानिया का मंत्री)	भारतीय दूतावास, नैगाई बिल्डिंग, फ्लोर ५, न० १८-२, टोकियो।
मेक्सिको	एम्० सी० छागला	सं० रा० अमेरिका के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, कैले डे एलिनास, न० ४०, पाँचवाँ पीसो, मेक्सिको।
नैपाल	भगवान सहाय, आई० सी० एस्०		भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नैपाल।
नेदरलैंड	आर० के० टंडन		भारतीय दूतावास, बुइटेनरस्टवाग २, हेग।
नारवे	कच्छ के महाराज रदनसिंह जी		भारतीय दूतावास, ओसलो।
लाओस	पी० रत्नम्		भारतीय दूतावास, विएण्टियाने।
मंगोलिया	टी० जी० मेनन् जी० पार्थसारथी	प्रथम सचिव पेकिंग में निवास	भारतीय दूतावास, पेकिंग
मोरक्को	आर० सी० गोवर्धन		३०, एवेन्यू अलाल बेन अबदुल्ला, रैबट, मोरक्को।
फिलिपाइन्स	एस्० एन्० मैत्र		भारतीय दूतावास, १८५६, नेबरास्का, मैलेट, मनिला।
पोलैंड	के० पी० एस्० मेनन्		भारतीय दूतावास, वारसा।
रूमानिया	बी० के० आचार्य		बुखारेस्ट।

देश	नाम	पद	पता
सऊदी अरब	एम्० के० किदवई		भारतीय दूतावास, जेड्डा।
स्पेन	श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित	साथ ही ब्रिटेन के उच्चायुक्त	लंदन।
सूडान	आर० जी० राजवाड़े		इस्माइल पाशा एवेन्यू, पो० बॉक्स, ७०७ खार्तुम।
स्विडन	केवलसिंह	साथ ही डेनमार्क के राजदूत और फिनलैंड के सचिव	भारतीय दूतावास, स्ट्रैंडवेगेन, ४७ ,स्टॉकहोम।
स्विट्जरलैंड	एम्० के० वेलोदी	साथ ही वैटिकन के मिनिस्टर और अस्ट्रेलिया के राजदूत	भारतीय दूतावास, ५६, थर्टरैसी, बर्न।
थाइलैंड	ए० एम्० सहाय		भारतीय दूतावास, ३७, फ्याथाइरोड, बैंकाक।
ट्युनिशिया	आर० गोवर्धन		३०, अलाल बेन अबदुल्ला एवेन्यू, रैबट।
टर्की	जयकुमार अटल		भारतीय दूतावास, न० ४४, किजिलिर्मक सोकाक, कोस्टेप, अंकारा।
संयुक्त अरब-गणराज्य	आर० के० नेहरू	साथ ही लीबिया और लेबनॉन के मिनिस्टर	भारतीय दूतावास, ५, शारिया महद, एल् स्विसरी, जमलाक, पो० बॉ० नं० ७१८, कैरो।
संयुक्तराज्य-अमेरिका	एम्० सी० छागला	साथ ही मेक्सिको के राजदूत और क्यूबा के मिनिस्टर	भारतीय दूतावास, २१०७, मासचुसेट्स एवेन्यू, एन्० डब्ल्यू० वाशिंगटन ८, डी.सी.

देश या नगर	नाम	पद	पता
रूस	के० पी० एस० मेनन्	हंगरी के राजदूत; साथ ही पोलैंड के मिनिस्टर भी	भारतीय दूतावास, न० ६ और ८, उलित्सा ओबूखा, मास्को।
युगोस्लाविया	अली यावर जंग	साथ ही ग्रीक के राजदूत और बलगेरिया के मिनिस्टर	भारतीय दूतावास, प्रोलेटर स्केह ब्रिगेड, ६, बेलग्रेड।

उच्चायुक्त (हाइ कमिश्नर)

देश या नगर	नाम	पद	पता
अस्ट्रेलिया	एस० एन० सेन, आई० सी० एस०	साथ ही न्यूजीलैण्ड के उच्चायुक्त	सिविक सेण्टर, कैनबेरा।
कनाडा	सी० एस० वेंकटाचार		२००, मैकलॉरेन स्ट्रीट, ओटावा, ४ अण्टेरियो, कनाडा।
श्रीलंका	वाई० डी० गण्डेविया		६७, टैरेट रोड, पो० बॉक्स न० ८८२, कोल-पेट्टी, कोलम्बो।
घाना	बी० के० कपूर	नाइजीरिया के भी आयुक्त	पो० बॉक्स नं० ३०४०, अकरा।
मलाया	एस० के० बनर्जी		पो० बॉक्स न० ५६, ४ गाइलेक रोड, ऑफ पहांग रोड, क्वालालम्पुर
न्यूजीलैंड	पी० ए० मेनन्	साथ ही अस्ट्रेलिया के भी उच्चायुक्त	४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, कैनबेरा।
प० पाकिस्तान	राजेश्वरदयाल		वालिका महल, जहाँगीर सेठना रोड, न्यू टाउन, कराँची—५।
पूर्व-पाकिस्तान	के० बी० पद्मनाभन् पी० के० बनर्जी ए० सी० नन्दी	उप-उच्चायुक्त	३, रामकृष्ण मिशन रोड, पो० वारी, ढाका।
ग्रेट ब्रिटेन	श्रीमती विजया-लक्ष्मी पंडित	साथ ही आयरलैंड के राजदूत	इंडिया हाउस, लंदन।

उपराजदूत (लिगेट)

देश या नगर	नाम	पद	पता
अलबानिया	खूबचन्द	इटली के राजदूत	भारतीय दूतावास, रोम।
बलगेरिया	अली यावर जंग	युगोस्लाविया और ग्रीस के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, बेलग्रेड।
क्यूबा	एम्० सी० छागला	अमेरिका के राजदूत और क्यूबा के मिनिस्टर	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन।
फिनलैंड	केवलसिंह	स्विडन और डेनमार्क के राजदूत	स्टॉकहोम।
हंगरी	के० पी० एस्० मेनन	रूस और पोलैंड के राजदूत	भारतीय उप-राजदूतावास, हंगरी, बुडापेस्ट, रूस।
	एम्० ए० रहमान	प्रथम सचिव	भारतीय उप-राजदूतावास, बुडापेस्ट।
जोर्डन	आइ० एस्० चोपड़ा	मिनिस्टर; साथ-साथ इराक के राजदूत	अल-तवारी स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद।
लेबनॉन	आर० के० नेहरू	संयुक्त अरब-गणराज्य के राजदूत और लीबिया में मिनिस्टर	भारत की सूचना-सेवा, रू-ब्लिस, बेरूत, लेबनॉन। कैरो।
लीबिया	आर० के० नेहरू	संयुक्त-अरब गणराज्य के राजदूत और लेबनॉन में मिनिस्टर भी	भारतीय दूतावास, कैरो
लक्जेम्बर्ग	एन्० ए० रॉफ	बेलजियम के राजदूत,	भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्स
वैटिकन	एम्० के० वेलोदी	साथ ही स्विट्जरलैंड के भी राजदूत	भारतीय दूतावास, बर्न।

विशेष दूत (स्पेशल मिशन)

देश या नगर	नाम	पद	पता
संयुक्त राष्ट्रसंघ	चन्द्रशेखर झा, आई० सी० एस्०	संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि	न्यू इंडिया हाउस, ३-ईस्ट, ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क।
भूटान	अपा बी० पन्त	भूटान और सिक्कम के राजनीतिक ऑफिसर	सिक्कम—भाया — सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल) गंगटोक।
सिक्कम	अपा बी० पन्त	सिक्कम और भूटान के राजनीतिक ऑफिसर	गंगटोक, भाया—सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल)।

आयुक्त (कमिश्नर)

देश या नगर	नाम	पद	पता
अदन	जगतसिंह		भारत के कमिश्नर का कार्यालय, अदन।
ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका	आइ०जे० बहादुरसिंह	सेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन के आयुक्त के रूप में बेलजियन कांगो और रुआण्डा-उरुण्डी में कौंसल जेनरल के रूप में	इंडिया हाउस, ड्यूक स्ट्रीट, पो० बॉ० नम्बर ३००७४, नैरोबी (केनिया)।
ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज (जिसमें ब्रिटिश गायना सम्मिलित है)	एम्०वी० राजकुमार	डच-गायना में कौंसल जेनरल के रूप में	७८, मेरिन स्क्वायर ट्रिनिडाड, बी० डब्ल्यू० आइ० (स्पेन का पोर्ट)।
सेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन	आइ० जे० बहादुर सिंह	ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिका में आयुक्त के रूप में, बेलजियन कांगो और रुआण्डा-उरुण्डी में कौंसल जेनरल के रूप में	नैरोबी।
फिजी	आइ० जे० बहादुर सिंह		विशाल भारतीय बिल्डिंग, वैमनु रोड,सुवा (फिजी)।
हाँगकाँग	एफ्० एम्० डीमेलो	कमठ	टावर कोर्ट, फ्लोर ११, डडेल स्ट्रीट, हाँगकाँग।
मौरिशस	जगन्नाथ धमीजा		फेयर फेलिक्स डी-वेलोइज स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मौरिशस।
नाइजीरिया	बी० के० कपूर	घाना के उच्चायुक्त भी	अकरा।
सिंगापुर	एस्० के० बनर्जी		इंडिया हाउस, ३१, ग्रैंजरोड, पो० बॉक्स नं० ८३६, सिंगापुर।
यूगाण्डा	आइ० जे० बहादुर सिंह	सहायक	पो० बॉक्स नं० ३२६५, कैम्पला, यूगाण्डा।

महावाणिज्य-दूत तथा वाणिज्य-दूत (कौंसल जेनरल और कौंसल)

देश या नगर	नाम	पद	पता
एएटवर्प	एच्० एस्० गोपाल राव	ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका में आयुक्त और रुआएडा-उरुएडी में कौंसल जेनरल	४३, रुड्स टैनर्स, एएटवर्प ।
बसरा	पूरनसिंह	कौंसल (ऑनरेरी)	बसरा ।
बेलजियन कांगो	आइ० जे० बहादुर सिंह	कौंसल जेनरल	नैरोबी ।
बर्लिन	ए० आर० सेठी	कौंसल	जोआचिम्सलर स्ट्रैसी २८, बर्लिन-१५ ।
कोपेनहेगेन	विक्टर वी० स्ट्रैएड	ऑनरेरी कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, C/O भारतीय लिगेशन, स्ट्रैएडवेगेन ४७ IV, स्टॉकहोम ।
जेनेवा	ए० एस्० मेहता	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, प्लेटसेड्स इयौक्स-वाइन्स, जेनेवा ।
हम्बर्ग	आर० डी० सेठी	कौंसल जेनरल	१४, बरचार्ड स्ट्रैसी, हम्बर्ग ।
हेलसिंकी	जुहो सावियो	कौंसल जेनरल	स्ट्रैएडवेगेन, ४७-IV स्टॉकहोम ।
कोबे	आर० एल्० भाला	कौंसल	भारतीय कौंसलेट, ४५/१, किटानचो ४, कोबे ।
खोर्रम शहर	डी० सरीन	कौंसल	भारतीय कौंसलेट खोर्रम शहर ।
लासा (तिब्बत)	पी० एन्० कौल	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, लासा, पो० ग्यांत्से, तिब्बत ।
मडागास्कर	जे० ए० शाह	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, पो० बॉक्स नं० ११०८, टनानारिव, मडागास्कर ।

❀

देश या नगर	नाम	पद	पता
न्यूयार्क	एम्० गोपाल मेनन्	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, ३, ईस्ट, ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क।
पेकिंग	के० एम्० कन्नन पिल्लई	भारतीय कौंसल जेनरल	पेकिंग।
रुआण्डा-उरुण्डी	आइ० जे० बहादुर सिंह	ब्रिटिश पूर्व-अफ्रिका तथा सेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन में आयुक्त और कौंसल जेनरल; बेलजियन कांगो में कौंसल जेनरल	नैरोबी।
सैगौन	एस्० एस्० गुप्ता	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, २१३ रुइकेटिनट, सैगोन।
सानफ्रान्सिस्को	सी० जे० स्ट्रेसी	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, ४१७, मोण्टगोमरी-स्ट्रीट, सानफ्रांसिस्को।
माण्डले	के० एल्० एस्० पंडित	कौंसल	माण्डले।
शंघाई	एस्० कृष्णस्वामी	कौंसल जेनरल	भारतीय कौंसलेट जेनरल, २१६/१२ दि बंड, शंघाई (चीन), भाया—हाँगकाँग।
सौरेबाया	सम्पूर्णसिंह	कौंसल	डजला राजर गबोंग, ३२, सौरेबाया।
स्पेन	मुहम्मद यूनुस	कौंसल जेनरल	मैड्रिड।
सुरिनाम	एन्० बी० राजकुमार	कौंसल जेनरल	स्पेन का पोर्ट।
वियतनाम (गणराज्य)	एम्० पी० माथुर	कौंसल जेनरल	हनोई।
मसकट	एम्० एन्० मसूद	कौंसल	मसकट।
मेडान	मेहर सिंह	कौंसल	भारतीय कौंसलेट, डी० जे० त्यौकरोआ मिनोटो, १६, मेडान, इण्डोनेशिया।

उप-वाणिज्य-दूत (वाइस-कौंसल)

देश या नगर	नाम	पता
जलालाबाद (अफगानिस्तान)	एन्० एल्० काश्यप	वाइस-कौंसलेट, जलालाबाद।
कंधार (अफगानिस्तान)	ए० के० बख्शी	भारतीय वाइस-कौंसलेट, कंधार।
माण्डले (बर्मा)	के० एल्० एस्० पंडित	भारतीय वाइस-कौंसलेट, माण्डले।
जहिदन	एस्० डी० कपूर	भारतीय वाइस कौंसलेट, जहिदन (पूर्व ईरान), भाया—तेहरान, जहिदन।

अभिकर्त्ता (एजेण्ट)

देश या नगर	नाम	पता
ग्यानत्से	आर० एस्० कपूर	भारतीय ट्रेड एजेंसी, ग्यानत्से (तिब्बत)।
गारटॉक	लक्ष्मण सिंह जंगपंजी	भारतीय ट्रेड एजेंसी, गारटॉक (पश्चिम तिब्बत)।
यातुंग	कैप्टेन के० सी० जौहरी	भारतीय ट्रेड एजेंसी, यातुंग (तिब्बत)।

विदेशों में भारत-सरकार के वाणिज्य-प्रतिनिधि

यूरोप

नाम	पता	कार्यक्षेत्र
टी० स्वामीनाथन्	ग्रेटब्रिटेन में भारत के उच्चायोग के वाणिज्य-परामर्शदाता, इंडिया हाउस, ऑल्डविच, लंदन, डब्ल्यू सी० २।	ग्रेट ब्रिटेन, ईरी, आइसलैंड, माल्टा और टौंगा द्वीप।
एच्० के० कोचर	भारतीय दूतावास, १५, रुए आल्फ्रेड डेहोडेनेक, पेरिस १६ एमी (फ्रांस)।	फ्रांस, फ्रेंच कैमेरून और फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रिका।
पी० एन्० मेनन्	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव, भाया-फ्रांसिस्को डेंजे ३६, रोम (इटली)।	इटली और अलबानिया।
डॉ० एस्० पी० चबलानी,	जर्मनी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य), २६२, कोब्लेंजोर स्ट्रेसी, बोन, पश्चिम जर्मनी।	पश्चिम जर्मनी।
एस्० वी० पटेल	कौंसल ६०३/५, स्प्रिकेनपोफ, १४, बरचार्ड स्ट्रेसी, हम्बर्ग।	हम्बर्ग का राज्य, ब्रेमेन और श्लेसविंग हॉलस्टीन।
वी० सी० वी० राघवन्	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) ओपर्नरिंग १, विएना-१।	आस्ट्रिया और हंगरी।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
एम्० वी० देव	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) २१, लीवग्वेग, बर्न	स्विट्जरलैंड।
एच्० सी० हॉग	बेलजियम-स्थित भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव (वाणिज्य); ५८५, एवेन्यू लावजे, ब्रुसेल्स	बेलजियम और लक्जेम्बर्ग
एच्० एस्० गोपालराव	भारत के उप-वाणिज्य-दूत, ४३, रुए डेसटैनर्स, एएटवर्प	
के० सी० सेगल	भारतीय दूतावास, के द्वितीय सचिव स्ट्रेण्डवेगेन; ४७, ४, स्टॉकहोम, स्विडन	स्विडन, फिनलैंड, डेनमार्क।
सी० सिवा राव	(१) भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव २२, थुनोवस्का, प्राग—३	जेकोस्लोवाकिया।
	(२) द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, न० ६ और ८ यूलिटिसा ओबुखा, मास्को	रूस
	(३) द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, न० ३, एलीजा रॉज, वारशा	पोलैंड
	अमेरिका	
एस्० जी० रामचन्द्रन	भारतीय दूतावास के वाणिज्य-परामर्शदाता २१०७ मसाकुसेट्स एवेन्यू, वाशिंगटन ८, डी० सी०	सं० रा० अमेरिका और क्यूबा।
एम्० के० राय	कनाडा में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), मैक्लेरेन स्ट्रीट, ओटावा—४	कनाडा।
	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, ८७१, ट्रियान्स, सेण्टियागो, चिली	चिली और बोलिविया।
	अफ्रिका	
इंडियन ट्रेड कमिश्नर	जुबिली इन्स्योरेन्स बिल्डिंग, पो० बॉ० न० ६१४, मोम्बासा (केनिया)	ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका, केनिया, उगाण्डा और टैंगनिका, ज़ंजीबार, दक्षिण रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया, न्यासालैंड।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
के० आर० एफ० खिलनाई	वाणिज्य-परामर्शदाता, भारतीय दूतावास, ५, शरिया महाडेल स्विसरी, जमाबक, पो० बॉ० न० ४७५, कैरो, सं० अरब-गणराज्य	लेबनान, साइप्रस, लीबिया और सं० अरब-गणराज्य (मिस्र)
एम० आर० थडानी	भारतीय दूतावास, पो० बॉ० न० ७०७, खार्तुम	सूडान।
	अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	
एन० ए० सुजन	भारतीय ट्रेड कमिश्नर, कालटेक्स हाउस, फ्लोर १६७–८७, केण्ट स्ट्रीट, सिडनी (अस्ट्रेलिया)	अस्ट्रेलिया, नॉरफॉक, पपुआ, न्यू गिनी और नौरू।
एस० के० चौधरी	न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), विण्डसर बिल्डिंग, ४६ विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, सी० आइ० (न्यूजीलैंड)	न्यूजीलैंड।
	एशिया	
डी० हेजमादी	भारतीय दूतावास, एम्पायर हाउस (नैगाई बिल्डिंग) न० १८, २--चोमी, मरुनौचो, चियोड-कू, टोकियो (जापान)	जापान।
वी० सी० वी० राघवन	श्रीलंका में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव, (वाणिज्य) पो० बॉक्स नं० ८८२/६७ टेरट रोड, कोलम्बो—३	श्रीलंका।
एन० केशवन्	भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव (वाणिज्य) ओरियण्टल एस्योरेन्स बिल्डिंग, मरचेण्ट स्ट्रीट, पो० बॉ० न० ७५१, रंगून (बर्मा)	बर्मा।
एन० के० निगम	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारतीय उच्चायोग, पाकिस्तान, ३, वोनस रोड, कराँची—४	पाकिस्तान।
	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग, ६/३, सेगन बगीचा, पो० रमना, ढाका (पूर्व-पाकिस्तान)	पूर्व-पाकिस्तान।
ए० के० धार	मलाया में भारत के उच्चायोग के प्रथम सचिव (वाणिज्य), ३१ ग्रेंग रोड, पो० बॉ० नं० ८३६, सिंगापुर (मलाया)	मलाया।

नाम	पता	कार्य-क्षेत्र
	भारतीय दूतावास के तृतीय सचिव १३६, पानरोड, उत्तरी सैथॉर्न रोड; बैंकौक (थाइलैंड)	थाइलैंड।
	वाणिज्य-विभाग, भारत का उपराज-दूतावास, १८५६, नेबरास्का, मलेट, मनिला (फिलिपाइन्स)	फिलिपाइन्स, मंत्री के अन्दर, मनिला में भारत का उपराजदूतावास।
बी० आर० अभयंकर	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, पो० बॉ० न० १७८, ४४, केबन सिरीह, जकार्ता (इण्डोनेशिया)	इण्डोनेशिया
जगत सिंह	अदन में भारत सरकार के आयुक्त	अदन; ब्रिटिश सोमाली लैंड, इटालियन सोमाली लैंड।
आर० अक्जेल खाँ	वाणिज्य-सचिव, भारतीय दूतावास, एवेन्यू शाहरेजा, तेहरान (ईरान)	ईरान।
एस्० वर्गेसी	द्वितीय सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, वजीरिया, बगदाद।	इराक, जोर्डान (अमन, बसरा, शरजत, कुवैत, बहरेन) अरब, शिकडम, कातर और टर्सियल, ओमन।
पी० दास गुप्ता	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारतीय दूतावास, ३२, टंग-चिआओ-मिन, हसियांग, पेकिंग (चीन)	चीन और मंगोलिया।
टी० वी० गोपालपथी	भारत-सरकार के आयोग के द्वितीय सचिव (वाणिज्य), टावर कोर्ट (११ वाँ फ्लोर) हाँगकाँग।	हाँगकाँग।
डॉ० जे० सेन गुप्ता	भारतीय दूतावास, हिसाम एवेन्यू, फनौमपेन्ह	कम्बोडिया।
	भारतीय दूतावास के वाणिज्य सहायक, काठमाण्डू।	नैपाल।
	प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारत का आयोग, ३१, ग्रेंजे रोड; पो० बॉ० नं० ८३३, सिंगापुर—६	सिंगापुर।

❀

अणु-शक्ति

अणु-शक्ति-सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत एशिया के देशों में अग्रणी है। सन् १६४८ ई० के 'औद्योगिक नीति-प्रस्ताव' के अन्तर्गत अणु-शक्ति को भारत-सरकार का एक अनिवार्य विषय बना दिया गया। भारत में अणु-शक्ति के विकास की नींव डालने के लिए सन् १६४८ के प्रारम्भ में ही एक अणु-शक्ति-आयोग (एटोमिक इनर्जी कमीशन) का निर्माण हुआ। इसका उद्देश्य आणविक अनुसंधान को आगे बढ़ाना, उसका सर्वेक्षण, कच्चे माल की सुरक्षा और विस्तार तथा एक प्रायौगिक रिऐक्टर की स्थापना करना था। अणु-शक्ति से शक्ति उत्पन्न कर देहातों में प्रकाश पहुँचाना, उद्योग-धंधे चलाना, वैज्ञानिक औजारों द्वारा कृषि को उन्नत करना तथा रोगों की रोक-थाम आदि भारत का दीर्घकालीन लक्ष्य है।

अणु-शक्ति-विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक इनर्जी)—सन् १६४८ में स्थापित अणुशक्ति-आयोग का उद्देश्य भारत में अणु-शक्ति का विकास तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उसकी रक्षा करना है। यह आयोग प्राकृतिक साधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान-मंत्रालय का एक अंग है। अगस्त, १६५४ ई० में भारत-सरकार ने प्रधानमंत्री के अधीन अणु-शक्ति-विभाग नामक एक पृथक् विभाग खोला है। सन् १६४८ ई० के अणु-शक्ति-अधिनियम, २६ के अनुसार भारत-सरकार के अणु-शक्ति-सम्बन्धी समस्त कार्य इसी विभाग द्वारा सम्पन्न होते हैं। यह विभाग बम्बई में स्थित है। उपर्युक्त अणुशक्ति-आयोग इन दिनों इसी विभाग के अधीन कार्य करता है। यह आयोग अणुशक्ति-संबंधी नीति निर्धारित करने तथा उसे लागू करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्य आणविक खनिज-विभाग तथा अणुशक्ति-संस्थान (एटोमिक इनर्जी इस्टैब्लिशमेंट) द्वारा किये जाते हैं। इसके औद्योगिक कार्य इण्डियन रेयर अर्थ्स (प्राइवेट) लि० तथा ट्रावणकोर मिनरल्स (प्राइवेट) लि० द्वारा सम्पादित होते हैं। इस विभाग के अन्तर्गत प्रधान सचिवालय तथा शाखा-सचिवालय के अतिरिक्त एक अणुशक्ति-संस्थान है, जिसमें पदार्थ-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, अभियंत्रण, जीव-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान और स्वास्थ्य, सूचना एवं कच्चे माल के विभाग सम्मिलित हैं।

अणुशक्ति-विभाग ने अपने स्थापना-काल (अगस्त, १६५४ ई०) से लेकर अबतक अणु-शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास-कार्य में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। अणुशक्ति-संस्थान में ६५० से भी अधिक भारतीय वैज्ञानिक एवं प्रविधिज्ञ संलग्न हैं। ट्रॉम्बे (बम्बई) में अणु-शक्ति के लिए आवश्यक प्रायः सभी यन्त्र एवं इलेक्ट्रोनिक पुर्जे बनने लगे हैं। बम्बई के ट्राम्बे-संस्थान में 'अप्सरा' नामक भारत का प्रथम रिऐक्टर, रेडियो केमिस्ट्री लेबोरेटरी तथा थोरियम विकास-संयंत्र (थोरियम प्रोसेसिंग प्लाण्ट) का निर्माण हुआ है। भारत के प्रथम आणविक रिऐक्टर का कार्यारम्भ ४ अगस्त, १६५६ से हुआ और यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह रूसी क्षेत्र को छोड़कर एशिया

महादेश का प्रथम रिऐक्टर है। ईंधन के पदार्थों को छोड़कर इसका निर्माण पूर्ण रूप से भारतीय उद्योगों, भारतीय अभियंताओं एवं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हुआ है। भारत का दूसरा रिऐक्टर 'जेरलिना' है। तृतीय रिऐक्टर भारत तथा कनाडा की साढ़े सात करोड़ की संयुक्त पूँजी से निर्मित हो रहा है, जो १९६० में कार्य करने लगेगा। इसके बन जाने के बाद भारत संसार के सर्वश्रेष्ठ अणु-सक्रिय इसोटोप्स-उत्पादक देशों में गिना जाने लगेगा।

आयोग के औद्योगिक कार्य— अगस्त, १९५० ई० में केरल के अलवाए नामक स्थान में 'इंडियन रेयर अर्थ्स (प्राइवेट) लि०' की स्थापना हुई। यह उक्त आयोग तथा केरल-सरकार के अधीन है। इस संयन्त्र में मोनाजाइट को विकसित किया जाता है, जिससे क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, ट्रिसोडियम, फास्फेट आदि तैयार होते हैं। इलमेनाइट और मोनाजाइट के उत्पादन के लिए सन् १९५६ ई० में मद्रास तथा केरल राज्य की सरकारों द्वारा 'ट्रावणकोर मिनरल्स (प्राइवेट) लि०' की स्थापना की गई। ट्राम्बे में एक थोरियम संयंत्र (प्लाण्ट) है, जहाँ थोरियम नाइट्रेट का उत्पादन होता है।

अणुशक्ति-सम्बन्धी खनिज—शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति की सुरक्षा के इच्छुक देश के लिए (१) यूरेनियम २३५; प्लूटोनियम, या थोरियम 'यू' २३८; (२) बेरीलिया, ग्रेफाइट या हेवी वाटर; (३) जिरकोनियम, बेरीलियम या नायोबियम; (४) बोरॉन, और (५) सोडियम या विस्मथ आवश्यक हैं। केरल और मद्रास के तटीय बालू में ०.५ से २ प्रतिशत तक मोनाजाइट मिलता है। भारत में यूरेनियम का संचित कोष ३० हजार टन से भी अधिक कच्ची धातु के रूप में है, जिसमें ०.१ प्रतिशत यूरेनियम पाया जाता है। भारतीय मोनाजाइट में ०.२ से ०.४६ प्रतिशत यूरेनियम ऑक्साइड तथा ८ से १० प्रतिशत तक थोरियम ऑक्साइड पाया जाता है। ट्रावणकोर के क्षेत्र में ५ लाख टन उच्चकोटि का थोरियम पाया जाता है। भारत में बेरीलियम बेरील (एक सिलिकेट मिश्रण) के रूप में पाया जाता है। इसमें १० प्रतिशत ऑक्साइड तथा ३.५ से ४.२ प्रतिशत धातु पाई जाती है। अणु-शक्ति के उत्पादन में जिरकोनियम एक आवश्यक धातु है, जो केवल केरल के बालू में ५० लाख टन तक पाई जाती है। बोरॉन १० एक दूसरी आवश्यक धातु है, किन्तु यह भारत में नहीं पाई जाती। तिब्बत पर्याप्त परिमाण में भारत को बोरॉक्स का निर्यात करता है। कोलोम्बियम अणु-शक्ति के लिए एक मूल्यवान् धातु है, जो टैण्टालम के साथ मिश्रित ऑक्साइड के रूप में संयुक्त है। यह अबरख और बेरील की चट्टानों में पाया जाता है। नांगल में स्थापित होनेवाले बड़े संयंत्र में हेवी वाटर तथा उर्वरक के उत्पादन का निश्चय किया गया है। भारत-सरकार बेरीलियम तथा इरकोनियम के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करना चाहती है। भारत के दक्षिण-पश्चिम तट पर पाये जानेवाले इरकान बालू से इरकोनियम प्राप्त किया जा सकेगा। आणविक खनिजों के लिए भारत में गहरी खोज जारी है और भविष्य में अनेक खनिजों की प्राप्ति की आशा है।

विश्व की अणु-शक्ति में भारत का स्थान—दक्षिण एशिया में अणु-शक्ति के विकास में सबसे अग्रणी होने के कारण भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण (इंटरनेशनल ऐटोमिक इनर्जी एजेन्सी) की गवर्नर-परिषद् में पुनः मनोनीत हुआ है। डॉ० होमी जे० भाभा, जो भारत के अणुशक्ति-आयोग के अध्यक्ष हैं, भारत की ओर से उक्त परिषद् में सम्मिलित किये गये हैं।

भारत के विभिन्न राज्य

आन्ध्र-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,०५,६७७ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,१२,६०,१३३; **शिक्षितों की संख्या**—१३.१२ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—२६६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—हैदराबाद; **भाषा**—अँगरेजी; **प्रधान भाषा**—तेलुगु; **विश्वविद्यालय**—उस्मानिया, आन्ध्र तथा वेंकटेश्वर और **जिले**—श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम्, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कुड्‌डपाह, अनन्तपुर, कर्णूल, हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल तथा नलगोण्डा।

अँगरेजों को भारत से विदा होते तथा पाकिस्तान को कायम होते देखकर जून, १६४७ में हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को भारत में सम्मिलित न होने देकर इसे स्वतन्त्र बनाये रखने की घोषणा की। भारत-सरकार ने उक्त आधार पर इस घोषणा का विरोध किया कि राज्यसत्ता राजा में नहीं, बल्कि प्रजा में निहित है। अतः इस विषय में अपना फैसला प्रजा ही कर सकती है। हैदराबाद बहुत हीला-हवाला के बाद भारत-सरकार से यथापूर्व समझौता (स्टैंड स्टिल एग्रीमेण्ट) करने पर, अर्थात् पूर्ववत् रक्षा, यातायात, विदेशी सम्बन्ध आदि का भार भारत-सरकार को सौंपने पर राजी तो हुआ, परन्तु समझौते पर कायम नहीं रहा। उसने भीतर-ही-भीतर युद्ध की तैयारी की, बाहर से अस्त्र-शस्त्र मँगाये, पाकिस्तान से सम्बन्ध कायम किया, उसे २० करोड़ रुपये का कर्ज दिया और सुरक्षा-परिषद् में भारत के विरुद्ध आरोप लगाये। भारत-सरकार ने हैदरबाद की इस हरकत का विरोध किया, पर कोई फल नहीं हुआ। जब हैदराबाद ने आक्रमणात्मक कार्य आरम्भ कर दिया तब भारत-सरकार ने भी सितम्बर, १६४८ में अपनी सेना हैदराबाद भेजी। अन्त में हैदराबाद को दबना पड़ा। पश्चात् यह भारतीय देशी राज्य आन्ध्र के साथ मिला दिया गया। क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारतीय प्रान्तों में आन्ध्र का स्थान पाँचवाँ तथा जन-संख्या की दृष्टि से चौथा है।

कृषि—यहाँ के ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के १६ प्रतिशत भाग में जंगल है। पूर्वी घाट के जंगल में मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। श्रीकाकुलम्, विशाखापत्तनम्, गोदावरी तथा कर्नूल जिलों में घने जंगल हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा पेनार और उनकी सहायक नदियों से यहाँ सिंचाई होती है। यहाँ की उपज में धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मूँगफली आदि प्रमुख हैं। यहाँ अभी नागार्जुन-सागर-योजना के द्वारा, जिसमें लगभग १२५ करोड़ रुपये लगेंगे, एक बृहत् बाँध बनाने का काम चल रहा है। इसके तैयार होने पर इससे लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ कोयला, लोहा, अबरख आदि अधिक परिमाण में मिलते हैं। कोयला के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ४ प्रतिशत भाग यहाँ उपलब्ध होता है। बेरियम सल्फेट के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ९५ प्रतिशत अंश आन्ध्र में उपलब्ध होता है। अबरख-उत्पादन में बिहार के बाद आन्ध्र का ही स्थान है। तम्बाकू, ऊख, आलू, कपास, जूट आदि की उपज यहाँ अधिक मात्रा में होती है। कोठा गुदाम तथा तेन्दूर कोयला के भण्डार हैं। रायलसीमा तथा तेलंगाना खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ सोना तथा हीरे भी मिलते हैं। तम्बाकू-उत्पादन में आन्ध्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ कागज की दो मिलें हैं। इसमें पहली सिरूर पेपर मिल निजी तथा दूसरी आन्ध्र पेपर मिल राजकीय मिल हैं। यहाँ चीनी की दस मिलें हैं। भारत में केवल विशाखापत्तनम् में ही जहाज का निर्माण होता है। 'काल्टेक्स आयल रिफाइनरी' नाम का एक कारखाना भी विशाखापत्तनम् में स्थापित हुआ है। सिरपुर से सेरीसिल्क लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन ५०,००० गज कृत्रिम रेशम का उत्पादन होता है। अथिल्यन मेटल वर्क्स नाम का कारखाना रेलवे डब्बों का निर्माण करता है। सीमेण्ट-उत्पादन के यहाँ दो कारखाने हैं—(१) आन्ध्र सीमेण्ट फैक्टरी तथा (२) कृष्ण सीमेण्ट फैक्टरी।

बन्दरगाह— यहाँ के बन्दरगाहों मुख्य में हैं विशाखापत्तनम् तथा कलिंगपत्तनम्। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं; जैसे काकीनाद, मसूलीपत्तनम्, भीमुनीपट्टम्, बादरेवू, नर्सपुर तथा कन्दलेरू।

यहाँ के राज्यपाल—भीमसेन सच्चर, मुख्य न्यायाधीश—पी० चन्द्र रेड्डी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य दामोदरम सञ्जीविया (मुख्य मन्त्री), के० वेंकटरंग रेड्डी, अलूटी सत्यनारायण राजू, एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव, पीदातल रंग रेड्डी, के० चन्द्रमौलि, कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी, एम० नरसिंह राव, एम० पालम राजू, ए० सी० शुभ रेड्डी, पी० वी० जी० राजू, श्रीमती मसुमा बेगम, एन्० रामचन्द्र रेड्डी और कोण्डा लक्ष्मण हैं।

आसाम

क्षेत्र-विस्तार—८५,०६२ वर्गमील (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-सहित); **जन-संख्या**—९०,८३,७०७; शिक्षितों की संख्या १८.०७ प्रतिशत; जनसंख्या-घनत्व १०६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—शिलौंग; **प्रधान भाषाएँ**—असमिया और बँगला; **विश्वविद्यालय**—गौहाटी; जिले (कोष्ठ में सदर दफ्तर-सहित)—ग्वालपारा (धुबरी), कामरूप (गौहाटी), दारंग (तेजपुर), नौगाँव, शिवसागर (जोराहट), लखीमपुर (डिबरूगढ़), कचार (सिलचर), गारो हिल्स (तुरा), युनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स (शिलौंग), युनाइटेड मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स (डीफू) और मिजो हिल्स (ऐजल)।

आसाम राज्य ब्रह्मपुत्र की घाटी, सुरमा की घाटी तथा इन घाटियों को उत्तर-पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरकर अलग करनेवाले पहाड़ी स्थल से बना है। यह भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत तथा पूर्व में बर्मा हैं। गारो, युनाइटेड खासी-जयन्तिया, मिकिर, उत्तर कचार, लुशाई (मिजो) तथा नागा पहाड़ियों से यह प्रान्त परिवेष्ठित है। २६ जनवरी, १६५० ई० को २५ खासी पहाड़ी राज्य आसाम में मिला दिये गये और उनका जिला रूप से नामकरण हुआ है खासी-जयन्तिया हिल्स, जिसका क्षेत्र ६०२७ वर्गमील है। भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा आसाम में जनजाति के लोग अधिक हैं। यहाँ उनकी संख्या ३४ प्रतिशत है। नॉर्थ-ईस्ट फ्रॉण्टियर एजेन्सी (NEFA) और नागा हिल्स त्वेनसंग एरिया–ये दोनों आसाम प्रान्त के सामरिक सीमा-क्षेत्र हैं, जिनका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में आसाम-सरकार की ओर से आसाम का राज्यपाल ही करता है।

खेती—इस प्रदेश का आर्थिक आधार कृषि है तथा यहाँ के ७२ प्रतिशत व्यक्ति इसी पर अवलम्बित हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा इसी प्रान्त में होती है। यहाँ खेती के लिए सिंचाई की समस्या नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष ५० इंच से लेकर २५८ इंच तक औसत वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के चेरापुंजी नामक स्थान में तो लगभग ५७० इंच तक वर्षा होती है। इतनी वर्षा संसार में और कहीं नहीं होती। यहाँ की मुख्य उपज धान, चाय, जूट, सरसों, ऊख, कपास, आलू, मकई, तम्बाकू आदि हैं। सिलहट, चेरापुंजी, छतक आदि स्थानों में नारंगी की खेती होती है।

खनिज पदार्थ एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ के खनिज पदार्थ कोयला, चूना-पत्थर और पेट्रोल हैं। नाहरकटिया में मिट्टी तेल निकालने का काम हो रहा है। गारो पहाड़ी में कोयला अधिक मिलता है। चूना-पत्थर खासी और जयन्तिया की पहाड़ियों में पाया जाता है। पेट्रोल लखिमपुर और कचार में निकाला जाता है, किन्तु इसकी सफाई केवल लखिमपुर में होती है। डिगबोई में किरासन तेल की खान है।

ब्रह्मपुत्र की घाटी में अण्डी और मूँगा नाम के रेशमी कपड़े तैयार किये जाते हैं। यहाँ घरेलू धन्धे के रूप में कपड़े बनते हैं। सूरमा घाटी में व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े तैयार होते हैं। चाय का उत्पादन यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा है। सिलहट में एक पारकर सीमेण्ट फैक्टरी नाम का कारखाना है। धुबरी में दियासलाई का कारखाना है। इनके अतिरिक्त यहाँ चूने के कारखाने, नाव बनाने के कारबार, शोला हैट बनाने का व्यवसाय, लोहारी का काम, शंख की चूड़ियाँ बनाने का काम, चावल और तेल की मिलें, लकड़ी के कारखाने आदि कई तरह के उद्योग-धन्धे हैं।

भाषा—१६५१ ई० की जनगणना के अनुसार आसाम के ४० प्रतिशत व्यक्ति असमिया तथा २५ प्रतिशत व्यक्ति बँगला भाषा बोलते हैं। यहाँ बोली जानेवाली अन्य भाषाएँ हैं—हिन्दी, उड़िया, मुण्डारी, नेपाली तथा तिब्बत-बर्मी। यहाँ की सम्पूर्ण जन-संख्या के लगभग ४६,७२,४६३ व्यक्ति असमिया; १७,१६,१५५ व्यक्ति बँगला तथा ३,३५,६८८ व्यक्ति हिन्दी बोलते हैं।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी

इसका क्षेत्र-विस्तार ३२,६६६ वर्गमील और जन-संख्या ६ लाख है। इसका मुख्यालय शिलाँग में है।

यह एजेंसी भारत के उत्तर-पूर्व कोने में तथा बर्मा, चीन, तिब्बत और भूटान की सीमाओं पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में आसाम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलाँग में एक परामर्श-दाता रहता है। इस क्षेत्र में पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं—(१) कामेन सीमान्त डिवीजन, (२) सुबान सिटी सीमान्त डिवीजन, (३) सियांग सीमान्त डिवीजन, (४) लोहित सीमान्त डिवीजन तथा (५) तिरप सीमान्त डिवीजन। इनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है।

यहाँ के निवासी जन-जाति के हैं, जिनका मूल है भारत-मंगोलियन। यहाँ के निवासियों के प्रधानतः दो वर्ग हैं—(१) तिब्बत-मंगोलियन तथा (२) ताई-चीनी। यहाँ की जन-जातियों में विशेषतः तिब्बत-बर्मी वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ की प्रधान जन-जातियाँ हैं—मोनपा, तैगिन, गैलौंग, उपतनी, मोंबा, पलिबो, रेमो, बोकार, बोरी तथा मिशमी।

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग-क्षेत्र

इसका क्षेत्र-विस्तार ६,२३६ वर्गमील और यहाँ के नागाओं की संख्या ३ लाख, ६६ हजार है। इसका मुख्यालय कोहिमा है।

दिसम्बर, १९५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र-मन्त्रालय के अधीन संघ द्वारा शासित क्षेत्र बना दिया गया है। यहाँ के नागा कुल ७१८ गाँवों में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँट दिया गया है, जिनके मुख्यालय हैं—कोहिमा, त्वेनसांग तथा मोकोकचुंग। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आसाम का नागा-पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग सीमान्त डिवीजन आते हैं, जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व आसाम के राज्यपाल पर है, जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता है। वैसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान एक आयुक्त है।

त्वेनसांग का क्षेत्र-विस्तार लगभग २००० मील है तथा यहाँ की जन-संख्या लगभग डेढ़ लाख है। यहाँ के निवासियों में चंग, सेम, कोन्याक, फोम तथा सगतम जातियों के लोग रहते हैं, जिनमें प्रत्येक जाति भिन्न भाषा-भाषी तथा भिन्न रहन-सहनवाली है।

नागा जातियों में प्रधान हैं—अंगमी, आओस, सेम तथा ल्होतो। इनके बाद कच्छ नागा तथा रेंगमा के नाम आते हैं।

आसाम के राज्यपाल एस० एम० श्रीनागेश, मुख्य न्यायाधीश चन्द्रेश्वर प्रसाद और मन्त्रिमण्डल के सदस्य विमलप्रसाद चालिहा (मुख्य मन्त्री), रूपनाथ ब्रह्म, फखरुद्दीन अली

अहमद, देवेश्वर शर्मा, कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी, मोइनुल हक चौधरी, हरेश्वर दास, महेन्द्रनाथ हजारिका और विलियम्सन ए० संगम हैं।

उपमन्त्रियों के नाम विश्वदेव शर्मा, गिरीन्द्रनाथ गोगोई, राधिकाराम दास तथा लारशिंग खिरीम हैं।

उड़ीसा

क्षेत्र-विस्तार—६०,२५० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,४६,४५,६४६; **शिक्षितों की संख्या**—१५.८० प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—२४३ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भुवनेश्वर; भाषा—उड़िया; विश्वविद्यालय—उत्कल; जिले—बालासोर, बोलांगीर, कटक, धेनकानल, गंजाम, कालाहण्डी, क्योंझर, कोरापट्ट, मयूरभञ्ज, फूलबनी, पुरी, संबलपुर तथा सुन्दरगढ़।

उड़ीसा दो प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है एक तो उत्तर का पहाड़ी और जंगली भाग तथा दूसरा, दक्षिण का समतल मैदान। यह प्रदेश राजनीतिक रूप से छिन्न-भिन्न था। १ अप्रैल, १९३६ को बिहार-उड़ीसा प्रान्त से उड़ीसा कमिश्नरी के पांच जिले-कटक, पुरी, बालासोर, अंगुल और संबलपुर; मध्य-प्रान्त से रायपुर जिले की खरियार जमीन्दारी और मद्रास के गंजाम जिले का अधिकांश भाग तथा विजगापट्टम् का एजेंसी भाग को मिलाकर उड़ीसा-प्रान्त का निर्माण किया गया। उड़ीसा-प्रान्त के अन्दर २४ रियासतें थीं, जिनका शासन पूरब की अन्य रियासतों के साथ-साथ ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी द्वारा होता था। १९४७ में देश के स्वतन्त्र होने पर मयूरभञ्ज को छोड़ शेष सभी रियासतें १ जनवरी, १९४८ ई० को उड़ीसा-प्रान्त में मिल गईं। मयूरभञ्ज भी १ जनवरी, १९४९ ई० को उड़ीसा में मिल गया।

उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में इसे कलिंग भी कहते थे। १२वीं शताब्दी में कलिंग-राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। यहाँ पुरी का जगन्नाथ जी का मन्दिर, कोणार्क का सूर्य-मन्दिर, भुवनेश्वर का शिव-मन्दिर तथा कटक में महानदी और कठजोरी के पत्थर के बाँध प्राचीन जगत् में ही नहीं, अब भी अभियन्त्रण तथा वास्तु-कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में गिने जाते हैं।

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्र-प्रदेश, पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम में बिहार हैं। यहाँ की नदियों में महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं।

खेती और उद्योग-धन्धे—उड़ीसा के समुद्रतटवर्त्ती प्रदेश का अधिकांश भाग महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के सम्मिलित डेल्टा से बना है। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें केन्द्रपाड़ा, तालदोंका और मचंगा प्रसिद्ध हैं। बाढ़-नियन्त्रण के लिए मचकुण्ड तथा हीराकुण्ड बाँध बनाये गये हैं। अधिक अन्न उपजाओ-

योजना के अनुसार सिंचाई के कुछ दूसरे छोटे-छोटे प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं। प्रान्त-वासियों की मुख्य जीविका खेती है। सैकड़े करीब ८० व्यक्ति धान की खेती पर निर्भर हैं। गौण रूप में जूट, ऊख और दलहन की खेती भी होती है। समुद्र के किनारे नारियल की अच्छी पैदावार होती है।

सैकड़े दस से भी कम व्यक्ति उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। ये उद्योग-धन्धे भी अधिकतर घरेलू हैं; पर अब बड़े उद्योगों की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। चोदुआर और कपिलास में कपड़े की मिलें और बरहमपुर में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया है। प्रान्त में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना ओरियण्टल पेपर मिल है। बहुत-से नये-नये चीनी, सीमेण्ट, लोहे आदि के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो रही है। मयूरभञ्ज में लोहे की खान है। महानदी की घाटी, सम्बलपुर और तालचर में कोयले की छोटी-छोटी खानें हैं। इन खानों में मैंगनीज, चूना का पत्थर और चीनी मिट्टी मिलती है।

यहाँ के राज्यपाल वाइ० एन्० सुक्थंकर, मुख्य न्यायाधीश आर० एल्० नर-सिंहम् और मन्त्रिमण्डल के सदस्य हरेकृष्ण महताब (मुख्य मन्त्री), राजेन्द्र एन्० सिंह देव, राधानाथ राथ, सत्यप्रिय महन्ती, शैलेन्द्र नारायण भञ्जदेव, उदित प्रताप शेखर देव, नीलमणि रौत्रे, वृन्दावन नायक, रामप्रसाद मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद मिश्र तथा राज-वल्लभ मिश्र हैं।

उत्तर-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,१३,४२३ वर्गमील; जन-संख्या—६,३२,१५,७४२; शिक्षितों की संख्या—१०.८० प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—५५७ प्रति वर्गमील; राजधानी—लखनऊ; भाषा—हिन्दी; विश्वविद्यालय—लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, रुड़की तथा कुरुक्षेत्र; कमिश्नरियाँ—मेरठ, आगरा, रोहिल-खण्ड, इलाहाबाद, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, कुमायूँ, लखनऊ तथा फैजाबाद; जिले—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अलमोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बरैली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हम्मीरपुर, हरदोई, एटा, जालोन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, खेरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर, नैनीताल, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरैली, रामपुर, सहारनपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टेहरी-गढ़वाल, उन्नाव तथा वाराणसी।

ब्रिटिश शासन के आरम्भ में यह प्रान्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कहलाता था। १८७७ ई० में दो प्रान्तों को मिलाकर इसकी रचना की गई। १६०२ ई० में इसका नाम अवध और आगरा का संयुक्त प्रान्त पड़ा; पर १६३७ ई० के १ अप्रैल से यह केवल संयुक्त प्रान्त कहलाने लगा। १६५० की जनवरी से इसका नाम फिर बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

यह प्रदेश चार मुख्य प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है–(१) हिमालय का भाग, (२) हिमालय की तराई का भाग, (३) गङ्गा की समतल भूमि तथा (४) दक्षिण का कुछ पहाड़ी भाग। यह प्रदेश उत्तर-भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत और उत्तर-पूरब में नैपाल राज्य है। पूरब में बिहार, पश्चिम में हिमाचल-प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तथा दक्षिण में विन्ध्य-प्रदेश तथा मध्य-प्रदेश हैं। यहाँ ८३.२७ प्रतिशत हिन्दू, १५.२८ प्रतिशत मुसलमान तथा १.४५ प्रतिशत अन्य जाति के लोग हैं। उत्तर के पहाड़ी भाग में मंगोल और दक्षिण के पहाड़ी भाग में द्रविड़-जाति के लोग रहते हैं।

खेती और उद्योग-धन्धे—इस प्रान्त के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और ८ प्रतिशत के लिए यह सहायक धन्धा है। प्रान्त का अधिकांश भाग खूब उपजाऊ है। यहाँ के पहाड़ी भागों में ५०.७० इञ्च, वाराणसी और गोरखपुर-कमिश्नरियों में ४० से ५० इञ्च तथा आगरा-कमिश्नरी में २५ से ३० इञ्च तक वर्षा होती है।

इस प्रान्त में खानें प्रायः नहीं हैं। थोड़ा कच्चा लोहा और ताँबा हिमालय के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। कोयले की एक छोटी खान मिर्जापुर जिले के संघरौली तहसील (सबडिवीजन) में रीवाँ रियासत के पास है। चूने का पत्थर हिमालय पहाड़ के इलाके तथा इटावा और बाँदा जिलों में मिलता है। मिर्जापुर जिले में पत्थर काटने का काम होता है।

सूत और कपड़ा तैयार करने के काम प्रान्त के पश्चिमी भाग में अधिक होते हैं। लगभग ७२ हजार व्यक्ति कपड़े की मिलों में और ३ लाख व्यक्ति करघे के काम में लगे हुए हैं। रेशमी कपड़ा वाराणसी में, आजमगढ़ जिला के संदीला और मऊ नामक स्थानों में तथा पीलीभीत जिला के विशालपुर में बनता है। वाराणसी और लखनऊ में रेशमी कपड़ों पर जरी का काम भी होता है।

शीशा की चीजें बनाने के कारखाने बहजोई, बलावली, ससनी, हाथरस, हरनगऊ, शिकोहाबाद, मखनपुर, नैनी, गाजियाबाद और बनारस में हैं। फिरोजाबाद काँच की चूड़ी बनाने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। प्रान्त के अन्दर चूड़ी के कारखाने ८० तथा शीशा के अन्य कारखाने ४१ हैं। केवल शीशा के व्यवसाय में प्रान्त-भर में लगभग ६० हजार मजदूर काम करते हैं।

मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली (मुजफ्फरनगर) और बहराइच पीतल के बरतन के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्रुखाबाद, पिलखावा (मेरठ) और मथुरा में छींट की छपाई होती है। आगरा में दरी, मारबल और उजले पत्थर की चीजें तैयार होती हैं। कुरजा में चीनी मिट्टी के बरतन और चुनार तथा मेरठ में मिट्टी के पॉलिश किये हुए सुन्दर बरतन बनते हैं। मिर्जापुर, भदोही, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि में कम्बल बनते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा मेरठ में चमड़े की चीजें; टंडा (फैजाबाद) में कृत्रिम रेशम; अलीगढ़ में ताले; कायमगञ्ज और हाथरस में हथियार; अलमोड़ा में ताँबे के बरतन; आगरा, कानपुर, बरेली और खैराबाद (सीतापुर) में दरियाँ; मेरठ में कैंचियाँ तथा लखनऊ में हाथी-दाँत की चीजें बनती हैं। कानपुर यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है।

प्रान्त के अन्दर ७३ चीनी के कारखाने हैं। वनस्पति घी कानपुर, बेगमाबाद और गाजियाबाद में तैयार होता है। इस प्रान्त में २ करोड़ मन तेलहन की उपज है। यहाँ तेल की १४६ बड़ी मिलें और २५० छोटी मिलें हैं। प्रान्त में साबुन की २५ बड़ी फैक्टरियाँ और दर्जनों छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं।

यहाँ के राज्यपाल वी० वी० गिरि, मुख्य न्यायाधीश ओ० एच्० माथोम, और मन्त्रिमण्डल के सदस्य डॉ० सम्पूर्णानन्द (मुख्य मन्त्री), हुक्म सिंह विसेन, गिरिधारी लाल, सैयद अली जहीर, कमलापति त्रिपाठी, विचित्रनारायण शर्मा तथा मोहनलाल गौतम हैं।

राज्य-मन्त्री डा० सीताराम, जगमोहन सिंह नेगी तथा लक्ष्मीरमण आचार्य और उपमन्त्री बलदेवसिंह आर्य, रामस्वरूप यादव, एच्० एन्० बहुगुना, महावीरसिंह, जयराम वर्मा, दीनदयाल शास्त्री तथा वीरेन्द्र वर्मा हैं।

केरल

क्षेत्र-विस्तार—१५,००६ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,३५,४६,११८; **शिक्षितों की संख्या**—५०.३७ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६०७ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—त्रिवेन्द्रम्; **भाषा**—मलयालम ; **विश्वविद्यालय**—केरल; **जिले**—अलेपी, केन्ननोर, कोट्टायम्, कोभीकोड, पालघाट, क्विलोन, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम्।

सन् १९४६ की पहली जुलाई को दक्षिण की ट्रावणकोर और कोचीन रियासतों ने मिलकर एक राज्य-संघ की स्थापना की। पश्चात् भारतीय प्रान्त-निर्माण-योजना के अनुसार इसका प्रान्तीकरण हुआ। भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित यह केरल-प्रान्त इसके अन्य सभी प्रान्तों से विद्या और विकास की दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा है। उत्तर में कासरगोड तथा दक्षिण में त्रिवेन्द्रम् तक लगभग ४०० मील के लम्बे क्षेत्र में यह प्रान्त विस्तृत है। इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में मैसूर, पूर्व और पूर्व-दक्षिण में मद्रास तथा पश्चिम में अरब समुद्र हैं।

शिक्षा—कहा जा चुका है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रान्त सबसे उन्नत है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार ट्रावणकोर-कोचीन के शिक्षितों की संख्या प्रतिशत ५३.७६ है, जिनमें पुरुष ६४.४७ तथा महिलाएँ ४३.२३ प्रतिशत हैं। शिक्षितों की निम्नतम संख्या मालाबार में है, केवल ३१ प्रतिशत है।

कृषि—यहाँ की मुख्य उपज धान, सोयाबीन, चना, लाल मिर्च, अदरख, चाय, इलायची, कहवा, ऊख आदि हैं। यहाँ नारियल कटहल, आम आदि फल भी होते हैं।

जंगल—वन-सम्पत्ति में केरल-प्रान्त बहुत धनी है। लगभग ३,०५२ वर्गमील में जंगल सुरक्षित है। इस जंगल में टीक, आबनूस आदि मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—खनिज सम्पत्ति में बिहार के बाद केरल का ही स्थान है। कुछ खनिज पदार्थ तो बिहार की अपेक्षा केरल में ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ सामुद्रिक बालू से युद्ध-सामग्री बनती है। यहाँ रसायन, चीनी, सीमेण्ट, शीशा आदि के

कारखाने हैं। तेल का उत्पादन, हाथ-करघे की बुनाई, हाथी-दाँत की चीजों पर खुदाई के काम, काष्ठ-वस्तु-निर्माण, मिट्टी के बरतन बनाना, चटाइयाँ बुनाना आदि काम गृह-उद्योग के रूप में होते हैं। इस समय यहाँ सिंचाई की निम्नलिखित योजनाएँ चालू हैं, जिनसे लगभग २८१ लाख एकड़ भूमि में धान का अधिकाधिक उत्पादन होता है। कुछ मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं—(१) मलमपुजा-योजना, (२) वालेयर जलाशय-योजना, (३) मंगलम् जलाशय-योजना, (४) पीची-योजना, (५) चालकूडी-योजना (६) वाजनी-योजना, (७) कुट्टानन्द-योजना, (८) नेय्यर-योजना, (९) पेरियर घाटी-योजना, (१०) चीरकुजी-योजना तथा (११) मीनकर-योजना।

सन् १९५५ ई० के साधारण चुनाव के बाद केरल में काँग्रेस और प्रजा-समाजवादी दल ने मिलकर मंत्रिमंडल कायम किया था। किन्तु १९५७ में उस मंत्रिमंडल की हार हुई, जिसके फलस्वरूप अप्रैल में कम्युनिस्ट दल ने श्री ई० एम्० एस्० नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कायम किया। इस प्रकार, भारत में सर्वप्रथम केरल-राज्य में कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई। पर कम्युनिस्टों के कुछ कार्य ऐसे हुए कि राज्य में घोर उपद्रव छा गया, जिसके फलस्वरूप १९५९ के मध्य में कम्युनिस्ट सरकार भंग कर राष्ट्रपति ने यहाँ का शासन ३१ जुलाई, १९५९ को अपने हाथ में ले लिया। फरवरी, १९६० में फिर सार्वजनिक चुनाव हुआ, जिसमें संयुक्त मोर्चा के ९४ (काँग्रेस ६३, प्रजा-समाजवादी दल २० और मुस्लिम लीग ११), कम्युनिस्ट दल के २६, कम्युनिस्ट से सहायता-प्राप्त स्वतंत्र ३ एवं अन्य ३ व्यक्ति विधान-सभा के सदस्य चुने गये। विधान-सभा में बहुमत प्राप्त करने के कारण संयुक्त मोर्चावालों ने अपना मंत्रिमंडल कायम किया; किन्तु मुस्लिम लीगवाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए।

इस समय यहाँ के राज्यपाल डॉ० वी० रामकृष्ण राव; मुख्य न्यायाधीश केशवन्-शंकरन् और मंत्रिमंडल के सदस्य—पट्टम थानु पिल्लई (मुख्य मंत्री), आर० शंकर, पी० टी० चाको, के० ए० दामोदर मेनन्, के० चन्द्रशेखरन्, ई० पी० पौलोस, और के० टी० औचुठान, पी० पी० उम्मार कोया, डी० दामोदरन् पोट्टी, वी० के० वेलाप्पन् और के० कुनहुम्बु हैं।

गुजरात

१ अप्रैल, १९६० को बम्बई-प्रदेश दो राज्यों में बाँट दिया गया—गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात की राजधानी हुई अहमदाबाद। यहाँ की राजकीय भाषा गुजराती घोषित की गई है। इस राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित जिले हैं—बनसकंठ, मेहसाना, सबरकंठ, अहमदाबाद, खैरा, पंचमहल, बड़ौदा, भड़ौंच, सूरत, डैंग्स, अमरेली, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और कच्छ।

इस राज्य के राज्यपाल नवाब मेंहदी नवाज जंग और मंत्रिमण्डल के सदस्य डॉ० जीवराज मेहता (मुख्य मंत्री), रसिक लाल उमेदचन्द पारीख, रतूभाई अदानी, माणिक्यलाल सी० साह और हितेन्द्र के० देसाई हैं।

जम्मू तथा कश्मीर

क्षेत्र-विस्तार—८५,८६१ वर्गमील ; **जन-संख्या**—४४,१०,००८ ; **जन-संख्या का घनत्व**—५४ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—श्रीनगर ; **प्रधान भाषाएँ**- कश्मीरी, उर्दू तथा डोगरी ; **विश्वविद्यालय**—जम्मू तथा कश्मीर ; **जिले**—अनन्तनाग, अस्तोर, गिलगिट, लीज्ड एरिया, गिलगिट एजेंसी, बारामुला, चेनानी, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, मीरपुर, पून्छ, मुजफ्फराबाद, रियासी तथा उदमपुर ।

यह प्रान्त भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर है। भारत की सीमा पर रहने के कारण राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम में रूसी तुर्किस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, रूस तथा चीन, उत्तर-पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण में पंजाब हैं। सम्पूर्ण प्रान्त पहाड़ियों से भरा है। भौगोलिक दृष्टि से इसका प्राकृतिक विभाजन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है-(१) तिब्बती तथा अर्द्ध तिब्बती क्षेत्र, जो उत्तर में हैं, (२) लद्दाख तथा गिलगिट जिलों का क्षेत्र तथा (३) कश्मीर के मध्य भाग की कश्मीरी घाटी का शोभासम्पन्न क्षेत्र तथा जम्मू का क्षेत्र, जो दक्षिण में है। प्रान्त का उत्तरी भाग, जो पर्वतमय है, लगभग छह महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, अतएव इस भाग में अन्न का उत्पादन बहुत कम होता है। चनाब, झेलम तथा सिन्ध नदियों की घाटियाँ घने जंगलों से आवृत हैं।

शिक्षा—भारत में केवल कश्मीर-प्रान्त ही ऐसा है, जहाँ प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय-स्तर तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कहीं भी शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है।

यहाँ कश्मीरी भाषा बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से अधिक है और पंजाबी भाषा बोलनेवालों की संख्या दस लाख से अधिक। डोगरी तथा बाल्टी भाषाओं के बोलनेवाले क्रमशः लगभग ३० हजार तथा १० हजार हैं। यहाँ की कार्यालयीय भाषा उर्दू है।

जन-संख्या—यहाँ के निवासियों में मुसलमान ७५ प्रतिशत, हिन्दू २० प्रतिशत, सिख १·६ प्रतिशत, बौद्ध १ प्रतिशत तथा अन्य ०·११ प्रतिशत हैं।

कृषि—प्रान्त की प्रधान उपज हैं—धान, गेहूँ, मकई, जौ, सरसों, कपास, तम्बाकू आदि। यहाँ खजूर, नासपाती, अनार आदि फल-मेवे अधिक परिमाण में होते हैं।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ के खनिज पदार्थों में कोयला, ताँबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, मार्बल, स्लेट आदि हैं। ऊनी कपड़ा तैयार करने में यह प्रान्त सबसे आगे है। यहाँ की दरी, दुशाले आदि संसार में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रेशमी कपड़े भी प्रसिद्ध हैं।

यहाँ के राज्यपाल युवराज करणसिंह, मुख्य न्यायाधीश जानकीनाथ वजीर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य बख्शी गुलाम मुहम्मद (मुख्य मंत्री), शामलाल शर्राफ, दीनानाथ महाजन, चुनीलाल कोतवाल मीर गुलाम मुहम्मद राजपुरी तथा शमसुद्दीन हैं।

उपमन्त्रियों में कुशक बाकुला (लद्दाख का लामा), अब्दुल घानी त्रली, अमरनाथ शर्मा, भगत छज्जू राम, हरवंश सिंह आजाद तथा गुलाम नबी बनी सोगमी हैं।

पंजाब

क्षेत्र-विस्तार—४७०६२ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,६१,३४,८६०; **जन-संख्या का घनत्व**—३४३ प्रति वर्गमील ; **शिक्षितों की संख्या**—१५·२३ प्रतिशत ; **राजधानी**—चंडीगढ़ ; **प्रधान भाषाएँ**—पंजाबी तथा हिन्दी ; **विश्वविद्यालय**—पंजाब ; **कमिश्नरियाँ**—अम्बाला, जालन्धर तथा लाहौर ; **जिले**—अम्बाला, अमृतसर, बर्नाल, भातिन्दा, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरुदासपुर, गुरगाँव, हिसार, होशियारपुर, जालन्धर, काँगड़ा, कपूरथला, कर्नाल, कोहिस्तान, लुधियाना, महेन्द्रगढ़, पटियाला, संग्रूर तथा शिमला।

पंजाब भारतीय संघ की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रान्त है। यह १६४७ के मध्य में पंजाब के दो टुकड़े करने से बना है। सम्पूर्ण पंजाब में पाँच नदियाँ थीं, जिनके आधार पर इस प्रान्त का नामकरण हुआ। पूर्वी पंजाब में सतलज और व्यास—ये दो नदियाँ रह गई हैं। प्रान्त के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश का एक खण्ड तथा तिब्बत तथा पूर्व में राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा दिल्ली हैं।

इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में शिवालक और काँगड़ा घाटी के पहाड़ी स्थल हैं जालन्धर कमिश्नरी की भूमि उपजाऊ है। अम्बाला कमिश्नरी के कुछ भाग में, अर्थात् हरियाना में, वर्षा बहुत कम होती है और वह भाग बहुत सूखा रहता है।

भाषा—पंजाब की मुख्य भाषाएँ पंजाबी और हिन्दी हैं। पंजाबी जालन्धर कमिश्नरी में और अम्बाला जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। हिन्दी अम्बाला कमिश्नरी की मुख्य भाषा है। इसके अलावा पूर्वी पहाड़ी भाषा गुरुदासपुर, काँगड़ा और शिमला के पहाड़ी भागों में और राजस्थानी भाषा राजस्थान की सीमा पर हिसार जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। प्रान्त के विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों के काम हिन्दी तथा पंजाबी में से किसी एक क्षेत्र-प्रधान भाषा में होते हैं ; जैसे गुरुदासपुर, अमृतसर, भातिन्दा, जालन्धर, होशियारपुर, फिरोजपुर लुधियाना, कपूरथला, अम्बाला, (रुपर तथा चण्डीगढ़ एम्सेबली कंस्टिच्युएन्सी के) पटियाला (कन्याघाट तथा नालगढ़ तहसील छोड़कर), संग्रूर (जिन्द तथा नरवाना जिला छोड़कर) जिलों में पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में काम होते हैं और काँगड़ा, शिमला, कर्नाल, रोहतक, गुरगाँव, हिसार, महेन्द्रगढ़, पटियाला (केवल कोण्डाघाट तथा नलगढ़ तहसील में), अम्बाला (रुपर तथा चण्डीगढ़ एसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी छोड़कर) तथा संग्रूर (केवल जिन्द तथा नरवाना तहसीलों में) जिलों में हिन्दी में काम होते हैं।

कृषि—प्रान्त के ६६·५ प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं। यहाँ लगभग डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ और चना है, जो ६० लाख एकड़ में होते हैं। इसके बाद क्रमशः बाजरा, मकई, जौ, चावल, ज्वार और तेलहन का स्थान है। कम मात्रा में ऊख और रूई की भी खेती होती है।

उद्योग-धंधे—सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग ७०० फैक्टरियाँ हैं। इन फैक्टरियों में आधे से अधिक अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर में हैं। इनमें कपड़ा, गंजी, शीशा, कागज, रसायन आदि की फैक्टरियाँ मुख्य हैं। धारीवाल का ऊन का कारखाना भारत के दो सबसे बड़े कारखानों में एक है। भारत में जितना ऊनी कपड़ा बनता है, उसका चतुर्थांश यहीं तैयार होता है। गंजी, मोजा आदि तैयार करने में लुधियाना भारत में सबसे आगे है।

यहाँ के राज्यपाल एन्० वी० गाडगिल, मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरदार प्रतापसिंह कैरों (मुख्य मंत्री), मोहन लाल, अमरनाथ विद्यालंकार, सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला, राव वीरेन्द्र सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, चौधरी सूरजमल, डॉ० गोपीचन्द भार्गव तथा एस्० गुरुवन्त सिंह हैं।

उप-मन्त्रियों में श्रीमती प्रकाश कौर, यशवन्त राय, हरवंश लाल, बख्शी प्रताप सिंह, दलवीर सिंह, बनारसी दास, यशपाल तथा सरदार निरञ्जन सिंह तालिब हैं।

पश्चिम बंगाल

क्षेत्र-विस्तार (वर्गमील)--३३,९२७; **जन-संख्या**—२,६३,०२,३८६; **शिक्षितों की संख्या**—२४.५५ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—७७६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—कलकत्ता; भाषा—बँगला; विश्वविद्यालय—कलकत्ता, विश्वभारती, यादवपुर तथा बर्दवान; जिले—बाँकुरा, वीरभूमि, बर्दवान, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, कलकत्ता, कूच-बिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नदिया तथा चौबीस परगना।

प्रारम्भ में बंगाल प्रान्त का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। समय-समय पर इसमें बहुत उलट-फेर हुए। १८७४ ई० में आसाम इससे अलग कर दिया गया। १९०५ ई० में बंगाल के दो टुकड़े हुए, किन्तु १९११ में वे दोनों टुकड़े फिर मिला दिये गये और बंगाल के प्रमुख शासक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की जगह गवर्नर बनाये गये। उसी वर्ष बिहार और उड़ीसा दोनों प्रान्त बंगाल से अलग किये गये। भारत-पाकिस्तान बँटवारे के कारण १९४७ ई० में बंगाल के पुनः दो टुकड़े हो गये। प्रान्त का उत्तरी भाग दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला तथा कूच-बिहार प्रान्त के दक्षिणी भाग से अलग हो गये थे और बीच में दिनाजपुर जिले का पाकिस्तानी भाग पड़ गया था। इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए बिहार से पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिलाये गये। साथ ही मानभूमि जिले का पूर्वी भाग भी बंगाल में मिला दिया गया है।

१९४१ की जन-गणना के अनुसार यहाँ हिन्दुओं की संख्या १,५०,७३,६३० (६७.४४ प्रतिशत), मुसलमानों की संख्या ५६,६७,६५० (२५.३६ प्रतिशत) तथा दूसरे लोगों की संख्या १६,०८,७२५ (७.२० प्रतिशत) है। सम्पूर्ण प्रान्त में प्रधानतः बँगला भाषा

बोली जाती है। मातृभाषा के रूप में ८४.६२ प्रतिशत तथा सह-भाषा के रूप में ३.४ प्रतिशत लोग बँगला भाषा बोलते हैं। १९५१ ई० की जन-गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के शिक्षितों की संख्या २४.५५ प्रतिशत है, जिसमें पुरुष ३४.७ प्रतिशत तथा महिलाएँ १२.७ प्रतिशत हैं। कलकत्ता के शिक्षितों की संख्या ५३.१२ प्रतिशत है।

भारत के अति घने प्रान्तों में बंगाल की भी गणना होती है; क्योंकि १९५१ की जन-गणना के अनुसार यहाँ प्रति वर्गमील लोगों की संख्या ७७६ है। कलकत्ता की आबादी नितान्त घनी है; क्योंकि वहाँ प्रति वर्गमील ७८,९०० व्यक्ति रहते हैं।

कृषि—इस प्रान्त की मुख्य उपज धान है। यहाँ जितनी उपजाऊ जमीन है, उसके लगभग ८८ प्रतिशत भाग में धान तथा ८ प्रतिशत भाग में जूट की खेती होती है। इन दोनों के बाद चाय का स्थान है, जिसकी खेती जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में होती है। पश्चिम बंगाल की लगभग १,७०,२६४ एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है। यहाँ की अन्य फसलें जौ, गेहूँ, दलहन, तेलहन, तम्बाकू, रुई और रेशम हैं। पश्चिम बंगाल के लगभग ५,२५६ वर्गमील में जंगल है। रानीगंज में कोयले की खानें है।

उद्योग-धन्धे—उद्योग-धन्धों में पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है। भारत के निबन्धित कारखानों का २३ प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही है। अभी यहाँ ९० जूट की मिलें हैं, जिनमें कुल ३१ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस उद्योग में लगाया गया मूल धन, लगभग ४८ करोड़ है। भारत के कुल कोयला-उत्पादन का चौथा हिस्सा यही प्रान्त देता है। कलकत्ता से लगभग १६ मील के अन्दर ३२ सूती कपड़े की मिलें हैं। यहाँ कागज बनाने के अनेक कारखाने हैं तथा अभियन्त्रण के काम भी होते हैं। उत्तरपारा का हिन्दुस्तान मोटर-कारखाना बहुत प्रसिद्ध है। अल्युमीनियम का उत्पादन प्रमुख रूप से प० बंगाल में ही होता है। दुर्गापुर में लोहे का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा है।

यहाँ के राज्यपाल श्रीमती पद्मजा नायडू, मुख्य न्यायाधीश बी० दास गुप्ता और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—विधानचन्द्र राय (मुख्य मन्त्री), पी० सी० सेन, ए० के० मुखर्जी, के० एन० दास गुप्ता, बी० मजुमदार, एच्० सी० नस्कर, आर० अहमद, के० मुखर्जी, आइ० डी० जालान, एस्० पी० बर्मन, अब्दुस्सत्तार, एच्० एन्० राय चौधरी, बी० सी० सिन्हा तथा तरुणकान्ति घोष हैं।

राज्य-मन्त्री ए० बी० राय० तथा श्रीमती पूर्वी मुखर्जी और उपमन्त्री—एस्० वन्द्योपाध्यय, एस्० सी० आर० सिंघा, एस्० के० ए० मिर्जा, एस्० एम्० मिश्र, सी० राय, मु० जियाउल हक, आर० के० प्रामाणिक, श्रीमती एम्० बनर्जी, सी० सी० महन्ती, जे० कोले, एन्० गुरंग, टी० वांगडी, ए० एस्० नस्कर तथा ए० घोष हैं।

बिहार

क्षेत्र-विस्तार—६७,११३ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,८७,८३,७७८; **जन-संख्या का घनत्व**—५७८ प्रति वर्गमील; **शिक्षितों की संख्या**—१२.१५ प्रतिशत; **भाषा**—हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—बिहार और पटना। जुलाई १९६० से प्रत्येक डिवीजन के सदर मुकाम में विश्वविद्यालयों के खोलने का निश्चय किया गया है। कमिश्नरियाँ—तिरहुत, पटना और छोटानागपुर। जिले—पटना, गया, शाहाबाद, भागलपुर, सहर्षा, मुंगेर, पूर्णिया, सन्थाल परगना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, चम्पारन, राँची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू और सिंहभूमि।

बिहार-प्रान्त भारत के पूर्वी भाग में स्थिति है। इस प्रान्त के उत्तर में नैपाल राज्य और बंगाल प्रान्त का दार्जिलिंग जिला, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के जिले हैं।

कृषि—इस प्रान्त के ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर और ७-८ प्रतिशत व्यक्ति उद्योग-धन्धों तथा नौकरी पर निर्भर हैं। प्रान्त के उत्तरी भाग की समतल भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है, पर दक्षिण की पहाड़ी भूमि में बहुत कम उपज होती है। प्रान्त की मुख्य उपज धान है, जो यहाँ की कृषि योग्य भूमि के आधे भाग (लगभग १ करोड़ एकड़) में बोया जाता है। भारत में धान की सबसे अधिक उपज बंगाल के बाद बिहार में ही होती है। धान के बाद मकई का स्थान है, जो लगभग १६ करोड़ एकड़ भूमि में पैदा की जाती है। गेहूँ, जौ और चना में से प्रत्येक १३ लाख एकड़ में और तीसी, राई, सरसों आदि तेलहन लगभग १६ लाख एकड़ भूमि में बोये जाते हैं। मरुआ लगभग ६ लाख एकड़ में उपजाया जाता है। ऊख पैदा करने में उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार का ही स्थान है। जूट की खेती २ लाख एकड़ से अधिक भूमि में होती है। जूट के उत्पादन का ९५ प्रतिशत भाग पूर्णिया जिला में होता है। तम्बाकू यहाँ की १ लाख १० हजार एकड़ भूमि में पैदा किया जाता है। भारत में तम्बाकू के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। मसालों में मिरचाई की खेती यहाँ अधिक होती है। चीनी का उत्पादन दरभंगा, चम्पारन, सारन, पटना, गया तथा मुजफ्फरपुर जिलों में होता है।

उद्योग-धंधे—यहाँ छोटे-बड़े निबन्धित कारखानों की संख्या लगभग एक हजार है। टाटानगर और डालमियानगर—ये दो शहर कारखानों के कारण ही बसे हैं। टाटानगर का लोहे का कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। छोटे उद्योग-धंधों में यहाँ टिन-प्लेट कम्पनी ऑफ इण्डिया, इनैमेल आयरन वेयर लि०, इनफिल्ड केबुल कम्पनी ऑफ इण्डिया, एग्रिकल्चर इम्प्लिमेण्ट्स लि०, इण्डियन स्टील ऐण्ड वायर प्रोडक्ट्स आदि कारखाने प्रमुख हैं। मुंगेर की सिगरेट फैक्टरी संसार-प्रसिद्ध है। चूना और सीमेण्ट के लगभग ११ कारखाने काम कर रहे हैं। लाह का उत्पादन बिहार के दक्षिण-पूर्वी जिलों में, जैसे राँची, सिंहभूमि, धनबाद तथा सन्थाल परगना में अधिक मात्रा में होता है। भागलपुर और धनबाद में तसर तथा रेशमी कपड़े बनते हैं। डालमियानगर और

साहबगंज में कागज की मिलें हैं। निकट भविष्य में दरभंगा में भी कागज का कारखाना खोलने की बात चल रही है। शीशा और चीनी मिट्टी के कारखाने प्रान्त में १७ हैं। डालमियानगर में वनस्पति घी पटना में साइकिल और कटिहार में दियासलाई के कारखाने हैं। यहाँ जूते के दो बड़े कारखाने हैं। आयुर्वेदीय औषध-निर्माण के भी अनेक केन्द्र हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित सिन्द्री की फर्टिलाइजर फैक्टरी सफलतापूर्वक काम कर रही है, जहाँ प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। चित्तरंजन में इंजिन-निर्माण का कारखाना बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी, मुरी (राँची) बॉक्साइट से अल्युमिनियम पाउडर का निर्माण करती है।

खनिज—भारत की सबसे बड़ी लोहा की खान सिंहभूमि जिला और उसके आसपास के भागों में है। धनबाद जिला के झरिया नामक स्थान में तथा हजारीबाग के रामगढ़, बोकारो और कर्णपुरा में कोयले की खानें हैं। हजारीबाग, गया, मुँगेर और भागलपुर में अबरख की खानें हैं, जो संसार के कुल अबरख के आधा से भी अधिक देती हैं। छोटानागपुर की नदियों के बालू के कण में जहाँ-तहाँ सोना भी पाया जाता है।

यहाँ के राज्यपाल—जाकिर हुसैन, मुख्य न्यायाधीश—वी० रामास्वामी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—डॉ श्रीकृष्ण सिंह (मुख्य मन्त्री), दीपनारायण सिंह, शाह मुहम्मद उजैर मुनीमी, भोला पासवान, विनोदानन्द झा, वीरचन्द पटेल, कुमार गंगानन्द सिंह, जगतनारायण लाल और मकबूल अहमद हैं।

यहाँ के उपमन्त्रियों में ए० ए० एम्० नूर, केदार पाण्डेय, ललितेश्वर प्रसाद शाही, हृदयनारायण चौधरी, अम्बिकाशरण सिंह, सहदेव महतो, राधागोविन्द प्रसाद, रानी ज्योतिर्मयी, चन्द्रिका राम, कृष्णकान्त सिंह, दारोगा राय, देवनारायण यादव और श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास हैं।

मद्रास

क्षेत्र-विस्तार—५०,१७४ वर्गमील; जन-संख्या—२,९९,७४,९३६; शिक्षितों की संख्या—२०.८१ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व ५९७ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—मद्रास; भाषा—तमिल; विश्वविद्यालय—मद्रास तथा अन्नामलाई; ज़िले—कन्याकुमारी, कोयम्बतूर, मद्रास, मदुराई, नीलगिरि, चिंगलपट, नॉर्थ आर्काट, रामनाथपुरम्, सलेम, साउथ आर्काट, तंजोर, तिरुचिरापल्ली तथा तीरुनेलवेली।

१९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार संघटित मद्रास-प्रान्त के उत्तर में मैसूर तथा आन्ध्र-प्रदेश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं। भारतीय राज्य-संघ का यह सबसे दक्षिणी प्रान्त है। भारत के चौदह राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से मद्रास का स्थान ११वाँ तथा जन-संख्या की दृष्टि से ५वाँ है।

खेती और उद्योग-धन्धे—इस प्रान्त में ६८ प्रतिशत व्यक्ति की जीविका खेती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा प्रान्त का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। यहाँ की बकिंघम-नहर प्रसिद्ध नहर है। इस प्रान्त में १८,७७८ वर्गमील क्षेत्र का जंगल सरकार द्वारा

सुरक्षित है। यहाँ की मुख्य उपज धान है। कपास और ऊख की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। कपास लगभग १६ लाख एकड़ भूमि में बोयी जाती है। दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लैण्ट्स एसोसिएशन की ओर से कहवा, चाय, रबर आदि का उत्पादन भी होता है। सिद्ध चमड़ा और चीनी तैयार करने का काम भी इस प्रान्त का मुख्य व्यवसाय है। गृह-उद्योग के रूप में यहाँ दियासलाई बनाने के कई छोटे-छोटे कारखाने हैं। वनस्पति घी, साबुन, सीमेण्ट आदि का उत्पादन अधिक परिमाण में होता है। गृह-उद्योगों में करघे द्वारा बुनाई, मिट्टी के बरतन बनाना, अल्युमीनियम के बरतन, दियासलाई, छाता तथा स्लेट बनाने के कार्य मुख्य हैं। यहाँ से विदेशों में चमड़े का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। हाथी-दाँत की बहुमूल्य चीजें बनती हैं। खनिज पदार्थों में सलेम में लोहा, विजगापट्टम् में मैंगनीज, त्रावणकोर में ग्रेफाइट और नेलोर जिले में अबरख पाये जाते हैं। संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, गान-विद्या आदि के क्षेत्र में यह प्रान्त अन्य भारतीय प्रान्तों की तुलना में अग्रणी है। कला की दृष्टि से गोपुरम्, महाबलीपुरम् तथा कांचीपुरम् महत्त्व-पूर्ण स्थान हैं। रामेश्वरम् हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है।

यहाँ के राज्यपाल—विष्णुराम मेधी, मुख्य न्यायाधीश—डॉ० पी० वी० राजमन्नार और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—के० कामराज नादर (मुख्य मन्त्री), एम्० भक्तवत्सलम्, सी० सुब्रह्मण्यम्, एम्० ए० माणिकवेलु, आर० वेंकटरमण, पी० कक्कन, वी० रमैय्या तथा श्रीमती लार्डम्मल साइमन हैं।

मध्य-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,७१,२०१ वर्गमील; जन-संख्या—२,६०,७१,६३७; **शिक्षितों की संख्या**—१६.२२ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१५२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भोपाल; भाषा—हिन्दी; विश्वविद्यालय—सागर, जबलपुर तथा विक्रम; **कमिश्नरियाँ**—बरार, नागपुर, छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर; जिले—बालाघाट, बस्तर, बेतुल, भिलसा, भिन्द, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दामोह, दतिया, बेवास, धार, दुर्ग, गर्ड, गूना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झबुआ, मण्डला, मन्दासोर, मोरेना, नरसिंहपुर, निमार (खण्डवा), निमार, (खड्गगाँव), पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सेहोर, सोउनी, शारोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धि, सरगुजा, टिकमगढ़ तथा उज्जैन।

इस प्रान्त का नामकरण वस्तुतः भारत के मध्य में होने के कारण हुआ है। यह प्रान्त छः प्रान्तों से परिवेष्टित है; जैसे—उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र, बम्बई तथा राजस्थान। एक तरह से इस प्रान्त को भारत का हृदय कहा जा सकता है।

क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारतीय प्रान्तों में इसका स्थान दूसरा है। यह प्रान्त मोटे तौर पर तीन अधित्यकाओं में बाँटा जा सकता है, जिनके बीच में दो समतल मैदान हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर विन्ध्य की अधित्यका है, जहाँ छोटे-छोटे जंगल हैं। यह अधित्यका दक्षिण की ओर ढालू होती हुई नर्मदा की घाटी में उतर गई है, जहाँ गेहूँ की खेती

होती है। इसके बाद सतपुरा की ऊँची अधित्यका है, जहाँ जंगलों से भरी पाहाड़ियाँ हैं। यह अधित्यका नीचे उतरकर नागपुर के समतल मैदान में पहुँचती है, जो इस प्रान्त का सबसे उपजाऊ भाग है और जहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए देश-भर में विख्यात है। इस समतल भूमि का पूर्वी आधा भाग वैनगंगा की घाटी में पड़ता है, जहाँ मुख्यतया धान की खेती होती है।

यहाँ आर्य-भाषा तथा अनार्य भाषा — दोनों तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। प्रान्त के उत्तर में तथा नर्मदा-घाटी में मुख्यतः आर्य निवास करते हैं तथा प्रान्त के दक्षिण और पूरब के भागों में आदिमजातियों की प्रधानता है। यहाँ के निवासियों में लगभग १४ प्रतिशत आदिवासी हैं), जो मुण्डा, वैगा, गोण्ड, मरिया, मण्डिया, भथरा, द्राविडियन आदि वर्गों में विभक्त हैं।

यहाँ की प्रधान भाषा हिन्दी है, जो सम्पूर्ण प्रान्त में बोली जाती है। यहाँ की स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाएँ हैं—मालवी (जो मालवा में बोली जाती है), बुन्देलखण्डी (जो नर्मदा-घाटी में बोली जाती है), बघेलखण्डी (जो प्राचीन रेवा में बोली जाती है) तथा छत्तीसगढ़ी (जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है)।

कृषि—यहाँ के लगभग ५६ प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है। प्रान्त के क्षेत्र-फल का २९ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा हुआ है। वन-सम्पत्ति में आसाम के बाद इसी प्रान्त का स्थान है। यहाँ की मुख्य उपज हैं—धान, ज्वार, गेहूँ, दलहन, तेलहन, ऊख, रूई आदि। इस प्रान्त में नारंगी की भी खेती होती है।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—मैंगनीज यहाँ का प्रमुख खनिज पदार्थ है, जो देश के अन्य सभी भागों से अधिक पाया जाता है। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, सहडोल, सिद्धि, होशंगाबाद तथा वेतुल जिलों में कोयले की खानें हैं। दुर्ग, बस्तर, जबलपुर, छत्तरपुर तथा होशंगाबाद जिलों में लोहे की खानें हैं। मध्य-प्रदेश देश के कुल कच्चे लोहे की जरूरत का ६५ प्रतिशत पूरा करता है। सीमेण्ट की मिट्टी भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत के कुल हीरे के उत्पादन का ६० प्रतिशत विन्ध्य-प्रदेश की खानों से प्राप्त होता है। रूसी विशेषज्ञों के परामर्शानुसार पन्ना की हीरे की खानों की खुदाई शीघ्र ही होनेवाली है।

यहाँ बॉक्साइट की भी खानें हैं। इनके अलावा अबरख, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) के उत्पादन के लिए नेपा मिल्स है, जो देश की कुल जरूरत की एक तिहाई पूरी करता है। ब्रह्मपुर, महेश्वर, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर आदि में सूती कपड़े की मिलें हैं। कटनी के पास केमूर का सीमेण्ट का कारखाना भारत का सबसे बड़ा सीमेण्ट-कारखाना है। भिलाई में लोहे का एक वृहत् कारखाना खोला गया है। इनके अलावा ग्वालियर में दरियाँ तथा मिट्टी के सुन्दर बरतन बनते हैं। मन्दसौर में कंबल तैयार होते हैं। वेलाघाट और छिंदवाड़ा में पीतल के काम होते हैं।

यहाँ के राज्यपाल—एच्० वी० पाटस्कर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य—डॉ० के० एन्० काटजू (मुख्य मन्त्री), बी० आर० मण्डलोई, शम्भुनाथ शुक्ल, डॉ० एस्० डी० शर्मा, मिश्रीलाल गंगवाल, शंकरलाल तिवारी, वी० वी० द्रविड़, ए० क्यू० सिद्दीकी, गणेश राम अनन्त, रानी पद्मावती देवी और नरेशचन्द्र सिंह हैं।

उप-मन्त्रियों में नरसिंह रावी दीक्षित, केशोलाल गोमस्थ, जगमोहन दास, मथुराप्रसाद दुबे, शिवभानु सोलंकी, सज्जन सिंह विश्नर, दशरथ जैन और श्यामसुन्दर नारायण मुशरन हैं।

महाराष्ट्र

१ अप्रैल, १९६० ई० को बम्बई-प्रदेश दो राज्यों में बाँट दिया गया—गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी हुई बम्बई। यहाँ की राजकीय भाषा मराठी घोषित की गई है। इस राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित जिले पड़े हैं—औरंगाबाद, नीर, पूर्वी-खानदेश, नान्देद, ओसनानाबाद, परबनी, बम्बई, मुफस्सिल, कोलाबा, नासिक, रत्नगिरि, थाना, पश्चिमी खानदेश, अकोला, भण्डार, बुदाना, चान्द, नागपुर, वर्धा, य्योत्मल, अहमदनगर, कोल्हापुर, पूना, उत्तरी सतारा, दक्षिणी सतारा, शोलापुर, गोहिलबाद, हलार, मध्य सौराष्ट्र, सौराठ (जूनागढ़) और जालावाद।

इस राज्य के राज्यपाल श्रीप्रकाश और मंत्रिमंडल के सदस्य वाइ० वी० चवन (मुख्य मंत्री); एम्० एस्० कनम्बर, शान्तिलाल एच्० शाह, वसन्त राव नायक, एस्० के० वांखेड़ी, डी० एस्० देसाई, एस्० जी० काजी, टी० एस्० भर्दे एस्० बी० चवन, पी० के० सामन्त, डॉ० टी० आर० नरवणे, एच्० जे० एच्० तलयारखन और डी० जेड० लरुपगर हैं।

मैसूर

क्षेत्र-विस्तार—७४,८६१ वर्गमील; जन-संख्या—१,९४,०१,१९३; **शिक्षितों की संख्या**—१९.२९ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—२५९ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—बंगलोर; भाषा—कन्नड; विश्वविद्यालय मैसूर तथा कर्नाटक (धारवार); **जिले**—बंगलोर, बेलगाँव, बेलारी, विदर बीजापुर, चिकमागलूर, चित्तलदुर्ग, कुर्ग, धारवार, गुलबर्गा, हासन, कनाड़ा, कोलार, मण्डया, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, साउथ कनाड़ा तथा तुमकुर।

प्राचीन भारतीय साहित्य में मैसूर का उल्लेख कर्नाटक नाम से हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में बम्बई प्रान्त, पूरब में आन्ध्र-प्रदेश, दक्षिण-पूरब में मद्रास, दक्षिण-पश्चिम में केरल तथा पश्चिम में समुद्र हैं।

कुर्ग अभी मैसूर का एक जिला बन गया है। उसका विस्तार १५८७ वर्ग-मील है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। यहाँ के लगभग ५१७ वर्गमील में सर्वदा हरा रहनेवाला जंगल है। यहाँ के घने जंगल में बाघ, हाथी, हरिण आदि

जन्तु रहते हैं। मैसूर का पूर्वी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। पहाड़ी ढाल पर कहवा, इलायची, गोलमिर्च, नारंगी आदि अधिक मात्रा में उपजाये जाते हैं। भारत के कुल कहवा का तृतीयांश कुर्ग में ही होता है।

यहाँ की मुख्य उपज चावल, ऊख, कहवा, नारियल, कपास, सुपारी और शहतूत है। यहाँ लोहा, इस्पात, सीमेण्ट, कागज, चीनी, सूती रेशमी-कपड़े, साबुन, रसायन चन्दन के तेल आदि के कारखाने हैं। यहाँ का चन्दन के तेल का कारखाना संसार का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत में हवाई जहाज केवल बंगलोर में बनते हैं। चन्दन की लकड़ी का महत्त्वपूर्ण उत्पादन मैसूर में ही होता है। भारत के अन्दर सोना मिलने का भी मुख्य स्थान मैसूर है।

मैसूर की ६०,६१,६५३ एकड़ भूमि में जंगल है। यहाँ बाँस का उत्पादन बहुत होता है। उत्तर कनाड़ा जिला वन-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बंगलोर में चार महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थाएँ हैं, जिनका संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है; जैसे–(१) लाल बाग, (२) इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स, (३) रमण रिसर्च इंस्टिट्यूट तथा (४) मेण्टल हॉस्पिटल। यहाँ का श्रीरंगपत्तनम् का रंगनाथ स्वामी का मन्दिर, चमुन्दी पहाड़ियाँ तथा वृन्दावन-बगीचा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ की दर्शनीय वस्तुएँ हैं—बेलूर का चेन्नकेशव, हालेबिद हयसलेश्वर, नन्दी पहाड़ियाँ, एशिया-भर की सबसे बड़ी गौतम-मूर्त्ति, प्राचीन भारतीय आदिलशाही राजाओं की राजधानी बीजापुर के ऐतिहासिक भवन, जैसे मुहम्मद आदिलशाह का गोल गुम्बज मकबरा आदि।

सिंचाई तथा विद्युत्-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं; जैसे—भद्रा-जल-संरक्षण-योजना, तुंग-प्राचीन योजना, नूगू-जल-संरक्षण-योजना, अम्बिगोला जल-संरक्षण-योजना तथा सारावती घाटी जल-विद्युत्-योजना आदि।

यहाँ के राज्यपाल—जय चामराज वाडियर, मुख्य न्यायाधीश - श्री सुबोधरंजन दासगुप्त और मन्त्रिमंडल के सदस्य—बी० डी० जत्ती (मुख्य मन्त्री), के० मंजप्पा, टी० सुब्रह्मण्यम, टी० मरियप्पा, एच्० एम्० चेन्नबसप्प, के० एफ्० पाटिल, मलो मरियप्पा, डा० के० के० हेग्डे, ए० राव गणमुखी तथा एन्० राचैय्य हैं। उपमन्त्रियों में श्रीमती लीलावती वेंकटेश मागडी, जे० एच्० शमसुद्दीन, एम्० एन्० नाग्रनूर श्रीमती ग्रेस ताकर, एच्० सी० लिंग रेड्डी तथा बी० बासवलिंगप्पा हैं।

राजस्थान

क्षेत्र-विस्तार—१,३२,१४८ वर्गमील ; जन-संख्या १,५६,७०,७७४ ; **शिक्षितों की संख्या**—८·६५ प्रतिशत ; भाषाएँ—हिन्दी तथा राजस्थानी ; **राजधानी**—जयपुर ; **विश्वविद्यालय** - राजस्थान (जयपुर) ; जिले –अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बरमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बिकानेर, बुन्दी, चित्तौरगढ़, चूरू, डूगरपुर, गंगानगर जयपुर, जैसलमेर, जेलर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नगौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

राजस्थान पहले राज्यसंघ के रूप में था, जिसकी स्थापना १८ अप्रैल, १६४८ को हुई थी। उस समय इसमें केवल बाँसवाड़ा, बुन्दी, डूंगरपुर, झालावाड़, किसनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और उदयपुर सम्मिलित थे। ३० मार्च, १६४६ को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर भी इसमें शामिल हुए। १५ मार्च, १६४८ ई० को अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर ने मिलकर मत्स्य राज्यसंघ की स्थापना की थी। १५ मई, १६४६ को यह संघ भी राजस्थान-संघ में मिल गया। इस तरह १६ प्राचीन रियासतों का समुदाय १६५६ में द्वितीय श्रेणी के राज्य के रूप में परिणत हुआ। इस प्रान्त के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व तथा पूर्व में पंजाब, उत्तर-प्रदेश तथा मध्य-प्रदेश तथा दक्षिण-पश्चिम में बम्बई हैं।

कृषि एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ की मुख्य उपज बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मकई जौ, चना आदि हैं। कुछ क्षेत्रों में धान का भी उत्पादन होता है। खनिज पदार्थों में चूना-पत्थर तथा बारिटवोरियम सल्फेट अत्यधिक परिमाण में मिलते हैं।

अन्य प्रान्तों की तुलना में यहाँ सिंचाई का विशेष प्रबन्ध है। राजस्थान के तलवाड़ा नामक स्थान में ३० मार्च, १६५८ को एक बड़ी नहर बनाने का काम आरम्भ हुआ है। ४२६ मीलों में यह नहर बनाने की योजना है। निर्माण-कार्य सम्पन्न होने पर यह संसार की सबसे बड़ी नहर होगी। (१) गंगा नहर—यह नहर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के बायें तट से निकली है तथा पंजाब में ७४ मील तक बहती हुई बीकानेर में प्रवेश करती है। भरतपुर-योजना द्वारा आगरा नहर से एक दूसरी नहर निकाली जा रही है, जिससे भरतपुर में कम-से-कम १८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। (३) चम्बल-योजना द्वारा मध्य-प्रदेश और राजस्थान की सरकार एक बहूद्देश्यीय योजना कार्यान्वित करनेवाली है। इसके अनुसार जल-संचय के लिए तीन बाँध तथा एक बराज का निर्माण होगा।

यहाँ के राज्यपाल—गुरुमुख निहालसिंह, मुख्य न्यायाधीश—सरयूप्रसाद, और मन्त्रिमण्डल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री), हरिभाऊ उपाध्याय, रामकिशोर व्यास, बदरीप्रसाद गुप्ता, दामोदरलाल व्यास, नाथूराम मिर्धा, महाराज हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र चौधरी, सम्पतराम, भीक भाई तथा टीकमचन्द धारीवाल हैं।

अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह

केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र

क्षेत्र-विस्तार—३२१५ वर्ग मील; **जन-संख्या**—३०,६७१; **शिक्षितों की संख्या**—२५.७७ प्रतिशत; जन-संख्या-घनत्व —१० प्रति वर्गमील; राजधानी—पोर्ट ब्लेयर।

यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है तथा बर्मा के केप नेगराइस से १२० मील, कलकत्ता से ७८० मील तथा मद्रास से ७४० मील की दूरी पर स्थित है। बड़े बड़े पाँच द्वीप परस्पर मिलकर 'ग्रेट अन्दमन' नाम से पुकारे जाते हैं। इसके दक्षिण में 'लिट्ल अन्दमन' है। यहाँ के सभी छोटे-छोटे द्वीपों की संख्या २०४ है। ये दो समूहों में बँटे हैं—

(१) रीची आर्थिकपेलागो तथा (२) लेबिरिन्थ द्वीपसमूह। ग्रेट अन्दमन द्वीपसमूह की लम्बाई २१६ मील तथा चौड़ाई ३२ मील है। यह जंगलमय है, जहाँ कड़ी तथा मुलायम दोनों तरह की मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। कड़ी लकड़ियों में प्रसिद्ध हैं—पदौक अथवा अन्दमन लाल लकड़ी, गुरजान आदि। मुलायम लकड़ियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं। जिनका उपयोग दियासलाई बनाने में अधिक होता है।

अन्दमन तथा निकोबार द्वीपसमूह में अनेक बन्दरगाह हैं, जिनमें चार अधिक प्रसिद्ध हैं —(१) पोर्ट ब्लेयर (२) एलफिन्स्टन (३) बोनिंग्टन तथा (४) पोर्ट कॉर्नवालिस। अन्दमन के निवासी अन्दामनी, ओंग, जरावा और सेंटिनेली जाति के हैं। निकोबार द्वीपसमूह के मूलनिवासी निकोबरी और शॉमपेन हैं।अन्दमन द्वीप-समूह के आदिवासी अपेक्षाकृत सबसे लम्बे होते हैं। निग्रिटो जाति के लोग आकार में कुछ छोटे होते हैं। उनकी संस्कृति तथा मलाया के सामन और फिलीपाइन के वेट जातीय लोगों की संस्कृति में बहुत समानता है। वहाँ के आदिवासियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—(१) अन्दमानी, जो मध्य अन्दमन तथा उत्तर अन्दमन के तटों पर बसे हुए हैं; (२) ओंगे, जो छोटे अन्दमन में निवास करते हैं; (३) जरवा, जो दक्षिण अन्दमन तथा मध्य अन्दमन में रहते हैं और सेण्टीनेली, जो सेण्टीनेली-द्वीपसमूह में हैं। निकोबार के निवासियों के दो वर्ग हैं—निकोबारी तथा शॉमपेन। नृतत्त्व-शास्त्र के अनुसार निकोबारी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत समानता है। अन्दमानी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत विषमता है। सभ्यता, संस्कृति, व्यवसाय, विचार आदि में निकोबारी के जाति अन्दमानी जाति से बहुत बढ़ी-चढ़ी है।

नारियल, कहवा तथा रबर यहाँ की प्रधान उपज हैं। यहाँ धान की पर्याप्त उपज नहीं होती। इधर धान के पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं।

अन्दमन तथा निकोबार द्वीप-समूह १ नवम्बर, १९५६ से भारत-सरकार का केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र बन गया है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त प्रशासन करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् है, जो मुख्य आयुक्त को परामर्श देती है। इस द्वीपसमूह से एक सदस्य का मनोनयन लोक-सभा के लिए भी होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त एम्० वी० राजवाड़े, आई० सी० एस्० और पार्षद लक्ष्मण सिंह, एम्० पी०, के० आर० गणेश; रजनीरंजन सरकार, बिशॉप जॉन रिचर्डसन तथा आफताब अली हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्र-विस्तार–४,०२२ वर्गमील; **जन-संख्या**—६,३९,०२९; **शिक्षितों की संख्या**—१५.५२ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—१५९ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—अगरतला; **प्रधान भाषा**—बँगला; **डिवीजन**—अगरतला, अमरपुर, बेलोनिया, धर्मनगर, कैलाशहर, कमलपुर, खोवाई, सबरूम, सोनमूरा तथा उदयपुर।

त्रिपुरा, आसाम-राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ४,०२२ वर्गमील तथा जन-संख्या ६,३९,०२९ है। यह वन तथा खनिज सम्पत्ति से परिपूर्ण है।

यहाँ की प्रमुख उपज धान, जूट, चाय, ऊख, कपास तेलहन आदि हैं। नाना प्रकार के हाथ से बुने सूती कपड़ों के अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधों का यहाँ अभाव है। परिवहन का एकमात्र साधन आकाश-मार्ग है। हाल में एक लम्बी सड़क बनी है, जो आसाम होकर गई है। उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में लगभग ७२० मीलों तक इस प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से संयुक्त है, जिससे पाकिस्तान द्वारा यहाँ अधिक उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक है। चकमा, रियाँग, तिपरा, कुकी, मग आदि आदिवासी यहाँ रहते हैं।

यहाँ के मुख्य आयुक्त — एन्० एम्० पटनायक, आई० ए० एस्० हैं।

दिल्ली

क्षेत्र-विस्तार—५७३ वर्गमील; **जन-संख्या**—१७,४४,०७२, **शिक्षितों की संख्या**—३२.३४ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—३०४४ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—दिल्ली; **प्रधान भाषाएँ**—हिन्दी, उर्दू और पंजाबी; **विश्वविद्यालय**—दिल्ली।

अत्यन्त प्राचीन काल से दिल्ली अनेक राजवंशों की राजधानी रहती आई है। अब भी यह भारत की राजधानी है। दिल्ली तथा उसके समीपस्थ चारों तरफ के जिलों के प्रशासन का काम केन्द्रीय सरकार ने सन् १९१२ ई० में अपने हाथों में लिया। नई दिल्ली राजकीय पीठ के रूप में बसाई गई है। दिल्ली एक शहर, एक जिला तथा केन्द्र-शासित राज्य भी है। भारतीय राज्यों में दिल्ली एक सबसे छोटा राज्य है। इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा होता है। राज्य-पुनस्संगठन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए एक परामर्शदात्री परिषद् बनाई है। इस परिषद् में गृह-मन्त्री भी सम्मिलित रहते हैं। इस परिषद् में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी एम्० पी०, दिल्ली के मुख्य आयुक्त, दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति, दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के प्रमुख उपाध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त दो और परामर्शदात्री समितियाँ हैं, जो जन-सम्पर्क तथा औद्योगिक कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त को परामर्श देती है।

समुद्र की सतह से दिल्ली ७०० फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग २६" औसतन वर्षा होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तथा चना, गेहूँ, बाजरा, जौ आदि की उपज होती है। ऊख, तम्बाकू, सरसों आदि की भी थोड़ी-बहुत उपज हो जाती है। सोना, चाँदी, ताँबा आदि की वस्तुएँ, हाथी दाँत के सामान, मिट्टी के बरतन आदि यहाँ बनते हैं। हाल में यहाँ रासायनिक पदार्थ भी तैयार होने लगे है। जलवायु मनोरम एवं स्वास्थ्यकर है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त ए० डी० पण्डित, आई० सी० एस्० हैं।

पाण्डिचेरी

क्षेत्र-विस्तार—१६६ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,१७,१६३; **राजधानी**—पांडिचेरी; **प्रधान भाषाएँ**—फ्रेंच तथा तमिल; **क्षेत्र-विभाजन**—(१) कारोमंडल-तट पर —(अ) पाण्डिचेरी तथा उससे सम्बद्ध प्रदेश, जो आठ प्रखण्डों में विभक्त है। (ब) कारीकुलम् तथा अधीनस्थ जिले, जो छह प्रखण्डों में विभक्त हैं। (२) आंध्र-तट पर यनम तथा उसके आश्रित गाँव। (३) केरल-तट पर माही तथा उससे संयुक्त क्षेत्र।

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर, १९५४ को भारत-सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में कारोमण्डल-तट पर स्थित कारीकुलम् तथा पाण्डिचेरी; आन्ध्र-तट पर स्थित यनम और केरल-तट पर स्थित माही आते हैं। इन क्षेत्रों के भारत में मिला दिये जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ को नई दिल्ली में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। फ्रांसीसी संसद् द्वारा इस सन्धि की औपचारिक रूप से पुष्टि अबतक नहीं हो पाई है। इसी बीच इस क्षेत्र का प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से मनोनीत एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ६ निर्वाचित पार्षदों का एक परामर्श-मण्डल होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त—एल्० आर० एस्० सिंह, आई० सी० एस्० और पार्षद—वी० वेंकटशुभ रेड्डियर, ई० गौबर्ट, सी० ई० भारतन्, के० गुरुस्वामी पिल्लई, पी० शनमुगम तथा मुहम्मद इस्माइल मरैकयर हैं।

मणिपुर

क्षेत्र-विस्तार—८,६२६ वर्गमील; **जन-संख्या**—५,७७,६३५; **शिक्षितों की संख्या**—११.४१ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व** —प्रति वर्गमील ६७; **राजधानी**—इम्फाल; **प्रधान भाषा**—मणिपुरी; **सब-डिविज़न**—(१) पहाड़ी जिला, जिसमें चूड़चन्द्रपुर, माओ, उकरुल, तमेनलौंग तथा तेंगनौपल के क्षेत्र सम्मिलित हैं तथा (२) मणिपुर का समतल जिला, जिसमें जिरिवम, सदर तथा थौंनवल सम्मिलित हैं।

मणिपुर भारत के पूर्वी भाग में भारत-बर्मा सीमा पर स्थित है। इस राज्य में दो क्षेत्र हैं —(१) मध्य की घाटी, जिसका क्षेत्र-विस्तार ७०० वर्गमील है तथा (२) चारों ओर के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें राज्य का शेष क्षेत्रफल सम्मिलित है। राज्य-पुनर्गठन-अधिनियम, १९५६ के अनुसार राष्ट्रपति ने १५ अगस्त, १९५७ को मणिपुर क्षेत्रीय परिषद् का निर्माण किया, जो वहाँ के प्रशासन के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त से संबद्ध है।

मणिपुर के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गृह-उद्योगों में भी उनकी अधिक रुचि है। मणिपुर का हाथ-करघा-उद्योग अधिक उन्नत है। प्रायः सभी वर्ग की स्त्रियाँ हाथों से बुनाई का काम करती हैं। यहाँ के लगभग तीन लाख व्यक्ति, अर्थात्

सम्पूर्ण जन-संख्या के ५० प्रतिशत व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। रेशम के कीड़े पालना यहाँ का प्राचीन उद्योग है। इसके अलावा बढ़ईगिरी, लोहारी, ईंट बनाने का काम, चमड़ा, बाँस, बेंत आदि के काम कुटीर-उद्योग के रूप में प्रचलित हैं।

मणिपुर की मध्यवर्त्ती घाटी में मित्ती, मणिपुरी मुसलमान, लोइस तथा अन्य छोटी-छोटी जातियाँ निवास करती हैं। हाल में यहाँ अन्य क्षेत्रों से आकर कुछ जन-जातियाँ बस गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लगभग ७२०० वर्गमील में नागा, कुकी आदि जातियाँ रहती हैं, जो आकृति में मंगोल जाति से मिलती-जुलती हैं। मित्ती जाति के लोग, नृत्य तथा संगीत को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनका मणिपुरी-नृत्य भारत-विख्यात है। यहाँ के मुख्य आयुक्त जे० एम्० रैन, आई० ए० एस्० हैं।

लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—११ वर्गमील; जन-संख्या—२१;०३५; शिक्षितों की संख्या—१५.२३ प्रतिशत; जन-संख्या-घनत्व—१९१२ प्रति वर्गमील; राजधानी—कोझिकोड।

अरब समुद्र-स्थित इस द्वीप-समूह का शासन भारत-सरकार ने अपने हाथों में लिया तथा इसका अस्थायी मुख्यालय कोझिकोड बनाया। यहाँ १९ द्वीप हैं, जिनमें केवल १० द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। वे द्वीप हैं—(१) मिनिकॉय, (२) कलपेनी, (३) कवरथी, (४) अगथी तथा (५) ऐण्डोर्थ, जो लक्कादीव वर्ग में पड़ते हैं, (६) अमीनी (७) कदमथ, (८) किल्टन (९) चेटलेथ तथा (१०) बित्रा, जो अमीनदीवी-वर्ग में पड़ते हैं। १ नवम्बर, १९५६ के पूर्व यह द्वीप-समूह मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत था—लक्कादीवी मिनिकॉय वर्ग मालाबार जिला के अन्तर्गत तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह साउथ कनाडा जिला के अन्तर्गत थे।

इसका प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से एक प्रशासक करता है। जो कोझिकोड में ही रहता है।

यहाँ प्रधान रूप से केवल नारियल का ही उत्पादन होता है। नारियल के छिलके की वस्तुओं का निर्माण यहाँ का प्रधान उद्योग-धन्धा है।

इस द्वीपसमूह के निवासी मुसलमान जाति के हैं।

यहाँ के प्रशासक सी० के० बालकृष्ण नायर और परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य पुक्कतभूमि मुहम्मद, के० नल्लकोय, पी० ए० पुकोय, अरेनकत सैयद मुहम्मद कसीमकोय थांगल, लैण्डुराय गैण्डुवर इब्राहिम मैनिकफेन हैं।

हिमाचल-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१०,९२२ वर्गमील; **जन-संख्या**—११,०९,४६६; **शिक्षितों की संख्या**—७.७१ प्रतिशत; **जन-संख्या-घनत्व**—१०२ प्रति वर्गमील; **राजधानी** शिमला; **प्रधान भाषाएँ**—हिन्दी तथा पहाड़ी; **जिले**—चम्बा, मुण्डी, सिरमुर, महसू तथा विलासपुर।

पूर्वी पंजाब के २१ रियासतों ने मिलकर १५ अप्रैल, १९४८ को हिमाचल-प्रदेश का निर्माण किया। इनके नाम हैं—बाघल, बघात, बलसन, बाशहर, भाजी, बीजा, दरकोटी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहर, कुथार, महलोग, संगरी, मंगल, सिरमुर, थरोच, चम्बा, मुण्डी और सुकेत। इस प्रान्त के पश्चिम में कश्मीर तथा पूर्व में उत्तर-प्रदेश हैं। सम्मिलित रियासतों में मुण्डी सबसे बड़ा रियासत है। १९५३ के हिमाचल-प्रदेश तथा बिलासपुर अधिनियम के अंतर्गत जुलाई, १९५४ में बिलासपुर भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। बिलासपुर का क्षेत्रफल ४५० वर्गमील तथा जन-संख्या १,२६,०९९ है।

यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय है कृषि। यहाँ के लगभग ९० प्रतिशत लोग कृषि पर अवलम्बित हैं। प्रायः पाँच सदस्यवाले परिवार को तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं है।

वहाँ की मुख्य उपज हैं–गेहूँ मकई, जौ, धान, बूट, ऊख, आलू आदि। कम परिमाण में चाय का भी उत्पादन होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग ३५ प्रतिशत अंश जंगलमय है। इस जंगल से प्रान्त की आर्थिक आय बहुत है। लगभग ५ लाख आदमी साक्षात् अथवा परम्परा-जंगली-उद्योग में लगे हुए हैं। आलू का उत्पादन वहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। वहाँ समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में सतालू बेर, अनार आदि फल होते हैं। वहाँ के सुस्वादु तथा पौष्टिक सेव भारत-भर में प्रसिद्ध है। तिब्बती सीमा के चीनी क्षेत्रों में खजूर, अंगूर आदि सूखे फल भी अधिक मात्रा में होते हैं। वहाँ शुद्ध ऊन के वस्त्र बनते है। ऊन-उत्पादन-सामग्री के के काम क्रमशः बढ़ाये जा रहे हैं।

यहाँ के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर राजा बजरंग बहादुरसिंह है।

प्रेस और पत्र-पत्रिकाएँ

कहते हैं कि आधुनिक मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पहले सातवीं सदी में चीन से 'किंगपाउ' और 'कियल' आदि तथा रोम से 'रोमन एक्टा डिकोरभा' नामक पत्र निकलते थे। मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के बाद इटली, जर्मनी और फ्रांस से पत्र निकलने लगे। इंगलैंड से पहला पत्र ऑक्सफोर्ड-गजट १६६५ ई० में प्रकाशित हुआ था। लन्दन का 'टाइम्स' नामक पत्र १८८५ से निकलने लगा।

भारत का पहला पत्र 'बंगाल गजट' १७८० ई० की २६ जनवरी से निकलना आरम्भ हुआ था। इसके बाद १७८४ में 'कलकत्ता गजट' १७८५ में मद्रास कूरियर' और १७८६ में 'बम्बई हेरल्ड', फिर 'बम्बई कूरियर' और १७६१ में 'बम्बई गजट' निकलने लगे। ये सभी पत्र अँगरेजों के थे और अँगरेजी में निकलते थे।

भारतीयों का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' १८१६ ई० में प्रकाशित हुआ। १८२१ में यूरोपीय व्यापारियों ने कलकत्ता से 'जॉन बुल इन दि ईस्ट' नामक पत्र निकाला, जो १८३६ में आकर इंगलिश मैन कहलाने लगा। बम्बई के व्यापारियों ने १८३८ में बम्बई टाइम्स पत्र निकाला, जो पीछे 'टाइम्स ऑफ् इण्डिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१८३५ से १८५७ तक दिल्ली, आगरा, मेरठ, ग्वालियर और लाहौर से भी पत्र निकलने लगे। इस समय तक १६ एंग्लो-इंडियन और २५ भारतीय पत्र हो गये थे, पर जनता के बीच इनका प्रचार बहुत कम था। उत्तर भारत में उन दिनों 'मोफसिस्लाइट' पत्र बहुत नामी था।

१८५७ के विद्रोह के बाद देश में एक नई जागृति आई और अगले दस-बीस वर्षों के अन्दर बहुत सी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगी। 'टाइम्स ऑफ् इण्डिया', 'पायोनियर', 'मद्रास मेल', 'अमृत बाजार-पत्रिका', 'स्टेट्समैन', 'सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' और 'हिन्दू' का प्रकाशन उन्हीं दिनों प्रारम्भ हुआ।

उस समय बिहार से निकलनेवाले पत्र 'बिहार हेरल्ड' (१८७४), बिहार टाइम्स (१८६६), 'बिहारी' (१६०६) और 'एक्सप्रेस' थे। किन्तु इनसे भी पहले जमालपुर (मुँगेर) से अँगरेजी और हिन्दी में एक धार्मिक मासिक पत्र निकलने लगा था।

'समाचार-दर्पण' भारतीय भाषा का पहला पत्र था, जो १८१८ में सेरामपुर मिशनरी द्वारा बँगला-भाषा में प्रकाशित किया गया था। १८२२ में बम्बई से 'बम्बई-समाचार' नामक गुजराती पत्र निकला, जो अब भी प्रकाशित हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मराठी में भी पत्र निकाला गया। १८३३ ई० में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर, १८५० में लाहौर से 'कोहेनूर' नामक एक उर्दू-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद 'अवध अखबार', 'अखबारे आम' आदि कई पत्र निकले।

हिन्दी में पहला समाचार-पत्र १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया, जिसका सम्पादन एक मराठी सज्जन, श्रीगोविन्द रघुनाथ भत्ते, करते थे। इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ में 'कवि-वचन-सुधा' नामक मासिक पत्रिका निकाली, पीछे इसके पाक्षिक और साप्ताहिक संस्करण भी निकले। १८७१ में अलमोड़ा से 'अलमोड़ा-समाचार' नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। १८७२ में बाँकीपुर (पटना) से 'विहार-बन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी का तीसरा पत्र था। इसके प्रकाशन में पं० केशवराम भट्ट और पं० साधोराम भट्ट का प्रमुख हाथ था। इसके बाद १८७४ में दिल्ली से 'सदादर्श' और १८७६ में अलीगढ़ से 'भारत-बन्धु' नामक पत्र निकले। फिर तो धीरे-धीरे और भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं।

प्रेस-सम्बन्धी कानून—पहले यहाँ के अधिकांश पत्रों के प्रकाशक और सम्पादक केवल अँगरेज ही होते थे। अतएव उनके पत्र के साथ शासनाधिकारियों का बहुत मतभेद होने पर वे इंगलैंड भेज दिये जाते थे। डाक से पत्र का प्रेषण भी बन्द कर दिया जाता था। १७९९ में लार्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों के नियन्त्रण के लिए कुछ नियम बनाये। प्रत्येक समाचार-पत्र पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक कर दिया गया, सम्पादक और प्रकाशक के नाम-पते सरकार के पास भेजना भी जरूरी हुआ और प्रकाशन के पूर्व सरकारी सेंसर अफसर को पत्र दिखला देना अनिवार्य कर दिया गया। १८१८ से सभी प्रकार के प्रकाशनों पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक हुआ।

सन् १८२३ ई० में बंगाल के लिए प्रेस-सम्बन्धी कानून बना, जो 'एडेम्स रेगुलेशन' कहलाया। वैसा ही रेगुलेशन फिर बम्बई के लिए भी बना। इसके अनुसार पत्र निकालने के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना जरूरी कर दिया गया। सन् १८३५ ई० में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को बहुत हद तक स्वतन्त्रता दी, जिससे लोगों को पत्र निकालने का प्रोत्साहन मिला। १८५७ और १८६७ में परिस्थिति के अनुसार प्रेस-सम्बन्धी कानून में फिर संशोधन हुआ। १८७८ में 'वर्नाकुलर प्रेस ऐक्ट' बनाया गया, जिसका घोर विरोध हुआ। इस अधिनियम के कारण भारतीय भाषाओं में पत्रों का निकालना अत्यन्त कठिन हो गया। 'अमृत बाजार पत्रिका' जो अबतक अँगरेजी और बँगला दोनों भाषाओं में छपती थी, सिर्फ अँगरेजी में ही छपने लगी। सन् १८८१ ई० में लार्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया।

सन् १८८५ ई० में इंडियन नेशनल काँगरेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। १९०५ में 'वंगभंग' के बाद वह और भी तीव्र हो चला। जहाँ-तहाँ राजनीतिक हत्याएँ होने लगीं। ऐसे समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए १९०८ में एक कानून बना; पर उससे काम नहीं चला। अतएव, १९१० में नया प्रेस कानून बनाया गया, जिसके अनुसार समाचार-पत्रों से जमानत माँगी जाने लगी।

राष्ट्रीय जागरण के साथ ही पत्रों की संख्या बढ़ी और उनका प्रचार भी अधिक होने लगा। राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए पत्रों के साथ कड़ाई करने के उद्देश्य

से प्रेस-कानून में संशोधन किया गया। १६३० ई० में सत्याग्रह छिड़ने पर प्रेस आर्डिनेन्स निकाला गया, जिसे १६३१ ई० में कानून का रूप दिया गया। १६३२ में घोर दमन के कारण बहुत-से पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया। १६३४ में भारतीय रियासतों को जन-आन्दोलन से बचाने के लिए प्रेस-सम्बन्धी नया कानून बनाया गया।

द्वितीय विश्व-महासमर के छिड़ने पर युद्ध-विरोधी कोई बात छापने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए १६४० में सरकारी सूचना निकाली गई। इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की प्रेस-सलाहकार-कमिटियाँ केन्द्र और प्रान्तों में बनाई गईं। १६४२ की देशव्यापी क्रान्ति के समय भी समाचार-पत्रों को क्रान्ति-सम्बन्धी समाचार छापने से रोका गया। इसके फलस्वरूप अधिकांश समाचार-पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया।

स्वाधीनता-प्राप्ति (अगस्त, १६४७) के बाद से भारतीय समाचार-पत्रों के लिए एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ, जिसे सार्वजनिक दायित्व का युग कहा जा सकता है। सरकार तथा जनता के बीच का विरोध-भाव मिट गया और सरकार तथा समाचार-पत्रों के बीच के सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देश के विभिन्न समुदायों में शांति एवं एकता के लिए जनमत-निर्माण करना आज समाचार-पत्रों का प्रथम कर्त्तव्य है। मार्च, १६४७ ई० में प्रेस-सम्बन्धी कानूनों की सारी बातों की पूरी तरह जाँच कर उनमें आवश्यक परिवर्त्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेस लॉ इन्क्वायरी कमिटी कायम की गई। उक्त कमिटी ने मार्च, १६४७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार १६३१ का इण्डियन प्रेस ऐक्ट, १६३४ का स्टेट्स (प्रोटेक्शन) ऐक्ट रद्द कर दिये गये तथा अन्य कई कानूनों में परिवर्त्तन लाया गया। उक्त समिति ने यह भी अभिस्ताव किया कि राज्य-सरकार प्रेस के विरुद्ध कोई कारंवाई करने के पूर्व परामर्श-समितियों से परामर्श ले। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के विपरीत, जिनमें प्रेस की स्वतन्त्रता को संविधान के मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया है, भारत का संविधान केवल 'भाषण एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। सन् १६५१ में जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके अनुसार भारतीय संसद् को विशेष परिस्थिति में भाषण एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर भी उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है।

इन दिनों प्रेस एवं समाचार-पत्रों के संबंध में निम्नांकित कतिपय नियम लागू हैं—

(१) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्त्तें तथा विविध नियम)-अधिनियम— यह अधिनियम सन् १६५५ ई० में पारित हुआ तथा दिसम्बर, १६५५ से लागू किया गया। इस कानून द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेचुटी तथा प्रोविडेंट फंड दिलाने, उनके काम के घंटों का नियमन, सवैतनिक अवकाश, सेवा-समाप्ति की पूर्व-सूचना की अवधि आदि की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों के लिए (१) वेतन-मण्डलों (वेज-बोर्ड) की नियुक्ति, उनका गठन और अधिकार तथा (२) किसी भी पत्र-संपादक को बरखास्त करने की तिथि से ६ महीना तथा अन्य पत्रकारों को तीन महीना पहले ही सूचना देने की अनिवार्यता—इन दो प्रमुख बातों की व्यवस्था की गई है।

(२) **कर्मचारी भविष्य-निधि (इम्पलायीज प्रोविडेंट फंड)-अधिनियम, १६५२**—उन सभी समाचार-प्रतिष्ठानों पर लागू कर दिया गया है, जहाँ २० या उससे अधिक श्रमजीवी पत्रकार कार्य करते हैं। इस कानून के अनुसार पत्रकारों से महीने में अधिक-से-अधिक १४४ घंटे काम लिया जा सकता है। यह कानून उनके साप्ताहिक, आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश के साथ-साथ बीमारी की हालत में भी अवकाश की व्यवस्था करता है।

(३) **पारितोषिक-प्रतियोगिता (प्राइज़ कम्पीटिशन)-अधिनियम**—इसके अनुसार १००० रुपये से अधिक पारितोषिक की पहेली-प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गई है तथा पुरस्कार देनेवालों के लिए अनुज्ञा-पत्र लेना और नियमपूर्वक हिसाब-किताब रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कानून पंजाब, बिहार, केरल तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है।

(४) **प्रेस तथा पुस्तक-पंजीयन-अधिनियम, १८६७**—इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रेस तथा समाचार-पत्रों के नियमन और भारत में मुद्रित पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों के संरक्षण एवं पंजीयन की व्यवस्था की गई है। सन् १६५५ ई० में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार प्रेस के लिए एक निबंधक की नियुक्ति की गई है। प्रेस एवं समाचार-पत्रों की आर्थिक स्थिति के संबंध में आँकड़े एवं सूचना संगृहीत करने का अधिकार निबंधक को प्राप्त है। इसे समाचार-पत्रों के पंजीयन का प्रमाण-पत्र देने का भी अधिकार दिया गया है। निबंधक का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

(५) **पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों का समर्पण (शासकीय पुस्तकालय)-अधिनियम**—यह कानून सन् १६५४ ई० में पास हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक समाचार-पत्र के प्रकाशक के लिए केन्द्रीय सरकार की सूचना के अनुसार सभी शासकीय पुस्तकालयों में हर अंक की एक-एक प्रति निःशुल्क भेजना अनिवार्य है।

(६) **संसदीय कार्यवाही (सुरक्षा एवं प्रकाशन)-अधिनियम २४, १६५६**—इसके अनुसार संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही के सही प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए या तार द्वारा सूचना के देने लिए संबंधित व्यक्ति पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा तबतक नहीं चलाया जा सकता, जबतक यह प्रमाणित न हो जाय कि प्रकाशन ईर्ष्या-वश किया गया है।

इनके अतिरिक्त आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए भी दी ड्रग्स ऐण्ड मैजिक रेमिडीज ऐक्ट, कॉपीराइट ऐक्ट, १४ (१६५७), समाचार-पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ)-अधिनियम (१६५४), औद्योगिक नियुक्ति-अधिनियम, १६४६, औद्योगिक विवाद-अधिनियम आदि भी लागू हैं।

पत्रकार-परिषदें—भारतीय समाचार-पत्रों की उन्नति के लिए तथा पत्रकारों के हित के निमित्त इस समय कई अखिलभारतीय और प्रान्तीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। एक संस्था इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूज-पेपर सोसाइटी (भारतीय तथा पूर्वी समाचार-पत्र-

परिषद्) है, जो १६३६ की फरवरी में कायम हुई थी। इसमें भारत, बर्मा तथा लंका के प्रतिनिधि हैं। इसका कार्यालय २७ बड़ाखम्भा रोड, नई दिल्ली में है। दूसरी संस्था 'ऑल इंडिया न्यूज-पेपर एडिटर्स कान्फ्रेन्स' (अखिलभारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक सम्मेलन) है, जिसकी स्थापना १६४० में हुई। तीसरी संस्था इंडियन लैंग्वेजेज् न्यूज पेपर एसोसिएशन (भारतीय भाषा समाचार-पत्र-परिषद्) है, जो १६४१ में स्थापित हुई थी। चौथी संस्था 'इंडियन फेडरेशन ऑफ् वर्किंग जर्नलिस्ट्स' है, जो अक्टूबर, १६५० ई० में स्थापित की गई। इसी प्रकार, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रान्तों के पत्रकारों के भी संघ हैं, जैसे अखिलभारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघ, उत्तर-प्रदेशीय पत्रकार-संघ, बिहार-पत्रकार संघ आदि। दक्षिण-भारत के लिए 'सदर्न इण्डिया जर्नलिस्ट्स फेडरेशन' है, जिसका कार्यालय माउण्ट रोड, मद्रास में है।

समाचार-प्राप्ति के साधन

समाचार-पत्रों को विभिन्न सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से समाचार मिला करते हैं। समाचार मिलने के सबसे मुख्य साधन न्यूज-एजेन्सियाँ हैं। ये न्यूज-एजेन्सियाँ व्यावसायिक दृष्टि से संगठित कम्पनियाँ हैं, जो जगह-जगह अपने संवाददाता रखकर समाचार इकट्ठा करती हैं और उन्हें समाचार-पत्रों के हाथ बेचती हैं।

प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ् इंडिया—भारत-सरकार की ओर से पत्रों को सरकारी समाचार देने के लिए 'प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो' है, जिसके कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हैं।

युनाइटेड नेशन्स इन्फॉरमेशन सेण्टर—संयुक्त राष्ट्र-संघ की कार्रवाइयों की सूचना भारतीय पत्रों को देने के लिए थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, क्वींस वे, नई दिल्ली में इसका एक ऑफिस है।

युनाइटेड स्टेट्स इन्फॉरमेशन सर्विस—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खबर भारतीयों को देने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसके ऑफिस हैं।

ब्रिटिश इन्फॉरमेशन सर्विस—ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित खबरें लोगों को देने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इसके ऑफिस हैं।

विदेशी न्यूज एजेन्सियाँ—विदेशी न्यूज एजेन्सियाँ इस प्रकार हैं —

ब्रिटिश—(१) रायटर, (२) ग्लोब एजेन्सी।

फ्रांसीसी—एजेन्स फ्रांस प्रेसी।

रूस—टास न्यूज एजेन्सी।

अमेरिका—(१) एसोसियेटेड प्रेस ऑफ् अमेरिका, (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ् अमेरिका और (३) सेण्ट्रल न्यूज एजेन्सी, (४) इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस ऑफ् अमेरिका।

भारतीय न्यूज एजेन्सियाँ—समाचार देने के लिए भारत की निम्नलिखित एजेन्सियाँ हैं—(१) युनाइटेड प्रेस ऑफ् इंडिया, (२) रायटर और एसोसियेटेड प्रेस, (३) फ्री प्रेस, (४ ओरियण्ट प्रेस और (५) इण्डियन प्रेस-एसोसियेशन।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ् इण्डिया—१६४८ ई० में भारतीय समाचार-पत्रों ने अपनी न्जयू एजेन्सी कायम की है, जिसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ् इंडिया है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं हैं। यह सहकारिता के सिद्धान्त पर कायम हुआ है। रायटर और इंडिया ऐण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी की रजामन्दी से ऐसा किया गया है। संसार के समाचार-संग्रह के कार्य में यह एक नया विकास है। रायटर की सहायक कम्पनी एसोसियेटेड प्रेस ऑफ् इण्डिया लि० प्रेस ट्रस्ट ऑफ् इण्डिया लि० के रूप में परिणत हो गई है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रों के साथ-साथ रायटर कम्पनी का हिस्सेदार हो गया है। रायटर कम्पनी में इसका एक ट्रस्टी और एक डाइरेक्टर हैं।

१६४६ की २ फरवरी से प्रेस ट्रस्ट ऑफ् इंडिया ने भारत में रायटर और एसोसियेटेड प्रेस का सब काम ले लिया है और रायटर के वर्ल्ड न्यूज ऑरगेनिजेशन में इसकी साझेदारी भी हो गई है।

नियर एण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया)—इसका संक्षिप्त नाम 'नाफेन' है। यह अपने चार केन्द्रों से अँगरेजी तथा सभी भारतीय भाषाओं में अपनी न्यूज-बुलेटिन निर्गमित करता है।

धीमान प्रेस ऑफ् इण्डिया—इसका प्रधान कार्यालय लुधियाना में है। यह संसार के विभिन्न भागों से समाचार, समाचार-चित्र, फीचर आदि भारत के १०० दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों को भेजता है।

हिन्दुस्तान-समाचार—यह न्यूज एजेन्सी सन् १६४८ से अखिल भारतीय स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके कार्यालयों में हिन्दी-टेलिप्रिण्टर की भी व्यवस्था है।

फ्री प्रेस ऑफ् इण्डिया—यह न्यूज एजेंसी १६२३ ई० में स्थापित की गई थी, किंतु १६३५ में इसका काम बंद हो गया। सन् १६४५ ई० से यह फिर काम कर रही है। इसके समाचार बम्बई के कुछ खास पत्रों को ही मिलते हैं।

इनफा (शचिस)—यह न्यूज एजेंसी हाल ही में स्थापित हुई है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

उपर्युक्त समाचार-एजेन्सियों के अतिरिक्त कुछ विदेशी न्यूज एजेन्सियाँ भी हैं, जो भारतीय पत्रों को समाचार देती हैं। उनके नाम पहले दिये जा चुके हैं।

भारत के सावधिक पत्र—१६५८ के पूर्व तक भारत के सभी दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक और सावधिक पत्रों की संख्या ६,२१५ थी। १६५८ ई० में १६५७ की अपेक्षा समाचार-पत्रों के प्रचार (सर्कुलेशन) में ८.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में अँगरेजी के समाचार-पत्रों का प्रचार सर्वाधिक है। इसके प्रचार की संख्या ३३.७७ है, जो कुल प्रचार का २३.४ प्रतिशत है। हिन्दी-पत्रों का स्थान दूसरा है। इनके प्रचार की संख्या २७.१७ लाख है, जो १८.८ प्रतिशत है। दिसम्बर, १६५७ ई० में भारत के कुल समाचार-पत्रों की संख्या ५,६३२ थी, जो दिसम्बर, १६५८ ई० में बढ़कर ६,६१८ हो गई।

केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के सूचना एवं प्रचार-विभाग

भारत-सरकार का प्रचार-कार्य मुख्यतया सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय पर निम्नांकित कार्यों का दायित्व हैं—

(१) ऑल इण्डिया रेडियो, (२) प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो, (३) डायरेक्टरेट ऑफ् एडवर्टाइजिंग ऐण्ड विजुअल पब्लिसिटी, (४) पब्लिकेशन्स डिवीजन, (५) फिल्म्स डिवीजन, (६) रिसर्च ऐण्ड रेफरेंस डिवीजन, (७) रजिस्ट्रार ऑफ् न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया, (८) पंचवर्षीय योजना-प्रचार। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अधीन प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो और उसके प्रचार-अफसरों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक सूचना-मंत्री होता है, जो निर्देशक के अधीनस्थ सूचना-विभागों पर नियंत्रण रखता है।

पत्रकारिता की शिक्षा—भारत में पत्रकारिता की शिक्षा मद्रास, कलकत्ता, मैसूर, पंजाब, गुजरात और उस्मानिया-विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इनमें पंजाब-विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती है। पंजाब-विश्वविद्यालय के अधीन कैम्प कॉलेज, नई दिल्ली में एक पत्रकारिता-विभाग है, जहाँ स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था है।

विभिन्न भाषाओं के पत्रों का प्रचार (सर्कुलेशन), १९५८

	प्रतिशत		प्रतिशत
अँगरेजी	२३.४	उर्दू	५.८
हिन्दी	१८.३	बँगला	५.१
तमिल	१३.४	मलयालम	४.८
मराठी	७.३	तेलुगु	४.२
गुजराती	७.१		

विभिन्न राज्यों में समाचार-पत्रों की संख्या (१९५८)

राज्य	समाचार-पत्र-संख्या	राज्य	समाचार-पत्र-संख्या
आंध्र-प्रदेश	३२२	उड़ीसा	१२४
आसाम	४१	पंजाब	५२६
बिहार	१८४	राजस्थान	१९९
बम्बई (गुजरात और महाराष्ट्र)	१,४६७	उत्तर-प्रदेश	७७४
		प० बंगाल	१०,१२
केरल	२९६	दिल्ली	६९८
मध्य-प्रदेश	२१३	हिमाचल-प्रदेश	५
मद्रास	६७७	मणिपुर	२२
मैसूर	३४३	त्रिपुरा	१२
		कुल योग	६,९१८

भाषा के अनुसार समाचार-पत्रों की संख्या (१९५८)

राज्य	समाचार-पत्र-संख्या	राज्य	समाचार-पत्र-संख्या
अँगरेजी	१,३६२	उड़िया	७०
हिन्दी	१,२६३	पंजाबी	१३३
असमिया	१०	तमिल	३२४
बँगला	४६२	तेलुगु	२२६
गुजराती	४५६	उर्दू	५६६
कन्नड़	२२६	द्विभाषी	६८२
मलयालम	१७७	बहुभाषी	४२४
मराठी	३७४	अन्य	६०
		कुल योग	६,६१८

विभिन्न भाषाओं के समाचार-पत्रों के पाठकों की संख्या (आधार १९५८)

भाषा	प्रति एक हजार की जन-संख्या पर प्रतियों की संख्या	भाषा	प्रति एक हजार की जन-संख्या पर प्रतियों की संख्या
असमिया	७.२	मराठी	३६.०
बँगला	२६.५	उड़िया	८.३
गुजराती	६३.३	तमिल	७३.१
हिन्दी, उर्दू और पंजाबी	२४.७	तेलुगु	१८.३
कन्नड़	२१.४		
मलयालम	५२.१		

कुछ प्रमुख समाचार-पत्र

(जिनकी प्रचार-संख्या ५०,००० से अधिक है)

दैनिक

इण्डियन एक्सप्रेस (अँगरेजी)—मद्रास, बम्बई, मदुराई और दिल्ली।

टाइम्स ऑफ् इण्डिया (अँगरेजी)—बम्बई और दिल्ली।

थान्ती (तमिल)—मद्रास, मदुराई और त्रिचूर।

दिनमणि (तमिल)—मद्रास और मदुराई।

अमृतबाजार-पत्रिका (अँगरेजी)—कलकत्ता और इलाहाबाद।

युगान्तर (बँगला)—कलकत्ता।

नवभारत टाइम्स (हिन्दी)—दिल्ली और बम्बई।

मातृभूमि (मलयालम)—कोझिकोड।

हिन्दुस्तान टाइम्स (अँगरेजी)—दिल्ली।

लोकसत्ता (मराठी)—बम्बई।

स्टेट्समैन (अँगरेजी)—कलकत्ता और दिल्ली। मलयाला मनोरमा (मलयाला)—कोट्टायम्।
दी हिन्दू (अँगरेजी)—मद्रास। आनन्दबाजार-पत्रिका (बँगला)—कलकत्ता।
फ्री प्रेस जर्नल (अँगरेजी)—बम्बई। आंध्र-प्रभा (तेलुगु)—मद्रास।

सावधिक पत्र (प्रिऑडिकल्स)

सण्डे स्टैण्डर्ड (अँगरेजी, साप्ताहिक)—मद्रास, बम्बई, मदुराई और दिल्ली।
कुमुन्दम् (तमिल, त्रैमासिक)—मद्रास।
आनन्द विकातन (तमिल, साप्ताहिक)—मद्रास।
फिल्मफेयर (अँगरेजी, पाक्षिक)—बम्बई।
कल्याण (हिन्दी, मासिक)—गोरखपुर।
कल्कि (तमिल, साप्ताहिक)—मद्रास।
रविवासरीय दिनमणि (तमिल, साप्ताहिक)—मद्रास और मदुरा।
रवि० लोकसत्ता (मराठी, साप्ताहिक)—बम्बई।
अस्ताना (उर्दू, मासिक)—दिल्ली।
मनोहर कहानियाँ (हिन्दी, मासिक)—इलाहाबाद।
माया (हिन्दी, मासिक)—इलाहाबाद।
इलस्ट्रेटेड वीक्ली (अँगरेजी, साप्ताहिक)—बम्बई।
ब्लिज (अँगरेजी, साप्ताहिक)—बम्बई।
धर्मयुग (हिन्दी, साप्ताहिक)— ,,
रविवासरीय आंध्र-प्रभा (साप्ताहिक, तेलुगु)—मद्रास।
विसुम पदम् (तमिल, मासिक)—मद्रास।
मलयाला मनोरमा (मलयालम, साप्ताहिक)—कोट्टायम्।
भारत-ज्योति ((अँगरेजी, साप्ताहिक)—बम्बई।
चन्दामामा (हिन्दी, मासिक)—मद्रास।
सिने एडवान्स (अँगरेजी, साप्ताहिक)—कलकत्ता।

निम्नलिखित समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या २० हजार से अधिक तथा ५० हजार से कम है—

अँगरेजी

दैनिक

हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड—कलकत्ता
मेल—मद्रास
ट्रिब्यून—अम्बाला कैण्ट
डेकान हेरल्ड—बंगलोर
इण्डियन नेशन—पटना
सर्चलाइट—पटना

सावधिक पत्र

स्क्रीन (साप्ताहिक)—बम्बई
जर्नल ऑफ् द इन्स्टिट्यूशन आफ् इंजीनियर्स (मासिक)—कलकत्ता
इव्स वीक्ली—बम्बई
जर्नल ऑफ् इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (पाक्षिक)—कलकत्ता

हिन्दी

दैनिक

हिन्दुस्तान (दिल्ली)
विश्वमित्र (कलकत्ता)
आर्यावर्त्त (पटना)

सावधिक पत्र

साप्ताहिक हिन्दुस्तान (साप्ताहिक, दिल्ली)
शिक्षा-संदेश (मासिक, मेरठ)
पराग (मासिक, बम्बई)
अरुण (साप्ताहिक, मुरादाबाद)
धरती के लाल (मासिक, दिल्ली)
मनोरमा (मासिक, इलाहाबाद)
जीवन-शिक्षा (मासिक, वाराणसी)
कहानी (मासिक, इलाहाबाद)
मनमोहन (मासिक, इलाहाबाद)
रंगभूमि (मासिक, दिल्ली)
सरिता (मासिक, दिल्ली)

असमिया

सावधिक पत्र

आसाम-वाणी (साप्ताहिक, गौहाटी)

बँगला

सावधिकपत्र

बेटार जगत (पाक्षिक, कलकत्ता)
देश (साप्ताहिक, कलकत्ता)
शुकतारा (मासिक, कलकत्ता)

गुजराती

दैनिक

बम्बई-समाचार (बम्बई)
गुजरात-समाचार (अहमदाबाद)
जयहिंद (राजकोट)
जनसत्ता (अहमदाबाद)
प्रजातन्त्र (बम्बई)
जन्मभूमि (बम्बई)

सावधिक पत्र

जन्मभूमि और प्रवासी (साप्ताहिक, बम्बई)
बम्बई-समाचार (साप्ताहिक, बम्बई)
जगमग (साप्ताहिक, अहमदाबाद)
अखंड आनन्द (मासिक, अहमदाबाद)
जनकल्याण (मासिक, अहमदाबाद)
रसरंजन (साप्ताहिक, अहमदाबाद)

कन्नड़

दैनिक

प्रजावाणी (बंगलोर)
संयुक्त कर्नाटक (हुबली)
कर्मवीर (साप्ताहिक, हुबली)

मलयालम

दैनिक

केरल कौमुदी (त्रिवेंद्रम्)
मातृभूमि (साप्ताहिक, कोझिकोड)

मराठी

दैनिक

सकल (पूना)

मराठा (बम्बई)

नवशक्ति (बम्बई)

सावधिक पत्र

रविवारीय सकल (साप्ताहिक, पूना)

चन्दोबा (मासिक, मद्रास)

केसरी (द्विदैनिक, पूना)

स्वराज (साप्ताहिक, पूना)

उड़िया

सावधिक पत्र

उत्कल-प्रसंग (मासिक, भुवनेश्वर)

तमिल

सावधिक पत्र

सिनेमा कादिर (मासिक, मद्रास)

कलाकाङ्क (साप्ताहिक, मद्रास)

तेलुगु

सावधिक पत्र

आंध्र-प्रभा इलस्ट्रेटेड वीकली (साप्ताहिक, मद्रास)

चन्दामामा (मासिक, मद्रास)

आंध्र-पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली (साप्ताहिक, मद्रास)

आंध्र-पत्रिका (साप्ताहिक, मद्रास)

उर्दू

सावधिक पत्र

बीसवीं सदी (मासिक, दिल्ली)

सीरत (मासिक, वाराणसी)

दिन-दुनिया (मासिक, दिल्ली)

❀

चतुर्थ भाग

बिहार

बिहार और उसके निवासी

वर्त्तमान बिहार-राज्य अनेक प्राचीन जनपदों के सम्पूर्ण या न्यूनाधिक भागों के मिलने से बना है। ये जनपद हैं—अंग, पुंड्रवर्द्धन, मिथिला, वैशाली पूर्वकौशल, मगध, मलद, करुष, भर्ग, कर्कखंड या झारखंड आदि। इनमें से अंग, मिथिला, वैशाली और मगध भारत के बहुत प्रसिद्ध राज्य रहे और समय-समय पर इनके बहुत ही विस्तृत साम्राज्य भी कायम हुए, जिनकी चर्चा अनेक वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हुई है। अंग और वैशाली-साम्राज्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रन्थों में है। तथाकथित ऐतहासिक युग में सैंकड़ों वर्षों तक मगध का साम्राज्य सारे भारत में फैला हुआ था। यह भू-भाग सारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र-स्थली बना रहा। पौराणिक युग में यहाँ के विशाल, नाभानेदिष्ट, मरुत, अमूर्त्तरय गय, बलि, अंग, रोमपाद, सीरध्वज जनक, कर्ण, जरासंध आदि और ऐतिहासिक युग में बिम्बिसार, चन्द्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, धर्मपाल, शेरशाह आदि ने भारत के इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान कायम किया है। यहाँ के अन्य स्वनामधन्य व्यक्तियों में सीता, गार्गी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद, वर्ष, उपवर्ष, पिंगल, चाणक्य, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, आर्यभट्ट, मण्डनमिश्र आदि भारतीय इतिहास में अमर हो गये हैं।

बिहार के अन्तर्गत उपर्युक्त प्राचीन जनपदों की सीमा या वर्त्तमान बिहार-राज्य की सीमा समय-समय पर बदलती रही है। मिथिला का अधिकांश आज नैपाल के अन्तर्गत है, बल्कि उसकी राजधानी जनकपुर भी अब नैपाल में ही स्थित है। पुंड्रवर्द्धन का अधिकांश पश्चिम बंगाल में तथा करुष और भर्ग का अधिकांश भी बिहार के बाहर ही है।

इस प्रदेश का वर्त्तमान 'बिहार' नाम मुसलमानों के आगमन के बाद पड़ा, जबकि आक्रमणकारियों ने पालवंशियों की मुख्य नगरी उदन्तपुरी बिहार (वर्त्तमान बिहारशरीफ) को उजाड़कर वहाँ शासन करना आरम्भ किया और उस स्थान का नाम ही वहाँ के असंख्य बिहारों के कारण बिहार रखा। बिहार कहने से सर्वप्रथम पटना जिले के आस पास का ही बोध होता था, फिर धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया। सर्वप्रथम प्रान्त के रूप में बिहार का नाम तबाकत-ए-नासिरी नामक पुस्तक में मिलता है, जो १२६३ ई० के लगभग लिखी गई थी। उसके सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवहट्ट भाषा में लिखित विद्यापति की कीर्त्तिलता में बिहार का उल्लेख हुआ है। मुसलमानी शासन-काल में कभी यह एक स्वतंत्र प्रदेश रहता था, तो कभी बंगाल के साथ और कभी जौनपुर के साथ मिला दिया

जाता था। ब्रिटिश शासन-काल के आरम्भ में यह बंगाल के साथ था, फिर सन् १६१२ में बिहार-उड़ीसा एक अलग प्रान्त बनाया गया।

१६३६ में बिहार बिलकुल एक अलग प्रान्त बना दिया गया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद नवम्बर १६५६ के राज्य पुनस्संगठन के अनुसार इस प्रदेश के मानभूमि जिले का अधिकांश पूर्वी भाग और पूर्णिया जिले का कुछ पूर्वी अंश पश्चिम बंगाल में मिला दिये गये।

बिहार इस समय भारत का एक बड़ा प्रान्त है और यह देश के पूर्वी भाग में २१° ५८′ और २७° ३१′ उत्तरीय अक्षांश तथा ८३° २०′ और ८८° ३२ पूर्वीय देशान्तर के बीच स्थित है। इसकी राजधानी पटना गंगा-नदी के तट पर २५° ३७′ उत्तरीय अक्षांश और ८५° १०′ पूर्वीय देशान्तर पर बसा हुआ है।

बिहार-राज्य के उत्तर में एक स्वतन्त्र देश नैपाल है। पहाड़ और नदियाँ इसे नैपाल से अलग करती हैं। जहाँ किसी तरह की प्राकृतिक सीमा नहीं है, वहाँ ये खाई और स्तम्भ-सीमा का काम करते हैं। इसके पूरब की ओर पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, वर्दवान, पुरुलिया और मेदिनीपुर जिले हैं। दक्षिण में उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले हैं। पश्चिम में मध्य-प्रदेश के जसपुर और सरगुजा एवं उत्तर-प्रदेश के मिरजापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर जिले पड़ते हैं।

यह राज्य न्यूनाधिक समानान्तर चतुर्भुज के आकार का है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्बाई ३३२ मील और पूरब से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक चौड़ाई २२८ मील है।

यह प्रदेश प्राकृतिक रूप से दो या तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। गंगा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई इसे दो भागों में बाँटती है। उत्तरी भाग को उत्तर-बिहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण-बिहार कहते हैं। दक्षिण-बिहार में भी गंगा तट का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका ये दो प्राकृतिक भाग हैं। फिर, दूसरी तरह से भी प्रान्त के दो प्राकृतिक भाग बताये जा सकते हैं—गंगा-तट के दोनों ओर का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका। इस समतल मैदान में खेती खूब होती है। गंगा के उत्तर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने पर कुछ पहाड़ और जंगल हैं, शेष सारा भाग समतल मैदान है। किन्तु गंगा के दक्षिण के समतल मैदान में हर जिले में जहाँ तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। गंगा के उत्तर गंगा, सरयू, मही, बड़ी गंडक, छोटी गंडक, बया, बागमती, तिलयुगा, कोशी और महानंदा ये मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण-बिहार की नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गू, सकरी, कर्मनाशा, काओ, पंचाने, क्यूल, अजय, मणि, चानन, मोर, ब्राह्मणी, बंसलोई और गुमानी मुख्य हैं। इनमें केवल सोन और पुनपुन में छोटी-छोटी नावें चलती हैं, शेष नदियाँ गर्मी में सूख जाया करती हैं।

छोटानागपुर की अधित्यका दक्षिण-भारत की अधित्यका का पूर्वी भाग है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा है। यहाँ के पहाड़ों में बहुत-से सुन्दर झरने और

जलप्रपात हैं। राँची जिले का हुण्ड्रू जलप्रपात इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सुन्दर जलप्रपात है। समुद्र-तल से इस अधित्यका की औसत ऊँचाई दो हजार फुट है। इस भाग में अधिक उपज नहीं होती और यहाँ की आबादी बहुत कम है; किन्तु इस भाग में बहुत तरह के खनिज पदार्थ तथा अन्य वन-सम्पत्ति पाई जाती है। यहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ हैं, जिनमें उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, वैतरणी, उत्तर कारो दक्षिण कारो, रोरो, देव कोइना, मयूराक्षी आदि मुख्य हैं।

बिहार की जलवायु शुष्क और स्वास्थ्यप्रद है। साधारणतः, यहाँ का तापमान १००° से १०५° तक रहता है, पर कभी-कभी ११०° से ११४° तक भी चला जाता है। जाड़े के दिनों में गंगा के मैदान की अपेक्षा छोटानागपुर की अधित्यका में जाड़ा अधिक पड़ता है पर गर्मी के दिनों में यहाँ गर्मी कुछ कम ही पड़ती है। यहाँ साल में करीब ७०-७५ इंच औसतन वर्षा होती है। प्रान्त के अन्दर वर्षा सबसे अधिक पूर्णिया जिले में होती है। हिमालय के निकट होने के कारण चम्पारन जिले के उत्तरी भाग में भी वर्षा अधिक होती है। प्रान्त के मध्य भाग में ४०-५० इंच और छोटानागपुर की अधित्यका में ५०-५५ इंच वर्षा होती है। यहाँ साधारणतः पूर्वी और पश्चिमी हवा बहती है। देवघर, राँची, राजगृह, कोइलवर (शाहबाद) सिमलतला (मुँगेर) यहाँ के स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं।

गंगा-तट के मैदान के निवासी आर्यवंश के लोग हैं जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं। यहाँ आदिवासी बहुत कम और यत्र-तत्र ही पाये जाते है; किन्तु छोटानागपुर की अधित्यका में आदिवासियों की संख्या बहुत है। ये लोग जंगलों और पहाड़ों में भी रहते हैं।

क्षेत्रफल और जन-संख्या

नवम्बर १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के बाद १९५१ ई० की गणना के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल ७०३३० वर्गमील से घटकर ६७११३ वर्गमील रह गया है। और जन-संख्या भी ४,०२,२५,९४७ से घटकर ३,८७,८३,७७८ रह गई है। ग्रामों की संख्या ७१,३७८ से घटकर ६७,९७० और नगरों की संख्या ११३ से घटकर १०८ हो गई है। पिछले ५० वर्षों में यहाँ के वर्त्तमान क्षेत्र की जन-संख्या लगभग ड्योढ़ी बढ़ी है। इस अवधि में प्रत्येक १० वर्ष पर जन-संख्या की वृद्धि या ह्रास किस प्रकार हुआ, यह नीचे लिखा है—

१९०१	२,७४,०५,५२७	१९३१	३ १३,३९,०५०
१९११	२,८३,९०,५२०	१९४१	३,५१,७१ ८७९
१९२१	२,८१,१९ १८५	१९५१	३,८७,८३,७७८

यहाँ की १९५१ की जन-संख्या में ३,६१,५७,५१६ व्यक्ति ग्रामनिवासी और २६,२६,२६१ व्यक्ति नगरनिवासी हैं। इस जन-संख्या में १,९४,९०,५६० पुरुष और

१,६२,६३,२१८ स्त्रियाँ हैं। पुरुषों में १,८०,६५,१४४ ग्रामवासी और १४,२५,४१६ नगरनिवासी हैं। उसी प्रकार, स्त्रियों में १,८०,६२,३७३ ग्रामवासिनी और १२,००,८४५ नगरवासिनी हैं।

यह एक ध्यान देने की बात है कि विश्व के अनेक प्रमुख देशों की जन-संख्या से बिहार की जन-संख्या कहीं अधिक है। वे देश हैं – हिन्द-चीन, मैक्सिको, कोरिया, पोलैंड, तुर्की, फिलिपाइन, मिस्र, बर्मा, स्याम, रोमानिया, अरजेण्टिना, युगोस्लाविया, फारस, कनाडा, न्यूफाउंलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान, बेलजियम, कांगो, कोलम्बिया, इथोपिया और नीदरलैंड।

बिहार के बँटवारे का ब्योरा

१९५६ के नवम्बर में राज्यों के पुनस्संगठन के अनुसार पूर्णिया और मानभूम में किस प्रकार परिवर्त्तन हुए, यह नीचे दिया जाता है—

पूर्णिया जिले की पूर्वी सीमा पर के ठाकुरगंज, चोपरा, इस्लामपुर, किसनगंज, गोआलपोखर और करनदिग्घी थाने के सब मिलाकर ९१३ ग्राम पश्चिम बंगाल में मिला दिये गये हैं। करनदिग्घी थाना सदर सबडिवीजन का और शेष थाने किसनगंज सबडिवीजन के हैं। इस प्रकार, पूर्णिया जिले से कुल ६९९ वर्गमील भूमि, जिसकी जन-संख्या २,७३,०७२ थी, पश्चिम बंगाल में मिलाई गई।

मानभूम जिले में दो सबडिवीजन थे—पुरुलिया और धनबाद। १९४८ ई० में धनबाद एक उपजिला बना दिया गया। नवम्बर, १९५६ में सदर सबडिवीजन के २१ थानों में उत्तर-पश्चिम के दो थाने—चास और चन्दनक्यारी—को धनबाद सब-डिवीजन में मिलाकर उसे एक पूरा जिला घोषित किया गया। फिर, उस जिले के दो सबडिवीजन हुए सदर (धनबाद) और बाघमारा। सदर सबडिवीजन में धनबाद गोविन्दपुर, झरिया केंदुआडीह, बलियापुर, जोरापोखर, जगता सिन्दरी, निरसा, चिरकुंडा और टुंडी ये ११ थाने हुए। बाघमारा सबडिवीजन के अन्तर्गत बाघमारा, तोपचाँची, कतरास, चास और चन्दनक्यारी ये ५ थाने रहे। इस प्रकार, अब धनबाद जिले का क्षेत्रफल १,११४ वर्गमील और जनसंख्या ९,०५,७८३ है।

मानभूम जिले के दक्षिण-पश्चिम के तीन थाने—ईचागढ़, चंडिल और पतामदा धनबाद जिले से अलग पड़ जाने के कारण सिंहभूम जिले मे मिला दिये गये हैं। ईचागढ़ और चंडिल थाने सरायकेला-खरसावाँ सबडिवीजन में तथा पतामदा थाना दालभूम सबडिवीजन में आये हैं। इस रद्दोबदल के बाद सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल ४५०८ वर्ग-मील से बढ़कर ५,१२३ वर्गमील और जन-संख्या १४,८०,८१६ से बढ़कर १६,८५,९६५ हो गया है।

पुरुलिया सबडिवीजन के बाकी १६ थाने पश्चिम बंगाल में सम्मिलित किये गये और इस भू-भाग का नाम पुरुलिया जिला पड़ा। ये सोलह थाने इस प्रकार हैं - झालदा, जयपुर, पुरुलिया, बलरामपुर, हुरा, अरसा, पंचा, बाघमुंडी, बड़ाबाजार, बन्दुआन,

मानबाजार, रघुनाथपुर, संतुरी, नेतुरिया, काशीपुर और पारा। इस भाँति पश्चिम बंगाल में मिले हुए पुरुलिया जिले का क्षेत्रफल २,५१६ वर्गमील और जन-संख्या ११,६६,०६७ हैं।

विभिन्न कमिश्नरियों और जिलों के क्षेत्रफल एवं जन-संख्या

राज्यों के पुनस्संगठन के बाद बिहार, उसके कमिश्नरियों और जिलों के क्षेत्रफल और जन-संख्या १९५१ ई० के गणनानुसार इस प्रकार हैं-—

क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन-संख्या १९५१ ई०	गत दस वर्षों में प्रतिशत वृद्धि	सघनता (प्रति वर्गमील)
बिहार-प्रदेश	६७,११३	३,८७,८३,७७८	१०·३	५७८
पटना कमिश्नरी	११,३३४	८२,८७,२११	१२·५	७३१
पटना जिला	२,१६४	२५,२८,२७२	१७·६	१,१६८
गया जिला	४,७६६	३०,७०,४६६	१०·६	६४४
शाहाबाद जिला	४,४०४	२६,८८,४४०	१५.५	६१०
मुजफ्फरपुर कमिश्नरी	१२,५८५	१,२९,६०,७६०	७·७	१,०३०
मुजफ्फरपुर जिला	३,०१८	३५,२०,७३६	८·५	१,१६७
दरभंगा जिला	३,३४५	३७,६९,५३४	९·०	१,१२७
सारन जिला	२,६६६	३१,५५,१४४	१०·३	१,१८२
चम्पारन जिला	३,५५३	२५,१५,३४३	४·९	७०८
भागलपुर कमिश्नरी	१८,००२	१,०१,६०,६४५	८·२	५६४
भागलपुर जिला	२,१७९	१४,२९,०६६	१२·२	६५६
मुँगेर जिला	३,९७५	२८,४९,१२७	१०·०	७१७
पूर्णिया जिला	४,२९९	२२,५२,१५६	६·१	५२४
सहरसा जिला	२,०८८	१३,०८,१९८	१५·२	६२७
संताल परगना जिला	५,४६१	२३,२२,०९२	३·९	३२५
छोटानागपुर कमिश्नरी	२५,१९२	७३,७५,१६२	१०·१	२९३
राँची जिला	७,०१५	१८,६१,२०७	११·१	२६५
हजारीबाग जिला	७,०१०	१९,३७,२१०	१०·६	२७६
पलामू जिला	४,९३०	९,८५,७६७	८·०	२००
धनबाद जिला	१,११४	९,०५,७८३	२२·०	८१३
सिंहभूम जिला	५,१२३	१६,८५,१९५	८·६	३२९

विभिन्न जिलों के स्त्री-पुरुष एवं ग्रामीण और नागरिक व्यक्ति

बिहार-प्रदेश तथा उसके जिलों में पुरुषों, स्त्रियों, ग्रामीण व्यक्तियों एवं नागरिक व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है —

प्रदेश और जिले	पुरुष	स्त्री	ग्रामीण व्यक्ति	नागरिक व्यक्ति
बिहार	१ ९४ ९० ५६०	१ ९२ ९३.२१८	३,६१,५७,५१७	२६ २६ २६१
पटना	१२ ९७,२६६	१२ ३१ ००६	२० ७० ४७८	४,५७,७९४
गया	१५,३५ ३६२	१५,३५ १३७	२८,५३,८०७	२,१०,६९२
शाहाबाद	१३,५८ ४४३	१३,२९ ९९७	२५,०७.८६१	१,८०,५७९
मुजफ्फरपुर	१७,३०,७५०	१७,८९ ९८९	३३,८५,०४३	१,३५,६९६
दरभंगा	१८,४४,२०१	२९,२५,३३३	२६ ०९,४४३	१,६०,०९१
सारन	१५,०१,२५३	१६ ५३,८९१	३०,२८,९८६	१,२६,१५८
चम्पारन	१२,६७,४०६	१२,४७,९३७	२४,१०,४८४	१,०४,८६०
भागलपुर	७,२८,६८१	७,००,३८८	१३,०७,०२४	१,२२ ०४५
मुँगेर	१४,३४,८२४	१४,१४,३०३	२५,८२,०१०	२,६७,११७
पूर्णिया	११,७५,६५४	१०,७६,५०५	—	—
सहरसा	६,७२,६७७	६,३५,५२१	१३,०८,१९८	—
संतालपरगना	११,७२,५९४	११,४९,४९८	२२,२५ ३१२	९६ ७८०
राँची	९,३८,२५५	९,२२,९५२	१७,३६,१६२	१,२५,०४५
हजारीबाग	९,८१,२६४	९,५५,९४६	१८,०४,०८४	१,३३,१२६
पलामू	४,९८,५६४	४,८७,२०३	९,४८,७६०	३७,००७
धनबाद	४,९८,०४४	४,०७,७३९	—	—
सिंहभूम	८,५५,३२२	८,२९,८७३	—	—

बिहार के जिलों के गाँव, शहर और घर

सन् १९५१ई०

जिला	गाँव	शहर	कुल घर	ग्रामीण घर
पटना	२,२८८	८	३,८९,९९२	३,२४,१९७
गया	६,१०२	१०	४,८५,३२३	४,५१,३५०
शाहाबाद	४,७२९	८	४,२०,४७५	३,८९,३७४
सारन	४,२८५	५	४,५३,७११	४,३३,०२३
चम्पारन	२,६३२	१०	४,२३,०१६	४,०४,९५१
मुजफ्फरपुर	४,१७१	६	५,८०,६३७	५,५५,५९९
दरभंगा	३,००९	७	७,०८,८७७	६,८१,१०९
मुँगेर	३,०७३	१३	५,००,१८७	४,५३,३६०

जिला	गाँव	शहर	कुल घर	ग्रामीण घर
भागलपुर	२,२६१	२	२,४१,७६३	२,२४,७६८
सहरसा	१,२६८	—	२,६७,६४०	२,६७,६४०
पूर्णिया *	४,५५३	४	५,५७,७२३	५,३६,४६०
संताल परगना	११,५२२	७	४,५१,०८२	४,३४,५१८
हजारीबाग	६,१२६	८	३,२४,०१२	२,६८,७८३
राँची	३,६३०	३	३,३४,६४८	३,१८,०१४
धनबाद †	१,२४१	३	१,४१,१८२	१,२८,०६३
पलामू	३,२०२	३	१,७८,७७५	१,७३,०४८
सिंहभूम †	३,७३१	१०	२,६४,८५५	२,४७,२६७

विभिन्न धर्मावलम्बी

बिहार के जिलों में विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या १९५१ ई० की जन-गणना के अनुसार इस प्रकार है—

जिला	हिन्दू	सिक्ख	जैन	बौद्ध
पटना	२२,७६,२८२	५,५६६	१,५७६	६१
गया	२७,६०,४२४	१,७६४	५६६	२६
शाहाबाद	२५,०८,१६६	८१०	६४४	३६
सारन	२७,७३,५२६	२६६	६४	—
चम्पारन	२१,१५,८४०	११६	—	—
मुजफ्फरपुर	३१,१२,४३५	४६४	१४	२१
दरभंगा	३२,६६,७१६	१६६	४	२
मुँगेर	२६,१०,०८७	६१३	६४	२७६
भागलपुर	१२,६३,७२८	१,०१६	३८३	—
सहरसा	१२,२४,६१६	—	६६	—
पूर्णियाँ *	१७,०७,६२४	१२	५७	—
संताल परगना	२०,६८,४६२	२४	४६	३
हजारीबाग	१७,०७,५५८	४,१७६	१,६८६	२२७
राँची	१०,१६,०८०	१,८६८	८३२	७१

* नवम्बर, १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के पश्चात् पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम-बंगाल में चले जाने से इन आँकड़ों में कमी हुई है।

† नवम्बर, १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के बाद मानभूम जिले के दो थाने धनबाद जिले में और तीन थाने सिंहभूम जिले में मिला दिये जाने से इस आँकड़े में वृद्धि हुई है।

जिला	हिन्दू	सिख	जैन	बौद्ध
धनबाद †	६,२६,८१४	४,४२६	३५६	२४
पलामू	८,७१,२११	४८३	१६७	१६
सिंहभूम †	६,२६,६५६	१४,३६८	४३२	२७७

(लगातार)

जिला	पारसी	मुसलमान	ईसाई
पटना	५५	२,३६,८७३	१,५७३
गया	—	३,०३,५१२	५७१
शाहाबाद	—	१,७७,५४२	४७६
सारन	—	३,८१,१५३	१०५
चम्पारन	—	३,६७,६८६	१,६६५
मुजफ्फरपुर	—	४,०७,५८५	१६०
दरभंगा	—	४,६६,३५०	२६३
मुँगेर	—	२,३६,३६३	१,३६०
भागलपुर	४	१,६३,४८३	४२१
सहरसा	—	८३,२३५	२५१
पूर्णिया *	—	८,१७,१४८	३६०
संताल-परगना	—	२,१६,२४०	४,२८४
हजारीबाग	—	२,१४,६६१	६,६२८
राँची	—	६८,२०४	३,३६,५८७
धनबाद †	—	८७,७८२	७,७६०
पलामू	—	६७,४०३	१३,६६६
सिंहभूमि †	३६५	५५,६८८	२६,८३७

(लगातार)

जिला	यहूदी	आदिम-जाति	अन्य
पटना	३४	१७८	११
गया	—	३,५११	६२
शाहाबाद	—	७०५	५८
सारन	—	—	—
चम्पारन	—	—	—
मुजफ्फरपुर	—	—	—
दरभंगा	—	—	—
मुँगेर	१	—	—
भागलपुर	३१	—	—
सहरसा	—	—	—

जिला	यहूदी	आदिम-जाति	अन्य
पूर्णिया *	—	—	—
संताल-परगना	—	—	—
हजारीबाग	—	१,६२८	४३०
राँची	१२	४०,७,४७७	४६
धनबाद †	५	५,४७६	१८
पलामू	—	२,७४१	—
सिंहभूमि †	५	४,५०,५६६	२,२५६

बिहार के जिलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़ा वर्ग तथा ऊँची जातियों के लोगों की संख्या

(सन् १९५१ की गणना के अनुसार)

जिला	अनु० जातियाँ	अनु० जन-जातियाँ	पिछड़ा वर्ग	उच्च जातियाँ
पटना	३,४५,७६३	४,३१६	३,५१,१४४	१८,२७,०४९
गया	४,७०,६१९	५,७२०	४,३४,३०७	२१,५९,८५३
शाहाबाद	३,६७,४५८	१६,९९३	३,१५,७६२	१९,८८,२२७
सारन	३,३२,०२३	४५२	३,४७,६३१	२४,७५,०३८
चम्पारन	३,७४,१३०	२०,९९८	३,४४ ९१४	१७,७५,३०१
मुजफ्फरपुर	५,१३,२९२	१,९५२	५,१७,५२४	२४,८७,९७१
दरभंगा	५,०५,,०२८	९८३	६,९६,००८	२५,६७,५१५
मुँगेर	४,३९ ९७७	५६ ७१२	७,७४,८४१	१५,७७,५९७
भागलपुर	१,७२,०९६	९६,१२६	५,३५,१४४	६,२५,७०३
सहरसा	२,०४,८०२	२८,३६६	२,८५,६६४	७,८९,३६६
पूर्णिया *	२,९३,२३४	१,१८,१४५	६,६४,६६१	१४,४९,१०१
संताल-परगना	१,४४,३६३	१०,३७,१६७	३,१८,७६१	८,२१,८०१
हजारीबाग	२,१५,७२२	२,६७,५५२	२,०७ ९२५	१२,४६,०११
राँची	७०,५३२	११,२५,८०२	९४,९४६	५,६९,९२७
धनबाद †	१,१४,४३८	१,१४,५२९	८४,६४५	४,१८,०८८
पलामू	२,१९,६१५	१,७२ ०२७	९८,१६०	४ ९५,९६५
सिंहभूमि †	४९,७६८	७,१३,५२२	१,०२,८४६	६,१४,६८०

* नवम्बर, १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के पश्चात् पूर्णिया जिले का कुछ अंश पश्चिम बंगाल में मिल जाने से इन आँकड़ों में कमी हो गई है।

† नवम्बर, १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के पश्चात् मानभूमि जिले के दो थाने धनबाद में और तीन थाने सिंहभूमि जिले में मिला दिये जाने से इन आँकड़ों में वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़ा वर्ग

जंगलों और पहाड़ों में रहनेवाली जातियों को, जिन्हें आदिम जाति भी कहा जाता है, भारतीय संविधान में 'अनुसूचित जन-जाति' कहा गया है। हिन्दू-समाज में जिन्हें अछूत कहा जाता था, उन्हें संविधान में अनुसूचित जाति' कहा गया है। उससे ऊपर किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि तथाकथित ऊँची जातियों से नीचे की श्रेणी के लोगों को 'पिछड़ा वर्ग' कहा गया है। इन तीन श्रेणियों में कौन-कौन जातियाँ गिनाई गई हैं, यह नीचे दिया जाता है—

अनुसूचित जातियों के नाम (संविधान-आदेश १९५० के अनुसार)

(१) बौरी, (२) बंटार, (३) भोगता, (४) चमार, (५) चौपाल, (६) धोबी, (७) डोम (डाँगर-सहित), (८) दुसाध (ढाढ़ी-सहित), (९) घासी, (१०) हलालखोर, (११) हारी (मेहतर-सहित), (१२) कंजर, (१३) कुररियार, (१४) लालबेगी, (१५) मोची, (१६) मुसहर, (१७) नट, (१८) पन, (१९) पासी, (२०) रजवार, (२१) तूरी —सारे बिहार प्रदेश में।

(२२) भूमिज—पटना और तिरहुत कमिश्नरी तथा मुँगेर, भागलपुर, पूर्णिया और पलामू जिले में।

(२३) भुइयाँ—पटना कमिश्नरी और पलामू जिले में।

(२४) दबगर—शाहाबाद जिले में।

अनुसूचित जनजातियों के नाम (संविधान-आदेश, १९५० के अनुसार)

(१) असुर (२) बैगा, (३) बथूड़ी (४) बेदिया, (५) बिझिया, (६) बिरहोर, (७) बिरजिया, (८) चेरो, (९) चिक बरैक, (१०) गोंड़, (११) गोरैत, (१२) हो, (१३) करमाली, (१४) खरिया, (१५) खरवार, (१६) खोंड़, (१७) किसान, (१८) कोड़ा, (१९) कोरवा, (२०) लाहरा, (२१) माहली, (२२) माल पहड़िया, (२३) मुण्डा, (२४) ओराँव, (२५) पढ़ैया, (२६) संताल (२७) सौरिया पहड़िया (२८) सबर—सारे बिहार प्रदेश में।

(२९) भूमिज—संताल परगना हजारीबाग, राँची, पुरुलिया, धनबाद और सिंहभूमि जिले में।

पिछड़े वर्ग की जातियाँ

(१) बारी, (२) बनपर, (३) बेलदार, (४) भठियारा (मुसलमान), (५) भेड़िहर, (६) भुइयाँ, (७) बिन्द, (८) चिक (मुसलमान), (९) डफाली (मुसलमान), (१०) धानुक, (११) धुनिया (मुसलमान), (१२) गोढ़ी (छबि), (१३) हजाम (१४) कहार, (१५) कसाब (कसाई मुसलमान), (१६) केवट) (क्योट), (१६-अ) खटिक, (१७) माली (मालाकार), (१८) मल्लाह (सुरहिया-सहित), (१९) मदारी (मुसलमान), (२०) मिरियासिन

(मुसलमान), (२१) नट (मुसलमान), (२२) नोनिया, (२३) पमरिया (मुसलमान), (२४) शेखरा, (२५) तेंतिस (ततवा) (२६) तुरहा—सारे बिहार प्रदेश में।

(२७) अघोरी, (२८) चाईं—पटना जिले में।

(२९) अघोरी, (३०) चाईं, (३१) कलन्दर (नवादा में), (३२) मुरियारी—गया जिले में।

(३३) अघोरी (३४) चाईं, (३५) कोरकू, (भभुआ में)—शाहाबाद जिले में।

(३६) अघोरी (३७) चाईं, (३८) धामिन, (३९) गन्धर्व, (४०) कलन्दर (सीवान में) (४१) खटवे—सारन जिले में।

(४२) अघोरी, (४३) चाईं, (४४) धामिन (४५) गन्धर्व, (४६) खटवे, (४७) मंगर (मगर), (४८) थारू—चम्पारन जिले में।

(४९) अघोरी, (५०) चाईं, (५१) धामिन, (५२) गन्धर्व, (५३) खटवे—मुजफ्फरपुर जिले में।

(५४) अघोरी, (५५) चाईं, (५६) धामिन, (५७) धीमर, (५८) गन्धर्व, (५९) खतवे, (६०) मेदारा—दरभंगा जिले में।

(६१) बेदिया, (६२) चाईं; (६३) गन्धर्व, (६४) गंगोता (गंगोला), (६५) कादर, (६६) नैया, (६७) तीअर—भागलपुर जिले में।

(६८) बेदिया, (६९) चाईं, (७०) गंगोता (गंगोला), (७१) नैया, (७२) तीअर—मुँगेर जिले में।

(७३) अबदल, (७४) बेदिया, (७५) चाईं, (७५) गगै (किशनगंज में), (७७) गंगोता (गंगोला), (७८) कैवर्त्त (किशनगंज में), (७९) कोछ (८०) नमःशूद्र (चंडाल), (८१) नैया, (८२) तीअर—पूर्णिया जिले में।

(८३) बंजारा, (८४) बेदिया, (८५) चाईं (८६) चपोटा, (८७) ढेकारू (दुमका में) (८८) गंगोता (गंगोला), (८९) जदुपतिया (९०) कादर, (९१) खेलटा, (९२) कोनाई, (९३) कुमार भाग, (९४) पहड़िया (राजमहल और पाकुर में), (९५) मार्कंड़े, (९६) मुरियारी, (९७) नैया, (९८) तीअर—संताल परगने में।

(९९) भार (१००), भुइंहार, (१०१) धनवार, (१०२) गोरैत, (१०३) गुलगुलिया, (१०४) कवार, (१०५) खेतौरी, (१०६) मझवार, (१०७) मालर (मलहोर), (१०८) प्रधान, (१०९) पहिरा, (११०) परडो, (१११) पनगनिया, (११२) सौंता (सौता), (११३) तमरिया—राँची जिले में।

(११४) भार, (११५) भुइंहार, (११६) धनवार, (११७) गुलगुलिया, (११८) कवर, (११९) खेतौरी, (१२०) मझवार, (१२१) मालर, (मलहोर), (१२२) प्रधान, (१२३) तमरिया—हजारीबाग जिले में।

(१२४) बागदी, (१२५) भार, (१२६) भुइंहार, (१२७) धनवार, (१२८) गुलगुलिया, (१२६) कैवर्त्त, (१३०) कवर, (१३१) खेतौरी, (१३२) मझवार, (१३३) मालर (मलहोर), (१३४) मौलिक, (१३५) प्रधान, (१३६) पहिरा, (१३७) तमरिया—मानभूमि जिले में।

(१३८) अगरिया, (१३६) भार, (१४०) भास्कर, (१४१) भुइंहार, (१४२) धनवार, (१४३) गुलगुलिया (१४४) कवर, (१४५) खेतौरी, (१४६) मझवार, (१४७) मालर, (मलहोर), (१४८) प्रधान (१४६) तमरिया—पलामू जिले में।

(१५०) भार, (१५१) भुइंहार, (१५२) धनवार, (१५३) गुलगुलिया, (१५४) कौरा, (१५५) कवर, (१५६) खेतौरी, (१५७) मझवार, (१५८) मालर, मलहोर, (१५६) प्रधान (१६०) सौंता (सौता), १६१) तमरिया—सिंहभूम जिले में।

सन् १६५१ में बिहार के अन्दर अनुसूचित जातियों की संख्या ५०,५७,८१२, अनुसूचित जनजातियों की संख्या ४०,४६,१८३; पिछड़े वर्ग की संख्या ६२,७६,४४५ और अ-पिछड़ा वर्ग (ऊँची जातियों) की संख्या २,४८,४२,५०७ थी। नवम्बर, १६५६ में १४,४२,१६६ जनसंख्यावाला बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिल जाने के कारण उपर्युक्त संख्या में कमी हुई है। इनकी जिलेवार संख्या अलग दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्र

पिछड़े क्षेत्रों को उठाने के लिए खास-खास क्षेत्र चुनकर उनकी सूची बनाई गई है। भारतीय संविधान-आदेश १६५० के अनुसार बिहार में उन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार इस प्रकार है—

राँची जिला	७,१५६	वर्गमील
संताल परगना (गोड्डा और देवघर सबडिवीजन छोड़कर)	३,६७८	,,
लतेहर सबडिवीजन (पलामू जिला)	१,६४५	,,
सिंहभूम जिला (ढालभूम सबडिवीजन छोड़कर)	२,७४५	,,
	१५,२२७	

१६५६ में राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार पुराने मानभूम जिले के तीन क्षेत्र सिंहभूम में मिलाये जाने से सिंहभूमि जिले की उपर्युक्त संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। यह अनुसूचित क्षेत्र बिहार के कुल क्षेत्र का करीब २२वाँ भाग है।

आँग्ल भारतीय

१६५१ ई० में बिहार के आंग्ल भारतीयों की संख्या ४,५६[illegible] थी, जिसमें २,६२१ पुरुष और १,६७५ स्त्रियाँ थीं। नवम्बर, १६५६ में बिहार के कुछ अंश पश्चिम में मिला दिये जाने पर इस संख्या में कितनी कमी हुई, इसकी गणना नहीं हुई है।

विस्थापित व्यक्ति

बिहार में सन् १९४६ से १९५१ के अन्दर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या ७३५०३ थी, जिनमें पुरुषों की संख्या ३९,६२४ और स्त्रियों की संख्या ३३८७९ थीं। पश्चिम पाकिस्तान से १०,२६२ पुरुष और ८,११७ स्त्रियाँ तथा पूर्वी पाकिस्तान से २९,३६२ पुरुष और २५,७६२ स्त्रियाँ बिहार में आकर बसी थीं।

सन् १९५१ के पश्चात् भी पूर्वी पाकिस्तान से समय-समय पर हजारों स्त्री-पुरुष भागकर भारत आये हैं।

नवम्बर, १९५६ में बिहार का कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिल जाने के कारण उपर्युक्त संख्या में कुछ कमी हुई होगी। विस्थापित व्यक्तियों की जिलेवार संख्या नीचे दी जाती है—

बिहार के विभिन्न जिलों में पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति १९४६–५१

जिला	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
पटना	११,७०७	६,१७२	५,५३५
गया	३,९४४	२,१९०	१,७५४
शाहाबाद	२,०३०	१,१३९	८९१
सारन	२,२३५	१,१७०	१,०६५
चम्पारन	४९१	२९६	१९५
मुजफ्फरपुर	७३५	४३९	२९६
दरभंगा	१,२८६	६१६	६७०
मुँगेर	१,२५४	७१७	५३७
भागलपुर	१,२३१	६२७	६०४
सहरसा	३०४	१५७	१४७
पूर्णिया *	१५,५२५	८,४५२	७,०७३
संताल परगना	४,७१२	२,६६०	२,०५२
हजारीबाग	३,१३८	१,८६४	१,२७४
राँची	७,५८५	३,९४५	३,६४०
धनबाद †	७,२५७	४,३०७	२,९५०
पलामू	७२६	३७०	३५६
सिंहभूमि †	७,८८९	३,८९०	३,९९९

* नवम्बर, १९५६ के राज्य-पुनस्संगठन के पश्चात् पूर्णिया जिले के कुछ अंश पश्चिम बंगाल में मिलाये जाने से इन आँकड़ों में कमी हुई है।

† नवम्बर, १९५६ के राज्य पुनस्संगठन के पश्चात् मानभूमि जिले के दो थाने धनबाद जिले में और तीन थाने सिंहभूमि जिले में मिला दिये जाने से इन आँकड़ों में वृद्धि हुई है।

बिहार में विभिन्न उम्रों के अविवाहित, विवाहित, विधुर एवं परित्यक्त पुरुष और स्त्री (१९५१ ई०)

(कुल जन-संख्या के दस प्रतिशत नमूने के आधार पर)

उम्र	अविवाहित		विवाहित	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
५–१४	४,१४,९०३	३,५१,६४१	७७,१०९	१,०७,७६२
१५–२४	९५,०६०	४१,६०४	२,०७,३७७	२,६०,९५६
२५–३४	२६,४६७	९,५९९	२,६१,०३२	२,६७,४९६
३५–४४	११,२०४	३,५०९	२,१३,०४४	१,९५,२६०
४५–५४	६,०४४	१,६८०	१,५१,०५६	१,२१,८६४
५५–६४	२,७२५	९२८	८७,८६८	६६,२०८
६५–७४	९६१	३८८	४२,३८८	३२,४१९
७५ से ऊपर	६२२	१६१	१९,४३८	१२,५३१
अनुल्लिखित उम्र	१,६८९	१,७३९	१,५०६	१,४०२

उम्र	विधुर		परित्यक्त	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
५–१४	९५३	१,६१४	४५	१४९
१५–२४	४,२०१	६,९५४	४८३	९४३
२५–३४	९,३६५	१७,१४१	९८२	१,३५७
३५–४४	१३,९६७	२९,३११	७२७	१,०७८
४५–५४	१७,८९३	४१,५६४	६०६	१,०४६
५५–६४	१९,८५३	४३,०५०	५०२	७५०
६५–७४	१४,७६६	३१,५९८	४०६	५६४
७५ से ऊपर	११,२४८	१९,६५६	२२५	३३५
अनुल्लिखित उम्र	७३३	४६४	२९	३७

बिहार में विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति

१९५१ ई० की जन-गणना के समय बिहार में विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों की संख्या ३८,६८८ थी। इनमें पाकिस्तानी २४,६५०, नैपाली १२,६००, ब्रिटिश ४९३, अफगानिस्तानी २९०, अमेरिकी १६५, चीनी १२८, बर्मी ७४, जर्मन ४६, अफ्रिकी ३५, बेलजियन ३० और फ्रांसीसी ३० थे । शेष १४७ व्यक्ति १९ राष्ट्रों के थे।

बिहार के शहर और उनकी जन-संख्या (सन् १९५१ ई०)

शहर (जिला)	जन-संख्या	शहर (जिला)	जन-संख्या
१. पटना (पटना)	२,८३,४७९	३३. डालटेनगंज (पलामू)	१९,२२३
२. जमशेदपुर (सिंह०)	२,१८ १६२	३४. बक्सर (शाहा०)	१८,०८७
(जुगसलाई)	१८,२८८	३५ करगली (हजा०)	१७,६४४
३. गया (गया)	१,३३,७००	३६. लक्खीसराय (मुँगेर)	१७,३२६
४. भागलपुर (भाग०)	१,१४,५३०	३७. तेघरा (मुँगेर)	१७;२२५
५. राँची (राँची	१,०६,८४९	३८. मधुपुर (संता०)	१७,१४४
६. दरभंगा (दर०)	८४ ८१६	३९. डुमराँव (शाहा०)	१६ ६०५
७. मुँगेर (मुँगेर)	७४,३४८	४०. चाईबासा सिंह०)	१६,४७४
८. मुजफ्फरपुर (मुज०)	७३,५९४	४१. किशनगंज (पूर्णिया)	१५,६०३
९. छपरा (सारन)	६४,३०६	४२. शेखपुरा (मुँगेर)	१५,७८५
१०. आरा (शाहा०)	६४,२०५	४३. खगौल (पटना)	१५;७४८
११. बिहार (पटना)	६३,१२४	४४. बेगूसराय (मुँगेर)	१५.१४१
१२. जमालपुर (मुँगेर)	४४ १७२	४५. रामगढ़ (हजा०)	१४,७७५
१३. दानापुर (पटना)	४२,९८४	४६. गोपालगंज (सारन)	१४,२१३
१४. कटिहार (पूर्णिया)	४२ ३६५	४७. मीरगंज (सारन)	१३,६६०
१५. बेतिया (चंपारन)	३५,६३४	४८. दुमका (संता०)	१३,५८२
१६. धनबाद (धनबाद)	३४,०७७	४९. सीतामढ़ी (मुज०)	१३,२६७
१७. हजारीबाग (हजा०)	३३,८१२	५०. सिन्दरी (धन०)	१३;०४५
१८. बाढ़ (पटना)	२६,३०८	५१. रजौली (गया)	१२,६७३
१९. सासराम (शाहा०)	२६;२६५	५२. फुलबरिया (मुँगेर)	१२,४४६
२०. गिरिडीह (हजा०)	२६,१६७	५३. जहानाबाद (गया)	१२;४४५
२१. झरिया (धन०)	२६,४८०	५४. लालगंज (मुज०)	१२;३९४
२२. साहबगंज (संता०)	२५,६६९	५५. रोसड़ा (दर०)	१२,०६७
२३. देवघर (संता०)	२५,५१०	५६. जमुई (मुँगेर)	११,५९४
२४. हाजीपुर (मुज०)	२५,१४९	५७. फारबिसगंज (पू०)	११,५५१
२५. पूर्णिया (पूर्णिया)	२५,०६०	५८. जगदीशपुर (शाहा०)	११,३२२
२६. डेहरी (शाहा०)	२४,४९६	५९. रिविलगंज (सा०)	११,३२१
२७. मोतिहारी (चंपा०)	२४;४८९	६०. मोकामा (पटना)	११,०९९
२८. मधुबनी (दर०)	२३;२८३	६१. लोहरदग्गा (राँची)	१०,५५५
२९. सीवान (सारन)	२२,६२५	६२. झाझा (मुँगेर)	१०,४६६
३०. बरही (मुँगेर)	२०,७५२	६३. दाऊदनगर (गया)	१०,४४८
३१. चक्रधरपुर (सिंह०)	१९;९४८	६४. नवादा (गया)	१०,३९१
३२. समस्तीपुर (दर०)	१९;३६६	६५. औरंगाबाद (गया)	१०,२९९

शहर जिला	जन-संख्या	शहर जिला	जनसंख्या
६६. बरबीघा (मुँगेर)	१०,२३०	८८. शिकारपुर बाजार (चंपा०)	६,५७६
६७. खगड़िया (मुँगेर)	१०,०५०	८६. टेकारी (गया)	६,२७८
६८. चतरा (हजा०)	६,६११	६०. पाकुर (संता०)	६,०३०
६६. बेदकारो (हजा०)	६,८०७	६१. चास (धनबाद)	५,८७३
७०. गढ़वा (पलामू)	६ ४६७	६२. बगहा (चंपा०)	५,८२०
७१. महनार बाजार (मुज०)	६,२१४	६३. चकिया बाजार (चंपा०)	५,८१७
७२. सुगौली बाजार (चपा०)	६,१०६	६४. मऊ (दर०)	५,६६५
७३. झुमरीतिलैया (हजा०)	६,०६०	६५. हसुआ (गया)	५,६७६
७४. बेरमो (हजा०)	८,६२०	६६. मोसाबनी (सिंह०)	५,२२०
७५. नासरीगंज (शाहा०)	८,७४१	६७. चनपटिया बाजार (चंपा०)	५,१००
७६. फतुहा (पटना)	८,४८२	६८. राजमहल (संता०)	४,८७६
७७. हुसैनाबाद (पलामू)	८,३१७	६६. सरायकेला (सिंह०)	४,७७७
७८. भभुआ (शाहा०)	७,८५८	१००. मनोहरपुर (सिंह०)	४,७३४
७६. दलसिंगसराय (दर०)	७,८५३	१०१. गुआ (सिंह०)	४,७२६
८०. वारसलीगंज (गया)	७,७७३	१०२. केसरिया बाजार (चंपा०)	४,३०७
८१. बूँदू (राँची)	७,६४१	१०३. मऊभंडार (सिंह०)	४,२११
८२. खड़गपुर (मुँगेर)	७,५४६	१०४. मिहिजाम (संता०)	३,६६६
८३. कहलगाँव (भाग०)	७,५१५	१०५. राजगीर (पटना)	३,८७०
८४. नोआमुंडी (सिंह०)	७,२२७	१०६. खरसावाँ (सिंह०)	३,४३८
८५. जयनगर (दर०)	७,०११	१०७. डुमरा (मुज०)	२,०७८
८६. शेरघाटी (गया)	७,००६	१०८. लुअंठहा (चंपा०)	१,४१७
८७. रक्सौल बाजार (चंपा०)	६,५६४		

राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार १६५६ के नवम्बर में पुरुलिया, आद्रा, बलरामपुर, रघुनाथपुर और झालदा–ये पाँच शहर, जो मानभूमि जिले में थे, पश्चिम बंगाल में मिल गये।

एक लाख से अधिक जन-संख्यावाले शहरों में समय-समय पर जन-संख्या का ह्रास और वृद्धि

सन्	पटना	जमशेदपुर	गया	भागलपुर
१६०१	१,३४,७८५	—	७१,२८८	७५,७६०
१६११	१,३६,१५३	५,६७२	४६,६२१	७४,३४६
१६२१	१,१६,६७६	५७,३६०	६७,५६२	६८,८७८
१६३१	१,५६,६६०	६२,४५६	८८,००५	८३,८४७
१६४१	१,६६,४१५	१,६५,३६५	१,०५,२२३	६३,२५४
१६५१	२,८३,४७६	२,१८,१६२	१,३३,७००	१,१४,५३०

सन्	राँची	सन्	राँची
१६०१	२५,६७०	१६३१	५७,२६८
१६११	३२,६६४	१६४१	६२,५६२
१६२१	४४,१५६	१६५१	१,०६,८४६

भाषाएँ और बोलियाँ

बिहार की जन-संख्या, सन् १६५१ की जन-गणना के अनुसार, ४,०२,२५,६४७ है। इसमें मातृभाषा के रूप में भारतीय आर्यभाषा-भाषी ३,६६,७१,१४२; मुंडाभाषा-भाषी २७,२६,३२३; द्राविड़ भाषा-भाषी ५,१७,१०६; अन्य भारतीय भाषा-भाषी २,०२३; भारतीय-भिन्न एशियाई भाषा-भाषी २,२५४ और यूरोपीय भाषा-भाषी ४,०६६ हैं। इनमें आर्यभाषाएँ बोलनेवाले ६१.६१ प्रतिशत, मुंडा-भाषाएँ बोलनेवाले ६.७८ प्रतिशत और द्राविड़-भाषाएँ बोलनेवाले १.२८ प्रतिशत हैं। भारतीय आर्यभाषा-भाषी ६१.६१ प्रतिशत व्यक्तियों में ८६.५५ प्रतिशत हिन्दीभाषा-भाषी, ४.३७ प्रतिशत बँगलाभाषा-भाषी और ७७ प्रतिशत उड़ियाभाषा-भाषी हैं।

नवम्बर, १६५६ के राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार बिहार के पूर्णिया और मानभूमि जिले से ३,२१७ वर्गमील भूमि, जहाँ की जन-संख्या १४,४२,१६६ थी, पश्चिम बंगाल में मिला दी गई है। इस तरह बिहार के वर्त्तमान क्षेत्र की जन-संख्या में जो कमी हुई है, उसके अनुसार भाषाधार वर्गीकरण नहीं किया गया है। अतएव, यहाँ १६५१ ई० की जन-संख्या के अनुसार ही उपर्युक्त भाषा-समूहों की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के बोलनेवालों की संख्या नीचे दी जा रही है--

भारतीय आर्यभाषाएँ—		मुंडा-भाषाएँ	
हिन्दी	३,४८,१७,१३३	संताली	१७,२०,५२६
बँगला	१७,५६,७१६	मुंडारी	५,००,३४२
उड़िया	३,१३,३४०	हो	४,१८,२२३
पंजाबी	४०,८२६	खरिया	६६,७८७
मारवाड़ी	१५,६५५	कोरवा	१०,७५७
नैपाली	११,३५७	माहिली	३,८२७
गुजराती	८,२६१	भूमिज	१,८२१
मराठी	२,३८६	बिरजिया	१,६७३
सिन्धी	१,४५६	असुरी	१,४८४
असमिया	६७३	तूरी	६५६
	————	कुरमाली	१००
	३,६६,७१,१४२	कोड़ा	८०

मुंडा-भाषाएँ

बिरहोर	३७
अगरिया	४
	२७,२६,३२३

द्राविड़-भाषाएँ

उराँव	४,६१,२०३
माल्टो	२३,८५७
तेलुगु	१८,६७६
तमिल	६,५६२
गोंडी	३,३१६
मलयालम	२,१३६
कनाड़ी	१४७
अन्य	८७०
	५,१७,१०६

भारत की अन्य भाषाएँ

पश्तो	१,२२४
मालर	२८६
खासी	२६
कश्मीरी	१४
अन्य	४७०
	२,०२३

भारतीय-भिन्न एशियाई भाषाएँ

फारसी	२,०१६
चीनी	१३७
बर्मी	७१
तिब्बती	१०
अरमेनियन	८
अरबी	६
हिब्रू	५
सिंहली	२
	२,२५४

यूरोपीय भाषाएँ

अँगरेजी	३,६५८
फ्लेमिश	५८
जर्मन	३१
फ्रेंच	२३
पुर्त्तगीज	१४
इटालियन	११
डच	३
रूसी	१
	४,०६६

भारतीय आर्यभाषा हिन्दी के अन्तर्गत बिहार में मैथिली, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही और नागपुरिया उपभाषाएँ या बोलियाँ हैं। बहुत-से लोग इन उपभाषाओं और बोलियों को स्वतन्त्र भाषाएँ ही मानते हैं। ये भाषाएँ क्रमशः प्राचीन जनपद मिथिला, अंग, वैशाली, भोजपुर, मगध और नागपुर या झारखण्ड की भाषाएँ या बोलियाँ हैं।

मैथिली

बिहार की उपर्युक्त उपभाषाओं या भाषाओं में साहित्यिक दृष्टिकोण से मैथिली का स्थान सबसे ऊँचा है। कहते हैं कि मैथिली का रूप दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही स्थिर हो चुका था। इसकी पहली बड़ी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर का 'वर्णरत्नाकर' है, जो तेरहवीं सदी के लगभग लिखा गया था। चौदहवीं सदी में इसके सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति हुए, जो सूर, तुलसी, मीराँ और कबीर के भी पूर्ववर्त्ती बताये जाते हैं। विद्यापति के

पदों का प्रचार समस्त पूर्वी भारत में हुआ था। अब तो समस्त हिन्दी-क्षेत्र में इनका प्रचार है और ये हिन्दी के श्रेष्ठतम कवियों में एक माने जाते हैं। विद्यापति के बाद भी गोविन्ददास, रामदास, लोचन, उमापति उपाध्याय, रमापति, लाल कवि, नन्दीपति, कर्ण जयानन्द, भानुनाथ झा, हर्षनाथ झा, बोधनारायण, महीपति, चतुर्भुज, सरसराम, जयदेव, केशव, भंजन, चक्रपाणि, मानबोध, चन्दा झा आदि डेढ़ सौ से भी अधिक कवि और नाटककार हुए। ये सब दरभंगा जिला और उसके आसपास के ही रहनेवाले थे। इस बीसवीं सदी में भी मैथिली के अनेक लेखक और कवि वर्त्तमान हैं। भारत के विभिन्न स्थानों से, जहाँ मैथिल ब्राह्मणों का अड्डा है, मैथिली की विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ निकलती रही हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने मैथिली को एम्० ए० तक की कक्षा में स्थान दिया है। मैथिली भाषा नेपाल के भी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है।

मैथिली की अपनी एक पुरानी लिपि है, जिसका व्यवहार पुराने मैथिल पंडितों तथा मैथिल कर्ण-कायस्थों के घरों में अब भी हो रहा है। वास्तव में ये ही दो जातियाँ मैथिली के मुख्यत: पृष्ठपोषक हैं। मैथिली-लिपि में अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इस लिपि में कुछ नई पुस्तकें भी मुद्रित हुई हैं।

अंगिका

अंगिका, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अंग-जनपद की भाषा है। न्यूनाधिक भागलपुर कमिश्नरी को ही लोग अंग-जनपद मानते हैं। अतः, अंगिका का दूसरा नाम भागलपुरी भी है। इस भाषा का मूल रूप हम विक्रमशिला के ८वीं से ११वीं सदी तक के सिद्धों की अपभ्रंश-रचनाओं में पाते हैं। १४वीं सदी में विद्यापति के पदों में अंगिका भाषा का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। अंगिका की अनेक संज्ञाओं, सर्वनामों और क्रियाओं का प्रयोग उनके पदों में हुआ है, जो मैथिली के अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं हैं। सम्भवतः शैव होने के कारण चण्डी-स्थान, मुँगेर और वैद्यनाथ-देवघर में बराबर जाते रहने के कारण विद्यापति यहाँ की भाषा से प्रभावित हुए हों। १८वीं सदी के अन्त में फादर ऐण्टोनियो ने 'गोस्पेल ऐण्ड ऐक्ट्स' का अंगिका-भाषा में अनुवाद किया था। कहा जाता है कि उत्तर-भारत की भाषाओं में सर्वप्रथम इसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। जॉन क्रिश्चियन ने इस भाषा में बाइबिल के कुछ अंश का अनुवाद कर मुँगेर में लीथो से प्रकाशित किया था। सम्भवतः १८वीं या १९वीं सदी में रचित बिहुला गीतिकाव्य का अंगिका-क्षेत्र में बहुत प्रचार है। कलकत्ता, बनारस आदि कई स्थानों से यह पुस्तक अबतक लाखों की संख्या में छपी है। २०वीं सदी में भी इस भाषा में स्फुट कविताएँ करनेवाले व्यक्ति हैं। इस भाषा के प्राचीन साहित्य के सम्बन्ध में अभी शोध-कार्य नहीं हुआ है।

अंगिका की अपनी एक खास लिपि थी, जिसका उल्लेख छठी सदी के बहुत पूर्व लिखित 'ललित विस्तर' नामक संस्कृत बौद्ध-ग्रन्थ में मिलता है। उसमें बिहार की दूसरी लिपियाँ, जैसे पूर्वविदेह-लिपि और मागधी-लिपि का भी उल्लेख है।

वज्जिका

वज्जिका, वज्जी या वैशाली जनपद की बोली है। स्थूलतः मुजफ्फरपुर जिला तथा उसके आसपास की भूमि वैशाली जनपद समझी जाती है। वज्जी यहीं की बोली है। इसके प्राचीन साहित्य पर शोध-कार्य नहीं हुआ है, इससे लोगों को इसके विषय में विशेष पता नहीं है। वज्जिका में कुछ प्राचीन लोगों की छिट-फुट कविताएँ मिली हैं और आज के कुछ व्यक्ति भी इस भाषा में कविता करने लगे हैं। यह मैथिली से भिन्न है। इधर कुछ लोगों ने इस विषय पर अनुसंधान-कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

मगही

मगही मागधी-अपभ्रंश से निकली है। साधारणतया पटना और गया जिले का क्षेत्र मगध या मगह कहलाता है। मगही यहाँ की भाषा या बोली है। मगही में भी प्राचीन साहित्य प्राप्य नहीं है। अनुसंधान करने पर बहुत संभव है कि कुछ प्राचीन साहित्य मिलें। १८२६ ई० में ईसाइयों ने 'न्यू टेस्टामेंट' का और १८६० ई० में सेंट मार्क ने 'रिवाइज्ड वर्सन ऑफ गोस्पेल' का मगही में अनुवाद किया था। इधर कुछ लोगों ने इस भाषा पर कार्य करना आरम्भ किया है। इस भाषा में एक-दो पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छोटानागपुर कमिश्नरी के विभिन्न जिलों में आदिम भाषाओं से भिन्न जो भाषाएँ बोली जाती हैं, वे मगही के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। साधारणतया इसे पूर्वी मगही भी कहते हैं।

नागपुरिया

छोटा नागपुर-कमिश्नरी में आदिमजाति की बोलियों से भिन्न जो बोली है, उसे कुछ लोग 'नागपुरिया' कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका ही पूर्वी मगही नाम दिया है। इस बोली के भी कई भेद-विभेद बताये जाते हैं। राँची जिले के सिल्ली, बरंडा, रहे, बुंडु और तमार—इन पाँच परगने की बोली को 'पंच परगनिया' कहते हैं। तमार में खास तौर से बोली जानेवाली बोली तमारिया कहलाती है। कुरमी लोगों की बोली को कुरमाली, कुरमाली थार, कोरथा, खत्ता या खत्ताही भी कहते हैं। नागपुरिया वास्तव में मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बँगला और आदिमजातियों की भाषाओं की मिश्रित भाषा है। इ० एच्० हिटली ने 'नोट्स ऑफ् नागपुरिया हिन्दी' नामक पुस्तक लिखी थी। पी० इडनोज ने नागपुरिया में गॉस्पेल का अनुवाद किया था। अब भी कुछ लोग इन बोलियों पर अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं।

भोजपुरी

भोजपुरी भोजपुर-क्षेत्र की भाषा या बोली है। पूर्वी बिहार एवं पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की लगभग ५० हजार वर्गमील भूमि भोजपुर कहलाती है। साधारणतः, बिहार में शाहाबाद और सारन जिले तथा पलामू और चम्पारन जिले के अधिकांश भाग में भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर-प्रदेश में यह बलिया, गाजीपुर (पूर्वी आधा), गोरखपुर (सरयू और गंडक के बीच), फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर (पश्चिमी

भाग) और मिर्जापुर (दक्षिणी भाग) जिलों में बोली जाती है। स्थान-भेद से इस बोली के भी विभिन्न भेद बताये जाते हैं। साधारणतः, शाहाबाद, सारन और बलिया जिले में तथा पलामू, चम्पारन, गाजीपुर और गोरखपुर जिले के कुछ भागों में विशुद्ध भोजपुरी बोली जाती है।

भोजपुरी भाषा में कोई प्राचीन पुस्तक नहीं मिलती। किन्तु कबीर, रविदास, दरियादास, धरनीदास आदि संत-कवियों की रचनाओं पर भोजपुरी का बहुत प्रभाव दीखता है। इधर पन्द्रह-बीस वर्षों से लोग भोजपुरी की उन्नति के लिए अग्रसर हैं और इस भाषा में अच्छे-अच्छे विद्वान् गद्य और पद्य की पुस्तकें लिखने लगे हैं। समय-समय पर इस भाषा में एक-दो पत्रिकाएँ भी निकलती रही हैं।

शिक्षा की प्रगति

युनिवर्सिटी और कॉलेज

बिहार में २०वीं सदी के आरम्भ में केवल ५ कॉलेज थे—पटना-कॉलेज, पटना; बी० एन्० (बिहार नेशनल) कॉलेज, पटना; तेजनारायण जुबिली कॉलेज, भागलपुर; ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज (अब लंगटसिंह कॉलेज), मुजफ्फरपुर और सेण्ट कोलम्बा कॉलेज, हजारीबाग। ये सभी डिग्री कॉलेज थे। १९१० में आकर कॉलेजों की संख्या ८ हुई। इस बीच मुँगेर में एक इण्टरमीडिएट कॉलेज तथा पटना में एक लॉ और एक ट्रेनिंग-कॉलेज की स्थापना हुई थी। सन् १९११-१२ में बिहार-उड़ीसा के अन्दर आर्ट और साइन्स में युनिवर्सिटी की डिग्री लेनेवाले केवल ८९ थे।

सन् १९१२ में बिहार-उड़ीसा प्रान्त बंगाल से अलग किया गया। नवम्बर, १९१७ में पटना-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके पहले यहाँ के सभी स्कूल-कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे। १९२० में एक और इण्टरमीडिएट कालेज खुलने से प्रान्त के कॉलेजों की संख्या ९ हुई। १९३० में कुल १३ कॉलेज हुए। इनमें आर्ट और साइन्स के कॉलेज ८ तथा टेकनिकल कॉलेज ५ थे। टेकनिकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा साइन्स कॉलेज नये खुले थे। १९४० तक कॉलेजों की संख्या १६ और १९५० तक कॉलेजों की संख्या ४० हुई। इनमें ३४ डिग्री कॉलेज और ६ इण्टरमीडिएट कॉलेज थे। डिग्री कॉलेजों में २४ आर्ट और साइन्स के कॉलेज तथा १० टेकनिकल कॉलेज थे।

बिहार और उड़ीसा के अन्दर सन् १९१३ में कॉलेजों के छात्रों की संख्या १,४३०; १९१७ में २,५७५; १९२६-२७ ई० में ४,४०५; १९३२-३३ में ४,५१२ और सन् १९४२-४३ में ८,९३६ हुई। १९४८-४९ में केवल बिहार के सब कॉलेजों के छात्रों की संख्या २०,४०५ हुई। १९५१-५२ में यह संख्या २८,८०६ तक पहुँची गई।

प्रारम्भ में कॉलेजों के अन्दर प्रायः छात्राएँ नहीं रहती थीं। सन् १९२२ में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेज की छात्राएं केवल १२ थीं; पर सन् १९३१-३२ में १४; सन् १९३४-३५ में ३२; सन् १९३९-४० में १२७ और सन् १९४०-४१ में १९२ हुईं। १९४२-४३ में आकर कॉलेज की छात्राओं की संख्या २३५ हो गई। सन् १९५१-५२ में केवल बिहार के कॉलेजों में ही छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार तक पहुँची।

सन् १९५२ से बिहार में दो विश्वविद्यालय हो गये हैं—पटना-विश्वविद्यालय और बिहार-विश्वविद्यालय। इनका सम्बन्ध अब केवल कॉलेजों से है, हाइ स्कूलों से नहीं। पटना-विश्वविद्यालय में केवल पटना-कारपोरेशन-क्षेत्र के कॉलेज रह गये हैं। इस विश्वविद्यालय के काम शिक्षण और परीक्षण दोनों हैं। बिहार के शेष कॉलेज बिहार-विश्वविद्यालय के अन्दर रखे गये हैं। दोनों विश्वविद्यालयों के कार्यालय पटना में हैं और दोनों के चांसलर बिहार के राज्यपाल हैं। पटना-विश्वविद्यालय के वर्त्तमान वाइस-चांसलर डॉ० बलभद्र प्रसाद और बिहार-विश्वविद्यालय के डॉ० दुखन राम हैं।

जुलाई, १९६० से राज्य के चारों डिवीजनों में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है।

बिहार के हाइ स्कूलों की अन्तिम परीक्षा का प्रबन्ध एक परीक्षा-समिति के हाथ में दिया गया है, जिसका नाम बिहार-विद्यालय-परीक्षा-समिति है। इसके एक अध्यक्ष और एक मन्त्री होते हैं। मन्त्री के हस्ताक्षर से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

अन्य प्रमुख शिक्षा-संस्थान

बिहार के अन्य प्रमुख शिक्षा-संस्थानों में एक गुरुकुल महाविद्यालय, वैद्यनाथ-धाम है, जिसके ६६ एकड़ भूमि के अहाते में महाविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, यज्ञशाला आदि हैं। राँची में एक विकास-विद्यालय है, जो अजमेर के 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एडुकेशन' से संबद्ध है। नेतरहाट (पलामू) में बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय है, जहाँ चुने-चुनाये छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। भागलपुर जिले में मन्दार-पर्वत के निकट मन्दार-विद्यापीठ नामक एक विद्यालय है, जहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का विशेष प्रबंध है। लखीसराय (मुंगेर) में बालिका विद्यापीठ नामक एक स्वतंत्र विद्यालय है, जहाँ भारतीय पद्धति से छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।

बिहार की विभिन्नवर्गीय शिक्षा-संस्थाओं और यहाँ के शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों की संख्या सन् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में इस प्रकार थी—

शिक्षा-संस्थाओं की संख्या

संस्थाएँ	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
विश्वविद्यालय	२	२	२
अनुसंधान-संस्थाएँ	३	४	४
सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय	५४	५५	६५

संस्थाएँ	१९५५-५६,	१९५६-५७,	१९५७-५८
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालय	२५	२७	२७
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालय	३	७	७
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	—	—	—
उच्च विद्यालय	९४८	१,०१२	१,०७७
बुनियादी-उत्तर विद्यालय	१५	२१	२३
माध्यमिक विद्यालय	२,७०१	२,७६०	२,९०२
उच्च बुनियादी विद्यालय	६२०	६१६	६५४
प्राथमिक विद्यालय	२८,०५१	२८,०२८	२८,४१०
लघु बुनियादी विद्यालय	१,४६८	१,६५७	२,००१
शिशु-विद्यालय	४	७	६
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय	१७५	१६८	१९०
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालय	५,२६२	६,२३३	६,७७६
जोड़	३९,३९१	४०,६००	४२,१६४
अस्वीकृत संस्थाएँ	९७३	९३१	८८४
कुल जोड़	४०,३६४	४१,५३१	४३,०४८

(२) छात्रों की संख्या

संख्या	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
विश्वविद्यालयीय विभागों में	२,४५८	३,२००	३,४४६
अनुसन्धान-संस्थाओं में	७४	१००	९८
सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों में	४०,०२६	४७,४२०	५७,१०८
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालयों में	६,४०६	८,१८५	९,१४८
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालयों में	१३२	४०६	४२५
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	—	—	४,४१४
उच्च विद्यालयों में	२,७५,५५२२	३,००,१७५	३,२०,३०६
बुनियादी-उत्तर (पोस्टबेसिक) विद्यालयों में	२,२०४	२,९५८	३,५०८
माध्यमिक विद्यालयों में	३,३६,३८३	३,५०,९१६	३,७८,४५२
उच्च बुनियादी विद्यालयों में	८४,२२१	८६,९३६	९०,४८१
प्राथमिक विद्यालयों में	१५,१३,४२३	१५,५६,३७०	१५,७८,४१०
लघु बुनियादी विद्यालयों में	८७,७८७	९७,६२२	१,१४,६०४
शिशु-विद्यालयों में	१९१	३८३	४९४
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	१५,३१४	१४,७८९	१६,७६०
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों में	२,०४,४४८	२,५३,२७५	२,६७,५०६
जोड़	२५,६६,५८९	२७,२२,७४४	२८,४५,४६३
अस्वीकृत संस्थाओं में	४७,९७८	४५,५३५	४४,५९४
कुल जोड़	२६,१७,५६७	२७,६८,२७९	२८,९०,०५७

(३) स्वीकृत तथा अस्वीकृत विद्यालयों में उपस्थित लड़के-लड़कियों की प्रतिशत-संख्या—

लड़के	१०.३४	११.१६	११.३१
लड़कियाँ	१.७७	२.०६	२.२०
औसत जोड़	६.०८	६.६६	६.७६

(४) लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा—

संस्थाएँ	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
लड़कियों तथा महिलाओं की स्वीकृत संस्थाओं की संख्या	३,२५४	३,६०६	३,६८८
लड़के तथा लड़कियों की सभी प्रकार की स्वीकृत संस्थाओं में लड़कियों की संख्या ...	३,६८,४६४	४,१३,१४३	४,५०,६७६
महिला छात्राओं की प्रतिशत संख्या	१.७६	२.०५	२.१६
लड़कियों तथा महिलाओं की अस्वीकृत संस्थाओं की संख्या	६८	१०३	६६
लड़के तथा लड़कियों की अस्वीकृत संस्थाओं में लड़कियों तथा महिलाओं की संख्या	४,१५६	५,३५६	५,८६१

(५) शिक्षकों की संख्या

	१९५५-५६		१९५६-५७		१९५७-५८	
	कुल शिक्षक	प्रशिक्षित शिक्षक	कुल शिक्षक	प्रशिक्षित शिक्षक	कुल शिक्षक	प्रशिक्षित शिक्षक
(१) स्वीकृत संस्थाएँ —						
विश्वविद्यालयीय विभागों में	१४६	—	१५८	—	२०८	—
अनुसन्धान-संस्थाओं में	२१	—	२४	—	२५	—
सामान्य-शिक्षा के महाविद्यालयों में	१,४९९	—	१,७१२	—	१,९८०	—
व्यावसायिक शिक्षा के महाविद्यालयों में	५६७	—	६३१	—	७०८	—
विशिष्ट शिक्षा के महाविद्यालयों में	१८	—	७०	—	७३	—
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	१०,९८०	४,११६	११,८२२	४,३७६	१२,८५५	४,८९५
बुनियादी-उत्तर (पोस्ट-बेसिक)विद्यालयों में	१४२	१३९	१९३	१६५	२३९	१९३
माध्यमिक विद्यालयों में	१४ ४७२	५,५२५	१४,३६८	४,८०८	१५,०३५	६,६३२
उच्च बुनियादी विद्यालयों में	४ ०६३	३,६६१	४,०७६	३,७४४	५,२२०	३,९१५
प्राथमिक विद्यालयों में	४६,२५०	२८,३६४	४५,८२६	२९,३५८	५६,४०६	३१,६२६
लघु बुनियादी विद्यालयों में	३,२५५	२,४११	३,३९१	२,६१०	३,९५३	३,१६८
शिशु-विद्यालयों में	८	७	१८	१५	२१	१४
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	७९१	—	८४०	—	९९९	—
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों में	१,६९०	—	१,७१०	—	१,७८५	—
(२) अस्वीकृत संस्थाएँ —						
प्राथमिक विद्यालयों में	३९६	११	३८९	२२	३५३	४०
माध्यमिक विद्यालयों में	५५५	६३	४६०	६५	४४६	१०३
उच्च विद्यालयों में	१,७३८	३४३	१,५६१	३५०	१,७३१	३९६
व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों में	६	—	५	—	४	—
विशिष्ट शिक्षा के विद्यालयों में	८	—	—	—	१	—

पटना विश्वविद्यालय

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	पटना-कॉलेज	१८६३ ई०	एम्० ए०, एम्० कॉम०
२.	बी० एन्० (बिहार नेशनल) कॉलेज, पटना	१८८६ ई०	बी०ए० तथा बी० एस्-सी०
३.	ट्रेनिंग कॉलेज, पटना	१६०८ ई०	डिप्-इन्-एड्० तथा एम्० एड्०
४.	लॉ कॉलेज, पटना	१६०६ ई०	बी० एल्०
५.	बिहार इञ्जीनिअरिंग कॉलेज, पटना	१६२४ ई०	बी० एस्-सी० (इञ्जी०)
६.	मेडिकल कॉलेज, पटना	१६२५ ई०	एम्० बी० बी० एस्०
७.	साइन्स कॉलेज, पटना	१६२७ ई०	एम्० एस्-सी०
८.	वीमेन्स कॉलेज, पटना	१६४० ई०	बी० ए०
६.	मगध महिला कॉलेज, पटना	१६४६ ई०	बी० ए०
१०.	महिला ट्रेनिंग कॉलेज, पटना	१६५० ई०	डिप्-इन्-एड्० तथा एम्० एड्०

पटना-विश्वविद्यालय के अधीन पटना में एक संगीत-विद्यालय, एक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रतिष्ठान और एक सार्वजनिक शासन-प्रतिष्ठान हैं।

बिहार-विश्वविद्यालय

पटना जिला

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	नालन्दा-कॉलेज, बिहारशरीफ	१६२० ई०	बी०ए० तथा बी० एस्-सी०
२.	बिहार वेटेरिनरी कॉलेज, पटना	१६३० ई०	बी० एस्-सी०
३.	अनुग्रहनारायणसिंह कॉलेज, बाढ़	१६५१ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४.	कॉलेज ऑफ कामर्स, पटना	१६५५ ई०	बी० कॉम तथा आइ० एस्-सी०
५.	बिन्देश्वरीसिंह कॉलेज, दानापुर	१६५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
६.	वासुदेवाचारी कॉलेज, नौबतपुर	१६५७ ई०	आइ० ए०
७.	श्रीचन्द उदासीन कॉलेज, हिलसा	१६५७ ई०	आइ० ए०
८.	किसान कॉलेज, सोहसराय	१६५८ ई०	बी० ए०
६	मालतीधारी कॉलेज, नौबतपुर	१६५८ ई०	,, ,,
१०.	रामरतनसिंह कॉलेज, मोकामा	१६५८ ई०	,, ,,

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
११.	सोमवती-महताबदास कॉलेज, पुनपुन	१६५८ ई०	बी० ए०
१२.	श्री जी० जे० कॉलेज, रामबाग, बिहटा	१६५६ ई०	,, ,,
१३.	अनुग्रहनारायण कॉलेज, अनीसाबाद, पटना	१६६० ई०	,, ,,
१४.	जगत नारायण लाल कॉलेज, खगौल	१६६० ई०	,, ,,
१५.	गुरु गोविन्दसिंह कॉलेज, पटना सिटी	१६६० ई०	,, ,,
१६.	ठाकुरप्रसादसिंह कॉलेज, पटना	१६६० ई०	,, ,,

गया जिला

१.	गया कॉलेज, गया	१६४४ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी० तथा बी० कॉम०
२.	सच्चिदानन्द सिंह कॉलेज, औरंगाबाद	१६४४ ई०	बी० ए०, बी० कॉम० तथा आइ० एस्-सी०
३.	स्वामी सहजानन्द कॉलेज, जहानाबाद	१६५५ ई०	बी० ए०
४.	कन्हाई लाल साहु कॉलेज, नवादा	१६५७ ई०	आइ० ए०
५.	गौतम बुद्ध महिला कॉलेज, गया	१६५६ ई०	बी० ए०
६.	जगजीवन महाविद्यालय, गया	१६६० ई०	,, ,,

शाहाबाद जिला

१.	हरप्रसाददास जैन कॉलेज, आरा	१६४२ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी० तथा बी० कॉम०
२.	शान्तिप्रसाद जैन कॉलेज, सासराम	१६५२ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
३.	महाराजा रामरणविजय प्र० सिंह कॉलेज, आरा	१६५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४.	धरीछनाकुँवरी कॉलेज, डुमरी	१६५६ ई०	बी० ए०
५.	सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज, भभुआ	१६५७ ई०	आइ० ए०
६.	अंजबीतसिंह कॉलेज, विक्रमगंज,	१६५८ ई०	बी० ए०
७.	महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय, बक्सर	१६५८ ई०	,, ,,
८.	महादेवानन्द गिरि महिला-महाविद्यालय, आरा	१६५६ ई०	,, ,,
६.	जगजीवन कॉलेज, आरा	१६६० ई०	,, ,,

मुजफ्फरपुर जिला

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	लंगटसिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१८९९ ई०	एम्० ए० तथा एम्० एस्-सी०
२.	रामदयालुसिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४८ ई०	बी० ए०, बी० कॉम० तथा आइ० एस्-सी०
३.	श्रीकृष्ण जुबिली लॉ कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४८ ई०	बी-एल्०
४.	महन्थ दर्शनदास महिला-कॉलेज, मुजफ्फरपुर	१९४६ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
५.	सेठ राधाकृष्ण गोयनका-कॉलेज, सीतामढ़ी	१९४६ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
६.	राजनारायण कालेज, हाजीपुर	१९५२ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्०-सी०
७.	मुजफ्फरपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेकनोलॉजी,	१९५४ ई०	बी० एस्-सी० (इञ्जी०)
८.	लक्ष्मीनारायण कॉलेज, भगवानपुर	१९५८ ई०	बी० ए०
९.	राघोप्रसादसिंह कॉलेज, जैतपुर	१९५८ ई०	,, ,,
१०.	जगन्नाथसिंह कॉलेज, चन्दौली	१९५९ ई०	,, ,,

दरभंगा जिला

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	चन्द्रधारी मिथिला कॉलेज, दरभंगा	१९३८ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी०, बी० काम० तथा बी० एल्०
२.	रामकृष्ण कॉलेज, मधुबनी	१९४१ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
३.	दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा	१९४६ ई०	एम्० बी०, बी० एस्०
४.	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	१९५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
५.	मिल्लत कॉलेज, दरभंगा	१९५७ ई०	आइ० ए०
६.	जगदीशनन्दन कॉलेज, बाबू बरही	१९५९ ई०	बी० ए०
७.	जनता कॉलेज, झंझारपुर	१९५९ ई०	,, ,,
८.	अनन्त कॉलेज, पण्डौल	१९५९ ई०	,, ,,
९.	सरिसब-पाही कॉलेज, सरिसब-पाही	१९५९ ई०	,, ,,
१०.	मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा	१९५९ ई०	,, ,,
११.	रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज, दलसिंगसराय	१९६० ई०	,, ,,
१२.	रोसड़ा कॉलेज, रोसड़ा	१९६० ई०	,, ,,

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१३. गढ़िया-महन्थ रामेश्वर दास कॉलेज, मोहनपुर	१९६० ई०	बी० ए०
१४. दलश्रृंगार बलदेव कॉलेज, जयनगर	१९६० ई०	,, ,,
१५. शाहपुर-पटोरी कॉलेज, शाहपुर-पटोरी	१९६० ई०	,, ,,

सारन जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. राजेन्द्र कॉलेज, छपरा	१९३८ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी० तथा बी० कॉम०
२. दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कॉलेज, सिवान	१९४१ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
३. जगदम्ब कॉलेज, छपरा	१९५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४. जयप्रकाश महिला-महाविद्यालय, छपरा	१९५७ ई०	आइ० ए०
५. गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज	१९५७ ई०	आइ० ए० तथा आइ० एस्-सी०
६. गोपेश्वर कॉलेज, हथुआ	१९५७ ई०	आइ० ए० तथा आइ० एस्-सी०
७. जनता कॉलेज, परसा	१९५९ ई०	बी० ए०

चम्पारन जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. मुन्शी सिंह कॉलेज, मोतिहारी	१९४५ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
२. महारानी जानकीकुँवर कॉलेज, बेतिया	१९५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
६. डॉ० श्रीकृष्णसिंह वीमेन्स कॉलेज, मोतिहारी	१९५९ ई०	बी० ए०

भागलपुर जिला

महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१. तेजनारायण बनैली कॉलेज, भागलपुर	१८८७ ई०	एम्० ए०, एम्० एस्-सी० तथा एम्० कॉम०
२. मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर	१९४१ ई०	बी० ए० तथा बी० कॉम०

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
३.	सुन्दरवती महिला-महाविद्यालय, भागलपुर	१९४४ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४.	बिहार कृषि- कॉलेज, सबौर	१९४५ ई०	एम्० एस्-सी० (कृषि)
५.	जयप्रकाश कॉलेज, नारायणपुर	१९५३ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
६.	मुरारका कॉलेज, सुलतानगंज	१९५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
७.	नौगछिया कॉलेज, नौगछिया	१९५६ ई०	बी० ए०
८.	तेजनारायण बनैली लॉ कॉलेज, भागलपुर	१९५६ ई०	बी० एल्०
९.	पण्डित बलिराम शर्मा कॉलेज, बाँका	१९५६ ई०	बी० ए०

मुँगेर जिला

१.	राजा देवकीनन्दन और डायमण्ड जुबिली कॉलेज, मुँगेर	१८९९ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी० तथा बी० कॉम०
२.	गणेशदत्त कॉलेज, बेगूसराय	१९४५ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी तथा आइ० कॉम०
३.	कोशी कॉलेज, खगड़िया	१९४८ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी तथा आइ० कॉम०
४.	श्रीकृष्ण-रामरुचि कॉलेज, बरबीघा	१९५५ ई०	बी० ए०
५.	कुमार कालिका-मेमोरियल कॉलेज, जमुई	१९५६ ई०	आइ० ए० तथा आइ० एस्-सी०
६.	कबीर मोतीदर्शन-कॉलेज, परबत्ता	१९५७ ई०	आइ० ए०
७.	जगजीवनराम श्रमिक-महाविद्यालय, जमालपुर	१९५८ ई०	बी० ए०
८.	वीमेन्स कॉलेज, बेगूसराय	१९५९ ई०	,, ,,
९.	बाल्मीकि राजनीति महिला-महाविद्यालय, मुँगेर	१९५९ ई०	,, ,,
१०.	बदरी नारायण मुक्तेश्वरसिंह कॉलेज, बड़हिया	१९५९ ई०	,, ,,
११.	रामस्वारथ कॉलेज, तारापुर	१९५९ ई०	,, ,,
१२.	अयोध्याप्रसादसिंह मेमोरियल कॉलेज, बरौनी	१९६० ई०	,, ,,

पूर्णिया जिला

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया	१९४८ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
२.	दर्शनसाह कॉलेज, कटिहार	१९५४ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
३	गोरेलाल मेहता कॉलेज, बनमनखी	१९५६ ई०	आइ० ए०
४.	फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज	१९५६ ई०	बी० ए०

सहरसा जिला

१.	सहरसा कॉलेज, सहरसा	१९५३ ई०	बी० ए० तथा आई० एस्-सी०
२.	ठाकुरप्रसाद कॉलेज, मधेपुरा	१९५४ ई०	बी० ए०
३.	हरिहरसाह कॉलेज, किसनगंज	१९४७ ई०	आइ० एस्-सी०
४.	सुपौल कॉलेज, सुपौल	१९५६ ई०	बी० ए०

संथाल परगना जिला

१.	देवघर कॉलेज, देवघर	१९५१ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
२.	साहबगंज कॉलेज, साहबगंज	१९५३ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
३.	संताल परगना कॉलेज, दुमका	१०५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४.	गोड्डा कॉलेज, गोड्डा	१९५५ ई०	बी० ए०

राँची जिला

१.	राँची कॉलेज, राँची	१९२६ ई०	एम्० ए० तथा एम्० एस्-सी०
२.	सेंट जेवियर कॉलेज, राँची	१९४५ ई०	बी० ए०, बी० एस्-सी० तथा बी० कॉम०
३.	राँची वीमेन्स कॉलेज, राँची	१९५० ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
४.	राँची कृषि कॉलेज, काँके, राँची	१९५० ई०	बी० एस्-सी० (कृषि)
५.	छोटानागपुर लॉ कॉलेज, राँची	१९५४ ई०	बी० एल०
६.	बिड़ला इंस्टीच्यूट ऑफ् टेकनोलॉजी, मेसरा, राँची	१९५५ ई०	बी० एस्-सी० (इञ्जी०) सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल

हजारीबाग जिला

	महाविद्यालयों के नाम	स्थापना-काल	स्वीकृत कक्षाएँ
१.	सेण्ट कोलम्बा कॉलेज, हजारीबाग	१८९९ ई०	बी० ए० तथा बी० एस्-सी०
२.	गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह	१९५५ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
३.	जगन्नाथ जैन कॉलेज, झुमरी-तिलैया	१९६० ई०	बी० ए०

पलामू जिला

१.	गणेशलाल अग्रवाल कॉलेज, डाल्टेनगंज	१९५४ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०

धनबाद जिला

१.	इण्डियन स्कूल ऑफ् माइन्स एण्ड अप्लायड जियोलॉजी, धनबाद	१९२६ ई०	एम्० एस्-सी० (माइनिंग), एम्० एस्-सी० (अप्लायड जियोलॉजी)
२.	बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेकनोलॉजी,	१९५० ई०	बी० एस्-सी० (इञ्जी०) सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल, बी० एस्-सी० (मेटालर्जिकल इञ्जी०) और बी० एस्-सी० तथा एम्० एस्-सी० (केमिकल-इञ्जीनियरिंग)
३.	राजा शिवप्रसाद कॉलेज, झरिया	१९५२ ई०	बी० ए०, आइ० एस्-सी० तथा आइ० कॉम०
४.	रामसहाय मूल मोरे कॉलेज, गोविन्दपुर	१९६० ई०	बी० ए०
५.	श्री श्रीलक्ष्मीनारायण महिला-महाविद्यालय, धनबाद	१९६० ई०	,, ,,

सिंहभूमि जिला

१.	जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर	१९५४ ई०	बी० ए०, बी० कॉम० तथा आइ० एस्-सी०
२.	ताता कॉलेज, चाइबासा	१९५४ ई०	बी० ए० तथा आइ० एस्-सी०
३.	जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर	१९६० ई०	बी० ए०
४.	रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ् टेकनोलॉजी, जमशेदपुर	१९६० ई०	,, ,,
५.	जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, साकची	१९६० ई०	,, ,,

सामाजिक शिक्षा

बिहार में सामाजिक या वयस्क-शिक्षा का कार्य मार्च, १९३८ से आरम्भ हुआ था, जबकि साक्षरता के प्रचार के लिए एक योजना बनाई गई थी। १९५० और १९५२ में इस योजना पर पुनः विचार किया गया और इसके लिए नवीन कार्यक्रम तैयार किये गये। इस कार्यक्रम के सात मुख्य अंग इस प्रकार हैं—(१) वयस्कों तथा स्कूल न जा सकनेवाले बच्चों की शिक्षा, (२) वैयक्तिक और सामाजिक स्वच्छता, (३) स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा, (४) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य, (५) सामाजिक बुराइयों का निराकरण, (६) आर्थिक विकास और (७) प्रकाशन और प्रचार।

बिहार के १७ जिलों में सामाजिक शिक्षा के छोटे-छोटे कुल १,०८० केन्द्र हैं। इनमें अधिकांश राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंड (N. E. S. Block) में हैं। ये ब्लॉक स्वतन्त्र रूप से भी कुछ केन्द्र चलाते हैं। कुछ केन्द्रों से संबद्ध १३३ भ्रमणशील पुस्तकालय हैं।

समाज-शिक्षा-विभाग की ओर से इन दिनों तीन जनता कॉलेज चलाये जा रहे हैं— (१) तुर्की (मुजफ्फरपुर), (२) रामबाग (बिहटा, पटना) और (३) नगरपारा (भागलपुर)। इन कॉलेजों में समाज-शिक्षा के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त दो सामाजिक कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जिनमें एक देवघर में (केवल महिलाओं के लिए) है। कुछ प्रमुख उच्च विद्यालयों एवं सुसंगठित पुस्तकालयों से संबद्ध ३३७ समाज-शिक्षा-प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंड में दो समाज-शिक्षा-संगठन-कर्त्ता होते हैं। जनता के मनोरंजन एवं समाज-शिक्षण के लिए संपूर्ण राज्य में चार मोद-मंडलियाँ, एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-दल तथा पाँच यात्रा-पार्टियाँ हैं, जिनमें ६० कलाकार काम करते हैं।

समाज-शिक्षा-बोर्ड में १ फिल्म-लाइब्रेरी है, जिसमें २१० फिल्में संगृहीत हैं। समाज-शिक्षा के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को ३५६ रेडियो-सेट और १०७ मैजिक लैंटर्न दिये गये हैं। बोर्ड की ओर से एक ध्वनि-फिल्म और ८ न्यूजरील तैयार किये गये हैं।

बोर्ड के अधीन श्रव्य-दृश्य-शिक्षा-परिषद् (ऑडियो-विजुअल एडुकेशन बोर्ड) कायम हुई है। इस योजना के अनुसार विभिन्न स्थानों में घूम-घूमकर गोष्ठियाँ की जाती हैं।

इस समय समाज-शिक्षा-बोर्ड की ओर से प्रति सप्ताह 'जनजीवन' नाम की पत्रिका निकल रही है। यहाँ से विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी सवा सौ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

आयुर्वेदिक और तिब्बी शिक्षा

पहले आयुर्वेदिक शिक्षा संस्कृत-एसोसिएशन की कुछ पाठशालाओं में और तिब्बी या हकीमी की तालीम मदरसों में दी जाती थी। १९२६ ई० से इनके लिए अलग-अलग स्कूल खोले गये। दोनों स्वदेशी औषधि-विभाग की देखभाल के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट रहते हैं। इस समय सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रीप्रियव्रत शर्मा और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री ए० अहमद हैं। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए अलग-

अलग परीक्षा-समितियाँ हैं। इस समय बिहार में निम्नलिखित पाँच आयुर्वेदिक कॉलेज और एक तिब्बी कॉलेज हैं —

१. आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।
२. यतीन्द्रनारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर।
३. अयोध्या-शिवकुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय (मुँगेर)।
४. आयुर्वेदिक कॉलेज, मधुबनी (अस्वीकृत)।
५. आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी (अस्वीकृत)।
६. तिब्बी कॉलेज, पटना।

संस्कृत-शिक्षा

बिहार-उड़ीसा में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार और प्रसार एवं उसकी परीक्षा आदि की व्यवस्था के लिए सन् १९१५ में सरकार के प्रबन्ध में विहारोत्कल संस्कृत-समिति की स्थापना की गई थी। उस समय इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया था; पर १९२० में यह पटना लाया गया। उड़ीसा की अपनी संस्कृत-समिति अलग बन जाने पर इस समिति का कार्य-क्षेत्र बिहार तक ही सीमित रहा और इसका नाम बिहार-संस्कृत-समिति या बिहार संस्कृत-एसोसिएशन पड़ा।

विहारोत्कल संस्कृत-समिति पहले बंगाल की भाँति अन्तिम परीक्षा पर तीर्थ की उपाधि देती थी, पर १९२० से उपाध्याय की उपाधि और १९२५ से आचार्य की उपाधि देने लगी। १९३३ से आचार्य के नीचे शास्त्री की उपाधि देना भी आरम्भ किया गया है।

इन दिनों संस्कृत की चार परीक्षाएँ होती हैं – प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य। १९५४ से प्रत्येक परीक्षा प्राचीन और नवीन—इन दो पद्धतियों से होने लगी है। नवीन पद्धति में अनेक आधुनिक विषय भी हैं। प्रथमा परीक्षा के पूर्व एक प्रवेशिका परीक्षा भी लेने की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं।

बिहार में संस्कृत के १५ महाविद्यालय, लगभग चार सौ विद्यालय और सात आठ सौ पाठशालाएँ हैं। विद्यालयों में ५ सरकारी विद्यालय भी हैं।

जहाँ केवल प्रथमा तक की पढ़ाई होती है, उसे पाठशाला; जहाँ उससे ऊपर की शिक्षा दी जाती है, उसे विद्यालय और जहाँ कम-से-कम किन्हीं पाँच विषयों में शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई होती है, उसे महाविद्यालय कहते हैं।

राज्य में संस्कृत-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जुलाई, १९६० ई० से दरभंगा में संस्कृत-विश्वविद्यालय का कार्यारंभ होने जा रहा है।

बिहार के नीचे लिखे १५ महाविद्यालयों में प्रथम चार राजकीय महाविद्यालय और शेष ११ राजकीय सहायता-प्राप्त महाविद्यालय हैं—(१) धर्म-समाज संस्कृत कॉलेज, मुजफ्फरपुर, (२) पटना राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, (३) भागलपुर राजकीय संस्कृत-

महाविद्यालय, (४) गणपति राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, राँची, (५) महारानी रमेश्वरलता विद्यालय, दरभंगा, (६) महारानी महेश्वरलता विद्यापीठ, लाहना रोड (दरभंगा), (७) हरिहर संस्कृत-कॉलेज, बकुलहर मठ (चम्पारन), (८) सोमेश्वर-नाथ संस्कृत महाविद्यालय, अरेराज (चम्पारन), (६) रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत-महाविद्यालय, चौक, पटना सिटी, (१०) संस्कृत कॉलेज धनामठ, राजीपुर (पटना), (११) राजेन्द्र संस्कृत-महाविद्यालय, तरेतपाली (पटना), (१२) ब्रजभूषण संस्कृत-कॉलेज, गया, (१३) अवधविहारी संस्कृत-कॉलेज, रहीमपुर (मुँगेर), (१४) बालानन्द संस्कृत-कॉलेज, वैद्यनाथधाम, (१५) प्रतापनारायण संस्कृत कॉलेज, लक्ष्मीपुर (भागलपुर)।

इस्लामी शिक्षा

बिहार में इस्लामी शिक्षा के लिए तीन तरह की संस्थाएँ हैं—मदरसा, मकतब, और उर्दू प्राइमरी स्कूल। मदरसों और मकतबों को सरकार से या जिला बोर्डों या म्युनिसिपैलिटियों से सहायता मिलती रही है।

सरकार द्वारा संगठित मदरसा-परीक्षा-बोर्ड द्वारा उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल नामक परीक्षाएँ ली जाती हैं। उस्तानिया सबसे छोटी परीक्षा है और फाजिल सबसे बड़ी। अन्तिम चार परीक्षाओं की पढ़ाई दो-दो वर्षों की है।

बिहार में स्वीकृत मदरसों की संख्या मार्च, १९५४ तक ५८ थी। इनमें ३ मदरसों में फाजिल, ७ में आलिम; ७ में मौलवी, १० में फौकानिया और ३० में उस्तानिया तक की पढ़ाई है। तीन फाजिल मदरसे हैं—मदरसा इस्लामिक शमसुल हुदा, पटना; मदरसा सुलेमानी, पटना सिटी और मदरसा अजीजिया, बिहारशरीफ। इनमें पहला मदरसा इस्लामिक शमसुल हुदा, सरकारी मदरसा है। प्रान्त में कई स्वतन्त्र मदरसे भी हैं।

विभिन्न संस्थाएँ

नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा (पटना)—पालि-भाषा, साहित्य तथा बौद्ध दर्शन के विविध अंगों के विषय में उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए १९५१ में यह संस्था स्थापित की गई थी। यहाँ कुछ छात्रों को स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) दर्जे की शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें पी-एच्० डी० और डी० लिट्० की उपाधि के लिए तैयार किया जाता है। यह संस्था महत्त्वपूर्ण पालि-ग्रन्थों का संपादन और प्रकाशन भी कर रही है। यहाँ तिब्बती, चीनी, स्यामी, सिंहली आदि भाषाओं के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान भी हो रहे हैं। लंका, थाइलैंड, वियतनाम, फ्रेंच, मंगोलिया, जापान, तिब्बत आदि देशों के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आये हैं और उन देशों से इस संस्था को सहायता भी मिल रही है। भिक्षु जगदीश काश्यप इस संस्था के प्रथम निर्देशक हुए। यह संस्था बिहार-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

मिथिला-संस्कृत-विद्यापीठ, दरभंगा—यह संस्था संस्कृत विद्या की प्राचीन परम्परा को पुनरुज्जीवित करने के लिए १९५१ में स्थापित हुई थी। यहाँ प्राच्य विद्या-संबंधी

अनुसंधान-कार्य हो रहे हैं। यहाँ छात्र संस्कृत के विविध विषयों में एम्० ए०, पी-एच्० डी० और डी० लिट्० के लिए तैयार किये जा रहे हैं। यहाँ प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों का अन्वेषण और प्रकाशन भी हो रहा है। यह संस्था बिहार-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

प्राकृत-प्रतिष्ठान, वैशाली—जैन-दर्शन एवं प्राकृत-भाषा और साहित्य के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान-कार्य के लिए यह संस्था तत्काल मुजफ्फरपुर में खोली गई है। १९५६ ई० में राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इसके भवन का शिलान्यास वैशाली में किया। यहाँ से जैन और प्राकृत-साहित्य पर पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं।

अरेबिक ऐण्ड पर्सियन इन्स्टिट्यूट (पटना)—अरबी और फारसी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान के लिए सरकार द्वारा पटना में सन् १९५५-५६ से यह संस्थान चलाया जा रहा है। यहाँ से भी अरबी-फारसी साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना—बिहार-सरकार ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए १९५० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना की है। इसका कार्यालय सम्मेलन-भवन, कदमकुआँ, पटना में है। इसका अपना भवन राजेन्द्रनगर में बनाने की तैयारी हो रही है। शोध और अनुसंधान के लिए परिषद् के ये विभाग हैं—प्रकाशन-विभाग, लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास-विभाग, विद्यापति-विभाग, अनुसन्धान पुस्तकालय और शब्दकोश-विभाग। प्रकाशन-विभाग अपने यहाँ के शोध-ग्रन्थों के अतिरिक्त बाहरी विद्वानों के भी विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष पारितोषिक देकर विभिन्न विषयों पर विद्वानों के भाषण कराये जाते हैं। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भिन्न-भिन्न भाषाओं पर निबन्ध-पाठ होते हैं एवं विभिन्न विषयों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों पर बिहार के तथा बिहार से बाहर के विद्वानों को सहस्र-सहस्र रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं। बिहार के एक वयोवृद्ध और एक उदीयमान साहित्यकार को क्रमशः डेढ़ हजार रुपये और ५०० रुपये के पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और विभिन्न विषयों पर लेख लिखाकर विद्यार्थियों को सौ-सौ रुपये के प्रतियोगिता-पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। साहित्यिक संस्थाओं को सद्ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की भी व्यवस्था है। रुग्ण और संकटापन्न साहित्य-सेवियों को राजेन्द्र-निधि से आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। परिषद् के प्रकाशन-विभाग द्वारा १९६० ई० के मार्च तक साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषयों पर ६४ उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। परिषद् के प्रथम स्थायी संचालक आचार्य शिवपूजन सहाय हुए। वर्त्तमान स्थानापन्न संचालक श्रीबालमुकुन्द शर्मा हैं। इनके पहले श्रीवैद्यनाथ पाण्डेय परिषद्-संचालक थे।

अनुग्रह नारायण सिंह समाजाध्ययन-संस्थान, पटना—बिहार-सरकार की ओर से स्वर्गीय डॉ० अनुग्रह नारायण सिंह के स्मारक-स्वरूप पटना में सामाजिक अध्ययन के लिए १९५६ में एक संस्थान की स्थापना की गई है।

बिहार रिसर्च-सोसाइटी, पटना—सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय डॉ० काशी-प्रसाद जायसवाल के प्रयत्न से इस शोध-संस्था की स्थापना जनवरी, १९१५ में हुई। इतिहास,

पुरातत्त्व, मुद्राशास्त्र, मानव-विज्ञान और दर्शन-शास्त्र के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ से 'जर्नल ऑफ् दि बिहार रिसर्च सोसाइटी' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। सोसाइटी की ओर से बहुत वर्षों तक मिथिला के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज होती रही है, जिनकी विषयानुक्रम सूची भी कई जिल्दों में प्रकाशित हुई है।

सोसाइटी का कार्यालय और पुस्तकालय पटना-म्यूजियम के साथ है। इसके पुस्तकालय में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत से लाई हुई बहुत-सी हस्तलिखित दुर्लभ प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं।

काशीप्रसाद जायसवाल इन्स्टिट्यूट, पटना—स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति में बिहार-सरकार ने भारतीय इतिहास और संस्कृति संबंधी अनुसन्धान संबंधी लिए इस संस्था की स्थापना की है। तत्काल यहाँ तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाये गये संस्कृत-ग्रंथों का तिब्बती लिपि से नागरी लिपि में रूपान्तर हो रहा है। पुरातत्त्व-संबंधी कार्य किये जा रहे हैं और भारतीय इतिहास पर शोध-कार्य चल रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्त्तमान—इन तीन खंडों में बिहार का इतिहास तैयार हो रहा है। डॉ० कालीकिंकर दत्त इसके वर्त्तमान निर्देशक हैं।

नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर—इसकी स्थापना १९५० ई० के २६ नवम्बर को हुई। यह भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक है। इसका कार्य भिन्न-भिन्न धातुओं तथा अन्य खनिज पदार्थों के संबंध में अनुसंधान करना है।

नेशनल फ्यूल-रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिगवाडीह, जमशेदपुर—इसकी स्थापना २३ अप्रैल, १९५० को हुई थी। यह भी भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय अनुसंधान-शालाओं में से एक है। यह धनबाद से १० मील दक्षिण की ओर है। यह संस्था सब प्रकार के ईंधन (ठोस, तरल और गैस) की समस्याओं पर अनुसन्धान-कार्य करती है।

इण्डियन लैक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नामकुम (राँची)—लाह के गुण और उपयोगिता बढ़ाने, उसका उत्पादन-व्यय कम करने तथा शेलैक के उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में अनुसन्धान करने के लिए नामकुम (राँची) में इस संस्था की स्थापना की गई है।

कृषि-अनुसन्धान-शालाएँ—बिहार में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-शालाएँ पटना, पूसा (दरभंगा), सबौर (भागलपुर) और काँके (राँची) में है। पूसा का ईख-अनुसन्धान-केन्द्र ईख-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान-कार्य करता है।

संगीत-नृत्य-नाट्य-संस्थान—बिहार—संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थान, बिहार (बिहार एकेडमी ऑफ् म्युजिक, डांस और ड्रामा) का उद्घाटन २७ जनवरी, १९५९ को हुआ था। इसका उद्देश्य एक सरकारी रंगमंच स्थापित करना तथा बिहार के विभिन्न स्थानों में स्थापित संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है। अबतक बिहार के ५० से अधिक कला-केन्द्र इससे सम्बद्ध हो चुके हैं। यहाँ से 'बिहार थियेटर' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। स्वतंत्रता-दिवस और गणतंत्र-दिवस के अवसर पर दिल्ली और पटना में सरकार द्वारा आयोजित उत्सवों में इन

संस्थाओं के लोग संगीत, नृत्य और अभिनय का प्रदर्शन करते हैं। लोक-नृत्य में इन्हें १९५६, १९५८ और १९५९ में नेशनल ट्राफी भी मिल चुका है।

चित्र और मूर्तिकला-विद्यालय, पटना—सन् १९३९ में चित्रकला की शिक्षा देने के लिए पटना स्कूल ऑफ् आर्ट्स की स्थापना की गई थी। नवम्बर, १९४८ में यह सरकारी प्रबन्ध में आ गया और इसका नाम गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ् आर्ट्स ऐण्ड क्रैफ्ट्स रखा गया। यहाँ ललित चित्रकला, व्यावसायिक चित्रकला और मूर्त्तिकला की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ की शिक्षा ६ वर्षों की है। पटना-म्यूजियम के पीछे इसके अपने भवन, छात्रावास, पुस्तकालय और संग्रहालय हैं। यह भारत के पाँच चित्रकला-विद्यालयों में एक है। चार विद्यालय क्रमशः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लखनऊ में हैं।

भारतीय नृत्यकला-मन्दिर, पटना—बालक-बालिकाओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए पटना में सन् १९४९ में भारतीय नृत्यकला-मन्दिर की स्थापना हुई थी। अब इसका एक अपना भवन भी बन गया है। नृत्य में यहाँ मणिपुरी, कथाकली और भरतनाट्यम् की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकनृत्य भी यहाँ सिखाया जाता है। संगीत में प्राचीन संगीत, रवीन्द्र-संगीत, भजन और गीत तथा वाद्य में मृदंग और वायलिन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की शिक्षा चार वर्षों की है। इस संस्था के निर्देशक श्रीहरि उप्पल हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ, वैद्यनाथ-देवघर—हिन्दी-विद्यापीठ का संगठन सन् १९३७ में किया गया और इसकी ओर से स्वतन्त्र परीक्षाएँ चलाई गईं। ये परीक्षाएँ हैं—प्रवेशिका, साहित्यभूषण और साहित्यालंकार। पीछे अहिन्दीभाषा-भाषियों की हिन्दी की साधारण जानकारी की परीक्षा लेकर उन्हें 'हिन्दी-विद्' का प्रमाणपत्र दिया जाने लगा है। सन् १९४० में बिहार-सरकार ने पूर्वोक्त तीनों परीक्षाओं को सरकारी विश्वविद्यालयों की क्रमशः मैट्रिक, आई० ए० और बी० ए० परीक्षाओं के समकक्ष घोषित किया। इस समय भारत में इसके करीब छह सौ केन्द्र हैं, जिनमें लगभग डेढ़ सौ केन्द्र बिहार में हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ के अन्तर्गत गोवर्द्धन साहित्य-महाविद्यालय-विभाग, ग्राम-सेवाश्रम-विभाग तथा उद्योग-विभाग भी हैं। ग्राम-सेवाश्रम-विभाग के अधीन ५० केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी होते हैं। विद्यापीठ के अपने प्रेस और प्रकाशन भी हैं।

नेत्रहीन-विद्यालय—बिहार में तीन नेत्रहीन-विद्यालय हैं—पटना नेत्रहीन-विद्यालय, कदमकुआँ, पटना ; एस० पी० जी० ब्लाइण्ड स्कूल, राँची और नेत्रहीन छात्र-विद्यालय, मुन्दीचक, भागलपुर।

मूक-बधिर-विद्यालय—बिहार में गूँगों और बहरों के लिए दो विद्यालय हैं—गूँगों का स्कूल, रामकृष्ण ऐवेन्यू, कदमकुआँ, पटना और क्षितीश बहरा-गूँगा-स्कूल, निवारणपुर, पो० हिनू (राँची) में।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण-संस्थाएँ—मुजफ्फरपुर में १६४८ से और महेन्द्रू, पटना में १६५१ से स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण-संस्थाएँ चल रही हैं।

प्राविधिक और औद्योगिक विद्यालय

बिहार के प्राविधिक और औद्योगिक विद्यालयों में दीघा (पटना) का इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेण्टर भारत-सरकार द्वारा संचालित होता है। जमशेदपुर की टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० का वहाँ एक टेक्निकल इन्स्टिट्यूट है। जमालपुर का टेक्निकल स्कूल पूर्वी रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार-सरकार भी इसमें सहायता देती है। बिहार-सरकार के उद्योग-विभाग के अधीन छोटे-बड़े सब मिलाकर करीब चार दर्जन औद्योगिक विद्यालय हैं, जिनमें लगभग एक दर्जन बिलकुल सरकारी प्रबन्ध में तथा सरकारी सहायता से चलते हैं।

पढ़े-लिखे व्यक्ति

१६५१ ई० की जन-गणना के अनुसार बिहार के पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या ४६,२१,६३४ थी, जिनमें ४१,७२,८६० पुरुष और ७,४८,७४४ स्त्रियाँ थीं। १६५६ के राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार बिहार के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिला दिये जाने पर इन आँकड़ों में जो कमी हुई है, उसका हिसाब नहीं किया जा सका है। अतएव उपर्युक्त आँकड़ों के अनुसार बिहार के प्रतिशत पढ़े-लिखे व्यक्ति १२.२३ होते हैं। यहाँ के विभिन्न जिलों में पढ़े-लिखे व्यक्तियों, पुरुषों और स्त्रियों तथा पढ़े-लिखे व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या इस प्रकार है—

जिला	पढ़े-लिखे व्यक्ति	पढ़े-लिखे पुरुष	पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ	प्रतिशत व्यक्ति
पटना	५,५७,१५२	४,६४,३४६	६२,६०६	२२·०३
गया	४,३८,८१८	३,८१,१४४	५७,६७४	१४·२६
शाहाबाद	४,२६,६०१	३,८०,८६०	४६,०११	१५·८७
मुजफ्फरपुर	२,८२,१६५	२,२६,६०३	५२,५६२	८·०१
दरभंगा	४,२०,४६५	३ ५७,४२२	६३,०७३	११·१५
सारन	३,८४,४२३	३,३६,६७८	४४,४४,५	१२·५८
चम्पारन	२,११,४७५	१,८६,६६८	२४,७७७	८·४२
भागलपुर	१,६५,४११	१,४६,००६	४६,४०५	१३·६७
मुँगेर	३,७४,२३२	३,०६,६८६	६७,५४३	१३·१३
पूर्णिया †	२ ४३,५३४	२,१८,५०५	२५,०२६	६·६४
सहरसा	१,०६,७५७	१,०१,०१८	८,७३६	८·३८

† राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार नवम्बर, १६५६ में पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिल जाने से इस संख्या में कमी हुई है।

जिला	पढ़े-लिखे व्यक्ति	पढ़े-लिखे पुरुष	पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ	प्रतिशत व्यक्ति
संताल परगना	२,१५,८८५	१,६५.६६६	५०,१८६	६·२६
राँची	२,१६,८३८	१,७४,११६	४५,७१६	११·८१
हजारीबाग	१,६०,१७३	१,४०,२६२	१६,८८१	८·३२
पलामू	७७,३०८	६६,४६४	७,८४४	७·८४
धनबाद +	१,३०,२४६	१,०८ २२०	२२,०२६	—
सिंहभूमि +	२,४२,३२६	१,६१,८६६	५०,४३०	१६ ३६

१६५१ ई० की जन-गणना के अनुसार बिहार में विभिन्न दर्जों तक पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है। नवम्बर, १६५६ ई० के राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार इसमें से पश्चिम बंगाल चले गये लोगों की संख्या नहीं घटाई गई है।

शिक्षा दर्जा	व्यक्ति	पुरुष	
चिट्ठी तक पढ़ने-लिखनेवाले	४१,८०,२८५	३५,२७,६०४	६,५६,३८१
मिडल तक पढ़े व्यक्ति	४,७०,७२४	४,०६,०५२	६४,६७२
मैट्रिक तक पढ़े व्यक्ति	१,४६,५६१	१,३४.७५४	१४,६०७
इएटर तक पढ़े व्यक्ति	३६,७५६	३३,०४८	३,७०८
डिग्री और डिप्लोमाधारी			
ग्रैजुएट	१६,३७२	१७,६२६	१,७४६
पोस्ट-ग्रैजुएट	४,५१५	४,२४५	२७०
शिक्षण	१२,०४३	१०,६७१	१,०७२
इंजीनियरिंग	१,४२७	१,४२६	
कृषि	३५८	३५८	—
पशु-चिकित्सा	३०२	३०२	—
कॉमर्स	६५२	६२१	३१
कानून	६,०६१	६,०८४	७
मेडिकल	७,०७७	६,६६६	३८१
अन्य (प्रथमा आदि)	२५,२७१	२२,४०३	२,८६८
जोड़	४६,२१,६३४	४१,७२,८६०	७,४८,७४४

+ राज्य-पुनस्संगठन के अनुसार नवम्बर, १६५६ ई० में पुराने मानभूमि जिले के दो थाने धनबाद जिले में और तीन थाने सिंहभूमि जिले में मिल जाने से इन आँकड़ों में वृद्धि हुई है।

प्रमुख सार्वजनिक संस्थाएँ

शिक्षा और साहित्यिक संस्थाएँ

आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा—इस सभा की स्थापना १२ अक्तूबर, १९०१ ई० को हुई थी। इस सभा ने सबसे पहले १९०१ ई० में अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्थापित करने का उद्योग किया था। अभी देश में जहाँ-तहाँ इसकी बीस शाखा-सभाएँ चल रही हैं। प्रारम्भ में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की भाँति ही इसने कई उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रंथ प्रकाशित किये। अब भी जब-तब इस संस्था द्वारा अच्छे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। दो बीघा जमीन में इसका विशाल, पर अधूरा भवन बना हुआ है। सभा के पुस्तकालय में अलभ्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों, मुद्रित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या लगभग १५ हजार है। समय-समय पर इसे विभिन्न प्रांतीय सरकारों और रियासतों से सहायता मिलती रही है।

बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना—बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन् १९१९ ई० में हुई थी। इसके वार्षिक अधिवेशनों के द्वारा बिहार में हिन्दी का अच्छा प्रचार हुआ। प्रारम्भ में १९३६ तक इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद पटना आया। कदमकुआँ मुहल्ले में इसका एक विशाल भवन है, जिसमें इसके **पुस्तकालय और वाचनालय** हैं। इसका एक **अनुशीलन-विभाग** भी है। सम्मेलन के तत्त्वावधान में एक कला-केन्द्र भी चल रहा है, जहाँ बालिकाओं को संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है। अभिनय कला के उत्पादन के लिए एक **नाट्य परिषद्** की भी स्थापना की गई है।

यहाँ से 'साहित्य' नामक एक त्रैमासिक शोध-पत्रिका निकलती है, जिसके लिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से भी वार्षिक अनुदान मिलता है।

सन् १९५४ में यहाँ **बच्चन देवी-साहित्य-गोष्ठी** की स्थापना हुई, जिसमें भाषा और साहित्य के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों के विचार-विनिमय होते हैं। इस गोष्ठी का नामकरण आचार्य शिवपूजन सहाय की दिवंगता पत्नी के नाम पर हुआ है। अबतक भारत के दर्जनों मूर्द्धन्य विद्वान् गोष्ठी में विभिन्न विषयों पर भाषण करने के लिए आ चुके हैं।

विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ मई, १९५६ ई० से **बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय** की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय में इस समय फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तेलुगु तथा अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी की पढ़ाई होती है। इसके प्राचार्य श्रीनलिनविलोचन शर्मा हैं।

सम्मेलन का विगत २७वाँ अधिवेशन अप्रैल, १९५९ में, राँची में श्रीव्रजशंकर वर्मा के सभापतित्व में हुआ। इसके प्रधान मन्त्री श्रीनलिनविलोचन शर्मा हैं।

सुहृद्-संघ, मुजफ्फरपुर—इस साहित्यिक संस्था की स्थापना १९३५ में हुई थी। इसका वार्षिकोत्सव प्रति वर्ष बड़े समारोह से मनाया जाता है। इसका अपना भवन और पुस्तकालय है। इसने हिन्दुस्तानी और रेडियो की भाषा के विरोध में प्रबल आन्दोलन

चलाया था। बिहार के अहिन्दीभाषा-भाषियों के बीच इसने हिन्दी-प्रचार का कार्य भी किया है। इसके संस्थापक और प्रधान मन्त्री श्रीनीतीश्वरप्रसाद सिंह हैं।

मैथिली साहित्य-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना १९३९ ई० में हुई थी। इसके सभापति डॉ० गंगानाथ झा, डॉ० उमेश मिश्र, कुमार गंगानन्द सिंह, श्रीजयानन्द कुमर रह चुके हैं। प्रारम्भ में ९-१० वर्षों तक इसके प्रधान मन्त्री श्रीभोलालालदास थे। परिषद् ने अनेक प्राचीन और नवीन मैथिली-ग्रंथों का प्रकाशन किया है। इसके उद्योग से मैथिली को विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक स्थान मिला है और मैथिली क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा मैथिली में दी जाने का कार्य आरम्भ हुआ है।

मगही-मंडल—मगही-भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए कई वर्ष हुए, एक मगही-मंडल की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं में डॉ० विन्देश्वरी प्रसाद, डॉ० शिवनन्दन प्रसाद श्रीश्रीकान्त शास्त्री, प्रो० रामनन्दन शर्मा, श्रीरामबालक सिंह आदि हैं। ये लोग पहले 'मगही' नामक मासिक पत्र निकालते थे, अब 'विहान' नामक मासिक पत्र निकाल रहे हैं।

भोजपुरी-परिषद्—यह संस्था भी बहुत वर्षों से कायम है। समय-समय पर इसकी जिला-सभाएँ एवं समस्त क्षेत्रीय सभाएँ हुआ करती हैं। पहले श्रीमहेन्द्र शास्त्री ने भोजपुरी नामक एक मासिक पत्र निकाला था, पीछे श्रीरघुवंशनारायण सिंह बहुत दिनों तक इस नाम की मासिक पत्रिका निकालते रहे। इस समय पटना से 'अँजोर' नामक एक त्रैमासिक पत्र निकल रहा है।

अंग-भाषा-परिषद्—प्राचीन अंग जनपद, अर्थात् न्यूनाधिक वर्त्तमान भागलपुर कमिश्नरी की भाषा अंगिका पर शोध कार्य करने के लिए पटना में एक अंग-भाषा-परिषद् की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशु और प्रधान मन्त्री श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ हैं।

बिहार के पुस्तकालय—बिहार की सबसे पुरानी लाइब्रेरी गया पब्लिक लाइब्रेरी है, जो १८५५ में स्थापित हुई थी। उसके बाद १८६३ में पटना कॉलेज लाइब्रेरी और १८८३ में पटना सिटी में बिहार हितैषी लाइब्रेरी खुली। खुदाबख्श ओरियण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके लिए पटना या बिहार को ही नहीं, भारत को भी गौरव है, १८९१ में ट्रस्टियों के हाथ सुपुर्द की गई थी। यहाँ अरबी-फारसी की अप्राप्य प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें हैं। बिहार के अन्य पुस्तकालयों में नीचे लिखे पुस्तकालय मुख्य हैं—सिन्हा लाइब्रेरी, पटना; युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पटना; सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, पटना; बिहार एसेम्बली लाइब्रेरी, पटना; बिहार रिसर्च सोसाइटी लाइब्रेरी, पटना; अनुसंधान-पुस्तकालय, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना; हेमचन्द्र सुहृद्-परिषद्-पुस्तकालय, पटना; वैदिक-हिन्दी-पुस्तकालय, पटना; महेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-पुस्तकालय, पटना; गवर्नमेण्ट उर्दू-लाइब्रेरी, पटना; गेट लाइब्रेरी, पटना; बिहार यंगमेन्स इन्स्टीच्यूट लाइब्रेरी, पटना; मन्नूलाल पुस्तकालय, गया; ओरियण्टल लाइब्रेरी, आरा; नागरी-प्रचारिणी पुस्तकालय,

आरा; टाउन हाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी, मुजफ्फरपुर; सुहृद्-संघ-पुस्तकालय, मुजफ्फरपुर; शारदा-सदन-पुस्तकालय, लालगंज (मुजफ्फरपुर); राज लाइब्रेरी, दरभंगा; लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, दरभंगा; भगवान पुस्तकालय, भागलपुर; श्रीकृष्ण-सेवासदन-पुस्तकालय, मुँगेर।

कॉलेज तथा स्कूलों में पुस्तकालय हैं ही, प्रान्त में छोटे बड़े स्वतन्त्र पुस्तकालयों की संख्या भी ४ हजार से अधिक है।

बिहार-राज्य-पुस्तकालय-संघ—बिहार प्रान्तीय लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, १६३६ ई० में हुई थी। उसके प्रयत्न से बिहार-पुस्तकालय-सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन गया में फरवरी, १६३७ में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दिसम्बर, १६३७ में पटना सिटी में किया गया। इसमें प्रान्त के पुस्तकालयों के विकास की योजना तैयार करने के लिए डॉ० सच्चिदानन्द सिंह के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई, जिसमें योजना तैयार कर फरवरी, १६३८ में उसे बिहार-सरकार के पास विचारार्थ भेजा। बिहार-सरकार अब इस योजना को कार्यान्वित करने में लगी है। इसके अनुसार पटना की सिन्हा लाइब्रेरी, बिहार की सेण्ट्रल लाइब्रेरी बना दी गई है। सभी जिलों में जिला-लाइब्रेरी और सभी सबडिवीजनों में डिवीजनल लाइब्रेरी है। संघ का पिछला अधिवेशन १६५८ में पूर्णिया में हुआ था। सभापति श्री जगन्नाथ मिश्र हैं। मन्त्री हैं श्रीदयानन्द जोशी।

बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के अधीन एक पुस्तकालय-विभाग खोला गया है, जिसके अधीक्षक श्रीनवलकिशोर गौड़ हैं। इस विभाग से बहुत-से पुस्तकालयों को पुस्तक आदि की सहायता दी जाती है।

ऐतिहासिक और भौगोलिक संस्थाएँ

पटना-म्यूजियम तथा बिहार के अन्य म्यूजियम—पटना म्यूजियम १६१७ के अप्रील में स्थापित किया गया था। उस समय उसकी संगृहीत वस्तुएँ हाइकोर्ट के एक हिस्से में थीं। सन् १६२८ ई० में म्यूजियम का वर्त्तमान भवन बनकर तैयार हुआ, जो मुगल-राजपूत-स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना है। भवन और संगृहीत वस्तुओं की दृष्टि से पटना-म्यूजियम भारत का एक सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम माना जाता है। यहाँ मुख्यतः बिहार में मिली हुई प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है।

बिहार के अन्य म्यूजियम या संग्रहालयों में पटना का कॉमर्शियल म्यूजियम, नालन्दा का म्यूजियम वैशाली का म्यूजियम; चन्द्रधारी म्यूजियम और बोधगया म्युजियम हैं।

वैशाली संघ—वैशाली संघ की स्थापना १६४५ ई० में हुई थी। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं—एक तो वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना और दूसरे वैशाली के निवासियों में एक नवीन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जाग्रत करना। इसके लिए यहाँ खुदाई का काम, संग्रहालय स्थापित करने का काम, ऐतिहासिक अनुसंधान का काम एवं ग्रामोत्थान के सब प्रकार के काम हो रहे हैं। संघ ने अबतक वैशाली के सम्बन्ध में सात पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

जैनधर्म और प्राकृत साहित्य के अनुसंधान के लिए अब यहाँ एक प्राकृत-संस्थान की स्थापना हो रही है।

भगवान् महावीर की जन्म-तिथि चैत्रसुदी त्रयोदशी को यहाँ प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है। गत १६वाँ महोत्सव (१६६० ई०) श्रीसम्पूर्णानन्द के सभापतित्व में मनाया गया था।

संघ के सभापति डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, प्रधान मन्त्री श्रीजगदीशचन्द्र माथुर तथा मन्त्री श्रीजगन्नाथ प्रसाद साह, श्रीदिग्विजयनारायण सिंह और प्रो० योगेन्द्र मिश्र हैं।

बिहार ज्योग्रफिकल सोसाइटी—भूगोल-विद्या संबंधी अनुसन्धान और प्रचार के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना पटना में, मई, १६५३ में हुई। यह बिहार के भौगोलिक अनुसन्धान का कार्य विशेष रूप से करेगी। अभी इसकी ओर से 'बिहार इन मैप्स' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके सभापति डॉ० पी० दयाल और मन्त्री डॉ० एस० ए० मजीद हैं।

सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ

आदिमजाति-सेवामंडल—इसका प्रधान कार्यालय निवारण-आश्रम, पो० हिनू, जिला राँची है। इसके सभापति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, उपसभापति डॉ० श्रीकृष्ण सिंह और मन्त्री श्रीनारायणजी हैं। इसके द्वारा ढाई सौ से अधिक स्कूल चलाये जा रहे हैं। 'ग्राम-निर्माण' नामक एक मासिक पत्र भी निकलता है।

इंडियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स—८ नवम्बर, १६५२ को पटना में प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के सभापतित्व में इंडियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स-अर्थात् सार्वजनिक कार्य की भारतीय परिषद् नाम की एक संस्था कायम की गई। इस परिषद् का उद्देश्य दलगत राजनीति से सम्पर्क रखे बिना सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करना है।

ईसाई मिशनरियाँ—बिहार में अब भी कई विदेशी मिशनरियाँ काम कर रही हैं और ईसाइयों की संख्या बराबर बढ़ रही है। फलस्वरूप-बिहार में सौ में एक आदमी ईसाई हो गये हैं।

भारत-सेवाश्रम-संघ—बिहार में भारत-सेवाश्रम-संघ का आश्रम गया में है। इस आश्रम के संन्यासी हिन्दू धर्म और संस्कृति का प्रचार तथा सामाजिक सेवाकार्य करते हैं।

रामकृष्ण मिशन—रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८६७ ई० में की थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता के पास बेलूर नामक स्थान में है। बिहार में ७ स्थानों में मिशन के केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा स्कूल, दातव्य औषधालय और पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में सबसे पुराना जमशेदपुर का केन्द्र है; जो १६१६ में खुला था। इसके बाद १६२१ में जामतारा (संताल परगना) में केन्द्र खुला। १६२२ में पटना और देवघर में केन्द्र खोले गये।

कटिहार का आश्रम १६२६ में और राँची का आश्रम १६२७ में खुला। मिशन ने १६५० में राँची से ८ मील पर डुंगरी नामक स्थान में यक्ष्मा के रोगियों के लिए एक चिकित्सालय खोला है।

बिहार-आर्य-प्रतिनिधि-सभा—स्वामी दयानन्द सरस्वती १८७२ ई० के अन्त में चार-पाँच महीने तक बिहार का दौरा करते रहे। उन्होंने सर्वप्रथम आरा में एक हिन्दू-सुधार-सभा की स्थापना की। दानापुर में कुछ लोगों ने १८८६ में ही हिन्दू-सत्य-सभा की स्थापना की थी। १८७८ ई० में वही सभा आर्य-समाज के रूप में परिणत कर दी गई।

बंगाल-बिहार आर्य-प्रतिनिधि-सभा की स्थापना १६१०-११ में हुई थी। उस समय उसका कार्यालय राँची में था। १६२६ में बिहार-आर्यप्रतिनिधि-सभा अलग की गई और उसका कार्यालय पटना में रखा गया। इस समय प्रान्त के लगभग तीन सौ स्थानों में समाज के अपने भवन भी हैं। समाज की ओर से लड़के-लड़कियों के लिए बहुत-से स्कूल, कई गुरुकुल और एक कॉलेज चलाये जा रहे हैं। इसके वर्त्तमान सभापति डॉ० दुखन राम, उपसभापति श्रीरामनारायण शास्त्री और प्रधान मन्त्री श्रीवासुदेव शर्मा हैं।

बिहार थियोसोफिकल फेडरेशन, पटना—थियोसोफिकल सोसाइटी की बिहार-शाखा की स्थापना १६०२ ई० में हुई। सारे बिहार में इसके तीन दर्जन स्थानों में केन्द्र या लॉजहैं। इनमें ७ स्थानों में इसके अपने भवन हैं। बिहार में इसके सदस्यों की संख्या चार सौ से अधिक है। पटना से 'मेल-मिलाप' नामक इसकी एक छोटी-सी मासिक पत्रिका निकलती रही है। प्रान्त में इसके कई स्कूल हैं।

बिहार-दर्शन-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना १६४६ ई० में हुई। इसके संयोजक प्रो० राजेन्द्र प्रसाद (पटना कॉलेज) हैं।

बिहार प्रान्तीय सेवा-समिति—यह बिहार की एक बहुत पुरानी संस्था है। बिहार के अनेक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और नेता इसके सदस्य और पदाधिकारी रह चुके हैं। सोनपुर में इसके कार्यालय के लिए अपना एक भवन है।

बिहार-महिला-परिषद्, पटना—यह अखिलभारतीय महिला-परिषद् की शाखा है। इसकी स्थापना १६२८ में हुई थी। इसकी अध्यक्षा श्रीमती कमल कामिनी देवी हैं, जिनके निवास-स्थान कदमकुआँ, पटना में इसका कार्यालय है।

बिहार-हरिजन-सेवक-संघ—हरिजन-सेवक-संघ की बिहार-शाखा १६३२ से ही काम करती आ रही है। इसका कार्यालय एनिबेसेण्ट रोड, पटना में है। यहाँ से 'अमृत' नामक एक मासिक पत्र निकलता है। इसके सभापति आचार्य बदरीनाथ वर्मा और मंत्री नगेन्द्रनारायण सिंह हैं।

संताल पहड़िया सेवा-मंडल—संताल परगना जिले की पिछड़ी जातियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना

१६४४ में हुई। इसके द्वारा दो हाई स्कूल, ६ मिडल स्कूल और ३६ प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं तथा कई औषधालय खोले गये हैं। इसका कार्यालय देवघर में है और इसके मन्त्री हैं श्रीगौरीशंकर डालमिया।

आर्थिक और व्यावसायिक संस्थाएँ

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन—इस औद्योगिक संघ की स्थापना १६४३ में हुई थी। इसका गत अधिवेशन २३ मार्च, १६५३ को हुआ। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

बिहार चैम्बर ऑफ् कॉमर्स—विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों की यह संस्था १६२६ ई० में स्थापित हुई थी। इसका अपना भवन और कार्यालय बाँकीपुर फौजदारी कचहरी के पास है। यहाँ से प्रोस्पेरिटी नामक मासिक पत्र निकलता है। सरकार ने इस संस्था को मान्यता दी है और अनेक संस्थाओं से इसके प्रतिनिधि लिये जाते हैं। इसके वर्त्तमान सभापति श्री आर० डी० जोशी और मन्त्री श्री के० एन्० खन्ना हैं।

बिहार सूगर मिल्स एसोसिएशन—इसे १६५० में बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अलग कर एक स्वतन्त्र संस्था बनाया गया। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

छात्र-सम्मेलन और बालचर-संस्थाएँ

बिहारी छात्र-संघ—बिहारी छात्र-संघ की स्थापना १६०६ ई० में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। उस समय यही एकमात्र बिहार प्रान्तीय संस्था थी। भारत का भी यह पहला ही छात्र-संगठन था। छात्रान्दोलन के नेताओं के असहयोग-आन्दोलन में पड़ जाने से इसके कार्य में शिथिलता आ गई। पीछे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में अलग-अलग छात्र-संघ कायम हुए; जैसे—बिहार स्टूडेण्ट्स काँगरेस, बिहार स्टूडेंट्स फेडरेशन; बिहार प्रगतिशील छात्र ब्लॉक; बिहार विद्यार्थी-परिषद् आदि। अब इन सबके कार्य शिथिल पड़ गये हैं।

भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स—भारत में पहले दो बालचर-संस्थाएँ थीं—ब्वॉय स्काउट एसोसिएशन और हिन्दुस्तान स्काउट एसोसिएशन। १६५० में दोनों को मिलाकर भारत स्काउट्स ऐंड गाइड्स एक संस्था बना दी गई है। इसे सरकार से सहायता मिलती है। इसकी बिहार प्रान्तीय शाखा का अपना भवन बुद्धमार्ग, पटना में है। इस समय इसके अध्यक्ष प्रान्त के मुख्य मन्त्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह और चार उपाध्यक्षों में एक कुमार गंगानन्द सिंह हैं। स्टेट चीफ कमिश्नर श्रीजगतनारायण लाल हैं। इसकी पिछली स्टेट रैली १६५६ की फरवरी में पटना के पोलो मैदान में हुई थी।

कृषि और पशुपालन-सम्बन्धी संस्थाएँ

बिहार उद्यान-समाज—बिहार में उद्यान-विज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए १६४४ में भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर नामक स्थान में उक्त संस्था की स्थापना की गई।

इसकी ओर से प्रतिवर्ष उद्यान-प्रदर्शनी और फल-प्रदर्शनी होती हैं। १९४४ से यहाँ से 'हार्टिकल्चरिष्ट' नामक मासिक अँगरेजी पत्र निकलता था। वह १९४९ से हिन्दी में द्वैमासिक रूप में 'बागबान' नाम से निकलने लगा है।

बिहार गोशाला पिंजरापोल संघ, पटना—इसकी स्थापना मार्च, १९४६ में हुई थी। इस संघ के साथ बिहार की ११० गोशालाएँ सम्बद्ध हैं। यहाँ से पहले 'नन्दिनी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। स्थानीय नस्ल की गंगातीरी गोवंश के सुधार के लिए 'श्रीराजेन्द्र गोकुल' नामक प्रयोगशाला स्थापित करने के निमित्त बिहार-सरकार ने इसे १०० एकड़ भूमि और पौने दो लाख रुपये दिये हैं। संघ के सभापति श्रीजगतनारायण लाल और मन्त्री श्री धर्मलाल सिंह हैं। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है।

बिहार-जीव-जन्तु-क्लेश-निवारिणी समिति (एस० पी० सी० ए०,) पटना—यह १९३९ में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य काम में लाये जानेवाले पशुओं के प्रति की जानेवाली निर्मम निर्दयता को दूर करना है। इसके सभापति दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह और मन्त्री श्रीधर्मलाल सिंह हैं। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है। समिति के लगभग दो दर्जन इन्सपेक्टर विभिन्न जिलों में प्रचार का काम करते हैं। समिति को सरकार की ओर से निश्चित सहायता मिलती है।

किसानों की संस्थाएँ

समय-समय पर बिहार के किसान अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर कार्य करते रहे हैं। पहले प्रभावशाली राजनीतिक दल एकमात्र काँगरेस ही था और उसीके कुछ कार्यकर्त्ता इस आन्दोलन में भी भाग लेते थे। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्रीयमुना कार्यी, श्रीयदुनन्दन शर्मा श्रीकार्यानन्द शर्मा आदि किसानों के नेता समझे जाते थे। प्रान्तीय संगठन के रूप में सर्वप्रथम १९२८ में बिहार प्रान्तीय किसान-सभा की स्थापना हुई। उसने जमींदारी प्रथा के अन्त के लिए आन्दोलन चलाया। पीछे देश में अनेक राजनीतिक दलों के हो जाने पर सभी प्रमुख दलों ने अलग-अलग अथवा कई के सहयोग से अपने-अपने प्रभाव के अन्दर प्रान्तीय या स्थानीय किसान-सभाएँ कायम कीं—जैसे, बिहार हिन्द-किसान-सभा, बिहार-हिन्द-किसान-पंचायत आदि-आदि।

मजदूरों की संस्थाएँ

किसान-संस्थाओं की तरह मजदूरों के भिन्न-भिन्न ट्रेड यूनियन भी भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

बिहार ट्रेड यूनियन काँगरेस—यह अग्रगामी दल के प्रभाव से संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ जमशेदपुर, झरिया कटिहार, खेलाड़ी (राँची), बक्सर, कोडरमा, गिरिडीह, और बनजारी (शाहाबाद) में हैं।

बिहार नेशनल ट्रेड यूनियन काँगरेस—यह काँगरेस-दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसके पदाधिकारी श्रीमाइकेल जॉन, श्रीनन्दकुमार सिंह, श्रीअवधेश्वर प्रसाद सिंह आदि रहे हैं। इसकी शाखाएँ बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में हैं।

बिहार-हिन्द-मजदूर-पंचायत—यह समाजवादी दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसका प्रथम अधिवेशन १९४९ में श्री आर० एस० रुइकर के सभापतित्व में हुआ था।

संयुक्त ट्रेड यूनियन काँगरेस—इसके सभापति समाजवादी क्रान्तिकारी दल के नेता श्रीरणेन्द्र चौधरी और मुख्य मन्त्री श्रीतिवारी परमानन्द रहे हैं।

शिक्षकों की संस्थाएँ

बिहार में कॉलेज-शिक्षकों की संस्था बिहार कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है। हाई स्कूल-शिक्षकों की संस्था बिहार सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन है। इसका 'ईस्टर्न एजुकेशनिस्ट' नामक षाण्मासिक पत्र निकलता है। प्राइमरी और मिडल स्कूलों के शिक्षकों की संस्था बिहार शिक्षक-सम्मेलन है। इसकी ओर से 'राष्ट्र-निर्माता' नामक पाक्षिक पत्र निकला था।

पत्रकारों की संस्थाएँ

बिहार-पत्रकार-संघ—यह बिहार की सभी भाषाओं के पत्रकारों की संस्था है।

बिहार प्रेस एसोसिएशन—यह मुख्यतः प्रेस-रिपोर्टरों (संवाददाताओं) की संस्था है। इसके सभापति श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद रहे हैं।

बिहार-हिन्दी-पत्रकार-संघ—हिन्दी-पत्रकारों की यह संस्था १९५० ई० से काम कर रही है।

कानूनी पेशेवालों की संस्थाएँ

बिहार मोख्तार-कान्फ्रेन्स—यह मोख्तारों का सम्मेलन है, जिसका अधिवेशन समय-समय पर हुआ करता है।

बिहार लॉयर्स-कान्फ्रेन्स—यह वकीलों और बैरिस्टरों का सम्मेलन है। इसके भी अधिवेशन जब-तब हुआ करते हैं।

चिकित्सकों की संस्थाएँ

बिहार तिब्बी-कान्फ्रेन्स—यूनानी चिकित्सा-पद्धति से चिकित्सा करनेवाले बिहार के हकीमों या तिब्बों की कान्फ्रेंस १९५० ई० में पटना में हुई थी।

बिहार मेडिकल एसोसिएशन—यह मेडिकल ग्रेजुएटों की संस्था भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है। सारे बिहार में इसकी लगभग ५० उप-शाखाएँ हैं। इसकी ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

बिहार मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन—यह मेडिकल स्कूल से एल्० एम्० पी० का प्रमाणपत्र प्राप्त डॉक्टरों की संस्था भारत मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन की बिहार-शाखा है।

बिहार वैद्य-सम्मेलन—वैद्यों के इस सम्मेलन का कार्यालय कदमकुआँ, पटना में है।

बिहार होमियोपैथिक सम्मेलन—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १६३१ में गया में हुआ था। इसके उद्योग से १६३२ में अखिल भारतीय होमियोपैथिक सम्मेलन की स्थापना हुई। बिहार-सरकार ने इस चिकित्सा-पद्धति को मान्यता दी है और वह इसके प्रचार में सहायक हो रही है। इसके प्रधान मन्त्री हैं डॉ० गोपीकृष्ण कोहिली; कदमकुआँ, पटना-३।

कृषि

बिहार मुख्यतया कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ की करीब ८६ प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती है (जबकि अखिल भारतीय औसत ६६.८४ प्रतिशत है)। बिहार-राज्य के उत्तरी भाग में और गंगा की तराई में कृषि-योग्य भूमि अधिक है। यह भू-भाग खेती के लिए विशेष उपयोगी है और यहाँ पैदावार भी अधिक होती है। छोटानागपुर-भाग जंगलों और पहाड़ों से भरा होने के कारण कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। यह भाग खनिज सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार भारत के अति समृद्ध एवं उर्वर भूखंडों में एक है तथा यहाँ प्रायः सभी फसलें उपजाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें निम्नलिखित हैं—

धान, ईख, मकई, गेहूँ, जौ, अरहर, जूट, तम्बाकू, मिर्च, आलू, सरसों, मटर, खेसारी आदि।

दक्षिणी बिहार की भूमि उत्तर-बिहार की भूमि की तुलना में कम उपजाऊ है, फिर भी निम्नलिखित फसलें यहाँ होती हैं—

धान, मकई, ज्वार, अरहर, ईख, तम्बाकू, गेहूँ, मिर्च, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि।

बिहार में फसलों के कटने के प्रमुख समय तीन हैं – भदई (बरसात), अगहनी (जाड़ा) और रब्बी (वसंत)।

भदई की फसलों में बहुत शीघ्र उपजनेवाली फसलों की ही प्रधानता है। ये फसलें मई और जून में बोई जाती हैं तथा अगस्त और सितम्बर में काटी जाती हैं। इस कोटि की फसलों में साठी चावल, मकई, ज्वार और जूट की फसलें प्रमुख हैं। मड़ुआ भी भदई फसल के अन्दर आता है, जो निम्नकोटि की जमीन में होता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिलों में इसकी उपज अधिक मात्रा में होती है।

गंगा के उत्तर का मैदान, दक्षिण के मैदानों की अपेक्षा भदई की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। दियारा के भाग में मकई की फसल का प्रचुर उत्पादन होता है। छोटानागपुर के क्षेत्र में साठी, ज्वार और दलहन (जैसे उरीद और मूँग) आदि फसलें भदई में आती हैं।

अगहनी फसलें जून के मध्य में बोई जाती हैं। जुलाई और अगस्त में धान के बीज को एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में रोपा जाता है। अगहन से पूस (नवम्बर से दिसम्बर) तक मुख्य अगहनी फसलें कट जाती हैं। इसी समय धान के अतिरिक्त दूसरी फसलें; जैसे—ईख, तिल, ज्वार आदि भी कट जाती हैं। ईख फरवरी में बोई जाती है तथा नवम्बर से अप्रैल तक काटी जाती है।

बिहार में उपज की दृष्टि से चावल सबसे अधिक भू-भाग में उपजाया जाता है।

गेहूँ, जौ, खेसारी, चना, मटर, तीसी, अरहर, राई, सरसों आदि रब्बी की फसलें हैं, जो आश्विन-कार्त्तिक में बोई जाती हैं तथा फाल्गुन-चैत्र महीने में काटी जाती हैं।

बिहार की विभिन्न फसलों की उपज के आँकड़े निम्नलिखित तालिकाओं में दिये गये हैं।

प्रमुख फसलों की उपज

फसलों की उपज के निम्नांकित आँकड़े १९५३-५४, १९५४-५५, १९५५-५६ तथा १९५६-५७ के फसल-कटाई-प्रयोग तथा दृष्टि-अनुमान पर आधारित हैं।

(हजार टनों में)

वर्ष	धान (मदई और अगहनी)	गेहूँ	चना	जौ	मकई	मसूर	अरहर	खेसारी	मटर	ईख	आलू	तम्बाकू	जूट	मिर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१९५३-५४	६,१९६	३९१	२९०	२१६	२८१	९१	८५	३८४	३५	१,८४०	२२७	१०	४६८	१४
१९५४-५५	३,९२०	४२०	२६३	१८९	४१३	५७	९७	२६८	४२	२,१७५	२२२	९	३८०	१८
१९५५-५६	३,६५७	३६२	२०८	२०४	२९२	६७	७५	३२१	२२	२,१३२	२३९	१०	६४३	१२
१९५६-५७	३,९२४	१८१	१,४५७	१,२५७	३८३	२५	४७	२३३	१२	३,६७१	२४८	७	१ ३७७	६
१९५७-५८	३,४३०	२७०	२१५	१५६	३७०	१,२०१	८२	२०५	२६	३,१८३	२८१	९	७०७	३५

मड़ुआ
७७

मुख्य फसलों के क्षेत्र

यहाँ १९५६-५७ में हुए बिहार के पूर्ण प्रगणन-सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य फसलों के क्षेत्र (१००० एकड़ में) दिखाये गये हैं।

जिला-नाम	चावल	गेहूँ	चना	जौ	मकई	मसूर	अरहर	खेसारी	मटर	ईख	तम्बाकू	आलू	जूट	मिर्च	मड़ुआ
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
पटना	६०२	१३९	१५०	३८	४३	८८	९	३५१	९	१४	*	११	...	५	७
गया	१,०५५	२६९	१९०	५०	४०	५०	३०	३५२	१६	२८	*	७	....	२	२६
शाहाबाद	१,०७३	३५३	३१८	७२	२१	३९	२१	४४२	१६	२३	*	२	....	१	१
सारन	४७३	१७२	५१	१७४	२५४	४	५२	२७	१६	८१	२	४	४	*	३१
चम्पारन	९६७	१०२	२३	१६३	९६	४१	२२	५४	११	१६२	१	२	२७	*	६
मुजफ्फरपुर	८३२	११४	४३	१२५	१३०	१५	१९	१७०	२	२७	१४	१	४	८	२२
दरभंगा	९११	१२१	३२	६७	७९	८	१६	१०५	२	३६	११	१	११	२८	३७
मुँगेर	४४८	२६६	१६३	४०	१८७	११	२३	८४	१५	७	१	१	३	८	६
भागलपुर	२६३	७४	७६	३८	७६	१	६	३७	१	९	२	२	*	....	१
सहरसा	३०८	४१	१	३०	६९	....	२	२०	२	२	....	१	१८६	....	३१
पूर्णिया	१,०७२	१७२	४०	७१	७३	८	६	३४	३	२	११	९	४५४	३	४
संताल परगना	१,२२७	१३	२४	११	१२५	१	१६	४६	....	१	....	१	....	....	१०
हजारीबाग	६१४	१५	१०	६	९७	१	११	३	२	५	....	३	....	....	५७
राँची	१,१४१	६	१४	२	२३	१	२५	६	१	....	....	२	....	....	१०४
पलामू	२१४	२५	८४	३५	८०	६	५१	२१	२	४	....	....	....	१	९
धनबाद	२२०	....	....	....	४४	....	३	२	....	१	१	१	....	....	१२
सिंहभूमि	८२५	१	७	....	२०	७	६	११०	२	*	*	*	*	....	१
कुल जोड़	१२,३४५	१,८८३	१,२२५	९२२	१,४५२	२७४	३१८	१,७६३	१००	४०२	४०	४७	६८९	५६	३६५

मुख्य फसलों की उपज

बिहार में १९५६-५७ में किये गये पूर्ण प्रगणन-सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य फसलों की उपज का निम्नलिखित विवरण, फसल-कटाई-प्रयोग तथा दृष्टि-अनुमान पर आधारित हैं (हजार टनों में)

जिला-नाम	चावल	गेहूँ	चना	जौ	मकई	मसूर	अरहर	खेसाड़ी	मटर	ईख	आलू	तम्बाकू	जूट	मिर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
पटना	१९१	२४	३८	११	१३	१०	१	३९	....	९०	४१	*	....	१
गया	३३१	४१	४२	१०	११	३	३	४५	३	५०	३०	*	....	....
शाहाबाद	३३२	७८	७६	२१	८	४	४	५९	२	१५२	११	*	....	....
सारन	१०८	५२	१८	५३	७३	....	९	३	३	५८५	१६	१	८	*
चम्पारन	२०१	२४	५	३६	२०	३	३	५	१	१,७२३	५	....	४५	*
मुजफ्फरपुर	२३६	२७	१८	४९	४	१	३	४०	....	२५३	१	२	४	१
दरभङ्गा	२३४	१०	४	९	२६	१	२	११	१	६९७	५	१	१७	३
मुँगेर	१३५	३३	३१	७	५०	१	३	६	२	१५	१	*	६	१
भागलपुर	११८	५	१७	६	१७	....	१	२	....	५९	४	*	१	*
सहरसा	११५	६	....	५	१०	....	....	२	....	११	३	*	३९०	*
पूर्णिया	२१९	१०	८	१०	२०	१	....	४	....	१२	२०	३	९०६	*
सन्ताल परगना	४६५	२	६	२	३२	....	१३	१६	....	९	१	*	१	....
हजारीबाग	२८०	२	२	२	३०	....	१	१	....	४	२	*	....	...
राँची	३१५	....	४	...	७	....	४	१	..	....	२	*	...	....
पलामू	६२	३	१२५	११	३४	१	८	३	....	९	....	*	...	...
धनबाद	१२२	*	....		१२	....	१	...	....	२	..	*	...	...
सिंहभूमि	२६०	*	....	....	४	....	१	२	१	*	*	*	....	...
कुल जोड़	३,७२४	३१७	३९४	२८२	३७१	२५	४७	२३३	१२	३,६७१	१४२	७	१,३७७	६

बिहार की फसलों के सम्बन्ध में दी गई उपर्युक्त तालिकाओं से ज्ञात होता है कि धान यहाँ की प्रमुख उपज है। राज्य की कुल कृषि-योग्य भूमि के ५.२ प्रतिशत में धान की खेती होती है। धान के अतिरिक्त गेहूँ, मकई, चना, जौ और ज्वार भी उपजाये जाते हैं। यहाँ के ८.६ प्रतिशत क्षेत्र में मकई की फसल होती है। दलहनों में खेसारी सबसे बड़े भू-भाग में पैदा की जाती है।

तेलहन के उत्पादन में भी बिहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खासकर तीसी, सरसों राई, और रेड़ी की यहाँ अच्छी उपज होती है। तीसी और तीसी के तेल के निर्यात में इस राज्य को प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में तेलहन का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

ईख, जूट, तम्बाकू, मिर्च और आलू बिहार की मुख्य फसलें हैं। जिनसे नकद रुपये की प्राप्ति होती है। ईख-उत्पादन में उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार का ही स्थान है। ईख की खेती में करीब ४ लाख व्यक्ति लगे हैं। ईख की उपज मुख्यतया चम्पारन, सारन दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में होती है। दक्षिण-बिहार के भी कुछ हिस्सों में यह उपजाई जाती है। ईख की उपज बढ़ाने तथा इसकी खेती को उन्नत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ईख की अच्छी उपज तथा किस्म के लिए पूसा में एक केन्द्रीय ईख-अनुसन्धान-शाला तथा पटना में एक उप-अनुसन्धान-शाला सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।

अन्य फसलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने लिए पटना, पूसा, सबौर तथा काँके में क्षेत्रीय अनुसन्धान निर्देशकों के अधीन चार अनुसन्धान-संस्थान कार्य कर रहे हैं। अनुसन्धान-कार्य के निर्देशन एवं संचालन के लिए मुख्यालय में एक कृषि-अनुसन्धान-संचालक हैं। सरकार कृषकों को ईख-उत्पादक-सहकारी-समितियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अच्छी खेती और अच्छी ईख की उपज के लिए तथा कृषि के नये ढंग अपनाने के लिए ये सहकारी-समितियाँ बहुत-कुछ कर रही हैं। तम्बाकू और मिर्च की खेती मुख्यतः मुजफ्फरपुर, मुँगेर, पूर्णिया, दरभंगा और पटना जिलों में होती है।

पूर्णिया और सहरसा जिलों में पाट की खेती होती है। १९५५-५६ ई० में बिहार से १,४९,६५८ मन कच्चे और ४३,६४,२४२ मन पक्के पटसन का निर्यात किया गया। १९५५-५६ ई० में ७,२५,६७६ गज पटसन के बोरे एवं कपड़े तैयार हुए। १९५५-५६ ई० में पटसन के अतिरिक्त ३६,८१७ मन सन का निर्यात हुआ।

उन्नत बीज

१९५६-५७ में प्रमुख फसलों के उन्नत बीज तैयार किये गये और २,६३४ मन धान तथा १,६५० मन गेहूँ के उन्नत बीज उत्पादकों के बीच बाँटे गये।

कृषि की उन्नति के लिए सरकार का एक अलग विभाग है। इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी निर्देशक तथा उनके अधीन एक संयुक्त निर्देशक तथा उपनिर्देशक होते हैं। बिहार-राज्य के अन्दर कृषि-सम्बन्धी कई अनुसन्धान-शालाएँ हैं। पूसा की

अनुसन्धान-शाला १९०४ में कायम हुई थी। १९३४ के भूकम्प के बाद इसका अधिकतर महत्त्वपूर्ण भाग उठकर दिल्ली चला गया। फिर, भी इन दिनों यहाँ कई महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान-कार्य हो रहे हैं। कृषि-महाविद्यालय, सबौर में भी कृषि-अनुसन्धान-शाला है। मुजफ्फरपुर के पास मुसहरी नामक स्थान में १९३२ में ऊख-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अनुसन्धान-शाला खोली गई। इसी तरह धान और फलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लिए १९३२-३३ में सबौर में अनुसन्धान-शालाएँ कायम की गईं।

मानभूमि जिले के सिन्द्री नामक स्थान में कृत्रिम खाद के उत्पादन के लिए भारत-सरकार की ओर से एक कारखाना खोला गया है, जो अपने ढंग का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादित बिजली से अन्य औद्योगिक कार्य भी होंगे।

कृषि-सम्बन्धी सरकारी कार्य के लिए सम्पूर्ण बिहार-राज्य चार भागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक भाग में एक मुख्य केन्द्र, एक बड़ा फार्म और कुछ छोटे फार्म हैं। कुछ फार्मों में पशुओं के नस्ल-सुधार के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं। इन फार्मों में उन्नत बीजों, अच्छे ढंग के औजारों, सिंचाई की व्यवस्था और उपयोगी खादों के व्यवहार द्वारा खेती की जाती है तथा उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि-सम्बन्धी ये भाग, उनके केन्द्र एवं बड़े तथा छोटे फार्म निम्नांकित हैं—

	भाग	केन्द्र	बड़े फार्म	छोटे फार्म
१.	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	सेपाया (सारन)	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया और विरौह (चम्पारन)।
२.	पटना	पटना	पटना	विक्रम (शाहाबाद), गया, नवादा और सिरीस (गया)।
३.	भागलपुर	सबौर	सबौर	जमुई, मुँगेर, बाँका
४.	छोटानागपुर	काँके	काँके	पुरुलिया, चाइबासा, नेतरहाट और चियाँकी (पलामू)।

कृषि-विकास के लिए सिंचाई के जितने साधन इस राज्य में लागू किये जा रहे हैं, उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

नहर, आहर, पैन, नाला, नलकूप, कूप, बाँध, बिजली तथा अन्यान्य।

इन साधनों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की उपज की पूरी जानकारी एवं किसानों को कृषि-सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण-आधार-कार्यकर्त्ता (बी० एल्० डब्ल्यू०) तथा तहसीलदार नियुक्त किये गये हैं। समय-समय पर वे कृषि-विनाशी कीड़ों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से फसलों की रक्षा करने के भी कार्य करते हैं। प्रत्येक थाने में एक कृषि-निरीक्षक तथा सबडिवीजनों एवं जिलों में कृषि-पदाधिकारी कृषि-

सुधार एवं कृषि-विकास के लिए सरकार की ओर से नियुक्त हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड की सहायता से कृषि के अतिरिक्त, दूसरे प्रकार के साहाय्य-कार्य भी करते हैं। ग्राम-पंचायतों की स्थापना के बाद पंचायत का मुखिया तथा ग्राम-सेवक इस कार्य में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रभारियों की यथोचित सहायता करते हैं।

सिंचाई

बिहार की खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। किंतु मौनसून की अनिश्चितता एवं वर्षा के न्यूनाधिक्य से यहाँ की मुख्य फसल धान की अच्छी उपज नहीं हो पाती। समान रूप से वर्षा न होने से किसी भाग में सूखा रहता है, तो कहीं बाढ़ आती है। अतः, कृषि की अच्छी उपज के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था अनिवार्य है।

बिहार-राज्य का क्षेत्रफल ४४३ लाख एकड़ है, जिसमें ३८० लाख एकड़ भूमि ही कृषि-योग्य है। अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की कुल कृषि-योग्य भूमि के १२ प्रतिशत भाग में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचाई हो पाती है। इधर सिंचाई के साधन बढ़ाने तथा अधिकाधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारों की ओर से अनेक योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं। सिंचाई के प्रमुख साधन हैं—नहर, कूप, नल-कूप और पंपिंग सेट।

नहरें

सोन-नहर—बृहत् सिंचाई-योजना के अन्तर्गत यह नहर सबसे बड़ी और पुरानी है। यह १८७५ ई० में पूर्णतया तैयार हो गई थी। इसकी लम्बाई १,५८७ मील है, जिसमें ३६२ मील में मुख्य नहर एवं १,२२५ मील में शाखा-नहरें हैं। पहले यह खरीफ की फसलों की सिंचाई की अपेक्षा रब्बी की फसल के लिए अधिक उपयुक्त समझी गई थी; किन्तु अब स्थिति बिलकुल बदल गई है। अब इसका ८५ प्रतिशत व्यवहार खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए ही होता है तथा केवल १५ प्रतिशत रब्बी की फसलों की सिंचाई इससे हो पाती है।

सन् १९५५-५६ में करीब ४३,०६,४८५ रु० नहर-कर से राजस्व के रूप में प्राप्त हुए तथा २६,६६,११६ रुपये नहर-विभाग द्वारा खर्च किये गये।

इस समय सोन-नहर की खुदाई-योजना के अन्तर्गत नहर के नवीकरण में २३,७५० लाख रुपये खर्च होंगे। इस योजना द्वारा १६० लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सोन नहर की वर्त्तमान सिंचन-प्रणाली से इस समय ८५८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त बहे हुए जल से करीब ५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। सोन-नहर-प्रणाली के नवीकरण एवं विस्तार से करीब ५ लाख एकड़ भूमि तथा नहर की सतह ऊँची कर देने से करीब २ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। सोन-

नहर-बराज से विभिन्न उद्योगों के लिए करीब ७००० किलोवाट बिजली ७ महीनों के लिए तथा १४००० किलोवाट बिजली ५ महीनों के लिए निकालने की भी योजना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के सफल होने पर बिहार को अधिकाधिक लाभ हो सकेगा, ऐसी आशा की जा रही है।

त्रिवेणी-नहर--उत्तर-बिहार में केवल यही एक बड़ी नहर-प्रणाली है। इस नहर की खुदाई का काम १९१४ ई० में पूरा हो गया था। यह नहर २४६½ मील लम्बी है। इस नहर में ६१½ मील मुख्य तथा १८५½ मील की वितरक शाखाएँ हैं। इससे चम्पारन की करीब १,१६,००० एकड़ भूमि सींची जात है। २६,७७,००० रुपये के अनुमित व्यय से २८०० एकड़ के एक अतिरिक्त क्षेत्र को लेकर इस नहर की एक विस्तार-योजना अभी हाल पूरी हुई है।

११,२६० लाख रुपये के खर्च के द्वारा मुख्य नहर की ६१½ मील की लम्बाई में ३२ मील अधिक विस्तार करने के लिए एक दूसरी योजना प्रारम्भ की गई है। इससे ६२ हजार एकड़ अतिरिक्त भू-भाग की सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। एक तीसरी योजना के अन्तर्गत त्रिवेणी-नहर-विस्तार-योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें ६.५० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इससे ८ हजार एकड़ भूमि के सिंचन की व्यवस्था होने की सम्भावना है।

तेउर-नहर—इस नहर की मुख्य शाखा अपनी १६ वितरक शाखाओं के साथ केवल ६ मील की लम्बाई में फैली है। इससे चम्पारन जिले की करीब ४००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

त्रिवेणी, ढाका और तेउर नहर से सन् १९५५-५६ में १३,७७,४४० रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए तथा ८,३०,६४५ रुपये व्यय हुए।

सोन और चम्पारन की नहरों से कुल १,०४३ लाख एकड़ भू-क्षेत्र में सिचाई हुई।

सारन की नहरें—नील के पौधों की सिचाई करने के लिए १८७९ ई० में नील-उत्पादकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ८ लाख रुपये की लागत से यह नहर खुदवाई गई थी। अनेक कारणों से यह योजना सफल नहीं हुई और अन्ततोगत्वा १८९८ ई० में इस नहर का काम बन्द कर दिया गया। अभी हाल में ४७४ लाख रुपये के व्यय से १०,९०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए यह पुन: खोदी गई है।

सकरी-नहर—यह नहर सन् १९५० ई० में खोदी गई। ३४ मील लम्बी वितरक शाखाओं के साथ इसकी लम्बाई १२ मील है। इस नहर द्वारा मुँगेर, गया और पटना की करीब ५० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

कमला-नहर--२२.५७ लाख रुपये की लागत से यह नहर कमला नदी से निकाली गई है, जिससे करीब ३८००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

नल-कूप (ट्यूब-वेल)

सन् १९३८-३९ ई० में नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था प्रयोगात्मक रूप में शुरू की गई थी। सिंचाई विभाग ने ९४६ नल-कूप धँसवाये (४५० उत्तर-विहार में और ४९६ दक्षिण-विहार में)। इनके अतिरिक्त ५ आकस्मिक नदी पम्पिङ्ग सेट (जो १६ नल-कूपों के बराबर हैं) की भी व्यवस्था हुई। इन नल कूपों से करीब १.९५ लाख एकड़ भूक्षेत्र सींचा जाता है। उत्तर-विहार के सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों के अतिरिक्त दक्षिण विहार के शाहाबाद, पटना, मुँगेर और गया के भू-भाग भी इस सिंचाई व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में १० सिंचाई-योजनाएँ, ५४ जल के निकास की योजनाएँ और ५३ बाढ़ से सुरक्षा एवं नदी-तटबंध-योजनाएँ उत्तर-विहार में कार्यान्वित की गईं। इन योजनाओं से करीब ११ लाख एकड़ भूमि को फायदा पहुँचा। इनके अतिरिक्त ४५० नलकूप भी उत्तर-विहार में बैठाये गये। दक्षिण-विहार में ३८ सिंचाई-योजनाएँ और १० पानी के निकास की तथा नदी-तटबंध-संबंधी योजनाएँ कार्यान्वित की गईं, जिनसे ३.५ लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा। इसके अतिरिक्त दक्षिण-विहार में ४९६ नलकूप भी धँसाये गये।

छोटानागपुर और संताल परगना में २३ सिंचाई-योजनाएँ एवं २ नदी-तटबंध-योजनाएँ कार्यान्वित की गईं, जिनसे करीब ०.५० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई तथा ०.१४ लाख एकड़ पहाड़ी भू-भाग को कृषि के अंतर्गत लाया गया।

सिंचाई-क्षेत्र—सन् १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं —

(हजार एकड़ में)

	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
सरकारी नहरों द्वारा	१,२६७·००	१,२७६·००	१,३७१·००
सरकारी नल-कूपों एवं आपातकालीन नदी-पम्पिंग-सेट द्वारा	८६·००	९१·००	१७०·००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल योजना के अंतर्गत कोशी-योजना को छोड़कर कुल २,८३० लाख रुपये बृहत् तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं पर खर्च होने का अनुमान था, किंतु पश्चिमी बंगाल में बिहार के कुछ क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त राशि घटकर १९४३५ लाख हो गई तथा उसमें ५ प्रतिशत की कटौती की गई।

१५ बृहत् एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई-योजनाएँ और अन्य लघु सिंचाई-योजनाएँ, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में पूरी नहीं हो सकीं, उनका काम द्वितीय पंचवर्षीय

योजना-काल में जारी रखा गया है और इसके लिए कुल २१,४२४ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

१३ नई सिंचाई-योजनाएँ बृहत् एवं मध्यम और २१ लघु सिंचाई-योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मोटे तौर पर दो प्रकार का है - (१) १६७ हजार एकड़ भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाना तथा (२) ६७६ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की क्षमता उत्पन्न करना, जिसमें ३७२ हजार एकड़ भूमि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में अवश्य सिंचाई के योग्य हो जाय।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के तीन वर्षों में १४२ हजार एकड़ भूमि का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा चुका है और १२६ हजार एकड़ भूमि के सींचे जा सकने की संभावना है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

११२ करोड़ रुपये की अनुमित लागत से तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परीक्षणात्मक तौर पर बृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई-योजनाओं द्वारा २३ लाख एकड़ अतिरिक्त भू-क्षेत्र की सिंचाई की सम्भावना है।

प्राकृतिक विभागों—(१) दक्षिण-बिहार के मैदान, (२) छोटानागपुर के प्लेटो तथा (३) **उत्तर-बिहार** में वर्षा की मात्रा तथा फसलों की विफलता के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है।

दक्षिण बिहार के जल के कुल साधनों से १०.२६ मिलियन एकड़ फीट में ६ ५५ मिलियन एकड़ फीट ही वर्त्तमान समय में सिंचित हो सकते हैं, जिससे कृषि योग्य ६४·७५ लाख एकड़ भूमि का २६·०० लाख एकड़ ही भू-क्षेत्र उपयोगी बनाया जा सकेगा।

एक प्राथमिक योजना

इस योजना द्वारा बिहार की कुल २५३.६० लाख एकड़ कृषि-योग्य भूमि में से १०४ लाख एकड़ भूमि सींचने योग्य बनाई जा सकेगी। इसका बँटवारा बिहार के तीन प्राकृतिक विभागों के अनुसार इस प्रकार रहेगा—

	जल के साधन	कुल कृषि-योग्य भूमि	सिंचाई में लाई जाने-वाली भूमि
उत्तर-बिहार	१ करोड़, ३३ लाख एकड़ फीट (कोशी-गंडक-योजना-सहित)	१०४.६० लाख एकड़	६४ लाख एकड़
दक्षिण-बिहार	६५.५ लाख एकड़ फीट	६४.७५ लाख	२६ लाख एकड़
छोटानागपुर की अधित्यका	१ करोड़, ६७ लाख एकड़ फीट	८४.२० लाख एकड़	१०.१० लाख एकड़

❀

भूदान और ग्रामदान-आन्दोलन

भूदान

विहार में भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का प्रारम्भ इसके प्रणेता संत विनोबा भावे के इस राज्य में पदार्पण के साथ ही हुआ। यद्यपि उनके बिहार-आगमन के पूर्व ही यहाँ भूदान की चर्चा चल रही थी और वातावरण तैयार होने लगा था, तथापि बड़े पैमाने पर भूमि-प्राप्ति का काम सन्त विनोबा भावे के आगमन से ही प्रारम्भ हुआ। विनोबाजी ने १४ सितम्बर, १९५२ को बिहार की सीमा में प्रवेश किया और यह घोषणा की कि वे अपनी पद-यात्रा के सिलसिले में बिहार के भूमिहीन लोगों की भूमिहीनता मिटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि भूमिहीनों की समस्या का समाधान संभव है। इस लक्ष्य की पूर्त्ति के लिए उन्होंने बिहार के छोटे-बड़े सभी भूस्वामियों से उनकी भूमि का छठा हिस्सा देने की अपील की। विनोबाजी के आह्वान पर बिहार के सैकड़ों रचनात्मक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता उनकी संकल्प-सिद्धि के लिए जुट पड़े। बिहार की राजनीतिक संस्थाओं की ओर से श्रीलक्ष्मीनारायण, प्रजापति मिश्र, जयप्रकाश नारायण, गौरीशंकर-शरण सिंह, ध्वजाप्रसाद साहु, वैद्यनाथ चौधरी, श्यामसुन्दर प्रसाद, रामदेव ठाकुर आदि अनेक कर्मठ कार्यकर्त्ताओं एवं नेताओं ने इसमें सक्रिय सहयोग प्रदान किया। राजनीतिक संस्थाओं में काँगरेस तथा प्रजा-समाजवादी दलों ने भूदान-कार्य में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया और तदनुसार उनके सैकड़ों कार्यकर्त्ता भूदान-आन्दोलन के काम में आ जुटे।

विनोबाजी लगभग सत्ताईस महीने तक बिहार में रहे। इस अवधि में उन्होंने बिहार के प्रत्येक जिले की पद-यात्रा की। किसी-किसी जिले में तो दो-चार बार तक उनकी पद-यात्राएँ हुईं। भारत में बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रान्त को उन्होंने इतना समय नहीं दिया। बिहार में भी गया जिले को उन्होंने भूदान यज्ञ का प्रयोग-क्षेत्र बनाया और अन्य जिलों की अपेक्षा इस जिले में अपना अधिक समय लगाया।

विनोबाजी की पद-यात्राओं से बिहार के लोक-मानस में बहुत बड़ा परिवर्त्तन हुआ और लोग यह महसूस करने लगे कि धन और धरती किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति के रूप में स्थायी तौर पर नहीं रह सकते हैं। एक-न-एक दिन इसका समाजीकरण होना अनिवार्य है। इस विचार ने उनके मन में दानवृत्ति जगाई। ३१ मार्च, १९५८ तक भूदान-यज्ञ में कुल मिलाकर २,९८,८८९ दानपत्रों के द्वारा २१,७४,३१३ एकड़ भूमि प्राप्त हुई।

भूमि-प्राप्ति के बाद भूमि के वितरण की समस्या उपस्थित हुई। अनुभव से स्पष्ट हुआ कि भूमि प्राप्ति से उसके वितरण की समस्या कुछ कम जटिल नहीं। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए बोधगया में एक सर्वोदय-सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में यह तय हुआ कि भूमि-प्राप्ति के बजाय भूमि-वितरण में अधिक उत्साह एवं शक्ति से काम लिया जाय। साथ ही, यह भी तय हुआ कि भूदान के अतिरिक्त जो व्यक्ति सम्पत्ति, आभूषण हल, ग्राम आदि का दान करना चाहता है, उससे वह दान भी ग्रहण किया जाय।

विनोबाजी के आदेशानुसार बिहार-भूदान-यज्ञ-समिति की स्थापना की गई, जिसके संयोजक स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण मनोनीत किये गये। इसी समिति के तत्त्वावधान में भूमि-प्राप्ति का काम किया गया। समिति द्वारा राज्य के हर जिले में भूदान-यज्ञ-समितियों का संगठन किया गया, जिनसे इस आन्दोलन को संचालन में बड़ी सहायता पहुँची।

भूदान में प्राप्त जमीन के पुनर्वितरण, दानपत्रों की पुष्टि और इन्हें वैधानिक रूप देने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि राज्य-सरकार कानून द्वारा इस आन्दोलन में प्राप्त हुई भूमि के सम्बन्ध में नियम बनाये। इसी के अनुसार १९५४ ई० में बिहार-भूदान-यज्ञ-अधिनियम, बिहार-विधान-सभा द्वारा पारित किया गया और २० जून, १९५४ ई० को इसपर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। तत्पश्चात् २१ जुलाई, १९५४ ई० को उसे बिहार-राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया।

इस अधिनियम के बन जाने के बाद संत विनोबा भावे के परामर्शानुसार १ नवम्बर, १९५४ ई० को बिहार-भूदान-यज्ञ-समिती की स्थापना हुई, जिसके निम्नलिखित व्यक्ति प्रभारी एवं सदस्य हुए श्रीगौरीशंकरशरण सिंह (अध्यक्ष), डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, स्व० डॉ० अनुग्रहनारायण सिंह, श्रीजयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीवैद्यनाथप्रसाद चौधरी, रामदेव ठाकुर आदि।

बिहार में प्राप्त भूमि के आँकड़े

जिला	भू-प्राप्ति की ग्राम-संख्या	दानपत्र-संख्या	प्राप्त भूमि (एकड़ में)
पटना	१,००८	३,४६४	१,८१२
गया	५,६९९	६५,३००	१,०५,१७९
शाहाबाद	१,७३१	४,५८०	२,०२,७२४
मुजफ्फरपुर	२,५६२	१९,३६३	११,५९७
दरभंगा	३,२८३	४०,२३८	२९,२३५
सारन	१ ७१७	१२,८०५	१,०३,८१५
चम्पारन	१,४७५	७,५०४	६,५३५
भागलपुर	१,४०३	७,७८७	१८ ७४२
पूर्णिया	३,१११	२६,०९३	८८,०५४
मुँगेर	२ २०३	१२,३०५	२७,४४५
सहरसा	१,४२४	२८,५५८	३८,३५५
संताल परगना	२,९७५	१८,०७६	१,९२,१७६
राँची	१,७९६	१३,२२९	१,०२,९८६
हजारीबाग	३,३६०	८,६५१	८,८२,७२७
पलामू	२,७७१	२६,१९४	२,७१,१०७
सिंहभूमि	६०७	१,९२२	१६,६३४
धनबाद	३७५	१०,८४	७,५४२
कुल	३७,५२५	२,९७,१२७	२१,२३,६०२

वितरित भूमि के आँकड़े

जिला	वितरण की ग्राम-संख्या	आदाता-सं०	वितरित भूमि (एकड़ में)
पटना	२६५	५३५	५६८
गया	२,१४६	११,४२६	२०,३१७
शाहाबाद	७१५	५,२६७	३८,२१५
मुजफ्फरपुर	१,४८६	८,६४३	५,३७६
दरभंगा	१,४१४	२०,६२६	१२,६४५
सारन	७१४	४,७२७	४,२८०
चम्पारन	५११	३,५४८	२,५३४
भागलपुर	—	३,७२१	६,१७१
पूर्णिया	६२४	१४,६४५	२५,००८
मुँगेर	८६८	४,०६१	४,६६५
सहरसा	२०६	५,५२४	६,७७१
संताल परगना	१,१११	५,०७८	८,७५४
राँची	१,०१६	६,४४२	१५,३३८
हजारीबाग	१ ७६२	३४,६६०	६१,६१७
पलामू	५६३	५,५६५	१४,४६६
सिंहभूमि	१७१	१,५८१	३,५०७
धनबाद	२६७	१,१५६	१,८५१
कुल	१४,२११	१,३७,८५१	२,६५,६४६

भूदान-यज्ञ को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना के साथ ही कई 'पाइलॉट-प्रोजेक्ट' कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जिनके विभिन्न केन्द्र विभिन्न स्थानों में चल रहे है। भूदान की प्रगति के साथ लोगों में एक नई चेतना जगी और सम्पत्ति का व्यक्तिगत मोह धीरे-धीरे दूर होने लगा एवं दान के अनेक रूप प्रचलित हुए, जिनमें ग्रामदान का बड़ा ही महत्त्व है।

ग्रामदान

आंशिक भू-स्वामित्व के विसर्जन के उपरान्त ऐसा अवसर आया, जब विनोबाजी की प्रेरणा से लोगों ने यह अनुभव किया कि सभी प्रकार के स्वामित्व का पूर्णरूपेण परित्याग कर दिया जाय और वैयक्तिक स्वामित्व का समान वितरण सारे ग्राम-समाज में हो जाय। ग्राम के सब लोग मिलकर अपनी सम्पत्ति का समर्पण सामूहिक हित की भावना से करते हैं। ग्रामदान का अभिप्राय गाँव में बसनेवाले लोगों का एक परिवार बनाना है और इसके लिए उनकी वैयक्तिक भूमि का ग्रामीकरण करना अनिवार्य है। पूर्ण ग्रामदान तो उस गाँव का माना जाता है, जहाँ की आबादी के शत-प्रतिशत परिवारों ने अपनी वैयक्तिक पारिवारिक भूमि के स्वामित्व का शत-प्रतिशत ग्रामीकरण कर दिया है;

किन्तु गाँव के और भू-संपन्न परिवारों के कम-से-कम अस्सी प्रतिशत सदस्य यदि गाँव की जमीन का पचास प्रतिशत भाग ग्रामीकरण के लिए अर्पित करते हैं, तो ऐसे गाँव को भी ग्रामदानी गाँव माना जाता है।

ग्रामदानी भावना में समाज का बहुत बड़ा त्याग छिपा है। इस भावना द्वारा लोगों में सहकारिता के भाव आते हैं। वस्तुओं के प्रति जड़-आकर्षण नहीं रह जाता। इस प्रकार लोग देश, व्यक्ति एवं गाँव के सुधार में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार में ग्रामदान की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन गाँवों में जो निर्माण-कार्य हुए हैं, वे पर्याप्त आशाप्रद और उत्साहवर्द्धक रहे हैं। ग्रामदान के सिलसिले में बिहार में जिन गाँवों की घोषणा अबतक हो सकी है, उनकी संख्या १५२ है। ग्रामदान भारत के अस्सी प्रतिशत गाँवों में बसनेवालों के जीवन और उनके समाज में आमूल परिवर्त्तन करनेवाला एक कार्यक्रम है। ऐसी हालत में जबकि एक तरफ मुट्ठी भर लोग उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके बैठे हों और दूसरी तरफ करोड़ों आदमी जो एँड़ी से चोटी तक का पसीना रात-दिन बहाकर साधनहीन बने हुए हों—ऐसे शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलाने का एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम ग्रामदान आन्दोलन ने पेश किया है। इसके अनुसार गाँव की भूमि पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं रहता, बल्कि वह सारे गाँव-वालों की ही होती है।

इस ग्राम-आन्दोलन का प्रारम्भ उत्तर-प्रदेश के मँगरौठ नामक गाँव से मई, १९५२ में हुआ। बिहार-प्रान्त में सर्वप्रथम ग्रामदान का आरम्भ पलामू जिले के सेन्ह नामक गाँव से ८ अगस्त, १९५३ ई० को हुआ। तब से दिसम्बर, १९५८ तक जो १५२ गाँव प्राप्त हुए, उनका जिलावार विवरण नीचे दी गई तालिका में देखें—

बिहार में प्राप्त १५२ गाँवों का जिलावार विवरण

ग्राम-संख्या	जिला	ग्राम-संख्या	जिला
१०	गया	७	मुँगेर
१	पटना	७२	संताल परगना
२	शाहाबाद	२३	पूर्णिया
६	मुजफ्फरपुर	१	राँची
३	दरभंगा	०	हजारीबाग
४	सारन	१०	पलामू
०	चम्पारन	५	सिंहभूमि
३	भागलपुर	१	धनबाद
१	सहरसा		
		कुल	१५२

❀

खनिज पदार्थ

खनिज पदार्थ के मामले में बिहार भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है। खनिज-उत्पादन के आँकड़ों से जैसा दृष्टिगोचर होता है, वस्तुतः उससे कहीं अधिक खनिज सम्पत्ति इसके भू-गर्भ में भरी-पड़ी है। वर्त्तमान समय में बिहार भारत के कुल खनिज-उत्पादन के ४० प्रतिशत की पूर्त्ति करता है। यहाँ कई ऐसे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, जिनकी बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में इसका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिहार के खनिज पदार्थों का एक बड़ा भाग यहाँ के प्रचुर साधनों के उपयोग एवं विकास के लिए यहीं रह जाता है। यहाँ की खनिज समृद्धि को देखकर यह आशा की जाती है कि भविष्य में बिहार भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन सकेगा।

अबतक राज्य-सरकार के अधीन खान एवं खनिज पदार्थ-संबंधी कार्यों के लिए एक छोटा-सा खान-विभाग है, जिसके प्रमुख प्रधान खान-पदाधिकारी (चीफ माइनिंग ऑफिसर) होते हैं। भारत-सरकार के सन् १६४८ के 'माइन्स एण्ड मिनरल्स' (रेगुलेशन ऐण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट को कार्यान्वित करने के लिए प्रधान खान-पदाधिकारी के पद का निर्माण किया गया। सन् १६४६ ई० में भारत-सरकार द्वारा खनिज-सुविधा-नियम (मिनरल्स कन्सेशन रुल्स) बनाये गये, जिनका उद्देश्य राज्य-सरकारों द्वारा दी जानेवाली लीज एवं अनुज्ञा-पत्र का नियमन करना था। प्रधान खान-पदाधिकारी तथा आठ जिला खान-पदाधिकारियों के प्रमुख कार्य स्वीकृति के प्रमाण-पत्र के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल तथा उनका नवीकरण एवं अनुज्ञा पत्र तथा लीज के आवेदन पत्रों की जाँच-पड़ताल एवं नवीकरण हैं। राजस्व-संग्रह के अतिरिक्त प्रधान खान-पदाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य यह निरीक्षण करना है कि खानों की खुदाई एतत्संबंधी कानूनों, नियमों एवं आदेशों के अनुसार की जा रही है, अथवा नहीं। साथ ही, यह विभाग उन खानों की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है, जिनकी खुदाई राज्य-सरकार द्वारा होती है। यह छोटे-मोटे खनिजों की खुदाई के लिए आदेश-पत्र भी देता है।

केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग एवं भारतीय खान-विभाग द्वारा इस राज्य में भी खनिजों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य किये जाते हैं। किंतु ये कार्य संतोषप्रद नहीं हैं। फिर भी उक्त विभागों द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं ; जैसे—शाहाबाद जिले के अमजोर नामक स्थान में पाइराइट की खान का पता लगाना, बिहार की कोयला-खानों का विस्तृत सर्वेक्षण आदि। सन् १६५६ ई० में राज्य-सरकार ने ५ वर्ष की अवधि के लिए भूगर्भ-शास्त्र का एक पृथक् निदेशालय (डायरेक्टोरेट) खोला है। इसके लिए एक निदेशक, एक उपनिदेशक तथा आठ भूगर्भशास्त्रज्ञों के पद स्वीकृत किये गये। सितम्बर, १६५८ ई० में माइनिंग और जियोलॉजी नामक दो विभाग उक्त निदेशालय में मिला दिये गये। इस निदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण-विभाग को खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है।

खान-विभाग के कार्य

सन् १९५७-५८ में राज्य-सरकार द्वारा दी गई विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के आँकड़ों से, जो निम्नांकित हैं, खान-विभाग के कार्यों का पता लग सकता है—

दिये गये स्वीकृति के प्रमाण-पत्र	८०
स्वीकृति के प्रमाण-पत्रों का नवीकरण	३८०
प्रवृत्त अनुज्ञा-पत्र	१६
दी गई खान-लीज	४७
लागू की गई खान-लीज	१,१०४
बिहार भूमि-सुधार-अधिनियम की धाराएँ ६ और १० के अन्तर्गत पुनस्संगठित खान की लीज	५५३
बिहार भूमि-सुधार-अधिनियम की धारा ६ के अंतर्गत दी गई खान की लीज	४
उन खानों की संख्या, जिनका निरीक्षण किया गया	३४६
उन खान-लीजों की संख्या, जिनका सर्वेक्षण किया गया	४८
सन् १९५७ ५८ में खानों एवं खनिज पदार्थों से आय	रुपये ४,०६५,४३३

भूगर्भ विभाग के कार्य

मार्च, १९५८ से (उपनिदेशक की नियुक्ति के बाद) इस विभाग ने भूगर्भ-अभियंत्रण-संबंधी अन्वेषण के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। जसे, राँची के पास हटिया में बृहत् मशीन-निर्माण-संयंत्र तथा फाउण्ड्री-फोर्ज-संयंत्र की स्थापना के लिए नींव की जाँच; राँची में हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्री के स्थान की जाँच; बिहार के प्राविधिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् की सहायता आदि के संबंध में इस विभाग ने खोज और अध्ययन किया है। इस विभाग ने अनेक लघु अन्वेषण भी किये हैं।

कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ निम्नांकित हैं —

कोयला—यह भारत में सबसे अधिक परिमाण में पाया जानेवाला खनिज पदार्थ है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला-उत्पादन का लगभग ६६ प्रतिशत भाग बिहार ही देता है। इसके बाद क्रम से बंगाल और मध्य-प्रदेश का स्थान है। बिहार में झरिया की खान से ही भारत को करीब ५० प्रतिशत कोयला प्राप्त है। यहाँ का कोयला सबसे अच्छी किस्म का है। यहाँ की खानों में ३३ अरब टन कोयला प्राप्त होने का अनुमान है।

झरिया की खान के बाद बोकारो और करनपुरा कोयला-क्षेत्र तथा रानीगंज कोयला-क्षेत्र के दीशेरगढ़ और संकटोरिया कोयला-क्षेत्र का स्थान है; जो बिहार में है। बोकारो का कोयला-क्षेत्र २२० वर्गमील में है। यहाँ १ अरब टन कोयला पाये जाने का अनुमान है।

उत्तरी और दक्षिणी करनपुरा के कोयला-क्षेत्र का क्षेत्रफल ६२० वर्गमील है। इसका कुछ भाग राँची जिला में और कुछ पलामू जिला में पड़ता है। यहाँ करीब ९ अरब टन कोयला होने का अनुमान किया गया है। अन्य छोटे-छोटे कोयला-क्षेत्र ये हैं---पलामू जिले में (१) डाल्टेनगंज कोयला-क्षेत्र, (२) हुतार कोयला-क्षेत्र और (३) औरंगा कोयला-क्षेत्र; हजारीबाग जिले में (४) गिरिडीह कोयला-क्षेत्र और (५) चोप कोयला-क्षेत्र तथा संताल परगना जिले में (६) जयन्ती कोयला-क्षेत्र, (७) साहोजोरी कोयला-क्षेत्र और (८) कुंडित कुरमियाह कोयला-क्षेत्र।

लोहा—इस कल-कारखाने के युग में लोहा का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत के कुल लोहा का आधा से अधिक उत्पादन बिहार में ही होता है। यहाँ का लोहा बहुत अच्छी किस्म का है। सिंहभूमि जिले के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा पाया जाता है। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के काम में लाये जानेवाले लोहे का अधिकांश भाग नोआमुंडी, गुआ और चीना नामक स्थानों से प्राप्त होता है। सिंहभूमि जिले के बरबार, सारन्द (कोलहान), बड़ाबुरु, नोटू बुरु, पनसिरा बुरु आदि स्थानों में भी लोहा मिलता है। लोहे का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़कर उड़ीसा के मयूरगंज, क्योंझर और बोनाय जिलों में चला गया है। बिहार में ९ अरब टन कच्चा लोहा पाये जाने का अनुमान है। राँची, पलामू, हजारीबाग, सन्ताल परगना तथा दक्षिणी भागलपुर में भी लोहे की छोटी-छोटी खानें हैं।

ताँबा—भारत के कुल उत्पादन का अधिकांश ताँबा (ताम्र, तामा) मुख्यतः बिहार में ही पाया जाता है। यहाँ पुराने जमाने में बहुतायत से ताँबा निकाला जाता था, जिसके चिह्न छोटानागपुर में जहाँ-तहाँ अब भी देखने में आते हैं। इस समय सबसे अधिक ताँबा सिंहभूमि जिले में पाया है, जहाँ इसकी खान ८० मील तक फैली हुई है। राधा, मोसाबोनी, धोबानी और बदिया में ताँबा की खानें हैं। मोसाबोनी से ६ मील दूर घाटशिला के पास मौभंडार नामक स्थान में ताँबा गलाने और शुद्ध करने का कारखाना है। खान से ताँबा आकाशी रस्सा-मार्ग द्वारा कारखाने तक पहुँचाया जाता है। ताँबे में जस्ता मिलाकार पीतल बनाया जाता है। १९५१ ई० में १ करोड़, ९४ लाख रुपये का ३.७ लाख टन कच्चा ताँबा निकाला गया। उस वर्ष देश की आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए २ करोड़, ६० लाख रुपये का ताँबे का विदेशों से आयात किया गया। हजारीबाग जिले के बरगुंडा, और गुलगी नामक स्थान में संताल परगने के बैरकी और बौद्धबाँध में तथा पलामू जिले के कुछ भागों में भी ताँबे की खानें हैं।

अबरख—अबरख के लिए बिहार भारत में ही नहीं, सारे संसार में प्रसिद्ध है। संसार के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत अबरख भारत पैदा करता है, जिसके कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग बिहार देता है। इस प्रकार संसार के कुल उत्पादन का ५२.५ प्रतिशत भाग अबरख बिहार उत्पन्न करता है। बिहार में अबरख की खानें ६० मील लम्बे और २० मील चौड़े भू-भाग में फैली हुई है। ये खानें गया जिले से हजारीबाग होती हुई मुँगेर और भागलपुर जिले तक चली गई हैं। हजारीबाग जिले में अबरख सबसे अच्छी किस्म का है। यहाँ का अधिकांश अबरख अमेरिका और इङ्गलैंड भेजा जाता है। अबरख की खानों से पिच ब्लैंड नामक धातु निकाली जाती है, जिससे रेडियम तैयार किया जाता है। बिजली के यन्त्र, ग्रामोफोन के साउण्ड-बक्स, लालटेन के शीशे, आइने, एक प्रकार का चमकीला कागज आदि अबरख से तैयार होते हैं। झुमरी-तिलैया के पास माइका ऐण्ड माकेनाइट फैक्टरी' नामक एक कारखाना है; जहाँ प्रतिवर्ष तीन सौ टन अबरख के सामान तैयार होते हैं।

बॉक्साइट—यह राँची जिले के पकरीप और सेरेनडाग तथा पलामू जिले के नेतरहाट नामक स्थानों में पाया जाता हैं। इसमें अल्युमिनियम नामक पदार्थ तैयार होता है। भारत में उच्च कोटि के बॉक्साइट की खानों में ढाई करोड़ टन बॉक्साइट पाये जाने का अनुमान है, जिसमें ६० लाख टन बिहार में है। भारत में बॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाने के दो कारखाने है—इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी लि० और अल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। इन कारखानों को बिहार की खानों से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। ये कारखाने प्रति वर्ष ३-४ हजार टन अल्युमिनिया तैयार करते हैं। बिहार की खानों में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाये जाने के कारण इसके उद्योग-धंधे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

चूना-पत्थर—चूना-पत्थर शाहाबाद, पलामू, हजारीबाग राँची और सिंहभूमि जिलों में पाया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। शाहाबाद जिले में रोहतास अधित्यका की दक्षिणी ढाल पर करीब ४० मील की लम्बाई में इसकी खानें फैली हैं। बंजारी, रोहतास और बौलिया के पास चूना-पत्थर का काम होता है, जहाँ कल्याणपुर लाइम सीमेंट कम्पनी, सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट-कम्पनी और डालमिया सीमेंट-कम्पनी पोर्टलैंड सिमेंट तैयार करती हैं। इन स्थानों से पश्चिम अपेक्षाकृत चूना-पत्थर अधिक पाये जाते हैं; परन्तु यातायात की असुविधा के कारण निकालने का काम नहीं हुआ है। सिंहभूमि की खान से उत्पादित चूना-पत्थर से झिकपानी की सीमेंट-फैक्टरी का काम चलता है। अन्य स्थानों की खानें अपेक्षाकृत छोटी हैं।

चीनी मिट्टी—चीनी मिट्टी मुख्यतः सिंहभूमि, भागलपुर और संताल परगने जिलों में पायी जाती है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिट्टी बिहार ही पैदा करता है। १९५१ ई० में बिहार के अन्दर ११.५६ लाख रुपये की चीनी मिट्टी निकाली गई थी, जो समस्त भारत के उत्पादन का ७३ प्रतिशत थी। चीनी मिट्टी से तरह-तरह के बरतन बनाये जाते हैं। कागज और कपड़े की मिलों में भी इसका उपयोग होता है; पर कपड़े की

मिलें अधिकतर विदेशों से चीनी मिट्टी मँगाती हैं; क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं होती।

ईंट की मिट्टी—झरिया, डाल्टेनगंज, मुँगेर, संताल परगना और सिंहभूमि जिलों में एक विशेष प्रकार की ईंट की मिट्टी पाई जाती है। इससे पहले दरजे की बहुत अच्छी ईंटे बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग पुल वगैरह बनाने के काम में होता है।

मैंगनीज—यह लोहे की जाति की एक धातु है, जिसका उपयोग बढ़िया इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ तैयार करने में होता है। सिंहभूमि जिले में उत्तम कोटि के मैंगनीज की खानें हैं।

क्रोमाइट—लोहे के उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसे लोहे में मिला देने से जंग नहीं लगता। रासायनिक पदार्थ बनाने के काम में भी इसका व्यवहार होता है। यह चाइबासा के कोलहान स्टेट के पोरु बुरु और किमसी बुरु नामक स्थानों में मिलता है। भारत के कुल क्रोमाइट का २४ प्रतिशत भाग बिहार से प्राप्त होता है।

ग्रेफाइट—इस धातु का उपयोग पेन्सिल का लेड और पेण्ट आदि तैयार करने में होता है। यह डालटेनगंज, मुँगेर जिले के बाघमारी तथा छोटानागपुर के अन्य कई स्थानो में पाया जाता है।

केनाइट—यह खनिज ताँबा की खानों से ही प्राप्त होता है। सिंहभूमि जिले के लप्सा बुरु, घागडीह और कन्यालुक नामक स्थानों में विशेष रूप से मिलता है। लप्सा बुरु की खान दुनिया की सबसे बड़ी खान है। बिहार में भारत के कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत केनाइट मिलता है। इसका अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात होता है। इसका उपयोग धातु, सीसा, रसायन और विद्युत्-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों में होता है।

स्टीटाइट या सोपस्टोन—यह छोटानागपुर के अनेक स्थानों में, विशेषकर सिंहभूमि जिले के बेलै पहाड़ी, दीघा, भीतरदारी और नुरदा नामक स्थानों में अधिक मिलता है। इससे खल्ली बनाई जाती है। यह शीशा और चमड़े को चिकना करने के काम में इसका उपयोग होता है। पेण्ट, कागज, कपड़ा, बर्नर, स्टोव आदि के कारखाने में भी इसका व्यवहार किया जाता है।

एपेटाइट—यह मुख्यतः सिंहभूमि जिले के नन्दुप पथरगारा, बदिया और सुनरगी नामक स्थानों में ताँबा की खानों के पास पाया जाता है। यह साधारणत: कृत्रिम खाद तथा लोहा तैयार करने के काम में व्यवहृत होता है।

पीराइट—गंधक तैयार करने के काम में इसका उपयोग होता है। शाहाबाद जिले में इसकी खानें हैं। अनुमान है कि इस जिले के आमजोर नामक स्थान में ७५ हजार टन पीराइट संचित है।

मैगनेसाइट—इस धातु का उपयोग मैगनेशिया नामक औषध तैयार करने में होता है। यह सिंहभूमि जिले के कोलहान स्टेट में पाया जाता है।

अण्टीमनी—यह सीसा के साथ हजारीबाग जिले के हिसातू नामक स्थान में मिलता है। इसकी कच्ची धातु से १२·२ प्रतिशत शुद्ध धातु तैयार होती है।

एसबेस्टस—यह सिंहभूमि जिले के बरवाना और सरंगपोसी नामक स्थानों में तथा मुँगेर जिले में पाया जाता है। सरंगपोसी एसबेस्टस की सरकारी खान है।

यूरेनियम—यह एक ऐसी धातु है, जिसका उपयोग अणु-शक्ति-उत्पादन में होता है। गया, मुँगेर, राँची और हजारीबाग में यह मिलता है।

टुंग्सटेन—यह सिंहभूमि जिले में जमशेदपुर के पास मिलता है। बिजली-लैंप, टेलिग्राफ, रेडियो के औजार, ग्रामोफोन की सूई आदि बनाने में इसका उपयोग होता है।

टिन—हजारीबाग जिले के सिपरीतारी, पिपिहिरा, डोमचाँच, चप्पाटाँड़ और तुरगो नामक स्थानों में इसकी खानें हैं। यह राँगे की जाति की एक धातु है और इसमें जंग नहीं लगता।

जस्ता—संताल परगना और हजारीबाग जिले में इसकी खानें हैं। यह बरतन आदि बनाने के काम में आता है।

सोना—यह राँची, मानभूमि और सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। गरहा, शंख, दक्षिण कोयल, संजय, सोन और सुवर्णरेखा नदियों की बालू के कण से भी सोना निकाला जाता है। लेकिन, दिन-भर के परिश्रम के अनुपात में इससे विशेष लाभ नहीं होता। सन् १९३५-३६ में यहाँ कुल ३३ औंस सोना निकाला गया था।

स्लेट और अन्य पत्थर—मुँगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ी के मारूक, सुखाल, गढ़िया, टिकाई, अमरसनी और सीताकोबर नामक स्थानों में छत और लिखने के स्लेट मिलते हैं। सिंहभूमि में भी स्लेट पाया जाता है। शाहाबाद, गया, मुँगेर और छोटा-नागपुर के पहाड़ों में चक्की तथा मकान बनाने के काम में आनेवाले पत्थर मिलते हैं। गया, धनबाद और सिंहभूमि जिले के विभिन्न स्थानों में पत्थर की मूर्त्तियाँ, खिलौने और बरतन बनाने के उद्योग होते हैं।

शीशा या काँच की बालू—शीशा या काँच बनाने के लिए संतालपरगना के विभिन्न स्थानों में कई तरह की बालू मिलती है। काँच की कुछ अच्छी चीजें भी बनती हैं।

कसीस—कसीस शाहाबाद जिले में मिलता है।

गेरू—यह लाल और पीले रंग का एक तरह का पत्थर है, जो रंग एवं दवा के काम में आता है। यह शाहाबाद, मुँगेर और छोटानागपुर कमिश्नरी के जिलों में मिलता है।

गंधक—यह सिंहभूमि जिले में पाई जाती है।

कीमती पत्थर—मुँगेर तथा छोटानागपुर के पहाड़ों में विभिन्न रंगों के कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें बेरिल, गारनेट, काइनाइट, इगनस आदि मुख्य हैं।

लीथोग्राफ का पत्थर—शाहाबाद जिले के रोहतासगढ़ नामक स्थान में लीथोग्राफ के पत्थर मिलते हैं।

अन्य खनिज पदार्थ—उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के खनिज यहाँ पाये जाते है, जिनका उपयोग दवा, रसायन बनाने आदि के भिन्न-भिन्न कामों में होता है; जैसे—कोरंडम, मोलिबडेनम, आर्सेनिक (संखिया विष), विसमुथ, फास्फेट, सिलिका, वेराटोमाइट, कोलम्बाइट, लेटेराइट, लेपेडाइट आदि।

खनिज जल—झरनों से निकलनेवाले जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिले रहते हैं। अतः, यह अनेक रोगों की दवा के रूप में काम में आते हैं। ऐसे खनिज जल बिहार के अनेक स्थानों में मिलते हैं, पर इनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। सिर्फ कुछ कुंडों से दो-एक कम्पनियाँ खारा और मीठा पानी तैयार करती हैं। ऐसे झरनों में मुख्य हैं—पटना जिले के राजगृह के झरने; मुँगेर जिले के सीताकुंड, पंचभूर, शृंगरिख, ऋषिकुंड, रामेश्वर-कुंड, भुरका, जन्मकुंड और भीम बाँध के झरने; हजारीबाग जिले के लुरगुरथा, पिंडारकुंड, दोआरी, सूर्यकुंड, बेलकप्पी और केसोडी के झरने तथा संताल परगना के भुमका, तुनबिल, सुसुमपानी, तापतपानी, ततलोई, झरियापानी, बरमसिया, लौलोदह के झरने आदि।

सन् १९५६ ई० में बिहार के मुख्य खनिज पदार्थों का उत्पादन और १९५४ में यहाँ की विभिन्न खानों में प्रतिदिन काम करनेवाले मजदूरों की औसत संख्या नीचे दी जा रही है—

खनिज पदार्थ	उत्पत्ति (१९५६ ई०)	मजदूरों की औसत संख्या (१९५४ ई०)
कोयला	१,९२,६५,४६६ टन	१,७७,१९२
लोहा	१८,१८,२४३ ,,	१५,११६
मैंगनीज	३६,७१० ,,	६०६
अबरख	५,६७५ ,,	१६,१०२
केनाइट	३,५०५ ,,	१,६४२
एस्बेस्टस	६८१ हंडरवेट	१०८
ताँबा	३,७६,५४१ टन	४,०३६
बौक्साइट	५०,४७४ ,,	४९१
ग्रेफाइट	६८१ ,,	×
क्रोमाइट	४,०५६ ,,	२४६
स्टीटाइट	५२,६८० हंडरवेट	३२२
स्लेट	———	२२
चूना का पत्थर	१५,७२,४४३ टन	६,१८२
इगनस पत्थर	३,०७,१३२ ,,	२,८७५

खनिज पदार्थ	उत्पत्ति (१९५६ ई०)	मजदूरों की औसत संख्या (१९५४ ई०)
चीनी मिट्टी	३४,६६० टन	२,२४५
ईंट की मिट्टी	४४,२०२ ,,	२६५
सिलिका	११,६६२ ,,	११८
सोपस्टोन	२६६ ,,	×
बेरिल	६८६ ,,	×
बेण्टोमाइट	५०३ ,,	×
चूना	५,३०६ ,,	×
केसेटेराइट (टिन)	२५ ,,	×
प्रस्तर धातु	११,१३२ ,,	×
कोलम्बाइट	६ ,,	×
लेपेडाइट	१० ,,	×
लेटेराइट	७,७१३ ,,	×
लाल गेरू	१३८ ,,	×
पीला गेरू	४३ ,,	×

बिहार के विभिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन

खनिज-पदार्थ	१९५६	१९५७	१९५८
कोयला	१६,१६५,४६८·६०	२१,१०५,०००	२२,१३४,०००
कच्चा लोहा	१,८१८ २४३·२५	१,६३५,०००	२,२६२,०००
अबरख	५,६७५·१०	३,४६,०००	१६,८६०
मैंगनीज	३६,७१०	३६,०००	२२,०००
कीनाइट	३,५०५	२३,४६१	२६,०१४
एस्बेस्टस	६८१	६२०	२२५
कच्चा ताँबा	३७६,५४१	४०४,०००	४११,४७१
क्रोमाइट	४,०५६	३,०५२	३,८७६
स्टीटाइट	५२,६८०	२,१३५	१,६३६
स्लेट	—	—	—
चूना-पत्थर	१५,७२,४४३·२१	१,४६६,०००	१,८०५,०००
आग्नेय चट्टान	३०७,१३२	—	—
चीनी मिट्टी	३४,६६० २	६४,३७७	६६,५३०
फायर क्ले	४४,२०२	५१,४२७	७४,८८०
सिलिका	११,६६२	—	—
बॉक्साइट	५०,४७४	६२,८०४	७७,४४८
ग्रेफाइट	६८,१०६	—	—

खनिज-पदार्थ	१९५६	१९५७	१९५८
सोप-स्टोन	२६६		
बेरिल	६८६.४५		
वेएटोमाइट	५०३		
सड़क का पत्थर	४,४१५.२१		
क्लम्बाइट	८.७७		
लेपेडाइट	१०.१८		
लेटेराइट	७,७१३		
लाल मिट्टी	१३८		
पीली मिट्टी	४३		
चूना	५,३०६		
टीन	२४.५०		
प्रस्तर-धातुएँ	१३,१३२		
एपेराइट		६,१७८	१४,८०६

❀

उद्योग-धंधे

विहार कृषि-प्रधान राज्य है। सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार यहाँ के ८,६०४ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। शेष लोग कृषि-भिन्न या अन्य उत्पादन-कार्यों में लगे हैं। उद्योग-धन्धों के विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी प्रचुरता रहने पर भी इस राज्य में उद्योग-धंधों का उतना विकास नहीं हो सका, जितना होना चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्न होने लगे। सन् १९३६ में विहार में जहाँ निर्बंधित फैक्टरियों की संख्या ३३७ थी, वहाँ १९५४ में ४,१७७ हो गई। इस संख्या-वृद्धि का कारण बहुत बड़ी संख्या में कारखानों का बढ़ना तो था ही, साथ ही एक यह भी कारण हुआ कि नये फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार बहुत-सी साधारण फैक्टरियों को भी निबंधित अपने को कराना पड़ा था।

इन दिनों बृहत् एवं मध्यम पैमाने के उद्योग-धंधों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। राँची के पास हटिया नामक स्थान में भारत-सरकार की हेवी मशीनरी एवं फाउण्ड्री-फोर्ज योजना के लिए मानचित्र बनाने, भू-गर्भ-संबंधी जाँच करने और अभियांत्रिक सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं। विहार की औद्योगिक संभावनाओं के संबंध में प्राविधिक और आर्थिक सर्वेक्षण-कार्य भी हो रहा है।

राज्य-सुपरफास्फेट-कारखाना

सिन्द्री का राज्य-सुपरफास्फेट कारखाना सन् १९५७-५८ में ही तैयार हो गया था और अब वहाँ उत्पादन-कार्य भी होने लगा है। सुपरफास्फेट के लिए विस्तृत बाजार की व्यवस्था हो जाने पर उक्त कारखाने के विस्तार का कार्य प्रारंभ होगा।

हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्टरी

राँची में इस फैक्टरी की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष २४०० टन उच्च कोटि का इन्सुलेटर पैदा करनेवाली फैक्टरी बनाने के लिए संसार के विभिन्न भागों से टेण्डर मँगाये गये। इनमें स्कोडा (इंडिया) प्राइवेट लि० का जेकोस्लोवाकिया से मशीनरी तथा अन्य सामान मँगाने का टेण्डर राज्य-सरकार की ओर से स्वीकार किया गया है। इसके लिए कच्चे मालों की खोज का भी काम पूर्ण हो गया है।

छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योग

निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है—

१. कम पूँजी की लागत से नई नियुक्तियों द्वारा बेकारी को कम करने का प्रयास।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के कृषि से बचे हुए समय को उपयोग में लाना।

३. नष्ट होते शिल्पों और ग्रामीण उद्योग-धंधों को जिलाना और उन्हें मजबूत करना।

४. उद्योग-धंधों का अधिकतर विकेन्द्रीकरण और ग्रामीकरण।

५. स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले करीगरों को उन्नति करने का अवसर प्रदान करना।

६. तुलनात्मक दृष्टि से कम पूँजी की लागत से योजनान्तर्गत हुई आय के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन।

द्वितीय योजना में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए जो खर्च रखा गया है, वह आगे की तालिका में दिया जा रहा है। उस विवरण को देखने से पता चलेगा कि राज्य के उद्योगों में लगे १२ करोड़ २३ लाख रुपये में से ६ करोड़ ६१ लाख रुपये कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए दिये गये हैं।

हाथ-करघा-उद्योग

बिहार में हाथ-करघा-उद्योग सबसे सुसंगठित उद्योग है। इसमें करीब दो लाख करघे हैं, जिनपर १० लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस उद्योग पर आश्रित दो लाख परिवारों में १ लाख ३० हजार परिवार ६८६ बुनकर-सहकारी समितियों के अन्दर आ गये हैं। सन् १६५७-५८ में इन समितियों द्वारा ५ करोड़ गज से भी अधिक कपड़े तैयार किये गये। इस उद्योग-धंधे की पूँजी कपड़े की मिलों पर लगे अतिरिक्त कर से और रिजर्व बैंक से मिलती है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष २५-३० लाख रुपये अनुदान-स्वरूप मिलते हैं। सूती कपड़े के हाथ-करघा-उद्योग के विकास के लिए १ करोड़ ४२ लाख तथा रेशमी एवं ऊनी कपड़े के करघों पर २० लाख रुपये लगाये गये हैं। आदिवासी बुनकरों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। सारे राज्य में इस समय इस उद्योग द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिए १०० बिक्री-केन्द्र खोले गये हैं। बुनकर-सहयोग-समितियों को सूत देने के लिए चार प्रधान बिक्री-केन्द्र हैं।

प्रान्त के बाहर एजेएटों एवं सहकारी दूकानों द्वारा हाथ-करघे के कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था होती है। कलकत्ता और गोहाटी में इसके अपने इम्पोरियम हैं। गया, राँची, भागलपुर और सिवान (सारन) में छोटे-छोटे रँगाई-घर हैं। विहारशरीफ और लहेरियासराय में मशीनों द्वारा रँगाई एवं सजावट के काम की व्यवस्था हो रही है।

विद्युत्-करघे

इधर हाथ-करघा-बुनकरों को प्रयोगात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए विद्युत्-करघे दिये जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५०० विद्युत्-करघे चालू करने का विचार है। इनमें से ३०० विद्युत्-करघे बिहारशरीफ और मानपुर (गया) के बुनकरों को दिये जा चुके हैं। १९५९-६० के आर्थिक वर्ष में इरवा (राँची), चम्पानगर (भागलपुर), महाराजगंज (सारन), चाकिया (मोतिहारी), तिलौथू (शाहाबाद) और लहेरिया-सराय में ६०० विद्युत्-करघे स्थापित किये जायेंगे। एक हाथ-करघे से जहाँ ६ – ८ गज कपड़े बुने जाते हैं, वहाँ विद्युत् करघे से ३०–४० गज कपड़े बुने जायेंगे। इन विद्युत्-करघों के कामों में सहायता पहुँचाने के लिए प्रत्येक ३०० विद्युत्-करघों के समूह पर मशीन-युक्त एक विशेष संयंत्र रहेगा। ऐसा एक संयंत्र बिहारशरीफ में खड़ा किया जा रहा है।

तसर-कीट-पालन-उद्योग

भारत के तसर-उद्योग में बिहार सबसे आगे है। छोटानागपुर और संताल परगने के आदिवासी तसर के कीड़े पालते और उनके कोओं की बिक्री से अपनी जीविका चलाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए एक तो नीरोग अंडों को तैयार करना है और दूसरे, खरीद-बिक्री के बाजारों का निर्माण करना। पहले कार्य के लिए पहले से ३ केन्द्र और २ उपकेन्द्र चल रहे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ नये केन्द्र और १५ उपकेन्द्र कायम करने हैं। अबतक आदिवासी लोग अपने कोए बुनकरों के हाथ नहीं बेचकर बीच के खरीदारों के हाथ बेचा करते थे, जिससे उचित मूल्य पर कोओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन बीच के खरीद-बिक्री करनेवालों को हटाकर सरकार सिंहभूमि एवं संताल परगना जिलों में खरीद-बिक्री की व्यवस्था करने जा रही है।

अण्डी-कीट-पालन-उद्योग

बिहार में अण्डी अर्थात् रेंड़ी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अण्डी नामक रेशम का सूत इसी के पौधों पर पाले गये रेशम के कीड़ों से तैयार होता है। इसलिए अण्डी की खेती करनेवाले किसानों को अतिरिक्त काम देने के लिए यहाँ इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। राँची और बेगूसराय में अण्डी रेशम के कीड़े पालने के केन्द्र खोले गये हैं। लोगों को जगह-जगह जाकर इस संबंध में शिक्षा देने के लिए २० प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

रेशम की बुनाई

भागलपुर रेशमी कपड़े की बुनाई का प्रधान केन्द्र है। संयुक्त-राज्य अमेरिका से तसर के कपड़ों के आने से यहाँ के व्यवसाय को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसीलिए

सरकार ने विदेशी माल का आना बन्द कर दिया। उसके बाद से इस उद्योग में फिर जान आई है और केवल भागलपुर से ही प्रतिमास एक लाख रुपये से अधिक का माल बाहर भेजा जाने लगा है। भागलपुर में इसके लिए एक बड़ी मिल की स्थापना का भी निश्चय हो चुका है। किंतु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण यह काम अबतक पूरा नहीं हो सका है।

औद्योगिक अग्र-योजनाएँ

कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए तत्काल बिहारशरीफ (पटना), राँची और पूसा (दरभंगा) में औद्योगिक अग्र-योजना के एक-एक केन्द्र खोले गये हैं। बिहारशरीफ का केन्द्र जुलाई, १९५६ में तथा पूसा और राँची के केन्द्र मार्च, १९५७ में खोले गये। दिसम्बर, १९५८ तक बिहारशरीफ के केन्द्र को ५,७७,५०४ रुपये से सहायता की गई, वहाँ ८८ निबंधित समितियाँ कायम हुईं, २,८२६ व्यक्ति काम में नियुक्त किये गये और १,३९,५२,११७ रुपये के माल का उत्पादन हुआ। पूसा-केन्द्र को ४,०५,९३५ रुपये की सहायता दी गई, वहाँ ११७ निबंधित समितियाँ कायम हुईं, ८५२ व्यक्ति नियुक्त हुए और ७,२६,१५४ रुपये के माल का उत्पादन हुआ। राँची-केन्द्र को २,६३,६६२ रुपये की सहायता दी गई, वहाँ ७६ निबंधित समितियाँ कायम हुईं, २,९४३ व्यक्ति नियुक्त हुए और २,६६,२२२ रुपये के माल का उत्पादन हुआ।

विभागीय बिक्री-केन्द्र

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के कार्य में उन्नत औजारों, आवश्यक साधनों एवं दुर्लभ कच्चे मालों के अभाव में क्षति पहुँचती रही है। इसलिए इन सामानों को उपयुक्त स्थानों से खरीदकर उपयुंक्त तीन केन्द्रों—बिहारशरीफ, पूसा और राँची—में बिक्री के लिए रखा गया है। इन केन्द्रों में क्रमशः १,२०,५१८; ४९,६७६ तथा ७८,२५६ रुपये के मूल्य के सामान बिके हैं।

औद्योगिक प्रक्षेत्र

बिहार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहाँ चार औद्योगिक प्रक्षेत्र कायम करने के लिए ६० लाख रुपये लगाने का प्रबन्ध किया गया है। पटना में एक बड़ा औद्योगिक प्रक्षेत्र रहेगा तथा बिहारशरीफ, दरभंगा और राँची में छोटे-छोटे औद्योगिक केन्द्र रहेंगे। राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र का काम चालू कर दिया गया है। शेष तीन औद्योगिक प्रक्षेत्रों का काम भी आरम्भ हो चुका है। समझा जाता है कि विभिन्न उद्योग-प्रक्षेत्रों में उद्योग-धन्धों के वर्गीकरण से सरकारी सहायता लेने-देने में सुविधा होगी।

दस्तकारी के काम

विभिन्न दस्तकारियों के विकास के लिए १५ योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—खिलौना-विकास-केन्द्र, राँची; कैलिको छपाई-केन्द्र, पटना सिटी; शीशा-चूड़ी-केन्द्र, मोतिहारी; सींक या सिक्की के सामान का केन्द्र, दरभंगा; वार्निश के सामान का केन्द्र, पटना; गुड़िया-केन्द्र, पटना और बाँस-केन्द्र, पटना; कागज की लुगदी की बनी

चीजें, मिट्टी के चित्रित बरतन, लकड़ी की नक्काशी और पच्चीकारी आदि के भी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

केन्द्रीय बहु-शिल्प-केन्द्र

पटना के कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट का नाम अब बदलकर पटना पोलिटेकनिक (पटना बहु-शिल्प-केन्द्र) कर दिया गया है। इसके पुनस्संगठन का काम १६५६-५७ से चालू है। यह संस्था विभिन्न औद्योगिक विषयों पर छात्रों को प्रशिक्षण देकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देती है। कपड़े की बुनाई और धातु एवं मिट्टी के सामान बनाने के प्रशिक्षण पर डिप्लोमा दिया जाता है। बुनाई, रँगाई, छपाई, चमड़े का काम, दरी बनाने का काम, लकड़ी का काम, साबुन, बूट-पॉलिश, मोमबत्ती, खिलौना, गंजी, मोजा आदि बनाने के काम, बेंत और बाँस का काम, लोहारी का काम, लोहा-खराद का काम, जोड़ाई का काम, मिट्टी का काम आदि विषयों पर सर्टिफिकेट देने का प्रबन्ध है। १६५७-५८ में इन विषयों की विभिन्न परीक्षाओं में ३८६ छात्र बैठे थे।

महिला औद्योगिक विद्यालय

राँची और मुँगेर के महिला औद्योगिक विद्यालय स्थायी बना दिये गये हैं और यहाँ प्रशिक्षण पानेवाली महिलाओं की संख्या ३० से ६० कर दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार और विद्यालय खोले जायेंगे। उनमें तीन विद्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में खोले जा चुके। प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण के लिए ६० महिलाएँ ली जायेंगी। इन विद्यालयों में सिलाई, गंजी, मोजा आदि की बुनाई, कशीदा का काम, चमड़े का काम, बेंत और बाँस के काम आदि सिखाये जाते हैं।

सहायता-प्राप्त शिल्पकला-संस्थान

बिहार में अराजकीय शिल्पकला-संस्थान ३० से बढ़ाकर ४२ कर दिये गये हैं और इनमें कुल डेढ़ लाख रुपये से अधिक वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं। इस कार्य के लिए एक परामर्शदात्री समिति बना दी गई है।

प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न ग्रामीण उद्योग-धन्धों के विकास के लिए ३०० प्रशिक्षण एवं उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामों के विभिन्न उद्योग-धंधों के कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाना और जहाँ ये कारीगर नहीं हैं, वहाँ इन्हें तैयार करना है। १६५७-५८ में इन केन्द्रों की संख्या २६६ थी, जिनका ब्यौरा विभिन्न उद्योग-धन्धों के अनुसार इस प्रकार है—

क्रम-सं०	नाम		इकाई संख्या
१.	सिलाई और कटाई	...	३६
२.	शीशा की चूड़ियों का उत्पादन	....	२
३.	गंजी, मोजा आदि की बुनाई और कपड़ों की कशीदाकारी	....	३४
४.	दरी की बुनाई	....	३४

क्रम-सं०	नाम		इकाई-संख्या
५.	हाथ-करघे के कपड़े की बुनाई	...	२१
६.	कैलिको-छपाई	....	१०
७.	लोहारी और टीन का काम	...	२६
८.	तीसी के रेशे से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन	....	५
६.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	....	५
१०.	ऊनी गंजी और लोई की बुनाई	...	७
११.	बढ़ईगिरी	....	२२
१२.	रस्सी	....	६
१३.	बेंत और बाँस के सामान	....	१०
१४.	साबुन और विसंक्रामक पदार्थों का उत्पादन	....	१६
१५	रेशम की बुनाई	....	१०
१६.	कागज की लुगदी बनाने का काम	....	१
१७.	चमड़े के सामानों का निर्माण	....	६
१८.	चर्म-शोधन का काम	....	६
१६.	ताड़-गुड़ बनाने का काम	....	३
२०.	खजूर के पत्ते से निर्मित वस्तुएँ	...	१
२१.	मधुमक्खी-पालन	...	१३
२२.	धातु के चद्दर बनाने का काम	...	२
२३.	दरी की बुनाई	....	२
२४.	तसर के सूत की कताई और बुनाई	...	१
२५.	खिलौना बनाने का काम	...	२
२६.	मिट्टी के बरतन बनाने का काम	....	१२
२७.	पीतल के समान बनाने का काम	...	१
२८.	पत्थर के सामान बनाने का काम	...	१
२६.	सींक (सिक्की) के सामान बनाने का काम	...	१
		कुल—	२६६

बिहार औद्योगिक रूपांकन-संस्थान

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में पटना में बिहार औद्योगिक रूपांकन संस्थान (बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन) की स्थापना की गई है। यह टोकियो (जापान) के इंस्टीच्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स के ढाँचे पर संगठित किया गया है। इसके निर्देशक सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रीउपेन्द्र महारथी हैं, जिन्होंने जापान जाकर इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कपड़े, हस्त-शिल्प और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इसके अलग-अलग विभाग हैं। यहाँ का रूपांकन (डिजाइन) और प्रणाली (प्रोसेस)

सभी कारीगरों को निःशुल्क उपलब्ध होंगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए १६ लाख रुपये खर्च होंगे।

खादी और ग्रामोद्योग

अगस्त, १६५६ में बिहार-सरकार ने बिहार खादी और ग्रामोद्योग-संबंधी कानून बनाया और उसी मास में बिहार-राज्य खादी-बोर्ड की स्थापना हुई। दो-तीन मास बाद इसका काम चालू भी हो गया। अपनी स्थापना के प्रारम्भिक दो वर्षों में इसे सरकार से १,०७,०५, ४४० रुपये अनुदान-स्वरूप प्राप्त हुए और सन् १६५६ की जनवरी तक यह संस्था ८३ लाख रुपये खर्च कर चुकी है। अधिकांश रुपये सहकारी एवं पंजीबद्ध संस्थाओं को पहले से स्थापित उद्योग-धंधों के विकास के लिए या नये उद्योग-धंधे चलाने के लिए दिये गये हैं। यह बोर्ड अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विक्रयशाला, प्रशिक्षण-केन्द्र और संस्थान, आदर्श उत्पादन-केन्द्र तथा प्रदर्शन-केन्द्र चलाता है। बिहार में छह ऐसे केन्द्र हैं, जहाँ रूई का स्टॉक इसीलिए रखा जाता है कि पास के अम्बर-परीक्षणालय और खादी-केन्द्रों को कभी रूई का अभाव न होने पावे। कोल्हू का तेल तैयार करने के लिए राजस्थान से चार लाख रुपये का सरसों खरीदकर जिला और सबडिवीजन के केन्द्रों में रखा गया है। इसी प्रकार कुछ आवश्यक औजार भी खरीद कर केन्द्रों में रखे गये हैं ताकि कारीगर आसानी से उन्हें प्राप्त कर सकें।

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति का विवरण आगे की तालिका में दिया गया है, जिसमें १६५६ की जनवरी तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभागों के ब्यौरे दिये गये हैं। उससे प्रकट होगा कि सहकारी समितियों द्वारा अंशतः या पूर्णतः २०,४६,००० व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इस संख्या में खादी-ग्रामोद्योग-संघ द्वारा काम में लगे कातने-बुननेवालों एवं अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों की संख्या समाविष्ट नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग-संघ

इसका उद्देश्य पिछले वर्ष में दो करोड़ रुपये के मूल्य की खादी का उत्पादन करना था। अम्बर चर्खा और उन्नत घानी से काम में विशेष प्रगति हुई है। सन् १६५७-५८ में २५,००० पुराने चर्खे भी चलने लगे हैं। ग्रामोद्योग में संलग्न कारीगरों की अनेक सहकारी समितियाँ पंजीबद्ध की गई हैं। अखिलभारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बिहार में (१) सीधे संघ द्वारा चलाये गये तिरिल (राँची), कावाकोल (गया) और हंसा (दरभंगा) के घने विकास क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुँचाता है तथा (२) पुराने ढंग की खादी और अम्बर-चर्खा के विकास के लिए खादी-ग्रामोद्योग-संघ को अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी तथा अन्य प्रकार की सहायता (जैसे—छूट) देता है।

छोटे पैमाने के उद्योग

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासन के कार्यों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए ३ करोड़ ४० लाख रुपये का प्रबंध किया गया है।

आदर्श कारखाने

आदर्श कारखाने खड़ा करने के लिए और शहरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत्-संचालित यंत्रों को चलाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए १७ योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें लोहारी और बढ़ईगिरी की शिक्षा देने के लिए छह भ्रमणशील प्रदर्शन-गाड़ियों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए भी तीन योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आदर्श कारखानों के लिए उपर्युक्त भवन-निर्माण-कार्य चल रहा है।

औद्योगिक समूह-योजनाएँ

इस सम्बन्ध में १६ योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनके अन्दर मेहसी (चम्पारन) का बटन-उद्योग; बिहारशरीफ, पूसा, राँची और पटना-स्थिति कच्चे माल की दूकान, तथा मैथोन का सेण्ट्रल फिनिशिङ्ग वर्कशाप हैं, जिनके काम चालू हैं। सबसे बड़ी योजना पटना के साइकिल कारखाने की योजना है। छोटे-छोटे इंजीनियरिंग के कारखानों की सहायता के लिए पटना में एक बड़ा कारखाना खोलना है। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बिजली के सामान, रेडियो के पार्ट-पुरजे, खेल के सामान, मोटर की बैटरी आदि का बनाना है। इनके कार्य भी शीघ्र ही चालू हो रहे हैं।

अग्र-योजना

प्राविधिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे चला सकने की सम्भावनाएँ दिखलाने के लिए जहाँ-तहाँ कुछ विशेष उद्योग-धंधे कायम किये जा रहे हैं, जिससे उन्हें देखकर दूसरे लोग भी उस तरह के उद्योग-धंधे स्वयं चला सकें। अब तक ऐसे २० उद्योग-धंधे खड़े किये गये हैं। इनमें चर्म-शोधन और जूता-उत्पादन, लकड़ी, अल्युमीनियम, छोटे-छोटे औजार, ताले, छत के टाइल्स (चौड़े खपड़े) और मशीन से बने खिलौने के कारखाने, सोडा नमक साफ करने का काम, ऐलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आदि मुख्य हैं। इनके केन्द्र किसी-न-किसी औद्योगिक क्षेत्र में रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के भवन बन चुकने पर ये योजनाएँ अविलम्ब कार्यान्वित होंगी। तिलैया का ताले का कारखाना पहले ही से अच्छी तरह चल रहा है और उसमें नफा भी हो रहा है।

ऋण की सुविधाएँ

उपर्युक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने के अतिरिक्त उद्योग-धंधों को सरकारी सहायता दिये जाने के एक विशेष कानून के अनुसार भी कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योग-धंधों को सहायता दी जाती है। मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योग-धंधों को स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन से ऋण भी मिलता है। उक्त विशेष कानून के अनुसार तीन तरह से सहायता दी जाती है—

(१) बिहार की औद्योगिक दस्तकारी समितियों और स्वीकृत केन्द्रों के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को दी जानेवाली सहायता ;

(२) ५ हजार रुपये तक के लिए बिना जमानत पर और उससे अधिक रकम के लिए अचल सम्पत्ति की जमानत पर दिया जानेवाला ऋण ;

(३) मशीनों को भाड़े पर इस प्रकार दिये जाने के कुछ दिनों के बाद वे खरीदी हुई ही हो जायँ।

द्वितीय-योजना-काल में १९५८ के अन्त तक ऋण और भाड़ा-प्रणाली की खरीदगी पर ७५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन

स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन की हिस्सा-पूँजी आरम्भ में ५० लाख रुपये की थी। यह १९५७-५८ में बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की कर दी गई। डिबेन्चर जारी कर कारपोरेशन के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी खड़ी की गई है। स्टेट बैंक की एक योजना द्वारा पटना-क्षेत्र के छोटे पैमाने के उद्योग-धंधे को अब अल्पकालीन ऋण दिया जाने लगा है।

प्रशिक्षण-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदर्श कारखाने स्थापित करने और भ्रमणशील कारखाने खोलने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र कायम करना भी है। राज्य में इस समय २९ विभिन्न उद्योगों के ३५४ ऐसे केन्द्र कायम हो चुके हैं। इन उद्योग-धन्धों में लोहारी, बढ़ईगिरी, चर्म-शोधन, चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन, साबुनसाजी, विसंक्रामक पदार्थ बनाना, मधुमक्खी पालन, बेंत और बाँस के काम, कपड़े की छपाई, खिलौने बनाना, सींक या सिक्की की वस्तुएँ बनाने आदि के काम शामिल हैं। द्वितीय योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को सीना-पिरोना, कशीदाकारी करना और गंजी-मोजा बुनना सिखाने का कार्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षण का अधिकतर कार्य सहकारी समितियों और पंजीबद्ध संस्थाओं द्वारा होता है। हाथ-करघों तथा खादी और ग्रामीण उद्योग-धंधों की समितियों के अतिरिक्त राज्य में ६७९ औद्योगिक सहकारी समितियाँ हैं। द्वितीय योजना-काल में और भी १५० कार्यशील सहयोग समितियाँ स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है।

सहकारी चीनी-मिलें

पूर्णिया जिले के बनमनखी नामक स्थान में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए एक सहकारी समिति पंजीबद्ध हो चुकी है। समिति के एक उपनियम के अनुसार राज्य-सरकार द्वारा इसके संचालक-मंडल का निर्माण भी किया जा चुका है। प्रस्तावित योजनानुसार समिति के सदस्यों को १० लाख रुपये की पूँजी खड़ी करनी थी, जिससे वे राज्य-सरकार से उतनी ही रकम ले सकें और केन्द्रीय सरकार से भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। १९५८-५९ के अन्त तक योजना को पूरा कर देने का विचार था। इस योजना में राज्य की ईख-यूनियनों और ईख-समितियों का भी पूरा सहयोग रहा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

योजनाओं के नाम

(१) बृहत् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग-धंधे

क्रम-संख्या		संशोधित योजना की रकम (लाख रुपये में)
१.	बृहत् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए जाँच-पड़ताल	५०.००
२.	रेशमी कपड़े की मिल की स्थापना ...	१.००
३.	बिहार-सुपरफॉस्फेट-कारखाने का विस्तार	२०.००
४.	सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए साहाय्य ...	१०.००
५.	हाइ टेन्सन-इन्सुलेटर कारखाने की स्थापना	४५.००
६.	राज्य-वित्त-निगम (स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन) के पूँजी-हिस्सों में वृद्धि	२०.८८
७.	भू-गर्भ-संबंधी सर्वेक्षण-कार्य	१२.००
	योग—	१६८.८८

(२) औद्योगिक प्रक्षेत्र

८.	एक बृहत्, एक मध्यम तथा दो छोटे औद्योगिक प्रक्षेत्रों की स्थापना ...	६०.००
	योग—	६०.००

(३) छोटे पैमाने के उद्योग

९.	मुख्यालय के कार्यकर्त्ता ...	६.३१
१०.	जिला-पदाधिकारी	१४.६०
११.	विस्तार-कार्य के कार्यकर्त्ता	१०.००
१२.	कुटीर-उद्योग-संस्थान (कॉटेज इंडस्ट्रीज इन्स्टिट्यूट, पटना) का बहु-शिल्प-संस्थान (पॉलिटेकनिक, पटना) में रूपान्तर ...	१७.००
१३.	अनुदान-प्राप्त संस्थाएँ एवं महिला औद्योगिक विद्यालय ...	१५.६०
१४.	राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्डों में उत्पादन-सह-प्रशिक्षण-केन्द्र ...	५०.००
१५.	आदर्श कारखानों की स्थापना	२०.००
१६.	लघु उद्योग-संस्थान, सिन्दरी (धनबाद) ...	००.५६
१७.	ग्रामीण उद्योगों के प्रयोगात्मक कारखाने की स्थापना	४.२५
१८.	औद्योगिक रूपांकन (डिजाइन)-संस्थान की स्थापना	१३.४०
१९.	वर्त्तमान औद्योगिक समूहों की सहायता एवं नये समूहों की स्थापना ...	५२.१७
२०.	नये लघु उद्योगों के लिए अग्र-योजना	३२.००

क्रम-संख्या		संशोधित योजना की रकम (लाख रुपये में)
२१.	लघु उद्योगों द्वारा व्यवहृत विद्युत् के लिए आर्थिक सहायता	१.७८
२२.	उद्योगों को राजकीय साहाय्य-अधिनियम के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण देने की योजना का विस्तार	१२०.००
२३.	हाथ करघों, हस्त-शिल्पों और लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की सुविधाओं का विस्तार ...	५.००
	योग—	३४६.००
	(४) ग्रामोद्योग	
२४.	ग्रामोद्योगों का विकास	—
	(५) खादी	
२५.	खादी-उत्पादन का विकास	—
	योग —	३५८.६४
	(६) हाथ-करघा	
२६.	सूती हाथ-करघा-उद्योग को सहायता ...	१३३.०४
२७.	ऊनी वस्त्र-उद्योग को सहायता	५.७५
२८.	रेशम-बुनाई-उद्योग को सहायता ...	१८.२५
२९.	सहकारी बुनाई-मिल की स्थापना के लिए सहायता	१०.००
	योग—	१६७.०४
	(७) रेशम-कीट-पालन (सेरिकल्चर)	
३०.	रेशम-कीट-पालन का विकास ...	३०.००
	योग—	३०.००
	(८) हस्त-शिल्प	
३१.	हस्त-शिल्प का विकास	२६.००
	योग—	२६.००
	(९) श्रम और श्रम-कल्याण	
३२.	शिल्पकार-प्रशिक्षण-योजना	६४.००
	योग—	६४.००
	कुल योग—	१,२२३.८६

३१ जनवरी, १९५६ तक सहकारी तथा निबन्धित संस्थाओं के व्यय, उनकी संख्या और प्रत्येक उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या का विवरण

	योजना	३१ जनवरी '५६ तक वितरित निधि (लाख रुपये में)	सहायता-प्राप्त सहकारी एवं निबन्धित संस्थाओं की कुल संख्या	३१ जन० '५६ तक सहकारी एवं निबन्धित संस्थाओं की संख्या	नियुक्ति पूर्णकालिक	नियुक्ति अंशकालिक
	खादी					
१.	अम्बर-चर्खा	१२.६८	७१	—	२,४००	१,५००
२.	हाट-व्यवस्था	१४.४८	....	३९	१४०	....
३.	साहाय्य-योजना	२२.८१ (इनमें कल्याण लाभांश के रूप में बुनकरों के बीच वितरित १३ लाख रुपये शामिल हैं।)	१४	—	१,६२,७००	....
४.	प्रदर्शनी	००.२६	४	—	—	२५०
	योग	५०.२३	८९	३९	१,६५,२४०	१,७५०
	ग्रामोद्योग					
१.	ग्राम-तैल-उद्योग	१६.०३	२६६	५२५	८,९६०	—
२.	हाथ-धनकुट्टी-उद्योग	४.०४	२०७	५९	५५,०००	५,६००
३.	साबुन-निर्माण-उद्योग	२.०५	२०	२१	२००	११३

योजना	३१ जनवरी, ५६ तक वितरित निधि (लाख रुपये में)	सहायता-प्राप्त सहकारी एवं निबन्धित संस्थाओं की कुल संख्या	३१ जन० '५६ तक सहकारी एवं निबन्धित संस्थाओं की संख्या	नियुक्ति पूर्णकालिक	नियुक्ति अंशकालिक
४. ग्रामीण-मिट्टी-बरतन-उद्योग	०.५२	७	५६	३२५	१०४
५. गुड़ और खाँडसारी-उद्योग	३.३३	१८	२२	२,५००	२,०३४
६. ताड़गुड़-उद्योग	४.२३	१४	४७	५००	—
७. मधुमक्खी-पालन-उद्योग	०.६१	—	४	४२	३,२००
८. हस्तनिर्मित कागज-उद्योग	०.३०	१	—	६	—
९. कुटीर-दियासलाई-उद्योग	०.३०	—	—	२२	४२
१०. ग्रामीण चर्म-उद्योग	१.५१	१८	८१	२८५	२५७
योग	३३.३७	५७१	८५७	६७,८४०	११,३५०
कुल योग	८३.६०	६६०	८६६	२,३३,०८०	१३,१००

दिसम्बर, १९५८ तक हस्तशिल्प-योजनाओं की प्रगति

योजना	स्थान	स्वीकृत राशि	केन्द्रीय सहायता	दिस० '५८ तक व्यय	अभ्युक्ति
		रु०	रु०	रु०	
१. खिलौना-विकास-केन्द्र	राँची	६१,०००	८,०००	२०,०००	संतोषप्रद कार्य चल रहा है। कार्यकर्त्ताओं की सं० ३८।

योजना	स्थान	स्वीकृत राशि रु०	केन्द्रीय सहायता रु०	दिस० '५८ तक व्यय रु०	अभ्युक्ति
२. लाह-वार्निश एवं लाह-पेन्टिङ्ग के सामान	पटनासिटी	१६,०००	४,८८६	७,०००	खराद-मशीन की खरीदगी विचाराधीन। कार्यकर्त्ता १२। कुशल रँगरेज
३. कैलिको-छपाई-केन्द्र	”	१०,२२५	१०,२२५	६,०००	
४. कैलिको-छपाई के दो प्रशिक्षण-केन्द्र	(१) आरा (२) चन्दवा (पलामू)	१४,८००	१४,८००	४,५००	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या १७
५. टोकरी-निर्माण के दो प्रशिक्षण-केन्द्र	(१) सामुदायिक विकास प्रखंड, बगहा (चम्पारन) (२) खड़गपुर (मुँगेर)	१०,८००	१०,८००	५,५००	प्रशिक्षणार्थियों की सं० २३
६. खजूर-पत्र-निर्मित वस्तु-उत्पादन	बिहारशरीफ	८,५६०	१,१७०	८,०००	प्रशिक्षणार्थियों की सं० ७
७. सींक के सामान और चटाई-निर्माण के उत्पादन-केन्द्र	मणिगाछी (दरभंगा)	१०,३४०	१,१६०	२,८००	—
८. कागज और कूट की वस्तुओं का उत्पादन-केन्द्र	गम्हरिया (सिंहभूमि)	१६,०००	१५,०००	४,८००	प्रशिक्षणार्थियों की सं० ८
९. गुड़िया-निर्माण प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र	पटना	१८,१९०	५,७४०	२,०००	कार्यकर्त्ता ३, प्रशि० १२
१०. सजावट के बरतन का प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र	राँची	३०,०००	१५,०००	अप्राप्य	कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कच्चे माल की खरीदगी हो चुकी है।

	योजना	स्थान	स्वीकृत राशि (रुपया)	केन्द्रीय सहायता (रुपया)	दिस० '५८ तक व्यय (रुपया)	अभ्युक्ति
११.	काष्ठ-खोदाई एवं पच्चीकारी के लिए प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र	लालगंज (मुजफ्फरपुर)	२७,०००	६,५००	३,६००	
१२.	शीशा की चूड़ियों का उत्पादन-केन्द्र	जीवधारा (मोतिहारी)	३०,४००	११,३२०	४,४००	
१३.	गुलदस्तों तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन-केन्द्र	नामकुम (राँची)	२०,०००	१५,६००	१,६००	
१४.	वेणुशिल्प-उत्पादन-केन्द्र	पटना	३५,००० (कार्यकारी पूँजी २५,०००)	१२,०००	२,५००	
१५.	बुनाई तथा कशीदाकारी के प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र	१० केन्द्र	६७,०००	(अज्ञात)	१३,२००	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या १५०, सभी केन्द्रों के कार्य-विवरण नहीं मिले हैं।
		कुल योग	४,२८,३४५	१,४५,२११	८१,२००	

बिहार-सरकार की लघु उद्योग-विकास-योजनाएँ

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय औद्योगिक समूह	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर १९५८ तक (रुपये)
१.	बिहारशरीफ में विभागीय विक्रय की दूकान में कच्ची वस्तुओं के संग्रह की योजना	७८,६००	४,७६३
२.	बिहारशरीफ में काष्ठ-कला-प्रशिक्षण-सह-सेवा-केन्द्र की योजना	१६,१२०	—.—
३.	राँची और पूसा में विक्रय एवं भाण्डार की योजना	१,५०,४००	४१,३१६
४.	सामूहिक सेवा-संगठन के अन्तर्गत मेहसी में सीप-बटन के उद्योग की योजना	१,३८,४७५	१५,४५४
५.	रेडियो के सामान का उत्पादन, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	५४,०००	११,८१७
६.	बिजली के सामानों के उत्पादन की योजना, पटना-औद्योगिक प्रक्षेत्र,	६४,६२०	६३०
७.	साइकिल और उनके पुरजों का उत्पादन, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र की योजना	२,७१,८६६	१८,७८७
८.	सिलाई की मशीन के उत्पादन की योजना- (यह योजना सम्मिलित पूँजी के रूप में एक व्यक्तिगत कंपनी, शंकर सिलाई मशीन कम्पनी, लुधियाना के साथ पूरी की जायगी।)		
९.	भ्रमणशील मोटर और परीक्षणात्मक प्रयोगशाला के साथ आदर्श फौण्ड्री, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	१,१७,८२४	८००
१०.	पटना, दरभंगा, राँची में खेल की वस्तुओं के विकास की योजना	६१,००३	५,३२३
११.	मिट्टी-बरतन-निर्माण-विकास-केन्द्र, राँची	२,८८,१००	१३,५३२
१२.	पटना में लोहारी और भवन-निर्माण-संबंधी लोहे के सामान के लिए सामान्य सुविधा सेवा-निर्माण-केन्द्र	१,३२,७६१	३६२

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ तक (रुपये)
१३.	सामान्य सुविधा सेवा-निर्माण-केन्द्र, पटना की विकास-योजना	२,४७,०००	३५,०८८
१४.	कच्चे माल की दूकान पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	३,२०,६००	३,१६५
१५.	बिजली मोटर-निर्माण, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	——	——
१६.	केन्द्रीय फिनिशिङ्ग निर्माण-केन्द्र, मैथन	——	२६,४४७
१७.	योग्यता-नियन्त्रण-योजना (दो इकाई)		(स्वीकृति-प्रतिक्षित)

लघु उद्योगों के लिए अग्र-योजनाएँ

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ तक (रुपये)
१.	यांत्रिकी व्यापार, बिहारशरीफ औद्योगिक प्रक्षेत्र	३६,४०३	१,१७६
२.	आराकशी मिल के साथ-साथ लकड़ी को व्यवहार-योग्य बनाने की योजना, हाजीपुर	८२,२१५	१,५२७
३.	लकड़ी के कुंदे को व्यवहार-योग्य बनाने का संयंत्र, चाइबासा	७२,०६७	४,४२६
४.	लघु औजार-निर्माण; राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र	३,२१,६०८	१२,६११
५.	लघु चर्म-उद्योग, सकरी	३,१३,१५०	३,७१६
६.	लघु चर्म-उद्योग, बिहटा	३,१३,६००	१४,६१७
७.	धान की भुस्सी से क्रियाशील कोयले का निर्माण, जयनगर	(योजना विचाराधीन)	
८.	शोरा-शोधन-केन्द्र, मेहसी	३६,०७१	२,०३०
९.	बैटरी-निर्माण, पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र	४४,२५०	१,३७०
१०.	हाथ-थैला (हैंडबैग) आदि के निर्माण के लिए चर्म-वस्तु-कारखाना, बेतिया	५७,६००	—
११.	दरभंगा में जूता-निर्माण के लिए आदर्श योजना	८४,७५८	—

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ (रुपये)
१२.	छत के टाइल के निर्माण के लिए लघु इकाई-योजना, सकरी	३३,१०२	८९७
१३.	बिजली से सोना, चाँदी आदि का पानी चढ़ाना और काली मीनाकारी करने का कारखाना (इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ब्लैक इनैमेलिंग युनिट), राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र	२६,४४४	४,६३९
१४.	अलुमिनियम सामान-निर्माण-केन्द्र, भागलपुर	१,१५,५८८	६,४४८
१५.	साइकिल-पुर्जा-निर्माण-संस्थान-बिहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र	५१,५५३	६,७९८
१६.	यान्त्रिक खिलौना उत्पादन-केन्द्र, पटना-औद्योगिक प्रक्षेत्र	१८,३६०	६४५
१७.	सरकारी-ताला-निर्माण-केन्द्र, तिलैया	...	४३,००२
१८.	पूसा और सबौर में फल-संरक्षण-कारखाने के विकास के लिए केन्द्रों की स्थापना	अभी हाल में आरम्भ	
१९.	लीची-बिजलीयन (सुखाने की) योजना		

आदर्श कारखाने

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६-५८ (रुपये)	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८ (रुपये)
१.	आदर्श बढ़ईगिरी-केन्द्र, मुजफ्फरपुर	७२,९१०	६,२८८
२.	भ्रमणशील लोहारी-प्रशिक्षण मोटर-वान, बिहारशरीफ	४४,१६,८९७	४२०
३.	लोहारी का प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र, दरभंगा औद्योगिक प्रक्षेत्र	४४,२१९	३,४६५
४.	बिहारशरीफ में भ्रमणशील बढ़ईगिरी-प्रशिक्षण-मोटर-वान	५५,२३७	—
५.	पूसा में आदर्श लोहारी कारखाने की स्थापना	३७,३२२	१७,०७०
६.	भ्रमणशील बढ़ईगिरी-प्रशिक्षण-मोटर-वान, पूसा	५५,२३७	६,७७४
७.	भ्रमणशील लोहारी मोटर-वान, पूसा	४४,१९८.९७	६,२१३

क्रम-संख्या	योजनाओं के विषय	व्यय १९५६–५८	व्यय अप्रैल से दिसम्बर, १९५८
		(रुपये)	(रुपये)
८.	आराकशी मिल-सह-यान्त्रिकी-बढ़ईगिरी-केन्द्र, बिक्रम	७४,७६०	५७५
९.	आराकशी मिल-सह-यान्त्रिकी बढ़ईगिरी, दरभंगा-औद्योगिक प्रक्षेत्र	७४,७६०	३,८७०
१०.	समुन्नत लौहकर्म (लोहारी)-केन्द्र (पैडलौक और सामान्य गणित के औजार बनाने के लिए), मुँगेर	२१,२२१	६,१६१
११.	कृषि और बढ़ईगिरी के औजारों के निर्माण के कारखाने, बिहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र	५०,६७५	४४०
१२.	आदर्श काष्ठकर्म (बढ़ईगिरी)-केन्द्र, दुमका	३४,३६६.१२	५,६१६
१३.	आदर्श काष्ठकर्म (बढ़ईगिरी)-केन्द्र, पूसा	१४,६००	२,४११
१४.	आदर्श लौहकर्म (लोहारी)-केन्द्र, सहरसा	५१,७४४	४,९१६
१५.	आदर्श ग्रामीण-लौहकर्म (लोहारी), मुँगेर	१७,२३१.५०	७,७६५
१६.	भ्रमणशील काष्ठकर्म (लोहारी) मोटर-वान, राँची	—	१,५००
१७.	भ्रमणशील लौहकर्म (लोहारी) मोटर-वान, राँची	—	१,५००

शासन-प्रबन्ध

शासन का विकास—बिहार भारत का एक राज्य या प्रदेश है। अँगरेजी शासन-काल में सन् १९१२ ई० में बिहार-उड़ीसा बंगाल से अलग किया जाकर एक प्रान्त बनाया गया। पटना इसकी राजधानी हुआ। गर्मी के दिनों के लिए राजधानी रही राँची। उस समय यहाँ का शासन-भार एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के ऊपर रखा गया। शासन-संबंधी कार्यों में परामर्श देने के लिए एक विधान-सभा गठित हुई, जिसके ४५ सदस्य थे। १९१९ के सुधार के अनुसार यह गवर्नर का प्रान्त बना और विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४५ से बढ़ाकर १०३ की गई। इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचन द्वारा आने लगे। गवर्नर की सहायता के लिए एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल कायम की गई, जिसके एक भारतीय और एक अँगरेज सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से गवर्नर दो व्यक्तियों को मंत्री (मिनिस्टर) नियुक्त करते थे। शासन के विषय दो भागों में बाँट दिये गये। एक भाग में संरक्षित विषय और दूसरे में हस्तान्तरित विषय

रखे गये। गवर्नर-संरक्षित विषयों का शासन एक्जिक्यूटिव के मेम्बरों की सहायता से और हस्तान्तरित विषयों का शासन मन्त्रियों की सहायता से करते थे। यह द्वैध शासन कहलाता था।

सन् १९३६ के अप्रैल में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया और १९३७ से नया शासन-विधान लागू हुआ। इसके अनुसार यहाँ एक के बदले विधान-संबंधी दो सदन कायम हुए। ऊपरी सदन विधान-परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और निचला सदन विधान-सभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहलाये। विधान-सभा के १५२ सदस्य हुए, जिनमें सभी निर्वाचित थे। विधान-परिषद् के ३० सदस्य हुए, जिनमें २६ निर्वाचित और ४ मनोनीत थे। यहाँ का शासन पार्लमेंटरी ढंग से होने लगा। कानूनन गवर्नर को शासन में हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा अधिकार होते हुए भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के कार्यों में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर विधान-सभा के बहुमत दल के नेता को बुलाकर उससे मंत्रिमंडल बनाने लगे। नेता अपने दल की राय से आवश्यकतानुसार मंत्री चुनने लगे और स्वयं मुख्यमंत्री का काम करने लगे। बिहार में उस समय से अबतक विधान-मंडल में काँगरेस-दल का ही बहुमत होता रहा है। उसी समय से डॉ० श्रीकृष्ण सिंह राज्य के मुख्य मंत्री होते रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या समय-समय पर बदलती रही है। नवम्बर, १९३९ से १९४५ तक द्वितीय विश्वमहासमर-काल में काँगरेस-दल शासन-कार्य से अलग रहा और गवर्नर ही शासन चलाते रहे। १९४६ में फिर काँगरेस-मंत्रिमंडल बना। १९४७ के १५ अगस्त को भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया और १९५० की २६ जनवरी को यह संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया और भारतीय संविधान के अनुसार शासन-कार्य किया जाने लगा।

राज्यपाल—१९२० में बिहार के प्रथम गवर्नर लार्ड सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा हुए। अँगरेजी शासन-काल में समस्त भारत के अन्दर यही एक भारतीय गवर्नर हुए, जो सिर्फ एक ही वर्ष तक कार्य कर सके। इसके बाद सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य-काल में अँगरेज ही गवर्नर होते रहे। स्वतंत्र भारत में बिहार के गवर्नर या राज्यपाल क्रमशः श्रीजयरामदास दौलतराम, श्रीमाधव श्रीहरि अणे और श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर हुए। इस समय ६ जुलाई, १९५७ से डॉ० जाकिर हुसेन राज्यपाल का कार्य कर रहे हैं।

विधान-सभा और विधान-परिषद्—स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य निर्वाचन १९५२ और १९५७ में हुए। आगामी चुनाव १९६२ में होनेवाला है। १९५२ में बिहार-विधान-सभा के ३३१ सदस्य थे। बिहार के कुछ अंश बंगाल में चले जाने के कारण १९५७ में यहाँ केवल ३१९ सदस्य रह गये। सभा के ३१९ सदस्यों में २४६ सदस्य साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ४० अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से, ३२ अनुसूचित जन-जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से तथा एक मनोनीत होकर आये।

१६५२ में बिहार-विधान-परिषद् के ७२ सदस्य थे और १६५७ में ६६ हुए। इन ६६ सदस्यों में विभिन्न कमिश्नरियों के स्नातक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, शिक्षक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८ स्थानीय-प्राधिकार क्षेत्र (Local authorities) से ३४, बिहार-विधान-सभा-क्षेत्र से ३४ और १२ मनोनीत सदस्य हैं।

भारतीय संसद् में बिहार के सदस्य—इस समय भारतीय संसद् की राज्य-सभा एवं लोक-सभा में क्रमशः २२ और ५३ सदस्य हैं, जिनकी नामावली क्रमशः पृष्ठ २११ और २१५ पर दी जा चुकी है। उक्त नामावली में इधर जो परिवर्त्तन हुए हैं, उनके अनुसार राज्य-सभा में श्रीथियोडोर बोदरा, श्रीकैलासविहारी लाल और श्रीपूर्णचन्द्र मित्र अब सदस्य नहीं रहे। उनके स्थान पर डॉ० कामेश्वर सिंह, श्रीप्रतुलचन्द्र मित्र और श्रीराजेश्वर-नारायण सिंह सदस्य हुए हैं। लोक-सभा में श्रीप्रभातचन्द्र बोस अब सदस्य नहीं रहे। उनकी जगह पर श्री डी० सी० मल्लिक सदस्य हुए हैं।

बिहार-सरकार

राज्यपाल

डॉ० जाकिर हुसेन

ले० कर्नल सी० एस्० भटनागर, राज्यपाल के सचिव

मंत्रिगण

डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, मुख्यमंत्री—नियुक्ति एवं राजनीति (सूचना तथा परिवहन-रहित), वित्त, उद्योग (खान और खनिज-सहित)।

दीपनारायण सिंह—सिंचाई (मुख्य, मध्यम और लघु), विद्युत्-शक्ति, सूचना।

कुमार गंगानन्द सिंह—शिक्षा

विनोदानन्द झा—राजस्व (लघु सिंचाई, खान एवं खनिज पदार्थ-रहित), ग्राम-पंचायत और श्रम।

जगतनारायण लाल—सहयोग, पशु-चिकित्सा, पशु-पालन और विधि।

वीरचन्द पटेल—खाद्य, आपूर्त्ति, स्वास्थ्य एवं कृषि (मध्यम सिंचाई-रहित)।

भोला पासवान—उत्पाद, वन और कल्याण।

शाह मुहम्मद उजैर मुनीमी—कारा, साहाय्य एवं पुनर्वास और परिवहन।

मकबूल अहमद—लोक-निर्माण, लोक-स्वास्थ्य-अभियंत्रणा, गृह-निर्माण एवं स्थानीय स्वशासन।

उप-मंत्रिगण

अब्दुल अहद मुहम्मद नूर
केदार पाण्डेय
ललितेश्वरप्रसाद शाही
हृदयनारायण चौधरी
अम्बिकाशरण सिंह
सहदेव महतो
राधागोविन्द प्रसाद
कृष्णकान्त सिंह

रानी ज्योतिर्मयी देवी
चन्द्रिका राम
देवनारायण यादव
दारोगा राय
राजेश्वरी सरोज दास, श्रीमती

राजस्व-पर्षद्

चेल्लामियर कल्याण रमण, आइ० सी० एस्०—सदस्य, राजस्व-पर्षद्

के० रमण, आई० सी० एस्०—अपर सदस्य, राजस्व-पर्षद् तथा भूमि-सुधार-आयुक्त, बिहार

कालीकृष्ण मित्र, आई० ए० एस्० निर्देशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, और पदेन अपर सचिव, राजस्व-विभाग

शशिकान्त सिन्हा, आइ० ए० एस्०—सचिव, राजस्व-पर्षद्

राजनीति एवं नियुक्ति-विभाग

मैसूर सुब्बा राव, आइ० सी० एस्०—मुख्य सचिव, बिहार-सरकार

सुधेन्द्रज्योति मजुमदार, ,, ,,—अपर मुख्य सचिव

त्रिवेणीप्रसाद सिंह, ,, ,,—खाद्य-आयुक्त एवं निर्देशक, आपात-साहाय्य संगठन

डॉ० जॉर्ज जेकब, आइ० ए० एस्०—अपर सचिव

कुरियान अब्राहम, ,, ,,—अपर सचिव

मंत्रिमंडल-सचिवालय

के० ए० राम सुब्रह्मण्यम्, आइ० ए० एस्०—उपसचिव, मंत्रिमंडल-सचिवालय

वित्त-विभाग

शचीन्द्रनाथ दत्त, आइ० ए० एस्०—सचिव

राजस्व-विभाग

शरत्चन्द्र मुखर्जी, आई० ए० एस्०—संयुक्त भूमि-सुधार-आयुक्त

नरेन्द्रपाल माथुर, ,, ,, —सचिव, राजस्व-विभाग

कालीकृष्ण मित्र, ,, ,, —पदेन अपर सचिव

नवलकिशोर प्रसाद, ,, ,, —अपर सचिव

श्रम-विभाग

भागवतप्रसाद सिंह, आइ० ए० एस्०—सचिव

आपूर्त्ति तथा वाणिज्य-विभाग

रामप्रकाश खन्ना, आइ० ए० एस्०—सचिव

उद्योग एवं सहयोग-विभाग

ब्रजनन्दन सिन्हा, आइ० ए० एस्०—सचिव

सैयद अबुल फजलुल अब्बास, ,, ,, —अपर सचिव

कृषि और पशुपालन-विभाग

हरिनन्दन ठाकुर, आइ० ए० एस्०—सचिव

शिक्षा-विभाग

शरण सिंह, आइ० ए० एस्०—सचिव
सिंहेश्वर सहाय ,, ,, —अपर सचिव

स्वास्थ्य-विभाग

भैरवनाथ रोहतगी, आइ० ए० एस्०—सचिव

स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम-पंचायत-विभाग

वैद्यनाथ बसु, आइ० ए० एस्० — सचिव

विधि-विभाग

रामरतन सिंह—सचिव, विधि और कारा-विभाग
चौधरी सियाशरण सिन्हा —अपर सचिव

कल्याण-विभाग

वेदप्रकाश कश्यप, आइ० ए० एस्०—सचिव

लोक-निर्माण और लोक-स्वास्थ्य-अभियंत्रण-विभाग

मुहम्मद रफेउल हुदा, आइ० ए० एस्०—सचिव

सिंचाई और विद्युत्-विभाग

प्रकाशचन्द्र भगत, आइ० ए० एस्०—सचिव

कोशी-योजना-विभाग

त्रिभुवनप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्०—सचिव और मुख्य प्रशासक
समीरकुमार घोष, आइ० ए० एस्०—अपर सचिव

गृह-निर्माण-विभाग

विनोदबिहारी श्रीवास्तव, आइ० ए० एस्०—अपर सचिव

साहाय्य एवं पुनर्वास-विभाग

मोहन चौधरी, आइ० ए० एस्०—सचिव

योजना तथा सामुदायिक विकास-विभाग

त्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्०—विकास-आयुक्त, बिहार
सच्चिदानन्द सिंह, आइ० ए० एस्०—सचिव, योजना-विभाग
सतीशचन्द्र मिश्र, ,, ,, ,,—सचिव, सामुदायिक विकास विभाग

राज्यपाल का सचिवालय

लेफ्टिनेंट कर्नल सी० एस्० भटनागर—राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री का सचिवालय

रामचन्द्र सिन्हा, आइ० ए० एस्०—मुख्य-मंत्री के सचिव

राजेन्द्रलाल सेन—मुख्य-मंत्री के अपर सचिव

विधान-परिषद्-सचिवालय

एस्० सी० लाल—सचिव

विधान-सभा-सचिवालय

इमायतुर रहमान—सचिव

लोक-सेवा-आयोग

कोडागानालुर श्रीनिवास वेंकटरमण—अध्यक्ष

जौन लाल—सचिव

आरक्षी

मिथिलेशकुमार सिन्हा, आई० पी०—आरक्षी-महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव

शारदा प्रसाद वर्मा, ,, ,,—आरक्षी महानिरीक्षक

वाणिज्य-करों के आयुक्त का कार्यालय

अनवर करीम, आइ० ए० एस्०—आयुक्त, वाणिज्य-कर

मुख्य अभियन्तागण

भागवत प्रसाद,	आइ०	एस्० ई०	—	मुख्य अभियन्ता,	लोक-निर्माण
पी० आर० गुहा	,,	,,	—	,,	सिंचाई (उत्तर)
एच्० के० निवास	,,	,,	—	,,	सिंचाई (दक्षिण)
के० आर० भिंडे	,,	,,	—	,,	लोक-स्वास्थ्य-अभियन्त्रण-विभाग
जौन कुरियान	,,	,,	—	,,	विद्युत्-विभाग

कृषि एवं पशुपालन-विभाग

बी० पी० अखौरी—निर्देशक, कृषि-शाखा

एस्० के० सेन— ,, पशुपालन

अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रतिष्ठान

डॉ० डी० एन्० लाल—निर्देशक, केन्द्रीय प्रतिष्ठान, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी

राजस्व (आबकारी) निबन्धन-विभाग

करम सिंह, आइ० ए० एस्०—आबकारी के आयुक्त और निबंधन महानिरीक्षक

श्रम-विभाग

श्रीनिवास पाण्डेय, आइ० ए० एस्०—श्रम-आयुक्त

राष्ट्रीय नियोजन-सेवा

आर० एन्० पाण्डेय—निदेशक

स्वास्थ्य-विभाग

डॉ० सैयद महमूद हसन—निदेशक

अनुवाद-विभाग

रामलोचन शर्मा 'कंटक'—अनुवादक

राज्य-ट्रांसपोर्ट

एस्० के० रिजवी—आयुक्त

एस्० एल्० सहगल—सचिव

उद्योग एवं सहयोग-विभाग

सहयोग-शाखा

लक्ष्मेश्वर दयाल, आइ० ए० एस्०—सहयोग-समितियों के निबंधक

उद्योग-शाखा

रामसेवक मंडल, आइ० ए० एस्०—निदेशक

अलवन फ्रन्सिस कुटो, आइ० ए० एस्०—अपर निदेशक

रामेश्वर नाथ, आइ० ए० एस्०—अपर निदेशक

ईख-विभाग

झुनक प्रसाद—ईख-आयुक्त

ग्राम-पंचायत-विभाग

वेंकटेश नारायण, आइ० ए० एस्०—निदेशक

शिक्षा-विभाग

के० अहमद—निदेशक, लोक-शिक्षा

राजनीति (जन-सम्पर्क)-विभाग

कैलाशपति ओझा—निदेशक

कारा-विभाग

विद्याशंकर मुखर्जी, आइ० ए० एस्०—कारा-महानिरीक्षक

प्रमण्डलों के आयुक्त

पटना-प्रमंडल—श्रीधर वासुदेव सोहोनी,
आइ० सी० एस्०—आयुक्त

तिरहुत-प्रमंडल—मणिभूषण मुखर्जी,
आइ० ए० एस्०—आयुक्त

भागलपुर-प्रमंडल—रामेश्वर प्रसाद,
आइ० ए० एस्०—आयुक्त

छोटानागपुर-प्रमंडल—टी० सी० पुरी,
आइ० ए० एस्०— आयुक्त

उच्च न्यायालय, पटना

मुख्य न्यायाधिपति

वी० रमास्वामी, आइ० सी० एस्०, बैरिस्टर-ऐट-लॉ

न्यायाधिपति

१. खलील अहमद, बैरिस्टर-ऐट-लॉ
२. सतीशचन्द्र मिश्र, एम्० ए०, बी० एल्०
३. रतिकान्त चौधरी, बी० एल्०
४. कमला सहाय, बैरिस्टर-ऐट-लॉ
५. राजकिशोर प्रसाद, एम्०ए०, बी०एल्०
६. कन्हैया सिंह, एम्० ए०, बी० एल्०
७. हेमन्तकुमार चौधरी, एम्० ए०, बी० एल्०
८. कामेश्वर दयाल, बी० एल्०
९. उज्ज्वल नारायण सिन्हा, बैरिस्टर-ऐट-लॉ
१०. नन्दलाल उँटवालिया, बी० एल्०
११. हरिहर महापात्र
१२. तारकेश्वर नाथ
१३. अनन्त सिंह
१४. श्यामनन्दन प्रसाद सिंह

बिहार-विधान-परिषद्

राय ब्रजराज कृष्ण—सभापति

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम		चुनाव-क्षेत्र
१.	कृष्ण बहादुर	....	पटना कमिश्नरी स्नातक
२.	पूर्णेन्दुनारायण सिंह	...	,,
३.	रणेन्द्र नाथ राय	....	,,
४.	साँवलिया बिहारीलाल वर्मा	...	तिरहुत कमिश्नरी स्नातक
५.	लोकेश नाथ झा	....	,,
६.	रावणेश्वर मिश्र	....	भागलपुर कमिश्नरी स्नातक
७.	हरेन्द्र प्रसाद झा	....	,,
८.	अनिल कुमार सेन	....	छोटानागपुर कमिश्नरी स्नातक
९.	जगदीश शर्मा	....	पटना कमिश्नरी शिक्षक
१०.	कैलास सिंह	....	,,
११.	विन्दाचरण वर्मा	...	तिरहुत कमिश्नरी शिक्षक

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम		चुनाव-क्षेत्र	
१२.	विन्ध्येश्वर मिश्र	....	भागलपुर कमिश्नरी शिक्षक	
१३.	गोलोकविहारी चौधरी	...	,,	
१४.	तपस्वीनाथ झा	...	,,	
१५.	महेन्द्र प्रसाद	....	छोटानागपुर कमिश्नरी शिक्षक	
१६.	शशांकशेखर घोष	....	,,	
१७.	देवशरण सिंह	....	पटना कमिश्नरी स्थानीय प्राधिकार	
१८.	महादेवानन्द गिरि	...	,,	,,
१९.	रामविलासशर्मा	....	,,	,,
२०.	रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	,,	,,
२१.	रामदास	...	,,	,,
२२.	मथुरा प्रसाद सिंह	...	,,	,,
२३.	पार्वती देवी, श्रीमती	....	,,	,,
२४.	सैयद नज़ीर हैदर	...	,,	,,
२५.	ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह	...	तिरहुत कमिश्नरी	,,
२६.	कुमार कल्याण लाल	...	,,	,,
२७.	लक्ष्मीकान्त झा	...	,,	,,
२८.	ब्रजविहारी प्रसाद	...	,,	,,
२९.	कृष्णनन्दन सहाय	....	,,	,,
३०.	किशोरी देवी, श्रीमती	...	,,	,,
३१.	कपिलदेव नारायण सिंह	....	,,	,,
३२.	जानकीनन्दन सिंह	....	,,	,,
३३.	वीरनारायण चन्द	...	भागलपुर कमिश्नरी	,,
३४.	जागेश्वर मंडल	....	,,	,,
३५.	पिरथी चन्द किस्कू	....	,,	,,
३६.	यमुनाप्रसाद सिंह	...	,,	,,
३७.	मायानन्द ठाकुर	....	,,	,,
३८.	कुदरतुल्लाह	...	,,	,,
३९.	विद्याकर कवि	...	,,	,,
४०.	भोला मंडल	...	,,	,,
४१.	राधाकृष्ण प्रसाद सिंह	....	,,	,,
४२.	रामलखन पांडे	...	छोटानागपुर कमिश्नरी	,,
४३.	रामप्रकाश लाल	...	,,	,,
४४.	अब्दुर रज्जाक अन्सारी	...	,,	,,
४५.	ब्रजमोहन अग्रवाल	...	,,	,,

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम		चुनाव-क्षेत्र
४६.	सुबोधकुमार सेन	...	छोटानागपुर कमिश्नरी स्थानीय प्राधिकार
४७.	हरिकृष्ण लाल	...	,, ,,
४८.	देवकीनन्दन प्रसाद	...	,, ,,
४६.	रघुनन्दनसिंह चौधरी	...	,, ,,
५०.	सामूचरन तुबिद	...	,, ,,
५१.	बाबूराम हेम्ब्रम	...	बिहार-विधान-सभा
५२.	कृष्णमोहनप्यारे सिंह	....	,,
५३.	वसन्तचन्द्र घोष	....	,,
५४.	कुमार गंगानन्द सिंह (शिक्षा-मन्त्री)	....	,,
५५.	जागेश्वर प्रसाद 'खलिश'	....	,,
५६.	रामप्यारी देवी, श्रीमती	....	,,
५७.	अब्दुल शमी नदवी	...	,,
५८.	थियोडोर बोदरा	....	,,
५६.	जाफर इमाम	...	,,
६०.	जीतू लाल	...	,,
६१.	अहमदी सत्तार, श्रीमती	...	,,
६२.	नुरुल्लाह	....	,,
६३.	राधागोविन्द प्रसाद (उप-मंत्री)	....	,,
६४.	शाह मुहम्मद उजैर मुनेमी (जेल-मंत्री)	...	,,
६५.	अभिरामा देवी, श्रीमती	...	,,
६६.	कुशेश्वर सिंह	...	,,
६७.	मुँगेरी लाल	...	,,
६८.	रामशेखर सिंह	....	,,
६६.	श्रीकृष्ण सिंह	...	,,
७०.	कामताप्रसाद सिंह	...	,,
७१.	श्यामाप्रसाद सिंह	...	,,
७२.	सीताराम जगतरामका	...	,,
७३.	ब्रजेन्द्रनारायण यादव	...	,,
७४.	सीताराम यादव	....	,,
७५.	रामराज जजवारे	....	,,
७६.	पशुपति सिंह	....	,,
७७.	सरदार हरिहर सिंह	....	,,
७८.	सिद्धेश्वरीप्रसाद सिंह	....	,,
७६.	जोएल लकड़ा	....	,,

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम		चुनाव-क्षेत्र
८०.	सैयद फजलुर रहमान	....	बिहार-विधान-सभा
८१.	मुक्तेश्वर सिंह	....	,,
८२.	बुद्धनराय वर्मा	...	,,
८३.	भगवत प्रसाद	....	,,
८४.	चन्द्रेश्वरनारायणप्रसाद सिंह	....	,,
८५.	मोहनलालमहतो 'वियोगी'	....	मनोनीत
८६.	जगन्नाथप्रसाद मिश्र	....	,,
८७.	त्रिदिवनाथ बनर्जी, डॉ०	....	,,
८८.	अनीस इमाम, लेडी	....	,,
८९.	बी० आर० मिश्र, डॉ०	....	,,
९०.	गौरीशंकर डालमिया	....	,,
९१.	बी० पी० सिंह	....	,,
९२.	कमलकामिनी प्रसाद, श्रीमती	....	,,
९३.	राय ब्रजराज कृष्ण (सभापति)	....	,,
९४.	शिवचन्द्र शर्मा	....	,,
९५.	जयदेव प्रसाद	....	,,
९६.	सावित्री देवी, श्रीमती	....	,,

बिहार विधान-सभा

विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष

प्रभुनाथ सिंह—उपाध्यक्ष

जिला चम्पारन

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१.	योगेन्द्र प्रसाद	धनहा
२.	केदार पाण्डेय	बगहा
३.	नरसिंह बैठा	बगहा (संरक्षित)
४.	सिंहेश्वर प्रसाद वर्मा	शिकारपुर
५.	फजलुर रहमान	सिकटा
६.	शुभ नारायण प्रसाद	लौरिया
७.	केतकी देवी, श्रीमती	चनपटिया
८.	जयनारायण प्रसाद	बेतिया
९.	जगन्नाथप्रसाद 'स्वतंत्र'	बेतिया (संरक्षित)
१०.	राधा पाण्डेय	रक्सौल
११.	ब्रजनन्दन शर्मा	आदापुर
१२.	शकुन्तला देवी अग्रवाल श्रीमती	मोतिहारी
१३.	बिगू राम	मोतिहारी (संरक्षित)
१४.	मंगल प्रसाद यादव	घोड़ासाहन
१५.	मसुदुर रहमान	ढाका
१६.	विभीषण कुमार	पताही

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१७.	रूपलाल राय	मधुबन
१८.	प्रभावती गुप्ता, श्रीमती	केसरिया
१९.	गंगानाथ मिश्र	पिपरा
२०.	पार्वती देवी, श्रीमती	हरसिद्धि
२१.	भुवनारायण मणि त्रिपाठी	गोविन्दगंज

जिला सारन

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२२.	अब्दुल गफूर	बरौली
२३.	कमला राय	गोपालगंज
२४.	वाचस्पति शर्मा	कुचायकोट
२५.	रामबली पाण्डेय	भोरे
२६.	चन्द्रिका राम	भोरे (संरक्षित)
२७.	जनार्दन सिंह	मीरगंज
२८.	सुन्दरी देवी, श्रीमती	सिवान
२९.	जब्बार हुसैन	जीरादेई
३०.	राजेन्द्रप्रसाद सिंह	दरौली
३१.	रामबसावन राम	दरौली (संरक्षित)
३२.	रामदेव सिंह	रघुनाथपुर
३३.	गिरीश तिवारी	माँझी
३४.	अनसूया देवी, श्रीमती	महाराजगंज
३५.	कृष्णकान्त सिंह	बसन्तपुर (पश्चिम)
३६.	सभापति सिंह	बसन्तपुर (पूर्व)
३७	कमरुल हक	बरहरिया
३८.	त्रिविक्रम देव नारायण सिंह	बैकुंठपुर
३९.	मृत्युंजय सिंह	उत्तर मशरक
४०.	राजकुमारी देवी, श्रीमती	दक्षिण मशरक
४१.	देवीलालजी यादव	मढ़ौरा
४२.	उमा पाण्डेय, श्रीमती	बनियापुर
४३.	प्रभुनाथ सिंह	छपरा
४४.	जगलाल चौधरी	छपरा (संरक्षित)
४५.	राम जयपाल सिंह यादव	गरखा
४६.	दारोगा प्रसाद राय	परसा
४७.	राम विनोद सिंह	सोनपुर

जिला मुजफ्फरपुर

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
४८.	दीपनारायण सिंह	हाजीपुर
४९.	हरवंश नारायण सिंह	राघोपुर
५०.	बनारस देवी, श्रीमती	महनार
५१.	मंजूर अहसन अजाजी	पातेपुर
५२.	बिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा	महुआ
५३.	शिवनन्दन राम	महुआ (सुरक्षित)
५४.	वीरचन्द पटेल	लालगंज (दक्षिण)
५५.	ललितेश्वरप्रसाद शाही	लालगंज उत्तर
५६.	नवलकिशोर सिंह	पारु
५७.	चन्दू राम	पारु (संरक्षित)
५८.	रामचन्द्र प्रसाद शाही	बरुराज
५९.	यमुनाप्रसाद त्रिपाठी	काँटी
६०.	कपिलदेव नारायण सिंह	सकरा
६१.	रामगुलाम चौधरी	सकरा (संरक्षित)
६२.	महामायाप्रसाद सिंह	मुजफ्फरपुर
६३.	रामजनम ओझा	मुजफ्फरपुर (मुफस्सिल)
६४.	नीतीश्वर प्रसाद सिंह	कटरा (दक्षिण)
६५.	रामवृक्ष बेनीपुरी	कटरा (उत्तर)
६६.	जनक सिंह	मीनापुर
६७.	त्रिवेणीप्रसाद सिंह	रुन्नीसैदपुर
६८.	रामानन्द सिंह	बेलसंड

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
६६.	ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह	शिवहर
७०.	रामस्वरूप राम	शिवहर (संरक्षित
७१.	रामसेवक शरण	सीतामढ़ी (दक्षिण)
७२.	कुलदीपनारायण यादव	सीतामढ़ी (उत्तर)
७३.	रामनन्दन राय	सोनबरसा
७४.	महेश्वरप्रसाद नारायण सिंह	सुरसंड
७५.	सुदामा चौधरी, श्रीमती	पुपरी (उत्तर)
७६.	देवेन्द्र झा	पुपरी (दक्षिण)

जिला दरभंगा

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
७७.	शेख ताहिर हुसेन	जाले
७८.	छोटेप्रसाद सिंह	बेनीपट्टी (पश्चिम)
७९.	शुभचन्द्र मिश्र	बेनीपट्टी (पूर्व)
८०.	देवनारायण यादव	जयनगर
८१.	रामकृष्ण महतो	जयनगर (संरक्षित)
८२.	शकूर अहमद	खजौली
८३.	रमाकान्त झा	मधुबनी (पश्चिम)
८४.	अर्जुन प्रसाद सिंह	मधुबनी (पूर्व)
८५.	चुनाव रद्द	झंझारपुर
८६.	रामदुलारी शास्त्री, श्रीमती	लौकहा
८७.	रसिकलाल यादव	फुलपरास
८८.	राधानन्दन झा	मधेपुर
८९.	जयनारायण झा 'विनीत'	बिरौल
९०.	कृष्णा देवी, श्रीमती	बहेड़ा (दक्षिण)
९१.	महेशकान्त शर्मा	बहेड़ा (पूर्व)
९२.	हरिनाथ मिश्र	बहेड़ा (पश्चिम)
९३.	हृदयनारायण चौधरी	दरभंगा (उत्तर)
९४.	शेख सईदुल हक	दरभंगा (मध्य)
९५.	जानकीरमण प्रसाद मिश्र	दरभंगा (दक्षिण)
९६.	बबुए लाल महतो	दरभंगा (दक्षिण) (संरक्षित)
९७.	यदुनन्दन सहाय	समस्तीपुर (पश्चिम)
९८.	सहदेव महतो	समस्तीपुर (पूर्व)
९९.	मिश्री सिंह	दलसिंहसराय
१००.	बालेश्वर राम	दलसिंहसराय (संरक्षित)
१०१.	शांति देवी, श्रीमती	मोहीउद्दीननगर
१०२.	कर्पूरी ठाकुर	ताजपुर
१०३.	राम सुकुमारी देवी, श्रीमती	वारिसनगर
१०४.	सुन्दर सिंह	वारिसनगर (पूर्व)
१०५.	महावीर राउत	रोसड़ा
१०६.	ब्रजमोहन प्रसाद सिंह	सिंगिया
१०७.	श्याम कुमारी, श्रीमती	सिंगिया (संरक्षित)

जिला सहरसा

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१०८.	परमेश्वर कुमार	सुपौल
१०९.	वैद्यनाथ मेहता	किशनपुर
११०.	खूबलाल महतो	प्रतापगंज
१११.	योगेश्वर झा	त्रिवेणीगंज
११२.	तुलमोहन राम	त्रिवेणीगंज (संरक्षित)
११३.	शिवनन्दन प्रसाद मंडल	मुरलीगंज
११४.	भूपेन्द्रनारायण मंडल	मधीपुरा
११५	विश्वेश्वरी देवी, श्रीमती	सहरसा
११६.	उपेन्द्रनारायण सिंह	सोनबरसा
११७.	जोगेश्वर हाजरा	सोनबरसा (संरक्षित)
११८.	यदुनन्दन झा	आलमनगर

जिला पूर्णिया

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
११६.	रामनारायण मंडल	रानीगंज	१२८.	लक्ष्मीनारायण सुधांशु	धमदाहा
१२०.	शीतलप्रसाद गुप्त	फारबिसगंज	१२६.	भोला शास्त्री पासवान	धमदाहा
१२१.	डुमर लाल बैठा	फारबिसगंज	१३०.	ब्रज बिहारी सिंह	रुपौली
१२२.	जियाउर रहमान	अररिया	१३१.	बासुदेव प्रसाद सिंह	बरारी
१२३.	शांति देवी, श्रीमती	पलासी	१३२.	पार्वती देवी, श्रीमती	मनिहारी
१२४.	लखनलाल कपूर	बहादुरगंज	१३३.	सुखदेव नारायण सिंह	कटिहार
१२५.	अब्दुल हयात	किशनगंज	१३४.	बाबूलाल माँझी	कटिहार
१२६.	मुहम्मद इस्माइल	अमौरी	१३५.	मोहीउद्दीन मोख्तार	कद्वा
१२७.	कमलदेव नारायण सिंह	पूर्णिया	१३६.	अब्दुल अहद मोहम्मद नूर	बैसी

जिला संताल परगना

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१३७.	विनोदानन्द झा	राजमहल	१४८.	शैलबाला राय, श्रीमती	देवघर
१३८.	जेया किस्कू	बोरियो	१४६.	मंगूलाल दास	देवघर (संरक्षित)
१३६.	बाबूलाल टुडु	बड़हैत	१५०.	सनाथ राउत	दुमका
१४०.	रामचरण किस्कू	लिट्टीपाड़ा	१५१.	बेञ्जामिन हंसदा	दुमका (संरक्षित)
१४१.	रानी ज्योतिर्मयी देवी, श्रीमती	पाकुर	१५२.	सुखू मुरमू	रामगढ़ (संरक्षित)
१४२.	जितू किस्कू	पाकुर (संरक्षित)			
१४३.	सुपाइ मुरमू	शिकारीपाड़ा	१५३.	मणिलाल यादव	गोड्डा
१४४.	उमेश्वर प्रसाद	नल्ला	१५४.	चुनका हेम्ब्रम	गोड्डा (संरक्षित)
१४५.	बाबूलाल मरायडी	नल्ला (संरक्षित)			
१४६.	शत्रुघ्न बेसरा	जामतारा	१५५.	महेन्द्र महतो	महगामा
१४७.	कामदेव प्रसाद सिंह	सारठ			

जिला भागलपुर

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१५६.	रामजनम महतो	पीरपैंती	१६१.	प्रभुनारायण राय	बिहपुर
१५७.	सैय्यद मकबूल अहमद	कहलगाँव	१६२.	सरस्वती देवी, श्रीमती	सुल्तानगंज
१५८.	भोलानाथ दास	कहलगाँव (संरक्षित)	१६३.	शीतलप्रसाद भगत	अमरपुर
			१६४.	मौलवी समीनुद्दीन	धुरैया
१५६.	सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल	भागलपुर	१६५.	विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती	बांका
			१६६.	राघवेन्द्र नारायण सिंह	कटोरिया
१६०.	मणिराम सिंह	गोपालपुर	१६७.	पीरु माँझी	कटोरिया (संरक्षित)

जिला मुंगेर

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१६८.	चन्द्रशेखर सिंह	झाझा	१७०.	हरि प्रसाद शर्मा	जमुई
१६६.	भागवत मुरमू	झाझा (संरक्षित)	१७१.	श्री भोला मांझी	जमुई (संरक्षित)

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१७२.	श्रीकृष्ण सिंह	शेखपुरा	१८२.	चौधरी मोहम्मद सलाह उद्दीन	बख्तियारपुर
१७३.	लीला देवी, श्रीमती	शेखपुरा (संरक्षित)	१८३.	आजाद केदार नारायण सिंह	खगड़िया
१७४.	कपिलदेव सिंह	बरही	१८४.	मिश्री सदा	खगड़िया (संरक्षित)
१७५.	कार्यानन्द शर्मा	सूरजगढ़ा	१८५.	ब्रह्मदेवनारायण सिंह	बलिया
१७६.	वासुकीनाथ राय	तारापुर	१८६.	सरयूप्रसाद सिंह	बेगूसराय
१७७.	नरेन्द्रप्रसाद सिंह	खड़गपुर	१८७	मेदनी पासवान	बेगूसराय (संरक्षित)
१७८	निरापद मुखर्जी	मुँगेर	१८८	हरिहर महतो	बरियारपुर
१७९.	योगेन्द्र महतो	जमालपुर	१८९.	रामचरित्र सिंह	तेघड़ा
१८०.	लक्ष्मी देवी, श्रीमती	परबत्ता	१९०.	वैद्यनाथ प्रसाद	बछवाड़ा
१८१.	घनश्याम सिंह	चौथम			

जिला पटना

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
१९१.	नन्दकिशोर सिंह	अस्थावाँ	२०१.	लाल सिंह त्यागी	हिलसा
१९२.	जगदीश नारायण सिंह	मोकामा	२०२.	नवलकिशोर सिंह	मसौढ़ी
१९३.	रामजतन सिंह	बाढ़	२०३.	सरस्वती चौधरी, श्रीमती	मसौढ़ी (संरक्षित)
१९४.	शिव महादेव	फतुहा	२०४.	रामखेलावन सिंह	नौबतपुर
१९५	केशव प्रसाद	फतुहा (संरक्षित)	२०५	बदरीनाथ वर्मा	पटना (दक्षिण)
१९६.	सईद वसीउद्दीन अहमद	बिहार (उत्तर)	२०६.	जोहरा अहमद, श्रीमती	पटना (पूर्व)
१९७.	गिरिवरधारी सिंह	बिहार (दक्षिण)	२०७.	रामशरण साव	पटना (पश्चिम)
१९८.	श्यामसुन्दर प्रसाद	राजगृह	२०८.	जगत नारायण लाल	दानापुर
१९९.	बलदेव प्रसाद	राजगृह (संरक्षित)	२०९.	श्रीभगवान सिंह	मनेर
			२१०	मनोरमा देवी, श्रीमती	विक्रम
२००.	देवगन प्रसाद सिंह	चण्डी	२११.	चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा	पालीगंज

जिला शाहाबाद

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र	क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२१२.	झमन प्रसाद	सन्देश	२२१	बद्री सिंह	मोहनियाँ
२१३.	रंगबहादुर प्रसाद	आरा	२२२.	अली वारिस खाँ	भभुआ
२१४.	अम्बिका सिंह	आरा (मुफस्सिल)	२२३.	दुलारचन्द राम	भभुआ (संरक्षित)
२१५.	रामानन्द तिवारी	शाहपुर	२२४.	विपिनविहारी सिंह	ससराम
२१६.	ललन प्रसाद सिंह	बरहमपुर	२२५.	रामाधार दुसाध	ससराम (संरक्षित)
२१७.	गंगाप्रसाद सिंह	डुमराँव			
२१८.	राजाराम आर्य	नवानगर	२२६.	बसावन सिंह	डेहरी
२१९.	शिवकुमार ठाकुर	बक्सर	२२७.	जगदीश प्रसाद	नोखा
२२०.	दशरथ तिवारी	रामगढ़	२२८.	राम अशीष सिंह	दिनार

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२२९.	मनोरमा पाण्डेय, श्रीमती	विक्रमगंज
२३०.	कृष्णराज सिंह	दावथ
२३१.	सुमित्रा देवी, श्रीमती	पीरो
२३२.	नगीना दुसाध	पीरो (संरक्षित)
२३३.	शिवपूजन राय	सहार

जिला गया

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२३४.	बुधन मेहता	अरवल
२३५.	कामेश्वर शर्मा	कुर्था
२३६.	मिथिलेश्वरप्रसाद सिंह	मखदुमपुर
२३७.	फिदा हुसैन	जहानाबाद
२३८.	महावीर चौधरी	जहानाबाद (संरक्षित)
२३९.	सुखदेवप्रसाद वर्मा	टेकारी
२४०.	रामदेव माँझी	टेकारी (संरक्षित)
२४१.	अहमद सईद कादरी	दाऊदनगर
२४२.	रिक्त	नवीनगर
२४३.	देवधारी राम	नवीनगर (संरक्षित)
२४४.	प्रियव्रतनारायण सिंह	औरंगाबाद
२४५.	सरयूप्रसाद सिंह	रफीगंज
२४६.	अम्बिकाप्रसाद सिंह	इमामगंज
२४७	मोहम्मद शाहजहाँ	शेरघाटी
२४८.	श्रीधर नारायण	बाराचट्टी
२४९.	शान्ति देवी, श्रीमती	बोधगया
२५०.	गनौरीप्रसाद सिंह	कोंच
२५१.	सरदार मोहम्मद लतीफुर रहमान	गया
२५२.	हरदेव सिंह	गया (मुफस्सिल)
२५३.	शिवरतन सिंह	अतरी
२५४.	राजकुमारी देवी, श्रीमती	हिसुआ
२५५.	मंजूर अहमद	नवादा
२५६	देवनन्दन प्रसाद	वारसलीगंज
२५७.	चेतूराम	वारसलीगंज (संरक्षित)
२५८.	रामस्वरूपप्रसाद यादव	रजौली

जिला हजारीबाग

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२५९.	नागेश्वर राय	गावाँ
२६०.	गोपाल रविदास	गावाँ (संरक्षित)
२६१.	इन्द्रनारायण सिंह	जमुआ
२६२.	कामाख्यानारायण सिंह	गिरिडीह
२६३.	हेमलाल प्रगनैत	गिरिडीह (संरक्षित)
६६४.	ब्रजेश्वरप्रसाद सिंह	बरमो
२६५.	कैलाशपति सिंह	बगोदर
२६६.	रामेश्वरप्रसाद महथा	बरही
२६७.	डाक्टर जी० पी० त्रिपाठी	कोडरमा
२६८.	नन्दकिशोर सिंह	चौपारन
२६९.	शालिग्राम सिंह	चतरा
२७०.	शशांकमंजरी, श्रीमती	बड़कागाँव
२७१.	वसन्तनारायण सिंह	हजारीबाग
२७२.	मोतीराम	मांडू
२७३.	ताराप्रसाद बख्शी	रामगढ़
२७४	रामेश्वर माँझी	रामगढ़ (संरक्षित)

जिला धनबाद

क्रम-सं०	सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२७५.	मनोरमा सिंह, श्रीमती	तोपचाँची
२७६.	रामलाल चमार	तोपचाँची
२७७.	रिक्त	धनबाद
२७८.	रामनारायण शर्मा	निरसा

क्रम-सं० सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२७९. लक्ष्मीनारायण माँझी	निरसा (संरक्षित)
२८०. हरदयाल शर्मा	चास
२८१. रामचन्द्र प्रसाद शर्मा	डुंडी

जिला सिंहभूमि

क्रम-सं० सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२८२. शिशिरकुमार महतो	घाटशिला
२८३. श्यामाचरण मुरमू	घाटशिला (संरक्षित)
२८४. सुपाई सोरेन	पोटका
२८५. केदार दास	जमशेदपुर
२८६. बी० जी० गोपाल	जुगसलाई
२८७. आदित्यप्रतापदेव सिंह	सरायकेला
२८८. सुखदेव माँझी	चाइबासा
२८९. सनातन समद	मंझरी
२९०. सरन बालमुच	मझगाँव
२९१. लोपो देवगम	मनोहरपुर
२९२. श्यामलकुमार पसारी	चक्रधरपुर
२९३. हरिचरन सोय	चक्रधरपुर
२९४. धनंजय महतो	चाण्डिल
२९५. यतीन्द्रनाथ रजक	चांडिल (संरक्षित)

जिला राँची

क्रम-सं० सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
२९६. धानसिंह मुंडा	तमार
२९७. भोलानाथ भगत	सिल्ली
२९८. जगन्नाथ महतो	राँची
२९९. रामरतन राम	राँची
३००. चिन्तामणि शरण नाथ शाह देव	राँची सदर
३०१. वीरसिंह मुण्डा	खूँटी
३०२. जूलियस मुण्डा	तोरपा
३०३. सुशील बागे	कोलबीरा
३०४ मार्शल कुल्लू	सिमडेगा
३०५. फाबियानुस ओराँव	चैनपुर
३०६ सूकरा ओराँव	गुमला
३०७. कृपा ओराँव	सिसई
३०८. प्रीतम कुजुर	लोहरदग्गा
३०९. रामविलास प्रसाद	माण्डर
३१०. इग्नस कुजुर	माण्डर (संरक्षित)

जिला पलामू

क्रम-सं० सदस्यों के नाम	चुनाव-क्षेत्र
३११ लाल जगद्धात्री नाथ शाह देव	लातेहर
३१२. जौन मुंजनी	लातेहर (संरक्षित)
३१३. उमेश्वरी चरण	डाल्टेनगंज
३१४. राजेश्वरी सरोज दास, श्रीमती	गढ़वा
३१५. यदुनन्दन तिवारी	भवनाथपुर
३१६. रामदेनी चमार	भवनाथपुर (संरक्षित)
३१७. राजकिशोर सिंह	लेस्लीगंज
३१८ रामकृष्ण राम	लेस्लीगंज (संरक्षित)
३१९. एल्सी औगियर, श्रीमती	मनोनीत

सद्यःप्रकाशित

परिषद् के तीन उत्कृष्ट ग्रन्थ

१. बौद्धधर्म और बिहार—लेखक : श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' । पृष्ठ-संख्या—४१२ । मूल्य—सजिल्द ८·०० । आर्ट पेपर पर पुरातत्त्व-सम्बन्धी ७७ दुर्लभ चित्र । दो मानचित्र । सांस्कृतिक इतिहास के इस शोधपूर्ण ग्रन्थ में बिहार-प्रदेश के प्राचीनतम बौद्ध स्थानों के सम्बन्ध में, आधुनिक नामों के साथ, लेखक ने गवेषणापूर्ण विवेचन किया है। बिहार के किन-किन स्थानों में बौद्धधर्म-सम्बन्धी कौन-कौन-सी घटनाएँ घटी हैं, उनका (५६३ ई० पूर्व से १६५६ ई० तक का) उल्लेख रोचक शैली में किया गया है। बौद्धधर्म-सम्बन्धी कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसका समावेश इसमें न किया गया हो। इतिहास, पुरातत्त्व, साहित्य, भाषा, कला आदि के विषयानुसार प्रामाणिक परिचय भी इसमें दिये गये हैं। परिशिष्ट—४ में अशोक के समग्र अभिलेखों के मूल पाठ के साथ हिन्दी-रूपान्तर भी प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिनसे ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ गई है। सुधी शोधकों के साथ ही सामान्य हिन्दी-पाठकों के लिए भी यह ग्रन्थ परमोपयोगी है।

२. साहित्य का इतिहास-दर्शन—लेखक : आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । पृष्ठ-संख्या—३४२ । मूल्य—सजिल्द ५·०० । यह ग्रन्थ परिषद् की व्याख्यान-माला के क्रम में, साहित्य के इतिहास-दर्शन विषय पर दिये गये भाषण का अनूठा प्रकाशन है। यह युग-विशेष के लेखक-समूह की कृति-समष्टि का इतिहास है। इसमें लेखक ने न केवल भारतीय साहित्येतिहास पर विचार किया है, प्रत्युत पाश्चात्य देशों के समग्र साहित्येतिहास पर उपलब्ध तथ्य-बहुल सामग्री को मथकर अपने विचारों के साथ, सामूहिक इतिहास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसमें साहित्येतिहास के अनेक पूर्वप्रतिपादित मतों का निरसन करके लेखक ने अपना सुदृढ़ मत स्थापित किया है। साहित्य के अनुसन्धित्सु विद्यार्थी इस ग्रन्थ से विशेष लाभ उठा सकेंगे।

३. मुहावरा-मीमांसा—लेखक : डॉ० ओम्प्रकाश गुप्त । पृष्ठ-संख्या—४५४ । मूल्य—६·५० न० पै० । इसमें वैदिक युग से आज तक के प्रचलित मुहावरों पर विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है। भारत की अन्य भाषाओं में भी मुहावरों पर ऐसा प्रामाणिक और विस्तृत शोध-ग्रंथ शायद ही प्रकाशित हुआ हो, हिन्दी में तो यह अपने ढंग का अनूठा है ही। उर्दू-मुहावरों के सम्बन्ध में भी जैसी विस्तृत छान-बीन इस पुस्तक में है, अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य विनोबा ने लिखा है—"मुझे भाषा के साहित्य का उतना परिचय नहीं। लेकिन जहाँ तक जानता हूँ, शायद इतनी विस्तृत और गहरी चर्चा हिन्दी में न हुई हो। मुहावरों की तलाश में ग्रंथकार ऋग्वेद तक पहुँच गया है, जिसके कारण इस ग्रंथ को पूर्णता का आभास प्राप्त हुआ है।" वस्तुतः, यह ग्रंथ प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के लिए पठनीय एवं मननीय है।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना-३